भारत में आर्थिक पर्यावरण

(Economic Environment in India)

भारत में आर्थिक पर्यावरण
(Economic Environment in India)

डॉ. ओ. पी. शर्मा
वरिष्ठ व्याख्याता
आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबन्ध विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सवाईमाधोपुर

आर बी एस ए पब्लिशर्स
एस. एम. एस. हाईवे
जयपुर - 302 003

भूमिका

बीते दशक मे अर्थव्यवस्था पर एक सौ पच्चीस से अधिक लेख तथा छह सदर्भ पुस्तके प्रकाशित होने के बाद 'भारत मे आर्थिक पर्यावरण' आपके हाथो मे सौंपते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। विश्व मे आर्थिक पर्यावरण चर्चित विषय रहा है। भारत स्वतत्रता के पचास वर्ष से अधिक का समय पार कर लेने के बाद नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश कर चुका है। आज की भाति भविष्य मे भी विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की कारगर भूमिका होगी। भारत ने विगत दशकों में आर्थिक पिछडेपन पर प्रहार करने वास्ते योजनाबद्ध विकास तथा ताजे दशक मे आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात किया है जिससे देश मे आर्थिक विकास का वातावरण सृजित हुआ है। राजस्थान की मरुभूमि भी राजीव हो उठी है। किन्तु अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याओ यथा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक विषमता का मुहबाए खडे रहना चिन्ताप्रद बात है। भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की बहुलता के कारण आर्थिक विकास की विपुल सभावनाए है। आज दुनिया का कोई देश भारत की उपेक्षा करने की स्थिति मे नहीं है। अनेक देशो के निवेशक भारत मे विनियोजन बढाने के लिए प्रयासरत हैं। अत भविष्य मे भारत के आर्थिक पर्यावरण मे भजबूती की आशा की जाती है। नीतिगत पहल और प्रभावोत्पादक कदम उठाकर भारत विश्व के प्रतिस्पर्धी देशों की श्रेणी मे खडा हो सकता है।

भारत मे आर्थिक पर्यावरण जैसे सर्वाधिक चर्चित विषय को छात्रो के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए प्रभावी बनाने वास्ते ताजातरीन घटनाक्रमो का समावेश किया गया है। पुस्तक को लिखने मे लब्ध प्रतिष्ठित सदर्भो यथा इडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत–सन्दर्भ ग्रन्थ, हिन्दू सर्वे आफ इण्डियन इण्डस्ट्री, आठवीं पचवर्षीय योजना, नौवीं पचवर्षीय योजना, कुरुक्षेत्र, योजना, तथ्य भारती, आर्थिक जगत उद्योग व्यापार पत्रिका, इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, आर्थिक समीक्षा राजस्थान, आय व्ययक अध्ययन राजस्थान,

स्टेटिस्टिकल एब्सट्रक्ट राजस्थान, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, इडियन इकोनॉमी स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, पापूलेशन ऑफ राजस्थान आदि का उपयोग किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध व्याख्याताओ, छात्रो तथा आर्थिक पर्यावरण मे रुचि रखने वाले सुधी पाठको के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह पुस्तक का प्रथम सस्करण है। अत कमिया होना स्वाभाविक है परन्तु सुधी पाठक सवाद, सहभागिता और अमूल्य सुझावो से इन कमियो को दूर करेगे। जिससे पुस्तक को उत्तरोत्तर प्रासगिक बनाने मे मदद मिलेगी।

अन्त मे मैं पुस्तक के प्रकाशक आर बी एस ए के श्री **दीपक परनामी** के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने पुस्तक को बेहतरीन ढग से प्रकाशित करने मे तत्परता दिखाई।

'शाति दीप'
जटवाडा मानटाऊन
सवाईमाधोपुर – 322001 (राज)
दूरभाष – (07462)-21998

डा ओ पी शर्मा

विषय सूची
(Contents)

इकाई I

इकाई II

इकाई III

इकाई - V

आर्थिक पर्यावरण - अर्थ तथा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व

(Economic Environment - Meaning and Factors Affecting Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment)

आज से लगभग चार दशक पूर्व पर्यावरण शब्द यदा-कदा ही पढने और सुनने मे आता था। किंतु हाल ही के वर्षो मे भारत मे ही नहीं अपितु समूचे विश्व मे पर्यावरण चर्चा का विषय है। विकास के साथ प्रदूषण बढा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण तुलनात्मक रुप से अधिक चर्चित है। पर्यावरण बेहद व्यापक है। इसमे आर्थिक, *सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक आदि घटनाओ को सम्मिलित किया जाता है।*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकताए अनत है। मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अनेक आर्थिक क्रियाए करनी पडती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पडता है। मानव वातावरण की उपज है। आज मनुष्य वातावरण को पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओ का प्रभाव *वातावरण पर भी पडता है। बदले परिवेश मे आर्थिक पर्यावरण की धारणा महत्त्वपूर्ण हो* गई है।

आर्थिक पर्यावरण का अर्थ (Meaning of Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण जटिल अवधारणा है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दो से मिलकर बना है पहला आर्थिक तथा दूसरा पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण को जानने से पूर्व इन दो शब्दो का अर्थ जान लेना आवश्यक है।

आर्थिक का अर्थ (Meaning of Economic)

अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्वो का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में उन सब क्रियाओ को सम्मिलित किया

जाता है जो *मनुष्य द्वारा आवश्यकता की पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से सम्पन्न की* जाती है तथा जिन्हें मुद्रा के मापदण्ड द्वारा मापा जा सके। आर्थिक क्रियाओ मे जिन मानवीय निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार हैं – (1) क्या उत्पादन होगा? (2) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा? (3) वस्तुओ का उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, (4) साधनों का पूर्ण उपयोग, (5) आर्थिक अनुरक्षण, विकास तथा लोच।

अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया यह बताती है कि सीमित साधनो का कुशलता से प्रयोग करके वस्तुओ का उत्पादन किया जाए जिससे आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सके। सक्षेप में आर्थिक क्रिया के सीमित साधन, उत्पादन, विनिमय व वितरण, उपभोग, आवश्यकताओ की सन्तुष्टि पाच भाग होते हैं।

पर्यावरण का अभिप्राय (Meaning of Environment)

पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, हमारे चारों ओर छाया आवरण (परि+आवरण = पर्यावरण)। जीवन और पर्यावरण मे अटूट सबध है। प्रकृति मे जल, वायु, भूमि, पड–पौधो, जीव–जतु आदि मे एक सतुलन कायम है। यह सतुलन ही प्राणी के अस्तित्व का आधार है।

वेबस्टर शब्द कोष के अनुसार "पर्यावरण से अभिप्राय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एव शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एव साकृतिक दशाओ के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है।"

विलियम एव लारेन्स के अनुसार, "पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों को सम्मिलित करता है जो उपक्रम को अवसरों अथवा जोखिमों की ओर अग्रसर करते हैं। यद्यपि ऐसे कई घटक हैं तथापि इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा एव सरकार है।"

सारत पर्यावरण से अभिप्राय मनुष्य के चारों ओर की प्राकृतिक, सामाजिक, सास्कृतिक एव मानवकृत शक्तियों से है जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।

आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment)

आर्थिक क्रिया तथा पर्यावरण का अर्थ समझ लेने के पश्चात आर्थिक पर्यावरण की व्याख्या सहज हो जाती है। आर्थिक पर्यावरण एक जटिल अवधारणा है। आर्थिक पर्यावरण में अनेक तत्त्व सम्मिलित हैं जिनमें आर्थिक नीतिया, प्राकृतिक एव भौगोलिक दशाए, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी दशाए, अतर्राष्ट्रीय दशाए, सामाजिक एव सास्कृतिक दशाए, राजनीतिक परिस्थितिया, जनसख्या सबधी दशाए, वैधानिक दशाए आदि मुख्य हैं। ये तत्त्व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं परिणामस्वरुप आर्थिक–पर्यावरण गत्यात्मक है। ये तत्त्व अर्थव्यवस्था में चहु ओर दृष्टिगोचर होते हैं एव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं।

सक्षेप म आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय मानव के निकटवर्ती उन परिस्थितियों से है जो सामाजिक, सास्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय दशाए, प्रौद्योगिकी

एव तकनीकी दशाओ के रुप मे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओ को प्रभावित करती हैं।

आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं (Characteristics of Economic Environment)

1. गत्यात्मक (Dynamic) – आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता। आर्थिक पर्यावरण के घटक देश, काल एव परिस्थितियो के अनुसार बदलते रहते हैं नतीजन आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है। आर्थिक पर्यावरण पर न केवल राष्ट्र की आतरिक परिस्थितियो अपितु अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो का भी प्रभाव पडता है। इनके परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था "व्यापार चक्र" से प्रभावित होती रहती है।

2. विभिन्न घटक (Various Elements) – आर्थिक पर्यावरण मे प्राकृतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, जनसख्या, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी, आर्थिक नीति, वैधानिक दशा, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय दशा आदि घटक होते हैं। ये घटक परस्पर सबधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमे से मानवकृत घटको पर नियत्रण सभव है, किंतु प्राकृतिक घटको पर प्राय नियत्रण सभव नहीं है।

3. आर्थिक क्रियाए (Economic Activities) – आर्थिक पर्यावरण मे उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, सचार, सार्वजनिक वित्त आदि आर्थिक क्रियाए सम्मिलित की जाती हैं।

4. आधुनिक संरचना (Modern Infrastructure) – आधुनिक सरचना मे ऊर्जा, परिवहन, सचार, पानी, बैंक, बीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक सरचना का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडता है। जिन देशो मे आधुनिक सरचना उपलब्ध होती है वहा आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।

5. पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Effect) – पर्यावरण जटिल एव व्यापक है। आर्थिक पर्यावरण भी पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण भाग है। आर्थिक पर्यावरण, भौगोलिक, सामाजिक एव राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति और पर्याप्त प्राकृतिक ससाधन आर्थिक विकास मे सहायक है। पुरानी विचारधारा, रुढीवादिता विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। राजनीतिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। जहा राजनीतिक स्थायित्व है वहा विकास की गति तुलनात्मक रुप से अधिक होती है।

6. आर्थिक प्रणाली (Economic System) – आर्थिक प्रणाली मे पूजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक प्रणाली का आर्थिक–पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पडता है। चीन मे साम्यवादी आर्थिक प्रणाली के कारण सार्वजनिक उपक्रमों को बढावा मिला है। अमरीका मे पूजीवादी आर्थिक प्रणाली के कारण निजी क्षेत्र को बढावा मिला है। भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को गति मिली है। आर्थिक सुधारो को लागू किए जाने के बाद भारत मे निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुप से अधिक विकसित हुआ है।

7. सरकार की भूमिका (Role of Government) – आर्थिक पर्यावरण मे सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक पर्यावरण पर सरकार का मार्गदर्शन

और नियत्रण हाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था मे ससाधनो पर राज्य का अधिकार होता है जबकि पूजीवादी व्यवस्था मे राजकीय हस्तक्षेप कम होता है।

8. पूजी (Capital) – आर्थिक पर्यावरण मे पूजी महत्त्वपूर्ण होती है। पर्याप्त पूजी से प्राकृतिक–ससाधनो का विदोहन तथा मानवीय ससाधनो का पूर्ण उपयोग सभव है। पूजी की उपलब्धता से आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित होती है।

आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Affecting Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण के अनेक अग है जिनमे आर्थिक नीतिया, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी दशाए, राजनीतिक परिस्थितिया, अतर्राष्ट्रीय दशाए, जनसख्या आदि मुख्य हैं। आर्थिक पर्यावरण के ये अग निरन्तर परिवर्तनशील है परिणामस्वरुप आर्थिक विकास निरन्तर जारी रहता है। आर्थिक विकास का आर्थिक पर्यावरण पर भी प्रभाव पडता है। समूची अर्थव्यवस्था में विभिन्न तत्त्वो का परस्पर प्रभाव पडता है। अनुकूल आर्थिक पर्यावरण अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्याओ यथा गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता से निपटने म कारगर भूमिका निभाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल आर्थिक पर्यावरण से आर्थिक विकास की गति धीमी पड जाती है। आर्थिक पर्यावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं–

1. प्राकृतिक ससाधन (Natural Resources) – प्राकृतिक ससाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त नि शुल्क उपहार होते हैं। प्रकृति ससाधनों के आवटन मे भेदभाव नहीं *करती। जिन देशों ने उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया है वे देश* आज विकास की दृष्टि से सिरमौर है। प्राकृतिक ससाधनो की बाहुल्यता वाले देश विदोहन के अभाव में विकास की दौड मे पिछड गए हैं। इनमे अधिकतर विकासशील देश हैं।

प्राकृतिक ससाधना मे देश की स्थिति और आकार, मिट्टी, जल, वन, खनिज, शक्ति के साधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक पर्यावरण मे प्राकृतिक ससाधनो का विशेष महत्त्व होता है। प्राकृतिक ससाधनों की अनुकूलता और बहुतायत वाले देशों का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। प्राकृतिक ससाधनो के अभाव मे विकास की गति को बढाया जा सकता है किंतु ऐसे देशो का आर्थिक विकास सीमित होता है तथा उन्हे विकास के लिए अन्य देशो पर निर्भर रहना पडता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सभी किस्म के प्राकृतिक ससाधनो का योगदान आवश्यक होता है। आर्थिक विकास का स्वरुप प्राकृतिक ससाधनों पर निर्भर है।

भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का एक सम्पन्न देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति अनुकूल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व मे सातवा स्थान है। भारत खनिजो का अजायबघर है। यहा अनेक प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ खनिजो के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज भारत मे पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं।

भारत ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक ससाधनो के विदोहन पर बल दिया है। परिणामस्वरुप भारत की गिनती आज औद्योगिक देशो मे की जाने लगी है। किंतु भारत मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। कई प्राकृतिक ससाधनो विशेषकर खनिज सम्पदा अल्पशोषित अवस्था मे है और जिन ससाधनो का पर्याप्त विदोहन किया गया उनका अच्छा उपयोग कम किया गया है। कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है किंतु भारत इसका अधिकाश भाग कच्चे माल के रुप में ही निर्यात कर देता है। यदि भारत कच्चे लोहे पर आधारित और लोहे एव इस्पात उद्योग की स्थापना करे तो इस्पात निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे सरकार की भूमिका औद्योगीकरण मे कम हो गई है। अत लगता नहीं कि कच्चे लोहे पर आधारित औद्योगीकरण की गति बढे। कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक सपदा का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सका नतीजतन औद्योगीकरण के क्षेत्र मे विकसित देशो की तुलना मे भारत बहुत पीछे है। जापान प्राकृतिक ससाधनों के अभाव वाला देश है इसके बावजूद वह औद्योगीकरण के मामले में दुनिया का सर्वाधिक विकसित देश है। जापान ने खनिजो का आयात करके औद्योगीकरण को तीव्र गति दी। अमरीका, रुस, खाडी के देश, पश्चिम के विकसित देश प्राकृतिक ससाधनो के बूते पर ही विकास की ओर अग्रसर हुए। अत प्राकृतिक ससाधनों का आर्थिक पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पडता है।

2. मानव ससाधन (Human Resources) – प्राकृतिक ससाधनो के बाद आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक मानव ससाधन है। जनसख्या आर्थिक गतिविधियो का साधन और साध्य दोनो होती है। जनसख्या मे गुणात्मक वृद्धि का आर्थिक पर्यावरण पर अनुकूल तथा सख्यात्मक वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पडता है। जनसख्या के अनुकूलतम स्तर से अधिक होने पर इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। विकासशील देशा मे जनसख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण आर्थिक विकास की गति तीव्रता से नहीं बढ सकी।

भारत मे मानव ससाधन आर्थिक विकास मे अवरोध सिद्ध हुआ हैं। यद्यपि जनाधिक्य के कारण भारत दुनिया के बडे बाजार के रुप मे उभरा है। सस्ती श्रम शक्ति के कारण विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ रहा है। किंतु जनसख्या की बहुलता से अनेक समस्याए यथा गरीबी, बेरोजगारी, पिछडापन मुखर हो गई हे। आर्थिक प्रगति जनसख्या रुपी बाढ मे बह जाती है। निरक्षरो की भरमार के कारण जनसख्या मे गुणात्मकता का अभाव है। जनसख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास मे सहायक होता है। भारत की जनसख्या आज एक अरब से अधिक है। वर्ष 1991 मे भारत मे साक्षरता दर 52 21 प्रतिशत थी। लगभग 48 प्रतिशत लोगो के निरक्षर रहते तीव्र आधिक विकास मुश्किल काम है।

3. आर्थिक नीति (Economic Policy) – आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नीतियो से प्रभावित होता है। आर्थिक नीति का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमन और नियत्रण के सबध में अपनाई गई विचारपूर्ण नीति से होता है। सरकार आर्थिक

उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति विनिमय दर प्रत्यक्ष नियत्रण और सरथागत परिवर्तन आदि उपकरणो को काम में लेती है। सरकार विशिष्ट उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निश्चित कार्यक्रम आत्मसात कर सकती है। सरकार आय के न्यायोचित वितरण के लिए ऊची आय वाले लोगो पर ऊची दर से कर लगा सकती है। आर्थिक नीतिया से विकास दर रोजगार आर्थिक विषमता कृषि विकास औद्योगीकरण सार्वजनिक उपक्रम निर्यात सम्वर्द्धन मूल्य स्तर आदि प्रभावित होते हैं। ये सभी घटक आर्थिक पर्यावरण के अग होते हैं। केन्द्रीय बजट राजकोषीय नीति का उपकरण होता है। राजकोषीय नीति मे सरकारी आय-व्यय और सार्वजनिक ऋण *अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने मे सहायक है।* मौद्रिक नीति मे सरकार मुद्रा की उपलब्धि ओर ब्याज दर म परिवर्तन करती है जिससे मुद्रा व साख की मात्रा प्रभावित होती है। विनिमय दर नीति म एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा मे मूल्य निर्धारित किया जाता है। सरकार आवश्यकतानुसार आर्थिक क्रियाओ को प्रत्यक्ष रुप में नियत्रित कर सकती है। विशिष्ट उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सस्थाओ की स्थापना की जा सकती है।

भारत मे आर्थिक नियोजन 1951 से 1990 तक प्रभावी रहा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल वास्ते 1991 से आर्थिक उदारीकरण की नीति को आत्मसात किया। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे अर्थव्यवस्था मे अनेक सरचनात्मक बदलाव किए गए। परिणामस्वरुप विकास में सरकार की भूमिका गौण और निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुख हो गई। नई आर्थिक नीतियो के अपनाने से भारत का आर्थिक पर्यावरण परिवर्तित हो गया। स्पष्ट है कि आर्थिक नीति आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है।

4 *राष्ट्रीय आय* – (National Income) – *राष्ट्रीय आय आर्थिक पर्यावरण का* प्रमुख घटक है। बढती राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय के बढने से चहुओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होने पर राष्ट्र पिछड जाता है। राष्ट्रीय आय कम होने अथवा धीमी गति से बढने से निर्धनता प्रभावपूर्ण माग की कमी बचत व पूजी निर्माण में कमी बाजारो की सीमितता आदि समस्याए उत्पन्न हो जाती हैं। विकसित राष्ट्रो की खुशहाली का एक प्रमुख कारण बढती राष्ट्रीय आय है। विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर धीमी है। राष्ट्रीय आय मे वृद्धि से ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। राष्ट्रीय आय के बढने के साथ प्रति व्यक्ति आय के बढने से कल्याण में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में बचत प्रवृति और अच्छा उपभाग आवश्यक है। यदि बढी हुई आय का दुर्व्यसनों में उपयोग होता है तो *आर्थिक पर्यावरण* बिगडता है। अमरीका ब्रिटेन जापान जर्मनी आदि देशों म राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊचा है।

वर्ष 1993 94 के चालू मूल्यो पर त्वरित अनुमानों के अनुसार 1997 98 में *भारत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 12 65 167 करोड रुपए तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय* उत्पाद 13 193 रुपए था। वर्ष 1995 मे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जापान

मे 39,640 डालर, जर्मनी मे 27,510 डालर, फ्रास में 24,970 डालर, अमेरिका मे 26,980 डालर था। जबकि भारत मे 340 डालर तथा चीन मे 620 डालर ही था। राष्ट्रीय आय कम होने के कारण भारत मे गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याए मुहबाए खडी हैं।

5 **आर्थिक विकास** (Economic Growth) – आर्थिक विकास आर्थिक पर्यावरण मे समाहित है। आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है। तीव्र आर्थिक विकास से उत्पादन व रोजगार स्तर मे वृद्धि होती है। विकसित देश उत्पाद की आधुनिकतम तकनीक आत्मसात करके विकास की दौड में आगे बढे। विकासशील देशो के आर्थिक विकास मे पुरानी तकनीक, पूजी का अभाव, ऊची उत्पादन लागत, जनाधिक्य आदि समस्याए है। भारत मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 5 प्रतिशत तथा 1998-99 में 6 प्रतिशत थी। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर विकसित देश की तुलना मे कम है। आर्थिक विकास का नीचा स्तर होने के कारण भारत की व्यावसायिक गतिविधिया धीमी हैं तथा बेरोजगारी की समस्या मुखर है।

6. **व्यापार संतुलन एवं भुगतान सतुलन** (Balance of Trade and Balance of Payment) – आज वैश्विक आर्थिक पर्यावरण पर व्यापार सतुलन और भुगतान सतुलन का अत्यधिक प्रभाव पडता है। व्यापार सतुलन की स्थिति से अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की सुदृढता बडी सीमा तक व्यापार सतुलन की स्थिति पर निर्भर करती है। व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से भुगतान के मोर्चे पर स्थिति सुधरती है। विकसित देशो मे व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई। इन देशो मे व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से भुगतान शेष की स्थिति अच्छी होती है। विश्व के अधिकाश विकासशील देशो विशेषकर भारत मे व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय है। अनेक बार भुगतान सतुलन की स्थिति बिगडी। व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। भुगतान सतुलन के प्रतिकूल होने से भारतीय आर्थिक पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पडता है। भारत का व्यापार घाटा 1997-98 मे 16,277 मिलियन डालर था। भुगतान सतुलन के चालू खाते का घाटा 6,473 मिलियन डालर था। भारत का भुगतान शेष 1997-98 मे 4,511 मिलियन डालर अनुकूल स्थिति मे था। इस वर्ष भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 618 मिलियन डालर का पुर्नक्रय किया तथा विदेशी विनिमय भण्डार मे 3,893 मिलियन डालर की वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 मे चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1 6 प्रतिशत था।

7. **विदेशी ऋण** (Foregin Debt) – विकासशील देशों मे आर्थिक विकास की गति तेज करने वास्ते विदेशी ऋण की आवश्यकता होती है। किंतु विदेशी ऋण का सीमा से अधिक उपयोग घातक होता है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे अनेक विकासशील राष्ट्र विदेशी ऋण भार में डूबे हुए हैं। इन देशो मे विदेशी ऋण भार इतना बढ गया है कि ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पडता है। ऋण भार मे अधिक डूबे होने के कारण कई देशों की भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बिगड गई। ऋणदाता देश

भी विकासशील देशो का शोषण करने से नहीं चूकते। विकसित देश ऋण के साथ प्रतिकूल शर्तें जोड देते हैं। ब्राजील, मेक्सिको, भारत आदि दुनिया के बडे ऋणी देश हैं। भारत पर सितम्बर 1998 में 95,195 मिलियन डालर (प्रोविजनल) विदेशी ऋण भार था। आज भारत के सामने विदेशी ऋण के मूल और ब्याज चुकाने की जटिल समस्या है। *विदेशी ऋण के मामले मे भारत की स्थिति अन्य बडे देशो की भांति* इसलिए नहीं बिगडी क्योकि कुल विदेशी ऋण मे अल्पावधि ऋणो का भाग बहुत कम है। मार्च, 1998 में कुल विदेशी ऋण मे अल्पावधि ऋणो का भाग 5 4 प्रतिशत था। किंतु भारत मे मार्च 1998 मे विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 23 8 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था के ऋण भार मे डूबी होने के कारण भारत विकास की दौड़ मे दुनिया के विकसित देशो की तुलना में पीछे है। सतोष की बात यह है कि भारत विदेशी ऋण अदायगी के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित नहीं हुआ।

8. आधारिक सरचना (Infrastructure) – *आर्थिक पर्यावरण आधारिक सरचना* से सीधा प्रभावित होता है। आधारिक सरचना से तीव्र आर्थिक विकास होता है। जिन देशों मे पहले आधारिक सरचना का विकास और फिर उद्योगो की स्थापना हुई वहा औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण सृजित हुआ है। विकसित देशो मे आधारिक सरचना यथा रेल्वे, सडकें, विद्युत, सिचाई, बैंक, सचार आदि बेहतर हैं। भारत सरीखे विकासशील देश इस दृष्टि से पिछडे हुए हैं। भारत मे पचवर्षीय योजनाओं मे वित्तीय ससाधनों के अभाव में आधारिक सरचना के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरुप आज तीव्र औद्योगीकरण में आधारिक सरचना का अभाव प्रमुख बाधा बना हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार ने आधारिक सरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस दिशा मे सरकार विदेशी निवेशको को आमत्रित करने *वास्ते प्रयासरत है।*

9. औद्योगिक नीति (Industrial Policy) – औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना चाहता है। इसके लिए दिशा–निर्देश औद्योगिक नीति मे समाहित होता है। अत देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। वर्तमान मे बदलते आर्थिक परिदृश्य मे तो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ गई है। भारत मे स्वतत्रता पूर्व से लेकर आज तक औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई। आर्थिक उदारीकरण प्रारम्भ किए जाने से पूर्व 1956 की औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक सविधान समझी जाती थी। इस नीति से भारत मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना जिसमे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फलीभूत हुए। नब्बे के दशक के प्रारम्भ से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। जुलाई 1991 में नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई जिसमें 1956 की नीति को बडी सीमा तक तिलाजलि दे दी गई। वर्तमान औद्योगिक नीति मे निजी क्षेत्र और *विदेशी पूजी निवेश का बोलबाला है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगीकरण* मे सरकार की भूमिका गौण हो गई है। स्पष्ट है कि औद्योगिक नीति आर्थिक पर्यावरण

को प्रभावित करती है।

10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings) – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का खूब विकास हुआ। भारत के औद्योगीकरण मे सार्वजनिक उपक्रमो ने कारगर भूमिका निभाई। सरकार की अरबो रुपए की पूजी सार्वजनिक उपक्रमों मे विनियोजित है। लाखो देशवासियो को इन उपक्रमो मे रोजगार मिला हुआ है। आर्थिक उदारीकरण मे विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका कम हो गई है। इसके बावजूद भी महत्त्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। भारत में आर्थिक सुधारो को लागू करने के बाद सार्वजनिक उपक्रमो का विकास थम सा गया है। सार्वजनिक उपक्रमो की भूमिका घटने के प्रमुख कारण इनके द्वारा विनियोजित पूजी पर अपेक्षित प्रत्याय दर अर्जित नहीं करना है। आर्थिक उदारीकरण मे सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी है, किंतु सार्वजनिक उपक्रमो की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होने के कारण विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। वर्ष 1997-1998 मे सार्वजनिक उपक्रमो म विनिवेश का लक्ष्य 7,000 करोड रुपए निर्धारित किया गया किंतु विनिवेश से केवल 907 करोड रुपए ही उगाये जा सके। वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट मे सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का लक्ष्य 10,000 करोड रुपए निर्धारित किया गया। विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के कारण सार्वजनिक उपक्रमो की खस्ता हालात हैं।

गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगातार घाटे की समस्या से ग्रसित होने के बावजूद नियोजन काल मे ये भारत के आर्थिक पर्यावरण पर छाये रहे। सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण सरकार ने घाटे के भार को ढोया।

11. ओद्योगीकरण (Industrialization) – औद्योगीकरण आर्थिक वातावरण सृजित करने का आधारभूत घटक है। विकासशील देशो मे आधारभूत सरचना और वित्तीय ससाधनो के अभाव मे औद्योगीकरण गति नहीं पकड पाता नतीजतन इन देशो मे गरीबी ओर बेकारी की समस्या मुखर रहती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव मे विकासशील देश विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पिछड जाते हैं। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ मे उद्योगो पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि के कारण औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण बना। नियोजन काल मे निजी क्षेत्र राजकीय सरक्षण के कारण पनपा। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत के औद्योगिक दरवाजे विदेशी निवेशको के लिए खोल देने के कारण निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए सघर्षरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद औद्योगिक विकास ने गति पकडी है। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 मे 6 6 प्रतिशत तथा 1997-98 मे 12 8 प्रतिशत थी।

12. ओद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) – आर्थिक पर्यावरण पर औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव पडता है। उद्योगो के बद होने से बेरोजगारी की समस्या पनपती है। भारत के आर्थिक विकास मे औद्योगिक रुग्णता बडी बाधा है। ओद्योगिक

रुग्णता से लागो क समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक रुग्णता से निर्याता पर भी विपरीत प्रभाव पडने लगता है। भारत मे मार्च 1995 मे कुल रुग्ण इकाइया 2 71 लाख थी। जिन पर 13,739 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया था। लघु क्षेत्र उद्योगा म रुग्णता की समस्या भीषण है।

13. बैंक (Bank) – आर्थिक पर्यावरण पर बैंकिंग व्यवस्था का प्रभाव पडता है। बैंक छोटी–छाटी बचता को एकत्र कर पूजी निर्माण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभात हैं। बैंक औद्योगिक विकास वास्त ऋण सुविधा मुहैया कराते हैं। भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंका ने गावो क गरीब लागा का साहूकारो के चुगल से बचाने मे महत्त्वपूर्ण पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रा मे बैंकिग विकास से गावो का कायाकल्प हुआ है। भारत मे जनसख्या की अधिकता और बढती आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग विकास को गति देने की आवश्यकता है। भारत में सितम्बर 1998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 6 7, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 6,597 रुपए, प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 3,542 रुपए था।

14. पूजी बाजार (Capital Market) – आज के आर्थिक युग मे पूजी बाजार की परिस्थितिया आर्थिक पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करती है। पूजी बाजार उद्योगो को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय ससाधन मुहैया कराकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। समृद्ध पूजी बाजार आर्थिक विकास मे सहायक होता है। भारत का पूजी बाजार विकसित है किंतु राजनीतिक अस्थिरता और आकस्मिक सकट की घडी मे पूजी बाजार म उच्चावचन की प्रवृति दृष्टिगोचर होती है। पूजी बाजार की सुस्ती का आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पडता है।

15. व्यापार चक्र (Business Cycle) – पूजीवादी देशो की अर्थव्यवस्थाए चक्रीय आर्थिक उच्चावचना से गुजरती रहती है। इन देशों को व्यापार चक्रों की अवस्थाए यथा मदी या सकुचन (Depression), पुनरुत्थान (Recovery), तेजी (Boom) तथा सुस्ती (Recession) क प्रभावा का सामना करना पडता है। मदी मे आर्थिक क्रियाए निम्न स्तर पर आ जाती हैं। मदी मे उत्पादन का स्तर बहुत नीचा होता है जिससे व्यापक बेरोजगारी हाती है। कीमते नीची होने से लाभ बहुत नीचे होते हैं। फर्मो का बहुत घाटा होता है। पुनरुत्थान मे व्यापारिक क्रियाओ का उठना शुरु होता है। पुनरुत्थान को शुरु करने वाले तत्त्व एक या अधिक हो सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था को मदी से बाहर निकालती है। तेजी में आर्थिक क्रियाए चारो तरफ बहुत तेजी से ऊचे स्तर पर होती है। कीमत लागत की तुलना में बहुत तेजी से बढती है। विनियोग और लाभ बढते हैं। उत्पादन का स्तर ऊचा और बढता हुआ रहता है। सुस्ती या अधोगति (Recession) म आर्थिक क्रियाओं के स्तर में पर्याप्त गिरावट आ जाती है। तेजी और मदी दोनो का अर्थव्यवस्थाओ पर बुरा प्रभाव पडता है। वर्ष 1998 मे विश्व के अनेक देश मदी की चपट म थे। मदी काल मे कीमतो में कमी, उत्पादन व रोजगार के स्तर को घटा देती है। विकासशील देशों में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है।

16. आर्थिक नियोजन (Economic Planning) – भारत मे आर्थिक नियोजन ने आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भारत का वर्तमान आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नियोजन की देन है। भारत मे आर्थिक नियोजन की शुरुआत अप्रैल 1951 से हुई। वर्ष 1951 से लेकर 1999 तक के 48 वर्षों के नियोजन काल मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी तथा 1997-98 से नौवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। आर्थिक नियोजन मे भारत ने अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो विशेषकर कृषि तथा उद्योगो के विकास में अच्छी प्रगति की है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ने औद्योगीकरण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु बढती गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता नियोजन की विफलताए हैं।

17. शिक्षा (Education) – शैक्षिक विकास अच्छे आर्थिक पर्यावरण मे सहायक होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण के अच्छा नहीं होने का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव मे भारत मे अनेक समस्याए पनपी। जनसख्या की अधिकता का कारण शिक्षा का अभाव ही है। यदि पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक विकास के शिक्षा सबधी महत्त्वपूर्ण पहलू पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता तो आज दुनिया के सर्वाधिक भारतीय नहीं होते। निरक्षरो की भीड सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है जिसका आर्थिक विकास मे अधिक योगदान नहीं है। भारत की प्रगति निरक्षर लोगो की बाढ मे बह जाती है।

18. सामाजिक और सांस्कृतिक दशाए (Social and Cultural Conditions) – आर्थिक पर्यावरण मे सामाजिक और सास्कृतिक दशाए महत्त्वपूर्ण होती हैं। भारत के आर्थिक पर्यावरण के विकास के मार्ग मे सामाजिक और सारकृतिक परिस्थितियो ने अडचने पैदा की। ग्रामीण परिवेश का बडा भाग निरक्षरता के कारण रुढिवादिताओ और अधविश्वासो मे डूबा हुआ है। पढे लिखे लोगो की मानसिकता भी कमोबेश ऐसी ही है। आम लोग जातिप्रथा, परम्पराओं और सामाजिक मूल्यो के कारण बदलाव मुश्किल से स्वीकार करते हैं। नतीजतन भारत सरीखे विकासशील देशो मे आर्थिक विकास की गति धीमी बनी हुई है।

19. प्रौद्योगिकी विकास (Technological Development) – आज आर्थिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। विकसित देश शोध एव अनुसधान पर बडी राशि खर्च करते हैं। इन देशो का उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकसित देशो की देन हैं। विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियो और विकसित देशो पर निर्भर है। नई प्रौद्योगिकी वास्ते विकासशील देशों को भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती है। अनेक बार विकसित देश पुरानी तकनीक हस्तान्तरित कर देते हैं। भारत मे शोध एव अनुसधान पर बल देने के कारण प्रौद्योगिकी विकास हुआ है किंतु अभी विकसित देशों की तुलना मे स्थिति कमजोर है। भारत मे उच्च शिक्षा पर परिव्यय बढाने की आवश्यकता है।

20. राजनीतिक दशाए (Political Conditions) – राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक पर्यावरण मे तीव्र विकास वास्ते अनुकूल परिस्थितिया बनती है। देशी और

विदेशी\निवेशको का अर्थव्यवस्था मे विश्वास बढता है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक पर्यावरण मे अनिश्चितता की स्थिति जोर पकडती है। भारत म आथिक नियोजन के चार दशको मे (1951 1990) राजनीतिक स्थायित्व था। कुछेक वर्षों को छोडकर केन्द्र मे काग्रेस पार्टी सत्तारुढ रही। राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक नीतियो मे भारी बदलाव नहीं हुआ। सरकारो के बदलने के साथ आर्थिक नीतियो मे सामान्यतया परिवर्तन किया जाता है। नब्बे के दशक मे भारत मे राजनीतिक अस्थिरता की समस्या थी। भारत मे दिसम्बर 1989 से जून 1991 तक डेढ वर्ष की समयावधि मे केन्द्र मे दो बार सरकारे बदली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत को तत्कालीन खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट से निपटने मे कठिनाई हुई। वर्ष 1996 के बाद भारत मे फिर राजनीतिक अस्थिरता शुरु हुई जो सितम्बर 1999 तक रही। इस समयावधि म केन्द्र म बार–बार सरकारें बदली। गरीब भारतीयो को सितम्बर 1999 मे तेरहवीं लोकसभा चुनाव का सामना करना पडा। बार–बार आम चुनावो से भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ बढा है। भारत मे आर्थिक उदारीकरण के दौर मे राजनीतिक अस्थिरता चिताप्रद है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1998 99 मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मे भारी कमी आई। भारत मे अच्छे आर्थिक पर्यावरण के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। रुस पाकिस्तान बाग्लादेश आदि देशा म राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक पर्यावरण बिगड गया है।

21 अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिया (International Conditions) – अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडता है। भारत द्वारा मई 1998 मे पोकरण म परमाणु विस्फोट करने के बाद अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबधा की घोषणा की। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ यथा विश्व बैंक और आई एम एफ आदि न आर्थिक सहायता स्थगित की। आर्थिक प्रतिबधो क कारण भारत की अनेक बडी परियोजनाए निर्धारित समय म पूर्ण नहीं हो सकीं। वष 1991 मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगडी। वर्ष 1998 की विश्वव्यापी मदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। वित्त वर्ष 1997 98 और 1998 99 मे भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशियाई सकट से भी प्रभावित हुई। दक्षिण एशियाई देशो की मुद्रा का भारी अवमूल्यन होने क कारण भारत के नियाता पर विपरीत प्रभाव पडा। भारत पर **सी टी बी टी** पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव है। इन सब घटनाओ का भारत के आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडा है।

आज के आर्थिक पर्यावरण को समृद्ध बनाने वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय शाति और सहयोग महत्त्वपूर्ण है। सीमा पर तनाव और युद्ध से आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पडता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों विशेषकर पडौसी राष्ट्रो का रुख का अनुकूल प्रभाव नहीं पडा। स्वतत्रता के पाच दशकों मे भारत को पाच युद्धा का सामना करना पडा। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। बार–बार युद्ध थोपे जाने स आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पडा। भारत मे आज सामाजिक विकास परिव्यय में वृद्धि की आवश्यकता है किंतु पाकिस्तान के बार–बार आक्रमण के कारण

रक्षा खर्च मे बढोतरी करनी पडी। जून–जुलाई 1999 मे पाकिस्तान ने कारगिल मे घुसपैठ की, पाकिस्तानियो को खदडने के लिए भारत को दो माह से अधिक तक सैनिक कार्यवाही करनी पडी जिससे करोडो रुपए का वित्तीय बोझ देश पर पडा। भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण कारगिल सकट का अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पडा अन्यथा युद्ध के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति सकटग्रस्त हो जाती है।

22. पर्यावरणीय सरक्षण (Environmental Protection) – आज विश्व मे पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या है। पृथ्वी पर बढते प्रदूषण के कारण ओजोन' तक प्रभावित हो गई है। पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढता जा रहा है। परमाणु कचरे के कारण प्रदूषण की समस्या भयावह हो गई है। प्रदूषण के बढने का प्रमुख कारण औद्योगीकरण और बढती जनसख्या है। भारत मे औद्योगिक विकास और जनसख्या के बढने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या मुखर हो गई है। बडे शहर-औद्योगिक सन्केन्द्रण के कारण प्रदूषण की चपेट मे हैं। वर्तमान मे सरकार औद्योगीकरण करते समय पर्यावरण सरक्षण वास्ते सतर्कता बरतती है। आम लोगो मे भी पर्यावरण सरक्षण के प्रति जागरुकता बढती है। भारत मे राजकीय प्रयासो ओर जनता की जागरुकता के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढती जा रही है। गरीबी के कारण वनो की अन्धाधुध कटाई हो रही है। बहुसख्यक जनसख्या प्रदूषित जल पीने के लिए अभिशप्त है। शहरो मे कोलाहलपूर्ण वातावरण है। ध्वनि और वायु प्रदूषण ने गभीर रुप धारण कर लिया है। सरकार और देशवासियों को पर्यावरण सरक्षण के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

23 आर्थिक प्रणाली (Economic System) – आर्थिक पर्यावरण राष्ट्र विशेष द्वारा आत्मसात की जाने वाली आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है। वर्तमान मे विश्व के देशो मे पूजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणलिया दृष्टिगोचर होती हैं। ये आर्थिक प्रणलिया अलग–अलग तरीके से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं

(क) **पूजीवादी आर्थिक प्रणाली** (Capitalist Economy) – विश्व मे आज पूजीवाद सर्वाधिक प्रचलित आर्थिक प्रणाली है। विकसित देशो ने पूजीवाद को आत्मसात कर आर्थिक विकास की गति तीव्र की। पूजीवाद की आर्थिक विकास मे वढती उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे देश भी पूजीवाद की ओर मुखातिब हुए। अमरीका, जापान, जर्मनी, बिट्रेन, फ्रास, कनाडा आदि देशो ने पूजीवाद द्वारा ही तीव्र विकास किया। पिछले एक दो दशको मे विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर से गुजरा। विश्व के प्राय सभी विकासशील देशो ने परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करते हुए आर्थिक नीतियो मे मूलभूत परिवर्तन किए। विकासशील देश पूजीवाद की ओर मुखातिब हुए। भारत ने 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे सरचनात्मक बदलाव किया जा चुका है।

(ख) **साम्यवादी आर्थिक प्रणाली** (Communism Economy) – साम्यवाद भी

महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रणाली थी। सोवियत सघ ने साम्यवादी प्रणाली से तीव्र आर्थिक विकास किया किन्तु अब सोवियत सघ विघटित हो चुका है। रुस ने आर्थिक सक्रमण के दौर मे नयी आर्थिक नीति अपनाई। विश्व मे आज साम्यवाद का अधिक प्रभाव नही है। वर्तमान मे साम्यवाद चीन और क्यूबा मे दृष्टिगोचर होता है। चीन साम्यवादी प्रणाली में आज आर्थिक रुप से समृद्ध है। साम्यवाद म समस्त आर्थिक गतिविधिया राज्य द्वारा सचालित होती है।

(ग) *समाजवादी आर्थिक प्रणाली* (Socialist Economy) – *समाजवाद साम्यवाद* का रुप है किंतु यह साम्यवाद जितना कठोर नहीं होता है। समाजवाद मे आर्थिक गतिविधिया अधिकाशत सरकार के द्वारा सचालित होती है। इसमे प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। गैर–आरक्षित क्षेत्र के उद्योगो म अवश्य प्रतिस्पर्धा होती है। भारत ने सोवियत सघ से प्रेरणा लेकर समाजवादी आर्थिक प्रणाली का आत्मसात किया। सरकार आर्थिक क्षेत्र मे सर्वेसर्वा होती है। आर्थिक गतिविधियो का नियमन और नियत्रण सरकार के हाथो म होता है। भारत समाजवादी आर्थिक प्रणाली से प्रमुख आर्थिक समस्याओ से उभर नहीं सका परिणामस्वरुप आज भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर उन्मुख है।

(घ) *मिश्रित अर्थव्यवस्था* (Mixed Economy) – *भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित* अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूजीवाद और साम्यवाद का उदार रुप होती है। इसमे निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र सभी को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण म इन सभी क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का बालवाला है। विभिन्न क्षेत्रो की भूमिकाओ मे अवश्य बदलाव हुआ है। उदारीकरण में अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ रही है। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अस्तित्व अब भी बना हुआ है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक पर्यावरण पर अनेक घटको का प्रभाव पडता है। आज विश्व के देश पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटको का अनुकूल बनाने वास्ते प्रयासरत हैं ताकि विकास की तज गति प्राप्त की जा सके। भारत मे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण आर्थिक विकास की गति धीमी है। मानव–ससाधन बढता विदेशी ऋण प्रतिकूल व्यापार शेष आधारभूत सरचना का अभाव आदि घटक विकास के माग मे बाधक रहे हुए हैं।

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1. भारतीय आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

३ भारत मे उदारीकरण का आर्थिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पडा है।
4 औद्योगिक विकास आर्थिक पयावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का विवेचन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ बताइए तदुपरात आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। द्वितीय भाग मे अध्याय मे दिए गए आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटको को विस्तार से लिखिए।)

2 आर्थिक पर्यावरण के निम्नाकित घटको पर टिप्पणी लिखिए।
(i) प्राकृतिक ससाधन
(ii) राष्ट्रीय आय
(iii) आधारभूत सरचना
(iv) सामाजिक और सास्कृतिक दशाए
(सकेत – अध्याय मे आर्थिक पर्यावरण को पभावित करन वाले तत्त्वा मे से प्रश्न मे लिखित घटकों का आर्थिक पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावो का वर्णन देना है।)

3 आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। निम्न तत्त्व किसी राष्ट्र के आर्थिक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं –
(i) बैंक
(ii) पूजी बाजार
(iii) आर्थिक नियोजन
(iv) व्यापार चक्र

(M.D.S. University, Ajmer 1998)

(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा देनी है तथा द्वितीय भाग मे प्रश्न मे लिखित तत्त्वो का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव विस्तार से लिखना है।

भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं

(Indian Economic Environment and Basic Features of Indian Economy)

आर्थिक परिदृश्य

भारत सार कृतिक विरासत और विविधताओं के कारण दुनिया म प्रसिद्ध है। भारत ने स्वातन्त्र्योत्तर पचास वर्षों में बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। वर्तमान मे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक दशो मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनहित में प्रकृति पर विजय पाने हेतु अतरिक्ष म जाने वाले दशा म भारत का छठा स्थान है।

अतीत म विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का गौरवपूर्ण स्थान था। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थ। चहुओर खुशहाली थी। भारत सोन की चिडिया के नाम स जाना जाता था। भारत की समृद्धि पर विदेशी आततायिया की लालचभरी दृष्टि पडी। अग्रेज व्यापारी की हैसियत से भारत आए और हमे राजनीतिक रुप से गुलाम बना दिया। भारत दीर्घावधि तक ब्रिट्रेन का उपनिवेश रहा। अग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का मनमाफिक शोषण किया। भारत के कच्चे उत्पादो पर इग्लैण्ड के औद्योगीकरण की नींव रखी। भारतीय बाजारों को इग्लैण्ड मे बने निर्मित्त उत्पादो से पाट दिया। गुलामी के दिना म अग्रजा ने भारत के विकास के लिए कारगर प्रयास नहीं किए। भारत समृद्ध स गरीब दश मे परिवर्तित हो गया। कृषि और उद्योगा के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड गया। अग्रजा की प्राकृतिक और मानव सपदा के शाषण की प्रवृत्ति सीमा लाघ गई। अन्तत भारतीया ने अग्रेजा को देश से उखाड फकने की साची। असख्य बलिदाना की कीमत पर भारत को 1947 म स्वतत्रता मिली।

पिछडी अर्थव्यवस्था भारत को विरासत म मिली। अब राजनीतिक बागडार भारतीया क हाथा म थी। गुलामी के दिना मे बिगडी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने

वास्ते पचवर्षीय योजनाओ द्वारा विकास का मार्ग चुना। भारत की अर्थव्यवस्था पर देश विभाजन का विपरीत प्रभाव पडा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए। भारत की आजादी के पचास साल बीत चुके हैं। भारत विश्व मे शाति का पक्षधर रहा है। भारत की प्रगति कुछ देशो को नही सुहाती। स्वतत्रता के बाद पाकिस्तान ने 1947, 1965 और 1971 मे तीन बडे युद्ध थोपे। अनेक बार भारत को आतरिक रुप से कमजोर करने का प्रयास किया। वर्ष 1962 मे चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जून 1999 में कश्मीर के कारगिल मे भारत–पाक के बीच सीमित युद्ध हुआ। भारत को पाकिस्तान सैनिकों की भारतीय सीमा मे घुसपैठ के कारण सैनिक कार्यवाही करनी पडी। भारत को कारगिल में घुसपैठ से निपटने के लिए प्रतिदिन 30 से 35 करोड रुपए खर्च करने पडे। कारगिल मे अनेक भारतीय जवान शहीद हुए। सीमा पर तनाव की स्थिति थी।

स्वतत्रता के पचास वर्षो मे भारत को चार बडे युद्ध और कारगिल मे सीमित युद्ध का सामना करना पडा। युद्धो का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक था। भारत विकासशील देश है। यद्यपि युद्धो मे शत्रु देश को मात खानी पडी किंतु भारत को विकास के ससाधन युद्धो मे झोकने पडे। भारत को रक्षा खर्च मे बढोत्तरी करनी पडी। तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-66) मे दो बडे युद्धो के कारण वित्तीय ससाधनो के अभाव की समस्या थी। नतीजतन चतुर्थ पचवर्षीय योजना से पूर्व 1966-69 तीन वार्षिक योजनाए क्रियान्वित की गई।

बीसवीं शताब्दी के अस्सी और नब्बे दशक में विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर से गुजरा। भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991-92 मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण के प्रारभिक पाच वर्षे मे भारत की अर्थव्यवस्था मे सरचना सबधी मूलभूत परिवर्तन किए गए। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। बार–बार केन्द्र मे सरकारें बदली। केद्र मे सत्तारुढ सभी सरकारो ने न्यूनाधिक आर्थिक सुधारों को गति दी।

भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताए
(Indian Economic Environment and Basic Features of Indian Economy)

1. विशाल देश (Big Nation) – भारत विश्व की बडी अर्थव्यवस्था है। भौगोलिक रुप से भारत का क्षेत्रफल 31 मार्च 1982 को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियो से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबधीय सघन वनो तक फैला हुआ है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध मे स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षाश और 68°7' और 97°25' पूर्वी देशान्तर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,517 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवा और जनसख्या की दृष्टि से विश्व

का दूसरा बडा देश है। जनसख्या और क्षेत्रफल भारत की विशालता क परिचायक है।

2 राष्ट्रीय आय (National Income) – राष्ट्रीय आय सामान्य रुप से देश मे निवास करने वाले नागरिको द्वारा उत्पादन के साधनो से अर्जित वह आय है, जिसमे से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के मूल्यो पर 1983-84 मे 1,29,392 करोड रुपए थी जो बढकर 1992-93 म 1 93,222 करोड रुपए हा गई। भारत की राष्ट्रीय आय मे 1983-84 से 1992-93 क बीच 9 वर्षो म 49 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान मूल्यो पर राष्ट्रीय आय 1983-84 मे 1 66,550 करोड रुपए थी जो बढकर 1992-93 में 5,44,935 मे कराड रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यो पर राष्ट्रीय आय मे 1983-84 से 1992-93 तक के 9 वर्षे मे 227 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नयी श्रृखला (आधार वर्ष 1993-94) के अनुसार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) चालू मूल्यो पर 1997-98 म 12 65,167 करोड रुपए तथा स्थिर मूल्यो पर 9,26,420 कराड रुपए था।

3 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) – भारत मे प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकासशील राष्ट्रो से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय केवल कम ही नहीं अपितु इसकी वृद्धि धीमी एव अनियमित है। प्रति व्यक्ति आय कम होने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ रही जनसख्या है। भारत म प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Per Capita Net National Product) वर्ष 1980-81 के मूल्यो पर 1950-51 म 1,127 रुपए था जा बढकर 1990-91 मे 2,222 रुपए 1991-92 मे घटकर 2,175 रुपए तथा 1992-93 मे थोडा बढकर 2 243 रुपए हो गया। नई श्रृखला 1993-94 आधार वर्ष के मूल्यो के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1993-94 मे 7 902 रुपए था जो बढकर 1997-98 म 13,193 रुपए हा गया।

चालू मूल्यो पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 म 17 1 प्रतिशत तथा 1997-98 म 10 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। चालू मूल्यो पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 मे 14 7 प्रतिशत तथा 1997-98 म 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। स्थिर कीमता पर 1997-98 म शुद्ध राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 4 8 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी।

4 सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) – भारत का सकल घरलू उत्पाद 1993-94 के मूल्या पर 1995-96 में 926 4 हजार कराड रुपए था जा बढकर 1997-98 म 1,049 2 हजार कराड रुपए (त्वरित अनुमान) हो गया। सकल घरलु उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर 1995-96 म 7 6 प्रतिशत थी जो 1997-98 म घटकर 5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) रह गई। वर्ष 1998-99 क अग्रिम अनुमानो मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5 8 प्रतिशत थी। नियोजन काल म कई बार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1,

प्रतिशत अथवा ऋणात्मक रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1957-58 मे ऋणात्मक 1.2 प्रतिशत, 1965-66 मे ऋणात्मक 3 7 प्रतिशत, 1966-67 मे 1 प्रतिशत, 1971-72 मे एक प्रतिशत, 1972-73 मे ऋणात्मक 0 3 प्रतिशत, 1979-80 मे ऋणात्मक 5 2 प्रतिशत थी। वर्ष 1965 तथा 1971 मे भारत–पाक युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। आर्थिक उदारीकरण के प्रारभ मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 मे 0 8 प्रतिशत रही। स्वातत्र्योत्तर सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1988-89 मे 10 6 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। इससे पूर्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1983-84 मे 8 2 प्रतिशत तथा 1967-68 मे 8 1 प्रतिशत रही थी। वर्ष 1975-76 मे भी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 प्रतिशत उत्साहवर्द्धक थी।

5. वार्षिक विकास दर (Annual Compound Growth Rate) — भारत मे औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1970-1980 के बीच 3 2 प्रतिशत तथा 1980-95 के बीच 5 6 प्रतिशत थी। भारत आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से कई एशियाई देशो से पिछडा हुआ है। औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980 से 1995 के बीच चीन मे 11 1 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 6 6 प्रतिशत, कोरिया मे 8 7 प्रतिशत, मलेशिया मे 6 4 प्रतिशत तथा थाइलैण्ड मे 7 9 प्रतिशत थी जो भारत की 5 6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना मे अधिक थी। भारत मे विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे आर्थिक वृद्धि दर उत्साहवर्द्धक नहीं रही। पचवर्षीय योजनाओ मे आर्थिक वृद्धि दर के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ और वार्षिक योजनाओ में वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर इस प्रकार रही– स्थिर मूल्यो पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर प्रथम योजना में 3 7 प्रतिशत, द्वितीय योजना मे 4 1 प्रतिशत, तृतीय योजना मे 2 7 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओ (1966-69) मे 3 9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 3 4 प्रतिशत, पाचवीं योजना मे 5 प्रतिशत, वार्षिक योजना 1979-80 मे ऋणात्मक 4 9 प्रतिशत, छठी योजना मे 5 5 प्रतिशत, सातवीं योजना मे 5 8 प्रतिशत, दो वार्षिक योजनाओं मे (1990-92) 2 9 प्रतिशत तथा आठवीं योजना मे 6 8 प्रतिशत।

6. कृषि की प्रधानता — आर्थिक नियोजन के लगभग पचास वर्ष बाद भी अर्थव्यवस्था मे कृषि की प्रधानता बनी हुई है। जनसख्या का बडा भाग गावो मे निवास करता है तथा कृषि आय का मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय आय का अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा निर्यातित आय मे भी कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि की कारगर भूमिका है किंतु कृषि अन्य देशों की तुलना मे पिछडी हुई है। भारत में कृषि विकास की गति को तेज करने मे सफलता नहीं मिल सकी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के योगदान मे भारी कमी आयी। सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि एव सबध क्षेत्र का योगदान 1951-52 मे 56 4 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 मे 30 1 प्रतिशत तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानो मे 28 7 प्रतिशत रह गया। निर्यात व्यापार मे भी

कृषि की भूमिका मे बदलाव आया है। निर्यात मे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का योगदान 1960 61 म 44 2 प्रतिशत था जो घटकर 1995 96 मे 19 9 प्रतिशत तथा 1997 98 मे और घटकर 18 8 प्रतिशत रह गया। खाद्यान्न उत्पादन मे अवश्य वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950 51 मे 50 8 मिलियन टन था। आज कृषि देश की विशाल जनसख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति मे सक्षम है। हाल के वर्षे मे खाद्यान्नो का निर्यात भी होने लगा है। वर्ष 1996 97 मे खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन 199 4 मिलियन टन हुआ। किंतु खाद्यान्न उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृति नहीं आ सकी। वर्ष 1997-98 मे खाद्यान्न का उत्पादन 192 4 मिलियन टन था जो गत वर्ष की तुलना मे 3 5 प्रतिशत कम था। कृषि उत्पादन वृद्धि दर मे भारी उच्चावचन है। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1996 97 में 9 1 प्रतिशत 1997 98 में ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998 99 में 3 9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। उर्वरकों का उपभोग बढने से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढी है। उर्वरको का उपभोग 1970 71 मे 2 2 मिलियन टन था जो बढकर 1997-98 मे 16 2 मिलियन टन हो गया। खाद्यानो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1960 61 मे 710 किलोग्राम से बढकर 1997-98 मे 1 551 किलोग्राम हो गया। भारत कृषि सभाव्यता का पूरा लाभ नहीं उठा सका है। सिचाई सुविधाओ का विकास करके कृषि की दशा को बेहतर बनाया जा सकता है।

7 **औद्योगीकरण को प्राथमिकता** – अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योगो को प्राथमिकता दी गई। स्वतत्रता के तुरन्त बाद 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई किंतु पचास वर्षो के बाद भी कृषि नीति को 1999 2000 तक मूर्त रुप नहीं दिया जा सका। नियोजन काल मे उद्योगो को प्राथमिकता देने से भारत की गिनती औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशो मे की जाती है। नियोजित विकास मे सार्वजनिक उपक्रमो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किंतु सार्वजनिक उपक्रमों विनियोजित पूजी पर अपेक्षित आय अर्जित नहीं कर पाने के कारण जनता पर बोझ सिद्ध हुए। वर्ष 1996-97 मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (Public Sector Undertakings) की सख्या 236 विनियोजित पूजी 2 020 2 बिलियन रुपए सकल लाभ 305 7 बिलियन रुपए कर पश्चात लाभ 154 7 बिलियन रुपए था। सार्वजनिक उपक्रमो मे 1996 97 मे विनियोजित पूजी पर सकल लाभ 15 1 प्रतिशत तथा शुद्ध पूजी (Net Worth) पर कर पश्चात लाभ 9 4 प्रतिशत था। आज आर्थिक उदारीकरण मे सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति से अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेशको के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षो मे उदारीकरण की नीतियो के कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे वृद्धि हुई है। भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 1991 मे 351 करोड रुपए था जो बढकर 1995 मे 6 820 करोड रुपए तथा 1997 मे और बढकर 16 425 करोड रुपए हो गया। जनवरी–अक्टूबर 1998 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 11 821 करोड रुपए था। वर्ष 1991 से अक्टूबर 1998 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 51 558 करोड था। भारत मे सर्वाधिक एफ डी आई निवेशक अमरीका मारीशस,

दक्षिण कोरिया तथा जापान है। दक्षिण कोरिया ने जनवरी 1999 मे सर्वाधिक 30,850 11 मिलियन रुपए का भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया। जनवरी–दिसम्बर 1998 मे अमरीका ने 35,619 6 मिलियन रुपए, मारीशस ने 31 659 07 मिलियन रुपए, ब्रिटेन ने 32,008 44 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया ने 3,683 54 मिलियन रुपए तथा जापान ने 12,828 24 मिलियन रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया।[1] पूजी निवेश के बढने से औद्योगिक उत्पादन को बल मिला है। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 में 12 8 प्रतिशत तक पहुची। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 मे 5 6 प्रतिशत, 1997-98 मे 6 6 प्रतिशत तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998-99 मे 3 5 प्रतिशत थी।

8. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) – भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगीकृत किया। विकास के क्षेत्र मे सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सयुक्त क्षेत्रों को फलने–फूलने का पर्याप्त अवसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन वास्ते अर्थव्यवस्था मे भारी फेरबदल नहीं करना पडा। भारत मे समाजवाद व पूजीवाद का अच्छा समन्वय है। वर्ष 1951 से 1990 तक भारत मे नियोजित विकास की कारगर भूमिका रही इसके बाद आर्थिक उदारीकरण मे निजी क्षेत्र की भूमिका बढी।

9. रुढ़िवादी समाज – भारतीय समाज रुढिवादिता मे डूबा हुआ है। रुढिवादिता का प्रमुख कारण गरीबी और निरक्षरता है। भारत मे लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे है तथा 48 प्रतिशत जनसख्या निरक्षर है। समाज का बडा भाग मृत्यु भोज, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, सयुक्त परिवार, जादू–टोना आदि परम्परावादी विचारधाराओ से जकडा हुआ है। गरीब लोगो को मजबूरन रुढिवादिता का पालन करना पडता है।

10. कृषि की मानसून पर निर्भरता – स्वतत्रता के पचास वर्षो के बाद भी भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता समाप्त नहीं हुई है। सिचाई सुविधाओ के अभाव मे कृषि विकास मानसून पर निर्भर है। नब्बे के दशक मे भारत मे मानसून अनुकूल रहा। इस कारण आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि विकास से अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर बनी रही। किंतु नियोजन काल में कई बार मानसून के अनुकूल नहीं होने के कारण कृषि के पिछडने से आर्थिक विकास की दर घटी।

11. बचत और पूजी निर्माण – भारत के लोगों मे गरीबी है। निरक्षरता के कारण अज्ञानता है, परिवारे के बडे होने के कारण बचत कम होती है, बढी हुई आय को गरीब दुर्व्यसनों पर और धनी विलासिता पर खर्च कर देते हैं। परिणामस्वरुप बचत और पूजी निर्माण दर विकसित देशो की तुलना मे कम है। भारत मे सकल घरेलू बचत दर (नयी श्रृखला आधार 1993-94) वर्ष 1995-96 मे 24 1 प्रतिशत तथा 1997-98 मे 23 1 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी तथा सकल घरेलू पूजी निर्माण दर 1995-96 मे 25 8 प्रतिशत 1997-98 में 24 8 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।

12. क्षेत्रीय विषमता (Regional Disparities) – नियोजन काल और आर्थिक

उदारीकरण के दौर मे क्षेत्रीय विषमता को बढावा मिला। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे आध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र का तेजी से विकास हुआ जबकि मध्यप्रदेश बिहार असम आदि विकास की दौड मे पिछड गए। वर्ष 1980 81 की स्थिर कीमतों पर 1991 92 से 1996 97 के बीच राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इस प्रकार थी – आध्र प्रदेश 7 90 प्रतिशत गुजरात 8 23 प्रतिशत महाराष्ट्र 7 96 प्रतिशत पश्चिम बगाल 6 82 प्रतिशत बिहार 0 56 प्रतिशत मध्यप्रदेश 4 23 प्रतिशत राजस्थान 5 58 प्रतिशत उत्तर प्रदेश 3 24 प्रतिशत। अन्य आर्थिक सूचक की दृष्टि से भी क्षेत्रीय विषमता दृष्टिगोचर होती है। नयी श्रृखला चालू मूल्यो पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1997 98 म तमिलनाडु में 12 989 रुपए था। जबकि यह राजस्थान मे केवल 9 215 रुपए ही था।[2]

13 जनसख्या (Population) – पचास वर्षो की प्रगति का बड़ा भाग तेज गति से बढ रही जनसख्या हडप गई। जनसख्या 1950 51 मे केवल 361 1 मिलियन थी जो बढकर 1995 96 में 934 2 मिलियन हो गई। जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981 91 के बीच 2 14 प्रतिशत रही। यदि जनसख्या वृद्धि दर यही बनी रही तो भारत आने वाले कुछ दशको मे जनसख्या के आकार मे चीन को पीछे छोड देगा। जनसख्या के तेजी से बढने से जनसख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जा पहुचा। देश मे हर जगह भीड भाड नजर आती है। सबसे दुखद पहलू यह है कि देश के 47 8 प्रतिशत लोग पढ लिख नहीं सकते। महिलाओं में निरक्षरता चोंकाने वाली है। गौरतलब है कि महिलाओं मे निरक्षरता 60 7 प्रतिशत है। लोगो म गुणात्मकता का अभाव देश के विकास मे बाधक सिद्ध हो रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र मे भारत एशियाई देशों से भी पिछडा हुआ है। मानव ससाधन विकास के क्षेत्र मे भी भारत की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1997 मे प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 71 मृत्यु दर 8 9 तथा जन्म दर 27 2 थी। भारतीयो की औसत आयु 60 3 वर्ष है। जनसख्या की बहुलता तथा मानव ससाधन की दयनीय स्थिति से देश के सामने अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याए उत्पन्न हो गई है।

14 बेरोजगारी (Unemployment) – जनसख्या के तीव्रता से बढने से बेराजगारी की समस्या उभरी। आज देश मे लोगो को राजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं है। बेराजगारी से अपराध प्रवृति को बढावा मिला। जनजीवन असुरक्षित और कष्टप्रद हा गया है। गावा म बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल है। कृषि के क्षेत्र मे आवश्यकता स अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। नियोजन काल म ग्रामीण औद्योगीकरण का बढावा नहीं मिलने से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। शहरो मे उद्योग धन्धो के बद पडे होने के कारण श्रमिक बेकार बैठे हैं। बेरोजगारों क लिए राजी–रोटी जुटाना मुश्किल काम हो गया है। परिवार पर भार बने हुए है। शिक्षिता म बेराजगारी के कारण उनकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास में नहीं हा पाता है। गरीबो को काम नहीं मिलने से उनमे भिक्षा प्रवृति बढी है। भिखारियों की सख्या तेजी से बढ रही है। हर जगह लोगो को भीख मागते देखा जा

सकता है। गरीब माता–पिता अपने बच्चो को स्कूल भेजने के स्थान पर कमाई के लालच मे काम–काज पर भेज देते हैं। महिलाए जो मजदूरी पर जाती है अनेको के साथ शोषण की घटनाए होती है। उनको पुरुषो की तुलना मे कम मजदूरी दी जाती है। भारत म बेरोजगारी के आकडे चौकाने वाले हैं। दिसम्बर 1997 मे रोजगार कार्यलयो मे रोजगार चाहने वालो की सख्या 380 लाख थी। बेरोजगारो की सख्या नौवी योजना मे 590 लाख तक पहुचने की सभावना है। बेरोजगारो मे प्रतिवर्ष 118 लाख की वृद्धि हो रही है।

15 गरीबी (Poverty) — बहुतेरे लोगो के हाथो मे काम नहीं है। लोगो के पास आय के स्रोत नहीं हो पाने के कारण गरीबो की सख्या तेजी से बढ रही है। गरीबो की बढती सख्या के बीच सरकार की गरीबी उन्मूलन और रोजगार परख योजनाए कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। गरीबो को भरपेट रोटी नही मिल पाती है। अनेको गरीब भूखे सोते हैं। रुपयो–पैसे के अभाव मे बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। थोडी बहुत जमा राशि होती है उसे रुढिवादिता मे खर्च कर देते हैं। गरीबी मे लोग तडपते दम तोड देते हैं। आज गरीबी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीब व्यक्ति का हर तरह से मरना है। गरीब परिवार मे जन्म लेने वाला बच्चा भी सामान्यतया गरीब ही रहता है। वह पढ–लिख नहीं पाने के कारण अपने पैरो पर खडा नहीं हो पाता। वह या तो भीख मागेगा या फिर इधर–उधर मजदूरी करके जीवन बसर करेगा। भूखे पेट रहकर मजदूरी से अर्जित आय को गरीब दुर्व्यसनो पर खर्च कर देते हैं। गरीबी का ऐसा ताण्डव नृत्य सामान्यतया दृष्टिगोचर होता है। केन्द्र सरकार ने नियोजन काल के प्रारभिक वर्षो से ही गरीबी उन्मूलन के खूब प्रयास किए और आज भी गरीबो के लिए रोजगार कार्यक्रमो की घोषणा की जाती है, किंतु विडम्बना है कि न तो देश मे गरीबो की सख्या कम हुई और न ही गरीबो की बिगडी दशा मे सुधार ही हुआ। गरीबो की दुर्दशा विकास योजनाओ पर प्रश्न चिन्ह है। वर्ष 1993-94 मे 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे जो कुल जनसख्या का 36 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र मे 244 मिलियन तथा शहरी क्षेत्र मे 76 मिलियन गरीब थे। वर्ष 1996-97 मे सम्पूर्ण देश मे 29 2 प्रतिशत लोग गरीबी मे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। गरीबी ग्रामीण क्षेत्र मे 30 5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र मे 25 6 प्रतिशत थी।

16 निम्न जीवन स्तर (Lower Living Standard) — देश मे गरीबो की बहुतायत है। विगत वर्षो मे भारतीयो की प्रति व्यक्ति आय बढी है। किंतु अभी भी अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है। भारत म लोगो की आय कम होने के कारण जीवन स्तर अच्छा नहीं है। बहुत कम लोग सतुलित आहार पाते हैं। अनेक लोग आय पर्याप्त होने के बावजूद आहार पर कम खर्च करते हैं। औसत भारतीय को जीवन के लिए आवश्यक केलौरीज भोजन नहीं मिल पाता है। वर्ष 1997-98 मे उपभोग के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थो की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार थी– खाद्य तेल 7 6 किलोग्राम, वनस्पति एक किलोग्राम, चीनी 14 5 किलोग्राम कपडा 30 9 मीटर, चाय

636 ग्राम कॉफी 58 ग्राम। उपभोग की वस्तुओ की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता सुखी जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है।

17 **महगाई** – बढती महगाई का आम लोगो पर बुरा प्रभाव पडा है। गरीबों की तो महगाई ने कमर तोड दी। कैलोरीज भाजन कम होने का कारण महगाई भी है। बढती महगाई का कारण कालाबाजारी कृषि की मानसून पर निर्भरता, उत्पादन का अभाव अधिक माग आदि है। तथाकथित कारणो से 1998 मे प्याज की कीमते इतनी बढीं कि आम लोगो की पहुच से प्याज दूर चला गया। देश मे कालाबाजारी के कारण आम उपभोग की वस्तुओ की कीमतो मे भारी वृद्धि की प्रवृति देखने को मिलती है। थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर (पाइट-टू-पाइट) 1993-94 मे 10 8 प्रतिशत, 1994-95 मे 10 4 प्रतिशत तथा 1996-97 मे 5 3 प्रतिशत थी। वर्ष 1998-99 मे मुद्रास्फीति नियत्रण मे रही। 30 जनवरी 1999 को *मुद्रास्फीति की दर 4 6 प्रतिशत थी। जून 1999 मे मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत के* आस–पास है जो केंद्र सरकार के लिए सतोष की बात रही। किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है। औद्योगिक श्रमिको के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 1997-98 म 8 3 प्रतिशत तथा दिसम्बर 1998 मे 15 3 प्रतिशत थी।

18 **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)** – राजकोषीय घाटा बढती मुद्रास्फीति का कारण रहा है। केन्द्र सरकार को राजकोषीय घाटे को नियत्रित करने में अपेक्षित *सफलता नहीं मिली है। राजस्व घाटे के बढने से राजकोषीय घाटा बढा है।* सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग कर लेने के बाद भी राजकोषीय घाटे मे कमी नहीं आ सकी। वित्त वर्ष 1999-2000 में कारगिल में पाक घुसपैठियो को खदडने मे भारी राशि खर्च करनी पडी, परिणामस्वरुप राजकोषीय घाटा बढा। राजकोषीय घाटा 1990 91 मे 44,632 करोड रुपए था जो बढकर 1996 97 मे 66 733 करोड रुपए तथा 1999-2000 में और बढकर 79,955 कराड रुपए (बजट अनुमान) हो गया। गौरतलब है 1998-99 मे राजकोषीय घाटा 1 03,737 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) तक जा पहुचा, जो आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद सर्वाधिक था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप मे राजकोषीय घाटा कम हुआ है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1990-91 मे 7 7 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 म 4 7 प्रतिशत रह गया। यह फिर बढकर 1997-98 मे 5 5 प्रतिशत (सशोधित अनुमान) तथा 1998-99 में 5 1 *प्रतिशत (बजट अनुमान) तक पहुच गया।*

19 **व्यापार घाटा** – स्वातन्त्र्योत्तर एक दो वर्षो को छोडकर शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। व्यापार घाटे के बढने से अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ सकी। इसके अलावा भुगतान के मोर्चे पर भी स्थिति बिगडी। रुपए के भारी अवमूल्यन के बावजूद भी निर्यात वृद्धि मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। निर्यात सवर्द्धन का अभाव और उत्पादा का प्रतिस्पर्धी नहीं होना व्यापार घाटे का प्रमुख

कारण माने जा सकते हैं। व्यापार घाटा 1950-51 मे केवल 4 मिलियन डालर था जो बढकर 1997-98 मे 6799 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया जो नब्बे के दशक का सर्वाधिक व्यापार घाटा था। अप्रैल–दिसम्बर 1998-99 मे व्यापार घाटा तेजी से बढकर 7,296 मिलियन डालर तक जा पहुचा। निर्यातो के नहीं बढने से व्यापार घाटे की स्थिति विषम हुई। निर्यात वृद्धि डालर 1997-98 में केवल 1 5 प्रतिशत (प्रोविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 मे ऋणात्मक 2 9 प्रतिशत (प्रोविजनल) थी।

20. विदेशी ऋण – सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र मे विकास के गति नहीं पकडने के कारण अर्थव्यवस्था की विदेशी ऋण पर निर्भरता बढती गई। बीते वर्षो मे विदेशी ऋण मे भारी वृद्धि हुई। नतीजतन विदेशी ऋण के मूल और ब्याज अदायगी की समस्या मुखर हो गई है। स्थिति इतनी बिगड गई कि अनेक बार ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पडा। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च, 1991 मे 83,801 मिलियन डालर था जो बढकर मार्च, 1998 मे 93,908 मिलियन डालर तथा सितम्बर, 1998 मे और बढकर 95,195 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया। भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। ऋण और ब्याज का भारी बोझ है। बढते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए भारत को आतरिक ससाधनो से विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लम्बे नियोजन और आर्थिक उदारीकरण के काल के बावजूद भारत विकास के मामले मे अनेक एशियाई देशो से भी पीछे है। खाद्यान उत्पादन मे आत्मनिर्भरता का ढिढोरा पीटा गया। किंतु कृषि अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूती नहीं दे सकी। जनसख्या का बडा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है तथा बहुतेरे लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। गाव और गरीबों की बिगडी दशा अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाते हैं। अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था मे सुधार की महती आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण मे ग्रामीण परिवेश उपेक्षित रहा है। भारत की खुशहाली आज कृषि विकास मे निहित है। आर्थिक विकास के लिए कृषिगत क्षेत्र मे पूजी निवेश बढाने की आवश्यकता है। गावो मे कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना से लोगो के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होगे। जिससे गरीबी की समस्या से निपटने मे मदद मिलेगी।

सम्पन्नता के बीच गरीबी
(Poverty in Planty)

अथवा

भारत समृद्ध देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं।
(India is a Rich Country Inhabited by the Poor People)

भारत के सदर्भ मे यह कहा जाता रहा है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन

भारत मे निर्धन लोग निवास करते हैं। यह बात बडी सीमा तक सही भी है। प्रकृति ने भारत को उपहार उदारतापूर्वक दिए हैं। भारत मे प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की बहुतायता है। किंतु इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र रहा है। प्रकृति ससाधनों के आवटन में भेदभाव नहीं करती है। प्राकृतिक ससाधनो का अच्छा उपयोग करने वाले देश आज आर्थिक प्रगति के शिखर पर हैं। इसके विपरीत भारत सरीखे कई विकासशील देश ऐसे भी हैं जिन्होने प्रकृति प्रदत्त ससाधनो का पूर्ण विदोहन उपयोग और सरक्षण नहीं किया है। परिणामस्वरुप इन देशों में आर्थिक विकास गति नहीं पकड सका। प्रस्तुत अध्याय मे यह बताने का प्रयास किया गया है कि सम्पन्नता के बीच गरीबी की बात भारत के सदर्भ म कहा तक चरितार्थ होती है?

भारत एक सम्पन्न देश है
(India is a Rich Country)

भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की बहुलता से सम्पन्नता की पुष्टि होती है। उपलब्ध ससाधनो के पूर्ण विकास और विदोहन से निर्धनता के कुचक्र को तोडकर भारत विकास की तीव्र गति को पकड सकता है।

1 **आकार (Area)** – आकार की दृष्टि से भारत का विश्व मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 31 मार्च 1982 को 32 87 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3 214 किलोमीटर और पूर्व स पश्चिम 2 933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा 15 200 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवा बडा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2 4 प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल ब्रिटेन का लगभग 13 गुना तथा जापान का 8 गुना है। विशाल आकार भारत की सम्पन्नता का परिचायक है। बडे आकार मे ससाधनों की बहुलता की सभावना होती है।

2 **अनुकूल भौगोलिक स्थिति** – भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध मे स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4 और 37°6 उत्तरी अक्षाश ओर 68°7 और 97°25 पूर्वी देशान्तर के बीच फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों मे उत्तम स्थान है। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक एकता प्रदान की है। पर्वतो और समुद्रों के द्वारा भारत शेष एशिया से पृथक है। भारत के समुद्र तट की लम्बाई 7 515 किलोमीटर है जिसका व्यापारिक दृष्टि स विशेष महत्त्व है। कर्क रेखा देश क बीचोबीच से गुजरती है। जिससे भारत में उष्ण और शीतोष्ण जलवायु के कारण विविध फसलो का उत्पादन होता है।

3 **जलवायु (Climate)** – भारत की जलवायु अर्द्ध उष्ण प्रदेशीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु की दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छी है। जलवायु के अच्छा होने के कारण विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है।

4 **वन सम्पदा (Forest)** – भारत वन सपदा की दृष्टि स धनी देश है। वनो से विविध प्रकार की लकडी प्राप्त होती है। इसके अलावा वनों से अनक उद्योगों यथा

कागज, रबर, रेशम, प्लाईवुड, दियासिलाई आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वनो मे वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनसे पर्यटन विकास होता है। भारत मे 7 5 करोड हैक्टेयर क्षेत्र मे वन फैले हुए हैं जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23 प्रतिशत है। वनो की अधाधुध कटाई के कारण वनो का क्षेत्रफल कम हुआ है। बढती जनसख्या से भी वनो का विनाश हो रहा है।

5. जल ससाधन (Water Resources) – भारत मे जल साधन काफी मात्रा मे विद्यमान है। देश मे सदैव बहने वाली अनेक नदिया है। वर्षा पर्याप्त मात्रा मे होती है। भूमिगत जल का अथाह भण्डार है। भारत में लगभग 1,680 अरब घन मीटर जल स्रोत हैं। किंतु उपलब्ध जल स्रोत का बहुत कम अश सिचाई एव विद्युत उत्पादन मे प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाने के कारण अधिकाश जल समुद्र मे बह जाता है।

6 सामुद्रिक सम्पदा – भारत के समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,515 किलोमीटर है। समुद्र से मछलिया, नमक, बहुमूल्य मोती, खनिज तेल प्राप्त होता है। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जो सुरक्षा व जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। समुद्री लहरो से विद्युत उत्पादन सभव है। विशाल समुद्र तट के कारण मछली उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत मे सामुद्रिक मछलियो का उत्पादन 1951-52 में 5 3 लाख टन था जो बढकर 1990-91 मे 23 लाख टन तथा 1996-97 में और बढकर 29 7 लाख टन हो गया। भारत से 1996-97 मे 3 8 लाख टन सामुद्रिक मछलियो के निर्यात से 4,131करोड रुपए की आय हुई।

7. पशु सम्पदा (Animal Husbandry) – भारत पशु सम्पदा की दृष्टि से सम्पन्न है। छोटे और सीमात किसानो तथा खेतीहर मजदूरो के लिए उपयोगी रोजगार की व्यवस्था करने में पशुपालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। नेशनल सैम्पल सर्वे सगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे 1972-88 के दौरान पशुधन क्षेत्र के रोजगार मे लगभग 4 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जबकि कृषि क्षेत्र मे केवल 1 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत के पशुधन में बहुत अधिक अनुवृद्धि की विविधता हे जो अपने आपको परिस्थितियो के अनुरुप ढाल सकते हैं। पशुधन की 1987 की गणना के अतिम आकडो के अनुसार भारत मे लगभग 19 6 करोड गाये, 7 7 करोड भैसे, 1 4 करोड भेडे, 4 9 करोड बकरिया, 1 7 करोड सूअर तथा 25 8 करोड मुर्गी आदि थे। पशुधन परिवार की पूरक आय बढाने और रोजगार देने के अतिरिक्त भोजन की पौष्टिकता भी बढती है। दूध, अण्डे और मास से भोजन अधिक प्रोटीनयुक्त हो जाता है। भारत मे दूध उत्पादन 1990-91 मे 53 9 मिलियन टन था जो बढकर 1997-98 मे 70 5 मिलियन टन (पूर्व अनुमान) हो गया। भारत मे प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 203 ग्राम प्रतिदिन है। अण्डो का उत्पादन 1997-98 मे 28,400 मिलियन (पूर्व अनुमान) था।

8. जनसख्या (Population) – भारत मानव ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का सम्पन्न देश है। चीन के बाद सर्वाधिक जनसख्या भारत की है। भारत की जनसख्या

1951 मे 361 । मिलियन थी जो 1990-91 मे बढकर 846 3 मिलियन हो गई। वर्ष 1995-96 मे जनसख्या 934 2 मिलियन तक जा पहुची। वर्तमान मे भारत की जनसख्या 1,000 मिलियन से अधिक है। जनसख्या की अधिकता के कारण भारत मे न केवल पर्याप्त व सस्ता श्रम उपलब्ध है बल्कि दुनिया का बडा बाजार भी है। जनसख्या की गुणात्मकता मे भी वृद्धि हुई है। देश मे साक्षरता 52.21 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 64 13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39 29 प्रतिशत है। साक्षरता के बढने से मेघावी व कुशल श्रम शक्ति बढी है।

9. खनिज सम्पदा – प्रकृति ने खनिज प्रदान करने में उदारता बरती। भारत खनिजों का अजायबघर है। यहा धात्विक, अधात्विक व आणविक खनिज पाये जाते हैं। भारत में उत्तम श्रेणी के कच्चे लोहे के विशाल भण्डार है। कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व मे प्रथम स्थान है। विश्व के लोहे भण्डारो का लगभग एक-चौथाई भाग भारत मे है। मैगनीज के उत्पादन मे रुस के बाद भारत का स्थान है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बडा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत से अभ्रक का निर्यात विश्व की कुल माग का 80 प्रतिशत पूरा करते हैं। भारत मे यूरेनियम, मोनेजाइट और बेरियम आणविक खनिज भी पर्याप्त मात्रा मे पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 1951 मे 4,152 हजार टन था जो बढकर 1996-97 मे 66,672 हजार टन हो गया। वर्ष 1996-97 में मैंगनीज का उत्पादन 1,836 हजार टन, सोना उत्पादन 2,712 किलोग्राम था।

10. शक्ति के साधन – भारत में शक्ति के साधनों के पर्याप्त भडार है। कोयले के विशाल भण्डार हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी बहुतायत में है। वर्ष 1996-97 मे कोयले का उत्पादन 3,32,010 हजार टन, लिग्नाइट उत्पादन 18,792 हजार टन तथा पेट्रोलियम क्रूढ का उत्पादन 32,532 हजार टन था।

भारत के लोग गरीब हैं।
(Indian Peoples are Poor)

उपर्युक्त विवरण से भारत के सम्पन्न होने की बात को बल मिलता है। यह कहने मे अतिशयोक्ति नहीं कि भारत में विपुल ससाधन हैं, किंतु विडम्बना है ससाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरुप विकास तेजी से नहीं हो सका। आर्थिक विकास के गति नहीं पकडने के कारण गरीबी राष्ट्रीय समस्या के रुप मे उभरी। गरीबी की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार की लाख कोशिशे के बावजूद गरीबों की सख्या बढती जा रही है। विकास की सुनियोजित व्यूहरचना के अभाव में विश्व के देशो की तुलना में भारत पिछड गया है। निम्नाकित विवरण से भारत में लोगों के गरीब होने की सहज पुष्टि हो जाती है–

1. जनाधिक्य – *वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट* 1997 के अनुसार विश्व की जनसख्या 1995 के मध्य मे 5,673 मिलियन थी जिसमे भारत की जनसख्या 929 मिलियन थी। विश्व की कुल जनसख्या म भारत का भाग 16 4 प्रतिशत था। जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2 5 प्रतिशत है। स्पष्ट है कम भू–भाग में

बडी जनसख्या निवास करती है। चीन का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 7 2 प्रतिशत है और विश्व की जनसख्या मे चीन का भाग 21 2 प्रतिशत है। विकसित देशो की जनसख्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य मे बहुत कम है। विश्व की कुल जनसख्या मे आस्ट्रेलिया का भाग 0 31 प्रतिशत, कनाडा का भाग 0 52 प्रतिशत, फ्रास का भाग 1 प्रतिशत तथा अमरीका का भाग 4 63 प्रतिशत है। आज विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। भारत मे जनसख्या के अधिक होने से ढेरो समस्याए उभरीं जिनके कारण भारत की जनसख्या का बडा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है।

2. प्रति व्यक्ति आय – भारत मे प्रति व्यक्ति आय विकसित देशो की तुलना मे ही नहीं अपितु विकासशील देशो की तुलना मे भी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन, घाना, पाकिस्तान, श्रीलका, जाम्बिया आदि विकासशील देशो से कम है।

विश्व की प्रति व्यक्ति आय 1995 मे 4,880 डालर थी। अल्पविकसित और विकासशील देशो की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 340 डालर के मुकाबले जापान की प्रति व्यक्ति आय 39,640 डालर आर्थिक विषमता का परिचायक है।

3. औसत आयु (Life Expectancy) – भारत मे चिकित्सा सुविधाओ का अभाव है। लोगो की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गरीबी मे जीवन बसर करने के कारण भारतीयो की ओसत आयु विश्व के अन्य देशो की तुलना मे कम है। औसत आयु आस्ट्रेलिया मे 77 वर्ष, जापान मे 80 वर्ष, अमरीका मे 77 वर्ष है जबकि भारत मे औसत आयु 62 वर्ष ही है।

4. जन्म एव मृत्यु दर (Birth and Death Rate) – भारत मे जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, औसत जनसख्या वृद्धि दर अधिक है जो भारत मे गरीबी की पुष्टि करते है। वर्ष 1993 मे भारत मे प्रति हजार जन्म दर 29, मृत्यु दर 10, शिशु मृत्यु दर 1995 मे प्रति हजार 68 थी जबकि अमरीका मे जन्म दर 16, मृत्यु दर 9 तथा शिशु मृत्यु दर 8 ही थी।

5. औसत वार्षिक वृद्धि दर (Average Annual Growth Rate) – भारत मे औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होने के कारण लोग गरीब हैं। वर्ष 1990-95 की अवधि मे ओसत वार्षिक वृद्धि दर के मामले मे भारत एशियाई देशो से पीछे रहा। भारत मे 1990-95 की अवधि मे औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4 6 प्रतिशत, कृषि वृद्धि दर 3 1 प्रतिशत, औद्योगिक वृद्धि दर 5 1 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 6 1 प्रतिशत, निर्यात वृद्धि दर 12 5 प्रतिशत थी। गौरतलब है कि 1990-95 की समयावधि मे विकसित देशो की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम रही जबकि एशिया के कुछ देशो की वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बढी और ये देश एशियन टाइगर्स के रूप मे उभरे। किंतु भारत की अर्थव्यवस्था एशियन टाइगर्स की भाति विकास की गति नहीं पकड सकी। लेकिन एशियन टाइगर्स की आर्थिक दशा शीघ्र ही अर्थात 1998 मे धराशायी हुई जबकि भारत की स्थिति इन देशो की भाति नहीं बिगडी।

6 श्रम शक्ति (Labour Force) – भारत म श्रम शक्ति चीन क बाद सबस अधिक ह। वष 1995 म भारत की श्रम शक्ति 398 मिलियन तथा चीन की 709 मिलियन थी किंतु श्रम शक्ति वृद्धि दर भारत की अधिक है। वष 1990-95 क बीच श्रम शक्ति की औसत वार्षिक वृद्धि दर भारत म 2 प्रतिशत तथा चीन में 1 1 प्रतिशत थी। भारत और चीन दानों जनाधिक्य वाले दशो में श्रम शक्ति का बडा भाग कृषि क्षत्र में लगा हुआ है। जबकि उद्याग और सवा क्षत्र म कम श्रम शक्ति नियाजित है। विकसित दशा मे श्रम शक्ति और उसकी वृद्धि दर कम है तथा श्रम शक्ति का बडा भाग कृषि क्षत्र की तुलना म सवा और उद्योग क्षेत्र में अधिक नियोजित है। भारत मे श्रम शक्ति के अधिक हान तथा बडे भाग का कृषि क्षेत्र में नियाजित हान के कारण निर्धन जनता की बहुतायत है।

7 गरीबी (Poverty) – भारत में गरीबी की समस्या सदैव मुहबाए खडी है। दश की लगभग 30 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रखा स नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। बडी सख्या में लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। भारत मे लागों को प्रतिदिन 2 230 कैलारीज भोजन मिलता है जा विकासशील देशों की तुलना म भी कम है। चीन में लागा को प्रतिदिन 2,640 कैलारीज भोजन मिलता है। यह अर्जेन्टीना म 3,070 कैलोरीज, ईरान म 3 020 कैलोरीज, मारीशस में 2,900 कैलारीज मैक्सिको में 3,060 कैलारीज दक्षिण अफ्रीका में 3,130 कैलोरीज है। गरीबी क कारण भारत में भिखारियों की सख्या बहुत अधिक है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 5 लाख भिखारी थे।

8 चिकित्सा सुविधा (Health Profile) – भारत में लागों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है। गावों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव म लाग दम तोड देते हैं। तपेदिक तथा मलरिया स देशवासियों को निजात नहीं मिला है। एडस रोगियों की सख्या तजी से बढती जा रही है। भारत म प्रति लाख जनसख्या पर 122 लोग तपदिक स 242 लाग मलेरिया स तथा 0 1 लोग एडस से पीडित हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों तथा नर्सो का अभाव है। 1988-91 की अवधि म 2,439 लागों पर एक डाक्टर तथा 3,333 लागों पर एक नर्स थी। भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर कम राशि खर्च की जाती है। वर्ष 1990 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 3 प्रतिशत था जबकि थाइलैण्ड में 4 1 प्रतिशत था।

9 बेरोजगारी (Unemployment) – बढती बेराजगारी निर्धनता का दर्शाती है। रोजगार के अवसरों के घटने से गरीबी बढी है। जनाधिक्य और आर्थिक पिछडापन बेरोजगारी का कारण है। आर्थिक उदारीकरण क दौर में पूजी प्रधान तकनीक को प्राथमिकता दने को बेरोजगारी मुखर हुई। सार्वजनिक उपक्रमा का विकास थम सा गया है इस कारण भी बेराजगारी बढी है। दिसम्बर 1997 मे रोजगार कार्यालया में रोजगार चाहन वालों की सख्या 380 लाख थी। बेराजगारा में प्रतिवर्ष 1 18 करोड की वृद्धि हो रही है।

10. बचत और पूजी निर्माण (Saving and Capital Formation) – भारत म बचत ओर पूजी निर्माण की दर अनेक देशो की तुलना मे कम है। बचत और पूजी निर्माण की दर के कम होने के कारण भारत विकास की दौड मे पिछडा। आर्थिक पिछडेपन के कारण भारत मे निर्धनता बढी। भारत मे बचत व पूजी निर्माण की दर बढी है किंतु अभी भी यह विकसित देशो की तुलना मे कम है। भारत मे 1995-96 मे सकल घरेलू पूजी निर्माण दर 25 8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24 1 प्रतिशत थी। वर्ष 1995 मे सकल पूजी निर्माण दर चीन मे 40 प्रतिशत, इण्डोनेशिया मे 38 प्रतिशत तथा जापान मे 29 प्रतिशत थी।

11. विदेशी ऋण भार – भारत बडा ऋणी देश है तथा मूलधन तथा ब्याज अदायगी का भारी बोझ है। विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आज भी विदेशी ऋण पर निर्भरता बनी हुई है। मई 1998 मे परमाणु विस्फोट के कारण बाद मे विदेशी ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई आई। परमाणु परीक्षण के कारण भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबधो के बाद भारत ने 6 जुलाई 1999 को विश्व बैक से 38 6 करोड डालर का बडा ऋण प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की। प्राप्त ऋण का उपयोग महिला एव बाल विकास परियोजना तथा राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना पर खर्च किया जाएगा।[3] भारत का कुल विदेशी ऋण सितम्बर 1998 मे 95,195 मिलियन डालर था। कुल विदेशी ऋण मे अल्पावधि ऋणो का भाग 3 7 प्रतिशत तथा रियायती ऋणो का भाग 37 7 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 22 9 प्रतिशत था। भारत वर्ष 1994 मे विश्व का चोथा बडा ऋणी देश था। भारत से अधिक ऋणी देश ब्राजील, मैक्सिको तथा चीन थे। वर्ष 1994 मे ब्राजील का विदेशी ऋण 151 बिलियन डालर, मेक्सिको का विदेशी ऋण 128 बिलियन डालर, चीन का विदेशी ऋण 101 बिलियन डालर तथा भारत का विदेशी ऋण 99 बिलियन डालर था।

कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है किन्तु वित्तीय ससाधनो के अभाव मे उपलब्ध ससाधनो का अनुकूलतम विदोहन नहीं कर पाने के कारण विकास की दोड मे दुनिया के देशो की तुलना मे पिछड गया। भारत का विदशी कर्ज बढता गया। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आई। प्राप्त विदेशी ऋण का पूरा उपयोग विकास मे नहीं हो सका नतीजतन गरीबो की दशा सुधर नही सकी। भारत मे लोगो के गरीब होने की बात सही चरितार्थ हाती है। आज भारत न केवल विकसित देशो यथा अमरीका, जापान, फ्रास, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशो से पिछडा हुआ है बल्कि विकासशील देशो जैसे चीन, इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया आदि से भी विकास की दोड मे पीछे है। हाल के (1998-99) वैश्विक आर्थिक सकट मे अनेक देशो की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगडी। किंतु भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देशो की बजाय बेहतर स्थिति म है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक आधार, बेहतर प्रबधन तथा अल्पावधि के पूजी प्रवाह पर कम निर्भरता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के कारण
(Causes of Backwardness of Indian Economy)

भारत के विकास की अवस्था

प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था स्वतत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से ही 'स्वय स्फूर्त अवस्था मे प्रवेश कर गई। विकसित देशो ने स्वय स्फूर्त अवस्था काफी पहले प्राप्त कर ली थी। स्वय स्फूर्त अवस्था अमरीका ने 1843-60, जापान ने 1878-1900 तथा रुस ने 1890-1914 म प्राप्त कर ली। स्वय स्फूर्त अवस्था के बाद लगभग 60 वर्षो मे परिपक्वता की अवस्था आ जाती है। अमरीका, जर्मनी, फ्रास, जर्मनी, ब्रिटेन परिपक्वता की अवस्था पार कर चुके हैं। भारत परिपक्वता की अवस्था मे नहीं पहुचा है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था मे विभिन्न अवस्थाओ का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत रेल सडको के विकास मे पीछे है। सरकार आधारभूत सरचना के विकास वास्ते प्रयासरत है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत में आधारभूत सरचना की स्थिति दयनीय है। भारत मे 1992 मे विद्युत शक्ति उत्पादन 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति, 1982 मे सडक घनत्व प्रति दस लाख लोगों पर 893 किलोमीटर था, जो विश्व क अन्य देशो की तुलना मे बहुत कम है।

भारत मे भूमि सुधार कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं पकड पाए। वर्ष 1990 मे श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत भाग कृषि मे लगा हुआ है जबकि यह अमरीका मे 3 प्रतिशत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशा की तुलना मे कम है। सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1990-95 मे 4 6 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 12 8 प्रतिशत थी। इस समयावधि म कृषि वृद्धि दर 3 1 प्रतिशत थी। भारत मे बचत व पूजी निर्माण की दर अवश्य अधिक थी। वर्ष 1995-96 मे सकल घरेलू पूजी निर्माण दर 25 8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24 1 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर भारत में नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में विकास के चिन्ह प्रकट हुए हैं किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि भारत पिछडेपन से निपट चुका। भारत आज भी विकास की दौड मे दुनिया के देशो से पीछे है। भारत की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है जिनमे से *निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं–*

भारत की अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के कारणो को सुविधा की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक, राजनीतिक भागों मे विभक्त करना समीचीन होगा। (देखे चार्ट पृ 33 पर)

(अ) अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के आर्थिक कारण
(Economic Causes of Backwardness of Economy)

1. कृषि की प्रधानता (Pre-Dominance of Agriculture) – कृषि की प्रधानता अर्थव्यवस्था के पिछडेपन का प्रमुख कारण रहा है। आज भी देश की बहुसख्यक जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के कारण

(अ) आर्थिक कारण

1. कृषि की प्रधानता
2. औद्योगीकरण का अभाव
3. आधारभूत सरचना का अभाव
4. बचत व पूजी निर्माण की नीची दर
5. पिछडी प्रौद्योगिकी
6. औद्योगिक अशाति
7. व्यापक बेरोजगारी
8. गरीबी
9. विदेशी मुद्रा भण्डार का अभाव
10. प्रभावी व्यूहरचना का अभाव
11. उपभोग की गलत प्रवृत्ति
12. अल्प शोषित प्राकृतिक ससाधन
13. बिट्रेन की भारत विरोधी नीति
14. प्राकृतिक आपदाए

(ब) सामाजिक कारण

1. निरक्षरता
2. जनाधिक्य
3. स्त्रियो की दयनीय आर्थिक दशा
4. दाषपूर्ण सामाजिक ढाचा
5. रूढिवादिता
6. अन्धविश्वास
7. सतोष प्रवृति
8. अनुत्पादक व्यय

(स) राजनीतिक कारण

1. राजनीतिक विचारधारा
2. राजनीतिक अस्थिरता
3. विदेशी आक्रमण
4. बढता सुरक्षा खर्च

कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय म भी कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। किंतु कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था म कृषि पिछडी हुई अवस्था मे है। *कृषि के मानसून पर निर्भर होने के कारण कृषिगत उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृति व्याप्त है। कृषि का* पिछडापन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान नहीं कर सका है। परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पिछडी अवस्था म है।

2 **औद्योगीकरण का अभाव** (Lack of Industrialisation) – आधारभूत उद्योगो के अभाव मे अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास नहीं हो सका। नियोजन काल के प्रारंभिक वर्षो मे निजी क्षेत्र ने औद्योगीकरण की विशेष पहल नहीं की। *सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमो के माध्यम से विकास की नींव रखी किंतु सार्वजनिक उपक्रम भी विनियोजित पूजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर सके।* अधिकाश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। आर्थिक उदारीकरण के दोर मे विकास म निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों की भूमिका बढी है किंतु देश मे आधारभूत संरचना का अभाव औद्योगीकरण म पूजी निवेश के मार्ग में बाधा बना हुआ है।

3 **आधारभूत संरचना का अभाव** (Lack of Infrastructure) – *अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रेल सडक संचार बैंक बीमा आदि आवश्यक है। नियोजन काल में आधारभूत संरचना के विकास के प्रयास किए गए किंतु भारत में आज भी* आधारभूत संरचना की दृष्टि से स्थिति दयनीय है। भारत मे रेलों की लम्बाई 1997 98 में 62 5 हजार किलोमीटर थी किन्तु इसम से विद्युतीकृत रेल मार्गों की लम्बाई केवल 14 हजार किलोमीटर थी। कुल रेल मार्गों में विद्युतीकृत रेल मार्गो का भाग *केवल 22 4 प्रतिशत था। सडको की कुल लम्बाई 1995 96 मे 3 319 6 हजार किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्गों का अभाव है। राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई* 1995 96 म केवल 34 5 हजार किलोमीटर थी। विद्युत का भी अभाव है। मार्च 1995 तक देश के 14 प्रतिशत गावो म बिजली नहीं थी। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बहुत कम है। यह 1994 95 म केवल 320 किलोवाट था। बैंकिंग सुविधाओं का भी *अधिक विकास नहीं हुआ है।* सितम्बर 1998 म प्रति लाख जनसख्या पर केवल 7 *बैंक थ। ये सब बातें आधारभूत ढाचे की दयनीय स्थिति को दर्शाती है।*

4 ***बचत व पूजी निर्माण की नीची दर** (Low Rate of Saving and Capital* Formation) – भारत म लोगो की बचत कम है। बचत के लिए आज भी लोगो द्वारा पुराने तरीके अपनाये जाते हैं। भारतीयो का स्वर्ण जेवरो के प्रति विशेष आकर्षण है। भारत म सोने की प्रति व्यक्ति खपत दुनिया म तुलनात्मक रूप से अधिक है। जुलाई 1994 में सोने की कीमत बहुत गिरी। सोना स्टेण्डर्ड की कीमत नई दिल्ली म 9 *जुलाई 1999 को 4 040 प्रति दस ग्राम थी। सोने की कीमतें गिरने से लोगो मे* बचत को सोना खरीदने म काम म लेने की प्रवृति बढेगी। बचत दर के कम होने से पूजी निर्माण की दर भी कम है जिसस आर्थिक विकास की गति कम रही। वर्ष 1997 98 म सकल घरलू बचत 23 1 प्रतिशत तथा सकल घरेलू पूजी निर्माण 24 8

प्रतिशत था।

5. पिछडी प्रौद्योगिकी (Backward Technology) – विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे तीव्र विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अति आवश्यक है। आज विकसित देश मे शोध एव अनुसधान पर भारी राशि खर्च की जाती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। विडबना है कि भारत अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे स्वतत्रता के पचास वर्ष बाद भी पुरानी तकनीक को आत्मसात किए हुए है। कृषि क्षेत्र मे आज भी बैलगाडी दृष्टिगोचर होती है। भारत मे हरित क्राति की तकनीक पुरानी पड चुकी है। कृषिगत उत्पादन मे ठहराव की स्थिति आ गई है। डकल प्रस्तावों के बाद कृषि बेहतरीन तकनीक बाजार मे प्रवेश कर चुकी है। भारत के उद्योगो की स्थिति भी कमोबेश यही है। बरसो पुराने उद्योगो की खस्ताहालत है। उद्योगो का नवीनीकरण नहीं किये जाने से उत्पाद की किस्म घटिया होती है तथा लागत अधिक बेठती है। ऐसी स्थिति मे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मे टिक नहीं पाते हैं।

6. औद्योगिक अशाति (Industrial Unrest) – उद्योगपतियो और श्रमिको मे मधुर सबध नहीं है। उद्योगपति अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं और श्रमिक कम काम पर अधिक वेतन और सुविधाए चाहते हैं। नतीजतन आए दिन हडताल और तालेबदी की नौबत आती है। निजी क्षेत्र के अनेक उद्योग घाटे के कारण बद पडे हैं। श्रमिको के सामने भूखो मरने की समस्या है। औद्योगिक सघर्ष से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। उत्पादन के कम होने से कालाबाजारी को बढावा मिलता है। औद्योगिक अशाति के कारण मानव दिवसो की क्षति होती है। भारत मे 1998 (सितम्बर तक) मे 350 औद्योगिक हडताले हुई। जिनमे 3 9 मिलियन मानव दिवसो की क्षति हुई इसके अलावा 251 उद्योगो मे ताले बदी से 4 मिलियन मानव दिवसो की क्षति हुई। इसी प्रकार वर्ष 1998 (सितम्बर तक) मे औद्योगिक सबधो की घटनाओ मे 7 9 मिलियन मानव दिवसो की क्षति हुई।

7. व्यापक बेरोजगारी (Widespread Unemployment) – बेरोजगारी की समस्या भीषण है। विकास की धीमी गति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढी। आर्थिक सुधारो को लागू करने के बाद पूजी प्रधान तकनीक को बढावा देने से बेरोजगारी की समस्या और मुखर हुई। गावो मे गरीबी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। उदारीकरण के वर्षों मे तो कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश नहीं बढने से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। गावो मे औद्योगीकरण पर जोर नहीं दिया गया। शिक्षित बेरोजगारी भी व्याप्त है। लोगो को योग्यता के अनुरुप काम नहीं मिला हुआ है। बहुमूल्य मानव सपदा का समुचित उपयोग नहीं होने से विकास गति नहीं पकड सका। दिसम्बर, 1997 मे रोजगार कार्यालयो मे रोजगार चाहने वालों की सख्या 380 लाख थी। बेरोजगारो की वास्तविक सख्या कहीं अधिक है क्योंकि सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालयो मे पजीकरण नहीं करवाते हैं।

8. गरीबी (Poverty) – भारत मे गरीबी का ताण्डव नृत्य दृष्टिगोचर होता है।

महगाई के युग मे गरीब का मरना है। गरीब विकास मे भूमिका निभाने की स्थिति मे नहीं है। वह मुश्किल से रोजी–रोटी की व्यवस्था कर पाता है। बडी सख्या मे लोग भूखे पेट रात बिताते है। गरीबो के नाम पर करोडो रुपए भ्रष्टाचार की बाढ म बह गए। गरीबो की दशा मे सुधार की प्रवृति देखने को नहीं मिली। देश की लगभग 20 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। अर्थव्यवस्था निर्धनता के कुचक्र मे फस गई है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे निर्धनता के कुचक्र को तोडना कठिन सिद्ध हो रहा है। निर्धनता भारत की अर्थव्यवस्था का दुखद पहलू है।

9 विदेशी मुद्रा भण्डार का अभाव (Lack of Foreign Currency Reserve) – आर्थिक सुदृढता विदेशी विनिमय भण्डार पर निर्भर करती है। निर्यात वृद्धि विदेशी मुद्रा भडार का प्रमुख स्रोत है। निर्यातो के तेजी से नहीं बढने के कारण विदेशी विनिमय भण्डारो की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। विदेशी विनिमय भण्डार के अभाव मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण 1990 91 मे भारतीय अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो गई थी। विदेशी मुद्रा भण्डार 1990 91 मे 2 236 मिलियन डालर के रसातल स्तर तक पहुच गया था। बाद में इसमे वृद्धि हुई। जनवरी 1999 मे विदेशी मुद्रा भण्डार 27 429 मिलियन डालर था। विदेशी विनिमय के अभाव मे विकासगत जरुरतो को पूरा करने म भारी कठिनाई आती है।

10 प्रभावी व्यूहरचना का अभाव (Lack of Effective Strategy) – विकास के लिए नियोजित विकास का मार्ग चुना गया। वर्ष 1951 से 1990 तक इसक चार दशक बीत गए किंतु भारत की समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सका। देश मे गरीबी बीमारी बेकारी की समस्या यथावत रही। पूजीवादी देश विकास की दौड मे तुलनात्मक रुप से आगे निकल गए। भारत ने 1991 से आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात् किया है। पूजी निवेश के बढने से विकास की गति बढने की सम्भावना है।

11 उपभोग की गलत प्रवृत्ति – जनसख्या मे निम्नवर्गीय परिवारो की बहुतायत है। आर्थिक विकास के बढने से देशवासियो की प्रति व्यक्ति आय बढ रही है। किंतु विडबना है भारत मे निर्धन व्यक्ति बढी हुई आय को दुर्व्यसनो पर खर्च कर देते हैं। बढती उपभोग अधानुगमन की प्रवृति के कारण मध्यमवर्गीय परिवार बढी आय को विलासिता पर खर्च कर देते हैं। देशवासियो का विदेशी उत्पादो के प्रति आकर्षण बढा है। इससे विदेशी वस्तुओ के आयात को बढावा मिला है। उपभोग की बढती प्रवृति के कारण बचत दर कम है।

12 अल्पशोषित प्राकृतिक ससाधन – प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता है। किंतु वित्तीय ससाधनो और तकनीकी के अभाव मे उनका पूर्ण विदोहन नहीं किया जा सका है परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था पिछडी हुई अवस्था मे है। भारत मे लौह-अयस्क के सर्वाधिक भण्डार है। लोह–अयस्क पर आधारित लोहा एव इस्पात उद्योगो की स्थापना करके देश को आर्थिक रुप से मजबूत किया जा सकता है किंतु ऐसा नहीं

हो सका। लौह-अयस्क का अधिकाश भाग कच्चे माल के रुप मे जापान को निर्यात कर दिया जाता है। जल ससाधन प्रचुर मात्रा मे हैं इसके बावजूद सिचाई सुविधाओ का अभाव है। बडी मात्रा मे जल समुद्र मे बह जाता है। तेल एव प्राकृतिक गैस के भण्डारो की भी कमी नहीं हैं किंतु इनका विवेकपूर्ण विदोहन नही हो रहा है। विशाल श्रम शक्ति पूजी की कमी के कारण अल्प प्रयुक्त दशा मे है। इस प्रकार भारत मे भूमि, वन, जल, खनिज, जल ससाधनों का सतुलित विकास नहीं होने के कारण तीव्र गति से विकास नहीं किया जा सका है।

13. बिट्रेन की भारत विरोधी नीति – भारत लम्बे समय तक बिट्रेन का उपनिवेश रहा। गुलामी के दिनो मे बिट्रेन ने भारत की अर्थव्यवस्था का विदोहन किया। अग्रेजो की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत समृद्ध देश से पिछडे देश के रूप मे परिवर्तित हो गया। विदेशियो ने भारत के औद्योगिक विकास मे रुचि नहीं दिखाई। उन्होने लघु उद्योगो का पतन करके लोगो को कगाल बना दिया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से किसान की रीढ तोड दी। अग्रेजो ने भारत को आर्थिक रुप से इतना जर्जर बना दिया कि स्वातन्त्र्योत्तर दीर्घावधि तक भी अर्थव्यवस्था सबल नहीं हो सकी।

14. प्राकृतिक आपदाए (Natural Calamities) – स्वतत्रता के पचास बरसो बाद भी अर्थव्यवस्था की रीढ कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके अलावा देशवासियो को निरन्तर अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, महामारिया आदि प्राकृतिक आपदाओ का सामना करना पडता है जिसमे जान व माल की बडी क्षति होती है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा मे अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो जाती है।

(ब) आर्थिक पिछडेपन के सामाजिक कारण
(Social Causes of Economic Backwardness)

1. निरक्षरता (Illiteracy) – बढती निरक्षरता एक ऐसा सामाजिक कारण है जिसकी वजह से भारत आर्थिक क्षेत्र मे पिछडा हुआ है। निरक्षरता अभिशाप है। विश्व के सर्वाधिक निरक्षर भारत मे है। आजादी के पचास वर्षो बाद भी लोगों को शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं है। वर्ष 1991 मे साक्षरता 52 21 प्रतिशत थी। पुरुषो मे साक्षरता 64 13 प्रतिशत तथा महिलाओं मे साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। साक्षरता के नितात अभाव मे आर्थिक विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है।

2. जनाधिक्य (Over Population) – भारत जनसख्या की दृष्टि से चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक जनसख्या वाला देश है। जनाधिक्य के कारण ही देश मे गरीबी, बेरोजगारी व आर्थिक पिछडापन की समस्याए उभरीं। आर्थिक प्रगति जनसख्या रुपी बाढ मे बह जाती है। आज भी जनसख्या तेजी से बढ रही है। जनसख्या 1950-51 मे 361 1 मिलियन थी जो 1995-96 मे बढकर 934 2 मिलियन हो गई। नियोजन काल मे जनसख्या की दृष्टि से एक नए भारत का निर्माण हो गया है। जनसख्या 1981-91 मे 2 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढी। यदि जनसख्या इसी गति से बढती रही तो हम शीघ्र ही इस क्षेत्र मे चीन को पीछे छोड देगे।

3. स्त्रियो की दयनीय आर्थिक दशा (Poor Economic Position of Women) – भारत म वर्ष 1991 की 84 6 करोड की जनसख्या मे 40 7 करोड करोड जनसख्या महिलाओ की है। महिलाए कुल जनसख्या का 48 प्रतिशत है। किंतु विकास के क्षेत्र मे महिलाओं की तुलनात्मक रुप से कम भूमिका है। देश की बहुसख्यक महिलाए आर्थिक रुप से पुरुषो पर निर्भर हैं। महिलाओ का भारत के पुरुष प्रधान समाज मे पुत्री के रुप मे, बहु के रुप मे तथा मा के रुप म शोषण की प्रवृति व्याप्त है। देश म लगभग 61 प्रतिशत महिलाए निरक्षर है। गावो म महिलाओ मे साक्षरता की स्थिति चितनीय है। महिलाओं की आर्थिक परतत्रता और दयनीय स्थिति के कारण भारत पिछडा रह गया। वर्तमान मे महिलाओं मे शैक्षिक विकास के साथ स्थिति मे बदलाव आया है।

4. दोषपूर्ण सामाजिक ढाचा (Defective Social Organisation) – सामाजिक परिस्थितिया आर्थिक विकास के पूर्णतया अनुकूल नहीं हैं। जाति प्रथा और सयुक्त परिवार प्रथा आर्थिक विकास मे बाधक है। इसके अलावा बाल–विवाह, पर्दाप्रथा आदि दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाए भी देश के आर्थिक पिछडेपन के कारण है।

5. रुढिवादिता (Traditional Society) – भारत की अधिकाश जनसख्या शैक्षिक विकास के अभाव मे रुढिवादिता मे डूबी हुई है। लोग नवीनता को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। पढे–लिखे लोग भी रुढिवादिता से ग्रसित है।

6. अधविश्वास (Superstition) – ग्रामीण परिवेश और कुछ सीमा तक शहरों मे भी अधविश्वास प्रचलित है। घरों में टोना, बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना, किसी के छींकने पर नये काम को रोक देना, चौराहे पर टोटके आदि घटनाए लागा की विकृत मानसिकता और देश के आर्थिक पिछडेपन के परिचायक हैं।

7. सतोष प्रवृत्ति – भारत के लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं। लोगो मे सतोष की प्रवृति विद्यमान है। किंतु आज के भौतिक युग मे सतोष प्रवृत्ति विकास मे बाधक है। जहा सतोष हैं वहा विकास रुक जाता है।

8. अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenses)– भारत म गरीबी की समस्या के बावजूद लागो को मजबूरन अनुत्पादक व्यय करने पडते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण रीति–रिवाज है। लोग जमाराशि का बडा भाग मृत्यु भोज, धार्मिक गतिविधियों, विवाहो म खर्च करते हैं इनका गरीबों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पडता है। वे कर्जभार म डूब जाते हैं। देशवासियो की माली हालत दयनीय होने से भारत के विकास म बाधा पहुची है।

(ख) आर्थिक पिछडेपन के राजनीतिक कारण
(Political Causes of Economic Backwardness)

1. राजनीतिक विचारधारा (Political Thought) – राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा का आर्थिक विकास पर बडा प्रभाव पडता है। भारत में स्वात्न्त्र्यात्तर लम्बे समय तक विकास के लिए पचवर्षीय योजनाओ का मार्ग अपनाया गया। वर्ष 1991

म तत्कालीन सत्तारूढ राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक उदारीकरण का माग आत्मसात किया, जिसका विपक्षी राजनीतिक पार्टियो ने विरोध किया। देश मे हायतौबा मची। देश राजनीतिक रुप से गुलाम हो जाएगा, बाते भी कहीं गई। राजनीतिक लाभ बटोरने वास्त अन्य राजनीतिक दल द्वारा स्वदेशी आदोलन को बढावा दिया गया। काग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक उदारीकरण की गति धीमी पडी। बाद के वर्षो मे सभी राजनीतिक दलो ने आर्थिक सुधारो को न्यूनाधिक गति दी। आर्थिक उदारीकरण के प्रारभिक वर्षो मे राजनीतिक पार्टियो द्वारा बावेला मचाए जाने का प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पडा। गौरतलब है कि एक सरकार के आर्थिक निर्णयो को दूसरी सरकार के द्वारा परिवर्तित किया गया। इस तरह की घटनाओ से विदेशी निवेशको का विश्वास डगमगाया।

2. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) – राजनीतिक स्थायित्व विकास के लिए आवश्यक है। भारत मे 1947 से लेकर एक दिसम्बर 1989 तक राजनीतिक स्थिरता थी। बियालीस वर्षो के राजनीतिक इतिहास में बीच मे 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टी के शासन को छोडकर बाकी वर्षो मे काग्रेस ही सत्तारुढ रही। यह अलग बात है कि योजनाओ के उचित क्रियान्वयन के अभाव मे देश विकास की गति नहीं पकड सका। दिसम्बर 1989 से लेकर जून 1991 का समय राजनीतिक अस्थिरता का रहा। डेढ वर्ष की इस समयावधि मे दो बार प्रधानमत्री बदले। चन्द्रशेखर सरकार तो केवल 11 नवम्बर, 1990 से 18 जून, 1991 तक ही सत्तारुढ रही किंतु इस सरकार के कार्यकाल मे भारत को खाडी युद्ध का सामना करना पडा और अर्थव्यवस्था की स्थिति को बिगडने से बचाने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। वर्ष 1996 के बाद भारत मे फिर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति सितम्बर 1999 तक बनी रही। इस समयावधि मे बार–बार सरकारे बदलीं। एच डी देवगोडा, इन्द्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमत्री बने। बार–बार आम चुनावो से गरीब जनता के दुर्लभ वित्तीय ससाधनो की बर्बादी होती है। भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि आम चुनावो का भार अधिक वहन किया जा सके। राजनीतिक अस्थिरता से विदेशी पूजी निवेश प्रभावित होता है। आज के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में विदेशी पूजी निवेश के घटने से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। पूजी निवेश के आकर्षित नहीं होने से भारत विकास की दौड मे दक्षिण एशियाई देशो की तुलना मे बहुत पिछड गया।

3. विदेशी आक्रमण – विडबना है कि भारत को स्वतत्रता के पचास वर्षो मे पाच युद्धो का सामना करना पडा। स्वतत्रता के तुरत बाद 1947-48 मे पाकिस्तान से युद्ध करना पडा। वर्ष 1962 मे चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत सभल भी नहीं पाया कि पाकिस्तान ने 1965 मे फिर आक्रमण किया। वर्ष 1971 मे फिर भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इसमे बाग्लादेश आजाद हुआ। भारत पर बार–बार युद्ध थोपे गए। जून–जुलाई 1999 मे कारगिल मे भारत–पाक सीमित युद्ध

हुआ। पाकिस्तान सैनिको ने भारत क कश्मीर म घुसपैठ की। भारत की सीमा मे चोरी–छिपे कारगिल बटालिक, द्रास तक आ घुसे। पाकिस्तान सैनिकों को सीमा पार खदडने के लिए भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पडी। विश्व की सर्वाधिक उचाई वाली बर्फीली चोटियो पर भारतीय सेना को युद्ध लडना पडा। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लडाई लडी। पाकिस्तानी सेना के दात खटटे किए। पाकिस्तानी सैनिको को सीमा पार खदडने मे लगभग दो माह का समय लगा। कारगिल सकट की घडी म पूरा दश एकजुट था। अनेक सैनिक देश की रक्षार्थ काम आए। इस युद्ध मे भारी वित्तीय ससाधन खर्च करने पडे। पाकिस्तान का हर बार युद्ध मे मात खानी पडी, किंतु उसके इरादे भारत के प्रति नापाक है।

4 बढता सुरक्षा खर्च (Increasing Defence Expenditure) – भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा मडराता रहा है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पडौसी देशा ने यौद्धिक साजो–समान का जखीरा खडा कर रखा है। पाकिस्तान ने अन्य देशो से परमाणु विस्फोट की तकनीक प्राप्त की। विदेशी आक्रमण के खतरे को मडराते देखकर भारत ने पोकरण मे मई 1998 को परमाणु विस्फोट कर विश्व को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी तुरत बाद परमाणु विस्फोट कर दिखाया। ऐसी स्थिति मे रक्षा खर्च मे बढोतरी अपरिहार्य हो जाती है।

भारत सरकार का रक्षा खर्च

(करोड रूपये)

वर्ष	रक्षा खर्च	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1990-91	10874	1 9
1994-95	16426	1 6
1995-96	18841	1 5
1996-97	20997	1 5
1997-98 (स अ)	26802	1 7
1998 99 (ब अ)	*30840*	*1 7*
1999-2000 (ब अ)	45694	----

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1998-99, 1999-2000

केन्द्र सरकार का रक्षा खर्च 1990-91 म 10,874 करोड रुपए था जो 1996-97 में बढकर 20,997 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1999-2000 में रक्षा खर्च 45,694 कराड रुपए था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रक्षा खर्च घटा है। वर्ष 1990-91 मे रक्षा खर्च घरेलू उत्पाद का 1 9 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 1 5 प्रतिशत तथा 1998-99 मे 1 7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमाना मे रक्षा खर्च में गत वर्ष की तुलना म 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

भारत मे केद्र सरकार के खर्च का 14 5 प्रतिशत रक्षा (Defence) पर खर्च किया जाता है। जबकि यह पाकिस्तान मे 26 9 प्रतिशत तथा अमरीका मे 19 3 प्रतिशत है। गौरतलब हे भारत मे केद्र सरकार के कुल खर्च का केवल 2 2 प्रतिशत शिक्षा पर और 1 9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। भारत में 1995 मे सकल घरेलू उत्पाद का 2 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया गया जबकि यह पाकिस्तान मे 6 5 प्रतिशत, चीन मे 5 7 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च भारत मे 9 डालर, पाकिस्तान में 28 डालर तथा चीन मे 26 डालर था। स्पष्ट है कि भारत की तुलना मे चीन और पाकिस्तान मे रक्षा व्यय ज्यादा है। भारत में रक्षा खर्च बढाने की आवश्यकता है।

भारत मे प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च दुनिया के देशो विशेषकर चीन पाकिस्तान से बहुत कम है। भारत को सीमा पर बढते सकट को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च मे बढोतरी करनी चाहिए। बढते रक्षा खर्च का देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। भारत मे सामाजिक विकास के क्षेत्र यथा शिक्षा, चिकित्सा उपेक्षित है। किंतु देश की सुरक्षा बहुत जरुरी है।

उपर्यक्त विवरण के आधार पर यह सहज कहा जा सकता है कि भारत के पिछडेपन के कारणो मे जनाधिक्य, सामाजिक विकास क्षेत्र की दयनीय स्थिति और विदेशी आक्रमणो को मुख्य रुप से सम्मिलित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी। आर्थिक पिछडेपन को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता जरुरी है। दयनीय आर्थिक दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास पर परिव्यय मे वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ देशो के नापाक इरादो को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च बढोतरी मे कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर्ष की बात है भारत आज अपनी सीमाओ की रक्षा करने मे पूर्व से अधिक सक्षम है।

सन्दर्भ

1 *दी इकोनॉमिक टाइम्स,* नई दिल्ली, 20 जून 1999
2 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे,* 1998-99, एस-12
3 *राजस्थान पत्रिका,* 7 जुलाई, 1999
4 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे,* 1998-99
5 *राजस्थान पत्रिका,* 9 जुलाई, 1999

प्रश्न एव संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय आर्थिक पर्यावरण पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओ का सक्षेप मे वर्णन कीजिए।

३ भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के सामाजिक कारणो को लिखिए।
4 भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के राजनीतिक कारण क्या रहे है ?

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए।
(संकेत – अध्याय मे दी गई भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओ को लिखना है।)

2 भारत एक समृद्ध देश है जिसमे निर्धन लोग निवास करते है। इस कथन की विवेचना कीजिए।
(संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई भारत की समृद्धि की बातो को लिखना है इसके बाद प्रश्न के दूसरे भाग मे निर्धनता दर्शाने वाली बातो का उल्लेख करना है।)

3 भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारणो को समझाइए।
(संकेत अध्याय मे दिए गये अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कारणो को लिखना है।)

3

नई आर्थिक नीति

(New Economic Policy)

भारत स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर चुका है। विकास के नियोजित मार्ग मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान मे *नौवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन मे है जिसकी समयावधि 1997 से 2002* निश्चित की गई है। वर्ष 1951 से 1990 तक पचवर्षीय योजनाए विकास पर छाई रही। योजना आयोग को 'सुपर केबिनेट' का दर्जा प्राप्त था। नियोजन काल मे भारी भरकम पूजी विनियोजन किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1,960 करोड रुपए था जो सातवी पचवर्षीय योजना मे बढकर 2,18,730 करोड रुपए तक जा पहुचा। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नहीं पकड सकी। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से दुनिया के विकसित देशो की तुलना मे पिछडा रहा। आर्थिक पिछडेपन के कारण ढेरो आर्थिक समस्याए यथा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक विषमता, गावों का पिछडापन आदि मुहबाएँ खडी हैं। आर्थिक पिछडेपन की समस्या से निपटने तथा विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। भारत मे आर्थिक सुधारो को आत्मसात किए एक दशक का समय बीत चुका है। अर्थव्यवस्था मे बडे पैमाने पर सरचनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं तथा वर्ष दर वर्ष उदारीकरण की गति जारी है। आर्थिक सुधारो के परिणाम भी आना शुरु हो गए हैं। नई आर्थिक नीतियो के फलीभूत होने के साथ दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर हुए हैं। व्यापक विश्लेषण की दृष्टि से आर्थिक उदारीकरण को निम्नाकित शीर्षको मे विभाजित करना समीचीन होगा –

1 आर्थिक सरचना मे मूलभूत बदलाव (1991-92 से 1995-96)
2 आर्थिक सुधारो का दूसरा चरण (1996-97 से 1997-98)
3 आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरुप (1998-99 से 1999-2000)
4 उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन

(अ) आर्थिक सरचना मे मूलभूत बदलाव (1991-92 से 1995-96)

वर्तमान आर्थिक सक्रमण काल म विश्व के अनेक देश अपनी आर्थिक नीतियो को बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने के वास्ते प्रयासरत हैं। कोई भी देश बदले आर्थिक परिवेश की अनदखी नहीं कर रहा जिस किसी देश ने उपेक्षा की वह विश्व क आर्थिक पटल स अलग-थलग हो गया है या कर दिया गया। आर्थिक सुधारो को लागू करने की गति की दृष्टि से सभी देशो मे समरुपता नहीं है कुछ दशों न अल्पावधि म ही भारी आर्थिक बदलाव कर दिखाए हैं तो कुछ देशो की गति धीमी भी रही है। प्राय विभिन्न देशो ने आवश्यकतानुसार और वित्तीय ससाधनो की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर ही सुधारो के स्वरुप व गति को आत्मसात किया है। आर्थिक सुधारो के चलते सोवियत सघ के विघटन का प्रभाव अन्य राष्ट्रो के आर्थिक सुधारो पर भी पडा है।

जहा तक आर्थिक सुधारो के परिप्रेक्ष्य मे भारत का सवाल है हमने विश्व के बदले आर्थिक माहोल के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए विगत की पृष्ठभूमि एव भावी आवश्यकताओ को मदनजर रखते हुए योजनाबद्ध व नीतिगत पहल की है तथा आर्थिक सुधारो की गति इस कदर अच्छी रही कि दुनिया के सभी देशो की दृष्टि भारत पर टिकी और न केवल प्रशसा हुई अपितु विकसित राष्ट्रो समेत विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ ने भी आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की।

अमेरिकी काग्रेस की विदेश मामलो की समिति की एकरमन उपसमिति ने दक्षिण एशिया पर एक रिपोर्ट में भारत के आर्थिक सुधारा के सदर्भ में टिप्पणी की कि भारत इस सदी के अत तक पूर्व सावियत सघ या पूर्वी यूरोपीय देशों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक खिलाडी बन जाएगा। भारत ने बहुत ही दूरगामी परिणामों वाले आर्थिक सुधार के कार्यक्रम पश किए हैं। ये सुधार पूरे दक्षिण एशिया के परिदृश्य मे आमूलचूल परिवर्तन की ताकत रखत हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र म पूर्व सोवियत सघ या पूर्वी यूराप के देशो की तुलना मे भारत कहीं अधिक क्षमताओ से भरा पडा है।

दृष्टव्य है कि भारत ने स्वतत्रता उपरान्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगीकृत किया इसम सार्वजनिक क्षेत्र के भी फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर था। यह भारतीय योजनाकारा की दूरदर्शिता की सुखद परिणति है कि आज आर्थिक सुधारों के साथ समायोजित करने के वास्त अर्थव्यवस्था म समूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस कारण लागू किये जा रहे आर्थिक सुधारा का जन विराध का सामना नहीं करना पड रहा है और फिर इन सुधारा के अनुकूल परिणाम शीघ्रातिशीघ्र दृष्टिगाचर होने लग गए जिसस सरकार को सुधारा की गति को तेज करने के लिए सम्बल मिला।

आर्थिक सुधारा को लागू करने का सिलसिला दश क राजनीतिक सक्रमण काल से उबरने क ठीक पश्चात जुलाई 1991 स प्रारम्भ हुआ। दस वर्ष पूरे हो

चुके है, इस दोरान अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूण भागा मे बदलाव किया जा चुका है। अभी भी यह दौर माह–दर–माह जारी है। किए जा चुके आर्थिक सुधारो का विवरण निम्नाकित है –

1. रुपये की विनिमय दर मे कमी

भारत ने जुलाई, 1991 के प्रथम सप्ताह मे रुपये की विनिमय दर मे कमी करके रुपये को विश्व की प्रमुख मुद्राओ के मुकाबले यथा पौण्ड स्टार्लिंग 21 04 प्रतिशत, अमरीकी डालर 23 07 प्रतिशत जर्मन मार्क 20 78 प्रतिशत, जापानी येन 22 33 प्रतिशत तथा फ्रासिसी फ्राक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गम्भीर कदम आर्थिक सकट से उबरने विदेशी मुद्रा जुटाने तथा निर्यात बढाने के लिए उठाया। इससे पूर्व भारत ने 1949 मे और 1966 मे रुपये का अवमूल्यन किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे निर्यातो की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। इस निर्णय से गैर आवश्यक वस्तुओ का आयात हतोत्साहित हुआ तथा विदेशी मुद्रा सकट को हल करने मे मदद मिली। भविष्य मे हम निर्यात बढाने मे कहा तक सफल होगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे उत्पाद की माग की लोच कैसी है तथा घरेलू बाजार मे निर्यात हेतु अतिरेक उत्पाद की उपलब्धता क्या है।

2. स्वर्ण हस्तान्तरण

भारत को भारी विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पहली बार सोना बाहर भेजना पडा। मई, 1991 मे सरकार ने 20 करोड डालर की विदेशी मुद्रा के लिए स्विस व्यापारिक बैंक मे जब्त किए गए सोने के भण्डार से 20 टन सोना पुन खरीदे जाने की शर्त पर बेचा। जुलाई, 1991 मे अप्रत्याशित विदेशी मुद्रा सकट को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46 91 टन सोना बैक ऑफ इग्लैण्ड को रेहन पर रखा, इससे भारत को 40 करोड डॉलर के रुप मे मिल सके। भारत भुगतान के मामले मे 'डिफाल्टर' घोषित होने से बचा। विषम परिस्थितिया मे भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भण्डार का 15 प्रतिशत सोना विदेशो मे गिरवी रखा जा सकता है।

3. खुली औद्योगिक नीति

केंद्र सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति मे व्यापक परिवर्तन करके, भारत का आर्थिक सविधान समझी जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति को काफी हद तक इतिहास के हवाले कर दिया है। यह मौजूदा बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के साथ तालमेल के लिए आवश्यक भी था। वैसे सरकार औद्योगिक नीति मे समय–समय पर हेर–फेर करती रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख दी गई है। अब अडचने नहीं रही हैं। उद्योगो के लिए शिकायत का कोई कारण नहीं। अब उद्योगों म जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे। निजीकरण केवल वैचारिक आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है।

सावजनिक क्षत्र का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों में सही भूमिका निभाा की अनुमति होगी। दश क उद्याा का आधुनिक व गतिशील अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करना है।

नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत है। नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 16 उद्योगों को छोडकर अन्य के लिए लाइसस की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जटिल कागजी कार्यवाही कम हाने से भ्रष्टाचार उन्मूलन का मदद मिलेगी। नीति का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूजी निवेश 40 प्रतिशत से बढाकर 51 प्रतिशत कर देना है। इसस विदशी पूजी आकर्षित हागी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च प्रौद्योगिकी क निर्धारित क्षत्र के शत–प्रतिशत विदेशी इक्विटी विनियोग किया जा सकता है। एमआरटीपी कानून स उद्योगा का छूट दी गई है इससे उद्याा क विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. नई व्यापार नीति

एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमे विदेशी व्यापार विनिमय और लाइसेंस नियत्रण की मात्रा का कम करने के साथ–साथ निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, 4 जुलाई 1991 को व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन एव सुधारों के साथ व्यापार नीति मे काफी उदारीकरण कर दिया है। नकद क्षतिपूर्ति योजना स्थगित कर दी गई है। "पुनर्भरण लाइसस योजना" निर्यातों पर आधारित *आयात का प्रमुख उपकरण बन गई।*

देश मे पहली बार पचवर्षीय योजना की समयावधि क समरुप अप्रैल, *1992 मे पाच वर्ष के लिए (1992-1997) नई आयात–निर्यात नीति की घोषणा* की गई। इसमे कई वस्तुओ के आयात पर रोक लगा दी गई। अब निर्यातक निर्यात सवर्द्धन के उद्देश्य से कतिपय सामाना का आयात कर सकेंगे। विशेष आयात लाइसस याजना के अर्न्तगत आयात निर्यात केवल व्यापार घराना, स्टार व्यापार घरानों और निर्माताओ द्वारा किया जा सकेगा। कई वस्तुओं के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है जो पहले निषिध सूची में थी। नई नीति के दीर्घकालीन होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चितता आ सकेगी।

30 मार्च, 1993 को आयात नियात नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र मे निर्यातान्मुखी इकाइयों लगाने पर और छूट देने तथा बैंक व अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना *की घोषणा की। नई व्यापार नीति से आयात स्वत* ही विनियमित हाग तथा एक स्वसतुलनकारी तत्र लागू करने मे मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने 22 अगस्त, 1996 को व्यापार नीति में सशोधन करते हुए उपभोक्ता वस्तुआ के आयात को और उदार बनाने के उद्देश्य से चालीस वस्तुआ को आयात की नकारात्मक सूची स बाहर निकालने की घोषणा की। अब वीडियो कैमरा, कैमकोडर, फोटो आप्टिक लैम्प, सगीतमय खिलौना क उपकरण, पेन निब

और सौन्दर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों का लाइसेंस मुक्त आयात किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉर्डलेस टेलीफोन, वेल्डिंग मशीनें, पचास अमरीकी डालर से अधिक की ओडियो प्रणाली, बिना रिकार्ड किए कॉम्पेक्ट डिस्क, आठ एम एम खाली कैसेट जैसे चौदह उत्पादो को आयात की नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे मे लाया गया है। इन दोनों सूचियो मे सशोधन करने के साथ मोटर साइकिल व स्कूटर के आयात के नियमो मे भी सशोधन किया है।

भारत सरकार ने सार्क देशो के साथ व्यापार बढाने के उद्देश्यो से सार्क के सदस्य देशो से 23 वस्तुओ का आयात लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है। यह उत्पाद अब तक आयातो की नकारात्मक सूची मे शामिल थे। इसी प्रकार आठ उत्पादो को नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे मे लाया गया है।[1]

5. इस्पात विनियत्रण

भाडा समानीकरण की नीति देश के सतुलित औद्योगिक विकास के नाम पर साढे तीन दशक पूर्व लागू की गई थी। बाजार पर अधिक निर्भरता के दौर मे यह नीति मूल्य नियत्रण युग की सम्भवत सबसे बडी विसगति बनी। देश के इस्पात उत्पादक राज्यों द्वारा काफी समय से इस्पात विनियत्रण की माग की जाती रही है। सरकार ने जनवरी, 1992 मे इस्पात उद्योगों की कीमतों को नियत्रण मुक्त करने तथा भाडा समानीकरण नीति की समाप्ति की घोषणा की।

भाडा समानीकरण नीति के रहते भारत के लगभग सभी स्थानो के इस्पात ढुलाई का समान भाडा अदा करते थे भले ही वास्तविक ढुलाई कुछ और हो, इससे कारखाने के नजदीक उपभोक्ता वास्तविक ढुलाई भाडे से अधिक भुगतान करते रहे है तथा इसका लाभ दूर के उपभोक्ताओं को होता रहा है। भाडा समानीकरण की समाप्ति से नजदीक के उपभोक्ताओ को फायदा होगा और दूर के उपभोक्ताओ को नुकसान नही होगा क्योकि उनसे किसी भी स्थिति में पूर्व निर्धारित भाडे से अधिक भाडा वसूल नहीं किया जाएगा।

6 चादी का आयात

सरकार ने विदेश से लौट रहे किसी भी भारतीय या भारतीय पासपोर्ट-धारी को, जो कम से कम छ महीनो तक विदेश मे रहने के बाद भारत लौट रहा हो, *अपने सामान के साथ अधिकतम एक सौ किलोग्राम चादी के लाने की छूट दी* है। चादी के आयात पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विदेशी मुद्रा मे सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। आयातित चादी मे चादी के गहनो की भी छूट होगी लेकिन फेरा के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने कीमती पत्थरो से जडे आभूषणो और चादी के सिक्को को इस छूट से बाहर रखा है। सरकार के इस निर्णय से चादी की तस्करी की प्रवृति को काफी सीमा तक कम करने मे मदद मिलेगी।

7 अप्रवासी भारतीयो को छूट

भारतीय अर्थव्यवस्था मे विनियोजन की दृष्टि से अप्रवासी भारतीयो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्ही महत्ता को देखते हुए भारत सरकार अप्रवासी भारतीयो के विनियोग को आकर्षित करने के लिए सचेष्ट रहती है। अप्रवासी भारतीयो को भारत मे अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत मे रोजगार या कारोबार के लिए लौट रहे हो उन्हे रिजर्व बैंक के फेरा के तहत विदेशी मुद्रा से अपने खातो या सम्पत्ति की घोषणा करने की जरूरत नहीं होगी तथा ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत मे स्थायी रूप से लौट रहे हो उन्हे भारत मे किसी भी बैंक मे बिना किसी सीमा के विदेशी मुद्रा मे खाता खोलने की मजूरी होगी। निवासी भारतीय यात्रियो को अब विदेश जाते समय अपने साथ एक लाख रुपये तक स्वर्ण और गैर स्वर्ण आभूषण ले जाने की मजूरी होगी। पहले यह सीमा 20 हजार रुपये थी। तत्कालीन वित्त मत्री डॉ मनमोहन सिह ने अपने दूसरे बजट मे अप्रवासी भारतीयो तथा भारतीयो को जो विदेश से लौट रहे हैं प्रति यात्री 5 किलोग्राम सोना लाने की घोषणा की सरकार के इस निर्णय से सोने की तस्करी को खत्म करने मे मदद मिलेगी।

8 रुपये की परिवर्तनीयता

वर्ष 1992 93 के बजट मे रुपये को आशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनिमय दर पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर बदले जाने की व्यवस्था थी। 1993 94 के बजट मे रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। जिसकी माग विगत वर्षो से की जा रही थी। रुपये की दोहरी विनिमय दर की समाप्ति की घोषणा से निर्यातको मे हर्ष की लहर दौडना स्वाभाविक है। अब निर्यातक अपनी कमाई का शत–प्रतिशत भाग बाजार दरो पर अभ्यर्पित कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद निर्यात व विदेशो मे कार्यरत लोगो से देश में डॉलर की आवक बढी है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से निर्बाध गति से निर्यात सवर्द्धन सम्भव हो सकेगा। वर्तमान मे हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार सुविधाजनक स्थिति मे है। भविष्य मे हम निर्यात वृद्धि हेतु सचेत रहेंगे अत रुपये की परिवर्तनीयता के परिणाम अनुकूल ही होंगे।

9 स्वर्ण बाण्ड योजना

सरकार ने काले धन को सफेद मे बदलने की बहु–प्रतीक्षित स्वर्ण बाण्ड योजना फरवरी 1993 मे घोषित की। योजना 15 मार्च 1993 से प्रारम्भ होकर 14 जून 1993 को समाप्त हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश मे आम लोगो के पास पडे निष्क्रिय सोने को बाहर निकलना था। इसके अतिरिक्त इन बाण्डो का उद्देश्य सोने की तस्करी को रोकना तथा इसकी कीमतो मे कमी लाना भी था।

स्वर्ण बाण्ड योजना मे कोई भी भारतीय निवासी व्यक्ति विशेष हिन्दु

अविभाजित परिवार, न्यास, फर्म, कम्पनियॉं निवेश कर सकते थे। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन 500 ग्राम सोना, अधिकतम की सीमा नहीं। यदि जेवर है तो पिघलाने की व्यवस्था सोने की परीक्षा सरकारी टकसाल द्वारा की गई। सोना देने की तारीख से 5 वर्ष बाद सोने की 0 995 शुद्धता मे बॉण्डस का मोचन होगा। मोचन के समय 0 995 शुद्धता के सोने पर 40 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से एक मुश्त ब्याज, रुपयो मे देय होगा। परिष्करण की हानि को घटाने के बाद 0 995 शुद्धता होने के वजन के बॉण्ड जारी किए जाएगे, ये बॉण्ड जी पी नोट-स्टॉक सर्टिफिकेट के स्वरुप मे होगे। स्टॉक सर्टिफिकेट के एक मात्र धारक के लिए नामाकन सुविधा उपलब्ध, बॉण्डस हस्तातरणीय है। बैंक से ऋणपत्र प्राप्त करने के लिए बॉण्ड प्रतिभूति मात्र है। सोने के स्रोत से सम्बन्धित जानकारी देने तथा कर अधिकारियो द्वारा पूछताछ एव जॉंच पडताल से बॉण्ड के मूल सब्सक्राइबर पूरी तरह मुक्त, कर मुक्त ब्याज का लाभ तथा दीर्घकालीन पूजी लाभ, उपहार कर से छूट का लाभ प्राप्त था।

स्वर्ण बॉण्ड योजना को काफी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिली। योजना के तहत सोने का मूल्य 1,500 करोड रूपए आका गया है जबकि बजट अनुमान सिर्फ 300 करोड रुपये का था। पूरे देश मे 69 शहरो मे 83 केन्द्रो पर स्वर्ण बॉण्ड योजना का काम किया गया। जनता ने जिस उत्साह से इसमे हिस्सा लिया वह काफी सराहनीय था। इतनी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया के बावजूद योजना की अवधि नहीं बढाई गई। सरकार को इस योजना को पुन प्रारम्भ करने पर विचार करना चाहिए।

10. विदेशी सस्थागत निवेश

सरकार ने देश के प्राइमरी और सैकण्डरी पूजी बाजार को विदेशी सस्थागत निवेशको के लिए खोल दिया है, लेकिन किसी एक कम्पनी मे ऐसे निवेशको की कुल पूजी 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अब विदेशी म्युचुअल फड, पेशन फण्ड, इन्वेस्टमेट ट्रस्ट और सम्पत्ति प्रबन्धक कम्पनियॉं भी भारत प्राइमरी और सैकण्डरी पूजी बाजार मे निवेश कर सकेगी। एक विदेशी निवेश सस्था एक कम्पनी द्वारा कुल निर्गमित पूजी का केवल पाच प्रतिशत ही खरीद सकता है। विदेशी निवेशको को करो मे राहत मिलेगी, उन्हे लाभाश और ब्याज से मिलने वाली आय पर केवल 20 प्रतिशत तथा एक वर्ष से अधिक के कैपिटल गैन पर केवल 10 प्रतिशत कर देना होगा। प्राइमरी और सैकण्डरी बाजार मे निवेश के लिए पूजी लगाने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नही की गई है ओर न ही समय की पाबदी है। पोर्टफोलियो निवेश के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

देश के आर्थिक खुलेपन की दिशा मे उठाया गया यह सम्भवत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस निर्णय से व्यापारिक दूरी मिटाने मे मदद मिलेगी तथा अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

11 पूजी बाजार में बडे निवेश को बढावा

सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनिया मे भारतीय प्रवर्तको को अपना अश पूजी मे 75 प्रतिशत अशदान की अनुमति द दी है। शेष 25 प्रतिशत अश पूजी को आम निवेशकों से जुटाया जाएगा। इसस सीमित सार्वजनिक भागीदारी वाली कम्पनियों के लिए पूजी बाजार मे सक्रिय होने के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है। अब तक जो कम्पनियाँ अश पूजी में प्रवर्तकों की भागीदारी को 40 प्रतिशत से बढाना चाहती थी उन्हे वित्त मत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी होती थी।

12 फेरा में व्यापक बदलाव

सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) कानून मे व्यापक और आधारित परिवर्तन किए हैं। अब फेरा के तहत पजीकृत कपनियो को भारत मे सम्पत्ति खरीदने बेचने के लिए अनुमति की जरुरत नहीं हागी। भारतीय नागरिकों को देश मे 15 000 रुपय मूल्य या 500 डालर तक की नकद विदेशी मुद्रा अपने पास रखने की अनुमति होगी। सभी अनावश्यक प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। विदेशो में सयुक्त उपक्रमों के लिए अब फेरा कानून के अन्तर्गत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। विदेश जाने वाले भारतीयों की प्रतिभूतियो और बैंक खातों पर लगने वाली रोक समाप्त कर दी गई है। भारत यात्रा के दौरान अनिवासियो पर विदेशी मुद्रा म भुगतान करने की शर्त समाप्त कर दी गई है। आयातित सोने और चादी के देश मे इस्तेमाल के बारे में प्रतिबध हटा लिए हैं। अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों का नियमबद्ध रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दस हजार रुपए तक पैनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया है। वर्ष से 1999 2000 से फेरा के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम) लागू किया गया है।

13 राजकोषीय नीति

सरकार आर्थिक सुधारों को तेज गति देने वास्ते दृढ प्रतिज्ञ है। केन्द्रीय वित्तीय घाटे को भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसदी तक लाया जाएगा। ओसत सीमा शुल्क घटाकर पच्चीस फीसदी किया जाएगा। सार्वजनिक व्यय को वर्तमान स्तर 110 फीसदी से घटाकर पचास फीसदी करने की तैयारी है। बैंकिग क्षेत्र मे वैधानिक तरलता अनुपात (एस एल आर) को घटाकर 25 फीसदी तथा *नकद आरक्षित अनुपात (सी आर आर) को 10 फीसदी किया जाएगा। आर्थिक* विकास की दर 8 से 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घावधि म खाद्य उर्वरक विद्युत सिचाई सडक परिवहन तथा गैर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों पर सब्सिडी समाप्त करनी ही पडेगी। कोशिश यह होगी कि रियायत केवल गरीब वर्गों को ही उपलब्ध हो। आर्थिक सुधारो को गति देन के लिए सभी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात खाल दिया जाएगा।

14. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

बहुत से उद्योगों मे 51 प्रतिशत विदेशी हिस्सा पूजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (एफ डी आई) की स्वत स्वीकृति दी जाएगी। इससे पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यत 40 प्रतिशत तक सीमित थे। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों मे प्रौद्योगिकी के लिए स्वत स्वीकृति प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं लेने वाले अन्य उद्योगो को भी यह सुविधा प्राप्त होगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत स्वीकृति योजना मे उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो की सूची मे विस्तार होगा। 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग, यदि उनमें कुल स्वीकृति पूजी के 51 प्रतिशत तक विदेशी अश सहभागिता है, मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति मे पारदर्शिता, जवाबदेही, उद्देश्यपूर्ण, स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा जिससे देश मे विदेशी पूजी निवेश का अच्छा वातावरण बने। दस मिलियन डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए विदेशों के भावी निवेशकों से सीधे सम्पर्क करना होगा। भारत को उद्योगो के आधुनिकीकरण, तकनीकी कौशल तथा पूजीगत आवश्यकता के लिए विदेशी निवेश की जरुरत है। मलेशिया ने सत्तर के दशक के प्रारम्भ मे 'सेमीकन्डक्टर' क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा दिया। आज मलेशिया इस क्षेत्र मे बडा उत्पादक एव सर्वाधिक निर्यातक करने वाला देश है। भारत को खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमत्रित करना चाहिए। भारत को 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर अर्जित करने के लिए 24 प्रतिशत चालू घरेलू बचत दर के विरुद्ध 30 प्रतिशत पूजी निर्माण दर की आवश्यकता है।

15. रुपए की परिवर्तनीयता और अवमूल्यन

आजादी से पूर्व भारतीय रुपया ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग से सम्बद्ध था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से रुपया स्टर्लिंग की दासता से मुक्त हुआ। अब रुपया स्वतत्र मुद्रा के रुप मे बहु पाक्षिक परिवर्तनशील मुद्रा है। आर्थिक सक्रमण काल (जुलाई 1991 से प्रारम्भ) मे रुपये की परिवर्तनीयता सबधी मूलभूत बदलाव किया गया है। प्रारम्भिक चरण में वर्ष 1992-93 मे रुपये को आशिक रुप से परिवर्तनीय किया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत सरकारी विनिमय दर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार विनिमय दर पर बदले जाने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1993-94 मे रुपये की दोहरी विनिमय दर को समाप्त कर दिया गया अर्थात रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये को पूजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है इसके लिए ठोस वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना आवश्यक है।

रुपये की विनिमय दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिता की बात है। आर्थिक सुधारों की सफलता काफी हद तक रुपये की विनिमय दर मे स्थायित्वता या इसकी मजबूती मे समाहित है। रुपये की विनिमय दर के गिरने से आर्थिक सुधारो की गति के प्रभावित होने की आशका उत्पन्न हो गई है। डालर के मुकाबले

रुपये की विनिमय दर अप्रैल, 1995 मे 31 41 रुपये प्रति डालर थी। इसके बाद रुपये की विनिमय दर का गिरना प्रारम्भ हुआ। सितम्बर, 1995 मे रुपये की विनिमय दर 33 18 रुपये प्रति डालर, 9 अक्टूबर 1995 को 34 01 रुपये प्रति डालर और 20 अक्टूबर 1995 को रुपये गिरकर 35 9 रुपये प्रति डालर के न्यूनतम भाव को छू गया। रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद भारतीय रुपया अतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार मे सर्वाधिक न्यूनतम स्तर तक पहुच गया। रिजर्व बैंक न रुपये के समर्थन मे छोटे–छोटे समूह मे डालर की बिक्री की जिससे रुपये की विनिमय दर में सुधार आया। 3 नवम्बर, 1995 को रुपये की विनिमय दर 34 64 रुपये प्रति डालर थी। विदेशी मुद्रा प्रबधको के अनुसार आयातको की भारी माग के कारण तथा रिजर्व बैंक के समर्थन के अभाव मे रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई है।

16 नई मुद्रा नीति

भारत अस्सी के दशक के आखिरी वर्षो के अभूतपूर्व आर्थिक सकट पर निजात पाने तथा विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते जुलाई, 1991 मे आर्थिक सक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। बीते वर्षो मे आर्थिक सरचना मे महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किये जा चुके हैं। आर्थिक सुधारो की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है। आर्थिक सुधारो की सफलता से प्रभावित होकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1994 को नयी मुद्रा नीति की घोषणा की। घोषित नई नीति को यदि बैंकिग क्षेत्र मे उदारीकरण की ओर बढता कदम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(i) मुद्रा नीति में बदलाव – नई मुद्रा नीति मे वित्तीय वर्ष 1994-95 के उत्तरार्द्ध के लिए दो लाख रुपये से अधिक कर्ज पर न्यूनतम ब्याज दर समाप्त कर दी गई है। 25 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर घटाकर साढे तेरह प्रतिशत कर दी गई है। बचत जमा ब्याज दर घटाकर साढे चार प्रतिशत तथा अप्रवासी विदेशी (एनआरआई) खातो म अधिकतर मियादी जमा दर घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई। विदेशी मुद्रा अप्रवासी (एफसीएनआर) खातो के लिए नकद रिजर्व अनुपात साढे 4 प्रतिशत घोषित किया तथा साविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) मे भी कटौती की। वर्ष 1994-95 के उत्तरार्द्ध के दौरान मुद्रा प्रसार को 16 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने का फैसला किया गया। सावधि जमा ऋण की ब्याज दर पर छूट सीमा 0 5 प्रतिशत और अन्य सभी प्रकार के ऋण की ब्याज दर पर 1 5 प्रतिशत तय की गई। एक नवम्बर, 1994 से बचत खातों में जमा धन पर ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक से 0 5 प्रतिशत घटकर 4 5 प्रतिशत हो गई। लेकिन सावधि जमा के तहत 46 दिन की जमा पर ब्याज दर सात प्रतिशत बनी रहेगी। सभी सहकारी बैंको की जमा और ऋण ब्याज दरो को उन्हे स्वय तय करने की छूट दी गयी बशर्ते ऋण की न्यूनतम ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक तक रखी जाए। प्रवासी भारतीय के

एन आर सी रुपया खाते मे ब्याज दर वर्तमान पाच प्रतिशत से घटाकर 4 5 प्रतिशत कर दी गई।

(ii) मौद्रिक नीति मे बडा फेरबदल – भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जुलाई, 1996 को बैको के नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर आर) मे 1 प्रतिशत की कमी करने के साथ मौद्रिक नीति मे अनेक परिवर्तन की घोषणा की। 6 जुलाई, 1996 से बैंको की सी आर आर 13 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई। इससे बैंकिग तत्र मे करीब 4,100 करोड रुपये की उपलब्धता बढेगी। सरकारी प्रतिभूतियो पर पुनर्वित्त सुविधा को 6 जुलाई, 1996 से समाप्त कर दिया गया। इस सुविधा के समाप्त होने से भी बैंकिग क्षेत्र मे 4,100 करोड रुपये और बढेगे। इन उपायो से बैंको के मुनाफे पर भी अनुकूल असर होगा।

रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंको को उनकी सावधि जमा घरेलू योजनाओ मे एक वर्ष से अधिक की जमा योजनाओ मे ब्याज दर स्वय तय करने की छूट दे दी है। अब तक बैंको को दो वर्ष से अधिक सावधि जमा योजनाओ पर यह छूट मिली हुई थी। एक वर्ष तक की जमा योजनाओ के लिए वार्षिक "11 प्रतिशत से अधिक ब्याज नही" का फार्मूला अपनाया जाएगा। अब तक दो वर्ष तक की जमा योजनाओ पर 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं की नीति अपनायी गई। नई सशोधित ब्याज दरे केवल नई जमा योजनाओं पर अथवा पुरानी योजना के नवीनीकरण पर ही लागू होगी।

रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार मे जारी गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए 2 जुलाई, 1996 से सावधि जमा राशि के लिए न्यूनतम समय सीमा 46 दिन से भी कम करने का निर्णय लिया। बैंको को यह भी हिदायत दी गई है कि किसी भी समय किसी भी एक बैंक की सभी योजनाओ पर एक समान ब्याज दर रहनी चाहिए जो कि सभी ग्राहको पर समान रुप से लागू होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक ने चीनी और कपास की चालू कीमतों की समीक्षा करने के बाद इन वस्तुओ के स्टॉक के बदले कर्ज दर न्यूनतम मार्जिन मे 15 प्रतिशत कमी कर दी है। इनमें चीनी मिलों के जारी किये गये स्टॉक के बदले पहले तथा अन्य को चीनी, खाडसारी और गुड के स्टॉक के बदले यह मार्जिन सुविधा दी जाएगी। कपास मिलो और कताई मिलों को छोडकर अन्य कारोबारियो के लिए कपास और रुई पर न्यूनतम मार्जिन भी 15 प्रतिशत कम कर दिया गया है। उधर कर्ज की अधिकतम सीमा मूल अवधि के वर्तमान 100 प्रतिशत से बढाकर 110 प्रतिशत कर दी गई है। कताई मिलो सहित अन्य मिलो को विशिष्ट ऋण नियत्रण प्रावधान से अलग रखा गया है।[2]

(व) आर्थिक सुधारो का दूसरा चरण (1996-97 से 1997-98)

भारत मे जुलाई, 1991 से आर्थिक सुधारो की शुरुआत की गई। वर्ष 1991 से मई 1996 के बीच आर्थिक सरचना मे मूलभूत बदलाव किए गये। इनमे खुली औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, नई मुद्रा नीति, अप्रवासी भारतीयो से

सबधित नीति, रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये का अवमूल्यन, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, विदेशी पूजी निवेश आदि मुख्य हैं। जुलाई, 1991 मे नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ भारत की आर्थिक सविधान समझी जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति को काफी हद तक इतिहास के हवाले कर दिया।

एक जून, 1996 को सत्तारुढ हुई सयुक्त मोर्चा सरकार को अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत मे मिली। जबकि वर्ष 1991 मे भारतीय अर्थव्यवस्था सकट की स्थिति मे थी। तत्कालीन केन्द्र सरकार को अनेक अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे थे। जुलाई, 1991 मे भारत ने अप्रत्याशित विदेश मुद्रा सकट को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46 31 टन सोना बैंक ऑफ इग्लैण्ड मे रहन पर रखा। अप्रवासी भारतीयो ने भी जमा राशि को निकलवाना प्रारम्भ कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने सूझ–बूझ की नीति से विषम आर्थिक स्थिति को नियन्त्रित किया। जबकि जून, 1996 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक सूचक प्रगति की ओर अग्रसर थे।

सयुक्त मोर्चा सरकार मे विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित थे। 5 जून, 1996 को सयुक्त मोर्चा सरकार ने साझा दृष्टि से न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम मे अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1 केन्द्र द्वारा प्रायोजित अधिकतर योजनाएँ राज्य सरकारो के अधीन लाई जाएगी।
2 नौवीं योजना के कार्यक्रमो और प्राथमिकताओं पर विस्तृत दस्तावेज छ माह के भीतर।
3 देश के 100 सबसे अधिक निर्धन जिलो में ढाचागत विकास की विशेष योजना।
4 खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून।
5 वर्ष 2005 तक गरीबी और निरक्षरता हटाना तथा इस अवधि में सभी के लिए आवास मुहैया कराना।
6 गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा।
7 हर बेरोजगार को कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारन्टी।
8 विदेशी निवेश सवर्द्धन बोर्ड और औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कामकाज की समीक्षा।
9 कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को हतोत्साहित करने के लिए समुचित वित्तीय और अन्य उपाय।
10 अधिकतर निवेश सचालन क्षेत्र में करने के लिए समुचित ऋण और कराधान नीतियाँ।

11 खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्वास।
12 गैर मूलभूत और गैर सामयिक क्षेत्र मे सार्वजनिक उपक्रमो को हटाने के बारे मे विनिवेश आयोग की नियुक्ति।
13 वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास।
14 समाज के सम्पन्न वर्गो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर किया जाएगा।
15 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारो को विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। जिस पर जरुरी चीजे सामान्य से आधे दामो पर मिलेगी।

केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमो को कुछ फेरबदल के साथ जारी रखने, गरीबी और आवास की समस्या को सन 2005 तक समाप्त करने की घोषणा की। अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रो मे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरो की बिक्री जारी रखने, बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी कम्पनियो के लिए खोलने तथा विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बने रहने की घोषणा की। सरकार ने 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। पाच साल मे कृषि क्षेत्र का ऋण दुगुना करने, औद्योगिक क्षेत्र मे निजी तथा विदेशी पूजी निवेश बढाकर विकास दर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की। सार्वजनिक उपक्रमो को लगातार घाटे में चलने नहीं दिया जाएगा। गैर जरुरी क्षेत्रों मे सार्वजनिक उपक्रम जारी नहीं रहेंगे। नई आयात–निर्यात नीति में 20 वर्षों के अन्तराल बाद तटकर आयात को फिर से जीवित किया जा रहा है। घोषणा–पत्र मे कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। इससे विश्व बाजार मे भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढेगी। कृषि क्षेत्र मे आधुनिकीकरण वास्ते पशुधन के लिए जैव तकनीक और कृषि उत्पादो के प्रसस्करण के लिए कोल्ड–स्टोरेज में निवेश से उत्पादन वृद्धि होगी, जिससे निर्यात भी बढ सकेंगे। निम्न वरीयता वाले क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के प्रवेश को रोकने के लिए आयात लाइसेस और निवेश नियमन के जरिए अनौपचारिक नियत्रण काम मे लिए जायेगे।

केंद्र सरकार 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सामने रखते हुए लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। कृषि, आधारभूत ग्रामीण उद्योगो तथा लोगो की पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी जरुरतें पूरी करने के लिए अधिक पूजी निवेश पर जोर देगी। घरेलू उद्यमशीलता को समर्थन तथा बढावा देने के लिए 12 प्रतिशत की वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुनियादी क्षेत्रो और प्रौद्योगिकी समुन्नत करने के लिए विदेशी निवेश आकृष्ट करने के प्रयासो मे तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2005 तक निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढाने, सम्पदा सृजन, लोगो की कामकाजी दक्षता बढाने और सर्वाधिक निर्धन वर्गो की

आमदनी मे बढोत्तरी के कार्यक्रमो वास्ते वृहद् स्तर पर धन मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने हर परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल हर पाच हजार की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक आवासहीन निर्धन को भवन बनाने के लिए सहायता हर गाव म सम्पर्क सडक का निर्माण व गरीब परिवार के बच्चो को पाषाहार हर गाव मे उचित मूल्य की दुकान का वादा किया। विश्व बाजार मे उद्योगो की प्रतिस्पर्धा मे वृद्धि के लिए विकासोन्मुख औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। निर्यात वृद्धि के लिए उद्योगों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रयासरत है। वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए खर्चों मे कटौती करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वार्षिक खर्च मे करीब 30 अरब रुपये की कमी का लक्ष्य रखा गया है। लाभ कमाने वाली सभी सार्वजनिक उपक्रमो को न्यूनतम लाभाश घोषित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए दो शर्ते रखी गई हैं। पहली शेयर धारकों को न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभाश तथा दूसरी कर अदायगी के बाद मुनाफे से 20 प्रतिशत राशि लाभाश के रुप मे वितरित की जाए। इन दोनों में से जा भी अधिक हो वैसा किया जाए। लेकिन तेल पैट्रोलियम रसायन तथा बुनियादी सुविधाओ के क्षेत्र मे कार्यक्रम उपक्रमो के लिए यह राशि 30 प्रतिशत रखी गई है। मुनाफा कमाने वाली सभी कम्पनिया जिनमे सरकारी इक्विटी आधार कम है सरकार को आवश्यक रुप से बोनस शेयर जारी करेगी। इसके अलावा मुनाफा कमाने वाली सयुक्त उद्यम कम्पनियाँ जिनमे सरकार भी ईक्विटीधारक है सरकारी शेयर पर कम से कम 20 प्रतिशत लाभाश अवश्य देगी।

केन्द्र सरकार ने 6 सितम्बर 1996 को पूजी बाजार को बढावा दने के लिए कई रियायतो की घोषणा की। म्युचुअल फड मे निवेश पर पूजी लाभ सीमा बढाने ब्याज आय पर छूट बढाकर 15 हजार रुपये करने और शेयर और ऋणपत्रों पर व्यक्तिगत ऋण सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है।

मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने मुद्रा की आपूर्ति 16 प्रतिशत रखने तथा सीमा शुल्क कम करने के प्रयास करने होगे। इसके अभाव मे विदेशी विनिमय सकट का सामना करना पड सकता है।

आर्थिक विकास की गति को तेज करन के लिए विदेशी पूजी निवेश की महती आवश्यकता है। विगत वर्षो में पूजी निवेश मे वृद्धि अवश्य हुई है। किन्तु विश्व के अनेक देशों की तुलना में भारत में पूजी निवेश कम हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता मे वृद्धि हुई है। भारतीय उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं है। अत विदेशी निवेश चयनित क्षेत्रो मे ही होना चाहिए ताकि भारतीय उद्यमियो के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे।

विदशी पूजी निवेश के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात जो दृष्टिगोचर हुई यह है कि केन्द्र सरकार के पूजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास की आलोचना की जाती है और राज्य सरकारें विदेशी पूजी निवेश को बढावा देने के लिए प्रयत्नशील

है। इस तरह की प्रवृति पूजी निवेश के मार्ग मे बाधक होती है। इसे रोकने की आवश्यकता है। भारत विश्व का बडा बाजार है। यहाँ सस्ता श्रम मौजूद है। बेशुमार प्राकृतिक सम्पदा है। विदेशी निवेशक शोषण करने से नहीं चूकते। विदेशी निवशको को आमन्त्रित करते समय स्वदेशी हितो पर आच नहीं आनी चाहिए तथा तकनीकी के क्षेत्र मे देश को लाभ मिलना चाहिए।

(स) आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरुप (1998-99 से 1999-2000)

सयुक्त मोर्चा सरकार का कार्यकाल (1996-97 और 1997-98) राजनीतिक अस्थिरता से ओतप्रोत रहा। फरवरी, 1998 मे बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। मार्च 1998 मे भाजपा गठबधन सरकार केद्र मे सत्तारुढ हुई। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में नहीं मिली। बारहवीं लोकसभा चुनाव तथा केन्द्र मे नई सरकार के सत्तारुढ होने के कारण 1998-99 का केंद्रीय बजट नियत समय पर पेश नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर चार माह के खर्च के लिए 25 मार्च 1998 को लोकसभा मे अन्तरिम बजट पेश किया गया। 28 मार्च 1998, को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया।

नई केन्द्र सरकार ने बिगडी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए निर्यात वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया। इसे दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन वाणिज्य मत्री रामकृष्ण हेगडे ने 13 अप्रैल, 1998 को सशोधित निर्यात–आयात नीति की घोषणा की, जिसमे 20 प्रतिशत वार्षिक निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्व बैंक ने 1998-99 की पहली छमाही की ऋण व मौद्रिक नीति की घोषणा की। नयी नीति मे बैंक दर मे 1 प्रतिशत की कटौती कर उसे नौ प्रतिशत कर दिया है। नकद सुरिक्षित अनुपात (सीआरआर) मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंको को जमा तथा ऋण गतिविधियो के सचालन मे ज्यादा आजादी दी गई है। बैंक दर 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत तक आ गई है। बैंक दर मे कमी से व्यावसायिक बैंको की प्रमुख ऋण दरे भी स्वत कम हो जाएँगी जिससे उद्योगो के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। अब हर बैंक को मियादी जमाओ के आकार के हिसाब से अलग–अलग ब्याज दर की पेशकश की आजादी रहेगी।

रिजर्व बैंक ने निर्यात के लिए ऋण पुनर्वित्त पूरा सौ फीसदी बहाल कर दिया है। इसके साथ ही मियादी जमाओ की न्यूनतम परिपक्वता अवधि भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। सशोधित निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा 9 मई, 1998 से लागू है। इसके अलावा जहाज दर लदान से पूर्व माल पर दिये जाने वाले 180 दिन तक के निर्यात ऋण की ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर, 1998 को वित्त वर्ष 1998-99 की दूसरी छमाही की मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की। नई नीति मे अल्पकालिक उपायो मे किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बैंकिग

क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर कई दूरगामी सिफारिशें की हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में बैंकों को जोखिम भरी परिसम्पत्तियों के मुकाबले न्यूनतम पूजी का अनुपात वर्तमान आठ प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2000 तक 9 प्रतिशत करने की घोषणा की। मुद्रा बाजार को और अधिक गहरा करने तथा बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को ब्याज के उतार-चढ़ाव के जोखिम से निपटने में समर्थ बनाने के लिए 31 अक्टूबर 1998 से रेपो के दायरे में लाजिर सौदों वाली रेडी फार्वर्ड डील पर न्यूनतम अवधि की पाबंदी खत्म करने की घोषणा की है। नई नीति में बैंक ब्याज दरों, नकद सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) और रैपो दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। नई मौद्रिक और ऋण नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। वर्ष 1998 में विश्व आर्थिक मंदी से ग्रसित था। इससे पूर्व विश्व 1975 1980 तथा 1990 में भी आर्थिक मंदी की चपेट में था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. बिमल जालान के अनुसार वर्ष 1998 99 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा था। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बेहतर है।

केन्द्र सरकार ने 24 अक्टूबर 1998 को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नये आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आर्थिक पैकेज की महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं– भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देशों के तहत कम्पनियों को शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करना कम्पनियों के आपस में निवेश सम्बधी प्रतिबंधों को हटाना कम्पनियों के अधिग्रहण के बारे में न्यायाधीश भगवती की सिफारिशों के अनुरूप कम्पनियों को अधिग्रहीत किये जाने वाले शेयरों की सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के बाद एक महीने में पारदर्शी विनिवेश योजना की घोषणा बीमा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को अल्पमत की हिस्सेदारी देना शेयर बाजारों में कागज रहित डीमैट कारोबार और निपटान की वर्तमान प्रणाली में सुधार नई कम्पनी अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को शीघ्र पारित कराना तथा प्रस्तावित मनी लौंड्रिंग कानून के बारे में उद्योगों के साथ विचार-विमर्श भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वर्ष 1998 के राहत के पैकेज पर सरकार का पूर्ण समर्थन देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और सिल्चर से सौराष्ट्र तक सात हजार किलोमीटर के सड़क नेटवर्क पर 28 हजार करोड़ रुपए का निवेश तीन महीने के भीतर नई दूर सचार नीति देश में ऐसे पांच शहरों की पहचान जहां शत प्रतिशत विदेशी निवेश से हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए तेल खोज के लिए नई सुविधाए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में परिवर्तन के लिए छह सूत्रीय अवधारणा पत्र तैयार करना अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रैंटिंग एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार करने का प्रयास करना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पुनर्गठन का प्रयास करना दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ तीन माह में दडात्मक कार्यवाही आदि। सरकार ने 30 अक्टूबर 1998 को बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से करीब 20 हजार मेगावाट क्षमता तक की बिजली परियो

की स्थापना के लिए ऊर्जा नीति को मजूरी दी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाइयो के करीब ग्यारह हजार कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना के तहत 517 करोड रुपए देने की घोषणा की। केन्द्रीय मत्रीमण्डल ने बी आई एफ आर की सार्वजनिक क्षेत्र की आठ कम्पनियो को बद करने और कर्मचारी देयताएं करने के बाद उन्हे निजी उद्यमियो को बेच देने का फैसला किया गया।

केन्द्र सरकार ने 28 दिसम्बर 1998 को उर्वरक सब्सिडी मे भारी वृद्धि की। देशी फास्फेट पर सब्सिडी 3,500 रुपए से बढाकर 4,400 रुपए प्रतिटन, आयातित फास्फेट पर सब्सिडी 2000 रुपए प्रति टन से बढाकर 3,000 रुपए प्रति टन कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से सब्सिडी पर होने वाल खर्च मे भारी वृद्धि होगी। उर्वरक सब्सिडी आर्थिक सुधारो से अछूती है। आर्थिक उदारीकरण के आठ वर्षो मे केन्द्र सरकार सब्सिडी जैसे सवेदनशील मसले पर कटौती सबधी निर्णय नहीं ले सकी। केद्र सरकार के उर्वरक सब्सिडी मे वृद्धि के निर्णय से राजकोषीय घाटे मे वृद्धि होगी। बढता राजकोषीय घाटा सरकार के लिए पहले से ही सरदर्द बना हुआ है। बढी उर्वरक सब्सिडी का लाभ बडे किसान हडप ले जाते हैं। देश के गरीबों में बडी सख्या भूमिहीन किसानो व सीमात कृषको की है जिनकी माली हालत खस्ताहाल है। बडी सख्या मे किसानो के पास जोतने के लिए जमीन ही नहीं है। देश में अनेक गरीब किसान तो बधुआ मजदूरी के रुप मे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबों को सब्सिडी का लाभ कहा मिल पाता है उल्टा राजकोषीय घाटे के बढने से बडी हुई महगाई की चपेट मे आ जाते हैं। यदि अनावश्यक राज सहायताओ में कमी कर दी जाए तो राजकोषीय घाटा कम होगा इससे मुद्रा स्फीति भी नियत्रित होगी। महगाई के कम होने का लाभ सब गरीबो को मिलता है।

केन्द्र सरकार का सर्वोपरि निर्णय देश की सामरिक सुरक्षा से सबधित रहा। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोकरण मे पाच परमाणु परीक्षण किए। भारत के परमाणु परीक्षणों को लेकर विश्व मे बावेला मचा। अमरीका ने आर्थिक प्रतिबधों की घोषणा की तथा विश्व बैंक ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता स्थगित की। पाकिस्तान ने भी भारत के विरुद्ध परमाणु परीक्षणो के बाद 28 मई, 1998 को परमाणु परीक्षण किए। भारत के आर्थिक प्रतिबधो से रुपए की विनिमय दर मे ऐतिहासिक गिरावट आई। परमाणु परीक्षण आच्छादित वातावरण में वित्त मत्री श्री यशवत सिन्हा ने एक जून 1998 को लोकसभा मे 1998-99 का केंद्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट मे कृषि तथा उद्योगो के विकास को प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्वदेशी उद्योगो की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाने के प्रयास किए गए हैं।

26 जून, 1998 को राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबधन सरकार ने सौ दिन पूरे किये। सौ दिनों में नई सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए। इसमे कृषि के लिए योजना राशि मे 58 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के लिए 1998-99 के बजट मे 50 प्रतिशत वृद्धि, कमजोर वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख नई आवासीय इकाइयों

का निर्माण फिल्म व्यवसाय को उद्योग का दर्जा भारतीय कम्पनियों को भारत से टी वी प्रसारण अपिलिकिंग सुविधा राजस्व बढाने की सरल समाधान और सम्मान योजनाए लघु उद्योगो को अधिक सुविधाए इस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिए कदम सरकारी नौकरी की पात्रता आयु मे 2 वर्ष की वृद्धि आदि मुख्य थे।

(द) उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन

भारत मे आर्थिक सुधारो को लागू किये जाने के बाद विदेशी ऋण पूजी निवेश मे भारी बढोतरी हुई। प्रत्यक्ष विनियोग तथा पोर्टफोलियो विनियोग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। वर्ष 1991 92 मे प्रत्यक्ष विनियोग 150 मिलियन डालर था जो 1992 93 बढकर मे 341 मिलियन डालर 1993-94 में और बढकर 620 मिलियन डालर हो गया। अप्रैल–दिसम्बर 1994-95 मे प्रत्यक्ष विनियोग 756 मिलियन डालर हुआ। इसी प्रकार पोर्टफोलियो विनियोग 1991-92 वर्ष में 8 मिलियन डालर था जो बढकर 1993-94 में 3 493 मिलियन डालर हो गया। भारत मे कुल विदेशी विनियोग 1991 92 मे 158 मिलियन डालर था जो बढकर 1993-94 मे 4 113 मिलियन डालर हो गया। उदारीकरण के फलस्वरुप विदेशी निवेश प्रवाह मे वर्ष 1993 94 1994 95 तथा 1995 96 तीन वर्षो मे 100 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से वृद्धि हुई।

भारत मे हाल ही के वर्षो मे विदेशी पूजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हो रही है। परन्तु वास्तविक प्रवाह मे मजूरशुदा निवेश के मुकाबले काफी कमी है। वर्ष 1994 मे मजूर शुदा निवेश 141 9 अरब रुपये था जबकि वास्तविक प्रवाह केवल 29 72 अरब रपय ही था।

विदेशी विनिमय कोष में बढोतरी आर्थिक सुधारों की सफलता का महत्त्वपूर्ण पहलू है। वर्ष 1991 म विदेशी कोष रसातल की स्थिति मे पहुच गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो के निपटारे मे भारी कठिनाई हुई। विषम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बाह्य सहायता की आर मुखातिब होना पडा। स्वर्ण गिरवी रखने जैसे अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लने पडे। आर्थिक सुधारो की घोषणा के साथ विदेशी विनिमय कोष की स्थिति सुधरने लगी। विदेशी विनिमय कोष पर्याप्त होने के कारण देश के आर्थिक निर्णय बाह्य दबाव से मुक्त रहे। वर्ष 1991-92 में विदेशी मुद्रा कोष 9 22 बिलियन डालर था जो बढकर अगस्त 1994 मे 21 94 बिलियन डालर हो गया। जनवरी 1995 मे विदेशी मुद्रा कोष 19 6 बिलियन डालर था। वर्ष 1995-96 में विदेशी मुद्रा कोष म कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। जून, 1996 मे विदेशी मुद्रा कोष 19 6 बिलियन डालर था। वर्ष 1995 96 मे विदेशी मुद्रा कोष सतोषजनक स्थिति मे था। विदशी विनिमय कोष मे अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश तथा विदेशी सस्थागत निवेश का भाग अधिक है। ये दोनो ही निवेश चलायमान प्रवृत्ति के हैं। विषम आर्थिक स्थिति में इनके द्वारा निवेश राशि आहरित कर लिए जाने के कारण सकट की स्थिति का सामना करना पड सकता है।

हाल ही के वर्षो म भारत के निर्यातो मे भारी बढोतरी हुई। निर्यात वृद्धि

का प्रमुख कारण आयात–निर्यात नीति मे व्यापक बदलाव तथा भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से विदेशी निवेशको को आकर्षित करना है। आज भारतीय उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने लगा है। किन्तु निर्यात वृद्धि के साथ आयातो मे भी तेजी से बढोतरी होने के कारण व्यापार असतुलन मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

थोक मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति नियत्रण में है। मुद्रास्फीति 1993-94 और 1994-95 के 10 प्रतिशत से अधिक के स्तर से घटकर 1995 के अत मे 6 प्रतिशत और 27 जनवरी, 1996 को और घटकर 5 प्रतिशत रह गई। गौरतलब है कि थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 1991-92 के अत में 13 6 प्रतिशत थी। सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत तक सीमित करना है। मुद्रास्फीति के कम होने से निर्यातो मे बढोत्तरी हो सकेगी, साथ ही रुपये की विनिमय दर मे भी सुधार होगा। किन्तु थोक मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति मे कमी का लाभ आम लोगो को नहीं मिला। आम लोगो का वास्ता फुटकर मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रास्फीति से होता है जो आज भी दहाई अक मे बनी हुई है। ग्यारहवी लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च को कम करने मे कारगर भूमिका निभाई अन्यथा चुनावो के बाद मुद्रास्फीति आम लोगो पर कहर बरपा देती। मुद्रास्फीति क कम होने का प्रमुख कारण सरकार द्वारा प्रशासित कीमतो में वृद्धि नहीं करना भी था। सयुक्त मोर्चा सरकार ने 3 जुलाई, 1996 से पेट्रोल की कीमत 25 प्रतिशत, रसोई गैस की कीमत 30 प्रतिशत और हाई स्पीड डीजल की कीमत मे 30 प्रतिशत की बढोतरी की। बाद मे जनता के दबाव के कारण डीजल की कीमतो मे की गई वृद्धि को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इन उत्पादो की कीमतो मे की गई भारी वृद्धि से मुद्रास्फीति की मार जनता को सहनी होगी।

वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर अवस्था मे थी। आर्थिक उदारीकरण की बदौलत तथा काफी हद तक अच्छी वर्षा और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के कारण आर्थिक सूचको में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। नई सरकार आर्थिक नीतियो को सूझ–बूझ के साथ लागू करती हे तो इक्कीसवीं सदी के शुरुआती वर्षो मे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक बडी अर्थव्यवस्था के रुप मे उजागर होगी। आर्थिक उदारीकरण के गत वर्षो मे आर्थिक वृद्धि दर मे सुधार, निर्यातो मे भारी वृद्धि, औद्योगिक सवृद्धि दर मे वृद्धि हुई है।

उपेक्षित आर्थिक सूचक

आर्थिक उदारीकरण का प्रारम्भिक चरण सम्पन्न हो जाने के बावजूद भी अनेक आर्थिक पहलू ऐसे हैं जो आज भी अर्थव्यवस्था के लिए चिताप्रद बने हुए हैं। भारत विश्व का एक बडा कर्जदार देश है। विश्व बैंक ऋण तालिका 1994-95 के अनुसार भारत वर्ष 1993 मे विश्व का तीसरा सबसे बडा ऋणी राष्ट्र था।

भारत पर 91 78 मिलियन डालर का ऋण था जो ब्राजील तथा मैक्सिको के बाद सर्वाधिक था।

भारत पर 1990 91 मे विदेशी ऋण 16 331 करोड रुपये था। यह सकल घरेलू उत्पाद के 28 5 प्रतिशत था। विदेशी ऋण बढकर 1993 94 में 2 84 204 करोड रुपये हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 36 1 प्रतिशत था। सितम्बर 1995 के अन्त मे विदेशी ऋण तेजी से बढकर 3 37 800 करोड रुपये तक जा पहुचा। भुगतान सतुलन की स्थिति पहले से ही विषम है। बढते विदेशी ऋण ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड रहा है। कर्ज का अधिकाश भाग मूलधन और ब्याज अदायगी मे ही खर्च हो जाता है।

वित्तीय अनुशासन आर्थिक सुधार कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। किन्तु इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बढता राजस्व और राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिताजनक बात है। राजस्व घाटा वर्ष 1990 91 मे सकल घरेलू उत्पाद का 3 5 प्रतिशत था। जो बढकर 1993 94 मे (सशोधित अनुमान) 4 3 प्रतिशत हो गया। सकल राजकोषीय घाटा छठी पचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 6 3 प्रतिशत था जो बढकर सातवीं पचवर्षीय योजना मे औसतन 8 2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1995 96 के सशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 33 331 करोड़ रुपये था। वर्ष 1996 97 के बजट अनुमानों मे 33 495 करोड रुपये का राजस्व घाटा छोडा गया। वर्ष के 1995 96 के सशोधित अनुमानों म राजकोषीय घाटा 64 010 करोड रुपये था। वर्ष 1996 97 में अनुमानित राजकोषीय घाटा 64 404 करोड रुपये छोडा गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 9 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे के बढने से मुद्रास्फीति नियत्रण में नहीं रही। भारतीय रुपया डालर के मुकाबले टूटा। 20 अक्टूबर 1995 को भारतीय रुपया गिरकर 35 9 रुपये प्रति डालर के न्यूनतम भाव को छू गया। विदेशी मुद्रा सकट के साथ ही कालमनी सकट भी उत्पन्न हो गया। नवम्बर 1995 में कालमनी बाजार मे ब्याज दर पाच–छ प्रतिशत के सामान्य स्तर से उछलकर 100 प्रतिशत को पार कर गया। स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने करोडों रुपये विदेशी मुद्रा बाजार मे फेंके जिससे माग मुद्रा के स्रोत सूख गए। माग मुद्रा बाजार मे जबरदस्त तगी के चलते बैंकों के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर आर) 15 प्रतिशत से घटाकर 14 5 प्रतिशत कर दिया।

आर्थिक सुधारों का सामाजिक दर्शन

भारत मे दस वर्ष पूर्व प्रारम्भ किए गए आर्थिक सुधारों के दौर म सरचना सम्बन्धी बदलाव किये जाने के कारण आर्थिक घटकों की स्थिति मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। किन्तु भारत गावों का देश है। बहुसख्यक आबादी गावों मे जीवन बसर करती है। आकड़ों के हिसाब से आज भी बीस फीसदी आबादी गरीबी

की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। बडे पैमाने पर आर्थिक विषमता व्याप्त है। दूरदराज के ग्रामीण जन आर्थिक समृद्धि के लाभ से वचित है। उनकी न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति भी मुश्किल से हो पाती है। महगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब तबको पर ही पडता है।

नियाजित विकास के चार दशको में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई किन्तु योजनाओ का अपेक्षित लाभ निर्धनो तक नहीं पहुच सका। आज भी देश मे निरक्षरो की भरमार है। पेयजल समस्या भयावह है। स्तरीय चिकित्सा सुविधा सीमित लोगो का ही मुहैया है। उदारीकरण के दौर मे सरकार ने ग्रामीण जन की दशा सुधारने के लिए भारी भरकम विनियोजन का प्रावधान किया है।

ग्रामीण विकास के प्रयास

ग्रामीण विकास का मुख्य ध्येय ग्रामवासियो का जीवन स्तर सुधारना है। गरीबी उन्मूलन से ही यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वर्तमान मे गरीबी उन्मूलन कन्द्रित अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन में है, जिनमे जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम, नहरु रोजगार योजना प्रधानमत्री रोजगार योजना मुख्य हैं। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमो को बढावा देने के लिए आठवीं पचवर्षीय योजना में 34,425 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कि सार्वजन्कि योजना परिव्यय का 7 9 प्रतिशत है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार का मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लक्षित वर्गों के परिवारों का रहन–सहन गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना औ᳴ गावो मे स्व–रोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना है। सातवीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 8,688 35 करोड रुपए खर्च कर 181 8 लाख परिवारो की सहायता की गई, जबकि छठी याजना मे 4,762 78 करोड रुपए का खर्च कर 165 6 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी।[5] वर्ष 1994-95 मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 675 करोड रुपए योजना परिव्यय से 21 82 लाख परिवार लाभान्वित किए गए। जवाहर रोजगार योजना मे 3,535 करोड रुपए कुल परिव्यय से 9,157 09 लाख मानव दिवस सृजित किये गए। नेहरु रोजगार योजना मे 70 करोड रुपए योजना परिव्यय से 1 25 लाख परिवार लाभान्वित किये गये। प्रधानमत्री रोजगार योजना मे 125 करोड रुपये योजना परिव्यय से 2 71 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।[6]

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर भारी विनियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या भयावह बनी हुई है। शहरो की तुलना मे गावो वेरोजगारी की समस्या विषम है। रोजगार की तलाश मे गावों से लोगों के पलायन के कारण शहरो मे अनेक समस्याएँ घर कर गई है। गावो के औद्योगीकरण के बिना समस्या से निपटना कठिन काम है। बेरोजगारी उन्मूलन सबधी कार्यक्रमो को भी कारगर ढग से लागू करने की आवश्यकता है।

बरोजगारी के बढने से गरीबी की समस्या मुखर हो उठी है। आज भी बीस फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। आर्थिक ससाधनो पर प्रभावी लोगो की मजबूत पकड आर्थिक विषमता का दर्शाती है। समानान्तर अर्थव्यवस्था सरकारी योजनाओ को कारगर सिद्ध नहीं होने देती। देश मे भ्रष्टाचार की जड गहरी है। हाल ही क्रमिक रूप स बडे घोटाले उजागर हुए। जनसख्या विस्फोटक स्थिति मे है। ये सब ऐसी समस्याएँ है जिनका समाधान आवश्यक है।

आर्थिक सुधारो के परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था मे अवश्य ही सुधार की स्थिति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु सामाजिक पक्ष तुलनात्मक रुप से उपेक्षित है। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक दस वर्ष आर्थिक सरचना मे बदलाव और आर्थिक विकास को समर्पित रहे हैं। अब आर्थिक सुधारो के दूसरे चरण म सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की महती आवश्यकता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ की परिस्थितियाँ विकसित राष्ट्रो से पृथक हैं। यहाँ विकास का सामाजिक पहलू भी उतना ही प्रासगिक है जितना कि आर्थिक पहलू।

आर्थिक सुधारों की उपलब्धियाँ
(Achievements of Economic Reforms)

वतमान म भारत विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के वास्ते आर्थिक परिवर्तनो के दौर से गुजर रहा है। देश मे आर्थिक सुधारो को पूरी तरह से लागू करने के लिए दस वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। आर्थिक सुधारो के शुरुआती चरण म अनेक महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए जा चुके हैं। इस दौरान आर्थिक सुधारो की गति इस कदर तेज रही कि भारत की छवि अतर्राष्ट्रीय समुदाय मे तीव्र आर्थिक सुधार कार्यक्रमो वाले देश के रुप मे उभर कर सामने आयी। चीन ने आर्थिक सुधार अस्सी के दशक के प्रारम्भ से शुरु किए नियत्रित अर्थव्यवस्था मे आर्थिक सुधार काफी नियत्रित थे। भारत ने कम समय मे तुलनात्मक रुप से अधिक आर्थिक सुधार लागू कर दिखाए हैं।

आर्थिक सुधारो का प्रारम्भिक चरण पूरा हो चुका है। विदित है कि सुधारो को लागू किए जाने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था खाडी युद्ध के समय आर्थिक सकट की भयावहता से जूझ रही थी। भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बहुत ही विषम हो गई थी। सरकार की नीतिगत पहल से तात्कालिक सकट पर निजात पाने मे सफलता मिल सकी।

आर्थिक सुधारो क शुरुआती वर्षो मे असामयिक घटनाएँ घटी इनमे 1992-93 का प्रतिभूति घाटाला दिसम्बर, 1992 की घटनाए जनवरी 1994 के साम्प्रदायिक दगे मार्च 1994 मे बम्बई बम विस्फोट आदि घटनाएँ प्रमुख हैं। इनके बावजूद आर्थिक सुधारो की गति अविचलित रही। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर अग्रसर है तथा इसमे असामयिक झटको को झेलने की असीम क्षमता मौजूद है। भारत की सकट से निपटने की यह क्षमता

देशी–विदेशी निवेशको को आकर्षित करने मे सहायक सिद्ध हुई।

आर्थिक सुधारो के अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। देश के आर्थिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करे तो स्थिति उत्साहवर्द्धक परिलक्षित होती है।

1. विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि (Increase in Foreign Currency Reserve)

वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत का विदेशी मुद्रा कोष घटकर 9.22 बिलियन डालर तक रसातल तक की स्थिति मे पहुच गया था। आर्थिक सुधारो की बदौलत सकट की स्थिति काबू मे आई। अब भुगतान सतुलन की स्थिति में स्थिरता है। अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ रही है। दीर्घकालीन बढोतरी की राह से रोडे, व्यापार और विदेशी निवेश मे उदारीकरण से समाप्त हो गए हैं। विदेशी मुद्रा कोष फिर से समृद्ध हो गया है। 1993-94 मे यह बढकर 19 25 बिलियन डालर तक पहुच गया है। विनिमय कोष के बढने से इसके उपयोग की समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। मुद्रास्फीति के बढने का खतरा उत्पन्न हो गया। मुद्रास्फीति को काबू मे रखने के लिए प्रशासिन कीमतो में तत्काल परिवर्तन नहीं किया गया। विकासगत जरुरतो तथा बाह्य दायित्वों के निपटारे के कारण विनिमय कोष घटा। विनिमय कोष घटने का प्रमुख कारण आयात बिल का अधिक होना था। वर्ष 1995-96 मे विनिमय कोष में 8 15 बिलियन डालर की कमी हुई। जनवरी, 1999 में से विदेशी विनिमय कोष सतोषप्रद स्थिति मे है। भारत आर्थिक सुधारों को गति देने की स्थिति मे है।

विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि

(बिलियन डालर में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा कोष
1990-91	5 83
1991-92	9 22
1992-93	*9 83*
1993-94	19 25
1994 95	25 19
1995-96	17 04
1996-97	22 37
1997-98	25 98
1998 99	29 52
दिसम्बर 1999	31 99

Source *Indian Economic Survey*, 1998 99 and 1999 2000

2 मुद्रास्फीति पर नियत्रण (Control on Money Inflation)

आर्थिक सुधारो की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सफलता मुद्रास्फीति पर नियत्रण मानी जानी चाहिए। *थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर*

1991 92 के अत म 13 6 प्रतिशत तक पहुच गई थी जा घटकर जनवरी 1993 का 6 9 प्रतिशत तक रह गई 3 जुलाई 1993 को समाप्त हुए सप्ताह मे यह और घटकर 5 8 प्रतिशत ही रह गई। 1996 97 मे मुद्रास्फीति की दर बढकर 6 9 प्रतिशत हा गई जो चिताप्रद स्थिति थी। थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 31 जुलाई 1999 को समाप्त हुए सप्ताह मे 1 62 प्रतिशत रह गई। घटी हुई मुद्रास्फीति की दर आर्थिक उदारीकरण की उल्लेखनीय बात है। पिछले वर्षो मे बढी हुई मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित कीमतो यथा पेट्रोल रसोई गैस डीजल आदि के मूल्यो म वृद्धि करना रहा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत तक सीमित करना है। सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर किये गये आर्थिक सुधारो के कारण मुद्रास्फीति मे कमी आई है। तेज गति से बढ रही मुद्रास्फीति के कम होने से निम्न व मध्यम वर्ग के लोगो को राहत महसूस हुई है।

3 राजकोषीय घाटे में कमी (Decrease in Fiscal Deficit)

राजकोषीय घाटे का अधिक होना विगत वर्षो मे बढी मुद्रास्फीति का मुख्य कारक रहा है। पिछले वर्षो मे सरकार ने राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का प्रयास किया है। केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 1990 91 के सकल घरेलू उत्पाद के 7 7 प्रतिशत से घटकर 1994 95 मे 5 6 प्रतिशत 1996 97 मे 4 7 प्रतिशत रह गया किंतु 1997 98 में राजकोषीय घाटा बढकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 5 प्रतिशत हो गया जबकि लक्ष्य 4 7 प्रतिशत का रखा गया था। राजकोषीय घाटे की इस बढोतरी के लिए आयात शुल्को मे कटौती निर्यातो में बढोतरी उम्मीदो के अनुसार नहीं होना सब्सिडी पर नियत्रण वास्ते मूल्य समायोजन आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1998 99 के बजट अनुमान मे 5 प्रतिशत था।

देश मे वित्तीय और मौद्रिक अनुशासन म उल्लेखनीय सुधार लाने तथा रिजर्व बैंक को प्रभावी मौद्रिक प्रबन्ध के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार की ओर से अधिकतम उधार लेने की सीमा तय कर दी गई है। यह प्रावधान वर्ष 1994 95 के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल की सीमा छह हजार करोड रुपए रखी गई। तदर्थ टेजरी बिलो की व्यवस्था 1997 98 से पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। तदर्थ ट्रेजरी बिल की अधिकतम राशि लगातार दस कार्य दिनों तक नौ हजार करोड रुपये से अधिक होने पर रिजर्व बैंक स्वत तदर्थ ट्रेजरी बिल की राशि को कम कर देगा। ऐसा ट्रेजरी बिलों को नीलाम करके अथवा प्रतिभूति को बाजार मे बेच कर किया जायेगा। अत सरकार निर्धारित की गई सीमा से अधिक धन रिजर्व बैंक से स्वय नहीं ले पाएगी। 1994 95 की प्रथम तिमाही मे सरकार ने रिजर्व बैंक से जो धन लिया वह स्वय निर्धारित सीमा से काफी कम था। स्पष्ट है सरकार वित्तीय घाटे मे कमी वास्ते सचेष्ट है।

राजकोषीय घाटा

(करोड रुपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1990-91	44632	7 7
1994-95	57704	5 6
1995-96	60243	4 9
1996-97	66733	4 7
1997-98 (स अ)	86345	5 5
1998-99 (ब अ)	91025	5 1
1999-2000 (ब अ)	79955	4 1

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

4. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

केन्द्रीय साख्यिकी सगठन के अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि की दर 1991-92 मे 0 8 प्रतिशत थी जो 1992-93 मे 5 1 प्रतिशत हो गई। रिजर्व बैंक की जुलाई, 1992 से जून, 1993 तक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के दौरान कृषि और उद्योग में अच्छे प्रदर्शन के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) मे वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1994-95 म 6 3 प्रतिशत तथा 1995-96 मे और बढकर 7 6 प्रतिशत हो गई। आर्थिक स्थिति मे आमतौर पर सुधार होने के कारण आर्थिक सभावना उज्ज्वल है। भारत मे विश्व के अन्य देशो की तुलना मे सकल घरेलू वृद्धि दर कम है। सिगापुर मे 1996 मे वृद्धि दर 9 प्रतिशत थी तथा अगले पाच वर्षो मे अच्छी वृद्धि दर के बने रहने की सभावना है। भारत मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 मे 5 प्रतिशत तथा 1998-99 के अग्रिम अनुमानो में 5 8 प्रतिशत थी।

सकल घरेलू वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	सकल घरेलू दर
1991-92	0 8
1992-93	5 1
1993-94	5 0
1994-95	6 3
1995 96	7 6
1996 97	7 8
1997-98	5 0
1998-99 (अग्रिम अनुमान)	5 8
1999 2000 (अग्रिम अनुमान)	5 9

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

5 पूजी निवेश में बढोतरी (Increase in Capital Investment)

उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र में की गयी नीतिगत पहल का परिणाम अत्यधिक उत्साहवर्द्धक रहा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में काफी वृद्धि हुई है। नई नीति में अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया है तथा कई मामलों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना दिया गया है इससे औद्योगिक विकास का अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में पूजी निवेश में और अधिक वृद्धि होने की सभावना है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान देश में विदेशी निवेश में तेजी से बढोतरी हुई है। वर्ष 1991-92 के दौरान देश में 15 करोड 80 लाख और 1992-93 के दौरान 43 करोड 30 लाख डालर का विदेशी निवेश हुआ जो 1993-94 के दौरान अप्रत्याशित रूप से बढकर 411 करोड डालर हो गया। *अप्रैल–दिसम्बर, 1994-95 में 389 7 करोड डालर का* विदेशी निवेश हुआ इसमें 75 6 करोड डालर प्रत्यक्ष विनियोग तथा 314 1 करोड डालर पोर्टफोलियो विनियोग था। मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वास्तविक प्रवाह में भारी अतर है। वर्ष 1991 में मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 534 करोड रुपए था जबकि वास्तविक प्रवाह केवल 351 करोड रुपए ही था। वर्ष 1997 में मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 54,891 करोड रुपए तथा वास्तविक प्रवाह 16,425 करोड रुपए था।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(करोड रुपए)

वर्ष	मजूरशुदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वास्तविक प्रवाह
1991	534	351
1992	3888	675
1993	8859	1787
1994	14190	3289
1995	32070	6820
1996	36150	10389
1997	54891	16425
1998 (अक्टूबर)	24454	11821
1999 (अक्टूबर)	23795	11093

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999 2000

6 औद्योगिक वृद्धि दर (Industrial Growth Rate)

औद्योगिक वृद्धि दर 1992-93 में 2.3 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 1991-92 म 0 6 प्रतिशत की दर से अधिक थी। औद्योगिक सवृद्धि दर 1995-96 में तेजी से बढकर 12 8 प्रतिशत तक जा पहुची थी। कृषि पैदावार में वृद्धि का

सकारात्मक असर औद्योगिक उत्पादन पर पडा। बाद के वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर मे कमी हुई। औद्योगिक **वृद्धि** दर 1996-97 मे 5 6 प्रतिशत, 1997-98 मे 6 6 प्रतिशत तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998-99 मे 3 5 प्रतिशत रही।

औद्योगिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औद्योगिक वृद्धि दर
1991-92	0 6
1992-93	2 3
1993-94	6 0
1994-95	8 4
1995-96	12 8
1996-97	5 6
1997-98	6 6
1998-99 (अप्रैल–दिसम्बर)	3 5
1999-2000 (अप्रैल–दिसम्बर)	6 2

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

7. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate)

आर्थिक उदारीकरण के दौर मे कृषि वृद्धि दर सतोषप्रद रही। वर्ष 1992-93 मे कृषि क्षेत्र मे रिकार्ड 5 9 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई। विगत दस वर्षों (1989-98) में मानसून अनुकूल रहा। वर्ष 1996 का मानसून पिछले पाच वर्षों मे सबसे अच्छा रहा। अच्छे मानसून के कारण कृषि विकास पर अनुकूल प्रभाव पडा। कृषि वृद्धि दर 1994-95 मे 5 प्रतिशत, 1996-97 मे 9 1 प्रतिशत तथा 1998-99 मे 3 9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। वर्ष 1998-99 मे खाद्यान्न उत्पादन 195 2 मिलियन टन था। वर्ष 1995-96 मे 4,931 करोड रुपए के खाद्यान्न का निर्यात किया गया।

कृषि विकास

(करोड रुपए)

वर्ष	कृषि वृद्धि दर (प्रतिशत)	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)
1994-95	5 0	191 5
1995-96	-2 7	180 4
1996-97	9 1	199 4
1997-98	-6 0	192 4
1998-99 (प्रा)	3 9	195 2
1999 2000 (प्रा)	-2 2	199 1

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

8 निर्याता में उल्लेखनीय वृद्धि (Increase in Exports)

मुद्रास्फीति दर को एक अक तक काबू में रखे जाने विदेशी पूजी निवेश को बढावा दिए जाने तथा रुपए की परिवर्तनीयता से भारतीय वस्तुओं के निर्यात म प्रतिस्पर्धा बढी है। भारत का निर्यात 1991 92 म 44 041 करोड रुपए था जो बढकर 1995 96 म 1 06 353 करोड रुपए तथा 1997 98 म और बढकर 1 26 286 करोड रुपए हो गया। निर्यात वृद्धि दर 1991 92 म 35 3 प्रतिशत 1993 94 म 29 9 प्रतिशत तथा 1995 96 म 28 6 प्रतिशत थी।

वर्ष 1995 96 म डालर म निर्याता म 20 7 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय रही। वाणिज्य मत्रालय ने अगले पाच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि (डालर) का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य सन् 2000 में निर्यात 75 बिलियन डालर तक पहुचाने को ध्यान म रखकर निर्धारित किया गया है। वर्ष 1995-96 म निर्यात 31 797 मिलियन डालर था जबकि 1994 95 म 26 330 मिलियन डालर का निर्यात हुआ। आयाता में भी तेजी से बढातरी हुई। वर्ष 1994 95 म आयात 28 654 मिलियन डालर था जो बढकर 1995 96 मे 36 678 मिलियन डालर तक जा पहुचा। आयातो म 28 प्रतिशत की तीव्र बढातरी हुई।

देश का व्यापार घाटा कम होकर वर्ष 1991 92 में 3 810 करोड रुपए रह गया। वर्ष 1993 94 के म व्यापार घाटा 3 350 करोड रुपए था भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1994 की रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के दौरान बाहरी ऋण की मात्रा म मामूली तौर पर बढोतरी हुई। पूजी खाते म सकारात्मक शेष बनाने के लिए यह जरूरी है कि निर्यात विकास दर को 15 प्रतिशत के आसपास बनाया रखा जाए। व्यापार घाटे को कम करके ही आतरिक वित्तीय जरुरतों के लिए ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अकुश लगाया जा सकता है और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना म बाहरी ऋणा म आनुपातिक कटौती की जा सकती है वर्ष 1994 95 म व्यापार घाटा 2 027 मिलियन डालर था जो तेजी से बढकर 1995 96 मे 4 539 मिलियन डालर तक जा पहुचा।

दृष्टिकोण (Attitude)

आर्थिक सुधारा के परिणाम अति उत्साही नहीं है। कुछ आर्थिक सूचकों में सुखद परिणामा के लिए कृषि क्षेत्र का सहयोगी रुख उल्लेखनीय रहा है। आर्थिक सुधारा के शुरुआती वर्षो में औद्योगिक सवृद्धि दर का काफी कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंतनीय पहलू था। अस्सी के दशक में औद्योगिक सवृद्धि दर आर्थिक सरचना के अन्य क्षेत्रा से अधिक थी आर्थिक सुधारा को लागू किए जाने के साथ यह अपेक्षित गति से नहीं बढी 1991 92 म तो औद्योगिक सवृद्धि दर शून्य के आस–पास रही। आर्थिक सक्रमण काल म औद्योगिक विकास दर म वृद्धि आर्थिक सुधारो की प्रासगिकता और आज की आवश्यकता है।

आर्थिक सुधारा के चलते गरीबी और बेकारी को नियत्रित करने के लिए

प्रभावोत्पादक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 म गत वर्ष की तुलना मे अधिक राशि आवटित की गई। वर्ष 1992-93 मे इस योजना के अत्तर्गत 2,556 22 करोड रुपये का आवटन किया गया, जिसे 1993-94 मे बढाकर 3,306 करोड रुपये कर दिया गया। शिक्षित बेरोजगारो के लिए नई 540 करोड रुपये अनुदान वाली स्वरोजगार योजना 2 अक्टूबर, 1993 से लागू की गई, इससे देश के दस लाख शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार के नये अवसर मिल सकेगे। वर्तमान मे गरीबी, बेकारी की भयावह समस्या को देखते हुए ये प्रयास थोडे हैं। आज देश में 30 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त है तथा अगस्त 1992 के अत मे 371 लाख शिक्षित बेरोजगार थे जबकि देश मे 48 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। अत देश के कुल बेरोजगारो की सख्या दिल दहला देने वाली है। भारत सरकार ने कुल बजट प्रावधानो का अधिकाश भाग ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है। फिर भी ग्रामवासियो की माली हालत मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे रोजगार सृजन के क्षेत्र मे कम सफलता मिली। भारत में श्रम शक्ति मे 2 5 प्रतिशत वार्षिक बढोतरी हो रही है जो जनसख्या वृद्धि दर से अधिक है जबकि रोजगार वृद्धि दर केवल 2 3 प्रतिशत ही है। आठवीं पचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों मे केवल 24 मिलियन रोजगार मुहैया कराए गए जबकि माग 94 मिलियन रोजगार की थी। आज भारत मे लगभग 25 मिलियन बाल श्रमिक हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमो और विदेशी निवेश को आमत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनसे राष्ट्रहित प्रभावित न हो, जहाँ तक नवीन टैक्नोलोजी का सवाल है, जो कि आज की अनिवार्यता है, अनावश्यक रुप से विरोध करना भी लाजिमी नहीं है।

भारत में आर्थिक सुधारों के परिणाम (गरीबी, बेकारी) को छोडकर उत्साहवर्द्धक रहे हैं। कम समय मे इनसे अर्जित उपलब्धियो को कम आक कर नहीं चलना चाहिए फिर अभी तो हमने आर्थिक सुधारो को पूरी तरह से लागू भी नहीं किया है। कुछ क्षेत्रों मे अवश्य निराशा मिली है मगर इसके लिए आर्थिक सुधार जिम्मेदार नहीं होकर देश मे घटित असामयिक घटनाएँ उत्तरदायी हैं। आर्थिक सुधारो ने देश को सकट की स्थिति से उबार कर सबल प्रदान किया। आर्थिक सुधारो की सफलता से भारत की छवि आर्थिक जगत में निखर कर सामने आई है। विकासशील देशो मे बढती हुई मुद्रास्फीति के शिकजे ने आर्थिक सुधारो को बुरी तरह से प्रभावित किया वहीं भारत ने इस पर नियत्रण रखने में सफलता प्राप्त की है।

आर्थिक सुधारो के अच्छे परिणामो को देखते हुए इनकी गति को तेज किये जाने की आवश्यकता है। अछूते क्षेत्रो को शीघ्र ही आर्थिक सुधारो के दायरे मे लिया जाना चाहिए। जिस मुस्तैदी से केन्द्र सरकार आर्थिक सुधारो को लागू कर रही है, राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इसमे सहयोग करे। ऐसा होने से देश मे

औद्योगिक विकास तथा जनता मे आर्थिक सुधारो के प्रति अनुकूल वातावरण बनेगा। आर्थिक सुधारो का अनावश्यक विरोध नहीं हो, सकारात्मक आलोचना हो, जिससे इन्हे राष्ट्रहित मे लागू करने मे मदद मिल सके।

आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम

1. आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय विषमता (Economic Reforms and Regional Disparities)

आज आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दस वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक आर्थिक सुधारों के फलितार्थ का प्रश्न है। समर्थकों द्वारा सफलता का ज्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि नवीन आर्थिक नीतियो के ऋणात्मक फलितार्थ ज्यादा हैं। आम देशवासियों को नई नीतियों से अपेक्षित राहत नहीं मिली। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता, असतुलित विकास आदि समस्याएँ आज भी व्याप्त हैं। आकडों के लिहाज से गरीबो की सख्या अवश्य कम हुई है। वर्ष 1987-88 में 25 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। वर्ष 1993-94 मे 19 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की समस्या विकट है। आज भी 21 फीसदी ग्रामीण तथा 11 2 फीसदी शहरी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी के इन आकडों पर दृष्टिपात करने से यह परिलक्षित होता है कि देश की बडी आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है, मगर वास्तविकता कुछ और ही है। देश के अनेक भागों मे आज भी लोग बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु नियोजित विकास के चार दशकों मे सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमो की तुलना मे निजी क्षेत्र को कम तरजीह दी गई। आज आर्थिक खुलेपन के दौर मे निजीकरण का बोलबाला है किन्तु इन्हें बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा मे छोड दिया गया है। स्वदेशी उद्यमी इस स्थिति मे नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय निगमो से प्रतिस्पर्धा मे टिक सके, नतीजतन देश के उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के साथ समन्वय तथा सयुक्त उपक्रम के लिए बाध्य हो रहे हैं।

भूमडलीकरण के दौर मे विकासशील देशों मे भारी विदेशी पूजी निवेश हुआ। भारत अपेक्षाकृत कम विदेशी पूजी आकर्षित कर सका। वर्तमान मे विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र मे कडी प्रतिस्पर्धा है। विकसित राष्ट्र भारत की उपेक्षा करने की स्थिति मे नहीं है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। यहाँ सस्ता श्रम बहुतायत में है। प्राकृतिक ससाधनों की कमी नहीं हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे भी भारत प्रगति के पथ पर है। अर्थव्यवस्था के भूमडलीकरण से हाल के वर्षों मे भारत में विदेशी पूजी निवेश बढा है।

आर्थिक खुलेपन में जितना विदेशी पूजी निवेश स्वीकृत किया गया है।

उसके मुकाबले वास्तविक पूजी निवेश काफी कम है। वास्तविक विदेशी पूजी निवेश मे सतुलित विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण देश मे क्षेत्रीय विषमता की समस्या मुखर हो उठी है। विदेशी पूजी निवेश ऐसे राज्यो मे अधिक आकर्षित हुआ है जहाँ विकास की कोई समस्या नहीं है। उल्टा विकसित राज्यो मे अधिक विदेशी पूजी निवेश से तीव्र औद्योगीकरण जनित समस्याओ मे बढोत्तरी हुई। प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्यो यथा राजस्थान, बिहार, उडीसा आदि की पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई। इन राज्यो मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। विदेशी पूजी विनियोजन के साथ-साथ केन्द्रीय पूजी विनियोजन की दृष्टि से भी ये राज्य कुछ उपेक्षित रहे, नतीजतन औद्योगिक विकास गति नहीं पकड पाया। बढती क्षेत्रीय विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सकेत नहीं है। किसी भी क्षेत्र का पिछडापन समूची अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है।

पूजी विनियोजन का सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्र एव गुजरात को मिला है। इन राज्यों के पाच जिलो सूरत, भडौच, जामनगर, मुम्बई एव रत्नगिरी में जितना पूजी निवेश हुआ है, वह पूरे पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार एव चण्डीगढ मे हुए निवेश से कहीं ज्यादा है।

भारत विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र मे अधिक देशो को आकर्षित नहीं कर पाया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों ने ही अपेक्षाकृत अधिक पूजी निवेश किया। अगस्त, 1991 से अक्टूबर, 1994 तक स्वीकृत कुल विदेशी पूजी निवेश 239 मिलियन डालर मे विभिन्न देशो का योगदान इस प्रकार रहा—अमेरिका 34 5 प्रतिशत, ब्रिटेन 10 3 प्रतिशत, जापान 6.3 प्रतिशत, स्विट्जरलैण्ड 6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया 2 6 प्रतिशत, हालैण्ड 2.9 प्रतिशत, इटली 3 प्रतिशत।

देश मे केन्द्रीय पूजी विनियोजन भी क्षेत्रीय विषमता का प्रमुख कारण है। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो में अन्य राज्यो के मुकाबले मे राजस्थान मे बहुत ही कम निवेश हुआ है। वर्ष 1993-94 मे किए गए एक अध्ययन के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो मे जो कुल निवेश हुआ, उसमे से मात्र 1 80 प्रतिशत ही राजस्थान मे निवेश हुआ, उस समय राजस्थान मे कुल 3,576 करोड रुपये ही केन्द्र की हिस्सा पूजी थी। इसके मुकाबले गुजरात में 6 60 प्रतिशत, महाराष्ट्र मे 19 76 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश मे 8 06 प्रतिशत तथा आध्र प्रदेश मे 8 06 प्रतिशत विनियोजन हुआ। राजस्थान मे केन्द्र सरकार की अगुलियो पर गिने जा सकने वाली औद्योगिक परियोजनाएँ हैं।

प्राकृतिक ससाधनों से समृद्ध राजस्थान, उडीसा, बिहार आदि राज्य आर्थिक विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछडे हुए हैं। क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर निजात पाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार कम विकसित राज्यो मे अधिकाधिक पूजी विनियोजन पर ध्यान केन्द्रित करे। राजस्थान मे तेल शोधक कारखाना नहीं है। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा मे तेल शोधक कारखाने

स्थापित हो चुके है।

2 राष्ट्रीय समस्याओ के घेरे में आर्थिक सुधारो की प्रासगिकता

भारत मे बेतहाशा गति से बढती आबादी प्रमुख समस्या है। आबादी की विकरालता के सामने देश की अथाह सपदा सीमित नजर आने लगी है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसख्या की दशकीय वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत रही। यद्यपि यह वृद्धि दर 1981 की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर 24 66 प्रतिशत की तुलना मे कम है फिर भी यह भयावह है। वर्तमान मे जनसख्या की औसत वृद्धि दर 2 14 प्रतिशत अन्य देशो के मुकाबले अत्यधिक है।

भारत की राष्ट्रीय आय 1980 81 के मूल्यों पर वर्ष 1984 85 मे 1 39 808 करोड रुपये थी जो बढकर 1993 94 मे 2 02 670 करोड रुपए हो गयी। 1993-94 मे समाप्त नौ वर्षो मे राष्ट्रीय आय मे 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि प्रति व्यक्ति आय मे इसी दौरान केवल 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय 1980 81 के मूल्यो पर वर्ष 1984 85 मे 1 811 रुपये थी जो बढकर 1993 94 मे 2 282 रुपये ही हो पायी। देश की राष्ट्रीय आय मे तो तेजी से बढोतरी हो रही है किन्तु जनसख्या तेजी से बढने के कारण प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित गति से नहीं बढ पा रही है। स्पष्ट है कि आबादी आर्थिक वृद्धि मे बाधक बनी हुई है।

(i) गरीबी पर निजात मुश्किल काम

भारत में गरीबी का मूल कारण अनुकूलतम स्तर को पार कर चुकी जनसख्या ही है। गरीबी प्रमुख राष्ट्रीय समस्या के रूप मे उभरी है। देश मे पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो का विवेकपूर्ण दोहन कर गरीबो की सख्या को अवश्य ही कम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने गरीबो के उत्थान वास्ते प्रयास नहीं किए हो। स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षो से ही गरीबी उन्मूलन सबधी अनेक कारगर योजनाए घोषित की गईं। आज भी वर्ष दर वर्ष नवीन योजनाओ की घोषणा की जा रही है। हाल ही के वर्षो मे ग्रामीण विकास व्यय मे भारी बढोतरी की गई है किन्तु जिस तरीके से गरीबी उन्मूलन योजनाओ का क्रियान्वयन हो रहा है और बेतहाशा राशि खर्च की जा रही है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गरीब लोग लाभान्वित हो रहे है। यदि गरीबी उन्मूलन सबधी योजनाओ के क्रियान्वयन मे सुधार नहीं आता है तो यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के आते–आते राष्ट्र गरीबी पर निजात पा सकेगा। नियोजित विकास के दौरान यद्यपि गरीबो की सख्या मे कमी आई है किन्तु आज भी गरीबी के आकडे चौंकाने वाले ही हैं।

भारत मे वर्ष 1983 84 मे 27 10 करोड व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे। वर्ष 1987 88 मे गरीबो की सख्या कम होकर 23 77 करोड रह गई। वर्ष 1983 84 से 1987 88 के बीच गरीबी मे 14 फीसदी कमी आई। फिर भी देश मे वर्ष 1987 88 मे 29 9 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा

से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त थी। कुछ राज्यो मे तो गरीबी का खुला ताण्डव नृत्य मौजूद है। उडीसा मे 44 7 प्रतिशत बिहार म 40 8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश मे 35 प्रतिशत, तमिलनाडु मे 32 8 प्रतिशत, कर्नाटक मे 32 प्रतिशत, राजस्थान मे 24 4 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। समृद्ध राज्य भी गरीबी की समस्या से अछूते नहीं है। गुजरात मे 18 4 प्रतिशत हरियाणा मे 11 6 प्रतिशत, पजाब मे 7 2 प्रतिशत, महाराष्ट्र मे 29 2 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है।

देश के गरीबो में बहुसख्यक आबादी ग्रामवासियो की है। आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी ग्रामवासियो की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी है। गरीबो की सख्या तो शहरो मे भी कम नहीं है। किन्तु शहरो मे येन–केन प्रकारेण गरीब लोग रोजी–रोटी की व्यवस्था कर ही लेते है। शहरी क्षेत्रो मे जो गरीब हैं प्राय वे गावो से शहरो की ओर पलायन करके आए लोग ही है। गावो मे ससाधनो के अभाव मे कष्टप्रद जीवन से छुटकारा पाने के लिए ये मजबूरन शहरो की ओर पलायन करते हैं किन्तु विडम्बना ही है कि शहरो मे भी गरीबी इनका पीछा नहीं छोडती। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए भारी भरकम विनियोजन को ग्रामीण भारत की ओर मोडना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ कारगर पहल की आवश्यकता भी है।

(ii) आर्थिक सुधारों से रोजगार सृजन

देश मे रोजगार चाहने वालो की सख्या और रोजगार के उपलब्ध अवसरो के बीच भी अतराल है नतीजतन बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। वर्ष 1994-95 मे रोजगार के योग्य लोगो की सख्या मे 82 50 लाख की वृद्धि हुयी जबकि रोजगार के अवसर 60 लाख लोगो को ही मिल पाये हैं। इस अतराल को उद्योग-धधो एव व्यावसायिक गतिविधियो का विस्तार करके पाटा जा सकता है। जिस तरह का रोजगार देश में उपलब्ध हैं और जैसा रोजगार युवक चाहते हैं इनके बीच अतर भी बढती बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। 31 मार्च, 1981 को नियोजन कार्यालयो मे रोजगार चाहने वालो की सख्या 178 38 लाख थी। यह सख्या बढकर दिसम्बर, 1991 मे 363 लाख हो गई। एक दशक के अतराल मे रोजगार चाहने वालों की सख्या मे 103 फीसदी वृद्धि हुई।

आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक वर्षो मे यह दृढता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि रोजगार के अवसरो मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आर्थिक खुलेपन में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आधुनिकतम मशीनो का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति का उपयोग विगत वर्षो की तुलना में कम हुआ है। फिर भी आर्थिक सुधारो की अवधि (1990-95) मे रोजगार 2 प्रतिशत की दर से बढे हैं। रोजगार के अवसर मे ढाचागत बदलाव अवश्य आया है। अनुभव यह बताता है कि भारत में श्रम प्रधान तकनीक की उपादेयता आगामी वर्षो तक बनी रहेगी। अत भारत की बहुसख्यक ग्रामीण आबादी को दृष्टिगत रखते हुए, हाल ही के वर्षो

मे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो की सीमित हुई भूमिका से बचे हुए वित्तीय ससाधनो को ग्रामोत्थान सबधी योजनाओ मे विनियोग किया जाना चाहिए।

देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगो मे रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है। वर्ष 1992 मे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगो मे 270 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे। इसमे सार्वजनिक क्षेत्र मे 192 10 लाख तथा निजी क्षेत्र मे 78 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे।

रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु एव कुटीर उद्योगो की महती भूमिका है। अब आर्थिक सुधारो के गति पकडने के साथ सगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढने की सभावना है। निकट भविष्य मे स्वदेशी एव विदेशी पूजी निवेश के और अधिक बढने से औद्योगीकरण को बल मिलेगा। उद्योगों में उत्पादन पूरी तरह होने के बाद उत्पादो के विपणन से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होगे। भारत मे रोजगार पन्ख निर्माण और वाहन उद्योगो का तेजी से विकास हो रहा है। भविष्य में सगठित क्षेत्र मे रोजगार के अवसर बढने से बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी।

3. भूमडलीकरण से उपजते सकट

भूमडलीकरण में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता आर्थिक सरचना में एक मूलभूत बदलाव था। देश मे बाजार भूमडलीकृत व्यवस्था के शुरुआती वर्षों मे रुपये की विनियम दर मे स्थायित्वता से अर्थव्यवस्था मे मजबूती की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। इससे आर्थिक सुधारो की गति को भी तेजतर करने में मदद मिली। किन्तु वर्ष 1995-96 के सितम्बर, अक्टूबर माह मे रुपये के डालर की तुलना मे टूटने से भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चिताप्रद स्थिति उत्पन्न हो गई। गौरतलब है कि दिसम्बर, 1994 से अक्टूबर, 1995 तक डालर के मुकाबले भारतीय रुपये का लगभग दस प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। देश मे आर्थिक सुधारो की शुरुआत ही रुपये की विनिमय दर मे कमी से की गई। सरकार ने जुलाई, 1991 मे दो बार रुपये का अवमूल्यन किया। भूमडलीकरण के पहले साढे चार वर्षो में भारतीय रुपया डालर के मुकाबले तकरीबन 30 फीसदी सस्ता हो गया।

रुपये की कमजोरी के व्यापक प्रभाव अन्तर्निहित है। अभी भारत आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक चरणो मे है। यहाँ की आर्थिक समस्याएँ अन्य राष्ट्रों से विषम हैं। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता आदि समस्याए मुँहबाए खडी हैं। इन समस्याओ के रहते आर्थिक सकट की स्थिति से निपटना मुश्किल काम है। खाडी युद्धजनित आर्थिक सकट को अभी हम भूले नहीं है। ध्यातव्य है कि युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। अर्थव्यवस्था में अभी भी इतनी मजबूती नहीं आ पाई है कि आर्थिक सकट की स्थिति का सामना बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकें। अत आर्थिक क्षेत्र में सजगता की बेहद जरुरत है। सक्रमण काल में उत्पन्न किसी आर्थिक सकट को प्रारम्भिक अवस्था मे ही नियत्रित करना आवश्यक है। जरा भी ढील से स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। 'मैक्सिको सकट' ज्वलत है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। मैक्सिको के अभूतपूर्व सकट से

विश्व के समक्ष बडा सकट उत्पन्न हो गया था। मैक्सिको समृद्धि की ओर अग्रसर था। भारी विदेशी पूजी निवेश था। मुद्रास्फीति भी काबू मे थी। मैक्सिको मे सत्ता परिवर्तन के साथ भुगतान सतुलन की दशा को सुधारने के लिए 'पेसो' का अवमूल्यन किया गया। पेसो का अवमूल्यन तथा अन्य आर्थिक कारणो का वहाँ के अर्थतत्र पर ऐसा विषम प्रभाव पडा कि विदेशी निवेशको ने अपना निवेश अन्यत्र स्थानान्तरित करना प्रारम्भ कर दिया। मैक्सिको सकटग्रस्त हो गया। मैक्सिको का विदेशी मुद्रा भडार 29 सितम्बर, 1995 को 14 699 अरब डालर रसातल तक पहुँच गया। मैक्सिको मे कर छूट, साख–सुविधा के जरिए उत्पादन बढाना, बेरोजगारी उन्मूलन आदि सुविधाएँ भी उत्पादन बढाने मे कारगर साबित नहीं हो पायी हैं।

भारत को मैक्सिको सकट से सबक लेना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे देश मे मैक्सिको सकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर मे कमी को रोकने के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। रुपये के और टूटने से देश मे आर्थिक सकट के शुरु होने की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। बदले परिवेश मे विदेशी निवेशको के विश्वास मे आई जरा भी कमी से अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो सकती है।

आर्थिक सुधारों के संतुलित प्रभावों की आवश्यकता

भारत में लागू किये गये आर्थिक सुधारो की अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अनुकूल प्रतिक्रियाएँ हुईं। इससे सुधारो की गति को त्वरित बल मिला। हल्के विरोध को छोडकर समूचे देश मे आर्थिक सुधारो के प्रति सकारात्मक वातावरण है। किन्तु आर्थिक सुधारों के सतुलित प्रभावो की ओर दृष्टिपात करे तो यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि आर्थिक सुधारो से क्या देश के सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था असतुलित विकास का शिकार रही है। योजनाबद्ध विकास के विगत चार दशको मे सतुलित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षो मे भी इस दिशा में विशेष पहल नहीं की गई। बिहार और उडीसा सहित पूर्वी तथा पूर्वोत्तर आर्थिक दृष्टि से पिछडा है, इनकी तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब तथा हरियाणा जैसे पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के राज्य समृद्धि की ओर बढते जा रहे है। समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक उत्पादो के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं और औद्योगिक इकाइयाँ, बाजार की निकटता प्राप्त करने के लिए समृद्ध क्षेत्रो मे ही स्थापित की जाती है। महाराष्ट्र गुजरात और दिल्ली की ओर विदेशी निवेशक अधिक आकर्षित हुए हैं। 1993-94 मे महाराष्ट्र मे 1,668 68 करोड रुपये तथा दिल्ली मे 957 94 करोड रुपये के पूजी निवेश की पुष्टि हुई। इसके विपरीत बिहार तथा पश्चिमी बगाल मे नाम मात्र का पूजी निवेश हुआ। बिहार मे 51 97 तथा पश्चिमी बगाल मे 48 94 करोड रुपये की पूजी निवेश की पुष्टि हुई। विदेशी पूजी निवेश प्रस्तावो की सख्या की दृष्टि से तो स्थिति और भी दयनीय है। महाराष्ट्र मे विदेशी निवेश के 136 प्रस्ताव पास किये

गए जबकि बिहार मे यह सख्या मात्र 4 थी।

विदेशी पूजी निवेश से सम्बन्धित चिंतनीय पहलू यह है कि इसके लिए हम कुछ ही देशो पर निभर हें जबकि इसमे विविधता हानी चाहिए अर्थात् अधिकाधिक देशो द्वारा पूजी निवेश हो तथा वर्ष दर वर्ष निवेश मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो जिससे अर्थव्यवस्था मे उतार–चढाव न आए। भारत मे यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

वर्ष 1993 मे 8 205 72 करोड रुपये का विदेशी पूजी निवेश हुआ जो कि 1991 से 1994 के बीच हुए कुल निवेश 14 470 करोड रुपये के आधे से अधिक है। अमरीका ने आर्थिक उदारीकरण के पहले तीन वर्षो में कुल विदेशी निवेश का एक तिहाई 5 452 62 करोड रुपये लगाए थे 1994 की पहली छमाही में केवल 573 39 करोड रुपये ही निवेश किया।

विदेशी पूजी निवेश के सबध मे दो बात स्पष्टत सामने आई है कि एक तो विदेशी पूजी निवेश ऐसे क्षत्रों की ओर आकर्षित हुआ है जो पहले से ही समृद्ध है एव जो बुनियादी सुविधाओ से सुसज्जित है तथा दूसरी बात लाभप्रद उद्योगो में ही अधिक निवेश हुआ है। स्थायी उपभोक्ता वस्तुओ तथा पूजीगत वस्तुओ के क्षेत्र में पूजी निवेश आकर्षित नहीं हुआ है।

आर्थिक खुलेपन के दौर मे कृषि क्षेत्र की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाना चिताजनक बात है। उदारीकरण के दौर में कृषि के लिए जो कुछ भी किया गया है वह अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यल्प है। विश्व के सबसे बडे कृषि प्रधान देश भारत में 80 फीसदी आबादी कृषि से ही जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय आय मे भी कृषि की महत्त्वपूर्ण भागीदारी बनी हुई है। कृषि उद्योगों का आधार तथा अर्थव्यवस्था की रीढ है। ऐसे में कृषि की उपेक्षा आश्चर्यजनक है। औद्योगिक क्षेत्रो मे मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादक को अपना पक्ष रखने की पर्याप्त छूट मिलती है। किन्तु कृषि क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।

भारत आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक चरण में है किन्तु परिणामों में परिपक्वता स्पष्टत परिलक्षित होती है। अभी आर्थिक सुधारो का लम्बा सफर तय करना है। आशा की जानी चाहिए कि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की ओर विकास वास्ते मुस्तैदी से ध्यान दिया जाएगा। विदेशी पूजी निवेश ऐसे क्षेत्रों की ओर मोडा जाना चाहिए जो विकास से अछूते हैं। इसे लाभप्रद उद्योगों से विकर्षित कर प्राथमिकता वाले उद्योगो की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक क्षेत्र पिछडे हुए हैं। अत विदेशी निवेश को उर्जा परिवहन तथा सचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा कोष में रिकार्ड वृद्धि हुई है यह 1991 92 के 5 63 बिलियन डालर के मुकाबले दिसम्बर 2000 मे 31 9 बिलियन डालर तक बढ चुका है। बढे हुए विदेशी मुद्रा कोष का विकासोन्मुख उपयोग आवश्यक है अन्यथा यह मुद्रास्फीति का एक बडा

कारण बन सकता है। औद्योगिक उत्पादन और विनिवेश गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1 *राजस्थान पत्रिका* 23 अगस्त 1996 पृ 14

2 *वही* 2 जुलाई 1996

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 नवीन आर्थिक नीति पर टिप्पणी लिखिए।

2 उदारीकरण के आर्थिक और सामाजिक दर्शन का उल्लेख कीजिए।

3 आर्थिक उदारीकरण के बदलते स्वरूप का सक्षेप मे वर्णन कीजिए।

4 आर्थिक सुधारो के सतुलित प्रभावो की आवश्यकता पर सक्षिप्त लेख लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे आर्थिक उदारीकरण के दौर मे किये गए बदलावो का वर्णन कीजिए।

(सकेत – अध्याय मे नई आर्थिक नीति मे सम्मिलित शीर्षको यथा सरचना मे मूलभूत बदलाव आर्थिक सुधारो का दूसरा चरण उदारीकरण का बदलता स्वरूप उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन का उल्लेख करना है।)

2 आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियो की विवेचना कीजिए।

(सकेत – प्रश्न के उत्तर मे अध्याय मे दी गई आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियो को लिखना है।)

3 आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामो का वर्णन कीजिए।

(सकेत – अध्याय में दिए गए आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामो को लिखना है।)

भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी परिपेक्ष्य

(Futuristic View of Indian Economy)

बीसवीं सदी के लगभग पाच दशक गुजर जाने के बाद राजनीतिक बागडोर भारतीयो के हाथो मे आई। आततायियों ने प्राचीनकाल की समृद्धि को तहस-नहस करने मे कोई कसर नहीं छोडी। स्वातन्त्र्योत्तर जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान वास्ते नियोजित विकास का मार्ग चुना गया। अप्रैल 1951 से पहली पाच साला योजना की शुरुआत हुई। निरन्तर चार दशक तक सरकारी प्रवृत्तित योजनाएँ आर्थिक विकास पर छाई रहीं। विश्व के विकासशील राष्ट्रो मे भारत महत्त्वपूर्ण राष्ट्र के रूप मे उभरा। कृषि क्षेत्र मे हुई प्रगति नियोजित विकास की महत्त्वपूर्ण देन है। विशाल जनसख्या के लिए खाद्यान्न की अतिरेक आपूर्ति अवश्य ही उल्लेखनीय बात है। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप मे भी छवि उभर कर सामने आई। किन्तु तेजी से बढती आबादी ने अर्जित उपलब्धियो को समेट कर रख दिया। देश की जनसख्या वृद्धि यदि सामान्य रहती तो भारत आज विकास की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रो मे होता।

आजादी के शुरुआती मे ही अंगीकृत की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह खूबी रही कि भारत विश्व मे होने वाले आर्थिक बदलाव के साथ अर्थव्यवस्था का समायोजित कर लेता है। नियोजित विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश के विकास मे सारगर्भित भूमिका निभाई। वर्तमान मे समूचा विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर मे है। भारत मे निजी क्षेत्र की भूमिका तेजतर गति से बढ रही है। यहाँ वर्ष 1991 से आर्थिक सुधारो को सहजता से लागू किया जा रहा है। इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था का परिवेश काफी बदल चुका होगा।

भारत में विकास की अकूत सभावनाए भरी पडी हैं। वित्तीय ससाधनो तथा आधुनिकतम टेक्नालाजी के अभाव के कारण प्राकृतिक ससाधनो का भरपूर विदोहन

नहीं किया जा सका है। सस्ता और कुदरती मेहनती श्रम यहां पर्याप्त मात्रा मे मौजूद है। तकनीशियनो का भी यहा अभाव नही है। ऐसी स्थिति मे लाभ बटोरने वास्ते अधिकाधिक विदेशी निवेशक आकर्षित होगे। विश्व का हरेक सक्षम देश भारत के विशाल बाजार के लाभ से विमुख नहीं होना चाहेगा। स्वदेशी उद्यमियो को भी जागरुक होना पडेगा। विदेशी उद्योगो से प्रतिस्पर्धा मे देश के कुछ ही औद्योगिक घराने सक्षम है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे उपभोक्ताओ को लाभ होना स्वाभाविक है, किन्तु अनेक स्वदेशी उद्योगो के बाजार से बाहर हो जाने का भय व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए विदेशी निवेशको के साथ सयुक्त क्षेत्र के उपक्रमो की स्थापना को बल मिल सकता है।

व्यावसायिक ऋणो में बढोतरी

वढ रहे वित्तीय घाटे की समस्या पर निजात पाने के लिए वर्ष 1994-95 के बजट मे किये गए प्रावधानो के मुताबिक केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से लगातार दस दिन तक 9,000 करोड रुपए का ऋण नहीं ले सकेगी। अन्यथा रिजर्व बैक ऋण-पत्र जारी कर केन्द्र सरकार से प्रचलित व्यावसायिक ब्याज वसूल करेगा। दूसरे रुप मे रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार का वजट घाटा पूरा करने के लिए नोट छापना बद करेगा। पिछले वर्षो मे सरकार की आय की तुलना मे खर्चो मे कमी नहीं की जा सकी नतीजतन रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार घाटे की पूर्ति के लिए नोट छापने पडे। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप मे बढता ही चला गया। बढते हुए वित्तीय घाटे ने मुद्रास्फीति की दर को त्वरित गति से बढाया। वित्तीय घाटा 1990-91 मे सकल घरेलू उत्पाद के 8 4 प्रतिशत तक पहुच गया तथा मुद्रास्फीति भी दहाई अक को पार कर गई। 1993-94 मे वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 7 3 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य इसे 4 प्रतिशत तक सीमित करने का था। अब केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले धन की सीमा तय कर दिये जाने से सरकारी खर्च पर अकुश रखने मे मदद मिलेगी और वित्तीय घाटा भी कम हो सकेगा। तीन वष के भीतर अर्थात 1996-97 तक रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार को ऋण देना और बजट घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त नोट छापना बद कर देगा। 1996-97 के बाद केन्द्र सरकार को बजट घाटा पूरा करने और तात्कालिक वित्त आवश्यकता पूरी करने के लिए ब्याज की प्रचलित दरो पर बाजार से व्यावसायिक ऋण लेना पडेगा। राज्य सदैव केन्द्र से वित्तीय अनुदान बढाने की माग करते रहते हैं। अब केन्द्र के साथ–साथ राज्यो को भी वित्तीय अनुशासन बरतना पडेगा।

आर्थिक और सामाजिक सपन्नता

देश और विदेशो मे भारत की आर्थिक प्रगति के बारे मे इतना दृढ विश्वास पैदा हो गया है कि प्रतिभूति घोटाले के बावजूद वर्ष 1993-94 मे देश के उद्योगो मे 1 7 अरब डालर की विदेशी और 28,000 करोड रुपये की देशी पूजी लगाई गई। यदि देश की अर्थव्यवस्था मे सुधारो की गति इसी प्रकार बनी रही तो धर्म,

जाति भाषा और क्षेत्रीयता जैसे सकीर्ण मतभेदो के स्थान पर व्यक्तिगत और सामाजिक सम्पन्नता देश की एकता की स्थायी कडी बन जाएगी। किसी भी लोकतान्त्रिक एव गतिशील अर्थव्यवस्था मे शुरुआत मे सामाजिक और राजनीतिक तनाव हो सकते है लेकिन इसका एकमात्र समाधान आर्थिक विकास की गति तेज बनाए रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बडी खूबी यह रही है कि कुछ अपवादो को छोडकर देश के आर्थिक ढाचे और प्रणालियो मे आमूल–चूल परिवर्तन मे वह सामाजिक कठिनाइया और तनाव नहीं आये जो अन्य कई देशो को भुगतने पडे।

आर्थिक सुधारो के शुरुआती मे यह आशका व्यक्त की गई थी कि देश विदेशी ऋण के जाल मे फस जाएगा। मगर हकीकत यह है कि विदेशी ऋण 1993 94 मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 40 प्रतिशत था जो वर्ष 1994 95 मे घटकर 35 प्रतिशत रह गया है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार बढकर देश के आठ माह के आयात खर्च के बराबर हो गया है

विकास दर मे बढोतरी आवश्यक

अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक के उत्तरार्ध मे कम से कम सात के आठ प्रतिशत वार्षिक विकास की दर से बढानी होगी।

मजबूत होती अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था मे हुए बदलावो से विश्व मे भारत की विश्वसनीयता बढी है। क्रय शक्ति के आधार पर यदि विनिमय दर की गणना की जाए तो चीन और भारत दुनिया की सबसे बडी अर्थव्यवस्था होगी। भारत के तेजी से बढते हुए उपभोक्ता बाजार को दृष्टिगत रखते हुए अमरीका भी आर्थिक सबधो मे बढोतरी का इच्छुक है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अगले 15 वर्षो मे प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 3 5 प्रतिशत हो जाने की सभावना है। पिछले 15 वर्षो मे यह दर 2 5 प्रतिशत रही है। भारत मे पिछले वर्षो मे किये गये आर्थिक सुधारो के फलस्वरुप यह वृद्धि सभव हो सकेगी।

कृषि मे वाणिज्यीकरण पर बल

कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश मे बढोतरी की जाए तो आर्थिक विकास की गति भी बढ सकती है। सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कृषि म कुल 21,450 करोड रुपये का पूजी निवेश किया गया। इसमे सरकारी क्षेत्र का 33 27 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र का 67 73 प्रतिशत योगदान रहा। आठवी पचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1992-93 मे कृषि मे 4,617 करोड रुपये का पूजी निवेश किया गया। प्रभावोत्पादक प्रयासो से कृषिगत उत्पादन को त्वरित गति से बढाया जा सकता है। डुकल प्रस्तावो की स्वीकृति से भा.्त को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। अतर्राष्ट्रीय परिवेश मे अ्िकाधिक लाभ अर्जित करने वास्ते भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना होगा। देश की सर्वाधिक गरीबी गावो मे है। कृषिगत वाणिज्यीकरण देश का कायाकल्प कर सकता है। कृषि मे सरकारी निवेश काफी कम है। कृषिगत अनुसधान पर सरकार को बल देने की आवश्यकता है। कृषिगत अनुराधानो से कृषि उत्पादिता मे ठहराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उत्पादिता और गुणवत्ता मे वृद्धि बिना स्वर्णिम अवसरो के लाभ से वचित हो सकते है।

व्यापक सुधारो की आवश्यकता

भारत को 7 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए व्यापक सुधारो की आवश्यकता है। भारत रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमो और घाटे मे चल रहे विद्युत बोर्डो की भारी कीमत चुका रहा है। ऐसे मे उसे आर्थिक सुधारो के अधूरे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूजी निवेश की आवश्यकता है। पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था से समरसता के लिए भारत मे और सुधार तथा सात प्रतिशत या उससे भी अधिक विकास दर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। हाल ही के वर्षो (1995-96) मे देश मे औद्योगिक और आर्थिक विकास की गति मे रिकार्ड वृद्धि हुई है, लेकिन गति तेज करने के लिए सुधार कार्यक्रम जारी रखना तथा विदशी निवेश प्रोत्साहित करना आवश्यक है। किन्तु ऊर्जा का अभाव, खस्ताहाल

सडके रेल परिवहन तथा बदरगाहों सहित अविकसित आधारभूत ढाचागत आदि विकास मे प्रमुख बाधा हैं। देश मे आधारभूत ढाचा क्षेत्र म निवेश आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं। देश मे बिजली दूर सचार सडको और बदरगाहो की स्थिति म पर्याप्त सुधार के लिए अगले पाच वर्षों मे (1996 2000) कुल 200 अरब डालर के घरेलू और विदेशी निवश की आवश्यकता है।

विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (अगस्त 1996) के अनुसार विश्व बैंक का आकलन है कि भारत को सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 6 प्रतिशत विकास दर बनाये रखने क लिए वर्ष 1996 मे आठ अरब डालर और अगले चार वर्ष तक प्रति वर्ष 13 अरब डालर की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत विकास दर को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वष लगभग दस अरब डालर के विदेशी निवेश की जरुरत है। विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सरकार ने खाद्यान्ना और उर्वरको के लिए सहायता कम नहीं की तो आर्थिक सुधारों के लाभ जल्दी ही समाप्त हा जाएगे। विश्व बैंक का मत है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनिया को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारो के अवसरों मे कमी करनी चाहिए बैंक ने सरकार द्वारा बजट घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद क लगभग 3 5 प्रतिशत तक किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इससे प्रति वर्ष 7 प्रतिशत विकास दर के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। 1991 के आर्थिक सकट से देश तेजी से उभरा है और देश म 1991 से 1996 क बीच विकास की गति स्थायीकरण और ढाचागत सुधार कार्यक्रम लागू करने वाले अन्य देशो की तुलना मे अधिक रही है।

विकास की भावी प्राथमिकताए

भारत में आठवीं पचवर्षीय योजना मार्च 1997 म समाप्त हो चुकी है। एक अप्रैल 1997 स नौवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन मे है। भारत इक्कीसवीं सदी मे प्रवेश के समय नौवीं याजना ही क्रियान्वयन मे रहेगी। दूसरे शब्दा मे इक्कीसवीं शताब्दी मे भारत क आर्थिक विकास का मार्ग नई योजना प्रशस्त करेगी। भारत के आर्थिक विकास म नियाजित विकास की प्रभावी भूमिका रही किन्तु आज भूमडलीकरण का युग है। समय के बदलाव के साथ नियोजित विकास की प्राथमिकताओं को बदलना प्रासगिक हा गया है। प्राथमिकताओ को बदलते वक्त भारत की आर्थिक *परिस्थितियों को ध्यान मे रखना आवश्यक है। नियोजित विकास मे प्रति व्यक्ति* आय में वार्षिक वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी यह विश्व में तुलनात्मक रुप स काफी कम है। नियाजित विकास में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि इस प्रकार रही— प्रथम योजना 1 7 प्रतिशत द्वितीय योजना 1 9 प्रतिशत तृतीय योजना 0 1 प्रतिशत चतुर्थ योजना 0 9 प्रतिशत पाचवी योजना 2 6 प्रतिशत छटी योजना 3 2 प्रतिशत तथा सातवीं याजना 3 6 प्रतिशत। भारत में आर्थिक विकास की दर भी अपेक्षाकृत कम है परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति अनिवार्य वस्तुओ की उपलब्धता कम है। साढे

चार दशक के नियोजन काल मे भारी विनियोजन के बावजूद भी गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। नियोजित विकास की भावी व्यूह रचना में साक्षरता, मानव ससाधन, प्राकृतिक ससाधन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय असतुलन, आर्थिक विषमता आदि विकास कार्यो पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। इक्कीसवीं सदी मे प्रवेश के समय आधारभूत प्राथमिक आवश्यकताएँ यथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धि, चिकित्सा सुविधाएँ, गावो मे सम्पर्क सडके, आवास आदि नियोजित विकास की प्राथमिकताएँ हो।

आबादी एक अरब के पार

भारत की आबादी 15 अगस्त, 1999 को एक अरब की सीमा पार कर गई। इस तरह भारत चीन के बाद एक अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश हो गया। वाशिगटन स्थित पर्यावरण अनुसधान सगठन "वर्ल्ड वाच" ने भविष्यवाणी की है कि भारत को अब मुख्य खतरा अन्य देश द्वारा सैनिक आक्रमण से नहीं हो सकता है, लेकिन एक अरब की आबादी से भारत को खतरे का सामना करना पड सकता है। मौजूदा समय मे भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2 5 प्रतिशत सेना पर खर्च करता है। जबकि स्वास्थ्य पर सिर्फ 0 7 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य में परिवार नियोजन भी शामिल है।

भारत के लिए एक अरब की आबादी पार करना खुशी की बात नहीं है क्योकि आधी आबादी निरक्षर है। आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और एक–तिहाई लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर–बसर कर रहे हैं। एक अरब की सीमा पार करने से पहले ही भारत की आबादी की माग उसके प्राकृतिक ससाधन आधार से आगे निकल गई है। इस स्थिति में भारत को अपनी प्राथमिकताएँ तेजी से पुनर्निर्धारित करनी पडेगी वरना भारत के समक्ष जनसख्या के दुष्चक्र मे फसने का खतरा पैदा हो जायेगा।

निवेश बढने की संभावना

अमरीका समेत अन्य बडे औद्योगिक देशो मे रह रहे अनिवासी भारतीय (एन आर आई) तथा दूसरे निवेशको के भारत मे पूजी निवेश बढाने की सभावना है। पूजी निवेश मे वृद्धि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशको की राह मे मौजूद बाधाओ को दूर करने के लिए उठाए गए कदमो पर निर्भर करेगा। इन बाधाओ में परियोजनाओ की मजूरी मे विलम्ब तथा लम्बी प्रक्रियाए शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का लगातार उदारीकरण भी आवश्यक है। जून–जुलाई 1999 के कारगिल सकट से भारत द्वारा भली–भाति निपट जाने से विदेशी निवेशको का भारत मे विश्वास काफी बढा है।

ब्याज दरो में कमी की सभावना

वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार वर्ष 1999 मे मुद्रास्फीति की निम्न दर, डालर के मुकाबले रुपए की स्थिरता और औद्योगिक सुधार के सकेतो को दृष्टिगत

रखते हुए रिजर्व बैक द्वारा ब्याज दरो में कमी किय जाने की सभावना है। विश्लेषकों के अनुसार डालर के मुकाबले रुपया करीब–करीब स्थिर बना हुआ है और आने वाले दिनो मे मुद्रास्फीति के नियन्त्रित रहने की उम्मीद है। उद्योगो मे प्रारभिक सुधार के लक्षण नजर आने लगे हैं। ऐसे मे ब्याज दरो मे कटौती के लिए मजबूत आधार दृष्टिगोचर होता है। अप्रेल–मई 1999 2000 मे औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 6 3 प्रतिशत रही है और कई क्षेत्रो मे सुधार के ठोस प्रमाण है। कारगिल सकट के बावजूद देश मे विदेशी मुद्रा भडार भी काफी है।

गरीबो के घटने की सभावना

योजना आयोग के आकलन के अनुसार नौवीं योजना के अत तक गरीबी की दर का मौजूदा स्तर 29 18 प्रतिशत से घटकर 17 98 प्रतिशत रह जाएगी। सन् 2001-02 तक ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी की दर मौजूदा 30 55 प्रतिशत से घटकर 18 61 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रो मे 25 58 प्रतिशत से घटकर 16 46 प्रतिशत होगी। *सन् 2011-12 तक गरीबी की दर 4 37 प्रतिशत पर लाने के लिए* कृषि क्षेत्र के विकास के जरिये रोजगार के नये अवसर पैदा किये जाने चाहिए। नौवीं योजना अवधि के दौरान श्रम शक्ति 4 500 लाख हो जाएगी और इस अवधि के दौरान 4 430 लाख कार्य शक्ति का सृजन किया जाएगा। नौवीं योजना अवधि के दौरान श्रम शक्ति की वृद्धि सर्वाधिक होगी और अधिक तेजी की स्थिति मे सरचनात्मक कारणो से वृद्धि को मूर्त रुप नहीं दिया जा सकेगा। योजना बाद की अवधि मे पूर्ण रोजगार के प्रयास किये जाने चाहिए। सन् 2007 तक तक पूर्ण *रोजगार का लक्ष्य अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा। बाद की योजना मे आर्थिक वृद्धि 7 4* प्रतिशत वार्षिक होगी। नौवीं योजना अवधि मे बेरोजगारी मे वृद्धि टालने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि तेज करने की आवश्यकता होगी। जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमो को क्षेत्रीय रुप दिया जाना चाहिए। यदि नौवीं योजना मे सात प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत तक पहुच जाती है तो योजना अत तक बेरोजगारी 70 लाख लोगों के बजाय 20 लाख लोगा की सख्या म ही रहेगी। इसके लिए उत्पादन एव सम्बद्ध सेवा क्षेत्रा को और *बढावा देना पडगा। इससे सन् 2007 तक बेरोजगारी नगण्य हो जायेगी।*

कृषि अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रक्ष्य

नौवीं योजना मे जमीन की कमी भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक चुनौतीपूण तथ्य बन जाएगा और जल एव भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग विकास प्रक्रिया के केन्द्र बिन्दु होगे। भारत पहली बार पूर्वी एशियाई देशो जैसे आबादी घनत्व का सामना कर रहा है। भारत की जनसख्या 1991 मे 84 6 करोड थी तथा जनसख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 274 था। योजना आयोग के आकलन के अनुसार 1996 97 म जनसख्या 93 8 करोड थी। जनसख्या के 2001-02 म 101 06 करोड तथा 2006 मे 109 9 करोड हो जाने का अनुमान है। जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 मे 2 14 प्रतिशत रही। योजना

आयोग के आकलन अनुसार भारत में कृषि योग्य भूमि 14 करोड 10 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बनी हुई है। योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान कुल बुवाई क्षेत्र मे सालाना 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बाद के दशको मे पहले घटकर लगभग 0 6 प्रतिशत तथा फिर 0 3 प्रतिशत रह गई और अब इसमे कोई वृद्धि नहीं हो रही है।[1] कुल बुआई क्षेत्र 1991-92 मे 14 करोड हैक्टेयर था जो बढकर 1996-97 मे केवल 14 1 करोड हैक्टेयर होने का अनुमान है तथा इसके 2001-2002 मे भी 14 1 करोड हैक्टेयर होने का अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र म मामूली वृद्धि का अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र 1991-92 मे 18 2 करोड हैक्टेयर था जो बढकर 1996-97 मे 19 1 करोड हैक्टेयर हो गया। इसके 2001-02 मे 19 7 करोड हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है।

राष्ट्रीय गरीबी अनुपात की प्रलम्बता

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1996 97	2001-02	2006-07	2011-12
ग्रामीण	30 55	18 61	9 64	4 31
शहरी	25 58	16 46	9 28	4 49
कुल	29 18	17 98	9 53	4 37

स्रोत *दी इकोनोमिक टाइम्स,* नई दिल्ली, 2 मार्च 1998

भारत की कृषि में कुल बुआई क्षेत्र मे स्थिरता और समग्र बुआई क्षेत्र मे मामूली वृद्धि की दशा मे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि ही एक ऐसा तरीका है जिससे कृषि की उत्पादिता बढाकर बढती आबादी की अतिरेक माग को पूरा किया जा सकता है तथा कृषिगत उत्पादो के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हाल की पचवर्षीय योजनाओ ओर वार्षिक योजनाओ मे सिचाई सुविधाओ के विस्तार पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय मे सिचाई पर व्यय मे वृद्धि की गई है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय मे सिचाई बाढ नियत्रण पर 32,525 3 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, जिसे बढाकर नौवीं योजना मे 57,735 करोड रुपए कर दिया गया जो गत योजना की तुलना मे 77 5 प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि के परिणामस्वरुप समग्र सिचित क्षेत्र मे वृद्धि हुई। समग्र सिचित क्षेत्र 1991-92 मे 7 6 करोड हैक्टेयर था जो बढकर 1996-97 मे 8 9 करोड हैक्टेयर हो गया, इसके 2001-02 मे 10 2 करोड हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है। भविष्य मे भूमिगत जल भण्डारों के सीमित होने की सम्भावना है। अत भविष्य में पानी के भण्डारण और विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होगी। सिचाई सुविधाओ का विस्तार करके फसल उत्पादन क्षमता मे वृद्धि की जा सकती है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार उत्पादन सघनता

1991-92 मे 1 30 तथा 1996-97 मे 1 35 थी। फसल उत्पादन सघनता कम होने का कारण सिंचित क्षेत्र का अभाव रहा है। भारत मे आज भी समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना मे समग्र सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। यह 1991-92 मे 41.5 प्रतिशत तथा 1996-97 मे 46 9 प्रतिशत था। समग्र सिंचित क्षेत्र के 2001-02 मे 51 7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

योजना आयोग ने कृषि वृद्धि तेज करने के लिए चार सूत्री रणनीति अपनाने का सुझाव दिया है। नौवीं योजना मे कृषि वृद्धि दर 4 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र मे साढे तीन से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र मे निवेश 2,20,260 करोड रुपए तक बढाने को कहा गया है जो आठवीं योजना के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र मे निवेश मे काफी कमी हुई।

कृषि क्षेत्र की चुनौतिया

कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतिया उतनी ही कडी हैं जितनी की बीते कल की थी। कृषि की चुनौतिया का साहस और बुद्धिमता के साथ सामना करना होगा। कृषि की चुनौतियों का सामना करके ही भारत न केवल घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकता है। बल्कि विश्व व्यापार सगठन के तहत् प्राप्त अवसरों का लाभ उठाकर कृषि उत्पादो का निर्यात भी बढा सकता है। उससे किसानो की आय बढेगी। कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतियो मे 2011-12 तक वर्तमान (1999) खाद्यान्न उत्पादन 20 करोड 30 लाख टन को कम से कम डेढ गुणा करना, दुग्ध उत्पादन कम से कम तिगुना करना, कृषि भूमि की उत्पादकता बढाना तथा नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि में दलहन उत्पादन मे क्रमश 3 5, 4 9 तथा 5.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि शामिल है।

भारत के सामने एक प्रमुख समस्या भूमि की है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भविष्य में भूमि और घटेगी। ऐसी स्थिति मे कृषि योग्य भूमि बढाने का एक मात्र उपाय बजर, लवणीय क्षारीय और जलमग्न भूमि का पुनरुद्धार है। ऐसी भूमि की उर्वरता सामान्य कृषि भूमि से कम होगी। ऐसी स्थिति मे कृषि योग्य भूमि की उर्वरता बढाने वास्ते समुचित प्रौद्योगिकी विकास करना कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। एक अन्य चुनौती समेकित फसल प्रबधन से सभी फसलों विशेषकर नकदी फसलो की उत्पादन लागत घटाना और उसकी गुणवत्ता बढाना। तभी विश्व व्यापार सगठन के तहत भारत कृषि उत्पादों का निर्यात बढा सकेगा। कृषि वैज्ञानिकों को विशेष परिश्रम से फसलो की ऐसी किस्मे विकसित की जानी चाहिए जिनके लिए उर्वरकों और कीटनाशको की कम जरुरत हो तथा जिनसे पर्यावरण को भी फायदा पहुचे और प्राकृतिक ससाधन भी सरक्षित व सुरक्षित रहे।

ग्रामीण विकास पर बल की आवश्यकता

देश की कुल आबादी में ग्रामीणों का भाग 74 प्रतिशत है जो छह लाख

से अधिक गावो मे जीवन बसर करते हैं। ग्रामीण जनो की माली हालत दयनीय है। गावो के पिछडेपन को दूर करने तथा गॉववासियो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाए क्रियान्वयन मे है। किन्तु ग्रामीण विकास योजनाओं की कारगर क्रियान्विति नहीं होने से ग्रामीण परिवेश की दशा मे सुधार की प्रवृति दृष्टिगोचर नहीं हुई। नौवीं पचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओ मे ग्रामीण विकास पर बल दिया गया है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण विकास पर 34,425 4 करोड रुपए का सार्वजनिक परिव्यय निर्धारित किया गया जिसे बढाकर नौवीं पचवर्षीय योजना मे 74,942 करोड रुपए कर दिया गया है जो कि गत पचवर्षीय योजना से 117 7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1997-98 मे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार पर 8,356 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) व्यय किया गया जो 1998-99 के बजट के अनुमानो मे 18 6 प्रतिशत बढकर 9,912 करोड रुपए हो गया।

विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर 1995-96 के सशोधित अनुमानो के अनुसार केन्द्रीय योजना परिव्यय इस प्रकार रहा जवाहर रोजगार योजना 2,955 करोड रुपए, रोजगार आश्वासन योजना 1,816 करोड रुपए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 656 करोड रुपए, इन्दिरा आवास योजना 492 करोड रुपये, नेहरु रोजगार योजना 68 करोड रुपए तथा प्रधानमत्री रोजगार योजना 145 करोड रुपए। रोजगार योजनाओं पर परिव्यय वृद्धि से विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की भूमिका बढी है। वर्ष 1995-96 के सशोधित अनुमानों मे जवाहर रोजगार योजना से 8,958 25 लाख, रोजगार आश्वासन योजना से 3,465 27 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 20 90 लाख परिवार लाभान्वित (प्राविजनल) तथा ट्राइसेम से 2 87 लाख युवक प्रशिक्षित किये गए। शहरी क्षेत्रो की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना नेहरु रोजगार योजना से 1 25 लाख परिवार लाभान्वित, 92 95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा 67 हजार व्यक्तियो का प्रशिक्षित किया गया।

नियोजन काल के गत पचास वर्षों मे देश मे गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाए बनी। ग्रामीण विकास की योजनाओ पर भारी भरकम विनियोजन किया गया। किन्तु योजनाओ का कारगर क्रियान्वयन नहीं हो सका। योजनाएँ कागजो तक ही सिमट कर रह गई। विकास की योजनाओ से जरुरतमद व्यक्तियो को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका, परिणामस्वरुप आकडों मे ही गरीबी कम हो सकी। देश मे आज गरीबी का ताण्डव है। गाव और गरीबो की दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास और ग्रामीण अवसरचना पर बल देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1 कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 1997

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 कृषि अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए।
2 कृषि की चुनौतियो की विवेचना कीजिए।

निवन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्थ के भावी परिदृश्य पर प्रकाश डालिए।
(सकेत – अध्याय म दिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था के भावी परिदृश्य को लिखना है।)

आर्थिक नियोजन का अर्थ और महत्त्व

(Meaning and Importance of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का सक्षिप्त परिचय

वर्तमान मे विश्व के सभी देश परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते प्रयासरत हैं। आज के आर्थिक उदारीकरण के युग मे भी आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। विश्व के पूजीवादी अथवा साम्यवादी देशों मे आर्थिक नियोजन की चर्चा की जाती है। विकसित ओर विकासशील देशो मे भी आर्थिक नियोजन की उपादेयता रही है। विकासशील देशो मे तो आर्थिक नियोजन का विशिष्ट महत्त्व होता है क्योकि इन देशो मे विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए वित्तीय ससाधनो का अभाव होता है। सभी देशो के लिए आर्थिक नियोजन का सारगर्भित महत्त्व है। विश्व के देशो ने आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए आर्थिक नियोजन को आत्मसात किया है। सर्वप्रथम सोवियत रुस ने 1928 मे आर्थिक नियोजन को अपनाया। रुस से प्रेरणा लेकर अनेक विकासशील राष्ट्रो ने आर्थिक नियोजन के मार्ग का अनुसरण किया। आर्थिक नियोजन के सबध मे प्रो रार्बिन्स के ये शब्द उपयुक्त हैं "आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त समस्याओ के निराकरण की एक अचूक रामबाण औषधि है। कल्याणकारी राज्य क आदर्श की प्राप्ति का एक मात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है।" इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई देशो ने आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकारा। विश्व के किसी भी भाग मे गरीबी विश्व शाति और समृद्धि को खतरा है। यही कारण है कि विकसित देश विकासशील राष्ट्रो को आर्थिक सहायता देने वास्ते प्रयासरत है।

आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाए
(Meaning and Definitions of Economic Planning)

विश्व के विभिन्न देशो की भौगोलिक प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितिया

पृथक–पृथक हैं जिसके परिणामस्वरुप विभिन्न देशो की आर्थिक प्राथमिकताए भी अलग–अलग हैं। ऐसी स्थिति म आर्थिक नियोजन मे विभिन्न बातो पर अलग–अलग स्तर पर बल दिया गया है। अत आर्थिक नियोजन की सर्वमान्य धारणा नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियो ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा मे तकनीक व विनियोग पर बल दिया है तो कुछ अर्थशास्त्रियो ने इसके उद्देश्यो पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के कई रुप बन गए हैं। विभिन्न अर्थ विशेषज्ञो द्वारा दी गई आर्थिक नियोजन की परिभाषाए इस प्रकार हैं–

1 **प्रो गुन्नार मिर्डल** के अनुसार आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय प्रशासन की वह महत्त्वपूर्ण व्यूह रचना है जिसके आधार पर सरकार द्वारा बाजार तत्र की स्वतत्रता मे हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ऊचा उठाने के प्रयास किए जाते हैं।

प्रो गुन्नार मिर्डल विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजन मे सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं तथा अर्थव्यवस्था सबधी व्यूह रचना में सरकार की सक्रियता पर बल देते हैं।

2 **प्रो एच डी डिकिन्सन** के अनुसार नियोजन मुख्य आर्थिक निर्णय की क्रिया है जिसमे क्या और कितना उत्पादन करना है कैसे कब और कहा उत्पन्न किया जाना है तथा निर्णायक सत्ता के सजग निर्णय व समस्त अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर उसे किसको आवटित किया जाना है। इन सब बातो के विषय मे सबधित अधिकारी द्वारा सपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यापक परीक्षा के पश्चात् सचेष्ट एव महत्त्वपूर्ण निर्णय करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।

प्रो डिकिन्सन उत्पादन एव वितरण पर सुनिश्चित व अधिकृत प्रणाली स्थापित करने को आर्थिक नियोजन समझते हैं।

3 **श्रीमती बार बारा वूटन** के अनुसार किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक एव जान–बूझकर आर्थिक प्राथमिकताओ के चयन की क्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।"

श्रीमती वूटन आर्थिक नियोजन को एक प्रणाली मानती है जिसके अन्तर्गत अर्थतत्र के नियत्रण द्वारा निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति के प्रयत्न किये जाते हैं।

4 **प्रो हेयक** के अनुसार उत्पादन क्रियाओ का एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा निर्देशन आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रो हेयक आर्थिक नियोजन म केवल निर्देशन तत्त्व पर ध्यान देते हैं।

5 **डॉ डाल्टन** के अनुसार व्यापक अर्थ म आर्थिक नियोजन व्यापक साधनो के प्रभारी व्यक्तिओ द्वारा आर्थिक क्रियाओ को चुने हुए लक्ष्य की ओर जानबूझकर निर्देशित करना है।

6 **प्रो रोबिन्स** के अनुसार एक दृढ निश्चय अभिप्राय एव विकल्प लेकर कार्य करना ही नियोजन है उन्होने अन्यत्र लिखा है कि आर्थिक नियोजन उत्पादन व विनिमय की निजी क्रियाओ का सामूहिक नियत्रण या दमन है। रोबिन्स की धारणा है कि जीवन के सामान्य व्यवहार मे अनेक विकल्पो को सामने रखकर यदि कोई कार्य सोद्देश्यपूर्ण ढग से सम्पन्न किया जाता है तो वह नियोजन है। अनेक विकल्पो मे सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किसी कार्य के करने को रोबिन्स आर्थिक नियोजन कहते हैं।

7 **श्री एल लोरविन** के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक सगठन की ऐसी योजना है जिसमे व्यक्तिगत इकाई उपक्रम एव उद्योग को सम्पूर्ण प्रणाली की समन्वित इकाई माना जाता है और जिसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि मे समस्त उपलब्धो के प्रयोग द्वारा लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति करके अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करना होता है।

8 **पण्डित जवाहरलाल नेहरु** के अनुसार नियोजन का अर्थ केवल कार्यसूची बना लेना नहीं है न ही यह राजनैतिक आदर्शवाद है। नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक पद्धति है जिसक अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यो को निर्धारित करते हैं एव प्राप्त करते हैं। नेहरु जी आर्थिक नियोजन में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यो की प्राप्ति पर बल देते हैं।

9 **भारतीय योजना आयोग** ने आर्थिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है आर्थिक नियोजन मूल रुप मे साधनो के सगठन की एक पणाली है जिसके अतर्गत सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति हेतु साधनो का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है।

10 **विश्व बैंक के अनुसार** 'विकास कार्यक्रम की तकनीक प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उपलब्ध समस्त साधनो की सूची बनाने व तत्पश्चात उपलब्ध साधनो को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओ को क्रम देने के सार रुप मे निहित है।

उपर्युक्त परिभाषाओ के आधार पर आर्थिक नियोजन की उत्तम परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है "आर्थिक नियोजन एक सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत राज्य आर्थिक शक्तियो एव गतिविधियो को इस प्रकार नियत्रित करता है कि उपलब्ध साधनो का विभिन्न क्षेत्रो मे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुकूलतम उपयोग हो सके। आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था की स्वतत्र शक्तियो को राज्य द्वारा नियत्रित किया जाता है। आर्थिक नियोजन से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊचा उठता है। आर्थिक नियोजन के प्रमुख तीन अग इस प्रकार हैं– 1 विकास के लक्ष्यो को निर्धारित करना। 2 उपलब्ध साधनो का आवटन। 3 विकास कार्यों का मूल्याकन।

आर्थिक नियोजन की विशेषताए
(Characteristics of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन की सर्वमान्य धारणा नहीं है। विभिन्न विद्वानो और अर्थशास्त्रियो ने आर्थिक नियाजन की अलग–अलग परिभाषाए दी। हरेक विद्वान की परिभाषा मे आर्थिक नियोजन की किसी–न–किसी विशेषता का आभास होता है। आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित विशेषताए उल्लेखनीय हैं–

1 सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया (Continuing and Long Term Process)

आर्थिक नियोजन निरन्तर चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक बार प्रारभ होने के बाद इसका क्रम लगातार चलता रहता है क्योकि विकास की कोई अन्तिम सीमा नहीं होती है। उत्तरोतर विकास के ऊचे स्तर पर पहुचने के लिए एक योजना के बाद दूसरी योजना बनाई जाती है। अल्पकालीन योजनाओं को दीर्घकालीन योजनाओ मे समन्वित किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 52 मे हुई जो आज तक अनवरत जारी है। आर्थिक उदारीकरण के दौर म भी आठवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वित हुई तथा वर्तमान में नौवी पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन मे है।

2 केन्द्रीय सत्ता (Central Power)

अर्थव्यवस्था मे आर्थिक नियोजन का सचालन स्वत बाजार प्रक्रिया द्वारा नहीं होकर सरकार द्वारा नियत्रित होता है। केन्द्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था की दिशा का मार्ग निर्धारित किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन का कार्य भारतीय योजना आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजनाओं का निर्माण क्रियान्विति मूल्याकन आदि कार्य केन्द्रीय नियोजन सस्था द्वारा किया जाता है।

3 उद्देश्यों का निर्धारण (Determination of Objectives)

आर्थिक नियोजन म उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्यो को देश की परिस्थितिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितिया के अनुसार हो सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाए बनायी जाती हैं। उद्देश्यो का निर्धारण कठिन काम होता है। विकसित देशो मे आर्थिक नियोजन स्थायित्व के लिए और विकासशील राष्ट्रो के लिए सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए होता है। भारत म सभी पचवर्षीय योजनाओं के लिए अलग–अलग प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गए। सातवीं पचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रोटी काम और उत्पादन था।

4 प्राथमिकताओं का निर्धारण (Determination of Priorities)

देश के ससाधन सीमित होते हैं। सीमित ससाधनो से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास का प्रयास किया जाता है। साधनो की सीमितता के कारण विभिन्न लक्ष्यो म भी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इसी कारण बारबरा वूटन

ने कहा कि आर्थिक नियोजन आर्थिक प्राथमिकताओ के चयन की प्रक्रिया है।

5. विकास की प्रणाली (System for Development)

आर्थिक नियोजन विकास की एक प्रणाली है जिसमे विभिन्न परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए उत्पादन और वितरण से सबधित अनेक बातों का निर्णय करती है।

6. व्यापक दृष्टिकोण (Comprehensive Attitude)

आर्थिक नियोजन प्राय राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है और योजनाए सपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो के लिए तैयार की जाती है। कभी–कभी कतिपय क्षेत्रो के लिए भी योजनाए बनायी जाती हैं। आर्थिक नियोजन से आम आदमी को लाभ पहुचता है। इसमे केवल वर्तमान को ही नहीं अपितु भविष्य को भी ध्यान मे रखा जाता है।

7. साधनो का आवंटन (Allocation of Resources)

आर्थिक नियोजन मे प्राय यह निर्धारित किया जाता है कि सीमित साधनो का क्या उपयोग किया जाना है, उसे किसको आवटित किया जाना है। सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओ के आधार पर ससाधनो का आवटन और प्रयोग करती है। भारत मे नियोजन काल मे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक ससाधन आवटित किए गए। वर्ष 1951 से लेकर आज तक सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय मे भारी वृद्धि हुई।

8. निर्धारित समय (Fixed Time)

आर्थिक नियोजन मे पूर्व निर्धारित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय आवश्यक समझा जाता है। निर्धारित समय मे ही लक्ष्यो की प्राप्ति आर्थिक नियोजन की सफलता का द्योतक है। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ के निर्धारित उद्देश्य निर्धारित समय मे प्राप्त नहीं किये जा सके है।

9. नियोजन सगठन (Planning Organisation)

योजनाओ के निर्माण, उनका क्रियान्वयन तथा प्रगति मूल्याकन के लिए नियोजन सगठन होता है। नियोजन सगठन नियोजन सबधी समस्त कार्य यथा साधनो का सर्वेक्षण, उद्देश्यो का निर्णयन, प्राप्य और सभावित साधनो के बीच समन्वय आदि कार्य करता है। भारतीय योजना आयोग इस प्रकार के सगठन का अच्छा उदाहरण है।

10 साधनो का ज्ञान (Knowledge of Resources)

आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए साधनों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। साधनो के पूर्ण ज्ञान के पश्चात ही आर्थिक नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न साधनो से सबधित पर्याप्त और व्यवस्थित समक उपलब्ध किये जाने चाहिए। नियोजन की सफलता के लिए मानव ससाधन, प्राकृतिक

ससाधन, बचत, पूजी निर्माण आदि से सबधित आकडे उपलब्ध होने चाहिए। भारत म प्राकृतिक ससाधनो के आधार पर बडे आकार की योजनाए बनायी जा सकती हैं।

11. ससाधनों का कुशल उपयोग (Fruitful Use of Resources)

उपलब्ध सीमित ससाधनो का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि उनका अधिकतम लाभ सभव हो सके। ससाधनो का श्रेष्ठतम ढग से कुशल उपयोग किया जाता है।

12. राजकीय नियंत्रण (Government Control)

आर्थिक नियोजन मे अर्थव्यवस्था सबधी गतिविधियो पर उचित राजकीय नियत्रण आवश्यक माना जाता है। आर्थिक नियोजन मे स्वतत्र अर्थतत्र को समाप्त अथवा सीमित कर दिया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सचालित होते हैं। सयुक्त क्षेत्र मे सरकार की भागीदारी होती है। निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियो पर राजकीय हस्तक्षेप होता है। आर्थिक नियोजन पर राजकीय हस्तक्षेप अथवा नियत्रण का उद्देश्य नियोजन के लक्ष्यो को निर्धारित समय मे प्राप्त करने के लिए होता है।

13. सार्वजनिक उपक्रमों का विकास (Development of Public Sector Undertakings)

आर्थिक नियोजन में सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व प्राय सरकार पर ही होता है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। भारत मे आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या तथा उनमें विनियोजन मे भारी वृद्धि हुई।

14. आर्थिक एव सामाजिक ढाचे में परिवर्तन (Changes in Socio-Economic Structure)

आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढाचा बदलता है। आर्थिक क्राति के लिए सामाजिक क्राति अनिवार्य है। समाजवादी और साम्यवादी देशों मे आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढाचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आर्थिक नियोजन से आर्थिक घटक यथा बचत और विनियोग दर, बैंकिंग, बीमा, आर्थिक सगठन, व्यापार आदि में सरचनात्मक बदलाव आता है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र म मूलभूत परिवर्तन ला देते हैं। अर्थव्यवस्था का रुढिवादी ढाचा धराशायी होकर प्रगतिशील सस्थाओं को जन्म देता है।

15. सामाजिक कल्याण (Social Welfare)

आर्थिक नियोजन का अतिम उद्देश्य कल्याण को अधिकतम करना होता है। नियोजन में देश के उपलब्ध ससाधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा इनकी सरचना में परिवर्तन से अधिकतम

कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है।

16. जन सहयोग (Public Co-operation)

आर्थिक नियोजन की सफलता जन–सहयोग पर निर्भर है। जन-सहयोग के अभाव में योजनाओ की सफलता सदिग्ध ही होती है। जन-सहयोग जन जाग्रति से सभव होता है। भारत मे योजनाओं के सफल नहीं होने का प्रमुख कारण जन सहयोग का अभाव रहा है। भारत के लोगों की यह धारणा है कि योजनाए तो सरकार की है, विकास में बाधा है।

17. मूल्यतत्र पर नियंत्रण (Control Over Prices)

आर्थिक नियोजन मे मूल्यतत्र पर केन्द्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियत्रण रहता है जिससे मूल्यतत्र प्राय प्रभावहीन हो जाता है। मूल्यतत्र जनित आर्थिक अस्थिरता आर्थिक नियोजन के कारण समाप्त हो जाती है। सरकार हस्तक्षेप करके बाजार शक्तियो को वाछित दिशा देती है।

18. प्रगति मूल्यांकन (Progress Evaluation)

आर्थिक नियोजन मे प्रगति मूल्याकन आवश्यक होता है। इसके लिए योजनाओं के लक्ष्य और प्राप्तियो के अतर का विश्लेषण किया जाता है। योजनाओ का मूल्याकन भावी योजना की सफलता का आधार बनता है। योजनाओ के लक्ष्य प्राप्ति वास्ते मध्यावधि मूल्याकन भी आवश्यक समझा जाता है। मूल्याकन से बदली हुई परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की योजनाओ को व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त विशेषताओ को आर्थिक नियोजन के सामान्य तत्त्व नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। सभी देशो मे आर्थिक नियोजन में सभी विशेषताओं का पाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। अलग–अलग देशो के आर्थिक नियोजन मे अलग–अलग विशेषताए विशेष महत्त्व रखती हैं।

आर्थिक नियोजन का महत्त्व अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क (Significance and Arguments in Favour of Planned Economy)

विश्व के प्राय सभी देशो मे आर्थिक नियोजन का न्यूनाधिक महत्त्व है। सभी देश आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओ का समाधान आर्थिक नियोजन से सभव है। इसलिए आर्थिक नियोजन को पूजीवादी तथा समाजवादी सभी देशो ने आत्मसात किया है। किंतु विकसित देशो की अपेक्षा विकासशील देशो मे आर्थिक नियोजन का अधिक महत्त्व है। प्रोफेसर रोबिन्स का यह कथन आर्थिक नियोजन की महत्ता को दर्शाता है, "आर्थिक नियोजन हमारे युग की एक अचूक महौषधि है।" (Economic planning is a grand pancea of our age)

विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन की महत्ता (Importance of Economic Planning for Developed Countries)

विकसित देशो की आर्थिक समस्याए विकासशील देशो से अलग होती हैं। विकसित देशो मे आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने की समस्या मुखर होती है। इन देशो मे अधिक उत्पादन आर्थिक विषमता श्रम समस्या औद्योगिक मदी एकाधिकारी प्रवृति क्षेत्रीय असतुलन आदि समस्याओ का भय सदैव बना रहता है। इन समस्याओ के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। विकसित देशो मे आर्थिक समस्याओं के समाधान वास्ते सरकार हस्तक्षेप करके योजना बनाती है तो उसे पूजीवादी आर्थिक नियोजन कहा जाता है। समय-समय पर अनेक पूजीवादी देशों मे महत्त्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा वास्ते कानून बनाये गये। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियत्रण वास्ते प्रयास किए गए। विकसित देशों ने आर्थिक नियोजन की उपादेयता के कारण इसे व्यवहार मे भी आत्मसात किया है।

विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन की अनिवार्यता (Unavoidable of Economic Planning for Developing Countries)

भारत सरीखे विकासशील देशो के लिए आर्थिक नियोजन अपरिहार्य है। स्वतत्रता के पाच दशको मे भारत में आर्थिक नियोजन की उपादेयता उत्तरोत्तर बढी। विकासशील देशो की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की गति को तेज करने की होती है। उसके अलावा विकासशील देशों में गरीबी भुखमरी बीमारी बेरोजगारी आर्थिक पिछडापन महगाई वित्तीय ससाधनो का अभाव आदि समस्याए सदैव मुह बाए खडी हैं। इन देशों में रुढिवादी सामाजिक वातावरण आर्थिक विकास में अनेक रुकावटे पैदा करता है। जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर विकास मे बाधा होती है। आर्थिक पिछडेपन की दशा में नियोजन ही विकासशील देशों के उत्थान का एकमात्र तरीका है। कम विकसित देश योजनाबद्ध विकास के द्वारा सीमित ससाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर आर्थिक कठिनाइयों पर निजात पा सकते हैं। अत विकासशील देशो के लिए आर्थिक नियोजन वह प्रकाश स्तम है जिसके आलोकित विकास पथ मे वे सफलता पूर्वक आगे बढ सकते हैं।

आर्थिक नियोजन के महत्त्व को निम्नाकित शीर्षको में विवेचन किया जा सकता है।

1 उपलब्ध ससाधनों का सर्वोत्तम उपयोग (Optimum Utilisation of Available Resources) अशोषित और अल्पशोषित प्राकृतिक ससाधनों के कारण दुनिया के अनेक देश आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक नियोजन में उपलब्ध ससाधनो में विवेकशीलता लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्राथमिकताओं के आधार पर ससाधनों का समुचित आवटन किया जाता

है। ससाधनो के समुचित आवटन से ससाधनो का अपव्यय रुकता है। आर्थिक नियोजन मे इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि उत्पादित माल का उचित प्रकार से वितरण किया जाए जिससे देश मे अमन–चैन की स्थिति बनी रहे।

2. पूजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्ति (Freedom from the Evils of Capitalist Economy) - पूजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष समाहित हैं। व्यवसाय चक्रो का प्रभाव, अधिक उत्पादन, वर्ग सघर्ष, एकाधिकारी प्रवृत्ति आदि बाते प्राय देखने को मिलती हैं। आर्थिक नियोजन प्रतियोगिता को कम करके अपव्यय को रोकता है। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन के महत्त्व को अनेक पूजीवादी देशो ने स्वीकार किया है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछडे देशो मे पूजीवाद का अधिक महत्त्व नहीं होता है। मनु भाई शाह ने इस सदर्भ मे ठीक ही कहा कि "हमारे गरीब देश मे पूजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है।"

3. सामाजिक कल्याण (Social Welfare) आर्थिक नियोजन मे अधिकतम सामाजिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। योजनाओ के लक्ष्य स्वहित प्रेरित नहीं होकर सामाजिक कल्याण की भावना से ओत–प्रोत होते हैं। आर्थिक विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुचाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक शोषण और वस्तुओ के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है।

4. आर्थिक स्थायित्व (Economic Stability) नियोजन आर्थिक स्थायित्व का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक नियोजन मे राजकीय हस्तक्षेप होता है। इस कारण आर्थिक गतिविधियो के सचालन से माग व पूर्ति मे सतुलन बनाये रखना सभव है। नियोजन सगठन द्वारा उत्पादन का समन्वय किए जाने से अर्थव्यवस्था मे व्यापार चक्रो के कुप्रभावो पर रोक लगती है।

5. सामाजिक समानता (Social Equality) आर्थिक नियोजन मे धनिको और गरीबो के मध्य खाई को पाटने का प्रयास किया जाता है। नियोजन के माध्यम से सुनियोजित प्रयासो द्वारा सामाजिक समानता प्राप्ति की चेष्टा की जाती है। प्रगतिशील करारोपण और सामाजिक व्यय से आर्थिक विषमता मे कमी आती है। आर्थिक नियोजन में मूल्य सयत्र द्वारा निर्णय नहीं लिए जाकर केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्राथमिकताए निर्धारित की जाती हैं। ससाधनों का वितरण गरीबों के पक्ष मे करने पर बल दिया जाता है।

6. सतुलित विकास (Balanced Growth) राष्ट्र विशेष के लिए सतुलित विकास बहुत आवश्यक होता है। क्षेत्रीय असतुलन की स्थिति मे जनविरोध का सामना करना पडता है। आर्थिक नियोजन से सतुलित विकास सभव होता है। नियोजन सगठन द्वारा समूचे देश के विकास के लिए योजनाए बनाई जाती हैं। इसमे सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। कि सभी क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना हो। औद्योगीकरण को गति देते समय उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। गावो में कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना पर बल

दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे सतुलन बनाये रखने के लिए नियोजन आवश्यक है।

7. तीव्र विकास के लिए उपयोगी (Helpful for Rapid Growth) विकासशील देशो के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन का विशेष महत्त्व है। पडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा, "हम विकसित राष्ट्रो द्वारा प्राप्त आज की स्थिति तक पहुचने मे एक–एक कदम और धीरे–धीरे चलकर सौ वर्ष नहीं लगाने वाले हैं। हमारी विकास की गति और लय निश्चित रुप से अधिक तेज होनी चाहिए।" आर्थिक नियोजन मे उपलब्ध ससाधनो का नियोजित ढग से प्रयोग करके विकास की गति को तीव्र किया जाता है। नियोजन मे अधिक महत्त्व की परियोजनाओं को यथोचित महत्त्व दिया जाता है। देश मे आधारिक सरचना यथा–विद्युत, यातायात, सिचाई, सचार आदि को विशेष रुप से विकसित किया जाता है। इन सुविधाओं के पनपने से विकास की गति को बल मिलता है।

8. पूजी निर्माण की ऊची दर (High Rate of Capital Formation) आर्थिक विकास के लिए पूजी निर्माण की दर का ऊची होना आवश्यक है। किंतु विकासशील राष्ट्रों मे बचत कम होने के कारण पूजी निर्माण की दर नीची होती है। आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ सरकारी आय के रुप मे अर्थव्यवस्था में पुन विनियोजित होता है। इस प्रकार पूजी निर्माण की गति तीव्र होने लगती है। इसके अलावा नियोजन मे साधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरुप बचत और पूजी निर्माण की दर बढती है।

9. मानव ससाधनों का समुचित उपयोग (Proper Utilisation of Human Resources) विकासशील देशो मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास मे बाधक होती है। आर्थिक नियोजन मे सरकार के द्वारा मानव ससाधनों के विकास का प्रयास किया जाता है। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा जनसख्या नियत्रण के प्रयत्न किए जाते हैं। जनसख्या मे गुणात्मक वृद्धि पर बल दिया जाता है। नियोजन मे सरकार के द्वारा सामाजिक विकास परिव्यय में वृद्धि की जाती है। जिससे लोगों मे शैक्षिक विकास होता है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को बल मिलता है। विकासशील देशो मे मानव ससाधनो का विकास योजनाओ के लक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाता है।

10. खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था (An Economy with open eyes) नियोजित अर्थव्यवस्था म निर्णय दूरदर्शितापूर्ण होते हैं। केन्द्रीय नियोजन सत्ता भावी परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक निर्णय लेती है। भविष्य में परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से सामन्जस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है। पचवर्षीय योजनाओं का मूल्याकन किया जाता है। केन्द्रीय नियोजन सत्ता सदैव अर्थव्यवस्था पर निगाह रखती है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कारगर प्रयास किया जाता है।

11. सामाजिक लागतों की कमी (Reduction of Social Costs) आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक बुराइया यथा चक्रीय–बेकारी,

औद्योगिक गदी बस्ती, प्रदूषण, दुर्घटनाए, अत्यधिक भीड-भाड का लोगों को सामना करना पडता है। प्रोफेसर पीगू इन आर्थिक बुराइयो को पूजीवाद का दिवालियापन कहते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा इन बुराइयो को दूर करने की प्रक्रिया प्रारभ की जाती है और उचित ध्यान देकर सामाजिक लागतों को कम करने का प्रयास किया जाता है।

12 कट्टर प्रतिस्पर्धा का समापन (Abolition of Cut-Throat Competition) पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे लोगो को कटटर प्रतिस्पर्धा के दोषो का सामना करना पडता है। इसमे विज्ञापन और विक्रय पर भारी व्यय किया जाता है। उपभोक्ताओ को वस्तुओ की बढी हुई कीमते चुकानी पडती है। उत्पादक विक्रय वृद्धि के लिए राशिपातन का सहारा लेते है। प्रो डर्बिन ने इस सबध मे ठीक ही ही कहा, "कटटर प्रतिस्पर्धा आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा में नहीं ले जाती।" नियोजित अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण मे सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण कटटर प्रतिस्पर्धा बहुत सीमित हो जाती है।

13 युद्ध के समय सर्वाधिक कारगर व्यवस्था (Most Efficient System in War) आर्थिक नियोजन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज सभी देश सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध के समय शत्रु देश के साथ बखूबी मुकाबला किया जा सके। भारत में सुरक्षा सबधी उपकरणो का उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भी सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। भारत को स्वतत्रता उपरात पाकिस्तान के साथ तीन बडे युद्ध और चीन के साथ एक युद्ध तथा जून-जुलाई 1999 मे कारगिल मे पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध लडने पडे। ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन भारत के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

14. कृषि विकास (Agricultural Development) विकासशील देशों में कृषि विकास वास्ते आर्थिक नियोजन महत्त्वपूर्ण होता है। विकासशील देशों में जनसख्या का बडा भाग जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर होता है। इसके अलावा रोजगार, निर्यातित आय तथा राष्ट्रीय आय मे भी कृषि की कारगर भूमिका होती है। इसके बावजूद इन देशो मे कृषि पिछडी हुई अवस्था मे होती है। आर्थिक नियोजन से कृषि विकास गति पकडता है। केन्द्रीय नियोजन सस्था कृषि विकास के साथ ग्रामीण परिवेश मे कृषि आधारित उद्योगो के विकास पर बल देती है। कृषि विकास के लिए अपरिहार्य सिचाई सुविधाओ का विकास किया जाता है। सरकार किसानो को आवश्यकतानुसार उर्वरक मुहैया कराती है। गरीबो के हितार्थ उर्वरक सब्सिडी देती है। राजकीय प्रयासो से कृषि क्षेत्र मे प्रगति का वातावरण निर्मित होता है।

15 औद्योगिक विकास (Industrial Development) आर्थिक नियोजन औद्योगीकरण मे सहायक होता है। सरकार औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगीकरण की दिशा निर्धारित करती है। समय-समय पर औद्योगिक नीति मे सशोधन किया जाता है। औद्योगीकरण में स्वय सरकार कारगर भूमिका निभाती है तथा निजी क्षेत्र

के लिए औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण निर्मित करती है। औद्योगीकरण को गति देने के लिए विदेशी पूजी निवेशको को आमत्रित करने का प्रयास किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन मे सार्वजनिक उपक्रमो का तीव्र विकास हुआ तथा निजी क्षेत्र को भी फलन–फूलने का पर्याप्त अवसर दिया गया। केन्द्र सरकार ने आधारभूत उद्योगो तथा निजी क्षेत्रो ने उपभोग उद्योगो मे खूब पूजी निवेश किया। भारत की गिनती आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से बडे देशो मे की जाती है।

16. निर्यातो मे वृद्धि (Increase in Exports) आर्थिक नियोजन मे केन्द्र सरकार निर्यात वृद्धि के प्रयास करती है। अनावश्यक आयातो को हतोत्साहित तथा निर्यातो को प्रोत्साहन द्वारा व्यापार सतुलन किया जाता है। निर्यातो को बढाने के लिए निर्यात सवर्द्धन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सरकार स्वय निर्यात व्यापार मे भाग लेती है। उत्पादो का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाता है। उत्पादो को श्रेष्ठ बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है तथा उत्पादो की लागत को नीचे रखा जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने मे मदद मिलती है।

17 गरीबी उन्मूलन में सहायक (Helpful in Poverty Elimination) नियोजन मे व्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है। विकासशील राष्ट्रो मे मानव ससाधनो की स्थिति दयनीय होती है। ग्रामीण परिवेश मे गरीबी का ताण्डव दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक नियोजन मे सरकार गरीबो की सुध लेती है। पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओ का सचालन किया जाता है। हरेक वर्ष केन्द्रीय बजट मे गरीबी उन्मूलन योजनाओ के लिए भारी भरकम पूजी का प्रावधान किया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन के कारण बडी सख्या मे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे है।

18 शाति और सुरक्षा (Peace and Security) आर्थिक नियोजन अन्तर्राष्ट्रीय शाति का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व के किसी भी कोने मे गरीबी सपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। विश्व के देशों का अमीर और गरीब देशों में बटे होने से तनाव की स्थिति का भय बना रहता है। विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर एकजुट होने का प्रयास करते हैं जिससे विकसित देशो पर सहायता मुहैया कराने के लिए दबाव डाला जा सके। आर्थिक नियोजन से देश विकासशील स्थिति से उभरकर तीव्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जिससे विश्व मे शातिमय वातावरण सृजित होता है।

19 आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) आर्थिक नियोजन में सरकार देशवासियो के लिए बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, दुर्घटना आदि से सुरक्षा की व्यवस्था करती है। सरकार लोगो के लिए रोजगार मुहैया कराने के साथ आर्थिक समानता न्यायोचित वितरण का भी प्रयास करती है।

20. मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन (Changes in Human Angle of Vision) आर्थिक नियोजन से देश पिछडेपन की सीमा लाघकर विकास की ओर अग्रसर

होते हैं जिससे देशवासियो के मानवीय दृष्टिकोण मे परिवर्तन आता है। विकास के कारण लोगो को गरीबी से निजात मिलता है। गरीबी से छुटकारा मिलने के कारण लोगो का नैतिक उत्थान होता है। भ्रष्टाचार नियत्रित होता है।

उपर्युक्त विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि आर्थिक नियोजन विकासशील देशो मे तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक है। नियोजन की मदद से विकासशील देशो मे चहुओर खुशी की लहर दौडाई जा सकती है। नियोजित अर्थव्यवस्था की सहायता से पूजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषो को बडी सीमा तक नियत्रित किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन की महत्ता के कारण ही अमेरिका ने 'न्यूडील' योजना लागू की।

आर्थिक नियोजन की सीमाए अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क

(Limitations of Economic Planning or Arguments against Planned Economy)

यद्यपि आर्थिक नियोजन का विकसित और विकासशील देशो मे विशेष महत्त्व है फिर भी यह समस्याओं से अछूता नहीं है। आर्थिक नियोजन की समस्याओ के कारण पूजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक नियोजन को दासता का मार्ग कहते है। खामियो के कारण देशवासियो को कभी–कभी आर्थिक नियोजन से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। आज आर्थिक नियोजन मे अनेक सीमाए दृष्टिगोचर होती हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. व्यक्तिगत स्वतत्रता का हनन (Loss of Individual Freedom) — आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत स्वतत्रता का हनन होता है। इसमे समूचे आर्थिक निर्णय सरकार के हाथो मे केन्द्रित हो जाते है। लोगो की व्यावसायिक स्वतत्रता और उपभोक्ताओ की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। योजनाओ का निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्याकन सभी सरकार के द्वारा किए जाते है। उत्पादन और उपभोग सबधी निर्णय भी नियोजन अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। प्रोफेसर हेयक ने आर्थिक नियोजन को दासता का मार्ग कहा है। सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिये जाने के कारण त्रुटि रह जाने की स्थिति मे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

2. लाल फीताशाही का डर (Fear of Red-tapism) — नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओ का सचालन और नियत्रण सरकारी अधिकारियों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इससे अधिकारियो, लिपिकों एव अन्य कार्यकर्ताओ की अधिक आवश्यकता पडती है। अधिकारीतत्र पनपता है। अनेक बार योग्य एव, प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते नतीजतन अकुशल व्यक्तिओं से काम चलाना पडता है। निर्णयो के क्रियान्वयन मे अनावश्यक विलम्ब से लालफीताशाही का बोलबाला बढता है। भारत में आर्थिक नियोजन के सफल नहीं होने में लालफीताशाही

वाधक रही।

3 प्रेरणा का अभाव (Lack of Incentives) – नियोजित अर्थव्यवस्था में कर्मचारियो में प्रेरणा का नितात अभाव पाया जाता हे। आर्थिक नियोजन में कर्मचारियों के कार्य की दशाए उनकी मजदूरी पदोन्नति आदि बातें किसी निश्चित योजना के अनुसार पहले ही निर्धारित कर दी जाती है परिणामस्वरुप श्रमिको मे कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ का जादू कर्मचारियो को प्रेरणा देता है। नियोजन मे निजी लाभ नहीं होने के कारण अथवा आवश्यक उत्प्रेरणा के अभाव मे कार्य की कुशलता मे शनै–शनै ह्रास होता है।

4 भ्रष्टाचार और अकुशलता व्याप्त होने का भय (Fear of Spread of Corruption and Inefficiency) – आर्थिक नियोजन मे केन्द्रीय नियत्रण और निर्देशन को बढावा मिलने से अर्थव्यवस्था मे प्रतियोगिता कम होती है। नतीजतन अकुशलता और भ्रष्टाचार के बढने का भय रहता है। आर्थिक नियोजन के सबध मे यह बात सही चरितार्थ होती है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्णसत्ता उसे पूर्णत भ्रष्ट बना देती है। नियोजन मे सरकार के द्वारा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण अधिकारियो और कर्मचारियो मे भ्रष्टाचार पनपता है।

5 तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार (Expansion of Dictatorship Tendency) – आर्थिक नियोजन के कारण कई बार तानाशाही प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक नियोजन मे सरकार सर्वेसर्वा होती है। सरकार के पास आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण के कारण सरकार की तानाशाही का विस्तार होता है। चीन व रुस आदि देशा मे राजकीय तानाशाही दृष्टिगोचर होती है।

6 ससाधनो का अविवेकपूर्ण आवटन (Irrational Allocation of Resources) – आर्थिक नियोजन म निर्णय पूर्व निर्धारित उद्दश्यो को ध्यान में रखते हुए नियोजन अधिकारियों द्वारा लिये जाते है। किंतु अनेक बार निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। जहा की राजनीति प्रभावी है वहा औद्यागीकरण में दक्त नहीं लगता। प्रभावशाली राजनीतिज्ञ अपने चुनाव क्षेत्र मे अनुकूल दशाए नहीं होने के बावजूद उद्योगों की स्थापना करवाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण आर्थिक नियोजन मे ससाधनो के अविवेकपूर्ण आवटन का खतरा बना रहता है।

7 अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था (Muddled Economy) – कुछ लोगों की मान्यता है कि मूल्य–तत्र के अभाव म नियोजित अर्थव्यवस्था अस्त–व्यस्त हो जाती है क्योंकि इसमे कृत्रिम मूल्य प्रणाली प्रभावी हो जाती है जिससे उत्पादन व वितरण सबधी निर्णय अविवेकपूर्ण हाते हैं। अनेक गडबडियों के पनपने से अर्थव्यवस्था दलदल की ओर बढ जाती है।

8 सक्रमण काल में अप्रभावी – सक्रमण काल में नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रभाव कम हा जाता है। नियोजन से जन आकाक्षाए अधिक होती है किन्तु सक्रमण

काल मे योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पडता है। भारत की अर्थव्यवस्था 1990-91 और 1991-92 मे आर्थिक सक्रमण मे थी। विदेशी विनिमय भण्डार के रसातल तक पहुच जाने के कारण भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी।

9. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) – आर्थिक नियोजन मे राजनीति अर्थनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के बाद आर्थिक नीतियो मे बदलाव आता है। भारत मे आर्थिक नियोजन के गति पकडने का एक प्रमुख कारण काग्रेस के लम्बे समय तक सत्तारुढ होना था। वर्ष 1995-96 के बाद काग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक सुधारो की गति मद पडी। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध मे राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। केन्द्र मे बार-बार सरकारे बदलीं। सरकारो के बदलने से योजनाओ की प्राथमिकताए बदली। गौरतलब है भारत मे राजनीतिक अस्थिरता के कारण नौवीं पचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर कार्यान्वित नहीं हो सकी। इसके आरभिक दो वर्ष बिना योजना क्रियान्वयन के बीत गए। प्रो जैक्स ने ठीक ही कहा कि "राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण मे दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाए नहीं पनप सकतीं।"

10. नियोजन की सफलता सदिग्ध – आर्थिक नियोजन में कई बार नवीन विधियों एव प्रणालियो को लागू करने मे सरकार को भारी मात्रा मे धन विनियोग करना पडता है। अनेक बार इसमें भी अपव्यय की आशका रहती है। इसके फलस्वरुप आर्थिक नियोजन के प्रति जनता का विश्वास कम हो जाता है जिससे नियोजन की सफलता सदिग्ध हो जाती है। नियोजन के सुचारु रुप से नहीं चलने पर मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सकट, कम उत्पादकता आदि समस्याए उत्पन्न हो जाती हैं।

आर्थिक नियोजन की उपादेयता और खामियो पर दृष्टिपात करने के बाद यह सहज रुप से कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन विकासशील देशो के पिछडेपन पर प्रहार करने का सशक्त माध्यम है। आर्थिक नियोजन को आत्मसात करके विकासशील देश राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओ का निराकरण कर सकते है। आर्थिक नियोजन के जा दोष हैं उन्हें प्रभावोत्पादक प्रयासो से दूर किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। आर्थिक नियोजन की उपादेयता के कारण ही पूजीवादी देश नियोजन द्वारा आर्थिक समस्याओ के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं।

आर्थिक नियोजन की पूर्व अपेक्षाए अथवा आर्थिक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्ते

(Pre requisites of Economic Planning or Essential Conditions for Success of Economic Planning)

अर्थव्यवस्था का विकास आर्थिक नियोजन से प्रभावित होता है। आर्थिक

नियोजन की सफलता से राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास होता है जबकि विफलता से गरीबी बेरोजगारी पिछडापन आदि समस्याए उभरकर सामने आती हैं। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सुदृढ नियोजन सगठन के साथ कुशल प्रशासन का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा नियोजन की सफलता में योगदान करने वाले सामाजिक और आर्थिक तत्त्व भी अर्थव्यवस्था मे विद्यमान होने चाहिए। आर्थिक नियोजन की पूर्वापेक्षाओ को सरल शब्दो मे आर्थिक नियोजन की आवश्यक शर्ते भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए निम्नाकित पूर्वापेक्षाओं का होना आवश्यक है–

1 राजनीतिक स्थायित्व (Political Stability) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व की महती आवश्यकता होती है। स्थिर सरकार योजनाओ के लक्ष्यो को आसानी से पूर्ण कर सकती है। सरकारो के बार–बार बदलने से योजनाओ के निर्धारित लक्ष्य भी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जिससे पूर्ववर्ती सरकारों के निर्धारित लक्ष्य अपूर्ण रह जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता से योजनाओं का निर्माण रुक जाता है। गौरतलब है कि राजनीतिक बदलाव के कारण भारत मे छठी पचवर्षीय योजना दो बार बनी। पहली बार बनी योजना की समयावधि 1978 83 तथा दूसरी बार बनी योजना की समयावधि 1980 85 थी। इसी प्रकार नौवीं पचवर्षीय योजना के निर्माण मे विलम्ब हुआ। राजनीतिक परिवर्तन के कारण कई बार दूसरे देशा से सबधो मे अनिश्चितता आ जाती है। इसका भी आर्थिक नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

2 उपयुक्त नियोजन सगठन (Appropriate Planning Organisation) – योजनाओ का निर्माण और क्रियान्वयन पैचीदगीपूर्ण कार्य है। योजनाओ की निर्माण प्रक्रिया अनेक चरणो से गुजरती है। योजनाओ के क्रियान्वयन के समय उसकी प्रगति पर भी ध्यान रखना पडता है। योजनाओ का मध्यावधि मूल्याकन भी किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए उपयुक्त नियोजन सगठन की आवश्यकता होती है। नियोजन सगठन के उपयुक्त होने पर आर्थिक नियोजन सबधी कार्य सफलतापूर्वक सपन्न होते हैं। इसके अभाव मे नियोजन कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

3 कुशल प्रशासन (Efficient Administration) – प्रोफेसर लुईस आर्थिक नियोजन की सफलता की पहली शर्त सुदृढ योग्य और ईमानदार प्रशासन को मानते हैं। कुशल प्रशासन के अभाव मे अच्छी से अच्छी योजनाओं की सफलता भी सदिग्ध रहती है। अर्द्धविकसित देशो मे अकुशल प्रशासन आर्थिक नियोजन की सफलता में बाधक होता है। अत कुशल प्रशासन सफल आर्थिक नियोजन के लिए अपरिहार्य आवश्यकता होती है।

4 सुनिश्चित प्राथमिकताए और लक्ष्य (Well Defined Priorities and Targets) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजनाओ की प्राथमिकताए और लक्ष्य यथार्थवादी हों। आर्थिक प्राथमिकताए व्यापक सामाजिक

और आर्थिक हितो से सबधित होनी चाहिए। साथ ही व्यावहारिक और कार्यान्वित करने लायक भी होनी चाहिए। योजनाओ के लक्ष्य इतने महत्त्वाकाक्षी नहीं होने चाहिए कि वे प्राप्त ही नहीं किए जा सके। इसके विपरीत इतने नीचे भी नही होने चाहिए कि विकास की गति ही मद पड जाए।

5. पर्याप्त वित्तीय संसाधन (Adequate Finance Resources) – नियोजन की सफलता के लिए पर्याप्त वित्तीय ससाधनो का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर आत्मसात किये गये आर्थिक नियोजन के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे अच्छी योजनाए भी असफल हो जाती है। वित्तीय ससाधनो को अधिकाधिक गतिशील बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है। आज अनेक देश विकास वास्ते विदेशी पूजी पर निर्भर हैं। किन्तु विदेशी पूजी के अनेक खतरे हैं। अत आर्थिक नियोजन मे यथासभव आतरिक ससाधनो का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ पूजी विनियोग के लिए हीनार्थ प्रबधन (Deficit Financing) का उचित सीमा तक ही प्रयोग करना चाहिए। अनुत्पादक और अनावश्यक खर्चे नियत्रित होने चाहिए।

6. सांख्यिकी आकडों और सूचनाओं की उपलब्धता (Availability of Statistics Data and Information) – साख्यिकी आकडो और सूचनाओ के बिना आर्थिक नियोजन असभव है। नियोजित अर्थव्यवस्था मे विकास सबधी विभिन्न कार्यक्रम समकों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। योजनाओ के लक्ष्य निर्धारण मे भी समकों की आवश्यकता होती है। यहा तक की योजनाओ की प्रगति के मूल्याकन के लिए भी समक आवश्यक माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था मे समको की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए समक सही और पर्याप्त होने के साथ–साथ ठीक समय पर उपलब्ध होने चाहिए। समको के सही प्रस्तुतीकरण के लिए देश में कुशल साख्यिकीय सगठन होना चाहिए। पिछडे और विकासशील देशो मे विश्वसनीय आकडो का अभाव नियोजन की सफलता मे बाधक होता है।

7. शैक्षिक विकास (Educational Development) – शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। विकासशील देशो मे अनेक राष्ट्रीय समस्याओ का समाधान शिक्षा के विकास में समाहित है। कुशल प्रशासन के लिए दृढ शैक्षिक आधार आवश्यक है। शिक्षा नियोजन की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा मानी जाती है। सफल नियोजन ज्ञान और ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अत नियोजन की सफलता के लिए सशक्त शैक्षिक आधार होना चाहिए।

8. जन सहयोग (Public Co-operation) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए जन सहयोग अपरिहार्य है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को दूसरो पर थोपा नहीं जा सकता है। इसके लिए लोगो के सहयोग की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन दलीय राजनीति के ऊपर होना चाहिए। उसे सभी दलो का समर्थन मिलना चाहिए। जन उत्साह के सदर्भ मे प्रो लुईस ने कहा, "जन सहयोग नियोजन के लिए लुब्रिकेटिंग तेल तथा आर्थिक विकास का पेट्रोल दोनो है–यह

एक ऐसी प्रावैगिक शक्ति है जो प्राय सब चीजो को सम्भव बनाती है। अत नियोजन के प्रति जन साधारण मे जागरुकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

9 विपक्षी राजनीतिक दलो का सहयोग (Co operation by all Opposition Political Parties) – नियोजित अर्थव्यवस्था मे योजनाओं क लक्ष्य प्राथमिकताए नीतिया वित्तीय आवटन आदि के प्रति विपक्षी राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जहा आवश्यक हो सकारात्मक आलोचना हो। सरकार की अच्छी नीतियो की सराहना की जानी चाहिए। भारत मे प्राय विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा सत्तारुढ पार्टी की आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है। अनावश्यक आलोचनाओ से आर्थिक नियोजन के प्रति आम लोगो मे गलत सूचना पहुचती है।

10 अर्थव्यवस्था में सतुलन (Balance in Economy) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रा में सतुलन की आवश्यकता होती है। विभिन्न विकास सूचकों यथा कृषि उद्योग व्यापार आधारभूत सरचना विदेशी विनिमय कोष मुद्रास्फीति आदि में सतुलन रहना चाहिए। सतुलनो को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

11 निजी क्षेत्र की भूमिका (Role of Private Sector) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए निजी क्षेत्र भी कारगर भूमिका निभाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन की सफलता मे निजी क्षेत्र ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र द्वारा अपेक्षित योगदान मिल जाने से सरकार पर विकास का बोझ थोडा कम हो जाता है। सरकार आधारभूत उद्योगो के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकती है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास मे अधिकतम योगदान देने का अवसर देना चाहिए। नियोजन मे कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को लिए छोड देना चाहिए। एसी नीतिया आत्मसात की जाए जिससे निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा से बच सकें। निजी क्षेत्र को भी विकास के लिए सरकार की ओर ताकना नहीं चाहिए। निजी क्षेत्र को उत्पादन वृद्धि और निर्यात के क्षेत्र म बढकर भूमिका निभानी चाहिए।

12 उपयुक्त मूल्य नीति (Appropriate Price Policy) – महगाई के तेजी से बढने से आर्थिक नियोजन की सफलता खतरे म पड जाती है। अत वस्तुओं और सेवाओ के मूल्य म स्थायित्व के प्रयास किय जाने चाहिए। उपयुक्त मूल्य नीति द्वारा मुद्रास्फीति पर नियत्रण आवश्यक है। ताकि योजनाओ के कार्यक्रम निर्विघ्न सम्पन्न हो सके। बढती महगाई से सर्वाधिक गरीब प्रभावित होता है। भारत में गरीबों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति मे बढती महगाई से लोगों का नियोजन से विश्वास डगमगाने लगता है।

13 उच्च राष्ट्रीय चरित्र और त्याग (High National Character and Sacrifices) – आर्थिक नियोजन की सफलता राजकीय प्रयासो के साथ देशवासियों के सक्रिय सहयोग पर भी बडी सीमा तक निर्भर करती है। नियोजन की सफलता के लिए लोगो का परिश्रमी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्ति त्याग की भावना

आदि का होना आवश्यक है। जापान उच्च राष्ट्रीय चरित्र के कारण आर्थिक जगत मे सिरमौर बना हुआ है। भारत मे आर्थिक नियोजन के अपेक्षित सफल नहीं होने का कारण राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहा है। आर्थिक नियोजन मे भारत के लोग सामान्यतया यह मानकर चलते है। कि देश के विकास का उत्तरदायित्व केवल सरकार का है। ऐसी प्रवृत्ति के कारण भारत विकास की दौड मे पिछडा रह गया।

आर्थिक नियोजन की उपर्युक्त पूर्वापेक्षाओ के अलावा अनेक तत्त्व और भी ऐसे हैं जिन पर आर्थिक नियोजन की सफलता निर्भर करती है। इनमे अनुकूल प्राकृतिक दशाए, आतरिक शाति व सुरक्षा, बाह्य आक्रमणो से सुरक्षा, अतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय आय का यथोचित वितरण, उपयुक्त आर्थिक नियत्रण, पडौसी राष्ट्रो से सबध आदि उल्लेखनीय हैं। इनमे से अनेक मामलो मे भारत की स्थिति कमजोर है। भारत में कई बार साम्प्रदायिक दगों से विकास की गति प्रभावित हुई। विदेशी पर्यटको और निवेशको के भारत की ओर बढते कदम थमे। कुछ पडौसियो के भी भारत के प्रति इरादे अच्छे नहीं है। जून–जुलाई 1999 मे कारगिल मे भारत को पाक घुसपैठियो को खदेडने के लिए सीमित युद्ध लडना पडा। इसके अलावा भारत मे आर्थिक विषमता भी बढी। अनेक धनिको की सम्पदा रातोरात बढ जाती है। उधर गरीब बेहाल स्थिति मे है। भारत आर्थिक नियोजन के द्वारा ढेरो आर्थिक समस्याओ से नहीं निपट पाने के कारण 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की ओर मुखातिब हुआ।

प्रश्न एव संकेत

लघु प्रश्न

1 आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाए बताइए।
2 आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताओ का उल्लेख कीजिए।
3 आर्थिक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्त बताइए।
4 आर्थिक नियोजन के महत्त्व को सक्षेप मे समझाइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आधुनिक युग मे इसके महत्त्व को समझाइए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाए देनी है तथा द्वितीय भाग मे आर्थिक नियोजन के महत्त्व को लिखना है।

2 नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष मे तर्क दीजिए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग अध्याय मे दिए गए नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष मे तर्क तदुपरात विपक्ष मे तर्कों को लिखना है।)

3 आर्थिक नियोजन से क्या आशय है? एक अल्प विकसित राष्ट्र के विशेष सदर्भ मे आर्थिक नियोजन के महत्त्व को समझाइए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे आर्थिक नियोजन का अर्थ और विशेषताए लिखिए तथा प्रश्न के द्वितीय भाग में अध्याय में दिए गए आर्थिक नियोजन के महत्त्व को लिखना है।)

4 आर्थिक नियोजन स आप क्या समझत हैं? एक नियाजित अर्थव्यवस्था अनियाजित अर्थव्यवस्था स किस प्रकार उत्तम है।
(सकेत – प्रश्न क प्रथम भाग मे आर्थिक नियाजन का अर्थ और विशेषताए लिखिए। प्रश्न क द्वितीय भाग म नियोजित अर्थव्यवस्था के महत्त्व को लिखना है।)

6

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ
(Objectives and Achievements of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य
(Objectives of Economic Planning)

भारत की बहुसख्यक जनसख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। सामाजिक विकास की दृष्टि से भी देश की स्थिति दयनीय है। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध मे भारत राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से भी ग्रसित रहा है। देश की सीमा पर सकट मुहबाए खडा है। जून–जुलाई 1999 मे भारत को घुसपैठियों को खदडने के लिए कारगिल मे पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध लडना पडा। भारत ने विशाल जनसमुदाय का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊचा उठाने के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। देशवासियो को अभावो से मुक्त कर यथोचित प्रतिष्ठा प्रदान करना ही आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो के सबध मे इलियट ने कहा है कि, "नियोजन की क्रिया सोद्देश्य क्रिया है, बिना उद्देश्यो के नियोजन के विषय मे सोचना सभव नहीं है।" नियोजन के उद्देश्य समय के बदलाव के साथ परिवर्तित होते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है–

(अ) आर्थिक उद्देश्य (Economic Objeetives)

भारत में ढेरो आर्थिक समस्याए हैं जिनमे आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आदि मुख्य हैं। ये समस्याए आर्थिक कारणो से पनपीं। नियोजन का मूल उद्देश्य आर्थिक होता है। नियोजन से आर्थिक समस्याओ को दूर कर लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मुहैया कराया जा सकता है। नियोजन के प्रमुख आर्थिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

(अ) आर्थिक उद्देश्य

1. उत्पादन वृद्धि
2. आधारभूत सरचना का विकास
3. रोजगार सृजन
4. आर्थिक विषमता मे कमी
5. सतुलित क्षेत्रीय विकास
6. प्राकृतिक ससाधनो का विकास
7. आर्थिक स्थायित्व
8. कृषि विकास
9. औद्योगिक विकास
10. आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना
11. आत्मनिर्भरता
12. राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि
13. युद्ध के बाद पुनर्निर्माण
14. तीव्र आर्थिक विकास
15. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का विकास

(ब) सामाजिक उद्देश्य

1. सामाजिक सेवाओ की उपलब्धता
2. सामाजिक सुरक्षा
3. सामाजिक सहायता
4. वर्ग सघर्ष का समापन
5. सामाजिक कल्याण
6. नैतिक उत्थान

(स) राजनीतिक उद्देश्य

1. राजकीय नीति को सफल बनाना
2. सीमा सुरक्षा
3. आन्तरिक शाति
4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

1. उत्पादन वृद्धि (Increase is Production) – आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन वृद्धि होता है। नियोजन मे उत्पत्ति के साधनो का विवेकपूर्ण उपयोग करके कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि पर बल दिया जाता है। कृषि और औद्योगीकरण के विशेष प्रयास किए जाते है। उत्पादन वृद्धि से लोगो को आवश्यक वस्तुए पर्याप्त मात्रा मे मुहैया होती है। इससे साधारण जनता को आर्थिक नियोजन के महत्त्व का आभास होता है। अधिकतम उत्पादन से सामाजिक समृद्धि होती है।

2. आधारभूत सरचना का विकास (Development of Infrastructure) – आधारभूत सरचना के अभाव मे आर्थिक विकास सभव नहीं है। विकास के लिए आज आधारभूत सरचना का विकास अनिवार्य शर्त है। विकासशील देशो मे आधारभूत सरचना के अभाव मे विकास गति नहीं पकड सका। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आधारभूत सरचना का विकास करना होता है। नियोजन मे सडके, रेल्वे, जलापूर्ति, विद्युत के विकास का लक्ष्य रखा जाता है ताकि विकास की क्रियाओ मे किसी प्रकार की बाधा नहीं हो।

3. रोजगार सृजन (Employment Creation) – आर्थिक नियोजन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानव ससाधनो का समुचित उपयोग करना होता है। नियोजन मे उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रोजगार वृद्धि से जुडा होता है। नये क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगो की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि से रोजगार सृजन होता है। भारत मे लोगो को आधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वास्ते लघु कुटीर उद्योगो के विकास पर अधिक जोर दिया गया। गुन्नार मिर्डल ने कहा कि, "नियोजन मे विकास का लक्ष्य उस श्रम शक्ति का उपयोग होना चाहिए जिसका इस समय बहुत कम उपयोग हो रहा है।" रुस ने नियोजन को आत्मसात कर प्रथम योजना मे ही बेरोजगारी पर काबू पा लिया। अमरीका ने बेरोजगारी दूर करने के लिए 'न्यूडील' योजना क्रियान्वित की। भारत मे श्रम शक्ति वृद्धि की तुलना मे रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। भविष्य मे श्रम शक्ति की वृद्धि को कम करने के लिए जनसख्या को सीमित करने की आवश्यकता है।

4. आर्थिक विषमता मे कमी (Decrease in Economic Disparities)– आर्थिक नियोजन के माध्यम से रोजगार वृद्धि के इस प्रकार प्रयास किए जाते है कि गरीब व्यक्तियो की आय मे अधिक वृद्धि हो। इससे धनिकों और गरीबो के बीच असमानता कम होती है। विकासशील देशो मे आर्थिक विषमता बडे पैमाने पर दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के साधनो का न्यायोचित वितरण करना होता है। इससे समाज मे व्याप्त आर्थिक विषमता दूर होती है। भारत मे आर्थिक विषमता को कम करने वास्ते 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया। आर्थिक नियोजन मे नियोजक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि आय का अधिक भाग गरीब लोगो को प्राप्त हो। नियोजको के प्रयासो के वावजूद यह आवश्यक नही कि आय का वितरण न्यायपूर्ण हो। आय का वितरण समान नहीं

होने से समाज मे असतोष पनपता है। अत नियोजन का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है।

5 सतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Growth) – आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक परियोजनाए इस प्रकार बनाई जाए कि पिछडे क्षेत्रो का अधिक विकास हो। विकासशील देशो मे क्षेत्रीय असतुलन की समस्या मुखर रहती है। इसका कारण वित्तीय ससाधना का अभाव तथा आर्थिक निर्णयो का राजनीति प्रेरित होना है। आर्थिक नियोजन म सभी क्षेत्रो के सतुलित विकास से सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। भारत मे नियोजित विकास के दौरान राजस्थान के मरुस्थल मे सिचाई विकास तथा पेयजल मुहैया कराने को प्राथमिकता दी गई। होजपेट सलेम तथा मथुरा म आधारभूत उद्योगो की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार के निर्णयो से क्षेत्रीय असतुलन को कम करने मे मदद मिली।

6 प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) – आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उपलब्ध सीमित ससाधना का श्रेष्ठतम उपयोग करना होता है। विकासशील देशो मे प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता होती है किंतु वित्तीय ससाधनो के अभाव मे इनका समुचित विदोहन नहीं हो पाता है। इस कारण ये देश पिछडे रह जाते हैं। विकासशील देशो मे प्रभावी लोग ससाधनो का बडा भाग अपने लाभ के लिए काम मे ले लेते हैं। आर्थिक नियोजन मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो यथा भूमि वन जल खनिज का अधिकाधिक लोगो के हित मे उपयोग का प्रयत्न किया जाता है। प्राकृतिक ससाधनो के विवेकपूर्ण विदोहन से तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

7 आर्थिक स्थायित्व (Economic Stability) – दुनिया के अनेक देश बढती मुद्रास्फीति की समस्या से ग्रसित हैं। विकसित देशो की तुलना मे विकासशील देशों मे बढती महगाई की समस्या मुखर है। विकासशील देश कर और ऋणों द्वारा ससाधन जुटा नहीं पाते हैं। ये देश विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेते हैं। भारत म घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढी। के एन भट्टाचार्य के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था की तुलना अग्नि से की जा सकती है अगर इसका नियमन नहीं किया जाए तो यह भारी बर्बादी उत्पन्न कर सकती है परन्तु यह नियमन के साथ प्रकाश तथा गर्मी प्रदान करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा औषधि की भाति थोडी मात्रा मे ही लिया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति से अच्छी स अच्छी योजना के सफल होने की सभावना धूमिल हो जाती है कि आर्थिक नियोजन मे उत्पादन वितरण तथा माग का इस प्रकार समन्वय किया जाता है कि आर्थिक स्थायित्व बना रह सके। आर्थिक नियाजन की सफलता के लिए आर्थिक स्थायित्व का उद्देश्य आत्मसात करना वाछनीय होता है।

8 कृषि विकास (Agriculture Growth) – भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किंतु किसानो की माली हालत दयनीय है। भारत मे नियोजन का एक उद्देश्य कृषि का विकास करना है। पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास को प्रमुखता दी गई। प्रथम पचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी। बाद की पचवर्षीय योजनाओं में कृषि को कमोबेश बल दिया गया। कृषि क्षेत्र के सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि की गई। कृषि विकास से खाद्यान्न आपूर्ति तो सुगम होती ही है। इसके साथ औद्योगीकरण को भी बल मिलता है। कृषि के विकास से गावो मे खुशहाली की लहर दौडती है।

9. **औद्योगिक विकास** (Industrial Growth) — आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि औद्योगिक विकास बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है। विकासशील देश औद्योगीकरण की दृष्टि से काफी पिछडे हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य औद्योगिक विकास की गति को तेज करना होता है। दुनिया के अनेक देशो ने औद्योगीकरण के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना उद्योग-प्रधान थी। औद्योगिक विकास आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। प नेहरु ने इस सबध मे कहा, "भारत मे नियोजन की नीति औद्योगीकरण की है।" आज जापान आर्थिक जगत का सिरमोर है। जापान ने औद्योगिक विकास से प्रमुख समस्याओ को हल किया। जापान का औद्योगीकरण विकासशील देशो के लिए प्रेरणा स्रोत है। नियोजन के माध्यम से औद्योगिक विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है।

10. **आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना** (Abolition of Centralisation of Economic Power) — नियोजन का उद्देश्य आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना होता है। नियोजन मे सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त कर उसे अधिक से अधिक व्यक्तियो मे बाटने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील कर प्रणाली मे धनिको पर अधिक कर लगाया जाता है। कर से प्राप्त राशि को गरीबो के हितार्थ प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होने उत्पादन के साधनो पर एकाधिकार कर रखा है। उनका यह अधिकार बेसहारा व्यक्तियो को बाटने का प्रयास किया जाता है।

11. **आत्मनिर्भरता** (Self-sufficiency) — विश्व के प्राय सभी देश आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत हैं। किंतु विकासशील देश आर्थिक विकास वास्ते विकसित देशो की सहायता पर निर्भर हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अन्तत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है। भारत आर्थिक नियोजन के मार्ग द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। वर्तमान मे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर है। अर्थव्यवस्था मे आत्मनिर्भरता प्राप्ति नियोजन का प्रमुख लक्ष्य है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्राकृतिक ससाधनो के विवेकपूर्ण विदोहन ओर मानव ससाधन विकास की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता से आवश्यकताओं के लिए अन्य देशो पर आश्रितता कम हो जाती है। भारत के विकसित नहीं हो जाने तक विकसित देशों पर निर्भरता बनी रहेगी।

12 **राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि** (Increase in National Income and Per Capita Income) – राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि आर्थिक विकास के सूचक है। बढती राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को दर्शाती है। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीय आय के बढने से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हो। भारत की राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हुई। किन्तु जनाधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति आय मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय मे भी वृद्धि करना होता है। प्रति व्यक्ति आय के बढने से देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढता है तथा सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत की सातवीं पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि का 5 प्रतिशत लक्ष्य था।

13 **युद्ध के बाद पुनर्निर्माण** (Reconstruction After War) – युद्ध से सुरक्षा व्यय मे भारी वृद्धि होती है। बहुमूल्य ससाधनो को युद्ध की ओर मोडना होता है। किसी देश मे युद्ध के लम्बा खींचने से अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो जाती है। देश मे आवश्यक वस्तुओ का अभाव हो जाता है। कुछ स्वार्थी तत्त्व वस्तुओ की कालाबाजारी में सलग्न हो जाते हैं। नियोजन युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में सहायक होता है। आर्थिक नियोजन के माध्यम से स्वय सरकार विकास मे भूमिका निभाती है। जापान की पुनर्निर्माण योजना यूरोप मे मार्शल योजना युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण के उदाहरण हैं। भारत को स्वतत्रता के पाच दशकों मे चार बडे युद्ध और कारगिल में सीमित युद्ध लडना पडा। इन युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तृतीय पचवर्षीय योजना मे भारत को 1962 मे चीन से तथा 1965 मे पाकिस्तान से युद्ध लडना पडा। एक ही पचवर्षीय योजना मे दो युद्धों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। चतुर्थ पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाए (1966 69) बनानी पडी। नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सबल मिला।

14 **तीव्र आर्थिक विकास** (Rapid Economic Growth) – आर्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देश का तीव्र विकास करना होता है। नियोजन में उपलब्ध ससाधनो का अधिकतम उपयोग किया जाता है। आतरिक ससाधनो के अभाव मे विकास की गति बढाने मे विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है। कृषि विकास तथा औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। तीव्र विकास के सबध में गुन्नार मिर्डल ने कहा अनेक कम विकसित देश आज राष्ट्रीय नियोजन के माध्यम से विकास कार्यों का सचालन करने और विकास की गति को तेज करने के लिए वचनबद्ध हैं।"

15 **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास** (Development of Public Sector Undertakings) – विकासशील देशो में निजी क्षेत्र आधारभूत उद्योगों और जोखिम भरे क्षेत्रो में पूजी निवेश नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में सरकार पर विकास का बडा दायित्व आ जाता है। आर्थिक नियोजन में औद्योगीकरण की

गति को तेज करने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना करती है। भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ने औद्योगिक विकास मे कारगर भूमिका निभाई। यद्यपि ये उपक्रम विनियोजित पूजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर सके। ऐसा सार्वजनिक उपक्रमो के सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण हुआ। भारत के सार्वजनिक उपक्रमो में सरकार के खरबों रुपए विनियोजित है। लाखो की तादाद मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है।

(ब) **सामाजिक उद्देश्य** (Social Objectives)

विकासशील देशो की स्थिति सामाजिक विकास की दृष्टि से दयनीय होती है। समाज निरक्षरता के अधकार के कारण रुढिवादिता और अधविश्वासो मे डूबा होता है। आर्थिक असमानता के कारण गरीबों का शोषण होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा सामाजिक विसगतियो को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

1. **सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता** (Availability of Social Services) — आर्थिक विकास के लिए देशवासियो का शिक्षित, प्रबुद्ध और स्वस्थ होना जरुरी है। अच्छे शैक्षिक वातावरण के बिना नियोजन की सफलता सदिग्ध है। आर्थिक नियोजन का महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य लोगो की शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। जापान सामाजिक सेवा की दृष्टि से विकसित देश है। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक विकास पर बल दिया जिससे साक्षरता के स्तर मे वृद्धि हुई है, किंतु भारत की स्थिति आज भी सामाजिक विकास के क्षेत्र मे विश्व के देशो की तुलना मे कमजोर है।

2. **सामाजिक सुरक्षा** (Social Security) — आर्थिक नियोजन द्वारा देशवासियो के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधाए मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। समाज के व्यक्तियो को गरीबी, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। समाज के वृद्धों, विधवाओं, अपगों तथा असहाय व्यक्तियो को पेंशन या मासिक वृत्ति की व्यवस्था की जाती है। विश्व के कई देशो मे व्यक्तियो को सामाजिक बीमा योजनाए लागू कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3. **सामाजिक सहायता** (Social Assistance) — आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों मे समानता के अवसर प्रदान करना होता है ताकि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन में पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। समाज के पिछडे वर्गो को आगे बढाने वास्ते आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गरीब वर्ग के छात्रो को अनुदान और छात्रवृत्तिया दी जाती हैं।

4. **वर्ग सघर्ष का समापन** (Abolition of Class Struggle) — आर्थिक विषमता के कारण समाज के धनी और निर्धन वर्गों मे बट जाने के कारण वर्ग

सघर्ष का जन्म हाता है। आर्थिक नियोजन म सरकार वर्ग सघर्ष को कम करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार आर्थिक समानता, सामाजिक समानता पर जोर देती है।

5 **सामाजिक कल्याण** (Social Welfare) – नियोजन मे सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रयास करती है। न्याय और आर्थिक समानता से सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज म फैली बुराइयो और कुरीतियो को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।

6. **नैतिक उत्थान** (Moral Upliftment) – देश के आर्थिक विकास मे मानव का सर्वांगीण विकास निहित है। शैक्षिक विकास से देशवासियो का बौद्धिक उत्थान होता है। नियोजन मे अनावश्यक और हानिकारक उत्पादो पर रोक लगाई जाती है।

(स) राजनीतिक उद्देश्य (Political Objectives)

आर्थिक नियोजन के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्या के अलावा राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। आज सरकार की आर्थिक नीतियो पर राजनीतिक छाप स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर हाती है। प्रजातात्रिक सरकारे जनता से विभिन्न वायदे करती हैं। आर्थिक नियोजन के राजनीतिक लाभ निम्नलिखित हैं–

1. **राजकीय नीति को सफल बनाना** (To make Government Policy a Success) – आर्थिक नियोजन सरकारी नीति को प्रतिबिम्बित करता है। प्रत्येक सरकार सामान्यतया समाजवाद, साम्यवाद, पूजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था में से किसी एक को चुनती है। आर्थिक नियोजन को चुनी हुई नीति की सफलता के उपकरण की तरह काम मे लिया जाता है। भारत मे आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। यहा की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को फलने–फूलने का पर्याप्त अवसर है।

2. **सीमा सुरक्षा** (Border Security) – जिन देशो के पडौसियों के इरादे नापाक हाते हैं तथा लडाई–झगडे के लिए तैयार रहते हैं, अघोषित युद्ध छेडे रखते हैं, सीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करते हैं ऐसे पडोसिया स बचाव के लिए सुरक्षा सबधी उद्योगा का विकास करना पडता है। शक्तिशाली देश की ओर कोई उगली नहीं उठा सकता। आर्थिक नियोजन में देश की सरकार अपनी सीमाओं को बाह्य आक्रमणो से सुरक्षित रखती है। भारत ने स्वतत्रता के पाच दशकों में पाच युद्धो के कारण सुरक्षा के साथ विकासोन्मुख नीति आत्मसात की।

3. **आतरिक शाति** (Internal Peace) – आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश मे शाति व्यवस्था बनाए रखना है। आज चुनावो में स्थानीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हाते हैं। जनता की आकाक्षाए सतत बढती है। जनता चुने हुए प्रतिनिधियो से अधिकाधिक सुविधाए पाने का प्रयास करती है। आर्थिक नियोजन में निर्णय राजनीति से प्रेरित होते है। कई बार आधारभूत उद्योग, महाविद्यालय, सडकें, नहरें आदि के बारे मे

जनता की माग के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ताकि जनसाधारण मे शाति बनी रहे।

4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation) – आर्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होता है। विभिन्न देशो के बीच मधुर सबधो के लिए आर्थिक नियोजन सहायक है। इससे अन्य देशो के साथ व्यापारिक और आर्थिक सबध मजबूत होते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य देश के विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। नियोजन के उद्देश्यो के आधार पर यद्यपि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भागो मे विभक्त किया गया है किंतु ये परस्पर सबधित हैं। अल्पकाल मे परस्पर विरोधी हो सकते हैं किंतु दीर्घकाल मे भेद समाप्त हो जाता है। इनमे कभी–कभी राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यो की प्रधानता होती है तो कभी–कभी आर्थिक उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाता है। युद्धजनित सकट काल मे राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यो की महत्ता होती है तो शाति के समय सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता रहती है। आर्थिक नियोजन सदैव उद्देश्यों के सदर्भ मे किया जाता है और उद्देश्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

भारत मे आर्थिक नियोजन की उपलब्धिया
(Achievements of Economic Planning in India)

भारत का अतीत आर्थिक रूप से धनाढ्य रहा है। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे यहा के उत्पादो की व्यापक माग थी। व्यापार सतुलन सदैव पक्ष मे रहता था। हस्तशिल्प रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया मे कला और सास्कृतिक वैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई व ढुलाई मे भारत काफी आगे बढ चुका था। भारत की इस समृद्धि पर विश्व के अनेक देशो की लालचभरी दृष्टि पडी। अग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहा आए और कूटनीति से हमे गुलामी के शिकजे मे जकड लिया। यहीं से भारत के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई। अठारहवी शताब्दी के अत से परम्परागत उद्योगो का एक–एक करके खात्मा होने लगा। उद्योगो के उजडने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारभ होकर अन्य उद्योगो तक व्यापक हो गई। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान देश के रुप मे परिवर्तित हो गया।

ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि नही ली। विदेशियो ने भारत की प्राकृतिक सपदा का मनमाफिक दोहन किया। विद्वेषपूर्ण नीति से ब्रिटेन मे औद्योगीकरण को तीव्र गति मिली, किंतु भारत का औद्योगिक आधार टूट गया। स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बद से बदतर थी। औद्योगीकरण के नाम पर लघु इकाइया थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार

2. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय (National Income and Per Capita Income) – राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय सामान्य रुप से देशवासियो द्वारा उत्पादन के साधनो से अर्जित वह आय है, जिसमे से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। राष्ट्रीय आय मे जनसख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है।

वर्ष 1950-51 से 1992-93 तक की 42 वर्षो की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय 1980-81 की की कीमतो के आधार पर 40,454 करोड रुपए से बढकर 1,95,602 करोड रुपए हो गई। इस हिसाब से वार्षिक विकास दर 4 प्रतिशत रही। वर्तमान मूल्यो पर राष्ट्रीय आय 1983-84 मे 1,66,550 करोड रुपए थी जो 1990-91 मे बढकर 4,18,074 करोड रुपए तथा 1997-98 मे और बढकर 12,65,167 करोड रुपए हो गई।

प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) 1980-81 के मूल्यो पर वर्ष 1950-51 मे 1,127 रुपए थी जो 1990-91 मे बढकर 2,223 रुपए तथा 1992-93 मे और बढकर 2,243 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1990-91 मे 4,983 रुपए तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानो मे 13,193 रुपए थी।

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और -
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

(वर्तमान मूल्यो पर)

वर्ष	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (करोड रुपए)	प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (रुपए)
1950-51	8,574	239
1960-61	14,242	328
1970-71	36,503	675
1980-81	1,10,685	1630
1990-91	4,18,074	4983
1995-96	9,75,645	10525
1996-97	11,40,895	12099
1997-98 (त्वरित अनुमान)	12,65,167	13193
1998-99 (त्वरित अनुमान)	14,31,527	14682

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1998-99 तथा 1999-2000

3. आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth Rate)

नियोजित विकास की विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (1980-81 मूल्यो पर) की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही। प्रथम योजना 3 7

प्रतिशत, द्वितीय योजना 4 1 प्रतिशत तृतीय योजना 2 7 प्रतिशत, तीन वार्षिक 1966-69 याजनाए 3 9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 3 4 प्रतिशत पाचवी याजना 5 0 प्रतिशत, वार्षिक योजना (1979-80) 4 9 प्रतिशत, छठी योजना 5 5 प्रतिशत, सातवीं योजना 5 8 प्रतिशत, वार्षिक याजना (1990-91) 5 2 प्रतिशत, वार्षिक योजना (1991-92) 0 5 प्रतिशत।

आठवीं याजना के पाच वर्षो की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही – 1992-93 मे 5 2 प्रतिशत, 1993-94 म 6 2 प्रतिशत, 1994-95 मे 7 7 प्रतिशत, 1995-96 में 7 8 प्रतिशत तथा 1996-97 म 8 1 प्रतिशत। आठवी याजना मे आर्थिक वृद्धि दर 5 8 प्रतिशत रही जो आठवीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य 5 6 प्रतिशत से अधिक थी।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

वर्ष	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1951-52	2 5
1960-61	7 0
1970-71	5 1
1980-81	7 3
1990-91	5 2
1995-96	7 8
1996-97	7 5
1997-98 (अस्थायी)	5 0
1998-99 (त्वरित अनुमान)	6 8
1999-2000 (अग्रिम अनुमान)	5 9

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1998-99 तथा 1999-2000

4. पूजी निर्माण और बचत दर (Capital Formation and Saving Rate)

सकल घरेलू पूजी निर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद क प्रतिशत मे) वर्ष 1950-51 में 10 2 प्रतिशत थी जो बढकर 1990-91 म 27 7 प्रतिशत हो गई। पूजी निर्माण दर 1992-93 मे 23 9 प्रतिशत तथा 1997-98 क त्वरित अनुमानों म 24 8 प्रतिशत रही। सकल घरेलू बचत दर वर्ष 1950-51 मे 10 4 प्रतिशत थी जो बढकर 1990-91 म 24 3 प्रतिशत हो गई। वष 1997-98 के त्वरित अनुमाना म बचत दर घटकर 23 1 प्रतिशत रह गई।

5. कृषि में प्रगति (Progress in Agriculture)

भारत गावा का दश है। अस्सी प्रतिशत आबादी गावा म निवास करती है।

बीस प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गावो के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावों का विकास कृषिगत विकास मे समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन सभी बातो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल मे कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई।

भारत की विशाल जनसख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। औद्योगीकरण की गति भी एक बडी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि की प्रगति के लिए 1966-67 मे नवीन कृषि व्यूहरचना प्रारभ की गई। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि के लिए 22,467 2 करोड रुपए का आवटन किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 5 2 प्रतिशत था। नियोजित विकास मे कृषिगत प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 मे खाद्यान्न उत्पादन 5 08 करोड टन था जो बढकर 1990-91 मे 17 64 करोड टन हो गया। वर्ष 1997-98 मे खाद्यान्न उत्पादन बढकर 19 24 करोड टन तक जा पहुचा।

कृषि एव सबंद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय

(करोड रुपए)

योजना	परिव्यय	कुल सार्वजनिक परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय योजना	1088 9	12 7
चौथी योजना	2320 4	14 7
पाचवी योजना	4864 9	12 3
छठी योजना (केवल कृषि)	6623 5	6 1
सातवीं योजना	12792 6	5 8
आठवीं योजना (प्रस्तावित)	22467 2	5 2
नौवीं योजना (प्रस्तावित)	36658 0	4 2

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1994-95 तथा *आठवीं पचवर्षीय योजना*, वोल्यूम प्रथम से सकलित।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, किंतु विगत वर्षो मे मानसून अनुकूल रहा है। कृषि उत्पादन मे बढत और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि अनाज उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और निर्यात के लिए भी अतिरेक उत्पादन किया जा सके। खाद्यान उत्पादन को बढाने के लिए सिचाई क्षमता मे वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1950-51 मे सिचाई क्षमता 2 26 करोड हैक्टेयर थी जो बढकर 1991-92 मे 7 88 करोड हैक्टेयर हो गई। इन सब

प्रतिशत द्वितीय योजना 4 1 प्रतिशत तृतीय योजना 2 7 प्रतिशत तीन वार्षिक 1966 69 योजनाए 3 9 प्रतिशत चतुर्थ योजना 3 4 प्रतिशत पाचवी योजना 5 0 प्रतिशत वार्षिक योजना (1979 80) 4 9 प्रतिशत छठी योजना 5 5 प्रतिशत सातवी योजना 5 8 प्रतिशत वार्षिक योजना (1990 91) 5 2 प्रतिशत वार्षिक योजना (1991 92) 0 5 प्रतिशत।

आठवी योजना के पाच वर्षो की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही – 1992 93 मे 5 2 प्रतिशत 1993 94 मे 6 2 प्रतिशत 1994 95 मे 7 7 प्रतिशत 1995 96 मे 7 8 प्रतिशत तथा 1996 97 म 8 1 प्रतिशत। आठवी योजना मे आर्थिक वृद्धि दर 5 8 प्रतिशत रही जो आठवीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य 5 6 प्रतिशत से अधिक थी।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

वर्ष	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1951 52	2 5
1960 61	7 0
1970 71	5 1
1980 81	7 3
1990 91	5 2
1995 96	7 8
1996 97	7 5
1997 98 (अस्थायी)	5 0
1998 99 (त्वरित अनुमान)	6 8
1999 2000 (अग्रिम अनुमान)	5 9

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1998 99 तथा 1999 2000

4 **पूजी निर्माण और बचत दर** (Capital Formation and Saving Rate)

सकल घरेलू पूजी निर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे) वर्ष 1950 51 मे 10 2 प्रतिशत थी जो बढकर 1990 91 म 27 7 प्रतिशत हो गई। पूजी निर्माण दर 1992-93 मे 23 9 प्रतिशत तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानों म 24 8 प्रतिशत रही। सकल घरेलू बचत दर वर्ष 1950 51 मे 10 4 प्रतिशत थी जो बढकर 1990 91 मे 24 3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1997 98 के त्वरित अनुमानो मे बचत दर घटकर 23 1 प्रतिशत रह गई।

5 **कृषि में प्रगति** (Progress in Agriculture)

भारत गावो का देश है। अस्सी प्रतिशत आबादी गावो मे निवास करती है।

बीस प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गावो के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावो का विकास कृषिगत विकास में समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन सभी बातो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल मे कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई।

भारत की विशाल जनसख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। औद्योगीकरण की गति भी एक बडी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि की प्रगति के लिए 1966-67 मे नवीन कृषि व्यूहरचना प्रारभ की गई। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि के लिए 22,467 2 करोड रुपए का आवटन किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 5 2 प्रतिशत था। नियोजित विकास मे कृषिगत प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 मे खाद्यान्न उत्पादन 5 08 करोड टन था जो बढकर 1990-91 मे 17 64 करोड टन हो गया। वर्ष 1997-98 मे खाद्यान्न उत्पादन बढकर 19 24 करोड टन तक जा पहुचा।

कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय

(करोड रुपए)

योजना	परिव्यय	कुल सार्वजनिक परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय योजना	1088 9	12 7
चौथीं योजना	2320 4	14 7
पाचवी योजना	4864 9	12 3
छठी योजना (केवल कृषि)	6623 5	6 1
सातवीं योजना	12792 6	5 8
आठवीं योजना (प्रस्तावित)	22467 2	5 2
नौवीं योजना (प्रस्तावित)	36658 0	4 2

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1994-95 तथा *आठवीं पचवर्षीय योजना* वोल्यूम प्रथम से सकलित।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, किंतु विगत वर्षो मे मानसून अनुकूल रहा है। कृषि उत्पादन मे बढत और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि अनाज उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके ओर निर्यात के लिए भी अतिरेक उत्पादन किया जा सके। खाद्यान उत्पादन को बढाने के लिए सिचाई क्षमता मे वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1950-51 मे सिचाई क्षमता 2 26 करोड हैक्टेयर थी जो बढकर 1991-92 मे 7 88 करोड हैक्टेयर हो गई। इन सब

प्रयारा की सुखद परिणति खाद्यान्न उत्पादन मे वढोतरी के रुप म परिलक्षित हुई। वर्ष 1949 50 से 1992 93 के बीच कृषि उत्पादन म 2 71 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर बढोतरी हुई। परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता जो 1950 के दशक म 395 ग्राम थी बढकर 1991 मे 510 ग्राम के स्तर तक पहुच गई।

6 औद्योगिक विकास (Industrial Development)

कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत ने औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। इस बात की पुष्टि आजादी के शुरुआती मे ही घोषित औद्योगिक नीति से सहज ही हो जाती है। द्वितीय पचवर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी। नियोजित विकास मे औद्योगिक प्रगति के लिए भारी पूजी निवेश किया गया।

पचवर्षीय योजनाओं मे सार्वजनिक क्षेत्र मे किये गए वास्तविक योजना परिव्यय का उद्योग व खनन विकास शीर्ष पर आवटन इस प्रकार रहा – तीसरी पचवर्षीय योजना 1 726 3 करोड रुपए चौथी पचवर्षीय योजना 2864 4 करोड रुपए पाचवीं योजना 8 988 6 करोड रुपए छठी योजना 16947 5 करोड रुपए सातवीं योजना 29 220 3 करोड रुपए आठवीं पचवर्षीय याजना मे उद्योग व खनन पर 46 921 7 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 10 8 प्रतिशत था। वर्ष 1995 96 की वार्षिक योजना के सशोधित अनुमानो म उद्योग पर 10 817 28 करोड रुपए खर्च किया गया। वर्ष 1999 2000 की 1 03 521 करोड रुपए (बजट अनुमान) की वार्षिक योजना में उद्योग के लिए 8672 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

नियोजित विकास की एक बडी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तेजी से विकास है। पहली पचवर्षीय योजना के प्रारभ मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो की सख्या 5 थी तथा उनमे 29 करोड रुपए का कुल पूजी निवेश था। सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या सातवीं योजना के अत मे (मार्च 1990) बढकर 244 हो गई तथा उनमे पूजी निवेश बढकर 99 329 करोड रुपए हो गया। 31 मार्च 1993 को सार्वजनिक क्षेत्र के 245 उपक्रमों मे 1 46 971 करोड रुपए का पूजी निवेश था।

नियोजन काल मे सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या तथा कुल पूजी निवेश में भारी बढोतरी हुई किन्तु अधिकाश सार्वजनिक उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। ये उपक्रम विनियोजित पूजी पर अपेक्षित प्रत्याय अर्जित नहीं कर रहे हैं नतीजतन आर्थिक उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक उपक्रम चर्चित रहे। महत्वपूर्ण बदलाव के रुप म इनमे विनिवेश की प्रक्रिया प्रारभ की गई। वर्ष 1999 2000 में सार्वजनिक उपक्रमो स 10 000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

भारत में औद्योगिक सवृद्धि दर 1981 82 के बाद के वर्षो मे कुछेक वर्षो को छोडकर 8 प्रतिशत से अधिक रही। वर्ष 1982 83 में औद्योगिक सवृद्धि दर

3 2 प्रतिशत, 1983-84 मे 6 7 प्रतिशत तथा 1987-88 में 7 3 प्रतिशत रही। वर्ष 1981-82 मे यह 9 3 प्रतिशत तथा 1986-87 मे 9 2 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। वर्ष 1981-82 से 1990-91 के बीच औसत औद्योगिक सवृद्धि दर 7 9 प्रतिशत रही।

विशिष्ट उद्योगो का उत्पादन

(मिलियन टन)

मद	1950-51	1990 91	1992-93	1997-98	1998 99
सीमेंट	2 7	48 8	54 7	82 9	88 0
विद्युत उत्पादन*	5 1	264 3	301 4	420 6	448 4
कच्चा तेल	0 3	33 0	27 0	33 9	32 7
कोयला	32 3	225 5	254 9	319 0	315 7
तैयार इस्पात	1 04	13 53	15 2	23 4	23 8

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे*, 1998-99 तथा 1999-2000

*विद्युत उत्पादन बिलियन किलोवाट में।

औद्योगिक सवृद्धि दर 1991-92 में 0 6 प्रतिशत, 1992-93 में 2 3 प्रतिशत तथा 1993-94 मे 6 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 मे नीची औद्योगिक सवृद्धि दर का कारण आर्थिक सकट था। आर्थिक सुधारो के परिणामस्वरुप औद्योगिक वृद्धि 1994-95 के 8 4 प्रतिशत से बढकर 1995-96 मे 12 8 प्रतिशत तक जा पहुची। अप्रैल–अक्टूबर 1998-99 में खनन में –1 1 प्रतिशत, निर्माण में 3 7 प्रतिशत तथा विद्युत म 6 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगो की भी भूमिका बढी। कुल औद्योगिक उत्पादन मे लघु उद्योगों का योगदान 1990-91 मे 41 प्रतिशत, 1991-92 म 39 प्रतिशत, 1992-93 मे 39 46 प्रतिशत और 1993-94 में 40 62 प्रतिशत रहा। वर्ष 1997-98 में 30 14 लाख लघु इकाइया थी उनमे चालू मूल्य दर 4,65,171 करोड रुपये का उत्पादन हुआ। लघु उद्योगो में 167 20 लाख व्यक्ति नियोजित थे तथा 43,946 करोड रुपए की निर्यातित आय हुई।

सामाजिक विकास के कुछ सूचक (Some Social Development Indicators)

नियोजन काल मे सामाजिक विकास क्षेत्र मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 1991-92 मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग 182 किलोग्राम था। पुरुषो की औसत आयु 1991-92 मे 57 7 वर्ष तथा महिलाओ की औसत आयु 58 7 वर्ष हो गई। वर्ष 1991-92 मे प्रति हजार जन्म पर शिशु मृत्यु दर 78, प्रति हजार पर मृत्यु दर 10 तथा प्रति हजार पर जन्म दर 28 9 थी। शहरी क्षेत्रों मे 75 प्रतिशत तथा गावो मे 27 प्रतिशत परिवार विद्युत उपभोग करते हैं। भारत निरक्षरता

के अधकार मे डूबा हुआ था। नियोजित विकास मे साक्षरता वृद्धि दर पर जोर दिया गया। जिससे साक्षरता मे बढोतरी हो रही है। वर्ष 1950-51 मे साक्षरता प्रतिशत 18 33 था जो बढकर 1960-61 मे 28 31 प्रतिशत 1970-71 मे 34 45 प्रतिशत 1980 81 मे 43 56 प्रतिशत तथा 1990 91 मे 52 2 प्रतिशत हो गया। आज भी आधी आबादी निरक्षरता के अधकार मे है। महिलाओ मे साक्षरता केवल 39 3 प्रतिशत ही है। पुरुषो की साक्षरता को और बढाने की आवश्यकता है। साक्षरता वृद्धि से ही आर्थिक विकास मे वढोतरी सभव है।

आर्थिक नियोजन की असफलताए
(Failures of Economic Planning)

भारत नियोजित विकास की लम्बी यात्रा तय कर चुका है। पचास वर्षो के नियोजन काल मे आठ पचवर्षीय योजनाए सम्पन्न हो चुकी। इसी दौरान छह वार्षिक योजनाए भी पूरी हुईं। नौवीं पचवर्षीय योजना मार्च 2002 मे पूर्ण होगी। नियोजन काल मे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मे भारी विनियोजन किया गया। आठवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 4 34 100 करोड रुपए निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना का वास्तविक परिव्यय 4 85 457 करोड रुपए रहा। नियोजित विकास की पाच दशक की यात्रा और अरबो रुपए के विनियोजन बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो तस्वीर धुधली नजर आती है। विश्व परिप्रेक्ष्य मे आज भी भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाती हैं। गरीबी बेरोजगारी महगाई क्षेत्रीय असतुलन आर्थिक विषमता आदि से भारतीय अर्थव्यवस्था घिरी हुई है। इन समस्याओ के रहते हुए कृषि और उद्योगो के क्षेत्र मे हुई प्रगति फीकी है।

1 बेरोजगारी (Unemployment) – नियोजित विकास मे बेरोजगारी मे कमी नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण रोजगार चाहने वालो की तुलना मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि नहीं होना है। शिक्षा पद्धति भी रोजगार परख नहीं रही। जनाधिक्य भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ग्रामीण भारत मे बेरोजगारी की समस्या भयावह है। कृषि क्षेत्र म छिपी हुई बेरोजगारी बडे पैमाने पर व्याप्त है। शहरी क्षेत्रा मे भी लोग योग्यता के अनुरुप काम पर लगे हुए नहीं है।

भारत मे वर्ष 1987 88 म बेरोजगारी दर (श्रम शक्ति के प्रतिशत मे) 3 77 प्रतिशत थी। सामान्य मुख्य कार्य दिवस की दृष्टि से कुछ राज्यो मे बेरोजगारी दर चितनीय है। यह असम मे 5 62 प्रतिशत हरियाणा मे 5 86 प्रतिशत, केरल मे 17 07 प्रतिशत बगाल मे 6 06 प्रतिशत है। राजस्थान म बेरोजगारी दर 2 68 प्रतिशन है।

रोजगार कार्यालयों मे रोजगार के इच्छुक व्यक्तियो की दर्ज सख्या 31 दिसम्बर 1992 तक 178 36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढकर 366 लाख हो गई। वास्तव म बेरोजगारो की सख्या कहीं अधिक है। बेरोजगारो की

सख्या बढकर 1997 मे 380 लाख हो गई। रोजगार कार्यालय कुछ सीमा तक ही बेरोजगारी की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं।

2. गरीबी (Poverty) – देश मे गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाए सम्पन्न हो चुकी है। वर्ष दर वर्ष गरीबो के लिए नई योजनाए घोषित की जा रही हैं। करोडो रुपए इन योजनाओ मे आवटित किए गए, किन्तु भारत को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिली। आकडो के हिसाब से गरीबो की सख्या मे अवश्य कमी हुई है। किन्तु गरीबी मे कमी नहीं हुई है।

विश्व बैंक की 1990 की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे विश्व के कुल गरीबो का 35 40 प्रतिशत है। भारत के योजना आयोग के अनुसार 1973-74 मे ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 56 4 प्रतिशत थी जो घटकर 1987-88 मे 39 1 प्रतिशत रह गई। शहरी क्षेत्र मे इस समयावधि मे गरीबी 49 प्रतिशत से घटकर 38 2 प्रतिशत रह गई। अखिल भारत स्तर पर गरीबी 1973-74 मे 54 9 प्रतिशत थी जो घटकर 1977-78 मे 51 3 प्रतिशत, 1983-84 मे 44 5 प्रतिशत तथा 1987-88 मे 38 9 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1993-94 मे अखिल भारत स्तर पर गरीबी 36 प्रतिशत थी। वर्ष 1995-96 मे 19 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने के लिए अभिशप्त थी। उडीसा, बिहार, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक मे गरीबी की समस्या ज्यादा है।

3. विदेशी ऋण (Foreign Debt) – भारत में लोगो के गरीब होने के कारण वित्तीय ससाधनो का अभाव रहा, नतीजतन प्राकृतिक ससाधनो का भरपूर उपयोग नहीं किया जा सका। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए नियोजित विकास मे विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे भारी भरकम विनियोजन का प्रावधान किया गया। ससाधनों के अभाव मे योजनाओ की वित्त पूर्ति के लिए विदेशी ऋण पर निर्भर होना पडा। आज भारत दुनिया का तीसरा बडा कर्जदार है। अनेक बार कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पडा। कर्ज का अधिकाश भाग ब्याज और मूलधन अदायगी मे खर्च हो जाता है। ऋण के साथ ऋणदाता राष्ट्र की प्रतिकूल शर्ते भी बाध्य होकर स्वीकार करनी पडती है। भारत पर वर्ष 1989-90 मे 1,30,278 करोड रुपए का विदेशी ऋण था यह सकल घरेलू उत्पाद का 28 5 प्रतिशत था। विदेशी ऋण भार बढकर 1993-94 मे 2,84,204 करोड रुपए तक जा पहुचा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 36 1 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण 1997-98 मे 3,71,565 करोड रुपए तथा सितम्बर 1998 मे 4,05,004 करोड रुपए था। डालर मे विदेशी ऋण 1990-91 मे 83,801 मिलियन डालर था जो बढकर 1997-98 मे 93,908 मिलियन डालर तथा सितम्बर 1998 में और बढकर 95,195 मिलियन डालर हो गया। विदेशी ऋण भार बढने का प्रमुख कारण स्वीकृत विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होना रहा। स्वीकृत विदेशी सहायता के उपयोग का प्रतिशत वर्ष 1980-81 म 56 19 प्रतिशत था। वर्ष 1993-94 मे स्वीकृत विदेशी सहायता का 84 प्रतिशत उपयोग हो सका।

4 **राजकोषीय घाटा** (Fiscal Deficit) – नियोजित विकास मे राजकोषीय घाटा तेजी से बढा। वर्ष 1975 76 मे राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत था। छठी पचवर्षीय योजना मे औसतन राजकोषीय घाटा 6 3 प्रतिशत था जो बढकर सातवी योजना मे औसतन 8 2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991-92 म राजकोषीय घाटा 8 3 प्रतिशत तक जा पहुचा। वर्ष 1996-97 मे राजकोषीय घाटा 66 733 करोड रुपए था जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4 7 प्रतिशत था। वर्ष 1998 99 के बजट मे राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 5 1 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान किया गया।

५ **मुद्रास्फीति** (Inflation) – राजकोषीय घाटे के बढने से मुद्रास्फीति मे भारी बढोतरी हुई। थोक मूल्य सूचकाक (आधार वर्ष 1981 82) 1950 51 मे 16 9 था जो बेतहाशा गति से बढकर 1990 91 मे 182 7 हो गया। वर्ष 1992 93 मे थोक मूल्य सूचकाक 228 7 अक तक जा पहुचा। इसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (आधार वर्ष 1982=100) 1950 51 मे 17 अक था जो बढकर 1990 91 मे 193 तथा 1992 93 मे और बढकर 240 हो गया। हाल के वर्षों मे थोक मूल्य सूचकाक मुद्रास्फीति अवश्य कम हुई है। यह 1993 94 और 1994-95 के 10 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर 1995 96 मे 4 4 प्रतिशत और 1997 98 मे 5 3 प्रतिशत रह गई। यह 31 जुलाई 1999 को 1 62 प्रतिशत थी। इसके बावजूद लोगो को महगाई से राहत नहीं मिली। उपभोक्ता मूल्य सूचकाक मुद्रास्फीति अभी भी अधिक है। गरीबो पर महगाई की मार अधिक है।

६ **जनाधिक्य** (Over Population) – नियोजित विकास की असफलता मे जनाधिक्य उत्तरदायी है। 1981 मे जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2 22 प्रतिशत थी तथा ताजी जनगणना के अनुसार जनसख्या वृद्धि दर 2 14 है। जनाधिक्य के कारणो में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण निर्धनता सामाजिक सुरक्षा का अभाव आदि मुख्य हैं। देश मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है और विकास मूलक योजनाओ का कारगर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। देश मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नही है। विकास की गति को बढाने के लिए ससाधनो के विवेकपूर्ण विदोहन की आवश्यकता है। मानवीय ससाधनो के उपयोग के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने होगे।

प्रश्न और सकेत

लघु प्रश्न

1 आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो को सक्षेप मे समझाइए।
2 नियोजन के आर्थिक उद्देश्यो को स्पष्ट कीजिए।
3 आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यो का वर्णन कीजिए।
4 भारत मे नियोजन की उपलब्धियो पर सक्षिप्त विवरण दीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्दश्य और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।

2 भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो का विवेचन कीजिए (भारत मे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कहा तक पूरे हुए हैं।
(सकेत – दोनो प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखने है तथा दूसरे भाग मे आर्थिक नियाजन की उपलब्धियो पर प्रकाश डालना है।)

3 "नियोजन की क्रिया सौद्देश्य क्रिया है, बिना उद्देश्य नियोजन के विषय मे सोचना सभव नहीं है।' इस कथन को स्पष्ट करते हुए नियोजन के उद्देश्यो पर प्रकाश डालिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले नियोजन के उद्देश्यो की आवश्यकता बतानी है फिर विस्तार से आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो को लिखना है।)

4 भारत मे आर्थिक नियोजन की विफलताओ का वर्णन कीजिए।
(सकेत – अध्याय मे दी गई आर्थिक नियोजन की विफलताआ को लिखना है।)

7

भारत में आर्थिक नियोजन के पांच दशक, योजना परिव्यय और प्राथमिकताएँ

(Five Decades of Economic Planning in India : Plan Outlay and Priorities)

भारत के अतीत मे चहुओर खुशहाली थी। घर-घर मे बिखरी पडी स्वर्ण मुद्राए भारत की समृद्धि की परिचायक थी। भारत की विश्व मे सोने की चिड़िया के रूप म पहचान थी। आर्थिक समृद्धि का लाभ बटोरने के लिए अंग्रेज विदेशी व्यापारी की हैसियत से आए और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया। भारत लम्बे अरसे तक गुलाम राष्ट्र रहा। विदेशियो ने भारत के प्राकृतिक ससाधनो का मनमाफिक दोहन किया। यहा के प्राकृतिक ससाधनो और कुशल कारीगरो के बल पर अपने देश मे औद्योगीकरण को मजबूती दी और भारत कच्चे माल के उत्पादक के रूप म परिवर्तित हो गया। यहा के बाजारो को विदेशी उत्पादो स पाट दिया गया। भारतीयो की आर्थिक रीढ तोड दी गई। समृद्धि मे जीवन जीने के अभ्यस्त भारतवासी दो जून रोटी के लिए बिलखने लगे। अन्तत भारतीयो ने सघर्ष की ठानी। असख्य बलिदानो की कीमत पर अगस्त 1947 म भारत को स्वतत्रता मिली। सन् 1951 मे भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना। पाच दशक की लम्बी दीर्घावधि तक पचवर्षीय योजनाए भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाई रही।

योजना परिव्यय और प्राथमिकताए (Plan Outlay and Priorities)

स्वातत्र्योत्तर आठ पचवर्षीय योजनाए सपन्न हो चुकी। नौवीं पचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 स 2002 निर्धारित की गई है। नियोजित विकास के दौर मे युद्धजनित स्थिति तथा राजनीतिक व आर्थिक कठिनाइयो के कारण कुछ वार्षिक योजनाए भी सम्पन्न हुई जिनमे 1966 67 स 1968 69 1979-80 तथा 1990-91 व 1991-92 की वार्षिक योजनाए मुख्य है।

नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय

(करोड रुपए)

वर्ष	समयावधि	योजना परिव्यय (वास्तविक)
प्रथम पचवर्षीय योजना	1951-56	1960 0
द्वितीय पचवर्षीय योजना	1956-61	4672 0
तृतीय पचवर्षीय योजना	1961-66	8576 5
वार्षिक योजनाए	1966-69	6625 4
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	1969-74	15778 8
पाचवी पचवर्षीय योजना	1974-79	39426 2
वार्षिक योजना	1979-80	12176 5
छठी पचवर्षीय योजना	1980-85	109291 7
सातवीं पचवर्षीय योजना	1985-90	218729 62
वार्षिक योजना	1990-91	58369 3
वार्षिक योजना	1991-92	64751 2
आठवीं पचवर्षीय योजना	1992-97	485457 2
नौवीं पचवर्षीय योजना (अनुमानित)	1997-2002	875000 0

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे* 1994-95 तथा 1999-2000

प्रथम पचवर्षीय योजना

प्रथम पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1951 से मार्च 1956 थी। योजना मे कृषि, सिचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 1960 करोड रुपए था। इस योजना मे पूजी निवेश की दर राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढाकर लगभग 7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम पचवर्षीय योजना के निर्धारित किए गए लक्ष्य मे निम्नाकित दो प्रमुख थे

1 द्वितीय विश्वयुद्ध और देश के विभाजन से उत्पन्न हुए असतुलन को दूर करना।

2 देश का चहुमुखी सतुलित विकास।

द्वितीय पचवर्षीय योजना

दूसरी योजना की समयावधि अप्रैल 1956 से मार्च 1961 निर्धारित की गई। इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक

योजना मे विकास की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5 7 प्रतिशत रखी गई थी। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 15,778 4 करोड रुपए था। योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आवटन मे कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र पर 2,320 04 करोड रुपए, सिचाई व बाढ नियत्रण पर 1354 1 करोड रुपए, ऊर्जा पर 2,931 7 करोड रुपए, ग्रामीण और लघु उद्योगो पर 242 6 करोड रुपए, उद्योग व खनन पर 2,864 4 करोड रुपए तथा यातायात व सचार पर 3,080 4 करोड रुपए खर्च किए गए। योजना परिव्यय मे यातायात व सचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस मद पर कुल योजना परिव्यय का 19 5 प्रतिशत खर्च किया गया।

पाचवीं पचवर्षीय योजना

पाचवी पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रेल 1974 से मार्च 1979 निर्धारित की गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्ति तथा गरीबी उन्मूलन था। योजना मे मुद्रास्फीति पर नियत्रण और आर्थिक स्थिति मे स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई। पाचवीं योजना के दौरान देश मे राजनीतिक बदलाव आया। सन 1978 में काग्रेस की पराजय हुई, जनता पार्टी केन्द्र मे सत्तारुढ हुई। तत्कालीन नई सरकार ने पाचवी योजना को समय से पूर्व अर्थात 1978 मे ही समाप्त कर दिया और 1978 से 1983 तक के लिए छठी पचवर्षीय योजना को मूर्त रुप दिया। वर्ष 1980 के आम चुनाव में काग्रेस फिर सत्तारुढ हुई। पाचवीं योजनावधि की चार वार्षिक योजनाओं को पूरा किया गया। बाद मे फैसला किया गया कि पाचवीं योजना को 1978-79 की वार्षिक योजना के साथ–साथ समाप्त कर दिया जाए तथा नई प्राथमिकताओ और नये कार्यक्रमो को लेकर नई योजना का कार्य शुरु किया जाए।

पाचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 39,426 2 करोड रुपए था। योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आवटन मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र पर 4,864 9 करोड रुपए, सिचाई व बाढ नियत्रण पर 3876 5 करोड रुपए, ऊर्जा पर 7,399 5 करोड रुपए, ग्रामीण और लघु उद्योग पर 592 5 करोड रुपए, उद्योग व खनन पर 8,988 6 करोड रुपए तथा यातायात व सचार पर 6,870 3 करोड रुपए खर्च किया गया। योजना परिव्यय मे उद्योग व खनन और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इन विकास शीर्षो पर योजना परिव्यय का क्रमश 22 8 प्रतिशत तथा 18 5 प्रतिशत खर्च किया गया।

वार्षिक योजना 1979-80 मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 12,176 5 करोड रुपए था। इसमें से कृषि व सबद्ध क्षेत्र पर 1,996 5 करोड रुपए, ऊर्जा पर 2,240 5 करोड रुपए, उद्योग व खनन पर 2,383 5 करोड रुपए खर्च किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पचवर्षीय योजना की अवधि अप्रैल 1980 से 1985 निर्धारित की गई थी। गरीबी हटाना छठी पचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। छठी योजना की

कार्यनीति यह थी कि कृषि और उद्योग दोनो के आधारभूत ढाचे को मजबूत किया जाए जिससे निवेश उत्पादन और निर्यात क्षेत्र को गति मिल सके। इस योजना मे औसत वार्षिक विकास दर 5 2 प्रतिशत रही जो योजना की निर्धारित विकास दर भी थी। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 1,09,291 7 करोड रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड रुपए की व्यवस्था की गई थी। योजना के आकार मे 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन

	विकास शीर्ष	परिव्यय (करोड रुपए)	योजना परिव्यय (प्रतिशत मे)
1	कृषि	6623 5	6 1
2	ग्रामीण विकास	6996 8	6 4
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1580 3	1 4
4	सिचाई और बाढ नियन्त्रण	10929 9	10 0
5	ऊर्जा	30751 3	28 1
6	उद्योग और खनिज	16947 5	15 5
7	परिवहन	14208 4	13 0
8	सचार तथा सूचना प्रसारण	3469 5	3 2
9	विज्ञान और टेक्नोलोजी	1020 4	0 9
10	सामाजिक सेवाए	15916 6	14 5
11	अन्य	847 5	0 8
	कुल	109291 0	100 0

छठी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक योजना परिव्यय मे केन्द्रीय योजना 57 825 2 करोड रुपए राज्य योजनाए 49,458 2 करोड रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशो की योजनाए 2,008 3 करोड रुपए थी। छठी योजना के परिव्यय मे ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इस मद पर 30,751 3 करोड रुपए खर्च किए गए जो कि कुल योजना परिव्यय का 28 1 प्रतिशत था।

सातवीं पचवर्षीय योजना

सातवीं योजना की समयावधि अप्रैल 1985 से मार्च 1990 निर्धारित की गई। योजना मे खाद्यान्न रोजगार और उत्पादकता पर विशेष जोर दिया गया। योजनावधि में गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी कम करने के लिए जवाहर रोजगार

योजना प्रारभ की गई। सातवीं योजना मे खाद्यान्न उत्पादन दर 2 68 प्रतिशत रही।

सातवीं योजना मे सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि औसत विकास दर 5 6 प्रतिशत रही जो लक्ष्य से 0 6 प्रतिशत अधिक थी। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 2,18,729 62 करोड रुपए रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 1,80,000 करोड रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार योजना परिव्यय मे 21 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन

	वर्ष	परिव्यय (करोड रुपए)	योजना परिव्यय (प्रतिशत मे)
1	कृषि व सबद्ध गतिविधिया	12792 60	5 8
2	ग्रामीण विकास	15246 5	7 0
3	विशष क्षेत्र कार्यक्रम	3470 3	1 6
4	सिचाई और बाढ नियन्त्रण	16589 9	7 6
5	ऊर्जा	61689 3	28 2
6	उद्योग और खनिज	29220 3	13 4
7	परिवहन	29548 1	13 5
8	सचार	8425 5	3 9
9	विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा पर्यावरण	3023 9	1 4
10	सामान्य आर्थिक सेवाए	2249 6	1 0
11	सामाजिक सेवाए	34959 7	16 0
12	सामान्य सेवाए	1513 8	0 7
	कुल	218729 6	100 0

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे*, 1994 95 सारणी एस– 46

सातवीं योजना मे केन्द्रीय योजना 1,27,519 5 करोड रुपए, राज्य योजना 87,492 4 करोड रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशो की योजनाए 3,717 7 करोड रुपए थी। सातवीं योजना मे ऊर्जा, सामाजिक सेवाए, परिवहन तथा उद्योग व खनन पर विशेष बल दिया गया। ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 61,689 3 करोड रुपए खर्च किया गया जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का 28 2 प्रतिशत था।

नियोजन विकास के चार दशक (1951-1990) मे व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रो मे प्रगति हुई। सातवीं योजना तक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढाचा तैयार हो चुका था। विश्व मे भारत की औद्योगिक राष्ट्र के रुप मे पहचान बनी। खाद्यान्न के क्षेत्र मे भी भारत आत्मनिर्भर हो गया। सातवीं

योजना के आखिर मे भारत को खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट का सामना करना पडा। देश मे राजनीतिक उठा-पोह का दौर भी था। नतीजतन आठवीं योजना नियत समय पर प्रारभ नही की जा सकी। वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनाओ के रुप मे स्वीकार किया गया। इन वार्षिक योजनाओ मे मुख्य जोर रोजगार के अधिक अवसर और सामाजिक परिवर्तन पर दिया गया। वर्ष 1990-91 मे सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक योजना परिव्यय 58 369 3 करोड रुपए तथा 1991-92 मे 64 751 2 करोड रुपए था।

सातवी योजना की समाप्ति तक (मार्च, 1990) भारत मे नियोजित विकास प्रभावी रहा। अप्रैल 1992 से प्रारभ हुई आठवीं पचवर्षीय योजना मे आर्थिक सुधारो का व्यापक प्रभाव पडा है। देश मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 मे प्रारभ की जा चुकी थी। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के दौर मे योजना आयोग की भूमिका मे कमी आई है।

आठवीं योजना और आर्थिक विकास

अस्सी के दशक के आखिरी वर्षो मे भारत को अभूतपूर्व आर्थिक सकट से जूझना पडा। आर्थिक सकट के साथ राजनीतिक उठापोह का दौर भी चला। आर्थिक सकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। विषम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। राजनीतिक बदलाव की स्थिति मे सातवीं पचवर्षीय योजना के तुरत बाद आठवीं पचवर्षीय योजना प्रारभ नहीं हो सकी।

खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट और विश्व के आर्थिक परिदृश्य मे बदलाव की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पचवर्षीय योजना तैयार की गई। इसकी योजनावधि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक निर्धारित की गई। आठवीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 23-24 दिसम्बर 1991 को मजूर और अनुमोदित किया गया।

नीतिगत पहल – नियोजित विकास के प्रारभिक चार दशको मे भारतीय योजना आयोग को 'सुपर केबिनेट' का दर्जा प्राप्त था। विकास मे पचवर्षीय योजनाए छाई रही। अब आर्थिक उदारीकरण के दौर मे योजना मात्र दिशा-निर्देशक होगी। विकास प्रक्रिया मे निजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उद्योग और व्यापार मे सरकार की भूमिका को कम किया जाएगा।

आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य देश की योजना को नया मोड देना है। अनेक आर्थिक समस्याए यथा बढता वित्तीय घाटा चालू खाते का घाटा, गैर योजनागत खर्च मे वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे घाटा आदि से निपटने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय किए।

योजना की प्राथमिकताए – आठवी पचवर्षीय योजना मे जो प्राथमिकताए निर्धारित की गई वे इस प्रकार है

1 रोजगार सृजन
2 जनसख्या पर नियत्रण
3 निरक्षरता दूर करना
4 शुद्ध पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाए मुहैया कराना
5 खाद्यान्न मे आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए अतिरिक्त अनाज का उत्पादन करना।
6 मूलभूत सुविधाओ की बढोत्तरी।

योजना परिव्यय

आठवीं योजना मे 7,98,000 करोड रुपए का राष्ट्रीय निवेश का स्तर प्रस्तावित है। सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय मे 4,34,100 करोड रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमे केन्द्रीय योजना 2,47,865 करोड रुपए, राज्य योजनाए 1,79,985 करोड रुपए तथा केन्द्रशासित प्रदेशो की योजनाए 6,250 करोड रुपए की है।

आठवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन

	विकास शीर्ष	परिव्यय (करोड रुपए)	सार्वजनिक योजना परिव्यय का प्रतिशत
1	कृषि व सबद्ध गतिविधिया	22467 2	5 2
2	ग्रामीण विकास	34425 4	7 9
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6750 1	1 6
4	सिचाई और बाढ नियन्त्रण	32525 3	7 5
5	ऊर्जा	115561 1	26 6
6	उद्योग और खनिज	46921 7	10 8
7	परिवहन	55925 6	12 9
8	सचार	25110 0	5 8
9	विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा पर्यावरण	9041 7	2 1
10	सामान्य आर्थिक सेवाए	4549 5	1 0
11	सामाजिक सेवाए	79011 9	18 2
12	सामान्य सेवाए	1810 5	0 4
	कुल	434100	100 0

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे*, 1994-95

आठवीं योजना मे ऊर्जा, सामाजिक सेवाए, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, परिवहन, उद्योग व खनन पर अधिक परिव्यय का प्रावधान

किया गया है। ऊर्जा पर 1,15,561 1 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कि कुल सार्वजनिक परिव्यय 26 6 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास के लिए योजना मे 34,425 4 करोड रुपए प्रावधान किया गया है।

वित्त पूर्ति के स्रोत – आठवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्त पूर्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं–

	स्रोत	(करोड रुपए)
(1)	घरेलू ससाधन	
	(1) चालू राजस्व शेष	35,005
	(11) सार्वजनिक उपक्रमो से अशदान	1,48,140
	(111) बाजार ऋण	2,02,255
	कुल (1 से 111)	3,85,400
(2)	विदेशो से पूजी का शुद्ध आगम	28,700
(3)	घाटे की वित्त व्यवस्था	20,000
(4)	योग (1+2+3)	4,34,100

स्रोत *आठवीं पचवर्षीय योजना*, 1992-97, प्रथम खण्ड।

आठवीं योजना की वित्त पूर्ति मे घरेलू ससाधनो का योगदान 88 78 प्रतिशत है। इसके अलावा विदेशों से पूजी का शुद्ध आगम का योगदान 6 61 प्रतिशत तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का योगदान 4 60 प्रतिशत है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे सरकार घाटे वित्त व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। विगत वर्षो मे *वित्तीय घाटा काफी बढा। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात* हीनार्थ–प्रबधन से मुद्रास्फीति बढती है। बढती महगाई को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था के योगदान को 4 6 प्रतिशत से कम करने की आवश्यकता है। योजना की वित्त पूर्ति में विदेशी पूजी का योगदान 6 61 प्रतिशत है। भारत विश्व का बडा कर्जदार देश है। ऐसी स्थिति मे विदेशी पूजी का उपयोग कम ही होना चाहिए।

योजना की वित्त पूर्ति मे घरलू ससाधनो का योगदान 88 78 प्रतिशत होने पर सतोष व्यक्त किया जा सकता है। वित्त पूर्ति में चालू राजस्व शेष का 8 06 प्रतिशत, सार्वजनिक उपक्रमो से अशदान का 34 13 प्रतिशत तथा बाजार ऋण का 46 59 प्रतिशत योगदान है। सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे मे हैं तथा उनम विनिवेश की प्रक्रिया प्रारभ हो चुकी है ऐसी स्थिति मे वित्त पूर्ति का 34 13 प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रमों से जुटाना कठिन हो सकता है। बाह्य ऋणो की भाति

अर्थव्यवस्था पर आतरिक ऋण का बोझ भी अधिक है। अत योजना की वित्त पूर्ति के लिए राजस्व बढाए जाने की महती आवश्यकता है।

वार्षिक योजनाए

आठवी योजना का कुल परिव्यय 7,98,000 करोड रुपए निर्धारित किया गया है। इसमे सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय 4,34,100 करोड रुपए है। कुल परिव्यय मे सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय (प्रोजेक्टेड) कम हुआ है। कुल परिव्यय मे सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय पाचवीं योजना मे 57 6 प्रतिशत था जो घटकर छठी योजना मे 52 9 प्रतिशत सातवीं योजना में 47 8 प्रतिशत तथा आठवीं योजना मे और भी घटकर 45 2 प्रतिशत ही रह गया।

वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना 72,852 4 करोड रुपए थी इसमे केन्द्रीय योजना 43693 8 करोड रुपए, राज्य योजनाए 27,916 7 करोड रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशो की योजनाए 1,241 9 करोड रुपए थी। वार्षिक योजना मे सर्वोच्च ध्यान ऊर्जा पर केन्द्रित किया गया तथा इस विकास शीर्ष पर 20,289 8 करोड रुपए खर्च किया गया जो कि वार्षिक योजना परिव्यय का 27 9 प्रतिशत था। इसके अलावा सामाजिक सेवा तथा परिवहन विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना 88,080 7 करोड रुपए की थी। वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना का परिव्यय 98,167 3 करोड रुपए था। इसमें केन्द्रीय योजना 59,053 6 करोड रुपए, राज्य योजनाए 37,459 1 करोड रुपए तथा केन्द्र शासित राज्यो की योजनाए 1654 4 करोड रुपए थी। वार्षिक योजना 1995-96 का परिव्यय 1,07,380 4 करोड रुपए था जिसमे केन्द्रीय योजना 63493 7 करोड रुपए, राज्य योजना 42044 3 करोड रुपए तथा केन्द्रशासित राज्यो की योजनाए 1842 5 करोड रुपए की थीं। वार्षिक योजना 1996-97 का परिव्यय 1 18,976 4 करोड रुपए था।

योजना के घोषित लक्ष्य

आठवीं योजा। के निर्धारित किये गए लक्ष्य इस प्रकार से हैं–

1	सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	5 6
2	घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे	21 6
3	विनियोग दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे)	23 2
4	चालू खाते का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे)	1 6
5	इनक्रीमेन्टल केपिटल आऊटपुट रेशो	4 1
6	वृद्धि दर	
	(i) निर्यात (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	13 6
	(ii) आयात (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	8 4

स्रोत *आठवी पचवर्षीय योजना* 1992-97, वोल्यूम प्रथम।

योजना मूल्याकन

आठवीं योजना की समयावधि अप्रैल 1992 स मार्च 1997 तक थी। विभिन्न आर्थिक सूचको की वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर अर्थव्यवस्था की तस्वीर की समीक्षा की जा सकती है।

आठवीं योजना मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का लक्ष्य 5 6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1992-93 में 5 2 प्रतिशत 1993-94 म 6 2 प्रतिशत, 1994-95 म 7 7 प्रतिशत, 1995-96 में 7 8 प्रतिशत तथा 1996-97 म 8 1 प्रतिशत रही। आठवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 6 8 प्रतिशत बैठती है जो निर्धारित लक्ष्य (5 6 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे) 22 प्रतिशत रही। यह वर्ष 1993-94 म 21 8 प्रतिशत, 1994-95 में 24 2 प्रतिशत, 1995-96 म 24 1 प्रतिशत तथा 1996-97 में 24 4 प्रतिशत थी। योजना में सकल घरेलू बचत का लक्ष्य 21 6 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। योजना म सकल घरेलू बचत का निर्धारित लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। सकल घरेलू पूजी निर्माण वर्ष 1992-93 मे 24 प्रतिशत तथा वष 1993-94 में 20 8 प्रतिशत रही। वर्ष 1994-95 में सकल घरेलू पूजी निर्माण 22 2 प्रतिशत तथा 1995-96 में 25 6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुच गया। वर्ष 1994-95 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत था जो निर्धारित लक्ष्य 1 6 प्रतिशत के अनुरुप ही है।

योजनावधि में निर्यात वृद्धि दर उल्लेखनीय रही। वर्ष 1992-93 में निर्यात वृद्धि दर 21 9 प्रतिशत रही। यह वर्ष 1993-94 में 29 9 प्रतिशत, 1994-95 में 18 प्रतिशत, 1995-96 में 28 6 प्रतिशत तथा 1996-97 में 11 7 प्रतिशत थी। योजना में निर्यात वृद्धि दर का लक्ष्य (13 6 %) तो प्राप्त कर लिया गया, किंतु आयात वृद्धि दर को नियत्रित करने में विफलता मिली। योजना की आयात वृद्धि का लक्ष्य 8 4 प्रतिशत प्रतिवष की तुलना में आयात वृद्धि दर 1992-93 में 32 4 प्रतिशत, 1993-94 में 15 3 प्रतिशत, 1994-95 में 23 1 प्रतिशत, 1995-96 में 36 4 प्रतिशत तथा 1996-97 में 13 2 प्रतिशत थी। आयात वृद्धि दर के अत्यधिक बढ जाने से निर्यात वृद्धि दर के अर्जित लक्ष्य फीके पड गए। नतीजतन व्यापार घाटा फिर काबू से बाहर हो गया।

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के जा लक्ष्य निर्धारित किए गए उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसका प्रमुख कारण निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ऊचा होना है। लक्ष्य तो ऊचे निधारित कर दिए गए लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए कारगर प्रयास नहीं किये गए। निधारित लक्ष्य पहुच म होने चाहिए। योजनागत लक्ष्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि बदले परिवेश में अन्य देशों की तुलना में पिछड जाए। हाल ही म केन्द्र सरकार न 7 से 8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर और 12 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा है। आर्थिक विकास की आवश्यकता और भौतिक व मानवीय ससाधना को दृष्टिगत रखत हुए लक्ष्य निधारित किय जाए और

उन्हे अर्जित करन के भरपूर प्रयास हों। तभी भारत को गरीबी के ताण्डव नृत्य ओर सुरसा के मुह जैसी बढती बेकारी की समस्या स निजात मिल सकती है।

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय वताइए।
2 आठवी पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओ को स्पष्ट कीजिए।
3 आठवीं पचवर्षीय याजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 आर्थिक नियाजन के पाच दशकों के योजना परिव्यय और प्राथमिकताआ का वर्णन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ के योजना परिव्यय और प्राथमिकताओ को लिखना है।)
2 आठवीं पचवर्षीय योजना के उद्देश्या की कहा तक पूर्ति हुयी है? विवचना कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई आठवीं पचवर्षीय योजना को विस्तार से लिखना है।)

8

नौवीं पंचवर्षीय योजना

(Ninth Five Year Plan)

आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। भारत में आठवीं और नौवीं पचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता की शिकार रही। आठवीं पचवर्षीय योजना अप्रैल 1990 म प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी किन्तु तथाकथित राजनीतिक कारणो से यह नियत समय पर प्रारभ नहीं हो सकी। वर्ष 1990 91 और 1991 92 को वार्षिक योजनाओ के रुप में स्वीकार किया गया। आठवीं योजना की समयावधि 1992 97 निर्धारित की गई। भारत म आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किए जाने के बाद पचवर्षीय योजनाओ की प्रासगिकता प्रभावित हुई है। आर्थिक उदारीकरण मे आर्थिक विकास के क्षेत्र म सरकार की भूमिका नियोजित विकास की तुलना म कम हो गई है। वर्तमान म निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका है।

विडम्बना है नौवीं पचवर्षीय योजना क क्रियान्वयन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विलम्ब हुआ। आठवीं पचवर्षीय योजना 31 मार्च 1997 को समाप्त हो चुकी थी लेकिन नौवीं पचवर्षीय योजना न पहले दो वित्तीय वर्ष 1997 98 और 1998 99 बिना पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन के बीत गए। नौवीं योजना के नियत समय पर क्रियान्वित नहीं होने के प्रमुख कारण केंद्र सरकार का बार-बार बदलना रहा। गौरतलब है कि मई 1996 क लोकसभा चुनावो के बाद देश में तीन सरकारें बनी और फिर गिर गई। 16 मई 1996 को केन्द्र में भाजपा सरकार का गठन हुआ किन्तु 28 मई 1996 को लोकसभा म विश्वास प्रस्ताव गिर जाने से मतदान से पूर्व भाजपा सरकार ने इस्तीफा दिया। एक जून 1996 को एच डी देवगौडा ने बहुदलीय सयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमत्री का पद सभाला। काग्रेस ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 11 अप्रैल 1997 को देवगौडा ने विश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद प्रधानमत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 21 अप्रैल 1997 को इद्र कुमार गुजराल देश के 13वें प्रधानमत्री बने। काग्रेस के समर्थन वापसी से गुजराल सरकार गिरी। फरवरी 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। 19 मार्च 1998 को बहुदलीय भाजपा सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमत्री पद की शपथ ली।

बारहवीं लोकसभा चुनाव की मतगणना प्रारभ होने से ठीक एक दिन पहले (एक मार्च 1998) को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मधु दण्डवते ने नौवीं याजना का मसौदा प्रस्तुत किया। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 16 जनवरी 1997 की बैठक मे सर्वसम्मति से मजूरी दे दी थी। इस प्रारुप को योजना आयोग की एक मार्च 1998 की बैठक मे स्वीकृत कर लिया गया था। वाजपेयी सरकार ने 21 मार्च 1998 को जसवत सिह को योजना आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा गठबधन सरकार नौवीं योजना के प्रारुप और बदली हुई उन प्राथमिकताओ की समीक्षा करेगी, जो सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र की आत्मनिर्भरता से सबधित और सरकार के राष्ट्रीय एजेडा से जुडी हुई थी। नौवीं योजना के सशोधित ड्राफ्ट को 1998 मे मूर्त रुप दिया गया। नई सरकार ने नौवीं योजना मे आधारभूत सरचना, कृषि, ग्रामीण विकास और सिचाई पर अतिरिक्त आवटन किया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रो मधुदण्डवते ने एक मार्च 1998 को नौवीं योजना का मासौदा जारी किया। योजना की समयावधि एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 निर्धारित की गई। नौवीं पचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं–

नौवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि एव ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का सकल्प व्यक्त किया गया है। नौवीं योजना के नौ लक्ष्य निर्धारित किये गए है –

1 पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करना और निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए कृषि ओर ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।

2 मूल्यो मे स्थायित्व के साथ–साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज करना।

3 सभी के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के लिए भोजन एव पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

4 सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा ओर आवास की मूलभूत न्यूनतम सुविधाए प्रदान करना और समयबद्ध तरीके से सभी के साथ सम्बद्धता।

5 जनसख्या वृद्धि की दर को नियत्रित करना।

6 सामाजिक मेलजोल एव सभी स्तरो पर लोगो की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरण सबधी क्षमता को सुनिश्चित करना।

7 सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एव विकास के कारक मे महिलाओ तथा सामाजिक रुप से वचित समूहो को शक्तिया प्रदान करना।

8 जन भागीदारी वाली सस्थाओं जैसे पचायती राज सस्थाओं, सरकारी सस्थाओं

तथा स्वयसेवी समूहो को प्रात्साहा देना एव उनका विकास करना।

9 आत्मनिर्भरता लाने क लिए प्रयासो को बढाना।

योजना परिव्यय (Plan Outlay)

नौवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की राशि 8 75 000 करोड रुपए निर्धारित की गई है। यह आठवीं योजना के वास्तविक व्यय से 51 प्रतिशत और प्रस्तावित व्यय से 35 प्रतिशत अधिक है। निवेश की राशि मे केन्द्रीय परियोजनाओ के लिए 5 08 021 करोड रुपए और राज्य सरकारा की परियोजनाओं के लिए 3 66 979 कराड़ रुपए रखे गए हैं। केन्द्रीय पोषण (Central Support) 3 74 000 करोड रुपए प्रस्तावित है। इनम 2 06 895 करोड रुपए केन्द्रीय क्षेत्र के लिए है तथा 1 67 105 करोड रुपए राज्यो को दिए जाएगे। योजना चालू राजस्व से अधिशेष (Balance from Current Reveneu) से 1 25 667 करोड रुपए बाजार उधार 3 33 159 करोड रुपए तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से 80 018 करोड़ रुपए द्वारा पोषित होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन

नौवीं योजना मे कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किन्तु आठवीं योजना की तुलना मे कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम किया गया है। आठवीं योजना के दौरान महत्त्वपूर्ण ढाचागत क्षेत्र मे निवेश की कमी पर खेद व्यक्त करते हुए दस्तावेज मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के बारे मे व्यावसायिक नजरिया अपनाने और प्रौद्योगिक क्षेत्रो मे सीधे विदेशी निवेश के साथ–साथ निजी निवेश आकर्षित करने के उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है। योजना मे सामाजिक क्षेत्र के निवेश में भी कमी की गई है।

नौवीं योजना में ऊर्जा सामाजिक सेवा तथा कृषि एव सबधित क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। ऊर्जा के लिए 2 21 973 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 25 4 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओ के लिए 1 80 931 करोड रुपए का प्रावधान है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 20 7 प्रतिशत है। कृषि तथा सबधित गतिविधियो पर भी योजना मे विशेष जोर दिया गया है। योजना म कृषि व सबध सिचाई और बाढ नियत्रण ग्रामीण विकास व विशेष कार्यक्रम पर 1 73 125 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 19 8 प्रतिशत है। इसके अलावा कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का उद्योग व खनिज पर 8 2 प्रतिशत सचार पर 5 6 प्रतिशत विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण पर 3 प्रतिशत सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 1 8 प्रतिशत तथा सामान्य सेवाओ पर 1 4 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है।

नौवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन

	क्षेत्रक	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय (करोड रुपए)	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के प्रतिशत मे
1	कृषि व सबद्ध गतिविधिया	36,658	4 2
2	सिचाई और बाढ नियन्त्रण	57,735	6 6
3	ग्रामीण विकास	74,942	8 6
4	विशेष कार्यक्रम	3,790	0 4
5	ऊर्जा	2,21,973	25 4
6	उद्योग और खनिज	71,684	8 2
7	परिवहन	1,24,188	14 2
8	सचार	48,791	5 6
9	विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा पर्यावरण	26,343	3 0
10	सामान्य आर्थिक सेवाए	15,569	1 8
11	सामाजिक सेवाए	12,396	1 4
12	सामान्य सेवाए	1,80,931	20 7
	कुल 1 से 12	8,75,000	100 0

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 1994-95

वित्त पूर्ति के स्रोत

नौवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्त पूर्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं –

वित्त पूर्ति के स्रोत

(करोड रुपए)

स्रोत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
चालू राजस्व शेष	1,26,000	14 4
सार्वजनिक उपक्रमो से अशदान	3,56,125	40 7
बाजार ऋण	3,32,500	38 0
विदेशो से पूजी का शुद्ध आगम	60,375	6 9
घाटे की वित्त व्यवस्था	00	0 0

स्रोत दी इकोनोमिक टाइम्स, 2 मार्च 1998, (प्रतिशत के आधार पर वित्त पूर्ति करोड रुपए निकाले गए हैं।)

वैकल्पिक विकास स्वरूप
(Alternative Growth Parameters)

(प्रतिशत मे)

	सूचक	आठवीं योजना	15 वर्षीय शेनारियो I	योजना स्वरूप शेनारियो-II
1	जीडीपी वृद्धि दर	6 5	6 5	7 5
2	निवेश पर	25 0	27 4	29 5
	(अ) निजी	16 7	18 5	20 1
	(ब) सार्वजनिक	8 3	8 9	9 4
3	बचत पर	24 1	25 3	27 2
	(अ) निजी	22 5	23 6	23 8
	(ब) सार्वजनिक	1 6	1 7	3 4
4	चालू खाता घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत मे)	0 9	2 1	2 3
5	आई सी ओ आर (पूर्ण)	3 9	4 2	3 9
6	बेरोजगारी दर (वर्ष के अन्त मे)	2 1	2 5	-0 6

स्रोत *दी इकोनोमिक टाइम्स*, 2 मार्च 1998

नौवीं पचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाए

वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना का आकार 1 39,625 9 करोड (सशोधित अनुमान) था जिसमे केन्द्रीय योजना 81,033 9 करोड रुपए, राज्य योजनाए 55,815 2 करोड रुपए तथा केन्द्रशासित प्रदेशो की योजनाए 2,776 7 करोड रुपए थी। वर्ष 1998-99 की केन्द्रीय योजना का आकार 1,58,598 4 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) तथा 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 1,03,521 करोड रुपए (बजट अनुमान) था।

नौवीं पचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन मे विलम्ब हुआ। प्रारम्भिक तीन वर्षो मे आर्थिक वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से कम रही। सकल घरेलू वृद्धि दर (1993-94 के मूल्यो पर) 1997-98 मे 5 0 प्रतिशत (अस्थायी) 1998-99 मे 6 8 प्रतिशत (त्वरित अनुमान), तथा 1999 2000 मे 5 9 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) थी।

दृष्टिकोण

नौवीं योजना के दो वित्तीय वर्ष 1997-98 और 1998-99 बिना योजना क्रियान्वयन के ही बीत गये और इन दो वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा

उत्साहवर्धक नहीं थी। शेष वर्षो की प्रगति के आधार पर नौवी योजना के लक्ष्य अजित करना कठिन होगा। नौंवीं योजना के मसौदे मे जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जीडीपी वृद्धि दर 1997 98 म 7 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले केवल 5 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 1999 2000 म जीडीपी वृद्धि दर के बढने की सम्भावना कम है। ऐसी स्थिति मे योजना के 7 प्रतिशत विकास लक्ष्य को अर्जित करने के लिए शेष वर्षों म जीडपी वृद्धि दर को 8 प्रतिशत करने की आवश्यकता हागी। नई केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था की दशा को देखकर नौंवी योजना का विकास लक्ष्य 7 प्रतिशत से घटाकर 6 5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है।

आर्थिक वृद्धि दर मे कृषि और औद्यागिक विकास का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। नौंवीं योजना मे कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण परिवेश पर जोर देने से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने मे मदद मिलेगी। किन्तु हाल के वर्षो मे विशषकर 1999 2000 मे कृषि क्षेत्र से निराशा हाथ लगी है। औद्यागिक उत्पादन मे भी गिरावट हुई है। कृषि और उद्यागो की दयनीय दशा का प्रभाव निश्चित रुप स आर्थिक वृद्धि दर पडेगा। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगे। दक्षिण–पूव एशियाइ सकट और अनेक दशो की मुद्राआ के अवमूल्यन के कारण 14 5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि दर लक्ष्य अर्जित करना कठिन होगा। नौवीं योजना के निधारित लक्ष्या को अजित करने के लिए कारगर प्रयासो की आवश्यकता है।

स्रोत

1 दी इकोनोमिक टाइम्स 2 मार्च 1998

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 नौवीं पचवर्षीय योजना के उद्देश्य बताइए।

2 नौवीं पचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का विवरण दीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत की नौवीं पचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए।
(सकेत – अध्याय म दी गई नौवीं पचवर्षीय योजना को विस्तार से लिखना है।)

भारत में नियोजन की तकनीक योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्याकंन

(Techniques of Indian Planning - Plan Formulation, Execution and Evaluation)

आर्थिक नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है। नियोजन को कई अवस्थाओ मे से गुजरना पडता है। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यो को निश्चित करना पडता है तत्पश्चात योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद योजनाओं का कार्यान्वयन सम्पन्न करना होता है। अत मे योजना मे हुई प्रगति का मूल्याकन किया जाता है। नियोजन स्वय एक तकनीक है, किन्तु इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए 'नियोजन की तकनीक' का उपयोग किया जाता है। नियोजन और योजना समरूप नहीं हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशो में योजना बनी हो वहा विकास के लिए नियोजन अपनाया हुआ हो। विश्व के कई देशो यथा ब्राजील, घाना, इण्डोनेशिया, बर्मा, नेपाल आदि मे योजना बिना नियोजन के भी बनी। परिस्थितियो के अनुसार नियोजन की तकनीक मे परिवर्तन हो जाता है। रूस ने आर्थिक नियोजन की तकनीक को अनुभवो से दोष रहित बनाया। किंतु भारत नियोजन की तकनीक को रूस की भाति सही दिशा देने मे सफल नहीं हो सका। आर्थिक विकास की दृष्टि से नियोजन की तकनीक के स्वरूप तथा आधार अलग–अलग होते हैं। राष्ट्र विशेष को उपलब्ध ससाधनो को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन की तकनीक को आत्मसात करना चाहिए। नियोजन की तकनीक का सबध आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित चरणो से होता है –

1 योजना सगठन
2 योजना का निर्माण
3 योजना की जाच एव स्वीकृति
4 योजना की क्रियान्वयन
5 योजना का मूल्याकन

आर्थिक नियोजन की तकनीक

योजना सगठन	योजना निर्माण	योजना की जाच और स्वीकृति	योजना का क्रियान्वयन	योजना का मूल्याकन
1 वित्तीय सगठन	1 योजना के उद्देश्य और व्यूहरचना का निर्धारण	1 विशिष्ट परिषद् द्वारा योजना की जाच	1 परियोजना का क्रियान्वयन	1 मूल्याकन
2 कृषि सगठन	2 योजनावधि का निर्धारण	2 योजना के प्रारुप का प्रसारण	2 आर्थिक नीतियो का क्रियान्वयन	2 कार्यक्रम मूल्याकन
3 उद्योग और व्यापार सगठन	3 प्राथमिकताओ का निर्धारण	3 जनसाधारण के सुझाव आमत्रित करना	3 वित्तीय योजना का क्रियान्वयन	3 सगठन द्वारा योजना की उपलब्धियो और कमियो का निरन्तर ज्ञान
4 प्रबन्ध सगठन	4 भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण	4 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार विमर्श	4 निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वयन	4 आवश्यक सशोधन और सुझाव
5 सामाजिक और अनुसधान सगठन	5 योजना का आकार	5 ससद द्वारा योजना की स्वीकृति	5 वार्षिक कार्यक्रम	
6 परिवहन और सचार सगठन	6 विनियोजन के मापदण्ड			
7 जन सहयोग विभाग	7 तकनीक का चुनाव			
8 सामाजिक सेवा सगठन	8 ससाधनो की उपलब्धता और गतिशीलता			
9 सूचना और प्रसारण सगठन	9 आर्थिक विकास दर			
	10 योजना मे सतुलन			
	11 पूरक योजना			
	12 नियोजन मे लोचशीलता			

1 योजना सगठन (Planning Organisation)

देश मे नियोजन को गति देने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने होते हैं। इनमे योजनाओ के उद्देश्यो का निर्धारण, योजनाओ का निर्माण याजनाओ की जाच एव स्वीकृति, योजनाओं का क्रियान्वयन और अत मे योजना का मूल्याकन आदि मुख्य है। इनके अलावा योजना बनाने से पूर्व प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो का सर्वेक्षण करना पडता है। अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य के अनुमान की आवश्यकता होती है। इन सब कार्यो को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय नियोजन सगठन की आवश्यकता होती है। भारत मे योजना सबधी गतिविधियो को सम्पन्न करने के लिए भारतीय योजना आयोग क्रियान्वयन मे है। केन्द्रीय नियोजन सगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसका गठन सविधान के अनुसार हो ताकि यह राजनीतिक हितो से परे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके। केन्द्रीय नियोजन सगठन मे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो क विशेषज्ञ सम्मिलत होने चाहिए जिससे देश के विशेषज्ञो के अनुभवो का लाभ विकास के क्षेत्र मे किया जा सके। योजनाओ के बखूबी सचालन के लिए जन प्रतिनिधियो और विशेषज्ञो के बीच सामन्जस्य होना आवश्यक है।

केन्द्रीय नियोजन सगठन को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो के विकास का उत्तरदायित्व निभाना होता है। इसके लिए नियोजन सगठन अर्थव्यवस्था के सभी अगो के लिए नियोजन करता है। अत केन्द्रीय नियोजन सगठन के अन्तर्गत अनेक सहायक विभाग होते हैं जो इस प्रकार हैं

1. वित्तीय सगठन (Financial Organisation) – योजनाओ के सफल सचालन के लिए वित्त का महत्त्व अपरिहार्य है। वित्तीय सगठन योजनाओ के लिए वित्तीय ससाधन मुहैया कराने तथा वित्त के मार्ग मे आने वाली बाधाओ के निराकरण के उपाय सुझाता है।

2. कृषि सगठन (Agricultural Organisation) – भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का अत्यधिक महत्त्व है। कृषि की प्रगति के साथ असख्य भारतीयो की रोजी–रोटी का सवाल जुडा है। कृषि सगठन कृषि विकास सबधी नियोजन का कार्य करता है। कृषि प्रगति के लिए कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि, कीटनाशक, उर्वरक, भूमि कानून, यत्रीकरण, उन्नत बीज आदि आवश्यक हैं। कृषि सगठन मे कृषि विशेषज्ञ होते है। कृषि सगठन के माध्यम से कृषि विशेषज्ञ सेवाए देकर कृषि विकास मे भूमिका निभाते हैं।

3 उद्योग और व्यापार सगठन (Industry and Trade Organisation) – भारत सरीखे विकासशील देशो मे गरीबी निवारण के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। उद्योग और व्यापार सगठन में उद्योगो से जुडे विशेषज्ञ उद्योग और व्यापार सबधी नियोजन का कार्य करते हैं। यह सगठन औद्योगीकरण तथा उसके मार्ग मे आने वाली बाधाओ का निराकरण करता है।

4 प्रबध सगठन (Manaɩement Orɩanisation) — नियोजन की सफलता अच्छे प्रबधकीय कौशल पर निर्भर करती है। प्रबध सगठन कुशल व्यक्तियो व विशेषज्ञो का चयन अच्छे प्रशासनिक तरीको की खोज विभागो और उपविभागो मे तालमेल योजनाओ का मूल्याकन आदि कार्य करता है।

5 सांख्यिकी और अनुसधान सगठन (Statistical and Research Organisation) — यह सगठन आर्थिक नियाजन के लिए सर्वेक्षण विश्वसनीय सूचना और आकडो का सकलन का कार्य करता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रो मे शोध एव अनुसधान कर नवीन उत्पादन विधियो के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

6 परिवहन और सचार सगठन (Transportation and Communication) — आधारभूत सरचना के विकास बिना औद्योगीकरण सभव नहीं है। आज आर्थिक विकास बडी सीमा तक आधारभूत सरचना के विकास पर निर्भर करता है। परिवहन और सचार सगठन रेल्वे सडक वायु एव जल यातायान के विकास की योजनाए बनाता है। इस सगठन द्वारा सचार क विकास और विस्तार सबधी नियोजन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सगठन आधारभूत सरचना के विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाओ का निराकरण भी करता है।

7 जन सहयोग विभाग (Public Co operation Organisation) — जन सहयोग के बिना योजना के सफल सचालन की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जन सहयोग विभाग जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के नये–नये तरीको की खोज करता है। जन सहयोग प्राप्त होने से योजनाओ की सफलता का प्रतिशत बढ जाता है। अपक्षित जन सहयोग के अभाव म अच्छी से अच्छी योजनाए भी धरी रह जाती हैं। भारत मे परिवार नियोजन कार्यक्रम अपेक्षित जनसहयोग के अभाव मे सफल नहीं हो सका।

8 सामाजिक सेवा सगठन (Social Service Organisat on) — सामाजिक सेवा सगठन शिक्षा चिकित्सा सामाजिक–सुरक्षा समाज कल्याण परिवार कल्याण आदि से सबधित योजना बनाता है। इसके अलावा इन योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है।

9 सूचना और प्रसारण सगठन (Information and Broadcasting) Orɩanisation) — सूचना और प्रसारण सगठन योजनाओ की सपूर्ण जानकारी जनता को मुहैया कराता है। विकास सबधी जानकारी जनता को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। भारत मे जनता को विकास की जानकारी मुहैया कराने वास्ते सूचना और प्रसारण मत्रालय द्वारा प्रमुख मासिक योजना का प्रकाशन किया जाता है।

2 योजना का निर्माण
(Plan Formulation)

योजना निश्चित समयावधि मे निधारित लक्ष्यो को प्राप्त करने की दृष्टि स

अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा (Blue Print) होती है जिसमे विभिन्न भौतिक और वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से बतलाये जाते है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक योजना का निर्माण किया जाता है। योजना का निर्माण एक जटिल काम है अत योजना के निर्माण वास्ते दो–तीन वर्ष पूर्व ही कार्य प्रारभ कर दिया जाता है। योजना मे भविष्य के अनुमान भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अत योजनाओ का ढाचा उपलब्ध आकडो पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विकासशील देशो मे विश्वसनीय आकडो के अभाव मे योजनाओ के निर्माण मे कठिनाई आती है। योजनाओं के निर्माण का कार्य योजना आयोग अथवा नियोजन प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजना निर्माण सबधी प्रक्रिया मे अग्रलिखित तत्त्वो पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है –

1. योजना के उद्देश्य और व्यूहरचना का निर्धारण (Determination of Plan Objectives and Strategies) -- योजनाओ के निर्माण मे उद्देश्यो का निर्धारण महत्त्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक नियोजन में सर्वप्रथम उद्देश्यो को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यो का निर्धारण देश की सरकार द्वारा अथवा योजना आयोग या नियोजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उद्देश्यो के निर्धारण से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान की जाती है। विश्व के देशो मे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियो के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। देशो मे आर्थिक नियोजन के अलग–अलग उद्देश्य होते है। एक देश मे भी सब समयो मे उद्देश्य समान नहीं होते हैं। उद्देश्यो का निर्धारण व्यापक हितो से सबद्ध तथा राष्ट्रीय लाभ की दृष्टि से होना चाहिए। इसके अलावा उद्देश्यो मे सामन्जस्य होना चाहिए तथा उनका निर्धारण इतना व्यावहारिक हो कि उन्हे प्राप्त किया जा सके। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। नियोजन के आर्थिक उद्देश्यो मे अधिकतम राष्ट्रीय उत्पादन, मूल्य नियत्रण, कृषिगत विकास, औद्योगीकरण, न्यायोचित वितरण पूर्ण रोजगार, सतुलित विकास सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक उद्देश्यो में शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, सास्कृतिक चेतना जनसख्या पर नियत्रण, सामाजिक समानता सामाजिक सुरक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक उद्देश्यो मे देश की सुरक्षा को सशक्त बनाना, ससाधनो का सामरिक दृष्टि से नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक स्थायित्व आदि उल्लेखनीय है। इन उद्देश्यो की पूर्ति से समस्त विश्व मे आर्थिक विकास का अनुकूल वातावरण सृजित होता है।

2. योजनावधि का निर्धारण (Determination of Plan Period) – आर्थिक नियोजन समय से बधा हुआ कार्यक्रम होता है। नियोजन के उद्देश्यो को पूरा करने मे योजनावधि का निर्धारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। योजनाए अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन से सबधित हो सकती है। अल्पावधि योजनाए प्राय वार्षिक, मध्यावधि योजनाए तीन से सात वर्ष तथा दीर्घावधि योजनाए 10 से 20 वर्ष अथवा अधिक अवधि की हो सकती है। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यो की पूर्ति वास्ते दीर्घावधि नियोजन की आवश्यकता होती है। दीर्घावधि नियोजन के अन्तर्गत

अल्पावधि योजनाए यथा पचवर्षीय योजना बनायी जा सकती है। पचवर्षीय योजनाओं मे वार्षिक योजनाए बनायी जाती है। अल्पकालीन योजनाओ का आर्थिक नियोजन के साथ समन्वय आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यो को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। विकासशील देशो मे योजनाओ के निर्धारित उद्देश्यो को निश्चित समयावधि मे प्राप्त करना कठिन काम होता है। दीर्घकालीन योजनाए प्राय आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनो के कारण अनिश्चित होती है। वार्षिक योजनाओ मे ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते है। अत योजना निर्माण मे योजनावधि प्रासगिक होती है। नियोजन की तकनीक योजनावधि के अनुरूप होनी चाहिए।

3 **प्राथमिकताओ का निर्धारण** (Determination of Priorities) – विकासशील देशो मे ससाधनो की सीमितता होती है। अत ससाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्राथमिकताओ का निर्धारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम है। प्राथमिकताओं का निर्धारण उद्योग व कृषि के आधार पर उत्पादन और वितरण के आधार पर तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओ एव विनियोग के आकार आदि को ध्यान मे रखकर निश्चित की जाती है। देश के लिए महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा कम महत्त्व की परियोजनाओ को बाद मे स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिकताओ के निर्धारण मे लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें देश की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके।

प्राथमिकताओ के निर्धारण की समस्या प्राय अनेक रूपो में सामने आती है–

(i) **कृषि और उद्योग** (Agriculture and Industry) प्राथमिकताओ को निश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि देश मे कृषि तथा उद्योग में न्यूनताए उत्पन्न न हो जाए। जिससे विकासशील अर्थव्यवस्था मे बढती हुई माग के लिए विभिन्न वस्तुओ की पर्याप्त पूर्ति हो ताकि कीमत स्तर नहीं बढ। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि कृषि अथवा उद्योग मे से किसे अधिक प्राथमिकता दे। विकासशील राष्ट्र कृषि को अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन देशों मे बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर होती है। साथ ही राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा देशवासियो को खाद्यान्न मुहैया कराने तथा उद्योगो को कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम भी कृषि का ही होता है। देश के विकास की ओर अग्रसर होने पर उद्योगो को प्राथमिकता दी जाती है क्योकि तीव्र विकास के लिए उद्योगो का विकास अत्यन्त आवश्यक है। विकसित राष्ट्रों मे औद्योगीकरण सम्पन्नता का प्रतीक होता है। जनसख्या का बडा भाग उद्योगों मे लगा हुआ होता है। विकसित देशों में कृषि को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है।

(ii) **श्रम प्रधान उद्योग अथवा पूजी प्रधान उद्योग** (Labour Intensive and Capital Intensive Industries) आर्थिक नियोजन की प्राथमिकता निर्धारित करते समय यह समस्या आती है कि श्रम प्रधान और उद्योग प्रधान उद्योगो मे से किसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। विकासशील राष्ट्र श्रम प्रधान उद्योग को अधिक महत्त्व देते हैं क्योकि इन राष्ट्रो मे बेरोजगारी की समस्या मुखर होती है। लेकिन तीव्र

विकास को दृष्टिगत रखते हुए कुछ आधारभूत पूजी प्रधान उद्योगो के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विकसित देशो मे पूजी प्रधान उद्योगो को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) आधारभूत उद्योग अथवा उपभोग उद्योग (Infrastructure Industries and Consumer Industries) प्राथमिकताओ के निर्धारण मे देश को यह निर्धारित करना होता है कि आधारभूत उद्योगो अथवा उपभोग उद्योगो मे से किसको अधिक प्राथमिकता देगा। आर्थिक विकास को आगे बढाने के लिए आधारभूत उद्योगो का विकास आवश्यक होता है। विकासशील देशो मे सपूर्ण जनसख्या के लिए उपभोग सामग्री की आवश्यकता होती है। पिछडे देशो मे तीव्र विकास के लिए आधारभूत उद्योगो को प्राथमिकता देने से औद्योगीकरण का वातावरण बनता है तदुपरात उपभोग उद्योगो के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विकसित देशो मे विकास का आखिरी लक्ष्य जनता के आर्थिक कल्याण मे वृद्धि करना होता है। अत विकसित राष्ट्रो मे उपभोग उद्योगो को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है।

(iv) घरेलू और विदेशी व्यापार (Home and Foreign Trade) प्राथमिकताओ का निर्धारण करते समय यह ध्यान मे रखना चाहिए कि घरेलू और विदेशी व्यापार मे सतुलन रहे ताकि विदेशी विनिमय व भुगतान शेष की कठिनाइया उत्पन्न न हो। राष्ट्र की समृद्धि बडी सीमा तक विदेशी व्यापार की अनुकूलता पर निर्भर करती है। विकासशील देश व्यापार घाटे की समस्या से ग्रसित है। अत ऐसे देशो को विदेशी व्यापार वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(v) सामाजिक और आर्थिक पूजी (Social and Economic Capital) देश मे सामाजिक और आर्थिक पूजी का यथोचित निर्माण होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवहन, विद्युत, श्रमिक वर्ग आदि की न्यूनताए अर्थव्यवस्था मे बाधाए उत्पन्न न करे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर योजना मे प्राथमिकताए निर्धारित की जानी चाहिए।

(vi) विनियोग और उपभोग (Investment and Consumption) आर्थिक नियोजन मे प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय नियोजक यह निर्धारित करते हैं कि विनियोग व उपभोग मे से किसे प्राथमिकता दी जाए। देश मे प्राय विनियोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है तथा उपभोग का राशनिग करके तथा राजकीय नीतिया से नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। विकासशील राष्ट्रो मे विनियोग को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है। विकसित राष्ट्रों में मदी के समय उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है। प्रजातात्रिक आर्थिक नियोजन मे विनियोग और उपभोग दोनो म समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है।

(vii) उत्पादन और वितरण (Production and Distribution) नियोजक यह निर्धारित करता है कि उत्पादन को कितना महत्त्व दिया जाएगा तथा उत्पादित वस्तुओ के वितरण को कितना महत्त्व दिया जाएगा। प्राय विकासशील देशो मे वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती है। अत इन देशो मे उत्पादन वृद्धि पर

अधिक ध्यान कन्द्रित किया जाता है।

(viii) क्षेत्रीय प्राथमिकताए (Regional Priorities) आर्थिक नियोजन म क्षेत्रीय असतुलन का दूर करन तथा सतुलित आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओ पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। राष्ट्र के विशाल होने तथा कुछ क्षत्रों के पिछड़े होने की स्थिति म सतुलित विकास का महत्त्व और बढ जाता है। नियोजक राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना चाहगे तथा क्षेत्र विशेष की सभाव्यता को दृष्टिगत रखत हुए क्षेत्रीय विकास को भी प्रोत्साहित करगे।

(ix) आर्थिक विकास अथवा प्रतिरक्षा (Economic Development and Defence) विश्व क कुछ देशो म बढती तनावपूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन की प्राथमिकताओ में प्रतिरक्षा को महत्त्व देना आवश्यक है। नियोजकों को यह ध्यान रखना होता है कि योजना प्रतिरक्षा से सबधित होगी अथवा उसका प्रमुख लक्ष्य विकास होगा। भारत सरीखे विकासशील देशो को विकास को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए लेकिन प्रतिरक्षा के मामले में भारत के कटु अनुभव रहे हैं। भारत को स्वतत्रता के पाच दशक में चार बडे युद्ध और कारगिल सीमित युद्ध लडने पडे। एसी स्थिति में भारत को नियोजन की प्राथमिकता में प्रतिरक्षा को अधिक महत्त्व देना पडा।

सारत योजना निर्माण मे प्राथमिकताओ का निर्धारण करना नियोजक का प्रमुख काम है। किंतु किसी एक निश्चित व कठोर नियम के आधार पर प्राथमिकताए निश्चित नहीं की जा सकती हैं। उनका निर्धारण देश विशेष में समय विशेष पर पाई जाने वाली परिस्थितियो के सदर्भ में करना ही उपयुक्त रहता है।

4 भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण (Fixation of Physical Targets) — भौतिक साधनो के नियोजन से आशय आर्थिक नियोजन के लक्ष्यो को पाने वास्ते योजनागत लक्ष्यो को भौतिक इकाइयो मे व्यक्त करने से है। इसके अन्तर्गत देश के भौतिक साधनों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन किया जाता है। भौतिक साधनों में भूमि श्रम पूजी प्रबध साहस तथा प्राकृतिक साधनो को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण म यह देखा जाता है कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा भविष्य में सम्भावित परिवर्तन क्या है? योजना निर्माण में नियोजकों का यह निर्धारित करना पडता है कि लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पक्ष को समाविष्ट करने वाले होने चाहिए। उदाहरणार्थ खाद्यान्न उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य विद्युत उत्पादन इतने किलोवाट रेलमार्गों और सडको की लम्बाई इतने किलोमीटर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे इतनी वृद्धि इतनी प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना आदि लक्ष्यों का निर्धारण करना पडता है।

भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश के उपलब्ध ससाधनो का बखूबी उपयोग किया जा सके। लक्ष्यों का निर्धारण नियोजन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुए कुल भौतिक पूजी मानव ससाधन सबधी आकडों के सदर्भ मे किया जाना चाहिए। भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण केवल

सार्वजनिक सस्थाओ के लिए ही नहीं, निजी क्षेत्र के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए। भौतिक लक्ष्यो का निर्धारण जटिल काम है अत इनके निर्धारण मे विशेषज्ञों की सेवाए ली जानी चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यो की जाच पडताल कर उनमे उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए।

5. **योजना का आकार (Size of Plan)** – योजना का आकार निर्धारित करते समय अनेक बातो का प्रभाव पडता है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है

(i) **आर्थिक स्थिति (Economic Situation)** योजना का आकार देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। विकासशील देशो की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इसलिए इन देशो के आर्थिक नियोजन मे योजना का आकार उत्तरोत्तर बढता है।

(ii) **उद्देश्य (Objectives)** योजना के आकार निर्धारण मे उद्देश्य महत्त्वपूर्ण होते हैं। नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ये भौतिक लक्ष्य ही योजना के आकार को प्रभावित करते हैं। रेल्वे विकास सबधी लक्ष्यो को पूरा करने के लिए बडे आकार की योजना की आवश्यकता होती है।

(iii) **वित्तीय ससाधन (Financial Resources)** योजना का आकार देश के आतरिक ससाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करता है। विदेशी ससाधनो पर अधिक निर्भर रहने से देश के सकटग्रस्त होने की सभावना रहती है। योजना का आकार वित्तीय ससाधनो को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करना युक्तिसगत रहता है।

(iv) **प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Machinery)** योजना का आकार निर्धारित करते समय प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान मे रखा जाता है। निष्क्रिय प्रशासन के कारण अच्छी योजनाए भी विफल हो जाती है। प्रजातात्रिक देशो मे प्रशासन के अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण बडी योजना की सफलता सदिग्ध रहती है।

(v) **आकाक्षाएं (Expectations)** प्रजातात्रिक देशो मे जनता की सरकार से आकाक्षाए होती है। सरकार योजना का आकार निर्धारित करते समय जनता को दिये गए वचन और लोगो की आकाक्षाओ को पूरा करने की बात ध्यान मे रखती है।

कुल मिलाकर सरकार योजना के निर्धारित लक्ष्यो को पूरा करने वास्ते योजना परिव्यय निर्धारित करती है।

6. **विनियोजन के मापदण्ड (Investment Criteria)** – योजना का आकार निर्धारित करने के बाद यह समस्या उभरती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रा व उद्योगो मे विनियोजन किस प्रकार और कितना–कितना किया जाए। विनियोजन के मापदण्ड नियोजन के उद्देश्य तथा देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक

परिस्थितियो पर निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो के परस्पर सबंधित होने के कारण एक क्षेत्र का विनियोग दूसरे क्षेत्र के विनियोग से जुडा होता है। भारत सरीखे जनाधिक्य और श्रम बहुल देश मे विनियोग यथासभव श्रम प्रधान होना चाहिए। इसके विपरीत विकसित देशो मे जनसख्या वृद्धि दर कम होती है तथा बेरोजगारी की समस्या विकट नहीं होती है। अत इन देशो मे विनियोग पूजी प्रधान होना चाहिए। एक देश को विनियोग के मापदण्ड म निम्नलिखित बातो को ध्यान म रखना चाहिए

(i) **विदेशी विनिमय कोष का श्रेष्ठ उपयोग** (Best Utilization of Foreign Exchange Reserve) विकासशील देशो मे प्रभावोत्पादक प्रयासो से विदेशी विनिमय कोषो मे वृद्धि हो पाती है। अत योजना का विनियोजन विदेशी विनिमय का समुचित उपयोग वाला होना चाहिए। विनियोजन से ऐसी परियोजनाओ की स्थापना की जाए जिनके उत्पाद के निर्यात से भुगतान शेष की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडे।

(ii) अधिक उत्पादन (Maximum Production) तीव्र विकास के लिए उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। अत विनियोजन उत्पादन विनियोग अनुपात को बढावा देने वाला होना चाहिए अर्थात विनियोजन ऐसा हो जिससे उत्पादन अधिकतम हो। ऐसे विनियोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे सीमित ससाधनो से अधिकाधिक उत्पादन हो। अधिक उत्पादन से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है।

(iii) रोजगार सृजन (Employment Creation) विकासशील देशो म बेरोजगारी की समस्या मुखर होती है। अत विनियोजन ऐसे क्षेत्रो म किया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया हो सके।

(iv) वितरण मे सुधार (Improvement in Distribution) भारत सरीखे विकासशील देशा मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन मे होने के बावजूद जरूरतमद व्यक्तियो को अनेक बार राशन मुहैया नहीं हो पाता। वस्तुओ के उत्पादन के अभाव में कालाबाजारी होती है। देश म ऐसे विनियोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे लोगो की आधारभूत आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सके।

7 तकनीक का चुनाव (Selection of Techniques) योजना के निर्माण म तकनीक का चुनाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देश म श्रम–प्रधान तकनीक और पूजी–प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। श्रम–प्रधान तकनीक म श्रम की माग अपेक्षाकृत अधिक और पूजी की माग कम होती है। पूजी प्रधान तकनीक म पूजी की माग अधिक और श्रम की माग अपेक्षाकृत कम रहती है। प्रश्न उठता है कि इन दोनो तकनीकों म से किसे चुना जाए? प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियो के अनुसार विभिन्न प्रकार की तकनीको का चुनाव करता है। सयुक्त राष्ट्र सघ ने एक अध्ययन के अनुसार अल्पविकसित राष्ट्रो के लिए श्रम प्रधान तकनीक को अधिक उपयुक्त माना

गया है। अल्पविकसित देशो मे श्रम की प्रचुरता तथा पूजी की कमी रहती है। अल्पविकसित देशा म श्रम प्रधान तकनीक के पक्ष मे रोजगारोन्मुख मुद्रास्फीति पर नियत्रण आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना फैक्ट्री व्यवस्था के दोषो को दूर करने आयातो मे कमी द्वारा विदेशी विनिमय मे बचत आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सब तर्को के बावजूद विकासशील देशो मे पूजी प्रधान तकनीक का महत्त्व कम नहीं होता है। विकासशील देशो मे श्रम के अधिक गतिशील नहीं होने के कारण आर्थिक विकास के लिए पूजी प्रधान तकनीक की आवश्यकता महसूस की जाती है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूजी प्रधान तकनीक अत्यधिक सहायक होती है। अनेक अर्थशास्त्री जिनमें हर्शमैन गलेन्सन लाईनेन्स्टाइन सम्मिलित हे विकासशील दशा मे तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूजी प्रधान तकनीक अपनाने पर जोर देते हैं। पूजी प्रधान तकनीक से बचत और पूजी निर्माण की दर बढती है उत्पादन तीव्र गति स होता है उत्पादन की अच्छी किस्म तथा लागत कम आती है दीर्घकाल मे रोजगार सृजन होता है।

दोनो ही प्रकार की तकनीको के पक्ष मे दिए गए विभिन्न तर्को को दृष्टिगत रखते हुए श्रम व पूजी प्रधान तकनीक का प्रयोग गभीरतापूर्वक विचार करके किया जाना चाहिए। दोनो तकनीको का समुचित चुनाव करना चाहिए। दोनो मे अच्छा सामन्जस्य स्थापित किया जाना चाहिए। विकासशील देशो मे परिस्थितिया के अनुसार श्रम प्रधान तकनीक के साथ पूजी प्रधान तकनीक का प्रयोग भी जरूरी है। कुशल तकनीक वह होती है जिसमे उत्पादन लागत कम स कम आए अथवा नियोजित साधना की सहायता से उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

8 ससाधनो की उपलब्धता और गतिशीलता (Availability and Mobilisation of Resources) योजना निर्माण मे वित्तीय ससाधना की उपलब्धता और गतिशीलता का अत्यधिक महत्त्व होता है। भौतिक लक्ष्यो क निर्धारण क साथ-साथ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए कितने वित्तीय ससाधनो की आवश्यकता पडेगी। योजना निर्माण के समय वित्तीय ससाधनों के पूर्ण सग्रहण की व्यवस्था करनी चाहिए। भौतिक नियोजन और वित्तीय नियोजन पारस्परिक सबधित है। ये दोनो एक दूसरे के पूरक है।

वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता आतरिक और बाह्य स्रोतो पर निर्भर करती है। आतरिक स्रोतो मे घाटे की वित्त व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रमो से आय कर बाजार ऋण अल्प बचत तथा बाह्य स्रोता मे ऋण व अनुदान विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ स ऋण विदेशी निजी निवेश आदि सम्मिलित है आर्थिक योजना के निर्माण मे विभिन्न स्रोतो से साधन सग्रह का अनुमान लगाकर वित्तीय योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे मुद्रास्फीति नहीं बढे।

9 आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) — योजना के निर्माण म विकास दर का निर्धारण बहुत आवश्यक है। नियोजको को यह निधारित करना होता

है कि योजना के अत मे कौनसी सभावित विकास दर प्राप्त करनी है। आर्थिक विकास दर के साथ कृषि वृद्धि दर, औद्योगिक सवृद्धि दर, निर्यात वृद्धि दर, बचत व विनियोग दर आदि निर्धारित की जाती है। सरकार जनता मे अधिक लोकप्रियता पाने के कारण ऊची विकास दर निर्धारित कर देती है। योजना के अत मे निर्धारित विकास दर प्राप्त नहीं होने पर सरकार को आलोचना का सामना करना पडता है। विकास की दर निर्धारित करते समय नियोजको को अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। नियोजको को यह देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में कितनी विकास दर प्राप्त की जा सकती है। विकास की दर निर्धारित करते समय भावी आवश्यकताओ को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए। विकास की ऊची दर निर्धारित करने पर उसे प्राप्त करने का कारगर प्रयास करना चाहिए। विकासशील देशो मे विकास की दर कृषि विकास दर पर निर्भर करती है। भारत मे कृषि विकास आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करता है।

10. योजना में संतुलन (Balances in Planning) – आर्थिक नियोजन का लक्ष्य समूची अर्थव्यवस्था यथा सभी राज्यो मे सतुलन, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रो, मौद्रिक सतुलन आदि मे सतुलन स्थापित करता है। अर्थव्यवस्था मे सतुलन स्थापित करते समय देश की परिस्थितियो तथा विविध तकनीको का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। सभी क्षेत्रो मे सतुलन आर्थिक नियोजन को सफल बनाता है। विकासशील देशों मे वित्तीय ससाधना के अभाव मे सतुलित विकास मे कठिनाई आती है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे असतुलित विकास ही विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। हर्शमैन ने इस सबध मे कहा कि एक आदर्श स्थिति उस समय निर्मित होती है जबकि एक असतुलन अन्य क्षेत्रो के विकास को प्रेरित करता है जो कि आगे चलकर स्वय असतुलन उत्पन्न करता है और ऐसा लगातार चलता रहता है। अगर असतुलित विकास की ऐसी श्रृखला स्थापित की जा सके तो आर्थिक नीति निर्माता दर्शक–दीर्घा मे बैठकर मात्र दर्शक बन सकते है।

11. पूरक योजना (Supplementary Planning) – विकासशील राष्ट्र सामान्यतया वित्तीय ससाधनो के अभाव से ग्रसित होते हैं। ऐसी स्थिति मे देश एक ही योजना को दो भागो मे विभक्त कर सकता है। पहला आवश्यक भाग (Essential Project) होता है जिसे हर हालत मे क्रियान्वित किया जाता है क्योकि इसके लिए देश के पास पर्याप्त ससाधन उपलब्ध होते हैं। दूसरा सभाव्य भाग (Contingent Projetct) होता है इसकी क्रियान्विति वित्तीय ससाधनो की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निकट भविष्य मे वित्तीय ससाधनो के उपलब्ध होने पर इस भाग को पूरा करने की चेष्टा की जाती है। योजना के दो भाग होने क कारण मूल योजना मे परिवर्तन नहीं करना पडता है। भारत में वर्ष 1957 में विदेशी विनिमय सकट था परिणामस्वरूप द्वितीय पचवर्षीय योजना को आवश्यक भाग और सभाव्य भाग मे बाटा गया था।

12. नियोजन मे लोचशीलता (Flexibility in Planning) – भविष्य मे

अनिश्चितता की सभावना रहती है। अर्थव्यवस्था मे भविष्य मे लोगो की उपभोग प्रवृत्ति, तकनीकी, अनुसधान, बचत व जीवन स्तर मे परिवर्तन हो सकता है। योजना मे परिवर्तित परिस्थितियो के अनुसार बदलाव के लिए लोच होना आवश्यक है। किंतु लोचता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि योजना का मूल स्वरूप ही बदल जाए। भारत में आर्थिक निश्चितता के साथ राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना मे लोच का होना प्रासगिक हो गया है। नौवीं पचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण आरभिक दो वर्षो तक मूर्त रूप नहीं ले सकी। भारत मे छठी पचवर्षीय योजना दो बार बनाई गई।

3. योजना की जाच और स्वीकृति
(Testing and Adopting of Plan)

योजना आयोग या नियोजन प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त ढग से योजना की रुपरेखा तैयार कर लेने के बाद आर्थिक नियोजन की तकनीक की आगे की प्रक्रिया योजना की जाच और उसमे आवश्यक सशोधन कर स्वीकृति प्रदान करना होता है। योजना की जाच में विशिष्ट परिषद द्वारा यह देखा जाता है कि योजना निर्माण के घटक देश की परिस्थितियो के अनुकूल हैं अथवा नहीं। परस्पर सतुलन और सामजस्य को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना निर्माण मे कमी या असतुलन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। योजना के प्रारुप को प्रसारित कर जनसाधारण के रचनात्मक सुझाव आमत्रित किए जाते हैं। योजना के प्रारुप पर केन्द्रीय मत्रीमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा भी विचार विमर्श किया जाता है। योजना आयोग द्वारा सशोधनो का समावेश करते हुए योजना का अतिम प्रारुप तैयार किया जाता है। योजना के अन्तिम प्रारुप को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाता है। योजना की स्वीकृति सरकार या ससद द्वारा दी जाती है। ससद स्वीकृति देने से पूर्व योजना के सभी पहलुओ पर विचार विमर्श करती है। आवश्यकता पडने पर उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ससद योजना के अन्तिम प्रतिवेदन पर आवश्यक सशोधनों के बाद स्वीकृति की मुहर लगाती है। ससद की स्वीकृति के बाद योजना के क्रियान्वयन पर प्रश्न उठता है। सामान्यतया ससद योजना के अन्तिम प्रारुप म विशेष परिवर्तन नहीं करती क्योकि एक परिवर्तन के परिणामस्वरुप योजना के कई घटकों मे परिवर्तन हो जाता है जो एक पैचीदगीपूर्ण काम होता है।

4. योजना का क्रियान्वयन
(Execution of the Plan)

ससद द्वारा जब योजना को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तत्पश्चात योजना के क्रियान्वयन का महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारभ हो जाता है। योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व सरकार का होता है। यह कार्य विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। योजना को कार्यान्वित करने मे जनसहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन सबधी विभिन्न विभाग आयोग से सतत् सपर्क में रहते हैं ताकि नई परिस्थितियो के अनुरुप योजना को समायोजित

किया जा सके। योजना की सफलता के लिए योजना का भली–भांति क्रियान्वयन जरूरी है। आर्थिक नियोजन स्वय मे कठिन होता है किंतु योजना का क्रियान्वयन और भी अधिक कठिन होता है। योजना के सही क्रियान्वयन से आर्थिक विकास तीव्र गति पकडता है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यथार्थवादी उद्देश्य पर्याप्त वित्तीय ससाधन विश्वसनीय आकडे योग्य और ईमानदार प्रशासन का होना आवश्यक है। इसके अलावा देश म राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए और सबसे महत्त्वपूर्ण बात योजना के क्रियान्वयन मे पर्याप्त जन सहयोग की है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोग से योजना का क्रियान्वयन सहज हो जाता है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नाकित बाते आवश्यक है–

(i) **परियोजना का क्रियान्वयन** (The Execution of Projects) योजना के क्रियान्वयन मे सबसे पहले यह देखा जाता है कि योजना में क्या–क्या कार्य करने हैं। क्रियान्वयन के समय यह जान लेना चाहिए कि योजना मे आधारभूत सरचना सामाजिक विकास के क्षेत्र तथा कृषि विकास के बारे मे क्या प्रावधान किए गए है।

(ii) **खण्डीय कार्यक्रमो का क्रियान्वयन** (The Execution of Sector Programme) यह देखा जाना चाहिए कि विभिन्न खण्डीय कार्यक्रमो यथा कृषि योजना औद्योगीकरण योजना परिवहन योजना आदि के लिए क्या योजनाए बनाई गई हैं ताकि इनका समुचित ढग से क्रियान्वयन किया जा सके।

(iii) **आर्थिक नीतियो का क्रियान्वयन** (The Execution of Economic Policies) आर्थिक नियोजन मे सरकार समय–समय पर आर्थिक नीतियों की घोषणा करती है। योजना क्रियान्वयन मे आर्थिक नीतियो का समुचित पालन होना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण मे सरकार ने यदि बजट मे कृषि व ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है तो योजना क्रियान्वयन मे कृषि विकास पर जोर देना चाहिए। कृषि विपणन कृषि साख सिचाई विकास के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कृषि सबधी नीति का पालन प्रभावी ढग से सपन्न हो सके।

(iv) **वित्तीय योजना का क्रियान्वयन** (The Execution of Financial Plan) विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने का काम वित्त मत्रालय का होता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय योजना का उचित पालन आवश्यक है। वित्त मत्रालय के द्वारा देश के विकास की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रो से वित्त साधनो को जुटाना चाहिए।

(v) **निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वयन** (Execution by Private Sector) निजी क्षेत्र का भी विकास म महत्त्वपूण योगदान होता है। योजना म निजी क्षेत्र के

लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली योजनाए घोषित की जानी चाहिए।

(xi) वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) परिवर्तित परिस्थितियो के कारण योजना के कार्यान्वयन मे उचित समायोजन करने वास्ते वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

योजना सबधी कार्यो के सुचारू क्रियान्वयन वास्ते उपयुक्त सस्था की स्थापना की जानी चाहिए। सस्था से सबधित व्यक्ति योग्य और कुशल होने चाहिए। इसके अलावा निरीक्षण कार्य की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है।

5. योजना का मूल्याकन
(Evaluation of Plan)

योजना का मूल्याकन नियोजन की तकनीक की अतिम अवस्था है। मूल्याकन के अन्तर्गत योजना की सफलता अथवा असफलता की जाच की जाती है। जाच पूर्व निर्धारित मानको के अतर्गत की जाती है। मूल्याकन का उद्देश्य योजना मे आवश्यकतानुसार सुधार के लिए तुरन्त व निरन्तर सूचनाए उपलब्ध कराते रहना है। मूल्याकन के माध्यम से योजना मे हुए वास्तविक कार्य का पता लगता है। योजना क्रियान्वयन के मूल्याकन से योजना के लक्ष्यो को प्राप्त करने मे आने वाली बाधाओ का निराकरण किया जाता है।

भारत में योजना का क्रियान्वयन केद्र और राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है जबकि योजना का निर्माण भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना की प्रगति का सही और वास्तविक विवरण सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। भारतीय योजना आयोग मे योजना क्रियान्वयन का मूल्याकन करने वास्ते "कार्यक्रम मूल्याकन सगठन" स्थापित है। याजना के निरीक्षण कार्य से योजना की उपलब्धियो और कमियो का निरन्तर ज्ञान होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक सशोधन और सुधार कर योजना को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है। योजना का निरीक्षण अपर्याप्त और कमजोर रहने पर योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पडता है। सारत मूल्याकन योजना को सफल बनाने मे सहायक होता है। योजना का मध्यावधि मूल्याकन भी किया जा सकता है ताकि शेष अवधि मे आवश्यक परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त किया जा सके। नियोजन की तकनीक द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, राजनीतिक उत्थान के लिए सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

भारतीय योजना आयोग
(Indian Planning Commission)

भारत मे योजना आयोग सलाहकार सस्था होते हुए भी इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसे समानान्तर सरकार, गाडी का पाचवा पहिया अथवा सुपर कैबिनेट के नाम

से जाना जाता है। भारत मे योजना के लक्ष्यो और सामाजिक उद्देश्यो का आधार हमारे सविधान मे वर्णित राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धात हैं। आर्थिक नियोजन मे 1951 से 1990 तक आधारभूत और भारी उद्योगो मे व्यापक पूजी निवेश के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की व्यवस्था की गई किंतु 1991 के बाद विकास के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रही। आज आयोजना अधिकाधिक सकेतात्मक है।

भारत मे योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश की समस्त आवश्यकताओं और ससाधनो को ध्यान मे रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार करना था। वर्तमान मे भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा उपाध्यक्ष श्री के सी पत है।

योजना आयोग के कार्य
(Functions of Planning Commission)

भारतीय सविधान के सदर्भ में भारतीय योजना आयोग इस ढग से योजनाओं का निर्माण करता है कि देश में आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण नहीं हो। प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन जीने के पर्याप्त साधन मुहैया हो सके तथा सपूर्ण भौतिक ससाधनों का सामाजिक हित की दृष्टि से वितरण हो सके। भारत सरकार के 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग के निम्नाकित कार्य हैं –

1. साधनों की जानकारी (Resources Survey) – भारतीय योजना आयोग का कार्य भौतिक, मानवीय तथा पूजीगत ससाधनों का सही अनुमान लगाना है। आयोग इस बात की भी जाच करता है कि देश में कौनसे ससाधनों की कमी है तथा उनमे कैसे वृद्धि की जा सकती है।

2. योजना का निर्माण (Plan Formulation) – योजना आयोग देश के ससाधनो की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके प्रभावी और सतुलित उपयोग वास्ते योजनाओं का निर्माण करता है।

3. प्राथमिकताओं और चरणों का निर्धारण (Determination of Priorities and Stages) – योजना आयोग नियोजन के लिए प्राथमिकताओ का निर्धारण करेगा तथा उन विभिन्न चरणों को परिभाषित करेगा जिनके आधार पर योजनाए क्रियान्वित की जायेगी। आयोग प्रत्येक चरण के लिए ससाधनों का आवटन भी करेगा।

4. बाधक तत्त्वों की खोज करना (Searching of Probable Difficulties) – योजना आयोग उन तत्त्वों का पता लगाता है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधक तत्त्वों की जानकारी के आधार पर वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सभावित बाधाओं को दूर करने के उपायों की खोज करता है।

5. योजना क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठन की स्थापना (Establishment of Appropriate Organisation For Plan Implementation) – योजना आयोग

नियोजन के प्रत्येक चरण की सफलता के लिए उपयुक्त सगठन सबधी सुझाव देता है जिससे योजना के सभी पहलुओं को क्रियान्वित किया जाता है।

6. **मूल्याकन** (Evaluation) – योजना आयोग योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन मे हुई प्रगति को समय–समय पर मूल्याकन करता है ताकि योजना की नीति–रीति मे उचित सुधार किया जा सके।

7. **सुझाव** (Suggestions) – आयोग दिए गये कार्यों के दायित्वो को पूरा करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। सुझाव वर्तमान आर्थिक स्थिति, नई आर्थिक नीति तथा विकास कार्यक्रमो से सबधित होते हैं। सचालन के सुधार के उपाय सुझाने से सपूर्ण कार्य प्रणाली उचित रूप से सचालित होती है।

योजना आयोग का संगठन
(Organisation of Planning Commission)

भारतीय योजना आयोग अपने कार्यों को विभिन्न विभागो के माध्यम से सम्पन्न करता है। आयोग के आतरिक सगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमे समन्वय विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग तथा अन्य सगठन होते है। योजना आयोग के विभिन्न विभागों को निम्नलिखित भागो मे बाटा जा सकता है –

(अ) समन्वय विभाग (Co-ordinating Division)

1 कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administration Division)
2 योजना समन्वय विभाग (Planning Co-ordination Division)

(ब) सामान्य विभाग (General Division)

1 आर्थिक विभाग (Economic Division)
2 दृष्ट नियोजन विभाग (Perspective Planning Division)
3 श्रम, रोजगार और मानव शक्ति विभाग (Labour, Employment and Man Power Planning Division)
4 साख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग (Statistical and Survey Division)
5 ससाधन और वैज्ञानिक अनुसधान विभाग (Resource and Scientific Research Division)
6 प्रबध तथा प्रशासनिक विभाग (Management and Administration Division)

(स) विषय विभाग (Subject Division)

1 कृषि एव ग्रामीण विकास विभाग (Agriculture and Rural Development Division)
2 सिचाई विभाग (Irrigation Division)
3 शक्ति एव उर्जा विभाग (Power and Energy Division)
4 भूमि सुधार विभाग (Land Reforms Division)
5 उद्योग व खनिज विभाग (Industrial and Mineral Division)

6 परिवहन तथा सचार विभाग (Transport and Communication Division)
7 शिक्षा विभाग (Education Division)
8 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग (Health and Family Planning Division)
9 गृह निर्माण विभाग (Housing Development Division)
10 समाज सेवा विभाग (Social Service Division)

(द) विशिष्ट विभाग (Special Division)

1 ग्रामीण क्षेत्र विकास विभाग (Rural Area Development Division)
2 जन सहयोग विभाग (Public Co operation Division)

(य) सबधित अन्य सगठन

1 कार्यक्रम मूल्याकन सगठन (Programme Evaluation Organisation)
2 शोध कार्यक्रम समिति (Research Programme Committee)
3 राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)
4 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)
5 केन्द्रीय साख्यिकी सगठन (Central Statistical Organisation)

भारतीय योजना आयोग एक वृहत सगठन है। इसमे 3500 से अधिक व्यक्ति नियोजित है। भारत सरकार का योजना आयोग पर भारी वार्षिक व्यय होता है। भारतीय योजना आयोग ही वस्तुत भारत का नियोजन तत्र है। आर्थिक नियोजन मे भारतीय योजना आयोग की कारगर भूमिका है।

भारतीय योजना आयोग की आलोचनाए (Criticisms of Indian Planning Commission)

भारत के आर्थिक नियोजन म योजना आयोग का महत्त्वपूण योगदान है किंतु इसके गठन और कार्य प्रणाली म अनेक दोष व्याप्त है। भारतीय योजना आयोग की प्रमुख आलोचनाए निम्नलिखित हैं –

1 **आयोग का वैधानिक अस्तित्व नहीं** – भारतीय योजना आयोग का निर्माण केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा होने के कारण इसका वैधानिक अस्तित्व नहीं है। आयोग एक सलाहकार सस्था के रूप मे कार्य करता है। आयोग मे मत्रीमण्डल के सदस्या की नियुक्ति के कारण स्वतत्र कार्यप्रणाली मे बाधा आती है।

2 **लालफीताशाही** – भारतीय योजना आयोग की कार्यप्रणाली मे अन्य सरकारी विभागो की भाति नौकरशाही का बोलबाला होने के कारण निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. समन्वय का अभाव – योजना आयोग म विभागा और उपविभागो की भरमार है। योजना आयोग में समन्वय विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग तथा सबधित अन्य विभाग होते है। इन विभागो मे भी अनेक उप–विभाग होते हैं। विभागो की अधिकता के कारण इनमे परस्पर समन्वय और सहयोग नहीं हो पाता हे नतीजतन निर्णयो मे देरी होती है।

4. अधिक व्यय – भारतीय योजना आयोग मे अत्यधिक कर्मचारी कार्यरत है। आयोग के व्यय मे भारी वृद्धि हो रही है। इस कारण आर्थिक विकास और वित्तीय साधनो पर बुरा प्रभाव पड रहा है।

5. तकनीकी ज्ञान का अभाव – भारतीय योजना आयोग के सदस्यो मे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या चुनाव हारे राजनीतिज्ञ होते हैं। इन सदस्यो मे तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है। योजनाओ की प्राथमिकताओ के मूल्याकन मे नवीन तकनीक का लाभ नहीं उठाया जाता हे। योजना आयोग लागत लाभ विश्लेषण जैसी तकनीक प्रयोग नहीं करके परम्परागत विधियो के माध्यम से प्राथमिकताए निर्धारित करता है।

6. सदस्यों की नियुक्ति मे मनमानी – योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा सदस्यो की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जाती हे। सदस्यो को जब चाहे नियुक्त कर दिया जाता है और जब चाहे हटा दिया जाता है। सदस्यो की योग्यताओ के सबध मे कोई लिखित प्रावधान नहीं होता है।

7. वित्तीय सहायता और अनुदान देने मे पक्षपात – वित्तीय सहायता ओर अनुदान देने के मामले मे योजना आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णरूपेण राजनीतिक आधार पर होती है। केन्द्र मे सत्तारूढ पार्टी की सरकार वाले राज्यो को बडे आकार की योजना स्वीकृत कर दी जाती है। कमजोर और पिछडे राज्य अपेक्षित वित्तीय सहायता से उपेक्षित रह जाते हैं।

8. राज्यों मे योजना आयोग का नहीं होना – भारत के राज्यो म योजना आयोग नहीं बनाए गए हैं इस कारण राज्यों की योजनाए भी योजना आयोग द्वारा बनाई जाती हैं। इससे योजना आयोग पर कार्य का दबाव अधिक हो जाता है।

9. योजना के निर्माण और क्रियान्वयन मे समन्वय का अभाव – भारत मे योजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है ओर योजना क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। समन्वयन के अभाव मे योजना के क्रियान्वयन मे देरी होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

10. गलत वित्तीय अनुमान – योजना आयोग द्वारा पचवर्षीय योजनाओ के लगाये गए वित्तीय अनुमान कसौटी पर खरे नही उतर पाते हैं। वित्तीय अनुमानो का खरे नहीं उतरने का कारण वैज्ञानिक आधार का अभाव है।

11. कार्यो का दोहरीकरण – योजना आयोग मे विभागो और उपविभागो के

अधिक होने के कारण कई जगह कार्यो का दोहरीकरण हो जाता है। इसका कारण भारतीय योजना आयोग और वित्त आयोग दोनो को राज्यो के विकास के लिए धन के वितरण का कार्य सौंप देना है।

योजना आयोग के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव

भारतीय योजना आयोग के दोषो को दूर करने के लिए सुझाव देने वास्ते भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने अतरिम प्रतिवेदन 1967 में प्रमुख सिफारिशे की जिनमे कुछ इस प्रकार थी

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि योजना आयोग का अध्यक्ष आयोग का सदस्य ही होना चाहिए। आयोग मे कोई भी मत्री सदस्य नहीं होना चाहिए। योजना अयोग का कार्य केवल उदेश्यो का निर्धारण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजना निर्माण और योजना मूल्याकन होना चाहिए। योजना आयोग के सदस्यों की सख्या 7 उपयुक्त है। सदस्य विभिन्न क्षेत्रो में ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। सदस्या की नियुक्ति निश्चित समय के लिए तथा पूर्णकालिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन परिषद् की नियमित रूप से अधिक बैठके होनी चाहिए ताकि वह विकास योजनाओ के सबध मे निर्देश प्रदान करती रहे।

योजना आयोग के दोषो को दूर करने के लिए निम्न सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं –

1. वैधानिक अरितत्व – भारतीय योजना आयोग का वैधानिक अस्तित्व होना चाहिए। आयोग के कार्यों मे राजनीतिक दखलनदाजी कम से कम होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी मत्रियो को आयोग की सदस्यता का विरोध किया।

2. कर्मचारियों की संख्या में कमी – कर्मचारियों की अधिकाधिक सख्या आयाग की कार्यप्रणाली का पमुख दोष है। अत कर्मचारियों की सख्या को कम किये जाने की चेष्टा करनी चाहिए।

3. विशेषज्ञों की नियुक्ति – योजना आयोग नियोजन सबधी महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। देश का आर्थिक विकास बडी सीमा तक आयोग की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अत आयोग मे सदस्यो के रूप मे राजनीतिज्ञो की नियुक्ति नहीं की जाकर विषय विशेषज्ञो की नियुक्ति की जानी चाहिए।

4. कार्यप्रणाली में सुधार – आयोग की कार्यप्रणाली मे सुधार किया जाना चाहिए। आयोग को सरकारी विभागो की लालफीताशाही से दूर रखा जाना चाहिए जिससे निर्णय सही समय पर लिये जा सके।

5. राज्य स्तरीय नियोजन तत्र – भारतीय योजना आयोग के कार्यभार को कम करने क लिए राज्य स्तरीय नियोजन तत्र की स्थापना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य मे राज्य योजना परिषद्, विभागीय नियोजन सस्थाए तथा जिला स्तरीय नियोजन सस्थाए होनी चाहिए।

6. सलाहकार संस्था – भारतीय योजना आयोग पूर्णरुपेण सलाहकारी सस्था होनी चाहिए। योजना क्रियान्वयन व सचालन का काम केन्द्र और राज्य सरकार का है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन – राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन करके इससे प्रधानमत्री, उप प्रधानमत्री, वाणिज्य, परिवहन, ओद्योगिक विकास, जहाजरानी, रेल, शिक्षा, श्रम, सिचाई, रोजगार, सभी राज्यो के मुख्यमत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य सम्मिलित किये जाने चाहिए।

भारत के आर्थिक विकास मे भारतीय योजना आयोग की प्रासगिक भूमिका रही। विकास के क्षेत्र मे योजना अयोग की बढती उपादेयता के कारण इसे सुपर कैबिनेट नाम दिया गया। भारतीय योजना आयोग ने स्वतत्रता के पाच दशको मे नौ पचवर्षीय योजनाओ का निर्माण किया। पचवर्षीय योजनाओ के द्वारा ही भारत के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित हुई। किन्तु भारत को योजनाओ के निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 1991 मे भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका गौण हो गई। नतीजतन भारतीय योजना आयोग की भूमिका भी आर्थिक नियोजन की तुलना मे आज कम हो गई है। आज भारतीय योजना आयोग की सुपर कैबिनेट वाली पहचान लगभग समाप्त हो गई है। भारत मे आर्थिक उदारीकरण को अन्य देशो की तुलना मे धीमी गति से आत्मसात किया गया है। विकास में आज भी पचवर्षीय योजनाओ की भूमिका है। अत भारत में योजना आयोग की भूमिका आगामी अनेक वर्षो तक बने रहने की सभावना है।

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

1 नियोजन की तकनीक से आप क्या समझते है?
2 योजना की मूल्याकन विधि पर प्रकाश डालिए।
3 भारत मे योजनाओ का निर्माण किस प्रकार होता हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे नियोजन की तकनीक के भागो को विस्तार से समझाइए।
2 नियोजन की तकनीक से आप क्या समझते है? योजना निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्याकन के सदर्भ मे विस्तार से समझाइए।
3 भारतीय नियोजन की तकनीको का वर्णन कीजिए।

(M.D.S. Univeristy Ajmer, 1998)

(**संकेत** – सभी प्रश्नो के प्रथम भाग मे नियोजन की तकनीक का अर्थ बताना है इसके बाद अध्याय मे दिए गए नियोजन की तकनीको के भागो को लिखना है।)

भारत में जनसंख्या–विशेषताएँ और वृद्धि

(Population in India - Characteristics and Growth)

परिचयात्मक

भारत जनसख्या के आकार की दृष्टि स चीन क बाद दुनिया का सबस बडा देश है। चीन की जनसख्या भारत स अधिक है किंतु भारत जनसख्या वृद्धि दर म चीन स आग है। भारत की जनसख्या वष 1991 की जनगणना के अनुसार 84 6 कराड थी। इसम पुरुषा की जनसख्या 43 9 कराड तथा महिलाओं की जनसख्या 40 7 कराड थी। कुल जनसख्या म ग्रामीण जनसख्या 62 9 कराड तथा शहरी जनसख्या 21 8 कराड थी।

वष 1991 म कुल जनसख्या म पुरुष 51 89 प्रतिशत तथा महिलाए 48 10 प्रतिशत थी। कुल जनसख्या म ग्रामीण जनसख्या 74 28 प्रतिशत तथा शहरी जनसख्या 25 71 प्रतिशत थी। वष 1981 91 म जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 14 प्रतिशत रही। कुल जनसख्या म 0 स 6 वर्ष तक क बच्चा का 17 94 प्रतिशत था। जनसख्या का घनत्व प्रति वग किलामीटर 274 था। भारत की साक्षरता 991 म 52 21 प्रतिशत थी। इसम पुरुष साक्षरता 64 13 म महिला साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। कुल जनसख्या म श्रमिका का भाग 37 46 प्रतिशत था इसम पुरुषा का भाग 51 55 प्रतिशत तथा महिलाआ का 22 25 प्रतिशत था।

भारत न स्वातन्त्र्यात्तर प्रत्यक क्षत्र म उल्लखनीय प्रगति की। भारत की अथव्यवस्था विश्व की छठी बडी अथव्यवस्था है। भारत का तीसरी दुनिया की बडी औद्यागिक शक्तियां म गिना जाता है। लकिन इसक बावजूद भी आम आदमी के जीवन स्तर म विशष बदलाव नहीं आया है। आज दश म सामाजिक विकास के क्षत्र म अनक समस्याए मुहबाए खडी हैं। जिनम गरीबी बराजगारी निरक्षरता कुपाषण की समस्या भयावह है। भारत की तजी स बढती जनसख्या न विकास के

लाभो को फीका कर दिया है। यदि तीव्रता से बढ रही जनसख्या पर नियत्रण नहीं किया गया तो आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। भारत मे शिशु मृत्यु दर, प्रौढ साक्षरता तथा औसत आयु की दृष्टि से स्थिति एशियाई देशो की तुलना मे कमजोर है।

मानव संसाधनो का महत्त्व (Importance of Human Resources)

जनसख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास मे सहायक होता है। विकसित देशो में बढती जनसख्या ने विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विपरीत विकासशील देशो मे बढती जनसख्या विकट समस्या है। किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एव सक्रिय जनसख्या ही उसकी अमूल्य निधि एव प्रेरक शक्ति है।

1. श्रम शक्ति : श्रम उत्पादन का प्रमुख साधन है। उत्पादन मे मनुष्य के श्रम की भूमिका विशेष महत्त्व रखती है। जनसख्या श्रम शक्ति के स्रोत के रुप मे आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण कारक होती है। जिस देश में जनसख्या जितनी अधिक होगी श्रम शक्ति उतनी ही अधिक होगी। भारत मे जनसख्या की अधिकता के कारण श्रम शक्ति का अभाव नहीं है। भारत के श्रमिक देश मे ही नहीं अपितु विदेशों में भी उत्पादन में योगदान कर रहे हैं। भारत मे सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आकर्षित हो रही हैं।

2. श्रम प्रधान तकनीक मे सहायक : अधिक मानवीय ससाधन श्रम प्रधान तकनीक मे सहायक होते हैं। भारत सरीखे विकासशील देशो मे पूजी प्रधान तकनीक का अभाव होता है। श्रम प्रधान तकनीक मे अधिक श्रमिको की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति मानव ससाधनो से ही सभव है।

3. शक्ति : राष्ट्र विशेष की शक्ति मे मानव ससाधनो का विशेष महत्त्व होता है। आज के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र अमरीका और रुस अधिक जनसख्या वाले देश हैं। चीन की गिनती भी शक्ति सम्पन्न देशो मे की जाती है। भारत भी हाल के वर्षो मे सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र के रुप मे उभरा है।

4. विस्तृत बाजार . आज विश्व के विकसित देशो की निगाहे बडे बाजारो पर टिकी हैं। दुनिया का कोई देश आर्थिक दृष्टि से चीन और भारत के बडे बाजार की उपेक्षा करने की स्थिति मे नहीं है। भारत और चीन अधिक आबादी के कारण विश्व के बडे बाजार के रुप मे उभरे हैं।

5. आर्थिक विकास · अनुकूलतम जनसख्या आर्थिक विकास मे सहायक है। पर्याप्त जनसख्या से देश के आर्थिक और प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन होता है जिससे आर्थिक विकास गति पकडता है।

6. शोध व अनुसंधान . जनसख्या की बहुलता अनेक समस्याओं की जनक होती है। जनसख्या जनित समस्याओ से निपटने के लिए शोध व अनुसधान पर बल दिया जाता है। भारत मे जनसख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई

इससे निपटने के लिए कृषि अनुसधान पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र मे नवीन व्यूह रचना लागू की गई नतीजतन आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है।

7. साधन और साध्य : सभी आर्थिक क्रियाए मानव द्वारा की जाती हैं और मानव के लिए होती हैं। अत देश की जनसख्या आर्थिक क्रियाओ का आदि और अत है। देश की जनसख्या उत्पादन के साधन के अलावा सारे उत्पादन व्यवसाय का साध्य भी है।

8. अमूल्य निधि राष्ट्र की शिक्षित, स्वस्थ तथा प्रगतिशील जनसख्या अमूल्य निधि होती है। गुणात्मक दृष्टि से बढती जनसख्या राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिबिम्ब होती है।

भारत में जनसख्या की मुख्य विशेषताएं
(Chief Characteristics of Indian Pupulation)

भारत एक विशाल देश है। यहा की जनसख्या मे अनेक विशेषताए दृष्टिगोचर होती हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भू–भाग का 2 42 प्रतिशत है जबकि यहाँ विश्व की जनसख्या का 16 प्रतिशत भाग निवास करता है। जनसख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में हर घण्टे में 2 हजार 400 बच्चे जन्म लेते है। प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया हमारी जनसख्या में जुड जाता है। भारत मे जनसख्या की मुख्य विशेषताए एव प्रवृत्तिया निम्नलिखित है

1. विशाल जनसख्या . भारत की जनसख्या 1951 में 36 1 करोड, 1961 में 43 9 करोड, 1971 मे 54 8 करोड व 1981 में 68 3 करोड थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसख्या 84 63 करोड थी। वर्तमान मे भारत की जनसख्या एक अरब को पार कर चुकी है। वाशिगटन स्थित पर्यावरण अनुसधान सगठन 'वर्ल्ड वाच' ने भविष्यवाणी की थी कि भारत की आबादी 15 अगस्त 1999 को एक अरब की सीमा को पार कर जाएगी। इस तरह भारत चीन के बाद एक अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा।[1] उत्तरप्रदेश देश मे सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है इसकी जनसख्या 1991 में 13 91 करोड थी। सिक्किम की जनसख्या 4 06 लाख थी, जो देश में सबसे कम जनसख्या वाला राज्य है। केन्द्र शासित प्रदेशों मे 1991 म दिल्ली की जनसख्या 94 20 लाख थी जो सर्वाधिक है तथा लक्षद्वीप की जनसख्या 51,707 थी जो कि सबसे कम है।

2. औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर : भारत की जनसख्या की औसत वार्षिक घाताक वृद्धि दर 1951 में 1 25 प्रतिशत थी जो बढकर 1961 में 1 96 प्रतिशत, 1971 म 2 20 प्रतिशत तथा 1981 मे और बढकर 2 22 प्रतिशत हो गई। जनसख्या की औसत वार्षिक घाताक वृद्धि दर स्वातन्त्र्योत्तर की गई जनगणनाओं क बाद पहली बार 1991 मे घटकर 2 14 प्रतिशत रह गई।

3. दशक वृद्धि दर दशक वृद्धि दर 1951 में 13 31 प्रतिशत थी जो बढकर

1961 मे 21 51 प्रतिशत तथा 1971 में और बढकर 24 80 प्रतिशत हो गई। बाद की जनगणना मे दशक वृद्धि दर मे कमी हुई। जनसख्या की दशक वृद्धि दर 1981 मे घटकर 24 66 प्रतिशत रह गई तथा 1991 मे और घटकर 23 85 प्रतिशत रह गई।

4. कृत्रिम वृद्धि दर जनसख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 1951 मे 51 47 प्रतिशत थी जो बढकर 1961 मे 84 25 प्रतिशत, 1971 मे 129 94 प्रतिशत तथा 1981 मे और बढकर 186 64 प्रतिशत हो गई। जनसख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 1991 में 255 प्रतिशत थी। (देखे टेबिल-1)

जनसख्या वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	दशक वृद्धि दर	औसत वार्षिक वृद्धि दर	1901 के बाद की कृत्रिम वृद्धि दर
1911	5 75	0 56	5 75
1921	-0 31	-0 03	5 42
1931	11 00	1 04	17 02
1941	14 22	1 33	33 67
1951	13 31	1 25	51 47
1961	21 51	1 96	84 25
1971	24 80	2 20	129 94
1981	24 66	2 22	186 64
1991	23 85	2 14	255 00

स्रोत *भारत वार्षिक सदर्भ*, 1994 पृष्ठ सख्या – 8

5 औसत आयु (L.fe Expectancy) भारत में चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओ में विस्तार के कारण जनसख्या की औसत आयु मे वृद्धि हुई है। औसत आयु 1951 में 32 1 वर्ष थी जो बढकर 1961 में 41 3 वर्ष, 1971 मे 45 6 वर्ष तथा 1981 में 50 4 वर्ष थी। वर्ष 1991 में जनसख्या की औसत आयु 59 4 वर्ष थी। 1992 में औसत आयु बढकर 60 8 वर्ष हो गई।

6. जन्म दर (Birth Rate) भारत में जनसख्या वृद्धि का प्रमुख कारण ऊची जन्म दर है। जन्म दर 1951 में 39 9 प्रति हजार थी जो बढ़कर 1961 में 41 7 प्रति हजार हो गई। जन्म दर 1971 में 36 9 प्रति हजार तथा 1981 मे 33 9 प्रति हजार थी। वर्ष 1991 मे जन्मदर घटकर 29 5 प्रति हजार रह गई। भारत में हाल के वर्षों मे परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के गति पकडने के कारण जन्मदर में थोडी कमी हुई है। वर्ष 1994 में जन्म दर 28 7 प्रति हजार थी।

7. मृत्यु दर (Death Rate) नियोजित विकास में चिकित्सा सुविधाओं में

विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई है। मृत्यु दर 1951 मे 27 4 प्रति हजार थी जो घटकर 1961 मे 22 8 प्रति हजार, 1971 मे 14 9 प्रति हजार तथा 1981 मे और घटकर 12 5 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1991 मे मृत्यु दर और घटकर 9 8 प्रति हजार रह गई। मृत्यु दर 1994 मे 9 3 प्रति हजार थी।

8. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) भारत मे शिशु मृत्यु दर अन्य देशो की तुलना मे अधिक है। देश मे नियोजित विकास में शिशु मृत्यु दर में थोडी कमी हुई है। शिशु मृत्यु दर 1951 म 146 प्रति हजार थी जो 1961 में भी 146 प्रति हजार तथा 1971 मे घटकर 129 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1981 मे शिशु मृत्यु दर और घटकर 110 प्रति हजार रह गई। शिशु मृत्यु दर 1991 में 80 तथा 1994 मे 74 प्रति हजार थी।

9. साक्षरता (Literacy) देश मे साक्षरता मे वृद्धि हुई है। इसके बावजूद दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर (विश्व के एक-तिहाई) भारत मे है। भारत मे साक्षरता दर 1951 मे 18 33 प्रतिशत थी जो बढकर 1961 में 28 31 प्रतिशत तथा 1971 मे और बढकर 34 45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1951, 1961 और 1971 की साक्षरता दर मे 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगो की जनसख्या ली गई है। वर्ष 1981 की तथा 1991 की दरो मे सात वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगो की जनसख्या ली गई है। वर्ष 1981 मे साक्षरता दर 43 56 प्रतिशत तथा 1991 में साक्षरता दर 51 21 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 मे पुरुष साक्षरता दर 64 13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 39 29 प्रतिशत थी।

भारत के केरल राज्य मे साक्षरता दर 89 81 प्रतिशत है। यह देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। बिहार में साक्षरता की न्यूनतम दर 38 48 प्रतिशत है और राजस्थान भी इसके निकट ही है जहा साक्षरता दर 38 55 प्रतिशत है किंतु राजस्थान मे साक्षर स्त्रियो की सख्या न्यूनतम 20 44 प्रतिशत है जबकि साक्षर पुरुष सख्या 54 99 प्रतिशत है।

10 स्त्री पुरुष अनुपात (Sex Ratio) भारत में स्त्री और पुरुषो की सख्या का अनुपात स्त्रिया के प्रतिकूल है अर्थात एक हजार पुरुषो के मुकाबले स्त्रियो की सख्या सामान्यत एक हजार से कम है। स्त्रियो के प्रतिकूल होने के साथ–साथ यह अनुपात पिछले दशक मे कम भी हो गया है। 1981 की जनगणना मे इस स्थिति मे जो मामूली सा सुधार दिखाया गया था, वर्ष 1991 की जनगणना में बना नहीं रह सका और वर्ष 1981 की तुलना में 1991 मे यह 934 से 927 हो गया अर्थात इसमे सात अको की कमी आई। स्त्री–पुरुषो की सख्या में पाई जाने वाली यह असमानता और गत वर्षो मे आई गिरावट महिलाओ की उपेक्षा को दर्शाता है।

11. अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जनजातिया (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) भारत मे 1981 की कुल जनसख्या में अनुसूचित जातिया 15 8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातिया 7 8 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 मे अनुसूचित जातिया 16 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातिया 8 प्रतिशत थी।

12. ग्रामीण तथा शहरी जनसख्या (Rural and Urban Population) भारत मे ग्रामीण जनसख्या शहरी जनसख्या की तुलना मे अधिक है। देश मे विगत दशको मे ग्रामीण जनसख्या मे उत्तरोत्तर कमी हुई। आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 मे ग्रामीण जनसख्या 524 मिलियन थी जो कुल जनसख्या का 76 7 प्रतिशत था। वर्ष 1991 मे ग्रामीण जनसख्या बढकर 629 मिलियन हो गई किंतु कुल जनसख्या मे ग्रामीण जनसख्या का भाग घटकर 74 3 प्रतिशत रह गया। शहरी जनसख्या 1981 मे 159 मिलियन थी जो बढकर 1991 मे 218 मिलियन हो गई। कुल जनसख्या मे शहरी जनसख्या का भाग 1981 मे 23 3 प्रतिशत से बढकर 1991 मे 25 7 प्रतिशत हो गया।

13. आयु सरचना भारत की जनसख्या मे वर्ष 1990 मे 0-4 आयु वर्ग का भाग 12 85 प्रतिशत, 5-14 आयु वर्ग का भाग 23 15 प्रतिशत, 15-59 आयु वर्ग का भाग 57 51 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग का भाग 6 49 प्रतिशत था। आयु सरचना मे वर्ष 1990 मे वर्ष 1985 की तुलना मे 0-4 व 5-14 आयु का भाग घटा है जबकि 15 59 तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग का भाग बढा है।

14 दस लाख से ऊपर की जनसख्या वाले शहर भारत मे वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक जनसख्या वाले 12 शहर थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं–कलकत्ता, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा जयपुर। वर्ष 1981 मे कलकत्ता की जनसख्या 91 94 लाख तथा जयपुर की जनसख्या 10 15 लाख थी।

15. धर्मानुसार जनसख्या भारत मे सभी धर्मो के लोग बडी सख्या मे रहते हैं। वर्ष 1981 मे कुल जनसख्या मे हिन्दू धार्मिक वर्ग का भाग 82 6 प्रतिशत था जबकि मुसलमान धार्मिक वर्ग का भाग केवल 11 4 प्रतिशत था। इनके अलावा ईसाई धार्मिक वर्ग का भाग 2 4 प्रतिशत तथा सिख धार्मिक वर्ग का भाग 2 प्रतिशत था। बोद्ध धर्म का भाग 0 7 प्रतिशत व जैन धर्म का भाग 0 5 प्रतिशत था।

16 भाषाओ के अनुसार जनसख्या भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी है। वर्ष 1981 मे 264 5 मिलियन लोगो की मुख्य भाषा हिन्दी थी। इसके अलावा बगाली, तेलुगू, मराठी भी बडी सख्या मे लोगो की मुख्य भाषा है। भारत मे उर्दू 34 9 मिलियन लोगो की मुख्य भाषा है।

भारत में जनसख्या वृद्धि
(Population Growth in India)

भारत की जनसख्या विस्फोटक स्थिति मे है। भारत मे जनसख्या वृद्धि दर दुनिया के अनेक देशो की तुलना मे अधिक है। वर्ष 1991 मे अमरीका में जनसख्या वृद्धि दर 0 9 प्रतिशत, इग्लैण्ड मे जनसख्या वृद्धि दर 0 2 प्रतिशत तथा जापान मे 0 5 प्रतिशत थी। भारत की जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 1 प्रतिशत इन देशो की तुलना मे बहुत अधिक थी।

बीसवीं शताब्दी मे भारत की जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1901 मे भारत की जनसख्या 23 8 करोड थी जो बढकर 1941 मे 31 9 करोड हो गई। स्वातन्त्र्योत्तर भारत की जनसख्या मे तेजी से वृद्धि हुई। स्वतत्र भारत की पहली जनगणना 1951 हुई, उस समय मे भारत की जनसख्या 36 1 करोड थी जो बढकर 1961 मे 43 9 करोड, 1971 मे 54 8 करोड तथा 1981 मे और बढकर 68 3 करोड हो गई। वर्ष 1991 मे भारत की जनसख्या 84 6 करोड थी।

जनसख्या की दशक (1981-91) वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत तथा औसत वार्षिक घाताक वृद्धि दर 2 14 थी। जनसख्या की औसत वार्षिक घाताक वृद्धि दर 1981 मे 2 22 प्रतिशत थी। देश मे साक्षरता मे वृद्धि होने के कारण जनसख्या वृद्धि दर मे थोडी कमी हुई है। फिर भी दुनिया के देशो की तुलना मे जनसख्या वृद्धि दर अधिक है। यदि भविष्य मे जनसख्या की वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक बनी रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब हम जनसख्या की दृष्टि से विश्व के सिरमौर होगे।

भारत की जनसख्या

वर्ष	जनसख्या (करोड मे)
1901	23 8
1911	25 2
1921	25 1
1931	27 9
1941	31 9
1951	36 1
1961	43 9
1971	54 8
1981	68 3
1991	84 6
1999 (अनुमानित)	100 00

स्रोत *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण
(Causes of High Growth Rate of Population)

भारत में जनसख्या वृद्धि दर के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से लम्बे समय तक पिछडा रहा। सामाजिक विकास की दृष्टि से आज भी स्थिति मे अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। देश मे गरीबी व बेरोजगारी की समस्या भयावह है। निरक्षरता आज भी समाज के लिए अभिशाप है। पचवर्षीय योजनाओ में चिकित्सा परिव्यय मे वृद्धि के कारण चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार हुआ है जिससे मृत्यु दर में कमी दृष्टिगोचर हुई है। जनसख्या वृद्धि

का एक बडा कारण राजनीति भी रहा है। भारत शरणार्थियो की समस्या से ग्रसित है। सुविधा की दृष्टि से जनसख्या वृद्धि के कारणो को तीन भागो मे विभक्त कर सकते है –

(अ) ऊची जन्म दर।
(ब) नीची मृत्यु दर।
(स) राजनीतिक कारण।

(अ) ऊची जन्म दर के कारण (Causes of High Birth Rate)

ऊची जन्म दर जनसख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत मे जन्म दर विश्व के देशो की तुलना मे अधिक है। भारत मे जन्म दर 1981 मे 33 9 प्रति हजार थी। बाद के वर्षों मे जन्मदर मे लोगो मे जागरुकता तथा राजकीय प्रयासो के कारण कमी हुई है परिणामस्वरुप 1991 मे जन्म दर कम होकर 29 5 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1994 मे जन्म दर और कम होकर 28 7 प्रति हजार रह गई है। भारत मे ऊची जन्म दर के पमुख कारण इस प्रकार है

1. निरक्षरता (Illiteracy) भारत मे निरक्षरता ऊची जन्म दर का मुख्य कारण है। देश मे साक्षरता विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति शोचनीय रही है। महिलाओ मे नीची साक्षरता ने ही जनसख्या वृद्धि को बल दिया है। वर्ष 1991 मे 7 वर्ष से अधिक की जनसख्या मे 47 89 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिलाओ मे निरक्षरता 60 58 प्रतिशत थी। रुढिवादिता और पुरातन परम्पराओ मे जकडी निरक्षर महिलाओ के विचार एव सोच साक्षर और शिक्षित महिलाओ की भाति विवेकपूर्ण नहीं होते है। यही बात पुरुषो के सदर्भ मे भी लागू होती है।

शिक्षित महिलाए छोटे व बडे परिवार के लाभ व अलाभ को बखूबी समझती हैं और छोटे व सुखी परिवार के प्रति सचेष्ट रहती हैं। जहा शिक्षा का प्रसार है, महिलाए शिक्षित हैं, वहा जन्म दर तुलनात्मक रुप से कम है। केरल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहा साक्षरता 89 81 प्रतिशत है और जनसख्या वृद्धि दर कम 1 34 प्रतिशत ही है।

निरक्षर महिलाओ मे प्रजनन दर की प्रवृत्ति अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय फोरम की एक बैठक मे भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रबध के अनुसार एक निरक्षर महिला मे जहा प्रजनन दर 5 1 प्रतिशत है, वहीं एक साक्षर किन्तु माध्यमिक स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिला मे प्रजनन दर 4 5 प्रतिशत है, माध्यमिक स्कूल तक कितु मैट्रिक से कम पढी महिला मे प्रजनन दर 4 0, मैट्रिक कितु स्नातक तक से कम पढी महिलाओ मे 3 1 तथा स्नातक मे 2 1 है।[3]

2. गरीबी (Poverty) गरीबी की समस्या भयावह है। देश के बहुसख्यक लोग गावो मे जीवन बसर करते हैं। दम्पति जन्म लेने वाले बच्चे को 'आर्थिक इकाई' के रुप मे देखते हैं। बच्चो को छोटी आयु मे ही मेहनत–मजदूरी के लिए लगा दिया जाता है। गरीब दम्पति के लिए बच्चे आय का स्रोत होते हैं। जितने

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण

(अ) ऊँची जन्म दर के कारण

1. निरक्षरता
2. गरीबी
3. बाल विवाह
4. बहु-विवाह
5. विवाह की अनिवार्यता
6. गर्म जलवायु
7. मनोरंजन के साधनों का अभाव
8. बड़े परिवार की इच्छा
9. धार्मिक अन्धविश्वास
10. आवास का अभाव
11. संयुक्त परिवार प्रथा
12. भाग्यवादिता
13. सामाजिक सुरक्षा का अभाव
14. परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता
15. अधिक शिशु मृत्यु दर
16. स्त्रियों का आत्मनिर्भर नहीं होना
17. बच्चों के बीच जन्म अन्तराल का अभाव

(ब) नीची मृत्यु दर

1. जीवन स्तर में सुधार
2. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
3. अकाल मृत्यु पर नियन्त्रण
4. शिक्षा का प्रसार
5. औसत आयु में वृद्धि

(स) राजनीतिक कारण

1. शरणार्थी
2. अप्रवासी भारतीयों की वापसी
3. जनसंख्या संबंधी सामक सुधार
4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व
5. घुसपैठ
6. सत्ता परिवर्तन

अधिक बच्चे होगें, परिवार की आय उतनी ही अधिक होगी।

3. बाल विवाह (Child Marriage) देश मे आज भी बाल विवाह प्रथा प्रचलित है। शारदा कानून बना हुआ है जिसके अनुसार लडके और लडकी की विवाह योग्य आयु क्रमश 21 और 18 वर्ष है। शारदा कानून का पालन नहीं होना चिंताप्रद है। आखातीज पर इस कानून का खुला उल्लघन देखा जा सकता है। अधिकाश युवक व युवतियो का विवाह 15 वर्ष से कम आयु मे कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम दम्पत्ति को भुगतने पडते हैं। लडकियाँ कम उम्र मे मा बन जाती हैं। जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा बच्चा भी कमजोर होता है। देश में बढ़ती विधवाओं की सख्या का एक बडा कारण बाल–विवाह ही है। बाल–विवाह से प्रजनन उम्र भी अधिक होती है। युवतिया लम्बे समय तक बच्चों को जन्म देती हैं।

4. बहु विवाह (Multiple Marriage) देश मे बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। सम्प्रदाय विशेष के लोगों को बहु विवाह की अनुमति है। लोग एक से अधिक पत्निया रखते हैं। अधिक विवाह से सतान उत्पन्न करने का 'रोटेशन' बढ जाता है। विगत मे कुछ जातियों में विधवा विवाह नहीं होते थे किंतु आज समाज सुधार के कारण विधवा विवाह होने लगे हैं जिससे भी जनसख्या वृद्धि बढी है।

5. विवाह की अनिवार्यता (Necessity of Marriage) भारत मे विवाह सामाजिक अनिवार्यता है। अविवाहित पुरुषों व स्त्रियों को अच्छी नजरो से नहीं देखा जाता है। भारत में लगभग सभी युवतिया, चाहे वह कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो, विवाह करना पसद करती हैं। विकसित देशो मे ऐसा नहीं है वहा बडी सख्या मे युवतिया अविवाहित रहती हैं। भारत मे महिलाए सरक्षण वास्ते पति की आवश्यकता महसूस करती है।

6 गर्म जलवायु (Tropical Climate) भारत की जलवायु उष्ण व गर्म है। इस कारण युवक व युवतिया कम उम्र मे ही परिपक्व हो जाते हैं। कम उम्र में परिपक्व होने के कारण सन्तानोत्पत्ति की अवधि अधिक होती है। गर्म जलवायु के कारण स्त्रियो की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है।

7. मनोरजन के साधनों का अभाव (Lack of Entertainment Sources) भारत मे मनोरजन के साधनो का अभाव है। बहुसख्यक जनसख्या गरीबी मे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। वह महगे मनोरजन के साधनो का उपयोग नहीं कर पाती है। गरीब जनता के लिए स्त्री–सहवास ही मनोरजन का प्रमुख साधन है। शहरों में यद्यपि मनोरजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं अन्तत मनोरजन का प्रमुख साधन स्त्री ही है। डॉ चन्द्रशेखर के अनुसार स्त्री सहवास भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसी कारण भारत के शयन कक्षों का उत्पादन खेतो के उत्पादन से अधिक है।

8. बडे परिवार की इच्छा (Will of Large Family) भारत में बडे परिवार को सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। गावों मे जिस पिता के जितने

अधिक पुत्र होते हैं वह सुरक्षित और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। लोगो मे बडे परिवार की भावना जन्म दर को बढा देती है।

9. धार्मिक अधविश्वास (Religious Superstition) भारत में धार्मिक अधविश्वास ऊची जन्मदर का बडा कारण है। आज भी यह परम्परा प्रचलित है कि पुत्र के जन्म बिना पितृ–ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पुत्र द्वारा पिण्डदान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। कन्यादान को सबसे बडा दान माना गया है। देश मे इस प्रकार धार्मिक अधविश्वास के कारण दम्पति सतानोपत्ति करते चले जाते हैं। दम्पत्ति पुत्र की लालसा मे कन्याओ की लाइन लगा देते हैं तो कुछ कन्या की लालसा मे कई पुत्रो को जन्म देते हैं। इस कारण भी जन्म दर अधिक है।

10. आवास का अभाव (Lack of Houses) देश मे आवास समस्या मुखर है। अनेक गरीब लोग गदी बस्तियो मे जीवन बसर करते हैं। लोगो को कच्चे घर अथवा झोपडी मे ही गुजारा करना पडता है। एक ही झोपडी मे अधिक सहवास होता है इस कारण गदी बस्तियो मे जन्म दर ऊँची है। शहरो मे भी मकानों का अभाव है। जनसख्या के अधिक बढने से मकान किराया भी बढ जाता है। मजबूरन दम्पत्ति छोटे व सकडे मकानो मे रहते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊची है।

11. सयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System) भारत मे सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। हाल के वर्षो मे इस प्रथा मे अवश्य कमी हुई है। सयुक्त परिवार प्रथा के कारण जन्म दर बढी। सयुक्त परिवार मे बच्चे के पालन–पोषण का भार माता–पिता पर नहीं रहता। इस परिवार मे दम्पत्तियो का काम सतानोपत्ति होता है। बच्चे के पालन मे आने वाली कठिनाइयो का आभास दम्पत्ति को नहीं होता है।

12. भाग्यवादिता (Blind Followers of Religion) गावों मे अशिक्षित और अज्ञानी लोग बच्चे को भगवान की देन मानते हैं। जन्म लेने वाले बच्चा अपना भाग्य साथ लाता है। लोग बच्चे के जन्म को भगवान की देन होने के कारण जन्म दर रोकने के लिए परिवार नियोजन के साधनो को काम मे नहीं लेते हैं।

13. सामाजिक सुरक्षा का अभाव (Lack of Social Security) सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण जन्म दर ऊची है। व्यक्ति वृद्धावस्था अथवा सकटकाल मे पुत्रो को सहारे के रुप मे देखता है। देश मे बीमा सुविधाओ का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी की समस्या अधिक है। राज्य बीमा का लाभ केवल कर्मचारियो को ही सुलभ है। अत बहुतेरे लोगो के लिए बुढापे का सहारा उनके पुत्र ही होते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊँची है।

14. परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता (Indifference towards Family Planning) देश की जनता मे परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता का अभाव है। गावो मे परिवार नियोजन सुविधाओ का अभाव है। लोग परिवार नियोजन के साधनो को नहीं अपनाते हैं। अनेक बार परिवार नियोजन के साधन असफल हो जाते हैं जिससे लोगो का परिवार नियोजन के प्रति मोह भग हो जाता है। लोग

आपरेशन से भय खाते हैं।

15. अधिक शिशु मृत्यु दर (Much Death Rate) भारत मे शिशु मृत्यु दर 1993 मे 74 प्रति हजार थी। चीन मे यह 44 प्रति हजार थी। शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण दम्पत्ति अधिक सतान पैदा करना चाहता है। मृत्यु दर अधिक होने के कारण दम्पति को पता नहीं कि भविष्य मे कितने बच्चे जीवित रह पायेगे।

16 स्त्रियों का आत्मनिर्भर नहीं होना (Lack of Self-sufficiency in Women) भारत मे स्त्रिया आर्थिक रुप से पुरुषो पर निर्भर है। जबकि विकसित देशो मे अधिकाश महिलाए आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती है। नौकरीशुदा महिलाए अनेक कारणो से विशेषकर समयाभाव से कम बच्चे चाहती हैं। भारत मे कामकाजी महिलाओ का अभाव है उनके काम विशेषकर बच्चो का लालन–पालन होता है इसलिए भी भारत मे जन्म दर अधिक है।

17 बच्चो के बीच जन्म अतराल का अभाव (Lack of Internal Gap Between birth of Children) जन्म दर ऊची होने का एक प्रमुख कारण बच्चो के बीच जन्म मे अतर का अभाव भी है। परिवार नियोजन के साधनो के प्रति जागरुकता नहीं होने के कारण दम्पत्तियों के बच्चे जल्दी–जल्दी होते हैं। दम्पति का एक बच्चा ढग से चलने–फिरने भी नहीं लगता कि महिला गर्भवती हो जाती है। बच्चो के जन्म के बीच अतर कम होने से मा व बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। इसके अलावा स्त्रिया उनकी प्रजनन अवधि मे अधिक बच्चो को जन्म देती हैं।

(ब) नीची मृत्यु दर
(Low Death Rate)

स्वातन्त्र्योत्तर पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण मृत्यु दर मे कमी हुई जिससे लागो की 'अति–जीवन' दर बढ गई। मृत्यु दर मे कमी हाने के कारण जनसख्या वृद्धि हुई है। नीची मृत्यु दर के कारण निम्नलिखित है –

1. जीवन स्तर में सुधार (Improvement in Living Standard) भारत मे 1998 मे आजादी की स्वर्ण जयती मनाई। स्वतत्रता के पचास वर्षों मे आर्थिक विकास मे वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बढने से लोगो के जीवन स्तर मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज देश मे लगभग एक अरब की जनसख्या मे उच्च ओर मध्यमवर्गीय परिवारो की बहुलता है। देशवासियो के जीवन स्तर मे सुधार के कारण मृत्यु दर मे तीव्रता से कमी आई है परिणामस्वरुप जनसख्या मे वृद्धि हुई है।

2. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Medical Facilities) स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों मे देश में चिकित्सा सुविधाओ का अभाव था।

महामारियो मे लोगो की मृत्यु सामान्य थी। बाद के वर्षों मे सरकार ने चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार किया। अनेक बीमारियो पर पूरी तरह नियत्रण किया गया। हाल के वर्षो (1997-98) मे देश मे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सचालित किया गया। चिकित्सा सुविधाओ के विस्तार से शिशु मृत्यु दर कम हुई तथा महिलाओ की प्रसवकाल मे होने वाली मृत्यु दर भी घटी है।

3. अकाल मृत्यु पर नियंत्रण (Control on Famine Death) देश में प्राकृतिक आपदाओ के कारण होने वाली मृत्यु दर मे कमी आई है। आज अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकम्प, बाढ से मरने वालो की सख्या कम हुई है। आज देश खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर हो गया है। इसके अलावा सिचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान जैसे मरुप्रदेश मे आज अकाल से लोग नहीं मरते हैं।

4. शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education) देश मे शिक्षा का विकास हो रहा है। निरक्षरो को साक्षर किया जा रहा है। प्रौढ शिक्षा प्रगति पर है। शैक्षिक विकास से परिवारो मे जागृति आई है। लोग छोटे परिवार के लाभ को समझने लगे हैं। छोटे परिवारो मे सदस्यो की देखभाल अच्छी तरह से होती है। इससे मृत्यु दर मे भारी कमी आई है।

5. औसत आयु में वृद्धि (Increase in Average Age) आर्थिक विकास और चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओं मे विस्तार के कारण भारतीयो की औसत आयु बढी है। भारतीय नागरिको की औसत आयु 1901-11 मे 22 9 वर्ष थी जो बढकर 1941-51 मे 32 1 वर्ष तथा 1971-81 मे और बढकर 50 4 वर्ष हो गई। 1981-91 मे भारतीय नागरिको की औसत आयु 58 6 वर्ष तथा महिलाओ की औसत आयु 59 0 वर्ष थी।

(स) राजनीतिक कारण
(Political Factors)

भारत मे जनसख्या वृद्धि के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी हैं। जनसख्या वृद्धि के राजनीतिक कारण निम्नलिखित है –

1. शरणार्थी (Immigration) देश मे शरणार्थियों का आगमन जनसख्या वृद्धि का बडा कारण रहा है। वर्ष 1947 मे तथा 1971 मे देश मे बडे सख्या में शरणार्थी आए। 1962 मे भी चीन आक्रमण के समय तिब्बती शरणार्थी भारत आए। श्रीलका से भी गृह युद्ध के कारण बडी सख्या में शरणार्थी भारत आए।

2. प्रवासी भारतीयों की वापसी (Return of Migrants) विदेशों में जाकर बसे भारतीय मूल के लोग अनेक कठिनाइयो के कारण भारत वापस लौटे। इस कारण भी देश की जनसख्या बढी। भारतीय मूल के अनेक लोगो को युगान्डा, श्रीलका, नेपाल, केन्या, बर्मा आदि देशों से निकाल दिया गया है।

3. जनसंख्या संबंधी समंक सुधार (Improvement in Census Data)

स्वतत्रता से पूर्व जनसख्या समक दोषपूर्ण थे। जनसख्या के सही आकडे उपलब्ध नहीं हो पाते थे। स्वतत्रता पश्चात जनसख्या गणना की विधियो मे सुधार किया गया है। जनसख्या के वास्तविक समक आने के कारण जनसख्या वृद्धि हुई।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) देश मे ससद और विधानसभाओ की सीटो की सख्या का आधार जनसख्या है। कर राजस्व वितरण के आधार मे जनसख्या महत्त्वपूर्ण है। जनसख्या की महती भूमिका के कारण राज्यो की जनसख्या मे कमी करने की रुचि कम होती है।

5. घुसपेठ (Intrusion) भारत मे घुसपैठ की समस्या भी है। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाए पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल आदि देशो से लगी हुई है। पाकिस्तान तथा बाग्लादेश से बडी सख्या मे घुसपैठिए भारत आते हैं। नतीजतन सीमावर्ती जिलो मे जनसख्या तेजी से बढी है।

6. सत्ता परिवर्तन का भय (Fear towards Frequent Change of Government) देश मे जनसख्या को नियत्रित करने के लिए राजनीतिक पार्टिया शक्ति प्रयोग से भय खाती है क्योकि पूर्व मे आपात काल के दौरान नसबदी के कारण देश मे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान मे सभी राजनीतिक पार्टिया स्वैच्छिक परिवार नियोजन पर बल देती है।

जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के उपाय
(Measures to Check Population Growth)

भारत मे जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण आवश्यक है। यदि तेजी से बढती हुई जनसख्या पर नियत्रण नहीं लगाया गया तो आर्थिक विकास जनसख्या रुपी बाढ में बह जाएगा। हाल के वर्षों मे राजकीय प्रयासो व जनता की जागरुकता के कारण जनसख्या वृद्धि दर थोडी कम हुई है। जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1981 मे 2 22 प्रतिशत थी जो घटकर 1991 मे 2 14 प्रतिशत रह गई। किंतु 1991 की 2 14 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दुनिया के देशो की तुलना में अधिक है। जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर को कम किए जाने की आवश्यकता है। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं –

1. शिक्षा (Education) जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के वास्ते शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त दम्पत्ति तुलनात्मक रुप से कम बच्चे चाहते है। शिक्षित दम्पत्ति बच्चे को वेहतरीन शिक्षा मुहैया कराकर अधिक योग्य बनाना चाहते हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछडा हुआ है। साक्षरता दर बहुत कम है। स्त्रियां मे नीची साक्षरता दर चिताप्रद है। वर्ष 1991 मे भारत मे साक्षरता दर प्रतिशत 51 21 थी। पुरुषों मे साक्षरता 64 13 प्रतिशत तथा महिलाओ मे साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। बिहार तथा राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से देश के पिछडे हुए राज्य है। भारत के जिस राज्य मे साक्षरता अधिक है वहा जनसख्या वृद्धि दर कम है। वर्ष 1991 मे केरल मे साक्षरता वृद्धि दर 89 81 प्रतिशत थी और

जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1 34 प्रतिशत थी जो कि अन्य राज्यो की तुलना मे कम थी। अत शिक्षा व साक्षरता का विस्तार जनसख्या वृद्धि दर नियत्रण का कारगर उपाय है।

2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Elimination) भारत की बहुतेरी जनसख्या गरीबी की रेखा स नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गरीबी के कारण जनसख्या बढी। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए गरीबी उन्मूलन आवश्यक है। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की योजनाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। पहले से चल रही योजनाओ का उचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। गरीबी समाप्त होने अथवा कम होने पर गरीब दम्पत्ति बच्चो को आर्थिक इकाई के स्थान पर आर्थिक भार समझेगे। वे बच्चो को खेत–खलिहानो अथवा अन्य कामो पर भेजने के स्थान पर स्कूल भेजेगे। अत गरीबी उन्मूलन जनसख्या नियत्रण मे सहायक है।

3. बाल विवाह पर नियत्रण (Control Over Child Marriage) बाल विवाह पर नियत्रण से जनसख्या वृद्धि को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। भारत मे कानूनन लडको व लडकियो के लिए विवाह योग्य आयु क्रमश 21 वर्ष व 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है। किंतु विवाह की इस उम्र के कानून का पालन नहीं होता है। आज भी गावो मे ही नहीं अपितु शहरो मे भी बालविवाह प्रचलित है। जनसख्या पर नियत्रण के लिए शारदा कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जनसख्या पर नियत्रण क लिए विवाह योग्य आयु मे वृद्धि की आवश्यकता है।

4 बहु विवाह पर रोक (Prohibition on Polygamy) जनसख्या वृद्धि दर नियत्रण के लिए बहु–विवाह पर रोक आवश्यक है। एक पत्नी होने से बच्चो का जन्म 'रोटेशन' कम होगा। किंतु भारत मे लोगो मे एक से अधिक पत्निया रखने की प्रवृत्ति है। बहु–विवाह पर कानूनन नियत्रण लगाया जाना चाहिए।

5. मनोरजन के साधनों का विकास (Development of Entertainment Sources) देश मे ग्रामीण परिवेश और गदी बस्तियो मे मनोरजन के साधनों का अभाव है। इस कारण दम्पत्ति मनोरजन के लिए परस्पर लिप्त रहते है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ग्रामीण परिवेश मे मनोरजन के साधनो का विकास किया जाना चाहिए। मनोरजन के साधनो का विकास होने से पति–पत्नी कई घटे एक–दूसरे से घर के बाहर रह सकेगे। जिससे जनसख्या को थोडी कम करने मे मदद मिलेगी। गरीब वर्गो के लिए मनोरजन के साधन सस्ते होने चाहिए।

6. आवास विकास (Housing Development) जनसख्या वृद्धि को कम करने के लिए आवास विकास पर बल देना चाहिए। यद्यपि केन्द्र सरकार ने आवास विकास की अनेक योजनाए चालू कर रखी है। आवास विकास के लिए वित्तीय सस्थाए भी ऋण सुविधा मुहैया कराती है। किंतु उपलब्ध आवास विकास सुविधाए बढती गरीबी और बेघरो की सख्या को दृष्टिगत रखते हुए कम है। अत

आवास विकास के क्षेत्र मे कारगर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बडे आवास उपलब्ध होने पर दम्पत्ति कुछ पल पृथक रह सकेगे जिससे जनसख्या वृद्धि को कुछ कम करने मे मदद मिलेगी।

7. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) भारत मे सामाजिक सुरक्षा का अभाव तीव्र गति से बढती जनसख्या का मुख्य कारण रहा है। सामाजिक सुरक्षा को बढावा देकर जनसख्या को नियन्त्रित किया जा सकता हे। सामान्यतया व्यक्ति वृद्धावस्था और सकट की स्थिति मे पुत्र की ओर मोहताज होता है। यदि व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित है तो वह पुत्र प्राप्ति की लालसा मे कन्याओ की कतार भी नहीं लगाएगा। सामाजिक सुरक्षा को बढावा देने के लिए जीवन बीमा, राज्य बीमा, सामाजिक बीमा, वृद्धावस्था पेशन, बेरोजगारी भत्ता आदि सुविधाए मुहैया की जानी चाहिए।

8. परिवार नियोजन (Family Planning) भारत मे परिवार नियोजन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसका कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्वैच्छिक हाना है। देश मे बहुसख्यक दम्पत्ति परिवार नियाजन के दायर से बाहर है और फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर अनेक बार प्रश्नचिन्ह लगे हैं। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजन को प्रभावी ढग से क्रियान्वित किया जाए। दम्पत्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वह दो से अधिक सतान को जन्म नहीं दे।

9. शिशु मृत्यु दर पर नियत्रण (Control Over Children Mortality Rate) भारत मे शिशु मृत्यु दर अधिक है इस कारण दम्पत्ति अधिक बच्चे चाहते हैं। शिशु मृत्यु दर पर नियत्रण के लिए चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। शिशु मृत्यु दर नियत्रित होने पर ऊची जनसख्या वृद्धि दर कम होगी।

10. स्त्रियो की आत्मनिर्भरता (Independency of Women) आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर स्त्रिया कम सतान चाहती हैं। ग्रामीण परिवेश मे तो निरक्षर महिलाओ में अनेक बार बच्चे पैदा करने की प्रतिस्पर्धा देखी जाती हे। जनसख्या दर नियत्रण के लिए महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। महिलाओ मे आत्मनिर्भरता के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाओ के उत्थान के लिए राजकीय सेवाओ, ससद व विधान सभाओ मे आरक्षण किया जाना चाहिए। औद्योगीकरण मे भी महिला उद्यमियो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11. शरणार्थियों के आगमन पर रोक (Ban on Arrival of Immigrates) भारत मे शरणार्थियों के आगमन पर रोक प्रभावी होनी चाहिए। भारत मे जो शरणार्थी विदेशो से आकर बस गए हैं उन्हे वापस उनके देश मे भेजे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शरणार्थियो के आगमन को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी बढाई जानी चाहिए। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियो को भी रोका जाना चाहिए।

12. तीव्र विकास (Rapid Development) भारत मे आर्थिक विकास की दर विकसित देशो की तुलना मे कम है। जबकि यहा विकास की विपुल सभावनाए विद्यमान है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर जनसख्या की वृद्धि को बडी सीमा तक कम किया जा सकता है। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार होता है। उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार कम बच्चे चाहते हैं। वे बच्चों को अधिकतम सुख-सुविधाए मुहैया कराना चाहते हैं।

13. सामाजिक जागरुकता (Social Awareness) देश में सामाजिक चेतना का अभाव है। अशिक्षित ही नहीं अपितु बडी सख्या में शिक्षित भी परम्परावादी दृष्टिकोण रखते हैं। देश मे सामाजिक जागृति को बढावा देकर परम्परावादी दृष्टिकोण यथा धार्मिक अधविश्वास, रुढिवादी दृष्टिकोण, बाल विवाह आदि को बदला जा सकता है।

14. जनसख्या का सतुलित वितरण (Proper Distribution of Population) देश के कई भागो का जनसख्या घनत्व अधिक है। क्षेत्र विशेष की घनी आबादी जनसख्या म तीव्र वृद्धि करती है। अत घनी आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रो में बसाया जाना चाहिए। इससे कम विकसित क्षेत्रो का विकास भी हो सकेगा।

15. नैतिक सयम का पालन (Implementation of Self-Control) आज के भौतिकवादी युग मे नैतिक सयम का पालन दुर्लभ है। प्राचीनकाल में नैतिक सयम पर बल दिये जाने के कारण जनसख्या वृद्धि दर कम थी। वर्तमान मे नैतिक सयम पर बल जनसख्या नियत्रण मे कारगर सिद्ध हो सकता है। अत लोगों को देश की बढती जनसख्या नतीजतन बढती कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनसख्या वृद्धि के कार्य मे थोडा सयम बरतना चाहिए।

भारत में जनसख्या सबंधी कुछ तथ्य
(Some Basic Facts of India's Population)

भारत मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के अलावा कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन भी आवश्यक है। भारत एक विशाल देश है। यहा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सख्या 35 है। प्रत्येक राज्य की जनसख्या की जनसख्या सबधी विशिष्टताए है। भारत में जनसख्या सबधी कुछ तथ्यों में जनसख्या का प्राकृतिक वितरण, जनसख्या घनत्व, जनसख्या का व्यावसायिक वितरण, राज्यों मे साक्षरता आदि का अध्ययन उल्लेखनीय है।

1. भारत में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसख्या भारत में जनसख्या का असतुलित वितरण है। कुछ राज्यों की जनसख्या बहुत अधिक है। जबकि कुछ राज्यो मे जनसख्या का अभाव है। उत्तरप्रदेश देश का सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है। वर्ष 1981 मे देश की कुल जनसख्या म उत्तर प्रदेश का भाग 16 22 प्रतिशत था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश की

जनसख्या 13 91 करोड थी जो देश की कुल जनसख्या का 16 44 प्रतिशत था। राजस्थान का भी जनसख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1981 मे राजस्थान का जनसख्या की दृष्टि से देश मे नवा स्थान था। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 4 40 करोड थी जो देश की कुल जनसख्या का 5 20 प्रतिशत था।

2 भारत मे जनसख्या का घनत्व (Density of Population in India) जनसख्या घनत्व से आशय देश विशेष मे रहने वाले व्यक्तियो की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत सख्या से है। जनसख्या घनत्व जनसख्या और क्षेत्रफल मे सबध दर्शाता है। जनसख्या के घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल जनसख्या मे कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जनसख्या घनत्व क्षेत्र विशेष मे औसत जनसख्या को दर्शाता है। जनसख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए निम्न गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$\text{जनसख्या घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसख्या}}{\text{कुल क्षेत्रफल}}$$

भारत मे जनसख्या घनत्व

स्वातन्त्र्योत्तर भारत के जनसख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1951 में भारत का जनसख्या घनत्व 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढकर 1981 मे 230 तथा 1991 मे और बढकर 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत के जनसख्या घनत्व मे 1981 में 24 9 प्रतिशत तथा 1991 मे 18 4 प्रतिशत की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।

भारत मे जनसख्या घनत्व

वर्ष	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
1951	113
1961	138
1971	177
1981	230
1991	273

स्रोत *भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ* 1994

विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का जनसख्या घनत्व

देश मे जनसख्या घनत्व में असतुलन है। केन्द्रशासित प्रदेशो में आबादी का घनत्व दिल्ली में सर्वाधिक 6 352 है। इसके बाद चण्डीगढ का नम्बर आता है

जहा यह 6 532 है। सबसे कम आबदी वाला लक्षद्वीप तीसरे नम्बर पर आता है। जहा आबादी का घनत्व 1 616 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पाडिचेरी का घनत्व 1 642 है जो चौथे नम्बर पर आता है और इसके बाद दमन व दीप जहा आबादी का घनत्व 907 है। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम घनत्व वाला प्रदेश है जहा यह सख्या 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश के दस अत्यधिक बसे जिले हैं कलकत्ता चेन्नई वृहत्तर मुम्बई हैदराबाद दिल्ली चण्डीगढ माहे हावड़ा कानपुर शहर और बगलूर। इन सभी म आबादी का घनत्व दो हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स अधिक है और इन जिलो मे देश की कुल आबादी के 5 01 प्रतिशत लोग रहते है। इन दस जिलो म आबादी का औसत घनत्व 6 888 है।

विश्व के देशों में जनसख्या घनत्व

राष्ट्र विशेष के देशवासियो का जीवन स्तर और पालन–पोषण प्राकृतिक ससाधनो की उपलब्धता और औद्योगीकरण पर निर्भर करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि जनसख्या घनत्व और आर्थिक विकास म धनात्मक सबध होता है। प्राय विकसित क्षेत्रो म जन घनत्व अवश्य अधिक होता है।

अमरीका क जनसख्या घनत्व का कम होना इस बात का परिचायक नहीं है कि वह आर्थिक विकास की दृष्टि स विकसित नही है। अमरीका म जीवन स्तर का उच्च होना अत्यन्त अनुकूल मनुष्य–भूमि अनुपात और प्राकृतिक ससाधनो की उपलब्धता है। भारत का जनसख्या घनत्व अमरीका स बहुत अधिक है किंतु भारत आर्थिक विकास की दृष्टि स पिछडा है। इसका कारण भारत में प्राकृतिक ससाधनो के विवेकपूर्ण विदोहन का अभाव तकनीकी का अभाव तथा अधिकाश जनसख्या का कृषि पर निर्भर होना है। हालैण्ड तथा जापान का जनसख्या घनत्व अधिक है। ये दोनो विकसित देश है। ये राष्ट्र आधुनिकतम तकनीकी के कारण विकास की उच्च अवस्था में पहुच हैं। प्राय जनसख्या घनत्व न तो किसी राष्ट्र की सम्पन्नता का सूचक है और न ही विपन्नता का।

जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक
(Factors Affecting Density of Population)
अथवा
भारत में जनसख्या घनत्व में भिन्नता के कारण
(Causes of Variation in Density of Population)

जनसख्या घनत्व पर अनेक तत्वो का प्रभाव पड़ता है। जनसख्या घनत्व को आर्थिक राजनैतिक शैक्षिणिक धार्मिक एव भौगोलिक तत्त्व प्रभावित करत हैं। भारत के विभिन्न राज्यो म जनसख्या घनत्व की भिन्नता का कारण क्षेत्र विशेष का आर्थिक विकास है। भारत म सर्वाधिक जनसख्या घनत्व दिल्ली का है। इसका कारण दिल्ली का राजधानी होना तथा तीव्र विकास है। जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं–

(अ) आर्थिक कारण

जनसख्या घनत्व पर आर्थिक घटकों सर्वाधिक प्रभाव पडता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रो मे जनसख्या के पलायन की प्रवृत्ति के कारण जनसख्या घनत्व अधिक होता है। जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक निम्न प्रकार हैं–

1. औद्योगिक विकास (Industrial Development) जो क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित होते हैं, वहा जनसख्या घनत्व अधिक होता है। क्षेत्र विशेष मे उद्योगो की स्थापना होने से लोगो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। औद्योगीकरण से क्षेत्र मे चहुओर खुशहाली दृष्टिगोचर होती है। भारत मे औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित क्षेत्रो में जनसख्या घनत्व सर्वाधिक है। औद्योगीकरण के कारण सर्वाधिक जनसख्या घनत्व वाले जिले हैं – कलकत्ता, चैन्नई, वृहत्तर मुम्बई, हैदराबार, दिल्ली, चण्डीगढ, कानपुर, हावडा आदि। भारत मे ओद्योगीकरण की दृष्टि से विकसित राज्य यथा पजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र मे जनसख्या घनत्व अधिक है। इसके विपरीत औद्योगीकरण मे पिछडे राज्य यथा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश मे जनसख्या घनत्व कम है।

2. आधारभूत सरचना (Infrastructure) आधारभूत सरचना का जनसख्या घनत्व पर अधिक प्रभाव पडता है। आधारभूत सरचना मे रेल, सडक, सिचाई, सचार आदि सुविधाओ को सम्मिलित करते हैं। जिन क्षेत्रो में आधारभूत सरचना पर्याप्त विकसित होती है वहा जनसख्या घनत्व अधिक होता है। भारत के मैदानी क्षेत्रो मे विकसित आधारभूत सरचना के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है जबकि पश्चिमी राजस्थान मे मरुस्थल के कारण आधारभूत सरचना विकसित नहीं होने के कारण जनसख्या घनत्व कम है।

3. आवास (Inhabitation) आवास जीवन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। जिन क्षेत्रो मे आवास सुविधा पर्याप्त व सस्ती होती है वहा जनसख्या घनत्व अधिक होता हे। आवास सुविधा के अभाव मे जनसख्या घनत्व कम होता है।

4. कृषि (Agriculture) जहा कृषि क्षेत्र अधिक ओर उपजाऊ है वहा जनसख्या घनत्व अधिक होता है। उत्तर प्रदश, पजाब व हरियाणा आदि राज्यो मे कृषि विकास के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है।

5 सिचाई सुविधा (Irrigation Facilities) भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी कृषि मानसून का जुआ बनी हुई है। जिन क्षेत्रो मे सिचाई सुविधाए यथा नहरे, तालाब, नदिया आदि उपलब्ध है वहा जनसख्या घनत्व अधिक है।

6. खनिज उत्पादन (Mineral Wealth) – जिन क्षेत्रो मे खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं वहा जनसख्या घनत्व अधिक है। बिहार मे जनसख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण वहा खनिज पदार्थों की प्रचुरता है।

7. व्यापारिक केन्द्र (Business Centres) व्यापारिक केन्द्रो पर जनसख्या

घनत्व अधिक होता है। व्यापारिक केन्द्रो पर लोग अन्य स्थानो से आकर बसना प्रारभ कर देते हैं। भारत के कानपुर अहमदाबाद लुधियाना मुम्बई आदि क्षेत्रो मे व्यापारिक केन्द्रो के कारण ही जनसख्या घनत्व अधिक है।

8 बदरगाह (Port) बन्दरगाहो पर जनसख्या घनत्व अधिक होता है। बदरगाह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र होते हैं। यहा से बडी मात्रा मे माल का आयात व निर्यात होता है। बदरगाहो के बडा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण व्यापार व साथ व्यापार की सहायक क्रियाओ यथा बैंक बीमा आदि का भी विकास होता है। भारत के सभी बदरगाहो पर जनसख्या घनत्व अधिक है।

(ब) धार्मिक, शैक्षिणिक व राजनीतिक कारण

जनसख्या घनत्व को धार्मिक शैक्षिणिक और राजनीतिक कारण भी प्रभावित करते है। भारत मे धार्मिक स्थानो शैक्षिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रो तथा राज्यो की राजधानियो मे जनसख्या घनत्व अधिक है। जनसख्या घनत्व के सबधित प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

1 धार्मिक स्थल (Religious Places) धार्मिक स्थानो पर जनसख्या घनत्व अधिक होता है। धर्म स्थलो पर धर्मावलम्बियों का ताता लगा रहता है। देश–विदेश से यात्री दर्शनार्थ आते हैं। धार्मिक स्थल तीर्थाटन की दृष्टि से विकसित हो जाते हैं। धार्मिक स्थलो पर उद्योग–धन्धे विकसित हो जाते हैं। अनेक क्षेत्रो से लोग व्यवसाय उद्योग आदि स्थापित करने के लिए आते हैं परिणामस्वरूप धार्मिक स्थलो का जनसख्या घनत्व तेजी से बढने लगता है। भारत मे अनेक स्थान यथा काशी प्रयाग हरिद्वार वाराणसी अजमेर अमृतसर आदि शहरो का जनसख्या घनत्व धार्मिक स्थल होने के कारण अधिक है।

2 शैक्षिक विकास (Educational Development) शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता है। अच्छे जीवन के लिए शिक्षा अपरिहार्य है। जिन क्षेत्रो मे स्तरीय शिक्षा सुविधा मुहैया है। वहा शिक्षा प्राप्ति वास्ते अन्य क्षेत्रो से लोग आकर बसने लगते हैं। नतीजतन जनसख्या घनत्व अपेक्षकृत अधिक होता है। राजस्थान मे अजमेर जयपुर कोटा व वनस्थली मे अच्छी शिक्षा सुविधा के कारण जनसख्या घनत्व अन्य जिलो की तुलना मे अधिक है। भारत के दिल्ली चैन्नई व बम्बई मे अधिक जनसख्या घनत्व का कारण तीव्र विकास के अलावा स्तरीय शैक्षिक सुविधाए भी हैं।

3 ऐतिहासिक स्थान (Historical Places) ऐतिहासिक स्थानो पर जनसख्या घनत्व अधिक होता है। आज विश्व में पर्यटन का महत्व बढता जा रहा है क्योकि पर्यटन मे कम पूजी निवेश से अधिक आय स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। पर्यटन को बढावा देने मे ऐतिहासिक स्थानो की महत्ती भूमिका होती है। देश मे दिल्ली आगरा जयपुर हैदराबाद चित्तौडगढ उदयपुर आदि का जनसख्या घनत्व ऐतिहासिक महत्त्व के कारण अधिक है।

जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक

(अ) आर्थिक कारण

1. औद्योगिक विकास
2. आधारभूत सरचना
3. आवास
4. कृषि
5. सिचाई सुविधा
6. खनिज सम्पदा
7. व्यापारिक क्षेत्र
8. बन्दरगाह

(ब धार्मिक, शैक्षिणिक व राजनीतिक कारण

1. धार्मिक स्थल
2. शैक्षिक विकास
3. ऐतिहासिक स्थान
4. राजनीति
5. शाति

(स) भागौलिक कारण

1. भूमि
2. जलवायु
3. धरातल
4. वर्षा
5. प्राकृतिक ससाधन

4 राजनीति (Politics) भारत मे अनेक बार आर्थिक निर्णय क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो के आधार पर नहीं लिये जाते हैं। आर्थिक निर्णयो मे आज राजनीति प्रभावी है। आर्थिक विकास मे राजनीति की भूमिका बढी है। जहा राजनीति प्रभावी है वहा का विकास तीव्र गति पकडने मे लगता है, चाहे संसाधनो का अभाव ही क्या न हो। देश के राजनीतिक प्रभावित क्षेत्रो मे जनसख्या घनत्व अधिक है। राज्यो की राजधानियो का तुलनात्मक रुप से अधिक जनसख्या घनत्व इसका उदाहरण है।

5 शाति (Peace) जीवन मे शाति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत म शाति का अभाव दृष्टिगोचर होन लगा है। आज व्यक्ति ऐसे स्थानो पर जाने और रहने के लिए उत्सुक है जहा शाति है। जहा विकास तीव्र है परन्तु शाति नहीं है वहा व्यक्ति रहना पसद नहीं करेग। धनोपार्जन की मजबूरी अलग बात है, किंतु जैसे ही व्यक्ति को धनोपाजन का विकल्प उपलब्ध होगा वह तुरन्त अशात क्षेत्र को छोड देगा। व्यक्ति एसे क्षेत्र म जाकर बसना चाहेगा जहा उसका जीवन शातिपूवक चले, वह अपने को सुरक्षित महसूस करे और उसके जीवन का जो निर्धारित लक्ष्य है, उसे पूर्ण कर सके। अत जनसख्या घनत्व मे शाति की उल्लेखनीय भूमिका है।

(स) भौगोलिक कारण
(Geographical Factors)

जनसख्या घनत्व को भौगोलिक तत्त्व भी प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तत्त्वो मे जलवायु धरातल स्थिति, तापमान वर्षा, प्राकृतिक ससाधन जल स्रोत, भूमि डेल्टा क्षेत्र समुद्र तट आदि को सम्मिलित करते हैं। जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण निम्नलिखित हैं –

1 भूमि (Land) जनसख्या घनत्व मे भूमि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रो म जनसख्या घनत्व अधिक होता है क्योकि उपजाऊ भूमि मे कृषि कार्य को आसानी से सम्पन्न किया जा सकता है। भारत मे तो 74 प्रतिशत जनसख्या गावो म जीवन बसर करती है जिनकी रोजी–रोटी का आधार कृषि है। इसी कारण भारत म उपजाऊ भूमि वाले राज्यो मे जनसख्या घनत्व अधिक है। देश के गगा यमुना एव ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागो मे जनसख्या घनत्त्व अधिक है।

2 जलवायु (Climate) व्यक्ति उत्तम जलवायु से रहना अधिक पसद करते है। अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रो मे व्यक्ति रहना कम पसद करते है। व्यक्ति सामान्यतया सम जलवायु मे ही रहना पसद करते हैं। सम–शीतोष्ण वाले क्षेत्रो मे जनसख्या घनत्व अधिक होता है। अर्ले बी शॉ के शब्दो मे "जलवायु का जनसख्या के वर्तमान वितरण और घनत्व से अधिक सबध है।" भारत के महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बगाल राज्यो मे उत्तम जलवायु के कारण जनसख्या घनत्त्व अधिक है।

3 धरातल (Ground Surface) भूमि का धरातल जनसख्या घनत्व को प्रभावित करता है। मैदानी भागो में जनसख्या घनत्व अधिक होता है क्योकि मैदानी

भागो मे आधारभूत सरचना का विकास आसानी से किया जा सकता है। आधारभूत सरचना के विकसित होने से मैदानी भागो का तीव्र आर्थिक विकास होता है। मैदानी भागो मे आर्थिक विकास जनसख्या घनत्व को बढाता है। इसके विपरीत पहाडी, रेगिस्तानी व दलदली धरातल मे जनसख्या का घनत्व कम होता है। पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश मे मैदानी धरातल के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है। जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश मे जनसख्या का घनत्व कम है।

4. वर्षा (Rainfall) पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रो मे जनसख्या घनत्व अधिक होता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि वाले क्षेत्रो मे व्यक्ति कम रहना पसद करते है। भारत के पजाब, उत्तरप्रदेश व पश्चिमी बगाल मे पर्याप्त वर्षा के कारण जनसख्या घनत्व अधिक है, जबकि राजस्थान मे कम वर्षा के कारण जनसख्या घनत्व कम है।

5. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources) प्राकृतिक ससाधनो की उपलब्धतता वाले क्षेत्रो मे जनसख्या घनत्व अधिक होता है। प्राकृतिक ससाधनो के कारण क्षेत्र विशेष का तीव्र आर्थिक विकास होता है। बिहार का जनसख्या घनत्व खनिजो की उपलब्धतता के कारण अधिक है।

6. जल स्रोत (Water Resources). पानी जीवन का तो आधार है ही इसके अलावा औद्योगीकरण भी जल स्रोत पर बडी सीमा तक निर्भर करता है। भारत मे बडे शहर नदियो के किनारे बसे हैं। जहा का जनसख्या घनत्व अधिक है। जिन क्षेत्रो मे पीने का मीठा जल मुहैया है वहा का जनसख्या घनत्व ऐसे क्षेत्रो से अधिक होता है जहा प्रदूषित पानी जैसे अधिक फ्लोराइड हो।

3. कार्यशील जनसख्या का व्यावसायिक वितरण
(Occupational Distribution of Working Population)

राष्ट्र विशेष के अर्थतत्र मे जनसख्या की व्यावसायिक सरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। जनसख्या के अधिकाश भाग का कृषि व्यवसायो मे लगे होना आर्थिक दृष्टि से पिछडेपन तथा जनसख्या के अधिक भाग का उद्योग व अन्य व्यवसायो मे लगे होना आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का परिचायक है। भारतीय जनसख्या की व्यवसायवार सरचना विकसित देशो की तुलना मे अलग है। भारत मे 72 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हैं जबकि जापान मे केवल 19 4 प्रतिशत ही कृषि मे लगे हैं, ब्रिटेन मे 5 प्रतिशत तथा अमरीका मे 12 5 प्रतिशत ही कृषि मे लगे हैं। उद्योगों मे लगे व्यक्ति अमरीका मे 30 प्रतिशत तथा ब्रिटेन मे 43 प्रतिशत हैं।

कार्यशील जनसंख्या (Working Population)

देश की समूची जनसख्या कार्यशील नहीं होती है उसका कुछ भाग ही कार्यशील जनसख्या होता है। आर्थिक दृष्टि से कार्य मे सक्रिय व्यक्तिओ को कार्यशील जनसख्या मे सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति जो वर्ष मे 183 दिन

अथवा अधिक आर्थिक उत्पादन गतिविधियो मे सहभागिता करता है वह मुख्य श्रमिक माना जाता है तथा जो व्यक्ति वर्ष मे 183 दिनो से कम आर्थिक गतिविधि मे सलग्न रहता है वह सीमात श्रमिक माना जाता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो वर्ष मे किसी समय कोई कार्य नहीं करता वह गैर श्रमिक (Non Worker) माना जाता है। इस श्रेणी मे छात्र सेवानिवृत व्यक्ति भिखारी किसी भी निर्भर व्यक्ति और गृहकार्यो मे सलग्न व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं।

भारत मे विगत दो दशको मे कार्यशील जनसख्या मे वृद्धि हुई है। कार्यशील जनसख्या 1971 मे 32 9 प्रतिशत थी जो बढकर 1981 मे 35 3 तथा 1991 मे और बढकर प्रतिशत 37 5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत मे 62 5 प्रतिशत जनसख्या गैर कार्यशील थी जिसका आर्थिक उत्पादन गतिविधियो मे कोई सहभागिता नहीं थी। देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमे गैर कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत भारत की गैर कार्यशील जनसख्या से अधिक है। पजाब मे गैर कार्यशील जनसख्या का भाग 69 12 प्रतिशत है। इसके अलावा केरल मे 68 57 प्रतिशत उत्तरप्रदेश मे 67 80 प्रतिशत पश्चिमी बगाल मे 67 81 तथा हरियाणा मे 69 प्रतिशत गैर कार्यशील जनसख्या है। राजस्थान मे गैर कार्यशील जनसख्या भारत के औसत से कम है। राजस्थान मे कुल जनसख्या का 31 62 प्रतिशत मुख्य श्रमिक (Main Workers) 7 25 प्रतिशत सीमात श्रमिक तथा 61 13 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं।

वर्ष 1991 मे भारत की जनसख्या 84 6 करोड थी इसमे पुरुष 43 9 करोड तथा महिलाए 40 7 करोड थी। पुरुषो की कुल सख्या का 51 55 प्रतिशत तथा महिलाओ की कुल सख्या का 22 25 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसख्या का था। राजस्थान की जनसख्या 4 40 करोड थी। राजस्थान की कुल जनसख्या का 38 87 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसख्या था। कुल पुरुषो का 49 30 प्रतिशत तथा कुल महिलाओ का 27 40 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसख्या का था।

कार्यशील जनसख्या का व्यावसायिक वितरण

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1951	72 1	10 6	17 3
1961	72 8	11 2	16 0
1971	72 1	11 2	16 7
1981	70 0	12 8	17 2
1991	67 0	13 0	20 0

जनगणना 1991 म मुख्य श्रमिको की औद्योगिक श्रेणी को नौ भागो मे विभक्त किया गया हे जो इस प्रकार है 1 कृषि 2 कृषि श्रमिक 3 पशुपालन

वन व्यवसाय, मछली पालन, शिकार, पौधारोपण आदि, 4 खनन 5(अ) घरेलू उद्योगो मे निर्माण, प्रोसेसिंग, मरम्मत, 5(ब) घरेलू उद्योगो के अलावा अन्य उद्योगो मे निर्माण, सेवा मे मरम्मत 6 निर्माण, 7 व्यापार और वाणिज्य, 8 ट्रान्सपोर्ट, सग्रहण और सचार, 9 अन्य सेवाए। सुविधा की दृष्टि से कार्यशील जनसख्या के व्यावासियक वितरण को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है।

कार्यशील जनसख्या के व्यावसायिक वितरण मे प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) मे कृषि, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछलीपालन तथा खनन सम्मिलत होते है। द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) मे बडे व मझौले पैमाने क उद्योग सम्मिलत होते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र मे (Tertiary Sector) वाणिज्य, सचार, परिवहन, बीमा, वित्त, प्रबध आदि सम्मिलित होते हैं।

विकासशील अर्थव्यवस्था (Developing Economy)

जनसख्या के व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता है। भारत विकासशील देश है। वर्तमान मे भारत अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकीकरण द्वारा व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव के लिए प्रयासरत है। नियोजित विकास के गत चार दशको (1951-91) मे भारत को व्यावसायिक ढाचे के बदलाव के क्षेत्र मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 1991 मे भारत की 74 3 प्रतिशत जनसख्या गावो मे जीवन बसर के लिए अभिशप्त थी। इसके अलावा कुल कार्यशील जनसख्या का 67 प्रतिशत भाग व्यावसायिक ढाचे के प्राथमिक क्षेत्र मे सलग्न था। जबकि कुल कार्यशील जनसख्या का केवल 13 प्रतिशत भाग द्वितीयक क्षेत्र मे तथा 20 प्रतिशत भाग तृतीयक क्षेत्र मे सलग्न था।

प्रख्यात अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के कम होने का प्रमुख कारण अधिक जनसख्या का प्राथमिक क्षेत्र मे कार्यरत होना है। भारत की डालर मे प्रति व्यक्ति आय विकसित देशो की तुलना मे ही नही अपितु विकासशील देशो की तुलना मे भी बहुत कम है। भारत मे प्रति व्यक्ति आय के कम होने का कारण कार्यशील जनसख्या का 67 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र मे कार्यरत होना है। भारत मे द्वितीयक ओर तृतीयक क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। विख्यात अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस के अनुसार एक अविकसित अर्थव्यवस्था मे 66 प्रतिशत जनसख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भी भारत विकसित अर्थव्यवस्था म सम्मिलित नहीं होता है क्योकि भारत की कुल जनसख्या का 72 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

भारत के लिए चिताप्रद बात यह है कि कार्यशील जनसख्या मे अपक्षित वृद्धि नहीं हुई। कार्यशील जनसख्या 1961 मे 43 प्रतिशत थी जो घटकर 1991 मे 37 5 प्रतिशत रह गई। यद्यपि कार्यशील जनसख्या मे 1981 की तुलना मे थोडी वृद्धि अवश्य हुई है। विकसित देशो मे कार्यशील जनसख्या का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होता है। दूसरी चिता की बात यह है कि स्वतत्रता के पचास

वर्षों मे कार्यशील जनसख्या के व्यावसायिक ढाचे मे विशेष वदलाव नहीं आया है। लगभग पाच दशको मे व्यावसायिक ढाचे के प्राथमिक क्षेत्र मे कमी नहीं आ सकी। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मे वृद्धि नगण्य रही। वर्ष 1951 मे द्वितीयक क्षेत्र का भाग 10 6 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का भाग 17 3 प्रतिशत था जो 1991 में मामूली वढकर क्रमश 13 प्रतिशत और 20 प्रतिशत ही हो पाया। कार्यशील जनसख्या के व्यावसायिक ढाचे से भारत का आर्थिक पिछडापन परिलक्षित होता है।

ढाचे मे वदलाव की आवश्कता (Necessity for Change in Structure)

भारत मे कार्यशील जनसख्या का बडा भाग प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि मे नियोजित होना आर्थिक पिछडेपन का प्रतीक है। विश्व मे अनेक ऐसे देश हैं जिन्होने कृषि के आधार पर तीव्र आर्थिक विकास किया किन्तु भारत मे बीते पचास वर्षों मे कृषि क्षेत्र की प्रगति उत्साहवर्द्धक नहीं रही। कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण कम निजी और सार्वजनिक पूजी निवेश रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ है और आज भी राष्ट्रीय आय मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है किंतु कृषि की दशा सुधारने मे अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। किसान और गरीब लोग सेठ–साहूकारो के चगुल में फसे रहे।

आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कार्यशील जनसख्या के व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव आवश्यक है। इसके लिए व्यावसायिक सरचना के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि आधारित उद्योगो का विकास करके कृषि पर जनसख्या का भार कम किया जा सकता है तथा ग्रामीण परिवेश मे बेरोजगारी भी कम हो सकेगी। कृषिगत विकास के लिए ग्रामीण परिवेश मे आधारभूत सरचना का विकास किया जाना चाहिए। हाल के उदारीकरण मे आर्थिक विकास मे सरकार की भूमिका मे नियोजन काल की तुलना मे कमी आई है, किंतु व्यावसायिक सरचना को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता आज भी है। विकास की तीव्र गति वास्ते पूजी निवेश को विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आधारिक सरचना की ओर मोडना चाहिए। केन्द्र सरकार को सामाजिक क्षेत्र मे अधिक सार्वजनिक परिव्यय पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

4. सहस्त्राब्दि जनगणना - वर्ष 2001
(Millennium Census - 2001)

भारत म अगली सहस्त्राब्दि के पहले वर्ष में होने वाली सहस्त्राब्दि जनगणना के लिए तैयारिया शुरु हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन मे 24-25 अप्रैल, 1998 को तत्सबधी आकडे इस्तेमाल करने वालों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के महापजीयक और जनगणना आयुक्त डा एम विजयनउन्नी के अनुसार भारत की अगली जनगणना के लिए तैयारिया जोर–शोर स शुरु हो गई हैं। इस जनगणना के लिए एक मार्च, 2001

के सूर्योदय को सदर्भ बिंदु माना जाएगा।

वर्ष 2001 मे की जाने वाली जनगणना भारत मे प्रति दस वर्षो मे अनवरत रुप से सपन्न की जाने वाली चौदहवीं और इक्कीसवीं शताब्दी की पहली जनगणना होगी। यद्यपि प्रत्येक जनगणना अपने–आप मे महत्वपूर्ण होती है, फिर भी वर्ष 2001 की जनगणना अनूठी होगी क्योकि इससे एक ऐसे समय मे देश के समाज, जनसाख्यिकी और अर्थव्यवस्था के बारे मे महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक आकडे प्राप्त होगे जिसमे अगली शताब्दी का ही नहीं, बल्कि नई सहस्त्राब्दि का भी सूत्रपात होगा। यही कारण है कि इसे सहस्त्राब्दि जनगणना कहना उचित होगा। इससे अगली शताब्दी और सहस्त्राब्दि के दौरान देश के निर्यात को नियत करने मे अद्‌भुत और महत्त्वपूर्ण आकडे प्राप्त होगे।

वर्ष 2001 मे की जाने वाली जनगणना मे पहली बार एक अरब से अधिक के व्यक्तियो की गणना की जाएगी। 1991 मे पिछली जनगणना के समय भारत की जनसख्या 84 6 करोड थी। भारत की अगली जनगणना विश्व मे किसी भी सरकार द्वारा किया गया अब तक का एक विशालतम प्रशासनिक उपक्रम होगी। जनगणना सगठन से देश के 33 लाख वर्ग किलोमीटर के भू–भाग पर 20 करोड परिवारो के रुप मे रह रही अनुमानत 101 2 करोड जनसख्या की गणना करने के लिए व्यवस्था करने की आशा की जाती है। इस कार्य मे निहित फील्ड वर्क के लिए 20 लाख गणना कर्मियो को काम पर लगाया जाएगा। यह सख्या अपने आप मे सिगापुर जैसे देश की सपूर्ण व्यस्क जनसख्या से कहीं अधिक है। 1991 की जनगणना उस वर्ष हुई थी जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। इसलिए उक्त जनगणना से अर्थव्यवस्था के बारे मे उपयोगी आधारभूत आकडे पाप्त हुए। वर्ष 2001 की जनगणना से भी अध्ययन के लिए अत्यत उपयोगी आकडे प्राप्त होगे। जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2001 का जनगणना सबधी कार्य पूरा हो जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर जनसख्या सबधी अन्तिम आकडे, दो वर्ष के भीतर जनगणना सबधी बुनियादी आकडे तथा तीन वर्ष के भीतर विस्तृत तालिकाए जारी करने की योजना बनाई है ताकि प्रमुख आकडे शीघ्रतापूर्वक मुहैया कराये जा सके।

5. भारत मे जनाधिक्य की समस्या
(Problem of over populated in India)

भारत मे जनाधिक्य के सबध मे मतैक्य का अभाव है। भारत की अर्थव्यवस्था मे मुहबाए ढेरो समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए धनाधिक्य के होने की सहज पुष्टि होती है। इसके विपरीत भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। विगत वर्षो मे अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे प्रगति दृष्टिगोचर हुई हे जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत मे अभी जनाधिक्य नहीं है। अत भारत मे जनाधिक्य सबधी विचारो को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है। पहले भाग मे भारत के जनाधिक्य होने तथा दूसरे भाग मे जनाधिक्य नहीं होने

सबधी विचारो को सम्मिलित कर सकते हैं। भारत मे धनाधिक्य सबधी विचार इस प्रकार हैं –

1 बेरोजगारी (Unemployment) भारत म बेरोजगारी सुरसा के मुह की तरह बढती जा रही है। स्वतत्रता के पचास वर्षो और पचवर्षीय योजनाओ मे भारी विनियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं मिला है। बढती बेरोजगारी का कारण जनाधिक्य की स्थिति है। देश मे जिस गति से जनसख्या बढ रही है उस गति से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे है। वर्तमान मे बेरोजगारो के आकडे चौका देने वाले हैं। रोजगार कार्यालयो के चालू रजिस्टरो मे दर्ज व्यक्तियो की सख्या कुछ सीमा तक बेरोजगारो की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। रोजगार कार्यालय मुख्यत शहरी क्षेत्रो मे होते हैं। इन कार्यालयों मे सभी बेरोजगार अपने नाम पजीकृत नहीं करवाते। इसके अलावा पहले से रोजगार मे लगे कुछ व्यक्ति भी बेहतर रोजगार पाने के उद्देश्य से अपने नाम इन कार्यालयो मे पजीकृत करवाते हैं। रोजगार कार्यालयो में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियो के दर्ज नामो की सख्या 31 दिसम्बर 1981 तक 178 36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढकर 368 लाख हो गई। वर्तमान मे (1998) रोजगार कार्यालयों में बरोजगारों की सख्या 450 लाख से भी अधिक है।

2 गरीबी (Poverty) भारत मे गरीबी की समस्या भयावह है। पचवर्षीय योजनाओ म गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई किंतु लाभ अपेक्षी तक नहीं पहुच पाने के कारण गरीबी की समस्या कम नहीं हो सकी। देश मे चहुओर गरीबी का ताण्डव आज भी मौजूद है। बढती झुग्गी–झोपडिया बढती गरीबी की दर्दनाक स्थिति को दर्शाती है। देश में कानून बने होने के बावजूद बाल श्रमिको की समस्या कम नहीं हो सकी। देश मे चहुओर भिखारी देखे जा सकते हैं। गरीबी की समस्या गावो मे विषम है। शहरों मे तो जैसे–तैसे छोटे–मोटे रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया हो जाते हैं। गावों मे रोजगार के अवसरो का अभाव है। गावो की बहुसख्यक जनसख्या कृषि कार्य मे लगी हुई है। कृषि क्षेत्र म पहले से ही अविछिन्न बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। कृषि का बडा क्षेत्र सिचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून का जुआ बना हुआ है। जहा पर्याप्त वर्षा होती है वहा अतिवृष्टि तथा बेमौसम बरसात के कारण बहुत नुकसान होता है। देश के समूचे परिवेश मे गरीबी दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1996 97 में देश की कुल जनसख्या का 29 18 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। गावों में शहरा की तुलना मे गरीबी अधिक है। ग्रामीण परिवेश मे गरीबी 30 55 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों मे गरीबी 25 58 प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के अत तक देश में गरीबी की समस्या मुखर बनी हुई थी।

3 *खाद्यान्न का अभाव (Lack of Foodgrains)* भारत गावों का देश है। बहुतेरी जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसख्या का भाग 74 प्रतिशत था। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद

भारत लम्बे समय तक खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर नहीं हो सका। वर्तमान मे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का ढिढोरा पीटा जा रहा है। हाल के वर्षों मे खाद्यान्न उत्पादन मे अवश्य वृद्धि हुई है इसका श्रेय बडी सीमा तक अनुकूल मानसून को जाता है। खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। देश के लगभग 20 प्रतिशत लोगो के गरीबी रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। भारत मे खाद्यान्न उत्पादन की तुलना मे जनसख्या वृद्धि दर अधिक है। परिणामस्वरुप विगत वर्षो मे खाद्यान्न का आयात करना पडा है। वर्ष 1974-75 मे खाद्यान्न सकट था। वर्ष 1979-80 मे अकाल के कारण खाद्यान्न कीमतो मे भारी वृद्धि हुई। भारत ने 1993-94 मे 290 करोड रुपए, 1994-95 मे 92 करोड तथा 1995-96 मे 80 करोड रुपए का खाद्यान्न उत्पादन का आयात किया।

4. मुद्रास्फीति (Inflation) जनाधिक्य के कारण उत्पादों की माग और पूर्ति मे भारी अतराल है। माग के अनुरुप पूर्ति नहीं होने से वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि हुई। देश के एक अरब लोगो की माग की पूर्ति करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऊचे मूल्य के कारण काला बाजारी की प्रवृत्ति बढती है।

5. भूमि पर बढता भार भूमि सीमित है और जनसख्या बढती जा रही है। विश्व की कुल जनसख्या का 15 प्रतिशत भाग भारत मे निवास करता है जबकि भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2 4 प्रतिशत ही है। भारत मे जनाधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता घट गई है।

6. जनसख्या घनत्व में वृद्धि (Increase in Population Density) भारत मे तीव्र जनसख्या वृद्धि दर के कारण जनसख्या घनत्व मे भारी वृद्धि हुई है। भारत का जनसख्या घनत्व विश्व के देशो से तुलनात्मक रुप से अधिक है। भारत मे जनसख्या घनत्व 1951 मे केवल 113 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर था जो बढकर 1981 मे 230 तथा 1991 मे 273 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। बढता हुआ घनत्व जनाधिक्य का परिचायक है।

7. जनसख्या की विस्फोटक वृद्धि (Explosive Growth of Population) भारत मे जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 14 प्रतिशत है। यहा हर डेढ सैकेण्ड मे एक बच्चा पैदा होता है। एक मिनिट मे 40 बच्चे जन्म लेते हैं। एक दिन मे और रात मे 57,600 बच्चे जन्म लेते हैं। देश की जनसख्या मे हर महीने 17 3 लाख बच्चे बढ जाते हैं। वर्ष 1981-91 के दौरान भारत की जनसख्या मे 16 3 करोड की वृद्धि हुई। यह आस्ट्रेलिया की जनसख्या का दस गुना और जापान की जनसख्या से अधिक है।

8. आवास समस्या (Housing Problem) भारत मे अधिक जनसख्या के कारण आवास समस्या मुखर हो गई है। देश मे बेघरो की सख्या बढती जा रही है। झुग्गी–झोपडियो मे रहने वालो की सख्या भी बढी है। गावो मे आज अधिसख्यक लोग कच्चे घरो मे रहते हैं। देश मे आवास की बढती समस्या जनाधिक्य की ओर सकेत करती है।

9. अनिवार्यताओं का अभाव भारत मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसख्या बढ जाती है। प्रति वर्ष डेढ करोड से अधिक जनसख्या के लिए अतिरिक्त अनाज, मकान, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनिवार्यताए जुटाना भारत के लिए मुश्किल है।

10. माल्थस का जनसख्या सिद्धात लागू होना भारत में खाद्यान्न की तुलना म जनसख्या वृद्धि दर अधिक है। देश म जनसख्या ज्यामितीय रुप जैसे 1,2, 4, 8, 16 - की तरह बढ रही है। एसी स्थिति म प्रकृति जनसख्या पर रोक लगाती है। भारत मे जनसख्या को कम करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना कुछ सीमा तक माल्थस के जनसख्या सिद्धात के लागू होने को बल प्रदान करता है।

11. कम पूजी निर्माण विकसित देशो में बढती जनसख्या पूजी निर्माण में सहायक है। भारत मे जनसख्या के बढने से पूजी निर्माण मे वृद्धि नहीं हुई है। भारत की 20 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा स नीचे है। देश मे गरीबी के कारण बचत दर कम है। मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय परिवारों मे उपभोग की प्रवृत्ति अधिक है।

12. असामान्य परिस्थितिया भारत मे हर जगह लम्बी–लम्बी कतारे नजर आती हैं। रेल्वे तथा बस स्टेशनो, अस्पतालो, राशन की दुकानों, सिनेमाघरो आदि जगहो पर लम्बी कतारे लगी रहती हैं। रेलगाडियो की सख्या मे वृद्धि के बावजूद रेल्वे कोच खचाखच भरे होते हैं। सैकडों छात्र कॉलेजों मे प्रवेश से वचित रह जाते हैं।

13. ऊची जन्म व मृत्यु दर भारत मे जन्म व मृत्यु दर विश्व में तुलनात्मक रुप से अधिक है। भारत मे 1994 मे जन्म दर 28 7 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7 3 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 74 प्रति हजार थी।

उपर्युक्त विवरण स भारत म जनाधिक्य होने की पुष्टि होती है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए भारत ने परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया। गौरतलब है कि भारत सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है।

भारत में जनाधिक्य नहीं है

अतीत मे भारत 'सोने की चिडिया' था। देश में चहुओर समृद्धि थी। विश्व के देशो की भारत की समृद्धि पर लालच भरी दृष्टि पडी। भारत को आर्थिक और राजनीतिक रुप से गुलाम बनाया। गुलामी के दिनों मे विदेशियों ने भारत का मनमाफिक दोहन किया और भारत को गरीब देश बनाकर छोडा। वर्ष 1947 में भारत को स्वतत्रता मिली। भारतीयो ने विरासत मे मिली बिगडी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए पचवर्षीय योजनाओ क माध्यम से विकास की व्यूहरचना तैयार की। भारत स्वतत्रता के पाच दशक पूरे कर चुका है। हमने हाल ही

स्वतत्रता की पचासवीं वर्षगाठ उल्लास से मनाई।

बीते पचास वर्षो मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह एक वर्षीय योजनाए सम्पन्न हुई। वर्तमान मे नौवी पचवर्षीय योजना का कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 2002 है। यद्यपि राजनीतिक बदलाव के कारण नौवीं पचवर्षीय योजना नियत समय पर मूर्त रुप नहीं ले सकी। नियोजित विकास के पाच दशको मे भारत ने अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे महत्त्वपूर्ण प्रगति की। विश्व मे हाल के वर्षो मे घटित ताजातरीन घटनाक्रमो को दृष्टिगत रखते हुए भारत की उपलब्धि आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं होना माना जा सकता है। विदित है कि पिछले कुछ वर्षो मे एशिया मे उपजे 'एशियन टाइगर्स' देशो की आर्थिक दशा वर्ष 1997-98 मे बिगडी। दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशो ने अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से वैश्वीकरण किया। इन देशो ने भारी विदेशी पूजी निवेश को आमत्रित किया तथा मुद्रा को पूजी खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया। नतीजतन दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशो को घोर आर्थिक सकट का सामना करना पडा। इण्डोनेशिया मे मुद्रास्फीति तीव्रता से बढी। वहा की सरकार बिगडी अर्थव्यवस्था के कारण बदल गई। विश्व की आर्थिक ताकत जापान की मुद्रा येन का भारी अवमूल्यन हुआ। रुस को रुबल सकट का सामना करना पडा। भारत मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जैसा आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं हुआ यद्यपि रुपए का अवमूल्यन अवश्य हुआ है किंतु भारतीय रुपए मे स्थायित्व की प्रवृत्ति बनी हुई है। मुद्रास्फीति भी इकाई अक तक सीमित है।

1. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production)

भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे उपलब्धि अर्जित की है। इसका श्रेय बडी सीमा तक किसानो को जाता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता के लिए कारगर पहल की। उदारीकरण के वर्षो मे डकल प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत ने विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण की। इनके अभाव मे भारत के विश्व के देशो से अलग पड जाने का भय था। भारत मे खाद्यान्न के उत्पादन मे आत्मनिर्भरता का श्रेय हरित क्राति को जाता है। हरित क्राति और कृषि क्षेत्र मे आधुनिकतम तकनीक से देश मे खाद्यान्न उपलब्धता तो बढी किंतु सभी ग्रामीणजनो की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। गावो मे घोर आर्थिक विषमता व्याप्त है। गरीबी की समस्या भी गावो मे अधिक है। गाव सामाजिक विकास की दृष्टि से भी पिछडे हुए हैं। आज बजट के बडे भाग का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। ग्रामीण बजट के खर्च के समय सरकार को इसके सदुपयोग पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रामीणो की जागरुकता के अभाव मे बजट के भाग को भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हडप कर जाए। सरकार को वित्तीय ससाधन जुटाने के लिए बडे किसानो को आयकर के दायरे मे लेने के लिए विचार करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से एकत्रित की गई राशि को कृषि के उत्थान और ग्रामीण औद्योगीकरण पर खर्च की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रो का आर्थिक

विकास होने से गरीबी की समस्या कम हो सकेगी। ग्रामीण विकास से खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि होगी। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 1993 94 मे 184 3 मिलियन टन था जो बढकर 1999 2000 मे 199 1 मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1993 94 मे 2 7 प्रतिशत तथा 1998 99 मे 5 6 प्रतिशत थी। जो भारत की वार्षिक जनसख्या वृद्धि दर 2 14 प्रतिशत से अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर के जनसख्या वृद्धि दर से अधिक होने के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत मे जनसख्या का माल्थस सिद्धात खरा नहीं उतरता है। किंतु भारत मे खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावन की प्रवृत्ति व्याप्त है। वर्ष 1995 96 मे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 3 4 प्रतिशत थी। भारत मे तीव्रता से बढती जनसख्या के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र मे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के प्रभावोत्पादक प्रयास हों। देश के खाद्यान्न उत्पादन को आतरिक माग की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रखा जाए अपितु खाद्यान्न निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जानी चाहिए।

2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतिगत पहल पचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन वर्तमान मे आर्थिक उदारीकरण की नीतियो को आत्मसात किया जाना तथा देशवासियों की कडी मेहनत के परिणामस्वरुप सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुई। भारत जैसे जनसख्या बहुल देश मे प्रतिव्यक्ति आय का बढना महत्त्वपूर्ण बात है क्योकि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय मे जनसख्या का भाग दिया जाता है। विश्व परिप्रेक्ष्य मे प्रगति के मापदण्ड को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत की तुलना विकसित राष्ट्रो से करना समीचीन नहीं है। चीन से इस मामले में तुलना की जा सकती हैं। जनसख्या की विकरालता के बावजूद भी भारत की प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढ रही है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर विश्व के देशो की तुलना मे अवश्य कम है। वर्ष 1980 81 के मूल्यो पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1994 95 मे 252 3 हजार करोड रुपए था जो बढकर 1997 98 मे 307 हजार करोड रुपए (प्राविजनल) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1994 95 मे 7 8 प्रतिशत तथा 1997 98 मे 5 2 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। सकल घरेलू उत्पाद के बढने से प्रति व्यक्ति आय भी बढी। वर्ष 1980 81 के मूल्यो पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 841 रुपए थी जो बढकर 1992 93 मे 2 216 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1985 86 मे 2 730 रुपए थी जो बढकर 1992 93 मे 6 248 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यो पर राष्ट्रीय आय 1985 86 मे 2 06 133 करोड रुपए थी जो बढकर 1992 93 मे 5 44 935 करोड रुपए हो गई। बढती राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत मे जनाधिक्य की समस्या नहीं है।

3. प्राकृतिक ससाधनो की प्रचुरता

भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से विश्व का एक धनी देश है। भारत मे बिहार और राजस्थान को खनिजो का अजायबघर कहा जाता है। भारत मे धात्विक, अधात्विक तथा शक्ति उत्पादक खनिज प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है। भारत मे खनिज लोहा, मैंगनीज, टगस्टन, क्रोमाइट, ताबा, जस्ता, बाक्साइट, सोना व चादी, सीसा, लाइमस्टोन, अभ्रक, खनिज तेल, यूरेनियम, बेरीलियम, जिरकोनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत मे प्राकृतिक ससाधनो का विवेकपूर्ण विदोहन किया जाए तो लम्बे समय तक अधिक जनसख्या का स्तरीय भरण–पोषण किया जा सकता है। किंतु वित्तीय ससाधनो के अभाव मे उपलब्ध प्राकृतिक सपदा का विदोहन नहीं किया जा सका। वर्तमान मे स्थिति मे बदलाव आया है। भारत ने प्राकृतिक ससाधनो के आधार पर औद्योगीकरण का ढाचा खडा किया है।

4. मानव संसाधन

भारत मे तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो की सख्या बहुत अधिक है। विश्व का सस्ता श्रम भारत मे उपलब्ध है। भारत का मानव ससाधन न केवल देश का अपितु विश्व के अनेक देशो के आर्थिक विकास मे कारगर भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक ससाधनो के अतिरिक्त सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनिया भारत मे प्रवेश के लिए उत्सुक हैं। भारत ने तकनीकी कौशल के बूते पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे उपलब्धिया अर्जित की हैं। भारत ने मई 1998 मे परमाणु परीक्षण कर विश्व को चौका दिया है। रक्षा और अतरिक्ष के क्षेत्र मे भी भारत महत्त्वपूर्ण देश बन गया है। अक्टूबर 1998 मे डॉ अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना जाना भारत के लिए गर्व की बात है। जन्म लेने वाला बच्चा खाने के लिए मुह ही नहीं लेकर आता बल्कि काम करने के लिए दो हाथ और सोचने के लिए मस्तिष्क भी साथ लेकर आता है। भारत मे प्रतिभाए बिखरी पडी हैं आवश्यकता उनकी दशा सुधारने और सही दिशा देने की है।

सारत जनसख्या की 2 14 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर, जनसख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बडा देश, निरक्षरता का अधकार, गरीबी का ताण्डव, बेरोजगारी, महगाई, नीची आर्थिक वृद्धि दर, घटते आवास, चहुओर भीड आदि बाते भारत मे जनाधिक्य की पुष्टि करते हैं। देश मे प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता अवश्य है किंतु जनसख्या मे गरीबो के बढने के कारण बचत व पूजी निर्माण की दर नीची रहने से वित्तीय ससाधनो का अभाव रहा। नतीजतन प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग विकास की गति बढाने मे नहीं हो सका। जनाधिक्य ही एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत विश्व के देशो की तुलना मे आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड गया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए जनाधिक्य पर नियत्रण आवश्यक है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को निरक्षरता और गरीबी को दूर करने के लिए नीतिगत पहल करनी होगी।

गरीबी उन्मूलन की योजनाए प्रासगिक हों तथा उनका उचित क्रियान्वयन हो। इसरो अभाव में देश की आर्थिक प्रगति बढते निरक्षर लोगो की बाढ मे बह जायेगी।

सन्दर्भ

1 राजस्थान पत्रिका, 11 अगस्त 1999

2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, पृ स 16

3 भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश पृ 237

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 मानव ससाधनो का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

2 भारत मे जनसख्या की विशेषताए बताइए।

3 भारत म ऊची जन्म दर के कारणो को बताइए।

4 "भारत मे निर्धनता जनाधिक्य का परिणाम है।" व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे जनसख्या वृद्धि के कारणो को समझाइए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए जनसख्या वृद्धि के कारणो यथा ऊची जन्म दर, नीची मृत्यु दर, राजनीतिक कारण को लिखना है।)

2 भारत मे जनसख्या की क्या विशेषताए है? जनसख्या वृद्धि के कारणों को बताइए। जनसख्या वृद्धि को किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या की विशेषताओ को लिखना है तदुपरात जनसख्या वृद्धि के कारणो को बताना है। प्रश्न के तृतीय भाग में *अध्याय में दिए गए जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के उपाय लिखने है।)*

3 जनसख्या घनत्व से आप क्या समझते है? जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटको का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या घनत्व का अर्थ बताना है तथा द्वितीय भाग म अध्याय मे दिए गए जनसख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटको को लिखना है।)

4 जनसख्या के व्यावसायिक वितरण को समझाइए। व्यावसायिक ढाचे के वितरण को किस प्रकार बदला जा सकता है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय में दिए गए जनसख्या के व्यावसायिक वितरण को तथा दूसरे भाग म व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव को लिखना है।

5 *क्या भारत मे जनाधिक्य है? स्पष्ट कीजिए।*
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर को दो भागो मे लिखना है पहले भाग में अध्याय में दिए गए जनाधिक्य सबधी विचारो को लिखना है तथा दूसरे भाग मे भारत मे जनाधिक्य नहीं है को लिखना है। अत मे निष्कर्ष मे जनाधिक्य की बात को चरितार्थ करना है।)

भारत में जनसंख्या की समस्याएं आर्थिक विकास पर प्रभाव

(Population Problems in India - Effects on Economic Development)

जनसख्या और आर्थिक विकास मे घनिष्ठ सबध है। विश्व के विकसित देशो मे जनसख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास मे सहायक सिद्ध हुआ है। विकासशील देशो मे बढती जनसख्या के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा है। भारत मे तीव्रता से बढ रही जनसख्या आर्थिक विकास के मार्ग मे बडी बाधा है। भारत मे प्राकृतिक ससाधन प्रचुरता मे नहीं होते तो आज विशाल आबादी के भरण-पोषण की कठिनाई उत्पन्न हो जाती। भारत मे बढती जनसख्या के कारण अनेक समस्याए उत्पन्न हो गई हैं। आज भारत की स्थिति उस पिता की भाति हो गई है जिसके पास आवास और सुविधाओं का अभाव है और बहुत सारे मेहमान आ गए हो और ऐसी स्थिति मे वह 'किकर्त्तव्यविमूढ' की स्थिति मे आ जाता है। भारत मे बढती जनसख्या के सबध मे एक पक्ति का उल्लेख किया जाना समीचीन है, "परवरिश नहीं जो हम कर पाए फूलो की, घर मे फूलवारी लगाना गलती है।"

भारत मे जनसख्या की विकरालता है तथा इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। व्यक्ति अनेक बार जीवन की अनिवार्यताओ का अभाव महसूस करते हैं। राजकीय प्रयासों के बावजूद आवास समस्या कम नहीं हो सकी तथा गरीबी, बेकारी नियत्रण से बाहर है। इसके बावजूद भारत की स्थिति मानव ससाधन के मामले मे विश्व के अन्य जनाधिक्य वाले देशो की तुलना मे बेहतर है। भारत मे परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक है। वर्तमान मे यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप मे सचालित है। आज भारत मे जनसख्या नियत्रण के लिए राजकीय दबाव नहीं है। जबकि विश्व के सर्वाधिक जनसख्या बहुल देश में दम्पत्ति को मात्र एक सतान के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहा भ्रूण हत्या निरन्तर बढ

रही है। भारत मे भी भ्रूण हत्या होती है किंतु इसका कारण अधिक जासख्या नहीं बल्कि बढती दहेज प्रवृत्ति है। अन्य दश मे भ्रूण हत्या अत्यधिक जासख्या और सरकारी बाध्यता के कारण होती है।

जनसख्या राष्ट्र के लिए सम्पत्ति और दायित्व दोनो हैं। प्रोफेसर हिपल के अनुसार एक राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि जल वनो, खानो, पशु सम्पत्ति या डालरो मे निहित न होकर उस राष्ट्र के धनी और प्रसन्न जन समुदाय मे निहित होती है। भारत मे जनसख्या सम्पत्ति की तुलना मे दायित्व अधिक सिद्ध हुई है। बढती जनसख्या के कारण भारत मे ढेरो समस्याए उत्पन्न हो गई हैं। जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। भारत आज जनाधिक्य के कारण विश्व का बड़ा बाजार है। प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की बहुलता के कारण कोई देश भारत की उपेक्षा करने की स्थिति मे नहीं है। किंतु केन्द्र सरकार के लिए बढती जनसख्या दायित्व सिद्ध हो रही है। जनसख्या जनित समस्याओ को निपटाने मे सरकार को सफलता नहीं मिली। सरकार इस दिशा में अवश्य प्रयासरत है।

जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव
(Effects of Increase in Population on Economic Growth of India)

जासख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। अर्थतत्र का हरेक पहलू बढती जनसख्या से प्रभावित हुआ है। जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा है।

1 राष्ट्रीय आय मे धीमी वृद्धि दर (Slow Progress in National Income) भारत मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण राष्ट्रीय आय म वृद्धि नहीं हो सकी। देश के उत्पादन का बडा भाग जनसख्या हडप कर जाती है। अनेक बार देश का उत्पादन जनसख्या की माग की तुलना मे कम पड जाता है। अतिरेक माग की पूर्ति आयातो से करनी पडती है। जनसख्या को नियत्रित करने के लिए तथा जासख्या जनित समस्याओ से निपटने के लिए भारी सार्वजनिक उपरिव्यय की व्यवस्था करनी पडती है। इन सब बातो का आथिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। भारत मे जासख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय म धीमी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय सामान्य रुप से देश मे निवास करने वाले नागरिको द्वारा उत्पादन के साधनो स अर्जित आय है जिसम से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है।

चालू मूल्यो पर भारत की राष्ट्रीय आय 1980 81 म 1 10 685 करोड रुपए थी जो बढकर 1990 91 मे 4 18 074 करोड रुपए हो गई। वर्ष 1992-93 मे राष्ट्रीय आय 5 46 023 करोड रुपए थी। वर्ष 1980 81 स 1992-93 तक 12 वर्षो में राष्ट्रीय आय मे पाच गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 म राष्ट्रीय आय म 14 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 के मूल्या पर राष्ट्रीय आय 1980 81 म 1 10 685 करोड रुपए थी जो बढकर 1990-91 मे 1 86 446 करोड रुपए तथा 1992 93

म और बढकर 1,95 602 करोड रुपए हो गई। भारत मे जनसख्या की बहुलता के कारण राष्ट्रीय आय तीव्रता से नहीं बढ सकी।

राष्ट्रीय आय

(करोड रुपए)

वर्ष	चालू मूल्य पर	1980-81 के मूल्यो पर
1980-81	1,10,685	1,10,685
1985-86	2,06,133	1,39,025
1990-91	4,18,074	1,86,446
1991-92	4,79,612	1,86,191
1992-93	5,46,023	1,95,602
1995-96	9,75,645	8,17,489
1997-98	12,65,167	9,26,420
1998-99	14,31,527	9,49,525

स्रोत *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे*, 1998-99 तथा 1999-2000

2. प्रति व्यक्ति आय (Per capita Income) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के बावजूद जनसख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि नहीं हो सकी। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय मे जनसख्या का भाग देकर की जाती है। वर्तमान म भारत की जनसख्या एक अरब से अधिक है तथा जनसख्या 2 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से बढ रही है नतीजतन राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना मे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कम है।

वर्तमान मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1985-86 मे 2,,730 रुपए थी जो बढकर 1990-91 मे 4,983 रुपए तथा 1995-96 मे और बढकर 10,525 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय मे गत वर्ष की तुलना मे 1990-91 मे 14 6 प्रतिशत तथा 199ς-96 मे 14 7 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 मे राष्ट्रीय आय मे 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अधिक जनसख्या वृद्धि के कारण वर्ष 1992-93 मे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना मे कम रही। वर्ष 1980-81 के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1983-84 मे 1,790 रुपए थी जो बढकर 1995-96 मे 8,819 रुपए हो गई। बारह वर्षो की अवधि मे प्रति व्यक्ति आय मे तीव्र वृद्धि नहीं हो सकी।

3. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) विकसित देशो की तुलना मे भारत मे सकल घरेलू उत्पाद मे कम वृद्धि हुई इसका प्रमुख कारण विशाल जनसख्या और उससे उत्पन्न समस्याए हैं। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का सूचक होता है, किंतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे विकास की प्रवृत्ति कम दृष्टिगोचर होती है। जनसख्या वृद्धि के कारण आर्थिक साधनो पर

अनुत्पादक उपभोक्ताओ का भार बढ जाता है।

प्रति व्यक्ति आय

(रुपए)

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य पर)	गत वर्ष की तुलना मे वृद्धि (प्रतिशत)
1985 86	2,730	9 1
1986 87	2,962	8 5
1987-88	3,285	10 9
1988 89	3,842	16 9
1989-90	4,346	13 1
1990 91	4,983	14 6
1991 92	5,603	12 4
1992-93	6,262	11 8
1993 94	7,902	14 9
1994 95	9,178	16 1
1995 96	10,525	14 7
1996-97 (प्रा)	12,099	15 0
1997 98 (त्वरित)	13,193	9 0
1998 99 (त्वरित)	14,682	11 3

स्रोत विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों से सकलित।

वर्ष 1980-81 के मूल्यो के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 1987-88 में 170 3 हजार करोड रुपए था जो बढकर 1991-92 म 214 2 हजार करोड रुपए तथा 1997-98 मे और बढकर 1,049 2 हजार कराड रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद 1993-94 के मूल्या पर 1998-99 के अग्रिम अनुमानों मे बढकर 1,110 हजार करोड रुपए हो गया।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मे उच्चावचन की प्रवृत्ति विद्यमान है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1988-89 मे 10 9 प्रतिशत थी जो अगले ही वर्ष घटकर 1989-90 में 5 6 प्रतिशत रह गई। उसके बाद 1993-94 तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। गौरतलब है 1991-92 से भारत मे आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया। जनसख्या की तीव्र वृद्धि के कारण आर्थिक सरचना मे मूलभूत बदलावों का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर विशेष प्रभाव नहीं पडा। वर्ष 1994-95 मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7 8 प्रतिशत थी जो 1997-98 म फिर घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गई। विश्व के देशों में घटित आर्थिक घटनाक्रमों और भारत की औद्योगिक मदी को दृष्टिगत रखते हुए सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि की सभावना कम है। सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि के लिए जनसख्या नियत्रण आवश्यक है। इसके अलावा कार्यशील जनसख्या में वृद्धि के प्रयास किए जाने

चाहिए।

4. गरीबी (Poverty) भारत मे गरीबी का प्रमुख कारण जनसख्या है। आज जनसख्या की बहुलता के कारण प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध देश के प्राकृतिक ससाधन सीमित नजर आने लगे हैं। नियोजित विकास के पाच दशको मे गरीबी उन्मूलन की समस्या समाप्त नहीं हो सकी। बढती गरीबी आज केन्द्र सरकार और योजनाकारो के लिए सबसे अधिक चिता की बात है।

भारत मे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो को सफलता नहीं मिली। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो के नाम पर भारी राशि व्यय कर दी गई। देश के लोगो को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल सका। यद्यपि यह सही है कि गरीबी का बडा कारण जनाधिक्य है किंतु यदि गरीबो के लिए बनाई गई योजनाओ का कारगर क्रियान्वयन होता तो गरीबी कि समस्या समाप्त हो चुकी होती, किंतु ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन आकडो के हिसाब से 1996-97 मे देश की 29 18 प्रतिशत जनसख्या गरीब थी और योजना आयोग के आकलन के अनुसार 2011-12 मे भी देश को गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। 2011-12 मे भी 4 37 प्रतिशत जनसख्या गरीबी मे जीवन बसर करेगी। गावो मे गरीबी की समस्या अधिक है। वर्ष 1996-97 मे 30.55 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। शहरी गरीबी 25.88 प्रतिशत थी। नौवीं योजना मे राष्ट्रीय गरीबी के 'प्रोजेक्जन' के अनुसार 2011-12 मे ग्रामीण गरीबी 4 31 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 4.49 प्रतिशत होगी। स्पष्ट है कि सरकार का ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर अधिक बल है।

योजना आयोग के आकलन के अनुसार 1993-94 मे 763 लाख व्यक्तियो को शहरी गरीब के अर्न्तगत रखा गया जो कुल शहरी आबादी का 32.36 प्रतिशत था। स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना मे इन सभी 763 लाख व्यक्तियो को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 50 लाख शहरी गरीबो की गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है नेहरु रोजगार योजना गरीबो के लिए बुनियादी सेवाओ और प्रधानमत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को 'स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना' मे समाहित कर दिया गया है।[1]

5. बेरोजगारी (Unemployment) बढती जनसख्या के अनुरुप रोजगार के अवसर सृजित नहीं होने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो गई। देश मे गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। पचवर्षीय योजनाओं म रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम सचालित किए गए किंतु वे कारगर सिद्ध नहीं हो सके। आज दश म बेरोजगारी के सभी प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। गावो मे अविछिन्न बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कृषि कार्यो मे लगे हुए है। व्यक्तियो को योग्यता के अनुरुप काम नहीं मिलता है।

विडम्बना है कि एक तरफ देश म व्यक्तियो को रोजगार के अवसर मुहैया नही है दूसरी तरफ मासूम बच्चे काम के बोझ तले दबे हुए हैं। आज गावों म, बडी सीमा तक शहरो में भी मध्यमवर्गीय परिवारो तक म छोटी उम्र के बच्चों से दबाव म घर के काम–काज करवाए जाते हैं। गरीब परिवार के बच्चो को धनोपार्जन के लिए 'काम' पर भेजा जाता है। देश में बाल श्रमिक की समस्या मुखर है। इस दिशा म राजकीय कानून कायदे सहायक सिद्ध नहीं हो पाए। गाव और शहरों में अनेक परिवार थोडे धनोपार्जन के लालच म अथवा माता–पिता स्वय के काम को कम करने के लालच में बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड करते हैं। इस दिशा म परिवार के मुखियाओं अथवा महिलाओं से बात की जाती है तो वे बडे गर्व से कहते है कि बच्चे घर के काम–काज में और आय अर्जित करने में भी बडी मदद करते हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम बच्चों के प्रति उनका यह दृष्टिकोण बच्चो के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे बच्चे और परिवार आज की दौड में बहुत पिछड जाते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें अधिकाधिक स्कूलों और खेल के मैदानो की ओर भेजा जाना चाहिए। उन्हें घरों म अध्ययन और सृजनात्मक कार्यों के लिए समय मिलना चाहिए। बच्चो के द्वारा परिवार का खर्च चलाए जाने की प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परिवार के लिए बच्चा जरुरी है किन्तु आज जनसख्या जनित प्रदूषण में शातिमय वातावरण भी बेहद जरुरी है।

भारत में बेरोजगारी का सही आकलन बहुत कठिन काम है। सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालयो म नाम पजीकृत नहीं करवाते है। शिक्षित बेरोजगारों की तो फिर भी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गणना की जा सकती है। किंतु भारत म तो घोर निरक्षरता है। निरक्षर बेरोजगारों की सख्या ज्ञात करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि महिलाए तो घर के कामकाज के लिए ही पैदा हुई हैं। भारत म महिलाओ को शिक्षा के स्थान पर घरलू काम–काज में दक्ष बनाने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रवृत्ति में बदलाव आवश्यक है।

भारत म रोजगार कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों की सख्या 31 दिसम्बर 1981 तक 178 36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1985 तक बढकर 301 31 लाख तथा 31 दिसम्बर 1992 तक और बढकर 368 लाख हो गई। वर्ष 1986 म चालू रजिस्टरों में बेरोजगारों की वृद्धि दर सबसे अधिक 14 7 प्रतिशत थी। वर्ष 1992 में बेरोजगारी वृद्धि दर 1 3 प्रतिशत रही। विगत वर्षों में रोजगार कार्यालयों की सख्या में वृद्धि हुई। रोजगार कार्यालयों की सख्या 1981 में 663 थी जो बढकर 1992 में 860 हो गई। वर्ष 1992 में पजीकरण 53 01 लाख, अधिसूचित रिक्तिया 4 20 लाख तथा नियुक्तिया 2 39 लाख थी। राजकीय प्रयासो के बावजूद चालू रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगारो की सख्या कम नहीं हो रही। बढती बेरोजगारी भारत का ऋणात्मक आर्थिक पहलू है। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण और रोजगार सृजन द्वारा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

6 निरक्षरता (Illiteracy) जनसख्या की तीव्र वृद्धि के कारण निरक्षरता की

समस्या उत्पन्न हुई। विगत वर्षो मे सरकार ने साक्षरता वृद्धि के प्रयास किए। साक्षरता उपरिव्यय मे भी वृद्धि की गई। देश के विभिन्न भागो मे निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। किंतु देश मे गरीबी की समस्या व्याप्त होने के कारण साक्षरता वृद्धि मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दुनिया के बहुसख्यक निरक्षर भारत मे हैं जबकि विश्व के अनेक देशो मे यथा अमरीका, जापान आदि मे निरक्षरता समाप्त हो चुकी है। भारत मे सरकार शिक्षा प्रसार के लिए स्कूल खोल सकती है। शिक्षा प्रसार सबधी कार्यक्रमो की घोषणा कर सकती है, किंतु लोगो को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। भारत के लोगो मे साक्षरता के लिए आज भी इच्छा शक्ति का अभाव है। नतीजतन निरक्षरता मे विशेष कमी नहीं हो सकी।

विगत दशको मे निरक्षरता कम हुई है किंतु आज भी देश मे निरक्षरो की भरमार है। देश मे 1991 मे 48 79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिला निरक्षरता चिंताप्रद है। जब तक देश मे महिलाए शिक्षित नहीं होगी, समस्याओ का कम होना मुश्किल है। निरक्षर महिलाओं के परिवारो के सदस्यो की सख्या अधिक होती है। उनके बच्चो मे शिक्षा के प्रति रुझान कम होता है। निरक्षर महिलाओ के कारण परिवारों मे शैक्षिक वातावरण भी अच्छा नहीं बन पाता है। वे शिक्षा विकास मे एक तरह से बाधक होती हैं। निरक्षर महिलाओं के कारण परिवारो मे मानवाधिकार का उल्लघन होता है। इन सभी समस्याओ से निपटने के लिए महिलाओं मे शैक्षिक विकास बेहद आवश्यक है। महिलाओ को शिक्षित करके देश की अनेक समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।

7. अनुपात्दक उपभोक्ता (Unproductive Consumers) . जनसख्या वृद्धि के कारण अनुत्पादक उपभोक्ताओ की सख्या बढी। अनुत्पादक उपभोक्ता आर्थिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। इस श्रेणी मे सेवानिवृत्त व्यक्ति, भिखारी, निर्भर व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं। भारत की कुल जनसख्या मे अनुत्पादक उपभोक्ता का भाग 1961 मे 57 प्रतिशत था जो बढकर 1971 मे 67 1 प्रतिशत हो गया। अनुत्पादक उपभोक्ताओ का भाग 1981 में 64.7 प्रतिशत तथा 1991 मे 62 5 प्रतिशत था।

8. कृषि पर बढता भार (Increased Burden on Agriculture) : भारत की बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतत्रता के पाच दशक बीत चुके हैं, किंतु कृषि पर निर्भर जनसख्या मे विशेष कमी नहीं आई है। भारत की कुल जनसख्या में 37 5 प्रतिशत कार्यशील जनसख्या है। कार्यशील जनसख्या का 67 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र यथा कृषि, कृषि श्रमिक, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछली पालन तथा खनन मे नियोजित है।

9. खाद्यान्न अभाव (Lack of Foodgrains) पचवर्षीय योजनाओ म खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु बढती जनसख्या के कारण कृषि योग्य भूमि मे कमी हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन म उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दिशा में खाद्यान्न उत्पादन मे कमी हो जाती है। सिचाई

सुविधाओ का अभाव बना हुआ है। जनसख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न का आयात करना पडा है। खाद्यान्न और खाद्यान्न उत्पादन का आयात 1980 मे 100 करोड रुपए 1990 91 मे 182 करोड रुपए 1992 93 मे 966 करोड रुपए 1993 94 मे 290 करोड रुपए तथा 1995 96 में 80 करोड रुपए का था।

10 नगरीकरण की समस्या (Problem of Urbanization) गावो का तुलनात्मक रुप से कम विकास हुआ है दूसरी ओर गावो मे जनसख्या तीव्रता से बढी है। गावों के लोग रोजी–रोटी की तलाश मे शहरो की ओर पलायन करते हैं परिणामस्वरुप देश मे नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है।

भारत मे 1951 मे शहरी जनसख्या केवल 62 मिलियन थी जो कुल जनसख्या का 17 3 प्रतिशत था। वर्ष 1991 मे शहरी जनसख्या बढकर 218 मिलियन हो गई जो कुल जनसख्या का 25 7 प्रतिशत था। रोजी–रोटी की तलाश म ग्रामीणा की शहरो की ओर भागने की प्रवृत्ति बढ रही है। विगत वर्षों में *नगरीकरण की समस्या बढी है। गावो के विकास के बावजूद भी शहरो मे पलायन* की प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। दस लाख से ऊपर जनसख्या वाले शहरो की दस बढकर 1991 मे 12 हो गई।

11 आवास की समस्या (Housing Problem) बढती जनसख्या के कारण आवास समस्या उत्पन्न हो गई है। महानगरो मे तो आवास समस्या भीषण है। शहरो मे बडी सख्या मे लोग झुग्गी झोपडियो और खुले आकाश तले रात बिताते हैं। बढती जनसख्या के कारण सरकार की आवास योजनाए अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। गाव शहरो मे बदल रहे हैं। गावो का विकास भी हो रहा है किंतु ग्रामीण परिवेश मे बहुतेरे लोग कम आमदनी के कारण कच्चे घरो मे रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर प्रभावी व्यक्तियो के शहरो के निकट गावो की जमीनो पर 'फार्म हाउस' विकसित हो रहे हैं। देश मे आवासो की कमी के कारण कच्ची बस्तियो की झोपडियो और शहरा की घनी आबादी वाले क्षेत्रो मे लोग भेड बकरियो की तरह भरे होते हैं।

12 बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Lack of Basic Facilities) तीव्र जनसख्या वृद्धि के कारण सभी देशवासियो को बुनियादी सुविधाए मुहैया नहीं हो सकी। आज देश मे पाच वर्ष से कम आयु के लगभग 6 करोड 20 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश मे 16 वर्ष से कम आयु के जा बच्चे हैं उनमें से लगभग एक तिहाई मेहनत–मजदूरी करने को विवश हैं। आज भी देश के लगभग साढे तेरह करोड लोगो को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं। 22 करोड 60 लाख लोगो का ऐसा पानी पीना पडता है जिसे सुरक्षित नहीं माना जाता। 64 करोड लोग अर्थात जनसख्या का लगभग दो–तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसे बुनियादी सफाई सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं। देश मे 29 करोड 10 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। आकडो की जुबानी भारत के 44 प्रतिशत लाग बेहद गरीबी म जीवन व्यतीत करते

हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु मे गर्भवती होने वाली महिलाओ मे से लगभग 88 प्रतिशत रक्त की कमी की शिकार हैं।'

13. सिकुडते ससाधन (Shrinked Factors) · भारत मे समस्याओ का मुख्य कारण जनाधिक्य है। तीव्रता से बढती जनसख्या ने आर्थिक विकास के लाभो को अवरुद्ध कर दिया है। प्राकृतिक ससाधन यथा भूमि, जल, वन, खनिज आदि सीमित है जिनसे सीमित जनसख्या को ही वेहतर सुविधाए मुहेया हो सकती है। आज प्राकृतिक ससाधनो के अधाधुध विदोहन के कारण वनो का क्षेत्रफल सीमित हो गया है। तापमान में तीव्र वृद्धि हो चुकी है। जनसख्या के दवाव के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो गई है। पीने का स्वच्छ पानी मुश्किल से मुहैया हो पाता है। बडी नदिया गदे नालो मे परिवर्तित हो गई है। यमुना का अस्तित्व सकट मे हैं। उज्जैन की पवित्र नदी क्षिप्रा प्रदूषित हो गई है।

14. पारिस्थितिकी असतुलन (Ecological Imbalance) जनसख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी असतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अनियन्त्रित आवादी के कारण जल, वायु, खनिज, ऊर्जा के स्रोत आदि का अनियोजित दोहन किया गया। कृषि योग्य भूमि और वनो का क्षेत्रफल घटा है। भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है। आज भूस्खलन, ज्वालामुखी, आधी, सूखा, बाढ, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि आपदाए बढी हैं। पारिस्थितिकी सतुलन के सबध मे ब्रश एल लैण्ड उरेस्की का कथन महत्त्वपूर्ण है उनके अनुसार 'प्रकृति सर्वाधिक उपयोगी तभी वनी रह सकती है जब पारिस्थितिकी सिद्धातो का परिपालन किया जाए।"

सारत यह कहने मे कतई सकोच नहीं कि भारत ने नियोजन काल और आज के आर्थिक उदारीकरण के युग मे अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रो मे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। आज भारत की गिनती औद्योगिक शक्तियो मे की जाती है। भारत विश्व की एक बडी अर्थव्यवस्था है। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे हम आत्मनिर्भर हैं। भारत विकास के क्षेत्र मे विकासशील देशो के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वतन्त्रता के पाच दशको मे आम आदमी की जीवन धारा बदली है किंतु इसके बावजूद देश के सामाजिक विकास के क्षेत्र मे विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

पचवर्षीय योजनाओ मे सामाजिक क्षेत्र उपरिव्यय मे भारी वृद्धि की गई फिर भी देशवासियो को गरीबी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि समस्याओ के निजात नहीं मिला है। यह विडवना नहीं तो और क्या है कि देश मे औद्योगीकरण के बावजूद बेरोजगारी बढी, शिक्षा सुविधाओ के विस्तार के बावजूद निरक्षरता यथावत् है। चिकित्सा केन्द्रो पर रोगियो की कतारे कम नहीं हुई। भारत के सामाजिक क्षेत्र मे पिछडने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढती जनसख्या है। अगली जनगणना 2001 मे भारत की जनसख्या एक अरब से अधिक होगी। बढती जनसख्या ने गत पाच दशको के आर्थिक विकास के लाभो को छीन लिया है। भारत मे सामाजिक विकास के क्षेत्र की दशा सुधारे बिना

आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। देश के सामाजिक विकास की दशा सुधारने के लिए जनसख्या की तीव्र वृद्धि पर नियत्रण आवश्यक है। जनसख्या वृद्धि को शीघ्रातिशीघ्र नियत्रित किया जाना चाहिए। आज देश में ऐसी प्रवृत्ति व्याप्त हो गई है कि एक समुदाय के लोग अन्य समुदाय के लोगो से जनसख्या की दृष्टि से पीछे रहने को तैयार नहीं है चाहे उनका जीवन दरिद्रता मे ही क्यो नहीं बीते। यह प्रवृत्ति दश के लिए घातक है। आज देश के प्राकृतिक ससाधन सीमित हो गए है। जनसख्या असीमित होती जा रही है। भारत आर्थिक रूप से सुदृढ नहीं है। विदेशी मुद्रा भण्डार बढती जनसख्या की अतिरेक माग की पूर्ति के लिए आयात वास्ते सीमित है। अत भारत को जनसख्या वृद्धि दर पर नियत्रण के अभाव में गभीर समस्याओ का सामना करना पड सकता है। जनसख्या वृद्धि पर नियत्रण के लिए शिक्षा का विकास आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो के परम्परावादी दृष्टिकोण मे भी बदलाव आवश्यक है। आज व्यक्ति का नाम उसकी सतानों की तुलना मे ज्ञान से अधिक चलता है। अत परिवार सीमित और ज्ञान का खजाना होना चाहिए।

सन्दर्भ

1 *योजना*, अक्टूबर, 1998
2 *योजना*, जुलाई, 1998

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारत मे जनसख्या की प्रमुख समस्याए बताइए।
2 जनसख्या वृद्धि किस प्रकार राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है।
3 भारत मे बेराजगारी का कारण जनसख्या वृद्धि है," स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत की सबसे कठिन समस्या उसकी तेजी से बढती जनसख्या है। इसके समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग मे अध्याय में दी गई जनसख्या की समस्याए लिखिए तथा दूसरे भाग मे जनसख्या वृद्धि को नियत्रित करने के उपाय लिखिए।
2 जनसख्या वृद्धि आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है।
(संकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई भारत मे जनसख्या की समस्याए – आर्थिक विकास पर प्रभाव को लिखना है।)

जनसंख्या नीति तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन
(Population Policy and Family Welfare Measures and Their Evaluation)

भारत में जनसख्या नीति
(Population Policy in India)

जनाधिक्य भारत की मुखर समस्या है। बढती जनसख्या के कारण वनो का विनाश, भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन, कृषि योग्य भूमि की कमी, आवासीय कालोनियो का प्रसार, ऊर्जा की कमी आदि समस्याए उत्पन्न हो गई हैं। भारत मे जनसख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण आम भारतीय की अस्थिर मानसिकता है। देश के आर्थिक विकास के बावजूद भारतीय दम्पत्तियों की मानसिकता अधिक बच्चे पैदा करने की है। अधिक जनसख्या राष्ट्रीय समस्या है किंतु आम भारतीय इस समस्या के प्रति चिन्तित नही है। भारत के सुप्रसिद्ध न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य श्री रगनाथ मिश्र ने एक बार कहा था–"बच्चे को जन्म देकर उसका सही ढग से लालन–पालन न करना मानवाधिकार का खुला उल्लघन है।" इसलिए भूखें, नगे, निरक्षर, अस्वस्थ लोगो की भीड बढाने का कोई अर्थ नहीं है। भारत मे स्वैच्छिक परिवार नियोजन से जनसख्या नियत्रित नहीं हो सकी इसलिए अब *कानून ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनसख्या को नियत्रित किया जा सकता है।* भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम विश्व मे अनूठा था, किंतु पाच दशको मे इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नही मिली। आज अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो के घरो मे बच्चों की सख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का खुला उल्लघन है। ऐसे व्यक्तियो को राजकीय सेवा मे और राजनीति मे कानूनन हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जनसख्या नीति मे परिवार नियोजन कार्यक्रम का उल्लधन करने वाले व्यक्तियो के विरुद्ध कानूनन हतोत्साहित करने के तरीको का उल्लेख किया जाना चाहिए। कानून की सख्ती से क्रियान्विती सुनिश्चित की जानी चाहिए। पाच दशक

की प्रतीक्षा के बाद अब कानून ही ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बाजारो, सडको, बसो, अस्पतालो, सिनेमाघरो, राशन की दुकानो, रेलगाडियो, शिक्षण सस्थाओं मे बढती भीड को कम किया जा सकता है।

विकसित देशो की तुलना में विकासशील देशो मे जनसख्या की समस्या विकट है। भारत मे जनसख्या के मामले में स्थिति और भी भयावह है। भारत में समुदाय विशेष के लोग जनसख्या को स्वेच्छा से नियन्त्रित करने को तैयार नहीं है। देश मे वोट आधारित राजनीति भी इसके लिए बडी सीमा तक उत्तरदायी है। सरकार को बढती जनसख्या को राजनीति से दूर रखने की दिशा में कारगर प्रयास करना चाहिए। विश्व के विभिन्न देशो ने जनसख्या के सुनियोजित विकास के लिए जनसख्या नीति बनाई।

जनसख्या नीति का अर्थ
(Meaning of Population Policy)

जनसख्या नीति का अभिप्राय उस सरकारी मान्यता से होता है जिसके अनुसार जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित किया जाता है। जनसख्या नीति मे जनसख्या को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुरुप नियोजित और नियन्त्रित किया जाता है। जनसख्या नीति के उद्देश्य सभी देशो के लिए समान नहीं होते हैं। जनसख्या नीति का आधार देश विशेष के प्राकृतिक ससाधन और औद्योगीकरण से निर्मित होता है। प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सभी देशों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। प्राकृतिक ससाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त नि शुल्क उपहार है। इस दृष्टि से कुछ देश सम्पन्न और कुछ देश विपन्न होते हैं। प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता और उच्च प्रौद्योगिकी स्तर वाले देश में जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व के देशों में जनसख्या सबधी समस्याए अलग–अलग होने के कारण जनसख्या नीति भिन्न होती है। चीन की जनसख्या नीति जनसख्या को नियन्त्रित करने, जापान की जनसख्या नीति जनसख्या के समान भौगोलिक वितरण, इग्लैण्ड की जनसख्या नीति विदेशी प्रवासियो पर रोक तथा कनाडा की जनसख्या नीति कनाडा मे कुशल श्रमिको के प्रवेश को प्रोत्साहन से सबधित है। भारत की जनसख्या नीति अन्य देशों की तुलना में अलग है। भारत मे जनसख्या वृद्धि विकास मे बाधक बनी हुई है। अत भारत की जनसख्या नीति परिवार नियोजन सबधी नीति है।

राष्ट्रीय जनसख्या नीति, 1976 (National Population Policy, 1976)

स्वातन्त्र्योत्तर 16 अप्रैल, 1976 को काग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री डॉ करण सिह ने जनसख्या वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसख्या नीति की घोषणा की थी। इस जनसख्या नीति की प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं–

1. **विवाह की आयु (Age for Marriage)** जनसख्या नीति 1976 के

अनुसार विवाह की आयु लडकियो के लिए 15 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष और लडको के लिए 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष कर दी गई। विवाह की न्यूनतम आयु मे वृद्धि से जन्म दर कम होगी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पितृत्व का विकास होगा। नीति मे विवाह के पजीकरण करने पर विचार करने की बात की गई है।

2. व्यापक नीति (Vast Policy) : अप्रैल 1976 मे एक व्यापक राष्ट्रीय जनसख्या नीति तैयार की गई, जिसके तहत परिवार नियोजन को सपूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य कार्यक्रमो के साथ, अधिक सार्थक ढग से जोडा गया।

3. सदस्यो की संख्या (No of Members) · भारत बढती जनसख्या की समस्या से ग्रसित है। केन्द्र और राज्य सरकारे जनसख्या नियत्रण के लिए प्रयासरत हैं किंतु कुछ राज्य सरकारो को जनसख्या नियत्रण के प्रयासो से ससद सदस्यो और राज्य विधानसभा सदस्यों की सख्या कम होने का भय उत्पन्न हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य विधानसभाओ और लोकसभा मे प्रतिनिधित्व के लिए 1971 की जनसख्या को ही मानदण्ड मानने का निश्चय किया गया तथा यह व्यवस्था सन् 2001 तक बनी रहेगी।

4. राज्यो को केन्द्रीय सहायता (Central Assistance to States) . केन्द्र सरकार द्वारा • यो को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग राज्यो को परिवार न्यिोजन कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए कहा। राज्य सरकारो द्वारा ऐसा नहीं करने पर उनको प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता कम कर दी जाएगी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता तथा करो की आय के वितरण आदि के लिए 2000 ई तक के लिए 1971 की जनसख्या को ही मानदण्ड रखने का निश्चय किया गया।

5. वन्ध्याकरण के लिए मौद्रिक सहायता (Monetary Assistance for Sterilization) देश के गरीब व्यक्तियो को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के प्रति आकर्षित करने के लिए बन्ध्याकरण कराने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि मे वृद्धि की गई। राष्ट्रीय जनसख्या नीति के अतर्गत 1 मई, 1976 से प्रोत्साहन राशि दो या कम जीवित बच्चो वाले व्यक्तियों को 150 रुपए, तीन जीवित बच्चो वालो को 100 रुपए तथा चार या अधिक जीवित बच्चो वालो को 70 रुपए दी जाएगी। यह प्रावधान स्त्री व पुरुषो पर समान रुप से आज भी लागू है।

6. चन्दे की रकम आय कर से मुक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सरकारी, गैर–सरकारी मान्य सस्थाओ अथवा स्थानीय निकायो को दी जाने वाली चन्दे की पूरी रकम आयकर से मुक्त होगी।

7. समूह प्रेरणा (Group Incentive) . परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र मे जिला परिषदो, पचायत समितियो, शिक्षको, डाक व चिकित्सा व्यवसाय से सबधित व्यक्तियो, मजदूर सघो द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने की दिशा मे सामूहिक

पुरस्कारो की घोषणा की गई। यह पुरस्कार कारखानो मे कैण्टीन गावो मे कुए तथा सामुदायिक केन्द्र आदि के रुप मे दिए जायेगें।

8 जनसख्या शिक्षा (Education Regarding Population) भारत मे स्कूलो और महाविद्यालयो के पाठयक्रमो मे जनसख्या सबधी शिक्षा को सम्मिलित नही करने के कारण युवक व युवतियो को जनसख्या जनित समस्याओं की अधिक जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय जनसख्या नीति मे जनसख्या सबधी घटको को शिक्षा सबधी पाठयक्रमो मे सम्मिलित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूलो–कालेजों मे शिक्षार्थियो को बढती जनसख्या और उसके कुप्रभावो के बारे मे जरुरी जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। इससे छात्र–छात्राओ मे जनसख्या समस्या के बारे मे उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो सकेगी। जनसख्या को शिक्षा मे सम्मिलित करने से छात्र प्रारभ से ही सीमित परिवार के महत्त्व को समझ सकेंगे।

9 लडकियों की शिक्षा (Girls Education) देश मे महिला शिक्षा का नितात अभाव है। तीव्रता से बढती जनसख्या का प्रमुख कारण महिला शिक्षा का अभाव रहा है। अत महिला शिक्षा के विस्तार पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस सम्बध मे पिछडे क्षेत्रो पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए भारत का शिक्षा मत्रालय राज्यो से महिला शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने तथा अधिक वित्तीय ससाधन आवटित करने के लिए कहेगा।

10 सीमित परिवार का सिद्धात (Small Family Principle) केन्द्र सरकार के कर्मचारियो को सीमित परिवार का सिद्धात अपनाना होगा। इसके लिए सेवानियमो मे आवश्यक परिवर्तन किए जाएगें। राज्यो मे परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियो को मकानो व ऋण आदि प्रोत्साहन देने का मामला राज्य सरकारों पर छोड दिया गया है।

11 अनिवार्य वन्ध्याकरण (Compulsary Sterilization) केन्द्र सरकार प्रशासकीय और स्वास्थ्य साधन पर्याप्त नहीं होने के कारण फिलहाल अनिवार्य वन्ध्याकरण का कोई कानून नहीं बनाएगी। राज्य सरकारे चाहे तो इस सबध मे राज्य विधानसभा मे कानून बना सकती है।

राष्ट्रीय जनसख्या नीति में सशोधन 1977
(Amendment in National Population Policy, 1977)

आपातकाल मे तत्कालीन सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे जोर–जबरदस्ती और कुछ गडबडियों आदि के कारण जन असतोष भडका और 1977 के आम चुनावों मे काग्रेस आजादी के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हुई। केन्द्र मे जनता सरकार सत्तारुढ हुई। जनता सरकार के स्वास्थ्य मत्री श्री राज नारायण ने राष्ट्रीय जनसख्या नीति के सशोधित स्वरुप की घोषणा की जिसमें निम्नलिखित सशोधन उल्लेखनीय है–

1 नाम में परिवर्तन (Change in the Title) राष्ट्रीय जनसख्या नीति के

परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। नाम परिवर्तन लोगो का कार्यक्रम के प्रति स्वत आकर्षण बढाने के उद्देश्य से किया गया।

2. क्षतिपूर्ति (Compensation) . परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की है।

3. उपचार (Treatment) : परिवार कल्याण के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियो के निशुल्क उपचार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबदी कराने के बाद दम्पतियो क बच्चे की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे पुन निशुल्क आपरेशन करने का निर्णय लिया गया।

4. स्वैच्छिक कार्यक्रम (Voluntary Programme) परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वैच्छिक बना दिया गया है। आपातकालीन अनिवार्य आपरेशन व्यवस्था को समाप्त किया गया। दम्पत्तियो को परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।

वर्तमान मे वर्ष 1977 मे जनता सरकार द्वारा लागू किए गए सशोधन तथा शेष बातें राष्ट्रीय जनसख्या नीति 1976 की लागू हैं। वर्तमान मे परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है लेकिन वास्तव मे नये नाम के अनुरुप, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। परिणामस्वरुप पाचवी पचवर्षीय योजना के अतिम दो वर्ष (1977-78, 1978-79) तथा वार्षिक योजना 1979-80 मे परिवार कल्याण की दिशा मे प्रगति नहीं हो सकी। परिवार कल्याण कार्यक्रम मे उदार नीति आत्मसात करने के कारण जनसख्या वृद्धि को नियत्रित करने के प्रयासो को झटका लगा। नसबदी आपरेशनो की सख्या 1976-77 मे 82 लाख थी जो घटकर 1977-78 मे केवल 6 4 लाख रह गई। लूप लगाने मे भी 60 प्रतिशत की कमी हुई। लेकिन बाद के वर्षों मे, एक बार फिर परिवार कल्याण कार्यक्रमो मे राष्ट्र की आस्था पुन पैदा हुई और बढती जनसख्या पर रोक लगाने के लिए, दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारित करने की दिशा मे, कई नए कदम उठाए गए, जिनके दूरगामी परिणाम की आशा है।

भारत की जनसंख्या नीति की आलोचनाएं
(Criticisms of India's Population Policy)

भारत मे जनसख्या को नियत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई जनसख्या नीति की अनेक लोगो ने कटु आलोचनाए की है। जनसख्या नीति की प्रमुख आलोचनाए निम्नलिखित है–

1. विलम्ब से घोषणा (Late Declaration) . भारत मे बढती जनसख्या की समस्या आजादी के प्रारभिक वर्षों मे ही उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 1951 मे भारत की जनसख्या 36 1 करोड थी तथा जनसख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1 25

प्रतिशत थी। जनसख्या वढकर 1971 मे 54 8 करोड हो गई तथा जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बढकर 2 20 प्रतिशत हो गई। इसके बावजूद भी भारत मे जनसख्या की नीति की घोषणा नहीं की गई। जनसख्या नीति की घोषणा स्वतत्रता के 29 वर्षो बाद वर्ष 1976 मे की गई। भारत की जनसख्या इस समय तक तीव्रता से बढ चुकी थी। यदि स्वतत्रता के प्रारभिक वर्षो मे ही जनसख्या नीति की घोषणा कर दी जाती तो बढती जनसख्या को शुरु मे ही नियत्रित किया जा सकता था।

2. अनिवार्यता का अभाव (Lack of Compulsarity) · भारत मे जनसख्या नीति स्वैच्छिक है। जनसख्या नियत्रण के लिए जो उपाय नीति मे सुझाये गए हैं उनको अपनाने के लिए इस नीति में सर्वथा अभाव है। देश मे जनसख्या की बहुलता को देखते हुए दो बच्चों के बाद नसबदी आपरेशन कानूनन अनिवार्य होनी चाहिए।

3. यौन शिक्षा की उपेक्षा (Negligence of Sex Education) : जनसख्या नीति मे यौन शिक्षा की उपेक्षा उचित नहीं है। यद्यपि सरकार ने जनसख्या और यौन शिक्षा को पाठयक्रमो मे सम्मिलित करने को सिद्धातत स्वीकार किया है। किंतु सरकार का दृष्टिकोण इस दिशा में उदासीन दृष्टिगोचर होता है। यौन शिक्षा को पाठयक्रमो का अनिवार्य अग बना दिया जाना चाहिए जिससे युवक–युवतिया पहले ही सतर्क हो जाए।

4. ऊचे लक्ष्य (High Aims) पचवर्षीय योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य उचे निर्धारित किये गए हैं उन्हे प्राप्त नहीं किया जा सका है। योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय प्रावधान की तुलना मे वास्तविक व्यय बहुत कम हुआ है। नसबदी आपरेशन के लक्ष्य भी ऊचे निर्धारित किए जाते हैं किंतु परिवार नियोजन की अनिवार्यता के अभाव मे प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

5. अकुशल क्रियान्वयन (Inefficient Implementation) : जनसख्या नीति केन्द्र सरकार ने तैयार की है किंतु इसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारे पर्याप्त अनुदान के अभाव मे क्रियान्वयन मे रुचि नहीं लेती हैं।

6. सैद्धातिक विवेचन (Theoritical Interpretation) . भारत की जनसख्या नीति सैद्धातिक अधिक तथा व्यावहारिक कम है। इस नीति को देश के सभी धर्मो तथा वर्गो पर लागू करने मे अनेक व्यावहारिक कठिनाइया उपस्थित हुई हैं।

सशाधित जनसख्या नीति की घोषणा को दो दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान जनसख्या की सरचना मे व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान मे देश की जनसख्या की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन जनसख्या नीति की आवश्यकता है। जनसख्या नीति ऐसी हो जो बढती जनसख्या को

नियत्रित करने मे कारगर हो। जनसख्या नीति स्वैच्छिक नहीं हो, इसे अनिवार्य घोषित किया जाए। आज जनसख्या का मामला देश के विकास से सीधा जुडा हुआ है। अत जनसख्या सबधी निर्णय राजनीति प्रेरित नहीं होने चाहिए।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम
(Family Welfare Programme in India)

विश्व का 2 4 प्रतिशत भू–भाग ही भारत मे है जबकि विश्व की कुल आबादी का 14 6 प्रतिशत भाग यहा निवास करता है। यह एक कटु सत्य है कि स्वातन्त्र्योत्तर 50 वर्षो मे देश की जनसख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। पिछले दशको मे एक ओर जनसख्या वृद्धि तीव्र हुई वहीं दूसरी ओर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओ मे विस्तार के कारण मृत्यु दर मे कमी हुई। मनुष्य के जीवित रहने की औसत आयु मे वृद्धि हुई परिणामस्वरुप भारत मे जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हुई। भारत मे जनसख्या वृद्धि की सचयी दर राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की सचयी दर से अधिक है। जनसख्या वृद्धि की ऊची दर देश के आर्थिक विकास मे बाधक है। भारत ने बढती हुई जनसख्या की समस्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति के रुप मे अपनाया। परिवार नियोजन की पहल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था।

भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम समय की सबसे बडी आवश्यकता बन गया है। वर्तमान मे राजकीय प्रयासो और लोगो की जागरुकता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढावा मिला और यह लोगो का जाना पहचाना कार्यक्रम बन गया है। भारत म परिवार नियोजन का प्रतीक 'लाल त्रिकोण' चर्चित रहा है। समूचे देश मे परिवार नियोजन का सदेश पहुचा। छोटे परिवार के बारे मे आम लोगो के मन म एक चेतना जागृत हुई। यह अलग बात है कि आज भी लोगो की मनोवृत्ति अधिक बच्चा के प्रति ही है।

पूर्व प्रधानमत्री इदिरा गाधी ने परिवार नियोजन को एक जन आदोलन बनाने की जरुरत पर जोर देते हुए कहा था "हम अपने बच्चो को एक ऐसा ससार देना चाहते हैं, जो हमारे आज के ससार से हर लिहाज से बेहतर, खूबसूरत और खुशहाल हो" परिवार नियोजन को सुखी और खुशहाल जीवन की कुजी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत मे परिवार नियोजन की आवश्यकता के सबध मे डा चद्रशेखर के विचार महत्त्वपूर्ण हैं' उनके अनुसार 'हम बहुत जल्दी मे है और एक रात की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते है।पाच मिनट की हर भूल से बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रतिवर्ष देश मे एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसख्या जुड जाती है। परिवार नियोजन के बिना प्रत्येक बात हमारे लिए एक भयावह स्वप्न है।" बढती जनसख्या के सबध मे डा सी लेमेण्ट मार्केट के विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं उनके अनुसार "जो राष्ट्र मृत्युदरों को नियन्त्रित करते हैं उन्हे जन्म दरो को भी नियन्त्रित करना चाहिए या ऐसे समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए जबकि उनके निवासियो को खडा रहना पडेगा क्योकि उस समय न बैठने की

जगह होगी ओर न लेटने की।" डा मार्केट क कथन से भारत को सचेष्ट होने की जरुरत है। यदि भारत की बढती जनसख्या नियत्रित नहीं होती है तो भारत के साम ेऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऋग्वेद म भी बडे परिवार के प्रति दोष सबधी कथन का उल्लेख है कि "एक मनुष्य जिसका परिवार बडा है दु खो मे डूब जाता है।

परिवार कल्याण का अर्थ (Meaning of Family Welfare)

परिवार कल्याण का अर्थ है परिवार को नियाजित करना या सीमित रखना। परिवार से अभिप्राय है पति–पत्नी और उनके बच्चे। परिवार कल्याण का मतलब ह कि विवाह के बाद पति–पत्नी मिलकर, आपस म सलाह–मशविरा करके, यह तय कर कि घर मे कितने बच्चे होंगे, कब–कब होगे तथा परिवार में कब और बच्च नहीं चाहिए। बच्चो की सख्या को दा तक सीमित रखा जाए तो अच्छा है। एस परिवारा को नियोजित परिवार कहा जाएगा। वर्तमान में भारत में जनसख्या की बहुलता ओर उससे उत्पन्न समस्याआ को दृष्टिगत रखत हुए परिवारा को एक बच्च तक सीमित रखे जाने की महती आवश्यकता है। परिवार नियोजन मूल रुप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश की बेहतरी और खुशहाली की कुजी है।

परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को सतर्क रुप से सीमित रखना अथवा बच्चो के जन्म म पर्याप्त अतर रखना। परिवार नियोजन म अविवेक पूर्ण मातृत्त्व पर राक लगाई जाती है इसके अलावा सतानहीन को मातृत्व लाभ दिलाना है।

परिवार कल्याण के उद्देश्य (Objectives of Family Welfare)

परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसे अपनाकर व्यक्ति परिवार को सीमित, अविवेकपूर्ण मातृत्त्व पर रोक तथा सताना का समुचित पालन–पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का उद्देश्य है बच्चे का जन्म इच्छा स हो चूक से नहीं, सोच समझकर हा, सयोग से नहीं। भारत म परिवार कल्याण कायक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1 सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। एक परिवार मे सतानों की सख्या दो तक सीमित हा ताकि उनका भली–भाति पालन पोषण किया जा सक।

2 सतानोत्पत्ति के बीच अतराल हो जिससे मा के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे और बच्चे की देखभाल भी उचित रुप से हा सके।

3 सतानोत्पत्ति नियत्रण के तरीकों की जानकारी देना तथा सतानोत्पत्ति नियत्रण क सस्ते साधन मुहैया कराना।

4 परिवार नियोजन क तरीकों की खाज व अनुसधान कार्यो का प्रोत्साहन देना।

5 जनसख्या की विस्फोटक स्थिति को नियन्त्रित करना।
6 जनसख्या मे गुणात्मक सुधार करना।
7 परिवार कल्याण कार्यक्रम से परिवारो की सामाजिक एव आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना।

परिवार कल्याण के तरीके (Methods of Family Welfare)

भारत म परिवार को सीमित रखने के लिए अनेक तरीके काम मे लेने के लिए उपलब्ध हैं। दम्पत्ति सुविधानुसार परिवार नियोजन के साधन काम मे ले सकते हैं।

1. निरोध गर्भनिरोधक उपायो मे 'निरोध' सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। इसका इस्तेमाल दिन–प्रतिदिन बढ रहा है। यह एक सस्ता, सरल और विश्वसनीय साधन हे। इसका प्रयोग अधिकतर दो बच्चो के जन्म मे अतर रखने के लिए किया जाता है। नवदम्पत्ति निरोध का इस्तेमाल पहले बच्चे के जन्म को कुछ वर्षो तक टालने के लिए करते हैं ताकि वे विवाहित जीवन का अधिकाधिक आनद ले सके।

निरोध परिवार कल्याण का एक यात्रिका तरीका है। भारत मे निरोध का उत्पादन हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता हे। इसकी स्थापना 1966 मे सार्वजनिक उपक्रम के रुप मे त्रिवेन्द्रम मे की गई। इस कारखाने की प्रारभिक उत्पादन क्षमता 14 करोड 40 लाख निरोधो की थी। वर्ष 1977 मे इतनी ही क्षमता वाला एक और प्लाट लगाया गया था। इस प्रकार इसकी क्षमता बढकर 28 करोड 80 लाख निरोध प्रति वर्ष हो गई। विस्तार प्रोजक्ट के अन्तर्गत बलगाव मे एक ओर निरोध उत्पादन प्लाट लगाया गया।

2. नसबदी तथा आपरेशन परिवार कल्याण के स्थायी साधनो मे पुरुष और महिला नसबदी को ज्यादा अपनाया जा रहा है। इसमे पुरुष व स्त्री का आपरेशन करके सन्तानोत्पत्ति करने वाली नस को बाध दिया जाता है। नसबदी को परिवार पूरा हो जाने पर अपनाया जाता है ताकि आगे बच्चे के जन्म की चिन्ता से बचा जा सके। प्रारम्भिक वर्षो में सरल और आसान होने के कारण पुरुष नसबदी को खूब बढावा मिला लेकिन पिछले वर्षो में लैपरोस्कोपि विधि से महिला नसबदी बहुत लोकप्रिय हो रही है।

3 सयम प्राचीन काल मे परिवार को सीमित रखन के लिए सयम रखा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति 25 वर्ष बह्मचर्य आश्रम मे रहता था। व्यक्ति का विवाहित जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष तक सीमित था। जनसख्या को नियन्त्रित करने क लिए ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। देर से शादी ओर सयम परिवार नियोजन का उपयुक्त तरीका है। वर्तमान मे सयम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है' नवविवाहित दम्पत्ति के लिए सयम की बात करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भूखे के सामने स्वादिष्ट व्यजन परोसकर उसे खाने से रोकने की सलाह देना है।

4 रासायनिक तरीके (Chemical Methods) परिवार कल्याण के क्षेत्र मे अनुसधान जारी है। वर्तमान मे परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक खाने की गोलिया का प्रयोग किया जाता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति
(Progress of Family Welfare Programme)

भारत मे स्वतत्रता के प्रारभिक वर्षों से ही जनसख्या को नियन्त्रित करने के प्रयास किए गए। भारत दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय नीति के रुप मे अपनाया। परिवार नियोजन को राष्ट्रीय विकास योजनाओ का एक अभिन्न अग माना गया है। स्वातन्त्र्योत्तर 1951 मे देश के नियोजित विकास के लिए प्रयास शुरु किए गए। इसके लिए पचवर्षीय योजनाएँ बनाई गई। पहली पचवर्षीय योजना के साथ ही बढती जनसख्या और उस पर नियत्रण की बात भी महसूस की गई। यह भी अनुभव किया गया कि जन साधारण का जीवन स्तर ऊचा उठाने और लोगो के जीवन मे सुख समृद्धि लाने के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यो को जनसख्या के साथ जोडा जाए। उस समय यह माना गया कि लोगो के जीवन स्तर मे सुधार और शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार विशेष तौर पर महिलाओ मे जन्म दर मे कमी लाने मे सहायक सिद्ध होगा। लेकिन साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके अपनाने और उन पर अमल करने की जरुरत भी महसूस की गई। इसी के अनुरुप देश मे 1952 मे परिवार नियोजन का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पाच दशको के नियोजन काल मे परिवार कल्याण कार्यक्रम मे निम्नवत प्रगति हुई

1 प्रथम पचवर्षीय योजना 1951 56 (First Five Year Plan) प्रथम पचवर्षीय योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारभिक अवस्था मे था यद्यपि उस समय भी प्रजनन सक्षम दम्पत्तियो को परिवार नियोजन सबधी सलाह तथा साधन और सेवाए सुलभ कराने का प्रयास किया गया। पहली पचवर्षीय योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 65 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 0 13 प्रतिशत था। इस योजना मे परिवार नियोजन पर वास्तविक व्यय केवल 18 लाख रुपए ही हुआ। योजनावधि मे 1953 मे परिवार नियोजन अनुसधान एव कार्यक्रम समिति तथा 1954 मे परिवार नियोजन अनुसधान आयाग गठित किए गए। योजना मे परिवार नियोजन मे रुचि रखने वाले दम्पत्तियो को सलाह और चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने के लिए कुछ केन्द्रो की स्थापना की गई।

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956 61 (Second Five Year Plan) दूसरी योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम को बडे पैमाने पर लेने और जनसख्या वृद्धि पर काबू पाने के लिए सक्रिय प्रयास करने का काम शुरु किया गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 4 97 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 3 05 करोड रुपए हुआ। योजनावधि मे परिवार

नियोजन कार्यक्रमो का काफी विस्तार हुआ। कुछ राज्यो मे स्वैच्छिक नसबदी की सुविधाए और सेवाए सुलभ की गई। 31 मार्च 1961 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो (Primary Health Centres) की सख्या 2565 थी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर योजना परिव्यय (वास्तविक)

(करोड रुपए)

पचवर्षीय योजनाए	समयावधि	परिवार कल्याण पर योजना परिव्यय (वास्तविक)	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
प्रथम पचवर्षीय योजना	1951 56	0 18	0 09
द्वितीय पचवर्षीय योजना	1956 61	3 05	0 07
तृतीय पचवर्षीय योजना	1961 66	24 9	0 3
वार्षिक योजना	1966-69	70 4	1 1
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	1969 74	278 0	1 8
पाचवी पचवर्षीय योजना	1974 79	491 8	1 2
वार्षिक योजना	1979 80	118 5	1 0
छठी पचवर्षीय योजना	1980 85	3412 2	3 1
सातवीं पचवर्षीय योजना	1985 90	3120 8	1 4
वार्षिक योजनाए	1990 92	1805 5	1 5
आठवीं पचवर्षीय योजना	1992 97 (प्रावधान)	6500 00	1 5
नौवी पचवर्षीय योजना	1997 2002 (प्रावधान)		
	1997 98 (सशोधित)	1829 4	1 3
	1998 99 (बजट)	2489 4	2 4
	1999 2000 (बजट)	2920 0	2 8

स्रोत *इकोनोमिक सर्वे* 1998 99 से सकलित।

3 **तृतीय पचवर्षीय योजना 1961-66** (Third Five Year PLan) परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति और स्फूर्ति मिली। जनसख्या वृद्धि को देश की प्रगति और विकास के लिए बडी बाधा माना गया। योजना मे जनसख्या वृद्धि को स्थिर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तीसरी योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 27 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 24 9 करोड रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 0 3 प्रतिशत था। तीसरी योजना के अतिम वर्ष यानी 1966 मे स्वास्थ्य मत्रालय मे अलग से परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई जो अपने आप मे एक सपूर्ण विभाग था। *इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम को नए रुप मे गठित करने और इसमे तेजी लाने* मे मदद मिली। तीसरी योजना मे 13 3 लाख नसबदी आपरेशन किये गए तथा 4

लाख लूप लगाए गए।

4 **तीन वार्षिक योजनाए 1966 69 (Three Annual Plans)** तीन वार्षिक योजनाओ म परिवार नियोजन कार्यक्रमो को गति दी गई। तीनो वार्षिक योजनाओ म परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 70 4 करोड रुपए व्यय किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 1 1 प्रतिशत था।

5 **चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969 74 (Fourth Five Year Plan)** चौथी योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गति प्रदान करने के प्रयत्न किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जरुरत और अहमियत को समझते हुए चौथी योजना मे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। जनसख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए एक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया। चौथी योजना मे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 315 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 278 करोड रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 1 8 प्रतिशत था। इस योजना मे 100 लाख नसबदी की गई 24 लाख लूप लगाए गए तथा 24 लाख व्यक्तियो ने परिवार नियोजन के अन्य साधनो का प्रयोग किया गया। योजना के अत मे सुरक्षित दम्पत्ति 15 प्रतिशत थे। वर्ष 1972 मे गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई।

6 **पाचवी पचवर्षीय योजना 1974 79 (Fifth Five Year Plan)** योजनावधि मे परिवार नियोजन कार्यक्रमो के क्रियान्वयन मे सख्ती बरती गई। नसबदी के लिए जोर जबरदस्ती की गई। जनता सरकार देश म सत्तारुढ हुई। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया। योजनावधि के अतिम दो वर्षो मे 1977–78 व 1978–79 मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो की गति को धक्का लगा। पाचवी योजना मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 491 8 करोड रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 1 2 प्रतिशत थ। पाचवी योजना मे 143 लाख नसबदी आपरेशन किए गए तथा 19 5 लाख लूप लगाए गए। योजना मे सुरक्षित दम्पत्ति का प्रतिशत 22 8 था।

7 **वार्षिक योजना 1979 80 (Annual Plan)** वर्ष 1979–80 की वार्षिक योजना म परिवार कल्याण कार्यक्रमो पर 118 5 करोड रुपए व्यय किए गए जो वार्षिक योजना परिव्यय का एक प्रतिशत था।

8 **छठी पचवर्षीय योजना 1980 85 (Sixth Five Year Plan)** छठी योजना म चिकित्सा और परिवार कल्याण पर 2831 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था वास्तविक व्यय 3 412 2 करोड रुपए हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 3 1 प्रतिशत था। योजना मे 170 लाख नसबदी आपरेशन 70 लाख लूप (आई यू डी) तथा 110 लाख निरोध काम म लिए गए। योजनावधि मे सुरक्षित दम्पत्तियो का प्रतिशत 32 था।

सातवीं योजना मे परिवार कल्याण के लक्ष्य

सातवीं योजना (1985-90)	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
परिवार कल्याण परिव्यय (करोड रुपए)	3256 3	3120 8
बन्ध्याकरण (लाख)	310 0	200 0
आई यू डी, लूप (लाख)	212 5	212 0
परिवार नियोजन के अन्य साधनो के उपयोगकर्ता (लाख)	145	110 0
सुरक्षित दम्पत्तियो का प्रतिशत	42	43 3

9. सातवीं पचवर्षीय योजना 1985 90 सातवीं योजना मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 3,256 3 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 3,120 8 करोड रुपए हुआ था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 1 4 प्रतिशत था। सातवीं पचवर्षीय योजना मे परिवार कल्याण के अधिक व्यापक लक्ष्य निर्धारित किये गए।

सातवीं योजना मे परिवार कल्याण के साधनो को अपनाने वाले सुरक्षित दम्पत्तियो का प्रतिशत 42 के मुकाबले 43 3 प्रतिशत पहुच गया। योजनावधि मे 200 लाख नसबदी आपरेशन किए गए तथा 212 लूप लगाए गए। योजनावधि मे बच्चो के जन्म मे अतर, लडकियो के प्रति भेदभाव कम करने तथा विवाह सबधी कानून को प्रभावी ढग से लागू करने पर बल दिया गया।

10 वार्षिक योजनाए 1990 92 (Annual Plan) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 1990–91 मे 782 2 करोड रुपए तथा 1991–92 मे 1,023 3 करोड रुपए व्यय किये गए जो वार्षिक योजना परिव्यय का क्रमश 1 3 प्रतिशत तथा 1 6 प्रतिशत था। वर्ष 1990–91 मे 12 56 लाख बन्ध्याकरण, 17 67 लाख लूप तथा 156 80 अन्य तरीके परिवार नियोजन के लिए काम मे लिए गए। वर्ष 1991–92 मे 40 55 लाख बन्ध्याकरण तथा 43 21 लाख लूप लगाए गए इसके अलावा 153 76 लाख लोगो ने परिवार नियोजन के अन्य तरीके अपनाए।[1]

11 आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 (Eight Five Year Plan) आठवी योजना मे परिवार कल्याण पर 6 500 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था। योजनावधि के दौरान वार्षिक योजनाओ मे परिव्यय की स्थिति को तालिका मे दर्शाया गया है।

आठवी योजना मे कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 1 5 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अत मे जन्म दर का घटाकर 26 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा 5 करोड नसबदी आपरेशन तथा 5 करोड लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया। योजनावधि मे

परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालो की सख्या 1992–93 मे 266 55 लाख 1993–94 मे 252 07 लाख 1994–95 म 323 89 लाख तथा 1995–96 मे 334 64 लाख थी।

आठवीं योजना मे परिवार कल्याण परिव्यय

(करोड रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	वार्षिक योजना का प्रतिशत
1992 93	1008 1	1 4
1993 94	1312 6	1 5
1994 95	1684 9	1 7
1995 96	1743 5	1 6
1996 97	223 7	0 2

11 नौवीं पचवर्षीय योजना 1997 2002 (Ninth Five Year Plan) नौवीं योजना मे परिवार कल्याण पर 1997–98 मे 1 822 2 करोड रुपए खर्च किया गया जो 1997–98 की वार्षिक योजना परिव्यय का 2 6 प्रतिशत था। परिवार कल्याण पर 1998–99 मे 2 253 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) खर्च किया गया जो 1998–99 की वार्षिक योजना परिव्यय का 1 4 प्रतिशत था। परिवार कल्याण पर 1999 2000 मे 2 920 करोड रुपए (बजट अनुमान) खर्च किया गया।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धिया

(Achievements of Family Welfare Programme)

भारत म परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकारी स्तर पर 1952 मे अपनाया गय था। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू हुए 1998 मे 46 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आठवीं पचवर्षीय योजना के पूर्ण होन तक परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 15 825 करोड रुपए व्यय हो चुका है। भारत मे आपात काल के दौरान 1976–77 म 82 6 लाख नसबदी आपरेशन किए गए थे। वतमान मे परिवार कल्याण कार्यक्रम का सचालन पूर्णत स्वैच्छिक रुप से किया जा रहा है। गत पाच दशको म परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनेक उपलब्धिया अर्जित की हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धिया निम्नलिखित है–

1 परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि (Increase in Expenditure on Family Welfare Programme) भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत वास्तव म प्रथम पचवर्षीय याजना मे हुई। विभिन्न पचवर्षीय याजनाओं मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पचवर्षीय योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो पर व्यय इस प्रकार रहा – प्रथम पचवर्षीय योजना 18 लाख रुपए द्वितीय पचवर्षीय योजना 3 05 करोड रुपए तृतीय पचवर्षीय योजना

249 करोड रुपए, चतुर्थ पचवर्षीय योजना 278 करोड रुपए पाचवी पचवर्षीय योजना 4918 करोड रुपए, छठी पचवर्षीय योजना मे 3,4122 करोड रुपए, सातवी पचवर्षीय योजना 3,1208 करोड रुपए तथा आठवीं पचवर्षीय योजना 6,500 करोड रुपए (प्रावधान)।

2 **परिवार कल्याण केन्द्रो की स्थापना** (Establishment of Family Welfare Centre) परिवार कल्याण केन्द्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं। इन केन्द्रो ने शहरो एव गावो मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारत मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या 1951 में 725 थी जो बढकर 1991 मे 20,450 तथा 1996 मे और बढकर 21,853 हो गई। उपकेन्द्रो को सख्या 1991 मे 1,30,984 थी जो बढकर 1996 मे 1,32,727 हो गई।[5]

3 **जन्म नियत्रण तरीके** (Methods to Control Birth Rate) भारत मे वर्तमान मे चार प्रकार के जन्म नियत्रण तरीके उपलब्ध हैं ये हैं बन्ध्याकरण, लूप, निरोध तथा खाने की गोलिया। भारत मे परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालो की सख्या 1989–90 मे 2152 लाख थी जो 1990–91 मे 18703 लाख, 1991–92 में 23752 लाख, 1992–93 मे 26655 लाख, 1993–94 मे 25207 लाख, 1994–95 मे 32389 लाख तथा 1995–96 मे और बढकर 33464 लाख हो गई। वर्ष 1995–96 ने 4380 लाख बन्ध्याकरण, 6810 लाख लूप तथा 22274 लाख अन्य तरीके काम ' लिये गए।

4 **गर्भ की समाप्ति** (End of Pregnancy) भारत मे महिलाओ को स्वास्थ्य सबधी जोखिम से बचाने के लिए गर्भ समाप्ति अधिनियम 1971 मे लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाए 20 हफ्ते तक गर्भ समाप्त कर सकती है। अप्रेल 1972 मे सरकार ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, ताकि अवाछित सन्तानोपत्ति को रोका जा सके। गर्भपात तभी किया जा जाता है जब यह लगे कि गर्भ का परिणाम अस्वस्थ बच्चे का जन्म होगा या लगातार गर्भ धारण से मौजूदा हालत मे मा के स्वास्थ्य को नुकसान होने की सभावना हे या फिर गर्भ निरोध उपाय विफल हो गए हो। पहली तिमाही मे गर्भपात सुरक्षित होता है। महिलाओ को स्वास्थ्य की क्षति कम करने के लिए मासिक धर्म के रुकते ही गर्भ समाप्ति के लिए जाना चाहिए। भारत मे अप्रेल 1972 मे कार्यक्रम शुरु होने से लेकर सितम्बर 1993 तक गर्भ समाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत 906 करोड गर्भ समाप्त किए गए हैं।[6]

5 **माता और स्वास्थ्य कार्यक्रम** (Mother and Health Programme) · विश्व लक्ष्य "सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' के सदर्भ मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 कार्यरत है। इसके अन्तर्गत सन 2000 तक माता और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल से सबधित मानकीय लक्ष्य रखे गए हैं। ये लक्ष्य हैं –(क) शिशु मृत्यु दर को घटाकर 60 प्रति हजार से नीचे लाना, (ख) मातृ मृत्यु दर को घटाकर 200

प्रति लाख से नीचे लाना (ग) चार वर्ष तक की आयु के बच्चा की मृत्यु दर 10 प्रति एक हजार से नीचे लाना। गौरतलब है कि भारत के महापंजीकरण कार्यक्रम द्वारा चलाई गई नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 1992 मे शिशु मृत्यु दर 79 प्रति हजार थी। देश के विभिन्न भागा मे मातृ मृत्यु की मौजूदा मृत्यु दर 400 से 600 प्रति एक लाख है तथा बच्चा की मृत्यु दर 1990 म अनुमानत 263 प्रति हजार है।

माता एव शिशु स्वास्थ्य सबधी लक्ष्या का प्राप्त करने क लिए भारत सरकार ने 1992 म बाल जीवन रक्षा एव सुरक्षित मातृत्व (सी एस एस एम) कार्यक्रम शुरु किया। यह कार्यक्रम माताओ एव शिशुओ के लिए पोषाहार अनाव तथा विटामिन ए की कमी दूर करने की प्रोफिलैक्सिस परियोजनाओ, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी ए आर आइ कार्यक्रम तथा दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को टीकाकरण कार्यक्रम स मिलाकर बनाया गया है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध रुप स चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दोनो पहलू बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व देश के सभी जिलो मे लागू है। कार्यक्रम के परिणामस्वरुप 1984 मे शिशु मृत्यु दर 104 प्रति हजार थी जो 1994 में 74 प्रति हजार तक आ गई है।

6 जन्म दर में कमी (Decrease in Birth Rate) परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से देश मे जन्म दर म थोडी कमी हुई है यद्यपि यह अभी भी अधिक बनी हुई है। भारत मे जन्म दर 1951–61 मे 41 7 प्रति हजार थी जो घटकर 1981 म 37 2 प्रति हजार तथा 1992 में और कम होकर 29 प्रति हजार रह गई। आठवीं पचवर्षीय योजना के अत तक (मार्च, 1997) जन्म दर 26 0 प्रति हजार करने का लक्ष्य था।

7 दम्पत्ति सरक्षण दर (Couple Protection Rate) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण सुरक्षित दम्पत्तिया का प्रतिशत बढा है। भारत मे सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत 1970–71 म केवल 10 4 प्रतिशत था जो बढकर 1981 म 22 8 प्रतिशत तथा 1992–93 म और बढकर 43 4 प्रतिशत हो गया। आठवीं पचवर्षीय योजना के अत तक मार्च 1997 दम्पत्ति सरक्षण दर 56 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य था। देश म लगभग 15 करोड सन्तानोत्पत्ति योग्य दम्पत्ति है।

8 परिवार नियोजन उपकरणों का उत्पादन और वितरण (Production and Distribution of Family Planning Instruments) देश में परिवार नियोजन उपकरणों का बडे पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। 'निरोध' के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र क अन्तर्गत 1966 में 'हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटड' कारखाना त्रिवेन्द्रम म लगाया गया इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 1977 म 28 करोड 80 लाख निरोध प्रति वर्ष थी। बगलौर और कानपुर म भी निरोध बनाने के कारखाने है। देश म सर्वत्र सस्ती और रियायती दरो पर निरोध उपलब्ध हैं। परिवार नियोजन केन्द्रो म तो निरोध और गर्भ निरोधक गोलिया नि शुल्क वितरित की जाती हैं।

9 अनुसधान (Research) भारत मे 18 लाख जनसख्या केन्द्रो के माध्यम से जनसाख्यिकी तथा सचार कार्य के क्षेत्र मे गतिविधिया जारी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद् केन्द्रीय औषधि अनुसधान सस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय सस्थान प्रजनन जीव विज्ञान तथा सन्तानोत्पत्ति नियत्रण के क्षेत्र मे जैव चिकित्सा अनुसधान कार्यो मे लगे हैं।

10 प्रशिक्षण (Training) नर्स दाई के लिए देश मे कार्यरत 463 प्रशिक्षण स्कूल हैं जिनमे 19 276 की प्रवेश क्षमता है। नर्स दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 18 महीने है और इसके लिए आधारभूत शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। देश मे 81 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण स्कूल हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है और आधारभूत शैक्षिणिक योग्यता 10वीं पास है। वर्ष 1994 मे 1 25 121 नर्स दाई और 64 416 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता ग्रामीण क्षेत्र मे कार्यरत थे।[7]

11 लोकप्रियता (Popularity) भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक है। शहरो तथा दूर दराज के गावो मे रहने वाले लगभग 15 20 करोड प्रजनन–वय दम्पत्तियो तक पहुचने के लिए व्यापक जन प्रशिक्षण तथा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया। सूचना और प्रसारण मत्रालय तथा अन्य प्रचार सगठनो द्वारा इसका कार्यान्वियन किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति देश मे अनुकूल वातावरण बना है। आज दम्पत्ति कितना सुदर कितना प्यारा छोटा सा परिवार हमारा के सिद्धात पर विश्वास करने लगा है। दम्पत्ति परिवार नियोजन के उपकरणो के उपयोग के लिए जागरुक हुए हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमिया/बाधाए/कठिनाइया
(Shortcoming, Obstacles, Problems of Family Welfare Programme)

विश्व मे परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले सरकारी स्तर पर भारत मे 1952 मे प्रारभ किया गया था इसके बावजूद भारत आज जनसख्या विस्फोट की स्थिति मे पहुच गया है। भारत जनसख्या के आकार की दृष्टि से चीन के बाद विश्व मे सबसे अधिक जनसख्या वाला देश है। भारत मे आज भी जन्म दर विश्व के देशो की तुलना मे अधिक बनी हुई है। यह बात भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता को दर्शाती है। भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं –

1 शिक्षा का अभाव (Lack of Education) भारत मे परिवार नियोजन की विफलता मे शिक्षा का अभाव प्रमुख कारण है। भारत मे शिक्षा का नितात अभाव है। महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1991 मे साक्षरता दर 51 21 प्रतिशत थी। महिला साक्षरता दर केवल 39 29 प्रतिशत ही थी। स्पष्ट है कि भारत मे वर्ष 1991 मे 48 79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। निरक्षर व्यक्तियो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो के प्रति जागरुकता का अभाव होता है। परिवार को सीमित करने के मामले मे निरक्षर व्यक्तियो को ही क्यो

दोप दिया जाए। भारत मे तो अभी भी शिक्षित व्यक्तियों मे परिवार को सीमित रखने की प्रवृत्ति अधिक विकसित नहीं हो सकी है।

2. गरीबी (Poverty) भारत मे गरीबी प्रमुख समस्या है। स्वतत्रता के पाच दशक और आठ पचवर्षीय योजनाओ की समाप्ति के बाद भी देशवासियों को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल सका है। आज भी लगभग 20 प्रतिशत जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है।गरीब को पहले भरपेट भोजन की आवश्यकता है उसके बाद ही वह परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे मे सोच सकता है। गरीब परिवार इस स्थिति मे नहीं है कि वे गर्भनिरोधक के तरीके काम मे ले सके। यद्यपि सरकार परिवार कल्याण केन्द्रो के माध्यम से गर्भनिरोधक के तरीके यथा निरोध व खाने की गोलिया नि शुल्क मुहैया कराती है किंतु गरीब लोग अज्ञानता और सकोच के कारण इन सुविधाओ का लाभ नही उठा पाते हैं।

3 सुरक्षित दम्पत्तियो का अभाव (Lack of Secured Couples) : वर्तमान में भारत मे लगभग 15 करोड प्रजनन–वय दम्पत्ति है। वर्ष 1992–93 मे सुरक्षित दम्पत्ति केवल 43 4 प्रतिशत थे जिन्हाने परिवार कल्याण कार्यक्रमो को अपनाया। देश मे लगभग 57 प्रतिशत दम्पत्ति ऐसे हैं जिन्होने परिवार कल्याण कार्यक्रम को नहीं अपनाया है। परिवार कल्याण से असुरक्षित दम्पत्ति परिवार सीमा का खुला उल्लघन कर रहे हैं।

4 कम प्रचार प्रसार (Lack of Propganda) देश की बहुतेरी जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है। ग्रामीण जनसख्या का बडा भाग निर्धन और निरक्षर है। गावो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो का बहुत कम प्रचार–प्रसार है। गावों में चिकित्सा सुविधा और परिवार नियोजन केन्द्रो का अभाव है। गावो मे चिकित्सक बहुत कम पहुचते हैं। चिकित्सा सुविधाओ के अभाव मे गावो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

5 यौन शिक्षा का अभाव (Lack of Sex Education) . विद्यालयी पाठ्यक्रमों मे यौन शिक्षा को सम्मिलित नहीं किए जाने क कारण युवक–युवतियों में यौन शिक्षा का अभाव है। इस कारण परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता उत्पन्न नहीं हो पाई हैं।

6 चिकित्सकों का अभाव (Lack of Doctors) देश मे चिकित्सकों का अभाव है। चिकित्सको का वितरण भी असमान है। अधिकाश चिकित्सक शहरों में कार्यरत हैं। चिकित्सक गावो मे सुविधाओ के अभाव के कारण जाना कम पसद करते हैं। ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित चिकित्सको की सुविधाए बहुत कम उपलब्ध हैं।

7 उचित देखभाल का अभाव (Lack of Proper Look-after) : परिवार कल्याण कार्यक्रमो के लक्ष्या की पूर्ति के लिए बडे पैमाने पर नसबदी आपरेशन किये जाते हैं किंतु बन्ध्याकरण के पूर्व और पश्चात् उचित देखभाल का अभाव है।

इससे रोगी को परेशानी उठानी पडती है।

8 साम्प्रदायिक एव धार्मिक मान्यताए (Religious and Communal Recognitions) भारत मे कतिपय साम्प्रदायिक और धार्मिक मान्यताओ के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राजनेताओ तथा धार्मिक गुरुओ द्वारा परस्पर विरोधी विचार एव प्रचार से देशवासियो मे अनेक भ्रातिया उत्पन्न हो गई है कि बन्ध्याकरण से उनकी जनसख्या के कम होने का भय उत्पन्न हो गया है।

9 बन्ध्याकरण पर अधिक ध्यान (More Attention on Sterilization) परिवार कल्याण के कार्यक्रमो मे बन्ध्याकरण पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। परिवार कल्याण की अन्य विधियो व तरीको की अवहेलना हुई है।

10 स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव (Opposite Effect of Health) परिवार कल्याण कार्यक्रम के साधनो के प्रयोग से अनेक बार दम्पत्तियो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडा है। इससे लागो मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो के प्रति रुचि कम हुई है।

11 आपरेशनो का असफल होना (Failure of Operations) देश मे आपरेशन के बाद महिलाओ के सतान हुई। देश मे ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं। महिला पुन आपरेशन नही कराना चाहेगी। ऐसी घटनाओ से परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि समाप्त होती है।

12 राजनीतिक प्रोत्साहन का अभाव (Lack of Political Enthusiasm) देश मे आपातकाल के दौरान 1975–76 मे परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे सख्ती बरती गई जिससे लोगा मे परिवार नियोजन के प्रति रुचि कम हुई। जबरन बन्ध्याकरण के कारण राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। वर्ष 1977–80 के मध्य परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति मद रही। परिवार नियोजन से राजनीतिक बदलाव के कारण राजनीतिक प्रोत्साहन मे कमी आई।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव
(Suggestions for Success of Family Welfare Programme)

भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो की विफलता के कारण जनसख्या वृद्धि नियत्रित नहीं हो सकी। कम जनसख्या की स्थिति मे भारत तीव्र गति से विकास कर सकता है। पडित नेहरु ने कहा था "यदि हमारी जनसख्या अभी जो है उसकी आधी होती तो हम अधिक प्रगतिशील राष्ट्र होते। भारत मे लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने के लिए उत्सुक तो रहते हैं किंतु चिकित्सा सुविधा के विश्वसनीय नहीं होने के कारण उन्हे भय है कि सतान की मृत्यु की स्थिति मे वृद्धावस्था का सहारा छिन न जाए। अत परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए मजबूत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। जब तक देश के ग्रामीण परिवेश मे स्तरीय चिकित्सा सुविधाओ का जाल नहीं फैल जाता मृत्यु दर कम

नहीं हो जाती बाल मृत्यु दर न्यूनतम नहीं हो जाती तब तक भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध रहेगी। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्न उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं –

1 **चिकित्सा सुविधाओ का विस्तार** (Expansion of Medical Facilities) ग्रामीण भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। चिकित्सा सुविधा विश्वसनीय हो। गावो मे चिकित्सालय तो खोल दिए जाते हैं किंतु चिकित्सक नियुक्त नहीं होते हैं और यदि चिकित्सक नियुक्त होते हैं तो गावो मे सेवाए बहुत कम दे पाते हैं। मुदालियर समिति के अनुसार तीस हजार की जनसख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। उसमे 75 बिस्तर 6 नर्स तथा 6 डाक्टर होने चाहिए। इसके अलावा 5 000 हजार की जनसख्या पर एक उपकेन्द्र होना चाहिए।

2 **सीमित परिवार की अनिवार्यता** (Essentiality of Limited Family) देश मे जनसख्या की विकरालता और उससे उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दो बच्चो के बाद परिवार नियोजन को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। इस कानून को कठोरता से लागू किया जाए। परिवार नियोजन नहीं अपनाने वालो को सुविधाओ से वचित कर दिया जाना चाहिए। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों मे से कोई भी अपनाने की उसे छूट दी जाए।

3 **सस्ती सामग्री का वितरण** (Distribution of Cheap Material) शिक्षित व्यक्तियो ने कुछ सीमा तक परिवार नियोजन को अपना लिया है। गरीब परिवार नियोजन से अछूते हैं। आज गरीब परिवारो मे ओर झुग्गी झोपडियो मे रहन वाले व्यक्तियो के बच्चो की सख्या अधिक होती है। गरीबो क लिए मनोरंजन के अन्य साधनो का अभाव है। गरीब व्यक्ति इस स्थिति मे नहीं होते कि वे परिवार नियोजन के महगे साधन काम मे ल सके। अत गरीब बस्तियो म परिवार नियोजन की सामग्री को सस्ते दामो पर मुहैया कराया जाना चाहिए। जहा तक सभव हो वहा सामग्री का वितरण नि शुल्क हो। देश मे निरोध निशुल्क वितरित किया जाना चाहिए। गरीबो की बस्तिया म तो नि शुल्क निरोध वितरण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।

4 **यौन शिक्षा** (Sex Education) भारत म यौन शिक्षा का नितात अभाव है। युवक–युवतियो को यौन सबधो की बहुत कम जानकारी होती है। देश मे आज भी बच्चो के जन्म को ईश्वरीय देन माना जाता है। इस विचारधारा को बदलने के लिए यौन शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। यौन शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रमो में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5 **जनसख्या शिक्षा को बढावा** (Development of Population Education) देश मे लगभग पचास फीसदी लोग निरक्षर हैं। शिक्षित व्यक्तियो मे जनसख्या शिक्षा का अभाव है। परिणामस्वरुप जनसख्या जनित समस्याओ की दशवासियो को जानकारी नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत

मे जनसख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम को सभी पाठयक्रमो मे सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयी स्तर पर जनसख्या शोध का बढावा दिया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम को पाठयक्रमो मे विस्तार से स्थान दिया जाए।

6 **पर्याप्त प्रचार प्रसार** (Sufficient Propaganda) शहरो मे तो परिवार कल्याण कार्यक्रमो का पर्याप्त प्रचार–प्रसार है, किंतु गावो मे कार्यक्रम का अधिक प्रचार नहीं हुआ है। अत परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गावो मे प्रचार–प्रसार की अधिक आवश्यकता है। कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार इस प्रकार हो कि गावो के निरक्षर लोग उसे आसानी से समझ सके। प्रचार–प्रसार मे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो। मनोरजन सबधी कार्यक्रमों मे जनसख्या पहलुओ को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7 **परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता** (Priority for Family Welfare Programme) विगत पाच दशको मे सम्पन्न हो चुकी आठ पचवर्षीय योजनाओ और वार्षिक योजनाओ मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो को अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई। परिवार कल्याण कार्यक्रमो पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय अत्यल्प रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए पचवर्षीय योजनाओ मे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी की आवश्यकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय को बढाकर दोगुना किया जाना चाहिए। दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य जनसख्या नियत्रण होना चाहिए।

8 **जन सहयोग** (Public Cooperation) जनसख्या को नियत्रित करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाना अकेले सरकार का काम नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में जन सहयोग आवश्यक है। सरकार परिवार नियोजन के तरीके खोज सकती है, उनके वितरण की व्यवस्था कर सकती हैं, किंतु उनका उपयोग करना जनता पर निर्भर है। स्वयसेवी सस्थाए परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने मे सहायक सिद्ध हो सकती है। सरकार द्वारा स्वयसेवी सस्थाओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9 **शिक्षा प्रसार** (Educational Development) विकास के लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के प्रचार बिना सभी विकास प्रयास निरर्थक हैं। स्वतत्रता के पाच दशक बाद भी निरक्षर लोगो की बहुलता चिता की बात है। निरक्षरता के कारण लोग परम्परावादी विचारो और रुढियो से घिरे होते हैं। भारत मे 1991 मे 48 79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। पुरुषो में निरक्षरता 35 87 प्रतिशत तथा महिलाओ मे निरक्षरता 60 71 प्रतिशत थी। निरक्षरता के इस घोर अधकार मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो की सफलता सदिग्ध है। जब तक देश मे शिक्षा का प्रचार नहीं हो जाता, देशवासी शिक्षित नहीं हो जाते तब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा मे राजकीय प्रयासो के सकारात्मक परिणाम नहीं होगे। भारत को सर्वाधिक जोर निरक्षरता के अधकार को मिटाने मे देना होगा।

10 नारो मे परिवर्तन (Change in Slogans) भारत मे परिवार नियोजन विश्व मे सरकारी स्तर पर सबसे पहले 1952 मे लागू किया गया था। उस समय परिवार नियोजन के जो नारे बने थे वे आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। आज दो या तीन बस जैसे नारो की प्रासगिकता नहीं हैं। नारो मे एक अथवा दो बच्चों की प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे परिवार के महत्त्व को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाना चाहिए।

11 चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय (Co-ordination among Treatment Patterns) भारत मे आयुर्वेद जैसी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति समृद्ध है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मे जडी–बूटियो के माध्यम से गर्भ निरोध को बढावा दिया जाना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम पडता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम मे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियो यथा आयुर्वेद, होम्योपैथिक एव ऐलोपैथिक मे सामन्जस्य और समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

12 बन्ध्याकरण उपरात सेवा (Services After Sterilization) : परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन महिलाओ और पुरुषो का बन्ध्याकरण किया गया उनकी बन्ध्याकरण के बाद उचित देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए। बन्ध्याकरण से उत्पन्न किसी परेशानी का निराकरण होना चाहिए।

13 प्रशिक्षित कर्मचारी (Trained Employees) हमारे देश मे अभी भी गर्भ निरोधक के तरीको के विपरीत प्रभाव का डर है। अत ऐसे कर्मचारियो की आवश्यकता है जो लोगो को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सतुष्ट कर सके। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियो की नियुक्ति की महती आवश्यकता है।

14 चल चिकित्सालयों में वृद्धि (Increase in Mobile Dispensaries) : देश मे विशेषकर ग्रामीण परिवेश मे चिकित्सा सुविधाओ का अभाव है। ऐसी स्थिति मे चल चिकित्सालयो की सख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए जिससे ग्रामवासियो को निकटस्थ परिवार कल्याण सबधी सुविधाए प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ

1 *योजना*, 16 30 अप्रेल 1985
2 *इकोनोमिक सर्वे*, 1996-97, एस-42
3 *सातवी पचवर्षीय योजना*, 1985-90, पृ 281
4 *योजना*, जुलाई 1998, पृ 29
5 *इकोनोमिक सर्वे*, 1996-97, पृ 190
6 *भारत* वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 211
7 *वही*, पृ स 214

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारत सरकार की जनसख्या नीति पर प्रकाश डालिए।
2 भारत की जनसख्या नीति की आलोचनाए बताइए।
3 भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा कीजिए। इसमे सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति लिखिए तथा दूसरे भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव लिखने है।)

2 परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्या अभिप्राय है? भारत सरकार की जनसख्या नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ बताना है तथा दूसरे भाग मे भारत सरकार की जनसख्या नीति तथा उसकी आलोचनाए लिखनी है।)

3 भारतीय जनसख्या की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए और भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षात्मक जाच कीजिए।
(**संकेत** – इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले जनसख्या की प्रमुख विशेषताओ को लिखना है, तदुपरात भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियो तथा कमियो को बताना है।)

4 भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा तक सफल हुआ है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव दीजिए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियो व कमियो को लिखिए तथा दूसरे भाग मे परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव को बताना है।)

5 "तेजी से बढती जनसख्या भारत के आर्थिक विकास मे बाधा है।" इस कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत सरकार की जनसख्या नीति की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव बताना है तथा दूसरे भाग म भारत की जनसख्या नीति को लिखना है।)

13

भारतीय कृषि और उसका महत्त्व

(Indian Agriculture and It's Significance

विश्व के प्राय सभी विकासशील देश निर्यातित आय के लिए उपभोग वस्तुओ के निर्यात पर निर्भर है और इनम भी परम्परागत निर्यातो यथा कृषि एव *सवद्ध उत्पाद की वाहुल्यता रहती है। स्वाभाविक है कि भारत सरीखे कई* विकासशील देशो को निर्यातित आय मे वडी भारी हानि उठानी पडती है। ये राष्ट्र इस स्थिति म नहीं होते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे विकसित राष्ट्रो से प्रतिस्पर्धा कर सके। विकासशील राष्ट्रो के पास प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं है। किंतु अपक्षित वित्तीय ससाधनो का अभाव प्राकृतिक ससाधना के विदोहन म मुख्य वाधा है फिर ये राष्ट्र अद्युनातन टैक्नोलाजी के अभाव मे उपलब्ध ससाधना का मनाफिक दोहन नहीं कर पाते इसके लिए इन राष्ट्रा को विकसित राष्ट्रो वहुराष्ट्रीय कम्पनियो की ओर सतत मुखातिव रहना पडता है।

हाल ही के वर्षो मे भारत ने कृषिगत क्षत्र म आशातीत सफलता अर्जित की है किंतु यहा की कृषि अनेक विकसित देशा की भाति औद्योगिक विकास का आधार नहीं वन सकी। कई विकसित राष्ट्रो ने सर्वप्रथम कृषि का विकास किया तदुपरात कृषि ने औद्योगिक विकास मे प्रभावी भूमिका निभाई। भारत मे कृषि द्वारा इस तरह की भूमिका नहीं निभा पाने का मुख्य कारण यहा की कृषि का अन्य राष्ट्रो की तुलना मे काफी पिछडा हुआ होना है। औद्योगिक उत्पादन म कच्चे माल के रूप म प्रयुक्त होने वाली व्यावसायिक फसला का कम उत्पादन भी इसका मुख्य कारक है। आज भारत ने भले ही खाद्यान्न उत्पादन क क्षेत्र म तथाकथित आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली हो किंतु वर्तमान म वदलते आर्थिक परिवेश की जरूरत के मुताविक कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ है

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था म जव कृषि ही पिछडी हुई अवस्था म हो तव कृषि औद्योगिक विकास का आधार वन की वात कैसे की जा सकती है। आर्थिक

नियोजन के पाच दशक उपरात भी कृषि का समस्याग्रस्त होना एक चितनीय पहलू है। ग्रामीण परिवश मे जो समस्याए अतीत मे थी, आज भी देखने को मिलती है। प्राकृतिक आपदाओ के कारण कृषि उत्पादन मे भारी उच्चावचन है। सिचित क्षेत्र कृषिगत जरुरतो के अनुरुप नहीं है। ऋणग्रस्तता की समस्या बडी भयावह है, साहूकारो के चगुल से किसान ही नहीं उसकी सतति भी मुश्किल से ही निजात पाती होगी। पिछले कुछ वर्षों मे देश के बडे किसानो की आय मे बेतहाशा वृद्धि हुई है, इससे ग्रामीण परिवेष मे 'आर्थिक विषमता' की समस्या उठ खडी हुई है। ग्रामीण परिवेश की आर्थिक विषमता शहरी परिवेश की आर्थिक विषमता से अधिक भयावह है, क्योकि ग्रामीण क्षेत्र मे प्रभावी व्यक्तियो द्वारा भोले-भाले, निरक्षर और निर्धन ग्रामीणो का शोषण आसानी से कर लिया जाता है।

भारतीय कृषि की विशेषताए
(Characteristics of Indian Agriculture)

भारत की 74 प्रतिशत जनसख्या गावो मे निवास करती है तथा इतनी ही जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत की कृषि आर्थिक विकास मे कारगर भूमिका नहीं निभा सकी। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताए निम्नाकित हैं–

1 **मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon)** भारत मे सिचाई सुविधाओ का पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की स्थिति मे कृषिगत उत्पादन कम होने के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। देश की 74 प्रतिशत ग्रामीण जनसख्या की आर्थिक स्थिति वर्षा पर निर्भर है। जहा सिचाई सुविधाए मुहैया हैं वहा का किसान भी सिचाई के लिए बादलो की ओर देखता है। वर्षा होने के कारण किसान का सिचाई व्यय बचता है। भारतीय कृषि अनावृष्टि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर आदि से प्रभावित रहती है इसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद पर पडता है।

2 **खाद्यान्न फसलो का उत्पादन (Production of Food Crops)** भारतीय कृषि मे अधिकतर खाद्यान्न फसलो का उत्पादन किया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र मे लगभग 75 प्रतिशत खाद्यान्न फसलो की खेती होती है। इसके बावजूद भारत लम्बे समय तक खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर नहीं हो सका आज भी भारत में खाद्यान्न का आयात किया जाता है।

3 **विविध फसले (Different Crops)** फसलो की विविधता भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताए है। खेतो का आकार छोटा होने के बावजूद किसान विभिन्न फसलो उगाने का प्रयास करता है। देश के कृषिगत क्षेत्र मे खाद्यान्न तिलहन, दलहन व्यावसायिक फसले आदि का उत्पादन होता है।

4 **लघु कृषको की बहुलता (Majority of Small Farmers)** भारत लघु

कृषका का दश है ग्रामीण परिवेश मे लघु सीमात कृषक तथा खेतिहर व बन्धुआ मजदूरो की बहुलता है। भारत मे एक हैक्टयर तक जातो के कृषक सीमात कृषक तथा एक से दो हैक्टेयर जोतो के कृषक लघु कृषक कहलाते हैं। इसके अलावा ऐस व्यक्ति जिनकी स्वय की कृषि याग्य भूमि नहीं होती किंतु आमदनी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कृषिगत मजदूरी से प्राप्त करते हैं वे खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। भारत मे उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियम के कारण छोटे कृषका की सख्या बढती जा रही है।

5 **कृषि जोत** (Agriculture Holding) भारत म वप 1980-81 मे लगभग 8 94 करोड कृषि जोत थी जिनमे से सीमात कार्यशील जोत (एक हैक्टेयर तक) 56 4 प्रतिशत तथा लघु कार्यशील जोते (1-2 हैक्टेयर तक) 18 1 प्रतिशत थी इस प्रकार देश मे 2 हैक्टेयर तक की जोते 74 5 प्रतिशत थी। सीमात और लघु जोता के कारण अधिक उत्पादन सभव नहीं हा पाता है।

6 **प्रति हैक्टेयर कम उत्पादन** (Less Production per Hectare) भारत म विभिन्न फसला का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। विश्व के देशो की तुलना मे भारत मे चावल मूगफली गन्ना गेहू, कपास तम्बाकू का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम ह। भारत म वर्ष 1989 मे विभिन्न फसलो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन इस प्रकार था चावल 2590 कि ग्रा मूगफली 988 कि ग्रा गन्ना 56 571 कि ग्रा गेहू 2 241 कि ग्रा कपास 607 कि ग्रा तथा तम्बाकू 1 236 कि ग्रा।

7 **यन्त्रीकरण का अभाव** (Lack of Mechanisation) विगत वर्षो म विश्व मे कृषि क्षत्र मे तीव्र गति से यन्त्रीकरण हुआ है किंतु भारत मे आज भी बडे पैमाने पर खेती के पुराने तरीके काम मे लिए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि जोता का छोटा होना तथा लघु कृषको की बहुलता है। लघु जाता मे यन्त्रीकरण का प्रयोग लाभदायक सिद्ध नहीं हा पाता है। भारत म किसानो का परिवार अपेक्षाकृत बडा है जबकि उसके खत का आकार छोटा है। परिवार के लोग ही खत पर काम करने वाल बहुत हा जात हैं एसी स्थिति म यन्त्रीकरण की आवश्यकता कम होती है।

8 **व्याप्त अदृश्य बेरोजगारी** (Vast Disguised Unemployment) भारतीय कृषि म अदृश्य बेराजगारी व्याप्त ह। कृषि कार्य म आवश्यकता स अधिक लोग लग हुए हैं। भारत क कृषि क्षेत्र से लगभग आधे श्रमिका का हटा भी लिया जाए तो कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं हागा। इसक अलावा भारतीय किसान को वर्ष भर काम नहीं मिलता है। सिंचित क्षेत्रो म किसान अवश्य वर्षपयन्त व्यस्त रहता है। असिंचित क्षेत्रों म किसान को वर्ष म आसतन 90 दिन ही काम मिल पाता है। हाल के वर्षो म कृषि क्षेत्र मे यन्त्रीकरण का थोडा बढावा मिला है इसके कृषि श्रमिक अधिक बेराजगार हा गए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व
(Significance of Agriculture in Indian Economy)

भारत गावो का देश होने के कारण बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। आर्थिक विकास मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय मे भी कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है। नयी केन्द्र सरकार ने कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। अप्रैल 1998 मे जारी आर्थिक एजेन्डा मे कृषि निवेश बढाने पर बल दिया गया है। सरकार कृषि ग्रामीण विकास, सिचाई तथा सबधित ग्राम्य पचायत विकास मे सार्वजनिक निवेश क लिए पर्याप्त योजनागत कोष की व्यवस्था करेगी। पधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पाच सूत्री विकास मार्ग मे कृषि विकास को दूसरा सूत्र मानते हुए अगले दशक मे कृषि उत्पादन को दोगुना किये जाने प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने 1998–99 के बजट मे कृषि विकास की नयी पहल की है। वर्ष 1998–99 की वार्षिक योजना मे कृषि परिव्यय 2,854 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो 1997–98 के सशोधित अनुमान 1,807 करोड रुपए की तुलना मे 58 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार विकास शीर्ष पर भी परिव्यय मे वृद्धि की गई है। वर्ष 1997–98 मे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परिव्यय 8,356 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) था जिसे बढाकर 1998–99 मे 9,912 करोड रुपए बजट–अनुमान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परिव्यय मे 18 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वर्ष 1998–99 के केन्द्रीय बजट मे नाबार्ड द्वारा प्रबधित ग्रामीण अवसरचना विकास निधि मे आवटन बढाकर 3,000 करोड रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड की अशपूजी मे 500 करोड रुपए की वृद्धि की गई है। बजट मे किसानो को कृषि आदानो और उत्पादन सबधी जरुरतो के लिए नकदी प्राप्त करने मे मदद के लिए नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरु करने का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान मे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ बनी हुई है। अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्व इस प्रकार है –

1 **राष्ट्रीय आय मे योगदान** (Contribution in National Income) • भारत की राष्ट्रीय आय मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान मे राष्ट्रीय आय का 30 से 40 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। विगत वर्षो मे राष्ट्रीय आय मे कृषि की उपादेयता घटी है। फिर भी अन्य क्षेत्रो की तुलना मे इसका योगदान अधिक है।

वर्ष 1980–81 की कीमतो पर सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वर्ष 1950 51 मे 42,871 करोड रुपए था जिसमे कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्र का उत्पाद 24,204 करोड रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 56 46 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद 1997–98 मे 10,49,191 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमे कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्र का उत्पाद 3,01,436 करोड रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 28 73 प्रतिषत था। नब्बे के दशक मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि की

भूमिका बहुत घट गई है। इसका कारण कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय मे कमी है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 5 2 प्रतिशत कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर व्यय किया गया। नौवीं पचवर्षीय म भी कृषि एव सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय मे वृद्धि नहीं की गई। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 1997–98 के त्वरित अनुमानो मे सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का भाग 24 73 प्रतिशत, यातायात, सचार, और व्यापार का भाग 23 27 प्रतिशत, बैंकिग बीमा व्यावसायिक क्षेत्र आदि का भाग 11 42 प्रतिशत तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओ का भाग 11 85 प्रतिशत था जबकि कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का भाग 28 73 प्रतिशत था।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका

(करोड रुपए)

वर्ष	सकल घरेल उत्पाद साधन लागत पर (1980-81 की कीमतो पर)	कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का उत्पाद	सकल घरेल उत्पाद मे कृषि का प्रतिशत
1950 51	42,871	24,204	56 46
1960 61	62,904	32,793	52 13
1970-71	90,426	41,385	45 77
1980 81	1,22,427	48,536	39 64
1990 91	2,12,253	69,860	32 91
1991 92	2,13,983	68,480	32 00
1992-93	2,25,240	72,421	32 15
1993 94	7,99,077	2 62,140	32 81
1994 95	8,61,064	2,77,033	32 17
1995 96	9,26 412	2,79,204	30 14
1996 97 (प्रोविजनल)	9,98,978	3,03,572	30 39
1997-98 (त्वरित अनु)	10,49 191	3,01 436	28 73
1998 99 (त्वरित अनु)	10,81,834	3,15,415	29 16

Source *Economic Survey* 1998 99, S-5, and 1999-2000 (Government of India वर्ष 1993-94 से सकल घरेलू उत्पाद 1993 94 की कीमतों पर आधारित है।)

2 रोजगार (Employment) भारत मे जनसख्या का बडा भाग जीविकापार्जन क लिए कृषि पर निर्भर है। डा राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, "खेती से इस देश के सबसे अधिक लागों को रोजगार मिलता है जो बडे तथा छाटे अन्य सब उद्योगो स प्राप्त सम्मिलित राजगार स अधिक है।' भारत की 74 प्रतिशत जनसख्या गावों

मे जीवन बसर करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत मे कुल कार्मिक 31 41 करोड थे जिनमे 2 82 करोड सीमान्त कार्मिक तथा 28 59 करोड मुख्य कार्मिक थे। मुख्य कार्मिको मे काश्तकार 11 07 करोड, कृषि श्रमिक 7 46 करोड तथा पशुधन, वन आदि में 60 लाख कार्यरत थे। इस प्रकार मुख्य कार्मिको का 66 9 प्रतिशत कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत था। ग्रामीण मुख्य कार्मिक 22 33 करोड थे जिनमे से 18 28 करोड कृषि एव सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत थे जो मुख्य कार्मिको का 82 2 प्रतिशत है। शहरी मुख्य कार्मिक 6 36 करोड थे जिनमे 85 लाख कृषि व सबद्ध क्षेत्र मे कार्यरत थे जो कि शहरी मुख्य कार्मिको का 13 4 प्रतिशत था।

3. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production) भारत जनाधिक्य वाला देश है तथा अधिकाश जनसख्या शाकाहारी है। कृषि क्षेत्र द्वारा खाद्यान्न की माग पूरी की जाती है। भारत मे चावल, गेहू, मोटा अनाज तथा दालो का उत्पादन होता है। वर्ष 1996–97 मे चावल का उत्पादन 81 3 मिलियन टन, गेहू का उत्पादन 69.3 मिलियन टन, मोटा अनाज का उत्पादन 34 3 मिलियन टन तथा दालो का उत्पादन 14 5 मिलियन टन था। खाद्यान्न उत्पादन 1996–97 मे 199 3 मिलियन टन था। प्रमुख वाणिज्यिक फसलो में तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता का उत्पादन होता है। वर्ष 1996–97 मे प्रमुख वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन इस प्रकार था–तिलहन 25 मिलियन टन, गन्ना 277 3 मिलियन टन, कपास 14 3 मिलियन गाठे तथा जूट व मेस्ता 8 8 मिलियन गाठे।

कृषि क्षेत्र मे नवीन व्यूह रचना लागू किए जाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय मे वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950–51 मे 50 8 मिलियन टन था जो बढकर 1990–91 मे 176 4 मिलियन टन तथा 1997–98 मे और बढकर 192 4 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1981–82 को आधार मानते हुए कृषि उत्पादन सूचकाक 1950–51 मे 46 2 था जो बढकर 1990–91 मे 148 4 तथा 1997–98 मे और बढकर 164 9 हो गया। विगत दशको मे प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और पैदावार मे वृद्धि हुई। कुल अनाज का क्षेत्रफल 1950–51 मे 782 30 लाख हैक्टेयर से बढकर 1989–90 मे 1033 58 लाख हैक्टेयर, उत्पादन 1950–51 मे 424 14 लाख टन से बढकर 1989–90 मे 1,560 79 लाख टन तथा पैदावार 1950–51 मे 542 किलोग्राम पति हैक्टेयर से बढकर 1989–90 मे 1,530 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई। वर्ष 1989-90 मे कुल दलहन का क्षेत्रफल 234 15 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 128 65 लाख टन तथा पैदावार 549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था।

खाद्यान्न का क्षेत्रफल 1950–51 मे 973 2 लाख हैक्टेयर था जो 1989–90 मे बढकर 1,267 73 लाख हैक्टेयर हो गया। खाद्यान्न पैदावार 1950–51 मे 522 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढकर 1989–90 मे 1349 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई। वर्ष 1989–90 मे कुल तिलहन क्षेत्रफल 228 लाख हैक्टेयर, उत्पादन

169 09 लाख टन तथा पैदावार 742 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलो यथा गन्ना कपास, पटसन, मेस्ता के क्षेत्रफल, उत्पादन व पैदावार म वृद्धि हुई।

भारत मे खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	कृषि उत्पादन सूचकाक आधार (1981-82)
1950-51	50 8	46 2
1960-61	82 0	68 8
1970-71	108 4	85 9
1980-81	129 6	102 1
1990 91	176 4	148 4
1991 92	168 4	145 5
1992-93	179 5	151 5
1993-94	184 3	157 3
1994-95	191 5	165 2
1995-96	180 4	160 7
1996-97	199 4	175 4
1997-98	192 4	164 9
1998 99 (प्राविजनल)	195 3	171 3
1999-2000 (प्राविजनल)	199 1	173 3

Source *Economic Survey* 1998 99 तथा 1999-2000

खाद्यान्न का उत्पादन बढने से प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढी। वर्ष 1991 मे प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 510 ग्राम के स्तर तक पहुच गई थी जबकि 1950 के दशक के प्रारभिक वर्षो मे प्रति व्यक्ति 395 ग्राम अनाज उपलब्ध था। तथापि वष 1993 मे एक अतिम अनुमान के अनुसार अनाज की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि कुछ कम होकर 464 ग्राम हो गई।[1] प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 1993 मे 169.4 किलोग्राम वार्षिक थी जो बढकर 1994 मे 172 किलोग्राम, 1995 मे 185 3 किलोग्राम तथा 1996 मे 181.3 किलोग्राम वार्षिक हो गई।[2]

4 निर्यातित आय मे योगदान (Contribution in Export) भारत के विदेशी व्यापार म कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत से बडी मात्रा मे कृषि एव सम्बद्ध उत्पादो का निर्यात किया जाता है। कृषिगत निर्यातो मे काफी, चाय खली, काजू, मसाले तम्बाकू चीनी कच्चा जूट चावल, फल सब्जी दाले आदि मुख्य है। स्वतत्रता के समय स लेकर 1980 तक भारत के निर्यातो मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र

की उल्लेखनीय भूमिका थी। वर्ष 1960–61 मे भारत का कुल निर्यात 642 करोड रुपए था जिसमे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 284 करोड था जो कुल निर्यात का 44 24 प्रतिशत था। बाद के दशको मे निर्यात मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र की भूमिका घटी। वर्ष 1980–81 मे निर्यात 6,711 करोड रुपए था जिसमे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 2,057 करोड रुपए था जो कुल निर्यात का 30 65 प्रतिशत था। नब्बे के दशक मे निर्यातो मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र की भूमिका उत्तरोत्तर कम हुई। कुल निर्यात मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का भाग 1990–91 मे 19 40 प्रतिशत, 1992–93 मे 17 61 प्रतिशत, 1993–94 मे 18 67 प्रतिशत तथा 1994–95 मे 16 58 प्रतिशत था। वर्ष 1997–98 मे कुल निर्यात 1,26,286 करोड रुपए था जिसमे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,691 करोड रुपए था जो कुल निर्यात का 18 76 प्रतिशत था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषिगत उत्पादन को बढाकर निर्यात व्यापार मे कृषि की भूमिका को बढाया जा सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता डॉ नार्मन ई बोरलॉग के अनुसार "भारत मे खाद्यान्न उत्पादन को आगामी चालीस वर्षो मे चार गुना करने की क्षमता विद्यमान है।" खाद्यान्न उत्पादन का बडा भाग देश मे ही खप जाता है। निर्यात के लिए अतिरेक खाद्यान्न बहुत कम बच पाता है। अत खाद्यान्न निर्यात वृद्धि के लिए भारत मे जनाधिक्य वृद्धि को रोकना आवश्यक है।

निर्यात व्यापार मे कृषि क्षेत्र की भूमिका

(करोड रुपए)

वर्ष	कुल निर्यात	कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र	कुल निर्यात मे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का प्रतिशत
1960-61	642	284	44 24
1970-71	1,535	487	31 73
1980-81	6,711	2,057	30 65
1990-91	32,553	6,317	19 40
1992-93	53,688	9,457	17 61
1993-94	69,751	13,021	18 67
1994-95	82,674	13,712	16 58
1995-96	1,06,353	21,138	19 87
1996-97	1,18,817	24,239	20 40
1997-98	1,26,286	23,691	18 76
1998-99	1,41,604	26,164	18 48

Source *Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि की प्रभावी भूमिका है। कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आयात–निर्यात नीति मे कृषिगत प्रावधानो मे वृद्धि की गई

है। वाणिज्य मन्त्रालय ने जुलाई, 1992 में आयात–निर्यात नीति मे उत्पादन की परिभाषा मे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, पुष्पोदपालन, बागवानी, मुर्गीपालन तथा रेशम पालन आदि को शामिल किया गया। 30 मार्च, 1993 को आयात–निर्यात नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र मे निर्यातोन्मुखी इकाइयों लगाने पर और छूट देने की घोषणा की।

हाल के वर्षो मे भारत से गैर परम्परागत मदो के निर्यात मे बढोतरी हुई है। साठ के दशक मे निर्यात व्यापार मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का वर्चस्व था। बाद के दशको मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र के निर्यात मे भारी कमी आई है, जो चितनीय बात है। भारत सदैव भुगतान सतुलन की असाम्यावस्था से ग्रसित रहा है। कृषि एव सबद्ध वस्तुओ के निर्यात मे बढोतरी द्वारा भुगतान असतुलन की समस्या से काफी हद तक निदान पाया जा सकता है। नियोजित विकास के चार दशक तथा आर्थिक उदारीकरण के दस वर्षो मे अर्थव्यवस्था में समृद्धि दृष्टिगोचर होने लगी है। फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था समस्याओं से अछूती नहीं है। कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं। उनमे सीमात कृषक, आर्थिक पिछडापन, क्षेत्रीय विषमता, बेकारी, अशिक्षा, निम्न उत्पादकता आदि मुख्य हैं। इनका स्थायी समाधान ढूढा जाना शेष है।

5 **कृषि परिव्यय में वृद्धि (Increase in Agriculture Outlay) :** भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता कृषि विकास पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि परिव्यय मे वृद्धि की गई। तृतीय पचवर्षीय योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 1,088 9 करोड रुपए था जो बढकर सातवीं पचवर्षीय योजना में 10,523 6 करोड रुपए हो गया। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 22,467 करोड़ रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का 5 2 प्रतिशत था। नौवीं योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 36,658 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा 29 नवम्बर, 1998 को आयोजित भारतीय आर्थिक शिखर मे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित बारह सूत्रीय मध्यकालीन आर्थिक एजेण्डा मे कृषि को प्रमुखता दी गई है। इसमे कृषि विकास सुनिश्चित करना और कृषि व कृषि प्रसस्करण उद्योग मे व्यापक निजी निवेश को बढावा देकर ग्रामीण समृद्धि का विस्तार करना सम्मिलित है। कृषि परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आर्थिक एजेण्डा में कृषि को प्रमुख स्थान दिया जाना अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को दर्शाता है।

6 **विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि (Indian Agriculture in World Sphere)** भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के प्रारम्भिक वर्षों मे भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। हाल ही के वर्षों मे भारत ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत न केवल विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है अपितु विश्व के देशो को खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। वर्ष

1979–81 को आधार मानते हुए भारत का कृषिगत उत्पादन सूचकाक वर्ष 1989 मे 141 86 था जो विश्व औसत 121 26 से अधिक था। वर्ष 1989 मे विश्व के अनेक देशो का कृषि उत्पादन सूचकाक भारत से कम था। विभिन्न देशो का 1989 मे कृषि उत्पादन सूचकाक इस प्रकार था – अर्जेन्टीना 96 20, आस्ट्रेलिया 113 48, कनाडा 111 19, मैक्सिको 121 39, बिट्रेन 105 76, अमरीका 102 36 आदि। भारत मे 1989 मे चावल, गेहू, मक्का व कपास बीज का उत्पादन अन्य देशो की तुलना मे अधिक था।

विश्व के अनेक देश विशेषकर विकासशील देश ऐसे हैं जहा श्रम शक्ति का बडा भाग कृषि मे सलग्न है। वर्ष 1981 मे श्रम शक्ति का भारत मे 71 प्रतिशत, बाग्लादेश मे 74 प्रतिशत, चीन मे 74 प्रतिशत, केन्या मे 78 प्रतिशत, नेपाल मे 93 प्रतिशत, पाकिस्तान मे 57 प्रतिशत, श्रीलका मे 54 प्रतिशत कृषि कार्य मे सलग्न था जबकि श्रम शक्ति का आस्ट्रेलिया मे केवल 6 प्रतिशत, कनाडा 5 प्रतिशत, फ्रास मे 8 प्रतिशत, जर्मनी में 4 प्रतिशत, कुवैत में 2 प्रतिशत, अमरीका मे 2 प्रतिशत, बिट्रेन मे 2 प्रतिशत कृषि कार्य मे सलग्न था। स्पष्ट है कि विकसित देशों मे श्रम शक्ति का अत्यल्प भाग कृषि कार्य मे लगा हुआ है। विकसित देशो में कृषि कार्य मे यन्त्रीकरण का अधिक प्रयोग होता है। वर्ष 1986 मे अमरीका में 4,676 हजार ट्रेक्टर, जापान मे 1,834 हजार ट्रेक्टर, फ्रास मे 1,527 हजार ट्रेक्टर, अर्जेन्टीना मे 1,174 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे जबकि भारत मे केवल 649 हजार ट्रैक्टर, बाग्लादेश मे एक हजार ट्रेक्टर, केन्या मे 9 हजार ट्रैक्टर उपयोग मे थे। भारत मे हरित क्राति लागू किए जाने के बाद कृषिगत क्षेत्र में यन्त्रीकरण का उपयोग बढा है। भारत मे आज कृषि आधुनिकतम उपकरणो से की जाने लगी है। हाल के वर्षो मे कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिये जाने के कारण भविष्य मे कृषिगत क्षेत्र मे यन्त्रीकरण वृद्धि की सभावना है।

7 औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) · भारत मे कृषि औद्योगिक विकास का आधार है। कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। मानसून के प्रतिकूल होने की दशा मे कृषिगत उत्पादन कम होने का सीधा प्रभाव औद्योगीकरण पर पडता है। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि तीव्र औद्योगिक विकास मे सहायक होती है। भारत मे कृषि आधारित उद्योगो की बहुलता है। ऐसी स्थिति मे कृषि का महत्त्व और भी बढ जाता है। भारत मे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, जूट, चाय, रबर, कागज उद्योगो के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत मे वर्ष 1997–98 मे तिलहन का उत्पादन 23 7 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन 260 2 मिलियन टन, कपास उत्पादन 11 4 मिलियन गाठे, जूट और मेस्ता उत्पादन 9 8 मिलियन गाठे था।

8 सरकारी आय का प्रमुख स्रोत (Main Sources of Government Income) कृषि राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि से राज्य सरकारो को भू–राजस्व, कृषि आयकर, सिचाई वसूली तथा व्यावसायिक फसलो से कर द्वारा

लगभग 1800–2500 करोड रुपए की वार्षिक आय होती है। इसके अलावा केन्द्र सरकार को कृषि आधारित उद्योगो से कृषि सम्पत्ति कर, उत्पादन कर, निर्यात कर आदि से प्रति वर्ष करोडो रुपए की आय अर्जित होती है।

9 **पशु पालन एवं डेयरी उद्योग की समृद्धि** (Growth of Animal Husbandary and Dairy Industries) : डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित है और पशुपालन पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। भारत मे पशुधन की बहुलता है। पशुधन किसान की आय का अतिरिक्त स्रोत है। कृषि के पिछडने की दशा मे पशुधन भी क्षीण हो जाता है।

10 **बडा उपभोक्ता वर्ग** (Vast Consumer Block) : भारत की बहुसख्यक जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है तथा कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण समुदाय न केवल उद्योगो व अन्य क्षेत्रो की माग की पूर्ति करता है अपितु बडा उपभोक्ता वर्ग भी है। कृषि क्षेत्र द्वारा विभिन्न औद्योगिक उत्पादित वस्तुएँ यथा रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीन एव औजार, विद्युत आदि का बडी मात्रा मे उपयोग किया जाता है। कृषि की प्रगति के साथ ग्रामीण परिवेश मे मध्यमवर्गीय परिवारो की सख्या मे वृद्धि हुई है। धनी कृषक परिवारों मे विलासिता वस्तुओ की माग बढी है।

11. राजनीतिक महत्त्व (Political Importance) भारत मे कृषि का राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। जनसख्या का बडा भाग गावों मे जीवन बसर करता है। गावो में अत्यधिक राजनीतिक जागरुकता है। लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के चुनाव में ग्रामीणजनों की बडी भूमिका होती है। अच्छे कृषि उत्पादन का राजनीति पर सीधा प्रभाव पडता है। कृषिगत उत्पादन के अनुकूल होने की दशा मे मूल्य स्तर भी सामान्य रहता है। ग्रामीण परिवेश की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज बजट का बडा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। 25 नवम्बर, 1998 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली मे सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावो मे कृषिगत उत्पादन यथा आलू व प्याज की बेतहाशा कीमतों ने प्रमुख चुनावी मुद्दे का रुप लिया। महगाई के कारण दिल्ली व राजस्थान की सरकारे बदली। भारत मे महगाई का सीधा असर राजनीति पर पडता है और महगाई कृषिगत उत्पादन से प्रभावित होती है। भारत मे गरीब किसानो के दस हजार रुपए तक ऋण माफ करना राजनीतिक निर्णय था। ग्रामीणो को लुभाने के लिए वोट आधारित राजनीतिक निर्णय लिये जाते हैं। किसानों को निशुल्क बिजली, उर्वरक सब्सिडी, कम दरो पर सिचाई सुविधा आदि निर्णय राजनीतिक प्रेरित होते हैं।

12 **यातायात में भूमिका** (Importance in Transport) : दश मे रेल व सडक यातायात विकास मे कृषि की कारगर भूमिका है। उद्योगो की तुलना मे कृषि का अधिक महत्त्व है। कृषिगत उत्पादन का मण्डियो तक पहुचाने, कृषिजन्य कच्चा माल को उद्योगो तक पहुचाने, निर्मित माल को उपभोक्ताओ तक पहुचाने मे यातायात विकास को बल मिलता है। इसके अलावा देश का बैंकिग कारोबार भी बडी सीमा तक कृषि पर निर्भर है।

कृषि की भूमिका मे बदलाव के बावजूद भारत मे प्रति व्यक्ति कम होती भूमि की उपलब्धता कृषि की मुखर समस्या है। जनसख्या वृद्धि के साथ–साथ प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा घटती जा रही है। नियोजन काल मे कृषिगत क्षेत्र मे अवश्य प्रगति हुई। भारत के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढे। किंतु भारतीय कृषि समस्याओ से अछूती नहीं है। आज भी अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं। ग्रामीण परिवेश मे गरीबी की समस्या व्याप्त है। किसान सेठ–साहूकारो के चगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए है। गावा मे निरक्षरता के कारण परम्परावादी दृष्टिकोण की समस्या विकट है। किसान आय का बडा भाग अनुत्पादक कार्यो मे खर्च करते हैं। छोटा किसानो की बहुलता है। कृषि जोत का आकार निरन्तर कम होता जा रहा है। कृषि सब्सिडी का अधिकाश भाग बडे किसान हडप जाते है। हरित क्रानि का लाभ सीमित क्षेत्र विशेषकर सिचित भागो को ही मिला। सिचाई सुविधाओ का निरन्तर अभाव है। कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसरचना का विकास आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र मे अधिक पूजी निवेश की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादयता को दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर 4 2 प्रतिशत से दोगुना किया जाना चाहिए।

नियोजन काल में कृषिगत विकास
(Agriculture Development During Plan Period)

भारत मे पचास वर्ष के नियोजन काल मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। नौवीं पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल, 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि की गई, किंतु आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद कृषि निवेश मे अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई नतीजतन कृषि विकास की तीव्र गति नहीं पकड सकी। आर्थिक सुधारो का लाभ शहरो और उद्योगो तक ही सीमित रहा। समूचा ग्रामीण परिवेश आर्थिक उदारीकरण के लाभ से वचित है। डकल प्रस्तावो को लेकर जरुर गावो में हलचल मची। आज नीम, हल्दी, बासमती का पेटेट हो चुका है। भारतीय कृषि मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति नहीं है। कृषि क्षेत्र मे पूजी निवश के तीव्रता से नहीं बढने के कारण कृषि की दशा दयनीय हो गई है। चुनौतियो के बावजूद कृषि विकास की ओर अग्रसर हुई है।

1. कृषि निवेश (Agriculture Investment)

तृतीय पचवर्षीय योजना मे कृषि एव सबद्ध विकास शीर्ष परिव्यय 1,088 9 करोड रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का 12 7 प्रतिशत था। चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे कुल योजना परिव्यय का 14 7 प्रतिशत व्यय किया गया। बाद की पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय मे निरन्तर कमी हुई। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे कुल योजना परिव्यय का कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर

व्यय प्रतिशत इस प्रकार रहा–पाचवी पचवर्षीय योजना 12 3 प्रतिशत, छठी पचवर्षीय याजना 6 1 प्रतिशत, सातवीं पचवर्षीय याजना 5 8 प्रतिशत, आठवीं पचवर्षीय योजना 5 2 प्रतिशत। नौवीं पचवर्षीय योजना का सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 8 75 000 करोड रुपए निर्धारित किया गया इसमे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 36 658 करोड रुपए रखा गया है जो कुल योजना परिव्यय का केवल 4 2 प्रतिशत है।

कृषि एव सबद्ध क्षेत्र सार्वजनिक परिव्यय

(करोड रुपए)

योजनाए	योजना परिव्यय	कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय पचवर्षीय योजना	8576 4	1088 9	12 7
वार्षिक योजनाए (1966-69)	6625 4	1107 1	16 7
चतुर्थ पच्वर्षीय योजना	15778 8	2320 4	14 7
पाचवी पचवर्षीय योजना	39426 2	4864 9	12 3
वार्षिक योजना (1979-80)	12176 5	1996 5	16 4
छठी पचवर्षीय योजना	109291 7	6623 5	6 1
सातवीं पचवर्षीय योजना	180000 0	10523 6	5 8
वार्षिक योजना (1990-91)	58369 3	3405 4	5 8
(1991-92)	64751 2	3850 5	5 9
आठवीं पचवर्षीय योजना	434100	22467 2	5 2
नौवीं पचवर्षीय योजना	875000	36658 0	4 2

स्रोत *इकोनोमिक सर्वे* 1998-99 से सकलित, तथ्यभारती मार्च 1998 पृ 18

छठी पचवर्षीय योजना के बाद कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय मे भारी कमी चिंताप्रद है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। इसके बावजूद भी कृषि परिव्यय मे कमी की गई। गौरतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का अशदान 29 4 प्रतिशत है तथा देश की श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत कृषि मे नियोजित है। देश के कुल निर्यात मे भी कृषि का बहुत बडा भाग होता है।

साठ के दशक मे निर्यात व्यापार में कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का वर्चस्व था। बाद के वर्षों म निर्यातित आय मे कृषि की भूमिका घटी। इसका बडा कारण कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय मे भारी कमी है। वर्ष 1960–61 मे कुल निर्यात में कृषि तथा सबद्ध क्षत्र का भाग 44 25 प्रतिशत था जो घटकर 1980–81 में 30 65

प्रतिशत रह गया। 1993–94 मे कुल निर्यात मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का भाग और घटकर केवल 18 67 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1997–98 मे कुल निर्यात 1,26,286 करोड रुपए था जिसमे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,691 करोड रुपए था जो कुल निर्यात व्यापार का 18 7 प्रतिशत था।

2. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate)

भारत मे सिचाई सुविधाओं का अभाव है। कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 प्रतिशत भाग सिंचित है। आज भी भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। नतीजतन कृषि वृद्धि दर विश्व के देशो की तुलना मे कम है। उर्वरको की कुल खपत की दृष्टि से हमारा देश अमेरिका, पूर्व सोवियत सघ तथा चीन से पीछे है। भारत म 1949–50 से वर्ष 1991–92 के बीच कृषि उत्पादन मे 2 71 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई। हरित क्राति के बाद की अवधि मे 1967-68 से 1991-92 तक कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 2 84 प्रतिशत वार्षिक रही। आठवी पचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 3 5 प्रतिशत दर्ज की गई तथा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी। नौवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि विकास दर का लक्ष्य 4 5 प्रतिशत रखा गया है।

कृषि वृद्धि दर

(प्रतिशत मे)

योजनाए	कृषि वृद्धि दर
1991-92	-1 9
1992-93	6 1
1993-94	3 7
1994-95	5 1
1995 96	-3 0
1996-97	7 9
1997-98	-2 0
1998-99	7 4
1999 2000 (प्राविजनल)	-2 2

स्रोत *दी इकोनोमिक टाइम्स*, नई दिल्ली, 29 मई 1998 तथा *इण्डियन इकॉनोमिक सर्वे*, 1999-2000

कृषि उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। गत सात वर्षों मे 1991–92 से 1997–98 मे कृषि वृद्धि दर का तीन बार ऋणात्मक क्षेत्र चिताप्रद है। कृषि वृद्धि दर वर्ष 1991–92 मे 1 9 प्रतिशत, 1995–96 मे 3 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 2 0 प्रतिशत ऋणात्मक थी। वर्ष 1997–98 मे कृषि वृद्धि दर के ऋणात्मक होने का आर्थिक वृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पडा। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5 प्रतिषत रह गई। वर्ष 1996–97 मे कृषि वृद्धि दर मे 7 9

प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इससे पूर्व कृषि वृद्धि दर 1992–93 में 6 2 प्रतिशत 1993–94 मे 3 7 प्रतिशत तथा 1994–95 मे 5 1 प्रतिषत थी। कृषि वृद्धि दर 1997–98 मे कृषि उत्पादन के सूचकाक के आधार पर ऋणात्मक 3 7 प्रतिशत थी।

खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(मिलियन टन)

फसले	1995 96	1996 97	1997 98		1997 98 मे 1996 97 की तुलना मे % वृद्धि/कमी	1999 2000 (अनुमानित)
			लक्ष्य	उत्पादन		
चावल	77 0	81 3	83 0	83 5	2 7	87 5
गेहू	62 1	69 3	68 5	66 4	-4 2	68 7
मोटा अनाज	29 0	34 3	33 5	31 1	-9 2	29 2
दालें	12 3	14 5	15 0	13 1	-9 6	13 5
खाद्यान्न	180 4	199 3	200 0	194 1	2 6	199 1
खरीफ	95 1	104 4	105 5	103 7	-0 7	103 2
रबी	85 3	94 9	94 5	90 4	-4 7	95 9
तिलहन	21 1	25 0	25 5	23 7	-5 2	21 6
गन्ना	281 1	277 3	280 0	260 2	6 2	315 1
कपास (मिलियन गाठे)	12 9	14 3	14 8	11 4	20 3	12 1
जूट और मेस्ता (मिलियन गाठे)	8 8	11 0	9 8	9 8	-10 9	10 6

स्रोत इकोनोमिक सर्वे 1998 99 1999 2000 प्रतिशत निकाले गये हैं।

3. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production)

नब्बे के दशक के दौरान 1996–97 को छोडकर खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 1 7 प्रतिशत रही जो अस्सी के दशक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना मे कम है। 1996–97 में खाद्यान्न उत्पादन 199 3 मिलियन टन था। जिससे कृषि उत्पादन की समग्र वृद्धि 9 3 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुच गयी थी।

वर्ष 1997–98 मे खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन 194 1 मिलियन टन था जो 1996–97 के 199 3 मिलियन टन की तुलना मे 2 6 प्रतिशत कम है। वर्ष 1997–98 मे चावल का उत्पादन 83 5 मिलियन टन, गेहूँ का उत्पादन 66 4 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 31 1 मिलियन टन तथा दालो का उत्पादन 13 1 मिलियन टन था। गेहूँ, मोटा अनाज तथा दालों के उत्पादन मे

क्रमश 4 2 प्रतिशत, 9 2 प्रतिशत तथा 9 6 प्रतिशत कमी हुई। खाद्यान्न फसलो मे केवल चावल के उत्पादन मे ही 2 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि की उन्नति मे बाधा का एक प्रमुख कारण रबी की फसल के दौरान प्रचण्ड मौसम के कारण गेहू की बुआई मे विलम्ब था।

4. वाणिज्यिक फसले (Commercial Crops)

वाणिज्यिक फसलो मे वर्ष 1997–98 में तिलहन, गन्ना और कपास के उत्पादन मे गत वर्ष की तुलना मे क्रमश 5.2 प्रतिशत, 6 2 प्रतिशत तथा 20 3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। तिलहन का उत्पादन 1997–98 मे 23 7 मिलियन टन अनुमानित है जो 1998–99 के 24 मिलियन टन की तुलना मे कम है यद्यपि यह 1995–96 के 21 1 मिलियन टन की तुलना में अधिक था। वर्ष 1997–98 मे गन्ना उत्पादन 260 2 मिलियन टन तथा कपास का उत्पादन 11 4 मिलियन गाठे तथा जूट और मेस्ता उत्पादन 9 9 मिलियन गाठे अनुमानित है। वर्ष 1997–98 मे बगीचा फसले यथा चाय, काफी, प्राकृतिक रबर के उत्पादन मे गत वर्ष की तुलना मे वृद्धि हुई।

केन्द्र सरकार ने 1997–98 में गेहू उत्पादन मे हुई कमी के कारण वित्तीय वर्ष 1998–99 मे गेहू का आयात करने का निर्णय किया है। वर्ष 1998–99 में राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से 214 मिलियन डालर अनुमानित कीमत से 15 लाख टन गेहू का आयात किया। गेहू के आयात से किसानों के हित प्रभावित नहीं होगे। इससे देश मे गेहू की कमी की पूर्ति हो सकेगी। किसान अपना गेहू न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्धारित वसूली मूल्य अथवा खुले बाजार मे बेचने के लिए स्वतत्र है। सरकार ने 1998–99 में रबी विपणन सत्र में गेहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 455 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया था। सरकार ने एक मार्च से 10 जून 1998 तक वसूली सस्थाओ को गेहू बेचने पर 55 रुपए प्रति क्विटल बोनस की घोषणा की। सत्र मे गेहू की वसूली अच्छी रही।

5. खाद्यान्न उपलब्धता (Foodgrain Availability)

भारत मे खाद्यान्न का उत्पादन घटने तथा जनसख्या के तीव्र गति से बढने के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटी है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता 1993 मे 169 4 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो 1994 और 1995 मे बढकर क्रमश 172 0 किलोग्राम, 185 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई। वर्ष 1996 मे खाद्यान्न की उपलब्धता 181 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो गत वर्ष की तुलना मे 2 2 प्रतिशत कम थी।

एक सौ करोड की जनसख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना कृषि की बडी जिम्मेदारी है। अस्सी के दशक में खाद्यान्न वृद्धि दर जनसख्या वृद्धि दर की तुलना मे अधिक थी। किंतु नब्बे के दशक में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है। 1991–92 से 1997–98 के बीच कृषि वृद्धि दर के तीन बार ऋणात्मक

होने के कारण देश का खाद्यान्न का अभाव का सामना करना पड सकता है। कृषि प्रधान राष्ट्र मे खाद्यान्न का अभाव और निर्यात मे खाद्यान्न की नगण्य भूमिका चिंताप्रद बात है। योजना आयोग ने 1998–99 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 21 करोड टन निर्धारित किया था। जिसमें से गेहू 740 लाख टन, चावल 860 लाख टन, मोटे अनाज 345 लाख टन व दाले 155 लाख टन शामिल है। खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य महत्वाकाक्षी है जिसे अर्जित करने के लिए पुरजोर प्रयास करने होगे। वर्ष 1997–98 मे चावल को छोडकर शेष खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलो के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

भारतीय कृषि के पिछडेपन के कारण
(Causes of Backwardness of Indian Agriculture)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी कृषि विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया परिणामस्वरुप कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसान की माली हालात मे भी विशेष बदलाव नहीं आया। भारत प्रति हैक्टेयर कृषिगत उत्पादन और ग्रामीण अवसरचना की दृष्टि स विश्व के अनेक देशो की तुलना मे पीछे है। गावो मे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओ का अभाव है। पेयजल सुविधाओ के अभाव के कारण ग्रामीणजन प्रदूषित पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं। बहुतेरे गाव सडको से जुडे हुए नहीं हैं। चिकित्सा सुविधाओ का नितात अभाव है। ग्रामीण परिवेश में निरक्षरता आज भी अभिशाप है। गावों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाए बनी। ग्रामीण विकास ओर गरीबी अन्मूलन के लिए भारी–भरकम पूजी का प्रावधान किया गया। योजनाए कागजो तक ही सिमट कर रह गई। योजनाओ के लिए आवटित राशि खर्च मद मे दिखा दी गई। पचास सालों में भी गाव और किसान की दशा सुधर नहीं सकी।

भारत मे कृषि के पिछडेपन के अनेक कारण हैं जिन्हे सुविधा की दृष्टि से प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सस्थागत आदि शीर्षक मे बाटा जा सकता है। कृषि के पिछडेपन के कारण निम्नलिखित हैं–

(अ) प्राकृतिक कारण (Natural Causes)

1. मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon) – भारतीय कृषि मानसून पर निभर है। मानसून के अनुकूल नहीं होन की दशा मे खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। भारत म कृषिगत उत्पादन कम हाने स आर्थिक विकास की दर घट जाती है। नब्बे के दशक में मानसून क अच्छा होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर सतोषप्रद रही। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के सबध में डा मोल्स ने कहा "भारत मे मानसून न आए तो कृषि उद्योग मे तालाबन्दी हो जाए।"

2. टिड्डियों का आक्रमण (Attack of Grasshoppers) · भारत के कुछ क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व पजाब में टिड्डियों के आक्रमण के कारण कृषि

उत्पादन का बडा भाग नष्ट हो जाता है। देश के मरुस्थलीय क्षेत्रो मे टिड्डी आक्रमण की समस्या विषम है।

3. भू कटाव की समस्या (Problem of Land-slide) : भारत मे भू-सरक्षण कार्यों के अभाव मे कृषि योग्य भूमि का अधिकाश भाग बेकार हो जाता है। भूमि कटाव के कारण कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है। भारत मे लगभग 20 करोड एकड क्षेत्र भू-कटाव से ग्रसित है।

4. प्राकृतिक प्रकोप (Natural Calamity) · भारतीय कृषि अकाल, बाढ, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की समस्या से ग्रसित है। देश मे फसले अनेक बार बाढ से नष्ट हो जाती है तो कई बार वर्षा के अभाव मे फसले सूख जाती है।

5. सीमित कृषि क्षेत्र (Limited Agricultural Sphere) : भारत मे कृषि योग्य भूमि सीमित है। जनाधिक्य के कारण कृषि पर जनसख्या का भार बढता जा रहा है। भारत में जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981–91 में 2 14 प्रतिशत थी। योजना आयोग के आकलन के अनुसार भारत की जनसख्या 1996–97 मे 93 8 करोड थी। वर्तमान मे जनसख्या एक अरब से अधिक है। भारत मे कृषि योग्य भूमि 14 करोड 10 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बनी हुई है।

6. कृषि रोग (Agriculture Diseases) : भारत मे फसले बडे पैमाने पर कृषि रोगों से नष्ट हो जाती हैं। अनेक बार तो सम्पूर्ण फसले रोगों से नष्ट हो जाती है। पौधो की बीमारियों तथा कीडे-मकोडे से भी कृषि उत्पादन मे क्षति होती है। किसान निर्धनता और अज्ञानता के कारण कीटनाशको का प्रयोग नहीं कर पाता है।

(ब) आर्थिक कारण (Economic Causes)

1. कम पूंजी निवेश (Low Capital Investment) · पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि क्षेत्र मे कम पूजी निवेश किया गया। आर्थिक उदारीकरण मे विकास क्षेत्र मे सरकार की भूमिका घटने के कारण कृषि निवेश और कम हो गया। तृतीय पचवर्षीय योजना मे योजना परिव्यय का 12 7 प्रतिशत कृषि और सबद्ध क्षेत्र पर व्यय किया जो घटकर आठवीं पचवर्षीय योजना मे केवल 5 2 प्रतिशत रह गया। नौवीं पचवर्षीय योजना में कृषि व सबद्ध क्षेत्र परिव्यय पर 36,658 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो नौवीं योजना परिव्यय 8,75,000 करोड रुपए का केवल 4 2 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश उत्तरोत्तर घटने के कारण कृषि विकास गति नहीं पकड सका। कृषि निवेश घटने के कारण कृषि वृद्धि दर भी घटी। कृषि वृद्धि दर 1995–96 मे ऋणात्मक 3 प्रतिशत तथा 1997–98 मे भी ऋणात्मक 2 प्रतिशत रही जो भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए चिन्ताप्रद बात है।

2. साख सुविधाओं का अभाव (Lack of Credit Facilities) : देश के ग्रामीण परिवेश में लम्बे समय तक साख सुविधाओ का अभाव रहा। किसानों की

साख सुविधाओ की पूर्ति वास्ते आज भी बडी सीमा तक सेठ–साहूकारो पर निर्भरता बनी हुयी है। सेठ–साहूकार गरीब किसानो की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते है। वे किसानो से अधिक ब्याज वसूली के अलावा उनका मनमाफिक शोषण भी करते हैं। तत्कालीन सरकार ने गरीब किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋण माफ करके वाह–वाही लूटी किन्तु इस निर्णय से बैंको की स्थिति बिगडी। भारत के निरक्षर किसानो को बैंको की पेचीदगी ऋण प्रणाली से असुविधा होती है। वह ऋण लेने मे बिचौलिए के चक्कर मे फस जाता है। हाल के वर्षो मे बैंको मे भी भ्रष्टाचार बढा है। ऋणो की स्वीकृति मे रिश्वत ली जाने लगी है। दूर–दराज के क्षेत्रो मे बैंक शाखाओं का नितान्त अभाव है। गरीबी के कारण किसान इस स्थिति म नहीं कि वे बुआई के समय स्वय के ससाधनो से बीज व खाद खरीद सके। सिचाई के लिए भी किसानो को अधिक वित्त की आवश्यकता होती है मजबूरन किसान प्रभावी लागो के चगुल मे फस जाता है।

3 अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenditure) बहुसख्यक किसानों की माली हालत दयनीय है। गरीबी मनुष्य का बडा दुख है। भारत के किसान गरीबी की समस्या से ग्रसित तो है ही इसके अलावा वह रुढिवादिता से भी घिरा हुआ है। कम आय के बावजूद किसानों और गरीबों को कर्ज लेकर सामाजिक रीति–रिवाजो पर व्यय करना पडता है। इनके अभाव में समाज उन्हे जीने नहीं देता है। कर्ज की बडी राशि अनुत्पादक व्ययो मे खर्च हो जाती है। कर्ज राशि का कृषि मे निवेश नहीं हो पाता इसके भयकर परिणाम किसान को भुगतने पडते हैं। अनुत्पादक व्ययो की दोहरी मार किसानो पर पडती है एक तो इस व्यय से आय प्राप्ति नहीं होती दूसरी ओर उसकी कृषि पिछड जाती है। नतीजतन किसान कर्ज मे डूब जाता है।

4 मूल्य वृद्धि का कम लाभ (Less Profit Due to Price Increase) हाल के वर्षो में कृषिगत उत्पादो की कीमतों मे भारी वृद्धि हुई, किन्तु बडी हुई कीमतों का लाभ किसानो को नहीं मिला। बढी हुई कीमतो का लाभ दलाल, बिचौलिए आदि हडप जाते हैं। किसान गरीबी के कारण बढी हुई कीमतों का लाभ उठाने की स्थिति मे नहीं होते हैं। किसानो के कर्ज मे डूबे होने के कारण उसकी उपज का अधिकाश भाग खलिहान से ही सेठ–साहूकार उठा ले जाते हैं फिर किसान का परिवार अपेक्षाकृत बडा होता है। वर्ष भर खाने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो कुछ फसल बचती है उसे धन की महती और शीघ्र आवश्यकता होने के कारण बाजार में बेचनी पडती है। उसके पास सग्रहण क्षमता का अभाव होता है किसान के पास बेचने योग्य उपज कम होने तथा कृषि उपज मण्डियो से दूर होने के कारण वह सस्ते दामो पर उपज को बेच देता है। कृषि उत्पादो की बडी हुइ कीमतो से उल्टा किसानो का शोषण होता है। वर्ष 1998 म (अक्टूबर–नवम्बर) आलू–प्याज की कीमतें बेतहाशा बढी। क्या बढी हुई कीमतो का लाभ किसानो का मिला। बढी हुई कीमतो के कारण किसान आलू

प्याज खाने तक के लिए तरस गया। प्याज के बीज की कीमते भी तीव्रता से बढी। नतीजतन किसान बुआई के लिए बीज नहीं खरीद सके। बडी हुई कीमतो का लाभ तो बिचौलिए ले उडे, किसान तो ताकता रह गया। सरकार कालाबाजारी को रोकने मे सफल नहीं हो सकी।

5. यंत्रीकरण का अभाव (Lack of Mechanisation) : भारत गावो का देश है। गावो के लोग अधिकतर निरक्षर है तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। गावो में साख सुविधाओ का अभाव है। सरकार ने कृषि विकास की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। कृषि प्रधान देश मे कृषि नीति की घोषणा वर्ष 1999 तक नहीं की गई। कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में बडे पैमाने पर खेती पशुओ से की जाती है। भारतीय कृषि मे यत्रीकरण का अभाव है। समय पर और उचित तरीके से जमीन तैयार करने, फसल की कटाई के बाद के कार्यों तथा एक साथ कई फसले प्राप्त करके उत्पादन और उत्पादकता बढाने मे कृषि सबधी यत्र और मशीने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल ही के वर्षों में खेतीबाडी में कृषि सबधी यत्रो तथा उपकरणो का बडे पैमाने पर उपयोग होने लगा है, लेकिन यह स्थिति आम तौर पर उत्तर प्रदेश मे और सिचाई की सुविधा वाले कुछ क्षेत्रो तक ही सीमित रही है। जहा तक ट्रैक्टरों का सवाल है 1992–93 मे 1,44,330 ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। हरियाणा, पजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मे कुल सख्या के 70 प्रतिशत ट्रेक्टर बिके। इसी प्रकार 1992–93 मे 8,642 पावर टिलर बेचे गये जिनमे से 81 प्रतिशत असम, पश्चिम बगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र मे बिके। वर्तमान मे भारत में 12 लाख से अधिक कुल ट्रेक्टर है और पावर टिलर भी 53,000 से अधिक है। फिर भी कृषि–यत्रो की दृष्टि से भारत कई एशियाई देशो से भी पीछे है।[1]

6. सिंचाई के साधनो का अभाव (Lack of Irrigation Resources) : सिचाई सुविधाओ के अभाव के कारण भारतीय कृषि पिछडी हुई दशा मे है। आजादी के पाच दशक बाद भी किसान सिचाई के लिए बादलों की ओर देखने को मजबूर हैं। देश के समग्र सिचित क्षेत्र का अभाव है। समग्र सिचित क्षेत्र 1991–92 मे 7 6 करोड हैक्टेयर तथा 1996–97 मे 8 9 करोड हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना मे समग्र सिचित क्षेत्र भी कम है। समग्र बुआई क्षेत्र 1996–97 मे 19 1 करोड हैक्टयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना मे समग्र सिचित क्षेत्र 1991–92 मे 41 5 प्रतिशत तथा 1996–97 मे 46 9 प्रतिशत था। देश के जल ससाधनो का विकास और समुचित उपयोग महत्त्वपूर्ण है। अक्टूबर 1985 मे सिचाई विभाग का नाम बदलकर जल ससाधन मत्रालय रखा गया तथा सितम्बर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनायी गई। आठवीं पचवर्षीय योजना में सिचाई और बाढ नियन्त्रण पर 32,525 3 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया इसके बावजूद सिचाई क्षमता का अपेक्षित विकास नही हुआ और जो कुछ सिचाई क्षमता का विकास हुआ उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका नतीजतन कृषि की दशा मे उल्लेखनीय

सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। योजना पूर्व (1951 तक) सिचाई क्षमता 226 लाख हैक्टेयर वार्षिक थी जो बढकर 1992–93 तक 835 लाख हैक्टेयर वार्षिक ही हो सकी। वर्ष 1992–93 तक सिचाई क्षमता का उपयोग 751 लाख हैक्टेयर था। स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत सिचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। देश म वैस ही सिचाई सुविधाओ का अभाव है ऐसी स्थिति उपलब्ध सिचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना चिन्ताप्रद बात है।

7 **रासायनिक खाद की कमी (Lack of Chemical Manure) :** भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि के लिए खाद आवश्यक है। भारत मे खाद का नितान्त अभाव है। परम्परागत खाद जैसे गोबर को जलाकर राख कर दिया जाता है। रासायनिक खाद का उत्पादन माग की तुलना मे बहुत कम है। देश म बुआई के समय रासायनिक खाद की किल्लत रहती हे। बडे पैमाने पर खाद की कालाबाजारी होती है। किसानो को महगे दामों पर खाद खरीदना पडता है। राजस्थान में अक्टूबर नवम्बर 1998 मे रबी फसल बुआई के समय रासायनिक उर्वरको का अभाव और उसकी कालाबाजारी के कारण किसानो मे आक्रोश था। इसका प्रभाव 25 नवम्बर 1998 के राज्य के विधानसभा चुनाव पर पडा। वर्ष 1990–91 मे उर्वरक उत्पादन 9,045 हजार टन, उर्वरक आयात 2,758 करोड रुपए तथा उर्वरक सब्सिडी 4,389 करोड रुपए थी। वर्ष 1995–96 में उर्वरक उत्पादन 11,335 हजार टन, उर्वरक आयात 1,935 करोड रुपए तथा उर्वरक सब्सिडी 6,235 करोड रुपए थी। रासायनिक खाद का उपयोग 1990–91 मे 12 5 मिलियन टन तथा 1995–96 में 13 9 मिलियन टन था। भारत की तुलना में प्रति एकड रासायनिक खादों का उपयोग इग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, बैल्जियम, नीदरलैण्ड आदि देशों में कई गुना अधिक होता है।

भारत मे रासायनिक उर्वरकों की कमी के साथ उत्तम बीजों व कीटाणुनाशक औषधियों का भी अभाव है। यद्यपि भारत म हरित क्राति की शुरुआत काफी पहले की जा चुकी है, किन्तु इसका लाभ सीमित क्षेत्र को ही प्राप्त हो सका है। उत्तम बीजो की उपलब्धि और पौध सरक्षण औषधिया सामान्य किसान की पहुच से बाहर है।

(ग) सबद्ध सगठनात्मक कारण (Constitutional Factors)

1 **दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था (Defective Land System)** स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अग्रेजों के शासनकाल मे जागीरदारी और जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण भारत की कृषि पिछड गई। जागीरदारो तथा जमींदारों ने भारत के किसानो का मनमाफिक शोषण करके उन्हे इतना कमजोर कर दिया कि दशको तक किसान आर्थिक रुप से मजबूत नहीं हो सका। स्वतन्त्र भारत में अब जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है किन्तु इसका परोक्ष प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर होता है।

2. भूमि सुधारों की धीमी गति (Slow Progress of Land Reforms) भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमो को गति नहीं मिल सकी। आज भी देश मे भूमिहीन किसानों की बहुलता है। कुछ कृषक परिवारो के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भूमि की असमानता कृषि विकास मे बाधा है। कानूनो का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमो को गति नहीं मिली।

3 भूमि का उपविभाजन (Sub-Division of Land) भूमि का उपखण्डन और उपविभाजन कृषि विकास मे बाधक है। भारत के खेत छोटे छोटे टुकडो मे विभाजित हो गए हैं और विभाजन का क्रम जारी है। खेतो के छोटे–छोटे टुकडो मे श्रम व पूजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भारत मे वर्ष 1980–81 मे कुल जोतों मे 56 5 प्रतिशत सीमात जोतो (एक हैक्टेयर से कम) का, 18 प्रतिशत लघु जोतों (एक से 2 हैक्टेयर तक) का, 14 प्रतिशत अर्द्ध मध्यम जोतो (2 से 4 हैक्टेयर तक) का, 9 1 प्रतिशत मध्यम जोतों (4 से 10 हैक्टेयर तक का तथा 2 4 प्रतिशत बडी जोतो (10 हेक्टेयर व अधिक) का है। भूमि के उप विभाजन और उपखण्डन की बुराई को चकबन्दी के माध्यम से रोका जाना चाहिए।

4 कृषि विशेषज्ञों का अभाव (Lack of Agricultural Specialists) . विगत वर्षों में देश में कृषि विशेषज्ञों व प्रशिक्षित कर्मचारियो की सख्या मे वृद्धि हुई है किन्तु कृषि अनुसधान सुविधाए समूची कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत कम है। देश मे आज भी कृषि विश्वविद्यालयो का अभाव है। भारत मे कृषिगत शोध व अनुसधान विकसित देशों की तुलना मे नगण्य है।

(द) सामाजिक और राजनीतिक कारण (Social and Political Causes)

1. सामाजिक कुरीतियां (Social Evils) · भारत की बहुसख्यक जनसख्या निरक्षर होने के कारण रुढिवादिता में डूबी हुई है। देश के किसान भाग्यवादिता और परम्परागत दृष्टिकोण के कारण खेती के आधुनिकतम तरीको को नहीं अपनाते है। अधिकतर किसान रीति–रिवाजो को निभाने मे वित्तीय कठिनाईयो का शिकार हो जाते हैं। किसान कृषि विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं।

2 कृषि पर जनसख्या का बढता भार (Increased Load of Population on Agriculture) . भारत जनसख्या विस्फोट की स्थिति मे पहुच चुका है। बढती जनसख्या आर्थिक विकास मे बडी बाधा है। अधिकाश जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतत्रता के पाच दशक के पश्चात भी जनसख्या की व्यावसायिक सरचना मे कृषि तथा सबधित क्षेत्र की अधिक भागीदारी है। प्रोफेसर रमेल के अनुसार भारत में प्रति सौ एकड भूमि पर 148 व्यक्ति आश्रित हैं जबकि पौलेण्ड मे 31 व्यक्ति तथा ब्रिटेन मे 6 व्यक्ति ही आश्रित हैं।

3 राजनीतिक कारण (Political Facrtors) राजनीति भी कृषि के पिछडपन का कारण है। भूमि सुधार कार्यक्रमो को लागू करना राज्य सरकारो का काम है। कृषि विकास सबधी निर्णय राजनीति से ओत–प्रोत होते हैं।

कृषि विकास के पिछडेपन में उपर्युक्त कारणों के अलावा निम्न उत्पादकता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अपर्याप्त परिवहन साधन, भण्डारण क्षमता का अभाव, निरक्षरता, ग्रामीण परिवेश मे लघु एव कुटीर उद्योगो का अभाव, मूल्यो मे उच्चावचन आदि कारण भी कृषि विकास मे बाधक है।

भारत मे कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसरचना का विकास आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक पूजी निवेश की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओं में कृषि एव सबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर (4 2%) से दो गुना किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994 पृ 368

2 *टाइम्स ऑफ इण्डिया*, 12 मार्च 1997

3 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय कृषि की विशेषताए बताइए

2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व को सक्षेप मे समझाइए।

3 भारतीय कृषि के पिछडेपन के चार प्रमुख कारण बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए भारतीय अर्थव्यपस्था म कृषि के महत्त्व को लिखना है।

2 *नियोजन काल मे कृषिगत विकास की व्याख्या कीजिए।*
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में कृषिगत विकास को लिखना है।)

3 भारतीय कृषि के पिछडेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए कृषि के पिछडेपन के कारणो को लिखना है।)

14

नवीन कृषि व्यूहरचना अथवा हरित-क्रान्ति

(New Agriculture Strategy or Green Revolution)

आजादी के प्रारंभिक वर्षों मे भारतीय किसान की माली हालात दयनीय थी। गुलामी के दिनो मे विदेशी आतताइयो ने कृषि की दशा और दिशा सुधारने के प्रयास नहीं किए। स्वतत्रता के समय अनेक समस्याएँ विरासत मे मिलीं, जिनमे कृषि का पिछडापन प्रमुख समस्या थी। बहुसख्यक आबादी कृषि पर निर्भर थी और गाँवो में निवास करती थी। समूचा ग्रामीण परिवेश ऋणग्रस्तता मे डूबा हुआ था। कृषि की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता काफी कम थी। खेतो का उत्पाद किसानों के लिए वर्षपर्यन्त दो जून रोटी के लिए पर्याप्त नहीं था। अनेक बार तो समूचे उत्पाद को खलिहान से ही सेठ साहूकार उठा ले जाते और किसान तथा उसका परिवार ताकते रह जाते। किसान इस स्थिति मे नहीं थे कि वे स्वय अपने पैरो पर खडा हो सके। उनके खेत गिरवी रखे हुए थे। किसान खेतो पर बधुआ मजदूर के रुप में काम करने को मजबूर थे।

स्वातन्त्र्योत्तर सत्ता भारतीयो के हाथ मे थी फिर भी कृषि की सुध नहीं ली गई। तत्कालीन सरकार को औद्योगीकरण की सूझी। कृषि क्षेत्र मे व्याप्त समस्याओ को ताक मे रखकर पहली मर्तबा 1948 मे औद्योगिक नीति की घोषणा कर औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी गई। कृषि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1951 से नियोजित विकास का मार्ग चुना। प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषिगत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना मे जो कृषिगत लक्ष्य रखे गए उनकी प्राप्ति की बात याजना की समाप्ति पर जोर-शोर से कही गई। दूसरी योजना मे कृषिगत विकास की तुलना मे औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई।

के सात जिला यथा शाहबाबाद (बिहार), पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश) तंजापुर (तमिलनाडु), लुधियाना (पजाब), रामपुर (मध्य प्रदेश), अलीगढ (उत्तर प्रदेश), पाली (राजस्थान) में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया। इन सभी जिलों में बाढ व सूखे की समस्याए कम थी तथा सिचाई सुविधाए पर्याप्त थीं। अक्टूबर 1965 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को देश के 114 जिले तक व्यापक कर दिया गया। भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत का श्रय प्रोफेसर नार्मन बारलॉग को जाता है। भारत सरकार ने 1966 से अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम का शुभारम किया। कृषि की नवीन व्यूह रचना में कृषि पडतों के समन्वित उपयोग से वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम समय में अधिक कृषिगत उत्पादन करना तथा कृषि उत्पादो की माग व पूर्ति के अन्तराल को पाटना है। कृषि की नवीन व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व निम्नांकित हैं

1 **उन्नत बीजों का प्रयोग** (High Yield Variety Programme, HYVP) भारत में अनाज का उत्पादन बढाने के लिए यह कार्यक्रम 1966–67 में शुरु किया गया था। हमारी कृषि नीति का यह यह महत्त्वपूर्ण आधार है। अधिक उपज देने वाले बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत नई परियोजनाए जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–गेहू, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–मक्का बाजरा, समन्वित धान विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का उद्देश्य पैदावार बढाने की आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढाना है। मिनीकट प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों की नई किस्मो को लोकप्रिय बनाना तथा खेतों में उगाने के लिए परीक्षण करना है। इसके लिए 0.25 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक के बीजों के मिनीकिट किसानों को मामूली कीमत पर दिए जाते हैं।

भारत में उन्नतशील बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 1966–67 में 18 9 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1986–87 में 561 8 लाख हैक्टेयर, 1990 91 में और बढकर 639 लाख हैक्टेयर हो गया। उन्नतशील बीज कार्यक्रम क अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 1991–92 मे 647.24 लाख हैक्टेयर था।

बीज खेतीबाढी के लिए बुनियादी वस्तु है और पैदावार बढाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार कृषि उत्पादन बढाने में बीजों के महत्त्व को समझते हुए 1963 मे राष्ट्रीय बीज निगम और 1969 में भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना की। राष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादकों से ठेके पर आधार बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन करता है और उसकी बिक्री की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1990–91 में 2,14,980 क्विन्टल तथा 1991–92 में 2,96,981 क्विन्टल बीज का उत्पादन किया।

प्रमाणित और क्वालिटी बीजों का वितरण 1985–86 में 55 1 लाख क्विन्टल था जो बढकर 1990–91 में 34 41 लाख क्विन्टल तथा 1995–96 में और

बढकर 699 लाख क्विन्टल हो गया। वर्ष 1998–99 मे 83 लाख क्विन्टल प्रमाणित और क्वालिटी बीजो के वितरण का लक्ष्य था।

2 **उर्वरकों का उपयोग** (Use of Fertilizers) – कृषि की उत्पादकता बढाने के लिए उर्वरक महत्त्वपूर्ण है। भारत मे कृषि उत्पादन मे 70 प्रतिशत वृद्धि उर्वरको के उपयोग से ही सभव हो पाई है। हरित क्रान्ति मे उर्वरको के उपभोग मे उत्तरोत्तर वृद्धि पर बल दिया गया। उर्वरको की कुल खपत 1960–61 मे 02 मिलियन टन थी जो बढकर 1990–91 मे 125 मिलियन टन तथा 1995–96 मे और बढकर *139 मिलियन टन हो गई।* उर्वरको की खपत *1997–98 मे 162* मिलियन टन तक जा पहुची।

भारत में उर्वरक खपत

(मिलियन टन)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	पोटाश (के)	कुल (एन पी क)
1960 61	0 2	--	- -	0 2
1970-71	1 5	0 5	0 2	2 2
1980-81	3 7	1 2	0 6	5 5
1990-91	8 0	3 2	1 3	12 5
1991-92	8 0	3 3	1 4	12 7
1992-93	8 4	2 9	0 9	12 2
1993-94	8 8	2 7	0 9	12 4
1994-95	9 5	2 9	1 1	13 6
1995-96	9 8	2 9	1 2	13 9
1996-97	10 3	3 0	1 0	14 3
1997-98	10 9	3 9	1 4	16 2
1998-99	12 3	4 4	1 5	18 2
1999 2000 (अनुमानित)	12 4	4 9	1 8	19 1

सोत *इकोनोमिक सर्वे,* 1998-99 तथा 1999-2000

उर्वरको के उपयोग का आदर्श अनुपात 4 2 1 हैं। किन्तु 1995–96 मे नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश उपयोग अनुपात 8 5 2 5 1 रहा। भारत मे *नाइट्रोजन का उपयोग तुलनात्मक रूप से अधिक है। जिसका प्रभाव उर्वरको की* कीमतो पर भी पडता है। अगस्त 1992 मे फास्फेट और पोटाश उर्वरक (डी ए पी, एम ओ पी काम्पलेक्स ग्रेड उर्वरक सहित) को नियत्रण मुक्त किया गया था। केवल यूरिया (नाइट्रोजन उर्वरक) मूल्य नियत्रण प्रणाली के अन्तर्गत है इसकी कीमत को नियत्रित करने के लिए बडी मात्रा मे सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 1992 मे उर्वरको

को नियत्रण मुक्त करने से फास्फेट और पोटाश की कीमतें तेजी से बढीं।

भारत म उर्वरको का उत्पादन आवश्यकता से कम है। उर्वरका की माग और पूर्ति के अन्तराल को पाटने के लिए बडी मात्रा मे उर्वरको का आयात किया जाता है। उर्वरको की बढती कीमतो को नियत्रित करने वास्ते भारत सरकार आयातित और घरेलू उर्वरक पर सब्सिडी देती है। वर्ष 1995–96 मे उर्वरक उत्पादन 11,335 हजार टन था जिसमे नाइट्रोजन 8,777 हजार टन तथा फास्फेट 2,558 हजार टन था। पोटाश का उत्पादन नही था। वर्ष 1995–96 मे उर्वरक आयात 3955 हजार टन था। विगत वर्षों मे उर्वरक सब्सिडी तीव्रता से बढी। वर्ष 1992–93 मे उर्वरक सब्सिडी 5,796 करोड रुपये थी। फास्फेट और पोटाश उर्वरक को नियत्रण मुक्त करने के बाद उर्वरक सब्सिडी कम हुई। वर्ष 1993–94 मे उर्वरक सब्सिडी 4,400 करोड रुपये थी। बाद के वर्षो मे उर्वरक सब्सिडी फिर बढी। वर्ष 1995–96 मे उर्वरक सब्सिडी 6,235 करोड रुपये हो गई इसमें *आयातित उर्वरक सब्सिडी 1,935 करोड रुपये तथा घरेलू उर्वरक सब्सिडी 4,300* करोड रुपये थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 1998 मे उर्वरक सब्सिडी में और बढोतरी की। उर्वरक सब्सिडी 1998–99 में 9,983 करोड रुपये (बजट अनुमान) तक जा पहुची।

उर्वरक उत्पादन, आयात और सब्सिडी

(हजार टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	सब्सिडी (करोड रुपए)
1988-89	8964	1608	3201
1990-91	9045	2758	4389
1991-92	9863	2769	4800
1992-93	9736	2988	5796
1993-94	9047	3166	4400
1994-95	10438	2965	5241
1995-96	11335	3955	6235
1996-97	11155	1975	6093
1997-98	13062	3174	10026
1998-99 (ब अ)	13424	2165*	9983
1999-2000 (ब अ)	14412	3094**	13250

स्रोत *इकोनोमिक सर्वे*, 1998-99, पृ स 121

* नवम्बर 1998 तक, ** अक्टूबर 1999 तक

3 सिचाई सुविधा (Irrigation Facility) – हरित क्रांति में सिचाई सुविधा के विकास पर विशष बल दिया गया। भारत में सिचाई के लिए बडी,मध्यम व लघु

सिचाई परियोजनाए है। नहरो और कुओ द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। हरित क्राति प्रारम्भ किए जाने के बाद भारत मे सिचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। किन्तु सिचाई सुविधाओ का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

विगत दशको मे शुद्ध सिचित क्षेत्र में सिचाई स्रोतो में बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950–51 मे शुद्ध सिचित क्षेत्र मे नहरो का भाग 39 8 प्रतिशत था जो घटकर 1992–93 में 34 1 प्रतिशत रह गया। इस समयावधि मे कुओ द्वारा सिचाई में भारी वृद्धि हुई। शुद्ध सिचित क्षेत्र में 1950–51 मे कुओ का भाग केवल 28 7 प्रतिशत था जो बढकर 1992–93 मे 53 प्रतिशत हो गया। शुद्ध सिचित क्षेत्र मे तालाबो की भी भूमिका घटी है।

सिंचाई क्षमता और उसका उपभोग

(Irrigation Potential and Its Utilities)

(मिलियन हैक्टेयर)

वर्ष	सिचाई क्षमता (समस्त योजनाएँ)	उपभोग
1950-51	22 6	22 6
1980 81	58 7	54 1
1990-91	81 0	72 9
1991-92	81 1	72 8
1992-93	83 0	74 5
1993-94	84 9	76 2
1994-95	87 1	77 9
1995 96	89 4	79 9
1996-97	89 4	80 7
1998-99	92 8	83 7

स्रोत सातवीं पचवर्षीय योजना 1998-99 और इकोनोमिक सर्वे 1996-97, 1999-2000

विगत वर्षो मे सिचाई क्षमता मे धीमी गति से वृद्धि हुई इसके अलावा उपलब्ध सिचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। वर्ष 1980–81 मे सिचाई क्षमता 58 7 मिलियन हैक्टेयर और सिचाई क्षमता उपयोग 54 1 मिलियन हैक्टेयर था। इस प्रकार सिचाई क्षमता का 92 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। वर्ष 1995–96 मे सिचाई क्षमता और उसके उपयोग मे वृद्धि हुई किन्तु क्षमता और उपयोग मे अतराल बना रहा। सिचाई क्षमता 1995–96 मे 89 4 मिलियन हैक्टेयर हो गई किन्तु सिचाई क्षमता का उपयोग 79 9 मिलियन हैक्टेयर्स था अर्थात सिचाई क्षमता का 89 प्रतिशत ही उपयोग हो सका।

सिचाई सुविधा मे लघु सिचाई परियोजनाओ की अधिक भूमिका है। इसका

कारण लघु सिचाई परियाजनाओ मे कम वित्त की आवश्यकता तथा शीघ्र लाभ मिलना है। वप 1994–95 मे कुल सिचाई क्षमता (Irrigation Potential) 87 1 मिलियन हेक्टयर थी इसमे लघु सिचाई परियोजनाओं का भाग 54 8 मिलियन हैक्टेयर था जबकि बडी एव मध्यम सिचाई परियोजनाआ का भाग 32.3 मिलियन हैक्टेयर ही था।

भारत म सातवीं याजना के अत मे अर्थात 1989–90 में सिचाई का उपयोग 68 6 मिलियन हैक्टेयर था इसमें बडी और मध्यम सिचाई परियोजनाओ का उपयाग 25 5 मिलियन हेक्टयर तथा लघु सिचाई परियोजनाओ का उपयोग 43 1 मिलियन हैक्टेयर था।

वर्ष 1990–92 के दौरान सिचाई उपयोग मे 4.2 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि हुई। आठवीं पचवर्षीय योजना 1992–97 में सिचाई क्षमता 15 80 मिलियन हैक्टेयर तथा सिचाइ उपयोग 13 61 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रख गया। आठवीं पचवर्षीय याजना म भी लघु सिचाई योजनाओ के विकास पर बल दिया गया। आठवीं योजना म लघु सिचाई क्षमता 10 71 मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 9 36 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जबकि बडी और मध्यम सिचाई परियोजनाओ की सिचाई क्षमता 5 09 मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 4.25 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। आठवीं योजना के अत मे सिचाई क्षमता 89 44 मिलियन हैक्टेयर तथा उपयोग 80 69 मिलियन हैक्टेयर अन्तरिम था।

4 कीटाणुनाशक औषधिया और पौध सरक्षण (Pesticides and Plant Protection) – पाध सरक्षण के क्षेत्र म समन्वित महामारी प्रबन्ध और अपेक्षाकृत सुरक्षित कीटनाशको की उपलब्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। जिससे फसल की पैदावार को हानिकारक कीटो और बीमारियो से बचाया जा सके। आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण फसला म फलने वाली महामारियों और रोगों पर निगरानी रखने के लिए 1993 म लगभग 7 88 लाख हैक्टेयर क्षत्र में नमूना सर्वेक्षण कराया गया तथा महत्त्वपूर्ण फसलो म महामारी की रोकथाम के लिए 13 46 लाख परजीवी छोडे गए। जैव नियत्रण के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 3 25 लाख हैक्टेयर है। समन्वित महामारी प्रबन्ध की नीति अपनाने के कारण कपास, चने, गन्ने के पइरिला कीडो के कारण हाने वाली हीलिपाथिस बीमारी नियत्रण मे रही। थार मरुस्थल मे सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 28 केन्द्रो स टिड्डियों पर नजर रखी जाती है।

भारत म कीटाणुनाशक औषधिया का उपभोग 1974–75 में 47 हजार टन तथा 1984–85 म 50 हजार टन था। वर्ष 1997–98 मे कीटाणुनाशक औषधिया का उपभाग 86 हजार टन (अनुमानित) था। पौध सरक्षण कार्यक्रम 1965–66 मे 166 लाख हैक्टयर 1973–74 म 630 लाख हैक्टेयर तथा 1996–97 मे 1,350 लाख हैक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र में था।

5 कृषि में यत्रीकरण (Agricultural Mechanisation) – नवीन कृषि व्यूहरचना में कृषि म यत्रीकरण के बढावे को दल दिया गया है। कृषि मे यत्रीकरण के लिए

सभी राज्यो मे कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए है। कृषि उद्योग निगम किराया क्रय पद्धति के आधार पर किसानो को कृषि यत्र उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1991–92 मे ट्रेक्टरो का उत्पादन 1 52 लाख था जो बढकर 1994-95 मे 1 64 लाख तथा 1995-96 मे और बढकर 1 91 लाख (अनुमानित) हो गया। इसी प्रकार पावर टिलर का उत्पादन 1991–92 मे 7,580 था जो बढकर 1994–95 मे 8,334 तथा *1995–96 मे और बढकर 10,239 हो गया। हरित क्राति के कारण टेक्ट्रो और* पावर टिलरो की बिक्री मे भी वृद्धि हुई। ट्रैक्टरो की बिक्री 1991–92 मे 1 51 लाख थी जो बढकर 1994–95 मे 1 65 लाख तथा 1995–96 मे और बढकर 1 91 लाख हो गई। पावर टिलरो की बिक्री 1991-92 मे 7,528 से बढकर 1994-95 में 8,376 तथा 1995-96 मे 10,048 (अनुमानित) हो गई। चतुर्थ पचवर्षीय योजना में टेक्ट्रो की पूर्ति मे वृद्धि के लिए उद्योग को लाइसेस मुक्त कर दिया गया।

6 **कृषि वित्त** (Agriculture Financing) – भारत मे हरित क्राति लागू किये जाने के बाद गरीब किसान को सेठ–साहूकारो के चगुल से बचाने के लिए कृषि वित्त विकास के प्रयास किए गए। ग्रामीण परिवेश मे सहकारी समितियो का विकास किया गया है। व्यापारिक बैंक किसानो को अल्पकालीन ऋण तथा भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराते है। कृषि वित्त के लिए 1982 मे शीर्ष सस्था के रुप मे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Bank for National Agriculture and Rural Development) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 1996–97 तक कृषि वित्त वास्ते 47,600 करोड रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 31,064 करोड रुपये वितरित किए।

कृषि सस्थागत साख 1991–92 मे 11,202 करोड रुपये थी जो बढकर 1994–95 मे 21,424 करोड रुपये हो गई। वर्ष 1996–97 मे कृषि सस्थागत साख 28,817 करोड रुपये लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1994–95 मे सहकारी बैंको द्वारा 11,916 करोड रुपए व्यापारिक बैंको द्वारा 8,256 करोड रुपये तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 1,252 करोड रुपये कृषि साख मुहैया की गई।

7. **कृषि विपणन** (Agricultural Marketing) – गावों में किसानों की मालीहालत खस्ताहाल होने तथा सग्रहण की पर्याप्त सुविधा नही होने के कारण अधिकाश कृषक खेती की पैदावार को बिचौलिए को बेच देते है। बिचौलिए द्वारा शोषण के कारण किसानो को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हरित क्राति मे *किसानो को शोषण से बचाने के लिए कृषि विपणन की व्यवस्था की गई है जिससे* किसानो को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके। कृषि विपणन के लिए नियत्रित मडियो की स्थापना, वस्तुओ का प्रमापीकरण और श्रेणीकरण, सहकारी विपणन समितियो का विकास आदि प्रयास किये गए। कृषि विपणन की सहकारी व्यवस्था मे जिला व ग्राम स्तर पर सहकारी विपणन समितिया, राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन सघ *तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ की स्थापना की गई है।* नब्बे के दशक मे कृषि विपणन विकास के प्रयास किए गए। वर्ष 1990–91 मे कृषि

रायमित बाजार (Agricultural Regulated Markets) 6,640 थे जो बढकर 1995–96 म 6,968 हो गए। कृषिगत वस्तुओ के श्रेणी प्रमाणीकरण सख्या 1990–91 मे 142 से बढकर 1995–96 मे 153 हो गई। कृषि अवशीतन केन्द्रो की सख्या 1990–91 मे 2,930 तथा क्षमता 7 68 मिलियन टन थी। यह सख्या बढकर 1995–96 मे 3,253 तथा क्षमता 8 73 मिलियन टन हो गई।

8. भूमि सुधार कार्यक्रम (Land Reforms) – कृषि और किसानो की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। भूमि सुधारो के अन्तर्गत सभी राज्यो मे कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी भूमि सुधारो का प्रावधान किया गया। राजकीय प्रयासो के बावजूद भूमि सुधार कार्यक्रमो को अपेक्षित गति नहीं मिली। आज भी किसानों के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है दूसरी ओर खेतिहर और सीमान्त कृषकों की सख्या में विशेष वृद्धि नहीं हो सकी।

7. शुष्क कृषि (Dry Farming) – भारत म सिचाई सुविधाओं का अभाव है। आज भी कृषि मानसून पर निर्भर हैं। भारत मे 1990–91 में कुल फसल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत भाग सिचित था। कुल फसल क्षेत्र में सिचित क्षेत्र का भाग बढकर 1993–94 मे 38 7 प्रतिशत ही हो सका। वर्ष 1993–94 में खाद्यान्न सिचित क्षेत्र 48 2 मिलियन हैक्टेयर था। गौरतलब है लगभग 52 खाद्यान्न फसल क्षेत्र असिचित है। अत हरित क्राति में शुष्क कृषि पर बल दिया गया है। शुष्क कृषि को बढावा देकर भारत भी इजरायल की मरुस्थली खेती की भाति थार मरुस्थल को लहलहाते खेतो मे परिवर्तित कर सकता है। शुष्क कृषि पर शोध व अनुसधान करके शुष्क कृषि के अनुकूल बीजो का उत्पादन किया जा सकता है।

10. बहुफसल कार्यक्रम (Multi-Cropping Programme) – हरित क्राति में बहु फसल कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। उन्नत तथा विशिष्ट किस्म के बीजों का प्रयोग करके, कम समय मे पकने वाली फसलो की खेती करके, कृषिगत उत्पादन को बढाने का प्रयास किया जा रहा है। बहु फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र 1967–68 मे केवल 30 लाख हैक्टेयर था जो अब बढकर 365 लाख हैक्टेयर से अधिक हो गया है।

11. फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) – किसानो को किसी भी प्रकार से होने वाली हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। फसल बीमा लागू होने से प्राकृतिक आपदाओं यथा अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से होने वाले हानि की पूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था है।

12. कृषि के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान (Education and Research in the Field of Agriculture) – वर्ष 1973 में कृषि मत्रालय के अन्तर्गत कृषि अनुसधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र मे अनुसधान और शैक्षिक गतिविधिया सचालित करने के लिए

उत्तरदायी है।

13. **पशुपालन विकास** *(Development of Animal Husbandry)* – परिवारो की आय बढाने मे तथा कमजोर वर्गों, छोटे और सीमात किसानो और खेतिहर मजदूरो के लिए उपयोगी रोजगार की व्यवस्था करने मे पशुपालन की भूमिका होती है। नेशनल सैम्पल सर्वे सगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे 1972–88 के दौरान पशुधन क्षेत्र मे रोजगार मे लगभग 4 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी जबकि कृषि क्षेत्र में केवल 1 1 प्रतिशत की हुई थी। पशुधन विकास से मनुष्य के भोजन की पौष्टिकता भी बढती है और दूध, अण्डो और मास से भोजन अधिक प्रोटीन युक्त हो जाता है। इसलिए नवीन कृषि व्यूहरचना में पशु रोगो की रोकथाम, पशुओ के चारे की व्यवस्था, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, डेयरी उद्योग, नस्ल सुधार आदि पर बल दिया गया है।

नवीन कृषि व्यूह रचना की उपलब्धियॉं
(Achievements of New Agriculture Strategy)
अथवा
हरित क्रांति कहा तक हरी है?
(How Green is Green Revolution)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है। देश की बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की औद्योगिक प्रगति भी बडी सीमा तक कृषि विकास के साथ जुडी है क्योकि अनेक उद्योगो को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि की बडी भूमिका होने के बावजूद गुलामी के दिनो मे विदेशियो ने कृषि विकास के प्रयास नहीं किये नतीजन कृषि की दशा बिगड गई। किसान भी आर्थिक रुप से बहुत कमजोर हो चुका था। उसके वित्तीय ससाधन सीमित थे। भूमि पर जमीदारो का प्रभाव था। आर्थिक रुप से किसान सेठ–साहूकारो के चगुल में था। जब देश की रीढ ही कमजोर हो तो देश कैसे विकास की गति पकड सकता है। स्वतत्रता के तुरन्त बाद भी कृषि और ग्रामीण परिवेश की सुध नहीं ली गई। यद्यपि प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर थोडा ध्यान अवश्य दिया गया था, किन्तु कृषि की बिगडी दशा सुधारने का स्वतन्त्र भारत का यह प्रथम प्रयास अत्यल्प था। भारत के विकास के लिए कृषि क्षेत्र मे क्रातिकारी कदम उटाए जाने की आवश्यकता थी। भारत मे स्वतत्रता के प्रारभिक दो दशक तक कृषि विकास की कारगर नीति नहीं अपनाई गई। कृषि प्रधान देश मे लम्बे अरसे तक कृषि की उपेक्षा आश्चर्यजनक थी। भारत विशेषकर ग्रामीण परिवेश के पिछडेपन के लिए प्रमुख कारण कृषि की उपेक्षा माना जा सकता है।

भारत कृषि क्षेत्र मे पूजी निवेश और ग्रामीण सरचना का विकास करके आर्थिक पिछडेपन को समाप्त कर सकता है। किन्तु कृषि क्षेत्र मे उपरिव्यय विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे उत्तरोत्तर कम हुआ है और गावों मे सडको, सचार,

चिकित्सा, अशिक्षा आदि की स्थिति शोचनीय है। कृषि विकास का प्रारंभिक प्रयास वर्ष 1966–67 मे किया गया जिसको हरित क्राति का नाम दिया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत क कदम खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर बढे। हरित क्राति की ही बदोलत भारत आज एक अरब लोगो के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने मे समर्थ हो सका है। किन्तु कृषि मे विकास की जो सभावनाए है उनका विदोहन पूरी तरह नहीं कर पा रहे है। आज कृषि केवल देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है उसमें भी कभी–कभी सकट खडा हो जाता है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूती दन मे सफल नहीं हो सकी है। भारत की हरित क्राति की तकनीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की तकनीक के मुकाबले हल्की है। भारत मे हरित क्राति को लागू हुए साढे तीन दशक स अधिक का समय हो गया है। हरित क्राति का भारत की अर्थव्यवस्था मे बडा योगदान है। किन्तु हरित क्राति का लाभ देश के विकसित क्षेत्रो को ही मिला। हरित क्राति का लाभ बडे किसान हडप गए। गरीब किसान हरित क्राति का लाभ पाने के लिए आज भी ताक रहे हैं।

भारत में हरित क्राति की उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिनमे से निम्नलिखित उल्लेखनीय है –

1. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate) – हरित क्राति लागू किये जाने के बाद कृषि विकास को गति मिली है। सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90) मे कृषि व सबध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3 4 प्रतिशत थी। आठवीं पचवर्षीय योजना (1992-97) मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र के विकास मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त रही। कृषि व सबद्ध क्षेत्र वृद्धि दर 1992–93 मे 6 1 प्रतिशत, 1993–94 मे 3 6 प्रतिशत, 1994–95 मे 4 6 प्रतिशत (प्राविजनल), 1995–96 ऋणात्मक 0 1 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) तथा 1996–97 मे 3 7 प्रतिशत (अनुमानित) थी। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक दर 3 6 प्रतिशत रही। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि व सबद्ध क्षेत्र मे विकास तीव्र गति से नहीं हो सका। आठवीं योजना मे कृषि क्षेत्र मे वृद्धि सातवीं योजना से केवल 0 2 प्रतिशत अधिक थी। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1997–98 मे ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 3 9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी।

2. कृषि उत्पादन सूचकाक (Index of Agriculture Production) – कृषिगत उत्पादन (प्रमुख फसले) का सूचकाक 1993–94 मे 157 3 था जो बढकर 1994–95 मे 165, 1995–96 मे 160 7, तथा 1996–97 मे 175 4 हो गया। कृषिगत उत्पादन सूचकाक वृद्धि दर 1994–95 मे 5 0 प्रतिशत, 1995–96 में ऋणात्मक 2 7 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 3 9 प्रतिशत (अनुमानित) थी।

3. खाद्यान्न उत्पादल (Foodgrains Production) – खाद्यान्न उत्पादन 1991–92 म 168 4 मिलियन टन था जो बढकर 1992–93 म 179 5 मिलियन टन, 1993–94 म 184 3 मिलियन टन, 1994–95 मे 191 5 मिलियन टन था। वर्ष 1995–96 म खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य (Target) 192 मिलियन टन था जबकि

उत्पादन 1804 मिलियन टन ही हो सका। इसी प्रकार 1996–97 मे खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 1935 मिलियन टन रखा गया जबकि उत्पादन 1994 मिलियन टन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि 1991–92 म ऋणात्मक 45 प्रतिशत, 1992–93 मे 66 प्रतिशत, 1995–96 मे ऋणात्मक 58 प्रतिशत तथा 1996–97 मे 105 प्रतिशत थी। खाद्यान्न उत्पादन मे गेहूँ, चावल मोटा अनाज व दालो के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है।

4. वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन (Production of Commercial Crops) – वाणिज्यिक फसलो मे गन्ना, तिलहन, जूट का उत्पादन बढा है। गन्ने का उत्पादन 1970–71 में 12637 मिलियन टन था जो बढकर 1980–81 मे 15454 मिलियन टन, 1990–91 मे 24105 मिलियन टन तथा 1998–99 मे 2897 मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। तिलहन का उत्पादन वर्ष 1990–91 मे 1861 मिलियन टन था जो बढकर 1994–95 मे 2134 मिलियन तथा 1998–99 मे 24.2 मिलियन टन (अनुमानित) हो गया। जूट का उत्पादन 1970–71 म 619 मिलियन गाठे था जो बढकर 1980–81 मे 816 मिलियन गाठे, 1990–91 मे 9.23 मिलियन गाठे हो गया। जूट व मेस्ता का उत्पादन 1997–98 मे 111 मिलियन गाठे तथा 1998–99 मे 93 मिलियन गाठे (अनुमानित) था। कपास का उत्पादन 1995–96 129 मिलियन गाठे तथा 1998–99 मे 14 मिलियन गाठे (अनुमानित) था।

5. खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर (Annual Growth in Foodgrain Production) – खाद्यान्न उत्पादन की मिश्रित वृद्धि दर 1967–68 से 1995–96 के बीच 267 प्रतिशत, 1980–81 से 1995–96 के बीच 286 प्रतिशत तथा 1990–91 से 1997–98 के बीच 166 प्रतिशत रही। वर्ष 1990–91 से 1997–98 के बीच मिश्रित वृद्धि दर चावल की 153 प्रतिशत, गेहूँ की 367 प्रतिशत तथा दालो की 076 प्रतिशत थी।

खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	चावल	गेहूँ	दाले	खाद्यान्न
मिश्रित वृद्धि दर				
1967-68 से 1995-96	290	472	093	267
1980-81 से 1995-96	335	362	121	286
1990-91 से 1997-98	153	367	076	166
1989-90 से 1998-99 (प्रा)	160	362	-048	180

स्रोत *इकोनोमिक सर्वे*, 1996-97, पृ 142, 1998-99, 1999-2000

6 खाद्यान्न निर्यात (Foodgrains Export) – हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न का उत्पादन बढा है। खाद्यान्न उत्पादन बढन से न केवल देश में खाद्यान्न की

मे केवल 226 मिलियन हैक्टेयर था जो बढकर 1980–81 मे 541 मिलियन हैक्टेयर, 1990–91 मे 729 मिलियन हेक्टेयर तथा 1994-95 मे और बढकर 779 मिलियन हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1994–95 में सिचाई उपयोग बडी व मध्यम परियोजनाओ का 276 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु परियोजनाओ का 502 मिलियन हैक्टेयर था। सिचाई सुविधाओ के विस्तार से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होगी।

10. उर्वरको के उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption of Fertilizers) – भारत मे हरित क्राति के कारण उर्वरको के उपयोग मे क्रातिकारी वृद्धि हुयी है। आज भारत के किसानो को उर्वरको के प्रयोग के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का किसान जागरुक हो गया है। रासायनिक, उर्वरको का उपयोग 1970–71 मे केवल 22 मिलियन टन था जो बढकर 1980–81 मे 55 मिलियन टन, 1990–91 मे 125 मिलियन टन तथा 1997–98 मे और बढकर 162 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1997–98 मे नाइट्रोजन का उपयोग 109 *मिलियन टन, फास्फेट का उपयोग 39 मिलियन टन तथा पोटाश का उपयोग* 14 मिलियन टन था।

11. कृषिगत यत्रीकरण (Agricultural Mechanisation) – हरित क्राति के कारण देश मे ट्रैक्टरो के उत्पादन और बिक्री मे तीव्र वृद्धि हुई है। आज खेती के काम मे पशुओ का प्रयोग कम हो गया है। ट्रैक्टरो का उत्पादन 1991–92 मे 152 लाख था जो बढकर 1994–95 में 164 लाख हो गया। ट्रेक्टरो की बिक्री 1991–92 मे 151 लाख से बढकर 1994–95 मे 165 लाख हो गई। वर्ष 1994–95 में पावरटिलर का उत्पादन 8,334 तथा बिक्री 8,376 थी।

12. प्रमाणित बीजों का वितरण (Distribution of Certified Seeds) – हरित क्राति के दौर मे प्रमाणित बीजो के वितरण मे वृद्धि हुई है। प्रमाणित बीजों का वितरण 1992–93 मे 6033 लाख क्विटल था जो बढकर 1993–94 मे 622 लाख क्विटल, 1994–95 मे 659 लाख क्विटल तथा 1997–98 मे 756 लाख क्विटल हो गया। प्रमाणित बीजों की वितरण वृद्धि दर 1995–96 मे 6 प्रतिशत थी।

13. श्वेत क्राति की आधारशिला (Basis for White Revoluation) – हरित क्राति के कारण श्वेत क्राति को भी बल मिला हैं। भारत के स्वायत्त सस्थान 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (एन डी डी बी) ने पश्चिम गुजरात के हिस्सो मे लाखा किसानो और चरवाहो की जिन्दगी बदल दी है। देश के लगभग सभी राज्यो मे डेयरियो की स्थापना हो चुकी है। एन डी डी बी से जुडे लगभग नब्बे लाख किसान और चरवाहे हर रोज एन डी डी बी को तीन–तीन, चार–चार किलो दूध बेचते है। भारत की एन डी डी बी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो यथा ग्लैक्सो, नेस्ले, केडबरी से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। भारत मे दूध उत्पादन 1950–51 मे 17 मिलियन टन था जो बढकर 1990–91 मे 539 मिलियन टन तथा 1996–97 मे और बढकर 683 मिलियन टन प्राविजनल तक पहुचा। वर्ष 1997–98 मे दूध उत्पादन का लक्ष्य 705 मिलियन टन था। वर्ष 1994–95 मे दूध उत्पादन वृद्धि दर 58 प्रतिशत थी।

विश्व के 46 मिलियन टन के दूध उत्पादन मे भारत का हिस्सा 15 प्रतिशत है। भारत मे 2020 तक 22 से 25 करोड टन दूध का उत्पादन की सभावना है जो विश्व के अनुमानित दूध उत्पादन 62 से 65 करोड टन का एक तिहाई से भी अधिक हिस्सा होगा

14 **किसानो का व्यावसायिक दृष्टिकोण (Professional View of Farmers)** हरित क्राति के कारण किसानों के दृष्टिकोण मे बदलाव आया है। किसान खेती को परिवार के भरण–पोषण के साधन के रुप मे नहीं देखता है। आज कृषि किसान के लिए लाभप्रद व्यवसाय है। किसान खाद्यान्न फसलो के स्थान पर व्यावसायिक फसलो के उत्पादन पर अधिक जोर देता है। ग्रामीण परिवेश मे खेती के प्रति दृष्टिकोण मे बदलाव के कारण किसानों की आय मे वृद्धि हुई है।

हरित क्राति की विफलताए
(Failures of Green Revolution)

हरित क्राति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन मे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। हाल के वर्षो मे कुछ खाद्यान्न उत्पादो का निर्यात भी होने लगा है। किन्तु हरित क्राति का अपेक्षित लाभ देशवासियों को नहीं मिला है। आज भी देश के अनेक हिस्से हरित क्राति के लाभ से वचित है। गरीब किसान कृषि विकास से लाभान्वित नहीं हुआ है। विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत की कृषि आज भी बहुत पीछे है। हरित क्राति की ढेरो विफलताए अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है —

1 **चयनित फसलों का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन (Per Hectare Average Production of Selected Crops)** — भारत मे हरित क्राति को लागू किए तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान भारत का खाद्यान्न उत्पादन बढा है किन्तु विश्व के देशो से तुलना करे तो भारत अनेक फसलो के प्रति हैक्टेयर उत्पादन के मामले मे पिछडा हुआ है। भारत मे फसलो का उत्पादन विश्व और एशिया औसत से कम है। भारत फसलो के उत्पादन मे जनाधिक्य वाले देश चीन से भी पीछे है। वर्ष 1995 मे भारत मे चावल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन 29 क्विटल था। जबकि विश्व औसत 37 क्विटल एशिया औसत 38 क्विटल चीन में 60 क्विटल तथा जापान में 68 क्विटल था। गेहूँ का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन 25 क्विटल था जबकि विश्व औसत 25 क्विटल एशिया औसत 26 क्विटल चीन मे 35 क्विटल तथा जापान मे 36 क्विटल था। भारत ने हरित क्राति के कारण गेहूँ के प्रति हैक्टेयर उत्पादन मे विश्व और एशिया के औसत उत्पादन की बराबरी कर ली है। किन्तु चावल का उत्पादन विश्व और एशिया के औसत उत्पादन से कम है। गेहूँ का उत्पादन बढने के कारण भारत मे हरित क्राति को गेहूँ क्राति के नाम से जाना जाने लगा है।

2 **सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन की भागीदारी (Role of Agriculture Production in Gross Domestic Product)** — भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी अधिक है जो पिछडेपन की स्थिति को दर्शाती है। विश्व के

विकसित देशो की अर्थव्यवस्थाओ मे निर्माण क्षेत्र की भूमिका अधिक है। विकासशील देशो मे कृषि की भूमिका अधिक है और कृषि क्षेत्र मे सिचाई सुविधाओ का अभाव है परिणामस्वरुप मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा मे विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था लडखडा जाती है। वर्ष 1991 मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि उत्पादन का योगदान भारत मे 31 प्रतिशत, बाग्लादेश मे 30 प्रतिशत, केन्या मे 29 प्रतिशत, पाकिस्तान मे 25 प्रतिशत, जाम्बिया मे 34 प्रतिशत था। जबकि मैक्सिको मे 8 प्रतिशत ही था।

3. प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकाक (Per Capita Foodgrains Production Index) – भारत मे प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकाक विश्व के अनेक देशो की तुलना मे कम है। वर्ष 1978–81 को आधार वर्ष मानते हुए 1991 मे भारत मे खाद्य उत्पादन सूचकाक 119 था जबकि यह ब्राजील मे 132, चीन मे 138, इण्डोनेशिया में 135 तथा नेपाल मे 127 था।

4. *खाद्य आयात निर्भरता दर* *(Food Import Dependency Rate)* – भारत मे हरित क्राति लागू होने के बाद भी खाद्य आयात निर्भरता दर अधिक है। वर्ष 1988–90 के दौरान भारत मे खाद्य आयात निर्भरता दर 18 4 प्रतिशत थी जबकि यह अर्जेन्टीना मे 0 4 प्रतिशत, ब्राजील मे 3 1 प्रतिशत, चीन मे 4 7 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया मे 5 7 प्रतिशत थी।

5. सीमित क्षेत्र (Limited Spheres) – हरित क्राति समूचे देश मे लागू नहीं की गई। हरित क्राति का लाभ केवल ऐसे क्षेत्रो को मिला जहा सिचाई सुविधा पर्याप्त मात्रा मे है। हरित क्राति का लाभ पजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश एव मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रो को ही मिला। पिछडे हुए क्षेत्र आज भी हरित क्राति के लाभ से वचित है।

6. सीमित फसले (Limited Crops) – हरित क्राति मे कुछ ही फसलो को सम्मिलित किया गया है। हरित क्राति मे गेहूँ उत्पादन वृद्धि पर विशेष बल दिया गय है। नतीजतन खाद्यान्न उत्पादन मे गेहूँ का भाग बढता गया। प्रति हैक्टेयर गेहूँ उत्पादन मे भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन मे गेंहूँ का भाग 1960–61 मे 13 41 प्रतिशत था जो बढकर 1991–92 मे 33 07 प्रतिशत तक जा पहुचा। हरित क्राति 'गेहूँ क्राति' के नाम से चर्चित हुयी। हरित क्राति का थोडा लाभ चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को भी मिला। जबकि हरित क्राति मे वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन पर कम ध्यान दिया गया। भारत मे तिलहन व दलहन वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन का अभाव है।

7. भ्रष्टाचार (Corruption) – हरित क्राति के कारण कृषि पदार्थो की पूर्ति और वितरण मे भ्रष्टाचार को बढावा मिला है। देश मे एक ओर उर्वरकों का अभाव है तथा दूसरी ओर फसलो की बुआई के समय कृषि पदार्थो का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया जाता है। विक्रेता किसानो से अधिक कीमत वसूल करते है। कृषि पदार्थो के वितरण मे प्रशासनिक ढिलाई, विलम्ब तथा असमान वितरण के कारण

भ्रष्टाचार का बल मिला है।

8 **कृषको की अनभिज्ञता** (Ignorance of Farmers) – ग्रामीण परिवेश में घोर निरक्षरता है। निरक्षरता के कारण किसानो को कृषि की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करने मे कठिनाई होती है। किसानो को सामान्यता यह मालूम नहीं होता कि उसके खेत की मिटटी की किस्म कैसी है तथा उस किस्म मे कौनसी खाद का उपयोग बेहतर होता है। कीटनाशको की भी किसानो को अल्प जानकारी होती है। बाजार मे आज बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित फसलो के बीज उपलब्ध है किन्तु भारत का गरीब किसान अनभिज्ञ हैं। यदि जानकारी है भी तो उसकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है।

9 **परिस्थितियों के विपरीत** (Against the Situation) – भारत की कृषिगत परिस्थितिया हरित क्राति के मार्ग मे बाधक है। एक तो बहुसख्यक किसानो की माली हालात खस्ता है तथा देश के कृषि जोत का आकार बहुत छोटा हैं। अधिकतर कृषि जात अनार्थिक है। लघु कृषि जोतो मे कृषिगत यत्रीकरण का उपयाग बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है।

10 **आर्थिक विषमता** (Economic Disparity) – हरित क्राति के कारण ग्रामीण परिवेश मे आर्थिक विषमता बढी है। ग्रामीण आर्थिक विषमता शहरी आर्थिक विषमता से अधिक भयावह है। गावो में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाल लोगों की बहुलता है। गरीब किसानो के पास कृषि भूमि का अभाव है तथा वे उन्नत बीज व सिचाई सुविधा पाने की स्थिति म नहीं होते हैं। हरित क्राति का लाभ धनी किसान उठाते है परिणामस्वरुप धनियो और निर्धनों के मध्य खाई बढती जा रही है।

11 **खाद्यान्न आयात** (Import of Foodgrains) – हरित क्राति के बाद भी भारत मे खाद्यान्न उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा म खाद्यान्न अभाव का सामना करना पडता है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पडी है। हाल के वर्षो मे खाद्यान्न का आयात हरित क्राति की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। भारत मे अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 1993–94 मे 290 करोड रुपये 1994–95 म 92 कराड रुपये तथा 1995–96 म 80 कराड रुपये था।

12 **कृषिगत पदार्थो की कमी** (Lack of Agricultural Kinds) – हरित क्राति लागू किए जाने के बाद देश म उन्नत बीज कीटनाशको तथा रासायनिक उवरको की माग तीव्रता स बढी है। किन्तु इन पदार्थो का उत्पादन माग के अनुरुप नहीं बढा। भारत रासायनिक उर्वरको का बडे पैमान पर आयात करता है। उर्वरक आयात 1990–91 मे 2 758 हजार टन था जो बढकर 1995–96 मे 4 008 हजार टन तक जा पहुचा। इसी प्रकार उन्नत बीज व कीटनाशको का भी देश मे अभाव है।

बदलाव की आवश्यकता (Importance of Change)

हरित क्राति की अनेक खामियो के बावजूद भारत कृषि की नवीन व्यूहरचना को आत्मसात करके खाद्यान्न उत्पादन को बढाने मे सफल हो सका है। भारत मे खाद्यान्न का उत्पादन हरित क्राति लागू किये जाने से पूर्व 1960–61 मे केवल 50 8 मिलियन टन था जो बढकर 1997-98 मे 192 मिलियन टन तक जा पहुचा। आज भारत हरित क्राति के कारण देश के एक अरब से अधिक लोगो के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति मे पहुच सका है। यह कम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। किन्तु कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्यान्न मे आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्व नहीं रखती। नियोजन काल के पाच दशक पूरे होने के बाद भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती नहीं दे सकी। अर्थव्यवस्था की सुदृढता तो दूर की बात खेत जोतने वाले किसान की माली हालत तक मे अपेक्षित सुधार नहीं आया है। ऐसी स्थिति मे हरित क्राति के क्रियान्वयन मे कारगर बदलाव की महती आवश्यकता है। गरीब किसान के लाभान्वित हुए बिना हरित क्राति की प्रासगिकता नहीं है।

हरित क्राति को सफल बनाने के सुझाव
(Suggestions for Successful Implementation of Green Revolution)

यह लिखने मे कतई अतिशयोक्ति नही कि असख्य गरीब किसानो को हरित क्राति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। भारत मे हरित क्राति से पूजीवादी कृषि को बढावा मिला है। बडे किसानो के दबाव मे तथा कृषि उत्पादो की बढी लागतो के कारण प्रत्येक वर्ष फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढा दिये जाते हैं। इससे बडे किसान तो लाभान्वित होते है। किन्तु गरीब किसानो की रीढ टूट जाती है। उसका खेत तो इतना छोटा है कि कडी मेहनत के बावजूद परिवार के वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पाद नहीं हो पाता है उसकी पूर्ति बाजार से खरीदकर पूरी करनी पडती है। कृषि उत्पाद की बडी हुई कीमतो की मार गरीबो को सहनी पडती है। गरीब किसानो के हितो को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्नों और उर्वरको पर सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है तथा समय–समय पर सब्सिडी मे बढोतरी भी की गई है किन्तु सब्सिडी का लाभ गरीब तबको को नहीं मिला। हरित–क्राति से देश मे क्षेत्रीय और आर्थिक विषमता को बढावा मिला है। हरित क्राति से कुछ ही फसलो का उत्पादन बढा है और बढा हुआ उत्पादन भी विश्व स्तर को पीछे है। हरित क्राति से समृद्ध क्षेत्रो मे और समृद्धि बढी जबकि कृषि विकास की विपुल सभावनाए वाले क्षेत्र आज भी प्यासे है। स्पष्ट है हरित क्राति के क्रियान्वयन मे खामी रही है। हरित क्राति को लागू किये जाते समय समूचे देश के हित को ध्यान मे नही रखा गया है। नतीजन अनेक क्षेत्र के किसानो मे आक्रोश है तथा वे आन्दोलन की ओर उन्मुख है। भारत कृषि प्रधान देश है यहा की भौगोलिक स्थिति विविध फसलो के उत्पादन के लिए अनुकूल है और उत्पादन होता भी है किन्तु हरित क्राति मे सर्वोच्च प्राथमिकता गेहूँ के उत्पाद वृद्धि पर ही दी गई। वाणिज्यिक फसले हरित क्राति से कम लाभान्वित हुई, इसका विपरीत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पडा। कृषि आधारित उद्योगो

के लिए कच्चे माल की कमी बनी रही इसके अलावा खाद्य तेल का बडे पैमाने पर आयात जारी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिस गेहूँ फसल को हरित क्राति में प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है इसके निर्यात की स्थिति मे भारत नहीं पहुच पाया है।

1 गरीब किसानो को प्रोत्साहन (Encouragement of Poor Farmers) – देश मे गरीबी की समस्या विषम है। शहरो की तुलना म गावो मे गरीबी अधिक है। भूमिहीन ओर सीमान्त कृषको की स्थिति दयनीय है। इन्हे हरित क्राति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला। हरित क्राति म प्रयास ऐसे होने चाहिए कि गरीब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। हरित क्राति मे गरीब किसानो को सस्ते दामो पर बीज खाद मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीबी के कारण बहुसख्यक किसानों को कृषि सबधी नवीन तकनीक की जानकारी नहीं होती। ग्राम पचायतो मे नियुक्त कृषि अधिकारी किसानो की मदद कर सकते है। कृषि अधिकारियो को समय–समय हरित क्राति से सबधित जानकारी किसानो को देनी चाहिए।

2 सिचाई सुविधाओ का विस्तार (Development of Irrigation Facilities) – सिचाई सुविधा बिना हरित क्राति की सफलता सदिग्ध है। भारत मे सिचाई विकास की विपुल सभावनाए है किन्तु सिचाई विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। विगत वर्षो मे मानसून अनुकूल रहा है इससे कृषि उत्पादन भी बढा है। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। ग्राम पचायतें सिचाई विकास म कारगर भूमिका निभा सकती है। गावो म तालाबो के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। इससे गावो के लोगो को बहुत लाभ प्राप्त होगे। तालाबों के निर्माण से गाव के लोगो को रोजगार मिलेगा। नतीजतन उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। सिचाई सुविधाओ के विस्तार के साथ गावो के पेयजल सबधी समस्या भी बडी सीमा तक हल हो सकेगी।

देश मे छोटी–बडी नदिया की कमी नहीं है। अनेक नदियो का पानी बिना उपयोग के बह जाता है। छोटी नदियो के पानी को बाध बनाकर रोका जा सकता है। ग्रामीण विकास पर वर्तमान सरकारो का ध्यान बढा है। बजट मे भी ग्रामीण विकास पर परिव्यय मे वृद्धि का प्रावधान किया जाने लगा है। गावो के लिए आवटित बजट का उपयोग आधारभूत सरचना के विकास के लिए किया जाना चाहिए। किसान की खुशी लहलहाती फसलो पर निर्भर करती है। मानूसन और नदियो व पानी से कृषिगत उत्पादन म क्रातिकारी बदलाव किया जा सकता है किन्तु उपलब्ध सिचाई सुविधा खामियो से परे नहीं है। नहरो द्वारा सिचाई से बडे किसान लाभ उठा ले जाते है। नहरो की छोटी शाखाओ द्वारा सिचाई म आखिरी छोर वाले किसान अनेक बार सिचाई से वचित रह जाते हैं। अत व्यवस्था ऐसी हो जिससे सभी किसानो को सिचाई सुविधा मुहैया हो।

3 कृषि वित्त व्यवस्था (Agriculture Finance Management)– भारत के ग्रामीण परिवेश की गरीबी जगजाहिर है। बैंको म राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण

परिवेश मे बैकिग सुविधाओ का अभाव था। पचवर्षीय योजनाओ मे गावो मे बैंक शाखाओ का विस्तार हुआ है। किन्तु बैंको से ऋण प्राप्ति मे भारत का किसान आज भी कठिनाई महसूस करता है। इसका बडा कारण किसानो का निरक्षर होना तथा उनकी गरीबी है। इसके अलावा बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है नतीजन किसान ऋण प्राप्ति मे मध्यस्थो के चगुल मे फस जाता है। बैंको की जटिल प्रक्रिया और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गावो मे आज भी सेठ–साहूकारो का प्रभाव है। देश मे सहकारी आन्दोलन को भी अपेक्षित सफलता नही मिली। किसानो की आर्थिक स्थिति मे सुधार किए बिना हरित क्राति का गति पकडना कठिन है। आज किसान को पग–पग पर वित्त सुविधा की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ होने के बाद गावो मे बैंक शाखाओ का विस्तार थम गया है। इस प्रवृत्ति के चलते निकट भविष्य मे ग्रामीण परिवेश मे साख सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो सकता है जिसका प्रभाव ग्रामीण परिवेश पर पडे बिना नहीं रहेगा। बदले आर्थिक परिवेश मे गावो मे कृषि वित्त की अधिक आवश्यकता होगी। कृषि परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण वित्त के क्षेत्र मे अपनी भूमिका को कम नहीं करे तथा निजी वित्त को भी बढावा दिया जाना चाहिए।

4. समूचे देश मे क्रियान्वयन (Implementation Throughout the Country) – भारत मे हरित क्राति ने क्षेत्रीय विषमता की समस्या खडी कर दी है। हरित क्राति का लाभ समृद्ध क्षेत्रो को ही मिला है। सिचाई सुविधाओ की कमी वाले क्षेत्र आज भी हरित क्राति के लाभ से वचित है। हरित क्राति मे ऐसी नवीन तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिससे कम सिचाई वाले क्षेत्रो मे भी कृषिगत उत्पादन बढाया जा सके। राजस्थान के मरु भाग मे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिए।

5. कार्यक्रमों का विस्तार (Expansion of Activities) – हरित क्राति की एक बडी खामी यह रही है कि इसे कुछ ही फसलो पर लागू किया गया हैं। हरित क्राति के कारण गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि का ही उत्पादन बढ सका है। भारत मे वाणिज्यिक फसलो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। खाद्य तेल और दालो का बडे पैमाने पर आयात करना पडता है। हरित क्राति को दलहन, तिलहन उत्पादन मे भी क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयो मे वाणिज्यिक फसलो के उन्नत बीज विकसित किए जाने चाहिए।

6. सहकारी कृषि पर बल (Stress on Cooperative Agriculture) – भारत मे कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है जिससे कृषि मे यत्रीकरण तथा नवीन तकनीक का कारगर उपयोग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे 1992 के अनुसार ग्रामीण परिवेश मे 11 प्रतिशत परिवार पूर्ण रुप से भूमिहीन है और 31 प्रतिशत ऐसे परिवार है जिनके पास 0 2 हैक्टेयर से कम भूमि है अर्थात 42 प्रतिशत परिवार या तो भूमिहीन हैं या उनके पास 0 2 हैक्टेयर से कम भूमि है। छोटी कृषि जोत वाले किसान सहकारी कृषि को आत्मसात कर हरित–क्राति का लाभ अर्जित

कर सकते है। सहकारी कृषि मे कृषि पडतो का क्रय एव उपयोग आसान होता है।

7 रासायनिक उर्वरको की पूर्ति (Supply of Fertilizers) – हरित क्राति की सफलता के लिए उर्वरको का उपयोग आवश्यक है। देश मे उर्वरको की माग व पूर्ति मे अतराल है। फसलो की बुआई के समय उर्वरको का अभाव स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता है। इससे उर्वरकों की कालाबाजारी को बल मिलता है। इन समस्याओ से निपटने के लिए आवश्यक है कि देश मे उर्वरक उत्पादन को बढावा दिया जाए। आज देश मे आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। निजी क्षेत्र मे उर्वरक उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहित कर उर्वरक उत्पादन मे वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक उत्पादन मे वृद्धि के साथ सरकार द्वारा उर्वरको के वितरण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि निर्धन किसान उचित मूल्यो पर रासायनिक उर्वरको की खरीद कर सके।

8 मिटटी की जाच (Examination of Clay) – भारत मे मिटटी की विविधता है। हरित क्राति लागू किए जाने से पूर्व किसान परम्परागत खाद का उपयोग बेहिचक करता था किन्तु कृषि मे नवीन प्रौद्योगिकी लागू किए जाने के बाद किसान की अज्ञानता और निरक्षरता कृषि विकास मे बाधा है। आज किसानो को इस बात की जानकारी बहुत कम है कि किस मिटटी मे कौनसी उर्वरक अधिक उपयोगी है। उपयुक्त रासायनिक उर्वरको का उपयोग नहीं होने पर कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। इन समस्याओ से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिटटी की जाच की जानी चाहिए। मिट्टी की जाच की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानो को दी जानी चाहिए साथ ही किसानो को यह भी बताया जाना चाहिए कि मिट्टी की किस किस्म मे कौनसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग लाभप्रद है? क्षेत्र विशेष की मिट्टी की किस्म और उर्वरको के प्रयोग सबधी जानकारी मीडिया द्वारा प्रचारित की जानी चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा भी किसानो को अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए।

9 ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल (Stress on Rural Industrialisation) – ग्रामीण परिवेश मे बेरोजगारी की समस्या पहले ही गभीर थी। हरित क्राति लागू किये जाने के बाद यह समस्या और मुखर हो गई। कृषि मे यत्रीकरण को बढावा देने से भी बेरोजगारी बढी। यत्रीकरण के बढने से पहले गावो मे बेरोजगारो के लिए रोजगार के अल्पकालिक अवसर थे। फसलो की कटाई बुआई लदान आदि मे श्रमिको को बहुतायत मे रोजगार मिलता था। हरित क्राति से समृद्ध किसानो की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है किन्तु गरीबो की दयनीयता बढ गई है। ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा गावो मे लोगो को रोजगार मुहैया किया जा सकता है। गावों मे कृषि उत्पादो पर आधारित लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना को बढावा दिया जा सकता है। इसके अलावा गावो मे बडे उद्योगो की भी स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण के अनेक लाभ दृष्टिगोचर होंगे। सबसे बडा लाभ गावो से शहरो की ओर लोगो का पलायन थमेगा। गावो मे समृद्धि की लहर दौडेगी। गावों

मे चहलकदमी बढेगी। गावो मे गैर प्रदूषणकारी इकाइयो की स्थापना अधिक हो। प्रदूषणकारी इकाइयो से गावो की हरियाली पीली पड सकती है।

गावो की समृद्धि और गरीबो की खुशहाली म भारत का विकास निहित है। देश के सभी गावो को हरित क्राति का लाभ मिले तो भारत का कायाकल्प होने मे समय नहीं लगेगा।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 नवीन कृषि व्यूहरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।
2 नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व बताइए।
3 हरित क्राति की चार उपलब्धिया बताइए।
4 हरित क्राति की विफलताओ पर प्रकाश डालिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना क्या है? इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
2 भारत मे हरित क्राति से आप क्या समझते है? इसकी सफलताओं एव असफलताओ की विवेचना कीजिए।
3 हरित क्राति की उपलब्धियो की चर्चा करते हुए इसकी कमियो पर प्रकाश डालिए। इन्हे दूर करने के सुझाव दीजिए।
4 हरित क्राति के प्रमुख तत्त्व कौन–कौन से है? भारत मे हरित क्राति का क्या प्रभाव हुआ है।
5 'हरित क्राति ने भारतीय कृषि की काया ही पलट दी' इस कथन की विवेचना कीजिए।

(**सकेत** – *सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए हरित क्राति का अर्थ बताते हुए* उसकी सफलता और असफलताओ को लिखना है।)

15

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि
(World Trade Organisation and Indian Agriculture)

तटकर और व्यापार सबधी सामान्य समझौता (गैट) (General Agreement on Tariffs and Trade) – तटकर और व्यापार सबधी सामान्य समझौता अर्थात 'गैट' की स्थापना 1948 म हुई। यह एक बहुराष्ट्रीय (बहुपक्षीय) सधि है जिसम बहुपक्षीय व्यापार से सबधित सर्वसम्मत नियम निर्धारित किये गए है। गैट मूलत अन्तराष्ट्रीय व्यापार सगठन के एक भाग के रूप म तब शुरु किया गया था जब इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन क लिए घोषणा पत्र के बाकी तत्त्वों पर सहमति नहीं हो पाई थी। समय गुजरने के साथ साथ गैट' अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मसला पर वाता और विचार विमर्श के लिए एक मच के रूप मे विकसित होता गया। विदेशी व्यापार के नियमन हतु एक अन्तराष्ट्रीय सगठन की स्थापना के प्रयास 1948 म व पुन 1955 म भी किय गए थ किन्तु अमरीका की शका के कारण इन्ह व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका। अमरीका को इस प्रकार के सगठन की स्थापना से उसकी सम्प्रभुता के कमजोर होने का सदेह था।

0 अक्टूबर 1947 को जनेवा में 23 राष्ट्रो न प्रशुल्क एव व्यापार से सबधित एक सामान्य समझोते (गट) पर हस्ताक्षर किए। एक जनवरी 1948 स प्रभावी यही समझौता कालान्तर म व्यापार का सजग प्रहरी बन गया। गैट की सदस्य सख्या माच 1994 म 118 थी। गट' म समय-समय पर बहुराष्ट्रीय सबधी वाताए शुरु की जाती जिनका उद्दश्य तटकर म कमी करक अथवा उस हटाकर गैर-तटकर नियत्रण द्वारा अन्तराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना हाता है और गट क नियमा और विषया क ढाच म सुधार लाना होता है।

भारत 1947 म गट क जन्म लन क समय स ही इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार क 90 प्रतिशत भाग का सचालन करन वाले 117 देशा न बहुपक्षीय

व्यापार वार्ता के उरूग्वे चक्र मे भाग लिया। यह वार्ता दिसम्बर 1993 मे सम्पन्न हुई।

गैट के उद्देश्य (Objectives of GATT) – गैट का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क दरो मे पर्याप्त कमी करना तथा व्यापार एव विस्तार मे आने वाली बाधाओ को कम करके परस्पर लाभ पहुचाने वाले निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति करना है –

1 सदस्य देशो की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की दिशा मे अग्रसर करना।
2 सदस्य देशो के नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार करना।
3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि करना।
4 विश्व के उत्पादन मे वृद्धि करना।
5 वास्तविक आय और प्रभावपूर्ण माग मे वृद्धि करना।
6 विश्व मे उपलब्ध साधनो का अनुकूलतम उपयोग करना।

उरूग्वे राउण्ड (Uruguay Round) – गैट के अन्तर्गत उरूग्वे दौर की वार्ता सितम्बर 1986 मे उरूग्वे देश के शहर पुटा डेल एस्ट मे गैट के आठवे अधिवेशन मे शुरू हुई। उरूग्वे दोर की वार्ता को 1990 तक पूरा हो जाना था लेकिन गैट के सदस्य देशो के बीच अनेक विषयो पर भारी मतभेद के कारण निर्धारित समय मे पूरी नहीं की जा सकी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सबध मे यह अब तक की सबसे कठिन और लम्बी वार्ता थी। इसमे बातचीत के उन परिणामो को शामिल किया गया था जिनके सबध मे उस समय तक सहमति हो गई थी और उन क्षेत्रो के लिए भी प्रस्ताव पेश किए गए जिनमे मतभेद बने हुए थे। बातचीत मे गैट के परम्परागत विषयो यथा सीमा शुल्क, सब्सिडी, रक्षोपाय तथा तीन नये विषय यथा व्यापार से सबधित बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार, व्यापार से सबधित निवेश की कार्यवाही ओर सेवाओ मे व्यापार शामिल किए गए। उरूग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का अतिम दौर 15 दिसम्बर, 1993 को जिनेवा मे पूरा हुआ। इसमे भाग लेने वाले 117 देशो ने समझौते की शर्तो को स्वीकार किया। इसी के साथ विश्व व्यापार मे नये युग का श्रीगणेश हुआ।

भारत गैट के सस्थापक सदस्यो मे था। भारत का 90 प्रतिशत व्यापार गैट के सदस्य देशो के साथ होता है। भारत उरूग्वे दौर की वार्ता मे शामिल नहीं होता तो उसे 116 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पडते। द्विपक्षीय व्यापार समझौते मे काफी समय लग जाता। यह भी सभव है कि आर्थिक दृष्टि से सपन्न देश समझौता करते समय भारत पर मनमानी शर्ते थोपने का प्रयत्न करते। अत भारत ने गैट समझौते स्वीकार करने का फैसला किया।

डुकेल प्रस्ताव (Dunkel Proposal) अन्तर्राष्ट्रीय परिवश मे डुकेल प्रस्ताव चर्चित विषय रहा है। डुकेल प्रस्तावो का मसौदा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफस एड ट्रेड (गैट) के महानिदेशक आर्थिर डुकेल ने तैयार किया था। दिसम्बर, 1991 मे तैयार इस दस्तावेज मे शुल्क, गैर शुल्क, कृषि, बहुपक्षीय

व्यापार समझौते सवा क्षेत्र के व्यापार बौद्धिक–सम्पत्ति अधिकार आदि निर्णया को सम्मिलित किया गया। इस प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू निजी पेटेट कानून का समाप्त करना है। आर्थर डुकेल ने सभी प्राकृतिक ससाधनो को सपूर्ण मानव जाति की सपत्ति माना है। प्रस्ताव मे व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि को उसकी वैयक्तिक सपत्ति मानते हुए तथा उसके अधिकार को सरक्षित रखते हुए 20 वर्ष तक पेटट देने की बात मुख्य है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से जानवर तथा पेड–पौधे के जीवन रक्षक उत्पाद पटट के दायरे मे आने से सम्पूर्ण कृषि पर विकसित देशो तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का नियत्रण हो जाएगा।

भारत द्वारा डुकेल प्रस्ताव का स्वीकार कर लेने पर कृषि से सबधित सारगर्भित निर्णय यथा समर्थन मूल्या की घोषणाए सब्सिडी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि सरकार द्वारा नहीं लिए जाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनिया द्वारा लिए जाएगे। किसानो को कृषि सबधी तकनीक एव उन्नत बीजो के लिए इन कम्पनिया की ओर मुखातिब होना पडेगा। डुकेल प्रस्ताव के अनुसार किसान फसल से उन्नत बीज सचय करके नहीं रख सकते उन्हे हर बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से बीज खरीदने होगे। ये उन्नत किस्म के बीज बहुत महगे होगे साथ ही भारतीय किसानों को कीटनाशक उर्वरक कृषियत्र आदि भी ऊची कीमतो पर खरीदने को बाध्य होना पडेगा। कृषि से सबधित उन्नत तकनीक का लाभ भारत मे केवल बडे किसान ही उठा सकेगे। छोटे और मझोले किसान अपने सीमित ससाधनो के कारण लाभार्जन की स्थिति मे नहीं होंगे। विदित है भारत मे कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। अधिकाश किसान सीमात कृषका की श्रेणी म है। छोटे किसानों को डुकेल प्रस्ताव का लाभ नहीं होने के कारण इन्हे अपनी कृषि भूमि को बेचने को बाध्य होना पडेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रा मे बेरोजगारी के फैलने की समस्या भयावह हो जाएगी। आज भारत म लगभग चार करोड शिक्षित बेराजगार हैं बीसवीं शताब्दी के अत तक यह सख्या दस करोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र मे तो पहले से ही छिपी–हुई बेरोजगारी की विकट समस्या है।

डुकेल प्रस्ताव मे उन्नत किस्म के बीजो पर विशेष बल है। निसदेह इनके द्वारा कृषिगत उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि कर अल्प समय मे ही कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत म सफलता की आर अग्रसर हरित क्राति म उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग तीव्र गति स बढा है कृषिगत क्षेत्र म सजगता बढी हे किसान स्वय उन्नत तकनीकों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील रहत हैं। व तकनोलाजी के लाभ को बखूबी समझने लगे हैं। फिर भारत कृषि अनुसधान और आधुनिक कृषि तकनीक में विकसित दशो स पीछे नहीं है। हमारे दश म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि विशेषज्ञ हैं। एसी स्थिति म डुकेल प्रस्ताव स कृषि म क्रातिकारी परिवर्तन एव उसके सवव्यापक लाभ की स्थिति म ही प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रासगिकता हागी।

यदि हम विस्तृत दृष्टि से देखें तो डुकल प्रस्ताव हरित–क्राति को और

बेहतर तकनीक मुहैया कराने का स्रोत है, किन्तु यहाँ हम विकासशील राष्ट्रो की परिस्थितियो को दरगुजर नहीं कर सकते जो विकसित राष्ट्रो के सर्वथा विपरीत होती हैं। विकसित राष्ट्रो की तकनीक को इन राष्ट्रो मे हू-ब-हू लागू नहीं किया जा सकता है। अपेक्षित सफलता के बावजूद भारतीय कृषि की माली हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति मे डुकेल प्रस्ताव कितने कारगर सिद्ध होगे। इसका पता तो आगामी वर्षों मे ही चल सकेगा।

जहा तक अद्युनातन तकनोलॉजी का सवाल है चाहे इसका इस्तेमाल पूजीगत वस्तु उत्पादन मे हो या फिर उपभोग वस्तु उत्पादन मे, वर्तमान मे परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे इसकी बढती उपादेयता की उपेक्षा करना एक अविवेकपूर्ण निर्णय है। अर्थतत्र के विविध क्षेत्रो मे नवीन तकनीक को अगीकृत कर हम न केवल देशवासियो को जीवन जीने के 'प्रचुर साधन' उपलब्ध करा सकते हैं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सिरमौर भूमिका का निर्वाह भी कर सकते हैं। अत देश मे नवीन तकनीक विकसित की जाती है या अन्यत्र से हासिल करने की बात आती है तो उसका अनायास ही विरोध नहीं कर "वह हमारी अर्थनीति में कितनी सार्थक सिद्ध हो सकती है" पर सूक्ष्मता से अध्ययनोपरात आत्मसात करना अधिक सारगर्भित है। कृषि क्षेत्र मे हमने उन्नत तकनीक का प्रयोग किया उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं।

वर्तमान मे आर्थिक सुधारो के दायरे मे कृषि को भी सम्मिलित किया जाना अत्यावश्यक है ऐसा करने से समूचे कृषितत्र में तीव्र आर्थिक प्रगति व चहुँओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा कि पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत मे उन्नत तकनीक को अपनाने से कृषि की दशा मे 'क्रातिकारी सुधार' आता है तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करने मे कतई सकोच नहीं करना चाहिए। तकनोलॉजी के क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का कोई सानी नहीं, इनकी मदद से हम बेहतर किस्म का उत्पाद करते है बदले मे ये थोडा लाभ स्वदेश ले जाती है यह लाजिमी भी है, तो हमे अनावश्यक रूप से आर्थिक गुलामी का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि ये कम्पनिया विकासशील राष्ट्रो का शोषण नही करतीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकसित राष्ट्रो की देन है। ये कम्पनिया विकासशील राष्ट्रो मे समझौते के समय आकर्षक शर्तों के साथ प्रवेश कर जाती है अपना बाजार बनाने के पश्चात् वायदो से मुकर जाती है। विकासशील राष्ट्र उन्नत तकनीक से विमुख बने रहते है। अत इनसे समझौता करते समय राष्ट्र हित की अनदेखी न हो, को ध्यान मे रखने की महती आवश्यकता है।

भारत मे डुकेल प्रस्ताव लागू करते समय "अब तक हमारे देश मे कृषि मे हुई प्रगति प्रभावित न हो' को ध्यान मे रखना होगा। प्रस्ताव की कठोर शर्तें जैसे समर्थन मूल्य की घोषणा, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को जहा तक सभव हो स्वीकार नहीं करना चाहिए। देश मे गरीबो की सख्या को देखते हुए

इनकी उपादेयता अन्तर्निहित है वैसे भारत सरकार सब्सिडी के असहनीय भार का कम करने क लिए उत्सुक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो द्वारा पूजी निवेश, तकनीकी ज्ञान मुनाफे का स्वदेश ले जाने से सबधित अधिकार भारत सरकार को अपने पास सरक्षित रखने चाहिए साथ ही नवीन तकनीक (डुकेल प्रस्ताव) के अपनाने से लघु व मझोले कृषको को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए।

डुकेल प्रस्ताव की जा शर्तें भारत के हितो के विपरीत है उन्हे विकासशील राष्ट्रा के सहयोग से भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सशोधित कराने का प्रयास करना चाहिए। *भारत विश्व का एक विस्तृत बाजार है, यहा प्राकृतिक व* मानवीय ससाधनो की प्रचुरता है, किसी दश द्वारा भारत की उपेक्षा मुमकिन नहीं। विदित है भारत ने 2 जुलाई, 1989 को गैट मे डुकेल प्रस्ताव पर सशोधित प्रस्ताव रखे जिसकी विकासशील राष्ट्रो ने प्रशसा की, वही विकसित देशो ने हाय–तौबा मचायी। भारत को आर्थिक सुधारो की श्रृखला मे निर्णय बाह्य शक्तियो के दबाव मे नहीं लिए जाकर, ये स्वविवेक तथा राष्ट्र हित से आत–प्रोत होने चाहिए।

विश्व व्यापार सगठन
(World Trade Organisation)

आठ वर्षो से भी अधिक समय तक चले 'गैट' के उरुग्वे वार्ता चक्र क परिणामस्वरूव एक नये सगठन विश्व व्यापार सगठन (डब्लू टी ओ) की स्थापना हुई। एक जनवरी 1995 से इस सगठन का कार्य प्रारम्भ हुआ। विश्व व्यापार सगठन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना के रूप म विश्व इतिहास मे अकित की जाएगी। सयुक्त राष्ट्र सघ की विशिष्ट एजेन्सी के रूप मे मान्यता प्राप्त विश्व व्यापार सगठन को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैक (विश्व बैंक) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलो के तीसरे स्तभ के रूप मे माना जा रहा है। विश्व व्यापार सगठन की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे प्रतिबधो मे भारी कमी होगी तथा विश्व बाजार का विस्तार होगा। व्यापार के विस्तार के परिणामस्वरूप सबधित राष्ट्रा म आय का स्तर भी ऊचा उठेगा।'

सदस्यता (Membership) – 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को की राजधानी मराकश मे भारत सहित 125 राष्ट्रो ने विश्व व्यापार सगठन मे शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। एक जनवरी, 1995 को इस सस्था की औपचारिक स्थापना तक भारत सहित 77 राष्ट्रो ने सदस्यता के लिए आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कर ली थी तथा इस सबध मे गैट को अधिसूचित कर दिया था। औपचारिकताए पूर्ण करन के लिए विकासशील राष्ट्रों को दी गई छूट के अन्तर्गत 8 और राष्ट्रा ने 1995 म औपचारिकताए पूर्ण कीं। विश्व व्यापार सगठन के 85 सस्थापक सदस्य हैं।

भारत विश्व व्यापार सगठन का सस्थापक सदस्य है। भारत सरकार द्वारा

उरूग्वे दौर समझौते के अनुमोदन की औपचारिक सूचना जेनेबा स्थित भारतीय राजदूत ने 30 दिसम्बर, 1994 को ही जेनेवा में 'गैट' के मुख्यालय मे दे दी थी। विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 31 दिसम्बर, 1994 की रात्रि को दो अध्यादेश जारी करके 1970 के पेटेण्ट अधिनियम व 1975 के सीमा शुल्क अधिनियम मे सशोधन किए। पेटेन्ट अधिनियम मे किये गये सशोधन मे कृषि, रसायन व औषधियो के क्षेत्र मे प्रक्रिया पेटेण्ट के स्थान पर उत्पाद पेटेण्ट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम में सशोधन करके राशिपातन विरोधी प्रशुल्को (एण्टी डपिग डयूटीज) को उरूग्वे चक्र समझौते के अनुरूप सशोधित किया गया है।

मुख्यालय (Headquarter) – विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ) का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड की राजधानी जेनेवा मे स्थिति है। डब्ल्यू टी ओ के मुख्यालय के लिए जर्मनी ने भी पेशकश की थी, किन्तु जेनेवा मे ही मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय जुलाई 1994 में ही ले लिया गया था।

डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक (Director General of WTO) – डब्ल्यू टी ओ की स्थापना के समय सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाने के कारण गैट के महानिदेशक आयरलैण्ड के पीटर सदरलैण्ड को अन्तरिम अवधि के लिए डब्ल्यू टी ओ का महानिदेशक बनाया गया। पीटर सदरलैण्ड डब्ल्यू टी ओ के प्रथम महानिदेशक है। गौरतलब है कि डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक पद के लिए तीन बडे क्षेत्रों–उत्तरी अमरीका, यूरोप तथ एशिया प्रशात के प्रभावी दावे रहे हैं।

प्रशासनिक सरचना (Administrative Structure) – विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ) की प्रशासनिक सरचना इस प्रकार है –

1. **सर्वोच्च प्रशासनिक पद** (Highest Administrative Post) – विश्व व्यापार सगठन मे सर्वोच्च प्रशासनिक पद महानिदेशक का है। महानिदेशक द्वारा सगठन के मत्रीस्तरीय सम्मेलन मे लिये गये निर्णयो का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **मत्री स्तरीय सम्मेलन** (Ministerial Level Conference) – नीति निर्धारण के लिए सदस्य राष्ट्रो का मत्री स्तरीय सम्मेलन शिख, इकाई होगा। सम्मेलन प्रति दो वर्ष मे कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगा।
3. *सामान्य परिषद् (General Council)* – सामान्य परिषद सामान्य प्रशासन की व्यवस्था करती है। इसमे सभी सदस्य राष्ट्रो के प्रतिनिधि होते है। सामान्य परिषद् का मुख्य कार्य व्यापार नीतियो की समीक्षा तथा व्यापारिक विवादो का निपटारा करना है।
4. **विशिष्ट परिषदें** (Special Councils) – सामान्य परिषद के अधीन तीन विशिष्ट परिषदे होती है ये हैं –

1 वस्तुओ के व्यापार के लिए परिषद्,
2 सेवाओ के व्यापार के लिए परिषद्,
३ बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए परिषद्।

5. **विशेष समितियाँ** (Special Committees) – सामान्य परिषद द्वारा तीन विशेष समितियाँ गठित है ये है व्यापार और विकास समिति, भुगतान सतुलन समिति तथा बजट सबधी समिति।

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि
(World Trade Organisation and Indian Agriculture)

हाल ही के वर्षों मे विश्व व्यापार सगठन का आविर्भाव विश्व की एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटना है। विश्व के अनेक देशो की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार सगठन का प्रभाव पडने की सभावना है। विश्व व्यापार सगठन, गैट की तुलना मे अधिक अधिकार प्राप्त और व्यापक सगठन है। वर्ष 1948 मे स्थापित गैट का कार्यक्षेत्र वस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके विस्तार मे आने वाली बाधाओ को कम करने तक सीमित था। नवस्थापित (1995) विश्व व्यापार सगठन वस्तुओ के साथ–साथ सेवाओ के व्यापार का भी नियमन करेगा। इससे बैंकिग व बीमा सबधी सेवाओ का विश्वव्यापी विस्तार होगा। विश्व व्यापार सगठन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा करेगा। इसके द्वारा कापीराइट, पेटेण्ट, ट्रेड ब्राण्ड धारको के हितो की रक्षा की जावेगी। कृषि और कपडे का व्यापार की विश्व व्यापार सगठन के दायरे मे सम्मिलित हो गया है। कपडे का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबधी बहुततु समझौता वर्ष 2005 मे चरणो मे समाप्त हो जाएगा।

कृषिगत वस्तुओ के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि क्षेत्र मे दी जाने वाली सब्सिडी के लिए विशिष्ट नियमो का प्रतिपादन विश्व व्यापार सगठन के अन्तर्गत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य मे विश्व व्यापार सगठन का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ है। विश्व व्यापार सगठन से कृषि के प्रभावित होने की सभावना है।

1. **कृषि सब्सिडी** (Agriculture Subsidy) – विश्व व्यापार सगठन से भारत द्वारा कृषि सबधी नीतियो के पालन और कार्यक्रमो के अमल मे कोई बाधा नहीं पहुचती है। कृषि सबधी समझौते मे जिन अनुशासनो की व्यवस्था है, उनमे से कोई भी देश की विकास विषयक योजनाओ पर लागू नहीं होता। कृषि से सबधित आर्थिक सहायता (कृषि सब्सिडी) (उत्पाद-उन्मुख आर्थिक सहायता और उत्पादेत्तर आर्थिक सहायता दोनो) की सीमा इतनी ऊची रखी गई है कि उस सीमा को पार करना तो दूर, उस सीमा तक भारत के पहुचने की भी कोई सभावना नहीं है।

कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन मूल्य के विकासशील देशों के लिए 10 प्रतिशत तथा विकसित देशो के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विकासशील देशो को कृषि सब्सिडी मे तभी कमी करनी होगी, जब उनकी कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो। इस दृष्टि से भारत को कृषि सब्सिडी मे कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योकि भारत मे दोनो तरह की कृषि सब्सिडी का जोड 10 प्रतिशत से कम है। यह 7 प्रतिशत (अनुमानित) के आसपास है। यदि भारत चाहे तो कृषि सब्सिडी मे वृद्धि कर सकता है। अत यह आशका निराधार है कि विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने से और डकल प्रस्तावो की स्वीकृति से कृषि सब्सिडी मे कमी होगी। इसके विपरीत विकसित देशो को कृषि सब्सिडी में कमी करनी होगी क्योकि विकसित देशो द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है। विकसित राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से विकासशील राष्ट्रो को लाभ होगा।

2. किसानों द्वारा बीजों की बिक्री[2] **(Sale of Seeds by Farmers)** – किसान को सुविदित किस्म के किसी भी किस्म के फालतू बीजो का दूसरे किसानो के साथ विनिमय करने की पूरी छूट होगी। किसान को अपने उत्पादन का मनमाफिक उपयोग की पूरी स्वतत्रता होगी। सरकारी सस्थाए बीजो का विकास करती रहेगी। किसान को इन बीजो का मनचाहा उपयोग करने की पूरी छूट होगी।

बीजो के सबध मे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रवानगी तौर पर अनुसधान करके विकसित बीज भी उपलब्ध रहेगे लेकिन किसानो को इस कोटि के बीज खरीदने की कोई मजबूरी नहीं होगी। इसके अलावा उन्हे एक फसल के बीजो को अगली फसल के लिए बचाकर रखने की आजादी होगी। एकमात्र प्रतिबध अनुसधान करके विकसित बीजो के बारे में होगा कि किसान को इस तरह के बीज स्वय पैदा करके बेचने का खुला अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उसे उस बीज के आविष्कार करने वाले की अनुमति लेनी होगी।

भारतीय किसान पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के बीज खरीदने का कोई बधन नहीं है। विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने से पूर्व भी बीजो के आयात पर प्रतिबध नहीं था। बीजो का आयात आज भी बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। गौरतलब है बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के पास उन्नत किस्म के बीज है जिनके उपयोग से कृषिगत उत्पादन मे बेतहाशा वृद्धि की जा सकती है। उत्कृष्ट किस्म के बीज की सहज उपलब्धता स्वय भारतीय किसान के हक मे है। भारत मे भी कृषि अनुसधान कार्य प्रगति पर है। भारत मे कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसधान केन्द्र बीजो की नई किस्म विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। किसानो को उन्नत बीज बेरोक–टोक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

3. कृषि निर्यात में वृद्धि (Increase in Agriculture Export) – विश्व सगठन की सदस्यता के भारत के कृषि उत्पादो के निर्यात के लिए अनुकूल परिस्थितिया पेदा होगी। अब तक औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अधिक सब्सिडी के कारण

कृषि उत्पादो ना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत अवस्था मे था। गैट समझौते के कारण औद्योगिक राष्ट्रो को कृषि सब्सिडी कम करनी पडेगी और दूसरे देशो के कृषि उत्पादो के लिए अपने दरवाजे खोलने पडेगे। इससे भारत सरीखे कृषि प्रधान देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे स्पर्धात्मक स्थिति मे आ जायेंगे। विश्व बाजार में कृषि प्रधान देशा के कृषि उत्पाद तथा कृषि उत्पादो से सबधित अन्य वस्तुओं की अधिक खपत होगी। औद्योगिक राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी कम करने के कारण कृषि उत्पादो की कीमतो मे वृद्धि होगी इससे भारत के किसान निर्यात के द्वारा उत्पादो के ऊचे दाम प्राप्त कर सकेगे।

4 **सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा नही** (No Risk of Public Distribution System) – भारत मे गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा उचित दर की दुकानो द्वारा बेचे जा रहे खाद्यान्नो को मिलने वाली सहायता मे कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार गरीबो की सहायता के लिए पूर्व की भाति खाद्यान्नो की सरकारी खरीद भण्डारण और बिक्री करती रहेगी।

5 खाद्यान्न आयात (Import of Foodgrains) – गैट समझौते मे खाद्यान्न व्यापार के लिए मडी खोलने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत घरेलू आवश्यकता नहीं होने पर भी खाद्यान्नो का न्यूनतम आयात करना होगा। गैट समझौता लागू होने के पहले वर्ष मे सदस्य देश को खाद्यान्न के घरेलू उपभोग का न्यूनतम 2 प्रतिशत आयात करना होगा जो दस वर्ष के अत तक 3 33 प्रतिशत तक होगा। लेकिन यह व्यवस्था उन देशो पर लागू नहीं होगी जो भुगतान सतुलन की कठिनाईयो का सामना कर रहे हैं और जिन्होने वस्तुओ के आयात पर मात्रा सबधी प्रतिबध लगा रख हैं। भुगतान सतुलन के मोर्चे पर सकट का सामना कर रहे विकासशील देशो ने विदेशी मुद्रा खर्च रोकने के लिए आयात पर मात्रा सबधी प्रतिबध लगा रखे है। गैट समझौते के बाद भारत को विदेशो से आयातित खाद्यान्न पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार है। ये आयात शुल्क खाद्यान्नो पर 100 प्रतिशत खाद्य ससाधित वस्तुओ पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलो पर 300 प्रतिशत के आस–पास होगे। ऊचे आयात शुल्को की अदायगी के बाद देशी मडियो मे आयातित खाद्यान्न के भाव बहुत अधिक हो जाएगे। अत यह आशका निराधार है कि गैट समझौते के बाद देश मे बडी मात्रा मे खाद्यान्नो का आयात होगा। गैट समझौते के बाद कुछ देशो यथा जापान कोरिया को खाद्यान्नो के आयात के लिए अपने बाजार खोलने पडेगे।

6 निर्यात सब्सिडी (Export Subsidy) – गैट समझौते मे प्रत्यक्ष अनुदान के रूप म दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी मे कटौती का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निर्यात सब्सिडी म कटौती बजट परिव्यय तथा मात्रा को ध्यान मे रखकर निर्धारित करनी होगी। निर्यात सब्सिडी म बजट परिव्यय और मात्रा मे 6 वर्ष की अवधि (1993 99) म क्रमश 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कटौती करनी

होगी। वर्ष 1994 मे अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच यह सहमति हुई कि मात्राओ के रूप मे कटौती की प्रतिबद्धता 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दी जाएगी। विकासशील देशो को आतरिक परिवहन और निर्यात खेप पर मालभाडे की वचनबद्धताओ से मुक्त रखा गया है। भारत मे निर्यात सब्सिडी सबधी ऐसी कोई अनुदान नीति नहीं है जिसमे ऐसी कोई सूची हो जिसमे कटौती की वचनबद्धता को लागू किया जाए। भारत विदेशी विनिमय सकट के कारण निर्यात सब्सिडी का लाभ उठाता रहेगा।

7. व्यापार से सबधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा (Protection of Trade Related Intellectual Property) – डकेल प्रस्तावो की बुनियादी जरूरत यह है कि तकनीक के हर विभाग मे किये जा रहे आविष्कारो का पेटेंट कराना होगा जिसका उपयोग अनुमति व अनुबन्ध के अन्तर्गत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने तथा दुरुपयोग पर रोक की शर्त है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक मानी गई है। अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली की जो कडी शर्त हैं उनकी वजह से सीधे स्वत लाइसेंस देने का नियम निरस्त हो जाता है।

पौधो की प्रजातियों के मामले में अन्य सिद्धातो को अपनाया जाएगा। इस सबध मे सदस्य देशों को दो विकल्प दिये गए है जो निम्नलिखित हैं –

1 समझौता करने वाले देश पौध किस्म की रक्षा पेटेंट से कर सकते हैं, अथवा

2 'स्वे जेनेरिस' व्यवस्था से अथवा दोनो को मिलाकर कर सकते है।

अगर पौधो की किस्मे पेटेंट से सरक्षित की जाती हैं तो सरक्षित बीज की खरीद करने वाला किसान अपनी उपज से अगली फसल के लिए बीज नहीं रख सकता है। 'स्वे जेनेरिस' व्यवस्था के किसान उपनी उपज के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप मे प्रयोग कर सकते है। स्वजेनेरिस व्यवस्था पेटेंट से पृथक है। स्वे जेनेरिस सरक्षण का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करना है।

सारत विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत की कृषि पर फिलहाल विपरीत प्रभाव पडने की सभावना नहीं है। गैट समझौता लागू होने के बाद कृषि सब्सिडी में कमी नहीं होगी। औद्योगिक राष्ट्रो द्वारा कृषि सब्सिडी मे कमी करने से भारत से कृषि उत्पादो का निर्यात बढने की सभावना है। भारत को खाद्यान्नो के आयात के लिए मडियो के द्वार नहीं खोलने पडेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गैट व्यवस्था का कोई असर नहीं पडेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्व की भाति खाद्यान्न भडार बनाये जाएगे। भारत द्वारा स्वेजेनेरिस प्रणाली आत्मसात करने के कारण किसान अपनी फसल से अगली फसल के लिए बीज रख सकेंगे उसकी अदला बदली कर सकेंगे और फालतू बीज बेचे जा सकेंगे।

सजग रहने की जरूरत (Need to be Alert)

विश्व व्यापार सगठन के कारण भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। गैट समझौते के कारण घरलू बाजार मे प्रतिस्पर्धा मे उत्पन्न होगी। भारत की तकनीक अनेक क्षेत्रों मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की चुनौती का सामना करने की स्थिति मे नहीं है। हाल ही के वर्षो मे भी भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियो का लाभ उठाने मे सफल नहीं हो सका है। विश्व व्यापार सगठन को स्थापना हुए छह वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भारत की विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण करते समय खाद्यान्न निर्यात और भारत से निर्यात वृद्धि की सभावना व्यक्त की जा रही थी किन्तु गत वर्षो मे निर्यात के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गैट समझौते के तहत् विकसित राष्ट्रो को कृषि सब्सिडी मे कमी करनी पडेगी। इससे उनका कृषिगत उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे महगा होगा। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र कृषिगत निर्यातो में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे होगे। किन्तु भारत जनाधिक्य वाला देश है और अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से पिछडी हुई है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है और कृषि क्षेत्र मे काम मे ली जाने वाली तकनीक विकसित देशों की तुलना में कमजोर है। देश मे प्रतिवर्ष जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है। तीव्रता से बढ रही जनसख्या हडप कर जाती है। बढती जनसख्या और कृषि के पिछडेपन के रहते हुए भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण हाल ही उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने की स्थिति मे नहीं है। इस बात की पुष्टि गत वर्षो के निर्यात आकडों से सहज हो जाती है। भारत की निर्यात वृद्धि दर-(डालर मे) 1997-98 मे 1 5 प्रतिशत तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998-99 मे ऋणात्मक 2 9 प्रतिशत थी। कृषि और सबधित वस्तुओं की डालर में निर्यात वृद्धि दर 1997-98 में ऋणात्मक 6 6 प्रतिशत तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998-99 मे ऋणात्मक 6 4 प्रतिशत थी। अत विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत को बहुत की सजग रहने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कडी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय उत्पादो को गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता है। देश में शोध और अनुसधान से बढावा देकर, उत्पादन मे नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का बखूबी मुकाबला किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1 योजना 31 मार्च 1995, पृ 15
2 वहीं, 15 जुलाई, 1994

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

1 विश्व व्यापार सगठन पर टिप्पणी लिखिए।
2 विश्व व्यापार सगठन क्या भारत के लिए हितकर है।
3 गैट के उद्देश्य बताइए।
4 उरुग्वे राउण्ड क्या हे।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1 विश्व व्यापार सगठन क्या है? विश्व व्यापार सगठन का भारतीय कृषि पर पडने वाले प्रभावो का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे विश्व व्यापार सगठन का अर्थ लिखिए तथा द्वितीय भाग मे अध्याय मे दिए गए विश्व व्यापार सगठन का कृषि पर प्रभाव को लिखना है।)
2 निम्न पर टिप्पणी लिखिए
(i) गैट
(ii) उरुग्वे राउण्ड
(iii) विश्व व्यापार सगठन
(iv) डकेल प्रस्ताव और भारतीय कृषि

16

सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(Community Development Programme)

भारत गावों का देश है। बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए गावों मे निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसख्या 62 9 करोड थी जो कुल जनसख्या 84 6 करोड का 74 3 प्रतिशत था। ग्रामीण जनसख्या छह लाख से अधिक गावों में रहती है। स्वतत्रता से पहले ग्रामवासियो की माली हालत दयनीय थी। भारत दीर्घावधि तक गुलाम देश रहा है। गुलामी के दिनो मे विदेशी ताकतों ने भारत के लोगों का शोषण किया। ब्रिटिश राज में भारत के किसानों की स्थिति बद से बदतर थी। जमींदारी प्रथा क दौर में किसानों का मनमाफिक शोषण किया गया। भारतीय किसान आर्थिक रुप से बहुत कमजोर था। अधिकतर किसान सामतों के बधुआ मजदूर थे। किसानों से बेगार ली जाती थी। किसानों का समूचा जीवन ऋणी के रुप मे ही बीत जाता था। इसके अलावा गाव आधारभूत सरचना की दृष्टि से पिछडे हुए थे। गावों में सडकें, चिकित्सा, शिक्षा, सचार, यातायात आदि सुविधाओं का नितात अभाव था। कुल मिलाकर स्वतत्रता से पहले ग्रामीण परिवेश की दशा शोचनीय थी।

अतीत में सामुदायिक विकास पर कार्य अवश्य हुए है। ग्रामीण विकास और पुनरुत्थान वास्ते महात्मा गाधी ने सेवाग्राम में, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टगौर ने शाति निकेतन मे, बायन ने गुडगाव (हरियाणा) में तथा स्पेन्सर हैच ने मार्तण्डम में प्रयास किए।

स्वातन्त्र्योत्तर सामुदायिक विकास की शुरुआत (Beginning of Community Development after Independence)

स्वातन्त्र्योत्तर सामुदायिक विकास की दिशा मे सुनियोजित प्रयास किए गए। राजकोषीय आयोग 1949 की सिफारिश पर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की शुरुआत हुई। जून 1952 में अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति ने रिपोर्ट

प्रस्तुत की। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति द्वारा की गई सिफारिशो मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया जाना, कार्यक्रम को अधिक केन्द्रीय सहायता तथा ग्राम योजनाओ के अनुकूल राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी सगठनो की स्थापना आदि मुख्य थी। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति की सिफारिशो को योजना आयोग तथा सरकार ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के जन्म दिन के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1952 को सम्पूर्ण देश के 55 केन्द्रो के 500 वर्गमील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसख्या पर ग्राम विकास का सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। वर्ष 1963 तक समूचे देश की ग्रामीण जनसख्या को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि मे लाया गया।

सामुदायिक विकास का अर्थ
(Meaning of Community Development)

सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास का माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामवासियों का आर्थिक एव सामाजिक विकास किया जाता है तथा ग्रामीण परिवेश मे राजनीतिक जागरुकता को बढावा दिया जाता है। कुल मिलाकर सामुदायिक विकास में ग्रामीण विकास के सभी पहलुओ को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सबध में पडित जवाहरलाल नेहरु का कथन महत्त्वपूर्ण है, उन्होने कहा था, "सामुदायिक विकास परियोजनाएँ सम्पूर्ण भारत मे चमकीली, जीवन मे परिपूर्ण एव प्रावैगिक चिनगारिया है जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणे प्रस्फुटित होती है। ये विकास के ऐसे ज्योति-स्तभ हैं जो घने अधकार मे तब तक प्रकाश फैलाते रहेगे जब तक कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था आलोकित न हो उठे।" सामुदायिक विकास में प्रत्येक कार्य "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" को ध्यान मे रखकर सम्पन्न किया जाता हे। सामुदायिक विकास की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाए निम्नलिखित है –

1 भारतीय योजना आयोग के अनुसार, "सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विस्तार की वह सस्था है जिसक द्वारा पचवर्षीय योजना ग्रामीण जनता के सामाजिक एव आर्थिक जीवन में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहती है।"

2 श्री एस के डे के अनुसार, "सामुदायिक विकास मे कृषि, पशुपालन, *सिचाई, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उत्थान,* सन्देशवाहन, ग्रामपचायत तथा जीवन के वे महत्त्वपूर्ण तत्त्व सम्मिलित हैं, जिनका सबध भारतीय जन समूह के 82 प्रतिशत जनसख्या से है।"

योजना आयोग की परिभाषा मे पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामोत्थान पर बल की बात कही गई है। श्री एस के डे ने सामुदायिक विकास की परिभाषा मे ग्रामीण परिवेश मे जीवन बसर करने वाली बहुसख्यक जनसख्या के कल्याण के लिए विविध पहलुओ को सम्मिलित किया है। कुल मिलाकर सामुदायिक विकास एक बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम है जिसमे गावो के वाशिदो का सर्वांगीण विकास

समाहित है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ
(Characteristices of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. स्वैच्छिक (Voluntary) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय साहस, प्रयत्नों और प्रेरणाओं को महत्त्व दिया जाता है। इसमें कार्यक्रम ग्रामीण जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते है। कार्यक्रम स्थानीय होने के कारण बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होता है।
2. व्यापक कार्यक्रम (Vast Programme) – यह एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। ग्रामोत्थान के सभी कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते है।
3. संयुक्त प्रयास (Joint Efforts) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय जनता तथा सरकार का संयुक्त प्रयास है। सामुदायिक विकास के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करायी जाती है।
4. सर्वांगीण विकास (All-round Development) – सामुदायिक विकास गांवों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इसमें ग्रामवासियों के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास के प्रयास किए जाते हैं।
5. जनतांत्रिक (Republican) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। कार्यक्रम के संगठन और संचालन में ग्रामवासियों का जनतांत्रिक आधार पर सहयोग लिया जाता है।
6. सम्पूर्ण देश में लागू (Implementation Throughout Country) – वर्तमान में पूरे देश की ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में आ चुकी है।
7. कार्यक्रम के स्तंभ (Programme Pillars) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पंचायतें, सहकारी समितियाँ और पाठशालाएं महत्त्वपूर्ण संस्था होती है।

सामुदायिक विकास के उद्देश्य
(Objectives of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास करना हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कृषकों के जीवन में सर्वाधिक लाभप्रद क्रांति वाला बताया है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख सलाहकार डॉ डगलस एन्स्मिन्जर ने सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को रेखांकित किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1 **प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास** (Development of Progressive Attitude) – भारत भी ग्रामीण जनता रुढिवादिता मे डूबी हुई है। ग्रामीण परिवेश मे रुढिवादिता के कारण समाज मे बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणो मे प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास मे कारगर भूमिका निभा सके।

2 **उत्पादन वृद्धि** (Production Increase) – सामुदायिक विकास का उद्देश्य उत्पादन बढाना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो का विकास कर उत्पादन बढाया जाता है जिससे ग्रामीणो की आय मे वृद्धि होती है। कृषिगत क्षेत्र मे उत्पादन वृद्धि वास्ते कृषि मे यत्रीकरण, उर्वरको का प्रयोग, उन्नत बीज व कीटाणुनाशक दवाओ का उपयोग, सिचाई सुविधाओ का विकास, कृषि आधारित लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास आदि इसके उद्देश्य है।

3 **रोजगार सृजन** (Employment Creation) – भारत की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। गावो मे छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या विकट है। समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना निर्धारित किया गया है। गावों मे रोजगार वृद्धि के लिए वृक्षारोपण, सडक निर्माण, ग्रामीण औद्योगीकरण, भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते है।

4 **जनसहयोग** (Public Cooperation) – विकास कार्यक्रमो के सफल क्रियान्वयन के लिए जनसहयोग लाजिमी है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गावों मे लोगो के बीच सहकारी ढग से काम करने की आदत डालना है। ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न कर विकास योजनाओं के प्रति उत्साहवर्द्धक वातावरण तैयार किया जाता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन मे ग्रामीणो का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है।

5 **कृषि विकास** (Agriculture Development) – कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कृषि पिछडी हुई दशा मे है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य कृषि का विकास करना है। सामुदायिक विकास मुख्यत कृषि विकास से ही सबधित है। कृषि विकास से ही देश मे विशेषकर ग्रामीण परिवेश में खुशी की लहर दौडना सभव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे कृषि विकास सबधी काम यथा भूमि सुधार, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि विपणन आदि किये जाते हैं।

6 **परिवहन विकास** (Transport Development) – भारत मे ग्रामीण परिवेश के पिछडे हुए होने का एक प्रमुख कारण परिवहन सुविधाओ का अभाव रहा है। बहुत से गाव आज भी सडको से जुडे हुए नहीं है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गावो मे परिवहन विकास रखा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे सभी गावों को कच्ची व पक्की सडको से जोडना, मोटर यातायात का विकास तथा सडकों की मरम्मत आदि कार्य किये जाते है।

7. आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency)– सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गावो को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम मे इस बात के प्रयास किए जाते है कि ग्रामवासियो को जीवन की प्राथमिक वस्तुए यथा रोटी, आवास और कपडा मुहैया हो सके।

8 उन्नत जीवन स्तर (High Living Standard) – गावो मे समस्याओ के खडा होने के कारण ग्रामीणों के जीवन स्तर की दशा दयनीय है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणजनों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। उन्नत जीवन स्तर के लिए चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सेवाओ का विस्तार तथा मनोरजन के साधनो के विकास पर बल दिया जाता है।

9. सामाजिक एव सास्कृतिक उत्थान (Social and Cultural Upliftments) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे ग्रामीणो के आर्थिक उत्थान के साथ–साथ उनके सामाजिक और सास्कृतिक उत्थान के भी प्रयास किये जाते है।

10 मानव संसाधन का विकास (Development of Human Resources) – गावो मे निरक्षरता के कारण मानव ससाधान की स्थिति शोचनीय है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे मानवीय ससाधनो का विकास करना है। इसके लिए गावो मे शिक्षा, चिकित्सा, साक्षरता, प्रौढ शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

11 प्रभावी नेतृत्व (Effective Leadership) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे गावा मे अनेक विकास कार्यक्रम सचालित होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य विकास कार्यक्रमो के सचालन द्वारा स्थानीय साहस और प्रभावशाली नेतृत्व का बढावा देना है। सामुदायिक विकास मे युवक सघ, महिला मडल, पचायते, कृषक सगठन, विद्यालय, सहकारी समितियाँ, मनोरजन क्लब आदि स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास से जुडे इन कार्यक्रमो की मदद से अनेक बार राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उभरकर सामने आता है।

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम
(Programme for Community Development)

सामुदायिक विकास एक गहन और व्यापक कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबधी अनेक पहुलओ को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक विकास मे सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित है –

1. कृषि विकास सबधी कार्यक्रम – भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था मे कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कृषि विकास सबधी अनेक कार्यक्रमो का समावेश किया गया हैं इसमे कृषि की दशा सुधारने वास्ते कृषि मे आधुनिक तकनीकी, कृषि का विस्तार, उर्वरको का प्रयोग, यत्रीकरण, उन्नत बीज, कीटनाशक, कृषिविपणन, कृषि वित्त,

सहाकारिता, पशुपालन, सिचाई विकास आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

2. सिचाई सुविधाओं का विकास – भारत मे सिचाई सुविधाओ का अभाव कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण रहा है। कृषि विकास को गति देने के लिए सिचाई सुविधाओ का विकास आवश्यक है। सामुदायिक विकास मे गावों मे सिचाई सुविधाओ के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि योग्य भूमि के 50 प्रतिशत भाग पर सिचाई सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं।

3 शैक्षिक विकास – भारत मे निरक्षरता का अधकार है। गावो मे साक्षरता की स्थिति दयनीय है। विशेषकर महिलाओ मे तो निरक्षरता बहुत ही चिन्ताप्रद है। ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण मे प्रगतिशील बदलाव के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। सामुदायिक विकास मे ग्रामीण परिवेश मे शिक्षा सुविधाओ का विकास करना प्रमुख कार्यक्रम है। शैक्षिक विकास के लिए साक्षरता अभियान तथा व्यस्को के लिए प्रौढ शिक्षा सचालित है।

4 महिलाओं की दशा में सुधार – देश मे महिलाओ की दशा दयनीय है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभावों मे महिलाओ की दशा सुधर नहीं सकी। सामुदायिक विकास मे महिलाओं की बिगडी दशा सुधारने के लिए महिला शिक्षा, महिला उद्योग आदि की व्यवस्था की जाती हैं। महिलाओ के उत्थान के लिए महिला एव बाल विकास विभाग कार्यरत है।

5. ग्रामीण औद्योगीकरण – गावों मे बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणो के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कारीगरो और शिल्पकारो को प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. यातायात विकास – सामुदायिक विकास मे गावो को कच्ची–पक्की सडको से जोडने की व्यवस्था की जाती हैं। भारत मे बहुत से गाव सडकों से जुडे हुए नहीं है। सामुदायिक विकास मे गावों को सडको से जोडने के लिए ऐच्छिक श्रम, सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक सस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विकास – गावो म स्तरीय चिकित्सा सुविधाओ का अभाव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गावो मे चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय, छूआछूत बीमारियो पर नियत्रण आदि सम्मिलित किए जाते हैं।

8. आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण – सामुदायिक विकास मे आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मे लोगो के लिए सुविधाजनक आवास मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण विकास सबधी योजनाओ के सफल क्रियान्वयन के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती हैं। इसके अलावा खेलकूद और सामाजिक कल्याण के कार्यो का सचालन भी किया जाता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सगठन
(Organisation of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे परिस्थितियो के अनुरुप परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था के लिए सगठनात्मक स्वरुप इस प्रकार है–

1 केन्द्रीय स्तर पर – वर्ष 1966 से पूर्व सामुदायिक विकास सबधी नीतियों के निर्धारण एव सचालन के लिए सामुदायिक विकास एव सहकारिता मत्रालय था। यह मत्रालय नीति निर्धारण अन्य मत्रालयो यथा कृषि मत्रालय, योजना आयोग आदि से परामर्श करता है। सामुदायिक विकास से सबधित सलाह मशविरे के लिए एक सयुक्त केन्द्रीय समिति होती है जिसमे योजना आयोग के सदस्य एव कृषि मत्रालय के प्रतिनिधि होते है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का मूल्याकन समय-समय पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्याकन सगठन द्वारा किया जाता है।

2 राज्य स्तर पर – देश के सभी राज्यो में राज्य विकास परिषदे स्थापित है। राज्य विकास परिषद् का अध्यक्ष मुख्यमत्री होता है तथा सचिव राज्य का विकास आयुक्त होता है। विकास मत्री राज्य विकास परिषद् का सदस्य होता है। सामुदायिक विकास सबधी नीति निर्धारण का काम राज्य विकास परिषद द्वारा किया जाता है तथा कार्यक्रमो के क्रियान्वयन का दायित्व विकास आयुक्त का होता है। विकास आयुक्त सामुदायिक विकास के मुख्य अधिकारी के रुप मे विकास अधिकारियो के कार्यो की देखभाल करता है। विकास आयुक्त की सहायतार्थ तकनीकी सलाहकार समिति होती है। विकास आयुक्त केन्द्र व राज्य के बीच समन्वयक का कार्य करता है।

3 जिला स्तर पर – जिला स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो को सम्पन्न करने के लिए जिला परिषदे कार्यरत हैं। जिलाधीश जिला परिषद् का पदेन मुख्य अधिकारी होता हैं। जिला प्रमुख परिषद् का कार्यकारी अधिकारी होता है। जिला परिषद् मे सबधित जिले के विधायक, सासद तथा पचायत समितियो के प्रधान सदस्य होते हैं। सामान्यता एक जिला परिषद के अधीनस्थ तीन खड होते है तथा प्रत्येक खड मे औसतन 100 गाव होते है। जिला परिषदे सबधित जिले की पचायत समितियो तथा विकास खडो मे समन्वय का कार्य करती है।

4 खड स्तर पर – खड स्तर पर पचायत समितिया होती हैं जिनमे खड विकास अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य अधिकारी होता है। पचायत समिति म चुने हुए सरपच सम्मिलित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रो के विशेषज्ञ और विस्तार अधिकारी पचायत समिति के निर्देशन मे काम करते हैं। इसके अलावा ऐच्छिक सगठनो से भी पचायत समिति के कामकाज मे सहयोग लिया जाता है।

5 ग्राम स्तर पर – ग्रामीण स्तर पर ग्राम पचायते होती हैं जिसमे गाव के

चुने हुए पच और सरपच होते हैं। गावो के छोटे–छोटे होने पर दो या तीन छोटे–छोटे गावो का बडे गाव की पचायत मे सम्मिलित कर दिया जाता है। ग्राम पचायत की सहायता के लिए पचायत का मुख्य कार्यकर्ता ग्राम सेवक होता है।

सामुदायिक विकास के चरण
(Steps of Community Development Programme)

वर्ष 1958 मे बलवन्त राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाओ को समाप्त करने का सुझाव दिया था। वर्तमान मे भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सचालन चार अवस्थाआ मे हाता है –

1 **पूर्व विस्तार अवस्था** – सामुदायिक विकास की पूर्व विस्तार अवस्था मे प्रस्तावित विकास खड का गहन अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाता है तथा आवश्यक कर्मचारियो की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा खड स्थापना के लिए आवश्यक आधार तैयार किया जाता है।

2 **प्रथम अवस्था** – पूर्वविस्तार अवस्था का काम पूरा हो जाने के बाद उन्हीं क्षेत्रो मे पाच वर्ष के लिए प्रथम अवस्था लागू होती है। इस अवस्था मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 12 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रथम अवस्था मे निर्धारित राशि का उपयोग ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि विकास तथा सामाजिक सेवाओ के लिए किया जाता है।

3 **द्वितीय अवस्था** – प्रथम अवस्था के सपन्न होने के पश्चात पाच वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय अवस्था प्रारम्भ होती है। इस अवस्था मे 5 लाख रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान होता है। इस अवस्था मे सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो को सुदृढ किया जाता है।

4 **अन्तिम अवस्था** – अतिम अवस्था मे सामुदायिक विकास की योजनाए स्वय स्फूर्त हो जाती हैं। क्षेत्र विशेष के अपेक्षित विकसित नही होने की दशा मे विकास को अनुकूल स्तर पर लाने के लिए सरकार एक लाख रुपए प्रति वर्ष आवटित करती है।

पचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक विकास की प्रगति
(Progress of Community Development Programme During Five Year Plans)

सरकार ने विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे सामुदायिक विकास पर ध्यान कन्द्रित किया नतीजन नियोजित विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की उत्तरोत्तर प्रगति हुई। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे सामुदायिक विकास की प्रगति निम्नलिखित है –

1 **प्रथम पचवर्षीय योजना** – भारत मे गावो के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को चुने हुए 55 केन्द्रो पर हुई। सामुदायिक विकास का उद्देश्य जाति उन्मुख परम्परागत समाज को

रामुदाय उन्मुख समाज मे बदलना था। इस योजना मे शुरु की गई 55 परियोजनाओं मे प्रत्येक मे 300 गाव व लगभग 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित किए गए थे। प्रथम योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो पर 45 98 करोड रुपये व्यय किए गए जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को बल मिला।

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना – योजनावधि मे सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रगति का मूल्याकन करने के लिए बलवत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई जिसने सामुदायिक विकास के सबध मे निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए –

1 लोकतात्रिक विकेन्द्रीयकरण
2 योजनाए जनता के द्वारा बनाना
3 सामुदायिक विकास मत्रालय द्वारा ग्राम विकास कार्यो का समन्वय स्थापित करना।
4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाओ को समाप्त करना।
5 कृषि व ग्रामीण उद्योगो को विकसित करना।
6 कर्मचारियो का उचित ढग से उपयोग करना।
7 सामुदायिक विकास कार्यक्रमो व राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर को समाप्त करना।

सरकार ने बलवत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। राजस्थान के नागौर जिले मे 2 अक्टूबर, 1959 को देश मे सर्वप्रथम लोकतात्रिक विकेन्द्रीयकरण का सूत्रपात पडित नेहरु द्वारा किया गया। द्वितीय योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो पर 187 12 करोड रुपये व्यय किया गया।

3 तृतीय पचवर्षीय योजना – इस योजना मे सामुदायिक विकास पर 269 12 करोड रुपये व्यय किया गया। मार्च 1966 तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम 5,200 विकास खडो मे प्रगति पर था। योजनावधि मे देश का अधिकाश भाग सामुदायिक विकास की परिधि मे आ चुका था।

4 तीन वार्षिक योजनाए (1966 69) – वर्ष 1968–69 मे विकास खडो की सख्या 5,265 थी। तीन वार्षिक योजनाओं मे सामुदायिक विकास पर 92 करोड रुपए व्यय किया गया।

5 चतुर्थ पचवर्षीय योजना – चतुर्थ योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 115 2 करोड रुपये व्यय किया गया। योजनावधि में अनेक राज्यो में सामुदायिक विकास खण्डो मे पुनर्गठन के कारण सामुदायिक विकास खण्डो की सख्या घटी। योजना मे देश की समूची ग्रामीण जनसख्या सामुदायिक विकास की परिधि में आ चुकी थी।

6 पाचवी पचवर्षीय योजना – पाचवी योजना मे सामुदायिक विकास व पचायती राज पर 161 करोड रुपये व्यय किये गये। योजना मे ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि उत्पादन तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। योजनावधि मे सामुदायिक

विकास पर वास्तविक व्यय, प्रावधानिक व्यय से कम था। योजना मे सामुदायिक विकास पर 227 5 करोड रुपये व्यय का प्रावधान था।

7. छठी पंचवर्षीय योजना – छठी योजना मे सामुदायिक विकास पर 352 करोड रुपये व्यय का प्रावधान किया गया था। छठी योजना तक देश मे 252 जिला परिषदे, 5,500 विकास खड, 2 3 लाख ग्राम पचायते तथा 4,478 समितियॉ कार्यरत थीं। इस योजना मे देश के 5 44 लाख गावो की 40 7 करोड जनसख्या सामुदायिक विकास कार्यक्रमो से लाभान्वित हो रही थी।

8 सातवीं पंचवर्षीय योजना – सातवीं योजना मे सामुदायिक विकास और पचायती राज पर 416 15 करोड रुपये व्यय किये गये। योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता के अन्तर्गत सामुदायिक विकास को बजट बनाने तथा योजनाएँ सचालित करने की छूट दी गई।

सामुदायिक विकास कार्य की आलोचनाएं
(Criticisms of Community Development Programme)

भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू हुए 48 वर्ष (अक्टूबर 2000 को) पूरे हो चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से गावो मे कुछ प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु इस कार्यक्रम से जो आशाए की गई थी उतनी सफलता नही मिल सकी। आज गाव सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से शहरो की तुलना मे पिछडे हुए है। गावो मे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आज भी व्याप्त है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्याकन सगठन सामुदायिक विकास कार्यक्रमो की समीक्षा करता रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख आलोचनाए अथवा असफलताए निम्नलिखित है –

1. राजनीति का केन्द्र (Centre of Politics) – भारत मे सामुदायिक विकास केन्द्र गन्दी राजनीति का अखाडा बन गये है। देश मे सामुदायिक विकास के केन्द्र बिन्दु ग्राम पचायतें, सहकारी समितियॉ, पचायत समिति तथा जिला परिषदे आदि सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किए गए है, किन्तु ये सब अब राजनीति के शिकार है। इनमे सत्ताधारी और विरोधी पक्ष परस्पर लडते रहते हैं। विरोधी दल सकारात्मक आलोचना के स्थान पर विकास कार्यो मे अडचने उत्पन्न करते हैं। राज्यो मे पचायत चुनाव नियत समय पर नही कराये जाते है।

2. खोखला कार्यक्रम (Useless Programme) – सामुदायिक विकास एक खोखला कार्यक्रम है। स्वात्न्त्र्योत्तर गावो के विकास के नाम पर अनेक योजनाए बनी, उनमे भारी भरकम पूजी का आवटन किया गया। किन्तु ग्रामीण विकास की योजनाओ से जरुरतमद को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। विकास योजनाओ की आबटित राशि तो खर्च मद मे दिखा दी जाती है लेकिन न तो गावो का विकास हुआ न ही किसान और गरीब की माली हालत सुधर सकी। विकास के नाम पर जो धन केन्द्र से जारी होता है उसका बहुत कम भाग गावों मे विकास वास्ते पहुच

पाता है। अधिकाश भाग भ्रष्टाचार की बाढ में बह जाता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन मे लालफीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है।

3 समन्वय का अभाव (Lack of Co-ordinationa) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय लागों तथा सरकार के समन्वय पर आधारित है। किन्तु सामुदायिक विकास मे जन प्रतिनिधियों और राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियो के बीच समन्वय का अभाव दृष्टिगाचर होता है। ग्राम पचायत स्तर पर पच, सरपच और ग्राम सेवक, पटवारी के बीच, पचायत समिति स्तर पर प्रधान और खण्ड विकास अधिकारी के बीच तथा जिला परिषद् स्तर पर जिला प्रमुख व अन्य कार्यकारी अधिकारी के बीच परस्पर मतभेद हो जाने के कारण विकास कार्य ठप्प पड जाते हैं।

4 सरकारी ससाधनों पर निर्भरता (Dependence on Government Resources) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी साधनो पर आश्रित हो गया है और स्वय की मदद अपने आप करों के लक्ष्य से दूर हो गया है। सामुदायिक विकास के प्रारम्भ म यह कल्पना की गई थी कि 1962 के बाद यह कार्यक्रम स्थानीय पहल और स्वय के ससाधनो पर निर्भर हो जाएगा। यह बात सही नहीं निकली। लम्बे समय बाद भी सामुदायिक विकास की राजकीय कोषों पर निर्भरता बनी हुई है। सातवीं योजना में सामुदायिक विकास को स्वायत्तता दी गई है।

5 अपर्याप्त राजकीय सहायता (Insufficient Government Aid) – सामुदायिक विकास के कार्यक्रम बहुत व्यापक है। सामुदायिक विकास पर गावों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। भारत के गाव बहुत पिछडे हुए हैं। गावो के आर्थिक विकास के लिए भारी पूजी विनियोजन की आवश्यकता है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। अनेक बार सहायता प्राप्त करने मे अनावश्यक विलम्ब हाता है क्योंकि सरकारी कार्यालयो की भाति विकास खण्डो मे भी लालफीताशाही का बोलबाला है।

6 जन सहयोग का अभाव (Lack of Public Cooperation) – सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। श्रमदान को बेगार समझा गया और लागो न इसमे पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। भ्रष्ट व्यक्ति सामुदायिक विकास पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। योग्य और ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट राजनीतिज्ञो से दूर रहना चाहते है। सामुदायिक विकास का लाभ चद सम्पन्न व्यक्ति और कुछ भू स्वामियो तक ही समिति रहा। ऐसे वातावरण मे जन सहयोग कठिन होता है।

7 कृषि का पिछडापन (Backwardness of Agriculture) – कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थ म कृषि पिछडी हुइ दशा मे है। आज भी खाद्यान्नो और खाद्य तेलो का बडे पैमान पर आयात किया जाता है। भारत मे कृषि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन विश्व के देशो की तुलना म कम है। सामुदायिक विकास का प्रमुख लक्ष्य कृषि

विकास को आज भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किये 48 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।

8 कल्याण कार्यों को प्रमुखता (Main Stress on Welfare Activities) – सामुदायिक विकास मे आर्थिक विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। सामुदायिक विकास मे कल्याण कार्यों को अधिक प्रमुखता दी गई परिणामस्वरुप गावो मे आर्थिक विकास सबधी कार्य यथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण औद्योगीकरण, सहकारिता गति नहीं पकड सकें। गावो की अर्थव्यवस्था मे उत्पादकता का अभाव बना हुआ है। गौरतलब है कल्याण कार्यों पर अधिक बल दिये जाने के बावजूद भी गावो मे सडको, स्कूलो, अस्पतालों का आज भी अभाव है।

विभिन्न खामियो के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण विकास को नया आयाम दिया है। आज गावो मे जागरुकता है। ग्रामीण अधिकारो के प्रति सचेष्ट है। उनका आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के सुझाव
(Suggestions for the Improvement of Community Development Programme)

सत्ता की बागडोर जन प्रतिनिधियो के हाथो मे थमा देने मात्र से विकास नहीं हो जाता। गावो के विकास के लिए नेतृत्त्व के दृष्टिकोण मे बदलाव भी आवश्यक है। देश मे भूमि सुधार कार्यक्रमो की क्रियान्विती और सुदृढ साख ढाचे के विकास से सामुदायिक विकास कार्यक्रम निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति मे सफल हो सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं –

1 कृषि विकास पर जोर (Stress on Agriculture Developments) – भारत मे गावो की दशा सुधारने के लिए कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। कृषि विकास सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके बावजूद कृषि का पिछडे रहना चिंताप्रद बात है। कृषि की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारो का सही क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के दौर मे कृषि निवेश मे पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। हरित क्राति मे बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे भारत की हरित क्राति की तकनीक पुरानी पड चुकी है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उन्नत किस्म के बीज बाजार मे उपलब्ध है जिनके प्रयोग से कृषि उत्पादन को कई गुना बढाया जा सकता हे। कृषि क्षेत्र मे नवीन तकनीकी आत्मसात करते समय भारतीय परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा। आज कृषि क्षेत्र मे सतुलित विकास की आवश्यकता है। पिछडे क्षेत्रो मे कृषि विकास पर बल देकर आर्थिक विषमता की समस्या से निपटा जा सकता है।

2 **ग्रामीण औद्योगीकरण** (Rural Industrialization) – गावो में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या विकट हैं। कृषि क्षेत्र मे छिपी हुई बेरोजगारी व्याप्त है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे ग्रामीण उद्योगो को बढावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण वास्ते कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा हस्तशिल्प, लघु एव कुटीर उद्योगो की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। गावों में उद्योग धन्धे खुलने से ग्रामीणों को रोजगार मिलने से उनके जीवन–स्तर मे सुधार होगा।

3 **शिक्षा प्रसार** (Educational Expansion) – शिक्षा और साक्षरता विकास सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। किन्तु गावो मे शिक्षा के क्षेत्र मे कारगर प्रयास नहीं हाने से निरक्षरता की समस्या आज भी विद्यमान है। अत सामुदायिक विकास मे शिक्षा प्रसार पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। गावों मे शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सभव है। शिक्षा के विकास से गावो में बेकाबू जनसख्या को नियत्रित किया जा सकता है। जनसख्या के थोडा भी नियत्रित होने पर आर्थिक विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के प्रसार से ग्रामीण परिवेश में रुढिवादिता, अज्ञानता, अधविश्वास को बडी सीमा तक दूर किया जा सकता है।

4 **गदी राजनीति से दूर** (To be Awaw from Dirty Politics) – सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को गदी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष के विकास पर राजनीति आडे नहीं आनी चाहिए। सामुदायिक विकास को राजनीति से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों को आचार सहिता का निर्माण करना चाहिए।

5 **उचित समन्वय** (Appropriate Co ordination) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे ऐसे प्रयास किये जाये जिससे जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच परस्पर सहयोग की भावना बनी रहे। जन प्रतिनिधियो को भी अधिकारियों की भाति प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6 **प्रशासनिक कुशलता** (Administrative Efficiency) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियो की नियुक्ति करनी चाहिए। अधिकारियों को ग्रामीण विकास परियोजनाओ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवश्यकता होने पर अधिकारियो के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामुदायिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि योजनाओ का लाभ अपेक्षी तक पहुचे। गावों के लोग तुलनात्मक रुप से भोले होते हैं। वे आसानी से शोषण का शिकार हो जाते हैं। अत भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

6 **जन सहयोग के प्रयास** (Efforts for Public Cooperation) – सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को इसकी विफलता के कारण अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की दशा में जन सहयोग स्वत प्राप्त होगा। जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक विकास के

कार्यक्रमो को प्रचारित किया जाना चाहिए। जन सपर्क विभाग की गाडियो को गावो की ओर मोडा जाना चाहिए जिससे गावों के लोग विकास योजनाओ के बारे मे जागरुक हो सके।

कुल मिलाकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम हैं। इसके कार्यक्रमो के उचित क्रियान्वयन मे ग्रामीण विकास समाहित हैं। किन्तु सामुदायिक विकास राजनीति का अखाडा बनने से लक्ष्य प्राप्ति मे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जन प्रतिनिधियो और अधिकारियो मे परस्पर सहयोग स्थापित कर, पर्याप्त वित्तीय सुविधा मुहैया कराकर तथा जन सहयोग प्रोत्साहन से सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को गति दी जा सकती है।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है।
2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए।
3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सगठन बताइए।
4 सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो का वर्णन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यो और उपलब्धियो का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य लिखने है तथा द्वितीय भाग मे सामुदायिक विकास की उपलब्धियो को बताना है।)

2 "सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारतीय ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम है" इस कथन की समीक्षा कीजिए।
(संकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो का वर्णन करना है।)

3 पचवर्षीय योजनाओ मे सामुदायिक विकास की प्रगति बताइए।
(संकेत –अध्याय मे की गई विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे सामुदायिक विकास की प्रगति लिखिए।)

4 सामुदायिक विकास की आलोचनाए बताइए तथा इस कार्यक्रम की सफलता के सुझाव दीजिए।
(संकेत -- प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय में दी गई सामुदायिक कार्यक्रम की आलोचना लिखिए तथा दूसरे भाग मे कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव देने है।)

कृषि वित्त के स्रोत
(Sources of Agriculture Finance)

भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश की बहुसख्यक जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बडा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि की कारगर भूमिका है। स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षो मे भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण परिवेश मे साख सुविधाओ का अत्यन्त अभाव था। बैंको के राष्ट्रीयकरण से पूर्व गावो में बैंक शाखाए बहुत कम थीं। परिणामस्वरुप किसान वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पूर्णरूपेण सेठ–साहूकारो पर निर्भर था। किसान साहूकारो के चगुल मे फसा हुआ था। साहूकारों ने किसानो का मनमाफिक शोषण किया। साहूकारो ने किसानों की आर्थिक रीढ तोड कर रख दी। भारत के ग्रामीण परिवेश म साहूकारो का प्रभाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है। बहुसख्यक किसान साहूकारो के शोषण से आज भी ग्रसित हैं। साहूकारा के शोषण की नीति के कारण किसान कर्ज में डूबा रहता है। किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में यह कहावत चर्चित रही कि भारतीय किसान कर्ज म जन्म लेता है कज मे पलता है तथा कर्ज मे ही मर जाता है। हाल ही के वर्षो मे किसानों की आथिक स्थिति म सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु गावों मे आर्थिक विषमता चिन्ताप्रद है। गरीब किसाना की स्थिति शोचनीय है। बिगडी आर्थिक दशा के लिए किसान भी स्वय उत्तरदायी है। भारत का किसान ऊची ब्याज दर पर प्राप्त साख को अनुत्पादक कार्यों में खर्च कर देता है। निरक्षर किसानों का रुढिवादी दृष्टिकोण विकास मे भी बडी बाधा है।

अब ग्रामीण परिवेश की स्थिति म बदलाव आया है। पचवर्षीय योजनाओं में गावो म साख सुविधाओं का विस्तार हुआ है। गाव–गाव मे स्कूल खुलने के कारण किसाना के परम्परागत दृष्टिकोण मे परिवर्तन आया है। हरित क्राति से कृषि क्षेत्र मे समृद्धि बढी है। आज ग्रामीण परिवेश म बडी सीमा तक खुशहाली है। कृषि विकास के साथ ग्रामीण परिवेश मे कृषि वित्त की आवश्यकता बढी है।

वर्तमान मे किसानो को कृषि मे यत्रीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए अधिक साख सुविधा की आवश्यकता है। भारत का किसान शिक्षित नहीं है। बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है। बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति मे भ्रष्टाचार है। किसान बिचौलिए के चक्कर मे फस जाता है। कृषि वित्त मे सुधार की महती आवश्यकता है। कृषि की तीव्र उन्नति के लिए किसानो की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। आसान कृषि वित्त इसमे सहायक सिद्ध हो सकता है।

कृषि वित्त के प्रकार (Types of Agriculture Finance)

भारत मे कृषि वित्त को किसानो की साख आवश्यकताओ के अनुसार अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन भागो मे बाटा जाता है। इनका सक्षिप्त विवरण निम्नाकित है –

1 **अल्पकालीन साख** (Short-Term Credit) – अल्पकालीन साख की अवधि 12 माह से 15 माह तक होती है। किसानो को अल्पकालीन साख उनके चालू खर्चे यथा बीज, खाद, फसल की बुआई–कटाई आदि के लिए दी जाती है। किसानो को अल्पकालीन सुविधा सहकारी समितियो तथा महाजनो द्वारा मुहैया करायी जाती है।

2 **मध्यमकालीन साख** (Mid-Term Credit) – मध्यमकालीन साख की अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की होती हैं इस प्रकार की साख कृषि में यत्रीकरण, सिचाई व्यवस्था तथा भूमि को समतल करने के लिए प्रदान की जाती है। मध्यकालीन साख कुछ अधिक अवधि की होती है तथा इस पर ब्याज की दर भी अधिक होती है।

3 **दीर्घकालीन साख** (Long-term Credit) – दीर्घकालीन साख की अवधि 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती हैं। भूमि विकास बैंको द्वारा किसानो को दीर्घकालीन साख प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन साख का उपयोग लघु सिचाई, भू–सरक्षण, भारी यत्रीकरण, ऋण भुगतान, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यों में किया जाता है।

भारत में कृषि साख के स्रोत
(Sources of Agriculture Credit in India)

भारत मे कृषि साख के अनेक स्रोत है। मुख्य रुप से कृषि साख स्रोतो को तीन भागो मे बाटा जा सकता हैं—निजी व्यक्ति, वित्तीय सस्थाऐ और सरकार। निजी व्यक्तियो मे सेठ–साहूकार, महाजन, दलाल व रिश्तेदारो को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय सस्थाओ मे रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, भारतीय स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियाँ आदि सम्मिलित की जाती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारे भी कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि साख सुविधा मुहैया कराती हैं।

कृषि साख वितरण

(करोड रुपए)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1993-94	10117	977	5400
1994-95	9406	1083	8255
1995-96	10479	1381	10172
1996-97	11944	1684	12783
1997-98	14085	2040	15831
1998-99	15916	2538	18443
1999-2000 (लक्ष्य)	20665	3443	20567

स्रोत *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99, पृ 125 तथा 1999-2000, पृ 142

1. **देशी बैंकर** (Indigenous Bankers)

भारत मे देशी बैंकर का ग्रामीण साख के रुप में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रामीण परिवेश मे आज भी सेठ साहूकार, महाजन किसानो को साख सुविधा मुहैया कराते हैं। डा एल सी जैन के अनुसार "साहूकार अथवा महाजन वह व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहको को समय पर ऋण देता रहता है और देशी बैंकर वह व्यक्ति होता है जो ग्राहकों को ऋण देने के अतिरिक्त विशेष निक्षेप स्वीकार करने तथा हुण्डियो के लेन–देन का कार्य भी करता है।" भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति के अनुसार देशी–बैंकर वह व्यक्ति अथवा निजी फर्म है जो जमाए स्वीकार करने, हुण्डियो का व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करते हैं।

देशी बैंकर आभूषण, बर्तन, भूमि, दुकान आदि गिरवी रखकर उधार देते है। इनकी ऋण प्रक्रिया बहुत आसान होती है। किसान सुविधा अनुसार इनसे कभी भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देशी बैंकर से कृषि साख का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त होता है। देशी बैंकर किसानों का मनमाफिक शोषण करते हैं। भारत की कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण साहूकारो द्वारा किसानो का किया गया शोषण भी है। कृषि साख के सबध मे यह कहावत लम्बे समय तक चर्चित रही कि भारतीय किसान कर्ज मे जन्म लेता है, कर्ज मे पलता है तथा कर्ज में ही मर जाता है।

देशी बैंकर के दोष (Demerits of Indigeneous Bankers)

देशी बैंकर की कार्यप्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण तथा शोषण को बढावा देने वाली थी। देशी बैंकर द्वारा साख सुविधा मे अनेक दोष पाये जाते है –

1 ऊँची ब्याज दरें (High Rate of Interest) – देशी बैंकर द्वारा ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। देशी बैंकर सामान्यतया 24 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करते हैं। देशी बैंकर्स किसानों से मूलधन स ज्यादा ब्याज वसूल कर लेते हैं।

2 **अग्रिम ब्याज** (Advance Interest) – देशी बैकर अथवा साहूकार किसानो को ऋण देते समय ब्याज राशि अग्रिम काट लेते है जिससे किसानो को मूल ऋण भी कम प्राप्त होता है।

3 **हिसाब मे गडबड** (Mismanagement in Accounts) – साहूकारो द्वारा ऋणो के हिसाब–किताब मे भारी गडबडी रखी जाती हैं। इनके द्वारा किसानो को ऋणो का हिसाब–किताब नहीं दिखाया जाता है। कई बार साहूकार किसानो द्वारा ऋण की किस्त अदायगी की प्रविष्टि नहीं करते है। ब्याज की गणना भी ज्यादा कर ली जाती हैं। साहूकारो द्वारा ऋण जमा की रसीदें भी नहीं दी जाती हैं।

4 **गलत प्रतिज्ञा पत्र** (Improper Promissory Note) – साहूकार किसानो से ऋण राशि से अधिक का प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त कर लेता हैं। अनेक बार खाली प्रतिज्ञा पत्र पर किसानो के हस्ताक्षर करा लेते है। बाद मे अधिक रकम भर ली जाती है।

5 **बेगार** (Forced Labour) – साहूकार ऋणी किसान से बेगार कराने से नहीं चूकते है। ऋणी किसान का साहूकारो द्वारा शोषण होता है। साहूकार के घर न केवल किसान अपितु उसका परिवार काम–काज करता है। किसान के परिवार को साहूकार के खेत–खलिहानो मे काम करना पडता है। बेगार के बदले किसानो को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

6 **फसल की खरीद** (Purchase of Crops) – साहूकार किसान को इस शर्त पर ऋण देता है कि किसान की फसल तैयार होने पर वह उसे ही बेचेगा। साहूकार किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं देता है तथा तौल मे भी गडबड करता है।

7 **अन्य शुल्क** (Others Taxes) – किसानो को ऋण देते समय साहूकार अनेक प्रकार की वसूलिया यथा धर्मादा, नजराना, गिरह खुलाई आदि कर लेता है जिससे किसानो पर अतिरिक्त भार पडता है।

साहूकारो के अनेक दोष होने के बावजूद ग्रामीण परिवेश मे इनका अधिक प्रभाव हैं क्योकि स्वतत्रता के अनेक वर्षों बाद भी गावो मे सस्थागत साख का अभाव था। आज गावों मे बैंक शाखाए खुलने लगी हैं। किन्तु बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है। इस कारण भारत का निर्धन और निरक्षर किसान बैंको से ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई महसूस करता हैं। इसके विपरीत साहूकारो की ऋण प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किसान जब चाहे साहूकारो से ऋण प्राप्त कर सकता हैं। साहूकार किसानो को सभी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ऋण देते हैं। साहूकार ब्याज मिलते रहने पर मूलधन पर कभी दबाव नहीं डालते है।

भारत के किसानो की माली हालात को दयनीय बनाने मे देशी बैंकर और साहूकारो को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साहूकारो ने किसानो की मजबूरी का पूरा लाभ उठाया है। सरकार ने किसानो को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए

साहूकारो की गतिविधियो पर नियत्रण रखने क लिए कई अधिनियम पारित किए है। वर्तमान मे साहूकारो की गतिविधियों पर अकुश रखन तथा किसानो को शोषण से बचाने के लिए सरकार प्रयासरत हैं। विभिन्न अधिनियमा के अन्तर्गत साहूकारों को लाइसस लेना, ऋण व ब्याज भुगतान की रसीद देना तथा सही तरीके से हिसाब-किताब रखना आदि अनिवार्य कर दिया गया हैं। अब साहूकार किसान से मनमाफिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता है तथा ऋणा के भुगतान के लिए भूमि, बैल, कृषिगत सामान आदि की कुर्की नहीं की जा सकती है।

महाजनों का कृषि साख में भविष्य — भारत की अर्थव्यवस्था में राजकीय नियत्रणो के बावजूद साहूकारों का प्रभाव बना हुआ है। आज भी गावों में गरीबी का ताण्डव हैं। ग्रामीण परिवेश निरक्षरता के अधकार मे डूबा हुआ है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण क बाद गावों मे बैंक शाखाए खुली हैं। ग्रामीण बैंक शाखाओं के विस्तार से यह साचा गया कि भारत के किसान साहूकारो क चगुल से बचेंगे किन्तु किसानों के शोषण मुक्ति के काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बैंकों से ऋण प्राप्ति में किसान बिचौलियो अथवा मध्यस्थों के चक्कर मे फस जाता हैं। बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज भी किसान का आर्थिक शोषण होता हैं। जब तक भारत के गावों मे आर्थिक समृद्धि नहीं आती, किसान पढ लिख नहीं जाता तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारों का प्रभाव बना रहेगा।

2. कृषि सहकारी साख समितियां
(Agriculture Co-operative Credit Societies)

भारत का किसान सदैव ऋण भार मे डूबा रहा। किसान की कृषि के लिए सदैव दूसरो पर निर्भरता बनी रही। किसान के परावलम्बन के कारण सदैव उसका शोषण हुआ। देश के गरीब किसानो को शोषण स मुक्त कराने, स्वावलम्बी बनाने, कृषि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने के लिए कृषि सहकारी साख की आवश्यकता महसूस की गई। भारत मे कृषि सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रादुर्भाव 1895 में फ्रेडरिक निकलसन के प्रतिवेदन से हुआ। वर्ष 1901 में लार्ड कर्जन द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर 1904 में भारतीय सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ।

भारत में सहकारी साख का ढाचा 'स्तूपाकार' (Pyramid) है। यह सघीय व्यवस्था पर आधारित हैं। इसमें प्राथमिक सहकारी साख समितिया ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष रुप स साख सुविधाए उपलब्ध करवाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक जिले में सहकारी साख के विकास और विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती है। 'शीर्ष बैंक' (Apex Bank) राज्य की सहकारी साख व्यवस्था की सर्वोच्च सस्था होती हैं। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक इसके सदस्य होते है। शीर्ष बैंक का कार्य राज्य के सहकारी आन्दोलन को दिशा देना व उस पर नियत्रण रखना है।

विगत वर्षों में भारत में सहकारी साख का विस्तार हुआ है किन्तु कृषि

साख मे सहकारी साख का योगदान कम हैं। सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सहकारी बैको द्वारा कृषि साख 1993–94 मे 10,117 करोड रुपये थी जो बढकर 1996-97 मे केवल 11,944 करोड रुपए हो सकी। वर्ष 1998–99 मे सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख का लक्ष्य 16,987 करोड रुपये *निर्धारित किया गया है।*

कृषि साख मे सहकारी बैंको की भूमिका

(करोड रुपए)

वर्ष	कृषि साख	सहकारी बैंक	कृषि साख मे सहकारी बैंक का प्रतिशत
1993-94	16494	10117	61 3
1994-95	18744	9406	50 2
1995-96	22032	10479	47 6
1996-97	26411	11944	45 2
1997-98	31956	14085	44 0
1998-99	36897	15916	43 1
1999-2000 (लक्ष्य)	44675	20665	46 3

स्रोत *इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे*,1998-99 पृ 125 तथा 1999-2000

हाल ही के वर्षो मे सस्थागत कृषि साख मे सहकारी बैंको की भूमिका कम हुई है। वर्ष 1993–94 में सस्थागत कृषि साख मे सहकारी बैंको का योगदान 61 3 प्रतिशत था जो घटकर 1995–96 में केवल 47 6 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1999–2000 मे सस्थागत कृषि साख मे सहकारी बैंको का योगदान 46 3 प्रतिशत (लक्ष्य) था।

3 भूमि विकास बैंक
(Land Development Bank)

कृषि विकास मे भूमि विकास बैंको की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सहकारी बैंक किसानो को अल्पकालीन साख सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी किसानो को कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणो की आवश्यकता होती है। भूमि विकास बैंक कृषको को भूमि खरीदने तथा भूमि मे स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैक भूमि को बधक रखकर ऋण मुहैया कराते हैं।

भारत मे पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 मे हुई। बाद के वर्षो मे भूमि विकास बैंको की स्थापना की गई। भारत मे भूमि विकास बैंको का सगठन दो प्रणाली पर आधारित है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। भारत मे वर्तमान मे 19 केन्द्रीय भूमि विकास बैंक है। वर्ष 1986 मे 2,447 प्राथमिक भूमि विकास बैक कार्यरत थे।

भूमि विकास बैंकों की कार्यशील पूजी 1989–90 में लगभग 4,793 करोड़ रुपये थी। पूजी एकत्र करन के लिए भूमि विकास बैंक 7 वष तक के ग्रामीण ऋणपत्र जारी कर सकते हैं। वर्ष 1991–92 में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों ने 820 कराड रुपय के ऋण प्रदान किये। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋण 1989–90 क अन्त म 3 499 कराड रुपये तथा जून 1992 तक 4,055 करोड़ रुपय थी। भूमि विकास बैंक कृषि साख का बहुत कम भाग पूरा करते है।

4 राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
(National Bank for Agriculture and Rural Development)

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को हुई। नाबार्ड का भारतीय रिजव बैंक के कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण याजना तथा ऋण प्रकोष्ठ और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम का कार्यभार सौंपा गया। नाबाड की प्रदत्त और चुकता पूजी 100 करोड रुपये है। जिसे केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आधा–आधा दिया हैं। नाबार्ड की स्थापना कृषि लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगो, दस्तकारियों और ग्रामीण क्षत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते की गई ताकि समन्वित ग्रामीण विकास का प्रोत्साहित किया जा सके और ग्रामीण क्षत्रा को खुशहाल बनाया जा सके। नाबार्ड कृषि वित्त की शीर्ष सस्था है जा ग्रामीण क्षेत्रा म कृषि तथा अन्य कायकलापा क लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति योजना और काय सचालन प्रक्रिया सबधी मामलों की देखभाल करती है।

नाबार्ड के कार्य (Functions of NABARD)

1 ग्रामीण क्षेत्रा म विभिन्न विकास कार्यो के लिए निवेश और उत्पादन ऋण दन वाली सस्थाआ की शीर्ष पुनर्वित्त एजन्सी के रुप में काय करना।

2 पुनवास याजनाए तैयार करने, उन पर निगरानी रखने, ऋण उपलब्ध कराने वाली सस्थाआ का ढाचा सुधारने, कमचारियों को प्रशिक्षित करने आदि के साथ–साथ ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता बढाने के वास्ते सस्थागत व्यवस्था क विकसित करने के उपाय करना।

3 क्षत्र स्तर पर विकास काय म लगी सभी सस्थाआ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही वित्तीय व्यवस्था में तालमल बिठाना और कन्द्रीय/राज्य सरकारों व भारतीय रिजव बैंक और नीति निमाण स सम्बद्ध स्तर की अन्य सस्थाआ स सम्पर्क बनाए रखना।

4 उन परियाजनाआ की निगरानी और मूल्याकन करना जिनकी पुनर्वित्त व्यवस्था स्वय की हा।

नाबाड की पुनर्वित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों अनुसूचित वाणिज्य बैका और क्षत्रीय ग्रामीण बैंका का उपलब्ध हैं। निवेश के जरिये साझा कम्पनियाँ शासकीय निगम और सहकारी समितियाँ लाभान्वित हो

सकती हैं।

नाबार्ड की भूमिका – नाबार्ड ने 1991–92 मे भूमि योजनाओ के तहत पुनर्वित्त के रुप मे सावधि ऋण के रुप मे 2,054 करोड रुपये तथा स्वीकृत नयी योजनाओ के अन्तर्गत पुनर्वित्त सहायता के रुप मे 2,236 करोड रुपये दिये। नाबार्ड ने 1982–83 मे 4,957 योजनाए स्वीकृत की तथा उन्हे 1,268 करोड रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। बाद के वर्षो मे स्वीकृत योजनाओ और मजूर वित्तीय सहायता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी। नाबार्ड ने 1990–91 मे 10,650 स्वीकृत योजनाओ को 2,119 करोड रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। वर्ष 1996 97 नाबार्ड ने 19,000 योजनाए स्वीकृत की तथा 10,300 करोड रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। नाबार्ड ने जुलाई 1982 से लेकर 1996–97 तक 1,50,000 परियोजनाए के लिए 47,600 करोड रुपये स्वीकृत किये।

5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(Regional Rural Banks)

देश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगो को साहूकारो के चगुल से बचाने तथा गावों में बचत को बढावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गई। भारत मे 2 अक्टूबर, 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की घोषणा की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे उन लोगो को बैंकिग सुविधाए पहुचाने के उद्देश्य से की गई जहा पर बैंकिग सुविधाए नहीं थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना का उद्देश्य कमजोर वर्गो को रियायती दरो पर सस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रो मे बचत को बढावा देना तथा उत्पादक गतिविधियो को सहयोग देना था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों द्वारा कृषि साख वितरण

(करोड रुपए)

वर्ष	कुल सस्थात्मक साख	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सस्थागत साख मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिशत
1993-94	16494	977	5 9
1994-95	18744	1083	5 8
1995-96	22032	1381	6 3
1996-97	26411	1684	6 4
1997-98	31956	2040	6 4
1998-99	36897	2538	6 9
1999-2000 (लक्ष्य)	44675	3443	7 7

स्रोत *इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99 पृ 125 तथा 1999-2000

प्रगति – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सिक्किम को छोडकर देश के 478 जिलो मे से 398 जिलो मे 196 शाखाए है और उनकी देश के 398 जिलों में 14,543 शाखाए है। मार्च 1993 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 4,601 करोड रुपये (बकाया) ऋण सहायता दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा मार्च 1993 तक 6,908 करोड रुपये की रकम जुटाई गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का बुनियादी लक्ष्य बडी सीमा तक प्राप्त कर किया गया है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सक्षमता प्राय चिन्ता का विषय बनी रही है।

विगत वर्षों मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कृषि साख मे वृद्धि हुई है किन्तु कुल कृषि सस्थागत साख मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की भूमिका बहुत कम है। वर्ष 1993–94 में कुल कृषि सस्थागत साख 16,494 करोड रुपये थी जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भाग 977 करोड रुपये था जो कुल सस्थागत साख का केवल 5 9 प्रतिशत ही था। कृषि साख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका धीमी गति से बढी हैं। वर्ष 1996–97 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 1,684 करोड रुपये की कृषि साख प्रदान की गई जो कुल कृषि सस्थागत साख का 6 4 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 3443 करोड रुपये की कृषि साख मुहैया कराने का लक्ष्य था।

6 व्यापारिक बैंक
(Commercial Banks)

बैंको के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण परिवेश में बैंक शाखाओं का अभाव था। वर्ष 1969 मे 14 बडे बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया इसके बाद 1980 में 6 और बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद गावों में बैंक शाखाओं के विस्तार को गति मिली। व्यापारिक बैंक कृषि के लिए अल्पकालीन ऋणो की पूर्ति करते है। कृषको के हितो को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों की कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है। लीड बैंक योजना के अन्तर्गत गावो में बैंक शाखाए खोली जा रही हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंको की ग्रामीण शाखाओ का अभाव था। जून 1969 मे व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाए 1,832 थी जो व्यापारिक बैंको की कुल शाखाओ का 22 4 प्रतिशत था। वाद के वर्षों में व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में तीव्र वृद्धि हुयी। जून 1993 मे व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाए बढकर 33,850 हो गई जो व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाओ का 50 प्रतिशत था।

हाल ही के वर्षो मे व्यापारिक बैंकों की कृषि साख मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। व्यापारिक बैंको की कृषि साख 1993–94 मे 5,400 करोड रुपये थी जो बढकर 1995–96 में 10,172 करोड रुपये तथा 1996–97 में और बढकर 12,783 करोड रुपय हो गई। कुल कृषि सस्थागत साख मे व्यापारिक बैंको का योगदान बढा है। कृषि सस्थागत साख मे व्यापारिक बैंकों का भाग 1993–94 में 32 7 प्रतिशत था जो बढकर 1996–97 मे 48 4 प्रतिशत तथा 1998–99 में 50

प्रतिशत हो गया।

व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि साख

(करोड रुपए)

वर्ष	कृषि साख
1993-94	5400
1994-95	8255
1995-96	10172
1996-97	12783
1997-98	15831
1998-99	18443
1999-2000 (लक्ष्य)	*20567*

स्रोत *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99 तथा 1999-2000

कृषि क्षेत्र में बैंक ऋणो की बकाया राशि

जून 1969 मे कृषि क्षेत्र मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त अग्रिम खातो की सख्या 164 हजार थी जो मार्च 1997 मे बढकर 18,708 हो गई। कृषि क्षेत्र की *बकाया ऋण राशि मे बेतहाशा वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बकाया* ऋण जून 1969 मे 162 43 करोड रुपये था जो तेजी से बढकर मार्च 1997 मे बढकर 30,306 करोड रुपये तक जा पहुचे।

कृषि क्षेत्रों में वैक ऋणों की बकाया राशि

(करोड रुपए)

वर्ष	खातो की सख्या (हजारो मे)	बकाया ऋण		कुल बकाया ऋण
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	
जून 1969	164	40 31	122 12	162 4
मार्च 1994	20351	18921	2009	20930
मार्च 1995	19842	20562	2766	23328
मार्च 1996	19344	22846	3457	26303
मार्च 1997	18708	25962	4344	30306
मार्च 1998	16722	27446	5396	33142

स्रोत *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99 एस-60 तथा 1999-2000

7 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
(State Bank of India)

भारत का स्टेट बैंक ऑफ इडिया कृषि वित मे सहयोग करता है। भारतीय स्टेट बैंक कृषि वित्त की पूर्ति मुख्यत गोदामो के लिए वित्त, भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीद कर विपणन व प्रोसेसिग साख, सहकारी बैंकों को धन स्थानान्तरण सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे शाखाओ का विस्तार करके आदि तरीको से करता हैं। स्टेट बैंक ऑफ इडिया द्वारा कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋणों की राशि 1990–91 मे 4,345 करोड रुपये थी।

8 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(Integrated Rural Development Programme)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए गरीब परिवारो को अपनी आमदनी बढाने और गरीबी रेखा से उन्हे ऊपर उठाने के लिए पूजी सहायता तथा ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बैंकिग प्रणाली ने छठी योजना अवधि में 1 66 करोड लाभभोगी परिवारो को सहायता देने के लिए 3,102 करोड रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। इसी प्रकार सातवीं योजना के दौरान 1 82 करोड लाभभोगी परिवारो को सहायता देने के लिए 5,381 करोड रुपये उपलब्ध कराये गये। बैंकिग प्रणाली ने 1991–92 के दौरान 25 37 लाख लाभभोगी परिवारो को 11,147 करोड रुपये उपलब्ध कराये। वर्ष 1992–93 के दौरान 20 लाख से अधिक परिवारों को 1,037 करोड रुपये के ऋण दिये गए।[3] समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996–97 मे 19 2 लाख, 1997–98 मे 17 1 लाख तथा नवम्बर 1998–99 तक 7 7 लाख परिवारो को सहायता दी गई।

कृषि वित्त की प्रगति
(Progress of Agriculture Finance)

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रुप मे जो कुल अग्रिम राशिया दी जाती है, उनका 15 प्रतिशत लक्ष्य मार्च, 1985 तक पूरा करने के लिए बैंको को समय दिया गया था। मार्च 1990 तक के लिए इस लक्ष्य को बढाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। अक्टूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देशक के अनुसार 18 प्रतिशत के लक्ष्य का आकलन करने के लिए कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो ही प्रकार की अग्रिम राशियों को लेने का निश्चय किया गया बशर्ते कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिम राशिया शुद्ध ऋण के 18 प्रतिशत के कुल कृषि ऋण लक्ष्य के एक चौथाई से अधिक न हो। मार्च 1993 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र के लिए कुल अग्रिम राशियों का 15 1 प्रतिशत दिया।[4]

हाल के वर्षों में ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त के

क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण पहल की गई हैं। वर्ष 1999–2000 के केन्द्रीय बजट मे जल सभरण विकास निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार नाबार्ड को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। इस निधि से अगले तीन वर्षो के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलो को लाभान्वित किया जाएगा।

1 **ग्रामीण आधारभूत सरचना विकास निधि** (Rural Infrastructure Development Fund, RIDF) – राज्य सरकारो की ग्रामीण आधारभूत सरचना परियोजनाओ का वित्त पोषण करने के लिए "ग्रामीण आधारभूत सरचना विकास निधि' का एक महत्त्वपूर्ण स्कीम के रुप मे आविर्भाव हुआ है। वर्ष 1998–99 मे आर आई डी एफ के अधीन बैंकिग क्षेत्रक से 3000 करोड रुपये आवटित किये गए। वर्ष 1999–2000 मे आर आई डी एफ की सचित निधि बढाकर 3,500 करोड रुपये कर दी गई। अदायगी की अवधि भी पाच वर्ष से बढाकर सात वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर की आधारभूत सरचना परियोजनाओ के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पचायतो, स्व सहायता दलो, अन्य पात्र सगठनो को ऋण प्रदान करने के लिए आर आई डी एफ को व्यापक बनाया जायेगा।

2 **किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम** (Farmer Credit Card Scheme) – वर्ष 1998–99 मे सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरु की गई। ये कार्ड किसाना को किफायती रुप से समय पर ऋण प्रदान करते है। वर्ष 1998–99 तक छह लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा इस स्कीम का दायरा बढाया जा रहा है। वर्ष 1999–2000 मे 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना है।

3 **कृषि क्षेत्र सारथानिक ऋण प्रवाह** (Flow of Institutional Credit to Agriculture) – गत वर्षो मे बैंकिग क्षेत्रक से कृषि क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने मे सुधार के लिए अनेक उपायो की घोषणा की गई जिससे कृषि क्षेत्र के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह मे वृद्धि हुई। वर्ष 1993–94 मे कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह 16,494 करोड रुपये था जो बढकर 1996–97 मे 26,411 करोड रुपये हो गया। कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह वृद्धि दर 1993–94 मे केवल 9 प्रतिशत थी जो बढकर 1996–97 मे 20 प्रतिशत तथा 1999-2000 मे 21 प्रतिशत (लक्ष्य) हो गयी।

कृषि के लिए सारथानिक ऋण प्रवाह मे अल्पकालीन ऋणो की अधिकता है। बीते कुछ वर्षो मे मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो मे थोडी वृद्धि हुई है। नब्बे के दशक मे वर्ष 1994–95 ही ऐसा वर्ष रहा जिसमे मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो का भाग अल्पकालीन ऋणो से अधिक था। कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह मे अल्पकालीन ऋणो का भाग 1993–94 मे 68 4 प्रतिशत था जा घटकर 1996–97 मे 64 4 प्रतिशत तथा 1999-2000 मे और घटकर 60 9 प्रतिशत (लक्ष्य) रह गया। मध्यम और दीर्घकालीन ऋणो का भाग 1993–94 मे 31 6

प्रतिशत था जो वढकर 1996–97 मे 35 6 प्रतिशत तथा 1999 2000 मे और बढकर 39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994–95 मे मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों का भाग अकस्मात वढकर 57 7 प्रतिशत हो गया था।

कृषि के लिए सास्थानिक ऋण प्रवाह

वर्ष	ऋण प्रवाह	वृद्धि दर
1993 94	16494	9
1994 95	18744	14
1995 96	22032	18
1996 97	26411	20
1997 98	31956	21
1998 99	36897	16
1999 2000 (लक्ष्य)	44675	21

स्रोत *इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे* 1998 99 पृ 125 तथा 1999 2000

4 **कृषि अग्रिम की वसूली** (Recovery of Agriculture Advances) – कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतो का वसूली प्रतिशत अलग–अलग है तथा वसूली के प्रतिशत मे वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1997–98 में व्यापारिक बैंको का वसूली 63 प्रतिशत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 60 प्रतिशत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 56 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंको का 81 प्रतिशत जिला केन्द्रीय सहकारी बैको का 66 प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली 1996–97 मे 57 प्रतिशत थी।

5 **कृषि मे सकल पूजी निर्माण** (Gross Capital Formation in Agriculture) – कृषि मे सकल पूजी निर्माण के क्षेत्र मे सार्वजनिक निवेश की गति धीमी रही। वर्ष 1980–81 की कीमतो पर कृषि मे सार्वजनिक निवेश 1980–81 मे 1 796 करोड रुपये था जो घटकर 1990–91 मे 1 154 करोड रुपये रह गया। वर्ष 1994–95 मे कृषि मे सार्वजनिक निवेश तीव्र वढकर 1 316 करोड रुपये हो गया किन्तु यह 1996–97 मे फिर घटकर 1 132 करोड रुपये रह गया। कृषि मे सार्वजनिक निवेश मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त हैं। नब्बे के दशक मे कृषि क्षेत्र मे निजी निवेश ने ठोस प्रगति की। वर्ष 1996–97 मे कृषि मे निजी निवेश 5 867 करोड रुपये था। वर्ष 1993–94 को आधार वर्ष मानने के बाद कृषि मे सार्वजनिक निवेश मे कमी की प्रवृत्ति स्पष्टत दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1993–94 की कीमतो पर कृषि मे सार्वजनिक निवेश 1993–94 मे 4 468 करोड रुपये था जो 1997–98 मे घटकर 4 416 रुपये रह गया।

भारत में कृषि वित्त की कमिया
(Drawbacks of Agriculture Finance in India)

भारत मे कृषि वित्त के क्षेत्र मे अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं। ग्रामीण परिवेश मे बैंक शाखाओ का अभाव होने के कारण बहुत से किसान सेठ–साहूकारो के चगुल मे फसे हुए है। पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण बैंक शाखाओ का विस्तार हुआ है किन्तु गावो मे निरक्षरता के कारण किसान बैंकिग सुविधाओ का अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। कृषि वित्त की समस्याओ के कारण कृषि विकास को तेज गति नहीं मिल सकी। भारत मे कृषि वित्त मे अनेक कमिया है जिनमे से निम्नलिखित उल्लेखनीय है –

1 **गावों में बैंक शाखाओं का अभाव** (Lack of Bank Branches in Villages) – बैंको के राष्ट्रीकरण से पूर्व गावो मे बैंक शाखाओ का अत्यधिक अभाव था। बैक शाखाओ के अभाव के कारण भारतीय किसान आर्थिक शोषण का शिकार था। किसानो को बैक ऋण सुविधाए प्राप्त नही थीं। कृषि से अर्जित आय को किसान लाभप्रद निवेश नहीं कर पाता था। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति मे सुधार आया है। किन्तु आज भी सभी गावो मे बैक शाखाए नहीं हैं। देश मे अनेक गावो के लोग बैंकिग सुविधाओ के लिए कस्बो मे स्थित बैंक शाखाओ पर निर्भर हैं।

2 **बिचौलियो पर निर्भरता** (Dependence on Mediators) – भारत मे गरीबी की समस्या भयावह है। गावो मे गरीबो की दशा बदतर है। देश के अधिकाश किसान अनपढ है। इस कारण गाववासी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पाते। भोलेपन के कारण किसान बिचौलियो के चक्कर मे फस जाता है। किसान को उपलब्ध कराई ऋण सुविधा का बडा भाग बिचौलिए हडप जाते है।

3 **साहूकारो का प्रभाव** (Influence of Richman) – स्वतत्रता के पाच दशक बीत जाने के बावजूद भी भारत के ग्रामीण परिवेश मे साहूकारो का प्रभाव चिन्ताप्रद बात है। साहूकार किसानो का मनमाफिक शोषण करते हैं। किसानो से बहुत ऊची ब्याज दर वसूलते हैं। किसानो द्वारा जमा कराये मूलधन और ब्याज की रसीदे नहीं दी जाती है तथा किसानो से बेगार लेते है। न केवल किसान अपितु उसका परिवार साहूकार के घर पर बिना पारिश्रमिक काम करता है। ऋणी किसान को साहूकार उसके कृषिगत उत्पाद को कम कीमत पर बेचने को बाध्य करते हैं। यदि भारत मे समय पर कृषि वित्त का विस्तार हो जाता तो किसानो की आर्थिक स्थिति बदतर नही होती।

4 **निरक्षरता** (Illiteracy) – भारत मे निरक्षरता अभिशाप है। गावो मे निरक्षरता देश की मुख्य समस्या है। निरक्षरता कृषि वित्त के क्षेत्र म भी बाधक है। निरक्षरता के कारण लोग कृषि वित्त सुविधाओ का लाभ नही उठा पाते हैं। गावो मे बचत को लोग घरो मे रखना पसन्द करते हैं। बैंको से ऋण सुविधाए प्राप्त करने के स्थान पर निरक्षर लोग साहूकार के शरण मे चले जाते हैं।

5. **भ्रष्टाचार (Corruption)** – कृषि वित्त मे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गावों मे बैंकिग शाखाओ के विस्तार से किसानो को साहूकारो के शोषण से थोडी बहुत राहत मिली थी। किन्तु बैंकों मे भी भ्रष्टाचार के कारण समस्या ज्यो की त्यो है। किसान स्वीकृत ऋण राशि पूरी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे रिश्वत के रुप में कुछ राशि देनी पडती है।

6 **सस्थागत वित्त का अभाव (Lack of Institutional Finance)** – कृषि क्षेत्र मे सस्थागत साख का अत्यधिक अभाव है। हरित क्राति लागू किये जाने के बाद कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता बढी है। लेकिन गावों मे सस्थागत वित्त का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। सस्थागत वित्त के अभाव मे किसान प्रभावी किसानों अथवा साहूकारो के चगुल मे फसने को मजबूर हो जाता है।

7 **कमजोर आर्थिक स्थिति (Poor Economic Position)** – देश के बहुसख्यक किसानों की माली हालात दयनीय है। सतुलित कृषिगत विकास नहीं होने से ग्रामीण परिवेश मे आर्थिक विषमता बढी हैं। धनिको और गरीब किसानों के बीच की खाई निरन्तर बढती जा रही है। सिचाई सुविधाओ का अभाव है। साहूकारों का प्रभाव आज भी बना हुआ है इन सब कारणों से किसान की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। आज अधिकतर किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण खेत को किसी प्रभावी किसान को साझे में दे देते है। बडा किसान पानी, बीज, खाद, कीटनाशक, यत्रीकरण आदि सुविधाए मुहैया कराने मे सक्षम होता है। ये सुविधाए कीमती होती है। फसल तैयार होने के समय गरीब किसान, जो कृषि भूमि का स्वामी है, कृषिगत लागतो का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है परिणामस्वरुप फसल का अधिकाश भाग और कभी–कभी पूरा भाग प्रभावी किसान अपने पास ही रख लता है। गरीब किसान ताकता रह जाता है। गरीब किसान के परिवार के लिए वर्ष भर उदर पूर्ति के लिए भी अनाज उसके घर नहीं पहुच पाता है।

8 **खेती के गलत तरीके (Wrong Patterns of Cultivation)** – देश के अनेक भागो मे खेती परम्परागत तरीको से होती है। परम्परागत तरीका से खेती करना गलत वात नहीं है किन्तु आज अनेक किसान अपने खेत पर स्वय खेती नहीं कर अथवा कृषि श्रमिको से खेती नहीं कराकर एक मुश्त राशि लेकर खेत किसी बडे किसान को वर्ष भर के लिए दे देते हैं। बडा किसान उस खेत का वर्ष भर मनमाफिक उपयोग करता है और खूब लाभ कमाता है जबकि गरीब किसान द्वारा प्राप्त एक मुश्त राशि पर्याप्त नहीं होती है। खेती का यह तरीका उचित प्रतीत नहीं होता है। कृषि वित्त का विस्तार करके इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए अथवा गरीब किसान शोषित होगा।

9 **पक्षपात (Partiality)** – कृषि वित्त में पक्षपात देखने को मिलता है। प्राय समृद्ध किसान, जमींदार, राजनीतिक पार्टी से जुडे किसान आसानी से सस्थागत साख प्राप्त कर लेते है। जबकि जरुरतमद किसान आसानी से साख सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते है।

कृषि वित्त मे सुधार के सुझाव
(Suggestions for Improvement in Agriculture Finance)

समूचे ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त मे सुधार आवश्यक है। कृषि वित्त के क्षेत्र मे जो खामिया हैं उन्हे प्रयास करके दूर किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानो की आमदनी बढाने वाले कारगर प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि वित्त मे सुधार के लिए निम्नाकित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते है –

1 **ग्रामीण औद्योगीकरण (Rural Industrialisation)** – ग्रामीण औद्योगीकरण को बढावा देकर गाव वालो की आर्थिक दशा मे सुधार किया जा सकता है। गावो मे कृषि आधारित उद्योग के विकास की अच्छी सभावनाए हैं। लोगो की आय बढाने के लिए लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास किया जा सकता है। गावों मे अब तक औद्योगीकरण के क्षेत्र मे बहुत कम पूजी निवेश हुआ है। सरकार को ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल देना चाहिए। निजी निवेश को भी गावो की ओर मोडा जाना चाहिए। गावो मे उद्योगो को बढावा देने के लिए सवाईमाधोपुर जिले मे नाबार्ड की सहायता से प्रारम्भ की गई 'जिला ग्रामीण औद्योगीकरण योजना' (ड्रिप) जैसी योजनाए अन्य जिलो मे भी प्रारम्भ की जानी चाहिए। गावो मे औद्योगीकरण के बढने से किसानों की आय मे वृद्धि होगी जिससे किसानो की साहूकारो पर निर्भरता घटेगी।

2 **बचत आन्दोलन (Saving Movement)** – गावो मे बचत को बढावा देने के लिए बचत आन्दोलन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। गावो मे बचत एकत्रित करने के लिए उपयुक्त बचत एजेन्सिया प्रारम्भ की जानी चाहिए। गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनिया भी गावो मे बचत सग्रहण मे अच्छी भूमिका निभा सकती है। किन्तु ऐसी सस्थाओ पर राजकीय नियत्रण की आवश्यकता है क्योकि अनेक बार ये सस्थाए जनता का धन हडप जाती है। डाकघर बचत योजनाए बचत आन्दोलन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीणजनो मे बचत को बढावा देने के लिए ग्रामीण बैंक शाखाओ का विस्तार किया जाना चाहिए।

3 **सस्थागत साख मे वृद्धि (Increase in Institutional Finance)** – कृषि वित्त की आवश्यकता के अनुरुप सस्थागत साख का अभाव है। ग्रामीणो की दशा सुधार के लिए गावो मे सहकारी बैक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा व्यापारिक बैकों की शाखाओ मे वृद्धि की आवश्कयता है। सस्थागत साख के विस्तार से किसानो की साहूकारो पर निर्भरता कम होगी।

4 **परम्परावादी दृष्टिकोण मे बदलाव (Changes in Traditional Approach)** – निरक्षरता के कारण बहुत से ग्रामीणजन परम्परावादी दृष्टिकोण से ग्रसित है। इस कारण किसान नवीनता को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पुराने रीति रिवाज और रुढियो को समाप्त करके सामाजिक अपव्यय को रोका जाना चाहिए।

5 पुराने ऋणो की जाच (Inquiry of Old Loans) – भारत के गरीब किसान साहूकारा द्वारा दिये गए ऋणो की चपेट मे है। ऋणो के पीछे किसान की चल और अचल सम्पत्ति गिरवी रखी होती है। पुराने ऋणो के कारण किसान आर्थिक रुप से मजबूत नहीं हो सकता है। सरकार के द्वारा किसानो के पुराने ऋणो की जाच की जानी चाहिए तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि साहूकार, किसानो का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। शोषित किसानो के पुराने ऋणो को समाप्त किया जाना चाहिए तथा शोषण करने वाले साहूकारो पर पाबदी लगायी जानी चाहिए।

6 सुदृढ ग्राम पचायतें (Sound Village Assembly) – ग्राम पचायतों को मजबूत बनाकर किसाना की आर्थिक दशा मे सुधार किया जा सकता है। किसान मेहनत से अर्जित धन को तथा कभी–कभी ऋण राशि को पारस्परिक झगडों में खर्च कर देते है। ग्राम पचायतो को अधिकार सम्पन्न बनाने से किसानों के झगडों को निपटाया जा सकता है।

7 उत्पादक ऋणों पर जोर (Stress on Productive Loan) – किसान प्राय अधिकतर ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लेते है। प्राप्त उत्पादक ऋण को भी अनुत्पादक कार्यो यथा विवाह, मृत्युभोज आदि कार्यो मे खर्च कर लेते हैं। किसानों को दिए जाने वाले अनुत्पादक ऋणों को नियत्रित किया जाना चाहिए। किसानो को दिए जाने वाले उत्पादक ऋणो के उपयोग पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

8 भ्रष्टाचार पर नियत्रण (Control on Corruption) – पिछले वर्षों मे कृषि सस्थागत वित्त के क्षेत्र मे भ्रष्टाचार बढा है। किसानों को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है। ऋण प्राप्त करने मे बैंक कर्मियो को रिश्वत देनी पडती है। ऋण प्राप्त करन मे किसान, बिचौलिए के चक्कर मे फस जाता है। भ्रष्ट अधिकारिया को कठोर सजा दी जानी चाहिए।

9 ऋण सम्पत्ति के रुप में (Loan in the Terms of Assets) – किसान प्राय प्राप्त ऋण का उत्पादक कार्यो मे उपयोग नहीं करते है। किसानो की इस प्रवृत्ति का राकने के लिए उन्हे ऋण नकद में नहीं दिया जाकर सम्पत्ति के रुप मे दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त बातो को व्यवहार मे लाकर किसानो की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। किसानो की समृद्धि मे भारत की समृद्धि समाहित है।

सन्दर्भ

1 *भारत, वार्षिक सदर्भ ग्रथ*, 1994
2 *वही*, पृ 313
3 *वही*।
4 *वही*, पृ 307

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 कृषि वित्त के प्रकार बताइए।
2 देशी बैंकर के दोषो का वर्णन कीजिए।
3 कृषि वित्त की कमिया सक्षेप मे समझाइए।
4 कृषि सहकारी साख समितियो पर टिप्पणी लिखिए।
5 कृषि वित्त की वर्तमान स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे कृषि साख के प्रमुख स्रोतो का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए कृषि साख के प्रमुख स्रोतो का वर्णन करना है।)
2 भारत मे कृषि वित्त की प्रगति बताइए। कृषि वित्त की क्या कमिया है तथा कृषि वित्त में सुधार के सुझाव दीजिए।
(संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई कृषि वित्त की प्रगति लिखिए। प्रश्न के द्वितीय भाग मे कृषि वित्त की कमियो को लिखना है तदुपरात कृषि वित्त मे सुधार के सुझाव लिखिए।)
3 निम्न पर टिप्पणी लिखिए –
(i) नाबार्ड
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक
(iii) देशी बैंकर
(iv) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

18

भारत में भूमि सुधार
(Land Reforms in India)

भारत कृषि प्रधान देश है। अतीत से अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय का बडा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। देश के बहुसख्याक लोगो की रोजी–रोटी का आधार भी कृषि है। इसके अलावा निर्यातित आय मे भी कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद अग्रेजो ने कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया। गुलामी के दिनो मे अग्रेजो ने भारत के किसानो का मनमाफिक शोषण किया। अग्रेजो द्वारा लागू की गई दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण किसानो की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। भूमि जोतने वाले किसान का भूमि पर स्वामित्व नहीं था। स्वतत्रता के बाद राजनीतिक बागडोर भारतीयो के हाथो मे आई। विरासत म पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मिली। भारत की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए कृषि के क्षेत्र मे भूमि सुधार को लागू किया गया। पचवर्षीय योजनाओं मे भूमि सुधार को गति मिली। भूमि सुधार मे खेत मजदूरो को जमीन पर मालिकी हक देने के कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया है। आज स्वतत्रता के पाच दशक बीत चुके हैं। भूमि सुधार लागू किए जाने के बावजूद निर्धन किसान और खेत मजदूरों की दशा मे अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। योजनाकारो द्वारा ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कृषको और खेत मजदूरो की उत्पादकता बढी। इसके लिए किसानो को ऋण सुलभ कराने म कठिनाईयो को दूर करने तथा ऋण स्वीकृति के नियमो को सरल बनाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार ग्रामीण विकास की मजिल हैं। भूमि सुधारा को गति देकर भारत की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जा सकता है।

भूमि सुधार का अर्थ
(Meaning of Land Reforms)

सयुक्त राष्ट्र सघ की तृतीय रिपोर्ट के अनुसार "कृषि प्रणाली दोषपूर्ण होने

के कारण सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाओ को दूर करने हेतु उपायो का एक समन्वित कार्यक्रम ही भूमि सुधार है।"

सकुचित अर्थ मे भूमि सुधार का अभिप्राय काश्तकारो के लाभार्थ भूमि का पुनर्वितरण करना है जबकि विस्तृत में कृषि व्यवस्था मे सभी प्रकार के आर्थिक व सस्थागत परिवर्तन भूमि सुधारो के अन्तर्गत आते हैं।

भूमि सुधार अत्यन्त व्यापक है इसमे निम्नलिखित कार्यक्रम मुख्यत सम्मिलित किये जाते है'

1 मध्यस्थो की समाप्ति, जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करके काश्तकारो के पक्ष मे भू–स्वामित्व का पुनर्वितरण,

2 काश्तकारो की सुरक्षा हेतु काश्तकारी सुधार कानून पारित करके काश्तकारों को भूमि की बेदखली से बचाना,

3 लगान का नियमन करना ताकि जमींदारो द्वारा काश्तकारो के शोषण को रोका जा सके,

4 जोतो की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीनो को करना,

5 भूमि स्वामित्व सबधी लेखो का रख–रखाव वैज्ञानिक तरीको से करना तथा इनको अद्यतन रखना,

6 बिखरे हुए खेतों की चकबदी करके भूमि की उत्पादकता बढाना ताकि भूमि का श्रेष्ठतम उपयोग सभव हो सके,

7 सहकारी खेती।

भूमि सुधार के उद्देश्य और महत्त्व
(Objectives and Importance of Land Reforms)

महात्मा गाधी कहते थे "भारत की आत्मा गावों मे रहती है" भूमि सुधार ही ग्रामीण विकास की कुजी है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस प्रस्ताव, 1935 मे कहा गया है कि 'ग्रामीण जीवन को सुधारने का केवल एक ही मौलिक उपाय है तथापि, भूमि पर किसान के स्वामित्व के एक ऐसे तरीके को प्रारम्भ करना जिसके अन्तर्गत भूमि को जोतने वाला ही उसका स्वामी हो और वह किसी जमींदार या तालुकदार के माध्यम के बिना ही सीधा सरकारो को मालगुजारी चुकाए।" भूमि सुधारो के परिणामस्वरुप कृषि ढाचा परिवर्तित हुआ है। निर्वाह खेती के स्थान पर व्यापारिक तथा बाजारोन्मुखी खेती की जा रही है। कृषि क्षेत्र मे साहसी वर्ग का उदय हुआ है जो कृषि उत्पादन मे वृद्धि करके देश के आर्थिक विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

1 आर्थिक विकास (Economic Development) – भारत कृषि प्रधान देश है तथा बहुसख्यक जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती है। कृषि का विकास

करके आथिक विकास की गति तजी की जा सकती है। भूमि सुधारो से किसानो की दशा सुधरती है। भूमि पर किसानो का स्वामित्व होने से वह खेत पर अधिक मेहनत से काम करगा। इससे कृषिगत उत्पादन म वृद्धि होगी। उद्योग धन्धा को कच्चा माल मिलेगा देश की आयाता पर निर्भरता कम होगी। इससे आर्थिक विकास की गति बढेगी। आज भूमि सुधार आथिक विकास की आवश्यक शर्त हैं। यदि हम देश की आर्थिक समस्याए यथा बेरोजगारी जनाधिक्य आर्थिक विषमता आदि का हल चाहत हैं तो गावो की आर ध्यान दना हागा। भूमि सुधारा का स्थाई हल ढूढना होगा। भूमि सुधारो के बिना कृषि विकास के लाभो को अधिक नहीं बढाया जा सकगा। अर्थशास्त्र म नोबेल पुरस्कार स सम्मानित प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल ने कहा, "कृषि क्षेत्र मे ही दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लडाई का फैसला होगा। कृषि म भूमि सुधारो को लागू करके औद्योगिक कच्चा माल, श्रमिक खाद्य पदार्थ, निवेश के लिए पूजी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण परिवेश म लागा की आय बढने से औद्योगिक वस्तुआ की माग भी बढती है। इन सबसे आर्थिक विकास की गति तीव्र हाती है।

2 **कृषि उत्पादन में वृद्धि (Increase in Agriculture Production)** – आर्थिक सुधारो से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होती है। किन्तु भारत मे उद्योगो की तुलना मे कृषि को कम महत्त्व दिया गया परिणामस्वरुप भारत को खाद्यान्न का आयात करना पडता है। स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षो मे कृषि उत्पादन बढाने और भूमि सुधार लागू करने के लिए औद्योगिक विकास की भाति प्रयास किए जाते तो भारत की स्थिति आज आर्थिक रुप से मजबूत होती। भारत मे कृषि को दूसरी श्रेणी का दर्जा दकर उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। बाद के वर्षो म भूमि सुधारो म जो जमीन जोत वही उसका मालिक हो" का सिद्धात प्रतिपादित किया गया और भूमि सुधारा को आगे बढाने मे पर्याप्त प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। कृषको को भू–स्वामित्व सौंपने से किसानो मे कुशलता और कृषि उत्पादन मे वृद्धि सभव है।

3 **भूमि का समान वितरण (Equal Distribution of Land)** – स्वातन्त्र्योत्तर किसाना की सबस बडी समस्या भूमि के समान वितरण की थी। जमीदारा के पास बडे–बड खेत और भू सम्पत्ति थी। दूसरी ओर बहुसख्यक किसाना के पास भूमि का एक छोटा टुकडा भी नहीं था। भूमि का असमान वितरण गरीबी का मुख्य कारण था। इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और चकबदी का काम हाथ मे लिया। भूमि सीमा सबधी कानून बनाकर भूमि के समान वितरण पर बल दिया गया। भूमि का समान वितरण आर्थिक विषमता को कम करता है तथा सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त होता है।

4 **शोषण से मुक्ति (Free From Exploitation)** – भूमि सुधारो के लागू होने स पहले भारत के किसानो का अत्यधिक शोषण किया जाता था। जमींदार किसानो का मनमाफिक शोषण करन से नहीं चूकते, उनसे बगार तक लेते थे। भूमि सुधारा स किसानो को शोषण स मुक्ति मिली है। आज किसानो की जोत

सुरक्षित है तथा उनसे न्यायोचित लगान वसूल किया जाता है।

5 **सामाजिक परिवर्तन की कुजी** (Key of Social Change) – भूमि सुधारो से आर्थिक विषमता समाप्त होती है जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने मे मदद मिलती है। भारत मे भूमि सुधार सामाजिक क्राति का बहुत बडा साधन बन सकते हैं। यदि भूमि सुधारो को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाता तो देश मे समानता पर आधारित समाज की रचना का सपना काफी हद तक पूरा हो जाता। कृषि राज्यो का विषय है किन्तु भूमि सुधारो की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसे समवर्ती सूची मे सम्मिलित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाकर खेतिहर मजदूरो तथा छोटे किसानो को अपनी आमदनी बढाने के अवसर दिए जा रहे हैं किन्तु भूमि सुधारो का अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आज भी 71 प्रतिशत भूमि पर केवल 23 8 प्रतिशत लोगो का कब्जा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश मे भूमिहीन खेतिहर मजदूरो की सख्या 7 करोड थी और उसमे हर साल औसतन 20 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। भारत मे भूमि सुधार सामाजिक क्राति लाने का बहुत बडा साधन बन सकते हैं।

6 **किसानों मे आत्मसम्मान** (Self respect Among Farmers) – भूमि सुधारो को लागू किये जाने से पहले किसानो को अपनी उपज का 45 प्रतिशत भाग जमींदार को देना पडता था। साथ ही तरह–तरह की बेगार करनी होती थी। जमींदार बीज, खाद व सिचाई का खर्च नहीं देता था। नदी नाले, तालाबो पर जमींदार का कब्जा होता था। सार्वजनिक जमीन पर उगे पेड पर भी उसी का अधिकार था। पहले किसानो की कमर मे मारकीन के गमछे के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। किन्तु आज उनके पूरे बदन पर कपडा, सिर पर छत और पेट भरने के लिए मोटा अनाज ही सही, जरुर मिल रहा है। प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू ने सविधान के लागू होने से पहले यह घोषणा कर दी कि राज्यो मे जमींदारी, जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के जितने भी कानून बनाये गए है, उन्हे न्यायालयो के विचार क्षेत्र से परे रखने के लिए सविधान मे सशोधन किया जाएगा। नरसिम्हराव सरकार ने भी भूमि सुधार सबधी विभिन्न राज्यो के 27 अन्य कानूनो को भी सविधान का सरक्षण दिलाने के लिए 81वा सविधान सशोधन विधेयक पारित कराया। भारत सरकार यह नहीं चाहती कि भूमि सीमा कानून के साथ बार–बार छेडछाड की जाए। राज्यो को जोत की सीमा न तो घटानी चाहिए और न ही बढानी चाहिए। भूमि सुधारो से किसानो के आत्म सम्मान मे वृद्धि हुई है।

सारत भारत मे भूमि सुधारो से कृषि की दशा मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार कानून और भूमि सीमाबदी कानून के जरिए भूमि सुधारो को लागू करने का प्रयास किया गया। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे निजी कम्पनियो के दबाव के

बावजूद संसद मे 81वे संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधारो को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करके सरकार ने इन्हे प्रभावी ढग से लागू करने की अपनी वचनबद्धता का प्रमाण दिया है।

भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रचलित भू स्वामित्व व्यवस्था (Land Tenure System in India on the eve of Independence)

भारत मे किसानों के शोषण की कहानी बहुत पुरानी है। किसान धरती–पुत्र के नाम से जाना जाता है वह खेत को मेहनत से लहलहा देता है किन्तु वह दाने–दाने के लिए तरसता रहा है। कर्ज मे डूबे होने के कारण खेत उनके हाथो से निकल गए। अग्रेजो के शासन मे देश मे सभी वर्गों की स्थिति बिगडी। किसानो की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई। अग्रेजो ने किसानो का मनमाफिक शोषण किया। अग्रेजो की शोषणपूर्ण नीति के कारण किसान का जमीन के साथ रिश्ता टूट गया। अग्रेजो ने भूमि की परम्परागत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ईस्ट इडिया कम्पनी ने मालगुजारी वसूलने की व्यवस्था आरम्भ की। हर साल माल गुजारी (भू–राजस्व) बढती गई। ईस्ट इडिया कपनी ने 1794 में नियम बनाकर रैयत के लिए जमींदारो से कृषि भूमि का पटटा लेना जरुरी बना दिया। कानून के जरिये किसानो को मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। किसानों की भूमि जमींदारो के हाथो मे चली गई। भूमि के असली मालिक खेत मजदूरों में परिवर्तित हो गये। किसानो को बधुआ मजदूरो मे परिवर्तित कर दिया गया। भारत मे स्वतन्त्रता से पूर्व तीन प्रकार की भूमि व्यवस्थाए प्रचलित थीं –

1 **रैयतवाडी व्यवस्था (Raiyatwadi System)** – रैयतवाडी व्यवस्था मे काश्तकार ही भू–स्वामी होता था तथा भू–राजस्व देने का दायित्व काश्तकार का ही होता था। इस व्यवस्था मे किसान और सरकार के बीच सीधा सबध था। किसान द्वारा भू–राजस्व जमा नहीं कराने की स्थिति में उसे बेदखल किया जा सकता था। धीरे–धीरे रैयतवाडी व्यवस्था मे कई खामिया उत्पन्न हुई। किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ पनपे। काश्तकारो का शोषण होने लगा। पूजीपतियों ने किसानो की भूमि को हथिया लिया। उन्होने कृषि श्रमिको से खेती कराना प्रारम्भ किया।

भारत मे भूमि की रैयतवाडी व्यवस्था को 1772 मे थामस मुनरो ने चेन्नई मे लागू की जो बाद के वर्षों मे देश के अन्य भागों मे यथा बिहार असम मुम्बई मध्य प्रदेश आदि मे प्रचलित हो गई। वर्ष 1947 मे यह प्रथा महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश आदि राज्यो मे प्रचलित थी। वर्ष 1947–48 मे रैयतवाडी व्यवस्था देश की कुल भूमि के 38 प्रतिशत भाग पर लागू थी।

2 **महलवाडी व्यवस्था (Mahalwadi System)** – महलवाडी व्यवस्था मे भू–स्वामित्व सामुदायिक होता था तथा गाव का मुखिया भू–राजस्व एकत्र करके राज्य को देता था। इसमे सम्पूर्ण गाव को एक इकाई मानकर गाव के किसानो का

लगान निर्धारित किया जाता था। महलवाडी व्यवस्था का दूसरा नाम सयुक्त ग्राम व्यवस्था भी था। भू–राजस्व का निर्धारण उत्पादन के अनुसार होता था।

महलवाडी प्रथा 1833 मे आगरा व अवध मे लागू की गई पर बाद के वर्षो मे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाब आदि मे प्रचलित हो गई। इस प्रथा मे किसानो को भूमि हस्तान्तरण व उपभोग का अधिकार था। भूमि पर परिवार का अधिकार होने के कारण सभी सदस्य कृषि कार्य मे रुचि लेते थे।

3 जमींदारी व्यवस्था (Feudalism System) – जमींदारी व्यवस्था मे भूमि का स्वामित्व जमींदारो के हाथो मे था तथा काश्तकार भू–स्वामी को लगान का भुगतान करके खेती करता था। लगान का कुछ भाग राज्य को भू–राजस्व के रुप मे प्रदान किया जाता था। अग्रेजो ने सरकारी आय मे स्थिरता व निश्चितता के लिए जमींदारी प्रथा को लागू किया। जमीदार स्वय भूमि को नहीं जोतता था वह आधी बटाई पर उठा देता था। जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत काश्तकार व राज्य के बीच मध्यस्थो की एक लम्बी श्रृखला के कारण काश्तकारो के शोषण को बढावा मिला। भारत मे जमींदारी प्रथा लार्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 मे प्रारम्भ की गई। इस प्रथा से अग्रेजो ने जमींदारो के रुप मे स्वामीभक्त तैयार किये।

जमींदारी व्यवस्था के दोष
(Demerits of Feudalism System)

भारत की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान था, किन्तु जमींदारो ने भारत के किसानो की रीढ तोड दी। जमीदारो ने किसानो का मनमाफिक शोषण किया। इन्होने अग्रेजो की स्थिति बहुत ही मजबूत बना दी। भारत मे जमींदारी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष उल्लेखनीय हैं –

1 मध्यस्थो की श्रृखला (Chain of Mediators) – जमीदारी व्यवस्था के अन्तर्गत काश्तकार और राज्य के बीच मध्यस्थो की एक लम्बी श्रृखला के कारण काश्तकारो के शोषण को बढावा मिला। स्वतत्रता से पूर्व जमींदारो द्वारा वसूल किया जाने वाला लगान कुल उपज का 50–70 प्रतिशत तक पहुच गया था। बडे जमींदारो ने अधिकारो को छोटे–छोटे जमींदारो मे हस्तान्तरित किया बदले मे उनसे कुछ लाभ लेने लगे। प्रत्येक मध्यस्थ लाभ कमाता था। क्लाउड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बगाल मे जमींदार व किसान के बीच 50 से अधिक मध्यस्थ थे।

2. किसानो का शोषण (Exploitation of Farmers) – जमींदारो ने किसानो का मनमाफिक शोषण किया। किसानो की उपज का अधिकाश भाग भू–राजस्व के रुप मे वसूल किया जाता था। उन्हे कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता था। किसान, जमींदारो के घर बेगार करने के लिए बाध्य थे। किसान का परिवार जमींदारो के घर काम करता था। किसानो के द्वारा विरोध करने पर उन्हे यातनाए दी जाती थीं। जमींदारो के कर्मचारी तक किसानो का शोषण किया करते थे।

3 सम्बन्ध विच्छेद (Curtailment of Relations) – जमींदारी व्यवस्था से

राज्य और किसानो का प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया। इनके बीच अनेक मध्यस्थ आ गए। जमींदार और मध्यस्थ कभी भी सरकार को किसानो के कष्ट से अवगत नहीं कराते थे। जमींदार ही गाव का सर्वेसर्वा होता था।

4 **राजकीय आय मे स्थिरता** (Stability in Government Income) – जमींदारी व्यवस्था मे अंग्रेजो द्वारा जमीदारो से एक निश्चित भू–राजस्व अथवा आय वसूल की जाती थी। उत्पादन म वृद्धि और परिस्थितियो के अनुसार भू–राजस्व मे वृद्धि नहीं की गई। जमींदार प्रभाव का इस्तेमाल कर किसानो का शोषण करके मनमाना लगान वसूल करते थे। किन्तु सरकार को निश्चित लगान ही चुकाते थे।

5 **नैतिक पतन** (Moral Downfall) – जमींदारी व्यवस्था का सबसे बडा दोष नैतिक पतन था। गाव के किसान जमींदारो की कृपा पर निर्भर थे। शोषण प्रवृत्ति के कारण जमींदारो की आय म बेतहाशा वृद्धि हुई। बढी हुई आय के कारण जमीदारो का जीवन विलासिता पूर्ण हो गया। जमींदार सामान्यतया नशे मे चूर रहते थे। गावो की महिलाए उनके शोषण का शिकार थीं। किसान और गरीब लोगो मे जमींदारो के विरोध का साहस नहीं था। वे चुपचाप शोषण को स्वीकार करने को मजबूर थे।

6 **कृषि का पिछडापन** (Backwardness of Agriculture) – जमींदारी व्यवस्था म किसान आर्थिक रुप से बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसी स्थिति मे कृषि विकास गति नहीं पकड सका। उपज का बडा भाग जमीदार हडप लेता था तो किसान उत्पादन बढाने म खून–पसीना क्या लगाने लगा। किसान में भूमि से दखल होने का भय सदैव व्याप्त था। इस कारण किसान भूमि मे विनियोग करने से कतराता था। नतीजन कृषि उत्पादन म वृद्धि नहीं होती थी।

7 **असन्तोष** (Dissatisfaction) – जमींदारो ने देशवासियो का मनमाना शोषण किया। परिणामस्वरूप देशवासियो मे जमींदारो के प्रति असतोष बढा। जमींदारो ने देश म अंग्रेजो की जडे मजबूत करने का काम किया था। इन्होने स्वतत्रता सेनानियो के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। इस कारण जनता में जमींदारो की देशद्रोही क रुप म छवि बनी नतीजन इनके प्रति जनता का रोष बढता ही गया।

8 **मुकदमेबाजी** (Legality) जमींदारो की किसानो के प्रति शोषण प्रवृति के कारण झगडा से मुकदमबाजी को बढावा मिला। किसानो की कडी मेहनत की कमाई जो जमींदारो के शोषण के बाद बच पाती थी। वह भी मुकदमो पर खर्च होने लगी। मुकदमबाजी के कारण किसानो मे ऋणग्रस्तता बढती गई।

9 **आर्थिक जडता** (Economic Inertia) – जमींदारी व्यवस्था कृषि विकास के मार्ग म अवरोध सिद्ध हुई। जमींदारी व्यवस्था से समाज म किसानो के शोषण करने वाले वर्ग का जन्म हुआ जो परजीवी बनकर विलासिता म डूब गया। कृषि विकास म जमींदारो की विशेष रुचि नहीं थी। जमींदार शोषण से अर्जित आय का

अनुत्पादक कार्यो मे खर्च करते थे। नतीजन कृषि अर्थव्यवस्था मे जडता आ गई।

भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार
(Land Reforms in India after Independence)

भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के समय अर्थव्यवस्था का स्वरुप ग्रामीण था। देश की 85 प्रतिशत जनसख्या गावो मे जीवन बसर करती थी। खेती बहुसख्यक जनसख्या की रोजी–रोटी का आधार थी। स्वतत्रता के साथ ही देश के विभाजन के कारण प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए जिससे खाद्यान्न कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। स्वतत्रता से देश मे खुशी की लहर थी। गुलामी के दिनो मे किसानो ने बहुत अत्याचार सहन किये थे। स्वतत्रता से किसानो मे दशा मे सुधार की अपेक्षा थी। सरकार ने भी भूमि सुधारो को लागू करने मे कारगर पहल की। कानून बनाकर जमींदारीं समाप्त कर दी गई। कानून मे जमीदारो को मुआवजा देने की व्यवस्था थी लेकिन यह मुआवजा बाजार दर पर नहीं था। जमीदारो ने बाजार दर पर मुआवजे की माग की। अत जमीदारो ने जमीदारीं उन्मूलन कानून को चुनौती देने के लिए न्यायालयो मे याचिकाए दायर की। सरकार ने चौथा सविधान सशोधन अधिनियम 1955 पारित करके मुआवजे का विषय अदालतो के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। वर्ष 1984 मे सविधान के 47वे सशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा 14 अन्य भूमि कानूनो को सविधान की 9वीं अनुसूची मे शामिल कर दिया गया। नौवीं अनुसूची मे शामिल 202 कानूनो मे से 169 कानून भूमि सुधारो के बारे मे थे।[2]

आज स्वतत्रता के पाच दशक बीत चुके हैं। अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय, निर्यातित आय तथा रोजगार मे कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। किन्तु राजकीय प्रयासो के बावजूद भूमि सुधारो को अपेक्षित गति नहीं मिली। जमींदारी का प्रभाव कभी–कभार आज भी दृष्टिगोचर होता है।

राजे-रजवाडो की समाप्ति और आजादी के पचास साल बाद भी जयपुर जिले के गोपालगढ की करीब साढे तीन हजार बीघा सरकारी भूमि पर राजपरिवार का कब्जा हैं। यहा तीन सौ से ऊपर खेतो मे सालो से खेती कर रहे ग्रामीणो पर आज भी सामतशाही की काली छाया मौजूद है। राज परिवार के नाम पर इन ग्रामीण से लगान वसूला जाता है। इन दिनो (अप्रेल, 1999) राज परिवार का कथित कारिदा खेतो मे जाकर ग्रामीणो से फसल का एक चौथाई से लेकर छठे भाग तक प्राप्त कर रहा है।[1]

स्वतत्रता के बाद काश्तकारो को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, जमीन के मालिक को निर्धारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का स्वामित्व प्रदान करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का उचित किराया निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यो मे बनाए जा चुके हैं। भूमि सुधारो के व्यापक कार्यक्रम से दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का समापन हुआ है

जिसमे कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत मे भूमि सुधारा का विवरण निम्नलिखित है (देख चार्ट) –

1 जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (Abolition of Feudalism)

स्वतत्रता से पहले जमींदारी प्रथा के कारण भारतीय कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। शोषण के कारण किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठी। सन 1947 मे अग्रेजो की वापसी के बाद राज्य सरकारो ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए। स्वतत्र भारत मे जमींदारी उन्मूलन एक क्रातिकारी कदम था किन्तु जमींदार कानून बनने और लागू होने की लम्बी प्रक्रिया का लाभ उठाने मे सफल रहे। बडे पैमाने पर बेदखलिया हुई और जमींदारो ने खुदकाश्त के नाम पर बहुत सी जमीन अपने कब्जे मे कर ली। वर्ष 1948 मे कृषि सुधार समिति ने सिफारिश की कि भूमि पर स्वामित्व किसान का होना चाहिए और जिन व्यक्तियों ने 6 वर्ष तक किसी भूखड पर खेती की है उन्हे उस भूमि का स्वामी मान लेना चाहिए। भारत मे 1952 तक लगभग सभी राज्यो मे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए जा चुके थे। इसके परिणामस्वरुप लगभग 2 करोड काश्तकार राज्य के सीधे सपर्क मे आए तथा लगभग 60 लाख हैक्टेयर भूमि को भूमिहीनो में वितरित किया गया। मगर जमींदारी उन्मूलन से बडे काश्तकार बहुत मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामती व्यवस्था की पकड दूसरे रुप मे मजबूत हुई। "एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से बडे किसानो को छोटे किसाना और खेत मजदूरा के बाट से अपनी राजनीतिक सत्ता बढाने मे मदद मिली।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्या ने अधिनियम पारित कर भूमि अधिग्रहण की। भूमि अधिग्रहण के बदले 670 कराड रुपये मुआवजा देना निर्धारित किया गया जिसमे 421 करोड रुपये भूमि का मुआवजा 92 करोड रुपये पुन स्थापन सहायता तथा 128 करोड रुपये ब्याज के थे। अब तक 450 करोड रुपये (अनुमानित) मुआवजा चुका दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा भुगतान नकद और बाण्डो मे किया गया। छोटे जमींदारो और बिचौलियो का भुगतान नकद मे किया गया। बाण्डो पर 2 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान किया गया। भू–स्वामियो के लिए भूमि की सीमा निश्चित कर दी गई तथा उन्हे खेती के लिए जमीन रखने की स्वतत्रता दी गई। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से काश्तकार का सरकार से प्रत्यक्ष सबध स्थापित हो गया। काश्तकार लगान का भुगतान सीधे सरकार को करने लगे।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से किसान शोषण से मुक्त हुआ है तथा वह खती करने मे रुचि लेने लगा है। आज किसान कृषि विकास के तरीके यथा चकबदी और सहकारी कृषि के कार्य म सहयोग कर रहा है। कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था मे बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई है। खेतिहर किसानो को जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो गए हैं।

भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार
1 जमीदारी प्रथा का उन्मूलन
2 काश्तकारी सुधार
(i) लगान का नियमन
(ii) काश्त की सुरक्षा
(iii) काश्तकारी को स्वामित्व अधिकार
3 जोतो की सीमा निर्धारण
(i) सीमा निर्धारण के चरण
(ii) 1972 के पश्चात भूमि सीमा निर्धारण
(iii) अतिरिक्त भूमि और उसका बटवारा
(iv) उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ
(v) उच्चतम सीमा निर्धारण के दोष
4 कृषि भूमि का पुनर्गठन
(i) चकबदी
(ii) सहकारी कृषि
(iii) भूदान
(iv) भूमि प्रबन्ध

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन म सरकार को अनेक कठिनाईयो का सामना करना पडा। भू स्वामिया के लिए मुआवजे की राशि तथा भुगतान की प्रणाली बहुत जटिल थी विश्वसनीय आकडो तथा कुशल कर्मचारिया के अभाव मे मध्यस्थो के समापन मे कठिनाई आई। जमींदारा ने जमींदारी उन्मूलन को न्यायालयो मे चुनौती दी जिससे कानूनो के क्रियान्वयन म विलम्ब हुआ। बाद मे कानूनी अडचनों को सविधान मे सशोधन करके दूर किया।

2 **काश्तकारी सुधार** (Tenancy Reform)

काश्तकारी सुधार कृषको को मुख्यत तीन प्रकार की सुविधाए यथा उचित लगान का निर्धारण भू–धारण की निश्चितता और भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने क लिए किए गए। विभिन्न राज्या न काश्तकारी सुधार हेतु अधिनियम पारित किए जिससे किसानो को कृषि विकास सबधी निर्णया के लिए अधिक अधिकार और स्वतत्रता मिली। भूमि की लगान दर मे कमी आयी जमींदारों और जागीरदारो द्वारा स्वेच्छा से कृषकों को भूमि से बेदखल करने पर रोक लग गई तथा उनको भूमि के विक्रय बन्धक एव स्वामित्व अन्तरण की स्वतन्त्रता मिल गई। काश्तकारी सुधार सबधी विवरण निम्नाकित हैं –

1 **लगान का नियमन** (Regulation of Land Rent) – स्वतत्रता से पूर्व लगान की अधिकतम सीमा कुल उपज का 50–70 प्रतिशत हुआ करती थी। पचवर्षीय योजनाओ मे योजना आयोग द्वारा लगान को कुल उपज के अधिकतम 20 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। इस आधार पर अधिकाश राज्यों में लगान की उच्चतम दर निर्धारित करने हेतु अधिनियम पारित हो चुके हैं। लगान की अधिकतम सीमा विभिन्न राज्यो म भिन्न–भिन्न है। विभिन्न राज्यो ने अधिनियम पारित कर लगान की दरे निर्धारित कर दीं। निर्धारित दरो से अधिक लगान वसूलना अवैधानिक है। किन्तु अभी भी देश मे लगान की दरे अधिक है। पजाब हरियाणा आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बगाल जम्मूकश्मीर मे लगान उपज का 1/5 से 1/2 भाग दिल्ली म 1/5 भाग उडीसा म 1/4 भाग तथा महराष्ट्र गुजरात व राजस्थान मे 1/6 भाग है। लगान की ऊची दरो को नियमित करने की आवश्यकता हे।

2 **काश्त की सुरक्षा** (Security of Tenure) – काश्त की सुरक्षा वास्ते अनेक राज्या मे काश्तकारी सुधार अधिनियम पारित किए गए है। इन कानूनों के प्रावधानो के अनुसार दिल्ली व उत्तरप्रदेश म भू स्वामिया का पुन निजी खेती करने का अधिकार नहीं दिया गया। असम महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदश म कुछ अवस्थाआ म सीमित क्षत्र पर भू–स्वामी पुन निजी खेती कर सकते हैं। तमिलनाड कर्नाटक केरल आन्ध्र प्रदेश म काश्तकार की बदखली पर प्रतिबन्ध है लेकिन कुछ अवस्थाआ म (जैसे लगान न देना भूमि की उपजाऊ शक्ति को नुकसान पहुचाना भूमि का उपकिरायेदारी पर देना आदि) काश्तकार को बदखल करके भू स्वामी द्वारा खती की जा सकती है।

काश्त की सुरक्षा से कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि तथा सामजिक न्याय का लाभ प्राप्त होता है। किसान की काश्त की सुरक्षा के बाद उससे भूमि छीनी नहीं जा सकती है। योजना आयोग के अनुसार लगान के प्रभावी नियमन के लिए काश्तकारो को पटटेधारी की सुरक्षा आवश्यक है। भारत मे काश्त की सुरक्षा सबधी अधिनियम पारित किए जाने के परिणामस्वरुप कृषि योग्य भूमि मे 9 प्रतिशत काश्त की पूर्ण सुरक्षा, 59 प्रतिशत क्षेत्र मे आशिक सुरक्षा, 19 प्रतिशत क्षेत्र मे अस्थायी सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। कृषि योग्य 12 प्रतिशत भूमि मे काश्त सुरक्षा का अभाव है।

3 **काश्तकारो को स्वामित्व अधिकार** (Ownership Rights for Land Tanents) – काश्तकारो को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, जमीन के मालिक को निर्धारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का स्वामित्व प्रदान करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का उचित किराया निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यो मे बनाए जा चुके है। इन प्रयासो से एक करोड 10 लाख 42 हजार काश्तकारो को 144 29 लाख एकड भूमि (कुल खेती योग्य भूमि का 5 प्रतिशत) का स्वामित्व दिलाया गया है। छठी पचवर्षीय योजना मे यह घोषणा की गई थी कि अस्सी के दशक के शुरु तक सभी राज्यो मे काश्तकारो को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय कर दिए जाएगे किन्तु अनेक कारणो से ऐसा 1993 तक नहीं किया जा सका।

अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए काश्तकारो को स्वामित्व का अधिकार देना आवश्यक है। काश्तकारो के स्वामित्व अधिकार के सबध मे आर्थर यग का कथन महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार निजी सम्पत्ति का अधिकार रेत को भी सोना बना देता है। किसी व्यक्ति को उजाड बजर भूमि का सुरक्षित स्वामित्व कर दो वह इसे उपवन मे बदल देगा और अगर 9 वर्ष के ठेके पर उपवन दे दिया जाए तो मरुस्थल मे बदल देगा।" काश्तकारो को भूमि का स्वामित्व अधिकार मिलने से कृषि की उन्नति स्वाभाविक है। भारत मे काश्तकारो को भूमि स्वामित्व का अधिकार देने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाए की गई जो इस प्रकार है –

(i) उत्तर प्रदेश तथा केरल की राज्य सरकारो ने जमीदारो से भूमि के अधिकार प्राप्त कर काश्तकारो को मुआवजे के बदले स्वामी बनने की छूट दी।

(ii) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान मे काश्तकारो को भूमि का स्वामी घोषित किए गए तथा उनके स्वामियो को मुआवजा किश्तो मे चुकाने का प्रावधान किया गया।

(iii) दिल्ली तथा कुछेक अन्य राज्यो मे सरकार ने जमींदारो को मुआवजा चुकाया तथा काश्तकारो को भूमि का स्वामित्व अधिकार उचित किश्तो के बदले म सौंपा।

स्वतन्त्रता के समय 1947 में ब्रिटिश भारत की सकल कृषि भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व था और 1991 में तीन चौथाई कृषि भूमि पर एक चौथाई से भी कम लोगों का कब्जा था। वर्ष 1972 से पहले और बाद में भी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भू-स्वामियों को बहुत समय मिल गया। बहुत से बेनामी हस्तान्तरण और हेरा-फेरी के जरिये कानून को धता बता दिया। स्वतंत्र पत्रकार जितेन्द्र गुप्त के अनुसार अर्द्धसामंती ढांचे में परिवर्तन किये बिना खेती या गांव के विकास की योजनाएं रेत में महल बनाने जैसी कोशिशें ही साबित होंगी। यद्यपि भारत में आज काश्तकारों से बेगार लेना अवैधानिक है। प्राकृतिक आपदा यथा अकाल, बाढ़, सूखा आदि के समय काश्तकारों से लगान में छूट की व्यवस्था है। काश्तकारों द्वारा लगान नहीं चुकाने की स्थिति में उनके कृषिगत साधन जैसे बैल, हल, कृषियंत्र, पराल आदि नीलाम नहीं किए जा सकते हैं।

3. **जोतों की सीमा का निर्धारण (Ceiling of Holdings)**

जोतों की सीमा का निर्धारण भूमि सुधार का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। जोतों की सीमा निर्धारण का मूल उद्देश्य उन लोगों से जमीन लेकर जिनके पास अधिक जमीन है उनको उपलब्ध कराना है जिनके पास जमीन नहीं है पर कृषि ही जिनकी मुख्य आजीविका है। दूसरे शब्दों में बड़ी भूमियों का सीमा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना है। जोत की सीमा निर्धारण के अन्य उद्देश्यों में अधिकाधिक लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना, प्रबन्धकीय सरलता की दृष्टि से भूखण्डों को उचित आकार में परिवर्तित करना आदि भी है।

सीमा निर्धारण के चरण (Steps For Limit Assessment) – 1950 व 1960 के दशक में भूमि की सीमा सम्बंधी कानून बना दिये गए पर इन पर अमल कई चरणों में हुआ। सर्वप्रथम राज्य सरकार ने कानून में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने वालों की जमीन को अतिरिक्त घोषित किया। फिर उस जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। तीसरे चरण में यह जमीन भूमिहीन किसानों में वितरित की जाती है। भूमि की सीमा निर्धारण के हर चरण में अड़चनें आयीं। प्रमुख समस्या यह थी कि भूमि की अधिकतम सीमा की मूल इकाई परिवार माना जाये या व्यक्ति।

1972 से पूर्व भूमि निर्धारण (Land Assessment Before 1972) – 1972 से पूर्व भूमि की सीमा निर्धारण की इकाई व्यक्ति होता था। भूमि की सीमा निर्धारण बिहार में प्रति व्यक्ति 10 से 30 एकड़, मध्य प्रदेश में 27 से 75 एकड़, उत्तर प्रदेश में 40 से 80 एकड़ निर्धारित की गई।

1972 के पश्चात भूमि सीमा निर्धारण (Land Assessment After 1972) – 1972 के पश्चात् पति, पत्नी व बच्चों के परिवार को सीमा निर्धारण हेतु इकाई माना गया। इस चरण में भूमि की सीमा निर्धारण प्रति परिवार 9 से 54 एकड़, वर्ष में दो फसल देने वाली सिंचित भूमि के सम्बंध में प्रति परिवार 10 से 18 एकड़

तथा फल देने वाली सिंचित भूमि के सबध में 14 से 27 एकड भूमि निश्चित है। भिन्न–भिन्न राज्यो मे कई अलग–अलग मामलो मे भूमि की अधिकतम सीमा मे छूट दी गई।

उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ (Merits of Highest Limit Assessment) – आजादी के पाच दशक बाद भी आज 23 8 प्रतिशत भू स्वामी 71 प्रतिशत भूमि पर कब्जा जमाए हुए है जबकि 8 73 करोड छोटे और सीमान्त किसानो के पास दो–दो हैक्टेयर से भी कम जमीन है। देश मे करोडो भूमिहीन मजदूर है और उनकी सख्या प्रतिवर्ष 20 लाख की दर से बढ रही है। भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से काम के अवसरो मे वृद्धि होगी तथा चकबदी, सहकारी कृषि, प्रबन्धकीय कुशलता, समाजवादी व्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक विषमता में भी कमी होगी।

उच्चतम सीमा निर्धारण के दोष (Demerits of Highest Limit Assessment) – भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ के साथ दोष भी हैं। भूमि की उच्चतम सीमा के प्रमुख दोष निम्नलिखित है –

1 भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से अतिरिक्त भूमि का आवटन भूमिहीनो को होगा, जो निर्धन तथा साधनहीन होते हैं। गरीबो को भूमि के आबटन से कृषि उत्पादन में कमी होगी।

2 जोतो की उच्चतम सीमा के निर्धारण मे खामियो के कारण बहुत कम भूमि प्राप्त होगी जिससे भूमिहीनो की समस्या का समाधान नहीं होगा।

3 सीमा निर्धारण से बडे–बडे भू–स्वामियो से भूमि लेना बहुत कठिन है। राजकीय दबाव से भूमि प्राप्त की जाती है। भू–स्वामियो से प्राप्त भूमि को आवटित करते समय वर्ग सघर्ष का भय बना रहता है।

4 अतिरिक्त घोषित क्षेत्र का गरीबों मे आबटन छोटे–छोटे भूखण्डो मे किया जाता है। गरीब किसान छोटे भूखण्डो से परिवार के लिए वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति वास्ते खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पाते हैं। कृषि उत्पादो का विपणन बहुत कम हो जाता है।

5 जोतो की सीमा निर्धारण से बडे पैमाने की खेती नहीं हो पाने के कारण कृषि मे यन्त्रीकरण सभव नहीं हो पाता है।

6 भू-स्वामियो के बडे खेतो पर अनेक मजदूर काम करते थे। भूमि की सीमा निर्धारण से ग्रामीण मजदूरो के लिए रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई।

7 जोतो की सीमा निर्धारण के बाद आबटित भूमि का उपविभाजन जारी रहने से अनार्थिक जोतो की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

8 जोतो की सीमा निर्धारण के बाद अधिकार में किए हुए क्षेत्र की क्षतिपूर्ति

का भार सरकार द्वारा उठाने की समस्या उत्पन्न हुई।

जोता की सीमा निर्धारण से प्राप्त लाभ इसकी हानियो की तुलना मे अधिक महत्त्वपूर्ण है। जोता की सीमा निर्धारण से देश मे आर्थिक विषमता की समस्या कम हुई है। भूमिहीनो को भूमि मिली हैं। गरीब किसान शोषण मुक्त हुए हैं। उच्चतम सीमा निर्धारण के दोषो को प्रयास करके दूर किया जा सकता है।

4 कृषि भूमि का पुनर्गठन (Re-organisation of Agriculture Land)

स्वातन्त्र्योत्तर कृषि भूमि के पुनर्गठन मे चकबदी, सहकारी कृषि, भूदान आन्दालन, भूमि प्रवन्ध आदि महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए। कृषि भूमि के पुनर्गठन से कृषि ने विकास की गति पकडी।

1 चकवदी (Marking the Boundaries) – भारत मे कृषि जाते छोटी और विखरी हुई पडी है। वर्ष 1985–86 के एक आकलन के अनुसार देश भर की कुल 977 लाख जोतो में से 746 लाख जोते दो एकड से कम आकार की थी। इन 746 लाख जोता मे से भी 567 लाख जोतों का आकार एक एकड या उससे कम था। इस तरह की जोतो मे खेती कुशलतापूर्वक नहीं हो सकती है। छोटी और बिखरी जोते किसानो के लिए निरन्तर सिरदर्द का कारण रही हैं। ऐसी जोतो में खेती पर खर्चा ज्यादा आता है। मेढ या सीमा बनाने म काफी भूमि वर्वाद हो जाती है। ट्रेक्टर या मशीनो का प्रयोग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत देख–रेख अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। कृषि उत्पादकता बढाने के लिए आवश्यक है कि खेती की आधुनिकतम तकनीके अपनाई जाए। कृषि जोतो का आकार आर्थिक बनाने के लिए सरकार ने चकवदी का कार्यक्रम हाथ मे लिया। चकवदी मे भूमि के छोटे–छोट विखरे हुए टुकडा को स्वेच्छा से या कानूनी दवाव से बडे चको में परिवर्तित किया जाता है।

भारत मे चकवदी के लिए प्राय सभी राज्यो में कानूनी प्रावधान कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पजाव, हरियाणा मे चकवदी का अच्छा काम हुआ है। विहार, उडीसा और हिमाचल प्रदेश के काफी इलाको मे चकवदी जोरा से चली। भूमि के हर टुकडे से मोह रखने वाले परम्परावादी किसानो को चकवदी के लिए राजी करना मुश्किल काम है। भारत मे चकवदी का कार्य लम्वे समय से चल रहा हे। चकवदी सर्वप्रथम मध्यप्रदेश मे 1905 मे प्रारम्भ की गई थी। आठवीं पचवर्षीय याजना के आरम्भ तक लगभग 6,000 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर चकवदी का कार्य पूरा किया जा चुका है जो देश मे कुल क्षेत्र का केवल 33 प्रतिशत है। नवम्बर 1994 तक 1,528 76 लाख एकड भूमि की चकवदी हो गई थी। चकवदी निश्चित रुप से कृषि उत्पादन बढाने में सहायक हुई। चकवदी होने से भूमि पर आधुनिक मशीना का उपयोग सभव हुआ और कृषि की लागत मे कमी आई।

2 सहकारी कृषि (Cooperative Cultivation) – सहकारी कृषि मे भूमि के छोटे–छाटे टुक्डो का मिलाकर सयुक्त खेती की जाती है। भारत मे किसानों को

उर्वरक, उन्नत बीज, यत्र, कृषि उपकरण आदि खरीदने के लिए सहकारी कृषि पर बल दिया गया है। सहकारी कृषि की सहायता से उपविभाजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। पाटिल शिष्ट मडल के अनुसार, "सहकारी कृषि के अन्तर्गत कृषि बडे पैमाने पर की जा सकती है तथा बडे पैमाने के उत्पादन की सभी मितव्ययताए प्राप्त करना सभव हो जाता है।"

भारत मे सहकारी कृषि के अनेक रुप है, किन्तु सयुक्त सहकारी कृषि, सहकारी पट्टेदारी कृषि तथा सहकारी उन्नत कृषि प्रमुख है। सयुक्त सहकारी कृषि मे स्वामित्व प्रत्येक कृषक का रहता है तथा वे मिलजुल कर काम करते हैं। इसमे कृषि सबधी सभी खर्चे सम्मिलित कोष से किए जाते है। बची आय को सभी सदस्य बाट लेते हैं। सहकारी पट्टेदारी कृषि मे सहकारी समिति भूमि को पट्टे पर उठाती है और लगान वसूली करती है। इसमे सदस्यो के लाभ का कुछ भाग समिति के सुरक्षित कोष मे रखा जाता है। सहकारी उन्नत कृषि मे किसान स्वय भूमि का मालिक होता है तथा वह कुछ कार्य जैसे बीज, खाद की खरीद, यत्रीकरण, उपज बिक्री आदि स्वय स्वतत्र रुप से करता है। पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहकारी कृषि पर बल दिया गया। तीसरी पचवर्षीय योजना मे 317 पायलेट परियोजनाओ मे प्रत्येक 10–10 सहकारी कृषि समितियो की व्यवस्था की गई। नतीजन 30 जून 1974 तक सयुक्त सहकारी कृषि समितियों की सख्या 4985 थी तथा इनकी सदस्य सख्या 1 22 लाख थी।

3. भूदान (Bhoodan) – भूदान कार्यक्रम भूमि सुधार का एक ऐच्छिक कार्यक्रम है। आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्यक्रम का शुभारभ 18 अप्रैल, 1951 को किया था। इसमे व्यक्ति भूमि स्वेच्छा से दान करते थे। दान मे एकत्रित भूमि को भूमिहीन किसानो के बीच वितरित कर दिया जाता था। इससे गरीब किसानो को जीविका का सहारा मिल जाता था।

11 सितम्बर, 1895 को महाराष्ट्र के एक गाव मे जन्मे आचार्य विनोबा भावे का जीवन विविधताओ से भरा रहा है। वर्ष 1995 विनोवा जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। भूदान कार्यक्रम भारत के भूमि सुधार कार्यक्रमो में गैर सरकारी प्रयासो की श्रृखला मे भागीरथ प्रयास था। विनोवा जी ने कहा "जिस जमीन के लिए खून, कत्ल, कोर्ट कचहरी होती है, वह जमीन दान मे मिली। इसके पीछे कोई सकेत होना चाहिए। रात भर मेरा चिन्तन चला और मुझे अनुभव हुआ कि लोग प्रेम से जमीन दे सकते हैं।" विनाबा जी ने भू–स्वामियो से कहा, "अगर तुम्हारे पाच बेटे होते तो तुम अपनी सपत्ति उनके बीच बराबर--बराबर बाटते। मुझे अपना छठा बेटा समझो। दरिद्र नारायण दीन क रुप मे प्रगट हुए भगवान के लिए मुझे अपनी जमीन का एक हिस्सा दो।" विनोबा जी को विश्वास था कि भारत जैसे प्रजातत्र मे व्यापक भूमि सुधार लाने के लिए भूदान ही एक मात्र उपाय हे। यह लोगो के मनो और हृदयो को छूता है। भूदान के लिए विनोबा जी हिन्दू पोराणिक कथाओं यथा राजा बलि का दान, महाभारत मे वर्णित कौरव–पाडव युद्ध आदि

कथाओ का सहारा लेते थे।

भूदान कार्यक्रम की प्रगति (Progress of Bhoodan Activity) – अप्रैल 1954 के अन्त तक 32 लाख एकड भूमि भूदान मे दी गई थी। इनमें से 20 लाख एकड भूमि व्यावहारिक रुप से अच्छी जमीन थी। भूदान करने वाले दाताओं की सख्या 2,30 000 थी जिनमे से एक तिहाई के विषय मे कहा जाता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। 60,000 एकड भूमि 20 000 परिवारो मे बाटी गई।

विनोबा जी ने 1956–57 तक भूदान को जारी रखा। उनके अभियान से प्राप्त भूमि और उसके वितरण का ब्यौरा इस प्रकार है

भूदान यज्ञ · प्राप्त भूमि और वितरण

		दान दी गई जमीन (लाख एकड मे)	वितरित	शेष
1	आन्ध्र प्रदेश	1 96	1 00	0 96
2	बिहार	21 18	6 95	14 23
3	गुजरात	0 34	0 27	0 07
4	मध्य प्रदेश	4 10	2 43	1 67
5	महाराष्ट्र	1 10	0 83	0 27
6	उडीसा	6 39	5 80	0 59
7	राजस्थान	6 02	1 41	4 61
8	उत्तर प्रदेश	4 37	4 21	0 16
9	अन्य राज्यो समेत योग	45 90	23 23	22 67

स्रोत कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 1985

विनोबा भावे के भूदान यज्ञ मे 45 90 लाख एकड भूमि प्राप्त की गई जिसमें से 23 23 लाख एकड भूमि वितरित की गई तथा 22 67 लाख एकड भूमि शेष है। आचार्य विनोबा भावे के अभियान मे 17 राज्यो से भूदान मे जमीनें मिली थी। सबसे अधिक भूमि बिहार से 21 18 लाख एकड, उडीसा से 6 39 लाख एकड तथा राजस्थान से 6 02 लाख एकड भूमि प्राप्त हुई। लेकिन पजाब, राजस्थान, बिहार तथा कर्नाटक मे भूमि वितरण की दशा खराब है। बिहार मे 14 23 लाख एकड तथा राजस्थान मे 4 61 लाख एकड भूमि वितरित की जानी है।

भूदान म अनेक बाधाए आई। कई मामलो मे सरकारी, अन्य लोगो की या मुकदमबाजी मे फसी भूमि दान दे दी गई। अतिरिक्त भूमि के वितरण के नाम पर बहुत सी बजर जमीन भूमिहीन किसानो को दे दी गई जिससे गरीबो व भूमिहीनों

को कोई लाभ नही हुआ। विनोबा भावे के ऐतिहासिक भूदान आन्दोलन के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ। फिर भी सदियो से वचित गरीब किसानो मे से कुछ को भूमि मिली है और अधिक लोगो को मिलने की सभावना बनी हे। इससे पूरी तरह न सही, आशिक रुप से सामाजिक विषमता कम हुई है। सामाजिक न्याय की कुछ पूर्ति हुई। किसानो की गरीबी दूर करने मे मदद मिली है। विनोबा भावे ने कहा कि "भूदान यज्ञ से जमीन का बटवारा होगा, यह इसका कम से कम लाभ है। इससे बडी चीज तो यह बनेगी कि जनता अपनी ताकत महसूस करेगी। आज जनता को हर बात मे सरकार की तरफ ताकने की जो आदत लगी है, उससे वह मुक्त होगी और उसे विश्वास आएगा कि वह भी कुछ कर सकती है।"

4 **भूमि प्रबन्ध** (Land Management) – पचवर्षीय योजनाओ मे भूमि प्रबन्ध मे उल्लेखनीय सुधार हुआ हैं। भूमि प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार के कारण खाद्यान्न उत्पादन 1996–97 मे 199 4 मिलियन टन तथा 1998–99 मे 195 3 करोड टन (प्राविजनल) तक जा पहुचा। अर्थव्यवस्था मे कृषि की भूमिका बढाने के लिए हरित क्राति, स्वर्ण क्राति तथा श्वेत क्राति लागू की गई। आज भारत विश्व का बडा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान मे कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यत्रीकरण बडे पैमाने पर उपयोग होता है। कृषि वित्त की दशा मे भी क्रातिकारी बदलाव हुआ है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना और भूमि सुधार (Eighth Five Year Plan and Land Reforms)

आठवीं पचवर्षीय योजना मे भूमि सुधार के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमे मुख्य बाते निम्नलिखित हैं

1 समानता पर आधारित सामाजिक ढाचे की प्राप्ति के लिए कृषि सबधो की पुर्नसरचना।
2 भू–सबधो मे शोषण की समाप्ति।
3 जोतने वाले को जमीन के लक्ष्य को व्यावहारिक रुप देना।
4 ग्रामीण निर्धनो के भूमि–आधार को विस्तृत कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मे सुधार।
5 कृषि उत्पादकता और उत्पादन मे वृद्धि।
6 ग्रामीण निर्धनो के लिए भूमि–आधारित विकास को प्रोत्साहन।
7 स्थानीय सस्थाओ मे अधिक समानता।

आठवीं पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण विकास पर 34,425 4 करोड रुपय का प्रावधान किया जो योजना परिव्यय का 7 9 प्रतिशत है। वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना मे ग्रामीण विकास पर 9,967 2 करोड रुपये व्यय किया गया। वार्षिक योजना 1997–98 मे ग्रामीण विकास पर 10,162 5 करोड रुपये (सशोधित–अनुमान)

व्यय किया गया जा वार्षिक योजना का 73 प्रतिशत है। आठवीं योजना दस्तावेज म प्रथम पचवर्षीय योजना काल में निर्धारित भूमि विकास नीति दोहराई गई है। इसमे बिचौलिया की समाप्ति वास्तविक किसानो तथा बटाईदारो की स्थिति म सुधार भूमि सीमा चकबदी कानून के तहत फालतू घोषित जमीन का वितरण चकबदी और भूमि अभिलेखो मे सुधार शामिल है।

आर्थिक उदारीकरण और भूमि सुधार (Economic Liberalisation and Land Reforms)

कृषि क्षत्र म आर्थिक सुधार लागू किये जाने से आर्थिक विषमता से तीव्र वृद्धि की सभावना है। कृषि मे आर्थिक उदारीकरण को बढावा देने से बडे किसान ही लाभान्वित हागे। छोटे व सीमान्त किसान भूमिहीन हो जाएगे। सब्सिडी समाप्त करने का दुष्परिणाम सीमान्त कृषको को गभीर रुप से प्रभावित कर सकता है। अत उनकी सुरक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उनके लिए रोजगार कार्यक्रमो का विस्तार करना होगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को कृषि क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दिए जाने से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को ठेस पहुचेगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित होती हैं। भूमडलीकरण से बहुराष्ट्रीय कम्पनियो और पूजीपतियो की पूजी मे अत्यधिक वृद्धि होगी दूसरी ओर श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित स्वदेशी उद्योगो भूमि सुधारों के स्थानीय तरीको का क्रमिक पतन होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए स्थानीय लोगो की सक्रिय भागीदारी अतिआवश्यक है। भूमि सुधारों मे जनसहभागिता की पहले ही कमी है। भूमडलीकरण से इसमें और कमी आने की सभावना है। आज लोग अपनी पहचान स्थानीय स्तर पर नही बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनिया स्थानीय बाजार को प्रभावित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सप्रेषण शक्ति तीव्र होती है इसे समझने के लिए विशेषज्ञो की आवश्यकता होती है। जब ग्रामीण जरुरत की चीजे बहुराष्ट्रीय निगम उपलब्ध कराएगे तो इससे ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणो द्वारा उत्पादन करने की जरुरत ही खत्म हो जाएगी।

भूमि सुधार कार्यक्रमो की आलोचनाए (Criticisms of Land Reform Programmes)

स्वातन्त्र्योत्तर भूमि सुधार कार्यक्रमो को उत्साह के साथ लागू किया गया था किन्तु क्रियान्वयन मे *खामियों के कारण भूमि सुधार की प्रगति* अपेक्षित नहीं रही। बडे किसानो के पास भूमि का सकेन्द्रण है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सख्या बढी है। पिछले दशको मे उत्पादन वृद्धि का लाभ सीमित लोगो तक ही पहुचा है। केरल राज्य मे अवश्य सामान्य ग्रामीणजनो का जीवन स्तर सुधरा है। योजना आयोग के एक कार्यदल ने भूमि सुधारो की धीमी प्रगति हतु उत्तरदायी कारण बताए हैं। जिनमे राजनीतिक निष्ठा का अभाव छोटे किसानो की निष्क्रियता प्रशासनिक कठिनाईया कानूनी अडचनें भूमि के अद्यतन ब्यारा का अभाव वित्तीय

प्रावधान का अभाव आदि प्रमुख है। भारत मे भूमि सुधारो की धीमी प्रगति के कारण अथवा कमिया अथवा आलोचनाए निम्नाकित है –

1 **भूमि वितरण मे असमानताए (Inequality in Land Distribution)** – भूमि सुधार कार्यक्रमो मे गरीब लोगो मे वितरित करने के लिए बहुत कम जमीन मिली। यह देश की समस्त कृषि योग्य भूमि के मात्र दो प्रतिशत के बराबर थी। स्वतत्रता के पाच दशक बाद भी 23 8 प्रतिशत भू–स्वामी 71 प्रतिशत भूमि पर कब्जा जमाए हुए है जबकि 8 73 करोड लाख छोटे और सीमान्त किसानो के पास दो–दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश मे करोडो भूमिहीन मजदूर है और उनकी सख्या प्रति वर्ष 20 लाख की दर से बढ रही है।

2 **राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव (Lack of Political Will)** – भूमि सुधारो के प्रभावी क्रियान्वयन मे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। प्रभावशाली लोगो ने सत्ता के जोर पर बडे पैमाने पर भूमि हडप ली हैं। भूमि सुधार का क्रियान्वयन राजनीतिक निर्णयो पर आधारित है। भू स्वामियो के ताकतवर राजनीतिक नेताओ और सरकारी अफसरो से पारिवारिक तथा अन्य रिश्तो के कारण भी कानून का कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है। जमींदारी उन्मूलन से बडे काश्तकार मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामती व्यवस्था की पकड दूसरे रुप मे मजबूत हुई। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से बडे किसानो को छोटे किसानो और खेत मजदूरो के वोट से अपनी राजनीतिक सत्ता बढाने मे मदद मिली।

3 **भूमिहीनों की सख्या मे वृद्धि (Increase in Landless Farmers)** – भारत मे छोटे और मध्यम किसानो की बहुतायत है। छोटे किसानो का भूमि के साथ लगाव होता है और कृषि की कुशलता को अपेक्षाकृत ऊचे स्तर पर बनाए रखते है और पूजीवादी कृषि की वृद्धि को रोकते है। भारत मे भूमि सुधार इस दिशा मे निष्प्रभावी रहे हैं। देश मे भूमिहीनो की सख्या मे वृद्धि हुयी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौर के अनुसार भूमिहीन मजदूरो की सख्या 1971–72 मे 9 6 प्रतिशत से बढकर 1987–88 मे 14 4 प्रतिशत हुई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो ग्रामीण जनसख्या मे अधिक सख्या भूमिहीनो की होगी।

4 **भूमि की सीमा निर्धारण मे विलम्ब (Delay in Assessment of Land)** – भूमि सुधारो के अधिकाश अधिनियम राज्यो द्वारा तुरन्त लागू न करके कुछ समय उपरान्त लागू किये गये। इस दौरान समृद्धशाली मध्यस्थ भूमि को अपने परिवारजनो के नाम हस्तातरित करके कानून की सीमा से बच निकले। कानून बनाने व क्रियान्वित करने मे इतना अधिक अन्तराल अन्य किसी क्षेत्र मे नहीं रहा।

5 **भूमि रिकार्ड का अभाव (Lack of Land Record)** – भूमि सुधारो के क्रियान्वयन मे सबसे बडी बाधा भूमि रिकार्डो का अभाव रहा। भूमि रिकार्ड के अभाव मे सीमाबदी सुधार तथा मालिकाना हक सबधी मामले निपटाना मुश्किल है। भूमि रिकार्ड की कमी से जमींदारो और प्रशासनिक कर्मचारियो ने किसानो का शोषण किया है।

6 असन्तोषजनक प्रगति (Unsatisfactory Progress) – भूमि सुधारों की प्रगति धीमी और असंतोषजनक रही है। 1987 में एम एल दातावाला ने लिखा कि जमींदारी उन्मूलन को छोडकर अन्य किसी दशा म कोई विशष प्रगति नहीं की जा सकी है। आज भी देश म बहुत बड पैमान पर खेती काश्तकारों द्वारा की जाती हैं। अनेक स्थानो पर लगान की दर ऊची है और बेदखली का डर काश्तकारों को है। सीमाबदी नीति क अन्तर्गत थोडी भूमि ही प्राप्त की जा सकी है तथा भूमिहीन और छोटे किसानो को बँटवारा और भी कम रहा है।

7 जन सहयोग का अभाव (Lack of Public Cooperation) – भूमि सुधारों को लागू करने म अपेक्षित जनसहयोग नहीं मिला। कानून की घोषणा और इसके क्रियान्वयन के बीच के अतराल में लोग भूमि सुधारों से बचने के तरीके खाज लेते है। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार सबधी कानूनो की व्यवस्था का उल्लघन करत हुए शक्ति सम्पन्न लोगों के बडे बडे फार्म हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भूपतियो पुराने जमींदारो और बडे किसाना की पकड इतनी मजबूत है कि भूमि सबधी सभी कानूनो की खुलेआम उपेक्षा की जाती है। सरकार इन कठिनाईयों का समाधान करन के लिए प्रयत्नशील है लकिन जनता के पूरे सहयोग के बिना इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

8 वित्तीय ससाधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) – आज बजट का बडा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किये जाने का प्रावधान किया जाता है। किन्तु भूमि सुधारो के लिए अलग से वित्त का प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रारम्भ से ही वित्तीय अभाव भूमि सुधारा की दुर्बलता का आधार रहे है। भूमि सुधारा वास्ते पचवर्षीय योजनाओं मे भी अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं की गई।

9 समन्वय का अभाव (Lack of Co ordination) – भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारो का है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधारो के सबध म अलग–अलग अधिनियम पारित किए है उनमें एकरुपता का अभाव है। विभिन्न राज्यो तथा एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा म काफी अन्तर रहा है। सीमाबदी कानूनो मे एकरुपता लाने के उद्देश्य से जुलाई 1972 म राज्य मत्रिया की गोष्ठी बुलाइ गई थी परन्तु तब तक काफी क्षति हो चुकी थी तथा विभिन्न किस्म के हस्तान्तरणा व भ्रष्ट तरीकों की वजह से बहुत कम भूमि अतिरिक्त भूमि क रुप मे प्राप्त हुई। सीमाबन्दी कानूनो से रियायतों और छूटों की सूची बहुत लम्बी थी।

10 अनुकूल वातावरण का अभाव (Lack of Appropriate Environment) – भारत म भूमि सुधारों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से पृथक रखकर लागू किया गया तथा भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न अशों पर जोर डाला गया। अत भूमि सुधार हतु अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया। चकबदी कार्यक्रम को बिना ग्रामीण अद्यसरचना को विकसित किय लागू किया गया। अत वाछित परिणाम प्राप्त नही हा सक।

भूमि सुधारो की सफलता के सुझाव (Suggestions for Successful Land Reforms)

भारत मे ग्रामवासियो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारो का कारगर क्रियान्वयन आवश्यक है। हमारे लिए भूमि सुधार की वही नीति ठीक होगी जो गावो के विकास तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति मे सहायक हो। भूमि सुधारो का प्रश्न आर्थिक है तथा राष्ट्रीय जीवन से सबधित है। जब तक भूमि सुधार कार्यक्रम ग्रामीण जीवन की तह तक नही पहुचेगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार एव सुपर स्ट्रक्चर दोनो ही कमजोर रहेगे।[4] भूमि सुधारो की सफलता के लिए निम्नाकित सुझाव दिए जा सकते हैं --

1. भूमि अभिलेखों की पूर्णता (To Complete Land Records) – भूमि के सबध में सारे रिकार्ड पूरे व सही हो तथा समय के साथ इसमे आवश्यक सशोधन होते रहने चाहिए। कृषि विकास कार्यक्रमो के लिए समुचित भू राजस्व और भूमि अभिलेख प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में भूमि अभिलेखो मे सुधार की पर्याप्त गुजायश है। अभिलेखो का अपडेटिग व निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी राज्यो मे राजस्व मशीनरी को सशक्त बनाया जाना चाहिए जिससे काश्तकारी व सीमा निर्धारण कानूनो का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। सभी बटाइदारों एवं काश्तकारो के रिकार्ड तैयार कर उन्हे जमीन के मालिकाना अधिकार देने की जरुरत है। देश मे वर्ष 1999 तक 518 जिलो मे भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था जिसके लिए 84 62 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

2. सीमाबन्दी कानूनो का प्रभावी क्रियान्वयन (Fruitful Implementation of Land Settlement) – सीमाबन्दी कानूनो को प्रभावी तरीके से शीघ्र लागू किया जाए। बेनामी हस्तान्तरणो को रोका जाए। राज्य द्वारा इस प्रकार के हस्तान्तरणो की जाच कराकर दोषियो को दडित किया जाये। वर्ष 1980–81 की जनगणना पर आधारित अपने एक अध्ययन मे डा डी बदोपाध्याय ने सुझाव दिया कि यदि भूमि हदबदी के वर्तमान कानूनो को सही ढग से लागू किया जाए तो 59 9 लाख हैक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा सकती है।

3 भूमि सुधारों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के हाथ मे हो (Implementation of Land Reforms in Central Government) – भारत मे कृषि राज्यो का विषय है। भूमि सुधारो का क्रियान्वयन राज्य सरकारो के हाथ मे है। राज्य सरकारे राजनीतिक कारणो से तथा भू स्वामियो के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारो को कारगर ढग से लागू नहीं कर पाती है। कई मामलों मे राज्य सरकारे केन्द्र सरकार को समय पर अपेक्षित जानकारी तक नहीं भेजती हैं। केन्द्र सरकार इस बात से चिंतित है कि भूमि सुधार क्रियान्वयन के मामले मे राज्य सरकारे पर्याप्त मदद नहीं कर रही है। भूमि सुधार का कार्य सविधान मे सशोधन करके केन्द्र की सूची मे सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे भूमि सुधार कार्यक्रम प्रभावी ढग से

सम्पन्न हो सके।

4 न्यायालय में चुनौती का अधिकार समाप्त हो (To Finish the Right of Challenge in Courts) – सभी भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची मे अविलम्ब शामिल किया जाये जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लघन के आधार पर इन्हे न्यायालय मे चुनौती न दी जा सके। संविधान के 81वे संशोधन मे भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं सूची मे शामिल किया जा चुका है।

5 मुकदमों का शीघ्र निपटारा (Early Settlement of Legal Cases) – भारत म अभी तक (1999) 10 65 लाख एकड जमीन विभिन्न स्तर के मुकदमों में उलझी हुई है। इन मुकदमो का शीघ्र निपटारा कर जमीन का वितरण किया जाना चाहिए अन्यथा आने वाले कई वर्षा तक वह जमीन यों ही उलझी रहेगी और बडे भू–स्वामी इसका इस्तेमाल करते रहेगे।

6 भूमि का शीघ्र वितरण (Early Distribution of Land) – भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमाबदी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को शीघ्र भूमिहीनों में वितरित की जानी चाहिए। अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करके उसके बेचने व गिरवी रखने पर रोक लगाई जाए।

7 जन सहयोग (Public Cooperation) – भूमि सुधारों के पक्ष में जन सहयोग अति आवश्यक है। सभी स्तरो पर प्रतिनिधि समितिया बनाई जानी चाहिए जिसमे जन प्रतिनिधि लाभार्थिया सरकार के प्रतिनिधियो एव विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। गोष्ठिया प्रचार व प्रसार के द्वारा भूमि सुधार के प्रति जनता मे रुचि पैदा की जानी चाहिए।

8 भ्रष्टाचार पर नियत्रण (Control Over Corruption) – भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे भूमि सुधारो के क्रियान्वयन मे अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

9 गैर कृषकों को भूमि हस्तान्तरण पर रोक (Bann over Land Transfers *among Those who are not Farmers)* – भूमि सुधार कार्यक्रमो की सफलता के लिए कृषि मे अनुपस्थित भू स्वामित्व के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भूमि–सुधार मे इस बात की सख्त व्यवस्था हो कि गैर कृषको को भूमि का हस्तान्तरण नहीं हो सके। वर्तमान कानून गैर कृषको को अधिकाश भूमि खुदकाश्त की आड मे रखने की अनुमति देते हैं उन्हे समाप्त किया जाना चाहिए। भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रत्यक्ष रप से खेती करने वाले कृषक को ही मिलना चाहिए।

भारत म राज्य सरकारे अगर ईमानदारी से भूमि सुधारों की दिशा मे काम करे तो कृषि और काश्तकारो की दशा सुधर सकती है। सामाजिक न्याय तथा समता की जन आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए यह जरुरी है कि भूमि सुधार के जितने कानून हैं उन्हें कडाई से लागू किया जाए। तभी भूमि वितरण के मामले

मे व्याप्त विषमता दूर हो सकती है और बेनामी जमीन उसके असली मालिक को मिल सकती है।

सन्दर्भ

1 *कुरुक्षेत्र*, अप्रेल 1993, पृ 23
2 *वही*, पृ 20
3 *राजस्थान पत्रिका*, 23 अप्रेल, 1999
4 *कुरुक्षेत्र*, अक्टूबर, 1995, पृ 48

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भूमि सुधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2 भारत मे भूमि सुधार के उद्देश्य बताइए।
3 भारत मे भूमि सुधार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4 आठवी पचवर्षीय योजना मे भूमि सुधार की प्रगति बताइए।
5 भारत मे भूमि सुधार की धीमी प्रगति के कारण बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 स्वाधीनता के बाद भारत मे भूमि सुधार की दिशा मे किये गये प्रयासो का सक्षेप मे व्याख्या कीजिए।
(**सकेत** — इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार को लिखिए।)
2 भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। भारत की अर्थव्यवस्था मे भूमि सुधार के महत्त्व को बताइए।
(**सकेत** — प्रश्न के प्रथम भाग मे भूमि सुधार का अर्थ लिखना है तदुपरात अध्याय मे दिए गए भूमि सुधार के महत्त्व को बताना है।)
3 भारत मे भूमि सुधारो की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा भूमि सुधारो की सफलता के सुझाव दीजिए।
(**सकेत** — प्रश्न के प्रथम भाग मे स्वतत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार की प्रगति तदुपरात भूमि सुधारो की आलोचनाए लिखनी है। प्रश्न के दूसरे भाग मे भूमि सुधारो की सफलता के सुझाव लिखने है।)

19

भारत में औद्योगिक विकास

(Industrial Development in India)

अतीत में भारत का औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व में गौरवमयी स्थान था। औद्योगिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों की भारत पर लालचभरी दृष्टि पडी। सोने की चिडिया होने के कारण विदेशी आक्रमणो का सामना करना पडा। विदेशियो ने कूटनीति से भारत को गुलामी के शिकजे में जकड लिया। विदेशी ताकतों ने भारत के अथाह प्राकृतिक ससाधनों का मनमाफिक दोहन किया। स्वतत्रता प्राप्ति के समय गुलामी के दिनों में अग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण के कारण भारत औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान राष्ट्र मे परिवर्तित हो चुका था। ब्रिटिश शासनकाल मे पूजीगत वस्तु उद्योगों के विकास का प्रयास नहीं किया गया और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि भी पिछडी हुई दशा में थी। स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे पूजी की तीव्रता कम थी तथा मझौले उद्योग कम विकसित थे। इसके अलावा पूजी वस्तु उद्योगों की तुलना मे उपभोग वस्तु उद्योगों की प्रधानता थी।

औद्योगिक विकास का महत्त्व
(Importance of Industrial Development)

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना औद्योगिक विकास के जीवन जीने के प्रचुर साधन उपलब्ध कराना महज कल्पना है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि गरीबी निवारण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। विश्व के सभी विकसित देश औद्योगिक विकास के द्वारा ही आर्थिक विकास की ऊची अवस्था तक पहुचे हैं। आज विकासशील राष्ट्र भी औद्योगिक विकास के मार्ग द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। आजादी के पाच दशक बाद भी भारत में बडी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर के लिए अभिशप्त है। भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा निर्धनता के

कुचक्र को थामने के लिए औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारत मे आर्थिक समस्याओ के समाधान के लिए औद्योगिक विकास रामबाण औषधि है। औद्योगिक विकास के महत्त्व को अग्राकित विवरण से समझा जा सकता है

1. प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन (Exploitation of Natural Resources)– औद्योगिक विकास मे बडे पैमाने के उद्योगो की स्थापना की जाती है। बडे पैमाने के उद्योगो मे अनेक प्राकृतिक ससाधनो का कच्चे माल के रुप मे उपयोग होता है। भारत प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता वाला देश है। यहा विविध प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते है। खनिज पदार्थो का उपयोग औद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है। भारत मे तीव्र औद्योगीकरण के अभाव मे बहुमूल्य खनिज सम्पदा बेकार पडी है। औद्योगीकरण के अभाव मे खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रुप मे ही निर्यात कर दिया जाता है जिससे देश को आर्थिक क्षति होती है।

2. कृषि पर जनसख्या के भार में कमी (Less Burden of Population on Agriculture) – भारत कृषि प्रधान देश है। यहा बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक जनसख्या के कृषि कार्यो मे लगे होने के कारण अविछिन्न बेरोजगारी की समस्या मुख्य है। भारत मे लोग विकल्प के अभाव मे आवश्यकता न होते हुए भी कृषि कार्या मे लगे होते हैं। औद्योगिक विकास से कृषि पर जनसख्या के भार को कम किया जा सकता है। औद्योगिक विकास लोगो को रोजगार के विकल्प प्रदान करता है।

3. कृषि विकास (Agricultural Development) – कृषि विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। वर्तमान मे कृषि मे यत्रीकरण को बढावा दिया जा रहा है। भारत मे नवीन कृषि व्यूह रचना के आत्मसात से कृषि सक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। भारत डकेल प्रस्तावो को स्वीकृत कर चुका है तथा विश्व व्यापार सगठन की भी सदस्यता ग्रहण का चुका है। इसका भारतीय कृषि पर प्रभाव पडना स्वाभाविक है। भारत को कृषि विकास को गति देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने भी हाल ही के वर्षो मे कृषि विकास पर जोर दिया है। कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि की आवश्यकता होगी। इनका उत्पादन औद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है।

4. सतुलित विकास (Balanced Development) – भारत मे सभी राज्यो का समान आर्थिक विकास नही हुआ है। आज भी अनेक राज्य ऐसे है जो आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं। औद्योगिक विकास द्वारा सतुलित विकास सभव है। पिछडे हुए राज्यो मे आधारभूत उद्योगो की स्थापना कर आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। सार्वजनिक उपरिव्यय का बडा भाग पिछडे हुए क्षेत्रो मे उद्योग व खनन पर खर्च कर सतुलित विकास किया जा सकता है।

5. रोजगार (Employment) – भारत म बेरोजगारी की समस्या मुख्य है।

भारत में अनुमानत 30 करोड लोगो के पास काम नहीं है। काफी लोग बेरोजगारी अथवा अर्द्धबेरोजगारी की दशा मे जीवन व्यतीत कर रहे है। औद्योगिक विकास रोजगार के नये अवसर प्रदान करता है। औद्योगीकरण स प्रत्यक्ष रोजगार मे तो वृद्धि होती ही है इसके अलावा सहायक उद्योग–धधो के पनपने से अप्रत्यक्ष रोजगार मे भी वृद्धि होती है।

6 **आधारभूत सरचना का विकास** (Development of Infrastructure) — आधारभूत सरचना मे ऊर्जा रेल सडक सचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगीकरण के द्वारा ही परिवहन एव सचार के साधनो का विकास होता है। रेल इजिन डिब्बे पटरिया समुद्री जहाज पट्रोल आदि का उत्पादन औद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है।

7 **राष्ट्रीय आय मे वृद्धि** (Increase in National Income) — वर्तमान परिवेश मे कृषि इस स्थिति मे नहीं कि राष्ट्रीय आय मे तेजी से वृद्धि कर सके। औद्योगिक विकास के द्वारा न केवल राष्ट्रीय आय मे अपितु प्रति व्यक्ति आय मे भी तीव्र वृद्धि होती है। औद्योगिक विकास के द्वारा जन साधारण के जीवन–स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। औद्योगिक विकास से बचत और विनियोग मे भी वृद्धि होती है परिणामस्वरुप उत्पादन में वृद्धि होती है।

8 **राष्ट्रीय प्रतिरक्षा** (National Security) — भारत को स्वतत्रता के पश्चात भी बाह्य–आक्रमणो का सामना करना पडा है। वर्तमान मे भी पडौसी राष्ट्रो से सबध मधुर नहीं है। युद्धकाल मे अत्याधुनिक सुरक्षा सबधी उपकरणों की आवश्यकता होती है। जिनके उत्पादन के लिए औद्योगिक विकास की नितात आवश्यकता होती है। आज बाह्य आक्रमणो से रक्षा के लिए भारी इस्पात रासायनिक उद्योग एव वायुयान उद्योगो के विकास की भारी आवश्यकता है।

9 **अनुकूल व्यापार सतुलन** (Favourable Balance of Trade) — स्वातन्त्र्योत्तर केवल दो वर्षो को छोडकर भारत का व्यापार सतुलन प्रतिकूल रहा है। औद्योगिक विकास को बढावा देकर व्यापार सतुलन को अनुकूल किया जा सकता है। औद्योगिक विकास से उत्पादन बढने से आयात मे कमी होती है। आयात–प्रतिस्थापन को भी बढावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादनो का निर्यात होने से कालान्तर मे विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि होती है। देश स्वावलबन की और अग्रसर होता है।

10 **अन्य महत्व** (Other Importances) — औद्योगिक विकास से बडे पैमाने के उत्पादन की बचतो का लाभ अन्तत उपभोक्ताओ को प्राप्त होता है। सतुलित औद्योगिक विकास से पूजी एव श्रम की गतिशीलता मे वृद्धि होती है और सबसे बडी बात औद्योगिक विकास से स्थायित्व विकास को बढावा मिलता है जो कृषिगत विकास स कम सभव है क्योकि कृषि विशेषकर भारतीय कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

पंचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास

(Industrial Development during Five Year Plan Period)

भारत मे पचवर्षीय योजनाओ में औद्योगिक विकास ने गति पकडी है। पिछले पाच दशको के आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण विशेषता औद्योगीकरण मे अच्छी प्रगति रही। भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत 1950 के दशक के शुरु के वर्षों मे सुविचारित नीति के तहत की गई थी। औद्योगीकरण के लिए बडे पैमाने पर पूजी निवेश किया गया जिससे औद्योगिक उत्पादन मे विविधता आई। उत्पादन वृद्धि के साथ गुणवत्ता मे भी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज भारत न केवल बुनियादी सामग्री और पूजीगत साज समान के उत्पादन मे आत्मनिर्भर है अपितु विदेशो में औद्योगिक परियोजनाओ की स्थापना, तकनीशियन प्रबन्धक और कुशलकर्मी उपलब्ध कराने की स्थिति मे पहुच गया है। पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे हुई प्रगति इस प्रकार हैं –

प्रथम पचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) (1951-56) – योजना के प्रारम्भ मे भारत का औद्योगिक आधार सीमित था। औद्योगिक विकास मुख्य रुप से उपभोक्ता वस्तु उद्योगो तक सीमित था। वित्तीय ससाधनो की सीमितता, योजना का छोटा आकार तथा कृषि को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण औद्योगिक विकास को कम महत्त्व दिया गया।

योजना मे उद्योग व खनन पर सार्वजनिक व्यय केवल 55 करोड रुपये था जो योजना परिव्यय 1,960 करोड रुपए का केवल 2 81 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास पर 220 करोड रुपए व्यय किय गए। योजना मे जिन आधारभूत उद्योगो की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे की गई वे इस प्रकार है सिन्दरी का खाद कारखाना, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, हिन्दुस्तान केबिल्स, इटीग्रल कोच फैक्ट्री, नेपा न्यूज प्रिट मिल आदि। औद्योगिक उन्नयन के वास्ते विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ की भी स्थापना की गई। राज्यो के वित्तीय निगमो की स्थापना योजना काल मे ही की गई। 1954 मे राष्ट्रीय–औद्योगिक विकास निगम तथा 1955 मे भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना की गई। योजना मे औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1951 को आधार मानते हुए बढकर 132 6 हो गया।[1]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) (1956-61) – द्वितीय योजना उद्योग प्रधान थी। 1956 मे आर्थिक सविधान समझे जाने वाली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। योजनावधि मे ही समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया जिसे प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक उपक्रमो के विकास पर जोर दिया गया। योजना मे औद्योगिक विकास की निम्न प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई

1 लोहा–इस्पात, भारी रसायन, उर्वरक, इजीनियरिंग उद्योगो का विकास।
2 राष्ट्रीय महत्व के उद्योगो का राष्ट्रीकरण।
3 उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना।
4 उपभोक्ता उद्योगो की उत्पादन क्षमता का विकास।
5 सीमेण्ट, एल्यूमीनियम, रासायनिक उर्वरक, रग, रासायनिक लुग्दी आदि वस्तुओ की उत्पादन क्षमता का विस्तार।

दूसरी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय 4,672 करोड रुपये था इसमे उद्योग व खनिज पर व्यय 938 करोड रुपए था जो कुल सार्वजनिक उपरिव्यय का 20 प्रतिशत था। योजनावधि मे अनेक नई औद्योगिक इकाइया की स्थापना की गई। योजना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र मे तीन बडे इस्पात कारखाने यथा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर की स्थापना रही। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे हुए थे।

औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1960 को आधार मानते हुए 1961 में बढकर 109 2 हो गया। 1961 मे आधारभूत उद्योगों का सूचकाक 112 7, पूजीगत वस्तु उद्योगो का सूचकाक 118 तथा मध्यवर्ती वस्तुओ का सूचकाक 105 8 था। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तु उद्योगो का औसत सूचकाक 106 6 था। स्थिर वस्तुओ (Durable Goods) का सूचकाक 110 8 तथा अस्थिर वस्तुओं का सूचकाक 105 8 था।

तृतीय पचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) (1961 66) – भारत मे दूसरी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास का सूत्रपात हो चुका था। तृतीय योजना म औद्यागिक विकास आधार को और मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तृतीय योजना म औद्योगिक विकास की निर्धारित की गई प्राथमिकताएँ इस प्रकार थीं

1 विदेशी विनिमय की कमी के कारण द्वितीय योजना की अधूरी परियोजनाओ को पूर्ण करना।
2 प्रमुख आधारभूत कच्चे माल एव उत्पादन वस्तुओ के उत्पादन म वृद्धि।
3 उपभोक्ता वस्तु उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि।
4 आधारभूत उद्योगो की उत्पादन क्षमता का विस्तार तथा विविधीकरण करना।

याजना म औद्योगिक विकास पर 1,726 करोड रुपए व्यय किए गए जो कुल सार्वजनिक योजना व्यय 8,577 करोड रुपये का 20 12 प्रतिशत था। योजना मे भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर, इस्पात सयत्र की उत्पादन क्षमता म वृद्धि की गई तथा बाकारा म नय इस्पात सयत्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया। औद्यागिक वित्त क क्षेत्र म 1964 मे भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा 1964 म ही भारतीय औद्यागिक विकास बैंक की स्थापना की गई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1961 को आधार मानते हुए 1966 मे बढकर 153 2 हो गया। आधारभूत उद्योगो का सूचकाक 172 9, पूजीगत वस्तु उद्योग 210 1, मध्यवर्ती वस्तु 136 7, उपभोक्ता वस्तु उद्योगो का औसत सूचकाक 131 3 था। वर्ष 1962-66 के बीच औद्योगिक सवृद्धि दर 8 25 प्रतिशत थी। योजना मे आधारभूत उद्यागो की सवृद्धि दर 9 8 प्रतिशत, पूजीगत वस्तु उद्योगो की वृद्धि दर 16 65 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओ की सवृद्धि दर 6 40 प्रतिशत तथा उपभोक्ता वस्तुओ की सवृद्धि दर 4 57 प्रतिशत थी।'

तीन वर्षीय योजना (Three Year Plans) (1966-69) — तृतीय पचवर्षीय योजना के पश्चात आर्थिक शिथिलता, विदेशी सहायता की कमी तथा सूखे की स्थिति के कारण चतुर्थ पचवर्षीय प्रारम्भ नहीं की जा सकी। तीन वार्षिक योजनाओ मे औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया। इन वार्षिक योजनाओ में उद्याग तथा खनन पर 1,571 करोड रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक योजना परिव्यय 6,625 करोड रुपए का 23 7 प्रतिशत था।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) (1969 74) — चतुर्थ योजना मे भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक शिथिलता से सुधार की और अग्रसर थी। किन्तु पूजीगत पदार्थो और इजीनियरी उद्योगो मे अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता थी। योजनावधि में ऐसी परियोजनाओ को पूरा करने पर जोर दिया गया जो पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी थीं। आयात प्रतिस्थपना एव निर्यात सवर्द्धन तथा आवश्यक वस्तुओ की बढी हुयी माग को पूरा करने के लिए उद्योगो की स्थापित क्षमता मे वृद्धि का प्रयास किया गया। इसके अलावा नवीन उद्योगो की स्थापना तथा उद्योगो के विस्तार पर जोर दिया गया। पिछली योजनाओ के अनुभवों को ध्यान मे रखा गया। नियोजित औद्योगिक विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाओ को दूर करने का प्रयास किया गया जिससे उद्यमियो को औद्योगिक विकास का अच्छा अवसर मिला।

योजना मे उद्योग तथा खनन पर 2,864 करोड रुपए व्यय किए गए जो चौथी योजना के सार्वजनिक परिव्यय 15,779 करोड रुपए का 18 15 प्रतिशत था। योजना मे औद्योगिक उत्पादन मे 8-10 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु वास्तविक औद्योगिक वृद्धि दर 3 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। औद्योगिक उत्पादन मे गिरावट के प्रमुख कारणों मे कच्चे माल की कमी, माग की कमी, परिवहन सुविधाओ का अभाव, कोयला व बिजली की कमी, उत्पादन क्षमता का कम उपयोग आदि प्रमुख थे।

पाचवी पचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) (1974 79) — पाचवीं योजना मे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास की व्यूह रचना तैयार की गई। औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई। योजनाकाल मे मूलक्षेत्र के उद्योगो

आठवीं योजना और औद्योगिक विकास (Eighth Plan and Industrial Development) (1992-97) – भारत मे आठवीं पचवर्षीय योजना का निर्माण आर्थिक सक्रमण काल मे किया गया। गौरतलब है कि भारत मे वर्ष 1991--92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। आठवीं योजना पर आर्थिक उदारीकरण की छाया दृष्टिगोचर हुई। उदारीकरण के परिणामस्वरुप आठवीं योजना अपेक्षाकृत कम चर्चित रही।

वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण के क्षेत्र मे उद्यमियो को उत्साहवर्द्धन, विकास और अनुसधान मे निवेश, नई प्रौद्योगिक को आत्मसात करना, पूजी बाजार का विकास, उन्नत प्रौद्योगिक द्वारा लघु क्षेत्र का तीव्र विकास, सार्वजनिक, निजी एव सहकारी क्षेत्र के लघु, मझौले, बडे उद्योगो को बढावा देने आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्र के कार्यभाग की समीक्षा पर बल दिया गया हैं। योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र को दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिकीकरण, विनिवेश, अधिक स्वायत्तता, निष्पादन का मूल्याकन, कुशल प्रबन्ध, प्रदेशों की सार्वजनिक इकाईयों के निष्पादन मे सुधार आदि युक्ति अपनाने पर बल दिया गया है।

आठवीं योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 4,34,100 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है। इसमें से उद्योग एव खनिज विकास शीर्ष के लिए 46,921 7 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो योजना व्यय का 10 8 प्रतिशत है।

योजनावधि मे औद्योगिक सवृद्धि दर 1992–93 में 2.30 प्रतिशत, 1993–94 मे 6 0 प्रतिशत, 1994–95 में 8 4 प्रतिशत तथा 1995–96 में 12 8 प्रतिशत तथा 1996-97 मे 5 6 प्रतिशत रही।

पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का मूल्याकन (Evaluation of Industrial Development During Five Year Plan)

भारत में नियोजित विकास के पाच दशको मे आठ पचवर्षीय योजना तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। पचवर्षीय योजनाओं मे औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि नीति की तो कोई घोषणा नहीं की गई, किन्तु औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई। 1956 की औद्योगिक नीति महत्त्वपूर्ण रही। यह नीति न्यूनाधिक अस्सी के दशक के आखिरी तक उद्योग पटल पर छाई रही। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे घोषित की गई, खुली औद्योगिक नीति 1991 उल्लेखनीय है। आज औद्योगिक सरचना में मूलभूत बदलाव किए जा चुके हैं जिनमें लाइसेंस राज का खात्मा, विदेशी पूजी निवेश को बढावा, प्रौद्योगिक समझौते, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन आदि बाते मुख्य हैं। पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक व्यूह–रचना के अतिरिक्त उद्योग तथा खनन विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र म भारी पूजी निवेश किया गया नतीतजन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं।

1. सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी (Role of Industrial Sphere in Gross Domestic Production) — पचवर्षीय योजनाओ मे सकल घरेलू उत्पाद मे औद्योगिक क्षेत्र भागीदारी मे वृद्धि हुई है। बडे उद्योगो मे भारी पूजी निवेश से औद्योगिक उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत की गिनती बडे औद्योगिक देशो मे होती है। सकल घरेलू उत्पाद मे उद्योग का हिस्सा (1980-81 कीमतो पर) 1950–51 मे केवल 15 1 प्रतिशत था जो बढकर 1980–81 मे 24 4 प्रतिशत तथा 1994–95 मे और बढकर 27 5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993–94 की कीमतो पर 1997–98 में सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का योगदान 24 7 प्रतिशत था।

2. आधारभूत सरचना (Infrastructure) — औद्योगिक विकास के किए आधारित सरचना का निर्माण आवश्यक है। आज देश मे आधारभूत सरचना का अभाव अवश्य हे किन्तु नियोजनकाल मे इस क्षेत्र मे विकास के प्रयास हुए हैं। रेल, सडक, वायु एव जहाजरानी परिवहन के क्षेत्र मे विकास हुआ है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। देश पेट्रो रसायन युग मे है। तेल शोधन कारखानो की स्थापना की गई है और पाइप लाइनो का जाल बिछाया जा रहा है। सिचाई क्षमता मे वृद्धि के प्रयास किए गए है इसके अलावा बैंक, बीमा, शिक्षा, सचार आदि सुविधाओ का विस्तार किया जा रहा है।

सातवीं योजना मे (1985-90) बिजली उत्पादन की वृद्धि दर 9 3 प्रतिशत रही। 1950–51 में बिजली उत्पादन 7 8 अरब किलोवाट था जो बढकर 1970–71 मे 55 8 अरब किलोवाट तथा 1991–92 मे और बढकर 286 7 अरब किलो वाट हो गया। कोयला ईंधन का प्राथमिक साधन है। कोयला एव लिग्नाईट का उत्पादन 1960–61 मे 55 7 मिलियन टन था जो बढकर 1970–71 मे 76 3 मिलियन टन, 1980–81 मे 118 8 मिलियन टन, 1985–86 मे 162 3 मिलियन टन तथा 1996–97 मे 308 2 मिलियन टन हो गया। 1997–98 मे कोयला एव लिग्नाईट उत्पादन 319 मिलियन टन था। क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन 1960–61 मे 0 450 मिलियन टन था जो बढकर 1970–71 मे 6 8 मिलियन टन, 1980–81 मे 10 5 मिलियन टन, 1990–91 मे 33 मिलियन टन हो गया। क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन 1996–97 मे 32 9 मिलियन टन तथा 1997–98 मे 33 9 मिलियन टन (प्राविजनल) था।

3 औद्योगिक उत्पादन की प्रगति (Growth in Industrial Production) — स्वातन्त्र्योत्तर औद्योगिक क्षेत्र मे विविधता आई है। पूजी–वस्तु उद्योगो के उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान मे भारत ने लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात बढा है। पूजीगत वस्तुओ का आयात सीमित हो गया है।

औद्योगिक उत्पादन की प्रगति

उद्योग	1970 71	1980-81	1990 91	1997-98	1998 99
1 लौह अयस्क (लाख टन)	325 0	422 0	537 0	757 0	707 0
2 विक्रय योग्य इस्पात (लाख टन)	44 8	52 8	93 10	234 0	238 0
3 अल्यूमिनियम (हजार टन)	168 8	199 0	449 00	554 4	536 8
4 रेल माल डिब्बे (हजार सख्या)	11 1	13 6	23 60	27 7	उ न
5 नाइट्रोजीनियस उर्वरक (हजार टन)	830 0	2164 0	7031 50	10538 0	10675 5
6 सीमेंट (लाख टन)	143 0	187 0	486 00	829 0	880 0
7 सूती वस्त्र (करोड मीटर)	772 2	538 8	1609 60	37'3 6	1794 9
8 चीनी (लाख टन) (सित–अक्टू)	37 4	51 5	119 90	136 6	155 2
9 चाय (करोड कि ग्रा)	42 3	56 8	71 20	82 7	85 0
10 काफी (हजार टन)	--	--	170 0	228 0	265 0

स्रोत 1 *भारत* 1994 वार्षिक सदर्भ ग्रन्थ, पृ 510 से 513 सकलित

2 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे* 1998-99, एस–35 तथा 1999 2000

4. उद्योग क्षेत्र पर परिव्यय में वृद्धि (Increase in outlay on industrial sectors) – पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का बडा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे उद्योग व खनन पर सार्वजनिक व्यय केवल 55 करोड रुपए था। दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी, इसमे उद्योग व खनन पर 938 करोड रुपए व्यय किया जो कुल योजना व्यय का 20 प्रतिशत था। बाद की पचवर्षीय योजनाओ मे उद्योग व खनन क्षेत्र पर व्यय इस प्रकार रहा तृतीय योजना 1,725 3 करोड रुपए, चतुर्थ योजना 2,364 4 करोड रुपए, पाचवी योजना 8,988 6 करोड रुपए, छठी योजना 16,997 5 रुपए, सातवीं योजना 29,220 3 करोड रुपए। आठवीं योजना मे उद्योग व खनन क्षेत्र के लिए 4,6921 7 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया है जो कुल योजना व्यय का 10 8 प्रतिशत है। वर्ष 1998–99 की वार्षिक योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 11,550 9 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था।

5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) – *योजनाबद्ध विकास में औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक में वृद्धि हुई है।* वर्ष 1951 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1956 मे 132 6 था जो बढकर 1980 मे 461 3 तथा 1985 में और बढकर 608 8 हो गया। तीस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन सूचकाक मे साढे चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1980–81 को आधार मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1982 मे 109 3 था जो बढकर 1985 मे 130 7 तथा 1991 मे 212 6 हो गया। अस्सी के दशक मे औद्योगिक उत्पादन सूचकाक मे लगभग दो गुनी वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 को आधार मानते

हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकाक 1995–96 मे 122 3 तथा 1997–98 मे 137 6 था।

6 औद्योगिक सवृद्धि दर (Rate of Industrial Development) – पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक क्षेत्र मे भारी पूजी निवेश के कारण औद्योगिक सवृद्धि दर मे वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मे औद्योगिक विकास का अच्छा योगदान रहा। किन्तु नियोजन काल मे औद्योगिक सवृद्धि दर मे उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1962–66 में 8 25 प्रतिशत, 1966–71 मे 4 02 प्रतिशत, 1971–76 मे 4 16 प्रतिशत, 1976–81 मे 4 62 प्रतिशत तथा 1980–85 मे 5 5 प्रतिशत तथा 1987–91 मे 8 4 प्रतिशत रही। बाद के वर्षो मे औद्योगिक दर घटी। 1992 से 1996 के बीच औसत औद्योगिक सवृद्धि दर 6 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक सवृद्धि दर 1997–98 मे 6 6 प्रतिशत तथा 1998-99 मे 4 प्रतिशत थी।

7 औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) – आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षो मे देश में औद्योगिक निवेश मे वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1991 से 1994 तक 17,014 'इण्डस्ट्रियल एन्टरप्रेनर्स मेमोरेण्डम' (IEMs) नत्थी (Filed) किये गए जिनमे प्रस्तावित निवेश 3,45,000 करोड रुपए था। वर्ष 1991 मे 3,034 आई ई एम मे प्रस्तावित निवेश 76,300 करोड रुपए था। वर्ष 1994 मे 4,664 आई ई एम मे 88,800 करोड रुपए प्रस्तावित निवेश था।

लाइसेस मुक्त क्षेत्र के लिए आई इ एम आवेदन पत्र तथा लाइसेस क्षेत्र के लिए लेटर ऑफ इन्टेट (एल ओ आई) दर्ज किए जाते है। भारत मे अगस्त 1991 से अक्टूबर 1996 तक 5,379 बिलियन रुपए (प्रस्तावित) के 27,743 आई ए एम तथा 889 बिलियन रुपए के 2,714 लेटर ऑफ इन्टेट स्वीकृत किये गये। सर्वाधिक औद्योगिक निवेश गुजरात तथा महाराष्ट्र मे हुआ है। राजस्थान मे औद्योगिक निवेश तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। अगस्त 1991 से अक्टूबर 1996 तक राजस्थान मे 1,573 कुल प्रस्तावों मे केवल 26 1 हजार करोड रुपए का प्रस्तावित निवेश था इसकी तुलना मे गुजरात मे 126 8 हजार करोड रुपये तथा महराष्ट्र मे 108 5 हजार करोड रुपये का प्रस्तावित निवेश था। किन्तु राजस्थान मे निवेश हरियाणा, पजाब, प बगाल आदि राज्यो से अधिक था।[s]

8. सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertakings) – योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक उपक्रमो ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत तथा द्रुत गति से औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक उपक्रमो का तीव्र विकास हुआ। पहली पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे (एक अप्रेल 1951) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सख्या 5 थी तथा उनमें कुल पूजी निवेश 29 करोड रुपए था। 31 मार्च 1997 को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो की

सख्या बढकर 236 तथा पूजी निवेश 2 02 000 कराड रुपए हो गया। वर्ष 1970–71 म सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे 6 60 लाख लागा का रोजगार मिला हुआ था। इन उपक्रमो को 145 करोड रुपए का सकल लाभ हुआ। पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 4 था। वर्ष 1995–96 म रोजगार बढकर 20 51 लाख हो गया। सकल लाभ 27 990 करोड रुपए तक जा पहुचा। पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 16 1 था।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानो म 1993–94 म लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमो की सख्या 120 तथा घाटा देने वाले उपक्रमो की सख्या 117 थी। विनियाजित पूजी 1 59 307 करोड रुपए थी। सकल उपात (Gross margin) 27 600 करोड रुपए सकल लाभ 18 438 करोड रुपए तथा शुद्ध लाभ 4 435 करोड रुपए था। लाभ देने वाले उपक्रमा का लाभ 9 722 करोड तथा घाटा देने वाले उपक्रमो का घाटा 5 287 करोड रुपए था। विनियोजित पूजी पर सकल उपात की दर 17 33 प्रतिशत तथा विनियोजित पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 11 59 था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमा मे विगत दशक मे प्रत्याय दर मे विशेष वृद्धि नहीं हुई है। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ 1981–82 मे 2 03 प्रतिशत था जो थोडा बढकर 1990–91 मे 2 23 प्रतिशत हो गया। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ 1991–92 मे 2 प्रतिशत 1992–93 मे 2 33 प्रतिशत तथा 1993–94 मे 2 78 प्रतिशत रहा। वर्ष 1996–97 में 245 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त लाभकारी बनाने के लिए 17 खरब 30 अरब रुपए के निवेश की आवश्यकता थी। इनमे से 130 उपक्रमो का मुनाफा करीब एक खरब 20 अरब रुपए का था। ये सरकारी खजाने मे 260 अरब रुपए का योगदान देते थे और निर्यात से एक खरब 40 अरब रुपए की आय करते थे। करीब 109 उपक्रम 50 अरब रुपए के भारी घाटे मे चल रहे थे। यह घाटा कुल मिलाकर 70 अरब रुपए वार्षिक बैठता है जिसके कारण सरकार को सभी सार्वजनिक उपक्रमो के सबध म सोचना पड रहा है।

केन्द्र सरकार आशान्वित थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नियोजित विकास के उद्देश्यो की पूर्ति के वास्ते गुरुत्तर दायित्व निभा सकेंगे। किन्तु समय के बीतने के साथ ससाधन जुटाना तो दूर ये उपक्रम अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सरकारी सहायता की आर मुखातिब होने लगे। सार्वजनिक उपक्रमा को दी जाने वाली बजटीय सहायता मे भारी वृद्धि हुई। आज घाटे मे चल रहे सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र सरकार पर भार बने हुए है। घाटा देने वाले उपक्रमो की सख्या और घाटा दानों म वृद्धि हुई। घाटा देने वाले उपक्रमों की सख्या 1981–82 मे 83 थी जा बढकर 1990–91 म 111 तथा 1993–94 मे और बढकर 117 हो गई। इन उपक्रमा का घाटा 1981–82 में 848 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 म ५ 122 कराड रुपए तथा 1993–94 म 5 287 कराड रुपए तक जा पहुचा।[5]

आर्थिक उदारीकरण म सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका में बदलाव आया

है। गौरतलब है कि नियोजित विकास के प्रारम्भिक चार दशको मे सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या और उनमे विनियोजित पूजी मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सार्वजनिक उपक्रमो के विकास पर आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद विराम लग गया है। जुलाई 1991 मे घोषित की गई औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक उपक्रमो के सबध मे नीतिगत फैसले किए गए हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1 नई औद्योगिक नीति, 1991 मे सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को मात्र 8 क्षेत्रो तक सीमित कर दिया गया है। उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो मे रक्षा से सबधित उत्पाद और सयत्र, परमाणु ऊर्जा, धातु, कोयला, तेल व अन्य खनिजो का खनन, अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुए और रेल परिवहन ही रह गया है। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियो के लिए खोले जा रहे हैं।

3 घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमो की जाच औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) करेगा।

4 सार्वजनिक उपक्रमों मे विनिवेश (Disinvestment) को बढावा।

सार्वजनिक उपक्रमो के सबध मे सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय इस क्षेत्र की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का हैं। अब तक सरकार केवल 30 प्रतिशत ही अपने सार्वजनिक उपक्रमो की हिस्सेदारी बेच सकती थी।

9. सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश (Disinvestment in Public Sector Undertakings) – अधिकाश सार्वजनिक उपक्रमो के घाटे और आर्थिक दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का निर्णय किया गया। सार्वजनिक उपक्रमो के निजीकरण और विनिवेश का सुझाव 1991 मे डा मनमोहन सिह ने दिया था। उस समय इस सुझाव का भारी विरोध हुआ क्योकि अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो की प्रासगिक भूमिका रही। वर्ष 1995–96 मे कुल औद्योगिक उत्पादन मे सार्वजनिक उपक्रमो का योगदान इस प्रकार रहा – कोयला उत्पादन मे 97 7 प्रतिशत, लिग्नाईट उत्पादन मे 100 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पादन मे 98 2 प्रतिशत, तैयार इस्पात मे 41 प्रतिशत, एल्युमिनियम मे 53 6 प्रतिशत, कॉपर मे 100 प्रतिशत, जिक मे 81 7 प्रतिशत योगदान था। ऐसी स्थिति मे सार्वजनिक उपक्रमो के निजीकरण का विरोध स्वाभाविक था। आर्थिक उदारीकरण मे जुलाई 1991 मे घोषित की गई औद्योगिक नीति मे सार्वजनिक उपक्रमो में विनिवेश का प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार ने उदारीकरण के वर्षो मे सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का निर्णय लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

(करोड रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	विनिवेश
1994-95	4000	4843
1995-96	7000	362
1996-97	5000	380
1997 98	4800	902
1998 99	5000	5371
1999-2000	10000	1479*

स्रोत *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99, *31 12 1999 तक।

सार्वजनिक उपक्रमों के निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। वर्ष 1994–95 और 1998-99 को छोडकर बाद के वर्षों म विनिवेश लक्ष्य और विनिवेश मे भारी अतराल बना रहा। वर्ष 1994–95 मे बाजार चरम पर था। इस कारण विनिवेश लक्ष्य से अधिक 4843 करोड रुपए था। बाद के वर्षो मे केन्द्र सरकार को विनिवेश में विफलता हाथ लगी। वर्ष 1996–97 मे तो विनिवश स केवल 380 करोड रुपए ही जुटाए जा सके जबकि लक्ष्य 5,000 करोड रुपए का था। वर्ष 1997–98 मे भी स्थिति सुधर नहीं सकी। इस वर्ष विनिवेश के 4 800 करोड रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 902 करोड रुपए ही जुटाए जा सके। वर्ष 1998–99 म चार मुनाफा कमाने वाले उपक्रमो इडियन ऑयल, गैस ऑथोरिटी, विदेश सचार निगम एव कटेनर कारपोरेशन के शेयरो को बेचकर 5,000 करोड रुपए उगाहने का लक्ष्य रखा गया था। इडियन एयरलाइस के पूजी ढाचे मे परिवर्तन करके अगले तीन वर्षो म इसकी आधी से अधिक पूजी 51 प्रतिशत को निजी हाथो सौपना शामिल है। इसके अलावा साधारण मुनाफा वाले सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग तीन-चौथाई तक की पूजी निजी हाथो में सौपना घाटे में चलने वाल उपक्रमो म कर्मचारियों वास्ते आकर्षक 'स्वैच्छिक अवकाश योजना" एव इसके लिए एक पुर्नगठन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1998–99 में विनिवेश कर लक्ष्य प्राप्त का लिया गया किन्तु 1999–2000 क लिए विनिवेश का बडा लक्ष्य 10 000 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो पूजी बाजार की खस्ताहालात को देखते हुए प्राप्त करना कठिन है। अर्थव्यवस्था पर जून–जुलाई 1999 के कारगिल सकट का प्रभाव पडा। सितम्बर 1999 में देश को तेरहवीं लोक सभा चुनाव का सामना करना पडा। ऐसी स्थिति में लक्ष्य पूरा होने की सभावना न्यून है।

भारत में औद्योगिक विकास की समस्याए
(Problems of Industrial Development in India)

भारत का अतीत औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध था। गुलामी के दिनो मे अग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत औद्योगीकरण के क्षेत्र मे पिछड गया। स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वातन्त्र्योत्तर औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। नवीन औद्योगिक व्यूहरचना तैयार की गई। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षो म औद्योगिक आधार कृषि प्रधान था। पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक क्षेत्र पर पूजी निवेश मे वृद्धि के कारण औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। भारत के औद्योगिक पटल पर सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास एक उपलब्धि रही। देश में आधारिक सरचना (Infrastructure) के निर्माण से पूजीगत वस्तु उद्योगों तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ का तीव्र विकास हुआ। नौवें दशक मे धातु आधारित उद्योगों के स्थान पर पैट्रो–रसायन, रसायन तथा सबद्ध उद्योगों के विकास को गति मिली हैं। सकल घरेलू उत्पाद मे औद्योगिक क्षेत्र की भागदारी बढी हैं। वर्ष 1980–81 की कीमतो पर 1994–95 में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा 27 5 प्रतिशत हो गया जो 1950–51 मे केवल 15 1 प्रतिशत था। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे विश्व के अनेक देशो की दृष्टि भारत पर टिकी हुई है। आज भारत की गिनती औद्योगीकरण की दृष्टि से बडे देशो मे होती है। किन्तु इन उपलब्धियो के बावजूद भारत में औद्योगिक क्षेत्र समस्याओं से अछूता नहीं है। भारत मे औद्योगिक विकास की समस्याए इस प्रकार हैं

1 **औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)** — औद्योगिक क्षेत्र मे बढती रुग्णता प्रमुख समस्या है। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों मे एसी इकाइयो को सम्मिलित किया जाता है जिन्हे पिछले वर्षों में नकद हानि उठानी पडी हो तथा भविष्य मे भी लाभार्जन की सभावना न हो। औद्योगिक रुग्णता के लक्षण मे कोषो का दुरुपयोग, खातो मे अनियमितता, वित्तीय आकडे तथा स्कन्ध विवरण प्रस्तुत न करना, कार्यशील पूजी में ह्रास, लाभो का उच्चावचन, विक्रय में गिरावट, ऋणों की किश्तो का भुगतान न करना, बैंको से बिगडते सम्बन्ध आदि प्रमुख है। भारत मे लघु उद्योग क्षेत्र तथा गैर लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या जटिल है।

विगत दशक मे औद्योगिक रुग्णता मे भारी वृद्धि हुई। रुग्ण इकाईयो की सख्या 1980–81 मे 26,758 थी जो बढकर 1990–91 म 2,23,809 तथा 1993–94 में 2,58,000 हो गई। रुग्ण इकाइयों पर बकाया बैंक ऋण 1980–81 में 2,026 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 मे 10,768 करोड रुपए तथा 1993–94 मे 11,832 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1991–92 मे रुग्ण इकाईयों की पिछले वर्ष की तुलना में 10 77 प्रतिशत वृद्धि तथा बकाया बैंक ऋण में पिछले वर्ष

की तुलना म 7 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1991–92 मे 2,45,575 रुग्ण लघु इकाइयो पर 3,101 करोड रुपए बैंक ऋण बकाया था। इसके अलावा 1536 रूग्ण गैर लघु उद्योग इकाइयो पर 5787 करोड रुपए तथा 813 गैर लघु उद्योग कमजोर इकाइयो पर 2,646 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया था। 1996–97 मे कुल रुग्ण इकाइया 2 37 लाख थी जिन पर 13,787 करोड रुपए बैंक ऋण बकाया था।

भारत में अधिकाश औद्योगिक इकाइया कच्चे माल, विपणन, ऊर्जा, कार्यशील पूजी, यातायात आदि समस्याओ के कारण रुग्ण हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयो के आतरिक एव बाह्य कारण भी रूग्णत्ता के लिए उत्तरदायी हैं। आतरिक कारणो मे स्वामियो के स्वहित, तीव्र मतभेद, कुप्रबन्ध, स्वामी श्रमिक तथा बाह्य कारणो मे सुरक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द का अभाव, ऊर्जा अभाव, आर्थिक मदी, आर्थिक नीतियो मे परिवर्तन, प्रौद्योगिक परिवर्तन आदि मुख्य है।

औद्योगिक इकाइयो मे प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार कर, नवीन तकनीक को आत्मसात कर, कामकाज में सुधार तथा उत्पादकता मे वृद्धि करके रुग्णता को नियत्रित किया जा सकता है।

2. क्षेत्रीय विषमता (Regional Imbalances) – भारत असतुलित औद्योगिक विकास का शिकार हैं। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध है इसके विपरीत अकूत प्राकृतिक ससाधनो वाले बिहार, राजस्थान जैसे राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से तुलनात्मक रुप से कमजोर है।

भारत मे 1987–88 मे 1,02,596 फैक्ट्रिया थी इनमे 78,475 करोड रुपए की स्थिर पूजी विनियोजित थी। इन फैक्ट्रियो का कुल उत्पादन 1,53,973 करोड रुपए था तथा 6,062 हजार लोगो को रोजगार मिला हुआ था। फैक्ट्री क्षेत्र की इन चुनी हुई विशेषताओं मे महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की भूमिका अत्यधिक है।

3 निर्यातोन्मुखी इकाइयां (Export Oriented Units) – भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं आर्थिक उदारीकरण के दोर मे निर्यातोन्मुखी इकाइयो की सख्या में भारी वृद्धि हुई है। किन्तु निर्यातोन्मुखी इकाइया कुछ ही राज्यो मे अधिक केन्द्रित हुई है।

भारत म अगस्त 1991 से सितम्बर 1996 के बीच शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की सख्या 2,764 थी जिनमे प्रस्तावित विनियोग 49,889 करोड रुपए तथा प्रस्तावित रोजगार 4,84,116 था। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक में केन्द्रित थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पजाब, गोवा, केरल, उडीसा बिहार आदि राज्यो मे निर्यातोन्मुखी इकाइयों का अभाव है। बिहार मे केवल 6 निर्यातोमुखी इकाइया थीं जिनमे प्रस्तावित निवेश

22 करोड रुपए था तथा 351 व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था।

4 **विदेशी निवेशक (Foreign Investors)** – भारत को विकास की ऊची दर प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 तक आधारिक सरचना मे 150 बिलियन डॉलर तथा बाद के पाच वर्षों मे 200 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। भारत मे विदेशी निवेशकों की सख्या सीमित है। भारत का सबसे बडा निवेशक देश अमरीका है। एक जनवरी से 30 सितम्बर 1996 के बीच शीर्षस्थ दस विदेशी निवेशको द्वारा मजूरी (Approvals) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस प्रकार था अमरीका 80,435 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया 27,006 मिलियन रुपए, अप्रवासी भारतीयो द्वारा निवेश 17,659 मिलियन रुपए, मारीशस 16,684 मिलियन रुपए, ब्रिटेन 13,024 मिलियन रुपए, जापान 8,035 मिलियन रुपए, नीदरलैण्ड 6,311 मिलियन रुपए तथा सऊदी अरब 6,070 मिलियन रुपए।[10] अप्रवासी भारतीय निवेश सुख के साथी हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बिगडने से ये निवेशित राशि निकलवाने से नहीं चूकते। अमरीका द्वारा निवेश से हाथ खींचने की स्थिति मे भारत का औद्योगिक विकास प्रभावित हो सकता है।

5. **ऊर्जा की कमी (The Power Shortage)** – ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या है। ऊर्जा की माग की तुलना मे उपलब्धता कम है। ऊर्जा की कमी से उद्योगो को विद्युत कटौती का सामना करना पडता है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पडता है।

ऊर्जा की माग में तीव्र वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990–91 मे ऊर्जा की माग 267 95 बिलियन किलोवाट थी जो बढकर 1994–95 मे 352 26 बिलियन किलोवाट हो गई। चार वर्षों मे ऊर्जा की माग मे 31 46 प्रतिशत वृद्धि हुई। ऊर्जा की उपलब्धता मे वृद्धि तो हुई किन्तु माग की अनुरुप नहीं है। ऊर्जा की उपलब्धता 1990–91 मे 246 88 बिलियन किलोवाट थी जो बढकर 1994–95 मे 327 28 बिलियन किलोवाट हो गई। चार वर्षों में ऊर्जा की उपलब्धता मे 2 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा की उपलब्धता मे वृद्धि से ऊर्जा कमी का प्रतिशत 1990–91 मे 7 86 था जो थोडा कम होकर 1994–95 मे 7 70 प्रतिशत रह गया। विगत दो दशको से निरन्तर ऊर्जा का अभाव है। ऊर्जा की माग तथा पूर्ति मे अतराल का प्रतिशत 1974–75 मे 14 1 प्रतिशत तथा 1979–80 मे 16 1 प्रतिशत सर्वाधिक रहा। वर्तमान मे ऊर्जा की कमी का प्रतिशत घटा है किन्तु अभी भी ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास मे बाधा है। आर्थिक उदारीकरण मे पूजी निवेश बढने से औद्योगिक विकास के गति पकडने की सभावना है। अत ऊर्जा उपलब्धता बढाने पर जोर देना होगा। पचवर्षीय योजनाओ मे ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बढाए जाने की आवश्यकता है। सातवीं पचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर 34,273 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। वास्तविक व्यय 39,572 करोड रुपए था जो योजना परिव्यय 2,22,164 करोड रुपए का 17 8 प्रतिशत था। पाचवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 18 8 प्रतिशत व्यय किया गया

था। नौवीं पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा पर अधिक व्यय की आवश्यकता है। वित्तीय ससाधनो मे वृद्धि के लिए राज्य विद्युत बोर्डो को समाप्त करना आवश्यक है। वर्ष 1994–95 मे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल राज्य विद्युत बोर्डो को लाभ हुआ। इनके अलावा अधिकतर विद्युत बोर्ड घाटे मे थे। कुछ राज्यो के विद्युत बोर्डो का घाटा इस प्रकार था—उत्तर प्रदेश 978 करोड रुपए, आन्ध्र प्रदेश 829 करोड रुपए, गुजरात 550 करोड रुपए, पजाब 427 करोड रुपए, राजस्थान 411 करोड रुपए। राज्य विद्युत बोर्डो का बढता घाटा चिताप्रद है।

6. सस्थापित क्षमता का कम उपयोग (Less Utilisation of Installed Capacity) – भारत औद्योगीकरण की दृष्टि से बडा देश है। नियोजन काल मे बडे पैमाने के उद्योगो का तीव्र विकास हुआ है। बडे पैमाने के उद्योगों मे लोहा एव इस्पात, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, पटसन, रसायन, कागज आदि मुख्य हैं। बडे उद्योगो की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। भारत मे समन्वित इस्पात सयत्र (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को) की कच्चा इस्पात क्षमता 10,990 हजार टन है। 1992–93 मे कच्चा–इस्पात का उत्पादन 9,827 हजार टन था जो क्षमता का 89 41 प्रतिशत था। समन्वित इस्पात सयत्रो की बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। वर्ष 1992-93 मे बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन हुआ जो क्षमता का 94 47 प्रतिशत था। उद्योग सस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हडताल और तालेबदी, कच्चे माल का अभाव, विद्युत कटौती, कुप्रबन्ध आदि कारणों से नहीं कर पाते है। हडताल और तालेबदी के कारण 1991–92 में 34 12 मिलियन मानव दिवसो की क्षति हुई।

7 ऊचे लक्ष्य (High Aims) – तीव्र विकास के लिए ऊचे लक्ष्य आवश्यक है। किन्तु ऊचे लक्ष्यो की प्रासगिकता तभी है जब उन्हे प्राप्त किया जा सके। भारत लक्ष्यो के निर्धारण के मामले मे आगे है। पचवर्षीय योजनाओ के विकास शीर्षो के ऊचे–ऊचे लक्ष्य निर्धारित किए गए किन्तु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। अनेक बार तो ऊचे लक्ष्या को प्राप्त करने मे आकडा की जादुई कला को काम मे लिया जाता है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र मे भी ऊचे लक्ष्य निर्धारित किए गए है। चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 8–10 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक औद्योगिक सवृद्धि दर 3 9 पतिशत प्रतिवर्ष रही। छठी योजना में औद्योगिक सवृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष लक्ष्य के मुकाबले केवल 5 5 प्रतिशत रही। आठवीं पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष (1996-97) मे औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जबकि औद्योगिक वृद्धि दर केवल 5 6 प्रतिशत रही। अर्थव्यवस्था की बिगडी दशा के बीच ऊची औद्योगिक सवृद्धि दर प्राप्त करना कठिन है। औद्योगिक क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मे 300 डॉलर से बढकर दुगुनी हो सकती है।

औद्योगिक विकास की जो समस्याए है उन्हें प्रयास करके दूर किया जा

सकता है। ऊची औद्योगिक विकास दर अर्जित करने के लिए पूजी निवेश मे वृद्धि की आवश्यकता है। विदेशी पूजी निवेश के खतरे समाहित है ऐसी स्थिति मे सार्वजनिक परिव्यय का बडा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित करने की आज भी आवश्यकता है। किन्तु इसके साथ सार्वजनिक उपक्रमो की प्रबन्ध व्यवस्था मे व्यापक सुधार करना होगा इसके अभाव मे विनियोजित पूजी पर उचित प्रत्याय दर प्राप्त करना कठिन होगा। आधारिक सरचना के विकास मे विदेशी निवेशको को बढावा देकर तथा पिछडे क्षेत्रो मे निवेशको को रियायते देकर औद्योगीकरण की समस्याओ से बडी सीमा तक निपटा जा सकता है।

सन्दर्भ

1 *India*, Economic Information Year Book, 1988-89, p 115
2 *India*, Economic Information Year Book 1988-89, p 115
3 *Indian Economy*, Statistical Year Book 1998
4 *टाइम्स ऑफ इण्डिया* बिजनेस टाइम्स, 28 जनवरी 1997, पृ 16
5 Indian Economy Statistical Year Book, 1998
6 *इकोनॉमिक सर्वे*, 1994-95, पृ 109
7 राजस्थान पत्रिका, 6 फरवरी 1996
8 इकोनॉमिक सर्वे, 1994-95, पृ 109
9 *आर्थिक जगत* 28 अप्रेल, 1997
10 टाइम्स ऑफ इण्डिया, विजनेस टाईम्स, 27 नवम्बर, 1996

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक विकास का महत्त्व बताइए।
2 सार्वजनिक उपक्रमो से क्या अभिप्राय है।
3 सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की प्रगति स्पष्ट कीजिए।
4 भारत मे औद्योगिक विकास की समस्याए बताइए
5 आर्थिक उदारीकरण मे औद्योगिक विकास की स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 'राष्ट्र का आर्थिक विकास औद्योगीकरण पर निर्भर करता है' स्पष्ट कीजिए। (सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये औद्योगिक विकास का महत्त्व लिखना है।)

2 पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास की प्रगति बताइए तथा भारत के औद्योगिक विकास मे क्या बाधाए है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास की प्रगति लिखनी है प्रश्न के दूसरे भाग म औद्योगिक

विकास की बाधाओ का वर्णन करना है।)

सार्वजनिक उपक्रम क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो का महत्त्व बताइए। सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का लक्ष्य कहा तक प्राप्त हुआ है।

(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में सार्वजनिक उपक्रमो का अर्थ और महत्त्व लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे अध्याय में दिए गए सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश का वर्णन लिखिए।)

20

भारत में बड़े पैमाने के उद्योग
(Large Scale Industries in India)

राष्ट्र का औद्योगिक विकास बडे पैमाने के उद्योगो के विकास पर निर्भर है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना इसके आज कोई देश न तो अपने जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध करा सकता है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उचित भूमिका निभा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और विकसित कहे जाने वाले देश बडे पैमाने के उद्योगों के विकास द्वारा ही आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुचे हैं। आज सभी विकासशील देश तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत है। भारत मे बडे पैमाने के उद्योगो के विकास की महत्ती आवश्यकता हैं। उद्योगो के समुचित विकास से देशवासियो की आय में अर्थपूर्ण एव नियमित रूप से वृद्धि सभव है। औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार और श्रेष्ठतर व्यावसायिक ढाचा निर्मित होता है। लोगो के जीवन स्तर मे सुधार आता है। बचत और निवेश मे वृद्धि की सुखद परिणति उत्पादिता मे वृद्धि के रूप मे परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज का बहुमुखी विकास होता है। राष्ट्र आर्थिक एव राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर उभरता है।

भारत मे स्वतत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र मे व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक वातावरण को सुदृढ करने के वास्ते 6 अप्रेल, 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगीकार किया। आर्थिक योजनाओ की व्यूहरचना मे आधारभूत ढाचे एव भावी औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। फलस्वरुप सातवीं पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक औद्योगिक विकास सबधी व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार हो चुका था।

भारत ने विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारो की शुरुआत की। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक दस वर्षों मे अर्थव्यवस्था मे मूलभूत बदलाव किए गए।

औद्योगिक नीति म किए गए परिवर्तनो से देश मे औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना हैं। वर्तमान म भारत के बडे उद्योगो मे सीमन्ट उद्योग, लोहा–इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, कागज उद्योग, भारी इजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग आदि मुख्य है। बडे पैमाने के उद्योगो मे से कुछ का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे हुआ किन्तु वास्तविक विकास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे ही हुआ। भारत की अधिकाश फैक्टरिया महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बगाल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आदि राज्यो मे स्थित हैं।

भारत के बडे उद्योगो मे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

(i) लोहा एव इस्पात उद्योग।
(ii) सीमेट उद्योग।
(iii) सूती वस्त्र उद्योग।
(iv) चीनी उद्योग।
(v) जूट उद्योग।

इन बडे उद्योगो का विवरण नीचे दिया जा रहा है

1 लोहा एवं इस्पात उद्योग
(Iron and Steel Industry)

लोहा एव इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ अशो मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो यथा कृषि, यातयात, आधारभूत सरचना, आवास निर्माण आदि मे इस्पात उद्योग की महत्ती भूमिका होती है। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी आवश्यक प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध हैं। विश्व के कुल लोह अयस्क के भडारो का एक-चौथाई भाग भारत मे उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार भारत मे 2,100 करोड टन लोह अयस्क के भडार हैं। इस्पात उद्योग मे प्रयुक्त कच्चे माल जैसे मैगनीज, लाइमस्टोन, डोलामाइट भारत मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

विश्व मे लोहा एव इस्पात उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन अमरीका मे होता है। भारत का भी लोहा एव इस्पात उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान हैं किन्तु भारत मे लोहा एव इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व मे तुलनात्मक दृष्टि से कम है।

संक्षिप्त इतिहास (Brief History)

विश्व इतिहास मे लोहा एव इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम भारत मे हुआ। लोहे की गलाई एव ढुलाई मे भारत विश्वविख्यात था। प्राचीन काल मे लोहे की टिकाऊ और सुन्दर वस्तुए विश्व के अनेक देशो को निर्यात की जाती थीं। दिल्ली मे कुतुबमीनार के पास स्थापित अशोक का लोह स्तम्भ आज भी विश्व के

वैज्ञानिको के लिए आश्चर्य बना हुआ है। समय के बदलाव के साथ भारत का लोह इस्पात उद्योग पिछड गया।

भारत मे आधुनिक ढग से लोहा एव इस्पात बनाने का प्रयास वर्ष 1830 मे श्री जे एम हीथ नामक अग्रेज द्वारा चेन्नई के निकट दक्षिणी अर्काट मे किया गया किन्तु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग का प्रारम्भ 1870 मे हुआ, जब बगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने पश्चिम बगाल के कुल्टी मे सयत्र की स्थापना की। इसके पश्चात निम्नलिखित कारखानो की स्थापना की गई –

1907 मे टाटा आयरन एण्ड स्टील कपनी (टिस्को) जमशेदपुर
1919 मे इडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इस्को), बर्नपुर।
1923 मे विश्वेश्वैरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती।

भारत मे विश्वेश्वैरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की वर्ष 1923 मे स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ किया। सन 1939 मे आसन सोल मे स्टील कारपोरेशन ऑफ इडिया की स्थापना की गई जिसे बाद मे इडियन आयरन एण्ड स्टील (इस्को) मे मिला दिया गया।

स्थानीयकरण (Localisation)

लोहा एव इस्पात उद्योग के ऐसे स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है जहा कच्चा माल पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो। ऊर्जा और बाजार भी इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक है। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण बिहार, पश्चिम बगाल, मध्यप्रदेश, उडीसा आदि राज्यो मे हुआ है। इन राज्यो में लौह अयस्क के पर्याप्त भडार उपलब्ध है। इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैगनीज आदि आवश्यक पदार्थ भी इन राज्यो मे उपलब्ध है। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योगो के छोटे नागपुर के पठार क्षेत्र मे स्थानीयकरण के लिए कोयले की पर्याप्तता, सस्ते श्रम की बहुलता, पर्याप्त जलपूर्ति, यातायात के साधना की प्रचुरता तथा बाजार की निकटता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति का पता निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है

1. लोहा एव इस्पात का उत्पादन (Production of Iron and Steel) – भारत मे नियोजित विकास के चार दशको तथा आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में इस्पात के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोहा एव इस्पात उत्पादन की प्रवृत्ति को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

भारत मे लोहा एव इस्पात का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	इस्पात पिंड	तैयार इस्पात
1950 51	14 7	10 4
1960 61	34 8	23 9
1970 71	61 4	46 4
1980 81	103 3	68 2
1990 91		135 3
1991 92	126 6	143 3
1992 93	132 5	152 0
1993 94	139 0	151 0
1994 95	159 0	178 0
1995 96	224 0	217 0
1996 97	238 0	227 0
1997 98	248 0	234 0
1998 99	231 0	238 0

स्रोत – *इकोनॉमिक सर्वे* 1998 99 एस 34 तथा 1999 2000

भारत मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन वर्ष 1950–51 में 14 7 लाख टन था जो बढकर 1994–95 मे 159 लाख टन तथा 1997–98 मे 248 लाख टन हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1950–51 में तैयार इस्पात का उत्पादन 10 4 लाख टन था जो बढकर 1994–95 मे 178 लाख टन तथा 1997–98 में 234 लाख टन हो गया। वर्ष 1950–51 से 1997–98 के बीच के चवालीस वर्षों मे इस्पात पिण्ड और तैयार इस्पात के उत्पाद मे क्रमश 17 गुना तथा 22 गुना वृद्धि हुई।

2 आयात एव निर्यात (Import and Export) – भारत मे आतरिक माग की तुलना म लोहा एव इस्पात का उत्पादन कम है। नतीजतन प्रतिवर्ष लोहा एव इस्पात का आयात करना पडता है। दश में लोहा एव इस्पात उद्योग के तेजी से विकास नहीं होन क कारण प्रमुख कच्चा माल 'लोह अयस्क' का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1985–86 मे कच्च लोहे के कुल उत्पादन का 55 2 प्रतिशत निर्यात किया गया। लोह अयस्क का निर्यात 1960–61 मे 3 2 मिलियन टन था जो बढकर 1990–91 मे 32 5 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1997–98 म लोह अयस्क निर्यात 27 6 मिलियन टन था जिससे 474 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। लोह–अयस्क पर आधारित उद्योग की स्थापना से लोहा इस्पात के आयात को नियत्रित किया जा सकता है। भारत से हाल ही के वर्षों मे लोहा एव इस्पात का निर्यात किया जाने लगा है।

लोहा एव इस्पात का आयात और निर्यात

(करोड रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात
1960-61	123	--
1970-71	147	9
1980-81	852	70
1990-91	2113	1049
1993-94	2494	1374
1994-95	3653	1297
1995-96	4838	1490
1996-97	6866	2396
1997-98	5281	2936
1998-99	4956	2509

स्रोत – इकोनॉमिक सर्वे 1996-97, पृ 128, 1998-99, पृ 107, 1999-2000, पृ 123 एव एस–85

भारत लोहा एव इस्पात का आयातक राष्ट्र हैं। वर्ष 1960–61 में लोहा एव इस्पात का 123 करोड रुपए का आयात किया गया। लोहा एव इस्पात का आयात 1994–95 मे बढकर 3,653 करोड रुपए तथा 1995–96 मे और बढकर 4,838 करोड रुपए तक जा पहुचा। भारत से लोहा एव इस्पात अल्प मात्रा मे निर्यात होता है। वर्ष 1980–81 में 70 करोड रुपए तथा 1994–95 मे 1,297 करोड रुपए का लोहा एव इस्पात निर्यात किया गया। वर्ष 1998-99 मे लोहा एव इस्पात का आयात 4,956 करोड रुपए तथा निर्यात 2509 करोड रुपए था।

3. पूजी विनियोजन (Capital Investment) – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के *लोहा एव इस्पात उपक्रमो मे लगभग 15,000 करोड रुपए विनियोजित है जो कि* केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो मे निवेश का 9 प्रतिशत है। सार्वजनिक उपक्रमो के अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रमो मे 5,000 करोड रुपए की पूजी विनियोजित है।

4. लोहा एवं इस्पात की मांग (Demand of Iron and Steel) – भारत मे लोहा एव इस्पात की माग, उत्पादन की तुलना मे अधिक है। अतिरेक माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। वर्ष 1994–95 मे तैयार इस्पात की माग 220 लाख टन थी। वर्ष 1996–97 मे इसके 250 लाख रहने की सभावना थी। तैयार इस्पात की माग 1999–2000 मे 310 लाख टन होगी।[1] वर्ष 1994–95 मे लोहा एव इस्पात का उत्पादन, माग की तुलना में 60 लाख टन कम था।

5 लघु इस्पात सयंत्र (Miny Steel Plant) – लोहा एव इस्पात के बडे उद्योगो_के अलावा देश मे लगभग 210 लघु इस्पात सयत्र है। ये निजी क्षेत्र मे

सचालित है इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 80 लाख टन के लगभग है।

6 **लोहा एव इस्पात उद्योग में आर्थिक सुधार** (Economic Reforms in Iron and Steel Industry) – आर्थिक उदारीकरण के दौर मे लोहा एव इस्पात उद्योग क्षेत्र मे किए गए बदलाव इस प्रकार है

1 नई औद्योगिक नीति, जुलाई 1991 मे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची मे से लोहा एव इस्पात उद्योग को हटा लिया गया है।

2 वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर की 25 किलोमीटर की सीमा से बाहर निजी क्षेत्र मे किसी भी क्षमता के लोहा एव इस्पात सयत्र की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

3 लोहा एव इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र मे रखा गया है।

4 51 प्रतिशत की विदेशी पूजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी समझौते के साथ कुछ शर्तो पर इसकी स्वत मजूरी।

5 सार्वजनिक क्षेत्र मे लोहा एव इस्पात उद्योग स्थापित नहीं करने का निर्णय।

भारत में लोहा एवं इस्पात के कारखाने (Units of Iron and Steel Industry)

भारत मे लोह एव इस्पात उद्योग का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र मे हुआ। टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा समूह का है। स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (सेल) भारत सरकार के स्वामित्व में है।

स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) (SAIL) – यह भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर एकीकृत इस्पात सयत्र दुर्गापुर के मिश्र इस्पात सयत्र, सेलम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने सेल का प्रबन्ध 14 जुलाई 1972 को अपने हाथ मे लिया। सेल ने एक अगस्त 1989 को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को अपने अधिकार मे लिया।

समन्वित इस्पात सयत्रो की कच्चा इस्पात क्षमता 10,990 हजार टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। समन्वित इस्पात सयत्रो मे भिलाई तथा बोकारो इस्पात सयत्रो की क्षमता अधिक है। भिलाई इस्पात सयत्र की कच्चा इस्पात क्षमता 4,000 हजार टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 3,153 हजार टन है। बोकारो इस्पात सयत्र की कच्चा इस्पात क्षमता 4,000 टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 3,153 हजार टन है।

समन्वित इस्पात सयत्रो (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को) द्वारा वर्ष 1992–93 में कच्चा इस्पात का उत्पादन 9,827 हजार टन, बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन तथा कच्चा लोहा का उत्पादन 765 हजार

टन किया गया।

इस्पात सयत्रों की क्षमता

(हजार टन)

सयत्र	कच्चा इस्पात क्षमता	बिक्री योग्य इस्पात
भिलाई	4000	3153
दुर्गापुर	1150	938
राउरकेला	1456	1170
बोकारो	4000	3156
इस्को	384	406
कुल (समन्वित इस्पात सयत्र)	10990	8823

स्रोत – *भारत 1994*, पृ 519

स्टील आथरिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (सेल) की अधिकृत पूजी 50 अरब रुपए थी और मार्च 1993 को इसकी प्रदत्त पूजी 39 अरब 85 करोड 89 लाख रुपए थी। 1992–93 के दौरान कुल कारोबार एक खरब एक अरब 75 करोड रुपए का हुआ इसमे इस्को शामिल नहीं है।[2]

स्टील अथारिटी ऑफ इडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1995–96 मे 1,318 61 करोड रुपए का लाभ अर्जित किया गया, जबकि 1994–95 मे 1,163 33 करोड रुपए का और 1993–94 मे 545 33 करोड रुपए का लाभ अर्जित किया गया था। 1995–96 के दौरान सेल द्वारा 3,91,523 टन इस्पात का निर्यात किया गया।[3]

आर्थिक नियोजन मे लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास

(Development of Iron and Steel Industry during Economic Planning)

भारत मे स्वतत्रता के पश्चात् विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास को गति मिली। स्वतत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने लोहा एव इस्पात उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लिया। स्वतत्रता के समय भारत मे लोहा एव इस्पात के तीन कारखाने थे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), इडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इस्को), मैसूर आयरन एण्ड स्टील कपनी (मिस्को)। वर्तमान मे लोहा एव इस्पात के कारखानो की सख्या बढकर 9 हो गई है तथा दो कारखाने निर्माणाधीन है। वर्ष 1950–51 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 14 7 लाख टन था जो बढकर 1994–95 मे 147 लाख टन तक जा पहुचा। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950–51 के 10 4 लाख टन से बढकर 1994–95 मे 178 लाख टन तक जा पहुचा। देश मे लोहा एव इस्पात के विकास मे 'सेल'

ने प्रभावी भूमिका निभाई।

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे लोहा एव इस्पात उद्योग का विकास इस प्रकार रहा

प्रथम पचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) (1951 56) – आजादी के प्रारम्भिक वर्षो मे भारत विभाजन की त्रासदी से ग्रस्त था। गुलामी के दिनो मे कृषि की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसलिए प्रथम पचवर्षीय योजना मे कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योगो के विकास पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया। स्वतत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास पर प्रथम पचवर्षीय योजना मे विचार किया गया। इस योजना मे विदेशी आर्थिक एव तकनीकी सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राऊरकेला (उडीसा) मे सोवियत रूस की सहायता से भिलाई (मध्य प्रदेश) मे तथा ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर (प बगाल) मे इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए समझौते किए गए। योजना म उद्योग के विकास पर 63 करोड रुपए व्यय किया गए। वर्ष 1950–51 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 14 7 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 10 4 लाख टन था। 1955–56 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढकर 19 लाख टन तथा तैयार इस्पात उत्पादन बढकर 13 लाख टन हो गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) (1956 61) – इस योजना मे औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम योजना मे जिन तीन कारखानो की स्थापना के लिए समझौते किए गए थे उनका निर्माण इस योजना की अवधि मे किया गया। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानो–'टिस्को और इस्को की उत्पादन क्षमता क्रमश 20 लाख टन और 10 लाख टन तक बढाने का काम हाथ मे लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनो कारखानो मे उत्पादन 1956 और 1959 के बीच आरम्भ हुआ। निजी क्षेत्र के कारखानो का विस्तार 1959 मे पूरा हुआ।

योजना मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास के लिए 431 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया। वर्ष 1960–61 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढकर 34 8 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन बढकर 23 9 लाख टन हो गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) (1961 1966) – इस योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के तीनो इस्पात कारखानो के विस्तार पर जोर दिया गया। लोहा और इस्पात उद्योग के विकास पर 525 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। सलेम (तमिलनाडु) विजयनगर (कर्नाटक) और विशाखापट्टनम (आन्ध्रप्रदेश) मे नए इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता बढाने का प्रयास किया गया।

तीसरी योजना मे भारतीय अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त थी। 1962 मे चीनी आक्रमण तथा 1965 मे पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग मे निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। 1965–66 मे इस्पात पिण्ड

का उत्पादन 65 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 45 लाख टन था।

तीसरी पचवर्षीय योजना के बाद वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण चौथी पचवर्षीय योजना नियत समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। एक-एक वर्ष की तीन वार्षिक योजनाए प्रारम्भ की गई। तीन वार्षिक योजनाओ मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास के लिए और विस्तार कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूजी विनियोजन की व्यवस्था की गई।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) (1969-1974) — समन्वित इस्पात सयत्र के विकास को सभव बनाने के लिए 14 जुलाई 1972 को स्टील ऑथरिटी ऑफ इडिया लि (सेल) का गठन चौथी योजना की मुख्य उपलब्धि है। इस योजना में इडियन आयरन एण्ड स्टील कपनी (इस्को) का प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने हाथो मे लिया। योजना मे लोहा एव इस्पात के विकास के लिए 1,034 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। वर्ष 1973–74 मे इस्पात का उत्पादन 63 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 49 लाख टन था।

पाचवी पचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) (1974 1979) — लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 2,237 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। 1977–78 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 101 लाख टन था। तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 88 लाख टन निर्धारित किया गया जबकि उत्पादन 70 लाख टन हुआ।

छठी पचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) (1980-1985) — लोहा एव इस्पत उद्योग के विकास पर 3,757 करोड रुपये व्यय का प्रावधान था। योजना म इस्पात पिण्ड का 144 लाख टन तथा तैयार इस्पात का 115 1 लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1984–85 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 108 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 88 लाख टन था।

सातवीं पचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) (1985 1990) — लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 6,220 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 153 8 लाख टन तथा तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 126 4 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवीं योजना के अत मे अर्थात 1989–90 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 137 2 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 130 लाख टन था।

सातवीं योजना के बाद दो वार्षिक योजनाओं में अर्थात 1990–91 मे तैयार इस्पात का उत्पादन 135 3 लाख टन तथा 1991–92 मे इस्पात पिण्ड का उत्पादन 126 6 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 143 3 लाख टन था।

आठवीं पचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan) (1992-1997) — आठवीं योजना मे इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 210 लाख टन तथा तैयार

इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 241 लाख टन निर्धारित किया गया। आठवीं योजना इस्पात पिण्ड का उत्पादन 1992–93 मे 132 5 लाख टन 1993–94 म 139 लाख टन 1994–95 मे 159 लाख टन 1995–96 मे 224 लाख टन तथा 1996–97 मे 238 लाख टन था। इसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन 1992–93 मे 152 लाख टन 1993–94 में 151 लाख टन 1994–95 में 178 लाख टन 1995–96 मे 217 लाख टन तथा 1996–97 मे 227 लाख टन था।

भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग की समस्याए तथा समाधान हेतु सुझाव
(Problem of Iron and Steel Industry & Suggestions for Solution)

लोहा एव इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। भारत मे लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास की व्यापक सभाव्यता के बावजूद इसका अपेक्षित गति से विकास नहीं हो सका है। इस्पात उद्योग के विकास म अनेक समस्याए हैं। इन पर निदान पाकर विकास को गति दी जा सकती है। लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याए तथा समाधान हेतु सुझाव इस प्रकार हैं

1 कोकिग कोयले का अभाव (Lack of Cocking Coal) – लोहा एव इस्पात उद्योग मे अच्छी किस्म के कोकिग कोयले की आवश्यकता होती है। भारत मे अच्छी किस्म के कोकिग कोयले का अभाव है। आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। इसके अलावा कोयले की धुलाई करके इस्पात निर्माण में काम मे लिया जाता है। समस्या से निपटने के लिए कोकिग कोयले का उत्पादन बढाया जाना चाहिए तथा कोकिग कोयले के नवीन क्षेत्रो की खोज पर जोर देना चाहिए। कोयले धोने की क्षमता को बढाया जाना चाहिए।

2 यातायात सबधी बाधाए (Problems of Transportation) – लोहा एव इस्पात उद्योग मे प्रयुक्त कच्चा माल यथा खनिज लोहा कोयला चूना मैंगनीज अति भार वाले पदार्थ हैं। देश मे यातायात सुविधाओ के अभाव के कारण समय और धन व्यय होता है तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी अधिक बैठती है। देश म रेल व जल यातायात का विकास किया जाना चाहिए। लोहा एव इस्पात उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहा विभिन्न पदार्थों के परिवहन की लागत कम हो।

3 श्रम समस्याए (Problems of Labour) – लोहा एव इस्पात उद्योग में श्रमिक बडी सख्या म नियोजित होते हैं। बडे कारखाने मे लगभग 50 हजार श्रमिक काम पर लगे होते हैं। श्रमिको एव पूजीपतियो के बीच स्व–हित को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नतीजतन दिन–ब–दिन हडताल और तालेबदी की समस्या मुहबाए खडी रहती हैं। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस समस्या के समाधान के लिए श्रमिको की प्रबन्ध म भागीदारी की दिशा मे व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए।

4 उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या (Problem of Utilisation of Production Capacity) – लोहा एव इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता का पूरा

लाकर कपडे की लागत मे कमी करनी चाहिए।

10 श्रमिकों की नीची उत्पादकता (Low Productivity of Labours) – देश मे प्रशिक्षित कर्मचारियो का अभाव है। शोध एव अनुसधान के क्षेत्र मे विश्व के अन्य देशों की तुलना मे कम खर्च किया जाता है। सूती वस्त्र मे श्रमिकों की उत्पादकता अमरीका जैसे विकसित देशों की तुलना मे बहुत कम है। प्रशिक्षित श्रमिको की नियुक्ति तथा स्वचालित मशीनो के प्रयोग द्वारा श्रमिको की उत्पादकता मे वृद्धि की जा सकती है।

11 केन्द्रीयकरण की समस्या (Problem of Centralisation) – भारत मे सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश मे केन्द्रित है। सूती वस्त्र उद्योग के अत्यधिक केन्द्रीयकरण से एक ओर अन्य राज्य सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मे पिछडे हुए है। वहीं सूती वस्त्र के केन्द्रीयकरण वाले राज्य गन्दी बस्तियो, प्रदूषण, आवास समस्या, अपराध आदि समस्याओ से ग्रसित है। इन समस्याओ के समाधान के लिए सूती वस्त्र उद्योग के विकेन्द्रीयकरण पर जोर देना चाहिए।

सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य
(Future Prospects of Textile Industry)

भारत मे सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। वस्त्र मानव की आधारभूत आवश्यकता है। अभी भारत मे प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग काफी कम है। आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ–साथ लोगो के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। गरीबी की रेखा से भी लोग ऊपर उठ रहे है। ऐसी स्थिति मे भविष्य मे वस्त्रो की माग के बढने की सभावना है।

भारत की निर्यातित आय का बडा भाग वस्त्रो के निर्यात से प्राप्त होता है। सरकार वस्त्रो के निर्यात को बढाने के लिए प्रयासरत है। देश मे लम्बी रेशे की कपास के उत्पादन के बढने से उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव भी नही रहा है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण, स्वचालित करघा का प्रयोग तथा विकास और अनुसधान पर जोर दिया जा रहा है।

जूट उद्योग
(Jute Industry)

जूट उद्योग भारत के सगठित उद्योगो मे एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। विश्व मे सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत मे होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मे जूट उद्योग का निर्यातित आय, रोजगार तथा औद्योगिक उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। पैंकिग मे प्रयोग की जाने वाली वस्तुए जैसे बोरिया, टाट, सुतली, रस्सी आदि जूट से बनाई जाती हैं। जूट को ऊन व कपास क साथ मिलाकर गद्दिया, कारपेट, पर्दे आदि कलात्मक वस्तुए भी बनाई जाती है। विश्व के सर्वाधिक जूट करघे भारत में हैं। भारत के बाद बाग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास का स्थान आता है।

स्वतत्रता से पूर्व जूट उत्पादन पर भारत का एकाधिकार था किन्तु स्वातन्त्र्योत्तर *विभाजन के कारण जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए।* वर्तमान मे भारतीय जूट उद्योग को बग्लादेश के जूट उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। विकसित राष्ट्रो मे जूट का विकल्प खोज लिए जाने के कारण भारत से जूट के निर्यात पर *विपरीत प्रभाव पडा है।* प्लास्टिक उद्योग से प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए जूट निर्मित वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि की गई है। आज जूट से कालीन दरिया वाटरप्रूफ कवर सोफा आदि का निर्माण होता है।

भारत मे जूट उद्योग का आधुनिक ढग का कारखाना 1855 मे स्काटलैण्ड के व्यवसायी जार्ज आकलैण्ड ने पश्चिमी बगाल मे रिशरा स्थान पर स्थापित किया। 1865 तक जूट के चार और कारखाने पश्चिम बगाल मे स्थापित किए गए। वर्ष 1959 मे जूट उद्योग मे शक्ति सचालित कारखाने की स्थापना हुई। वर्ष 1939–40 मे जूट का उत्पादन 12 8 लाख टन था। वर्ष 1946–47 मे जूट मिलो की सख्या 106 करघो की सख्या 66 हजार तथा तकुओ की सख्या 1 295 हजार थी।

योजना काल मे जूट उद्योग का विकास

(Development of Jute Industry during Plan Period)

प्रथम योजना (1951 56) – इस योजना मे जूट उद्योग विभाजन की त्रासदी से ग्रस्त था। भारत के विभाजन के कारण जूट उद्योग के अधिकाश कारखाने भारत के हिस्से मे आए और जूट उद्योग के कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए। इससे भारतीय जूट उद्योग के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। पहली योजना मे अधिक कारखाने नहीं खोले गए। कच्चे माल की समस्या के निराकरण के लिए कच्चे जूट के उत्पादन मे वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1951–52 मे कच्चे जूट का उत्पादन 34 लाख गाठे थी जो बढकर 1955–56 मे 43 लाख गाठे हो गई। जूट निर्मित माल का उत्पादन 1951–52 मे 8 4 लाख टन से बढकर 1955–56 मे 10 7 लाख टन हो गया। प्रथम योजना मे जूट निर्मित माल का निर्यात 6 5 लाख टन था। प्रथम योजना के प्रारम्भ मे भारत मे 116 जूट मिले थीं जिनकी क्षमता 12 लाख टन थी।

द्वितीय योजना (1956 61) – *योजना मे कच्चे जूट के उत्पादन मे* आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नये कारखाने खोलने के स्थान पर कच्चे जूट का उत्पादन बढाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। योजना मे जूट की 65 लाख गाठों के उत्पादन *का लक्ष्य निर्धारित किया गया।* वर्ष *1960–61* मे कच्चे जूट का उत्पादन 43 लाख गाठे जूट निर्मित माल 11 लाख टन था तथा जूट निर्मित माल का निर्यात 7 6 लाख टन था जो पहली योजना के जूट निर्यात से 90 हजार टन कम था।

तृतीय योजना (1961-66) – योजना मे कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 75 लाख गाठे निर्धारित किया गया। योजना के अन्त मे निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं

किया जा सका। वर्ष 1965–66 मे कच्चे जूट का उत्पादन 58 लाख गाठे ही हुआ। वर्ष 1965–66 मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन 13 लाख टन था जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप था। वर्ष 1966 मे रुपए के अवमूल्यन के बावजूद भारत से जूट निर्यात में अपेक्षित बढोतरी नहीं हो सकी। 1965–66 मे जूट निर्मित माल का निर्यात 9 3 लाख टन था।

वार्षिक योजनाए (1966-69) – वार्षिक योजनाओ मे वित्तीय ससाधनों के अभाव मे जूट उद्योग का तेजी से विकास नहीं हो सका। वार्षिक योजनाओ मे जूट उद्योग के सामने प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का अभाव, अकाल आदि समस्याए थीं। नतीजतन 1968–69 मे कच्चे जूट का उत्पादन महज 30 5 लाख गाठे, निर्मित्त माल का उत्पादन 11 लाख टन था। वार्षिक योजनाओ मे जूट के निर्यात मे भारी कमी आई।

चतुर्थ योजना (1969-74) – इस योजना मे ईंधन सकट तथा हडताल का जूट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पडा। जूट निर्मित्त माल के उत्पादन के लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। जूट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 1971 मे भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1973–74 मे कच्चे जूट का उत्पादन 56 लाख गाठे तथा जूट निर्मित्त माल का उत्पादन 10 74 लाख टन था। योजना काल मे जूट के निर्यात मे वृद्धि के लिए सरकार ने निर्यात कर (Export Duties) मे कमी की घोषणा की। सरकारी प्रयासो के बावजूद निर्यात मे वृद्धि नहीं हो सकी। वर्ष 1973–74 जूट निमित्त माल का निर्यात केवल 5 6 लाख टन था।

पाचवी योजना (1974-79) – योजना मे जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया। कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 77 लाख गाठे निर्धारित किया जबकि उत्पादन 70 लाख गाठे हुआ। वर्ष 1977–78 मे जूट निर्मित माल का उत्पादन 12 5 लाख टन था। जूट निर्मित का निर्यात 5 2 लाख टन था।

छठी योजना (1980-85) – योजना मे कच्चे जूट तथा जूट निर्मित्त माल के उत्पादन के ऊचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। जूट निर्मित्त माल के उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन निर्धारित किया, किन्तु 1984–85 मे जूट निर्मित माल का उत्पादन 13 7 लाख टन था। कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 91 लाख गाठे रखा गया जबकि उत्पादन 75 लाख गाठे ही सभव हो सका।

सातवीं योजना (1985-90) – योजना मे कच्चे जूट का उत्पादन 95 लाख गाठो तथा जूट निमित्त वस्तुओं का उत्पादन 16 25 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1989–90 मे कच्चे जूट का उत्पादन 83 लाख गाठे तथा जूट निर्मित माल का उत्पादन केवल 13 लाख टन था। योजनावधि मे राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम ने 5 मिलो के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण किया।

आठवीं योजना (1992-97) – आठवी योजना मे कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 95 लाख गाठ तथा जूट निर्मित्त माल के उत्पादन का लक्ष्य 13 5 लाख टन

निर्धारित किया गया है। भारत मे जूट निर्मित माल का उत्पादन वर्ष 1992–93 में 13 10 लाख टन तथा 1996–97 मे 14 01 लाख टन था।

भारत मे जूट निर्मित माल का उत्पादन वर्ष 1950–51 मे 8 37 लाख टन था जो बढकर 1994–95 में 13 74 लाख टन हो गया। चवालीस वर्षो की समयावधि म जूट निर्मित माल के उत्पादन में लगभग डेढ गुना वृद्धि हुई है। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 1950–51 में 34 लाख गाठे था जो बढकर 1994–95 मे 95 लाख गाठे हो गया। इस समयावधि मे कच्चे जूट के उत्पादन मे लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। जूट निर्मित माल का उत्पादन 1998-99 में 15 87 लाख टन (प्राविजनल) था।

भारत में जूट के माल का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1950-51	8 37
1960-61	10 71
1970-71	10 60
1980-81	13 92
1990-91	14 30
1991-92	13 78
1992-93	13 10
1993 94	14 48
1994-95	13 74
1995-96	14 33
1996-97	14 01
1997-98	16 78
1998-99	15 87

Source 1 Surveyof Indian Industry, 1996 p 459
2 Indian Economic Survey 1998-99, 1999 2000

जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति
(Present Position of Jute Industry)

1 मिलों की सख्या (Number of Mills) – वर्तमान में भारत में 73 जूट मिले है जिनम 6 कपडा मत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – राष्ट्रीय पटसन उत्पाद निगम की हैं। कपडा मत्रालय के अधीन एक वैधानिक सस्था पटसन उत्पादन विकास परिषद् जूट क्षेत्र में विकास और निर्यात सवर्द्धन सबधी विभिन्न गतिविधियो के लिए वित्तीय और विपणन तथा टैक्नालाजी सबधी सहायता प्रदान करती है। जूट उद्योग की सर्वाधिक मिलें पश्चिमी बगाल में हैं। भारत की कुल 73 जूट मिलो मे से 58 मिल अकले पश्चिमी बगाल मे हैं। इसके बाद

आन्ध्र प्रदेश में 5, बिहार मे 4, उत्तर प्रदेश में 3 तथा मध्यप्रदेश, आसाम एव उडीसा मे एक-एक है।

2 रोजगार (Employment) – जूट उद्योग मे लगभग 2.5 लाख मजदूरो को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जूट उद्योग से 40 लाख पटसन किसानो की रोजी-रोटी भी चलती है। उद्योग मे लगभग 300 करोड रुपए की पूजी लगी हुई है।

3 उत्पादन (Production) – भारत मे जूट उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 15 8 लाख टन प्रतिवर्ष होना आका गया है। वर्ष 1997–98 मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन 16 78 लाख टन था। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 1994–95 मे 95 लाख गाठें था।

4 निर्यात (Export) – भारत से जूट निर्मित माल का निर्यात वर्ष 1960–61 में 135 करोड रुपए था जो बढकर 1994–95 मे 473 करोड रुपए तथा 1996–97 मे और बढकर 552 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1997–98 में जूट का निर्यात और बढकर 634 करोड रुपए हो गया।

जूट निर्मित माल का निर्यात

(करोड रूपए)

वर्ष	जूट निर्मित माल का निर्यात
1960-61	135
1970 71	190
1980-81	330
1990 91	298
1991-92	391
1992-93	355
1993-94	389
1994 95	473
1995-96	621
1996 97	552
1997-98	634
1998-99	595

Source *Economic Survey* 1998-99

जूट उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation)

भारत मे जूट उद्योग के अधिकाश कारखाने पश्चिमी बगालप मे स्थापित है। पश्चिम बगाल मे जूट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण हुगली नदी के द्वारा पदान की गई अनुकूल स्थिति है। पश्चिम बगाल कच्चे जूट का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादत करता है। हुगली नदी जूट उद्योग को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

8 **उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या** (Problem of Utilisation of Production Capacity) – जूट मिलो में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। पूर्ण क्षमता के उपयोग मे कच्चे माल की कमी ऊर्जा का अभाव माग मे कमी हडताल आदि मुख्य बाधाए है। भारत मे जूट उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 15.8 लाख टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 1994–95 मे जूट निर्मित्त माल का उत्पादन 13.60 लाख टन था जो जूट उद्योग की स्थापित क्षमता का 86 प्रतिशत था।

चीनी उद्योग
(Sugar Industry)

चीनी उद्योग भारत का महत्त्वपूर्ण उपभोग उद्योग है। चीनी उद्योग में लाखो की सख्या मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है तथा सरकार को भी करो से काफी आय प्राप्त होती है। चीनी उद्योग के विकास पर बडी सीमा तक भारतीय किसानो की समृद्धि भी निर्भर करती है। गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसल है और इसे कच्चे माल के रूप मे चीनी उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत म विगत वर्षो म अच्छे मानसून के कारण चीनी के उत्पादन मे रिकार्ड वृद्धि हुई है। भारत विश्व मे प्रमुख चीनी उत्पादक राष्ट्र के रूप मे उभरा है किन्तु चीनी की आतरिक खपत अधिक होने के कारण भारत चीनी निर्यातक देशो मे विशिष्ट स्थान नहीं बना सका। बदलते परिवेश मे चीनी उद्योग को आर्थिक उदारीकरण के दायरे मे लिए जाने के प्रयास जारी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर 1996 तक चीनी उद्योग को लाइसस से मुक्त नहीं किए जाने के कारण चीनी मिलो की सख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। किसान कम दामों पर गन्ना बेचने को मजबूर है। उपभोक्ता पर चीनी की बढती कीमतों की अधिक भार है। सक्रिय चीनी लॉबी के प्रभाव का कम करने के लिए उद्योग को लाइसेस से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे चीनी उद्योग का बेहतर गति से विकास होगा और भारत चीनी के निर्यात मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व चीनी उद्योग का विकास
(Development of Sugar Industry prior Independence)

भारत अतीत से चीनी उत्पादक राष्ट्र रहा हैं। चीनी के आधुनिक कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम 1903 मे बिहार में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। किन्तु भारतीय चीनी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिक नहीं सका। 1930 की विश्वव्यापी मदी का चीनी उद्योग का विपरीत प्रभाव पडा। वर्ष 1931–32 म चीनी मिलो की सख्या 32 थी और चीनी का उत्पादन केवल 1.60 लाख टन था। चीनी उद्योग की बिगडी दशा को सुधारने के लिए 1933 में चीनी उद्योग को सरक्षण प्रदान किया गया। नतीजतन चीनी उद्योग को गति मिली। वर्ष 1938–39 मे चीनी मिलो की सख्या बढकर 132 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 6.42 लाख टन था। द्वितीय विश्वयुद्ध (1939) के समय चीनी की माग मे

अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण चीनी उद्योग की आर्थिक दशा सुधरी। चीनी मिलो की सख्या 1945–46 मे 138 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 8 23 लाख टन था।

चीनी की माग अधिक बढ जाने के कारण सरकार ने 1942 मे चीनी पर मूल्य नियत्रण तथा राशनिग व्यवस्था लागू थी। सन् 1947 मे चीनी पर नियत्रण समाप्त किया किन्तु मूल्यों में अधिक बढोतरी के कारण सन 1948 मे नियत्रण पुन लागू किया गया। देश के विभाजन का चीनी उद्योग पर जूट उद्योग की भाति विपरीत प्रभाव नहीं पडा। अधिकाश चीनी मिले और गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत मे ही रहे। किन्तु चीनी की माग, उत्पादन की तुलना में अधिक होने के कारण देश मे चीन की समस्या सदैव बनी रही साथ ही चीनी पर सरकारी नियत्रण बना हुआ है।

पचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग का विकास
(Development of Sugar Industry During Plan Period)

प्रथम योजना – प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे चीनी मिलो की सख्या 138 थी। इन मिला की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन थी। 1950–51 मे चीनी का उत्पादन 11 18 लाख टन था। योजनावधि मे चीनी उद्योग के विकास पर 15 करोड रुपए व्यय किए गए, नतीजतन चीनी मिलो की सख्या बढकर 1955–56 मे 143 हो गई तथा चीनी का उत्पादन बढकर 18 62 लाख टन हो गया। चीनी उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन निर्धारित किया गया था जिसे बाद मे बढाकर 18 लाख टन कर दिया गया। योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया किन्तु चीनी की माग, उत्पादन से अधिक रही जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी।

द्वितीय योजना – इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 56 करोड रुपए व्यय किए गए। चीनी मिलो की सख्या 1960–61 मे 175 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 30 28 लाख टन था। इस योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य 22 5 लाख टन निर्धारित किया गया। योजना मे 29 सहकारी चीनी मिलो को लाइसेस दिया गया। माग की तुलना मे चीनी का अधिक उत्पादन हुआ।

तृतीय योजना – योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य 35 लाख टन निर्धारित किया गया। सहकारी क्षेत्र मे 25 नई चीनी मिलो की स्थापना की गई। 1965–66 मे चीनी मिलो की सख्या 200 थी तथा चीनी का उत्पादन 35 लाख टन था। योजना मे चीनी उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस योजना मे चीनी के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत ने 1972 के 'क्यूबा सकट' के बाद चीनी के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रवेश किया।

वार्षिक योजनाए (1966-69) – वर्ष 1968–69 मे चीनी मिला की सख्या 215 थी तथा उत्पादन 35 6 लाख टन था। वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 मे अकाल के कारण चीनी का उत्पादन घटा। सरकार ने 40 प्रतिशत चीनी खुले बाजार मे बेचने की छूट दी तथा 60 प्रतिशत चीनी नियत्रित दर पर बेचने की

व्यवस्था की गई।

चतुर्थ योजना – योजना मे चीनी उत्पादन का लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया गया। योजना के अत मे चीनी मिलो की सख्या 229 की। वर्ष 1973–74 मे चीनी का उत्पादन 39 लाख टन था जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था। योजना काल मे चीनी उद्योग सकटग्रस्त रहा। उद्योगो की प्रगति सतोषजनक नहीं थी। चीनी उत्पादन म भारी उतार–चढाव रहा।

पाचवीं योजना – योजना मे चीनी उत्पादन का सशाधित लक्ष्य 54 लाख टन निर्धारित किया गया। पाचवी योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। 1977–78 मे चीनी मिलो की सख्या 228 थी तथा चीनी का उत्पादन 64 62 लाख टन था। चीनी सहकारी मिलों की सख्या 132 थी।

पाचवी योजना के बाद की वार्षिक याजना 1979–80 मे चीनी का उत्पादन 39 लाख टन था। वार्षिक योजना मे चीनी की कीमत म अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

छठी योजना – योजना मे चीनी की बढती माग को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन लक्ष्य 76 लाख टन निर्धारित किया गया। उद्योग की उत्पादन क्षमता 80 लाख टन थी। 1984–85 मे चीनी का उत्पादन 62 लाख टन था। याजना के अत तक चीनी मिलो की सख्या बढकर 359 हा गई। याजना के वित्तीय वष 1981–82 मे चीनी का उत्पादन 84 लाख टन था।

सातवीं योजना – योजना मे चीनी की उत्पादन क्षम्ता 107 लाख टन तथा चीनी उत्पादन का लक्ष्य 102 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवीं योजना मे चीनी मिलो की सख्या 396 थी। 1989–90 म चीनी की उत्पादन क्षमता 120 लाख टन तथा चीनी का उत्पादन 107 लाख टन था। इस प्रकार योजना के चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता और चीनी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

सातवीं योजना के बाद की दो वार्षिक योजनाआ मे भी चीनी उद्याग की प्रगति हुई। 1990–91 में चीनी का उत्पादन 120 47 लाख टन तथा 1991–92 म 134 11 लाख टन था।

आठवीं योजना – योजना में चीनी उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 135 लाख टन निर्धारित किया गया। चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता 143 लाख टन वार्षिक निर्धारित की गई है। 1994–95 में चीनी मिलों की सख्या 430 लाख टन थी। 1996–97 तक चीनी मिलों की सख्या (लक्ष्य) 450 थी। वर्ष 1996–97 में चीनी का उत्पादन 153 लाख टन था।

चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति
(Present Position of Sugar Industry)

1 चीनी मिलों की सख्या (Number of Sugar Mills) – भारत में चीनी मिलों की सख्या 1950–51 मे 138 थी। वर्ष 1994–95 में चीनी मिलो की सख्या

430 थी। आठवीं पचवर्षीय योजना मे चीनी मिलो की सख्या का लक्ष्य 450 था। अधिकाश चीनी मिले सहकारी क्षेत्र मे हैं। राजस्थान मे चीनी मिलो की सख्या महज 3 है। इनमे से एक सहकारी क्षेत्र मे है। भारत की अधिकाश चीनी मिले उत्तरप्रदेश तथा बिहार राज्य मे है। इन दो राज्यो के अलावा चीनी की मिले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यो मे है।

2 **चीनी का उत्पादन** (**Production of Sugar**) – योजनाबद्ध विकास से चीनी के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। भारत मे चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन से सबद्ध है। गन्ने के उत्पादन मे घटत–बढत का चीनी उत्पादन का प्रभाव पडता है।

भारत मे चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन पर निर्भर है। 1990–91 मे गन्ने का उत्पादन 2,410 लाख टन तथा चीनी का उत्पादन 120 50 लाख टन था। 1991–92 मे गन्ने का उत्पादन बढकर 2,540 लाख टन हो गया तो चीनी का उत्पादन भी बढकर 134 04 लाख टन हो गया। वर्ष 1993–94 मे गन्ने के उत्पादन म भारी कमी हुई इसका चीनी उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पडा, चीनी का उत्पादन घटकर 98 33 लाख टन ही रह गया। 1994–95 मे गन्ने का उत्पादन बढकर 2,712 लाख टन हो गया। गन्ने के उत्पादन मे यह उल्लेखनीय वृद्धि थी। इस वर्ष चीनी का उत्पादन भी तेजी से बढकर 126 10 लाख टन तक जा पहुचा।

भारत में गन्ने और चीनी का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	गन्ने का उत्पादन	चीनी का उत्पादन
1990-91	2410	120 50
1991-92	2540	134 04
1992-93	2280	106 09
1993-94	2271	98 33
1994-95	2712	126 10
1995-96	2811	147 81
1996-97	2776	153 03
1997-98	2795	131 60
1998-99	2957	155 20
1999-2000 (प्रा)	3151	165 00

Source 1 *The Times of India*, Nov 25, 1996
2 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1996, p 400
3 *Indian Economic Survey* 1998-99, p 117, S-36 and 1999-2000, S-36, pp 134

नब्बे के दशक म चीनी के उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व के दशको मे चीनी का उत्पादन कम था। चीनी का उत्पादन 1950–51 मे 11 34 लाख टन, 1960–61 मे 30 29 लाख टन, 1970–71 मे 37 40 लाख टन, 1980–81 मे 51 48 लाख टन था। 1990–91 मे चीनी का उत्पादन बढकर 120 47 लाख टन था। अक्टूबर–जून 1995–96 मे चीनी का उत्पादन अप्रत्याशित बढकर 160 68 लाख टन तक जा पहुचा था। वर्ष 1997–98 मे चीनी का उत्पादन 131 60 लाख टन था। चीनी उत्पादन मे वृद्धि के लिए लगातार अच्छा मानसून, अनुकूल नैसर्गिक स्थितिया व प्रशासनिक कारण सहायक रहे हैं। किसानो को अच्छे मानसून का लाभ मिला है तो सरकार ने भी गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य मे वृद्धि की है।[7] चीनी मिलो द्वारा किसानो से गन्ने खरीदने के भाव 1991–92 मे 26 रुपये प्रति टन था जो बढकर 1992–93 मे 31 00 रुपए, 1993–94 मे 34 5 रुपए तथा 1994–95 मे 39 1 रुपए प्रति टन हो गया।[8]

3 **चीनी का विदेशी व्यापार** (Foreign Trade of Sugar) – चीनी के उत्पादन के आतरिक उपभोग की तुलना मे बढ जाने से भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चीनी का मात्रा मे वृद्धि हुई है। चीनी का निर्यात 1986–87 मे मात्र 20 हजार टन था जो बढकर 1990–91 मे 2 23 लाख टन व 1991–92 मे 5 62 लाख टन हो गया। बाद के वर्षा मे चीनी का निर्यात घटा है। चीनी का निर्यात 1992–93 मे 4 11 लाख टन था जो तेजी से घटकर 1993–94 मे केवल 10 हजार टन रह गया। वर्ष 1995–96 मे चीनी का निर्यात 7 34 लाख टन उल्लेखनीय रहा। ध्यातव्य है कि पूर्व के वर्षों मे भारत बडी मात्रा मे चीनी का आयात करता था। वर्ष 1986–87 मे 9 53 लाख टन तथा 1989–90 मे 2 42 लाख टन चीनी का आयात किया गया। 1993–94 मे 20 लाख टन तथा 1994–95 मे 2 लाख टन चीनी का आयात किया गया। वर्तमान मे भारत चीनी उत्पादन मे आत्मनिर्भर है।

4 **सहकारी क्षेत्र की भूमिका** (Role of Co-operative Sector) – भारत मे चीनी उत्पादन के क्षेत्र मे सहकारी क्षेत्र की भूमिका मे वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1950–51 मे चीनी मिलो की कुल सख्या 138 मे से सहकारी मिलो की सख्या केवल 2 थी। सहकारी मिलो की सख्या 1960–61 मे बढकर 38 तथा 1989–90 मे और बढकर 215 हो गई। वर्ष 1995–96 मे भारत मे कुल 430 चीनी मिलें थीं उनमे से 265 मिले सहकारी क्षेत्र की थीं।

चीनी उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation of Sugar Industry) – भारत के अधिकाश चीनी कारखाने उत्तरप्रदश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यो में केन्द्रित है। इन राज्यो मे चीनी कारखानो की स्थापना में कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति के साधन, सस्ता श्रम, विस्तृत बाजार, परिवहन के साधन, उपजाऊ भूमि एव विकसित व्यापारिक मडिया आदि मुख्य कारण है। गन्ना

अत्यधिक भार खोने वाला पदार्थ है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रो मे ही चीनी कारखानो की स्थापना हुई। उद्योग से सबधित अन्य आवश्यक सुविधाए गन्ना उत्पादक क्षेत्रा मे आकर्षित होती है।

चीनी कारखानो की सख्या की दृष्टि से उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्तरप्रदेश मे 93 तथा महाराष्ट्र 78 चीनी की मिले है इनके अलावा बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान मे भी चीनी मिले है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र मे होता है। महाराष्ट्र मे देश के चीनी के कुल उत्पादन का 34 प्रतिशत होता है इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहा देश के कुल चीनी उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक का भी चीनी उत्पादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान मे चीनी उद्योग का विकास तुलनात्मक रुप से दक्षिणी भारत में अधिक हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे महाराष्ट्र, गुजरात, विदेशी निवेशको को आकर्षित करने मे अधिक सफल हुए है। यहा औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण है। इसके अलावा इन राज्यो मे गन्ने की उन्नत किस्म है जिसमें शक्कर का प्रतिशत अधिक है। यहा चीनी बनाने की औसत अवधि 150–180 दिन है। सहकारी चीनी मिले चीनी उत्पादन के साथ गन्ने के उत्पादन मे भी सलग्न है। आधारभूत सरचना की दृष्टि से भी ये राज्य विकसित हैं। इन राज्यो को निकटतम बन्दरगाह का लाभ प्राप्त है।

चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं तथा समाधान के सुझाव
(Main Problems of Sugar Industry and Suggestions for Solution)

1 घाटे की समस्या (Problem of Loss) – देश मे जहा एक ओर चीनी के उत्पादन मे वृद्धि हुई है वही दूसरी ओर चीनी उद्योग को घाटा उठाना पड रहा है। चीनी उद्योग को 1990–91 मे 600 करोड रुपए तथा 1991–92 मे 700 करोड रुपए की हानि उठानी पडी। चीनी मिलो द्वारा गन्ने की ऊची कीमत चुकाए जाने के कारण उत्पादन लागत मे वृद्धि हुई है। मिलो द्वारा किसानो के गन्ना खरीदने के भाव 1991–92 मे 26 रुपए थे जो 1992–93 मे 31 रुपए, 1993–94 मे 34.5 रुपए तथा 1994–95 मे 39 रुपए निर्धारित किये गए। वर्ष 1994-95 मे गत वर्ष की तुलना मे 13 प्रतिशत वृद्धि की गई। देश मे चीनी की माग व पूर्ति के अतराल है, इस कारण चीनी के मूल्यो उच्चावचन की प्रवृत्ति रहती है। वर्ष 1995-96 मे चीनी के उत्पादन मे हुई वृद्धि को देखकर यदि यकायक चीनी की आपूर्ति बढा दी जाती तो चीनी की कीमते काफी गिर सकती थी जिसका भय चीनी उद्योग को होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का तात्कालिक समाधान है, चीनी की उत्पादन लागत कम कर निर्यात में वृद्धि करना। देश में चीनी की बढती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए आपूर्ति मे वृद्धि कर कीमतो को कुछ कम किया जाना चाहिए।

2 **गन्ने की खराब किस्म** (Low Quality of Sugarcane) — भारत गन्ने का बडा उत्पादक देश है। किन्तु उत्पादित गन्ने की किस्म घटिया है। गन्ने मे चीनी की मात्रा कम होती है। गन्ने म चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी की उत्पादन लागत अधिक बैठती है। उत्तरी भारत मे उत्पादित गन्ने मे चीनी की मात्रा काफी कम है। दक्षिणी भारत म उत्पादित गन्ने मे अवश्य चीनी की मात्रा अधिक है। सारत भारत के गन्न मे चीनी की मात्रा अन्य देशो की तुलना म कम है। उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग करके गन्ने मे चीनी का मात्रा को बढाया जा सकता है।

3 **अनार्थिक इकाइया** (Uneconomic Units) — योजनाबद्ध विकास मे चीनी मिलो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। किन्तु अनेक इकाइया अनार्थिक है। चीनी उद्योग मे छोटे पैमाने की इकाइया अधिक होने के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है तथा पैमाने की बचते भी कम प्राप्त होती है। चीनी मिलो की न केवल उत्पादन क्षमता कम है अपितु मिलो मे चीनी का उत्पादन भी काफी कम है। इस कारण चीनी उद्योग अनार्थिक इकाईयो की समस्या से ग्रसित है। अनार्थिक इकाइयो की समस्या से निपटने के लिए चीनी मिलो की गन्ना पेरने की क्षमता मे वृद्धि की जानी चाहिए तथा अनार्थिक इकाइयो का आर्थिक इकाइयो के साथ विलीनीकरण किया जा सकता है।

4 **गुड एव खाडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा** (Competition with Gud Industry) — भारत मे गाव–गाव मे गुड एव खाडसारी उद्योग की छोटी–छोटी इकाइया है। गुड एव खाडसारी उद्योग मे गन्ने का प्रयोग किए जाने से चीनी मिलो के लिए गन्ने का सकट उत्पन्न हो जाता है। गुड एव खाडसारी की माग बढने से चीनी की खपत घटती है। गुड खाडसारी और चीनी उद्योग मे परस्पर सामजस्य और समन्वय अपनाकर प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है।

5 **कच्चे माल की समस्या** (Problem of Raw Material) — गन्ना चीनी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। देश मे गन्ने का प्रति हैक्टेयर उत्पादन काफी कम है। भारत मे गन्ने का 60 टन प्रति हैक्टेयर उत्पादन अन्य गन्ना उत्पादक राष्ट्रो की तुलना मे कम है। भारत मे गन्ना उत्पादन मे भारी उच्चावचन है। गन्ने का उत्पादन कम हो जाने से चीनी मिलो के सामने कच्चे माल की समस्या मुखर हो जाती है। गौरतलब है वर्ष 1993–94 मे गन्ने का उत्पादन 2 271 लाख टन रह जाने से चीनी का उत्पादन केवल 98.33 लाख टन हो सका और भारत को 20 लाख टन चीनी का आयात करना पडा। देश मे गन्ने का फसल क्षेत्र तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढाकर कच्चे माल की समस्या से निपटा जा सकता है

6 **अपशिष्ट पदार्थो के उपयोग की समस्या** (Problem of Use of Bye Products) — चीनी मिलो म गन्ने को उपयोग मे लेने के बाद अपशिष्ट पदार्थ यथा खोई (Bagasse) शीरा (Molasses) तलछट (Pressmud) तथा कन्ट्रेस आदि बच जाते है। चीनी मिलो के अपशिष्ट पदार्थो का उपयोग करके चीनी की उत्पादन लागत म कमी की जा सकती है तथा रोजगार के अवसरो म भी वृद्धि

सभव है। मोलासिस से शराब, स्प्रिट, अल्कोहल की औद्योगिक इकाइया स्थापित की जा सकती हैं। छिलके से कागज, पैकिग सामग्री, ब्लाटिग पेपर तथा तलछट से बूट पालिश, कार्बन पेपर, अखबारो के लिए स्याही बनाने मे प्रयोग किया जा सकता है।

7 **निर्यात मे कमी** (Lack of Export) – देश मे चीनी का उत्पादन कम है तथा माग अधिक है इसलिए निर्यात के लिए चीनी का अभाव रहता है। इसके अलावा भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे भी नहीं टिक पाती इसका कारण चीनी की उत्पादन लागत अधिक तथा किस्म घटिया हैं। वर्ष 1994–95 मे 63 हजार टन चीनी का निर्यात किया गया। चीनी निर्यात मे वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन लागत मे कमी तथा किस्म सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।

8 **प्रति व्यक्ति कम खपत** (Per Capita Low Consumption) – भारत मे प्रति व्यक्ति चीनी की खपत विकसित देशो की तुलना मे कम है। विगत वर्षों मे चीनी की खपत में अवश्य वृद्धि हुई हैं। वर्ष 1950–51 मे चीनी की प्रति व्यक्ति खपत केवल 3 किलोग्राम थी जो बढकर 1960–61 मे 5 कि ग्रा, 1970–71 मे 7 3 कि ग्रा 1980–81 मे 7 2 कि ग्रा हो गई। चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 1989–90 मे 13 6 कि ग्रा थी। इसके विपरीत यूरोपीय देशो मे चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 40 कि ग्रा है। अब देश मे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ चीनी उपभोग मे वृद्धि हो रही है। भविष्य में अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी।

9 **आधुनिकीकरण की समस्या** (Problem of Modernisation) – भारत की अधिकाश चीनी मिले पुरानी है। सयत्र उपकरण पुराने पड चुके हैं। चीनी मिलो मिलो मे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान मे चीनी मिलो के सम्पूर्ण प्लाट देश में ही निर्माण किए जा रहे है तथा चीनी मिलो के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता हे। अत पुरानी चीनी मिलो को लाभ उठाना चाहिए।

10 **राजकीय नियत्रण** (Government Control) – चीनी उद्योग पर दोहरी मूल्य नीति लागू है। चीनी आशिक रूप से नियत्रण से मुक्त है। चीनी उद्योग को 55 प्रतिशत उत्पादन खुले बाजार मे बेचने की छूट है। खुले बाजार मे चीनी का विक्रय स्वतत्र है। भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के दौर मे 1996 तक चीनी उद्योग को लाइसेस से मुक्त नहीं किया। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात के लिए "भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम" को नामजद किया है।

बदलते आर्थिक परिवेश मे चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग पर लाइसेंस समाप्त करने से चीनी मिलों की सख्या मे वृद्धि स्वाभाविक हे तथा उद्योग का विकेन्द्रीयकरण भी होगा। चीनी के उत्पादन मे वृद्धि होगी। सरकार सीधे चीनी के निर्यात को छूट देने की स्थिति मे होगी।

सरकार को चीनी के सबध मे एक ऐसी युक्तिसगत नीति अमल मे लानी चाहिए जिससे चीनी उद्योग मे हो रहे घाटे को पाटा जा सके, निर्यात मे उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सके व उपभोक्ताओ को घरेलू बाजार मे चीनी वाजिब दामो पर मुहैया हो सके ताकि देश चीनी उत्पादन और चीनी के निर्यात मे सिरमौर बन सके।

सन्दर्भ

1 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1994, p 259
2 *भारत वार्षिक सन्दर्भ, 1994*, पृष्ठ 519
3 *योजना*, सितम्बर 1996, पृ 8
4 *उद्योग व्यापार पत्रिका*, फरवरी 1996 पृ 43
5 *उद्योग व्यापार पत्रिका*, जुलाई 1996 पृ 11
6 भारत 1994, पृ 515
7 ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, 1996 पृ 174
8 *राजस्थान पत्रिका*, 2 दिसम्बर, 1996

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत उद्योगों का महत्त्व बताइए।
2 लोहा एव इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति बताइए।
3 लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
4 चीनी उद्योग की प्रगति स्पष्ट कीजिए।
5 सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्व बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहा एव इस्पात उद्योगो का महत्त्व और विकास बताइए तथा लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याए क्या है।
2 भारत मे सीमेन्ट उद्योग की वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याओ का वर्णन कीजिए।
3 भारत मे सूती वस्त्र उद्योग की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए इस उद्योग की समस्याए तथा समाधान के सुझाव बताइए।
4 जूट उद्योग की प्रगति और महत्त्व का वर्णन कीजिए।
5 भारत म चीनी उद्योग के महत्त्व और विकास की विवेचना कीजिए तथा उसकी प्रमुख समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाइये।
(सकेत – सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए प्रश्नो मे पूछे गए शीर्षको के अनुसार सबधित उद्योग का महत्त्व, विकास, वर्तमान स्थिति, समस्याए और समाधान को लिखिए।)

21

भारत में लघु उद्योगों का महत्त्व एवं विकास

(Importance and Development of Small Scale Industries in India)

लघु उद्योगों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत मे वित्तीय ससाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी परियोजनाओ मे धन का विनियोग किया जाना चाहिए जो सीमित ससाधनो से प्राप्त की जा सके तथा रोजगार को बढाने वाली एव मुद्रास्फीति को नियत्रित करने वाली हो। इस दृष्टि से लघु उद्योगों का अधिकाधिक विकास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लघु उद्योगो के विकास से उत्पाद की माग तथा पूर्ति में अतराल को कम करके मुद्रास्फीति को बडी सीमा तक नियत्रित किया जा सकता है। कम पूजी से लघु उद्योगो की स्थापना कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराना सभव है।

भारत अतीत से एक कृषि प्रधान राष्ट्र होने के साथ प्रतिष्ठित औद्योगिक राष्ट्र भी रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अतीत से ही भारत के लघु उद्योगो की पृथक् पहचान रही है। लघु उद्योग इस स्थिति मे नहीं होते कि बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके बावजूद इन उद्योगों ने स्वतत्रता उपरात भारतीय अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान मे उत्पादन, नियोजन तथा निर्यात के क्षेत्र मे लघु उद्योगो की प्रासगिकता बढी है।

लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण
(Definition and Classification of Small Scale Industries)

आधुनिक लघु उद्योगों और असगठित क्षेत्र के परम्परागत उद्योगों को ग्राम तथा लघु उद्योगों के नाम से जाना जाता हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को आठ उपक्षेत्रो मे बाटा गया है। लघु उद्योगों और विद्युतचालित करघा को आधुनिक लघु उद्योगो की श्रेणी मे तथा खादी व ग्राम उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प और नारियल के रेशे से सबधित धन्धों का परम्परागत उद्योगो की श्रेणी

मे रखा गया है। पूजी निवेश और श्रमिको की सख्या के आधार पर लघु उद्योगो की परिभाषा समय–समय पर परिवर्तित की जाती रही है। लघु उद्योगा की उपादेयता को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने इनके लिए पहली बार अगस्त 1991 म पृथक से औद्योगिक नीति की घोषणा की।

1977 की औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगो को तीन भागो मे विभक्त किया गया अतिलघु क्षेत्र (टिनी सेक्टर) मे ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित की गई जिसम प्लाट एव मशीनरी मे एक लाख रुपए से कम विनियोग हो तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले कस्बे मे स्थापित हो। लघु उद्योग म ऐसी औद्योगिक इकाइया सम्मिलित की गई जिनमे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 10 लाख रुपए तक हो तथा सहायक उद्योगो मे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 15 लाख रुपए तक निर्धारित की गई।

ओद्योगिक नीति 1980 मे लघु उद्योग इकाइयों की प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा बढा दी गई। अति लघु क्षेत्र में प्लाट व मशीनरी मे विनियोग सीमा एक लाख से बढाकर दो लाख कर दी गई। लघु उद्योग मे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दी गई। सहायक उद्योगो मे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 15 लाख रुपए से बढाकर 25 लाख रुपए कर दी गई।

लघु उद्योगों की नई परिभाषा – भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 1991 को घोषित लघु उद्योग नीति मे लघु इकाइयो की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया है।

अतिलघु क्षेत्र (Tiny Sector) – अतिलघु क्षेत्र में प्लाट एव मशीनरी मे पूजी निवश सीमा 2 लाख रुपए से बढाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।

लघु उद्योग (Small Industry) – लघु उद्योग में प्लाट एव मशीनरी म पूजी निवेश सीमा बढाकर 60 लाख रुपए कर दी गई।

सहायक ओर निर्यातन्मुखी इकाईया (Ancillary and Export Oriented Industries) – सहायक और नियातोन्मुखी इकाइयों मे प्लाट एव मशीनरी मे निवेश सीमा 75–75 लाख रुपए तक बढा दी गई।

लघु उद्योग की निवेश सीमा में वृद्धि (Increase in Investment Limit of Small Industries)

7 फरवरी 1997 को मत्रिमडल की आर्थिक मामला की समिति के द्वारा लघु उद्याग निवेश की मौजूदा 60 लाख रुपए की सीमा को बढाकर 300 लाख रुपए कर दिया गया। निवेश चाहे खरीददार लीज या हायर परचेज के रुप म हो। सयत्र या मशीनरी नयी या पुरानी कोई भी हो सकती है। बढी सीमा निर्यातान्मुखी इकाइयो पर भी लागू होगी। घरेलू इकाइयो म निवश सीमा को पाच लाख रुपए से बढाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। लघु उद्याग की परिभाषा

मे वे सभी उद्योग आते हैं जो धारा 3 (जे) उद्योग (विकास और नियमन) एक्ट 1951 के अन्तर्गत लघु उद्योग के रूप मे पजीकरण के लिए हकदार है।

केन्द्र सरकार ने 29 अप्रेल, 1998 को लघु उद्योगो को सरक्षण देने के प्रयास मे लघु उद्योगो मे निवेश की सीमा तीन करोड रुपए से घटाकर एक करोड रुपए कर दी। केन्द्र सरकार ने आबिद हुसैन समिति द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योगो के उत्पादनों को आरक्षण मुक्त करने से इन्कार कर दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगों की भूमिका
(Role of Small Scale Industries in Indian Economy)

योजनाबद्ध विकास के पाच दशक के बाद भी भारत मे अनेक समस्याए मुहबाए खडी है। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असतुलन आदि समस्याए प्रमुख हैं। लघु उद्योग का विकास इन समस्याओ के समाधान मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं भारत का अतीत लघु उद्योगो की दृष्टि से गौरवपूर्ण रहा है। लघु उद्योगो के उत्पाद की व्यापक माग थी। लघु उद्योगो के विकास के कारण चहुओर खुशहाली थी, किन्तु गुलामी के दिनों मे ब्रिटिश सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण लघु उद्योगो का पतन हुआ। स्वातन्त्र्योत्तर लघु उद्योगो की बढती उपादेयता के कारण सरकार ने इनके विकास पर विशेष बल दिया। लघु उद्योगो के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाओ की घोषणाए की गई। इनमे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगो की सख्या मे वृद्धि, राजकीय खरीद मे लघु उद्योगो के उत्पाद को प्राथमिकता, ब्याज व करो मे राहत, कच्चा माल मुहैया कराना आदि मुख्य है। इसके अलावा सरकार ने लघु उद्योगो को बिक्री का भुगतान 30 दिन के अन्दर नहीं मिलने पर ब्याज पाने का अधिकार दिया गया है। नतीजतन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में लघु उद्योगो की महत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

भारत मे लघु उद्योगो की व्यापक भूमिका है। लघु उद्योगो मे कम पूजी लागत पर वस्तुओ का उत्पादन होता है तथा स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कौशल का उपयोग होता है तथा बडे शहरो की ओर श्रमिको का पलायन रूकता है। इसके अलावा लघु उद्योग इकाइयो का सचालन मध्यमवर्गीय परिवारो द्वारा किया जाता है। भारत की आर्थिक परिस्थितियो मे लघु उद्योगो का विकास सर्वथा उपयुक्त है।

लघु उद्योगो की भूमिका

वर्ष	इकाइयो (लाख सख्या)	उत्पादन (करोड रूपए) चालू मूल्यो पर	रोजगार (लाख सख्या)	निर्यात (करोड रुपए)
1991-92	20 82	178699	129 33	13883
	(6 88)	(15 04)	(3 59)	(43 66)
1992-93	22 46	209300	134 06	17885
	(7 80)	(17 12)	(3 28)	(28 10)
1993 94	23 84	241648	139 38	25307
	(6 14)	(15 46)	(3 97)	(42 30)
1994-95	25 71	243990	146 56	29068
	(7 84)	(21 76)	(5 15)	(14 9)
1995-96	27 24	356213	152 61	36470
	(6 0)	(21 2)	(4 1)	(25 5)
1996-97	28 57	412636	160 00	39249
	(4 9)	(15 8)	(4 8)	(7 6)
1997-98	30 14	465171	167 20	43946
	(5 5)	(12 7)	(4 5)	(12 0)
1998 99	31 21	527515	171 58	49481
	(3 6)	(13 4)	(2 6)	(11 4)

P - Provisional Figures in parenthesis denote growth over previous year
Source 1 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1996, p 415
2 *Indian Economic Survey* 1998-99, p 110, 1999-2000

1 उत्पादन (Production) — लघु उद्योगो के विकास के राजकीय प्रयासो की सुखद परिणति उत्पादन मे वृद्धि के रूप मे दृष्टिगोचर हुई। चालू मूल्यो पर लघु उद्योगो का उत्पादन 1973–74 मे 7,200 करोड रुपए था जो बढकर 1980–81 मे 28 060 करोड रुपए 1985–86 मे 61,228 करोड रुपए तथा 1990–91 मे 1,55,340 करोड रुपए हो गया। लघु उद्योगो के उत्पादन मे चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 1973–74 से 1980–81 के बीच 21 4 प्रतिशत तथा 1980–81 से 1991–92 के बीच 18 3 प्रतिशत रही। भारत मे 1991–92 मे आर्थिक सुधारो को लागू किए जाने के बाद लघु उद्योगो के उत्पादन के तीव्र वृद्धि हुई। लघु उद्योगो के उत्पादन मे बडे उद्योगो के उत्पादन की तुलना मे तेजी से वृद्धि हुई। चालू मूल्यो पर लघु उद्योगो का उत्पादन 1992–93 मे 2,09,300 करोड रुपए था जो बढकर 1993–94 मे 2 41,648 करोड रुपए तथा 1997–98

मे और बढकर 4,65,171 करोड रुपए हो गया। लघु उद्योगो के उत्पादन मे 1997–98 मे गत वर्ष की तुलना मे 12 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थिर मूल्यो पर लघु उद्योगो का उत्पादन 1991–92 मे 1,60,156 करोड रुपए था जो बढकर 1993–94 मे 1,81,133 करोड रुपए तथा 1994–95 मे 1,99,029 करोड रुपए हो गया। वर्तमान मे देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत लघु उद्योगो द्वारा होता है।

2 रोजगार (Employment) – लघु उद्योगो मे लाखो की तादाद मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। भारत श्रम बहुल वाला देश है तथा यहा पूजी का अभाव है। लघु उद्योगो की स्थापना कम पूजी से की जा सकती है। लघु उद्योगो मे श्रम प्रधान तकनीक लागू होने के कारण अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। लघु उद्योगो मे 1973–74 मे 39 7 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था जिनकी सख्या बढकर 1980–81 मे 71 लाख, 1985–86 मे 96 लाख तथा 1990–91 125 लाख हो गई। लघु उद्योगो मे रोजगार मे चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 1973–74 से 1980–81 के बीच 8 7 प्रतिशत तथा 1980–81 से 1991–92 के बीच 5 5 प्रतिशत थी। बाद के वर्षो मे भी लघु उद्योग क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई। लघु उद्योगो मे रोजगार प्राप्त लोगो की सख्या 1991–92 मे 129 लाख, 1992–93 मे 134 लाख, 1993–94 मे 139 लाख तथा 1997–98 में 167 लाख थी। रोजगार के अवसरो मे 1997–98 मे गत वर्ष की तुलना मे 4 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 निर्यात (Export) – लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यात व्यापार मे भी भूमिका बढी है। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुए आरक्षित है तथा लघु उद्योगो का उत्पाद किस्म और कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे है। हाल ही के वर्षो मे लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात्त मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत से लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 1973–74 मे 393 करोड रुपए था जो बढकर 1980-81 मे 1,643 करोड रुपए, 1985–86 मे 2,769 करोड रुपए तथा 1990–91 मे 9,763 करोड रुपए हो गया। लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात मे चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 1973–74 से 1980–81 तक 22 6 तथा 1980–81 से 1991–92 तक 20 4 प्रतिशत थी। वर्ष 1997–98 मे लघु उद्योग क्षेत्र से 43,946 करोड रुपए का निर्यात हुआ।

भारत के कुल निर्यात व्यापार मे लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात की भूमिका बढी है।

भारत के कुल निर्यात मे लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 1980–81 मे 24 48 प्रतिशत था जो बढकर 1985–86 मे 25 41 प्रतिशत, 1990–91 मे 30 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993–94 मे लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 25,307 करोड रुपए था जो भारत के कुल निर्यात का 36 28 प्रतिशत था। वर्ष 1997–98 लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 43,946 करोड रुपए था जो भारत के निर्यात का 34 8

प्रतिशत था।

लघु उद्योग क्षेत्र की कुल निर्यात में भूमिका

(करोड रुपए)

वर्ष	कुल निर्यात	लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात	कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत
1980 81	6711	1643	24 48
1985-86	10895	2769	25 41
1990-91	32553	9763	30 00
1991-92	44041	13883	31 52
1992 93	53668	17785	33 14
1993-94	*69751*	*25307*	*36 28*
1994-95	82674	29068	35 16
1995-96	106353	36470	34 29
1996-97	118817	39249	33 03
1997-98	126286	43946	34 80
1998 99 (प्रा)	141604	49481	34 94

Source *Economic Survey*, 1995-96, 1998-99, *1999-2000 The Hindu Survey of Indian Industry*, 1996 and others

4 लघु उद्योग उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि दर (Growth Rate of Small Scale Industries Production) – लघु उद्योगो में उत्पादन वृद्धि पर औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि की तुलना म अधिक रही है। भारतीय *अर्थव्यवस्था 1991–92* मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट से ग्रस्त थी। औद्योगिक उत्पादन पर खाडी युद्ध का विपरीत प्रभाव पडा। वर्ष 1991–92 में लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 3 1 प्रतिशत थी जबकि औद्योगिक विकास दर 0 6 प्रतिशत से अधिक थी। लघु उद्योग *क्षेत्र वृद्धि दर 1993–94 मे 7 1 प्रतिशत थी। जबकि औद्योगिक विकास की दर* केवल 4 1 प्रतिशत ही थी। 1994–95 मे लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 9 88 प्रतिशत (अतिम) तथा औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि दर 8 1 प्रतिशत थी।

5 **औद्योगिक उत्पादन में योगदान** (Contribution in Industrial Outputs) – आठवें दशक के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र एक प्रगतिशील और अर्थव्यवस्थ के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में सामने आया है। सातवीं योजना के अत मे निर्माण क्षेत्र म कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग लघु उद्योग क्षेत्र का रहा है। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का योगदान 1990–91 में 41 प्रतिशत, 1991–92 में 39 प्रतिशत, 1992–93 में 39 46 प्रतिशत तथा 1993–94 म 40 62 प्रतिशत रहा है।

6 **सतुलित विकास (Balanced Development)** – भारतीय अर्थव्यवस्था असतुलित विकास की समस्या से ग्रसित है। आज भी देश के अनेक राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे हुए हैं। कृषि प्रधान क्षेत्रो मे कृषि पर जनसख्या का अत्यधिक भार है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछडे हुए राज्यों मे लघु उद्योगो का विकास कर पिछडेपन को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास करके कृषि कार्य मे अधिक नियोजित श्रमिको को लघु उद्योगो की ओर मोडा जा सकता है।

7 **आर्थिक विषमता में कमी (Decrease in Economic Disparity)** – आर्थिक विषमता को कम करने मे लघु उद्योग सहायक सिद्ध हो सकते है। बडे पैमाने के उद्योगो पर बडे औद्योगिक घरानो की पकड होती है। लाभ का अधिकाश भाग बडे उद्योगपति ही बटोर ले जाते हैं। लघु उद्योगो की स्थापना मध्यमवर्गीय परिवारो द्वारा की जा सकती है। लघु उद्योगो का लाभ अनेक व्यक्तियो मे बटता है। इन उद्योगो मे स्वामियों की सख्या भी अधिक होती है। लघु उद्योगो के अधिकाधिक विकास से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है।

8 **राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)** – युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र की निगाहे बडे उद्योगो को नष्ट करने पर होती है। लघु एव कुटीर उद्योग देश भर मे फैले होते हे। शत्रु राष्ट्र द्वारा इन्हे नष्ट करना सभव नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा मे लघु एव कुटीर उद्योगो का विशेष महत्त्व है।

9 **कम पूजी की आवश्यकता (Need of Low Capital)** – भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। बहुसख्यक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। लघु उद्योगो की स्थापना मे अधिक पूजी की आवश्यकता नहीं होती है। इन उद्योगो मे श्रम प्रधान तकनीक प्रयुक्त होती है जो पूजी प्रधान तकनीक की तुलना मे सस्ती है। लघु उद्योगो मे न्यूनतम पूजी विनियोजन से अधिकतम उत्पादन और रोजगार वृद्धि सभव है।

10 **सुगम सचालन (Easy Operations)** – लघु एव कुटीर उद्योगो की कार्यप्रणाली पैचीदगीपूर्ण नहीं होती है। इसके सचालन के लिए विशिष्ट तकनीक ज्ञान की भी आवश्कयता नहीं होती है। भारत के ग्रामीण परिवेश मे शिक्षा व तकनीकी ज्ञान का नितात अभाव है। ऐसी स्थिति मे लघु उद्योगो का विकास आवश्यक है।

11 **तकनीकी परिवर्तन (Technology Change)** – आधारभूत उद्योगो मे तकनोलाजी परिवर्तन एक पेचीदा कार्य है कभी–कभी तो यह नियत्रण से परे हो जता है जिससे विदेशी विशेषज्ञों की सेवाए अपरिहार्य हो जाती हैं। लघु उद्योगो मे तकनोलॉजी पुरानी हो जाने पर उसे बदलने मे कठिनाई नहीं होती है।

12 **मुद्रास्फीति के नियत्रण में सहायक (Helpful in Control on Money Inflation)** – बडे उद्योगो की निर्माण अवधि लम्बी होती है। उत्पाद और आपूर्ति

मे अतराल हाने क कारण कीमतों में बढोतरी होती है। अनेक बार बडी परियाजनाओं का पलायन हा जाता हे जिससे परियोजनाओ की लागत मे अनावश्यक वृद्धि हो जाती हैं। लघु उद्योगो की निर्माण अवधि कम होने के कारण उत्पादन शीघ्र होता है। लघु उद्योगो की स्थापना म निर्णय राजनीति से ओत-प्रात नहीं होते। सामान्यतया लघु उद्यागो का पलायन नहीं होता है। शीघ्र उत्पादन के कारण लघु उद्योग मुद्रास्फीति नियत्रण मे सहायक होते है।

13 आद्योगिक शाति (Industrial Peace) – बडे उद्योगो मे पूजी तथा श्रम के मध्य सघष के कारण आए दिन हडताल तालेवदी घेराव आदि समस्याए मुहबाए खडी है। लघु उद्योगो मे पूजी तथा श्रम के मध्य मधुर सम्बन्ध होने के कारण औद्योगिक अशाति की समस्या नहीं होती है। लघु उद्योगो म श्रमिको की सख्या कम होने के कारण परस्पर सद्भावना बनी रहती है।

14 व्यक्तित्व विकास (Personality Development) – बडे पैमाने के उद्योगों मे सम्पूर्ण कार्य मशीनो के द्वारा होने के कारण श्रमिको को व्यक्तित्व विकास का अवसर नहीं मिलता है। लघु उद्योगों के श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। कुटीर उद्योगों में विभिन्न उपभोक्ताओ की रूचि के अनसुार वस्तुओं का उत्पादन होता है।

15 अन्य महत्त्व (Other Importance) – लघु उद्योगों का अर्द्ध बेकारी निवारण कृषि क्षेत्र मे सहायक धन्धे के रूप मे उपयोगी शहरी क्षेत्रा मे अतिरिक्त आय के साधन बडे उद्योगो के सहायक सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रा मे भी महत्वपूर्ण यागदान है।

पचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का विकास
(Development of Small Scale Industries during Plan Period)

योजनाबद्ध विकास में लघु उद्योगो की महत्ता को स्वीकार किया गया। स्वातन्त्र्योत्तर घोपित ओद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई जिसके परिणामस्वरुप योजनाकाल में लघु इकाइया की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

भारत मे 1950 मे 16 000 लघु इकाइया पजीकृत थी जो 1960-61 म बढकर 36 000 हो गई। लघु स्तर उद्योग के विकास आयुक्त के आकडों के अनुसार 1976-77 मे लगभग 6 लाख लघु इकाइया थी जो 1979-80 मे बढकर 8 लाख हा गई। पजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की दूसरी अखिल भारतीय गणना विकास आयुक्त (लघु उद्योग क्षेत्र) कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपार्ट के अनुसार 31 मार्च 1988 को दश में 5 लाख 82 हजार पजीकृत इकाइया थी। पजीकृत लघु उद्याग इकाइयो की पहली गणना के 15 साल याद वर्तमान गणना की गई। गणना रिपोर्ट मे कुल 8 83 लाख इकाइया शामिल की गई थी जिनमें से 301

लाख इकाइया किन्हीं कारणों से बद पडी है। 2 02 लाख इकाइया लघु-उद्योग क्षेत्र के आरक्षित मदो का ही उत्पादन करती है। इन मदों का उत्पादन 11,926 करोड रुपए मूल्य का है जो कुल उत्पादन का लगभग 28 प्रतिशत है।

लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 1984–85 मे 12 42 लाख थी जो बढकर 1993–94 मे 23 84 लाख तथा 1994–95 में 25 71 लाख हो गई। पिछले दशक मे (1984-85 से 1994-95) लघु उद्योग इकाइयो की सख्या मे दो गुना वृद्धि हुई। लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 1997–98 मे 30 14 लाख थी जो गत वर्ष की तुलना मे 5 5 प्रतिशत अधिक थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) – लघु एव ग्रामोद्योग पर पहली योजना मे 42 करोड रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक योजना परिव्यय का केवल 1 77 प्रतिशत था। योजना काल मे लघु उद्योगो के विकास के सुझाव देने के लिए कर्वे समिति की स्थापना की गई। समिति की सिफारिशो को योजना काल में क्रियान्वित किया गया। इसके अलावा लघु उद्योगो के विकास के लिए फोर्ड फाउडेशन सस्था के विशेषज्ञों की भी सेवाए ली गईं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) – द्वितीय पचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगीकरण के उन्नयन के वास्ते 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति मे सब्सिडी, विभेदक कर तथा बडे उद्योगो के उत्पादन का कोटा निर्धारित कर लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना मे लघु एव कुटीर उद्योग पर 187 करोड रुपए व्यय कए गए। योजना काल मे 66 औद्योगिक बस्तिया (Industrial Estates) स्थापित की गईं जिनमे 1,000 लघु उद्योग इकाइया थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। सरकार ने योजना के आखिरी में (1960-61) लघु उद्योग से 6.5 करोड रुपए के माल का क्रय किया।

तृतीय योजना (1961-66) – योजना मे लघु उद्योगो के विकास पर 425 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया, किन्तु वास्तविक व्यय 241 करोड रुपए हुआ। योजना मे 300 औद्योगिक बस्तियो की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया। राज्य वित्त निगमो की स्थापना तथा रिजर्व बैंक की गारटी योजना प्रारम्भ की गई।

तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69) – वार्षिक योजनाओ मे लघु एव ग्रामोद्योगो पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 132 55 करोड रुपए व्यय किए गए।

चतुर्थ योजना (1969-74) – योजना मे लघु एव ग्रामोद्योग के विकास पर 293 करोड व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किन्तु वास्तविक व्यय 251 करोड रुपए हुआ। इस योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र का 560 करोड रुपए प्रस्तावित विनियोग था। योजनावधि में 147 औद्योगिक बस्तिया स्थापित की गईं। योजना मे आधुनिक लघु उद्योग तथा परम्परागत लघु उद्योगो के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

पाचवी योजना (1974-79) – इस योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गरीबी उन्मूलन मे लघु एव कुटीर उद्योगो ने कारगर भूमिका निभाई। योजना मे लघु एव ग्रामोद्योग पर 510 करोड रुपए व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सशोधित पाचवीं योजना (1974-78) मे लघु उद्योगो पर सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक व्यय 388 कराड रुपए था। निजी क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय 1,050 करोड रुपए था।

छठी योजना (1980-85) – लघु एव ग्रामोद्योग का इस योजना मे वास्तविक परिव्यय 1,952 करोड रुपए था। इस योजना में ग्रामीण, कुटीर एव लघु उद्योग के विकास पर कुल 1,780 5 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था। छठी योजना मे लघु उद्योग के लिए प्रावधान गत तीन दशको मे लघु उद्योग क लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक परिव्यय से अधिक था। सरकार ने इस योजना मे लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। वर्ष 1984–85 मे लघु उद्योग इकाइयो की सख्या 12 42 लाख, रोजगार 90 लाख, उत्पादन वर्तमान मूल्यो पर 50,520 करोड रुपए तथा निर्यात 2,563 करोड रुपए था।

सातवीं योजना (1985-90) – योजना मे लघु एव ग्रामोद्योग के लिए कारीगरो की आय मे वृद्धि, स्वरोजगार के अवसर मे वृद्धि, स्थानीय कौशल का विकास, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए। लघु उद्योगो के लिए 2,752 7 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो योजना परिव्यय का 1 5 प्रतिशत था। योजना काल मे लघु उद्योग पर वास्तविक व्यय 3,249 करोड रुपए था।

सातवीं योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर 12 1 प्रतिशत, रोजगार वृद्धि दर 4 4 प्रतिशत तथा निर्यात वृद्धि दर 26 6 प्रतिशत रही। योजनावधि मे उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से आधुनिक लघु उद्योग तथा निर्यात की दृष्टि से पारम्परिक लघु उद्योग की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। योजनावधि मे आधुनिक उद्योगों की वृद्धि दर इस प्रकार रही उत्पादन 12 4 प्रतिशत, रोजगार 6 1 प्रतिशत, निर्यात 26 5 प्रतिशत, तथा पारम्परिक उद्योग की वृद्धि दर इस प्रकार रही उत्पादन 9 9 प्रतिशत, रोजगार 3 2 प्रतिशत, निर्यात 26 6 प्रतिशत।

आठवीं योजना (1992-97) – लघु तथा ग्रामोद्योग पर 6,334 2 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो योजना परिव्यय का 1 46 प्रतिशत है।

वर्ष 1996–97 क लिए लघु उद्योग क्षेत्र मे उत्पादन का लक्ष्य 2,94,775 करोड रुपए, रोजगार लक्ष्य 533 7 लाख व्यक्ति तथा निर्यात लक्ष्य 50,215 करोड रुपए निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन में आधुनिक लघु उद्योग का योगदान 85 9 प्रतिशत है तथा पारम्परिक उद्योग के उत्पादन में हस्तशिल्प का योगदान 71 5 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र निर्यातित आय में हस्तशिल्प का प्रतिशत 55 6 तथा लघु स्तर उद्योग का 40 2 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में

सर्वाधिक रोजगार के अवसर लघु स्तर उद्योग उपलब्ध कराता है। लघु स्तर उद्योग द्वारा 1996–97 मे 150 5 लाख व्यक्तियो को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं योजना के आखिर मे (1996-97) लघु उद्योगो की सख्या 28 57 लाख, उत्पादन 4,65,171 करोड रुपए तथा निर्यात 39,249 करोड रुपए था। इन उद्योगो में 167 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था।

लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न
(Small Scale Industries and Government Efforts)

भारत की अर्थव्यवस्था में अतीत से लघु उद्योगो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। लघु उद्योगो की महत्ती भूमिका के कारण भारत लघु उद्योग के विकास के प्रति सचेष्ट था। किन्तु गुलामी की दीर्घावृद्धि में विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण लघु उद्योगो का पतन हुआ। भारत मे बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे स्वदेशी आन्दोलन के गति पकडने के कारण स्वदेशी वस्तुओ के प्रति प्रेम की लहर दौडी। स्वतत्रता से पूर्व लघु उद्योगो के विकास वास्ते 1934 मे ग्रामीण सस्थान, 1935 में प्रान्तो मे उद्योग विभागो की स्थापना, 1935 में ही भारतीय ग्रामोद्योग सघ की स्थापना की गई। उद्योग विभागो को लघु उद्योगो के नियत्रण तथा विकास का कार्य सौपा गया। वर्ष 1939 में राष्ट्रीय योजना समिति ने लघु उद्योगो की समस्याओं पर विचार किया। स्वतत्रता से पूर्व गुलामी के कारण लघु उद्योगो के विकास के कारगर प्रयास नहीं किए गए। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् लघु उद्योगो के विकास की पहल की गई। भारत में स्वात्न्त्र्योत्तर लघु उद्योगो के विकास वास्ते किए गए प्रयत्नो का अध्ययन निम्नांकित शीर्षको के अन्तर्गत किया जा सकता है –

1. **निगमों तथा मंडलो की स्थापना (Establishment of Corporation and Boards)** – भारत मे लघु उद्योगो के विकास का दायित्व राज्य सरकारो का है फिर भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो के विकास के लिए मडलो तथा निगमों की स्थापना करके लघु उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित किया हैं। केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो के विकास के लिए निम्नलिखित मडलो और निगमो की स्थापना की है –

(i) **अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, 1998 (All India Cottage Industries Board)** – इस बोर्ड की स्थापना 1948 तथा पुनर्गठन 1950 मे किया गया। इस बोर्ड का कार्य लघु उद्योगो के विकास तथा सगठन के सबध मे केन्द्र सरकार को सलाह देना, बडे एव लघु उद्योगो के बीच सामजस्य स्थापित करने वास्ते सुझाव देना, लघु उद्योगो के विकास सबधी योजनाओ की जाच करके आवश्यक सुझाव देना तथा राज्य सरकारो की योजनाओ मे सामजस्य स्थापित करना है।

(ii) **केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (Central Silk Board)** – इस बोर्ड की स्थापना 1949 मे की गई। यह बोर्ड रेशम उद्योग की देखभाल तथा रेशम के कीडे

पालने की व्यवस्था करता है।

(iii) **अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (All India Handicraft Board), 1952** — इस बोर्ड की स्थापना नवम्बर, 1952 मे की गई। बोर्ड दस्तकारी के उत्पादन तथा विपणन मे सुधार का काम करता है इसके अलावा वस्तुओ की बिक्री के लिए केन्द्रों की व्यवस्था करता है। बोर्ड पायलेट केन्द्रो के सचालन का भी काम करता है। पायलेट केन्द्रो मे प्रशिक्षण, अन्वेषण व उत्पादन के क्षेत्र मे कार्य किया जाता है। बोर्ड द्वारा देश व विदेशो मे प्रदर्शनिया आयोजित की जाती है। बोर्ड ने विदेशी विशेषज्ञो की सेवाए भी प्राप्त की है। बोर्ड के प्रयासो से दस्तकारी उत्पादन मे वृद्धि हुई है। दस्तकारी के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी है।

(iv) **अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (All India Handloom Board), 1952** — हथकरघा बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 1952 मे की गई। बोर्ड हथकरघा उद्योगो के विकास के लिए कार्य करता है। बोर्ड हथकरघा उद्योग के विकास के लिए सहकारिता पर जोर देता हैं बार्ड ने बुनकरों की सहकारी समितिया सगठित की है। हथकरघा बोर्ड में केन्द्रीय बाजार सगठन हथकरघा उद्योग की वस्तुओ के लिए प्रचार का कार्य करता है।

(v) **अखिल भारतीय खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड, (All India Khadi and Village Industries Board) 1953** — इस बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई। यह बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास वास्ते कार्य करता है। बोर्ड के कार्यक्षेत्र मे खादी, तेल, साबुन, चावल, दियासिलाई, गुड, मधुमक्खी पालन आदि ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं। बोर्ड ग्रामोद्योग के विकास वास्ते योजनाए निर्मित्त करना तथा आवश्यक व्यवस्था करना आदि कार्य भी करता हैं। देश के सभी राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है। राज्य स्तर पर स्थापित बोर्डो के अन्तर्गत वैयक्तिक और सहकारी सस्थाए कार्यरत हैं।

(vi) **नारियल जटा बोर्ड (Coconut Hair Board)** — नारियल जटा बोर्ड की स्थापना 1954 म की गई। बोर्ड का कार्य नारियल जटा से निर्मित्त वस्तुओ का प्रचार तथा उन्नति का कार्य करना है। बोर्ड का केरल में अनुसधान सस्था कार्यरत है।

2 **लघु उद्योग को आर्थिक और ऋण सुविधाएं (Economic and Loan Facilities for Small Industries)** — लघु उद्योगों को आर्थिक और ऋण सुविधाए मुहैया कराने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए है। विगत वर्षो मे लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता की पूर्ति वास्ते निम्नाकित साधन बढाये गए हैं —

(i) **राजकीय सहायता (Government Help)** — लघु एव कुटीर उद्योगो को सरकार के द्वारा राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण सुविधा

मुहैया की जाती है। पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योगो को दी जाने वाली सहायता में निरन्तर वृद्धि हुई।

(ii) **रिजर्व बैंक ऑफ इडिया** (Reserve Bank of India) – रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगो को वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिए एक जुलाई 1960 से साख गारण्टी योजना चालू की। इस योजना मे रिजर्व बैंक ऑफ इडिया और ऋण देने वाली सस्था परस्पर मिलकर जोखिम उठाती है। वर्तमान मे यह योजना पूरे देश मे लागू है। साख गारटी योजना मे रिजर्व बैंक ऑफ इडिया चुनी हुई ऋणदात्री सस्थाओ द्वारा लघु उद्योगो को दिये जाने वाले ऋणो के लिए गारन्टी देता है।

(iii) **स्टेट बैक ऑफ इंडिया** (State Bank of India) – यह बैंक 'पायलेट योजना' के द्वारा लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता मुहैया करता है। पायलेट योजना स्टेट बैंक की सभी शाखाओ मे चालू है। इस योजना मे ब्याज की रियायती दरो पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्टेट बैंक औद्योगिक विस्तार और नवीनीकरण वास्ते उद्योगो को मध्यावधि ऋण प्रदान करता है। वर्तमान मे स्टेट बैंक की ऋण मुहैया कराने की शर्तें उदार है तथा ऋण का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया भी सरल है।

(iv) **राज्य वित्त निगम** (State Financial Corporation) – राज्य वित्त निगमो की स्थापना विभिन्न राज्यो मे 'राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951' के अन्तर्गत की गई। राज्य वित्त निगम लघु उद्योगो को ऋण प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगमो ने वर्ष 1987–88 मे 941 करोड रुपए तथा 1996–97 मे 2,678 करोड रुपए के ऋण वितरित किए।

(v) **व्यापारिक बैंक** (Commercial Bank) – व्यापारिक बैंक लघु उद्योगो को सदा से ऋण देते आ रहे हैं किन्तु बडे बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद लघु उद्योगो को दिये जाने वाले ऋणों मे वृद्धि हुई। लघु उद्योगो की परिभाषा मे परिवर्तन के कारण भी ऋण में विशेष प्रगति हुई।

(vi) **औद्योगिक सहकारी समितिया** (Industrial Cooperative Societies) – औद्योगिक सहकारी समितिया ग्रामीण कारीगरों को सहायता देने वास्ते तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण मुहैया कराती हैं। इन समितियो की ऋण शर्ते आसान होती है। इस प्रकार की सहकारी समितिया हाथकरघा उद्योगो मे अधिक प्रचलित है।

(vii) **औद्योगिक विकास बैंक** (Industrial Development Bank) – औद्योगिक विकास बैंक का एक अलग विभाग लघु एव कुटीर उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा लघु उद्योगो को ऋण देने वाली विभिन्न सस्थाओ मे समन्वय स्थापित करता है।

(viii) **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम** (National Small Scale Industries

Corporation) – राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना फरवरी 1955 मे की गई। निगम लघु उद्योगो को किश्तो पर मशीन व कच्चा माल मुहैया कराकर सहायता करता है। इसके अलावा यह निगम लघु उद्योगो को विपणन मे कच्चे माल की आपूर्ति मे प्रशिक्षण सुविधा तथा वृहद् एव लघु उद्योगो में समन्वय में सहायता करता है।

3 **लघु उद्योगों की परिभाषा मे परिवर्तन** (Change in the Meaning of Small Scale Industries) – वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगो की निवेश सीमा बढाकर 60 लाख रुपए कर दी गई। सयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु उद्योगो मे निवेश की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए से बढाकर 3 करोड रुपए कर दी। अप्रैल 1998 मे केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो को सरक्षण देने के प्रयास मे लघु उद्योगो मे निवेश सीमा 3 करोड से घटाकर एक करोड रुपए कर दी।

4 **आरक्षित वस्तुए** (Reserved Articles) – भारत मे लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करने वास्ते अनेक वस्तुओ का उत्पादन लघु उद्योगो के लिए आरक्षित है। आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद लघु उद्योगो के लिए आरक्षित मदो की सख्या मे कमी की गई है। सयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदो को अनारक्षित कर दिया तथा वर्ष 1999 मे भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सूची से 9 मदों को हटा दिया। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सख्या 836 से घटकर 813 रह गई है।

5 **जिला उद्योग केन्द्र** (District Industrial Centre) – भारत मे जनता सरकार द्वारा 1977 की औद्योगिक नीति मे जिला उद्योग केन्द्रा की स्थापना का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर औद्योगिक विकास का दायित्व जिला उद्योग केन्द्रो का होता है। जिला उद्योग केन्द्रो का मुख्य कार्य लघु उद्योगो को विभिन्न सस्थाओ द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायताओ को एक स्थान पर प्रदान करना है। लघु उद्योग मुख्यत कच्चे माल का सर्वेक्षण व उपलब्धि आर्थिक सहायता तथा किस्म सुधार के कार्यो मे सहयोग प्रदान करते है। जिला उद्योग केन्द्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा सचालन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

6 **औद्योगिक बस्तिया** (Industrial Estates) – केन्द्र सरकार औद्योगिक बस्तिया की स्थापना के लिए प्रातीय सरकारो को ऋण देती है। लघु उद्योगो के विकास के लिए देश के विभिन्न भागा मे औद्यागिक बस्तियो की स्थापना की गई है। भारत मे प्रथम औद्योगिक बस्ती की स्थापना जनवरी 1955 म सौराष्ट्र के भक्तिनगर म की गई। वर्तमान में भारत म लगभग 700 औद्योगिक बस्तिया कार्यरत है।

7 **विपणन सुविधा** (Marketing Facility) – सरकार ने लघु उद्योगों के उत्पादों के विक्रय के लिए अनेक कदम उठाये है। कर्वे समिति की सिफारिशा के

आधार पर देश के विभिन्न भागो मे सहकारी विपणन समितिया और विपणन सघो की स्थापना की गई। अप्रैल 1949 मे केन्द्र सरकार ने "केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम" की स्थपना की। यह एम्पोरियम देश और विदेश में कुटीर उद्योगो के उत्पाद के विपणन मे सहायता देता है। देश के विभिन्न राज्यो मे भी एम्पोरियम स्थापित किए जाने से लघु उद्योगो के उत्पादो के विपणन मे सहायता मिली है।

8 **प्रशिक्षण सुविधा (Training Facility)** – सरकार लघु उद्योगो के विकास वास्ते प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराती है। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों को प्रशिक्षण सुविधाए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा प्रदान की जाती हैं। राजस्थान मे लघु उद्योगो को प्रशिक्षण सुविधा राजकॉन, जिला उद्योग केन्द्र तथा राजस्थान राज्य उद्योग केन्द्र प्रशिक्षण मुहेया कराते है।

9. **प्राविधिकी सहायता (Mechanical Help)** – सरकार लघु उद्योगो को प्राविधिकी सहायता प्रदान करती है। विगत वर्षो मे लघु उद्योगो को दी जाने वाली प्राविधिकी सहायता मे काफी प्रगति हुई हैं। सरकार द्वारा लघु उद्योगो को प्राविधिकी सहायता निम्न प्रकार दी जाती है –

(i) **औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Detailed Services)** – औद्योगिक विस्तार सेवा का आयोजन लघु उद्योगो को प्राविधिकी सहायता के लिए किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग शालाए तथा प्रादेशिक सेवा शालाए स्थापित की गई है।

(ii) **फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation)** – इसकी सहायता से भारतीय विशेषज्ञ विदेशो मे प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं तथा प्राविधिकी सलाह के विदेशी विशेषज्ञ आमन्त्रित किए जाते हैं।

(iii) **औद्योगिक प्रसारण केन्द्र (Industrial Extention Services)** – ये केन्द्र उद्योगो को प्राविधिकी सुविधाए मुहैया कराते हैं।

(iv) **केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन (Central Small Industries Organisation)** – इसके द्वारा नियमित रुप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस सगठन ने लघु उद्योगो को विभिन्न औद्योगिक कार्यो के लिए वर्कशाप ओर माल की जाच के लिए प्रयोगशाला की सुविधाए देने का प्रबन्ध किया है।

(v) लघु उद्योगो को आधुनिक प्रौद्योगिकी मुहैया कराने वास्ते टैक्नालॉजी विकास एव आधुनिकीकरण कोष योजना प्रारम्भ की गई है।

(vi) सामुदायिक विकास खण्डो तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रो के विकास अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने क्षेत्र मे उद्योगो का विकास कर सके।

10 **प्रचार और प्रदर्शनियां (Propaganda and Exhibition)** – सरकार और विभिन्न सस्थाओ के द्वारा लघु उद्योगो के प्रचार के लिए विभिन्न पत्रिकाओं यथा

लघु उद्योग समाचार उद्योग व्यापार पत्रिका आदि का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा प्रदर्शनियो के आयोजन से लोगो को लघु उद्योगो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

11 पुरस्कार (Prizes) – लघु उद्योग क्षेत्र मे कारगर भूमिका निभाने वाले उद्यमियो को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

इस प्रकार सरकार द्वारा लघु उद्योगो के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए है। लघु उद्योगो को सहायता और सुविधाए मुहैया कराना सरकार की नीति का मूलाधार है।

लघु उद्योगों की समस्याए
(Problems of Small Scale Industries)

भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण उपादेयता और योजनाबद्ध विकास मे लघु तथा ग्रामोद्योग का तेजी से विकास के बावजूद यह क्षेत्र समस्याओ से अछूता नहीं हैं। सरकार ने नियोजन काल मे लघु उद्योगो के विकास के लिए अनेक प्रकार की सुविधाए और उत्प्रेरणाए मुहैया कराई है। वर्तमान मे लघु उद्योगो को अनेक प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1 बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा (Competition with Large Scale Industries) – भारत के लघु उद्याग बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं है। बडे उद्योगा की भाति लघु उद्योगा को बडे पैमाने के उत्पादन के लाभ नहीं मिल पाते है और न ही लघु उद्योगो के पास वित्तीय ससाधनो की बहुलता होती है। प्रचार–प्रसार के मामले म भी ये बडे उद्योगा से पिछड जाते है। भारत मे जिन वस्तुओ का उत्पादन लघु उद्योगो मे होता है उनमे से अनेक का उत्पादन बडे उद्योगो मे भी होता है। नई औद्योगिक नीति (1991) मे लघु उद्योगो की अश पूजी मे बडे उद्योगो की अश सहभागिता कर दी गई है जिनसे बडे उद्योगो की लघु उद्योग मे दखलदाजी बढ़ेगी।

2 अनार्थिक इकाईयों की समस्या (Problem of Uneconomical Units) – लघु उद्योग क्षेत्र में अनार्थिक इकाइयों की समस्या गभीर है। हाल ही के वर्षों में अनार्थिक इकाइयो की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। कुप्रबन्ध वित्त की कमी तथा विपणन की समस्या रुग्णता का प्रमुख कारण है। दिसम्बर 1987 मे 91 5 प्रतिशत लघु इकाइया अनार्थिक इकाइयो की श्रेणी में थी। 31 मार्च 1991 के अत मे वाणिज्यिक बैंको की नामावली में 2 24 लाख औद्योगिक इकाइया ऋणग्रस्त थी जिनमे 2 21 लाख से कुछ अधिक (99%) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइया थी। लघु उद्योग क्षेत्र पर 31 मार्च 1991 को 2 792 04 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया था जो कुल बैंक ऋण व बकाया का 25 9 प्रतिशत था।[1]

3 कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw Material) – लघु उद्यमी

असगठित हैं। लघु उद्योगो को कच्चे माल के लिए स्थानीय उत्पादको पर निर्भर रहना पडता है। कच्चे माल के बडे स्थानीय उत्पादक ऊची कीमतो पर कच्चे माल का विक्रय करते हैं तथा विक्रय के साथ उत्पादित माल को उन्हीं को कम कीमत पर बेचने को बाध्य कर देते हैं। कच्चे माल की पूर्ति यदि आयात द्वारा की जाती है तो लघु उद्योगो के लिए कठिनाई और अधिक हो जाती है। आयातित कोटे मे लघु उद्योगों को कम भाग मिलता है तथा आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती। इन सब कारणों से लघु उद्योगो की उत्पादन लागत बढ जाती है।

4 वित्त का अभाव (Lack of Finance) – लघु उद्योगो के विकास मे वित्त का अभाव प्रमुख बाधा हैं। इनके पास वित्तीय ससाधन सीमित होते है। ये उद्योग पूजी बाजार से भी वित्तीय ससाधनो को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लघु उद्यमियो की जोखिम पूजी सीमित होने के कारण व्यापारिक बैंक लघु उद्योगो को ऋण सुविधा देने मे रुचि नहीं लेते है। सरकारी सहायता भी पर्याप्त मात्रा मे समय पर नहीं मिल पाती है। परिणामस्वरूप लघु उद्योगो को निजी सूत्रो से अधिक ब्याज दर वित्तीय साधन जुटाने होते है। यद्यपि नियोजन काल मे वित्त व्यवस्था के काफी प्रयास किए गए है फिर भी लघु उद्योगो की आवश्यतानुसार वित्त का अभाव है।

5 विपणन की समस्या (Problem of Marketing) – लघु उद्योगो के समक्ष उत्पादित माल को बेचने की प्रमुख समस्या है। इनके पास भण्डारण व्यवस्था का अभाव होता है। लघु उद्यमी सामान्यतया माल को बिचौलियो के माध्यम से बेचने को मजबूर है। लाभ का अधिकाश भाग बिचौलिए हडप जाते है। लघु उद्योगो के आकार के छोटा होने तथा वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण इन्हे बाजार ढूढने मे कठिनाई होती है तथा अनेक बार विपणन में बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा मे टिक नहीं पाते हैं।

6 तकनीकी सुविधाओ का अभाव (Lack of Technical Facilities) – भारत के परम्परागत लघु उद्योगो मे तकनीकी सुविधाओ का अभाव है तथा लघु स्तर उद्योग एव विद्युत चालित करघे आधुनिकीकरण पर जोर नहीं देते हैं। इसके विपरीत जापान कोरिया आदि ऐसे देश है जहा के लघु उद्योगो का उत्पाद आधुनिकतमक तकनोलॉजी से सुसज्जित होता है। भारतीय लघु उद्यमी पुराने औजार और प्राचीन विधि को नहीं छोड पाते हैं।

7 विद्युत का अभाव (Lack of Electric) – देश मे ऊर्जा का अभाव है। न केवल ग्रामीण क्षेत्र अपितु शहरी क्षेत्र भी विद्युत की अनियमित आपूर्ति से ग्रसित हैं। बडे उद्योग विद्युत कटौती से पीडित हैं। पारम्परिक लघु उद्योग मे सलग्न कारीगर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र मे कार्यरत हैं। लघु उद्योग ऊर्जा के अभाव मे उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं।

8 यातायात समस्या (Problem of Transportation) – देश मे शक्ति के साधनो की भाति यातायात विकास भी नहीं हो सका है। ग्रामीण परिवेश मे रेल सडक वायु यातायात का अभाव हैं। यातायात के साधनो के अभाव मे लघु उद्योगो

को निर्मित माल बाजारो तक पहुचाने मे तथा कच्चे माल को उद्योगो तक लाने मे यातायात लागते अधिक बैठती है।

9 **प्रशिक्षण की सुविधाओ का अभाव (Lack of Trainning Facilities)** – लघु उद्योगो मे प्रशिक्षण की सुविधाओ का अभाव है। लघु उद्योगो मे सलग्न कारीगर अशिक्षित तथा रूढिवादी है। उनमे तकनीकी शिक्षा का तो नितात अभाव है। नवीन उत्पादन विधिया आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि लघु सेवा सस्थानो द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। किन्तु दूर–दूर फैले लघु उद्योग प्रशिक्षण सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रशिक्षण सुविधाओ का लाभ शहरी क्षेत्रो मे स्थापित लघु उद्योगो तक सीमित है।

10 **धीमी विकास गति (Slow Development)** – लघु उद्योगो मे विकास की गति धीमी है। लघु उद्योग क्षेत्र मे उत्पादन वृद्धि दर 1991–92 मे केवल 3 1 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय आय मे भी लघु उद्योगो का योगदान घटा है। वर्ष 1950–51 मे राष्ट्रीय आय में लघु उद्योगो का प्रतिशत 8 80 था जो घटकर 1968–69 मे 3 प्रतिशत ही रह गया। वर्तमान मे लगभग 4 प्रतिशत है।

11 **कर भार (Tax Burden)** – भारत मे कर प्रणाली जटिल है। लघु उद्यमी विशेषज्ञ नहीं होते है तथा वित्तीय ससाधनो के अभाव मे विशेषज्ञो की सेवाए नही ले पाने के कारण अनेक बार अधिक कर चुका देते हैं और कई बार कर का भुगतान नहीं कर पाते हैं। स्थानीय करो मे वृद्धि के कारण भी लघु उद्योगो की लाभदेयता प्रभावित हुई है।

12 **अन्य समस्याए** – लघु उद्योगो मे सगठन का अभाव है। इनके विकास मे श्रम सबधी समस्याए भी आडे आती हैं। उत्पादन की किस्म मे समय के बदलाव के साथ सुधार नहीं हो पाता है। सरकारी सुविधाओ का लाभ प्राप्त करने मे भ्रष्टाचार गभीर समस्या है।

लघु उद्योगो के विकास हेतु सुझाव
(Suggestions for Development of Small Scale Industries)

पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योगो के विकास के काफी प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद भी लघु उद्योगो के सामने कच्चे माल विपणन साख परिवहन उत्पादन तकनीकी कराधान बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा घटिया उत्पाद शक्ति के साधनों की कमी सगठन का अभाव तथा श्रम सबधी आदि समस्याए है। हाल ही के वर्षो मे लघु उद्योगो मे अनार्थिक इकाईयो की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगो के विकास मे ये ऐसी समस्याए है जिन्हे प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। अग्राकित सुझाव लघु उद्योग की समस्याओ के समाधान में कारगर साबित हो सकते हैं

1 **आधुनिक तकनीक पर बल (Stress on Modern Techniques)** – वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में किसी भी उत्पाद के बाजार मे टिकने के लिए तीन चीजे

बेहद जरुरी है – अधुनाधन तकनोलॉजी, गुणवत्ता और उचित मूल्य। अत लघु उद्योगो को समूचा ध्यान इस और केन्द्रित करना चाहिए। बिना अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात किए उद्यमी अपने को खिताबी दौड मे बनाए रखना तो दूर ट्रेक पर खडे रहना भी दुर्लभ है। नवीन तकनीक को आत्मसात करते समय यह ध्यान मे रखना होगा कि यह हमारी परिस्थितियो के अनुरूप है या नहीं, अन्यथा हमे इच्छित परिणामो की प्राप्ति नहीं होगी।[१]

2 **कच्चे माल की आपूर्ति** (Supply of Raw Material) – कच्चे माल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उद्योगो के विकास के लिए बहद आवश्यक हे। सरकार को लघु उद्योगो के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए स्टॉक आवश्यक है। कच्चे माल का अभाव होने पर आयात द्वारा पूर्ति की जानी चाहिए। आयातित कच्चे माल का लघु उद्योगो को आवश्यकतानुसार आबटन किया जाना चाहिए।

3 **पर्याप्त वित्त व्यवस्था** (Sufficient Finance Arrangement) – वित्त का अभाद लघु उद्योगो के विकास मे प्रमुख बाधा है। लघु उद्यमियो को सेठ–साहूकारो के चगुल से बचाने के लिए व्यापारिक बैंक तथा सहकारी सस्थाओ द्वारा स्थिर और कार्यशील पूजी के वास्ते उदार शर्तो और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाए मुहैया कराई जानी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लघु उद्योगो की वित्त व्यवस्था मे कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

4 **विपणन सुविधा** (Marketing Facility) – सरकार लघु उद्यमियो के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे लघु उद्यमियो को उत्पाद बिचोलियो के माध्यम से विक्रय नहीं करना पडे। लघु उद्योग उत्पाद की विदेशो मे पर्याप्त माग होती है। सरकार को उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था करनी चाहिए। देश मे लघु उद्यमियो के उत्पाद के लिए विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाए। लघु उद्यमियो को साथ मिल कर प्रचार–प्रसार करना चाहिए। विक्रय के लिए सहकारी विपणन भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

5 **बडे उद्योगों से समन्वय** (Co ordination with Large Scale Industry) – यद्यपि लघु उद्योगा के उत्पाद आरक्षित है फिर भी अनेक मामला म लघु उद्योगा को बडे उद्योगो से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। बडे उद्योगो तथा लघु उद्योगो के बीच उत्पाद का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। प्रतिद्वन्द्विता की स्थिति मे समन्वित कार्यक्रम निर्मित्त किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसे हैं कि बडे एव लघु उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक हो।

6 **प्रशिक्षण सुविधा** (Training Facilities) – लघु उद्योगो को तकनीकी और प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण परिवेश के लघु उद्यमी प्रशिक्षण सुविधाओ से वचित है। अत ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाए जिससे लघु उद्यमी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। शहरी क्षेत्रो मे जो प्रशिक्षण केन्द्र है उनमे अत्याधुनिक प्रबन्धकीय और तकनीकी प्रशिक्षण

सुविधाए हो। प्रशिक्षण सुविधाओ के विस्तार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पोलीटेक्नीक महाविद्यालय प्रबन्ध पाठयक्रम आदि खोले जाने चाहिए।

7 **औद्योगिक बस्तियो की स्थापना** (Establishment of Industrial Estates) – देश मे औद्योगिक बस्तियो की सख्या मे अवश्य बढोतरी हुई है। किन्तु देश मे औद्योगिक बस्तियो का अभाव आज भी बना हुआ है। औद्योगिक बस्तियो में महज सख्यात्मक वृद्धि हुई है। उनमे अब सरचनात्मक अभाव है। अत लघु उद्योगों के तेज विकास के लिए औद्योगिक बस्तियो के विस्तार के साथ गुणात्मकता भी आवश्यक है। औद्योगिक बस्तिया विद्युत सडक रेल, पानी, सचार आदि सुविधाओ से सुसज्जित हो।

8 **कर छूट** (Tax Exemption) – पैचीदगी पूर्ण कर प्रणाली को आसान किया जाना चाहिए। निर्यातोन्मुखी लघु इकाइयो को करो मे छूट दी जानी चाहिए। स्थानीय करो की मात्रा को भी कम किया जाना चाहिए।

9 **सगठन** (Organisations) – लघु उद्यमियो को सगठित होना चाहिए। सगठित लघु उद्यमी सस्ते दामो पर कच्चे माल का क्रय कर सकते है तथा निर्मित माल बिना बिचौलिए के सीधे बाजार मे विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर सकते है।

पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योग के विकास के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने लघु उद्योगो को अनेक प्रकार की सुविधाए और उत्प्रेरणाए मुहैया कराई है। हाल ही के वर्षो मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पहल की गई। खादी ग्रामीण और कुटीर उद्योगो को लगातार महत्त्व दिया जा रहा है। आई आई डी एन एस आई सी और सिडबी योजनाओ के अन्तर्गत अति लघु क्षेत्र को व्यापक सहायता उपलब्ध करायी गई। व्यापार सबधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना पूर्णतया महिलाओ के लिए शुरू की गई तथा औद्योगिक समूह के लिए व्यापक योजना बनाई गई। राजकीय प्रयासो के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था मे उत्पादन रोजगार तथा निर्यात के क्षेत्र मे लघु उद्योगो की भूमिका बढी। आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र नी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटी है। लघु उद्योगा के लिए आरक्षित उत्पादो की सख्या मे कमी की गई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार मे विदेशी उत्पादो की सख्या तेजी से बढ रही है। भारतीय उत्पाद तुलनात्मक रूप से पिछडे तकनीक के कारण विदेशी उत्पादो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे नहीं है। तीव्र प्रतिस्पर्धा मे भारतीय उत्पादो के टिकने के लिए उद्यमियो और केन्द्र सरकार को प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगो के विकास में समस्याओ को प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। देश की माली हालत को देखते हुए लघु उद्योगो को प्राथमिकता देना सारगर्भित है। लघु उद्योगो के विकास से रोजगार सृजन सभव है। इसके अलावा लघु उद्योगो म शीघ्र उत्पादन से महगाई भी कम होती है जिसका लाभ गरीबो को मिलता है लघु उद्योगो की उपादेयता को दृष्टिगत

रखते हुए इन्हे 'स्माल सेक्टर' नहीं 'स्कोप सेक्टर' समझना होगा।

सन्दर्भ

1 *भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ*, 1994 पृ 546
2 *तथ्य भारती*, जनवरी 1996
3 *Eighth Five Year Plan*, 1992-97
4 शर्मा ओ पी, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ स 163
5 वही, पृ स 160

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 लघु उद्योगो की परिभाषा और वर्गीकरण बताइए।
2 अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
3 लघु उद्योगो के विकास का सक्षेप मे वर्णन कीजिए।
4 लघु उद्योगो की क्या समस्याए है।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो की भूमिका का वर्णन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए लघु उद्योगो की भूमिका को लिखिए।)
2 पचवर्षीय योजनाओं मे लघु उद्योगो की प्रगति बताइए तथा लघु उद्योगो के विकास मे क्या बाधाए है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गए पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योगो का विकास लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे लघु उद्योग के विकास की बाधाए लिखिए।)
3 लघु उद्योगो की क्या समस्याए है तथा इनके समाधान के सुझाव बताइए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई लघु उद्योगो की समस्याए तथा दूसरे भाग मे समाधान के सुझाव लिखिए।)
4 भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु एव कुटीर उद्योगो का क्या महत्त्व है? सरकार ने इन्हे प्रोत्साहित करने के लिए क्या–क्या कार्य किये है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे लघु एव कुटीर उद्यागो का महत्त्व लिखना है तथा द्वितीय भाग मे लघु उद्योगो के विकास के राजकीय प्रयास देने है।)
5 भारतीय अर्थव्यवस्था म लघु उद्योगो का महत्त्व बताइए। इन उद्योगा की समस्याआ के समाधान के लिए क्या किया गया है।
(सकेत – इस प्रश्न का उत्तर पश्न 4 के सकेत के अनुसार दना है।)

भारत में औद्योगिक नीति तथा उसमें नवीन परिवर्तन

(Industrial Policy and Recent Changes in India)

औद्योगिक नीति का महत्त्व
(Importance of Industrial Policy)

औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना चाहता है इसके लिए दिशा–निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है अतः देश की औद्योगिक नीति उसके औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। वर्तमान बदलते आर्थिक परिदृश्य में तो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ़ गई है।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य
(Objectives of Industrial Policy)

स्वतन्त्रता उपरान्त भारत में घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समरूप रहे हैं। औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना होता है और औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित होता है। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो।

असन्तुलित क्षेत्रीय विकास देश में जन असन्तोष को बढ़ावा देता है। विदित है भारत में कुछ राज्य यथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार काफी पिछड़े हुए हैं। औद्योगिक नीति के द्वारा प्राय सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है।

औद्योगिक नीति सतुलित आर्थिक विकास को भी बढावा देती है। इससे उद्योग, कृषि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य विविध क्षेत्रो का सतुलित विकास किया सकता है।

औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, सयुक्त एव सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योकि इसमे सभी क्षेत्रो के अधिकार व दायित्वो का स्पष्ट विभाजन होता है। बडे और लघु उद्योगो का क्षेत्र विभाजित कर इन्हे परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से बचाया जा सकता है जिससे लघु उद्योगो को पर्याप्त मात्रा मे फलने–फूलने का अवसर मिलता है। उपभोग वस्तु उद्योगो व पूजी वस्तु उद्योगो मे परस्पर सहयोग को बढावा देकर सतुलन स्थापित किया जाता है।

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूजी व साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है। प्राय भारत सरीखे विकासशील देशो मे पूजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है।

भारत में औद्योगक नीति
(Industrial Policy of India)

स्वतत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारत मे औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई है। समुचित विश्लेषण के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन निम्न शीर्षको के अन्तर्गत किया जा सकता है

1 स्वतत्रता पूर्व औद्योगिक नीति
2 औद्योगिक नीति, 1948
3 औद्योगिक नीति 1956
4 1977 मे घोषित औद्योगिक नीति
5 औद्योगिक नीति, 1980
6 वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात् जुलाई 1991 मे घोषित नीति)

इनका सक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण निम्नलिखित हे

स्वतत्रता के पूर्व औद्योगिक नीति (Industrial Policy Prior to Independence)

भारत का अतीत औद्योगिक रुप से धनाढय रहा है। सूमचे विश्व मे भारत 'सोने की चिडिया' के नाम से सुविख्यात था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय उत्पादो की व्यापक माग थी। स्वतत्रता से पूर्व व्यापार सतुलन सदैव पक्ष मे रहा। ढाका की मलमल तो विश्व में पृथक पहचान बनाए हुए थी। लघु, कुटीर एव हस्तशिल्प उद्योग दुनिया मे अपना सानी नहीं रखते। हस्तशिल्प प्रागैतिहासिक काल से कलात्मक जगत मे विख्यात था, यह रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया मे कला और सास्कृतिक वैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई और ढुलाई मे भारत काफी आगे बढा हुआ था। दिल्ली के निकट स्थित लौह–स्तभ इसका ज्वलत उदाहरण है।

अठारहवीं शताब्दी के अत में भारत मे औद्योगिक विकास के स्तर एव यहा

के लोगो की औद्योगिक दक्षता एव प्राविधिकी कुशलता का मोटा अनुमान टी एच हालैण्ड की अध्यक्षता मे नियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के इन शब्दो से लगाया जा सकता है जिस समय पश्चिम यूरोप मे जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान है असभ्य जातिया निवास करती थी उस समय भारत अपने शासको के वैभव एव अपने शिल्पकारो की उच्च कलापूर्ण निपुणता के लिए विख्यात था। यही नहीं बल्कि काफी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत मे पहली बार आए तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप मे यूरोपीय राष्ट्रो की तुलना मे घटिया नहीं था। कुटीर एव हस्तशिल्प उद्योगो के विकसित अतीत की दृष्टि से यह कथन भी उल्लेखनीय लगता है कि जिस समय मिस्र के पिरामिड नील नदी मे झाक रहे थे आर्थिक विकास के विराट दैत्य अपनी जगली अवस्था मे थे भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्वविख्यात था।

भारत की समृद्ध धरोहर पर विश्व के अनेक देशो की लालचभरी दृष्टि पड़ी। देश को विदेशी आक्रान्ताओ के शोषण का शिकार होना पड़ा। अग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहा आए और कूटनीति से हमे गुलामी के शिकजे मे जकड लिया यही से भारत के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई।

भारत मे ब्रिटेन ने जिस आर्थिक नीति का पालन किया उसकी अभिव्यक्ति टियर्स ने इन शब्दो मे की हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त है कि इग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत मे बेचा जाए जिसके बदले मे भारतीय वस्तुए बेची जाए। अठारहवीं शताब्दी के अत से परम्परागत उद्योगो का एक–एक करके खात्मा होने लगा। उद्योगो के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारम्भ होकर अन्य उद्योगो तक व्यापक हो गई। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रही। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान देश में परिवर्तित हो गया।

इग्लैण्ड से राजनीतिक सबध कायम होने तथा औद्योगिक क्राति के कारण भारत मे पूजीगत उत्पाद की भरमार हो गई। हस्तशिल्प उद्योग के पतन से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति मशीन उत्पाद के द्वारा नहीं की गई क्योंकि ब्रिटिश नीति शोषण से ओत–प्रोत थी। उनका मुख्य ध्येय भारत को निर्मित वस्तुओ का बाजार बनाना तथा यहा से कच्चे माल का निर्यात करना था। भारत से निर्यात किए गये कच्चे माल से ब्रिटेन मे उद्योगो की स्थापना की गई। भारत से निर्यातित कच्चे माल से निर्मित माल को भारत मे लाकर यहा के बाजारो को पाट दिया गया।

1918 के औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत मे कुछ चुने हुए उद्योगो को विभेदकारी सरक्षण दिया गया। इस सरक्षण के साथ परमानुग्रहित राष्ट्र कण्डिका जुड़ी हुई थी। फिर भी कुछ उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र चीनी कागज दियासिलाई और कुछ हद तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ने प्रगति की। किन्तु ब्रिटिश शासनकाल मे पूजीगत–वस्तु उद्योगो के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया। भारत मे औद्योगीकरण की सतत् उपेक्षा की गई।

स्वतत्रता की पूर्व सध्या पर भारत म उद्योगो की स्थिति पर नजर डाली

जाए तो हम पाते हैं कि यहा के औद्योगीकरण के ढाचे मे लघु उद्योग इकाइयो की बाहुल्यता थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक विकसित नहीं होने से पूजी की तीव्रता काफी कम थी। उपभोग वस्तु उद्योग और पूजी वस्तु उद्योगो मे भारी असतुलन था।

साराशत ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि नहीं ली, इनके शासन मे भारत का आर्थिक शोषण हुआ। इग्लैण्ड ने भारत की अथाह प्राकृतिक सपदा का मनमाफिक दोहन किया और यहा के उत्पादो पर ब्रिटेन के औद्योगीकरण को त्वरित गति दी। इस तरह विद्वेषपूर्ण व्यवहार से जहा ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बल मिला वहीं भारत का औद्योगिक आधार लगभग टूट गया।

स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति (अर्थात् औद्योगिक नीति, 1948)
(First Industrial Policy of Independent India)

आजादी के बाद जो औद्योगिक विरासत हमे मिली, उस पर प्रगति विरोधी औद्योगिक नीति की स्पष्ट छाप थी। यह, जिस समय आजादी मिली, उस समय देश मे औद्योगिक ढाचे मे लधु उद्योगो की बहुलता, पूजी वस्तु उद्योगो की तुलना मे उपभोग वस्तु उद्योगो की प्रधानता, पिछडी हुई कृषि, राष्ट्रीय आय मे उद्योगो का कम योगदान, अधुनातन तकनोलॉजी का अभाव आदि से स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वतत्रता–उपरात देश की बागडोर भारतीयो के हाथो मे थी, अब वे अर्थव्यवस्था को मनचाहा रुप देने को लिए स्वत्तत्र थे।

गुलामी के काल में क्षत–विक्षत हो चुके ओद्योगिक वातावरण को स्वातन्त्र्योत्तर पुनरुत्थान के लिए 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग एव वाणिज्य मत्री स्वर्गीय डा श्यामाप्रसाद भुखर्जी ने ओद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का अहम् उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक नियोजन का अनुसरण करना था। इसमे सार्वजनिक एव निजी, दोनो क्षेत्रा को औद्योगिक विकास का अवसर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अधीन कार्य करना था।

1948 की औद्योगिक नीति की मुख्य बाते अग्राकित थी

उद्योगों का वर्गीकरण (Classification of Industries) . देश के बडे उद्योगो को निम्न चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया

(क) प्रथम श्रेणी मे अस्त्र–शस्त्र और युद्ध सामग्री का निर्माण, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रवन्ध पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियत्रण रहेगा। इन उद्योगो के विस्तार एव विकास का दायित्व सरकार का था।

(ख) दूसरे वर्ग में जिन उद्योगो को शामिल किया गया, वे थे कोयला, लोहा और इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत–निर्माण, टेलीफोन निर्माण, तार और

बेतार, यत्र और खनिज तेल।

भविष्य म इन उद्योगो के अन्तर्गत केवल राज्य ही कारखाने खोल सकेगा। जहा तक उक्त उद्योगो के अन्तर्गत विद्यमान निजी उद्यम का प्रश्न है, राज्य सरकार किसी भी औद्योगिक इकाई को स्वामित्वाधीन कर सकेगी।

(ग) तीसरे वर्ग मे 18 महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों को सम्मिलित किया गया जो उद्योगपतियो द्वारा सरकार के नियमन और नियत्रण मे चलाए जाएगे। जिन उद्योगो को इस वर्ग मे सम्मिलित किया गया, वे हैं नमक, मोटर गाडियॉ ट्रेक्टर बिजली, इजीनियरी की भारी मशीनरी, मशीनी औजार, भारी रासायनिक सामान उर्वरक, अलौह–धातुए, रबर, सचालन शक्ति और औद्योगिक अल्कोहल, सूती और ऊनी कपडा, सीमेंट, कागज, चीनी, अखबारी कागज, वायु और नौ–परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से सबधित सामान।

(घ) चौथे वर्ग मे औद्योगिक क्षेत्र के शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगो में निजी एव सहकारी उद्यम स्वतत्र रुप से कार्य कर सकता है।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे देश मे औद्योगिक विकास की गति को बढाने, उद्योगो मे विविधता तथा नवीन तकनोलॉजी का लाभ हासिल करने के लिए विदेशी पूजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति में कहा गया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान म रखते हुए विदेशी पूजी के नियमन के लिए स्वामित्व तथा कारगर नियत्रण मे एक बडा भाग भारतीयो के हाथ मे हो, किन्तु सभी मामलो में योग्य भारतीय कर्मचारियो को प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो अन्ततोगत्वा विदेशी विशेषज्ञो का स्थान ले सके।

समीक्षा (Criticism) – स्वतत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास का एक क्रातिकारी कदम था, जिसकी आम तौर पर पूरे देश में सराहना की गई। मिश्रित एव नियन्त्रित अर्थव्यवस्था की नींव इस औद्योगिक नीति की मुख्य सफलता थी। मीनू मसानी के शब्दो म, "इस नीति के द्वारा प्रजातात्रिक समाजवाद की नींव डाली गई।" सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के पारस्परिक महत्व को समझा गया ताकि औद्योगिक विकास को बल मिल सके। विदेशी पूजी को देश के विकास मे महत्त्व देना इस नीति का प्रभावोत्पादक कदम था जिसकी प्रासगिकता देश की अर्थव्यवस्था म आज भी बनी हुई है।

प्रथम श्रेणी के उद्योगो मे बडे उद्योग सरकार द्वारा पहले से ही चलाए जा रह थे इसलिए निजी क्षेत्र न इस पर कोई आपत्ति नहीं की। किन्तु द्वितीय श्रेणी क उद्योग एक तरह से राष्ट्रीयकरण की धमकी थी, जिससे इस नीति को निजी क्षेत्र की आलोचना का शिकार होना पडा। किन्तु आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को नियन्त्रित करने के लिए यह कदम समयानुकूल था।

औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम 1951
[Industrial (Development and Regulation) Act, 1951]

स्वतत्र भारत की प्रथम ओद्योगिक नीति को क्रियान्वित करने तथा उद्योगो के विकास एव नियमन करने के लिए अक्टूबर 1951 मे औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम पारित किया गया, जिसने अपना कार्य 8 मई, 1952 से प्रारम्भ किया।

अधिनियम की मुख्य धाराए अग्राकित है

पंजीयन (Registration) अनुसूचित उद्योगो की सभी चालू औद्योगिक इकाइयो को निर्धारित समय के अन्दर पजीयन कराना अनिवार्य हैं। केन्द्रीय सरकार से लाइसेस प्राप्त किए बिना कोई नवीन इकाई स्थपित नहीं की जा सकती है और न ही के वर्तमान इकाई चालू प्लाट का काफी विस्तार कर सकती है। नवीन लाइसेस जारी करते समय सरकार स्थान और आकार आदि शर्तें तय कर सकती है।

जांच (Check) सरकार किसी भी ऐसे उद्योग की जाच कर सकती है जिसमें उत्पादन गिर जाए, कीमत में बढोतरी होती जाए, उत्पादन की किस्म घटिया होती जाए या फिर उद्योग राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ ससाधनो का प्रयोग करते हों, उपभोक्ताओ को हानि पहुचने की सभावना हो।

सजा (Punishment) ऐसी औद्योगिक इकाइया जो सरकारी निर्देशानुसार प्रबन्ध और नीतियो मे अपेक्षित सुधार नहीं करती, सरकार उनके प्रबन्ध को अपने अधिकार मे कर सकती है।

विकास परिषदे (Development Councils) इसमे उद्योग, श्रम, उपभोक्ता व प्रबन्धको के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विकास परिषदें सबधित उद्योग मे उत्पादन बढाने, उत्पाद की किस्म सुधारने व प्रबन्ध मे सुधार की व्यवस्था करती है।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Consultation Council) इसकी स्थापना मई 1953 मे की गई। परिषद् में उद्योग व उपभोक्ता वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कानून बनाने, पजीयन व लाइसेस के विशेष मामलो मे, उद्योग का प्रबन्ध हाथ मे लेते समय केन्द्रीय सलाहकार परिषद् से सलाह मशविरा करती है।

समीक्षा (Criticism) ध्यातव्य है कि स्वतत्रता से पूर्व देश की जरुरत के मुताबिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ। निजी क्षेत्र राष्ट्र–हित को तिलाजलि देकर स्व–हित को सर्वोपरि मानता रहा। इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र पर अकुश रखा, औद्योगिक विकास को राष्ट्र–हित की ओर उन्मुख किया। अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता की समस्या कुछ सीमा तक हल हुई। औद्योगिक घरानो की जाच व सजा के प्रावधान के कारण उनकी मनमानी पर लगाम लगी।

दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिनियम अपने उद्देश्या को पूर्णरुपेण प्राप्त करने म सफल नहीं हो सका। प्राफेसर आर के हजारी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ औद्योगिक घराने एक ही वस्तु के उत्पादन से सबधित बहुत स आवेदन पत्र के कारण अधिकाश लाइसेस सामर्थ्य प्राप्त करने म सफल हो गए ओर उन्होंने लाइसस सामर्थ्य का पूरा उपयोग भी नहीं किया। बडे औद्योगिक घरानो की इस कुप्रवृत्ति के कारण अन्य फर्मे लाइसेस सामर्थ्य प्राप्त करने मे सफल नहीं हो सकीं।

भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम में समय–समय पर महत्वपूर्ण सशोधन किए गए जिसम 1970, 1973 तथा 1978 मे किए गए सशोधन मुख्य हैं। पिछले वर्षो म सरकार द्वारा लाइसेस व्यवस्था को अधिक उदार बनाने के व खत्म करने की दिशा म जो कदम उठाए गए हैं, उससे अधिनियम का मूल स्वरुप ही परिवर्तित हो गया है।

ओद्योगिक नीति, 1956 (Industrial Policy 1956)

आजादी के बाद से लेकर नवीन औद्योगिक नीति 1991 घोषित किए जाने से पूर्व तक 1956 की औद्योगिक नीति, घोषित सभी औद्योगिक नीतियों का आधार स्तभ रही है। 1977 की औद्योगिक नीति अवश्य अपवाद रही है। 1956 की औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक सविधान" के नाम से जानी जाती रही।

30 अप्रैल 1956 को स्वर्गीय प्रधानमत्री प जवाहरलाल नेहरु ने औद्योगिक नीति सबधी प्रस्ताव ससद में पेश किया।

प्रथम औद्योगिक नीति 1948 से 1956 के बीच आठ वर्षों तक क्रियान्वित रही। इस दौरान देश की राजीतिक एव आर्थिक स्थिति मे काफी बदलाव आ गया था। 26 जनवरी, 1950 को नवीन सविधान स्वीकृत किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होकर दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि प्रारम्भ हो चुकी थी, जो मुख्यत उद्योग प्रधान योजना थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 1954 मे समाजवादी ढग के समाज को आर्थिक व सामाजिक नीतियो के आधार के रुप मे स्वीकार किया। इन सभी परिवर्तनो के कारण यह आवश्यक समझा गया कि देश म एक ऐसी औद्योगिक नीति घोषित की जाए जो बदली हुई आर्थिक व राजनीति परिस्थितियो के अनुरुप हो।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें (Main Aspects of Industrial Policy)

उद्योगों का वर्गीकरण (Classification of Industries) इस नीति म उद्योगा को तीन श्रणिया में विभक्त किया गया। राज्य ने किसी भी औद्योगिक उत्पादन को नियत्रित करने का अधिकार अपने हाथ म सुरक्षित रखा। उद्योगो की तीन श्रणिया निम्नाकित थीं

प्रथम श्रेणी इसमें 17 एसे उद्योगो का सम्मिलित किया गया जिनके विकास का पूर्ण दायित्व सरकार का होगा। यह श्रणी एक तरह से 1948 की

औद्योगिक नीति के प्रथम दो श्रेणियो का सम्मिश्रण थी। जो उद्योग इस श्रेणी मे सम्मिलित थे, वे हैं अस्त्र–शस्त्र, अणुशक्ति, लौह–इस्पात, कोयला व लिग्नाईट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, मैगनीज, जिप्सम, गधक, सोना व हीरो का खनन, सीसा, जस्ता, ताबा, रागा आदि की खाने खोदना, अणु शक्ति उत्पादन से सबधित खनिज, हवाई जहाज निर्माण, हवाई व रेल परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन एव उसके तार एव बेतार का तार, बिजली का उत्पादन एव वितरण, भारी मशीने, बिजली के भारी यत्र आदि।

द्वितीय श्रेणी इसमे 12 उद्योगो को सम्मिलित किया गया जिन पर राज्य का अधिकार बढता जाएगा तथा नवीन इकाइयो की स्थापना सरकार द्वारा की जाएगी। निजी क्षेत्र राज्य का सहयोग करेगा। इस श्रेणी मे जो उद्योग सम्मिलित थे, वे है प्रथम श्रेणी मे सम्मिलित खनिजो के अतिरिक्त अन्य खनिज उद्योग, एल्युमीनियम एव अन्य अलौह धातुए जो प्रथम श्रेणी मे सम्मिलित नहीं हैं, मशीनी औजार, औजारी इस्पात, रसायन उद्योग, उर्वरक, सश्लिष्ट रबर, एटीबायोटिक्स और अन्य दवाईया, कोयले का कार्बनीकरण, रासायनिक घोल, समुद्री परिवहन, सडक परिवहन।

तृतीय श्रेणी शेष सभी उद्योगो को इस श्रेणी मे रखा गया, जिनका विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इस श्रेणी के उद्योगो को भी राज्य की आर्थिक नीति के अनुरुप कार्य करने की चेतावनी दी गई। सरकार कभी भी इस श्रेणी के उद्योगो की स्थापना कर सकती है।

1956 की औद्योगिक नीति मे विभिन्न श्रेणी पृथक् नहीं होकर एक दूसरे से सबधित है। विशेष परिस्थितियो मे इस विभाजन मे परिवर्तन भी किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को विशेष परिस्थिति मे प्रथम श्रेणी मे उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है इसी तरह सरकारी क्षेत्र के अधीन भारी उद्योग अपनी आवश्यकताओ के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर हो सकते हैं।

निजी क्षेत्र को सरकार की आर्थिक व सामाजिक नीतियो के अनुरुप कार्य करना होगा। सरकार विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ तथा राजकोषीय नीतियो के द्वारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी तथा ऐसे उद्योग जहा सार्वजनिक व निजी, दोनो क्षेत्र विद्यमान हो, सरकार की नीति न्यायोचित व भेदभाव रहित होगी।

औद्योगिक नीति मे इस बात पर ध्यान दिया गया कि सरकार विभिन्न प्रोत्साहनो के जरिए जैसे सब्सिडी, विभेदक कर, बडे उद्योगो के उत्पादन का कोटा निर्धारित करना आदि के द्वारा सरकार लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित करेगी।

मधुर औद्योगिक सबध मानव दिवस सर्जन व उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है। नीति–प्रस्ताव में औद्योगिक शाति के पथ प्रदर्शक के रुप मे सार्वजनिक क्षेत्र को भूमिका निभानी होगी। श्रम को प्रबन्ध मे भागीदारी व कामगारो

की कार्य की दशाए व कार्यकशुलता मे वृद्धि पर जोर दिया गया।

नीति मे इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रो म आर्थिक अद्य सरचना सुविधा मुहैया करा कर देश का सतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। समूचे देश म औद्योगिक व कृषि का समुन्नत विकास करके गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगो को ऊपर उठाकर अच्छे जीवन स्तर मे वृद्धि की जा सकती है।

आलोचनात्मक मूल्याकन (Critical Evaluation) 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक सविधान माना गया। समाजवादी समाज की स्थापना के ढाचे का प्रस्ताव मे औद्योगिक विकास के रुप मे अभिव्यक्त किया गया। आर्थिक विकास की दृष्टि से इस नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु निजी क्षेत्र के समर्थको ने यह कहकर आलोचना की सरकारी क्षेत्र दैत्याकार बनकर निजी क्षेत्र को हडप जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है विदेशी पूजी को हतोत्साहित करती है गाधीवादी सिद्धातो के विपरीत है आदि। किन्तु नीति प्रस्ताव मे कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि निजी क्षेत्र स्वय को उपेक्षित महसूस करे।

सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रतिद्वन्द्वी के रुप मे विकसित नहीं होगा अपितु उसका विकास उन अनुकूल दशाओ और अद्य सरचना के निर्माण के लिए होगा जिससे निजी क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके।

1956 की औद्योगिक नीति देश को समाजवाद की ओर प्रवृत्त करने का महत्त्वपूर्ण कदम था। नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इसका मुख्य कारण 1948 से 1955 क बीच निजी क्षेत्र के असतोषजनक कार्य प्रगति थी।

औद्योगिक नीति इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि इसमे औद्योगिक वर्ग पृथक खड नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों मे प्रथम श्रेणी के उद्योगो मे निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति थी इसी तरह सरकार भी निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त कर सकती है। नीति मे राष्ट्रीयकरण के सबध मे कोई व्यवस्था नहीं की गई।

तात्कालिक परिस्थितियो मे 1956 की औद्योगिक नीति का कोई विकल्प नहीं था। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास न्यायसगत था। सरकार ने कामगारो एव राष्ट्र के हितार्थ अनेक उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया था। सार्वजनिक उपक्रमो का अधिकाधिक विकास द्वारा ही देश मे आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण कम हुआ।

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की उपादेयता को आने वाले कई वर्षो तक स्वीकार किया जाता रहेगा। वर्तमान मे बदलते आर्थिक परिवेश मे सार्वजनिक उपक्रमो का दायरा सकुचित नहीं किया गया है यद्यपि इस क्षेत्र मे कुछ प्रमुख निर्णय अवश्य लिए गए हैं वे मुख्यत घाटे को कम करना तथा प्रतिस्पर्धी बनाना आदि से सबधित है। आज नवीन औद्योगिक नीति (1991) में निजी क्षेत्र की

भूमिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो 1956 की सरकार की निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एव भेदभाव रहित नीति के अनुरुप ही है।

1977 मे घोषित औद्योगिक नीति
(Declared Industrial Policy, 1977)

भारत के तत्कालीन उद्योग मत्री जार्ज फर्नाण्डिस ने 23 दिसम्बर, 1977 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक नीति के वक्तव्य मे पिछली औद्योगिक नीति की यह कहकर आलोचना की गई कि 1956 की औद्योगिक नीति काफी वर्षो तक क्रियान्वित रही, इस नीति मे कुछ खामियो के कारण देश के अर्थतत्र मे अनेक विकृतिया उत्पन्न हो गई, उनमे सुरसा के मुह की तरह बढती बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन मे अपेक्षित वृद्धि नहीं होना, गाव और शहर मे बढती असमानता, कीमतो मे वृद्धि, औद्योगिक रुग्णता आदि मुख्य थी। नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य ध्येय इन विकृतियो को दूर कर देश की औद्योगिक प्रगति को सही दिशा देना था।

1977 की औद्योगिक नीति के महत्त्वपूर्ण अश निम्नाकित थे

1. लघु पैमाने की इकाइयो पर विशेष ध्यान (Special Attention on Small Industries) लघु उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक नीति वक्तव्य मे *कहा गया, अभी तक औद्योगिक नीति का बल बडे उद्योगो पर* रहा है, कुटीर उद्योग तो पूर्णतया उपेक्षित रहे हैं और छोटे उद्योगो का कार्यभाग मामूली रहा है।" "नई औद्योगिक नीति का मुख्य बल लघु एव कुटीर उद्योगो को प्रभावी रुप से प्रोन्नत करना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रो और छोटे कस्बो मे फैल जाए। *सरकार की नीति यह है कि जो कुछ भी लघु एव कुटीर उद्योगो द्वारा* उत्पन्न हो सकता है, निश्चय ही उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए।

नीति मे लघु उद्योगो को तीन भागो मे विभक्त किया गया

(i) **अति लघु क्षेत्र** (Tiny Sector) – इसमें ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित की गई जिसमे प्लाट एव मशीनरी मे एक लाख रुपए से कम विनियोग हो तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम आबादी वाले कस्बे मे स्थापित हो।

(ii) **लघु उद्योग** (Smalll Industries) – ऐसी औद्योगिक इकाइया जिनमे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 10 लाख रुपए तक हो।

(iii) **सहायक उद्योग** (Ancillary-Industries) – जिनमे प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 15 लाख रुपए तक हो।

2. लघु उद्योगो की प्रभावी प्रोन्नति पर बल (Stress on Efficient Progress of Small Industries) – लघु उद्योगो के लिए आरक्षित सूची 180 से बढाकर मार्च 1978 तक 807 कर दी गई। अति लघु एव लघु उद्योगो को "सीमात मौद्रिक सहायता" तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को

चार वर्ष के भीतर प्रत्यक जिले म लागू ि ी ाने की व्यवस्था की गई।

लघु उद्याग इकाइया का प्रदा ी जा े वाली सभी प्रकार की सहायताओं को ियमन एव नियत्रण ि रो के लिए भारतीय औद्यागिक विकास बैंक एक अलग विभाग की स्थापना करेगा। लघु उद्यागा ी उत्पादिता तथा अर्ज ा क्षमता को बढा ा के लिए प्रयाग का बढावा दिया जाएगा। सरकार लघु उद्यागा के लिए प्रमापीकरण किस्म नियत्रण तथा बाजार सर्वेक्षण क लिए सहायता सुलभ कराएगी। खादी एव ग्रामाद्याग आयोग को पुन व्यवस्थित करा पर बल दिया गया। ग्राम उद्याग के विकास पाग्राम म सरकार खादी का विशष स्था ा दा ा चाहती थी। इस ीति म नवी ा या पालिस्टर खादी विशेष चर्चा का विषय रही।

3 जिला उद्योग केन्द्र (District Industry Centre) – जिला उद्योग केन्द्र की स्थाप ा का निर्णय जा ाता सरकार की औद्यागिक ीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। इ ा केन्द्रा की स्थाप ा का मुख्य ध्यय लघु उद्यागा को एक ही छत क ीच आवश्यकतानुरूप सवाए सुविधाए उपलब्ध कराना था। य कन्द्र एक तरह से जिला स्तर पर लघु एव कुटीर उद्यागा क विकास का कन्द्र विन्दु हैं। जिला उद्याग केन्द्र लघु उद्योगा क लिए मशी ा व उपकरण ाख सुविधा विपणन किस्म नियत्रण कच्चे माल व आर्थिक साधना का सर्वेक्षण आदि कार्य सम्पन्न करते हैं।

4 बडे पैमाने के उद्योग (Large Scale Industries) – बडे पैमा ा क उद्यागों का जा ाता की न्यू ातम आवश्यकता के कार्यक्रमा के अनुरूप जोडा जाएगा। इन उद्यागा का सरकार आयातित तक ालॉजी ि स्वृपा क रूप म प्रदर्शित ाहीं करा ा चाहगी। इनक लिए जा क्षत्र निधारित किए गए है व हैं मूलभूत उद्याग जो देश म आधारभूत सरचना क लिए आवश्यक हैं जैस इस्पात सीमट तल शाध ा कारखान तथा धातु उद्योग। पूजीगत वस्तु उद्याग जा लघु एव कुटीर उद्यागा के लिए आवश्यक मशीनरी प्रदा ा करते हैं। उच्च तक ालाजी उद्याग जा कृषि व औद्यागिक विकास ि लिए आवश्यक हैं जैस उर्वरक कीटा ाशक उद्याग पट्रो रसाय ा उद्याग आदि। अ य उद्याग जा औद्यागिक विकास क लिए आवश्यक हा तथा जा लघु उद्याग क्षत्र क लिए आरक्षित न हा।

5 बडे व्यापारिक घराने (Big Industrial Houses) – औद्यागिक ीति प्रस्ताव म अब तक सावजनिक सस्थाआ एव बैंका स उधार क कारण फलीभूत हा रह बड उद्यागा क विकास की प्रवृत्ति का पलटा की बात कही गइ। बड घरा ा का अब विस्तार तथा ावीन इकाइया की स्थाप ा स्वय ि साधा ा म करनी हागी। ाए क्षत्र म इ ाका विस्तार कवल सरकार की अनुमति स हागा तथा इ ा पर एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार व्यवहार अधि ियम लागू हागा।

6 सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertakings) – सावज ािक उपक्रमा का महत्त्वपूर्ण उद्यागा तक ही सीमित ाहीं रखकर उपभाग वस्तुआ क उत्पाद ा तक व्यापक ब ाया जाएगा। इसक तक ीकी और सुविज्ञता का लाभ लघु उद्यागा

को बढावा देने मे किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र सहायक उद्योगो के विकास को भी प्रोत्साहन देगा।

7. औद्योगिक रुग्णता संबंधी दृष्टिकोण (View Regarding Industrial Sickness) सरकार रुग्ण इकाइयो के सम्बन्ध मे चयनात्मक दृष्टिकोण आत्मसात करेगी, जिससे रुग्ण इकाइयो को चलाने से पड रहे भार को कम किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार प्रबन्धको को उद्योगो के सचालन मे भाग लेने नहीं दिया जायेगा। रुग्णता के कारणो की शुरू से ही जाच कर रोकथाम क उपाय किए जाएगे जिससे उद्योग रुग्ण होने से बच सके।

8. विदेशी निवेश और तकनीक (Foreign Investment and Technique) – विदेशी सहयोग वाली फर्मो को फेरा के तहत ढाला जायेगा। जहा जरुरी नहीं है विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया जाएगा। कुछ अपवादो को छोडकर स्वामित्व एव नियत्रण भारतीयो के हाथो मे होगा। सभी स्वीकृत इकाइयो को लाभ स्वदेश मे ले जाने की अनुमति होगी।

समीक्षा (Criticism) – 1977 की जनता सरकार की ओद्योगिक नीति भारत के औद्योगिक जगत मे एक नवीन प्रयोग थी। यह नीति मुख्यत ग्रामोत्थान, निर्धनोन्मुख, रोंजगारोन्मुख थी। विगत औद्योगिक नीति की तुलना मे इसमें लघु उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। यह गाधीवादी आर्थिक विचारधारा के अनुरुप थी जिसे देश की तत्कालीन आवश्यकता माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नही।

आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस नीति मे जिला उद्योग केन्द्र के अतिरिक्त कोई नवीनता नहीं थी। यद्यपि गाधीवादी आर्थिक–विचारधारा की आज भी प्रासगिकता बनी हुई थी किन्तु वर्तमान औद्योगिक युग और बदलते आर्थिक परिवेश मे बडे उद्योगो की उपेक्षा, देश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रो की श्रेणी मे खडा करने के प्रयास मे बाधक साबित हो सकती है।

ओद्योगिक नीति (Industrial Policy) 1980

ज्ञातव्य है कि भारत मे जनता पार्टी का शासन 24 मार्च, 1977 मे 14 जनवरी, 1980 तक रहा। इस दोरान श्री मोरार जी देसाई के अतिरिक्त श्री चरण सिह भी (20 जुलाई 1979 से 14 जनवरी, 1980) प्रधानमत्री रहे। राजनीतिक उहापोह के बीच जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नही कर सकीं। केवल 2 वर्ष 9 माह 21 दिन ही सत्ता मे रही।[2] जनता पार्टी का शासन काल कम होने के कारण 1977 की ओद्योगिक नीति फलदायक सिद्ध नहीं हो सकी।

जनवरी, 1980 मे काग्रेस पार्टी पुन सत्तारुढ हुई। सभाव्यता के अनुरुप काग्रेस सरकार के तत्कालीन उद्योग मत्री श्री चरन जीत चानना ने 23 जुलाई, 1980 को नई ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें 1956 की औद्योगिक नीति को इस नवीन ओद्योगिक नीति का आधार बताया गया।

उद्देश्य (Objectives)

नीति मे आधुनिकीकरण विस्तार तथा पिछडे क्षेत्रो के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यो में उद्योगो की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग अधिक उत्पादन रोजगार सर्जन क्षेत्रीय असतुलन को दूर करना कृषि आधारित उद्योगो का विकास निर्यात वृद्धि आयात प्रतिस्थापन उपभोक्ता सरक्षण आदि मुख्य थे।

मुख्य बाते (Main Items)

आर्थिक पुनरुत्थान हेतु औद्योगिक नीति मे निम्नाकित मुख्य बाते समाहित है

1 केन्द्रक सयत्र (Nucleus Plants) – औद्योगिक दृष्टि से पिछडे जिलो मे लघु एव सहायक उद्योगो को बढावा देने के लिए केन्द्रक सयत्र स्थापित किए जाएगे। ये केन्द्रक सयत्र सहायक उद्योगो के उत्पाद को एकत्रित तथा लघु उद्योगो के लिए आवश्यक आदानो की व्यवस्था करेगे। केन्द्रक सयत्र लघु उद्योगो को अधुनातन तकनोलाजी मुहैया कराएगे। साथ ही औद्योगीकरण के लाभ को अधिक से अधिक लोगो तक पहुचाने का प्रयास करेगे।

2 लघु इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन लघु इकाइयो की प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा बढा दी गई।

(i) अतिलघु क्षेत्र – प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा एक लाख रुपए से बढाकर दो लाख रुपए कर दी गई

(ii) लघु उद्योग – प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 10 लाख से बढाकर 20 लाख रुपए कर दी गई

(iii) सहायक उद्योगो म प्लाट एव मशीनरी मे विनियोग सीमा 15 लाख से बढाकर 25 लाख कर दी गई।

3 लोक उपक्रम (Public Sector Undertakings) – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे जनता का विश्वास पुन जागृत करने के लिए इन्हे अधिक कुशल सक्षम व लाभदायक बनाने का निश्चय किया गया।

4 निजी क्षेत्र (Private Sector)– निजी क्षेत्र के उन्नयन के लिए अर्थव्यवस्था मे पर्याप्त अवसर रहेगे किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया कि आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण न हो।

5 ग्रामोद्योगों की प्रोन्नति (Progress of Rural Industries) – ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार सर्जन तथा लोगो की आय मे वृद्धि के लिए ग्रामोद्योग हस्तशिल्प व हथकरघों के विकास को बढावा दिया जाएगा। पारिस्थितिकी सतुलन को बनाए रखते हुए गॉवो को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा।

6. क्षेत्रीय विषमता को दूर करना (To Remove Regional Disparity) – देश मे क्षेत्रीय विषमता की समस्या बडी भयावह है इसे दृष्टिगत रखते हुए उद्योगो के क्षेत्रीय फैलाव को बढावा दिया गया, जिससे पिछड हुए क्षेत्र भी औद्योगीकरण का लाभ अर्जित कर सके।

7. स्वत- विकास की सुविधा (Facility for Self Development) – बडे पैमाने के उद्योगो को स्वत विकास की सुविधा बढाई गई तथा कार्यविधि को सरल किया गया। सरकार ने अगस्त, 1980 मे पाच वर्षों की अवधि मे 25 प्रतिशत की स्वत विकास की स्कीम 19 अतिरिक्त बडे उद्योग समूह पर लागू की। यह स्कीम 1975 में 15 विभिन्न उद्योगो पर लागू की गई थी जिससे कुछ इकाइयो मे रुग्णता को दूर करने मे मदद मिली थी। क्षमता के पूर्ण विस्तार के नाम पर औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची मे उल्लिखित सभी उद्योगो को स्वत विकास की सुविधा दी गई।

8. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) – उद्योगो मे बढती रुग्णता के कारण चिन्ता प्रकट की गई। ऐसी औद्योगिक इकाइया जिनमे रुग्णता की समस्या जानबूझकर कुप्रबन्ध एव वित्तीय दुर्व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है उनके विरुद्ध कडी कार्यवाही की व्यवस्था की गई।

औद्योगिक जीव्यता वाली इकाइयो को कर रियायते तथा विलयन के द्वारा पुनरुथान की स्थिति मे लाने के प्रयास किए जाएँगे। आवश्यकता पडने पर औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम, 1951 के तहत, रुग्ण इकाइयो का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ मे ले रुकेगी।

9. अन्य बातें (Other Factors) – उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मे अभिवृद्धि के लिए अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात करने की बात कही गई। ऐसे उद्योग को रियायती शर्तो पर वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतो का प्रयोग करते हैं। पूजी व श्रम के मध्य सबध को मधुर बनाया जाएगा। प्रदूषण नियत्रण पर बल दिया गया। सरकार जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर अधिक सक्षम विकल्प तैयार करेगी।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण (Critical Attitude) – औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे उत्पादन को बढाने पर जोर दिया गया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उत्पाद की दिशा क्या होगी। औद्योगिक उत्पादन की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं की गई। एकाधिकार नियत्रण एव व्यापार व्यवहार अधिनियम का जिक्र नहीं करने तथा स्वत विकास स्कीम से आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को बढावा मिलेगा। बेहतर होता सयुक्त क्षेत्र की चर्चा होती। लघु उद्योग इकाइयो की विनियोग सीमा बढा दी गई, इससे इनकी समस्याओ का समाधान नहीं होगा। देश मे बेनामी व झूठी लघु इकाइयो की भरमार है। जो उद्देश्य इस नीति में स्वीकार किए गए वे ही लगभग विगत औद्योगिक नीतियो मे घोषित किए जाते रहे हैं देश की समस्याए ज्यो की त्यो बरकरार है।

समीक्षा (Criticism) – 1980 की औद्योगिक नीति म कोई नयापन परिलक्षित नहीं होता। इसमे 1956 की औद्योगिक नीति का ही आधारस्वरुप स्वीकार किया गया। छोटे उद्यागो की परिभाषा बदली बडे उद्योगा के महत्त्व को फिर स्वीकार किया गया। केन्द्रक सयत्र की चर्चा नई नहीं है। मात्र घोषणाओ स आर्थिक विकास नही हा जाता। नीति मे सार्वजनिक उपक्रमा मे पुन विश्वास जागृत करन की बात कही गई है किन्तु सरकार कई वर्षों बाद भी इनमे बढ रह घाटे की समस्या से निजात नहीं पा सकी हैं। पुरानी बातो का नये शब्दा म कहा गया है।

व्यावहारिक नीति के नाम पर नीति मे औद्योगिक उत्पादन पर नियत्रणा को दूर किया गया। लाइसस प्राप्त क्षमता की सीमा से अधिक स्थापित क्षमता को कानूनी घोषित कर दिया गया। स्वत विकास की योजना लागू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक निवेश बढाने की व्यवस्था की गई। इस सभी परिवर्तनो की सुखद परिणति आर्थिक अद्य सरचना में सुधार होने से औद्योगिक विकास दर में अपेक्षित सुधार के रुप में परिलक्षित होने की आशा की गई।

वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात् जुलाई 1991 म घोषित नीति)
(Present Industrial Policy 1991)

वर्ष 1991 के सक्रमण काल मे भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पडा। राजनीतिक उहा पोह की स्थिति ने आर्थिक सकट की स्थिति को और भयावह बना दिया। नियत समय पर (28 फरवरी 1991) का ससद में आम बजट पश नहीं किए जाने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुई। सक्रमण काल थमने का नाम नहीं ले रहा था। भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति रसातल तक पहुच चुकी थी। वाह्य दायित्वा को निपटाने की समस्या मुखर हो उठी। विषम आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लेने पडे इनक अभाव मे विश्व म हमारी आर्थिक छवि क धूमिल हाने की आशका थी।

आर्थिक सकट की घडी म देश पर आम चुनाव का आर्थिक भार ढाना पडा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तो पहले ही धराशायी हा चुकी थी। चुनाव म काग्रेस को अपक्षित बहुमत नहीं मिला अन्य सहयोगी राजनीतिक दला क बूते पर काग्रेस (इ) कन्द्र म सत्तारुढ हुई। श्री पी वी नरसिहराव के मत्रीमडल मे सुविख्यात अथशास्त्री डा मनमाहन सिह का महत्त्वपूर्ण वित्त विभाग की जिम्मदारी सौंपी गई। सरकार ने सूझबूझ एव नीतिगत पहल से तत्कालीन आर्थिक सकट को काबू में लिया।

राव सरकार ने सत्ता की शुरुआत से ही देश म आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारम्भ किया। सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने के लिए अर्थतत्र म अनेक मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत नवीन औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के साथ हुइ जिस खुली औद्योगिक नीति के नाम स जाना जा रहा है।

24 जुलाई, 1991 को उद्योग राज्य मत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद मे औद्योगिक नीति की घोषणा की। घोषित नई औद्योगिक नीति स्वातत्र्योत्तर भारत मे औद्योगिक सस्कृति के उन्नयन और विकास की दिशा मे उठाया गया साहसिक और युगातकारी कदम है जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित अर्थनीतियो के प्रसग मे भारत की प्राथमिकताओ को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया हें। यह नीति आज की विषम परिस्थितियो मे राष्ट्रीय पुनर्निमाण की उपलब्धियो को ओर भी सुदृढ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई पहल और मौजूदा सकट से उभरने के उसके अदम्य सकल्प और आस्था की पुनर्अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक दस्तावेज है।[3]

औद्योगिक नीति पृष्ठभूमि (Industrial Policy - Background) – आर्थिक नियोजन के चार दशक मे देश मे त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है। विदित है कि देश में इस दौरान औद्योगिक सवृद्धि दर, कृषि विकास दर, जनसख्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है। सातवीं पचवर्षीय योजना के तुरन्त पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढाचा तैयार खडा हो चुका था। बुनियादी उद्योगो का जाल बिछ गया तथा तमाम वस्तुओ के उत्पादन मे आत्मनिर्भरता हासिल हो गई। औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र अस्तित्व मे आए। पिछडे क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना से क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने का सार्थक प्रयास हुआ और युवा उद्यमियों की एक समूची नई पीढी उभर कर सामने आई। इजीनियरो, तकनीशियनो और विविध क्षेत्रो मे कुशल कामगारो को प्रशिक्षण सुविधाए देकर समग्र औद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और गत्यात्मकता प्रदान की गई। सातवीं योजना मे भारतीय उद्योग का 8 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ।

औद्योगिक नीति - आवश्यकता (Industrial Policy - Its Need)

समग्र देश के लोगो के जीवन स्तर मे सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक अभ्युदय और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबधी नीतियो के तेवर ओर उनकी त्वरा को बदले। असमानताओ को दूर कर समाजवादी समाज की सरचना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रो मे बडी मात्रा मे पूजी निवेश की आवश्यकता है। उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रो मे दूरगामी परिवर्तनो की जरुरत है ताकि अधुनातन तकनोलॉजी के व्यापक प्रयोग के लिए हम उत्पादन मे आशातीत वृद्धि कर सके।

पिछले चार दशक की उपलब्धियो को सपुष्ट और समेकित करने की आवश्यकता है जिससे देश भावी चुनौतियो का प्रभावी तौर पर मुकाबला करने मे सक्षम बन सके।

औद्योगिक नीति ' उद्देश्य (Industrial Policy - Objectives)

खुली औद्योगिक नीति मे अग्राकित उद्देश्य अन्तर्निहित हैं –

1 सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना।
2 निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन।
3 आधुनिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी और सम्पन्न एव प्रगतिशील भारत का निर्माण।
4 विश्व अर्थव्यवस्था के एक अग के रुप मे भारत को विकसित करना।
5 आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
6 आयात के भुगतान के लिए स्वय के स्रोतों का सर्जन।
7 उद्यमियो का उत्साहवर्द्धन।
8 विकास और अनुसधान मे निवेश।
9 नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना।
10 पूजी बाजार का विकास।
11 उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओ का विकास।
12 आधारभूत सुविधाओ मे निवेश।
13 पिछडे क्षेत्रो मे त्वरित औद्योगीकरण।
14 आर्थिक कुशलता और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से विकास।
15 श्रमिको के हितो की रक्षा।
16 विकास के लाभों को जन समूह तक पहुचाना।
17 प्रबन्ध में श्रमिको की भागादारी।
18 उद्योगो के सभी क्षेत्रो लघु, मझौले तथा बडे जो सार्वजनिक अथवा निजी या सहकारी क्षेत्र मे हो, बढावा देना।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें (Main Characteristics of Industrial Policy) – नई औद्योगिक नीति म उपर्युक्त उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए मूलत पाच क्षेत्रों में नीतिगत पहल की घोषणा की गई है। ये है –

1 औद्योगिक लाइसेंसीकरण (Industrial Licence) – लाइसेस की प्रचलित प्रणाली के कारण उद्यमियो को अनावश्यक परेशानी होती थी, अब अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष एव गतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों को छोडकर लगभग सभी उद्योगा को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। नई नीति के तहत अब

1 नए उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय मे पजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को इसी प्रकार अपने विस्तार के लिए किसी लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी।
2 औद्योगिक लाइसेंस अब केवल 18 विशिष्ट किस्म के उद्योगों के लिए लेना अनिवार्य होगा। इनमे कोयला तथा लिग्नाइट, पेट्रोलियम, शराब, चीनी, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, एस्बेस्टस, प्लाइवुड, चमडा तथा उससे

निर्मित्त वस्तुए, कार, बस और अन्य प्रकार की मोटर गाडिया, इलेक्ट्रोनिक तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयरकडीशनर, वाशिग मशीने तथा घरेलू मनोरजन के लिए इलेक्ट्रोनिक सामान जैसी वस्तुए शामिल हैं।

3 नए उद्योगो को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरुरत भी अब नहीं रहेगी। मोजूदा उपक्रमो की क्षमता बढाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी।

4 नए उद्योगो के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमो को भी प्रशासनिक नियत्रण से मुक्त कर दिया गया है। मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूजी निवेश के अपने लाइसेस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी।

2 **विदेशी निवेश (Foreign Investment)** – देश के वृहत्त औद्योगिक विकास के हित मे विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा। विदेशी निवेश से सबधित विशेषताए हैं

1 जिन मामलो में मशीनो के लिए विदेशी पूजी शेयर पूजी के रुप मे उपलब्ध होगी उन्हे स्वत ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी।

2 दो करोड रुपए अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीने बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी लेकिन तत्कालीन विदेशी मुद्रा सकट को देखते हुए यह प्रावधान अप्रैल 1992 से प्रभावी हुआ।

3 उत्पादन मशीनो के आयात के अन्य मामलो मे औद्योगिक विकास मत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा।

4 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक–टोक और अफसरशाही के नियत्रणो के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलो में ही उपलब्ध होगी जहा उत्पादन के लिए विदेशी पूजी निवेश जरुरी होगा। इसके लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) मे आवश्यक सशोधन किया गया है।

वहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों मे 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूजी निवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि सारा उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय निगमो को शत–प्रतिशत पूजी–निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है। विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिदा क्षेत्रो में सीधे पूजी निवेश के लिए भारत मे उपक्रम लगाने की इच्छुक बडी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियो के साथ सारे विवरण तय करेगी।

5 इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञो की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीको का विदेशो मे परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता

समाप्त कर दी गई है।

3 **विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते (Foreign Technical Contracts)** – समग्र औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकीय क्षमता को आत्मसात करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं मे एक है। भारतीय उद्योगो में प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के अपेक्षित स्तर की प्राप्ति क लिए सरकार निर्दिष्ट मानदडो क भीतर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों स सबधित प्रौद्योगिकी समझौतों को स्वत अनुमोदन प्रदान करगी। अनुसधान और विकास कार्यों के लिए विदेशी तकनीशियनों की सेवाए भाड़ पर लेने और देश मे ही विकसित प्रौद्योगिकी के विदेशों म परीक्षण के लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा।

4 **सार्वजनिक क्षेत्र सबधी नीति (Public Sector Policies)** – नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है और उनमे भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी। नई नीति के तहत अब

1 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो में रक्षा से सबधित उत्पाद और रायत्र परमाणु–ऊर्जा धातु कोयला तेल एव अन्य खनिजों का खनन अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुए और रेल परिवहन ही रह गया है। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे–धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित क्षेत्रो में विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमो में सरकारी शेयर पूजी के कुछ भाग को वित्तीय सस्थाना आम जनता तथा कर्मचारियो को बेचने का भी प्रावधान किया गया है।

4 निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जाच औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा।

5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ सहमति पत्रो पर हस्ताक्षर करगी और पक्ष इस सहमति के प्रति जवाबदेह होंगे।

6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम–काज के बारे में खुली चर्चा करने के लिए सरकार तथा किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति ससद में प्रस्तुत की जाएगी।

5 **एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolistic and Restricted Trade Practices Act)** – नयी औद्योगिक नीति के अन्तगत बडी कम्पनियो और औद्योगिक घरानों पर 'एम आर टी पी' के तहत पूजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी।

नयी नीति मे किए गए परिवर्तनो से अब बडे घरानो और कम्पनियो को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढाने, कम्पनियो के विलय, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ खास परिस्थितियो मे निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

एम आर टी पी अधिनियम के उपबधों को मजबूत किया जाएगा, ताकि आयोग एकाधिकार, प्रतिबधात्मक और अवाछनीय व्यापार कार्यो के सबध में उपर्युक्त कार्यवाही कर सकें। नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताओ की शिकायतो की जाच भी कर सकेगा।

लघु उद्योगों के लिए पृथक् से औद्योगिक नीति की घोषणा (Declaration of a Separate Industrial Policy for Small Scale Industries)

भारतीय अर्थतत्र मे लघु उद्योगो के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार वे इन उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए 6 अगस्त, 1991 को लघु उद्योग नीति की घोषणा की।

नई लघु औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताए है

1 लघु उद्योगो की परिभाषा में परिवर्तन – नई नीति मे अतिलघु लघु एव सहायक उद्योगो की परिभाषा मे व्यापक परिवर्तन किया है।

(i) अतिलघु क्षेत्र मे प्लाट एव मशीनरी के पूजी निवेश सीमा 2 लाख रुपए से बढाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।

(ii) लघु उद्योगों मे यह सीमा बढाकर 60 लाख रुपए कर दी गई।

(iii) सहायक तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो मे प्लाट एव मशीनरी मे निवेश सीमा 75–75 लाख रुपए तक बढा दी गई है।

2 लघु उद्योगों की अश पूजी में भागीदारी (Partnership in Share Capital of Small Scale Industries) – अन्य औद्योगिक इकाइयो को लघु उद्योगो की अश पूजी मे 24 प्रतिशत की भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।

3 अनुसधान और विकास (Research and Development) – केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसधान परिषद और अन्य अनुसधान सस्थाओ के साथ उचित तालमेल द्वारा खादी और ग्रामोद्योगो मे उत्पादन परिसज्जा, पैकेजिग, प्रक्रिया तथा नए औजार एव पुर्जों के विकास क्षेत्रो मे अनुसधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4 सुविधाए (Facilities) – लघु उद्योगो को भूमि आबटन, विद्युत कनेक्शन मे वरीयता, प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक बार तथा अति लघु उद्योगो को निरन्तर प्राप्त होते रहेगे। लघु क्षेत्र विशेषत अति लघु क्षेत्र को स्वदेशी एव आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एव उचित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को 'कामन ब्राड' के नाम से बेचने पर ध्यान

केन्द्रित करेगा। सरकार ने लघु उद्योगो के लिए एक ही स्थान से ऋण योजना की सीमा को बढाने का निश्चय किया है। इन उद्योगो की विलम्बित भुगतान समस्या के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी सेवाओ का जाल सम्पूर्ण देश मे फैलाएगा।

लघु उद्योग इकाइयो को बहुसख्यक अधिनियमो व कानूनो का अनुपालन करने बहुत से रजिस्टरो का रखरखाव करने और निरीक्षको के दल का निरन्तर सामना करने की निरन्तर शिकायत पर तीन माह की निर्धारित समय सीमा मे कार्यवाही की जाएगी।

औद्योगिक नीति युगान्तकारी कदम (Industrial Policy A New Era)

स्वातन्त्र्योत्तर उत्तरोत्तर घोषित औद्योगिक नीतिया पूर्व मे घोषित की गई नीति का ही आधार होती थी। कुछेक परिवर्तन को छोडकर हू-ब-हू, यदि उन्हे 'नई बोतल मे पुरानी शराब' कहे तो कोई अतिशयोक्ति नही। हाल ही घोषित की गई नई औद्योगिक नीति इस दृष्टि से पृथक हटकर है। इस नीति मे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अग बनाने के लिए औद्योगिक घटको मे भारी बदलाव किया है। औद्योगिक नीति, अब तक अगीकृत की जा रही नीतियो को तिलाजलि देकर एक नए युग की शुरुआत है। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक युगान्तकारी कदम है जिसमे देश की आवश्यकतानुसार अनुकूल परिणाम समाहित है।

नवीन औद्योगिक नीति मे लाइसेस की प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से उद्यमियो को बडी राहत मिली है। इससे देश मे बढ रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा। लाइसेस राज मे उद्यमियो को सर्वप्रथम औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेस प्राप्त करना पडता था, दूसरे चरण में उन्हे मशीनरी और उपकरण आयात करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पडती थी, तीसरे चरण मे विदेशी जानकारी की आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिकी अनुबध के लिए सरकार की अनुमति लेनी पडती थी। अन्तत शेयर के माध्यम से पूजी एकत्रित करने के लिए पूजी निर्गमन नियत्रक की अनुमति आवश्यक थी। कच्चा माल आयात करने से पहले आयात नियत्रक की अनुमति लेनी पडती थी। इन सभी औपचारिताओ से उद्यमियो का समय व धन बरबाद होता था। परियोजनाओ की स्वीकृति मे अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि हो जाती थी। नवीन औद्योगिक नीति मे व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेस प्रणाली ही समाप्त कर दी।

विदेशी निवेश स प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण बाजार की विशेषज्ञता, अधुनातन प्रबन्धकीय तकनीक तथा निर्यात सवर्द्धन के लाभ प्राप्त होगे। डा मनमोहन सिह ने यह स्पष्ट किया कि आज की बदली हुई परिस्थितियो मे हमे बहुराष्ट्रीय निगमो के प्रति 'प्रयोगवादी' और 'लचीला' दृष्टिकोण अपनाने की जरुरत है। उन्होने इन आशकाओ को निर्मूल बताया कि विदेशी पूजी निवेश से भारतीय उद्यमियो को

कोई खतरा पैदा हो सकता है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कठोर और हठधर्मी रवैये को त्यागना होगा। विदित है कि रुस और चीन मे बहुराष्ट्रीय निगमो को शत–प्रतिशत पूजी निवेश में अनुमति के अलावा अन्य प्रकार की रियायते सुलभ हैं। सिगापुर जैसे छोटे से देश मे हजारो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया काम कर रही है। प्रतिस्पर्धा को तेज करने स भारतीय उद्योग अनुसधान और विकास कार्यो पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होगे। सार्वजनिक क्षेत्र से सबधित नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनो का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक तेवर को निखारना है ताकि वह और अधिक सक्षम बनकर अर्थव्यवस्था मे अपना योगदान दे सके।

आलोचक यह कहकर नवीन नीति की आलोचना कर रहे है कि देश के औद्योगिक द्वार विदेशियो के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियो का वजूद ही खतरे मे पड जाएगा। इस नीति मे आर्थिक सविधान 1956 की औद्योगिक नीति को तिलाजलि दे दी है।

प नेहरु के समय तथा बाद मे भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किन्तु नवीन औद्योगिक नीति मे अर्थव्यवस्था पूजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रुप मे दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज की नीतिया प नेहरु की नीतियो से विमुख हुई है। एकाधिकार नियत्रण कानून बदलकर उद्योगो मे पूजी निवेश की सीमा खत्म कर दी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन से भारतीय साहसियो को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सरकार को एकाधिकारी गतिविधियों का नियत्रण अपने हाथो मे रखना चाहिए था।

नवीन औद्योगिक नीति में किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का दर्शन, जो 1956 की औद्योगिक नीति का आधार था, फीका पड गया है। सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्व देना न्यायसगत प्रतीत नहीं होता है।[4]

दृष्टिकोण (A View)

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रधानमत्री प जवाहरलाल नेहरु ने नए विशाल सयत्रो को नए भारत के मदिरो की सज्ञा देकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। नई औद्योगिक नीति वास्तव मे पडित नेहरु के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है। यह नीति समकालीन सदर्भों के आर्थिक परिवर्तनो और पुर्नरचना के प्रयासो की कडी है जिसके साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरु होता है। देश के समग्र औद्योगिक रुपातरण की इस महत्ती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार और प्रतियोगी बना दिया गया है।

वर्तमान मे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे मे समन्वित हो रही है तथा तकनीकी विकास की अपरिहार्यताओं से बाध्य होकर दुनिया भर के देश अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात कर रहे हैं क्योकि यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है।

उससे समरस होकर ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकता है।

एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों से सुरक्षा की जरुरत थी। लेकिन आज भारत विश्व के विशाल औद्योगिक देशों में से एक है। भारत उद्योग को उच्चतर प्रौद्योगिकी विकास के अधिकतर लाभों को प्राप्त करन के लिए अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना चाहिए।

नई औद्योगिक नीति स आम लोगो को लाभ पहुचेगा। अधिक प्रतियोगिता बढने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढने से प्रतियोगितात्मक मूल्यो पर बढिया किस्म के माल का उत्पादन होगा। विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ अब भारतीय कम्पनिया मे भी होड शुरु हो जाएगी। इससे हम उच्च स्तर का माल तैयार करेंगे जिससे विश्व म हमे स्थायी बाजार मिलेगा।

औद्योगिक नीति में नवीन परिवर्तन
(Recent Changes in Industrial Policy)

भारत मे जुलाई 1991 मे नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नई नीति को लागू हुए एक दशक का समय बीत चुका है। जुलाई 1991 से लेकर आज तक देश की औद्योगिक सरचना मे महत्त्वपूर्ण बदलाव किए जा चुके है। वर्ष 1996–97 के बाद मे देश में राजनीतिक सत्ता का बार-बार परिवर्तन हुआ। वर्ष 1998 मे बारहवीं लोक सभा और 1999 में तेरहवीं लोक सभा के चुनाव हुए। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक नीति मे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं –

1 **1991-92 से 1995-96 तक** – वर्ष 1991–92 मे कृषि आधारित उद्योगों को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के लिए नीति को उदार बनाया गया। फेरा कानून के अन्तर्गत 51 प्रतिशत तक बढी निवेश सीमा के साथ विशिष्ट आय प्राथमिकता वाले उद्योगों म प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को तुरन्त अनुमोदन दे दिया जायेगा।[5]

वर्ष 1992–93 में पूजी निर्गमन नियत्रक की जगह स्टॉक एक्सचेज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) की स्थापना की गई। ऊर्जा क्षेत्र और खनिज क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेशको के लिए खोला गया। औद्योगिक एल्कोहल निर्माण को लाइसेंस से मुक्त किया गया तथा खनिज तेल की खोज व अनुसधान को निजी विनियोग के लिए खुली छूट दी गई।

वर्ष 1993–94 मे औद्योगिक उत्पादन को बढाने के वास्ते महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए। विदेशी निवेशको को आकर्षित करने के लिए आयात शुल्को म अप्रत्याशित कमी की। भारतीय उद्योगो का प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हे उत्पाद शुल्कों में भारी छूट दी। सरकार ने 28 अप्रैल 1993 को मोटर कार और श्वेत-माल (White Goods) उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। वर्तमान मे केवल 9 उद्योग के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो

का दायरा अधिक सिमट गया। 26 मार्च 1993 को केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित खनिजो को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र मे केवल अणु शक्ति, सुरक्षा उत्पाद, कोयला और लिग्नाईट, खनिज तेल, अणु शक्ति, आदेश 1953 मे अनुसूचित खनिज तथा रेल परिवहन ही रह गये हैं।

वर्ष 1994–95 मे पूजी बाजार के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। स्क्रीन पर आधारित कामकाज करने वाले एक मॉडल राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेज प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

2. 1996-97 और 1997-98 – 20 जुलाई 1996 को केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे विनियोजन के मामले में नीतिया तय करने के लिए एक विनियोजन आयोग की स्थापना की घोषणा की। भारत सरकार ने 10 दिसम्बर 1997 को एक अधिसूचना जारी करके लघु उद्योगो की परिभाषा मे सयत्र व मशीनो मे निवेश सीमा 60 लाख रुपए से बढाकर 300 लाख रुपए कर दी। वर्ष 1996–97 के केन्द्रीय बजट मे विनिदेश आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया।

वर्ष 1997–98 के केन्द्रीय बजट मे विदेशी निवेश के प्रवाह मे वृद्धि के लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियो द्वारा किसी भी कपनी मे निवेश की 24 प्रतिशत वर्तमान की वर्तमान सीमा को बढाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। लघु उद्योग क्षेत्र मे विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदो को अनारक्षित कर दिया जिससे लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादो की सख्या 836 से घटकर 822 रह गई।[6]

3 1998-99 से 1999-2000 तक – उद्योगो में नये प्राण का सचार[7] –

(i) औद्योगिक आधार को मजबूत करने के उपाय – कोयला और लिग्नाईट, पेट्रोलियम और इसके आरक्षित उत्पाद, चीनी और पाच बल्क दवाए लाइसेस से मुक्त कर दी गई। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सूची से 9 मदो को हटा दिया गया हैं। नये उपक्रमों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए स्वत अनुमोदन सुविधा होगी। पुराने तथा मौजूदा सयुक्त उपक्रमो के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। औद्योगिक वातावरण सुधारने, विदेशो मे भारतीय प्रयासो को मजबूत बनाने को बढावा देने के लिए पेरिस सधि और पेटेट सहयोग सधि की शुरुआत की गई। त्वरित और कुशल सेवाओ के लिए पेटेंट कार्यालयो का आधुनिकीकरण किया गया। गुणवत्ता के प्रति जागरुकता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता नियत्रण परिषद् की स्थापना की गई। पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) – अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढाने की अनुमति दी

गई। आधारभूत संरचना यथा बिजली सड़क बंदरगाहों के क्षेत्रों मे स्वत अनुमोदन सुविधा के अन्तर्गत शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गतिविधिया बढी और विदेशी प्रौद्योगिकी आयात व्यवस्था को और उदार बनाया गया।

(iii) समीक्षा और सरलीकरण (Criticism and Simplification) – कानूनो एव विनियमो की समीक्षा व पद्धतियो का सरलीकरण किया गया है। उद्योग (विकास एव नियमन) अधिनियम 1951 की समीक्षा शुरु की गई। निर्यातोन्मुखी इकाइयो तथा निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र इकाइयो के लिए *अनुमोदन क्षेत्र का और विकेन्द्रीयकरण किया गया। विदेशी निवेश सवर्द्धन* बोर्ड प्रस्तावो पर 30 दिनो के भीतर निर्णय करेगा।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों मे सुधार (Improvement in Public Sector Undertakings) – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मे पुनर्गठन पुनर्वास और नियत्रण मुक्ति द्वारा व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरु की गई। सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्ध मे अधिक व्यावसायिकता प्रारम्भ की गई। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयो मे व्यापार प्रक्रिया का पुन प्रबन्ध व पुन सरचना की व्यवस्था की गई। सयुक्त उपक्रमो गठजोड़ों और नियत्रण मुक्ति के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियो से सरकार नीतिगत रूप से पीछे हटी।

(v) सरचनात्मक विकास (Constructive Development) – सरचनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया। सरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार के मापदडो मे ढील सुविधाजनक राजकोषीय व्यवस्था दीर्घावधि कोषो का आकलन तथा सरचनात्मक परियोजनाओ मे निवेश करने भविष्य निधि की अनुमति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार व्यवस्था आदि प्रयास किए गए।

सन्दर्भ

1 *योजना* 30 अप्रेल 1993 पृ 17
2 *इण्डिया* 1992 पृ 843
3 नई औद्योगिक नीति तीव्र विकास का सोपान *डी ए वी पी* अगस्त 1991
4 *मरु व्यवसाय चक्र* प्रवेशाक पृ 12
5 *केन्द्रीय बजट* 1991–92 से सकलित।
6 *केन्द्रीय बजट* 1997–98 से सकलित।
7 उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार *डी ए वी पी* 98/730

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 ओद्योगिक नीति का महत्त्व और उद्देश्य बताइए।
2 *भारत मे स्वतत्रता पूर्व औद्योगिक नीति क्या थी।*
3 औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम 1951 की व्याख्या कीजिए।
4 लघु औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत की 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(**सकेत** – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दी गई 1956 की औद्योगिक नीति को लिखना है।)
2 भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओ का वर्णन करते हुए उसकी विवेचना कीजिए।
3 भारत की वर्तमान ओद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
4 भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति पूर्ववर्ती नीतियो से किस प्रकार भिन्न है? इसके प्रमुख प्रावधानो की विवेचना कीजिए।
5 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या आज इसे निजी क्षेत्र के विकास के लिए लाभदायक कहेगे।
(**सकेत** – अध्याय मे दी गई 1991की नवीन औद्योगिक नीति को विस्तार से लिखना है।)
6 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए तथा नई नीति म हाल ही के वर्षो मे क्या परिवर्तन किये गए हे।
(**सकेत** – इस प्रश्न के उत्तर मे अध्याय मे दी गई 1991 की औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक नीति मे नवीन परिवर्तनो को लिखना है।)
7 भारत सरकार की नवीन लघु ओद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के उत्तर वास्ते अध्याय मे दी गई 1991 की लघु औद्योगिक नीति को लिखना है।)

23

भारत में विदेशी पूंजी निवेश
(Foreign Capital Investment in India)

विश्व के प्राय सभी देश विदेशी पूजी निवेश से विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। आज ये सर्वाधिक विकसित कहे जाने वाले देशों को किसी न किसी सीमा तक विदेशी पूजी निवेश पर निर्भर रहना पडा है। अमरीका ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप स पूजी प्राप्त की। दो शताब्दी पूर्व इग्लैण्ड ने हालैण्ड से विदेशी सहायता प्राप्त की। अमरीका ने सोवियत सघ के आर्थिक विकास म मदद की। विघटन के बाद रूस आर्थिक सहायता के लिए अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ की ओर मुखातिब हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध मे आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके जापान व जर्मनी को अमरीका ब्रिटेन व रूस ने सबल प्रदान किया। विदेशी सहायता का महत्व इसके विवेकपूर्ण उपयोग म निहित है। इन सभी दशा ने प्राप्त विदेशी सहायता का उपभोग सर्वांगीण विकास के लिए किया और आज ये सर्वाधिक विकसित देशो की श्रेणी हैं। भारत सरीखे विकासशील देश आर्थिक विकास क लिए बडी सीमा तक विदेशी पूजी निवेश पर निर्भर है। किन्तु विदेशी पूजी के कारगर उपयोग के अभाव मे विकासशील देशो की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

भारत अतीत मे सम्पन्न देश था। गुलामी के दिनो मे अंग्रेजो की विद्वेषपूर्ण नीति क कारण भारत पिछडे देश के रूप मे परिवर्तित हो गया। स्वातन्त्र्योत्तर देश मे वित्तीय ससाधनो का अभाव था। ढेरो आर्थिक समस्याए विरासत मे मिली थी। अत नियोजित विकास के प्रारम्भिक वर्षों म भारत को अधिक विदेशी सहायता की आवश्यक्ता थी। भारत को विदशी सहायता से आर्थिक पिछडापन स उभरने म मदद मिली। बाद के वर्षों म भारत विदशी सहायता का विवेकपूर्ण उपयोग करने मे सफल नहीं हो सका। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत

बढते विदेशी ऋण की समस्या से ग्रसित हो गया। आज भारत आर्थिक विकास के लिए, विदेशी ऋणो और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए तथा बढते आयातो से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए विदेशी पूजी निवेश और विदेशी सहायता पर निर्भर है।

विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताए

(Meaning and Characteristics of Foriegn Capital Investment)

विदेशी पूजी निवेश का अभिप्राय एक देश के पूजी निवेशको द्वारा दूसरे देश मे अपनी पूजी को उत्पादक कार्यों में लगाना है। विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। विदेशी पूजी निवेश मे विदेशी सहायता, निजी विदेशी विनियोग, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता हे। विदेशी सहायता मे विदेशी ऋणो व अनुदानो को सम्मिलित किया किया जाता है। इसमे विदेशी कम्पनियो द्वारा किए गए निवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। विदेशी निजी विनियोग मे विदेशी कम्पनियो द्वारा लगाई गई पूजी का उल्लेख किया जाता है। निजी विदेशी विनियोग मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई), विदेशी पोर्टफोलियो विनियोग तथा व्यापारिक बैंको द्वारा विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में विदेशी स्वामित्व के साथ विदेशी नियत्रण भी होता है। इस तरह के विनियोग से सहायता प्राप्त करने वाले देश को शोषण का भय बना रहता है।

विदेशी पूजी निवेश की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है --

1 विदेशी पूजी निवेश में एक देश के निवेशको द्वारा दूसरे देश मे अपनी पूजी उत्पादक कार्यों के लिए विनियोजित की जाती है।

2 विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता हे।

3 विदेशी पूजी निवेश के साथ शर्तें हो सकती हें जो कठोर अथवा उदार हो सकती है।

4 विदेशी पूजी निवेश के आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।

5 विदेशी पूजी निवेश के चार स्रोत होते हैं जो इस प्रकार है –

   (i) निजी विदेशी विनियोग।

   (ii) सार्वजनिक विदेशी विनियोग।

   (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण।

   (iv) विदेशी व्यापारिक उधार।

6 विदेशी पूजी निवेश की शर्तें सबधित देशो के निवेशको के पारस्परिक समझोते और सरकारी कानूनो के द्वारा निर्धारित होती है।

विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता/लाभ/गुण/विदेशी पूजी निवेश के पक्ष में तर्क/विदेशी सहायता का दर्शन

(Philosophy of Foreign Capital Investment)

वर्तमान मे विश्व के सभी देशो के लिए विदेशी पूजी निवेश का अत्यधिक महत्त्व है। विदेशी पूजी निवेश से अनेक देशो मे आर्थिक विकास की गति बढी है। भारत की अर्थव्यवस्था मे विदेशी पूजी निवेश से अनेक लाभ दृष्टिगोचर हुए हैं –

1 **विदेशी विनिमय सकट का निवारण (To Prohibit Foreign Exchange Crisis)** – विकासशील देशों मे वित्तीय ससाधनो का अभाव होता है। विकास को गति देने वास्ते भारी वित्तीय ससाधनो की आवश्यकता होती है। विकासशील देश प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के अभाव मे निर्यात बढाने की स्थिति मे नहीं होते हैं। इन देशो की अर्थव्यवस्था मे आयातो की प्रधानता बनी होती है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सकट उत्पन्न हो जाता है। भारत को पचवर्षीय योजनाओ मे विकासशील लक्ष्यो की पूर्ति के लिए अधिक विदेशी विनिमय कोषो की आवश्यकता थी। वर्ष 1990–91 मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण भारत का विदेशी विनिमय कोष रसातल की स्थिति मे था। ऐसी दशा में विदेशी पूजी निवेश से विदेशी विनिमय सकट का निवारण किया जा सकता है।

2 **प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (To Use Natural Resources)** – भारत खनिजो का अजायबघर है। यहा प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता है। किन्तु वित्तीय ससाधनो के अभाव मे प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन नहीं हो सका। विदेशी पूजी निवेश से प्राकृतिक ससाधनो का विदोहन करके उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक ससाधनो के विदोहन से देशवासियो का जीवन स्तर ऊचा किया जा सकता है।

3 **प्राविधिकी ज्ञान की प्राप्ति (To Acquire Technical Knowledge)** – विकासशील देश प्राविधिकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास की दौड मे विकसित देशों की तुलना मे पिछड गए है। भारत सरीखे विकासशील देशो मे शोध एव अनुसधान पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता हैं। विदेशी सहायता मे ऋण एव अनुदान के अलावा प्राविधिकी ज्ञान भी प्राप्त होता है। विदेशी सहायता से विकसित राष्ट्रो द्वारा उत्पादित नवीन तकनीक विकासशील राष्ट्रो को प्राप्त होती है। नवीन तकनीक को आत्मसात करके विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना कर सकते हैं।

4 **आधारभूत सरचना और औद्योगिक विकास (Infrastructure and Industrial Development)** – आधारभूत सरचना यथा रेल, बन्दरगाह, बाध, सिचाई, सडक आदि के विकास के लिए विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी विदेशी पूजी निवेश से सभव है। भारत ने पचवर्षीय योजनाओ में विदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगो की स्थापना की।

5 विदेशी ऋण का भुगतान (Payment of Foreign Loans) – भारत ने योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षो मे तथा बाद के वर्षो मे आर्थिक विकास के लिए भारी मात्रा मे विदेशी ऋण प्राप्त किया। आर्थिक विकास की गति तीव्र नही होने तथा निर्यातो के अपेक्षित गति से नहीं बढने के कारण भारत को विदेशी ऋण के भुगतान मे कठिनाई हुई। भारत को अनेक बार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज को चुकाने के लिए विदेशो से ऋण लेना पडा है। आज भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान की समस्या है तथा ऋण पर ब्याज का भारी बोझ हैं। प्राप्त विदेशी ऋण का बडा भाग पुराने ऋणो को चुकाने मे खर्च हो जाता है। विदेशी पूजी निवेश से भारत को विदेशी ऋणो के भुगतान मे मदद मिली है।

6 स्वदेशी पूजी का सर्वोत्तम उपयोग (Best Use of Native Capital) – विदेशी पूजी निवेश से स्वदेशी पूजी का सर्वोत्तम उपयोग होता है। इसके अलावा विदेशी पूजी निवेश स्वदेशी पूजी का अनुपूरक भी होती है। उद्योगपतियो को भारत मे उद्योग स्थापित करते समय मशीने कच्चा माल तथा अन्य विकास सामग्री विदेशो से प्राप्त करनी पडती है।

7 अत्यधिक आयात बिल (Import Bill in Extreme) – स्वतत्रता के उपरात 1972–73 और 1976–77 को छोडकर शेष सभी वर्षो मे भारत का व्यापार शेष सदेव प्रतिकूल रहा है। पिछले वर्षो मे पेट्रोलियम निर्यातक देशो के सगठन (ओपेक) द्वारा पेट्रोल के दामो में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत का आयात बिल अत्यधिक बढा। भारत की अर्थव्यवस्था मे आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद भी निर्यातो पर आयातो की अधिकता बनी हुई है। भारत के प्रतिकुल व्यापार शेष की स्थिति को देखते हुए रियायती शर्तो पर विदेशी सहायता की आवश्यकता है।

8 मुद्रास्फीति पर नियत्रण (Control Over Inflation) – विदेशी पूजी मुद्रास्फीति पर नियत्रण मे सहायक होती है। देश में विदेशी पूजी के प्रयोग से उत्पादो के अभाव की पूर्ति की जाती हे। उत्पादो की आपूर्ति मे वृद्धि से मुद्रा स्फीति मे कमी होती है। विदेशी पूजी निवेश से पूजीगत और उपभोक्ता उत्पादो की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है।

9 रोजगार सृजन (Creation of Employment) – विदेशी पूजी निवेश से देश का तीव्र औद्योगिक विकास होता है। देश मे कृषि ओर उद्योगो का विकास होता है। उद्योगो की स्थापना से देशवासियो के लिए रोजगार के अवसर बढते है।

10 विश्व शाति (World Peace) – आज विश्व के अनेक देशो के बीच परस्पर टकराव की स्थिति है। भारत को स्वतत्रता के पश्चात चार बडे युद्धो का सामना करना पडा तथा जून 1999 के भारत–पाक सीमा पर तनाव की स्थिति थी। भारत की सीमा मे प्रवेश कर चुके पाक सैनिक और घुसपैठियो को खदडने के लिए भारतीय सेना द्वारा आपरेशन विजय' चालू किया गया। कारगिल समस्या

से निपटने मे भारतीय सैनिक शहीद हुए। विश्व के अनेक दूसरे देशो के बीच भी भारी तनाव की स्थिति है। विदेशी पूजी निवेश से विश्व के देशो के बीच पारस्परिक सहयोग और सद्भावना बढती है। विदेशी सहायता विश्व शाति का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक है।

11 ऋणदाता देश को लाभ (Profit for Loanee Country) – विदेशी पूजी निवेश से ऋणदाता देश को ब्याज प्राप्त होता हैं। अतिरेक उत्पाद को विदेशों में खपाकर आन्तरिक मदी को नियन्त्रित किया जा सकता है। विदेशी सहायता मुहैया कराते समय निर्यात की भी शर्त जोडने पर व्यापार सतुलन को पक्ष म किया जा सकता है।

12 तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Development) – विकासशील देशो मे वित्तीय ससाधनो के अभाव के कारण कृषि उद्योग व आधारभूत सरचना का विकास नहीं हो पाता है। इन देशो मे बचत व विनियोग की दर भी कम होती है। इस कमी को विदेशी पूजी से दूर किया जा सकता है। विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में पूजी विनियोग म वृद्धि होती है जिससे आर्थिक विकास को बल मिलता है।

विदेशी पूजी निवेश के खतरे

(Risk of Foreign Capital Investment)

विदेशी पूजी निवेश से विश्व के देशो को आर्थिक विकास मे मदद मिली है किन्तु विदशी पूजी निवेश के अनेक खतरे भी हैं। विदेशी पूजी का उपयोग एक सीमा तक ही राष्ट्र के हित म होता हैं। विदेशी पूजी निवेश अनेक समस्याए साथ लेकर आती है। अधिक विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की सभावना रहती है। नब्बे के दशक मे दक्षिण–पूर्व एशियाई देश 'एशिया टाईगर्स' के रूप मे उभरे किन्तु इन देशो म अधिक विदेशी पूजी निवेश से अर्थव्यवस्था धराशाई हो गई। विदेशी पूजी निवेश के बारे मे बेनर (Baner) के विचार सारगर्भित है उनके अनुसार निरन्तर बडे पैमाने पर विदेशी सहायता मिलने से प्राप्तकर्ता राष्ट्र का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना का उदय नहीं हो पाता। विदेशी पूजी निवेश के कुछ खतरे इस प्रकार है –

1 स्वतत्र आर्थिक नीति को खतरा (Risk to Independent Economic Policy) – स्वातन्त्र्योत्तर आर्थिक विकास को गति देने वास्ते भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वोपरि रखा गया। आज भारत स्वतत्रता के पाच दशक पूरे कर चुका है। पचवर्षीय योजनाओ मे विकासगत आवश्यताओ को पूरा करने के लिए विदेशी पूजी निवश पर अधिक निर्भरता बढी। भारत म दीर्घावधि तक आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं किया जा सका। विश्व के अनेक देशा से भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त की। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई

किन्तु अनेक कठिनाईयो का भी भारत को सामना करना पडा। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था पर परोक्ष प्रभाव पडा। पचवर्षीय योजनाओ के लक्ष्य प्राथमिकताओ के हिसाब से बदलने पडते हैं। भारत ने विदेशी पूजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियो मे परिवर्तन किया है। बजट घाटे को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव रहा है। अनेक बार केन्द्रीय बजट विदेशी पूजी निवेशको के दबाव मे आकर बनाने की बात भी कही जाती रही है। सकट की घडी मे विदेशी पूजी निवेश के कटु अनुभव रहे हें। वर्ष 1965 व 1971 मे भारत–पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने अचानक आर्थिक सहायता बद की जिसका भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते भारत ने 1991–92 से आर्थिक उदारीकरण की नीतियो को आत्मसात किया। विकास के क्षेत्र में पचवर्षीय योजनाओं की भूमिका घटी है। भारत ने मई 1998 मे राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किए। इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। आर्थिक प्रतिबन्धो का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा है। जून 1999 मे भारत कश्मीर मे कारगिल समस्या से जूझा। भारत–पाक सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत ने पाक घुसपैठियों को खदडने के लिए सैनिक कार्यवाही की। भारत ने सैनिक कार्यवाही सीमा रेखा के भीतर तक सीमित रखी। हर्ष की बात है कि भारत की सीमा के भीतर सैनिक कार्यवाही का विश्व की पाच 'वीटो' शक्तियो मे से चार ने समर्थन किया। भारत को पाकिस्तान के नापाक इरादो को नैस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। चाहे विदेशी पूजी निवेश के कमी की सभावना का खतरा ही क्यो न झेलना पडे?

2 बढता विदेशी ऋण (Increasing Foreign Debt) – विदेशी सहायता ऋण ओर अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। भारत को अधिकाश विदेशी सहायता ऋणो के रूप मे प्राप्त हुई। पचवर्षीय योजनाओं मे विकासगत जरुरतो के लिए भारी भरकम पूजी विनियोजन की आवश्यकता थी। भारत मे बचत दर कम होने के कारण वित्तीय ससाधनों का अभाव था। परिणामस्वरूप विदेशों से भारी कर्ज लिया गया। आज भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। नब्बे के दशक मे भारत के कुल विदेशी ऋण मे भारी वृद्धि हुई। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 1991 मे 93,801 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1995 मे 99,008 मिलियन डॉलर हो गया। बाद के वर्षों में विदेशी ऋण मे थोडी कमी आयी। मार्च 1998 में कुल विदेशी ऋण 93,908 मिलियन डॉलर रह गया। सितम्बर 1998 में विदेशी ऋण फिर बढकर 95,195 मिलियन डालर (प्राविजनल) हो गया। भारत का विदेशी ऋण मार्च 1998 से लेकर सितम्बर 1998 तक 1,287 मिलियन डॉलर बढ गया। वित्त मत्रालय द्वारा भारत के विदेशी कर्ज की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी कर्ज लेने के मामले में विश्व में आठवें नम्बर पर है। यद्यपि

सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले मे विदेशी कर्ज का अनुपात 1991–92 के 37.7 प्रतिशत से घटकर सितम्बर 1998 के अत तक 23 प्रतिशत रह गया। रुपए मे विदेशी ऋण मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। रुपए के अवमूल्यन के कारण विदेशी ऋण बढा। रुपए मे भारत का विदेशी ऋण मार्च 1991 मे 1,63,001 करोड रुपए था जो बढकर मार्च 1995 मे 3,11,685 करोड रुपए, मार्च 1998 मे 3,71,565 करोड रुपए तथा सितम्बर 1998 मे और बढकर 4,05,004 करोड रुपए (प्राविजनल) हो गया।

3 ब्याज का बोझ (Interest Burden) – विदेशी पूजी निवेश के कारण भारत पर ब्याज का बोझ निरन्तर बढता गया। भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी ऋण अदायगी के मामले मे 'डिफाल्टर' घोषित नही हुआ। विदेशी ऋण के मूल भुगतान और ब्याज अदायगी मे कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई। वर्ष 1991–92 मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट से निपटने वास्ते स्वर्ण विदेशो मे गिरवी रखना पडा। वर्तमान मे विदेशी ऋण के मूल भुगतान और ब्याज भुगतान की विकट समस्या है। अप्रैल–फरवरी 1997–98 मे विदेशी सहायता सकल प्राप्ति 9,319 करोड रुपए, मूल भुगतान 6,782 करोड रुपए तथा ब्याज भुगतान 4,462 करोड रुपए था। विदेशी सहायता व ऋण अदायगी मे बढोतरी हुई। अप्रैल–फरवरी 1998–99 मे विदेशी सहायता सकल प्राप्ति 9,915 करोड रुपए, मूल भुगतान 8,040 करोड रुपए तथा ब्याज भुगतान 4,695 करोड रुपए हो गया।[1] भारत मे विदेशी मुद्रा आय के अनुपात मे कर्ज अदायगी राशि का अनुपात 1990–91 मे 35.3 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 19.4 प्रतिशत था। कर्ज अदायगी की राशि 1990–91 मे 8.9 अरब डॉलर तथा 1998–99 मे 8.3 अरब डॉलर था। वित्त मत्रालय द्वारा विदेशी कर्ज की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों मे कर्ज अदायगी की राशि बढने की सभावना है। इस वर्ष (1999-2000) यह राशि 9.14 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है तथा यह राशि 2003 तक 12.36 अरब डॉलर हो सकती है।[2]

भारत को विदेशी ऋण चुकाने के लिए कई बार विदेशो से ऋण लेना पडा है जो चिंतनीय बात है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नही होने से भारत पर विदेशी ऋण बढा है।

4 आत्मनिर्भरता मे शिथिलता (Slackness in Self sufficiency) – विदेशी पूजी निवेश से आत्मनिर्भरता के प्रयासो को ठेस पहुची है। विदेशी पूजी निवेश से प्राप्त तकनीक विकासशील राष्ट्रो के अनुकूल नही होती है। भारत जनाधिक्य वाला देश है तथा यहा बेरोजगारी की विकट समस्या है। अत भारत को श्रम गहन तकनीक की आवश्यकता है। विदेशो से प्राप्त तकनीक पूजी गहन होती है। विदेशी सहायता पर निर्भरता बढने से आत्मनिर्भरता के प्रयासो को धक्का पहुचता है।

5 आर्थिक शोषण (Economic Exploitation) – विदेशी पूजी निवेश से आर्थिक शोषण होता है। विदेशी सहायता मुहैया कराने वाले देश विदेशी सहायता

से सचालित कार्यक्रमो पर विदेशी अधिकारियों की नियुक्ति करते है जो विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश का आर्थिक शोषण से नहीं चूकते हैं। विदेशी पूजी निवेशक लाभ का अधिकाश भाग स्वदेश ले जाते हैं।

6 **कडी प्रतिस्पर्धा (Tough Competition)** – भारतीय उद्यमी विदेशी पूजी निवेश प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति मे नहीं है। भारतीय उत्पाद आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नहीं है। विदेशी पूजी निवेश सामान्यतया विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। उनके पास आधुनिक तकनीक होती है। विदेशी उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था पर छा जाते हैं। स्वदेशी उद्योगों का प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिकने के कारण पतन होता है। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य मे विदेशी पूजी निवेश को आकर्षित करने मे भी भारी प्रतिस्पर्धा है। आज विश्व के अधिकाश देश विदेशी पूजी को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे प्रयासो के बावजूद भारत अधिक विदेशी पूजी आकर्षित नहीं कर सका है। राजनीतिक अस्थिरता और समसामायिक घटनाओ के कारण विदेशी पूजी निवेश मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। विदेशी पूजी निवेश को एक सीमा तक जनविरोध का भी सामना करना पडता है। आज विदेशी पूजी निवेश राष्ट्रों के विकास की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक विरोध समीचीन नहीं है।

7. **असंतुलित विकास (Imbalanced Development)** – विदेशी पूजी असतुलित विकास को बढावा देती है। विदेशी पूजी लाभ की अधिक सभावनाओ वाले क्षेत्रो मे ही विनियोजित की जाती है। विदेशी पूजी प्राप्त करने वाला देश पूजी के उपयोग के लिए स्वतत्र नहीं होता है। अनेक बार विदेश पूजी विशेष कार्यों के लिए होती है। भारत मे विदेशी पूजी का उपयोग उपभोक्ता वस्तु उद्योगो मे अधिक हुआ है। आधारभूत सरचना क्षेत्र में अधिक विदेशी पूजी निवेश नहीं हुआ है।

8 **राजनीतिक प्रभुत्व (Political Influence)** – विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक प्रभाव भी होता है। विदेशी पूजी सामान्यतया सबधित गुट वाले देशो को ही अधिक मात्रा मे मुहैया कराई जाती है। विगत मे अमरीका ने पूजी प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशो मे अधिक पूजी निवेश किया। विदेशी पूजी निवेश करने वाला देश ऋणी देश पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व थोपने का का प्रयास करता है।

विदेशी पूजी निवेश के खतरो को दृष्टिगत रखते हुए भारत को आत्मनिर्भरता की महत्ती आवश्यकता है। स्वतत्रता के पाच दशक बीत जाने के बाद भी विदेशी पूजी पर आश्रितता चिंताप्रद है। भारत को विदेशी पूजी के स्थान पर आतरिक वित्तीय ससाधनो से विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। चाहे विकास की गति थोडी धीमी हो जाए। विदेशी सहायता के मामले में चीन से सीख ले सकते हैं। चीन से स्वदेशी मध्यवर्ती तकनीक विकसित करके साठ के दशक मे ही विदेशी सहायता से मुक्ति पा ली। आज चीनी विदेशी पूजी का निर्यातक देश है। भारत विदेशी पूजी का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं कर सका है। विदेशी पूजी बहुत

महगी होती है इगस दश क आर्थिक साधना का शापण भी हाता है। अत विदेशी पूजी का उपयाग उत्पादन वृद्धि म हाना चाहिए। विदशी पूजी की प्रासगिकता इसक उपयोग स राष्ट्र की आर्थिक सुदृढता म निहित है। भारत की आर्थिक मजवृती से बाहरी सहायता की अदायगी आसान होगी।

विदेशी पूजी निवेश के विभिन्न स्रोत

(Various Sources of Foreign Capital Investment)

विदेशी पूजी निवश के प्रमुख स्रात निम्नलिखित हैं –

1 **सार्वजनिक विदेशी विनियोग (Public Foreign Investment)** – सावजनिक विदेशी विनियाग मे ऋण अनुदान तकनीकी सहायता व खाद्यान्न सहायता का सम्मिलित किया जाता है। निजी विदेशी विनियाग का लाभ आसानी से नहीं मिल पाने के कारण विकासशील राष्ट्रों को सार्वजनिक विदशी विनियोग पर अधिक निर्भर रहना पडता है। सार्वजनिक विदेशी विनियोग मे विदेशी सरकारो द्वारा विकासशील राष्ट्रो को विदेशी सहायता उपलब्ध कराइ जाती हैं। भारत को अमरीका जमन जापान रूस ब्रिटेन फ्रास आदि से एसी सहायता वडे पैमाने पर प्राप्त हुई।

2 **विदेशी निजी विनियोग (Foriegn Private Investment)** – विदशी निजी विनियाग के विदेशी पूजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और पार्टफोलिया विनियोग द्वारा किया जाता है।

(i) **विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (Foreign Direct Investment)** – इसमे विदेशी स्वामित्व के साथ–साथ विदेशी नियत्रण भी होता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग से सहायता प्राप्त करने वाले देश को शोषण का भय वना रहता है।

(ii) **पोर्टफोलियो विनियोग (Portfolio Investment)** – पोर्टफोलिया विनियोग के अन्तर्गत निवश पर नियत्रण भारतीयो के हाथों म होता है। इस प्रकार के विनियोग पर केवल व्याज देना हाता है अथवा एक निश्चित लाभाश की गारण्टी होती है। पोर्टफोलिया विनियोग में विनियोगकर्त्ता अपने ऊपर जाखिम नहीं लेते हैं और प्रवन्ध पर भी नियत्रण नहीं रखत हैं।

3 **अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं द्वारा ऋण और अनुदान (Loan and Grants by International Institutions)** – अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं म विश्व वैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ एशियाई विकास वैंक भारत सहायता क्लव आदि मुख्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से सदस्य देश बिना किसी राजनीतिक दवाव के सहायता प्राप्त कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं।

4 **विदेशी व्यापारिक उधार (External Commercial Borrowings)** – भारत पूजी वाजार के विभिन्न घटका स विदेशी व्यापारिक उधार प्राप्त करता है।

इसके स्रोत ब्रिटेन का निर्यात साख गारन्टी निगम, अमेरिकन एक्जिम बैक, जापान का एक्जिम बैंक आदि है। यह एक प्रकार से निजी विदेशी विनियोग का ही भाग है।

विदेशी पूंजी निवेश की राजकीय नीति

(Government Policy towards Foreign Capital Investment)

भारत मे विदेशी पूजी के महत्व को प्रथम औद्योगिक नीति, 1948 से ही स्वीकार किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे देश की औद्योगिक विकास की गति को बढाने, उद्योगो मे विविधता तथा नवीन तकनीक का लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी पूजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति मे कहा गया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रखते हुए विदेशी पूजी के नियमन के लिए स्वामित्व तथा कारगर नियत्रण मे एक बडा भाग भारतीयो के हाथ मे हो, किन्तु सभी मामलो मे योग्य भारतीय कर्मचारियो के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो अन्ततोगत्वा विदेशी विशेषज्ञो का स्थान ले सके। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति मे राष्ट्रीयकरण की बात कही जाने के कारण विदेशी निवेशको म भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। विदेशी निवेशको का विश्वास पाने के वास्ते तत्कालीन प्रधानमत्री पडित नेहरु ने ससद मे घोषणा की कि विदेशी पूजी और स्वदेशी पूजी मे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण की नीति मे उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा देश मे मुद्रा की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए विदेशी निवेशको को लाभ व पूजी बाहर भेजने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त विदेशी हितो विशेषकर-प्रतिबन्ध व नियत्रण यथासभव नहीं करने की बात भी कही गई। इन घोषणाओ से विदेशी निवेशको का भारत की अर्थव्यवस्था मे विश्वास बनाये रखने मे मदद मिली। वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति मे भी विदेशी सहयोग प्राप्त करने की बात कही गई, किन्तु विदेशी सहयोग वाली फर्मो को 'फेरा' के तहत ढाला गया। विदेशी निवेश और पूजी पर कुछ अपवादो को छोडकर स्वामित्व व नियत्रण भारतीय के हाथो मे होगा। सभी स्वीकृत इकाइयो को लाभ स्वदेश मे ले जाने की अनुमति होगी। औद्योगिक नीति 1990 मे विदशी सहयोग के प्रति रुख स्पष्ट किया गया। किसी भी उद्योग मे विदेशी सहयोग की राशि प्लाट एव मशीनरी के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किसी कपनी मे अश पूजी के 40 प्रतिशत के बराबर की अनुमति स्वचालित आधार पर होगी। उद्यमी तकनीक के आयात को आवश्यक समझता है तो वह सहयोगी से अनुबध कर सकता है।

विदेशी पूंजी निवेश की वर्तमान नीति (Present Policy of Foreign Capital Investment) – केन्द्र सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991–92 मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अब तक अर्थव्यवस्था मे अनेक मूलभूत बदलाव किए जा चुके हैं। भारत मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 की औद्योगिक नीति घोषणा के साथ हुई। भारत मे विकास वास्ते विदेशी पूजी की आवश्यकता तथा भुगतान असतुलन की स्थिति

नियोजन काल मे प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता
(वर्ष 1951-1952 से 1997-98)

(करोड रुपए)

पचवर्षीय योजनाए		योजना परिव्यय (सार्वजनिक क्षेत्र)	प्रयुक्त विदेशी सहायता	प्रयुक्त विदेशी सहायता का योजना परिव्यय मे भाग (प्रतिशत मे)
चतुर्थ योजना के अत तक (1951-52 से 1973-74)		376127 0	11922 1	31.7
पाचवी योजना	(1974-79)	394262 0	7259 3	18 4
वार्षिक योजना	(1979-80)	12176 50	1353 1	11 1
छठी योजना	(1980-85)	109291.70	10903 9	9 9
सातवी योजना	(1985-90)	218729 62	22699 8	10 4
वार्षिक योजना	(1990-91)	58369 30	6704 3	11 5
	(1991-92)	64751 20	11615 0	17 9
आठवी योजना	(1992-97)	434100 00 (अनुमानित)	56644 0	13 0
वित्त वर्ष	(1997-98)	139625 90 (स अ)	11744 7	8 4
कुल योग (1951-52 से 1997-98 तक)		1114083 1	140846 2	12 6

स्रोत 1. इकोनॉमिक सर्वे 1992-93 तथा 1998-99 से सकलित।

2 शर्मा ओ पी *भारत मे नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण* 1999

भारत ने पचवर्षीय योजनाओ मे विदेशी सहायता का खूब उपयोग किया। भारत ने 1951–52 से लेकर 1997–98 तक 1,40,846 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षो मे योजना परिव्यय का बडा भाग विदेशी सहायता के रूप मे प्राप्त किया गया। बाद के वर्षो मे विदेशी सहायता पर निर्भरता मे कमी हुई। चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अत तक 11,922 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो योजना परिव्ययो का 31 7 प्रतिशत था। सातवी पचवर्षीय योजना मे 22,699 8 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो सातवीं योजना परिव्यय 2,18,729 6 करोड रूपए का 10 4 प्रतिशत थी। वर्ष 1991–92 मे विदेशी सहायता मे तीव्र वृद्धि हुई। गौरतलब है इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था खाडी युद्ध जनित *आर्थिक सकट* से ग्रसित थी। वर्ष 1991–92 मे योजना परिव्यय के 17 9 प्रतिशत कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई। आठवी पचवर्षीय योजना मे प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता

56,644 करोड रुपए थी जो आठवीं पचवर्षीय योजना क अनुमानित योजना परिव्यय 4,34,100 करोड रूपए के 13 प्रतिशत बैठती है। आठवीं पचवर्षीय योजना का वास्तविक योजना परिव्यय आन पर विदेशी सहायता क प्रतिशत म थाडी कमी होगी। सयुक्त मार्चा सरकार क कार्यकाल म विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1997–98 म 11,744 7 कराड रुपए की कुल विदशी सहायता प्रयुक्त की गई जा इस वर्ष क सशाधित याजना परिव्यय 1,39,625 9 कराड रूपए का 8 4 प्रतिशत है। कुल मिलाकर विभिन्न पचवर्षीय याजनाआ में याजना परिव्यय का बडा भाग विदशी सहायता के रूप में प्रयुक्त किया गया।

आर्थिक उदारीकरण और विदेशी सहायता

(कराड रुपए)

(अ) कुल अधिकृत विदशी सहायता (Authorization)	ऋण	अनुदान	कुल	कुल विदेशी सहायता मे अनुदान का प्रतिशत
1991 92	11805 8	901 8	12707 6	7 0
1992-93	13082 1	1011 7	14093 8	7 2
1993-94	11618 8	2415 1	14033 9	17 2
1994-95	12384 3	1075 8	13460 1	7 9
1995-96	10833 2	1330 0	12163 2	10 9
1996-97	14208 8	2932 6	17141 4	17 1
1997-98	14865 0	2101 0	16966 0	12 4
1998-99	8320 8	209 8	8530 6	2 5
(अ) कुल उपयाग (प्रयुक्त) (Total Utilization)				
1991-92	10695 9	919 1	11615 0	7 9
1992-93	10102 2	879 6	10981 8	8 0
1993-94	10895 4	885 6	11781 0	7.5
1994-95	9964 5	916 0	10880 5	8 4
1995-96	9958 6	1063 6	11022 2	9 6
1996-97	10892 9	1085 6	11978 5	9 0
1997-98	10823 4	921 3	11744 7	7 8
1998-99	12343 4	895 5	13238 9	6 8

स्रोत इकानामिक सर्वे 1998 99 एस–98 तथा 1999-2000 (अनुदान का प्रतिशत निकाले गए हैं।)

आर्थिक उदारीकरण और विदेशी सहायता (Economic Liberalization and Foreign Assistance) – भारत मे आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष बीत चुके हैं। *आर्थिक उदारीकरण मे भारत की अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता* बनी हुई है। प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता मे अनुदान का प्रतिशत बहुत कम है। विदेशी सहायता मे ऋणो का भाग अधिक होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ब्याज के बोझ तले दबी हुई है। इसके अलावा कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे भारी अतराल है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नही पकड सकी।

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षो मे विदेशी सहायता की प्रवृत्ति मे विशेष बदलाव नहीं आया। कुल अधिकृत विदेशी सहायता 1991–92 मे 12,707 6 करोड रूपए थी जो बढकर 1997–98 मे 16,966 करोड रूपए हो गई। इस प्रकार कुल अधिकृत विदेशी सहायता मे 1997–98 मे 1991–92 की तुलना मे 33 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता मे तो वृद्धि हुई, किन्तु कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे वृद्धि लगभग नगण्य रही। कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 1991–92 मे 11,615 करोड रूपए थी जो बढकर 1997–98 मे केवल 11,744 7 करोड रूपए ही हो सकी। कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे 1997–98 मे 1991–92 की तुलना मे लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता मे 33 5 प्रतिशत की वृद्धि और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के केवल एक प्रतिशत की वृद्धि चौकाने वाले तथ्य है।

कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के बीच अतराल बढा है। वर्ष 1991–92 मे कुल अधिकृत विदेशी सहायता 12,707 6 करोड रूपए थी। जबकि कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 11,615 करोड रूपए ही थी। वर्ष 1991–92 मे कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना मे 8 6 प्रतिशत कम रही। वर्ष 1997–98 मे कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता मे अतराल भारी बढा। इस वर्ष कुल अधिकृत विदेशी सहायता 16,966 करोड रूपए की थी जबकि कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 11,744 7 करोड रूपए ही थी। वर्ष 1997–98 मे कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी सहायना की तुलना मे 30 8 प्रतिशत कम रही। कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना मे कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के कम होने का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा। एक ओर भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है दूसरी ओर कुल अधिकृत विदशी सहायता का पूरा भाग प्रयुक्त नहीं हो सका। विदेशी सहायता में अनुदान का भाग बहुत कम हैं बाहरी सहायता के मूल और ब्याज अदायगी की भारी चिन्ता है परिणामस्वरूप भारत विकास की दौड मे विकसित देश की तुलना मे पीछे है।

प्राप्त विदेशी सहायता के प्रमुख स्रोत (Main Sources of Receipt Foreign Assistance) – भारत को विदेशी सहायता भारत सहायता क्लब रूस व पूर्वी यूरोपीय देश और अन्य स्रोत यथा अबूधावी फण्ड, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ओपेक एशियाई विकास बैंक आदि से प्राप्त होती है।

भारत सहायता क्लब (Consortium Members) – विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1958 मे भारत सहायता क्लब की स्थापना की। विश्व के विकसित देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाए भारत सहायता क्लब के सदस्य है। भारत सहायता क्लब के सदस्यो मे आस्ट्रिया बेल्जियम कनाडा डेनमार्क फ्रास जर्मनी इटली जापान नीदरलैण्ड, स्वीडन ब्रिटेन अमरीका विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ आई एफ एफ ट्रस्ट फण्ड आदि। भारत सहायता क्लब से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980 81 में 1 999 करोड रूपए 1990–91 मे 5 796 5 करोड रूपए, 1995–96 मे 8 904 करोड रूपए तथा 1997–98 मे 9 208 करोड रूपए थी।

रूस सघ और पूर्वी यूरोपीय देशो से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980–81 में 32 9 करोड रूपए 1990–91 में 312 8 करोड रूपए तथा 1992–93 मे 34 8 करोड रूपए थी। वर्ष 1993–94 के बाद से भारत को रूस सघ और पूर्वी यूरोपीय देशा से विदशी सहायता प्राप्त नहीं हुई। अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980–81 मे 129 9 करोड रूपए 1990–91 मे 595 करोड रूपए तथा 1997–98 में 2 536 4 करोड रूपए थी। अन्य स्रोतो मे भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता सर्वाधिक एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त होती है। वर्ष 1997–98 मे इस दोनो सस्थाओ से क्रमश 2 230 करोड रूपए तथा 227 5 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई।

भारत मे विदेशी सहायता की उपलब्धिया

(Achievements of Foriegn Assistance in India)

भारत के आर्थिक विकास मे विदेशी सहायता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राकृतिक आपदाओ ओर आर्थिक सकट के समय विदेशी सहायता से राहत मिली। भारत मे स्वातन्त्र्योत्तर विदशी सहायता की उपलब्धिया निम्नलिखित हैं –

1 **विदेशी सहायता में निरन्तर वृद्धि (Continued Increase in Foreign Assistance)** – *भारत म स्वतत्रता के उपरात विदेशी सहायता मे उत्तरोत्तर वृद्धि* हुई। विदशी सहायता क बढने से वित्तीय ससाधनो के अभाव से निपटने मे मदद मिली। भारत ने 1951–52 से 1997–98 तक 1 40 846 करोड रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की। पाचवी पचवर्षीय योजना म प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 7 259 करोड रूपए थी जो बढकर आठवीं पचवर्षीय योजना मे 56 644 करोड रूपए तक जा पहुची।

2 **औद्योगिक विकास (Industrial Development)** – नियोजन काल के

प्रारम्भिक वर्षो मे देश में औद्योगीकरण का अभाव था। विदेशी सहायता से आधारभूत और मूलभूत उद्योगो का विकास हुआ। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे विदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगो की स्थापना की गई। विदेशी सहायता से देश मे औद्योगीकरण का वातावरण बना।

3 **तीव्र विकास** (Rapid Development) – भारत मे आर्थिक विकास की गति को तेज करने मे विदेशी सहायता का बडा योगदान है। भारत को कृषि, सिचाई, विद्युत, परिवहन के विकास मे पर्याप्त विदेशी सहायता मिली है।

4 **तकनीकी और प्रबन्धकीय ज्ञान** (Technical and Administrative Knowledge) – विदेशी सहायता से भारत मे शोध एव अनुसधान को बढावा मिला। भारत को विदेशी सहायता मे विशेषज्ञो की सेवाए, भारतीयो को प्रशिक्षण सुविधा, तकनीकी सलाह आदि प्राप्त हुई। विदेशी सहायता से भारत मे तकनीकी योग्यता व प्रबन्धकीय क्षमता मे वृद्धि हुई।

5. **भुगतान सकट में राहत** (Relief in Payment Crisis) – भारत नियोजन काल मे विकासगत आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए आयातो पर अधिक निर्भर रहा। परिणामस्वरूप व्यापार घाटे की समस्या सदैव मुहबाए खडी रही। व्यापार घाटे के बढने से भुगतान सतुलन की स्थिति भी बिगडी। सातवीं पचवर्षीय योजना मे भुगतान सतुलन के अन्तर्गत चालू खाते का घाटा (1984-85 मूल्यो के पर) 20,000 करोड रूपए था। जो सकल घरेलू उत्पाद का 1 6 प्रतिशत था। भारत बढते व्यापार घाटे की समस्या से आज भी जूझ रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में निर्यातो के तेजी से नहीं बढने के कारण व्यापार घाटे की स्थिति और बिगडी। भारत का व्यापार घाटा 1991–92 मे 3,810 करोड रूपए था जो बढकर 1996–97 मे 20,103 करोड रूपए तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998–99 मे और बढकर 30,597 करोड रूपए तक जा पहुचा। भुगतान के मोर्चे पर स्थिति से निपटने के लिए विदेशी सहायता मिली तथा विकास के मार्ग मे अडचने नहीं आयी।

6. **खाद्यान्न आपूर्ति** – भारतीय कृषि नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षो मे पिछडी रही। आज भी कृषि उत्पादन मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। दूसरी ओर जनसख्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसी स्थिति मे भारत को खाद्यान्न सकट का सामना करना पडा। अमरीका द्वारा पी एल 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति से भारत के गरीब लोगो को बडी राहत मिली।

7. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना** (International Cooperation and Goodwill) – विदेशी सहायता विश्व शाति का मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक सिद्ध होती हैं। विदेशी सहायता मे समझौते और वार्ताए विश्व के देशो को निकट लाती है। भारत की आर्थिक सहायता के लिए 'भारत सहायता कोष' बना हुआ है जिसके सदस्य देशो द्वारा भारत को बडे पैमाने पर विदेशी सहायता मिलती है। दक्षिण एशिया के देशो मे गरीबी की समस्या विकट है। भारत विकासशील देशो

बढते मूलधन ओर ब्याज अदायगी अर्थात ऋण सेवाओ के भुगतान से निपटने के लिए विदेशी सहायता पर बडे पैमाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विदेशी सहायता का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए जिससे निर्यात बढकर मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जा सके।

3 **विशुद्ध विदेशी प्रवाह मे कमी** (Lack of Net Foreign Inflows) – प्राप्त विदेशी सहायता का बडा भाग ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान मे खर्च हो जाता है। जिससे विशुद्ध विदेशी सहायता निरन्तर घटी। विशुद्ध विदेशी सहायता का प्रवाह 1980–81 मे 1,297 करोड रूपए 1990–91 मे 2,422 करोड रूपए, 1994–95 मे 453 करोड रूपए तथा 1996–97 मे 4,165 करोड रूपए रहा ।

ऋण और ब्याज पुनर्भुगतान की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए जिससे विशुद्ध विदेशी सहायता का प्रवाह बढ सके।

4 **बढता विदेशी ऋण** (Excess Foreign Debt) – भारत को अधिकतर विदेशी सहायता ऋणो के रूप मे प्राप्त हुई। भारत द्वारा विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण ऋणभार की समस्या बढी। विदेशी ऋण के बढने से समस्या इतनी जटिल हो गई कि कर्ज चुकाने के लिए अनेक बार कर्ज लेना पडा। यदि विदेशी ऋण के बढने की प्रवृत्ति बनी रही तो न केवल आर्थिक विकास का मार्ग अवरूद्ध होगा अपितु विदेशी ऋण शिकजे की जकडन बढती जाएगी। आज भारत दुनिया का बडा ऋणी देश है। भारत की कुल विदेशी ऋण मार्च 1998 मे 3,71,565 करोड रूपए था। डॉलर मे विदेशी ऋण मार्च 1998 मे 93,908 मिलियन डालर था।

भारत को बढते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए अनुदान प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए जिसमे मूल और ब्याज अदायगी का भार नहीं उठाना पडता है।

5 **प्रतिस्पर्धा** (Competition) – विदेशी सहायता के तकनीक के रूप मे भी प्राप्त होने के कारण भारतीय तकनीक को कम प्रोत्साहन मिला। भारत के सभी क्षेत्रो मे विदेशी सहायता प्राप्त तकनीक का उपयोग किया गया। आज भारतीय बाजार विदेशी ब्राण्डो और ट्रेडमार्को से भरे पडे हैं। भारतीय उत्पादन विदेशी उत्पादो से प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते हैं। भारतीय उत्पादों के घटिया माने जाने से स्वदेशी उद्यमी हतोत्साहित होते हैं।

प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए भारतीय तकनीक को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्पादो को भारतीय ब्राण्डो और ट्रेडमार्को मे बदला जाना चाहिए।

6 **अनुचित उपयोग** (Improper Use) – भारत मे पचवर्षीय योजनाओ मे भारी विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई। वर्ष 1951–52 से लेकर 1997–98 तक भारत मे 1,40,846 करोड रूपए की विदेशी सहायता प्रयुक्त हुई। भारी भरकम

विदेशी सहायता के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मे बदलाव नहीं आया। आज भी भारत मे गरीबी बेकारी निरक्षरता आदि समस्याए मुहबाए खडी हैं। भारतीयो की दयनीय आर्थिक स्थिति से विदेशी सहायता के अनुचित उपयोग की पुष्टि होती हैं। प्रयुक्त विदेशी सहायता को अनुत्पादक परियोजनाओ मे लगा दिया गया। जिससे विदेशी सहायता का लाभ जन साधारण को नहीं मिला। विदेशी सहायता का उपयोग उत्पादक परियोजनाओ मे किया जाना चाहिए जिससे दश के आर्थिक विकास को बल मिले।

7 **अनिश्चितता (Uncertainty)** – विदेशी सहायता क मामले में भारत के सामने अनेक बार अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई। दिसम्बर 1971 मे भारत–पाक युद्ध के समय अमरीका ने भारत को दी जान वाली विदेशी सहायता बद कर दी जिससे भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा। मई 1998 मे राजस्थान के पोकरण मे भारत क परमाणु परीक्षण के कारण अमरीका न भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धो की घोषणा की जिसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पडा।

सकट के समय विदेशी सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। यदि ऐस समय मे विदेशी सहायता बद या स्थगित कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडना स्वाभाविक है। भारत स्वतत्रता के पाच दशक पूरे कर चुका है। फिर भी विकास वास्ते विदेशी सहायता पर निर्भरता बनी हुई है। विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने क लिए भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावात्पादक कदम उठाने होग आर्थिक नीतिया इस प्रकार निर्मित्त और क्रियान्वित करनी होगी कि प्राप्त विदशी सहायता का अधिकाश भाग ऋण अदायगी म ही नहीं चला जाए। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेना पडे। इसके लिए आवश्यक है आज क आर्थिक उदारीकरण के युग मे विदेशी सहायता का उपयोग आधारभूत सरचना क विकास और औद्योगिक पुनरुत्थान म किया जाना चाहिए। इसके अलावा विदेशी सहायता को सामाजिक विकास क ढाचे मे सुधार की ओर मोडना भी समीचीन होगा।

2 **निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश** (Private Sector Foreign Capital Investment) – भारत म विदेशी पूजी निवेश का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्रोत निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश है। इसमे एक देश की निजी कम्पनिया द्वारा दूसरे देश की कम्पनियो मे निवेश किया जाता है। निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (*Foreign Direct Investment*) और *पोर्टफोलियो निवेश (Port Folio* Investment) द्वारा होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी कम्पनिया भारत की कम्पनियो की अश पूजी से 50 प्रतिशत से अधिक शेयर्स खरीदकर कम्पनियो का स्वामित्व प्रबन्ध व नियत्रण अपने हाथ मे ले लेती हैं। पोर्टफोलियो निवेश मे कम्पनियों पर नियत्रण भारतीयो क हाथों म होता है। पोर्टफोलियो विनियोग पर केवल ब्याज अथवा एक निश्चित लाभाश की गारण्टी होती हैं।

भारत मे जनसख्या के बडे भाग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने के कारण बचत और विनियोग की दर विकसित देशो की तुलना मे कम हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते वित्तीय ससाधनो का अभाव है। आधारभूत सरचना का भी देश मे समुचित विकास नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था की माली हालत को दृष्टिगत रखते हुए भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे विनियोगकर्ता दूसरे देश मे सर्वोत्तम तकनीकी योग्यता और प्रबन्धकीय क्षमता का प्रयोग करते हैं। भारत मे आर्थिक सुधार लागू किए जाने के बाद विकास के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका नियोजन काल की तुलना मे कम हो गई है। भारत के निजी क्षेत्र के लम्बे समय तक सरक्षण नीति मे पलने के कारण उनमे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति नहीं बढ सकी। ऐसी स्थिति मे विदेशी उद्योगपतियो को स्वय के जोखिम और नियत्रण पर उद्योगो की स्थापना करने के लिए आधिक अवसर देने पर विचार करना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देश मे उत्पादन वृद्धि मे मदद मिलेगी जिससे बेरोजगारी की समस्या का भी बडी सीमा तक निदान हो सकेगा। किन्तु अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की सभावना भी रहती है। गौरतलब है कि दक्षिण–पूर्वी एशिया के कुछ देश अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण "एशियन टाईगर्स" के रूप मे उभरे किन्तु निवेशको द्वारा पूजी वापस खींच लेने के कारण इन देशो की अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो गई थी। भारत एक विशाल देश है। यहा प्राकृतिक एव मानवीय ससाधनों की बहुलता है। विदेशी निवेशक आर्थिक शोषण करने से नहीं चूकते हैं। अत विदेशी निवेशको को आमत्रित करते समय इनके दुष्परिणामो को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत मे आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे वृद्धि हुई है किन्तु भारत विदेशी निवेशको को आमत्रित करने के मामले मे चीन और अन्य विकासशील देशो की तुलना मे पीछे है।

योजनागत विकास मे भारी भरकम पूजी विनियोजन किया गया इसके बावजूद भारत विकास की दौड मे विश्व के अन्य विकासशील देशो से बहुत पीछे है। सयुक्त राष्ट्र विकास सघ के मानव विकास रपट 1997 मे विकास की दौड में भारत का स्थान विकासशील देशो मे 138वे स्थान पर था। एशियाई परिप्रेक्ष्य मे भी भारत की विकास दर कम है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रपट के अनुसार वर्ष 1995 मे भारत की वास्तविक जी.डी.पी दर 6 2 प्रतिशत थी जबकि यह चीन मे 10 2 प्रतिशत, मलेशिया मे 9 6 प्रतिशत, कोरिया में 9 प्रतिशत, सिगापुर मे 8 9 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया मे 8 1 प्रतिशत थी। सितम्बर 1995 मे आम भारतीय पर 3,465 रूपए के विदेशी कर्ज का बोझ था।

भारत औद्योगिक मदी को दूर करने के लिए अधिक विदेशी पूजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। भारत मे 1966–97 तथा 1997–98 में राजनीतिक अस्थिरता विदेशी पूजी निवेश के मार्ग मे बाधा बनी। भारत सरकार ने

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन और प्रवाह

(करोड रुपए)

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदन	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह	कुल निवेश का प्रतिशत
1991	534	351	65 7
1992	3888	675	17 4
1993	8859	1787	20 2
1994	14190	3289	23 2
1995	32070	6820	21 3
1996	36150	10389	28 7
1997	54891	16425	29 9
1998	30810	13340	43 3
1999 (अक्टूबर तक)	23795	11093	46 6

स्रोत *इकोनॉमिक सर्वे* 1998 99 पृ 103 तथा 1999 2000

वर्ष 1997–98 मे पूर्वी एशियाई देशो मे उत्पन्न सकट के कारण विदेशी निवेशको ने भारत मे पूजी निवेश बढाने मे अधिक रुचि दिखाई किन्तु 1996–97 *1997–98 तथा मई 1999 मे भारत मे राजनीतिक सकट के कारण विदेशी* निवेशको द्वारा जोखिम नहीं उठाने के कारण देश मे विदेशी पूजी निवेश पर विपरीत प्रभाव पडा। इसके अलावा इन वर्षो में सरकार ने विकासगत खर्चों मे कटौती की। रिजर्व बैक की वार्षिक रपट के अनुसार 1995–96 मे विकास खर्चों मे 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1996–97 मे केवल 6 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घटते विदेशी पूजी निवेश और विकासगत खर्चो मे कटौती का औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा।

3 **अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत मे पूजी निवेश** (Non Resident Indian s Investment in India) – भारत की अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत मे *पूजी निवेश का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अप्रवासी निवेश से भारत को वित्तीय* ससाधनो के अभाव की समस्या से निपटने मे मदद मिली है। भारत सरकार अप्रवासी भारतीयो के निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायतो की घोषणा करती है। अप्रवासी भारतीयो के भारत मे निवेश पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। भारत मे अप्रवासी निवेश समस्याओ से अछूता नही है। ये अच्छे समय के साथी है। सकट मे अप्रवासी निवेशक जमा राशि वापस निकलवाने से नहीं चूकते हैं। खाडी युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था सकट से जूझ रही थी उस समय अप्रवासी भारतीयो ने जमा राशि निकलवाकर सकट को और गहरा दिया था।

अप्रवासी भारतीय द्वारा जमा (मार्च के अंत में)

(करोड रुपए)

वर्ष	अप्रवासी भारतीय जमा
1991	19843
1992	26737
1993	34113
1994	39729
1995	39006
1996	37802
1997	39527
1998	47189
1999 (प्रा)	52382
1999 (सित)	56691

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, एस-109

4 **विदेशी व्यापारिक ऋण** (External Commerical Borrowings) – विदेशी व्यापारिक ऋण विदेशी पूजी निवेश का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी व्यापारिक ऋण एक प्रकार से निजी क्षेत्र विदेशी पूजी निवेश का भाग हैं। विदेशी व्यापारिक ऋण मे वाणिज्यिक बैंक ऋण, सिक्यूरिटी ऋण, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारन्टी और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिगटन) से ऋण अथवा सिक्यूरिटी ऋण तथा 'सेल्फ लिक्यूडेटिग लोन' आदि सम्मिलित करते हैं। सिक्यूरिटी ऋण में भारत विकास बॉण्ड, रिसरजेण्ट इडिया बाण्ड आदि सम्मिलित करते हैं।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण (मार्च के अत में)

(करोड रुपए)

वर्ष	वाणिज्यिक ऋण
1991	19727
1992	35711
1993	36367
1994	38782
1995	40915
1996	47642
1997	51454
1998	67068
1999 (प्रा)	89289
1999 (सितम्बर)	89228

स्रोत *इकोनॉमिक सर्वे*, 1999-2000, एस-109

भारत के विदेशी वाणिज्यिक ऋणो मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं। विदेशी वाणिज्यिक ऋण 1991 मे 19,727 करोड रुपए थे जो बढकर 1998 मे 67,068 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1991 से 1998 के बीच विदेशी वाणिज्यिक ऋण मे 3 4 गुना वृद्धि हुई। वाणिज्यिक ऋणो मे वाणिज्यिक बैंक ऋण तथा सिक्यूरिटी ऋणो का भाग अधिक है। वर्ष 1998 के वाणिज्यिक ऋणो मे वाणिज्यिक बैंक ऋण 39,220 करोड रुपए तथा सिक्यूरिटी ऋण 23,879 करोड रुपए थे। डॉलर मे भारत का विदेशी वाणिज्यिक ऋण 1998 मे 16,982 मिलियन डॉलर था।

सन्दर्भ

1 *मथली इकोनोमिक रिपोर्ट*, मई 1999 एन एन एस।
2 राजस्थान पत्रिका, 10 जून 1999
3 केन्द्रीय बजट, 1996-97
4 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99, पृ स 103

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताए बताइए।
2 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजी निवेश का क्या महत्त्व है।
3 विदेशी पूजी निवेश के खतरे बताइए।
4 विदेशी पूजी निवेश के विभिन्न स्रोत क्या है।
5 विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की वर्तमान स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजी निवेश का क्या महत्त्व है। इसके सभावित खतरे बताइए।
2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता का दर्शन समझाइए।
3 भारत में विदेशी पूजी निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
4 भारत मे विदेशी पूजी निवेश की उपलब्धियो और सभावित खतरो की विवेचना कीजिए।
5 भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता क्यो आवश्यक है? इसके सभावित खतरे बताइए।
(सकेत – सभी प्रश्नो के उत्तर में प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये विदेशी पूजी निवेश का महत्त्व लिखना है तथा दूसरे भाग मे विदेशी पूजी निवेश के सभावित खतरे लिखिए।)
6 भारत मे विदेशी पूजी निवेश के विभिन्न स्रोत क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था

मे विदेशी सहायता की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दिए गये विदेशी पूजी निवेश के स्रोत लिखने है तथा प्रश्न के द्वितीय मे विदेशी सहायता की भूमिका को विस्तार से लिखिए।)

7 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए –
 (अ) भारत सहायता क्लब
 (ब) प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग
 (स) पोर्टफोलियो विनियोग
 (द) *विदेशी व्यापारिक उधार*

24

अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

(Investment by Non-Resident Indians)

भारत को अस्सी के दशक के आखिरी मे खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट का सामना करना पडा था। उस समय विदेशी मुद्रा भडार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। भुगतान के मोर्चे पर भारत की स्थिति लडखडा गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयो द्वारा पूजी विनियोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इराक ओर कुवैत मे बसे भारतवासी बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा भारत भेजते है। खाडी युद्ध के दौरान उनके भारत लौटने से भारत के विदेशी विनिमय कोष पर विपरीत प्रभाव पडा था।

अप्रवासी विनियोग भारत मे विदेशी पूजी निवेश का बडा स्रोत है। अप्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विभिन्न जमाओ के रूप मे भारत के आर्थिक विकास मे कारगर भूमिका निभाते हैं। किन्तु आर्थिक सकट के समय अप्रवासी भारतीय जमा राशि वापस निकलवाने मे नहीं चूकते, अत इन्हे सुख का साथी की सज्ञा दी जाती है।

अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indians) – अप्रवासी भारतीय को समझने के लिए प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति का ज्ञान भी जरुरी है। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फेरा) के अनुसार प्रवासी भारतीय से आशय ऐसे व्यक्तियों से हैं जो 25 मार्च, 1947 के बाद से व्यापार, रोजगार आदि के कारण अनिश्चितकालीन अवधि के लिए भारत मे रह रहे हैं।

अप्रवासी भारतीयो से आशय ऐसे भारतीयो से है जो व्यापार, रोजगार, पेशा अथवा अन्य अपरिहार्य कारणो से अनिश्चित काल के लिए अन्य राष्ट्रो मे रहते हैं। अप्रवासी भारतीयो मे ऐसे भारतीय को भी सम्मिलित किया जाता है जो विदेशी सरकारो या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ जैसे अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि के अनुबन्ध के कारण अन्य राष्ट्रो मे रह रहे हैं।

भारतीय मूल के व्यक्तिया से आशय ऐसे व्यक्तियो से है जिनके पूर्वज भारत मे रहते थे। भारतीय मूल के व्यक्ति यदि विदेश मे किसी विदेशी महिला से विवाह कर लेते हैं तो वह पत्नी भी भारतीय मूल की कही जाएगी चाहे उसने विदेश में ही जन्म लिया हो।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग
(Investment by Non Resident Indians)

भारत मे योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक दशकों में भारी वित्तीय ससाधनों की आवश्यकता थी। वित्तीय ससाधनो का देश में अभाव था। आज भी बदले आर्थिक परिवेश मे विकास की गति को तीव्र करने के वास्ते अधिक वित्तीय ससाधनो की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश में भुगतान सतुलन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अत सोचा गया कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अप्रवासी भारतीयों को भारत मे विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वर्ष 1982–83 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय अप्रवासी भारतीयो को भारतीय बैंको मे खाता खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही अधिक ब्याज दर देने की भी घोषणा की गई। वर्ष 1982–83 से ही निरन्तर केन्द्रीय बजट पेश करते समय इन्हे दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है।

अप्रवासी भारतीय जमा योजनाए

(मिलियन डालर)

योजनाएँ	बकाया शेष		शुद्ध प्रवाह	
	मार्च 1998 (सशोधित)	मार्च 1999	1997-98	1998-99
विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (FCNRA)	01	00	-2305	-1
विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खाते [FCNR (B)]	8467	8323	971	-144
अप्रवासी वाह्य रुपया खाता [NR (E) RA]	5637	6620	1197	980
अप्रवासी (स्वदेशी गैर वापसी) रुपया निक्षेप NR (NR) RD	6262	6758	1256	941
कुल	20367	21701	1119	1776

स्रोत 1 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे*, 1999 2000, पृ स 104

2 *दी इकोनॉमिक टाइम्स*, नई दिल्ली 9 सितम्बर 1999

अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत मे बैंक निक्षेप, अशो व ऋणपत्रो म विनियोग तथा उद्योगा म विनियोग द्वारा पूजी निवेश किया जाता है।

बैंक जमा (Bank Deposit)

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा मे कारोबार करने के लिए कुछ बेंको को अधिकृत कर रखा हैं। अप्रवासी भारतीय इन बैंको मे विदेशो से भेजी गई राशि जमा करा सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अधिकृत बैंको मे निम्नलिखित खाते खोल सकते हैं

1 **विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (Foreign Currency Non-Resident Accounts - FCNRA)** – यह याजना फरवरी 1970 मे प्रारम्भ की गई तथा 15 अगस्त, 1994 को बद कर दी गई। यह खाता कुछ विशिष्ट मुद्राओ मे स्थायी जमा के रूप मे खोला जाता है। आरम्भ मे यह खाता पौण्ड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर से ही खोला जा सकता था, किन्तु अगस्त 1988 के पश्चात जर्मनी मार्क व जापानी येन मे भी खोला जा सकता हैं। यदि किसी अप्रवासी भारतीय को अन्य विदेशी मुद्रा जमा करानी हो तो वह मुद्रा को उक्त वर्णित मुद्रा मे से किसी एक इच्छित मुद्रा मे निर्धारित विनिमय दर से परिवर्तित कराकर जमा करा सकता हैं। यह खाता 3 वर्ष के लिए खोला जाता है। इसमे सयुक्त खाता खोलने की सुविधा है। ब्याज उसी मुद्रा मे दिया जाता है, जिस मुद्रा में खाता खोलने जाता हैं। इस खाते मे 31 मार्च 1981 को 2 करोड पौण्ड स्टर्लिंग जमा थे जो बढकर 31 मार्च 1989 को 20 3 करोड पौण्ड स्टर्लिंग हो गए। अमेरिकी डॉलर 31 मार्च 1981 को 14 करोड थे जो बढकर 31 मार्च 1989 को 424 5 करोड हो गए। मार्च 1989 तक इस खाते मे 84 8 करोड मार्क और 3,157 1 करोड येन जमा किए गए।

विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते मे मार्च 1991 के अत मे 10,103 मिलियन डॉलर बकाया था। बकाया घटकर मार्च 1992 मे 9,792 मिलियन डॉलर तथा मार्च 1993 मे फिर बढकर 10,617 मिलियन डॉलर हो गई। इसके बाद के वर्षों मे बकाया राशि मे गिरावट आई। बकाया राशि मार्च 1994 मे 9,300 मिलियन डॉलर तथा मार्च 1995 मे 7,051 मिलियन डॉलर थी। इस खाते का बकाया शेष (Outstanding Balance) मार्च 1998 मे केवल एक मिलियन डॉलर था। वर्ष 1997–98 मे शुद्ध प्रवाह ऋणात्मक 2,305 मिलियन डॉलर था।

2 **अप्रवासी बाह्य रूपया खाता (Non Resident (External) Rupee Account, NR(E) RA)** – यह योजना फरवरी 1970 से प्रारम्भ की गई। रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बेंको मे यह खाता स्थायी जमा खाते, चालू खाते और बचत खाते मे रूपये से खोला जा सकता है। एक वर्ष या अधिक अवधि की जमा पर ब्याज दिया जाता हे जो आयकर व सम्पदा कर स मुक्त होता है। इस खाते के शेष को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बाहर ले जाया जा सकता है किन्तु खाता खोलते समय खाता खोलने वाले अप्रवासी भारतीय को यह आश्वासन बैंक को

देना होता है कि यदि वह अनिश्चित समय के लिए भारत आ जाता है तो इसकी सूचना बैंक को दे देगा। खाते मे जमा राशि से किसान विकास पत्र इंदिरा विकास पत्र राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बचत योजना यूनिट ट्रस्ट आफ इडिया की यूनिट आदि खरीदे जा सकते हैं। खाते से स्थानीय दायित्वों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। इस खाते मे 31 मार्च 1981 को 938 करोड रुपए जमा थे। जमा राशि बढकर 31 मार्च 1985 को 2 864 करोड रूपए तथा 31 मार्च 1989 को और बढकर 5 899 करोड रुपए हो गयी।

मार्च 1991 के अत मे इस खाते बकाया राशि 3 588 अमेरिकन मिलियन डालर थी बकाया राशि घटकर मार्च 1992 मे 2 527 मिलियन डालर रह गई। मार्च 1993 मे 2 862 मिलियन डालर मार्च 1994 मे बढकर 3 523 मिलियन डालर तथा मार्च 1998 मे और बढकर 5 637 मिलियन डालर हो गई। इस खाते का शुद्ध प्रवाह (Net Flow) 1993–94 में 728 मिलियन डालर तथा 1997–98 मे 1 197 मिलियन डालर था।

3 विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खाते (Foreign Currency Non Resident (Bank) Accounts) – यह योजना मई 1993 से प्रारम्भ की गई। मार्च 1994 के अत मे इस खाते मे बकाया राशि 1 108 मिलियन डालर थी जो बढकर मार्च 1998 मे 8 467 मिलियन डालर हो गई। इस खाते मे शुद्ध प्रवाह 1993–94 में 1 075 मिलियन डालर तथा 1997–98 मे 971 मिलियन डालर था।

4 अप्रवासी (स्वदेशी गैर वापसी) रूपया निक्षेप (Non Resident (Non Repatriable) Rupee Deposits NR (NR) RD) – यह योजना जून 1992 से प्रारम्भ की गई है। इस खाते मे मार्च 1993 के अन्त मे बकाया राशि 610 मिलियन डॉलर थी। बकाया राशि बढकर मार्च 1994 मे 1 754 मिलियन डालर मार्च 1998 मे और बढकर 6 262 मिलियन डालर हो गई। इस खाते में शुद्ध प्रवाह 1993–94 मे 1 187 मिलियन डालर तथा 1997–98 मे 1 256 मिलियन डॉलर था।

5 विदेशी मुद्रा (बैंक एव अन्य) निक्षेप (Foreign Currency Bank and Others) Deposits [FC (B&O)D] – यह योजना दिसम्बर 1990 मे प्रारम्भ की गई तथा 31 जुलाई 1992 को बन्द कर दी गई। इस खाते मे विभिन्न वर्षों में बकाया राशि इस प्रकार थी मार्च 1991 मे 262 मिलियन डालर मार्च 1992 मे 607 मिलियन डालर मार्च 1993 मे 1 044 मिलियन डालर मार्च 1994 मे 533 मिलियन डालर।

6 विदेशी मुद्रा साधारण गैर वापसी (Foreign Currency Ordinary Non Repatriable FCONR) – यह योजना जून 1991 मे प्रारम्भ की गई तथा 20 अगस्त 1994 को बद कर दी गई। यह खाता अप्रवासी (वाह्य) रूपया खाता की तरह ही है किन्तु इस खाते में जमा राशि को विदेशा में नहीं ले जाया जा सकता है और न ही ब्याज आयकर व सम्पदा कर स मुक्त हैं। रिजर्व बैंक की अनुमति

के बिना इस खाते की राशि को अप्रवासी (बाह्य) रुपया खाता एव विदेशी विनिमय अप्रवासी खात मे हस्तानतरित नहीं किया जा सकता है। इस खाते मे मार्च 1993 के अत मे एक मिलियन डॉलर तथा मार्च 1994 के अत मे 18 मिलियन डॉलर बकाया थे।

अप्रवासी विनियोगो की प्रगति (Progress of Non Resident Indian Investment) – अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक अप्रवासी भारतीया द्वारा भारत मे पूजी निवेश इस प्रकार रहा

बैक जमा 17 663 00 करोड रूपए प्रत्यक्ष निवेश 1 466 62 करोड रूपए अप्रत्यावर्तन पर प्रत्यक्ष निवेश 302 68 करोड रूपए पोर्टफोलियो निवेश 75 83 करोड रूपए तथा भारतीय कम्पनियो द्वारा प्राप्त जमा 27 13 करोड रूपए।

अप्रवासी भारतीयो द्वारा विनियोग

(मिलियन डालर)

वर्ष	निक्षेपो की बकाया राशि	निक्षेपो का शद्ध प्रवाह	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
1990 91	13953		
1991 92	12926		63
1992 93	15134	2120	51
1993 94	16218	1097	217
1994 95	17156	818	442
1995 96	17433	944	715
1996 97	20389	3314	639
1997 98	20367	1119	241
1998 99	21301	1776	62

Source *Economic Survey* 1995 96 1999 2000

1 अप्रवासी निक्षेपो की बकाया राशि (Outstanding Balances of Non Resident Deposit) – भारत मे विगत पाच वर्षों मे अप्रवासी निक्षेपो की बकाया राशि मे भारी वृद्धि हुई है। अप्रवासी निक्षेपो की बकाया राशि वर्ष 1990–91 मे 13 953 मिलियन डॉलर थी जो बढकर 1994–95 मे 17 156 मिलियन डालर हो गई। निक्षेपो की बकाया राशि मे 1994 95 मे गत वष की तुलना में 5 28 फीसदी वृद्धि हुई। अप्रवासी भारतीयो की निक्षेपो की बकाया राशि 1997–98 मे 20 367 मिलियन डालर थी।

2 प्रवासी निक्षेपो का शुद्ध प्रवाह (Net Flows under Non Resident Deposits) – भारत मे अप्रवासी निक्षेपो के शुद्ध प्रवाह में निरन्तर कमी हो रही हैं। वर्ष 1988–89 मे अप्रवासी जमाए (शुद्ध) 2 511 मिलियन डॉलर थी जो घटकर 1989–90 मे 2 403 मिलियन डालर रह गई।' अप्रवासी निक्षेपो का शुद्ध प्रवाह

1992–93 में 2,120 मिलियन डॉलर, 1993–94 में 1,097 मिलियन डॉलर तथा 1997–98 मे 1,119 मिलियन डॉलर था।[4]

3. **अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह** (Foreign Direct Investment Flow by NRI) – भारत मे अप्रवासी भारतीया द्वारा अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक 1,466 62 करोड रूपए का प्रत्यक्ष निवेश किया गया। भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। हाल ही के वर्षों में सरकार न प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक योजनाओं की घोपणा की है जिससे अप्रवासी भरतीयों ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की है। 1991-92 से 1994-95 के बीच अप्रवारी भारतीयें का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 773 मिलियन डॉलर था। अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मे निरन्तर वृद्धि हा रही हैं। अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1991–92 मे 63 मिलियन डॉलर, 1992–93 मे 51 मिलियन डॉलर, 1993–94 में 217 मिलियन डॉलर 1994–95 में 442 मिलियन डॉलर था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1997–98 मे 241 मिलियन डॉलर था।

4. **अप्रवासी भारतीय निक्षेप** (NRI Deposits) – भारत में अप्रवासी भारतीय निक्षेप मे हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। अप्रवासी भारतीय जमाए 1988–89 मे 10,109 करोड रुपए थी जो बढकर 1989-90 में 12,269 करोड रूपए, 1990 91 मे 13,852 करोड रूपए तथा 1991-92 में और बढकर 15,185 करोड रुपए हो गयी। अमेरिकन डॉलर मे अप्रवासी भारतीय निक्षेप 1991-92 में 5,358 मिलियन डॉलर तथा 1997-98 मे 11,913 मिलियन डालर था।[5]

5 **अप्रवासी भारतीयों द्वारा अशों व ऋण पत्रों में विनियोग** (Investment in Shares and Debentures by NRI) – यह विनियोग दो प्रकार की सुविधा के अन्तर्गत होता है—एक विदेश मे राशि ले जाने की सुविधा तथा दूसरा विदेश में राशि नहीं ले जाने की सुविधा।

यदि अप्रवासी भारतीय का विनियोग किसी कम्पनी की प्रदत्त पूजी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और अश एव ऋण पत्र स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए हों तो वह समस्त विनियोजित राशि एव उस पर अर्जित आय को विदेश ले जा सकता है। यदि अप्रवासी भारतीय कम्पनी का पूर्वाधिकार अश, परिवर्तनशील ऋणपत्र, यूनिट ट्रस्ट के मास्टर शेयर खरीदता है तो यह विनियोजित राशि एव उस पर अर्जित आय को विदेश में नहीं ले जा सकता है। इस सुविधा के अन्तर्गत कम्पनी की प्रदत्त पूजी के अधिकतम विनियोजन की कोई सीमा नहीं है।

6 **उद्योगों में विनियोग** (Investment in Industries) – अप्रवासी भारतीय एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, सार्वजनिक या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में विनियोग कर सकते है। विदेश में राशि नहीं ले जाने की सुविधा के अन्तर्गत इनमें शत–प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। सेवा उद्योगो में विनियोग में राशि विदेश में ले जाने की सुविधा के अन्तर्गत पाच सितारा हाटल, अस्पताल तथा निदान केन्द्र

आदि मे विनियोग किया जा सकता है।

अप्रवासी भारतीय ऐसी सम्पतियो मे शत-प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं जिनका शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है। नई एव विद्यमान कम्पनियो में 40 प्रतिशत तथा निर्धारित प्राथमिकता वाले उद्योगो मे प्रदत्त पूजी का 74 प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं। विनियोजित पूजी व लाभ को विदेश ले जा सकते हैं।

अप्रवासी भारतीयों को सुविधाएं
(Facilities for NRI's to Invest in India)

भारत मे विदेशी मुद्रा की समस्या को हल करने मे अप्रवासी भारतीयो ने अच्छा योगदान दिया है और विनियोजन की दृष्टि से उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे अप्रवासी भारतीयो की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1982–83 मे अप्रवासी भारतीयो के लिए अनेक सुविधाओ की घोषणा की। केन्द्र सरकार अप्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए वर्ष दर वर्ष इनको दी जाने वाली सुविधाओ मे बढोतरी कर रही है।

1. उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो में विनियोग (Investment in Highly Primary Spheres) – अप्रवासी भारतीयो को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो मे निवेश की स्वत मजूरी होगी लेकिन उद्योग का स्थान सरकारी नीति के अनुरूप हो तथा विदेशी अशदान आयात की जाने वाली पूजीगत वस्तुओ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा कर सके। अप्रवासी भारतीयों के लिए निर्धारित प्राथमिकता वाले उद्योगो मे प्रत्यक्ष निवेश प्रदत्त पूजी का अधिकतम 74 प्रतिशत था जिसे अब बढाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. पोर्टफोलियो विनियोग की सीमा (Limit of Portfolio Investment) – अप्रवासी भारतीयो द्वारा किसी भी भारतीय कपनी मे पोर्टफोलियो विनियोग की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढाकर 24 प्रतिशत कर दी गई है।

3 विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) से मुक्त (Free from Foreign Exchange Regulation Act) – भारतीय मूल के विदेशियो को आवासीय सम्पत्ति खरीदने मे विदेशी मुद्रा नियमन कानून से मुक्त कर दिया गया है।

4 आवासीय ऋण (Housing Loan) – भारतीय कम्पनिया अप्रवासी भारतीयो के स्टॉफ को आवास सबधी ऋण दे सकेगी। अप्रवासी भारतीयो को यह ऋण विदेशी मुद्रा मे चुकाना होगा। प्रवासी भारतीय निवेशकों को भारत प्रत्यावर्तन के आधार पर आवास सुविधाओ के विकास, आधारभूत तथा सम्पत्ति के कारोबार आदि क्षेत्रों मे छूट दी गई है।

5. मुख्य आयुक्त कार्यालय (Chief Commissionor Office) – अप्रवासी भारतीयो तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियो के मध्य अच्छे सम्पर्क बनाने के वास्ते अप्रवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय खोला गया है।

6 ऋण लेने की छूट (Relaxation to Obtain Loan) – अप्रवासी भारतीयों को अचल सम्पत्ति तथा अशो के विरुद्ध रुपया मे ऋण लेने की छूट है तथा भारतीय रिजर्व की अनुमति के बिना अशो की बिक्री से प्राप्त धन को भेजने की छूट होगी।

वर्तमान मे विदेशी विनियोग के क्षेत्र मे भारी प्रतिस्पर्धा है। ऐसी स्थिति में अप्रवासी भारतीयो को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सुविधाओ मे वृद्धि की आवश्यकता है। अप्रवासी भारतीयो को भारतीय अर्थव्यवस्था मे बडा योगदान है। इन्हे दी जाने वाली रियायतो के साथ यह शर्त अवश्य जोड देनी चाहिए कि सकट के समय जमा राशि को वापस नहीं ले जाए तथा विनियोग पर अर्जित आय को भारत मे ही पुन निवेश करे।

जब भी भारत के समक्ष आर्थिक सकट उपस्थित हुआ है अथवा युद्ध हम पर थोपा गया है तब हमारे देशवासियो ने, चाहे वह भारत के बाहर रह रहे हो त्याग की अनुपम मिसाल पेश की है। देशवासियो को एव अप्रवासी भारतीयो को, चाहे विनियोग पर इच्छित सुविधाए नहीं मिले, फिर भी मातृभूमि से उनके रिश्ते को देखते हुए थोडी तिलाजलि देनी पडे तो सहर्ष तैयार रहना चाहिए।

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

1 अप्रवासी भारतीय का आशय स्पष्ट कीजिए।
2 अप्रवासी भारतीय जमा योजनाओ का उल्लेख कीजिए।
3 विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाता क्या है?
4 भारत म अप्रवासी भारतीयो को दी जाने वाली सुविधाओ की व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 अप्रवासी भारतीयो द्वारा भारत मे पूजी निवेश की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर क लिए अध्याय म दिए गये अप्रवासी भारतीयों के विनियोग को लिखना है।)
2 भारत मे अप्रवासी भारतीयो क विनियोग की वर्तमान स्थिति तथा उन्हे दी गई सुविधाओ की विवेचना कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय म दिए गए अप्रवासी भारतीयों के विनियोग को लिखना है तथा दूसरे भाग मे अप्रवासी भारतीयो को दी जाने वाली सुविधाओ का वर्णन करना है।)

25

निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका

(Role of Foreign Private Sector and Multinational Corporations)

वर्तमान मे बहुराष्ट्रीय निगम विश्व भर मे चर्चित है। बहुराष्ट्रीय निगमो द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग राष्ट्रों के विकास का पर्याय बना हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगम विकसित राष्ट्रो की देन है। ये विशाल फर्मे होती है। इनका कारोबार मूल देश मे प्रारम्भ होने के पश्चात विश्व के अन्य देशो मे फैला होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का उत्पाद अधुनातन तकनोलॉजी से सुसज्जित होने के कारण किस्म की दृष्टि से तो श्रेष्ठ होता ही है, कीमते भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। विकासशील राष्ट्र सीमित वित्तीय ससाधनो और पुरानी तकनीक से चिपके होने के कारण बहुराष्ट्रीय निगमो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे नहीं होते। बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील राष्ट्रो के शोषण से नहीं चूकते। इनकी भूख गरीब देशो के प्राकृतिक ससाधनो के शोषण की होती है। विकासशील राष्ट्रो के विकास को गति देने मे इन निगमो का कोई सरोकार नहीं होता है।

बहुराष्ट्रीय निगमो के मामले मे भारत का कटु अनुभव रहा है। अग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहा आए और अपनी कूटनीति से हमे गुलामी के शिकजे मे जकड लिया। ईस्ट इडिया कम्पनी के कारण भारत मे उपनिवेशवाद को बढावा मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण मे कतई रुचि नहीं ली। विदेशियो ने भारतीय श्रमिको का शोषण और प्राकृतिक ससाधनो का मनमाफिक दोहन किया। भारत का औद्योगिक आधार टूट गया और विद्वेषपूर्ण नीति से ब्रिटेन के आर्थिक विकास को गति मिली। अरस बाद एक बार फिर भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो का बोलबाला है। आज अतीत से सीख ग्रहण करने की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय निगमो को आमन्त्रित करते समय राष्ट्रहित की अनदेखी न हो जाए, इस बात को ध्यान मे रखना होगा।

बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ और विशेषताए
(Meaning and Characteristics of Multinational Corporations)

विदेशी पूजी का अन्तर्प्रवाह विदेशी सहायता और निजी विदेशी विनियोग से होता है। विदेशी सहायता मे ऋण और अनुदान को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी ऋण से पुनर्भुगतान की समस्या होती हैं। निजी विदेशी विनियोग का ध्येय लाभार्जन हाता है। वर्तमान म निजी विदेशी विनियोग मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियो द्वारा किया जाता है। भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो ने सरकारी तथा गैर–सरकारी दोना क्षेत्रा मे पूजी विनियोजित कर रखी है।

बहुराष्ट्रीय निगमो की व्यावसायिक गतिविधिया एक से अधिक देशों में फैली होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों को राष्ट्र पारीय निगम (Transnational Corporation) कहा जाता है। आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने बहुराष्ट्रीय निगम की अच्छी परिभाषा दी है। इनके अनुसार "बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो (1) अनेक देशों में कार्य करता है, (2) उन देशो मे विकास, निर्माण तथा अनुसधान का कार्य करता है, (3) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है तथा (4) जिसका स्कन्ध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।" सक्षेप मे बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी व्यावसायिक सस्था है जिसका कारोबार मूल देश से बाहर अनेक देशो तक फैला होता है।

विशेषताए (Characteristics)

1 **बडा आकार** (Giant Size) – बहुराष्ट्रीय निमगो के पास वित्तीय ससाधनों की बहुलता होती है। इन निगमा का लाभ, बिक्री, उत्पादन, विज्ञापन प्रबन्ध आदि बडा होता है। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमो की वार्षिक कार्यशील आय कुछ विकासशील राष्ट्रो की राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। ससाधना की अधिकता के कारण बहुराष्ट्रीय निगमो का कारोगार अनेक देशो मे होता है।

2 **अन्तर्राष्ट्रीय कार्यविधि** (International Operations) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुख्यालय मूल देश म होता है किन्तु कारोबार विश्व के अनेक देशों मे फैल जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमो की शाखाए और उपशाखाए विश्व के अनेक देशों मे फैली होती है। सभी शाखाआ पर नियत्रण मूल कम्पनी का होता है।

3 **बहुराष्ट्रीय स्कन्ध स्वामित्व** (Multinational Ownership) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विश्व व्यापक होने के कारण इनकी अश पूजी मे विश्व के अनेक देशो की सहभागिता होती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमो का स्वामित्व भी अनेक देशों में फैला होता है।

4 **बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध** (Multi National Management) – इन निगमो का प्रबन्ध बहुराष्ट्रीय हाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अपने प्रबन्ध मडल मे विश्व के श्रेष्ठ प्रबन्धकों को सम्मिलित करती है।

5 ससाधनो का बहुराष्ट्रीय हस्तान्तरण (Multinational Transfer of Resources) – बहुराष्ट्रीय निगमो के ससाधनो यथा कच्चा माल, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय सेवा, निर्मित माल आदि का एक शाखा से दूसरी शाखा मे हस्तान्तरण सभव है। इन ससाधनो का हस्तान्तरण बहुराष्ट्रीय भी होता है। ससाधनो के हस्तातरण की सुविधा के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अधुनातन तकनोलॉजी से सुसज्जित होती है।

भारत मे निजी क्षेत्र एव बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका
(Role of Private Sector and Multinational Corporations in India)

वर्तमान मे बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकास का पर्याय बनती जा रही है। नवीनतम तकनीक के बिना विकास की बात करना महज कल्पना है। आज किसी भी देश का लक्ष्य अपने देशवासियो को केवल दो जून रोटी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होकर सभी को अच्छा जीवन स्तर मुहैया कराना तक व्यापक हो गया है।[6] भारत मे 1991 से प्रारम्भ आर्थिक सुधारो मे निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो के प्रवेश को छूट दी गई है। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक चरण मे प्रत्यक्ष निजी निवेश मे वृद्धि हुई है। जिससे देश मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। भारत मे हाल ही के वर्षो मे निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका मे भारी बदलाव आया है। यह बात अग्राकित तथ्यो से सहज दृष्टिगोचर होती है

1 विदेशी पूजी निवेश (Foreign Capital Investment) – भारत मे आर्थिक सुधारो को लागू किए जाने के बाद विदेशी पूजी निवेश मे बढोतरी हुई। प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो विनियोग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। वर्ष 1991–92 मे प्रत्यक्ष विनियोग 129 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1992–93 में 315 मिलियन तथा 1993–94 मे और बढकर 586 मिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 1994–95 मे प्रत्यक्ष विनियोग 1,314 मिलियन डॉलर था। यह 1997–98 मे 3,197 मिलियन डॉलर रहा। इसी प्रकार पोर्टफोलियो विनियोग वर्ष 1991–92 मे 4 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1993–94 मे 3,567 मिलियन डॉलर तथा 1994–95 मे और बढकर 3,824 मिलियन डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो विनियोग 1997–98 मे 1,828 मिलियन डालर रहा। भारत मे कुल विदेशी विनियोग 1991–92 मे 133 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1994–95 मे 5,138 मिलियन डॉलर हो गया। कुल विदेशी विनियोग 1997–98 में 5,025 मिलियन डॉलर रहा। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी निवेश प्रवाह मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

भारत मे 1991–92 से 1998–99 तक 28,298 मिलियन डॉलर कुल विदेशी निवेश हुआ इसमे प्रत्यक्ष निवेश 12,832 मिलियन डॉलर तथा पोर्टफोलिया निवेश 15,466 मिलियन डॉलर था। कुल विदेशी निवेश मे प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश का भाग क्रमश 45 3 प्रतिशत, 54 7 प्रतिशत रहा।

भारत में विदेशी पूजी प्रवाह

(मिलियन डालर)

वर्ष	प्रत्यक्ष निवेश (DI)	पोर्टफोलियो निवेश (PFI)	कुल विदेशी निवेश (TFI)
1991 92	129	4	133
1992 93	315	244	559
1993 94	586	3567	4153
1994 95	1314	3824	5138
1995 96	2133	2748	4881
1996 97	2696	3312	6008
1997 98	3197	1828	5025
1998 99	2462	61	2401
कुल	*12832*	*15466*	*28298*

Source *Economic Survey* 1998 99 p 87

2 **प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की मजूरी और वास्तविक प्रवाह** (Approvals and Actual Flow of Foreign Direct Investment) – भारत में हाल की के वर्षो मे विदेशी पूजी प्रवाह म लगातार वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविक प्रवाह में मजूर शुदा निवेश के मुकाबले काफी कमी है। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक दस वर्षो म विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मजूरी और वास्तविक प्रवाह मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 म विदशी प्रत्यक्ष निवश की मजूरी 739 करोड रुपए और वास्तविक प्रवाह 351 करोड रुपए था। मजूरिया बढकर 1994 म 13 590 करोड रुपए हो गई। इस वष वास्तविक प्रवाह 3 009 कराड रुपए था।

भारत में वर्ष 1991 मे विदेशी प्रत्यक्ष विनियाग के वास्तविक प्रवाह का मजूरिया से प्रतिशत 47 5 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों म घटा। 1993 में वास्तविक प्रवाह का मजूरिया स प्रतिशत कवल 16 प्रतिशत था। यह 1994 मे बढकर 22 0 प्रतिशत हो गया। वष 1991 से सितम्बर 1998 तक अथात् आर्थिक सुधारा के प्रारम्भिक वर्षो में प्रत्यक्ष विदशी की मजूरिया (Approvals) 1 89 968 करोड रुपए था जबकि वास्तविक प्रवाह 41 490 करोड रुपए ही था। इन वर्षों म वास्तविक प्रवाह का मजूरियो से प्रतिशत केवल 21 7 प्रतिशत रहा।

3 **आधारभूत क्षेत्रों का विकास** (Development of Basic Sector) – भारत म आधारभूत क्षेत्रा का विकास विश्व क विकसित देशों की तुलना म कम हुआ है। हाल ही के वर्षो मे बहुराष्ट्रीय कम्पनिया न देश के आधारभूत क्षेत्रों मे निवेश किया है। भारत म 1991 स 1995 क बीच प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के क्षेत्रवार स्वीकृत

प्रस्ताव इस प्रकार है दूर सचार क्षेत्र 18,000 करोड रुपए, ऊर्जा क्षेत्र 11,700 करोड रुपए, धात्विक क्षेत्र 4,100 करोड रुपए, रासायनिक क्षेत्र 3,600 कराड रुपए, परिवहन क्षेत्र 3,000 करोड रुपए तथा उपभोक्ता उद्योग क्षेत्र 3,500 करोड रुपए। दूर सचार क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित राशि का 30 प्रतिशत स्वीकृत किया गया।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की मजूरी और प्रवाह

(करोड रुपए)

वर्ष	मजूरी	वास्तविक प्रवाह	वास्तविक प्रवाह का मजूरियो से प्रतिशत
1991	739	351	47 5
1992	5256	675	12 8
1993	11189	1786	16 0
1994	13590	3009	22 0
1995	37489	6720	18 7
1996	39453	8431	21 4
1997	57149	12085	21 1
1998 (सितम्बर तक)	25103	8433	33 8
कुल (1991 से सितम्बर 1998 तक	189968	41490	21 7

Source *Economic Survey*, 1998-99, p 87

4 **निर्यातों मे वृद्धि (Increase in Export)** — बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन से सबसे अधिक लाभ विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे होने की सभावना है। विगत वर्षो से चले आ रहे व्यापार घाटे को पाटने मे मदद मिलेगी। विदित है कि स्वातन्त्र्योत्तर केवल दो वर्षो को छोडकर शेष सभी वर्षो में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमो के माध्यम से हमारा उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे आधुनिकतम तकनोलॉजी से सुसज्जित होकर प्रवेश करेगा, उत्पाद श्रेष्ठ किस्म और निम्न कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डो के अनुरूप होगा। यही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मे विजय के मुख्य घटक हैं। हमारे माल के खरीददार तुलनात्मक रूप से अधिक होगे। विदेशी व्यापार की दिशा मे उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होगी।[7]

5 **श्रेष्ठ उत्पाद (Superior Product)** — उत्पाद स्वदेशी हो या विदेशी इससे आम उपभोक्ताओ का कोई सरोकार नहीं होता। उन्हे तो श्रेष्ठ किस्म का माल चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित होता है। इनका उत्पाद विविधता तथा नवीनतायुक्त होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन से देश मे प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। भारतीय उद्योगपति भी उत्पाद

की गुणवत्ता पर जोर देने को वाध्य होंगे।

6 रोजगार सृजन (Employment Generate) – भारत में वित्तीय ससाधनों का अभाव होने के कारण प्राकृतिक ससाधनो का पूर्ण विदोहन नहीं हो सका जिससे औद्योगिक विकास की गति विकसित देशो की तुलना मे कम रही। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन से देश में पूजी निवेश में भारी बढोतरी हुई है। औद्योगीकरण को बल मिलने से रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के पास वित्तीय ससाधनो की बहुलता के कारण इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। इन कम्पनियों के उत्पादन, प्रवन्ध तथा विपणन मे काफी लोगो को रोजगार मिला होता है। दीर्घकाल में बेरोजगार की समस्या कम हो सकेगी।

7 विपणन में भूमिका (Role in Marketing) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विश्वव्यापी पहचान होती हैं तथा ये सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विशेष रुचि लेती है। उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को उपभोक्ता उत्पादो के विपणन मे कठिनाई नहीं होती है। विदेशों में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उत्पादो की अच्छी माग होती है।

8 विशेषज्ञों की सेवाएं (Services of Specialists) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया शोध एव अनुसधान पर भारी विनियोग करती हैं। इनके पास उत्पादन की उन्नत तकनीक होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास कर्मचारियो को नवीन उत्पादन विधियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकासशील राष्ट्रों मे पूजी विनियोजन के साथ तकनीकी सेवाए भी उपलब्ध कराती है। भारत को बहुराष्ट्रीय निगमो से विशेषज्ञो की सेवाए उपलब्ध होगी जिनकी मदद से हम समयोपरात नवीन तकनीक निर्मित कर सकेंगे।

9 जोखिम उठाने की भूमिका (Role in Risk Taking) – भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किन्तु विकास का अहम् दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र ने निभाया है। निजी क्षेत्र ने जोखिम वाले उद्योगों मे कम रुचि ली। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम उपभोक्ता उद्योगो के अलावा सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, सचार, परिवहन आदि क्षेत्रो में विनियोजन कर रहे है।

10 प्रवन्धकीय कुशलता (Managerial Efficiency) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया प्रवन्धकीय कौशल पर विशेष ध्यान देती हैं। ये पेशेवर प्रवन्धकों की सेवाए लेती हैं। कारोबार अनेक राष्ट्र तक फैला होने के कारण दूसरे देशों के कुशल प्रबन्धकों की सेवाए भी मिलती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के प्रवन्धकीय कौशल का लाभ भारतीय उद्योगपतियो को मिला है।

विदेशी निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के संभावित खतरे
(Expected Dangers of Foreign Private Sectors and Multinational)

भारतीय अर्थव्यवस्था मे हाल ही के वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उपादेयता में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक ससाधनों के विदोहन से औद्योगिक विकास

को गति मिली है। किन्तु भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के कटु अनुभवो को आसानी से विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ये कम्पनिया विकसित राष्ट्रो की देन हैं। विकासशील राष्ट्रो का शोषण करने से नहीं चूकतीं। आज भारत मे ऐसी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनिया है जो अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही अपनी शुद्ध परिसम्पत्तियो के बराबर धनराशि स्वदेश भेज देती है। भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो के सभावित खतरे इस प्रकार हैं

1 कडी प्रतिस्पर्धा (Cut-Throat Competition) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आधुनिकतम तकनोलॉजी से सुसज्जित हैं। इनका उत्पाद श्रेष्ठ किस्म का होता हैं। भारतीय उत्पाद इस स्थिति मे नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर सके। शनै–शनै बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का बाजार पर नियत्रण हो जाता है। स्वदेशी उद्योग बन्द हो जाते है।

2 बेरोजगारी (Employment) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की तकनीक पूजी प्रधान होती है। इन कम्पनियों मे अधिकाश काम मशीनों से होता हैं। भारत मे श्रमिको की बहुलता तथा बढती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए पूजी प्रधान तकनीक तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से स्वदेशी उद्योग धन्धे बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। आधुनिक तकनीक से अनेक उद्योगों और विभागों से श्रमिक और कर्मचारी अधिशेष हो गए हैं।

3 स्वदेशी उद्योग के अस्तित्व का सकट (Danger for Existence of National Industries) – भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आगमन के साथ–साथ स्वदेशी उद्योगो के अस्तित्व का सकट मडराने लगा हैं। भारतीय उद्योगों को योजनाबद्ध विकास मे राजकीय सरक्षण के कारण कभी अडचन नहीं आई थी। अब यकायक भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुला छोड दिया गया है। राजकीय सरक्षण के कारण भारतीय उद्योगों ने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास नहीं मिला। वित्तीय ससाधनों के अभाव और पुरानी तकनीक से चिपके होने के कारण भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं हैं। आज भारतीय उद्योगपति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते के लिए विवश है।

4 अत्यधिक लाभ (Heavy Profit) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का मुख्य ध्येय लाभार्जन है। ये कम्पनिया उत्पादो की ऊची कीमतें वसूलती है। भारत मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शुद्ध परिसम्पत्तियो पर कर पश्चात लाभ ऊचा है। वर्ष 1977 मे कुछ चुने हुए बहुराष्ट्रीय निगमो की लाभदायकता इस प्रकार थी शुद्ध परिसम्पत्तियो पर लाभ दर कालगेट – पामोलिव लि 89 प्रतिशत, मैकलियड रसल लि 66 प्रतिशत, पौण्डस लि 61 प्रतिशत, वारेन टी लि 48 प्रतिशत, क्रेसेट डाइज एण्ड केमिकल्स लि 32 प्रतिशत।

5 उपभोक्ताओं का शोषण (Exploitation of Consumers) – विकसित राष्ट्रों की देन बहुराष्ट्रीय कम्पनिया उपभोक्ताओं के शोषण से नहीं चूकती हैं। ये

कम्पनिया उत्पाद की बहुत ऊची कीमते उपभोक्ताआ से वसूलती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के विदशी ब्राण्डो और ट्रेडमार्को के प्रयोग से उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं।

6 विदेशो को धन प्रेषण (Heavy Remittances Abroad) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश का धन विदेशो म चला जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पपिनया कम पूजी विनियोजन पर अत्यधिक लाभ बटोरती है और लाभ को मूल देश म भेज देती है। लाभ के अलावा ये कम्पनिया रायल्टी तथा तकनीकी सहायता के पारिश्रमिक को भी मूल देश में भेजती हैं। कोलकोट, वारेन टी, पौण्डस आदि बहुराष्ट्रीय कम्पनिपया बडी राशि भारत से बाहर भेजती है।

7 पुरानी तकनीक (Obsolete Technology) – भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को इसलिए आमन्त्रित करते हैं कि वे अत्याधुनिक तकनोलॉजी प्राप्त कर सके, किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकासशील देशा में वह तकनीक लेकर आती है जो उनके मूल देश म अप्रचलित हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अप्रचलित तकनीक के बदले अधिक धनराशि प्राप्त करती हैं। प्राप्त की गई मशीने बार–बार खराब हो जाती हैं जिन्हें सुधरवाने में भारी व्यय करना पडता है। भारत का इस सबध में कटु अनुभव है।

8 राष्ट्र हित पर विपरीत प्रभाव (Adverse Effects on National Interests) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की भारतीय हितों की रक्षा म विशष रुचि नहीं है। इनका मुख्य ध्येय लाभार्जन होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया लाभ को सामान्यतया पुनर्निवेश नहीं करती हैं। ये कम्पनिया नवीन तकनीक की जानकारी भी देशवासियो का नहीं देती है। कोका कोला, आई बी एम जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को भारत के हितों की उपेक्षा के कारण विगत मे कारोबार समेटना पडा था।

9 क्षेत्रीय असतुलन (Regional Disparities) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया सतुलित विकास पर ध्यान नहीं देती हैं। ये कम्पनिया विकसित क्षत्रो में पूजी निवेश करती है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे क्षेत्रों के विकास मे इनकी रुचि नहीं होती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने अधिकाश पूजी निवेश महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली मे किया। ये राज्य पहले से ही काफी विकसित हे।

10 भुगतान शेष पर प्रभाव (Effects on Balance of Payment) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया निर्यात वृद्धि का आश्वासन अथवा समझौता करके विकासशील राष्ट्रों में प्रवेश कर लेती है, किन्तु ये कम्पनिया स्थापना के पश्चात् निर्यात वृद्धि में विशेष रुचि नहीं लेती है। इनका ध्येय आतरिक बाजार पर नियत्रण स्थापित करना होता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनिया कच्चे माल का आयात करती है तथा रायल्टी, पारिश्रमिक, लाभ आदि बडी मात्रा मे मूल देश को भेजती हैं जिससे भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पडता है।

11. राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया आर्थिक हित साधने के लिए दूसरे देशो के राजनीतिक भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। हाल की वर्षो मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश मे आए है।

सारत यह कहने मे अतिशयोक्ति नहीं कि परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की उपादेयता बढी है। प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता और वित्तीय ससाधनो के अभाव वाले भारत जैसे देश में तो बहुराष्ट्रीय कम्पनिया महत्त्वपूर्ण है। किन्तु हमे ध्यान रखना होगा कि विकासशील राष्ट्रो के विकास में भागीदार बनना बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का उद्देश्य नही होता। अत इन्हे आमत्रित करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। भारत के आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को सभी क्षेत्रो मे उत्पादन की छूट देना उचित नहीं है। केवल ऐसे क्षेत्रो मे ही स्वागत किया जाना चाहिए जिनमे हमारी "पहुच" अत्यल्प हो अथवा भारी पूजी निवेश की आवश्यकता हो। भारत को बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के उपभोग के क्षेत्र मे ही अधिक प्रभावी होने की प्रवृत्ति को नियत्रित करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो द्वारा मूल देश को भेजे जाने वाले धन को नियत्रित कर उसे भारत मे ही पुनर्निवेश कर आर्थिक विकास की गति को आगे बढाया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय निगम और सरकार की नीति
(Multi-National Corporations and Government Policy)

भारत मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का इतिहास पुराना है। भारत मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शुरूआत ईस्ट इडिया कम्पनी के आगमन के साथ हुई। इसके बाद "ऐसो" तथा "काल्टेक्स" कम्पनिया भारत मे आई। ये अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कम्पनिया थीं। इन्होने तेल और पेट्रोल के क्षेत्र मे काम किया। बाद के वर्षो मे भारत मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान मे भारत के औद्योगिक द्वार विदेशी निवेशको के लिए खोल दिए गए है। भविष्य मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या मे भारी वृद्धि की सभावना है।

भारत मे 1973–74 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या अधिक थी किन्तु बाद मे सरकार की नीति के कारण कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को कारोबार समेटना पडा। भारत मे वर्ष 1973-74 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शाखाए 540, सहायक कम्पनिया 188 तथा इनकी कुल परिसम्पत्तिया 3,155 करोड रुपए थीं। वर्ष 1978–79 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की शाखाए कम होकर 385 रह गई तथा सहायक कम्पनियो की शाखाए भी 125 रह गई किन्तु इनकी कुल परिसम्पत्तिया बढकर 4,108 करोड रुपए हो गई। वर्ष 1985 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या 224 तथा सहायक कम्पनियो की सख्या 75 ही थी किन्तु कुल परिसम्पत्तिया बढकर 6,355 करोड रुपए हो गई।

भारत मे 1985 मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की सख्या मे कमी का कारण

भारत सरकार की भारतीयकरण की नीति रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो पर विदेशी पूजी हिस्सा 40 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए दबाव डाला गया। वर्तमान में भारत सरकार की नीति विदेशी निवेश को बढावा देने की है। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनिया भारत की ओर आकर्षित हुई है।

भारत सरकार की विदेशी निवेश के सम्बन्ध में नई नीति इस प्रकार है

1 देश के वृहत्तर औद्योगिक विकास के हित मे विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा।

2 जिन मामले मे मशीनों के लिए विदशी पूजी शेयर पूजी के रूप में उपलब्ध होगी उन्हे स्वत उद्योग की अनुमति मिल जाएगी।

3 दो करोड रुपए अथवा कुल पूजी के 25 प्रतिशत से कम उत्पादन मशीनें बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेंगी।

4 उत्पादन मशीनो के आयात को अन्य मामलो मे औद्योगिक विकास मत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा।

5 अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो मे 51 प्रतिशत तक विदेशी पूजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक–टोक और अफसरशाही के नियत्रणों के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलो में ही उपलब्ध होगी जहा उत्पादन के लिए विदेशी पूजी निवेश जरूरी होगा।

6 बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को कुछ क्षेत्रो मे 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूजी निवेश की अनुमति दी जाएगी।

7 *यदि शत–प्रतिशत उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों* को शत–प्रतिशत पूजी निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

8 विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिदा क्षेत्रो मे सीधे पूजी निवेश के लिए भारत मे उपक्रम लगाने की इच्छुक बडी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सारे विवरण तय करेगा।

9 प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञो की नियुक्ति अथवा देश मे ही विकसित विशेषज्ञो की नियुक्ति अथवा देश मे ही विकसित तकनीकों का विदेशो में परीक्षण के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

आर्थिक उदारीकरण के दौर मे घोषित नई विदेशी पूजी निवेश नीति के परिणामस्वरूप कुल विदेशी निवेश मे अत्यधिक अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 1991–92 में कुल विदेशी निवेश 133 मिलियन डॉलर था जो तेजी से बढकर 1997 98 मे 5025 मिलियन डॉलर हो गया। निकट भविष्य मे विदेशी पूजी निवेश के और भी बढने की सभावना है। वर्तमान मे भारत मे अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनिया कार्यरत है जिनमे पामालिव कोलगेट वारेन टी हिन्दुस्तान लीवर लि., पोण्ड्स इडिया लि.,

सीबा, कोका कोला, पेप्सी, गुडलस, नेरोलक, फिलिप्स इडिया आदि मुख्य है। इन कम्पनियो का कारोबार कई देशो मे फैला हुआ है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को आमत्रित करते समय राष्ट्र–हित की अनदेखी नहीं हो। बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के सभावित खतरो को ध्यान मे रखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1 Economic Survey, 1998-99, p 91
2 डा ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, 1996, पृ 22
3 Economic Survey, 1992-93, p 96
4 वही, 1998-99
5 वही 1992-93, p 5-111, 1999-2000
6 डा ओ पी शर्मा वही पृ 186
7 वही पृ 187

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 बहुराष्ट्रीय कम्पनिया क्या है।
2 भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका बताइए।
3 भारत मे बहुराष्ट्रीय निगमो के क्या खतरे है।

निबन्धात्मक प्रश्न –

1 बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था मे बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका बताइए।
(संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ तथा दूसरे भाग मे बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को लिखना है।)

2 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका तथा सभावित खतरो की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर में अध्याय मे दिए गये बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका और सभावित खतरो को लिखना है।)

3 बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते है? भारत के आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय निगमो की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ बताना है तथा प्रश्न के द्वितीय भाग मे भारत की अर्थव्यवस्था मे बहुराष्ट्रीय निगमो का महत्त्व और सभावित खतरो को लिखना है।)

भारत का विदेशी व्यापार : आकार, संरचना और दिशा

(Foreign Trade of India : Volume, Composition and Direction)

अतीत मे भारत व्यापार शेष के अनुकूल होने के कारण एक समृद्ध देश था। गुलामी के दिनों मे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई थी। कृषि तथा उद्योगो की दृष्टि से भारत बहुत पिछड गया था। इसके अलावा ढेरो समस्याए विरासत मे मिली थीं। स्वातन्त्र्योत्तर अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान की आवश्यकता थी इसलिए आयातों पर निर्भरता बढी। योजनाबद्ध विकास से आर्थिक विकास को गति मिली। आज भारत के विदेशी व्यापार मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। विदेशी व्यापार की मात्रा ने विगत वर्षो की तुलना मे तीव्र गति पकडी। किन्तु आयातों की तुलना में निर्यातों के तेजी से नहीं बढने के कारण व्यापार घाटा चिंताप्रद बन गया है। भारत मे औद्योगिक क्षेत्र के गति पकडने से विदेशी व्यापार की सरचना बदली है इसके अलावा विदेशी व्यापार की दिशा मे परिवर्तन हुआ है। भारत आज विश्व के अनेक देशो के साथ विविध उत्पादो के विदेशी व्यापार में सलग्न है।

विदेशी व्यापार का अर्थ (Meaning of Foreign Trade)

जब व्यापार एक राष्ट्र की सीमा पार कर अन्य राष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है तब उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार मे तीन स्थितिया सम्मिलित होती हैं। आयात व्यापार निर्यात व्यापार तथा पुन निर्यात व्यापार। जब कोई देश आवश्यकता की वस्तुए अन्य देशो से प्राप्त करता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जब कोई देश अतिरेक उत्पाद को अन्य देशों को विक्रय करता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। पुन निर्यात व्यापार *(Re export Trade)* आयात और निर्यात का मिश्रित रूप होता है। इसमें कोई देश अन्य देश से माल का आयात करके उसी माल को तीसरे देश को निर्यात कर देता है। यह व्यापार वस्तुत तीन

देशो के मध्य होता है।

विदेशी व्यापार का महत्व (Importance of Foreign Trade)

राष्ट्र विशेष की अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विकासशील राष्ट्र विदेशी व्यापार से विकास की गति तीव्र कर सकते हैं। विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे कच्चा माल, अन्तर्वर्ती वस्तुए (Intermediate goods), इस्पात सयत्र, मशीनरी आदि का आयात करना पडता है। नतीजन विकासशील राष्ट्रो मे विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता तीव्रता से बढती है। अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रो के उत्पादो का आयात करके विकसित राष्ट्र उनके प्रतिकूल व्यापार शेष को कम करने में मदद कर सकते हैं। विदेशी व्यापार का अनुकूल होना आर्थिक सुदृढता और इसका प्रतिकूल होना बिगडी आर्थिक दशा का परिचायक है क्योकि विदेशी विनिमय कोष की स्थिति बडी सीमा तक विदेशी व्यापार पर ही निर्भर करती है। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्रो मे व्यापार शेष की प्रतिकूलता ने भुगतान शेष की स्थिति को विषम बना दिया है। आज विकासशील राष्ट्रो के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता और विदेशी व्यापार की महत्ती आवश्यकता है।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार
(Foreign Trade before Independence)

अतीत मे विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। यहा से सूती वस्त्र, कलापूर्ण वस्तुए, मसाले आदि बडी मात्रा मे विश्व के अनेक देशों को निर्यात किए जाते थे। निर्यातो की बहुलता के कारण व्यापार शेष सदैव अनुकूल रहता था। भारत मे चहुओर समृद्धि थी।

विश्व के अनेक देशो की भारत की समृद्धि पर लालचभरी दृष्टि पडी। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से आए और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लिया। आजादी से पूर्व भारत लम्बे समय तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश (Colony) रहा, नतीजन विदेशी व्यापार का ढाचा भी औपनिवेशक ढाचा ही था। अंग्रेजो ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मनमाफिक दोहन किया। उपनिवेश काल मे भारतीय उद्योग धन्धो की रीढ टूट गई। भारत की निर्मित माल के निर्यातक की छवि धुधली हो गई। भारत कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा। भारत विकसित देशो विशेषकर इग्लैण्ड को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात करता था। भारतीय कच्चे माल के बूते पर इग्लैण्ड के औद्योगीकरण को गति दी गई। ब्रिटिश निर्मित माल से भारतीय बाजारो को पाट दिया गया। भारत की औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जो पृथक् पहचान थी अब भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप मे परिवर्तित हो चुका था।

वर्ष 1869 मे स्वेज नहर खुली जिससे भारत और इग्लैण्ड के बीच की दूरी 9,000 किलोमीटर कम हो गई। नतीजतन भारत के विदेशी व्यापार को गति मिली, किन्तु बाद के वर्षो में द्वितीय महायुद्ध, विश्वव्यापी मदी, विकसित राष्ट्रो की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पडा।

स्वतन्त्रता से पूर्व विदेशी व्यापार

(करोड रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल विदेशी	व्यापारशेष
1900 01	76	104	180	+28
1913 14	150	197	347	+47
1919 20	222	336	558	+114
1921 22	282	248	530	-34
1929 30	249	318	567	+69
1940 41	157	187	344	+30
1944 45	204	210	414	+6

भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति से पूर्व आयातो की तुलना में निर्यातो की अधिकता के कारण व्यापार शेष प्राय पक्ष मे ही रहता था। भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमडल के देशो तक सीमित था तथा विदेशी व्यापार मे आयातो मे निर्मित उपभोक्ता माल और निर्यातो मे प्राथमिक वस्तुओं की प्रधानता थी। भारत का कुल विदेशी व्यापार वर्ष 1900–01 मे 180 करोड रुपए था जो बढकर 1913-14 में 347 करोड रुपए तथा 1919–20 में और बढकर 558 करोड हो गया। 1929–30 मे भारत का विदेशी व्यापार 567 करोड रुपए था। बाद के वर्षों मे विदेशी व्यापार मे कमी आई। वर्ष 1940–41 मे विदेशी व्यापार घटकर 344 करोड रुपए ही रह गया। वर्ष 1919–20 मे विदेशी व्यापार मे आयात 222 करोड रुपए और निर्यात 336 करोड रुपए होने से व्यापार शेष 114 करोड रुपए पक्ष मे था जो तब एक रिकार्ड था। बाद के वर्षो मे भारत के निर्यात घटे। वर्ष 1921–22 मे व्यापार शेष 34 करोड रुपए प्रतिकूल था। निर्यात ब्रिटिश शासको की विद्वेषपूर्ण नीति और घरेलू उद्योगो का पतन आदि के कारण घटे।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत का विदेशी व्यापार
(Foreign Trade after Independence)

1947 मे देश की राजनीतिक बागडोर भारतीयो के हाथो मे आई। भारत की आर्थिक समृद्धि का बीडा उठाया गया। विकास के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग चुना गया। नियोजन काल मे विदेशी व्यापार के आकार सरचना तथा दिशा मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। भारतीय उत्पादो के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे नहीं टिक पाने के कारण निर्यात अपेक्षित गति से नहीं बढ पाए। पेट्रोल खनिज तेल लुब्रिकेटस के अधिक आयात से भारत का व्यापार सतुलन काफी बिगड गया।

भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा
(Volume of India s Foreign Trade)

विदेशी व्यापार की मात्रा अथवा मूल्य मे आयात व्यापार निर्यात व्यापार कुल

विदेशी व्यापार, व्यापार शेष, निर्यात और आयात सवृद्धि दर को सम्मिलित किया जाता हैं। स्वतत्रता–उपरात नियोजित विकास के कारण विदेशी व्यापार की मात्रा मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा को तालिका मे दर्शाया गया है। (देखे पृष्ठ 510)

1. कुल विदेशी व्यापार (Total Foreign Trade) – स्वातन्त्र्योत्तर भारत के कुल विदेशी व्यापार मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1950-51 मे 1,214 करोड रुपए था जो बढकर 1960-61 मे 1,764 करोड रुपए, 1970-71 मे 3,169 करोड रुपए, 1980-81 में 19,260 करोड रुपए तथा 1990-91 मे 75,751 करोड रुपए हो गया। कुल विदेशी व्यापार 1994-95 मे 1,72,645 करोड रुपए रहा। वर्ष 1950-51 से 1994-95 तक 44 वर्षो मे कुल विदेशी व्यापार मे 142 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997–98 मे कुल विदेशी व्यापार 2,84,277 करोड रुपए तथा अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 मे 2,67,725 करोड रुपए (प्रावधान) रहा।

2 **निर्यात व्यापार** (Export Trade) – निर्यात सवर्द्धन के बावजूद निर्यात व्यापार मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। ऊची कीमत तथा निम्न किस्म के उत्पाद के कारण भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते। भारतीय उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित नहीं है। निर्यात 1950–51 मे 606 करोड रुपए था जो बढकर 1960–61 मे 642 करोड रुपए, 1970–71 मे 1,535 करोड रुपए, 1980–81 6,711 करोड रुपए तथा 1990–91 में 32,553 करोड रुपए हो गया। निर्यात 1994–95 मे और बढकर 82,674 करोड रुपए हो गया। चवालीस वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार मे 136 गुना वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 1997–98 में 1,30,101करोड रुपए तथा अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 में 1,18,638 करोड रुपए (प्राविजनल) था।

3. निर्यात सवृद्धि दर (Export Growth Rate) भारत की निर्यात सवृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अनेक वर्षों मे निर्यात सवर्द्धन दर ऋणात्मक रही। निर्यातो में गिरावट 1952–53 मे 19 3 प्रतिशत, 1953–54 मे 8 1 प्रतिशत, 1956–57 मे 0 7 प्रतिशत, 1957–58 में 7 3 प्रतिशत, 1965–66 में 0 7 प्रतिशत, 1985–86 मे 7 2 प्रतिशत रही। भारत के निर्यातों मे 1966–67 में सर्वाधिक 42 9 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय है। भारत मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ निर्यात सवृद्धि दर मे वृद्धि हुई। निर्यात सवृद्धि दर 1991–92 मे 35 3 प्रतिशत, 1992–93 में 21 9 प्रतिशत, 1993–94 मे 29 9 प्रतिशत, 1995–96 मे 28 6 प्रतिशत सतोषप्रद कही जा सकती है। 1997–98 मे 9 5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि अवश्य चिन्ताप्रद रही। अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 में निर्यात सवृद्धि दर 16 5 प्रतिशत थी। भारत की ग्यारहवीं लोक सभा राजनीतिक अस्थिरता की शिकार रही। महज अठारह महीनों में तीन प्रधानमत्री बदले राजनीतिक अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा है। आर्थिक सक्रमण काल मे राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चितनीय पहलू है। जहा पूर्ववर्ती आर्थिक सवृद्धि

विदेशी व्यापार की मात्रा

(करोड रुपए)

वर्ष	निर्यात (,पुन निर्यात सहित)	आयात	कुल विदेशी व्यापार	व्यापार शेष	परिवर्तन दर प्रतिशत मे	
					निर्यात	आयात
1950 51	606	608	1214	-2	24 9	-1 5
1955-56	609	774	1383	-165	2 7	10 6
1960-61	642	1122	1764	-480	0 3	16 8
1965-66	810	1409	2219	-599	-0 7	4 4
1970-71	1535	1634	3169	-99	8 6	3 3
1972-73	1971	1867	3838	+104	22 6	2 3
1976-77	5142	5074	10216	+68	27 4	-3 6
1980-81	6711	12549	19260	-5838	4 6	37 3
1985-86	10895	19658	30553	-8763	-7 2	14 7
1990-91	32553	43198	75751	-10645	17 7	22 3
1991-92	44041	47851	91892	-3810	35 3	10 8
1992-93	53688	63375	117063	-9687	21 9	32 4
1993-94	69751	73101	142852	-3350	29 9	15 3
1994-95	82674	89971	172645	-7297	18 5	23 1
1995-96	106353	122678	229031	-16325	28 6	36 4
1996-97	118817	138920	257737	-20103	11 7	13 2
1997-98	130101	154176	284277	-24075	9 5	11 0
1998-99 (प्रा)	141604	176099	317703	-34495	8 8	14 2
1999-2000 (प्रा) (अप्रेल–दिसम्बर)	118638	149087	267725	-30449	16 5	12 6

Source Government of India, *Economics Survey* 1998-99, 1999-2000, S-81

दर को बनाये रखना कठिन हो गया है वहीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियो को धक्का लगा है। ऐसी स्थिति मे विदेशी पूजी निवेश के घटने की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। 4 दिसम्बर 1997 को राष्ट्रपति ने ग्यारवहीं लोकसभा भग की। फरवरी–मार्च 1998 मे बारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। बारहवीं लोक सभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। सितम्बर–अक्टूबर 1999–2000 मे तेरहवीं लोक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। भारत के गरीब लोगों को केवल सतरह महीनो में लोकसभा चुनाव का सामना करना पडा। आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्य आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्य से विकासशील देश की गरीब जनता की पसीने की कमाई को खर्चीले चुनाव मे व्यय से रोका जा सकता है। बार–बार सत्ता परिवर्तन से तथा लोकसभा मे किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत के अभाव मे वित्तीय ससाधनों की बर्बादी तथा दुरूपयोग होता है। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास की सही दिशा निर्धारित करने मे सहायक सिद्ध होता है।

4. आयात व्यापार (Import Trade) – भारत विश्व का एक बडा देश है। यहा की बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत दीर्घावधि तक एक उपनिवेश रहा है। इसलिए स्वतत्रता–उपरात विकासगत जरुरतो की पूर्ति के लिए आयात व्यापार पर निर्भरता बनी हुई है। विगत वर्षो मे आयात व्यापार मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। आयात 1950–51 मे 608 करोड रुपए तथा जो बढकर 1960-61 मे 1,122 करोड रुपए, 1970-71 मे 1634 करोड रुपए, 1980-81 मे 12,549 करोड रुपए तथा 1990–91 मे 43,198 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1994–95 में आयात और बढकर 89,971 करोड रुपए हो गया। 1950–51 से 1994–95 तक चवालीस वर्षो मे आयात व्यापार मे 148 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997–98 मे आयात 1,54,176 करोड रुपए तथा अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 मे 1,49,087 करोड रुपए रहा।

5. आयात सवृद्धि दर (Import Growth Rate) – आयात सवृद्धि दर 1950–51 मे ऋणात्मक 1 5 प्रतिशत थी जो बढकर 1960–61 मे 16 8 प्रतिशत, 1970–71 मे घटकर 3.3 प्रतिशत, 1980–81 मे तीव्र बढकर 37 3 प्रतिशत तथा 1990–91 में 22 3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1970–71 के बाद के वर्षो मे केवल 1976–77 को छोडकर आयात सवृद्धि दर मे गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी। आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षो मे उदार आयात की नीति के अनुसरण के कारण आयात सवृद्धि दर मे तीव्र वृद्धि हुई। आयात सवृद्धि दर 1992–93 मे 32 4 प्रतिशत थी जो घटकर 1993–94 में 15 3 प्रतिशत तथा 1994–95 मे 23 1 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1995–96 मे आयात सवृद्धि दर मे 36 4 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आठवे और नौवे दशक मे आयात सवृद्धि दर मे इतनी वृद्धि पूर्व में कभी नहीं हुई। ऊँची आयात सवृद्धि दर ने 1995–96 मे व्यापार घाटे की स्थिति को भयावह बना दिया। अप्रैल–दिसम्बर 1999–2000 मे आयात सवृद्धि दर 12 6 प्रतिशत रही।

सयुक्त मोर्चा सरकार ने पूववर्ती काग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियो को अत्यल्प फेरबदल के साथ लागू किया। वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 राजनीतिक अस्थिरता के वर्ष रहे। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पडा है। व्यापार घाटा 1994–95 मे 7,297 करोड रुपए तथा 1995–96 मे 16,325 करोड रुपए था। व्यापार घाटा अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 मे 30,449 करोड रुपए (प्राविजनल) रहा।

प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण (Causes of Unfavourable Balance of Trade)

1. निर्यातों में कमी (Decrease in Exports) – निर्यातों मे अपेक्षित वृद्धि नहीं होना प्रतिकूल व्यापार शेष का प्रमुख कारण है। भारत के निर्यात सदैव आयातो से कम रहे। अनेक वर्षों मे निर्यात सवृद्धि दर ऋणात्मक रही। वर्ष 1985–86 मे निर्यात 7 2 प्रतिशत घटा। वर्ष 1997–98 में निर्यात सवृद्धि दर 9 5 प्रतिशत थी जबकि आयातो मे 11 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आधुनिकतम तकनीक के अभाव मे भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते हैं।

2. आयातों की बहुलता (More Imports) – नियोजित विकास के अनेक वर्षों बाद भी भारत की आयातो पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि के पिछडेपन तथा जनसख्या की बहुलता के कारण खाद्यान्न आयात करना पडा। भारत को आज बडी मात्रा मे पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंटस का आयात करना पडता है। खनिज तेल की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमते बढने के कारण तेल आयात बिल काफी बढ गया है।

3. निर्यातों से आयातों की कम भरपाई (Less Receipts of Imports by Exports) – भारत के निर्यात आयातो की तुलना मे कम है। निर्यातो से आयातो की भरपाई कम है। निर्यातो से आयातो की भरपाई का प्रतिशत जितना कम होता है व्यापार घाटा उतना ही अधिक बढता है। वर्ष 1994–95 मे निर्यातो से आयातो की भरपाई 91 8 प्रतिशत थी। वर्ष 1990–91 मे यह प्रतिशत केवल 75 3 प्रतिशत ही था।

4. रुपए का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee) – निर्यात वृद्धि के वास्ते रुपए के अवमूल्यन का सहारा लिया गया। सितम्बर 1949 मे रुपए का डॉलर मे 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। इसके बाद 6 जून, 1966 को रुपए का 36 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। भारत ने जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह मे रुपए की विनिमय दर मे दो बार कमी की। रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राओ के मुकाबले यथा पौण्ड स्टर्लिंग 21 04 प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23 07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 20 78 प्रतिशत, जापानी येन 22.23 प्रतिशत तथा फ्रासिसी फ्राक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गम्भीर कदम आर्थिक सकट से उबरने के लिए उठाया था। रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात व्यापार महगा हुआ है। अन्य राष्ट्रो द्वारा भी अवमूल्यन करने के कारण भारत से निर्यात मे अधिक वृद्धि नही हो सकी नतीजन व्यापार घाटा तीव्रता से बढा।

5 युद्ध सामग्री का आयात (Import of War Materials) – भारत को चीन तथा पाकिस्तान से दो युद्धो का सामना करना पडा। आज सुरक्षात्मक कारणो से बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री का आयात करना पडता है। भारत विभाजन का भी विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

अनुकूल व्यापार शेष का विकासशील अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। अनुकूल व्यापार शेष अर्थव्यवस्था की सुदृढता का परिचायक है। इससे देश के विदेशी विनिमय कोषो मे वृद्धि होती है तथा विनिमय दर पक्ष में बनी रहती है। इसके अलावा भुगतान असतुलन की स्थिति को साम्य में लाने में मदद मिलती है। भारत के व्यापार शेष की सतत् प्रतिकूलता चिन्ताप्रद है। इसे आयात नियत्रण निर्यात सवर्द्धन राशिपातन अवमूल्यन आदि से पक्ष में किया जा सकता है।

भारत के विदेशी व्यापार की सरचना
(Composition of India's Foreign Trade)

विदेशी व्यापार की सरचना से अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया के साथ आर्थिक विकास की अवस्था को ज्ञात किया जा सकता है। विदेशी व्यापार की सरचना मे आयातित और निर्यातित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। यदि राष्ट्र विशेष के निर्यात गैर–परम्परागत वस्तुए तथा आयात परम्परागत वस्तुए हैं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्र विकास की ऊँची अवस्था में है। इसके विपरीत यदि निर्यात परम्परागत और आयात गैर परम्परागत है तो राष्ट्र अल्प विकसित अथवा विकासशील अवस्था मे है। परम्परागत वस्तुओ मे खाद्य उपभोग कच्चे पदार्थ तथा गैर परम्परागत वस्तुओ मे विनिर्मित पूजीगत वस्तुए सम्मिलित की जाती हैं।

भारत स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षों मे अल्प विकसित अवस्था में था। निर्यातों मे चाय कपास मछली कच्चा लोहा जूट आदि की बहुलता थी तथा आयातों में खाद्य उपभोग वस्तुए तथा कच्चे पदार्थ आदि प्रमुख मदे थी। नियोजित विकास के दौरान विदेशी व्यापार की सरचना म महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज भारत के विदेशी व्यापार मे विविधता आई है। विदेशी व्यापार मे 3 000 से अधिक वस्तुए सम्मिलित है।

आयात सरचना (Composition of Imports)

भारत की आयात सरचना को चार भागो में वर्गीकृत किया जाता है

(i) खाद्य–उपभोग पदार्थ
(Food and live animals chiefly for food)

(ii) कच्चे पदार्थ तथा मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुए
(Raw Material and Intermediate Manufactures)

(iii) पूजीगत वस्तुए
(Capital goods)

(iv) अन्य अथवा अवर्गीकृत वस्तुए (Others, Unclassified)।

खाद्य उपभोग पदार्थ मे अनाज और अनाज उत्पाद, कच्चे पदार्थ और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओ मे लोहा व इस्पात, खाद्य तेल, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेट, उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्त्व, मोती और बहुमूल्य रत्न तथा पूजीगत वस्तुओ मे विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण, गैर विद्युत मशीनरी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

सरकार की नीति जरुरी वस्तुओ का आयात जारी रखने तथा गैर जरुरी आयात को कम करने की है। कुल आयात का बडा भाग बहुत मात्रा मे मगाई जाने वाली वस्तुओ यथा उर्वरक, अखबारी कागज, पैट्रोलियम उत्पाद आदि का होता है। हाल के वर्षो मे आयात सरचना मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 1960–61 मे कुल आयातो मे खाद्य उपभोग वस्तुए 19 प्रतिशत, कच्चे पदार्थ और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुए 46 9 प्रतिशत, पूजीगत वस्तुए 31 7 प्रतिशत तथा अन्य अवर्गीकृत वस्तुए 2 प्रतिशत थीं। पूजीगत वस्तुओं के आयात मे कमी हुई है। वर्ष 1997–98 मे पूजीगत वस्तुओं का आयात कुल आयात का 17 5 प्रतिशत ही था। देश मे ही गैर विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का उत्पादन होने से आयात मे कमी सभव हो सकी है। इसके अलावा जिन वस्तुओ का आयात कम हुआ है वे हैं – अनाज और अनाज उत्पाद, लोहा एव इस्पात, अलौह धातुए। जिन वस्तुओं के आयात मे वृद्धि हुई है, उनमे पैट्रोल, तेल, लुब्रिकेट्स, खाद्य तेल, उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्त्व और योगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि मुख्य हैं।

आयात सरचना सबधी मुख्य विवरण निम्नलिखित है –

1. अनाज और अनाज उत्पाद (Cereals and Cereal Preparations) – भारत कृषि के क्षेत्र मे 'हरी क्राति' लागू किए जाने से पूर्व पिछडा हुआ था। आज भी कृषि के मानसून पर निर्भर होने के कारण खाद्यात्र उत्पादन मे उच्चावचन है। विगत वर्षों से मानसून के अनुकूल होने के कारण खाद्यात्र उत्पादन मे वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप अनाज और अनाज उत्पाद का आयात घटा है। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में अनाज के आयात पर भारी राशि खर्च होती थी। वर्तमान मे भारत के खाद्यात्र के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर होने के बात कही जा रही है। थोडी मात्रा मे खाद्यात्र का निर्यात भी किया जाने लगा है। किन्तु लोगो के गरीबी की रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यात्र की आवश्यकता होगी। अत भारत को भविष्य में खाद्यात्र उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के बावजूद भारत लम्बे समय तक बडी मात्रा मे खाद्यान्न का आयात करता रहा है इस बात की पुष्टि निम्न आकडो से हो जाती है। अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 1960–61 मे 181 करोड रुपए, 1970–71 मे 213 करोड रुपए, 1980–81 मे 100 करोड रुपए, 1990–91 में 182 करोड रुपए, 1993–94 में 290 करोड रुपए, 1994–95 मे 92 करोड रुपए, 1995–96 मे 80 करोड रुपए तथा 1997–98 मे 1,061 करोड रुपए था। हाल के वर्षो मे कुल आयात में खाद्यात्र का

भारत के प्रमुख आयात

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998 99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	आयात	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
1 खाद्य उपभोग वस्तुए	214	19 0	उ न	..	..	..	..	..
अनाज और अनाज उत्पाद	181	16 1	80	0 06	1061	0 7	973	0 6
2 कच्चे पदार्थ और मध्यवर्ती								
विनिर्मित वस्तुए	527	46 9	उ न	..	..	..	..	..
पैट्रोल तेल और लुब्रिकेन्टस	69	6 1	25173	20 5	30538	20 2	27064	15 4
खाद्य तेल	4	0 35	2260	1 8	2733	1 8	7131	4 0
उर्वरक और उर्वरक सामग्री	13	1 1	5628	4 6	3755	2 5	4179	2 4
रासायनिक तत्व और यौगिक	39	3 5	9403	7 6	12128	8 0	1662	0 9
मोती और बहुमूल्य रत्न	1	0 08	7045	5 7	11680	7 7	15827	8 9
लोहा व इस्पात	123	10 9	4838	3 9	5595	3 7	4956	2 8
अलौह धातुए	47	4 2	3024	2 4	3377	2 2	2823	1 6

.. लगातार

लगातार

	वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
		करोड रूपए	कुल का प्रतिशत	करोड रूपए	कुल का प्रतिशत	करोड रूपए	आयात	करोड रूपए	कुल का प्रतिशत
3	पूजीगत वस्तुए	356	31 7	28289	23 0	26532	17 5	29220	16 6
	धातु विर्निर्मित	23	2 0	930	0 7	1210	0 8	1705	0 9
	गैर विद्युत मशीनरी	203	18 0	14371	11 7	14716	9 7	14459	8 2
	विद्युत मशीनरी	57	5 0	1292	1 0	1359	0 9	1876	1 0
	परिवहन उपकरण	72	6 4	3697	3 0	3368	2 2	2571	1 5
4	अन्य (अवर्गीकृत)	25	2 2	उन	--	----	--		
	कुल	1122	----	122678	---	151553	---	176099	---

उन = उपलब्ध नहीं

Source Government of India, *Economic Survey*, 1998-99, S-85 and 1999-2000

हिस्सा घटा है। वर्ष 1960–61 मे कुल आयात मे अनाज और अनाज उत्पाद का हिस्सा 16 प्रतिशत था जो घटकर 1997–98 मे एक प्रतिशत से भी कम रह गया।

2 पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स (Petroleum, Oil, and Lubricants) – भारत म पट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स का उत्पादन माग की तुलना में कम है। आर्थिक विकास के साथ इसकी माग मे और वृद्धि हुई है। आज पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेटस सर्वाधिक आयात मद है। भारत को भारी धनराशि खनिज तेल के आयात पर खर्च करनी पडती है। तेल निर्यातक देशो के सगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries) के द्वारा पेट्रोल की कीमतो मे वृद्धि के कारण तेल आयात बिल बढा। नौवे दशक में खनिज तेल के उत्पादन म वृद्धि तथा तेल की कीमतो मे कमी के कारण तेल के आयात बिल मे कमी आई। वर्ष 1990–91 में खाडी युद्ध के कारण तेल की कीमतो मे बेतहाशा वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा। पेट्रोलियम, तेल और लुबिकेटस (POL) का आयात 1960–61 में 69 करोड रुपए था जो बढकर 1970–71 में 136 करोड़ रुपए, 1980–81 मे 5,264 करोड रुपए, 1990–91 मे 10,816 करोड रुपए हो गया तथा 1995–96 मे और बढकर 25,173 करोड रुपए हो गया। पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेट्स का आयात 1997–98 मे 30,538 करोड रुपए था। कुल आयात मे पेट्रोलियम, तेल और लुबिकेट्स का हिस्सा तीव्र गति से बढा। यह 1960–61 मे 6 1 प्रतिशत से बढकर 1995–96 मे 20 5 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 20 2 प्रतिशत हो गया।

3 खाद्य तेल (Edible Oil) – तिलहन उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्य तेल का अभाव है। अतिरेक माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। खाद्य तेल का आयात 1960–61 मे केवल 4 करोड रुपए था जो बढकर 1980–81 में 677 करोड रुपए हो गया। 1990–91 में खाद्य तेल का आयात घटकर 326 करोड रुपए रह गया जो यकायक बढकर 1995–96 में 2260 करोड रुपए तथा 1997–98 मे और बढकर 2,733 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1960–61 मे कुल आयात मे खाद्य तेल का हिस्सा 0 35 प्रतिशत था जो बढकर 1995–96 में 1 8 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 1 8 प्रतिशत हो गया।

4 उर्वरक और उर्वरक सामग्री (Fertilizers and Fertilizers Materials) – कृषि प्रगति के साथ उर्वरकों का उपयोग बढा किन्तु उत्पादन कम होने के कारण उर्वरकों का बडी मात्रा मे आयात किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की ऊँची कीमते हैं तथा भारत ने हाल के वर्षों में उर्वरक आयात के क्षेत्र में उदार नीति का अनुसरण किया है। उर्वरक तथा उर्वरक सामग्री का आयात 1960–61 में 13 करोड रुपए था जो बढकर 1995–96 मे 5,628 तथा 1997–98 में 3,755 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1960–61 में कुल आयात में उर्वरक और उर्वरक सामग्री का हिस्सा 1 1 प्रतिशत था जो बढकर 1995–96 में 4 6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997–98 म कुल आयात में उर्वरक और उर्वरक सामग्री का भाग 2 5 प्रतिशत था।

5 **रासायनिक तत्त्व और यौगिक** (Chemical Elements and Compounds) – भारत रासायनिक तत्त्व तथा यौगिको का बडी मात्रा मे आयात करता है। रासायनिक तत्त्व तथा यौगिको का आयात 1960–61 मे 39 करोड रुपए था जो बढकर 1995–96 मे 9,403 करोड रुपए तथा 1997–98 मे और बढकर 12,128 करोड रुपए हो गया। कुल आयातो मे रासायनिक तत्व तथा यौगिको का हिस्सा 1960–61 मे 3 5 प्रतिशत था जो बढकर 1995–96 मे 7 6 प्रतिशत हो गया। यह 1997–98 मे और बढकर 8 प्रतिशत हो गया।

6 **मोती और बहुमूल्य रत्न** (Pearls and Precious Stones) – भारत निर्मित और अनिर्मित मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर आयात करता है। जवाहरात और आभूषण उद्योग की बढती हुई माग के कारण मोती और बहुमूल्य रत्नो का आयात बढा है। भारत के उच्च वर्ग मे मोती और बहुमूल्य रत्नो की माग अधिक है। मोती और बहुमूल्य रत्नो का आयात 1960–61 मे केवल एक करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 में 3,738 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1995–96 मे मोती और बहुमूल्य रत्नो का आयात तेजी से बढकर 7,045 करोड रुपए तथा 1997–98 मे 11,680 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल आयात में मोती और बहुमूल्यो रत्नो का हिस्सा 1960–61 मे 0 08 प्रतिशत था जो बढकर 1995–96 मे 5 7 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 7 7 प्रतिशत था।

7 **लोहा व इस्पात** (Iron and Steal) – भारत में लौह–अयस्क के भरपूर भण्डार है किन्तु लोहा एव इस्पात उद्योगों का अभाव तथा विद्यमान उद्योगो मे अप्रयुक्त क्षमता के कारण इस्पात का उत्पादन कम है नतीजन भारत लोहा एव इस्पात का आयात करता है यह बहुत ही निराशाजनक बात है। लोहा एव इस्पात का आयात 1960–61 मे 123 करोड रुपए से बढकर 1995–96 में 4,838 करोड रुपए तथा 1997–98 मे 5,595 करोड रुपए तक जा पहुचा। किन्तु कुल आयात में लोहा व इस्पात का हिस्सा 1960–61 मे 10 9 प्रतिशत से घटकर 1995–96 मे 3 9 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 3 7 प्रतिशत रह गया।

भारत अलौह धातुओ (Non Ferous Metals) का भी आयात करता है। अलौह धातुओ का आयात 1960–61 मे 47 करोड रुपए से बढकर 1997–98 में 3,377 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल आयात मे अलौह धातुओ का हिस्सा घटा हैं 1997–98 मे यह 2 2 प्रतिशत रहा जबकि 1960–61 मे 4 2 प्रतिशत था।

8. **पूंजीगत वस्तुएं** (Capital Goods) – भारत प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है। पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगीकरण पर बल दिया गया है। औद्योगीकरण को गति देने के लिए धातु विनिर्मित, गैर विद्युत मशीनरी, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का आयात बढा है। पूजीगत वस्तुओ का आयात 1960–61 मे 356 करोड रुपए था जो बढकर 1995–96 में 28,289 करोड रुपए हो गया। पूजीगत वस्तुओं का आयात 1997–98 मे 26,532 करोड रुपए था। पूजीगत वस्तुओ का बढता आयात तीव्र औद्योगीकरण का परिचायक है, किन्तु यह तकनीकी के मामले मे

बढती विदेशी निर्भरता को भी दर्शाता है। कुल आयात मे पूजीगत वस्तुओं का घटता हिस्सा तकनीकी मे आत्मनिर्भरता की ओर बढता कदम माना जा सकता है। भारत मे कुल आयात मे पूजीगत वस्तुओ का हिस्सा 1960–61 मे 31 7 प्रतिशत था जो 1995–96 मे घटकर 23 प्रतिशत तथा 1997–98 मे और घटकर 17.5 प्रतिशत रह गया।

निर्यात सरचना (Composition of Exports)

स्वातन्त्र्योत्तर निर्यात सरचना मे व्यापक बदलाव आया है निर्यातित वस्तुओं की सख्या मे वृद्धि हुई है साथ ही निर्यात का ढाचा भी बदला है। स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षो मे निर्यातो मे कृषि तथा सबधित वस्तुओ, अयस्क व खनिजों की बहुलता थी। आज भारत निर्मित वस्तुओ का निर्यात करने लगा है। मोटे तौर पर निर्यात सरचना को चार भागो में विभक्त किया जाता है –

(i) कृषि व सबद्ध उत्पाद जिसमे चाय, काजू, कपास, मछली व मछली उत्पाद, काफी, कच्चा सूत, चावल, फल, सब्जी व दाले आदि सम्मिलित हैं।

(ii) अयस्क और खनिज जिसमे अभ्रक और लौह अयस्क सम्मिलित है।

(iii) विनिर्मित वस्तुए जिसमे सिले सिलाए कपडे, चमडा व निर्मित सामान, हस्तशिल्प, रसायन और सबद्ध उत्पाद, इजीनियरिंग वस्तुए, जूट उत्पाद आदि सम्मिलित हैं।

(iv) खनिज तेल एव स्नेहक (कोयला सहित)

भारत के प्रमुख निर्यातों सबधी विवरण निम्नलिखित है –

हाल के वर्षो मे निर्यात न केवल तेजी से बढे हैं बल्कि उनमें विविधता भी आई है। निर्यात मे यह वृद्धि कई वस्तुओ मे हुई जैसे – इजीनियरी का सामान, रासायनिक तथा उससे सबधित उत्पादन, रत्न और आभूषण, वस्त्र, दस्तकारी का सामान, चमडा और चमडे से बनी वस्तुए, समुद्री–उत्पाद, खेल–कूद का सामान, कालीन और ससाधित खाद्य–पदार्थ। परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई जैसे कृषिजन्य वस्तुए और खनिज तथा अयस्क।[2] निर्यातों मे कृषि एव सबद्ध, अयस्क एव खनिजो के स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं का योगदान बढा है। कुल निर्यात में कृषि एव सबद्ध उत्पाद का हिस्सा 1960–61 में 44 2 प्रतिशत था जो घटकर 1997–98 में 18 8 प्रतिशत ही रह गया इसी प्रकार अयस्क और खनिज का हिस्सा इसी समयावधि मे 8 प्रतिशत से घटकर 2 4 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात मे योगदान 1960–61 में 45 3 प्रतिशत से बढकर 1997–98 मे 76 6 प्रतिशत हो गया।

1. काफी (Coffee) – भारत काफी का बड़ा निर्यातक देश है। काफी का निर्यात 1960–61 मे 7 करोड रुपए था जो बढ़कर 1997–98 में 1,622 करोड रुपए हो गया। कुल निर्यातो मे काफी का योगदान 1960–61 में 1 09 प्रतिशत था जो बढकर 1997–98 में 1 3 प्रतिशत हो गया।

भारत के प्रमुख निर्यात

वस्तुएँ	1960 61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
(i) कृषि एव सबद्ध उत्पाद								
जिसमे से	284	44 2	21138	19 8	23691	18 8	26164	18 5
काफी	7	1 09	1503	1 4	1622	1 3	1703	1 2
चाय और मेट	124	19 3	1171	1 1	1505	1 2	2302	1 6
आयल केकस (खली)	14	2 1	2349	2 2	3404	2 7	1912	1 4
तम्बाकू	16	2 4	447	0 4	1058	0 8	779	0 6
काजू गिरी	19	2 9	1237	1 1	1384	1 1	1613	1 1
मसाले	17	2 6	794	0 7	1402	1 1	1617	1 1
चीनी और मोलासिस	30	4 6	506	0 4	248	0 2	23	0 02
कपास	12	1 8	204	0 1	840	0 7	224	0 16
चावल	..	-	4568	4 2	3275	2 6	6201	4 4
मछली और मछली उत्पाद	5	0 7	3381	3 1	4313	3 4	4368	3 0

लगातार

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
मास और मास उत्पाद	1	0 1	627	0 5	803	0 6	760	0 5
फल सब्जी और दालें	6	0 9	802	0 7	1029	0 8	912	0 6
विविध प्रसस्करित खाद्य	1	0 1	745	0 7	535	0 4	550	0 4
(ii) अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमे से	52	8 0	3061	2 8	3018	2 4	2970	2 0
अभ्रक	--	--	27	0 02	25	0 02	44	0 03
लौह अयस्क	17	2 6	1721	1 6	1763	1 4	1600	1 1
(iii) विनिर्मित वस्तुएं जिसमे से	291	45 3	80219	75 4	96795	76 6	111476	78 7
सूती वस्त्र	73	11 3	24149	22 7	30001	23 8	35897	25 4
सूत धागा	65	10 1	8619	8 1	12094	9 6	11089	7 8
सिले सिलाए वस्त्र	1	0 1	12295	11 5	14032	11 1	18698	13 2
नारियल सूत और उत्पाद	6	0 9	210	0 19	254	0 20	313	0 2

..लगातार

लगातार

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रूपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
जूट विनिर्मित	135	21 0	621	0 58	363	0 29	595	0 4
चमडे और चमडे का सामान	28	4 3	5790	5 4	5461	4 3	6077	4 8
हस्तशिल्प जिसमे से	11	1 7	20501	19 2	3443	2 7	4372	3 0
रत्न और आभूषण	1	0 1	17644	16 5	19014	15 0	24839	17 5
रसायन और सबद्ध उत्पाद	7	1 0	9849	9 2	13500	10 7	14188	10 0
मशीनरी परिवहन व धातु विनिर्मित	22	3 4	14578	13 7	18354	14 5	18371	12 9
(iv) खनिज तेल व स्नेहक	7	1 0	1761	1 6	1443	1 1	510	0 4
कुल निर्यात	642		106353		126286		141604	

Source Government of India, *Economic Survey* 1998-99, 1999-2000, S-89

2 चाय और मेट (Tea and Mate) – चाय और मेट भारत का प्रमुख परम्परागत निर्यात हैं। विश्व के अनेक देशो को भारतीय चाय निर्यात की जाती है। वर्तमान मे भारत को चाय निर्यात के क्षेत्र में श्रीलका से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। भारत से चाय और मेट का निर्यात 1960–61 मे 124 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 1,505 करोड रुपए हो गया। किन्तु निर्यातो में चाय और मेट का हिस्सा घटा है। निर्यातो मे चाय और मेट का हिस्सा 1960–61 में 19.3 प्रतिशत था जो घटकर 1997–98 में 1.2 प्रतिशत रह गया है।

3 काजू गिरी (Cashew Kernels) – भारतीय काजू गिरी की विदेशों में व्यापक माग है। काजू का निर्यात 1960–61 मे 19 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 1,284 करोड रुपए हो गया। कुल निर्यात में काजू गिरी का हिस्सा 1960–61 मे 2.9 प्रतिशत तथा 1997–98 में 1.1 प्रतिशत था।

4 मसाले (Spices) – भारत प्राचीन काल से ही मसालो का निर्यातक राष्ट्र रहा है। मसाले का निर्यात 1960–61 मे 17 करोड तथा 1997–98 में 1,402 करोड रुपए था। निर्यात में मसाले का हिस्सा 1960–61 में 2.6 प्रतिशत तथा 1997–98 में 1.1 प्रतिशत था।

5 चीनी और मोलासिस (Sugar and Molasses) – भारत चीनी और मोलासिस का बडा उत्पादक राष्ट्र है। किन्तु आतरिक बाजार मे चीनी का अधिक उपभोग हो जाने के कारण निर्यात थोडी मात्रा में होता है। चीनी तथा मोलासिस का निर्यात 1960–61 मे 30 करोड रुपए से बढकर 1997–98 में 248 करोड रुपए हो गया। कुल निर्यात मे चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा घटा है। कुल निर्यात में चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा 1960–61 मे 4.6 प्रतिशत था जो घटकर 1997–98 में 0.2 प्रतिशत ही रह गया है।

6 चावल (Rice) – हाल के वर्षों में भारत के चावल की गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व मे प्रसिद्धि बढी है विशेषकर बासमनी चावल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पसन्द किया जाने लगा है। नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों मे चावल का निर्यात नगण्य था। वर्तमान मे चावल का उत्पादन बढने से निर्यात मे भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1960–61 में चावल का निर्यात शून्य था। 1997–98 मे चावल का निर्यात 3,275 करोड रुपए था जो कि कुल निर्यातो का 2.6 प्रतिशत था। भारत के परम्परागत निर्यातों में चावल का योगदान सर्वाधिक है।

7 मछली और मछली उत्पाद (Fish and Fish Preparations) – भारत के पास पर्याप्त समुद्र तट है। अत यहा मछली उत्पादन की विपुल सभावनाए है। हाल के वर्षों में मछली का उत्पादन बढा है। मछली उत्पादन भारत के लिए लाभप्रद है। मछली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा मछली के उपभोग से खाद्यान्न के अभाव की समस्या से निपटा जा सकता है। मछली उत्पादन मे वृद्धि से 'नीली क्राति' की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

परम्परागत निर्यातो मे चावल के बाद मछली और मछली उत्पाद का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है। मछली का निर्यात 1960–61 में केवल 5 करोड रुपए का जो बढकर 1997–98 मे 4,313 करोड रुपए हो गया। निर्याति‍त आय मे मछली और मछली उत्पादन का हिस्सा बढा है यह 1960–61 मे 0 7 प्रतिशत से बढकर 1997–98 मे 3 4 प्रतिशत हो गया।

8 **लौह अयस्क (Iron ore)** – लौह–अयस्क भारत का प्रमुख खनिज है। इस दृष्टि से भारत सम्पन्न राष्ट्र है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के कुल लौह अयस्क के भण्डारों का 1/4 भाग भारत मे स्थित है। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भण्डार 1,447 करोड टन है। वर्तमान मे लौह अयस्क का खनन इसके भण्डारो को देखते हुए अल्प है और इसके उपयोग का तरीका भी अलाभप्रद है। गौरतलब है भारत लौह अयस्क को कच्चे माल के रूप मे बडी मात्रा मे निर्यात करता है जबकि लौह अयस्क पर आधारित लोहा–इस्पात उद्योगो की स्थापना कर सतुलित विकास की गति को बल दिया जा सकता है। निर्मित माल का निर्यात करके अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।[3]

लौह अयस्क का निर्यात 1960–61 मे 17 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 में 1,763 करोड रुपए हो गया किन्तु कुल निर्यात मे लौह अयस्क का हिस्सा 1960–61 में 2 6 प्रतिशत से घटकर 1997–98 में 1 4 प्रतिशत रह गया है।

9 **सूती वस्त्र (Textile Fabrics & Manufactures)** – सूती वस्त्र भारत का प्रमुख गैर परम्परागत निर्यात है। वर्ष 1995–96 मे भारत की निर्यात आय मे सूती वस्त्र प्रथम स्थान रहा है। निर्याति‍त आय में सूती वस्त्र का हिस्सा तेजी से बढा है। सूती वस्त्र का निर्यात 1960–61 में 73 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 30,001 करोड रुपए हो गया। इसी प्रकार कुल निर्यात मे सूती वस्त्र का हिस्सा 1960–61 में 4 3 प्रतिशत था जो बढकर 1997–98 में 23 8 प्रतिशत हो गया।

10 **मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित (Machinery, Transport & Metal Manufacturing)** – इजीनियरी वस्तुओ का बढता निर्यात भारत के लिए अभिनदनीय प्रवृत्ति है। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र की बढती भूमिका तथा आर्थिक उदारीकरण में औद्योगीकरण का सुदृढ ढाचा तैयार होने से देश मे मशीनरी, परिवहन व धातु निर्मित, लोहा एव इस्पात का उत्पादन बढा है। निर्यातो में इजीनियरी वस्तुओं का योगदान तीव्र गति से बढा है। मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित का 1960–61 में निर्यात 22 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 में 18,354 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल निर्यातों मे हिस्सा 1960–61 मे 3 4 प्रतिशत था जो बढकर 1997 98 मे 14 5 प्रतिशत हो गया। मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित वस्तुओ का निर्यात आय में सूती वस्त्र तथा हस्तशिल्प के बाद 1995–96 में तीसरा स्थान था।

11 हस्तशिल्प (Handicrafts) – हाल के वर्षों मे भारत ने हस्तशिल्प निर्यात के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति अर्जित की है। विदेशो मे भारतीय हस्तशिल्प में माग बढी है। हस्तशिल्प नियात मे रत्न व आभूषण की भूमिका उल्लेखनीय है। हस्तशिल्प निर्यात 1960–61 मे 11 करोड रुपए था जो बढकर 1995–96 मे 20,501 करोड रुपए तक जा पहुचा। वर्ष 1995–96 मे कुल निर्यातों मे हस्तशिल्प का हिस्सा 19 2 प्रतिशत था। रत्न व आभूषण का निर्यात 1997–98 मे 19,014 करोड रुपए (कुल निर्यातो का 15 प्रतिशत) था जबकि यह 1960–61 म मात्र एक करोड रुपए था। हस्तशिल्प का बढता निर्यात भारत के लिए शुभसकेत है। 1995–96 में यह निर्यातित आय का दूसरा बडा स्रोत था।

12 रसायन और सबद्ध उत्पाद (Chemicals and Allied Products) – रसायन और सबद्ध उत्पाद भारत का प्रमुख गैर परम्परागत निर्यात है। इसका निर्यात 1960–61 मे केवल 7 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 13,500 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1997–98 मे निर्यातित आय मे रसायन और सबद्ध उत्पाद का योगदान 10 7 प्रतिशत था।

13 चमडे और चमडे का सामान (Leather and Leather Manufactures) – भारत म जनसख्या की भाति पशु सख्या भी अधिक है। पशु सख्या अधिक होने के कारण देश मे चमडा उद्योग विकसित हुआ है और हाल के वर्षों म चमडे तथा चमडे के सामान से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होने लगी है। चमडे व चमडे के सामान का निर्यात 1960–61, मे केवल 28 करोड रुपए था जा बढकर 1997–98 में 5,461 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1997-98 निर्यातित आय में चमडे का योगदान 4 3 प्रतिशत था।

उपर्युक्त निर्याता के अलावा भारत से बडी मात्रा में खली (आयल केकस), तम्बाकू, कपास, मास, फल, सब्जी, दाले प्रसस्करित खाद्य, अभ्रक, सूती धागा, सिले सिलाए वस्त्र, नारियल जटा खजिज तल व स्नेहक का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1995–96 मे सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात 12,295 करोड रुपए तथा खली का 2,349 करोड रुपए का निर्यात उल्लेखनीय था। वर्ष 1995 96 में सिले-सिलाए वस्त्रों का योगदान निर्यातित आय में 11 5 प्रतिशत था।

विदेशी व्यापार की दिशा
(Direction of Foreign Trade)

भारत आजादी से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसलिए भारत का अधिकाश विदशी व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशक राष्ट्र, मित्र देशों तक सीमित था। स्वतत्रता के प्रारभिक वर्षों में भी विदेशी व्यापार की दिशा व्यापक नहीं थी। वर्तमान म स्थिति काफी बदल चुकी है। आज भारत का विश्व के लगभग सभी देशों से आयात और निर्यात हाता है। राष्ट्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतों से आर्थिक सबधो को व्यापक बनाया जा रहा है। भारतीय उत्पादो के निर्यात में एशिया और ओसिनीय देश, यूराप, अमरीका, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका आदि देशों का

आयातों की दिशा

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998 99	
	करोड रूपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
1 आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) जिसमे से	875	78 0	64254	52 4	75593	49 9	89845	51 0
(i) बेल्जियम	15	1 4	5693	4 6	9074	6 0	10598	6 0
(ii) फ्रास	21	1 9	2812	2 3	1468	1 0	3056	1 7
(iii) जर्मनी*	123	10 9	10520	8 6	9295	6 1	8998	5 1
(iv) इग्लैण्ड	217	19 4	6415	5 2	8696	5 7	10793	6 1
(v) अमरीका	328	29 2	12916	10 5	13510	8 9	15339	8 7
(vi) आस्ट्रेलिया	18	1 6	3418	2 8	5561	3 7	6282	3 6
(vii) जापान	61	5 4	8254	6 7	7912	5 2	10032	5 7
2 ओपेक जिसमे से	52	4 6	25586	20 9	35008	23 1	32912	18 7
(i) इरान	30	2 6	2001	1 6	2369	1 6	2044	1 2
(ii) कुवैत	00	0 0	6590	5 4	8599	5 7	6318	3 6
(iii) सउदी अरब	14	1 3	6773	5 5	9396	6 2	7868	4 5
3 पूर्वी यूरोप जिसमे से	38	3 4	4217	3 4	3152	2 1	3152	1 6
(i) रुस**	16	1 4	2864	2 3	2526	1 7	2221	1 3

लगातार

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
4 अन्य विकासशील देश ***	132	11 8	22509	18 3	33059	21 8	37158	21 1
जिसमे से								
(i) अफ्रीका	63	5 6	2763	2 3	4885	3 0	6667	3 8
(ii) एशिया	64	5 7	17723	14 4	20310	13 4	27663	15 7
(iii) लेटिन अमरीका और कैरेबियन	5	0 4	2022	1 6	8163	5 4	2848	1 6
5 अन्य	25	2 2	6112	5 0	4740	0 7	13303	7 6
6 कुल	1122	100 0	122678	100 0	151553	100 0	176099	100 0

* 1995-96 के आकडे सयुक्त जर्मनी के लिए हैं।

** 1960-61 के आकडे पूर्व सोवियत सघ के है।

*** ओपेक के सदस्य देशो को छोडकर।

Source *Economic Survey*, 1998-99, Government of India, S-92, 1999-2000

प्रमुख स्थान है तथा जिन देशो से भारत आयात करता है उनमे जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, सिगापुर और अमरीका आदि मुख्य हैं।

भारत जिन देशो से आयात और निर्यात करता है उन देशो को पाच बडे वर्गो मे विभाजित किया गया है –

(i) आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) इसमे यूरोपीय सघ, फ्रास, जर्मनी, इग्लैण्ड, अमरीका, जापान आदि सम्मिलित हैं।

(ii) तेल निर्यातक देशो का सगठन (ओपेक) इसमे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब सम्मिलित हैं।

(iii) पूर्वी यूरोप इसमे जी डी आर, रोमानिया, रूस सम्मिलित हैं।

(iv) विकासशील देश इसमे अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देश सम्मिलित हैं।

(v) अन्य।

भारत के आयातों की दिशा सबधी विवरण निम्नलिखित है

1. आर्थिक सहयोग विकास सगठन (Organisation of Economic Co-operation Development, OECD) – भारत के आयातो की दिशा मे आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) का महत्त्वपूर्ण योगदान है। ओ ई सी डी से आयात 1960–61 मे 875 करोड रुपए था जो 1997–98 में बढकर 75,593 करोड रुपए हो गया। कुल आयातो में ओ ई डी सी का हिस्सा 1960–61 मे 78 प्रतिशत था जो 1997–98 मे घटकर 49 9 प्रतिशत रह गया। ओ ई सी डी के अन्तर्गत आयातो मे अमरीका, इग्लैण्ड, जापान, जर्मनी का प्रमुख स्थान है। वर्ष 1997–98 मे आयातो मे विभिन्न देशो का हिस्सा इस प्रकार रहा बेल्जियम 6 प्रतिशत, फ्रास 1 0 प्रतिशत, जर्मनी 6 1 प्रतिशत, इग्लैण्ड 5 7 प्रतिशत, अमरीका 8 9 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया, 3 7 प्रतिशत, जापान 5 2 प्रतिशत। आयातो मे जहा बेल्जियम, आस्ट्रेलिय जापान की हिस्सेदारी बढी है वहीं इग्लैण्ड, अमरीका का हिस्सा घटा है। वर्ष 1960–61 मे आयातो मे इग्लैण्ड का 19 4 प्रतिशत तथा अमरीका का 29.2 प्रतिशत हिस्सा था।

2. तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries, OPEC) – भारत का ओपेक से आयात 1960–61 मे 52 करोड रुपए था जो 1997–98 मे बढकर 35,008 करोड रुपए हो गया। कुल आयात मे ओपेक की हिस्सेदारी बढी है। ओपेक का आयातो मे हिस्सा 1960–61 मे 4 6 प्रतिशत से बढकर 1997–98 मे 23 1 प्रतिशत हो गया। कुल आयातो मे सऊदी अरब का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षों मे कुवैत से आयात बढे हैं। वर्ष 1997–98 में कुल आयातो मे ईरान का 1 6 प्रतिशत, कुवैत 5 7 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का 6 2 प्रतिशत हिस्सा था।

3 पूर्वी यूरोप (Eastern Europe) — पूर्वी यूरोप से आयात 1960–61 मे 38 करोड रुपए था जा बढकर 1997–98 मे 3 152 करोड रुपए हो गया। कुल आयातो म पूर्वी यूराप की हिस्सेदारी घटी है। वर्ष 1997–98 में पूर्वी यूराप का हिस्सा 2 1 प्रतिशत था जो 1960–61 के 3 4 प्रतिशत से कम है। रूस से आयात अवश्य बढा है। पूर्व सोवियत संघ से आयात 1960–61 म 1 4 प्रतिशत था। वर्तमान रूस से 1995–96 मे 2 864 करोड रुपए का आयात हुआ जो कुल आयातो का 2 3 प्रतिशत था। वर्ष 1997–98 मे रूस से 2 526 करोड रुपए का आयात हुआ जो कुल आयातो का 1 7 प्रतिशत था।

4 अन्य विकासशील देश (Other Developing Countries) — आपेक को छोडकर अन्य विकासशील देशो का आयाता मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षो में एशिया तथा लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशो से आयात बढा है। कुल आयाता में अफ्रीका का हिस्सा घटा है। विकासशील देशो से आयात 1960–61 म 132 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 33 059 करोड रुपए हो गया। कुल आयातो मे विकासशील देशो का 1997–98 मे हिस्सा 21 8 प्रतिशत रहा। कुल आयातो म 1997–98 मे अफ्रीका का 3 0 प्रतिशत एशिया का 13 4 प्रतिशत लेटिन अमेरिका और कैरेबियन का 5 45 प्रतिशत हिस्सा था।

भारत क निर्यातों की दिशा सबधी का विवरण इस प्रकार है

1 आर्थिक सहयोग विकास सगठन (Organisation of Economic Co-operation Development) — भारत से बडी मात्रा मे निर्यात आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) जिसम यूरोपीय सघ उत्तरी अमेरिका देश आस्ट्रेलिया जापान आदि सम्मिलित हैं को किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास सगठन को निर्यात 1960–61 मे 425 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 म 70 314 करोड रुपए हो गया किन्तु कुल निर्यातो मे ओ ई सी डी का हिस्सा 1960–61 मे 66 1 प्रतिशत से घटकर 1997–98 म 55 7 प्रतिशत रह गया। भारत से निर्यात बेल्जियम फ्रास जर्मनी जापान अमरीका आदि देशो म बढा है। भारत के निर्याता मे इग्लैण्ड का हिस्सा 1960–61 मे 26 9 प्रतिशत था जो 1997–98 म घटकर 6 0 प्रतिशत ही रह गया है। वर्ष 1997–98 में अन्य देशों का निर्यात मे हिस्सा इस प्रकार रहा बेल्जियम 3 5 प्रतिशत फ्रास 2 2 प्रतिशत जर्मनी 5 5 प्रतिशत अमरीका 19 5 प्रतिशत जापान 5 5 प्रतिशत।

2 तेल निर्यातक देशों का सगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries) — तेल निर्यातक देशो का सगठन (ओपेक) का न केवल आयातो म अपितु निर्याता म भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1960–61 म ओपेक को निर्यात 26 करोड रुपए था जो 1997–98 म बढकर 12 638 करोड रुपए जा पहुचा। कुल निर्याता म ओपेक का हिस्सा 1960–61 म 4 1 प्रतिशत से बढकर 1997–98 म 10 प्रतिशत हो गया। ओपेक मे भारत का निर्यात इरान ईराक कुवैत सऊदी अरब को होता है। हाल के वर्षो मे इराक को निर्यात घटा है। वर्ष 1997–98 में कुल

निर्यातों की दिशा

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
1 आर्थिक सहयोग विकास सगठन								
जिसमे से	425	66 1	59223	55 7	70314	55 7	62104	58 0
(i) बेल्जियम	5	0 8	3748	3 5	4426	3 5	5458	3 9
(ii) फ्रास	9	1 4	2499	2 3	2751	2 2	3544	2 5
(iii) जर्मनी*	20	3 1	6614	6 2	6892	5 5	7229	5 6
(iv) इग्लैण्ड	173	26 9	6726	6 3	7578	6 0	8028	5 7
(v) अमरीका	103	16 0	18466	17 4	24641	19 5	30842	21 8
(vi) जापान	35	5 5	7411	7 0	6907	5 5	6945	4 9
2 तेल निर्यातक देशो का सगठन								
जिसमे से	26	4 1	10300	9 7	12638	10 0	14902	10 5
(i) इरान	5	0 8	514	0 5	623	0 5	667	0 5
(ii) सउदी अरब	3	0 5	1613	1 5	2510	2 0	3253	2 3
3 पूर्वी यूरोप जिसमे से	45	7 0	4092	3 8	3944	3 1	3875	2 7
(i) रूस**	29	4 5	3495	3 3	3306	2 6	3038	2 1

लगातार

वस्तुएँ	1960-61		1995 96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
4 अन्य विकासशील देश (ओपेक को छोडकर) जिसमे से	95	14 8	27324	25 7	35614	28 2	34870	24 6
(i) अफ्रीका	40	6 3	3584	3 4	3981	3 2	5062	3 6
(ii) एशिया	45	6 9	22613	21 3	26896	21 3	26922	19 0
(iii) लेटिन अमरीका और कैरेबियन	10	1 6	1127	1 1	4738	3 8	2886	2 0
5 अन्य	51	8 0	5414	5 1	3776	3 0	5852	4 1
6 कुल	642	100 0	106353	100 00	126286	100 0	141604	100 0

* 1995-96 के आकडे सयुक्त जर्मनी के लिए हैं।

**1960-61 के आकडे पूर्व सोवियत सघ के हैं।

Source Economic Survey 1998-99, Government of India, S-91, 1999-2000

निर्यातो मे ईरान का 0 5 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का 2 0 प्रतिशत हिस्सा था।

3 **पूर्वी यूरोप** (Eastern Europe) – पूर्वी यूरोप के देशो मे जी डी आर, रोमानिया, रूस आदि देशो को निर्यात किया जाता है। निर्यातो मे रूस का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। कुल निर्यातो मे पूर्वी यूरोप का हिस्सा घटा है। पूर्वी यूरोप को निर्यात 1960–61 मे 45 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 मे 3,944 करोड रुपए हो गया। किन्तु कुल निर्यात मे हिस्सा इसी समयावधि मे 7 प्रतिशत से घटकर 3 1 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1997–98 मे रूस को 3,306 करोड रुपए का निर्यात किया गया जो कुल निर्यात का 2 6 प्रतिशत था। पूर्व सोवियत सघ का 1960–61 मे कुल निर्यातो में 4 5 प्रतिशत हिस्सा था।

4 **अन्य विकासशील देश** (Others Developing Countries) – भारत से अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन देशो को बडी मात्रा मे निर्यात किया जाता है। विकासशील देशों को (ओपेक को छोडकर) मे 1960–61 मे 95 करोड रुपए का निर्यात किया गया जो 1997–98 मे बढकर 35,614 करोड रुपए हो गया। कुल निर्यातो मे विकासशील देशो का हिस्सा 1960–61 मे 14 8 प्रतिशत से बढकर 1997–98 मे 28 2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997–98 मे भारत से अफ्रीका को 3,981 करोड रुपए, एशिया को 26,896 करोड रुपए, लेटिन अमेरिका और कैरेबियन को 4,738 करोड रुपए का निर्यात किया गया। कुल निर्यातों मे एशिया का हिस्सा 21 3 प्रतिशत रहा।

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताए अथवा आधुनिक प्रवृत्तिया (Main Characteristics or Recent Trends of India's Foreign Trade)

स्वतत्रता उपरात भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, सरचना और दिशा मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विदेशी व्यापार की मात्रा के बढने से राष्ट्रीय आय मे व्यापार का महत्त्व बढा हैं। औपनिवेशक राष्ट्रों से भारत का विदेशी व्यापार कम हुआ है। आज विश्व के सभी देशो से भारत का विदेशी व्यापार होता है। विकासशील राष्ट्रो से व्यापार मे तीव्र वृद्धि हुई है। किन्तु विश्व व्यापार मे भारत की भागीदारी घटी है। भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिकतम प्रवृत्तिया इस प्रकार हैं

1 **विश्व व्यापार में घटती भागीदारी** (Decreasing Share in World Trade) – स्वतत्रता के प्रारभिक वर्षों मे विश्व के कुल निर्यातो मे भारत का भाग 2 45 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में निर्यातो में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण घटा। विश्व के कुल निर्यात में भारत का भाग 1970 मे 0 6 प्रतिशत, 1975 मे 0 5 प्रतिशत, 1980 में 0 4 प्रतिशत, 1985 मे 0 5 प्रतिशत, 1990 मे 0 5 प्रतिशत था। विश्व के निर्यात में भारत का भाग बढकर 1994 मे 0 6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994 मे विश्व का कुल निर्यात व्यापार 41,39,600 मिलियन डॉलर था इसमें भारत का भाग 26,330 मिलियन डॉलर था। वर्ष 1996 मे विश्व निर्यात मे भारत की भूमिका और बढी। वर्ष 1996 मे विश्व निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था

जिसमे भारत का हिस्सा 33 470 मिलियन डॉलर था जो विश्व के निर्यात का 0 7 प्रतिशत था।

2 कुल विदेशी व्यापार में वृद्धि (Increase in Total Foreign Trade) – आयात और निर्यात दोनो मे वृद्धि होने के कारण कुल विदेशी व्यापार मे वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1950–51 मे 1,214 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 मे 75 751 करोड रुपए हो गया। चार दशक मे कुल विदेशी व्यापार मे 62 गुना वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1994–95 में और बढकर 1,72,645 करोड रुपए हो गया। अप्रैल–दिसम्बर (1999–2000) मे कुल विदेशी व्यापार 2 67,725 करोड रुपए (प्राविजनल) था।

3 निर्यातो में धीमी वृद्धि (Slow Increase in Exports) – भारतीय उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे कम टिक पाते है इसका प्रमुख कारण भारत के उत्पादो का आधुनिकतम तकनोलॉजी से सुसज्जित नहीं होना है। भारतीय निर्यातो मे उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य हुई किन्तु वृद्धि अपेक्षित नहीं रही। भारत का निर्यात 1950–51 मे 606 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 में 32,553 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1994–95 में निर्यात और बढकर 82 674 करोड रुपए हो गया। अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 मे निर्यात 1,18,638 करोड रुपए (प्राविजनल) रहा। निर्यात दर 1965–66 तथा 1985–86 में ऋणात्मक थी। निर्यात वृद्धि दर 1994–95 मे 18.5 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 9.5 प्रतिशत थी।

3 आयातों में तीव्र वृद्धि (Rapid Growth in Imports) – भारत विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आयातो पर अधिक निर्भर है। आयात वृद्धि दर निर्यातो की तुलना मे अधिक है। भारत का आयात 1950–51 मे 608 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 मे 43,198 करोड रुपए हो गया। चार दशको मे आयातों मे 71 गुना वृद्धि हुई। आयात बढकर 1994–95 मे 89,971 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल–दिसम्बर 1999-2000 में आयात 1,49,087 करोड रुपए था। आयात वृद्धि दर 1990–91 मे 22 3 प्रतिशत थी जो बढकर 1995–96 मे 36 4 प्रतिशत हो गई। 1997–98 मे आयात वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही।

4 प्रतिकूल व्यापार शेष (Unfavourable Balance of Trade) – स्वतंत्रता से पूर्व भारत का व्यापार शेष सामान्यतया अनुकूल रहता था। स्वातन्त्र्योत्तर दो वर्षों को छोडकर व्यापार शेष सदैव प्रतिकूल रहा। व्यापार शेष 1972–73 मे 104 करोड रुपए तथा 1976–77 मे 68 करोड़ रुपए से अनुकूल रहा। 1950–51 मे प्रतिकूल व्यापार शेष 2 करोड रुपए था जो तेजी से बढकर 1990–91 मे 10,645 करोड़ रुपए तक जा पहुचा। प्रतिकूल व्यापार शेष 1994–65 मे 7,297 करोड रुपए तथा 1995–96 मे 16 325 करोड़ रुपए था। अप्रैल–दरिम्बर 1999-2000 मे प्रतिकूल व्यापार शेष 30,449 करोड रुपए (प्राविजनल) था।

5 विदेशी व्यापार का सूचकाक (Index of Foreign Trade) – मुद्रास्फीति तथा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण विदेशी व्यापर के आकडे सही स्थिति नहीं

दर्शाते हैं। सही स्थिति के लिए विदेशी व्यापार सूचकाक पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ष 1980–81 मे निर्यात का इकाई मूल्य सूचकाक 108 5 था जो बढकर 1995–96 मे 484 2 तथा 1996–97 मे 504 7 हो गया। इसी प्रकार 1980–81 मे आयात का इकाई मूल्य सूचकाक 134 2 से बढकर 1995–96 मे 351 तथा 1996–97 मे 399 8 हो गया। निर्यात का मात्रात्मक सूचकाक 1980–81 मे 108 1 से बढकर 1996–97 मे 411 8 तथा आयात का मात्रात्मक सूचकाक 1980–81 मे 137 9 से बढकर 1996–97 मे 511 8 हो गया।

6 **आयात सरचना** (Composition of Imports) – आयात सरचना मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वर्तमान मे भारत पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेटस उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्त्व और यौगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न, गैर विद्युत मशीनरी का मुख्य रूप से आयात करता है। अनाज और अनाज उत्पाद के आयात मे भारी कमी हुई है। वर्ष 1960–61 मे कुल आयातो मे अनाज और अनाज उत्पाद का भाग 16 1 प्रतिशत था जो घटकर 1997–98 मे 0 7 प्रतिशत ही रह गया।

7 **निर्यात सरचना** (Composition of Exports) – आयातो की भाति निर्यात सरचना मे भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत के प्रमुख निर्यातों मे कृषि एव सबद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, हस्तशिल्प, मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1960–61 मे कुल निर्यातो मे विनिर्मित वस्तुओ का योगदान 45 3 प्रतिशत था जो बढकर 1997–98 मे 76 6 प्रतिशत हो गया।

8 **आयातो का दिशा** (Direction of Imports) – भारत जिन देशों से आयात करता है उनमे बेल्जियम, जर्मनी इग्लैण्ड, अमरीका, जापान, कुवैत, सऊदी अरब, रूस तथा एशियाई देशो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत सर्वाधिक आयात अमेरिका तथा उसके बाद जर्मनी से करता है।

9 **निर्यातो की दिशा** (Direction of Exports) – भारत जिन देशो को निर्यात करता है उनमें अमरीका, जापान, इग्लैण्ड, जर्मनी, रूस, सऊदी अरब, एशिया और अफ्रीका के देश आदि मुख्य हैं। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका को होता है। वर्ष 1997 98 में कुल निर्यातो मे अमरीका का भाग 19 5 प्रतिशत था। निर्यात व्यापार मे इग्लैण्ड की भूमिका कम हुई है। कुल निर्यात में इग्लैण्ड का भाग 1960–61 मे 19 5 प्रतिशत से घटकर 1997–98 मे केवल 6 0 प्रतिशत रह गया।

10 **कुछ देशों पर अधिक निर्भरता** (Excess Dependence on a few Countries) – भारत आयात और निर्यात व्यापार की दृष्टि से कुछ ही देशों पर अधिक निर्भर है। भारत का अधिकाश आयात आर्थिक सहयोग विकास सगठन से है। इसमे भी अमरीका, जर्मनी, जापान और इग्लैण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रूस तथा एशियाई देशो से भारत का आयात कम है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी कुछ ही देशो का अधिक महत्त्व है। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका तथा जापान को

हाता है।

11 कुछ वस्तुए अधिक महत्त्वपूर्ण (A few goods are more important) – भारत की आयातित और निर्यातित मदो की सख्या कम है। निर्यातो मे कुछ ही वस्तुओ की प्रधानता बनी हुई है। भारत के निर्यातो मे सूती वस्त्र, सिले सिलाऐ वस्त्र, रत्न और आभूषण, मशीनरी व परिवहन मुख्य है। इसी प्रकार आयातो मे पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेटस और गैर-विद्युत मशीनरी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

12 सार्वजनिक उपक्रमो का बढता महत्त्व (Increasing Role of Public Sectors) – भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। नियोजन काल मे सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे निर्यात व्यापार मे सार्वजनिक उपक्रमो की भूमिका बढी। भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, राज्य व्यापार निगम, हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम आदि सस्थाए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

13. विकासशील राष्ट्रों का बढता महत्त्व (Increasing role of Developing Countries) – हाल के वर्षो मे आयातो और निर्यातों मे विकासशील राष्ट्रों का महत्व बढा है। वर्ष 1997–98 में कुल आयातो मे विकासशील देशो का भाग 21 8 प्रतिशत तथा कुल निर्यातो मे विकासशील देशो का भाग 28 2 प्रतिशत था।

14 उपनिवेशन व्यापार की समाप्ति (End of Colonization Trade)– आजादी से पहले भारत, ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार उपनिवेशक राष्ट्रो तथा मित्र राष्ट्रो तक सीमित था। वर्तमान मे भारत का विश्व के लगभग सभी देशो से विदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ताओ और आपसी समझौतो से आर्थिक सबधो को व्यापक बनाया जा रहा है।

15 विदेशी सहायता का प्रभाव (Effects of Foreign aid) – भारत को जिन देशो से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशो के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक था। स्वतत्रता प्राप्ति के समय इग्लैण्ड, अमरीका तथा सोवियत सघ से विदेशी सहायता अधिक प्राप्त होने के कारण इन देशो से आयात–निर्यात अधिक होता था। बाद के वर्षो मे जापान, जर्मनी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण भारत का इन देशो से व्यापार बढा।

16 समुद्री मार्गो का अधिक महत्व (More Importance of Marine Routes) – भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के अनुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पडौसी देश यथा पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल तुलनात्मक रूप से पिछडे हुए है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सबध मधुर नहीं है। इसलिए स्थलीय मार्ग से अधिक व्यापार नहीं होता। भारत को दूर के देशो से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार करना पडता है।

17 विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता (Dependence on Foreign Shipping) – भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गो से होता है। भारत की जल परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रभुत्व है। वर्ष 1993–94 मे भारत के विदेशी व्यापार मे विदेशी जहाजो का भाग 66 प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजो का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था।

18 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (Centralisation of Foreign Trade) – भारत के विदेशी व्यापार मे सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकाश विदेशी व्यापार मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहो से होता है। इन बन्दरगाहो पर भीड कम करने के लिए अन्य बन्दरगाहो के विकास पर बल देना चाहिए।

19 निर्यात सवर्द्धन (Export Promotion) – भारत निर्यातो मे वृद्धि के लिए प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 1949, 1966 तथा 1991 मे अवमूल्यन किया गया। 1997–98 की आखिरी तिमाही मे भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भारतीय रुपए को चालू खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्को मे कमी की गई।

20 आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) – आयात प्रतिस्थापना की नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति मे आयातित वस्तुओ का भारत मे ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत ने खाद्यान्न तथा पूजीगत सामान के मामले मे बडी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

21 नई निर्यात आयात नीति (New Export-Import Policy) – भारत ने निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 1992–97 तक दीर्घकालिक निर्यात–आयात नीति की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 1997-2002 की घोषणा की तथा उसमे समय–समय पर सशोधन किये। नई नीति मे आयात लाइसेसों मे कटौती की गई। निर्यात के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति को निर्यातोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया है।

सन्दर्भ

1 डा ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, पृ 1
2 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1994, पृ 549
3 डा ओ पी शर्मा, *वही*, पृ 207

होता है।

11 *कुछ वस्तुए अधिक महत्त्वपूर्ण (A few goods are more important)* – भारत की आयातित और निर्यातित मदो की सख्या कम है। निर्यात में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता बनी हुई है। भारत के निर्यातो मे सूती वस्त्र सिले सिलाऐ वस्त्र रत्न और आभूषण मशीनरी व परिवहन मुख्य है। इसी प्रकार आयातो में पेट्रोल तेल और लुब्रिकेटस और गैर विद्युत मशीनरी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

12 सार्वजनिक उपक्रमों का बढता महत्त्व (Increasing Role of Public Sectors) – भारतीय अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। नियोजन काल मे सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे निर्यात *व्यापार में सार्वजनिक उपक्रमो की भूमिका बढी। भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय* इस्पात प्राधिकरण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स राज्य व्यापार निगम हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम आदि सस्थाए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

13 विकासशील राष्ट्रों का बढता महत्व (Increasing role of Developing Countries) – हाल के वर्षो में आयातो और निर्यातो म विकासशील राष्ट्रों का महत्व बढा है। वर्ष 1997–98 में कुल आयातो में विकासशील देशो का भाग 21 8 प्रतिशत तथा कुल निर्यातो मे विकासशील देशो का भाग 28 2 प्रतिशत था।

14 उपनिवेशन व्यापार की समाप्ति (End of Colonization Trade)– आजादी से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार उपनिवेशक राष्ट्रों तथा मित्र राष्ट्रो तक सीमित था। वर्तमान मे भारत का विश्व के लगभग सभी देशो से विदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतो से आर्थिक सबधो को व्यापक बनाया जा रहा है।

15 विदेशी सहायता का प्रभाव (Effects of Foreign aid) – भारत को जिन देशो से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशो के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक था। स्वतत्रता प्राप्ति के समय इग्लैण्ड अमरीका तथा सोवियत सघ से विदेशी सहायता अधिक प्राप्त होने के कारण इन देशो से आयात–निर्यात अधिक होता था। बाद के वर्षो मे जापान जर्मनी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण भारत का इन देशो से व्यापार बढा।

16 समुद्री मार्गों का अधिक महत्व (More Importance of Marine Routes) – भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के अनुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पडौसी देश यथा पाकिस्तान बाग्लादेश श्रीलका नेपाल तुलनात्मक रूप से पिछडे हुए है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सबध मधुर नहीं है। इसलिए स्थलीय मार्ग से अधिक व्यापार नहीं होता। भारत को दूर के देशो स समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार करना पडता है।

17 विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता (Dependence on Foreign Shipping) – भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की जल परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रभुत्व है। वर्ष 1993–94 मे भारत के विदेशी व्यापार मे विदेशी जहाजो का भाग 66 प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजो का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था।

18 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (Centralisation of Foreign Trade) – भारत के विदेशी व्यापार मे सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकाश विदेशी व्यापार मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहो से होता है। इन बन्दरगाहों पर भीड कम करने के लिए अन्य बन्दरगाहो के विकास पर बल देना चाहिए।

19 निर्यात सवर्द्धन (Export Promotion) – भारत निर्यातो मे वृद्धि के लिए प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 1949, 1966 तथा 1991 मे अवमूल्यन किया गया। 1997–98 की आखिरी तिमाही मे भारतीय रूपया, डॉलर के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे भारतीय रुपए को चालू खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों मे कमी की गई।

20 आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) – आयात प्रतिस्थापना की नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति मे आयातित वस्तुओ का भारत में ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत ने खाद्यान्न तथा पूजीगत सामान के मामले मे बडी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

21 नई निर्यात आयात नीति (New Export Import Policy) – भारत ने निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 1992–97 तक दीर्घकालिक निर्यात–आयात नीति की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 1997-2002 की घोषणा की तथा उसमे समय–समय पर सशोधन किये। नई नीति मे आयात लाइसेंसों मे कटौती की गई। निर्यात के क्षेत्र मे सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति को निर्यातोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया है।

सन्दर्भ

1 डा ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, पृ 1
2 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 549
3 डा ओ पी शर्मा, *वही*, पृ 207

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 स्वतत्रता स पूर्व भारत के विदशी व्यापार की स्थिति बताइए।
2 आठवीं पचवर्षीय योजना मे विदेशी व्यापार की प्रगति दर्शाइये।
३ भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा की व्याख्या कीजिए।
4 भारत के आयातो की रचना का वर्णन कीजिए।
५ भारत के विदशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तिया का वर्णन कीजिए।
6 प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत के विदशी व्यापार के आकार सरचना तथा दिशा का वर्णन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर क लिए अध्याय मे दिए गए विदेशी व्यापार का आकार सरचना तथा दिशा को लिखना है।)
2 भारत के प्रमुख आयातो तथा निर्याता का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय म दिए गए प्रमुख आयात तथा दूसरे भाग म प्रमुख निर्याता को लिखना है।)
3 भरात में विदेशी व्यापार की बदलती दिशा को समझाइए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय म दिए गए विदेशी व्यापार की दिशा को लिखना है।)

27

भारत में निर्यात संवर्द्धन

(Export Promotion in India)

स्वतत्रता से पूर्व भारतीय उत्पादो की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक माग थी। गुलामी के दिनो मे अग्रेजो की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे भारत काफी पिछड गया। स्वतत्रता के समय पिछडी हुई अर्थव्यवस्था विरासत मे मिली। ढेरों आर्थिक समस्याए मुहबाए खडी थीं। वर्ष 1951–52 मे विकास को गति देने वास्ते पचवर्षीय योजनाए प्रारम्भ की गई। आर्थिक नियोजन के काल मे विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आयातो पर निर्भरता अधिक रही। वर्तमान मे आर्थिक नियोजन के पाच दशक पूरे हो चुके हैं। भारत मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकीं। नौवीं पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। आर्थिक नियोजन की दीर्घावधि बीत जाने के बावजूद निर्यात के क्षेत्र मे पिछडे रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण से भी निर्यातो मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित उत्पादो से प्रतिस्पर्धा मे नहीं टिक पाते है। निर्यात सवर्द्धन के क्षेत्र मे भारत को बहुत ही कम सफलता मिली इस बात की पुष्टि भारत के विदेशी व्यापार के आकडों से सहज हो जाती है। व्यापार शेष 1972–73 और 1976–77 को छोडकर शेष वर्षो मे प्रतिकूल रहा। भारत की निर्यात वृद्धि दर आयात वृद्धि दर की तुलना मे कम रही।

निर्यात संवर्द्धन का अर्थ (Meaning of Export Promotion)

आज विश्व के प्राय सभी देश निर्यातो मे वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्र विशेष का बढता निर्यात आर्थिक समृद्धि का सूचक भी है। निर्यात सवर्द्धन में उन सभी राजकीय और गैर-राजकीय प्रयासो को सम्मिलित किया जाता है जो निर्यात बढाने के उद्देश्य से सम्पन्न किए जाते है।

निर्यात सवर्द्धन के लिए भारत की कार्यनीति मे परिवर्तन किया गया है। नई

नीति मे क्षेत्र विशेष का राजकीय अनुदान (Subsidy) और प्रशासनिक नियत्रणों को कम किया गया है और इनके स्थान पर राजकोषीय नियत्रण और प्रोत्साहनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त तर्कसगत विनिमय दर की व्यवस्था पर बल दिया जाता है।

निर्यात सवर्द्धन की नई नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है ¹

1 निर्यात से जुडे आयात के सामान के बारे मे नीतिगत कदम उठाना
2 आयात लाइसेंसिग को चरणबद्ध रूप से कम करना।
3 निर्यात के लिए प्रोत्साहन को सुदृढ करना।
4 बाजार आधारित विनिमय दर की व्यवस्था शुरू करना।
5 आयात शुल्क को कम करना और इसकी प्रणाली को पुनर्व्यवस्थित करना।
6 मूलभूत सुविधाओ को मजबूत करना।
7 राज्य सरकारो की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना।
8 नीतियो और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करना।

निर्यात सवर्द्धन की आवश्यकता और महत्त्व
(Need and Importance of Export Promotion)

अर्थव्यवस्था के चहुओर विकास के लिए निर्यात सवर्द्धन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। निर्यात सवर्द्धन से निर्यात वृद्धि करके अर्थव्यवस्था के पिछडेपन को दूर किया जा सकता है। निर्यात वृद्धि से विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि होती है जिससे भुगतान के सकट से निपटा जा सकता है और आवश्यक वस्तुओ को विदेशों से आयात करके आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। भारत मे निर्यात सवर्द्धन की आवश्यकता और महत्त्व के बिन्दु निम्नलिखित हैं

1 आर्थिक सुदृढता (Economic Soundness) – निर्यात सवर्द्धन से निर्यातों में वृद्धि होती है। बढता निर्यात आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। निर्यातों को बढाने के लिए अतिरेक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की किस्म भी श्रेष्ठ होती है। उत्पादन के बढने से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है। निर्यातो से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। विदेशी विनिमय कोष म वृद्धि होती है। जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। निर्यात सवर्द्धन से आकस्मिक आर्थिक सकट से निपटने मे मदद मिलती है।

2 अनुकूल व्यापार शेष (Favourable balance of trade) – निरन्तर प्रतिकूल व्यापार शेष भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। आजादी से लेकर आज तक केवल दो वर्षों को छोडकर (1972–73 तथा 1976–77) शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे व्यापार शेष की प्रतिकूलता और बढी। भारत का व्यापार घाटा 1992–93 मे 9 687 करोड रुपए था जो बढकर 1997–98 में 24 075 करोड रुपए हो गया। बढते व्यापार घाटे को निर्यात सवर्द्धन द्वारा कम किया जा सकता है।

3. **विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि** (Increase in Foreign Currency Reserve) — विदेशी विनिमय कोष विकास के लिए आवश्यक है। विनिमय कोष की पर्याप्तता पर आर्थिक समृद्धि निर्भर है। भारत मे खाडी युद्ध के दौरान निर्यातो के घटने से विदेशी विनिमय कोष रसातल तक पहुच गए थे। तात्कालिक सकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। बाद के वर्षों मे निर्यात सवर्द्धन से निर्यातो मे वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत का विदेशी विनिमय कोष सतोषप्रद स्थिति मे है। भारत का विदेशी विनिमय कोष 24 अक्टूबर 1997 को 30 01 बिलियन डॉलर था।[2] रुपयो में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार जून 1999 मे 1,32,506 करोड रुपए था।[3]

4. **तीव्र आर्थिक विकास** (Rapid Econmic Growth) — निर्यात सवर्द्धन से बडे पैमाने पर उत्पादन होता है। कृषि तथा उद्योगो का विकास होता है। विदेशी विनिमय कोषो से अर्थव्यवस्था के पिछडे क्षेत्रो को गति दी जा सकती है। इन सब प्रयासो से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है। निर्यात सवर्द्धन से राष्ट्र का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है।

5. **औद्योगिक विकास** (Industrial Development) — औद्योगिक विकास बडी सीमा तक निर्यात सवर्द्धन पर निर्भर करता है। निर्यात सवर्द्धन द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय कोषो से उद्योगो के विकास के लिए जरूरी कच्चामाल और तकनीकी का आयात किया जाता है। निर्यातो मे वृद्धि का सीधा प्रभाव औद्योगिक विकास पर पडता है। भारत मे 1995–96 मे 12 प्रतिशत औद्योगिक सवृद्धि दर प्राप्त करने मे 18 5 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर की बडी भूमिका रही।

6 **कृषिगत विकास** (Agricultural Development) — उद्योगो की भाति निर्यात सवर्द्धन से कृषि का भी विकास होता है। निर्यात सवर्द्धन से कृषिगत उत्पादो का निर्यात बढता है। कृषि पर आधारित उद्योग पनपते हैं। भारत मे निर्यात सवर्द्धन से कृषि क्षेत्र मे यत्रीकरण को बढावा मिला।

7. **नियोजित विकास** (Planned Development) — नियोजित विकास मे भारी भरकम पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। सतुलित विकास और योजनाओ की सफलता के लिए बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। निर्यात सवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की का जा सकती है।

8. **रोजगार सृजन** (Employment Creation) — निर्यात सवर्द्धन रोजगार सृजन में सहायक है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन में अनेक लोगों को रोजगार मिला होता है। इसके अलावा निर्यात व्यापार मे अनेक सबधित सस्थाए कार्यरत होती है। बैंक एव बीमा सस्थाओ का विकास होता है। भारत मे निर्यात सवर्द्धन को बढावा देकर बडी सीमा तक बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है।

9. **राष्ट्रीय सुरक्षा** (National Security) — नियोजित विकास में प्रतिरक्षा व्यय मे भारी वृद्धि हुई। कुछ पडौसी देशो से भारत के सबध अच्छे नहीं है। एक पडौसी

देश ने भारत के साथ अघोषित युद्ध छेड रखा है। देश की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए हमे रक्षा उपरिव्यय मे वृद्धि करनी पडी है। प्रक्षेपास्त्रो का भी विकास किया गया है। इन सबके लिए भारी पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है जो निर्यात वृद्धि द्वारा सम्भव है।

10 विदेशी ऋण (Foreign Debt) – भारत विश्व का बडा ऋणी देश है। आज आम भारतीय विदेशी ऋण मे डूबा हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार पर आन्तरिक ऋण का भी बोझ है। निर्यातो मे वृद्धि करके विदेशी ऋण का बोझ कम किया जा सकता है। निर्यात सवर्द्धन से विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि होती है जिसका उपयोग विदेशी ऋणो के भुगतान मे किया जा सकता है।

11 आत्मनिर्भरता (Self sufficiency) – भारत विकासगत जरूरतो को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहा है। अनेक बार विदेशी सहायता के साथ देशहित के विपरीत शर्ते भी जुडी होती हैं। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग भी नही कर पाते है। भारत को वर्ष 1995–96 मे 12 163 2 करोड रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई जिसमे 11 022 2 करोड रुपए का ही उपयोग किया गया।[1] निर्यात सवर्द्धन से विदेशी सहायता को कम करके आत्मनिर्भरता की ओर बढा जा सकता है।

12 निर्यात सरचना में परिवर्तन (Changes in Export Composition) – भारत की निर्यात सरचना मे कुछ ही वस्तुओ की प्रधानता है। निर्यात मे आज भी परम्परागत वस्तुओ का महत्त्व बना हुआ है। आज अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए गैर परम्परागत वस्तुओ का निर्यात आवश्यक है। इन वस्तुओ का उत्पादन बढाने के लिए अधिक पूजी की आवश्यकता है जो निर्यात सवर्द्धन द्वारा सम्भव है।

13 व्यापार की दिशा में परिवर्तन (Changes in Direction of Trade) – व्यापार की दिशा मे कुछ ही देशो यथा अमरीका जर्मनी जापान रूस इग्लैण्ड आदि का अधिक महत्त्व है। ये सभी देश विकसित है। भारतीय उत्पाद विकसित देशो के उत्पादो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं होता है। अत भारत को अन्य देशो को व्यापार बढाने के लिए निर्यात सवर्द्धन आवश्यक है।

14 जीवन स्तर मे सुधार (Improvement in Living Standard) – भारत विकासशील राष्ट्र है किन्तु यहा उच्च और मध्यमवर्गीय परिवारो की कमी नहीं है। देश मे विलासिता की वस्तुओ का उत्पादन कम है। जीवन स्तर मे वृद्धि के लिए उपभोग वस्तुओ के आयात की आवश्यकता है जिसके लिए अधिक विदेशी पूजी की आवश्यकता पडती है जो निर्यात सवर्द्धन द्वारा सम्भव है।

15 विदेशी प्रतिस्पर्धा (Foreign Competition) – अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। बिना निर्यात सवर्द्धन के निर्यात मे वृद्धि कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने के लिए श्रेष्ठ किस्म और निम्न कीमत का होना आवश्यक है।

16 अनिवार्य आयातों का भुगतान (Payment of Necessity Imports) – भारत को पेट्रोल, तेल लुब्रिकेटस, उर्वरक, मशीनरी, खाद्य तेल, बहुमूल्य पत्थर आदि का बडे पैमाने पर आयात करना पडता है। इनके भुगतान के लिए निर्यात सवर्द्धन आवश्यक है।

17 परिवहन विकास (Transport Development) – भारत एक विशाल देश है। यहा आधारभूत सरचना का अभाव है। औद्योगिक विकास को तीव्र गति देने के लिए रेल, सडक विकास, जलयानो का निर्माण, बन्दरगाहो का विकास आदि आवश्यक है। अत निर्यात सवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

निर्यात सवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास
(Government Efforts for Export Promotion)

ऐसी बात नहीं कि भारत ने निर्यात सवर्द्धन के प्रयास नहीं किए हो, किन्तु निर्यात सवर्द्धन के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ऐसे समय मे निर्यात सवर्द्धन पर जोर दिया जब देश मे आर्थिक सकट की स्थिति हो। यदि निर्यात सवर्द्धन के प्रयासो मे निरन्तरता लाई जाती तो भारत आयातो की निर्यातो पर अधिकता को बडी सीमा तक पाट सकता था। स्वतत्रता के उपरात आर्थिक सकट के दोरान निर्यात सवर्द्धन के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्यात सवर्द्धन के लिए जाच समितियो का गठन, विशिष्ट सगठनो की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन योजनाए, रुपए का अवमूल्यन आदि प्रयास किए गए। स्वतत्रता उपरात निर्यात सवर्द्धन के राजकीय प्रयासो का विवरण निम्नलिखित है -

(अ) जाच समितियो की नियुक्ति (Appointment of Enquiry Committees) – विदेशी व्यापार सबधी घटको यथा भुगतान असतुलन, व्यापार घाटा, आयात–निर्यात नीति आदि का अध्ययन करने के लिए अनेक समितियो की स्थापना की गई जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1. गोरवाला समिति, 1949 (Gorwala Committee, 1949) – भारत सरकार ने 1949 मे श्री ए डी गोरवाला की अध्यक्षता में गोरवाला जाच समिति की स्थापना की। गोरेवाला जाच समिति की नियुक्ति देश विभाजन और द्वितीय विश्वयुद्ध जनित आर्थिक समस्याओ के अध्ययन के लिए की।

गोरवाला समिति ने व्यापारिक मडल विदेशो मे भेजने, नये बाजारो की खोज के लिए इग्लैण्ड की 'बेट्री' जैसी सस्था की भारत मे स्थापना, निर्यात सवर्द्धन निदेशालय की स्थापना, आयात प्रतिस्थापन पर बल, निर्यात कर को राष्ट्र के आर्थिक हित के अनुरूप मोडना आदि सुझाव दिए।

2 डीसूजा समिति, 1957 (D'Souza Committee, 1957) – भारत सरकार ने फरवरी 1957 मे भुगतान सतुलन सबधी कठिनाइयो का अध्ययन करने के लिए डा बी एल डीसूजा की अध्यक्षता मे डीसूजा जाच समिति की स्थापना की। नवम्बर 1957 मे समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी।

नीरूना जाच समिति ने निर्यातित वस्तुओ की निरम सुधार अधिक व्यापारिक सगठनो ने जोखिम बीमा निगम की स्थापना निर्यातित वस्तुओ की उत्पादन लागत में कमी निर्यात सगठन की स्थापना निर्यात कर मे कमी परिवहन व्यवस्था मे सुधार भारतीय वस्तुओ का विदेशो म प्रचार–प्रसार करना आदि सुझाव दिए।

3 मुदालियर समिति 1961 (Mudaliar Committee 1961) – भारत सरकार ने तृतीय पचवर्षीय योजना मे निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुझाव देने हेतु 1961 मे श्री ए आर मुदालियर की अध्यक्षता मे मुदालियर समिति की स्थापना की गई।

मुदालियर समिति ने निर्यात व्यापार चतुर्थ पचवर्षीय योजना तक दुगुना करना निर्यात कर मे विशेष छूट उद्योगो की निर्यात सबधी कठिनाइयो को दूर करना निर्यात उद्योगो द्वारा मशीनो और कच्चा माल आदि खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना आदि सुझाव दिए।

4 एलेक्जेण्डर पैनल 1977 (Alexander Panel) – भारत सरकार ने एक नागर 1977 को डा पी सी एलेक्जेण्डर की अध्यक्षता मे विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 31 जनवरी 1978 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ समिति ने वार्षिक आयात नीति के स्थान पर तीन वर्षीय आयात नीति बनाना उद्योगो के सरक्षण के लिए प्रशुल्क प्रणाली को आत्मसात करना निर्यात वृद्धि की सुविधाओ म विस्तार लघु उद्योगो को सरक्षण हेतु आयातो पर प्रतिबध लाइसेसिग प्रणाली का कच्चा माल पूजीगत सामान तथा उपभोक्ता माल तीन शीर्षको में वर्गीकरण निर्यात सवर्द्धन के नये क्षेत्रो की पहचान व विकास आदि सुझाव दिए।

5 टण्डन समिति 1980 (Tandon Committee 1980) – भारत सरकार ने नये के दशक की निर्यात व्यूहरचना तैयार करने के वास्ते श्री पी एल टण्डन की अध्यक्षता मे तेरह सदस्यीय समिति की 1980 मे नियुक्ति की। समिति ने मई 1980 मे अन्तरिम रिपोर्ट तथा 1981 मे अतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

टडन समिति ने निर्यात व्यूह रचना वास्ते निम्नलिखित सुझाव दिए –

1 विश्व व्यापार म भारत की भागदारी 1990–91 तक 0 5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक बढाने के लिए आवश्यक सुविधाओ के विस्तार पर जोर।
2 निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो पर कच्चामाल उपलब्ध कराना।
3 लघु निर्यातक उत्पादकों को विशेष सुविधा प्रदान करना।
4 निर्यात व्यापार में सलग्न सार्वजनिक सस्थाओ की भूमिका में परिवर्तन करना।
5 व्यापारिक बैको द्वारा प्रदत्त निर्यात साख पर पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना।
6 निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करना।

(ब) निर्यात सवर्द्धन सस्थाओ की स्थापना (Establishment of Export Promotion Institutes) – स्वतत्रता उपरात निर्यात सवर्द्धन के लिए अनेक सस्थाओ की स्थापना की गई जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1. निर्यात सवर्द्धन परिषदे् (Export Promotion Councils) – भारत मे इस समय 18 निर्यात सवर्द्धन परिषदें हैं। ये स्वायत्तशासी निगम के रूप मे कार्य करती है। इनमे सरकार के अधिकारी तथा उद्योग एव व्यापार के प्रतिनिधि होते है। परिषदो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने उद्योग की वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि करना होता है। वर्तमान मे ये परिषदे् रासायनिक पदार्थ, इजीनियरिंग वस्तुए, खेल का सामान, सूती वस्त्र, रेशम रेयन, तम्बाकू, चमडा, काजू, मसाले आदि वस्तुओ के निर्यात सवर्द्धन का कार्य करती हैं।

2. निर्यात सवर्द्धन सलाहकार परिषद् (Export Promotion Advisory Council) – यह परिषद् केन्द्र सरकार की आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करती है तथा निर्यात सवर्द्धन के लिए सुझाव देती है। इस परिषद् मे व्यापार प्रतिनिधि होते है।

3. वस्तु मडल (Commodity Boards) – विशिष्ट वस्तुओ के उत्पादन, विकास तथा निर्यात सवर्द्धन के लिए वस्तु मडल स्थापित किए गये है। वर्तमान मे प्रमुख वस्तु मडल निम्न हैं चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, इलायची बोर्ड, हस्तकारी बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, रेशम बोर्ड, रबड बोर्ड आदि। वस्तु मडल सबधित वस्तुओ के उत्पादन से लेकर निर्यात तक सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं।

4. निर्यात सवर्द्धन निदेशालय (Directorate of Export Promotion) – इसकी स्थापना 1957 मे की गई। निदेशालय निर्यातको को आवश्यक सूचना, निर्देशन एव सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में पोर्ट कार्यालय है।

5. भारतीय विदेश व्यापार सस्थान (Indian Institute of Foreign Trade) – इस सस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 1964 में की। सस्थान की स्थापन का मुख्य ध्येय विदेशी व्यापार प्रबन्ध मे प्रशिक्षण, अनुसधान तथा बाजार सर्वेक्षण करना है। सस्थान के प्रमुख कार्यो मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक विधियो सबधी प्रशिक्षण देना, बाजार सर्वेक्षण, अनुसधान से प्राप्त सूचनाओ को सस्थाओ तक पहुचाना, विदेशी व्यापार की समस्याओ का अध्ययन करना, विपणन सर्वेक्षण की व्यवस्था करना आदि मुख्य है।

6 भारतीय निर्यात सगठन फेडरेशन (Federation of Indian Export Organiastion) – यह फेडरेशन निर्यात सवर्द्धन सबधी सस्थाओ यथा निर्यात सवर्द्धन, वस्तुमडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार सगठन व अन्य विशिष्ट सस्थाओ के निर्यात कार्यक्रमो मे समन्वय का कार्य करता है।

7 निर्यात निरीक्षण परिषद् (Export Inspection Councils) – इसकी स्थापना निर्यात अधिनियम 1963 के अन्तर्गत की गई। परिषद् की स्थापना का मुख्य ध्येय निर्यातित माल की किस्म को स्तरीय बनाये रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परिषद् निर्यात से पूर्व वस्तुओ की जाच का कार्य करती है। इसके लिए परिषद् को सरकार से ऋण एव अनुदान के रूप मे सहायता मिलती है।

8 भारतीय पच निर्णय परिषद् (Indian Council of Arbitration) – इसकी स्थापना 1965 मे की गई। पच फैसले के क्षेत्र म यह भारत की शीर्ष सस्था है। यह सस्था देशी एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स उत्पन्न झगडों को निपटाने हेतु सेवाए प्रदान करती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार म सलग्न व्यापारियो मे पच निर्णय को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी इसके अधीन है। इसमे पचो की एक सूची है जिसके नियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल है।

9 व्यापार विकास प्राधिकरण (Trade Development Authority) – इसकी स्थापना 1971 म व्यापार मत्रालय के अधीन की गई। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली म है। इसका मुख्य कार्य लघु एव मध्यम श्रेणी के उद्यमियों की निर्यात क्षमताओ को प्रोन्नत करना है। प्राधिकरण नए-नए बाजारो की खोज निर्यात सेवाओ मे सुधार माल के उत्पादन तथा निर्यात मे सहायता विदेशी क्रेताओं से सपर्क सामूहिक निर्यात म वृद्धि आदि कार्य करता है।

10 भारतीय पैकिग सस्थान (Indian Institute of Packing) – इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1966 म की गई। निर्यातो मे पैंकिग का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। सस्थान का प्रमुख उद्देश्य पैंकिग सामग्री हेतु अनुसधान करना तथा पैंकिग की नई-नई विधियो की जानकारी देना है। सस्थान क अन्य प्रमुख उद्देश्यों मे अच्छे पैकिग की भावना विकसित करना भारतीय पैकिग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना पैकिग उद्योग के लिए कच्चे माल की खोज करना पैकिग उद्योग के लिए सलाहकार सेवाओ की व्यवस्था करना आदि मुख्य है।

11 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण (Marine Products Export Development Authority) – इसकी स्थापना 1972 म कोचीन मे की गई। अधिकरण की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समुद्री उत्पादो का निर्यात सवर्द्धन है।

12 भारतीय मानक सस्थान (Indian Standard Institute) – इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मे है। सस्थान निर्यातित उत्पाद का राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। सस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादो की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बनाये रखना है। सस्थान एक निश्चित मानक स्तर से निम्न स्तर के सामान को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है।

13 टेक्सटाइल समिति (Textile Committee) – यह समिति मुम्बई मे कार्यरत है। समिति जहाज पर लदान से पूर्व टेक्सटाइल की उत्तमता अच्छाइयों तथा किस्म की जाच का कार्य करती है।

14. भारतीय विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre) – यह केन्द्र भारतीय उद्योगपतियो को विदेशो मे उद्योग अथवा सयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु सहायता एव सलाह देना है। यही कार्य विनियोग केन्द्र विदेशियो के लिए भी सम्पन्न करता है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली मे है।

15. भाडा जांच ब्यूरो (Fare Inspection Bureau) – ब्यूरो सामान्य जहाजरानी सुविधाए प्रदान करता है तथा जहाज मे स्थान व भाडे से सबधित समस्याओ को हल करता है। मुम्बई के जहाजरानी निदेशालय में भाडा जाच ब्यूरो स्थापित है तथा कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और गाधीधाम मे इसकी शाखाए हैं।

16. राज्य व्यापार निगम (StateTrading Corporation) – भारत के विदेशी व्यापार मे राज्य व्यापार निगम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना 1956 मे भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूजी एक करोड रुपए थी। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओ का आयात करना तथा निर्यात सवर्द्धन करना है। देश के निर्यात का 1/4 भाग तथा आयात का 3/5 भाग राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। राजकीय व्यापार के कारण निजी मुनाफाखोरी पर अकुश लगा है तथा व्यापार मे सामाजिक लक्ष्यो की पूर्ति को बल मिला है। निगम के कार्यो मे निर्यातो का विविधिकरण, निर्यातो को प्रोत्साहन, विद्यमान बाजारो का विस्तार तथा आयातित वस्तुओ का वितरण करना है।

राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत सहयोगी (Subsidiary) कम्पनिया यथा भारतीय काजू निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, परियोजना एव उपकर निगम, दस्तकारी एव हाथकरघा निगम, रसायन एव फार्मास्युटिकल निगम निर्यात बढाने मे सलग्न हैं।

17. खनिज तथा धातु व्यापार निगम (Minerals and Metal Trading Corporation) – इस निगम की स्थापना 1963 मे की गई। यह खनिज और धातु के विदेशी व्यापार मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम उर्वरक, एल्युमिनियम ओर इस्पात का आयात करता है तथा लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, कोयला और क्रोम अयस्क का निर्यात करता है।

18. भारतीय चाय व्यापार निगम (Tea Trading Corporation of India) – यह राज्य व्यापार निगम की सहायक सस्था है। निगम की स्थापना का उद्देश्य भारतीय चाय के लिए स्थाई बाजार ढूढना है।

19. अभ्रक व्यापार निगम (Mica Trading Corporation) – इसकी स्थापना 1972 मे की गई। यह निगम भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहायक सस्था के रूप मे कार्य करता है। यह अभ्रक निर्यात के कार्य मे सलग्न है। निगम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो से अधिकाश अभ्रक खरीदता है।

20 भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Export Corporation) – यह राज्य व्यापार निगम की सहायक कपनी के रूप म कार्य करता है। यह भारतीय फिल्मों का निर्यात तथा विदेशा मे उसके प्रचार का कार्य करता है।

21 चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (Chamber of Commerce and Industry) – ये उत्पत्ति का प्रमाण–पत्र (Certificate of Origin) जारी करते हैं। यह राजकीय नीति के सबध में विचार हेतु मच का कार्य करता है तथा निर्यातकर्त्ताओं के विशेष मामलो को सरकार के सामने रखते है।

22 भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (Trade Fair Authority of India) – प्राधिकरण का गठन मार्च 1977 म भारत सरकार द्वारा किया गया। यह देश–विदेश में व्यापार मेला का आयोजन करता है। प्राधिकरण की गतिविधिया भारत सरकार की नीतियो के अनुरूप है। इसका प्रधान कार्यालय प्रगति भवन प्रगति मैदान नई दिल्ली म हैं। प्रगति मैदान प्राधिकरण का स्थाई प्रदर्शनी स्थल बन चुका है। यह विस्तृत क्षेत्र मे फैला हुआ है तथा सभी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रमुख कार्यो मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों मे भाग लेना विदेशो मे भारतीय प्रदर्शनों का आयोजन भारत मे मेलों का आयोजन भारतीय पार्टिया को मलो मे सीधे भाग लेने के लिए सहायता जनसचार और अन्तर्राष्ट्रीय मेलो के माध्यम से व्यापारिक प्रचार का आयोजन आदि मुख्य हैं।

23 भारतीय निर्यात साख एव गारन्टी नियम (Export Credit and Guarantee Corporation of India) – 1959 म स्थापित निर्यात जोखिम निगम का 1964 म नाम बदलकर निर्यात साख एव गारन्टी निगम किया गया। निगम का प्रधान कार्यालय मुम्बई मे हैं। निगम भारतीय निर्यातको को ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा माल की सामुद्रिक जोखिमों एव मूल्या मे उच्चावचन की जाखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। निगम निर्यातकों को माल लदान से पूर्व तथा उसके पश्चात् वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

24 निर्यात आयात बैंक (Exim—Export Import Bank) – भारतीय निर्यात–आयात बैंक नियात और आयात को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सस्थाओं क कामकाज म तालमेल बिठाने वाली प्रमुख वित्तीय सस्था हैं। इस बैंक की स्थापना एक जनवरी 1982 को भारत के विदेश व्यापार को वित्त प्रदान करने और सुविधाए एव प्रोत्साहन दने के लिए हुई थी। 31 मार्च 1994 तक बैंक की चुकता पूजी 336 कराड रुपए और अधिकृत पूजी 500 करोड रुपए थी।'

25 कपास निगम (Cotton Corportion) – निगम की स्थापना कपास के व्यापार का सरकारी क्षेत्र म लेने के लिए की गई। निगम का प्रमुख कार्य अच्छी किस्म की कपास का आयात तथा उसका वितरण करना है।

26 चाय व्यापार निगम (Tea Trading Corporation) – निगम की स्थापना

1971 मे की गई। निगम का प्रमुख कार्य चाय का आन्तरिक व विदेशी व्यापार देखना, गोदामो तथा बागानो का प्रबन्ध करना, चाय के निर्यात वृद्धि के प्रयास, चाय की आन्तरिक माग को पूरा करना आदि।

27. निर्यात सदन (Export House) – निर्यात सदन निर्यातको के न्यूनतम मापदड पूरा करने पर प्रमाण-पत्र जारी करता है। निर्यात सदनो मे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, निर्यात सवर्द्धन हेतु विपणन विकास मे से अनुदान, विदेशो मे कार्यालय खोलने के लिए अनुदान आदि सुविधाए होती हैं।

28. व्यापार प्रतिनिधि (Trade Agents) – भारत सरकार निर्यातको की सहायता के लिए विश्व के महत्त्वपूर्ण नगरो मे व्यापार प्रतिनिधियो की नियुक्ति करती है।

29. वायु स्थायी समिति (Air Fixed Committee) – समिति का मुख्य उद्देश्य वायु यातायात द्वारा निर्यात के मार्ग मे आने वाली अडचनो को दूर करना है। सबधित आवश्यक खानापूर्ति के लिए प्रमुख हवाई अडडो यथा मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बगलौर, अहमदाबाद आदि पर "सयुक्त वायुयान माल काम्पलेक्स" स्थापित किए हुए है।

30. रेल स्थायी समिति (Railway Fixed Committee) – समिति रेल द्वारा निर्यात के मार्ग मे आने वाली बाधाओ को दूर करने का कार्य करती है।

31. जहाजरानी स्थायी समिति (Shipping Fixed Committee) – जहाजरानी के माध्यम से निर्यात के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

32. वाणिज्य मत्रालय (Commerce Ministry) – भारत के विदेशी व्यापार के विकास और नियत्रण का कार्य केन्द्र सरकार के वाणिज्य मत्रालय का है। वाणिज्य मत्रालय के प्रमुख कार्यो मे विदेशी व्यापार सबध, राज्य व्यापार, निर्यात सवर्द्धन उपाय, निर्यात उद्योगो के विकास आदि मुख्य हैं।

(स) निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (Export Promtion Schemes) –

विभिन्न जाच समितियो एव विशिष्ट सगठनो की स्थापना के अलावा सरकार ने निर्यातो को बढावा देने के लिए समय-समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ की घोषणा की है। निर्यात प्रोत्साहन की प्रमुख योजनाए निम्नलिखित हैं

1. निर्यात बढाने के लिए मध्यकालिक रणनीति[6] (Mid Term Policy to Increase Export) – सरकार ने सन् 2002 तक वार्षिक निर्यात 90 अरब डॉलर तक बढाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 जनवरी 1998 को मध्यकालिक निर्यात ऋण नीति की घोषणा की। इसके तहत आधारभूत ढाचे की कमिया दूर करना, ऋण लागत घटाना, क्षेत्रीय व विशिष्ट बाजार विकसित करने के लिए कदम उठाना शामिल है। रणनीति मे बदरगाहों पर लदान में लगने वाली देरी कम करने, विमान से ढुलाई की क्षमता की कमी को दूर करने और सडक मार्ग से ढुलाई मे लगने वाले समय को कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा।

विश्व निर्यात मे भारत की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत तक बढाने की रणनीति के तहत विश्व व्यापार के रुख के अनुकूल निर्यात के लिए उत्पादन आधार बढाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

2 निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में रियायत (Concession in Interest Rate on Export Loan) – रिजर्व बैंक ने 31 दिसम्बर 1997 को निर्यातको को निर्यात ऋण पर ब्याज दरो की शर्तो मे रियायत की घोषणा की। एक जनवरी 1998 से लदान बाद रुपया निर्यात ऋण पर 90 दिन से छह महीने की अवधि तक ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक होगी। रिजर्व बैंक ने 26 नवम्बर 1997 को अस्थाई उपाय के तौर पर माल के लदान बाद रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर को 13 से बढाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। यह ब्याज दर 90 दिन से छह महीने की अवधि के लिए बढाई गई थी। 91वे दिन से उच्च ब्याज दर लागू कर दी गई थी। उसके बाद भी विदेशी मुद्रा बाजार में जब स्थिति नहीं सभली तो 29 नवम्बर 1997 को रिजर्व बैंक ने निर्यातको के कर्ज लेने की तिथि से ही उच्च ब्याज दर लगाने की घोषणा कर दी और इस व्यवस्था को 15 दिसम्बर 1997 से लागू करने को कहा। बैंक ने 17 दिसम्बर को ही वाणिज्यिक बैंको को निर्धारित समय से ज्यादा समय तक लम्बित निर्यात बिलो पर 20 प्रतिशत की ऊची दर से ब्याज लेने की हिदायत दे दी थी। केवल उन मामलो मे कुछ रियायत का प्रावधान रखा था जहा ऋण लेन की तिथि से एक महीने से भी कम समय हुआ था।

रिजर्व बैंक ने निर्यातको की समस्याओ को समझते निर्धारित अवधि के बाद की अवधि पर 20 प्रतिशत की बढी हुई दर से ब्याज लगाने की शर्त मे भी कुछ रियायतें देते हुए इसे अब केवल निर्धारित समय से आगे की अवधि पर ही लगाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा निर्यातको के नियत्रण से बाहर अन्य कारणवश देरी होने पर 20 प्रतिशत ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसमे छह महीने पुराने बिलो को भी रियायत दी जाएगी।[7]

3 सेफगार्ड (Safeguard) – सेफगार्ड प्रणाली जुलाई 1997 मे केन्द्र सरकार की एक अधिसूचना के जरिए लागू की गइ थी। इसका उद्देश्य आयात मे अचानक आइ बढोतरी से घरेलू उद्योगों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए आपात उपाय करना है। यह वैश्वीकरण के दौर मे सरक्षण की विश्व व्यापार सगठन द्वारा अनुमोदित प्रणाली है और निकट भविष्य मे पूरी तरह मौजूदा तटकर और लाइसेंस प्रणाली का स्थान ले लेगी। डम्पिग के विपरीत जिसमें कि वादी, का निर्यातक देश मे उत्पादन लागत से कम पर निर्यात को साबित करना पडता है सेफगार्ड कानूनों में केवल आयात मे अचानक वृद्धि और क्षति को सिद्ध करना पडता है। सेफगार्ड से आयात के खिलाफ स्वदेशी का नारा बुलन्द किया जा सकता है। अब स्थानीय उद्योगो को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

4 'आन लाइन ट्रेडिंग जोन' (ओटीजेड) (On Line Trading Zone) – राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इन्टरनेट के जरिये

समूची दुनिया के नियातको और खरीददारो को एक मच पर लाकर उन्हे पूरी सूचनाए उपलब्ध करवाने का एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रयोग को 'ऑन लाइन ट्रेडिग जोन' (ओटीजेड) नाम दिया गया है। इसे आम बोलचाल की भाषा मे इडोबाजार कहा जाता है। इससे इन्टरनेट के जरिये भारत के निर्यातक और विश्व भर के क्रेता एक मच पर एकत्र होकर लेन–देन कर सकेगे। ओटीजेड की सदस्यता शुल्क मात्र 25 हजार रुपए वार्षिक होगा। ओटीजेड मे भारत की निर्यात सूची मे शामिल सभी वस्तुओ की सूची होगी। ओटीजेड दो भागो मे बटा होगा। सदस्य क्षेत्र और जन क्षेत्र। सदस्य क्षेत्र मे इस योजना मे शामिल सदस्य अन्य सदस्यो की हर सूचना प्राप्त कर सकेगे। जनक्षेत्र मे आम आदमी भी भारतीय उत्पादो के बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

5. राजकोष और विनिमय दर की नीतिया (Fiscal Policy and Rate of Exchange) – वर्ष 1992–93 के बजट मे रुपए को आशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनिमय दर पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर पर बदले जाने की व्यवस्था थी। वर्ष 1993–94 के आरम्भ मे दोहरी विनिमय दर की व्यवस्था को बाजार द्वारा निर्धारित एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली मे परिवर्तन की शुरुआत की गई। अब निर्यातक अपनी कमाई का शत–प्रतिशत भाग बाजार दरो पर अभ्यर्पित कर सकते है। इस प्रकार विगत वर्षों मे रुपए को क्रमिक रूप से व्यापार खाते मे पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जा चुका है। वर्ष 1994–95 के बजट मे रुपए को चालू खाते मे परिवर्तनीय कर दिया गया है। पूजी खाते मे रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए बहुत ठोस वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना जरूरी है।[8]

1993–94 के केन्द्रीय बजट में शुल्क स्तर 110 प्रतिशत से घटाकर 85 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1994–95 मे आयात शुल्को की उच्च दरो को 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत किया गया जिसे 1995–96 के बजट मे आयात शुल्क की अधिकतम सीमा घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई।

निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्पर्धात्मक ब्याज दरो पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा मे लदान पूर्व ऋण सुविधा भी निर्यातको को प्रदान की गई है तथा विदेशो में उनके निर्यात बिलो पर छूट की भी योजना शुरु की गई है। निर्यात की एक नई व्यापारिक सस्कृति विकसित करने के प्रयास किए जा रहे है जिसमे व्यापार और उद्योग के अलावा आधारभूत ढाचे के विकास से सबधित एजेसियो और राज्य सरकारो की भी सार्थक हिस्सेदारी तय की जायेगी। राज्य सरकारो को उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओ के लिए अनुदान के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्यात सवर्द्धन की प्रक्रिया मे निर्यात को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है और व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से निरन्तर परामर्श से निर्यात बढाने के हर सभव कदम उठाए जा रहे हैं।[9]

6 निर्यात ससाधन (प्रोसेसिंग) क्षेत्र (Export Processing Zones) – भारत मे 7 निर्यात ससाधन क्षत्र हैं य काडला (गुजरात), शाताक्रूज (महाराष्ट्र), कोच्ची (केरल) चन्नई (तमिलनाडु), नायडा (उत्तर प्रदेश) फाल्टा (पश्चिम बगाल) और विशाखापट्टनम (आधप्रदश) म स्थित है। प्रत्येक निर्यात ससाधन क्षेत्र मे फैक्ट्री निर्माण के लिए विकसित प्लाट, फैक्टरी शेड, बिजली, पानी, सडक, जल निकासी, बैंक, डाकघर जैसी मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा कई राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिए गए है। इन क्षेत्रो में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कस्टम क्लियरेस सुविधा भी प्रदान की गई है।

7 निर्यातोन्मुखी इकाइया (Export Oriented Units) – निर्यातोन्मुख इकाई याजना निर्यात ससाधन क्षेत्र योजना के सहायक के रूप मे 1981 म शुरू की गई थी। निर्यातोन्मुख इकाइयो मे मुख्यत इजीनियरी, रसायन, प्लास्टिक, ग्रनाइट और खाद्य प्रसस्करण के क्षेत्र कार्यरत है। निर्यातोन्मुख इकाइयो द्वारा 1993–94 मे 2,400 करोड रुपए के सामान का निर्यात किया गया। निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात ससाधन क्षेत्र मे सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं –

(i) मूल्यवर्द्धन का शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के आधार पर सशोधन करना।
(ii) उत्पादो को स्थानीय बाजार म बेचने की सुविधाओ को उदार बनाना।
(iii) सोने और चादी के आभूषणो के लिए नियमो का निर्धारण करना।
(iv) आयात–निर्यात नीति की प्रक्रियाआ को सरल बनाना।

8 वाणिज्यिक सबध (Commercial Relations) – वर्तमान मे भारत के विदेशा मे 66 वाणिज्यिक कार्यालय है। वाणिज्यिक कार्यालय अन्य देशों क साथ भारत के व्यापार ओर आर्थिक सबधा को बढावा दन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। भारतीय राजदूता को वाणिज्यिक और आर्थिक मामलो पर परामर्श देने के साथ–साथ वाणिज्यिक प्रतिनिधि वाणिज्यिक और आर्थिक नीति निर्धारण म सरकार की सहायता करत है। ये बाजार के रुझानो, व्यापार सवर्द्धन की सभावनाआ और सबद्ध देश की सामान्य आर्थिक स्थिति से सबधित जानकारिया सरकार को उपलब्ध कराते है।

9 भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Indian Currency) – भारत सरकार ने निर्याता म वृद्धि के लिए समय–समय पर रुपए का अवमूल्यन किया। सितम्बर 1949 म भारत ने डॉलर क्षेत्रा म निर्यात बढाने के लिऐ रुपए का डॉलर म 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया। 6 जून, 1966 को निर्यात बढाने के लिए रुपए का 36 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था।

भारत न जुलाई 1991 क प्रथम सप्ताह म रुपए की विनिमय दर मे कमी करके, रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राआ क मुकाबल यथा पौण्ड स्टर्लिंग 21 04 प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23 07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 20 78 प्रतिशत, जापानी येन 22 33 प्रतिशत तथा फ्रासिसी फ्राक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गभीर कदम आर्थिक सकट से उबरने, विदेशी मुद्रा जुटान तथा निर्यात बढाने के लिए

उठाया।[10]

10. करों में छूट (Relief in Taxes) – सरकार ने निर्यात सवर्द्धन के लिए करो मे छूट दी है। जूट के निर्यात करो मे कमी की गई। निर्यात सवर्द्धन हेतु विदेशो मे विज्ञापन पर व्यय, सर्वेक्षण, विदेशो मे शाखा, कार्यालय या एजेन्सी का व्यय, विदेशी यात्रा, विदेशो मे भेजे गए नमूनो पर व्यय, आयकर मे पूर्णत या आशिक छूट के लिए मान्य है। उत्पादन कर मे छूट की व्यवस्था है। स्वतत्र व्यापार क्षेत्रो मे माल के आयात–निर्यात करो मे छूट है।

11. रेल भाडे मे कमी व प्राथमिकता (Priority and Concession in Railway Freight) – भारतीय रेल द्वारा निर्यात योग्य वस्तुओ को बन्दरगाहो तक पहुचाने मे प्राथमिकता दी जाती है तथा निर्यात वस्तुओ पर भाडे मे छूट दी जाती है।

12 वित्तीय अनुदान और सहायता (Financial Grants and Assistance) – भारत सरकार निर्यातो मे वृद्धि के लिए कुछ निर्यातित वस्तुओ पर सब्सिडी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

13. पारितोषिक योजना (Awards) – निर्यातो को प्रोत्साहित करने के लिए 1968–69 मे पारितोषिक योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना मे निर्यात व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्यातको को योग्यता प्रमाण-पत्र एव पारितोषिक वितरित किए जाते है।

14 व्यापारिक केन्द्र और शोरूम (Trade Centres and Show Rooms) – भारतीय उत्पादो के निर्यात मे वृद्धि के लिए विदेशों मे व्यापारिक केन्द्र और शोरूम स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र भारतीय उत्पादो का विदेशों मे प्रचार, प्रसार का कार्य करते है। इससे भारतीय उत्पादो की विदेशों मे माग बढी है।

15 निर्यात अधिनियम 1963 (Export Regulation, 1963) – यह अधिनियम 1963 मे पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जहाज पर माल लादने से पूर्व जाच व निर्यातित माल पर अनिवार्य किस्म नियत्रण की व्यवस्था की जाती है।

16. पूंजीगत माल के आयात की सुविधा (Import Facility for Capital Goods) – निर्यात गृहो तथा निर्यात उद्योगो को पूजीगत माल और कच्चे माल के आयात मे कई सुविधाए प्रदान की गई हैं। निर्यातक उद्योगो को देशी नियत्रित कच्चे माल की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पूजीगत वस्तुओ के आयात मे सीमा शुल्क में रियायत की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से निर्यात करने वाले निर्यातक 10 करोड रुपए मूल्य तक की पूजीगत वस्तुए आयात कर सकेगे। बशर्ते कि इस आयातित पूजीगत माल के तिगुने के बराबर निर्यात करने का उत्तरदायित्व निभाए तथा पिछले वर्षो की औसत निर्यात कार्यकुशलता बनाए रखे।

17 विदेशी विनिमय सुविधाए (Foreign Exchange Facilities) – बडे निर्यातको को निर्यात सवर्द्धन खर्च के लिए उदारता से विदेशी विनिमय मुहैया करायी जाती है।

18 व्यापारिक समझौते (Trade Agreements) – भारत सरकार ने विदेशी व्यापार मे वृद्धि के लिए विश्व के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय एव बहुपक्षीय व्यापार समझौते किए है। व्यापारिक समझौतो के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार मे बढोतरी हुई है। भारत विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बन चुका है। अक्टाड (UNCTAD) मे भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत गुट निरपेक्ष मे सक्रिय रहा है। भारत की ग्रुप–77 तथा ग्रुप–15 मे प्रभावी भूमिका है।

19 मेला एव प्रदर्शनी सगठनो की स्थापना (To Establish Fairs and Exhibition Organisations) – भारतीय उत्पादो के विदेशो मे प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन हेतु मेलो एव प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए प्रदर्शनी निदेशालय की स्थापना की गई है। देश विदेश मे व्यापार मेलो का आयोजन करने के लिए 1977 मे व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना की गई।

20 स्टार व्यापार गृह (Star Trading Houses) – निर्यात से जुडे व्यापारिक सस्थानो तथा निर्यात ससाधन क्षेत्रों मे स्थित इकाइयो को समय–समय पर निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप उनके कारोबार के आधार पर घरानो को निर्यात घराने व्यापार घराने अग्रणी व्यापार घराने और शीर्ष व्यापार घराने मे श्रेणीयन किया जाता है। इन घरानो को उनकी श्रेणी के अनुसार विशेष आयात लाइसेस दिए जाते है। पिछले लाइसस वर्ष मे किए गए निर्यात का औसत मूल्य 1 000 करोड रुपए अथवा पिछले एक वर्ष मे अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा 600 करोड रुपए वाले घराने को शीर्ष व्यापार घराने की श्रेणी मे रखा जाता है।

निर्यात सवर्द्धन की उपलब्धिया
(Achievements of Export Promotion)

स्वातन्त्र्योत्तर भारत ने निर्यात सवर्द्धन के प्रयास किए। निर्यात बढाने वास्ते जाच समितिया की नियुक्ति की गई। इसके अलावा निर्यात सवर्द्धन सस्थाओ की भी स्थापना की गई। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओ की घोषणा की गई। स्वतत्रता के पश्चात कई बार निर्यातोन्मुखी निर्यात–आयात नीति (EXIM Policy) की घोषणा की गई। निर्यात बढाने वास्ते नौवीं पचवर्षीय योजना की समयावधि के अनुरूप दीर्घकालीन निर्यात–आयात नीति (1997 2002) की घोषणा की गई। निर्यात सवर्द्धन के प्रयासो की परिणति विदेशी व्यापार मे सुधार की प्रवृत्ति के रूप मे दृष्टिगोचर हुई। निर्यात सवर्द्धन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को सबल मिला।

1 विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि (Increase in Foreign Exchange Reserve) – आज विश्व मे व्यापार के क्षेत्र मे कडी प्रतिस्पर्धा है। विकासशील देशों के सामने बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की चुनौती है। भारत निर्यात सवर्द्धन से निर्यातो का

बढाने मे सफल हो सका है। निर्यात वृद्धि से भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार बढा। भारत मे विदेशी मुद्रा भण्डार वर्तमान मे सतोषप्रद स्थिति मे है। विदेशी मुद्रा भण्डार की पर्याप्तता के कारण भारत को 1999 मे कारगिल सकट से निपटने मे मदद मिली। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार सोना व एस डी आर को छोडकर मार्च 1991 मे 4,388 करोड रुपए था जो बढकर मार्च 1999 मे 1,25,412 करोड तथा जून, 1999 मे और बढकर 1,32,506 करोड रुपए हो गया। डॉलर मे भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 1990–91 मे 5,834 मिलियन डॉलर था जो बढकर दिसम्बर 1998 मे 30,056 मिलियन डॉलर हो गया। रुपए के विदेशी मुद्रा भडार मे 1996–97 मे 37 5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निर्यातो के बढने से भारत को विदेशी विनिमय सकट से मुक्ति मिली।

2. विश्व निर्यात मे भारत की भूमिका (Role of India in World Export) – भारत विकासशील देश है और जनसख्या एक अरब को पार कर चुकी है। उत्पादन का वडा भाग आन्तरिक बाजार से खप जाता है इसलिए वैश्विक व्यापार मे भारत की भागीदारी बहुत कम रही है, किन्तु हाल के वर्षो मे निर्यात सवर्द्धन के कारण निर्यातो मे वृद्धि हुई है। जिससे विश्व के निर्यात मे भारत का हिस्सा बढा है। विश्व के निर्यातो मे भारत का हिस्सा 1970 मे 0 6 प्रतिशत, 1980 मे 0 4 प्रतिशत, 1990 मे 0 5 प्रतिशत, 1995 मे 0 6 प्रतिशत तथा 1996 मे 0 7 प्रतिशत था। वर्ष 1996 मे विश्व का कुल निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था जिसमे भारत का भाग 33,470 मिलियन डॉलर (कुल का 0 7 प्रतिशत) था।

3 निर्यातो में वृद्धि (Increase in Exports) – निर्यात सवर्द्धन से निर्यातो में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 1950–51 मे 606 करोड रुपए था जो निर्यात सवर्द्धन के प्रयासो से बढकर 1990–91 मे 32,553 करोड रुपए हो गया। निर्यात 1997–98 मे और बढकर 130101 करोड रुपए हो गया। नब्बे के दशक के 1991–92 मे निर्यात वृद्धि दर 35 3 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। डॉलर मे भारत का निर्यात 1997–98 मे 35,006 मिलियन डॉलर था।

4. व्यापार घाटे मे कमी (Decrease in Trade Deficit) – तीव्रता से बढती जनसख्या की आवश्यकताओ की पूर्ति और विकास को गति देने वास्ते आयात आवश्यक है। भारत के आयात निर्यातो की तुलना मे तेजी से बढे। निर्यात सवर्द्धन से निर्यातों मे वृद्धि हुई है। जिससे व्यापार घाटा विकराल रूप धारण नहीं कर सका। स्वतत्रता के बाद व्यापार शेष 1972–73 मे 104 करोड रुपए तथा 1976–77 मे 68 करोड रुपए से अनुकूल था। ये दो वित्त वर्ष निर्यात व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन थे। नब्बे के दशक मे व्यापार घाटा बेकाबू हो गया। निर्यात सवर्द्धन की बदौलत व्यापार घाटा 1991–92 मे 3,810 करोड रुपए और 1993–94 मे 3,350 करोड रुपए तक सीमित रहा। व्यापार घाटा 1997–98 में 24,075 करोड रुपए को छू गया।

5 निर्यात संरचना में बदलाव – (Change in Export Composition) निर्यात संवर्द्धन के कारण निर्यात व्यापार की संरचना बदली है। वर्तमान में भारत से विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। पिछले वर्षों मे परम्परागत वस्तुओं की तुलना मे गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढा है। कुल निर्यातों मे कृषि एव सम्बद्ध उत्पादों की भूमिका घटी और विनिर्मित वस्तुओ की भूमिका बढी है। वर्ष 1997–98 मे कुल निर्यातो मे कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र का भाग 18.8 प्रतिशत था जबकि विनिर्मित वस्तुओं का योगदान 76.6 प्रतिशत था।

6 सेवाओ या बढ़ता निर्यात (Increase Export of Services) – निर्यात संवर्द्धन से देश की विदेशी मुद्रा आय मे सेवाओ जैसे अदृश्य निर्यात से प्राप्त आय का हिस्सा बढा है। कुल निर्यात आय मे निर्मित उत्पादों के निर्यात से प्राप्त आय की तुलना मे कम्प्यूटर साफ्टवेयर सेवा पर्यटन और ऐसे ही दूसरे अदृश्य निर्यात से प्राप्त आय की मात्रा बढी है। सेवाओं के निर्यात का भविष्य में उत्पादो के निर्यात से आगे बढ़ जाने की सभावना है। देश के निर्यात मे बुनियादी बदलाव आया है। वर्ष 1990–91 म देश के कुल निर्यात में अदृश्य निर्यात आय का हिस्सा 28.8 प्रतिशत था जो 1997–98 में बढकर 39.9 प्रतिशत तक पहुच गया।[1]

7 आर्थिक सहयोग विकास सगठन (ओ ई सी डी) देशों को निर्यात (Export to Organisation of Economic Cooperation Development Countries) – भारत द्वारा निर्यात सवर्द्धन के प्रयासों से आर्थिक सहयोग विकास सगठन देशों को निर्यात बढा है। इस सगठन मे बेल्जियम फ्रास जर्मनी इग्लैण्ड अमरीका जापान आदि देशो को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास सगठन देशो की तरफ भारत का निर्यात 1980–81 मे 46.6 प्रतिशत तथा 1990–91 में 53.5 प्रतिशत था जो बढकर 1997–98 मे 55.7 प्रतिशत तथा 1998–99 में 57.9 प्रतिशत हो गया।

8 विकासशील देशों से व्यापारिक सबधों की सुदृढ़ता (Strong Trade Relations with Developed Countries) – निर्यात सवर्द्धन के कारण भारत के विकासशील देशो के साथ व्यापारिक सबधो मे मजबूती आई है। विगत वर्षों में अफ्रीका एशिया लेटिन अमरीका और कैरेबियन देशो को निर्यात बढा है। आपेक को छोड़कर विकासशील देशो की तरफ भारत का निर्यात 1990–91 में 16.8 प्रतिशत था जो 1997–98 मे बढकर 28.2 प्रतिशत हो गया।

9 पैट्रोलियम निर्यातक देशों के सगठन (ओपेक) को निर्यात (Export to Organisation of Petroleum Exporting Countries) – निर्यात सवर्द्धन की सुखद परिणति ओपेक देशो को निर्यात वृद्धि के रूप मे भी दृष्टिगोचर हुई। भारत का निर्यात पिछले वर्षों मे ओपेक यथा ईरान ईराक कुवैत सऊदी अरब देशों को बढा है। ओपेक को भारत का निर्यात 1990–91 मे 5.6 प्रतिशत था जो 1997–98 में बढकर 10 प्रतिशत हो गया।

9 औद्योगीकरण मे सहायक (Helpful in Industrialization) – निर्यात सवर्द्धन के कारण भारतीय उद्योगो के उत्पाद का विदेशों को निर्यात बढा जिससे देश मे औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण सृजित करने मे मदद मिली। निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा से आधुनिकतम तकनीक और औद्योगिक कच्चा माल का सुगमता से आयात किया जा सका जिससे औद्योगिक विकास को बल मिला।

10 रोजगार सृजन (Creation of Employment) – निर्यात सवर्द्धन से औद्योगीकरण को गति मिलने से देशवासियो को रोजगार के अवसर मुहैया हुये है। निर्याती मे प्राथमिक उत्पादो की अच्छी भूमिका है। भारत से चाय, काफी, तम्बाकू काजू का बडे पैमाने पर निर्यात होता हैं। इनके उत्पादन और निर्यात मे सैकडो लोगो को रोजगार मिला हुआ है। निर्यात सवर्द्धन कार्य मे भी रोजगार के अवसर उपलब्ध है।

निर्यात सवर्द्धन के सुझाव
(Suggestions for Export Promotion)

भारत मे निर्यात सर्वद्धन के कारण निर्यातो मे अवश्य वृद्धि हुई। रुपए मे निर्यात वृद्धि दर 1991–92 मे 35 3 प्रतिशत तक जा पहुची थी। भारत विश्व का बडा देश है और यहा की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अर्थव्यवस्था की सुदृढता वास्ते निर्यातो मे वृद्धि की महत्ती आवश्यकता है। हाल ही के वर्षो मे (1997 98) भारत की निर्यात वृद्धि दर बहुत घटी। निर्यात वृद्धि मे उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। डॉलर मे भारत की निर्यात वृद्धि दर 1997–98 मे 1 5 प्रतिशत तथा अप्रैल–दिसम्बर 1998–99 मे नकरात्मक 2 9 प्रतिशत चिन्ताप्रद थी। निर्यातो के तीव्र गति से नहीं बढने की स्थिति मे भारत की अर्थव्यवस्था को सकट का सामना करना पड सकता है। निर्यात सवर्द्धन मे निम्नाकित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं –

1 दक्षिण पूर्व एशियाई देशो मे निर्यात वृद्धि के प्रयास (Efforts for Export Increase in South East Asian Countries) – नब्बे के दशक के आखिरी वर्षो मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशो की अर्थव्यवस्था सकट की चपेट मे थी। इण्डोनेशिया थाइलैण्ड, मलेशिया आदि देशो की मुद्राओ का भारी अवमूल्यन हुआ तथा मुद्रास्फीति सुरसा के मुह की भाति बढी। वर्ष 1999 मे दक्षिण पूर्व एशियाई देशो की अर्थव्यवस्था मे सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशो की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर निर्यात वृद्धि का प्रयास करना चाहिए।

2 प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन (Competitive Devaluation) – मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात वृद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है। भारत ने निर्यात बढाने वास्ते विगत मे अवमूल्यन का सहारा लिया। सितम्बर 1949 मे रुपए का डॉलर में 30 5 प्रतिशत तथा जून 1966 मे 36 5 प्रतिशत अवमूल्यन किया इसके अलावा जुलाई 1991 मे भी विश्व की प्रमुख मुद्राओ के साथ 20 से 22 प्रतिशत अवमूल्यन किया। वर्तमान

मे अनेक देश निर्यात बढाने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेते हैं। हाल के वर्षो मे (1997 98) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की मुद्राओ का भारी अवमूल्यन हुआ। जापानी येन का भी अवमूल्यन हुआ। अन्य देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन का भारत के निर्यातो पर बुरा प्रभाव पडा है। अत भारत को भी निर्यात बढाने वास्ते रुपए के अवलमूल्यन का सहारा लेना चाहिए। किन्तु रुपए का अवमूल्यन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। रुपए के अधिक अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था के लडखडाने का भय रहता है। अवमूल्यन से आयात महगे तथा विदेशी ऋण भार स्वत बढ जाता है।

3 **जनसख्या पर अकुश (Obstruction on Population)** – अमरीका 'वर्ल्ड वाच' सस्था के अनुसार भारत 15 अगस्त 1999 को एक अरब की जनसख्या को पार कर गया। जनसख्या की विकरालता के कारण उत्पाद का अत्यधिक भाग आन्तरिक बाजार मे ही खप जाता है। निर्यात हेतु अतिरेक कम बच जाता है। अत निर्यात बढाने के लिए आन्तरिक माग पर अकुश लगाना जरूरी है जो वर्तमान हालात मे जनसख्या की कम वृद्धि से सभव है।

4 **मुद्रास्फीति पर नियत्रण (Control over Inflation)** – निर्यात सवर्द्धन के लिए स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास आवश्यक है। मुद्रास्फीति की दशा मे उत्पाद की लागत ऊँची बैठती है तथा निर्यातक भी उत्पाद को निर्यात करने के स्थान पर आन्तरिक बाजार में ही बेचकर अच्छा लाभ अर्जित कर लेते हैं। भारत म निर्यात वृद्धि क मार्ग में मुद्रास्फीति बाधक रही है। वर्ष 1998 मे मुद्रास्फीति चरम पर थी। अकेले जून 1998 मे थोक मूल्य मे 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो नवम्बर 1998 म नौ प्रतिशत और बढ गई। जून 1998 म उपभोक्ता मूल्य 12 प्रतिशत ऊँचे थे और नवम्बर 1998 तक इनमे 8 प्रतिशत की और वृद्धि आ चुकी थी। इसके बाद कीमते गिरने का दौर शुरू हुआ। भारत में इस असामान्य मुद्रास्फीति का कारण जनता के पास अधिक मुद्रा होना नहीं बल्कि आवश्यकता की आपूर्ति तत्काल घर कर जाना था। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि बडी सीमा तक मानसून पर निर्भर है। कृषि उत्पादन के कम होने पर मुद्रास्फीति आसमान छूने लगती है।

कृषि उत्पादो की आपूर्ति मे सुधार के कारण मुद्रास्फीति काबू मे होती है। जून–जुलाई 1999 मे भारत कारगिल सकट से जूझ रहा था। सकट की घडी में मुद्रास्फीति क बढने की सभावना थी किन्तु अच्छी कृषि पैदावार के कारण मुद्रा स्फीति उत्तरोत्तर घटी। थोक मूल्य सूचकाक आधारित मुद्रा स्फीति 24 जुलाई 1999 को 1 19 प्रतिशत थी जो विगत बीस वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थी। मुद्रास्फीति के घटने से भारत के निर्यातो को गति मिली। मुद्रास्फीति को न्यूनतम स्तर पर स्थायित्व किया जाना चाहिए।

5 **बाजर सर्वेक्षण (Market Survey)** – बाजार सर्वेक्षण निर्यात सवर्द्धन का महत्त्वपूर्ण साधन है। भारतीय उत्पादो की विदेशी बाजारो मे माग का गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उत्पादो के निर्यात का

प्रयाग किया जाना चाहिए।

6 **मेले एव प्रदर्शनियो का आयोजन** (To Organize Fairs and Exhibitions) – मेले एव प्रदर्शनियो का आयोजन निर्यात वृद्धि मे सहायक सिद्ध होता है। भारतीय उत्पादो को मेले एव प्रदर्शनियो मे अधिकाधिक प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे भारतीय माल की लोकप्रियता बढेगी तथा निर्यात वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

7 **विदेशी व्यापार समझौते** (Foreign Trade Agreements) – भारत को निर्यात सवर्द्धन के लिए विदेशी व्यापार समझौतो को प्रोत्साहन देना चाहिए। कई देशो को भारत से निर्यात बहुत कम है। ऐसे देशो मे समझौतो के द्वारा निर्यात वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 1998 मे परमाणु परीक्षणो के बाद से अमरीका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबध लागू कर रखे है। आर्थिक प्रतिबधो को परस्पर वार्ता द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8 **उत्पादन वृद्धि** (Increase in Production) – यद्यपि भारत मे जनाधिक्य के कारण उत्पादो की आन्तरिक माग अत्यधिक है किन्तु भारत मे उत्पादन वृद्धि की विपुल सभावनाए हैं। भारत मे प्राकृतिक ससाधनो की बहुतायत है इसके अलावा मानवीय ससाधनो की भी कोई कमी नही है। भारत विश्व का बडा बाजार है। प्राकृतिक ससाधनो और सस्ते श्रम के कारण विदेशी निवेशक भारत मे पूजी लगाने के लिए उत्सुक हैं। वर्तमान मे देशी एव विदेशी निवेशको को अधिकाधिक विनियोजन के लिए आकर्षित कर उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए इससे एक और आन्तरिक माग की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी तथा दूसरी ओर निर्यात वास्ते अतिरेक उत्पाद बचेगा।

9 **कर छूट** (Tax Rebate) – भारत सरकार को निर्यात व्यापार मे सलग्न औद्योगिक इकाइयो को करो मे छूट देनी चाहिए। शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्यात के क्षेत्र मे उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले उद्योगो और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

10 **आधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्पाद** (Products Decorated with Latest Technology) – निर्यात सवर्द्धन वास्ते उत्पाद का आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना बेहद आवश्यक है। विश्व मे व्यापार के क्षेत्र मे आधुनिक तकनीक को आत्मसात किए बिना निर्यात व्यापार की प्रतिस्पर्धा मे टिकना मुश्किल है। भारत को चाहिए कि वह शोध व अनुसधान पर परिव्यय मे वृद्धि करे। प्रतिभा पलायन को रोका जाए। देश मे अनुपलब्ध तकनीक को विदेशो से आयात करने में सकोच नहीं करना चाहिए। देशवासियो को नवीन तकनीक का अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए।

आयात प्रतिस्थापन
(Import Substitution)

आयात की जाने वाली वस्तु का विदेशो से आयात नहीं किया जाकर देश

मे ही उत्पादन करने को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। स्वतत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। विकासगत जरूरतो को पूरा करने के लिए भारत की आयातो पर अधिक निर्भरता थी। नियोजित विकास का मार्ग आत्मसात कर विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया गया। छठी पचवर्षीय योजना मे आत्मनिर्भरता प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश मे ही उत्पादन बढाने का भरपूर प्रयास किया गया और कुछ आयातो को प्रतिबधित किया गया और कुछ आयातो के लिए अभ्यश निर्धारित किया गया। आयात प्रतिस्थापन के प्रयासो से भारत की विदेशो पर आश्रितता कम हुई तथा विदेशी विनिमय सकट का सामना भी नहीं करना पडा।

भारत में आयात प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति
(Trends of Import Substitution in India)

(प्रतिशत मे)

मदे	कुल आयातो मे घटता भाग	
	1960 61	1997 98
1 अनाज और अनाज उत्पादक	16 1	0 7
2 लोहा एव इस्पात	10 9	3 7
3 गैर विद्युत मशीनरी	18 0	9 7
4 विद्युत मशीनरी	5 0	0 7
5 परिवहन उपकरण	6 4	2 2

स्रोत *इण्डियन इकोनामिक सर्वे* 1998 99 से सकलित।

साठ के दशक के बाद भारत मे आयात–प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति बढी है। भारत 1960–61 मे खाद्यान्न लोहा इस्पात मशीनरी व परिवहन उपकरणो का बडी मात्रा मे आयात करता था। पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास और औद्योगीकरण के कारगर प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप भारत के कुल आयातो मे कृषि और औद्योगिक उत्पादो का भाग घटा है। भारत वर्तमान मे खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर है। हाल ही के वर्षो मे भारत से खाद्यान्न का निर्यात भी होने लगा है। भारत के कुल आयातों मे अनाज और अनाज उत्पादो का भाग 1960–61 मे 16 1 प्रतिशत से घटकर 1997–98 मे केवल 0 7 प्रतिशत रह गया। इस समयावधि में लौह व इस्पात का भाग 10 9 प्रतिशत से घटकर 3 7 प्रतिशत गैर विद्युत मशीनरी का 18 प्रतिशत से घटकर 9 7 प्रतिशत विद्युत मशीनरी का 5 प्रतिशत से घटकर 0 7 प्रतिशत तथा परिवहन उपकरण का भाग 6 4 प्रतिशत से घटकर 2 2 प्रतिशत रह गया।

भारत मे बढते व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की

महत्ती आवश्यकता है। भारत मे पेट्रोल, आयल, लुब्रिकेटस आयात की बडी मद है। इसके अलावा खाद्य तेल का भी बडी मात्रा मे आयात किया जाता हे। भारत म खनिज तेल के विकास की अच्छी सभावनाए है। इस दिशा मे राजस्थान के थार मरुस्थल मे प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। देश मे तिलहनो के उत्पादन वृद्धि द्वारा खाद्य तेल की आन्तरिक माग को पूरा किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ पृ स 553
2 *द इकोनोमिक टाइम्स*, नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1997
3 *Monthly Economic Report*, 1999, NNS, *राजस्थान पत्रिका*, 17 अगस्त 1999
4 *इकोनोमिक सर्वे*, 1996-97, सारणी 95
5 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994 पृ 316
6 *राजस्थान पत्रिका*, 3 जनवरी, 1998
7 *वही*, 1 जनवरी, 1998
8 ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, पृ 34
9 *भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ*, 1994, पृ 555
10 ओ पी शर्मा, *वही* पृ 31
11 *राजस्थान पत्रिका*, 15 अगस्त, 1999

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 निर्यात सवर्द्धन क्या है?
2 निर्यात सवर्द्धन का महत्त्व बताइए।
3 आयात प्रतिस्थापन की व्याख्या कीजिए।
4 निर्यात सवर्द्धन की क्या उपलब्धिया हे?

निबन्धात्मक प्रश्न

1 निर्यात सवर्द्धन क्या है? इसकी आवश्यकता बताइए। भारत मे निर्यात सवर्द्धन के प्रयासो की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(**संकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे निर्यात सवर्द्धन का अर्थ और आवश्यकता बतानी है तथा प्रश्न के दूसरे भाग मे निर्यात सवर्द्धन की उपलब्धियो तथा कमियो को लिखना है।)

2 भारत सरकार द्वारा निर्यात सवर्द्धन के लिए क्या–क्या प्रयास किये गए है? आप भी इस सबध मे सुझाव दीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे निर्यात सवर्द्धन के राजकीय प्रयासो को लिखना है तथा दूसरे भाग मे निर्यात सवर्द्धन के सुझाव देने है।)

भारत म निर्यात सवर्द्धन पर लेख लिखिए।

(M D S University Ajmer, 1998)

(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए निर्यात सवर्द्धन का अर्थ आवश्यकता महत्त्व राजकीय प्रयास उपलब्धिया तथा सुझाव लिखने है।)

28

नयी निर्यात-आयात नीति 1997-2002 (New Export-Import Policy)

भारत में आर्थिक नियोजन के प्रारम्भिक वर्षो मे वार्षिक निर्यात–आयात नीति की घोषणा की जाती रही। नीतियो के बार–बार बदले जाने से आयातक एव निर्यातक अनिश्चितता की स्थिति मे थे। बाद के वर्षो मे निर्यात–आयात नीति को थोडा स्थायित्व दिया गया। नीति तीन वर्षो के लिए घोषित की जाने लगी। देश मे पहली बार नरसिम्हराव सरकार ने आठवीं पचवर्षीय योजना की अवधि के अनुरूप निर्यात–आयात नीति (एक्जिम पॉलिसी) 1992-97 की घोषणा की। नयी एक्जिम नीति के दीर्घकालिक होने के कारण अर्थव्यवस्था मे कुछ निश्चितता दृष्टिगोचर हुई। नवीन नीति को लोचपूर्ण बनाने के लिए हर तीन महीने मे पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया जिससे अनावश्यक रुकावटो को दूर किया जा सके।

निर्यात आयात नीति 1992 97, (EXIM Policy)

इसकी समयावधि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक निर्धारित की गई। नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रबन्धकीय नियत्रणो मे कमी करना तथा व्यापार को अधिक स्वतत्रता प्रदान करना निर्धारित किया गया। नीति के अन्य उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करना, निर्यात क्षमता मे वृद्धि के लिए भारतीय उद्योगो की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देना उत्पाद की किस्म को अन्तर्राष्ट्रीय मापदड के अनुरूप बनाना तीव्र औद्योगीकरण के लिए आवश्यक आयातो की पूर्ति करना निर्यात सवर्द्धन परिषदो तथा निर्यात सदनो की भूमिका को अहमियत देना आदि निर्धारित किए गए।

एक्जिम नीति को उदार और पारदर्शी बनाया गया। यह सबसे छोटा नीति दस्तावेज है। 828 पृष्ठो वाली पूर्व नीति को केवल 85 पृष्ठो तक सीमित कर दिया

गया। विदेशी व्यापार की स्वतत्रता के लिए नकारात्मक सूची के अलावा विदेशी व्यापार को खुला कर दिया गया। लाइसेस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। केवल 51 वस्तुओ का निर्यात लाइसेस द्वारा किया जा सकता है। आयात की नकारात्मक सूची को छोटा किया गया है। तीन वस्तुओ का आयात निषेध, 68 वस्तुओ को प्रतिबधित तथा 8 वस्तुओ यथा पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, खाद्यान्न, तेल आदि का आयात सरकारी एजेन्सियों के द्वारा ही किया जाएगा। पर्यटन तथा होटल उद्योग खेल सगठनो को विशेष आयात की सुविधा दी गई।

निर्यात की नकारात्मक सूची मे वन्य पशु पक्षी, पशु पक्षियो के अग, लुप्त प्राय पक्षी मानव ककाल, गाय का मास लकडी एव लकडी के प्रौद्योगिक उत्पाद आदि को सम्मिलित किया गया है। नीति मे 62 वस्तुओ का निर्यात प्रतिबन्धित, 46 वस्तुओ का निर्यात न्यूनतम नियमनों के अन्तर्गत तथा 10 वस्तुओ का निर्यात सरकारी एजेन्सियो के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गयी। नकारात्मक सूची मे लाई गई वस्तुआ के अलावा सभी वस्तुओ को बिना रोक के निर्यात किया जा सकगा। सभावित निर्यात की परिभाषा को सशोधित किया गया है और शुल्क छूट योजना शुल्क वापसी योजना, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी योजनाए जैसी सुविधाए दी गई है। हीरो रत्नो, आभूषणों के निर्यात सवर्द्धन की योजनाए बहाल कर दी गई हैं।

पूजीगत सामान के निर्यात सवर्द्धन की योजना को उदार किया गया है। अब 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूजीगत सामान का आयात किया जा सकता है। जो निर्यातक अपने उत्पादो मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता रखेगे उन्हे प्रोत्साहन के रूप मे विशेष आयात लाइसेस दिए जाएगे। एक नई योजना 'स्वय घोषित पासबुक योजना के अन्तर्गत प्रमुख निर्यात घराना, व्यापारिक घरानो, शीघ्र निर्यात घरानो और कुछ वस्तुओ के निर्यातको को इस योजना में भाग लेने की छूट दी गई। योजना के अन्तर्गत योग्य निर्यातक पास बुक प्राप्त करके उसमे मात्रा, लागत बीमा, भाडा सहित मूल्य की स्वय घोषणा के आधार पर आयात कर सके। इसी तरह निर्यात के मामले मे भी वे नाम निर्यातित माल का विवरण और बढे हुए मूल्य के बारे मे स्वय घोषणा करके तथा स्वय प्रमाण पत्र देकर उनकी पास बुक मे प्रविष्टियो के आधर पर निर्यात के दायित्व से छूट पा सकते है।[1]

उदारीकरण को बढावा (Promotion to Liberalization)

एक्जिम नीति 1992–97 की नीति मे स्थायित्व का प्रयास किया गया किन्तु विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश के अनुरूप समायोजन वास्ते नीति मे उदारीकरण को बढावा दिया गया। नीति की तिमाही समीक्षाओ मे महत्त्वपूर्ण सशोधन करके उदारीकरण के क्रम को गति दी गई। वाणिज्य मत्रालय ने जुलाई 1992 मे निर्यात–आयात नीति की तिमाही समीक्षा के बाद कुछ सशोधन किए जिसमें उत्पादन की परिभाषा मे कृषि, मछली पालन, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मुर्गीपालन तथा रशम पालन आदि का शामिल किया गया। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 1992 मे

बहुप्रतीक्षित विशेष आयात लाइसेंस योजना की घोषणा की जिसमे निर्यातो की छह श्रेणिया विशिष्ट आयात लाइसेंस प्राप्त करने की हकदार हो गई। आयात की यह विशेष योजना मार्च 1992 में घोषित की गई निर्यात–आयात नीति की पूरक थी।

तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 30 मार्च 1993 को निर्यात–आयात नीति मे व्यापक परिवर्तन करते हुई कृषि क्षेत्र मे निर्यातोन्मुखी इकाइया लगाने पर और छूट देने तथा बैंक और अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना की घोषणा की। इसमे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 144 अतिरिक्त वस्तुओ को निर्यात योग्य वस्तुओ की सूची मे डाल दिया जिनके निर्यात पर पहले रोक थी। सशोधित नीति के तहत कृषि एव सबद्ध क्षेत्र को अपने उत्पाद का आधा निर्यात करने पर भी शुल्क रहित आयात की अनुमति होगी। इन क्षेत्रो के लोग अपने उत्पादन का शेष 50 प्रतिशत घरेलू बाजार मे बेच सकते हैं। शेष कृषि क्षेत्र के लिए यह छूट 25 प्रतिशत की है। पूजीगत माल की परिभाषा को व्यापक बनाया गया ताकि कृषि और सबद्ध क्षेत्रो मे उपयोग के उत्पादन करने वाली इकाइया पूजीगत माल योजना के तहत उपकरणो और मशीनो को रियायती दरो पर आयात कर सके। कृषि क्षेत्र मे काम आने वाले कुछ सामानो को प्रतिबधित आयात सूची से हटा दिया गया है। एक्जिम नीति मे किए गए इस सशोधन से कृषि निर्यात मे वृद्धि हुई।[2]

30 मार्च, 1994 को निर्यात-आयात नीति में उदारीकरण को और गति दी गई। इसमे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस की नई श्रेणी को मान्यता दी गई। इसमे उन निर्यातको को सम्मिलित किया जिनका विगत तीन वर्षो मे औसत निर्यात 750 करोड रूपए अथवा विगत वर्ष मे निर्यात 1,000 करोड रूपए रहा हो। आयातो की ऋणात्मक सूची में कटौती की गई। विशेष आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओ की सूची व्यापक बना दी गई। इसके अलावा निर्यात सवर्द्धन पूजीगत सामान (ई पी सी जी) योजना को सरल बनाया गया है।

नई निर्यात-आयात नीति, 1997-2002 (New EXIM Policy)

नई पचवर्षीय निर्यात-आयात नीति 1997–2002 नौवीं पचवर्षीय योजना के मसौदे का अतिम रूप दिये जाने के साथ अस्तित्व मे आई। आर्थिक सुधारो के प्रारम्भिक वर्षो मे निर्यातो मे वृद्धि हुई किन्तु निर्यात वृद्धि को 1996–97 और 1997–98 में बनाए नहीं रखा जा सका। अत निर्यात क्षेत्र के पुनर्विकास की आवश्यकता महसूस की गई। आज भारत विश्व व्यापार सगठन का सदस्य है। निर्यातकों को सब्सिडी देने पर प्रतिबन्ध है। बदले परिवेश मे प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मे टिकने के लिए उत्पाद की उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य आवश्यक है।

नयी निर्यात आयात नीति (1997-2002) के उद्देश्य (Objectives of New EXIM Policy)

1 उपभोक्ताओ को कम मूल्य पर अच्छी किस्म का उत्पाद मुहैया कराना।
2 आर्थिक विकास की गति बढाने के लिए आवश्यक कच्चा माल एव पूजीगत

माल की उपलब्धता में वृद्धि करना।

3 नए रोजगार के अवसर पैदा करना।

4 उत्पाद की उच्च गुणवत्ता का विकास करना।

5 भारतीय उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रो मे तकनीकी क्षमता एव कार्यकुशलता मे वृद्धि द्वारा तुलनात्मक शक्ति मे सुधार लाना।

6 भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के अनुसार समायोजित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था का अग बनाना।

नयी नीति की मुख्य बातें (Main Factors of New Policy)

1 **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई पी सी जी) (Export Promotion Capital Goods)** - ई पी सी जी योजना मे नये और पुराने माल के आयात पर उत्पाद निर्यातको, निर्यातक व्यापारियों एव सेवा उपलब्ध कराने वालो को हर क्षेत्र के लिए आयात कर मे 10 प्रतिशत की कमी और पशु पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, पुष्पोद पालन, बागवानी, समुद्री जीव पालन, मछली पालन, अगूर की खेती की पाच करोड रुपए अथवा इससे अधिक के लाइसेंस मूल्य वाली योजनाओं को एव 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सी आई एफ आयात लागत वाली बडी परियोजनाओ को आयात कर मे पूरी छूट होगी।

2 **निर्यात बाध्यता (Compulsory Export)** — निर्यात कर मे 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने वालो को पाच वर्ष के भीतर लाइसेस मूल्य की चौगुनी राशि के बराबर का निर्यात करना होगा। कृषि एव सबद्ध क्षेत्रों मे पूजीगत सामान के कर मुक्त आयातको को छह साल के भीतर (एफ ओ बी) का छह गुना और 'नेट फोरा एक्सचेज' के पाच गुना निर्यात करना होगा।

3 **निर्यातकों को सुविधाए (Facilities to Exporters)** — नई नीति में मान्यता प्राप्त निर्यातको को नवीन सुविधाए दी गई है जिससे घरेलू उद्योग को सहायता मिलेगी। इसके अन्तर्गत ई पी सी जी लाइसेस प्राप्त निर्यातको को पूजीगत माल बेचने वाले घरेलू उद्यमियो को भी वही लाभ दिये जाएगे जो मान्यता प्राप्त निर्यातको को दिये जाते है।[3]

4 **कर हकदारी पास बुक (Duty Entitlement Passbook)** — कर हकदारी पास बुक (निर्यात पूर्व) पिछले तीन वर्ष से निर्यात कर रहे निर्माताओं तथा निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है। यह पास बुक एक वर्ष तक वैध होती है। पिछले तीन वर्षों में किए गए 'एफ ओ बी' निर्यात मूल्य का पाच प्रतिशत अस्थायी कर हकदारी ऋण के रूप मे दिया जाता है। कर हकदारी पासबुक धारक निर्यात द्वारा अस्थाई कर हकदारी ऋण की पूर्ति कर सकता है। कर हकदारी पास बुक (निर्यातोत्तर) पर शुल्क ऋण निश्चित प्रतिशत में निर्यात के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण

ऐसे उत्पादो के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जो आयात कर से मुक्त तथा आसानी से हस्तान्तणीय हो।

5. गुणवत्ता (Quality) – उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए स्तरीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त प्रमुख निर्यातको के लिए 'एफ ओ बी' निर्यात पर विशेष लाइसेस आयात दर 2 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

6. ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम (Duty Exemption Scheme) – डी ई एस का उद्देश्य निर्यात पूर्व और निर्यात पश्चात् कर मुक्त उत्पाद सामग्री उपलब्ध कराना है। डी ई एस के अन्तर्गत तीन स्कीमे है। निर्यातक किसी एक स्कीम का चुनाव कर सकते है। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेस तथा पास बुक योजना समाप्त कर दी गई है। मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेस योजना के तीन चरण है

1. **अग्रिम लाइसेंस** (Advance Licence) – इसमे क्रयादेश के आधार पर अग्रिम लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। अग्रिम लाइसेंस हस्तान्तरणीय है।
2. **अग्रिम माध्यमिक लाइसेस** (Advance Mid-Term Licence) – यह उन निर्यातको को उपलब्ध कराया जाता है जो विशेष अग्रदाय लाइसेस धारको को माध्यमिक सामग्री की आपूर्ति करेगे। इन्हे यह विकल्प भी दिया गया है वे कर मुक्त लाइसेस धारको की मध्यस्थ उत्पादो की माग की आपूर्ति करे या सीधे स्वय निर्यात करे। यह लाइसेस हस्तान्तरणीय है।
3. **विशेष अग्रदाय लाइसेस** (Special Advance Licence) – यह हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। अग्रिम लाइसेस योजना के तहत जारी किए गए लाइसेस निर्यात अनुबध पूरा होने तक उपयोग की वास्तविक स्थितियों द्वारा नियन्त्रित होगे।

मूल्यांकन (Evaluation) – नई निर्यात आयात नीति से उदारीकरण को गति मिली। इसके दीर्घकालिक होने से अर्थव्यवस्था मे स्थायित्व की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। नयी नीति मे उदारीकरण से निर्यातो मे अवश्य वृद्धि हुई किन्तु व्यापार घाटे मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। 1992–93 मे निर्यात 53,688 करोड रूपए था जो बढकर 1994–95 मे 82,674 करोड रूपए तथा 1995–96 मे 1,06,353 करोड रूपए हो गया। निर्यात वृद्धि दर 1992–93 मे 21 9 प्रतिशत, 1993–94 मे 29 9 प्रतिशत 1994–95 मे 18 5 प्रतिशत तथा 1995–96 मे 28 6 प्रतिशत थी। *उदारीकरण की नीति लागू करने से आयातो मे निर्यातो तुलना मे अधिक वृद्धि* हुई। आयात 1992–93 मे 63,375 करोड रूपए था जो बढकर 1994–95 मे 89,971 करोड रूपए तथा 1995–96 मे 1,22,678 करोड रूपए हो गया। आयात वृद्धि दर 1992–93 मे 32 4 प्रतिशत तथा 1995–96 मे 36 4 प्रतिशत थी। आयातो की निर्यातो पर अधिकता के कारण व्यापार घाटा तेजी से बढा। व्यापार घाटा 1992–93 मे 9,687 करोड रूपए था जो बढकर 1995–96 मे 16,325 करोड रूपए तक जा पहुचा।

ई निर्यात आयात नीति भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। यद्यपि इससे उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के नए युग की शुरआत हुई। इस नीति मे प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया। कुछ क्षेत्रों म जैसे ई पी सी जी उदारवादी नीतियों का असर कम हुआ। नयी नीति लक्षित निर्यात और वास्तविक निर्यात के बीच अतर को पाटने म सफल नहीं हो सकी। भारत म विदेशी विनिमय कोष की आवश्यकता और बढत व्यापार घाटे को नियत्रित करने के लिए निर्यातों में तीव्र गति से वृद्धि की व्यूहरचना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। उपभोक्ता वस्तु के आयात के स्थान पर औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिक उन्नयन के आयात को बढावा देने की जरुरत है।

नई सशोधित निर्यात आयात नीति (New Revised EXIM Policy)

भारत म वर्ष 1997 म पचवर्षीय निर्यात–आयात नीति (1997 2002) की घोषणा की गई। भारत म 1996–97 तथा 1997–98 म निर्यात म मदी का रुख रहा। वर्ष 1997–98 म निर्यात वृद्धि दर 9 5 प्रतिशत रही थी। इन वर्षों में औद्योगिक विकास की दर भी घटी।

तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मत्री रामकृष्ण हेगडे ने 13 अप्रैल 1998 को 1997–2002 की पचवर्षीय निर्यात–आयात नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनो की घोषणा की। निर्यात–आयात नीति (एक्जिम नीति) मे परिवर्तन का उद्देश्य निर्यातो में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन मे आई गिरावट को रोकना है। निर्यात मदी को दूर करना सरकार का एक मात्र लक्ष्य है। हाल के वर्षो म निर्यात की जटिल प्रक्रिया, बुनियादी सुविधाओ का अभाव बढी हुई ढुलाई लागत लवित दावो के निपटान म देरी तथा निर्यात ऋण की ऊँची दर के कारण निर्यातो म कमी हुई।

सशोधित निर्यात–आयात नीति क मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है –

1 निर्यात वृद्धि का लक्ष्य (Target of Export Increases) – सरकार ने नियात म 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने रूपये का अवमूल्यन न करके निर्यात वृद्धि की घोषणा की है। उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षो म निर्यात वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के कारण निर्यात करीब 20 प्रतिशत की दर से बढा किन्तु बाद के वर्षो म निर्यात वृद्धि दर घट गई। 1997–98 में निर्यात वृद्धि दर 9 5 प्रतिशत थी।

2 खुला आयात लाइसेस (Open Import Licence) – भारत म विदेशी व्यापार के उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुई 340 वस्तुओ को प्रतिबधित सूची से निकालकर खुली सामान्य सूची मे रखने की घोषणा की। इससे विदेशी व्यापार म प्रतिस्पर्धा का बढावा मिलेगा। आयात की खुली सामान्य सूची में क्रिकेट गद ताश क पत्ते शतरज सट शेविंग क्रीम रेजर ब्लेड आदि वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इन वस्तुओ का भारत म पर्याप्त उत्पादन होता है।

3 उदार आयात (Liberal Import) – आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में

भारतीय कृषि बडी सीमा तक अछूती रही। अब नई नीति मे प्याज, खीरा, ककडी, रुई, डिब्बा बद सब्जिया फल, आम और अखरोट के आयात को उदार बनाया गया है। इसके साथ ही कृषि पैदावारो तथा फलो और फूलो का निर्यात बढाने के लिए भी कहा गया है। सरकार चाहती है कि उत्पादो की कमी होने पर आयात और ज्यादा होने पर निर्यात का मार्ग खुला रहे।

4 लघु उद्योग को महत्व (Importance to Small Industries) – निर्यात बढाने में लघु उद्योगो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पूजीगत सामान पर निर्यात प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सीमा को 20 करोड रूपए से घटाकर एक करोड रूपए किया है। देश की निजी क्षेत्र की पाच सौ बडी कम्पनियो का निर्यात उनकी बिक्री का मात्र 10 प्रतिशत है और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का तो मात्र 3 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति मे लघु उद्योगो को बढावा उचित है।

5 ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक योजना (Scheme of Duty Entitlement Pass Book, DEPB) – इस योजना को लागू रखा जाएगा और इसमे लागू 5 प्रतिशत के विशेष सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया हैं। पिछले वर्ष (1997) शुरू की गई इस योजना मे केवल मूल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया था। इसके अलावा 300 नई निर्यात वस्तुओ के लिए जल्द ही डी ई पी बी दरे जारी की जाएगी।

6 पूजीगत सामनो की निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export Promotion Scheme for Capitalised Goods) (ई पी सी जी) – ई पी सी जी के तहत परिधानो, इलेक्ट्रोनिक सामानो, रत्न एव आभूषणो, खेलकूद के सामान, चमडा, खिलौने, कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उत्पादो के लिए निर्यात सीमा को घटाकर एक करोड रूपए कर दिया गया हैं इससे पूर्व यह सीमा पाच करोड रूपए थी। इसके अलावा ई पी सी जी शुल्क मुक्त योजना के तहत सॉफ्टवेयर क्षेत्र से निर्यात के लिए निर्यात सीमा 20 करोड रूपए से घटाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है।

7 निजी भडार गृह (Personal Store House) – अग्रिम लाइसेस धारको के लिए माल के आयात, उनके भडारण और नकारात्मक सूची वाली वस्तुओ की बिक्री के लिए निजी भडार गृह खोलने की अनुमति दी गई है। यह कदम विशेष तौर पर छोटी इकाइयो को कम मात्रा मे कच्चे माल के आयात मे आ रही परेशानियों को देखते हुई उठाया है। इस व्यवस्था से निर्यातको को समय पर आसानी से प्रतिस्पर्धा मूल्यो पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। निजी भडार गृहो से अब विदेशी खरीददारो को भी थोक मे माल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

8 सरल प्रक्रिया (Simple Process) – सशोधित एक्जिम नीति मे प्रक्रियाओ को सरल बनाने की दिशा मे कदम उठाए गए है। सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयो और बन्दरगाहो स्थित कार्यालयो के अधिकारियो को विभिन्न मामलो पर निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं। इससे पहले किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए दिल्ली पर निर्भर होना पडता था। विदेशी व्यापार महानिदेशालय और सीमा शुल्क

विभाग के बीच की दूरी को बडी सीमा तक कम कर दिया गया हैं इसके अलावा कम्प्यूटरीकरण से सूचनाओ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

दृष्टिकोण (View Point)

निर्यात आयात नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए है। इससे विदेशी व्यापार में उदारीकरण को गति मिली है। सशोधित निर्यात आयात नीति का फैडरेशन आफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (फोर्टी) एव राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने स्वागत किया हैं। नीति मे पहली बार निजी भडार गृहो की स्थापना का निर्णय किया गया है। इन भडार गृहो मे आयातित कच्चा माल रखा जा सकता है। नकारात्मक सूची मे दर्ज वस्तुओ को भी इन भडार गृहो मे रखा जा सकता है। इन भडार गृहो से निर्यातक उद्योगो को तथा विदेशी खरीददारो को थोक मे खरीदने की सुविधा दी जाएगी।

शुल्क पात्रता पास बुक योजना (Duty Entitlement Pass Book Scheme) (डी ई पी बी) के तहत पाच प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है। डी ई पी बी योजना 1997 मे शुरु की गई थी इसमे निर्यात के लिए आयात की अनुमति मिलती है। यदि आयातित सामान की एवज म निर्यात कर दिया जाए तो शुल्क नहीं लिया जाता हैं लेकिन सामानो का आयात कर यदि निर्यात नहीं किया गया तो शुल्क लगाया जाता था। 1997 मे इस योजना में कुल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया गया अब नई सशोधित एक्जिम नीति म 5 प्रतिशत के विशेष शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन केपिटल गुडस (ई पी सी जी) मे आयातित मशीनों की मूल्य सीमा को 20 करोड से घटाकर केवल एक करोड रूपए कर दिया गया है। फिलहाल इस योजना मे सात उत्पाद क्षेत्रो यथा सिले सिलाए कपडे इलेक्ट्रोनिक्स रत्न एव आभूषण खेलकूद का सामान चमडा उत्पादन खिलौने कृषि एव खाद्य प्रसस्करण के लिए मशीने मगाने की अनुमति दी गई है।

ऋणात्मक पहलू (Negative Aspect)

वर्ष 1998–99 मे निर्यात मे 20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य महत्त्वाकाक्षी है। गौरतलब है 1996–97 मे निर्यात वृद्धि दर 11 7 प्रतिशत और 1997–98 मे केवल 9 5 प्रतिशत ही रही। ऐसी स्थिति मे 20 प्रतिशत नियात वृद्धि का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। भारतीय वाणिज्य एव उद्योग मडल महासघ (फिक्की) के अनुसार भारतीय उद्योगो को लागत के मामले मे विदेशी उद्यमिया के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक लागत पडती है। इसमे करीब 7 7 प्रतिशत हिस्सा राज्य शुल्को यथा बिक्री कर चुगी सेवा शुल्क आदि धन ससाधनो की लागत 4 प्रतिशत महगी तथा बुनियादी सुविधाओ यथा बिजली की ऊची दर बदरगाहो पर अपयाप्त सुविधाए आदि के मामले मे 5 प्रतिशत की लागत आदि सम्मिलित है।

निर्यात वृद्धि के लक्ष्य अर्जित करने के मार्ग मे अन्य अडचन है। उनमे

दक्षिण–पूर्वी एशिया मे उत्पन्न गभीर सकट मुख्य है। गभीर वित्तीय सकट के कारण भारतीय निर्यात व्यापार गिरने से विदेशी व्यापार घाटा काफी बढ चुका है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण–पूर्व एशिया मे इडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, फिलिपाइस आदि देशो मे एक साल मे करेंसियो का लगभग 25 से 50 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। भारतीय रूपया भी डॉलर के मुकाबले टूटा। रूपया गिरकर 45 रूपए पर आ चुका है।

भारत ने 11 मई, 1998 को राजस्थान के पोकरण मे 24 वर्ष बाद एक साथ तीन सफल परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणो की देश भर मे सराहना हुई। किन्तु विश्व मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अमरीका ने विरोध स्वरूप भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये। भारत की आर्थिक सहायता मे कटौती की। अमरीका भारत पर दबाव बढाकर आयात व्यापार ढीला करा रहा है। ऐसी स्थिति मे 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल काम है। विश्व बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियो में निर्यात बढाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए सभी सरकारी विभागो और राज्यो को मिलकर प्रयास करना होगा। निर्यात वृद्धि दर को बढाने के लिए केवल निर्यात उद्यमियों को ही नहीं बल्कि सभी घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन दिया जाना होगा। भारतीय उद्योगो को उनके विदेशी प्रतिस्पर्धी उद्योगो के समक्ष समस्तरीय सुविधाए उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। नई नीति मे भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है। विदेशी व्यापार मे प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए 340 वस्तुओ को प्रतिबंधित सूची से निकाल कर खुली सामान्य सूची (ओ जी एल) मे सम्मिलित कर लिया गया है। इससे घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड सकता है। किन्तु जिस तरह बडे उद्योगो और व्यापार महासघो ने निर्यात आयात नीति का स्वागत किया है उससे प्रतिस्पर्धा के लिए आत्मविश्वास दृष्टिगोचर होता है। निर्यात आयात नीति दीर्घकालिक होनी चाहिए। नीति मे बार–बार परिवर्तन किए जाने से निर्यात की गति प्रभावित होती है।

सन्दर्भ

1 *भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ*, 1994, पृ 554

2 ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश*, 1996, पृ 43

3 *योजना*, सितम्बर, 1997, पृ 6

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 नई निर्यात–आयात नीति के उद्देश्य बताइए।

2 नई निर्यात–आयात नीति की सक्षेप मे व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत सरकार की नई निर्यात–आयात नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

(सकेत इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दी गई निर्यात–आयात नीति (1997 2002) को विस्तार से लिखना है। सशोधित निर्यात–आयात नीति का भी उल्लेख करना है।)

भारत में रेल परिवहन

(Rail Transport in India)

भारतीय रेल से पहली बार 1853 मे मुम्बई से थाना तक 22 किलोमीटर की यात्रा की गई। आज भारतीय रेल परिवहन सेवा के एक सौ सैतालीस बरस पूरे कर चुकी है। प्रारम्भिक पचास वर्षों मे रेलवे का अधिक विकास हुआ। बाद के वर्षो मे रेलवे विकास धीमा पड गया। रेलवे का तीव्र विकास आजादी के बाद ही सभव हो सका। वर्तमान मे भारतीय रेल केन्द्र सरकार का सबसे बडा सार्वजनिक उपक्रम है।

आज देश मे रेलो का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 31 मार्च 1993 तक कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर, चालू रेलपथ 79,200 किलोमीटर तथा कुल रेल पथ 1,09,149 किलोमीटर था। भारतीय रेलवे के पास 7,806 इजन, 39,929 यात्री डिब्बे, 3,444 विद्युत चालित गाडियो के डिब्बे और 3,37,562 माल डिब्बे थे। रेलवे स्टेशनों की सख्या 7,043 थी। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 1997–98 मे 62,500 किलोमीटर थी जिसमे विद्युतीकरण रेल मार्ग की लम्बाई 14,000 किलोमीटर थी। भारत की रेल प्रणाली का एशिया में दूसरा स्थान है। रेलवे ने देश के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व
(Importance of Rail Transport in Indian Economy)

रेल देश में माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। रेले देश के दूर–दूर बसे लोगो को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थ यात्रा एव शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। भारतीय रेल पिछले सौ वर्षो मे राष्ट्रीय एकता बनाये रखने वाली एक महान शक्ति बनी हुई है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एक सूत्र मे पिरोया है और कृषि तथा उद्योगो के विकास की गति तेज की है।[1] भारत मे रेल परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है –

1 महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना (Important Infrastructure) – रेल परिवहन की गिनती महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना मे होती है। आज राष्ट्र का आर्थिक विकास बडी सीमा तक रेल परिवहन पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में रेल सुविधा मुहैया है वहा औद्योगीकरण में वक्त नहीं लगता है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विकास वास्ते आवश्यक परिवहन सबधी आधारभूत ढाचे विशेषकर रेल की व्यवस्था करती है। रेलों का कृषि, उद्योग व ऊर्जा के विकास के अनुरूप विकास का प्रयास किया जाता है।

2 कृषि विकास में सहायक (Assistance in Agriculture Development) – कृषि विकास में रेल परिवहन की उपादेयता बढी है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में रेल कृषि विकास में कारगर भूमिका निभा रही है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चा माल रेल द्वारा सुगमता से पहुचाय जाता है। कृषि विकास के लिए जरुरी यत्रीकरण, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि की आपूर्ति मे रेलों की भूमिका होती है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु निर्यातक देश भी बन गया है। भारत से चावल का विदेशों को निर्यात होता है। कृषिगत उत्पादों को निर्यात वास्ते बन्दरगाहों तक रेलों द्वारा पहुचाया जाता है। रेल सुविधा मुहैया होने से भारत के समूचे ग्रामीण परिवेश का परिदृश्य ही बदल गया है। आज गाव खुशहाली की ओर अग्रसर है।

3 औद्योगिक महत्व (Industrial Importance) – रेल परिवहन बिना औद्योगीकरण की कल्पना तक नहीं की जा सकती। भारत में आधारभूत उद्योगों का विकास रेल परिवहन से ही सभव हो सका है। रेलों से श्रमिक औद्योगिक केन्द्रों तक पहुचते है। आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे लोहा एव इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, सीमेंट उद्योग के लिए लाइम स्टोन आदि रेलो द्वारा ढोया जाता है। निर्मित्त माल को औद्योगिक इकाइयो से बाजारो तक रेलों द्वारा पहुचाया जाता है।

4 मूल्य स्थायित्व (Price Stability) – भारत विशाल देश है। बहुसख्यक आबादी विशाल भू–भाग मे निवास करती है। यहा की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जिसकी मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। मानसून के क्षेत्र विशेष मे अनुकूल नहीं होने की दशा मे कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसी स्थिति मे रेल परिवहन मूल्य स्थायित्व में सहायक होता है। रेलों की सहायता से उत्पादों को जरूरत वाले क्षेत्रों में आसानी से मुहैया कराया जा सकता है। रेलों से देश में मूल्यों की विषमता बडी सीमा तक समाप्त हो गई है।

5 प्राकृतिक आपदाओं में कारगर (Dutiful in Natural Disasters) – भारत को विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पडा। वर्तमान में भी अकाल, भूकम्प, बाढ, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाए मुहवाए खडी हैं। रेल परिवहन से प्राकृतिक आपदाओं जनित समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में रेलों द्वारा खाद्यान्न मुहैया कराकर स्थिति को नियत्रित

किया जा सकता है।

6 **नाशवान वस्तुओ की बिक्री (Sale of Perishable Articles)** – रेल परिवहन के विकास से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार को विस्तृत करने में मदद मिली है। रेलो द्वारा सब्जिया, दूध, फल, मक्खन, घी, गन्ना, मछलिया एक स्थान से अन्यत्र भेजी जाती है।

7. **सामरिक महत्व (Importance during War-time)** – भारत को स्वतत्रता के पाच दशको मे 1947–48, 1962, 1965, 1971 तथा 1999 (करगिल सकट) पाच युद्धो का सामना करना पडा। पडौसी देश ने अघोषित युद्ध छेड रखा है। ऐसी स्थिति मे भारत की अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्त्व अत्यधिक बढ जाता है। रेलो से सकट की घडी मे सुरक्षा सबधी उपकरणो और सैनिको को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजा जाता हैं। राजस्थान के पश्चिम मे थार मरूस्थल मे रेलो का सामरिक महत्व है।

8. **डाक सेवा (Postal Service)** – भारत विशाल भू–भाग मे फैला हुआ है। रेल प्रतिदिन डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलो के कारण ही देशवासियों को सस्ती व शीघ्र डाक सुविधा मुहैया हो सकी है।

9 **श्रम गतिशीलता (Labour Flexibility)** – रेल परिवहन के विकास से श्रमिको में गतिशीलता बढी है। रेलो से श्रमिक और कर्मचारी औद्योगिक केन्द्रों तक पहुचते हैं। रेलवे मासिक सीजन टिकट उपलब्ध कराती है। कर्मचारी कम दूरी के स्थानो पर रेलो से यात्रा करते है। रेलो के विकास से जनसख्या के उचित वितरण मे भी सहायता मिली है।

10. **राजकीय आय (Government Income)** – रेलवे भारत सरकार का सबसे बडा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलवे से यात्री परिवहन और माल ढुलाई द्वारा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। रेलवे को होने वाला लाभ सीधा सरकारी खजाने मे जमा होता है।

11. **रोजगार (Employment)** – रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बडा उपक्रम है इसमे लाखों की सख्या मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। रेलवे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर मुहैया कराती है। रेलवे के विकास से कृषि और उद्योगा का विकास होने से भी रोजगार के अवसर सृजित होते है।

12 **पर्यटन उद्योग का विकास (Development of Tourism)** – रेल परिवहन पर्यटन विकास में सहायक हैं। रेलो से देशी एव विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक, सास्कृतिक एव धार्मिक स्थलो पर पहुचते है। "पैलेस ऑन व्हील्स" से भारत मे विशेषकर राजस्थान मे पर्यटक आकर्षित हुए है।

13 **विदेशी विनिमय की प्राप्ति (Receipts of Foreign Exchange)** – भारतीय रेल विश्व की महत्त्वपूर्ण रेल प्रणालियो मे से एक है। भारत रेल के डिब्बे, इजिन निर्यात करने लगा है। रेल सामग्री के निर्यात से दुर्लभ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

होती है। इसके अलावा निर्यात की जाने वाली सामग्री को रेलो से बन्दरगाहो तक पहुचाया जाता है।

14 नगरीकरण (Urbanisation) – रेल सुविधा मुहैया हो जाने से क्षेत्र विशेष का समूचा परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है। रेल परिवहन के विकास से भारत के गाव नगरो मे नगर बडे शहरो म शहर महानगरों मे परिवर्तित हो गए है। जयपुर में बडी रेल लाइन उपलब्ध होने से क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प हुआ है। गावो के लोग जयपुर की ओर पलायन वास्ते प्रयासरत है।

15 प्राकृतिक सम्पदा का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) – भारत प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सम्पन्न देश है। आर्थिक विकास की गति तेज करने वास्ते विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध है। खनिजो के विदोहन म रेलो की कारगर भूमिका होती है। भारत मे लौह–अयस्क तथा कोयला को रेलो से औद्योगिक इकाइयो तक पहुचाया जाता है। खनन उपकरण और श्रमिक रेलो से खानो तक पहुचत हैं।

16 राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द (National Integrity and Communal Friendship) – भारतीय रेलों मे विभिन्न समुदाय भाषा क्षेत्रो के लोग एक साथ यात्रा करते है जिससे परस्पर भ्रातृत्व की भावना पनपती है। रेलो से लोगों को परस्पर सस्कारो और सस्कृति का लाभ अर्जित होता है। भारतीय रेल सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र मे पिरोये रखने म सहायक सिद्ध हुई है।

पचवर्षीय योजनाओं में रेलों का विकास
(Development of Railways during Plan Period)

भारतीय अर्थव्यवस्था रेलो की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे रेल विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया नतीजन रेल मार्ग की लम्बाई 1950–51 में 53 596 किलोमीटर थी जा 1997–98 मे बढकर 62 500 किलोमीटर हो गई। योजनाकार रेल विकास इस प्रकार है

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951 56 (First Five Year Plan) प्रथम योजना म रल विकास के लिए 'जीण परिसम्पत का प्रतिस्थापन' प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। याजना के प्रारम्भ म अर्थात् 1950–51 म रेल माग की लम्बाई 53 596 किलोमीटर थी जिसम विद्युतीकृत 388 किलोमीटर थी। यात्रियो की सख्या 1 284 मिलियन तथा माल की मात्रा 93 मिलियन टन थी। रेल क विकास पर 217 करोड रुपए व्यय किए गए जो याजना व्यय का 11 प्रतिशत था। विभिन्न विकास कार्यों से रेल मार्ग की लम्बाई 1 415 किलोमीटर बढकर 55 011 किलोमीटर हो गई। योजना काल में चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स टाटा इजीनियरिंग एव लाकोमाटिव तथा इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956 61 (Second Five Year Plan) – दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी। रेल विकास का लक्ष्य इस्पात उद्योग तथा कोयले

के बढते उत्पादन के अनुरूप रेल विकास को ढालना निर्धारित किया गया। योजना मे रेला के विकास पर 723 करोड रुपए व्यय किया गया। योजनाकाल मे 1 236 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे योजना के अत मे रेल मार्ग की लम्बाई बढकर 56 247 किलोमीटर हो गई। 1960–61 मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 748 किलोमीटर यात्रियो की सख्या 1 594 मिलियन तथा माल की मात्रा 1562 मिलियन टन थी।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961 66 (Third Five Year Plan) – तीसरी योजना मे रेल विकास का लक्ष्य अतिरिक्त क्षमता का निर्माण निर्धारित किया गया। योजनावधि मे रेल विकास पर 1326 करोड रुपए व्यय किए गए। 2 152 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे रेलमार्ग की लम्बाई बढकर योजना के अत मे 58 399 किलोमीटर हो गई। 1965–66 मे यात्री वहन क्षमता 2082 मिलियन यात्री तथा माल ढोने की क्षमता 203 मिलियन टन हो गई।

तीन वार्षिक योजना 1966 69 (Three Annual Plans) – तीन वार्षिक योजनाओ मे रेल विकास पर 589 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना मे 905 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण तथा 1 268 किलोमीटर पर दोहरी लाइन बिछायी गई। इसके अलावा 1 154 किलोमीटर नए रेल मार्ग का निर्माण किया। विकास कार्यो के परिणाम 1968–69 मे रेल मार्ग की लम्बाई 59 553 किलोमीटर यात्री वाहन क्षमता 2213 मिलियन यात्री तथा माल वहन क्षमता 205 मिलियन टन हो गई।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969 74 (Fourth Five Year Plan) – चौथी योजना का लक्ष्य रेल व्यवस्था का आधुनिकीकरण रखा गया। रेल विकास पर 934 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना के अत मे रेल मार्ग की लम्बाई बढकर 60 234 किलोमीटर हो गई। योजनाकाल मे 500 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। यात्री वहन क्षमता 2654 मिलियन यात्री तथा माल ढोने की क्षमता 225 मिलियन टन हो गई।

पाचवी पचवर्षीय योजना 1974 78 (Fifth Five Year Plan) – पाचवी योजना का लक्ष्य वर्तमान क्षमता की उन्नति तथा कार्यकारी कुशलता मे वृद्धि निर्धारित किया गया। पाचवी योजना मे रेल विकास पर 2 063 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना के अत मे रेल मार्ग की लम्बाई 60 500 किलोमीटर यात्री वहन क्षमता 3505 मिलियन यात्री माल ढोने की क्षमता 237 मिलियन टन थी।

छठी पचवर्षीय योजना (1980 85) छठी याजना मे रेल विकास के लक्ष्यो मे यात्री वहन तथा माल वहन क्षमता मे वृद्धि आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता अनुसधान एव विकास को प्रोत्साहन आदि मुख्य थे। योजना मे रेल विकास पर 6 587 करोड रुपए व्यय किए गए। 1980–81 मे रेल मार्ग की कुल लम्बाई 61240 किलोमीटर थी जिसमे विद्युतकृत रेल मार्ग की लम्बाई 5 345 किलोमीटर थी। इस वर्ष यात्रियो की सख्या 3 612 5 मिलियन तथा माल की मात्रा 220

मिलियन टन थी। याजना के अत म रेल माग की लम्बाई बढकर 61 850 किलोमीटर हा गइ। यात्री वहन क्षमता 3 380 मिलियन यात्री तथा माल ढाने की क्षमता 265 मिलियन टन थी।

सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90) – सातवीं योजना म वाष्प इजिनों को डीजल और बिजली के इजिनो म परिवर्तित करना तथा माल भाडे के टर्मिनलो के विकास की प्राथमिकता दी गई। याजना म रल विकास पर 16 549 कराड रुपए व्यय किए गए।

सातवीं याजना क अत म रल माग की लम्बाई 62 211 किलोमीटर यात्रियो की सख्या 3 653 मिलियन तथा माल की ढुलाई मात्रा 334 मिलियन टन थी। याजना म विद्युतीकृत रेल मार्ग म वृद्धि उल्लेखनीय रही। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाइ 1985–86 म 6 517 स बढकर 1989–90 मे 9 100 किलोमीटर हा गई। विद्युतीकृत रल माग की लम्बाइ म 39 6 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना म भाप इजनों को डीजल और विद्युत इजना म परिवतन का लक्ष्य रखा गया था। योजनावधि में इस दिशा म प्रयास हुए नतीजा भाप इजनो की सख्या 1985–86 म 5571 थी जा घटकर 1989–90 म 3 336 रह गइ। इसके विपरीत इस समयावधि म डीजल इजनो की सख्या 3 046 स बढकर 3 610 तथा विद्युत इजनों की सख्या 1 302 स बढकर 1 644 हो गइ।

दो वार्षिक योजना 1990 92 (Two Annual Plans) – वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 दो वार्षिक याजनाओ म रेल विकास में वृद्धि हुई। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 1990–91 म 62 367 किलोमीटर तथा 1991–92 में 63 458 किलोमीटर हा गई। दो वार्षिक याजनाओ म 685 किलोमीटर विद्युतीकृत रेल मार्ग का निर्माण किया गया। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई बढकर 1991–92 म 10 653 किलामीटर हो गई। वर्ष 1990–91 और 1991–92 म रेल विकास पर 10 218 कराड रुपए व्यय किया गया।

आठवीं योजना मे रेल विकास 1992 97 (Railway Development in Eight Plan) – आठवीं योजना मे रेलवे विकास की रणनीति म रेल सम्पत्ति के प्रतिस्थापन ओर नवीनीकरण उत्पादकता और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए अनुरक्षण तकनीकी विकास रेल मार्गो क दाहरीकरण तथा विद्युतीकरण आदि पर जार दिया गया।

आठवीं याजना म रल विकास पर 27 202 कराड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जा सार्वजनिक क्षत्र याजना परिव्यय का 6 3 प्रतिशत है। याजनाकाल म 3 500 किलोमीटर रेल माग विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रलो की माल ढाने की क्षमता 44 कराड टन वार्षिक हाने का लक्ष्य है।

आठवीं योजना के प्रारम्भ (1992 93) न कुल रेल माग की लम्बाई 62 5 हजार किलामीटर थी जिसम विद्युतीकृत रल माग 11 3 हजार किलामीटर तथा गैर

विद्युतीकृत रेलमार्ग 51 2 हजार किलोमीटर था। रेल पथ 79,200 किलोमीटर था। इजनो की कुल सख्या 7,806 थी जिसमे भाप इजन 1,725, डीजल इजन 4,069 तथा विद्युत इजन 2012 थे। यात्रियो की सख्या 3749 मिलियन तथा माल की ढुलाई क्षमता 3709 मिलियन टन थी। वर्ष 1996–97 मे रेल मार्ग की कुल लम्बाई 628 हजार किलोमीटर थी। जिसमे विद्युतीकृत रेल मार्ग 127 हजार किलोमीटर था। 1996–97 मे 4234 मिलियन टन माल तथा 4,153 मिलियन यात्री ढोये। आठवीं योजना मे रेल विकास पर 27,202 करोड रुपए व्यय का प्रावधान था जो योजना परिव्यय का 63 प्रतिशत था।

आठवीं योजना मे रेल विकास एक दृष्टि

रेल विकास	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
कुल रेल मार्ग (हजार किमी)	625	625	627	629	628
विद्युतीकृत रेल मार्ग (हजार किमी)	113	118	118	123	127
माल की मात्रा (मिलियन टन)	3709	3775	3816	4055	4234
माल ढोया (बिलियन टन किमी)	2581	2571	2530	2735	2800
यात्री सख्या (मिलियन)	37490	37080	39150	40180	41530
यात्री ढोने से आय (करोड रूपए)	43110	48910	54648	61250	66330

स्रोत *इकोनॉमिक सर्वे*, 1997 98 S 30

रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तिया
(Recent Trends in Indian Railways)

भारतीय रेल का इतिहास लगभग डेढ सौ वर्ष पुराना है। स्वतत्रता से पहले रेल विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। स्वातन्त्र्योत्तर रेलवे मे विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज भारतीय रेल विश्व की महत्त्वपूर्ण रेल प्रणालियो में एक है। भारत मे रेलवे सार्वजनिक क्षत्र का वडा प्रतिष्ठान है। इसमे भारी पूजी निवेश है तथा लाखो की तादाद मे देशवासियो को रोजगार मिला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेलवे की अत्यधिक उपादेयता है। वर्ष 1924–25 से रेलवे राजस्व से अलग है। रेलवे के अपने खाते तथा कोष है। प्रत्येक वर्ष ससद मे रेल बजट अलग से पेश किया जाता है। आजादी के बाद रेल परिवहन की प्रवृत्तिया मे विशेष बदलाव आया है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है

1 रेल परिव्यय मे वृद्धि (Increase in Railways Ouytlay) – रेल परिवहन मे भारी पूजी निवश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे का विशेष महत्त्व है। इसके अलावा रेलवे का आर्थिक एव सामाजिक महत्त्व भी है। आजादी के बाद से लेकर आज तक रेल परिवहन के विस्तार एव विकास का दायित्व केन्द्र सरकार पर रहा है। 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति मे उद्योगो के वर्गीकरण के अन्तर्गत रेल परिवहन को प्रथम श्रेणी के उद्योगो मे रखा गया जिनके स्वामित्व

तथा प्रबन्ध पर केन्द्र सरकार का पूर्ण नियत्रण रहता है। पचवर्षीय योजनाआ में रेल विकास परिव्यय म उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

रेल विकास पर पहली योजना म 217 करोड रुपए व्यय किए गए। रेल विकास पर व्यय वढकर सातवीं योजना मे 16,549 करोड रुपए तक जा पहुचा। रेलवे विकास पर वर्ष 1951 से 1990 तक 28,988 करोड रुपए व्यय हुआ। गौरतलब है सातवीं याजना का रेल व्यय छठी योजना के रेल व्यय से 151 प्रतिशत अधिक था। आठवीं याजना के रेल विकास व्यय 27202 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो आठवीं योजना सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय (4,34,100 करोड रुपए) का 6 3 प्रतिशत था।

पचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय

(करोड रुपए)

योजना	रेल विकास सार्वजनिक क्षेत्र व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र योजना व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना (1951 56)	217	11 0
द्वितीय योजना (1956 61)	723	15 5
तृतीय योजना (1961 66)	1,326	15 5
वार्षिक योजना (1966 69)	589	7 7
चतुर्थ योजना (1969 74)	934	5 9
पाचवी योजना (1974-79)	2,063	5 2
छठी योजना (1980 85)	6,587	6 0
सातवीं योजना (1985 90)	16 549	9 2
वार्षिक योजना (1990 92)	10,218	7 5
आठवीं योजना (प्रस्तावित) (1992-97)	27,202	6 3

Source *Eight Five Year Plan* Volume II, Government of India

2 रेल मार्ग (Railway Track) – रेल मार्ग की लम्बाई 1950–51 में 53,596 किलोमीटर थी जो बढकर 1990–91 मे 62,367 किलोमीटर हो गई। चार दशक में रेल मार्ग में 16.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1992–93 में रेल मार्ग की कुल लम्बाई *62,486 किलोमीटर थी। इसमें बडी रेल लाइन (1676 मिमी)* 36 504 किलामीटर, मीटर लाइन (1000 मिमी) 21,997 किलोमीटर तथा छोटी लाइन (762 मि मी और 610 मिमी) 3,985 किलोमीटर थी। वष 1992–93 म चालू रेल पथ की लम्बाई 79,200 किलोमीटर तथा कुल रेलपथ 1,09,149 किलोमीटर था। नब्बे के दशक क प्रारम्भिक चार वर्षों में रेल मार्ग में कम वृद्धि हुई।

वर्ष 1994–95 मे रेल मार्ग की लम्बाई 62,660 किलोमीटर थी जो 1990–91 की तुलना मे 0 47 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1997–98 मे रेल मार्ग की लम्बाई 62,500 किलोमीटर थी।

3. रेल क्षेत्र (Railways Zones) – 31 मार्च 1993 तक समूची रेल प्रणाली को नौ रेल क्षेत्रों में बाटा गया है। रेल क्षेत्रों के नाम से प्रकार है मध्य रेलवे (मुम्बई), पूर्व रेलवे (कलकत्ता), उत्तर रेलवे (नई दिल्ली), उत्तर–पूर्वी रेलवे (गोरखपुर), उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे (मालीगाव), दक्षिण रेलवे (चेन्नई), दक्षिण मध्य रेलवे (सिकन्दराबाद), दक्षिण पूर्वी रेलवे (कलकत्ता) तथा पश्चिम रेलवे (मुम्बई) कोष्ठक मे रेलवे क्षेत्र के मुख्यालयो के नाम हैं। वर्ष 1996–97 के रेल बजट मे छ रेलवे क्षेत्र और खोले गए।

जनता तथा रेलवे के बीच सहयोग के लिए रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितिया, मडलीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितिया और मडलीय रेलवे उपभोक्ता समितिया कार्य कर रही हैं। रेल मत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के पाच उपक्रम है जिनके नाम इस प्रकार है

1 इण्डियन टैक्नीकल कस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान)
2 रेल इडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज लि (राइट्स)
3 कटेनरं कारपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड।
4 इडियन रेलवे फाइनेस कारपोरेशन लिमिटेड।
5 कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड।

4 रेलवे में विद्युतीकरण (Electrification of Railway) – वर्तमान मे रेलवे का लक्ष्य विद्युतीकरण में वृद्धि करना है। वर्ष 1950–51 मे विद्युतीकृत रेल मार्ग केवल 388 किलोमीटर था जो बढकर 1990–91 मे 9,968 किलोमीटर हो गया। चार दशक में रेल मार्ग के विद्युतीकरण में पच्चीस गुना महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अस्सी के दशक में रेलवे विद्युतीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1980–81 में विद्युतीकृत रेलमार्ग 5,345 किलोमीटर था जो बढकर 1990–91 म 9,968 किलोमीटर हो गया। वर्ष 1990-91 में कुल रेल मार्ग मे विद्युतीकृत रेल मार्ग 16 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में विद्युतीकृत रेल मार्ग मे विशेष वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 1994–95 मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 11,800 किलोमीटर थी। आठवीं योजना में विद्युतीकृत रेल मार्ग का लक्ष्य 3,500 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना के आखिर मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 12,700 किलोमीटर थी। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 1997–98 मे बढकर 14,000 किलोमीटर हो गई।

5 यात्री सेवाए (Passenger Services) – रेलवे लम्बी दूरी तथा उपनगरीय यात्रियो के लिए यातायात का प्रमुख साधन हैं हाल ही के वर्षो मे रेल यात्रियो की सख्या में भारी वृद्धि हुई है। रेल यात्रियो की सख्या के बढने से रेलवे के सामने ससाधनो की कमी की समस्या मुखर हो गई है। एक्सप्रेस रेलगाडियो के सामान्य

कोच मे कष्टप्रद यात्रा को कलमबद्ध करना कठिन है। 1950–51 मे रेल यात्रियो की सख्या 1 284 मिलियन थी जो बढकर 1990–91 में 3 858 मिलियन तथा 1994–95 म और बढकर 3,915 मिलियन हो गई। वर्ष 1997–98 में रेल यात्रियो की सख्या 4 348 मिलियन थी। यात्रियो की सख्या म वृद्धि यात्रा किलोमीटर से भी देखी जा सकती है। यात्री किलोमीटर 1950–51 मे 66 52 बिलियन किलोमीटर था जो 1992–93 म 300 1 बिलियन किलोमीटर तथा 1997 98 में 380 बिलियन किलोमीटर हो गया।

6 माल ढुलाई (Frieght Traffic) – औद्योगिक विकास के साथ रेल परिवहन की माग बढी है। विशेष रूप से यह माग कोयला इस्पात सयत्रो के लिए कच्चा माल, इस्पात सयत्रों से पिग आयरन और निर्मित स्टील निर्यात के लिए लौह–अयस्क सीमेंट खाद्यान्न खाद, पेट्रोलियम खनिज तेल जैसे महत्व क्षेत्रों में बढी है। सर्वाधिक माल ढुलाई कोयला क्षेत्र मे होती है। वर्ष 1997–98 में कोयला ढुलाई 208 7 मिलियन टन थी।

माल यातायात 1950–51 म 93 मिलियन टन था जो बढकर 1990–91 मे 341 4 मिलियन टन तथा 1997–98 मे 445 5 मिलियन टन हो गया। माल ढुलाई को टन किलोमीटर में देखे तो यह 1950–51 मे 44 बिलियन टन हो गई जो बढकर 1989–90 मे 237 बिलियन टन हो गई। वर्ष 1950–51 मे माल ढुलाई से 139 3 करोड रुपए की आय हुई जो 1989–90 में बढकर 7 460 8 करोड रुपए हो गई।[2] वर्ष 1997–98 म माल ढुलाई 287 बिलियन टन किलोमीटर थी। माल ढुलाई से 1997–98 मे 19 595 करोड रुपए की आय हुई।

माल ढुलाई मे अधिक सुधार के लिए रेलवे द्वारा उठाये गए कदम इस प्रकार है [3]

1 रेल मार्गो की क्षमता मे वृद्धि तथा सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण,
2 कोयला के लिए विशेष माल गाडियों का सचालन
3 रोलर बियरिंग वाले माल डिब्बों की सख्या में वृद्धि
4 ट्रेलिग भार क्षमता बढाकर 4 500 टन तक करना,
5 पूरे देश में यूनीगेज रेल प्रणाली की स्थापना,
6 भारी तथा मजबूत पटरिया
7 रेल मार्गों में कक्रीट स्लीपरो का इस्तेमाल,
8 माल ढुलाई के लिए चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स मे 5 000 अश्व–शक्ति वाले प्रोटोटाइप बिजली के इजनो का निमाण।

7 इजन और रेल डिब्बे (Engines and Railway Bogeys)– भारत इजनों और रेल डिब्बो के निर्माण म आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। रेल इजनों का निर्माण चितरजन लाकोमोटिव वर्क्स (चितरजन), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (वाराणसी) तथा भेल (भोपाल) में किया जाता है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत

रेल इजन बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। यात्री रेल डिब्बों का निर्माण इटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बूर (चेन्नई) तथा रेल कोच फैक्ट्री (कूपरथला) मे होता है।

वर्ष 1950–51 मे रेल इजनो की सख्या 8,209 थी जो 1992–93 मे घटकर 7,806 रह गई। रेल इजनो के घटने का कारण भाप इजनो के स्थान पर डीजल और विद्युत इजनो के निर्माण मे वृद्धि है। विगत दशक मे भाप इजनो की सख्या मे भारी कमी की गई है। 1950–51 मे भाप इजनो की सख्या 8120 थी जो 1992–93 मे घटकर 1,725 रह गई। इसके विपरीत इस समयावधि मे डीजल इजनों की सख्या 17 से बढाकर 4,069 तथा विद्युत इजनो की सख्या मे 72 से बढकर 2,012 हो गई।

रेल इजनो मे वृद्धि के साथ कोच वाहनो तथा माल डिब्बो की सख्या मे भी वृद्धि हुई है। कोच वाहनो की सख्या 1950–51 मे 19,628 से बढकर 1992–93 में 39,929 हो गई तथा माल डिब्बो की सख्या 1950–51 मे 2 06 लाख से बढकर 1992–93 मे 3 38 लाख हो गई।

भारतीय रेलवे मे वर्ष 1996–97 मे भाप इजिन (Steam) 85, डीजल इजिन 4,363 तथा विद्युत इजिन 2,519 थे। कोच (Coaches) की सख्या 30,000 माल डिब्बे (Wagons) 2,72,000 तथा रेलवे स्टेशनो की सख्या 6,984 थी।[4] भारत मे 1997–98 मे माल दुलाई की औसत दर 67 पैसे प्रति टॅन किलोमीटर तथा यात्री भाडा की औसत दर प्रति यात्री 20 पैसे प्रति किलोमीटर थी।[5]

रेलवे मे लगभग 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो देश के किसी भी उपक्रम की तुलना मे सर्वाधिक है। कर्मचारियो तथा श्रमिकों के कल्याण पर रेलवे ध्यान देती है। कर्मचारियो के वेतन भत्ते, बोनस आदि का रेलवे पर बडा भार है। पाचवे वेतन आयोग की सिफारिशो के लागू होने पर रेलवे पर भार में वृद्धि हुई। वर्तमान में रेलवे मे कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे रेलवे मे कार्यकुशलता वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

8 आर्थिक उदारीकरण और रेल परिवहन (Economic Liberalization and Rail Transport) – भारत मे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991–92 से हुई। उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे मूलभूत बदलाव किए गए। सार्वजनिक उपक्रमो के सबध में भी नीतिगत बदलाव किए गए। रेलवे भारत सरकार का सबसे बडा उपक्रम है। ऐसी स्थिति मे रेलवे का आर्थिक सुधारो के दायरे में आना स्वाभाविक है। रेलवे का स्वामित्व और प्रबन्ध भारत सरकार के हाथो मे है किन्तु हाल ही के वर्षों मे रेलवे के उदारीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। रेलवे के बजटीय समर्थन मे उल्लेखनीय कमी हुई है। रेलवे को ससाधन जुटाने के लिए बाजार पर छोडा जा रहा है। रेल क्षेत्र मे निजी निवेशकों को आमत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ससाधनो की प्राप्ति मे आन्तरिक ससाधनो पर बल दिया जा रहा है।

वर्ष 1995–96 म रेलवे म निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाए प्रारभ की गई जिनम से **"अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए"** मुख्य है। कुछ परियोजनाओ को **"बनाइए, मालिक बनिए और पट्टे पर दीजिए और हस्तातरित कीजिए"** (बमापट्ट) योजना मे शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। जिसके अन्तगत निजी उद्यमियो को रेलवे के निर्माण कार्यों मे निवेश करने के लिए आमत्रित किया जा रहा है। ये ऐसी योजनाए है जिनके अच्छे परिणाम से रेलवे द्वारा बाजार से उधार मे कमी आ सकती है।

रल पर पर्यटन को बढावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिससे पर्यटक गाडियो मे निजी–उद्यमियो ने पहल की है। पर्यटको के लिए महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल्वे की भूमि पर 1995–96 मे सौ **"कम खर्चीले होटल"** के निर्माण मे सहायता देने का प्रस्ताव किया गया। खान–पान निगम की स्थापना के लिए 1995–96 के बजट में 10 करोड रुपए प्रारंभिक पूजी की व्यवस्था की गई। इस निगम की स्थापना से खान–पान सेवा व्यावसायिक बन सकेगी तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी उन्नत हो सकेगी।

9 रेलवे की वार्षिक योजनाए (Railway Annual Plan Outlay) – रेलवे की विकास सबधी योजनाओ को पूरा करने के वास्ते वार्षिक योजनाओ मे वृद्धि की गई। रेलवे की वार्षिक योजना (वास्तविक) 1992–93 मे 6,162 करोड रुपए, वर्ष 1993-94 मे 5,901 करोड रुपए तथा 1994-95 मे 5,472 थी। बदले आर्थिक परिवेश मे रेलवे की बढती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1995–96 मे रेलवे योजना परिव्यय 7,500 करोड रुपए निर्धारित किया गया। यह राशि कोंकण रेलवे निगम द्वारा जुटाए जाने वाले 120 करोड रुपए तथा भारतीय कटेनर द्वारा जुटाए जाने वाले 74 करोड रुपए के अतिरिक्त थी। वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना (वास्तविक) 6 335 करोड रुपए रही। गत वर्ष की तुलना मे 15 8 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1996–97 की वार्षिक योजना 8,310 करोड रुपए, 1997–98 की वार्षिक योजना 8,239 करोड रुपए तथा 1998–99 की वार्षिक योजना 8,755 करोड रुपए (स अ) थी। वर्ष 1999–2000 की रेलवे वार्षिक योजना 9,700 करोड रुपए (बजट अनुमान) निर्धारित की गई है। रेलवे की आठवीं योजना का वास्तविक परिव्यय निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की सभावना हैं क्योकि पाच वार्षिक योजनाओ का कुल परिव्यय आठवीं योजना के प्रस्तावित परिव्यय से अधिक बैठता है। आठवीं योजना के रेल परिवहन के लिए 27,202 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

10 बजटीय समर्थन में कमी (Lack in Budgeted Supporting) – रेलवे के बजटीय समर्थन म निरन्तर कमी हुई है। पाचवी योजना मे रेलवे योजना परिव्यय का 75 प्रतिशत बजटीय समर्थन था जो घटकर सातवीं योजना मे 40 प्रतिशत रह गया है। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षो में रेलवे को बजटीय समर्थन इसकी वार्षिक योजनाओ के लगभग 18 प्रतिशत रहा। बजटीय समर्थन के कमी के साथ रेलवे आय

मे कमी हुई जिसका विपरीत प्रभाव इजन, कोच एव बैगन निर्माण पर पडा। बजटीय समर्थन के अलावा वित्त पूर्ति का स्रोत बाजार ऋण है जो अनिश्चित तथा खर्चीला है।

रेलवे ने 1993–94 मे 17 प्रतिशत और 1994–95 मे 18 प्रतिशत के बजटीय समर्थन से काम चलाया जो पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना मे बहुत कम था। रेलवे बजटीय समर्थन वर्ष 1995–96 मे 15 प्रतिशत, 1996–97 मे 18 प्रतिशत, 1997–98 मे 24 प्रतिशत, 1998–99 मे 23 2 प्रतिशत तथा 1999–2000 मे 26 2 प्रतिशत (बजट अनुमान) था।[6]

रेलवे मे आन्तरिक ससाधनो के अपेक्षित नहीं बढने से ऋणो पर निर्भरता बढी है। रेलवे के आन्तरिक ससाधन वर्ष 1994–95 मे 66 23 प्रतिशत से घटकर 1995–96 (बजट अनुमान) मे 54 67 प्रतिशत रह गए। जिससे 1994–95 के योजना परिव्यय मे ऋणो का हिस्सा 16 11 प्रतिशत था जो तेजी से बढकर 1995–96 मे बजट अनुमानो मे 30 प्रतिशत हो गया।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था सक्रमण के दौर से गुजर रही है। सरकार के पास ससाधन सीमित हैं। बजट घाटे को नियत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे रेलवे को विकासगत जरुरतो को पूरा करने के लिए आन्तरित ससाधनो मे वृद्धि के प्रयास करने होगे। माल तथा यात्री परिवहन के निर्धारित लक्ष्यो को अर्जित करके इस दिशा मे आगे बढा जा सकता है। बदलते परिवेश में रेलवे को खुद अपने पैरों पर खडे होना है।

11. रेल वित्त (Railway Finance) – वर्ष 1924–25 से रेल वित्त को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्त से पृथक् रखा जाता है और रेल बजट अलग से ससद मे पेश किया जाता है। रेलवे की सकल प्राप्तियो मे यात्री किराया, माल भाडा, अन्य प्राप्तिया एव उचती खाते (Suspense Account) को सम्मिलित किया जाता है। कुल कार्यकारी व्यय मे साधारण कार्यकारी व्यय, मूल्य ह्रास निधि को योगदान, रेलवे पेन्शन निधि को योगदान सम्मिलित किया जाता है।

रेलवे की कुल प्राप्ति 1950–51 मे 263 करोड रुपए थी जो बढकर 1990–91 मे 12,096 करोड रुपए, 1992–93 मे बढकर 15,688 करोड रुपए हो गई। वर्ष 1998–99 के सशोधित अनुमानो मे कुल प्राप्ति 30,415 करोड रुपए थी। रेलवे की कुल प्राप्ति मे माल से प्राप्तियो (Goods Receipts) का योगदान अधिक है। वर्ष 1992–93 की कुल प्राप्ति 15,688 करोड रुपए मे माल भाडा प्राप्ति 10,903 करोड रुपए थी जो कुल प्राप्ति का 69 5 प्रतिशत थी।

रेलवे के कुल कार्यकारी व्यय में भारी वृद्धि हुई। यह 1950–51 मे 215 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 में 11,154 करोड रुपए तक जा पहुंचा। इन चार दशको मे रेलवे के कार्यकारी व्यय मे बावन गुना वृद्धि हुई। कुल कार्यकारी व्यय 1992–93 मे 13,980 करोड रुपए तथा 1998–99 के सशोधित अनुमानो मे

28 400 करोड रुपए था। कुल कार्यकारी व्यय म साधारण कार्यकारी व्यय का भाग अधिक है। साधारण कार्यकारी व्यय 1980–81 म केवल 2 233 करोड़ रुपए था जो बढकर 1992–93 मे 10 480 करोड रुपए तक जा पहुचा। वर्ष 1995–96 के सशोधित अनुमानो मे साधारण कार्यकारी व्यय कुल कार्यकारी व्यय का 8(6 प्रतिशत था। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बडा उपक्रम होने के कारण इसमे भारी सख्या मे कर्मचारी नियोजित है। पाचवे वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने के कारण भी रेलवे के व्यया मे वृद्धि हुई।

भारतीय रेल की वित्तीय भूमिका

(करोड रुपए)

योजना	कुल प्राप्ति	कुल कार्यकारी व्यय	शुद्ध रेल राजस्व	सामान्य राजस्व को भुगतान	अतिरेक(+)/ घाटा ( )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1950-51	263	215	48	33	+15
1960-61	457	369	88	56	+32
1970-71	1007	862	145	165	+20
1980-81	2624	2537	127	325	198
1990-91	12096	11154	1113	938	+175
1991-92	13730	12389	1541	1106	+435
1992-93	15688	13980	1955	1514	+441
1993-94	17946	151,35	3102	129(	+1806
1994-95	20,101	16590	3808	1362	+244(
1995-96	22,418	18525	4135	1264	+2871
1996-97	24,319	21001	3624	1507	+2117
1997-98	28,589	2587(	3024	1489	+1535
1998 99 (सं अ)	30 416	28400	2371	1752	+619
1999-00 (ब अ)	33 111	30283	3458	1914	+1544

स्रोत 1 *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे* 1998 99 एस–50

2 *इकोनॉमिक टाइम्स* 26 फरवरी 1999

12 वित्तीय स्थिति (Financial Position) – आरम्भिक तीन दशकों मे रेलो की शुद्ध प्राप्ति काफी कम थी। बाद के दशको मे रेल यातायात मे भारी वृद्धि हुई जिससे शुद्ध प्राप्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950–51 मे शुद्ध प्राप्ति 48 करोड रुपए थी जो बढकर 1990–91 म 1 113 करोड रुपए हो गई। शुद्ध प्राप्ति 1992–93 मे 1 955 करोड़ रुपए तथा 1998–99 के सशोधित अनुमानो मे 2 371 करोड रुपए थी। रेलवे की ब्याज–देय–पूजी (Capital at charge) 1980–81 मे 6 096 करोड़ रुपए तथा 1992–93 मे 20 123 करोड रुपए थी। शुद्ध प्राप्ति का ब्याज देय पूजी पर प्रतिशत 1980–81 म 2 1 प्रतिशत तथा 1992–93 मे 9 7 था।

रेलवे द्वारा शुद्ध प्राप्ति का बडा भाग सामान्य राजस्व को लाभाश के रूप मे दिया जाता है। शुद्ध प्राप्ति मे वृद्धि के साथ सामान्य राजस्व को लाभाश मे भारी वृद्धि हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 1950–51 मे 33 करोड रुपए था जो बढकर 1990–91 मे 938 करोड रुपए तथा 1992–93 मे और बढकर 1,514 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1994–95 की वित्तीय स्थिति का उल्लेख रुचिकर होगा। इस वर्ष रेलवे को शुद्ध प्राप्ति 3,808 करोड रुपए हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 1,362 करोड रूपए दिए और रेलवे को 2,446 करोड रुपए का अतिरेक हुआ। जो अब अधिकतम था। वर्ष 1999–2000 के बजट अनुमानो मे सामान्य राजस्व को लाभाश 1914 करोड रुपए तथा 1,544 करोड रुपए का अतिरेक था।

रेलवे वर्तमान मे अतिरेक (Surplus) मे है। अतिरेक स्थिति 1990–91 से पूर्व के वर्षो मे कम थी किन्तु बाद के वर्षो विशेषकर 1993–94 मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1950–51 मे अतिरेक केवल 15 करोड रुपए था जो 1990–91 मे 175 करोड रुपए तथा 1993–94 मे और बढकर 1,806 करोड रुपए हो गया। अतिरेक 1998–99 के सशोधित अनुमानों मे 619 करोड रुपए था। रेलवे का घाटा 1980–81 मे ब्याज-देय-पूजी पर ऋणात्मक 3 2 प्रतिशत था। बाद के वर्षो मे रेलवे को अतिरेक प्राप्त हुआ। 1990–91 मे अतिरेक ब्याज-देय-पूजी का 1 1 प्रतिशत था जो बढकर 1992–93 मे 2 2 प्रतिशत तथा 1993–94 मे (सशोधित अनुमान) 9 6 प्रतिशत हो गया यह 1994–95 के बजट अनुमानो मे 7 7 प्रतिशत था।

बदलते आर्थिक परिवेश मे भारतीय रेलवे को आर्थिक सुधारो के अनुरूप ढालने का प्रयास समाचीन प्रतीत होता है। वर्तमान मे भारतीय रेलवे मे गुणवत्ता का अभाव है। रेलवे के विकास मे अनेक बाधाए हैं। आज तीव्र औद्योगीकरण के लिए रेलवे विकास की आवश्यकता है। रेलवे मे आर्थिक सुधारो को गति देने से ससाधनो की सीमितता की समस्या हल हो सकेगी।

रेल परिवहन की समस्याएं
(Problems in Railways)

भारतीय रेलवे मे स्वतत्रता के पश्चात् विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। यह बात रेल मार्गो की बढती लम्बाई, विद्युतीकरण, यात्रियों की सख्या, माल की मात्रा आदि से सहज सिद्ध हो जाती है। किन्तु भारत की विशाल जनसख्या और विस्तृत क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे में अभी भी तीव्र विकास की आवश्यकता है। रेलवे के सामने अनेक समस्याए मुहबाए खडी है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है -

1. धीमा विकास (Slow Development) – देश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रेल सेवाए अपर्याप्त है। आज भी अकूत प्राकृतिक ससाधनो वाले क्षेत्र रेल सेवा से जुडे हुए नही है। विगत दशको मे जो रेलवे विकास हुआ है वह विश्व के अन्य देशो की तुलना मे धीमा है। रेल व्यवस्था भले ही विश्व मे बेहतर स्थान रखती हो किन्तु यह आदर्श नही बन पायी है। भारत में प्रति एक लाख जनसख्या के लिए

रेल मार्ग की लम्बाई 9 6 किलोमीटर है जबकि यह अमरीका मे 224 किलोमीटर, ब्रिटेन मे 46 किलोमीटर तथा कनाडा मे 465 किलोमीटर है। इसी प्रकार प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्रफल के लिए भारत मे रेल मार्ग की लम्बाई 2 7 किलोमीटर है जबकि यह ब्रिटेन मे 20 किलोमीटर, कनाडा मे 10 किलोमीटर तथा अमरीका मे 6 6 किलोमीटर है।

2 **विद्युतीकरण का अभाव** (Lack of Electrification) — रेलमार्गों के विद्युतीकरण के काम मे प्रगति हुई है किन्तु कुल रेल मार्ग में विद्युतीकरण आज भी कम है। वर्ष 1997–98 मे कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,500 किलोमीटर थी इसमें विद्युतीकृत रेल मार्ग केवल 14,000 किलोमीटर था जो कुल रेल मार्ग का 22 4 प्रतिशत है। स्पष्ट है लगभग अस्सी प्रतिशत रेल मार्ग विद्युतीकृत नहीं है। विद्युतीकरण के अभाव मे तेज रफ्तार की यात्री तथा माल गाडिया चलाने मे कठिनाई आती है।

3. **पुरानी तकनीक** (Old Technology) — रेलवे मे तकनीक सुधार के क्षेत्र में भाप इजनो के स्थान पर डीजल और विद्युत इजन का प्रयोग बढा है। देश में आज भी भाप इजनो का प्रयोग हो रहा है। डीजल इजनों की सख्या अधिक है। तेज रफ्तार के लिए विद्युत इजन आवश्यक है। रेलवे मे विद्युतीकृत रेल मार्गों के अभाव में विद्युत इजनो की सख्या नहीं बढ पाई और अब विद्युत एव डीजल इजनों के प्रयोग की तकनीक भी तीन दशक पुरानी हो चुकी है। आज विश्व में अधिक हार्स पावर तथा कम ऊर्जा के इस्तेमाल वाले इजनो का विकास हो चुका है। बदलती तकनीक के अनुसार भारतीय रेलवे मे सुधार आवश्यक हो गया है।

4 **रेल पटरिया तेज रफ्तार की गाडियो के अनुकूल नहीं** (Railway Tracks Unfavourable for Fast Trains) — भारत मे रेल गाडियो की रफ्तार विकसित देशो की तुलना मे काफी कम है और कुछ तेज रफ्तार वाली गाडिया हैं किन्तु रेल पटरियो के उपयुक्त नहीं होने के कारण उनकी रफ्तार क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस श्रृखला की रेल गाडिया 130 किलोमीटर प्रति घटे की रफ्तार से दौड सकती है। इसके अलावा शताब्दी श्रृखला रेल गाडियों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घटा है। भारतीय रेलवे मे लकडी के स्लीपरो के स्थान पर कक्रीट स्लीपर का प्रयोग होने लगा है किन्तु लकडी के स्लीपरो को बदलने का काम पूरा नहीं हुआ है। रेल पटरियो को वैल्डिग से जोडा जाना चाहिए।

5 **आमान परिवर्तन** (Changes of Gague) — भारत मे बडी रेल लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन (762 मि मी और 610 मि ली) है। एक सामान (यूनीगेज) रेल लाइने नहीं होने से लम्बी दूरी की यात्रा और माल यातायात में कठिनाई आती है। यात्रिया और माल की एक रेल गाडी से दूसरी रेल गाडी मे अदला–बदली करनी पडती है और फिर तीव्र विकास के लिए बडी रेल लाइन आवश्यक है। रेलवे मे आधुनिकीकरण के लिए भी समान गेज वाली रेल लाइन जरूरी है। मार्च 1993 मे रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर थी जिसमे बडी रेल लाइन 36,504 किलोमीटर, मीटर लाइन 21,997 किलोमीटर तथा छोटी लाइन

3,985 किलोमीटर थी। वर्ष 1996–97 मे भारतीय रेलवे की 62,800 किलोमीटर रेल पटरियो मे 24,000 किलोमीटर मीटर गेज तथा 4,000 किलोमीटर नैरो गेज थी।

6 **प्रतिस्पर्धा** (Competition) – भारतीय रेलवे को सडक तथा वायु यातायात से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। देश मे सडके रेल पटरियो के साथ–साथ बनी हुई है। सडक परिवहन के अलग लाभ है। सुविधा होने के कारण लोग माल को सडक परिवहन से भेजना पसन्द करते हैं। जिससे रेलवे को माल राजस्व मे कमी का सामना करना पडता है। शताब्दी श्रृखला रेल गाडियो को वायु यातायात से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है। रेल गाडियो की रफ्तार तथा यात्रियो की सुविधाओ मे वृद्धि कर रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

7. **विदेशी निर्भरता** (Foreign Dependence) – भारत रेलवे मे उच्च तकनीक के क्षेत्र मे विदेशो पर निर्भर है। विगत मे कनाडा से डीजल इजन आयात किया। हाल मे स्विजरलैण्ड से छह हजार हार्स पावर क्षमता के तीन फेज वाले अत्याधुनिक विद्युत इजनो का आयात किया गया। इसके अलावा हाल मे जर्मनी से तेज रफ्तार की रेल गाडियो मे काम आने वाले 21 यात्री डिब्बे खरीदने का फैसला किया गया। इन्हे 300 किलोमीटर प्रति घटा रफ्तार की रेल गाडियो में काम लिया जा सकता है। रेलवे की इन अत्याधुनिक तकनीक के सामने क्या भारत की रेल पटरिया उपयुक्त हैं रेलवे मे दुर्घटना की समस्या मुहबाए है। कर्मचारियों मे तकनीकी कौशल का अभाव है। सिगनल प्रणाली स्तरीय नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक को आत्मसात करने से पूर्व भारतीय रेल को रेल मार्गो और सिगनल प्रणाली में सुधार की और ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

8 **वित्तीय समस्या** (Financial Problem) – आर्थिक विकास के साथ माल यातायात और जनसख्या वृद्धि के साथ यात्री यातायात मे वृद्धि हो रही है। रेल सेवा को स्तरीय बनाने की भी आवश्यकता है। वर्तमान मे रेलवे के विस्तार की माग अधिक है। किन्तु रेलवे वित्तीय ससाधनो के अभाव से ग्रसित है। योजना आयोग तथा वित्त मत्रालय ने रेल बजट 1997–98 के लिए वित्तीय समर्थन बढाने मे असमर्थता व्यक्त की। रेलवे की विकासगत जरूरतो को पूरा करने के लिए नौवीं योजना मे 50,000 करोड रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी। रेलवे वार्षिक योजना परिव्यय 10,000 करोड रुपए निर्धारित करना होगा। नौवीं योजना के तीसरे वित्तीय वर्ष 1999–2000 मे रेलवे की वार्षिक योजना का आकार 9,700 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो रेलवे की विकासगत जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस योजना परिव्यय मे 26 2 प्रतिशत बजटीय समर्थन का प्रावधान है। वर्ष 1999–2000 के आर्थिक सर्वेक्षण मे आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही गई है ऐसी स्थिति मे बजटीय समर्थन के अधिक बने रहने की सभावना कम है गौरतलब है वर्ष 1997–98 मे बजटीय समर्थन केवल 24 प्रतिशत था। अत रेलवे को भविष्य मे आन्तरिक ससाधनो से ही वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति करनी होगी। अत रेलवे

की आय बढाना जरूरी है।

9 यात्री और माल परिवहन में रेलवे का घटता भाग (Decreasing Part of Railway in Passengers and Goods Transport) — यात्री परिवहन मे रेलवे का भाग 1950–51 मे 88 प्रतिशत था जो घटकर 1990–91 मे 46 6 प्रतिशत तथा 1994–95 म और घटकर 40 प्रतिशत रह गया। यात्री परिवहन के साथ–साथ माल परिवहन का हिस्सा भी घटा। माल परिवहन मे रेलवे की भागदारी 1950–51 में 74 प्रतिशत थी जो घटकर 1990–91 म 21 प्रतिशत तथा 1994–95 मे और घटकर 20 प्रतिशत रह गई।[7] रेल परिवहन की दशा सुधारने वास्ते यात्री और माल परिवहन मे रेलवे की भागीदारी बढाने की आवश्यकता है। माल भाडे की दरों को नियत्रित करके तथा रेल यात्रियो को सस्ती और आरामदेह यात्रा मुहैया कराके रेलवे की भूमिका मे बढोतरी की जा सकती है।

10 रेल दुर्घटनाए (Rail Accidents) — भारतीय रेल मे दुर्घटनाओ की समस्या मुखर है। हाल की 2 अगस्त 1999 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गैसल स्टेशन (प बगाल) पर अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मल के बीच भीषण टक्कर मे 500 से ज्यादा यात्री मारे गए तथा साढे सात सौ से अधिक घायल हो गए। गत अठारह वर्षों में कई भीषण रेल हादसे घटे। राजस्थान मे भी भीषण रेल दुर्घटनाए हुई। 21 सितम्बर 1993 को पश्चिम रेलवे के छबडा तथा भूलोन (राजस्थान) रेलवे स्टेशन के बीच कोटा बीना यात्री गाडी तथा एक मालगाडी के बीच टक्कर मे 78 लोगो की मौत हुई तथा 88 घायल हुए। रेल परिवहन को विश्वसनीय बनाने के लिए रल दुर्घटनाओ पर नियत्रण आवश्यक है। रेल परिवहन म आधुनिकतम तकनीक को आत्मसात करके तथा कर्मचारियो को उचित प्रशिक्षण देकर रेल दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

11 कुल कार्यकारी व्यय में वृद्धि (Increase in Total Working Experies) — हाल ही के वर्षो मे रेलवे के कुल कार्यकारी व्यय म भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990–91 मे कुल कार्यकारी व्यय 11 154 कराड रुपए था जो बढकर 1998–99 के सशोधित अनुमानो में 28 400 करोड रुपए तक जा पहुचा। कुल कार्यकारी व्यय म साधारण कार्यकारी व्यय का भाग अधिक है। 1995–96 मे साधारण कार्यकारी व्यय 14 500 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) था जो कुल कार्यकारी व्यय का 86 6 प्रतिशत था। कुल कार्यकारी व्ययो मे कमी करके रेलवे के वित्तीय ससाधनो मे वृद्धि की जा सकती है।

भारतीय रेलवे मे अधिक भीड बिना टिकट यात्रा भ्रष्टाचार रेल दुर्घटनाए गाडिया का विलम्ब से आना चन खींचना डकैती हाज पाइप काटना सम्पत्ति की चोरी आदि समस्याए मुहबाए खडी है। रेलवे म आम आदमियो की सुविधा का कम ध्यान रखा जाता ह। तेज रफ्तार की रेल गाडियों के सामान्य कोच मे यात्रा करना बडा कष्टप्रद है। इन समस्याओ के रहते रेलवे विकास अधूरा है।

भारत में रेल परिवहन की सभावनाए
(Prospects of Rail Transport in India)

भारत में रेल परिवहन के विकास की अच्छी सभावनाए है। भारत अमेरिकन सस्था वर्ल्ड वाच के अनुसार 15 अगस्त, 1999 को 100 करोड की जनसख्या पार कर चुका है। भारत मे जनसख्या वृद्धि दर विश्व के देशो की तुलना मे अधिक है। यात्री यातायात की दृष्टि से रेलो का भविष्य उज्जवल है। भारत की लम्बी दूरी की अधिकाश रेलगाडियो की यात्री सख्या यात्रा क्षमता के बराबर होती है। यात्री सख्या 1990–91 मे 3,858 मिलियन थी जो 1997–98 मे बढकर 4,348 मिलियन हो गई। सात वर्षों मे यात्री सख्या मे 12 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत की राष्ट्रीय यातायात नीति समिति 1980 के अनुसार दिसम्बर 2000 तक भारत मे रेल यात्री यातायात 520 अरब यात्री किलोमीटर पहुचने की सभावना है।

भारत मे प्राकृतिक ससाधन भरे पडे है। आर्थिक सुधारो को आत्मसात करने के बाद औद्योगीकरण गति पकड रहा है। अत माल यातायात के विकास की विपुल सभावनाए हैं। उत्पादन वृद्धि से निर्यात फलीभूत हुआ है। भविष्य मे माल को बन्दरगाहों तक पहुचाने मे रेल परिवहन का अधिकाधिक उपयोग होगा। केन्द्र सरकार ने आधारभूत सरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है जिससे रेल परिहवन के विकास की सभावनाए है। देश मे आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर हैं। रेल मार्गो के विद्युतीकरण ने भी जोर पकडा है। रेल की वार्षिक योजनाओ मे वृद्धि वास्ते रेल मत्रालय प्रयासरत है। कुल मिलाकर भारत मे रेल परिवहन का भविष्य बेहतरीन है।

सन्दर्भ

1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994
2 इण्डियन रेलवे, एनूवल रिपोर्ट एण्ड एकाउटस, 1989 90
3 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 569
4 Indian Economy Statistical Year Book, 1998
5 Indian Economic Survey, 1998-99, S-30
6 Economic Times, 26 February, 1999
7 Indian Economy Statistical Year Book, 1998, p 221

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेल परिवहन के महत्त्व को बताइए।
2 रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तियो की व्याख्या कीजिए।
3 रेल परिवहन की प्रमुख समस्याए क्या है?
4 भारत मे रेल परिवहन के विकास की क्या सभावनाए है?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. पचवर्षीय योजनाओ मे रेल परिवहन के विकास की व्याख्या कीजिए।
   (संकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय म दिए गए पचवर्षीय योजनाओं मे रेलो का विकास लिखना है।)
2. भारतीय अर्थव्यवस्था मे रेल परिवहन का क्या महत्त्व है? विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे रेल परिवहन की क्या प्रगति हुयी?
   (संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे रेल परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग मे पचवर्षीय योजनाओ म रेलो की प्रगति को लिखना है।)
3. भारत मे रेल परिवहन की प्रगति और समस्याओ की विवेचना कीजिए।
   (संकेत – इस प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग मे रेलो की प्रगति तथा दूसरे भाग मे रेल परिवहन की समस्याए बतानी है।)
4. भारत मे रेल परिवहन की क्या समस्याए है तथा इसके समाधान के सुझाव दीजिए।
5. भारत मे रेल परिवहन का क्या महत्त्व है। आर्थिक उदारीकरण मे रेल परिवहन की प्रगति बताइए।
   (संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे रेल परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग में उदारीकरण मे रेलो का विकास लिखना है।)

भारत में सड़क परिवहन

(Road Transport in India)

राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास मे सडको का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत मे सडको की उपादेयता मध्य काल से ही नहीं प्राचीन काल मे भी स्वीकार की जाती थी। शासक व्यापार प्रोत्साहन के लिए सडको को महत्त्व देते थे। भारत गावो का देश है तथा भौगोलिक स्थिति विविधता से ओत–प्रोत है। ऐसी स्थिति म सडको का विशेष महत्त्व है। सडके व्यापार, कृषि और उद्योगा के विकास का आधार है। प्रसिद्ध विचारक रस्किन के अनुसार "राष्ट्र की समस्त आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुन्दर और अच्छी सडको के चारो और घूमती है।" श्री बेन्थम ने सडको के महत्व के सम्बन्ध मे लिखा है कि "सडके किसी देश की धमनिया व शिराए है जिसके माध्यम से उत्पादन रूपी रक्त का सचार होता है।"

सडक परिवहन की विशेषताऍ
(Characteristics of Road Transport)

सडक परिवहन की कुछ प्रमुख विशेषताए हे जो उसे परिवहन के अन्य साधनो से पृथक करती है। सडक परिवहन, रेल व वायु परिवहन की तुलना मे अधिक व्यापक व उपयोगी है। सडके प्रमुख नगरा व गावो को परस्पर मिलाती हैं। सडक परिवहन की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है –

1. सस्ती सेवा (Cheap Service) – भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। यहा की जनता निर्धन है। सडक परिवहन रेल व वायु परिवहन की तुलना मे सस्ता है। सडको के निर्माण और रख–रखाव मे अपक्षाकृत कम विनियोजन होता है। सडको के निर्माण मे विशेष कौशल की भी आवश्यकता नहीं होती है।

2 लोच (Flexibility) – सडक परिवहन सर्वाधिक लोचपूर्ण साधन है। सडक की पहुच प्रत्येक स्थान तक है। गावो को सडको से जोडा जा सकता है। सडको पर ट्रक, बसें, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाडी आदि का उपयाग किया जा सकता है। जहा चाहे वहा रुक सकते हैं।

3 सुरक्षा (Safety) – सडक परिवहन सुरक्षित साधन है। जान व माल की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा रहती है। सडक परिहवन मे माल को सुरक्षित पहुचाने का दायित्व स्वामी का होता है।

4 समय और श्रम की बचत (Save of Time and Labour) – गन्तव्य स्थल तक सेवा प्रदान करने के कारण समय व श्रम की बचत होती है। माल को बार–बार उतारने की जरुरत नहीं पडती है। रेल परिवहन की सुविधा स्टेशन तक ही सीमित होती है। स्टेशन से घर के लिए सडक परिवहन की आवश्यकता होती है।

5 बहुमुखी सेवा (Multi Purpose Use) – सडकें बहुमुखी सेवा प्रदान करती है। सडको का मोटर, ट्रक, तागा, रिक्शा, बैलगाडी, मनुष्य, पशु, ठेला आदि सभी उपयोग करते हैं। सडको का उपयोग घर, कार्यालय, बाजार, उद्यान, पर्यटन स्थल, मरुस्थली क्षेत्र आदि सभी स्थानो पर आसानी से किया जा सकता है।

6 पूर्ण सेवा (Complete Service) – सडक परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करता है। सडके गोदाम से गन्तव्य स्थल तक सेवा देती हैं। सडकों पर बस व ट्रकों की सेवा इच्छानुसार प्रारम्भ व समाप्त की जा सकती है।

7 अधिकतम जनकल्याण (Maximum Social Welfare) – सडक परिवहन अधिकतम जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सडके अमीर–गरीब सभी के लिए उपयोगी हैं। सडके अन्य परिवहन के साधनो की तुलना में सस्ती एव सुलभ हैं।

8 कम पूजी (Less Capital) – सडक परिवहन मे कम पूजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत रेलो वायुयानो व जहाजो म अधिक पूजी की आवश्यकता पडती है। सडक परिवहन म प्रयुक्त मोटर, ट्रको मे कम विनियोजन होता है।

9 स्वतत्रता (Independence) – सडक परिवहन में स्वतत्रता है। यदि एक सडक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।

10 सामान्य पैंकिग (Simple Packing) – सडक परिवहन म रेलो की भाति माल की विशेष पैंकिग की आवश्यकता नहीं होती है। सडक परिवहन के स्वामी वैयक्तिक रूप स उत्तरदायी होता है। इसके अलावा माल का स्वामी सडक परिवहन मे साथ रह सकता है।

11 विविधता (Diversity) – सडक परिवहन विविधतापूर्ण है। इसमे यातायात के अनेक साधन यथा मोटर, ट्रक, कार, जीप, स्कूटर, मोटर साईकिल, तागा, टैम्पू, आटो आदि का आनन्द लिया जा सकता है।

12 असगठित (Unorganised) – सडक परिवहन निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र मे बटा हुआ है। इसम निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक है। ये परस्पर सगठित नहीं हैं। स्वामित्व की भिन्नता के कारण सगठन स्थाई नहीं रहता है।

13 असुविधाजनक (Inconvenient) – सडक परिवहन अन्य साधनों की तुलना में असुविधाजनक है। रेलो की तुलना म सडक परिवहन में विश्राम करने बैठने एव सामान्य सुविधाओ का अभाव होता है।

14 दुर्घटना (Accident) – सडक परिवहन से दुर्घटना का भय अधिक रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन दुर्घटनाए होती हैं। दुर्घटना मे जान व माल की बडी क्षति होती है।

15 सरकारी नियत्रण की आवश्यकता (Need of Government Control) – सडक परिवहन मे अधिक सरकारी नियत्रण की आवश्यकता होती है। सडक परिवहन के सबध मे सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते है जिनका पालन करना वाहनो के लिए अनिवार्य होता है।

16 हित सघर्ष (Benefit Struggle) – सडक परिवहन का सचालन निजी क्षेत्र मे होने के कारण उपभोक्ताओ और वाहन चालको के बीच हित सघर्ष होता है। उपभोक्ता कम भाडे के साथ अधिक सुविधाए चाहते हैं जबकि वाहन चालक अधिक भाडा और अधिक सवारिया चाहते हैं।

17 पूरक (Supplement) – सडक परिवहन, रेल, वायु और जल परिवहन के पूरक का काम करता है। रेल, वायुयानो से यात्रा के बाद गन्तव्य स्थलो तक पहुचने के लिए सडक परिवहन का उपयोग किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सडक परिवहन का महत्त्व (Importance of Road Transport in Indian Economy)

अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में सडक परिवहन की उपादेयता समाहित है। आज कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक–सेवा आदि का विकास सडको द्वारा ही सभव है। सडको की उपादेयता के कारण ही इन्हे अर्थव्यवस्था की शिराए और धमनियो की सज्ञा भी दी जाती है जो उत्पादन रूपी रक्त का सचार करती है। भारत जैसे समृद्ध प्राकृतिक ससाधन, विशाल आबादी, बहुमूल्य सास्कृतिक विरासत वाले देश मे सडको का महत्त्व अधिक है –

1 कृषिगत विकास (Agricultural Development) – भारत कृषि प्रधान देश है। यहा की बहुसख्यक आबादी गावो मे जीवन बसर करती है। गावो के विकास बिना भारत का विकास अधूरा है। कृषि गाववासियो की रोजी–रोटी का साधन है। गावो का विकास कृषि से जुडा है और कृषि विकास सडको पर निर्भर है। कृषि का ही नहीं गावो का सर्वागीण विकास सडको से सभव है। किसानो को कृषि उपज मडियो तक पहुचाने मे सडको की आवश्यकता होती है। भारत के गाव सडको से जुडे नहीं होने के कारण किसान सेठ–साहूकारो के चगुल मे फसे रहे। किसानो को कृषिगत उपकरण बीज खाद, कृषि पडत आदि औद्यागिक केन्द्रो से मगाने मे भी सडक परिवहन का विशेष महत्त्व है।

2 औद्योगिक विकास (Industrial Development) – औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सरचना आवश्यक है। सडक परिवहन महत्त्वपूर्ण आधारिक सरचना है। बिना सडका के औद्यागिक विकास को गति नहीं दी जा सकती है। कृषिगत कच्चा माल और अन्य औद्योगिक कच्चा माल यथा खनिज सडक परिवहन के द्वारा

औद्योगिक केन्द्रो तक पहुचाया जाता है। निर्मित माल भी उपभोक्ताओ तक सडको से ही पहुचाया जाता है। गावो मे लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास भी बडी सीमा तक सडको पर निर्भर है।

3 व्यापारिक महत्व (Trade Importance) – सडको का व्यापारिक महत्व है। सडकें आन्तरिक और विदेशी व्यापार बढाने मे सहायक है। राष्ट्रीय उत्पादन सडको के माध्यम से देश के कोने–कोने मे पहुचता है। विदेशी व्यापार के लिए उत्पादन को बन्दरगाहो तक पहुचाने मे सडके सहायक होती है।

4 प्राकृतिक साधनो का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) – सडक परिवहन से प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन होता है। पहाडो और रेगिस्तानी क्षेत्रो की प्राकृतिक सपदा के विदोहन मे सडक परिवहन सस्ता और सुगम साधन है। वन्य उत्पादो को सड़क मार्गों द्वारा उपभोक्ता तक पहुचाया जाता है।

5 रोजगार सृजन (Employment Generation) – सडकें रोजगार सृजन मे सहायक हैं। सडको के निर्माण मरम्मत मोटर यातायात परिवहन का प्रशासन आदि मे लाखो व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। अकाल के समय भी सडक निर्माण मे लोगो को रोजगार मुहैया कराकर राहत दी जाती है।

6 सामरिक महत्त्व (Military Importance) – युद्ध के समय सड़को का महत्व बढ जाता है। सैनिक और युद्ध सामग्री सडको के माध्यम से गन्तव्य स्थल तक पहुचायी जाती है। देश की सीमाओ के लिए भी सडको का महत्व है। भारत–पाक तथा भारत–चीन युद्ध के समय सडक परिवहन मरुस्थल जम्मू कश्मीर मे सहायक सिद्ध हुआ।

7 सकट काल मे सुरक्षा (Security During Emergency) – देश मे प्राकृतिक आपदा यथा अकाल बाढ भूकम्प और महामारी के सयम सडको का विशेष महत्त्व है। जरुरतमदो तो खाद्य सामग्री तथा रोगियो को दवा की पूर्ति सडको से की जाती है।

8 सामाजिक और सास्कृतिक लाभ (Social and Cultural Importance) – सडको का सामाजिक और सास्कृतिक महत्त्व अधिक है। सड़क परिवहन में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग परस्पर मिलते हैं। एक–दूसरे की सस्कृति से लाभान्वित होते है। विभिन्न भागों के लोग एक–दूसरे के सम्पर्क मे आने से विचारो का आदान–प्रदान करते है।

9 राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipts) – सडक परिवहन राजकीय आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सरकार प्रतिवर्ष वाहनो से सडक कर प्राप्त करती है।

10 प्रशासनिक महत्त्व (Administrative Importance) – प्रशासनिक कार्यो में सडक परिवहन की आवश्यकता होती है। आन्तरिक शाति व व्यवस्था बनाए रखने मे सडकों का महत्त्व है। अशात व दगाग्रस्त क्षेत्रो में सडक परिवहन की सहायता से स्थिति नियत्रित की जाती है। विकास कार्यों का सम्पादन और नियत्रण कर्मचारियो

का आवागमन, प्रजातान्त्रिक चुनाव आदि मे सडक परिवहन की उपादेयता निर्विवाद है।

11 शिक्षा (Education) – भारत निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए कृतसकल्प है। सरकार गाव–गाव मे स्कूल खोल रही है। शिक्षा के प्रसार मे सडक कारगर भूमिका निभा रही है।

12 पर्यटन विकास (Tourism Development) – सडक परिवहन पर्यटन के विकास मे सहायक है। सडक परिवहन मे प्रयुक्त वाहन निजी भी होते हैं। वाहन स्वामी अपनी सुविधा अनुसार पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं। पहाडी क्षेत्रो मे पर्यटन विकास के लिए सडके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में सडकों का वर्गीकरण
(Classification of Road in India)

दिसम्बर 1943 मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो के इजीनियरो का एक सम्मेलन नागपुर मे सम्पन्न हुआ जिसमें सडकों के विकास के लिए दस वर्षीय योजना बनाई गई जिसे नागपुर योजना कहा जाता है। नागपुर योजना के अनुसार सडको को पाच भागो मे वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है –

1 राष्ट्रीय सडके।
2 प्रान्तीय सडके।
3 बडी जिला सडकें।
4 लघु जिला सडके।
5 ग्रामीण सडके।

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) – राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। वर्तमान मे देश की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में 34,058 किलोमीटर लम्बी सडके शामिल है। सातवीं पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास पर 1,481 70 करोड रूपए ओर 1993 के दौरान 494 करोड रूपए खर्च किए गए। आठवीं पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास पर खर्च के लिये 2,460 करोड रुपए आबटित किए। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई देश मे सडको की कुल लम्बाई का केवल 2 प्रतिशत है लेकिन इनके जरिए सडक का करीब 40 प्रतिशत यातायात होता है।

राज्यों की सडकें (State Roads) – राज्यो के राजमार्गो तथा जिला और ग्रामीण सडको की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। इन सडको का रख–रखाव राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो की विभिन्न एजेन्सिया करती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सडको का विकास किया जा सकता है।

सीमावर्ती सडके (Territorial Roads) – सीमा सडक विकास बोर्ड की स्थापना 1960 मे की गई थी ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रो मे परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके वहा के आर्थिक विकास को तेज किया

जा सके तथा प्रतिरक्षा सबधी तैयारी को मजबूत बनाया जा सके। 31 मार्च 1993 तक सीमा सडक सगठन ने लगभग 24 000 किलोमीटर सडको का निर्माण किया।

भारत मे सडक परिवहन का विकास
(Development of Road Transport in India)

भारत मे प्राचीन काल से ही सडको के विकास पर ध्यान दिया गया। शासक अपने–अपने प्रदेशा मे व्यापार प्रोत्साहन के लिए सडको का निर्माण कराते थे। शासका की सडक परिवहन व्यवस्था अच्छी होने से प्रशासन में सुविधा होने के कारण सडके बनवाने म दिलचस्पी थी। मोहनजोदडो और हडप्पा में अच्छी सडक व्यवस्था थी। अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सडको का उल्लेख है। परन्तु भारत मे गुलामी के दिना म सडक परिवहन की स्थिति बदल गई। अग्रेजो ने लगभग दो सौ वर्षो मे सडको के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनके शासन काल के दौरान सडक परिवहन का उद्देश्य आर्थिक विकास में सहायता पहुचाना न होकर प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करना था। ब्रिटिश शासन काल मे सडक परिवहन पर प्रथम सगठित प्रयास 1943 की नागपुर योजना से प्रारम्भ हुआ।

स्वातन्त्र्योत्तर सडको के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन मे बिगडी सडक परिवहन व्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950–51 मे सडको की कुल लम्बाई 400 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 1990–91 मे 2 327 हजार किलोमीटर तथा 1995 96 मे और बढकर 3 320 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई 1950 51 मे 22 हजार किलामीटर थी जो बढकर 1990–91 में 34 हजार किलामीटर तथा 1995–96 म और बढकर 35 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। इसी प्रकार राज्य राजमार्गो का भी विकास हुआ। राज्य राजमार्गो की लम्बाई 1970–71 म 57 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 1990–91 में 127 हजार किलोमीटर तथा 1995–96 म 135 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। (देखें टेबिल पृ 600)

योजनाकाल में सडक विकास
(Development of Roads during Plan Period)

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951 56 (First Five Year Plan) – सडक विकास के कार्यक्रम नागपुर योजना के परिप्रेक्ष्य मे तैयार किए गए। प्रथम योजना के प्रारम्भ म (1950 51) मे भारत में पक्की सडको की कुल लम्बाई 1 60 000 किलोमीटर और कच्ची सडको की कुल लम्बाई 2 40 000 किलामीटर थी। इस प्रकार सडको की कुल लम्बाई 1950–51 म 400 हजार किलोमीटर थी। प्रथम योजना म सडक विकास पर 135 करोड रुपए व्यय किए गए।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) – दूसरी योजना म सडको के विकास पर 224 करोड रुपए व्यय किए गए। वर्ष 1960–61 म सडका की कुल लम्बाई 524 हजार किलोमीटर थी जिसमें पक्की सडके 263 हजार किलामीटर तथा कच्ची सडकें 261 हजार किलोमीटर थी।

सडक विकास की बीस वर्षीय योजना 1961-81 (Twenty Years Plan of Road Development) – राज्यो के मुख्य इजीनियर वर्ष 1959 मे हैदराबाद मे 1961–81 के बीस वर्षों मे सडको के विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। मुख्य इजीनियरो के प्रयत्नो से बीस वर्षीय सडक विकास योजना तैयार हुई। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे –

1 बीस वर्षों मे अवधि मे लगभग 4,00,000 किलोमीटर लम्बी सडको का निर्माण होना चाहिए।

2 देश के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्र पक्की सडको से जुडे हो।

3 इस योजना मे 5,200 करोड रूपए के कुल व्यय का प्रावधान किया गया जिसमे से 630 करोड रुपए ग्रामीण सडको के लिए प्रस्तावित थे।

4 1981 तक प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र मे 32 किलोमीटर सडके बनाने का लक्ष्य रखा गया।

5 विकसित क्षेत्रो में गाव पक्की सडको से 6 7 किलोमीटर से अधिक दूर और अल्प विकसित क्षेत्रों मे 13 4 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होने चाहिए।

6 बीस वर्षों की अवधि मे राष्ट्रीय राजमार्गो मे 130 प्रतिशत, राजमार्गो मे 100 प्रतिशत, जिला सडको में 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण सडको मे 16 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

7 आगे की पचवर्षीय योजनाओ मे सडको के विकास की 20 वर्षीय योजना को आधार बनाया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) – तीसरी योजना में सडक विकास के लिए हैदराबाद योजना को आधार बनाया गया। योजना मे सडको के विकास पर 440 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे पिछडे हुए एव सीमावर्ती क्षेत्रो की परिवहन आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया। भारत चीन सीमा विवाद के कारण सरकार ने सीमावर्ती प्रदेशो मे सडको के निर्माण पर 125 करोड रूपए अतिरिक्त व्यय किए। वर्ष 1965–66 मे 769 हजार किलोमीटर सडके थी जिनमे 343 हजार किलोमीटर पक्की सडकें व 426 हजार किलोमीटर कच्ची सडके थी।

वार्षिक योजनाएं 1966-69 (Annual Plans) – 1966 से 1969 तक तीन वर्षों मे सडको के निर्माण पर 309 करोड रूपए व्यय किए गए। वार्षिक योजनाओ मे 110 हजार किलोमीटर पक्की ओर 227 हजार किलोमीटर कच्ची सडकों का निर्माण किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) – चौथी योजना मे सडकों के विकास पर 862 करोड रुपए व्यय किए गए। योजना के अन्त मे (1973-74) 1,171 हजार किलोमीटर सडकें थी जिनमे से 498 हजार किलोमीटर पक्की सडके तथा 672 हजार किलोमीटर कच्ची सडके थी।

भारत मे सडक परिवहन विकास

मदे	1950 51	1960 61	1970 71	1980 81	1990 91	1991 92	1994 95	1995 96	1996 97
1 सडको की कुल लम्बाई (हजार किलोमीटर)	400	524	918	1419	2327	2462	3057	3320	उ न
2 राष्ट्रीय राजमार्गो की लम्बाई (हजार किलोमीटर)	22	24	24	32	34	34	34	34	34 3
3 राज्य राजमार्गो की कुल लम्बाई (हजार किलोमीटर)	उ न	उ न	57	94	127	129	134	135	उ न
4 पजीकृत वाहनो की सख्या									
कुल वाहन (हजार मे)	306	665	1865	5356	21310	23507	30295	[illegible]	[illegible]
ट्रक	82	168	343	542	1411	1514	1794	1785	2260
बसे	34	57	94	159	335	358	423	449	488
5 सडक यातायात से आय (करोड रुपए मे)									
केन्द्र सरकार को	35	112	452	1423	4596	4786	6016	8033	10621
राज्य सरकार को	13	55	231	750	3035	3510	4425	5462	6548

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 1998 99 एस 32 1999 2000 उ न = उपलब्ध नहीं

पाचवीं पचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) – पाचवी योजना मे सडको के विकास पर 1701 करोड रूपए व्यय किए गए। योजना के अन्त मे सडको की कुल लम्बाई 1,372 हजार किलोमीटर थी। इसमे 595 हजार किलोमीटर पक्की तथा 776 हजार किलोमीटर कच्ची सडकें थी।

छठी पचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना मे सडको के विकास पर 3,807 करोड रूपए खर्च किए गए। योजनावधि मे 18,000 गावो को सडको से जोडा गया। योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गो मे सुधार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काम हुए। 1980–81 मे सडको की कुल लम्बाई 1,491 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 1984-85 मे 1,687 हजार किलोमीटर हो गई। 1984–85 मे पक्की सडको की लम्बाई 788 हजार किलोमीटर थी। 1984–85 मे राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई 32 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गो की कुल लम्बाई 99 हजार किलोमीटर थी।

सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना मे सडक विकास पर 6,335 करोड रुपए खर्च किए गए। 1985–86 मे सडको की कुल लम्बाई 1,726 हजार किलोमीटर थी जो बढकर 1989–90 मे 1,970 हजार किलोमीटर हो गई। इस प्रकार सडको की कुल लम्बाई मे योजनावधि मे 14 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना के अत मे पक्की सडको की लम्बाई 960 हजार किलोमीटर थी। वर्ष 1989–90 मे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 34 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गो की लम्बाई 122 हजार किलोमीटर थी।

वार्षिक योजनाए 1990-91 व 1991-92 (Annual Plans) – सडको की कुल लम्बाई 1990–91 मे 2,037 हजार किलोमीटर तथा 1991–92 मे 2,041 हजार किलोमीटर थी। दो वर्षों मे सडको की कुल लम्बाई में 4 हजार किलोमीटर की वृद्धि हुई। 1991–92 मे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 33 7 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गो की लम्बाई 128 6 हजार किलोमीटर थी। दोनो वार्षिक योजनाओ के सडको के विकास पर 3,779 करोड रुपए व्यय हुए।

आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना मे सडको के विकास पर 2,600 करोड़ रूपए केन्द्रीय व्यय का प्रावधान किया गया। राज्यीय क्षेत्र मे सडको के विकास पर 10,610 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है। इस प्रकार आठवीं योजना मे सडको के विकास पर 13,210 करोड रूपए का प्रावधान किया गया। आठवीं योजना मे सडक परिवहन के मुख्य क्षेत्र और रणनीति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं -- सडक निर्माण को रोजगारोन्मुख बनाना, ऊर्जा का सरक्षण, सडक परिवहन की उत्पादकता बढाने के लिए सडक प्रणाली मे सुधार करना, आठवीं योजना के दौरान 30,000 गावो को सडकों से जोडना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गावो मे सडकों के निर्माण पर बल, सडक नेटवर्क में निरन्तर विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गो व राज्य मार्गों की कमियो को दूर करना आदि।

सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण
(Nationalisation of Road Transport)

भारत मे नियोजित विकास के दौरान सडक परिवहन को गति मिली। वर्ष 1950–51 मे पजीकृत वाहनो की सख्या 306 हजार थी जो बढकर 1994–95 में 30 287 हजार हो गई। चवालीस वर्षों मे पजीकृत वाहनो की सख्या मे लगभग सौ गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1950–51 के बाद सडको पर ट्रको की सख्या 82 हजार से बढकर 1994–95 म 1,796 हजार हो गई तथा बसो की सख्या 1950–51 मे 34 हजार से बढकर 1994–95 मे 425 हजार हो गई। चवालीस वर्षो मे ट्रको की सख्या म 22 गुना तथा बसों की सख्या मे साढे बारह गुना वृद्धि हुई।

वाहनो की सख्या के बढने से रोड यातायात से सरकार को प्राप्त आय म वृद्धि हुई। रोड यातायात से 1994–95 में केन्द्र सरकार को 6,918 करोड रूपए तथा राज्य सरकार को 4,424 करोड रुपए की आय हुई। 1950–51 में रोड यातायात से केन्द्र सरकार को 35 करोड रूपए तथा राज्य सरकार को 13 करोड रुपए की आय हुई थी। भारत मे मोटर गाडियो पर कराधान की दरे अधिक है। पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण मोटर परिवहन का विकास तीव्र गति से नहीं हो सका। केन्द्र और राज्य सरकारें सडक निर्माण और सडक अनुरक्षा (Road Maintenance) पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकी। बहुत से गाव आज भी सडक सुविधा से वचित है। सड़क परिवहन में निजी क्षेत्र लाभप्रद सडक मार्गों तक ही सीमित रहा।

भारत म आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने से पूर्व पचवर्षीय योजनाओं मे सार्वजनिक उपक्रमो का बोलबाला था। सडक परिवहन की समस्याओ के निराकरण के लिए सडक परिवहन विशेषकर बसो को राष्ट्रीयकरण के दायरे मे लिया गया। सडक परिवहन को निजी क्षेत्र तथा सहकारी समितिया भी चलाती हैं। स्वातन्त्रोत्तर राज्यीय सरकारों ने बसों का आशिक या पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

वर्तमान मे भारत मे 68 राज्यीय सडक परिवहन उद्यम (State Transport Undertakings) है जिनके पास मार्च 1990 के अत तक 1 02 लाख बसें थीं। इनम 3800 कराड रूपए का विनियोग हुआ था और इनमें 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इनम प्रतिदिन 600 लाख सवारिया यात्रा करती थी।[1]

राष्ट्रीय परमिट योजना
(National Permit Scheme)

वर्ष 1975 म परिवहन गाडियों की गतिविधियों पर सीमा बन्धन समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना म एक वर्ष में निश्चित सख्या तक परमिट दिए जाते है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त परमिट वाहन एक क्षत्र से दूसरे क्षेत्र में बिना रुकावट लम्बी दूरी तक आ–जा सकते हैं। वर्ष 1986 में खुली राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई जिसमें एक वर्ष मे परमिट जारी करने

की निश्चित सख्या को समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय से भ्रष्टाचार पर अकुश लगा।

मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे तर्क –
(Favourable Arguments of Nationalisation of Motor Transport)

1 **सार्वजनिक उपयोग सेवा** (Public Utility Service) – मोटर परिवहन सार्वजनिक उपयोगी सेवा है। इसे राज्य के अधीन लेने से जनता की अधिक सेवा की जा सकती है। यात्रियो की सुविधाओ मे वृद्धि की जाएगी। बसों मे क्षमता से अधिक भीड–भाड का लालच राष्ट्रीयकृत बसो मे नहीं होगा।

2 **आय स्रोत** (Sources of Income) – सडक परिवहन से सरकार को आय प्राप्त होती है जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

3 **रेलवे और सडक के बीच समन्वय** (Co ordination between Railway and Road) – राष्ट्रीकरण से रेल–सडक प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। दोनो ही क्षेत्रो के राजकीय नियत्रण से समन्वय सभव है।

4 **बडे पैमाने के उत्पादन से लाभ** (Profit of Large Scale Production) – छोटी बस कम्पनियो को अधिक सुविधाए उपलब्ध नहीं होती हैं। मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण से बडे पैमाने पर उत्पादन से अधिक सुविधाओ का लाभ होता है।

5 **कर्मचारियों की उन्नत काम दशाए** (Higher Status of Employees) – बसो के राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियो को कई प्रकार की सुविधाए दी जाती है। उन्हे अच्छा वेतन, भत्ते व बोनस आदि दिए जाते है जिससे कर्मचारियो के व्यक्तित्व का विकास होता है।

6 **सडको का विकास** (Development of Road) – सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग पक्की सडकों के निर्माण मे किया जाता है।

7 **सतुलित परिवहन विकास** (Balanced Transport Development) – राष्ट्रीयकरण का मुख्य ध्येय सामाजिक उद्देश्य होता है। सरकार पिछडे हुए क्षेत्रों मे हानि उठाकर बसे चलती हैं। निजी क्षेत्र लाभप्रद मार्गो पर ही बसे चलाना पसन्द करता है।

8 **सामाजिक लाभ** (Social Profit) – बसो के राष्ट्रीयकरण से यात्रियो को सस्ती सेवा व सुविधाए समान रूप से उपलब्ध होती है।

9 **निश्चित किराया** (Fixed Rent) – बसो के राष्ट्रीयकरण से किराये मे निश्चितता एव स्थिरता आती है। सरकार द्वारा बस किराया निश्चित करने के बाद भी निजी बस चालक मनमाना किराया वसूलने से नहीं चूकते है।

10 **समयबद्धता** (Punctuality) – राष्ट्रीयकृत बसे सामान्यतया समय की

पावन्द होती हैं ये बस सवारिया नहीं होने की स्थिति मे भी समय पर प्रस्थान करती है। निजी बस सवारिया पूरी होने पर ही रवाना होती है।

मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

अथवा

राष्ट्रीयकरण से हानिया

(Infavourable Argument of Nationalisation ofMotor Transport or Demerits of Nationalisation)

1 **घाटे की समस्या (Problem of Deficit)** – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित है। मोटर परिवहन भी इस समस्या से अछूता नहीं है। अधिकाश राज्यीय सडक परिवहन निगम घाटे मे चल रहे हैं।

2 **कुशलता का ह्रास (Decrease of Efficiency)** – सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियो की नौकरी सुरक्षित हो जाती हैं। इससे कर्मचारियो में लगन तत्परता कुशलता मे कमी होती है। सरकारी सस्थाओ मे लालफीताशाही व अफसरशाही का प्रभाव होता है सरकारी वाहनों को निजी वाहनो की तरह सोच-समझ कर नहीं चलाया जाता है।

3 **मुआवजे की समस्या (Problem of Compensation)** – राष्ट्रीयकरण के कारण अनेक बार निजी बस चालकों को मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजे के निर्धारण मे भी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। मुआवजे की राशि का अन्य उत्पादक साधनों म उपयोग किया जा सकता है।

4 **हडतालें (Strikes)** – अनेक बार सरकारी कर्मचारी वेतन भत्तों मे वृद्धि के लिए हडताल का सहारा लेते हैं जिससे सरकार पर वित्तीय भार बढता है तथा यात्रिया को असुविधा होती है।

5 **प्रतिस्पर्धा में कमी (Lack of Competition)** – राष्ट्रीयकरण से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। परिवहन सबधी शक्तिया सरकार के हाथ में आ जाती हैं। सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती हैं। यात्रियों से मनचाहा किराया वसूलने लगती है।

6 **राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference)** – राष्ट्रीयकरण के कारण महत्त्वपूर्ण पदा स राजनीतिक नियुक्तिया की जाती है। उच्च प्रबन्ध मे सरकारी हस्तक्षेप से निगम की स्वायत्तता मे कमी आती है। निर्णयो में अनावश्यक विलम्ब होता है।

7 **शिकायतों का निराकरण कठिन (Trouble to Solve the Complaints)** – राष्ट्रीयकरण के कारण शिकायते सुनने की व्यवस्था कर दी जाती है किन्तु उनके निराकरण का प्रयास नहीं किया जाता है। जनता व मोटर मालिको के बीच दूर का सबध होता है अत समस्याओ का निराकरण कठिनाई स होता है।

8 यात्री सुविधाओ का अभाव (Lack of Passenger Facilities) – राष्ट्रीयकरण के कारण एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है। यात्रियो से अधिक किराया वसूल किया जाता है किन्तु उन्हे सुविधाए कम दी जाती है। रास्ते मे बैठने व उतरने की सुविधा समाप्त हो जाती है।

9 समय पावन्दी के दोष (Defects of Punctuality) – राष्ट्रीयकरण से यद्यपि समय पाबन्दी बढती है किन्तु इससे बसे समय पर रवाना हो जाती है चाहे बस में सवारी हो अथवा नहीं हो। खाली या कम सवारियो से बसे चलाने से सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता है।

10 भ्रष्टाचार (Corruption) – सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण से भ्रष्टाचार को बढावा मिला है। बस कन्डक्टर सवारियो से किराया ले लेते है किन्तु उन्हे टिकिट नहीं देते। इससे सरकार को राजस्व का घाटा होता हैं। निगम के कर्मचारी अपने दोस्तो व रिश्तेदारो को मुफ्त यात्रा करवाते है।

सडक परिवहन की समस्याए
(Problems of Road Transport)

सडके महत्त्वपूर्ण आधारिक सरचना है। आर्थिक विकास बडी सीमा तक सडकों के विकास पर निर्भर है। भारत मे नियोजित विकास के पाच दशक बीत चुके हैं। पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपरिव्यय मे वृद्धि हुई है इसके बावजूद सडकें परिवहन के सामने अनेक समस्याए मुहबाए खडी है –

1 अच्छी सडकों का अभाव (Lack of Good Roads) – योजनागत विकास के दौरान सडक निर्माण मे वृद्धि हुई है किन्तु कुल सडको मे अच्छी सडको का अभाव है। देश मे अधिकाश सडके कच्ची हैं। बरसात मे कच्ची सडकें यातायात के अनुकूल नहीं होती है। जो सडके पक्की है उनकी दशा भी अच्छी नहीं है। सडक निर्माण मे भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण स्तरीय सडको का निर्माण नहीं हो पाता है। एक–दो बरसात बाद सडकें खराब हो जाती है। देश मे सडक अनुरक्षण का भी अभाव है। राष्ट्रीय राज सडको की दशा अवश्य अच्छी होती है किन्तु कुल सडको राष्ट्रीय राजमार्गों का भाग बहुत कम है।

2 विकास की धीमी गति (Slow Speed of Development) – देश मे सडको का विकास तीव्र गति से नही हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गो की लम्बाई मे गत दो दशकों में वृद्धि नहीं हुई है। 1980–81 मे राष्ट्रीय राजमार्गो की लम्बाई 32 हजार किलोमीटर थी। यह 1994–95 मे बढकर केवल 34 हजार किलोमीटर थी। नब्बे के दशक मे राज्य राजमार्गो की विकास की गति भी बहुत धीमी रही।

3 चालकों की अधिकता (Excess Number of Drivers) – मोटर परिवहन में चालको की अधिकता की समस्या है। अधिकाश चालको के पास पाच से कम गाडिया हैं। चालकों की अधिकता के कारण अकुशलता की समस्या उत्पन्न होती है। सरकार पर वित्तीय भार भी बढता है।

4 **अत्यधिक कर भार** (Excess Tax Burden) – सडक परिवहन पर पजीकरण शुल्क मोटर गाडी कर आयात शुल्क विक्री कर आदि कर लगाये जाते है। इनके अलावा रोड टैक्स भी लगाया जाता है।

5 **अधिक परिचालन लागतें** (Excess Running Costs) – भारत मे सडक परिचालन लागत अधिक बैठती है। इसका प्रमुख कारण शुल्क और करों की अधिकता के अलावा खराब सडको की अधिकता भी है। अच्छी सडको के नहीं होने से दुर्घटनाए अधिक होती है तथा ईंधन का भी अधिक प्रयोग होता है।

6 **अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक उपाय** (Unnecessary Restricted Methods) – सडक परिवहन को मोटर–गाडी अधिनियम क अधीन काम करना पडता है। इसके अलावा प्रत्यक राज्य के अपने–अपने प्रतिबन्धात्मक उपाय है।

7 **घाटे की समस्या** (Deficit Problem) – देश क अधिकाश सडक परिवहन निगम घाटे की समस्या स ग्रसित है। घाटे के कारणो मे बसों का अलाभकारी मार्गो पर चलाना, कर्मचारियो की बहुल्यता कुप्रबन्ध, लागत आधारित भाडा सरचना का अभाव आदि मुख्य है।

8 **अपर्याप्त सडकें** (Insufficient Roads) – देश मे जनसख्या की बहुलता है। प्रति लाख जनसख्या पर सडके अन्य देशो की तुलना में कम है। भारत में प्रति एक लाख जनसख्या पर 293 किलोमीटर सडकें है जबकि अमेरिका में 3,200 किलोमीटर, जापान मे 1,100 किलोमीटर तथा ब्रिटेन में 600 किलोमीटर सडकें है।

9 **पुलो का अभाव** (Lack of Bridges) – बडे सडक मार्गो पर पुलों का अभाव है जिससे सडक बरसात मे टूट जाती है। यातायात मे व्यवधान उत्पन्न होता है। अनेक रेल–रोड क्रॉसिग पर पुल नहीं होने से सडक परिवहन मे अनावश्यक विलम्ब होता है।

10 **सडक दुर्घटनाए** (Road Accidents) – परिवहन के अन्य साधनो की तुलना म सडक परिवहन म दुघटनाए अधिक होती है। दुर्घटनाओ के कारण सडक परिवहन को लाखा रुपए मुआवजा चुकाना पडता है। सडक दुर्घटनाए चालकों की लापरवाही बसा म खराबी टूटी सडके आदि कारणों स होती हैं।

सडको की बदतर हालत तथा यातयात नियमो की उपक्षा से भारत की सडके दुनिया की सबसे असुरक्षित सडकों के रूप म जानी जाती है। हर दिन भारत म जितन लोगो की मौत सडक दुर्घटनाआ मे हाती हैं उतनी मौत विकसित देशों मे एक साल म भी नहीं होती। भारत मे राज लगभग 280 लाग सडक दुर्घटनाओं के ग्रास बनते है, जबकि ब्रिटेन म एक साल म इससे भी कम अर्थात 167 लोगों के सडक दुर्घटनाओं म मृत्यु हान के प्रमाण है। केन्द्रीय सडक अनुसधान सस्थान (सी आर आर आइ) के यातायात एव परिवहन विभाग के प्रमुख डॉ टी एस रेड्डी के अनुसार भारत म हर साल 70 से 75 हजार लागा क सडक दुघटनाआ में मरने की पुलिस रिपार्ट दज होती है।

11. मोटर गाडियों व साज सामान का अभाव (Lack of Vehicles and Equipments) – सडक परिवहन मे वाहनो का अभाव है। साथ ही परिवहन सबधी साज–सामान का भी अभाव है। बसो के कल–पुर्जे, टायर–ट्यूब आदि की कमी के कारण वाहन बेकार पडे रहते हैं।

12 पेट्रोल व डीजल की कीमतों मे वृद्धि (Increase in Price of Petrol and Diesel) – भारत मे खनिज तेल का अभाव है। पेट्रोल, ऑयल और लुबिकेटस के आयात पर भारी विदेशी खर्च करनी पडती है। विगत वर्षों मे पेट्रोल, डीजल की कीमतो मे वृद्धि हुई है इससे मोटर परिवहन काफी महगा हो गया है।

13 रेल रोड प्रतिस्पर्धा (Competition between Rail and Road) – देश मे रेल एव रोड मे तीव्र प्रतिस्पर्धा है। इससे परिवहन के दोनो साधनो को क्षति होती है। सडक परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक खर्चीला साधन है।

14. विश्रामगृहो का अभाव (Lack of Rest houses) – सडक परिवहन के लिए विश्रामगृहो का अभाव है। इस कारण बस व ट्रको को ठहरने मे कठिनाई का सामना करना पडता है। विश्रामगृहो के अभाव मे बस व ट्रक सडको के किनारे खडे रहते है।

15 राज्यो मे पररपर सहयोग का अभाव (Lack of Mutual Cooperation among States) – सडक परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न राज्यो मे परस्पर सहयोग का अभाव है। एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने के लिए परमिट लेना पडता है, कर चुकाने पडते हैं। यातायात अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

सडक परिवहन की समस्याओं में सुधार के सुझाव
(Suggestion for Solution of Problems of Road Transport)

भारत मे सडक परिवहन के विकास की महत्ती आवश्यकता है। सडक परिवहन की समस्याओ के निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते है–

1 सडको के निर्माण पर बल (Stress on Road Construction) – बढती जनसख्या और दुर्घटनाओ को दृष्टिगत रखते हुए सडको का निर्माण तीर्व गति से होना चाहिए। सडक परिवहन पर सार्वजनिक परिव्यय मे वृद्धि की जानी चाहिए। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे सडक निर्माण क्षेत्र मे निजी निवेश को आमत्रित किया जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण में सडक विकास क्षेत्र मे विदेशी पूजी निवेश को आमत्रित किया जा सकता है।

2 राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण (Construction of National Highways) – सडक परिवहन मे राष्ट्रीय राजमार्गो का महत्त्वपूर्ण योगदान है। किन्तु इनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सडको के मात्र 2 प्रतिशत होने पर भी सम्पूर्ण सडक परिवहन का 40 प्रतिशत भाग सभालते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास पर अधिक वित्तीय

ससाधना के आवटन की आवश्यकता है।

3 **राज्य राजमार्ग की दशा में सुधार** (Improvement in State Highways Conditions) – राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी व जिला मुख्यालयों को जोडते है। राज्य राजमार्गो की दशा में दयनीय है। राज्यीय राजमार्गो की समय पर मरम्मत, पर्याप्त चौडाई, मोटाई आदि की आवश्यकता है।

4 **ग्रामीण सडकें** (Rural Roads) – ग्रामीण सडको की स्थिति बदतर है। बरसात मे अधिकाश ग्रामीण सडक यातयात के अनुपयुक्त है। ग्रामीण सडकों के अनुरक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। गावा की कच्ची सडको को पक्की सडको मे परिवर्तित किया जाना चाहिए।

5 **शोध एव अनुसधान पर बल** (Stress on Research and Development) – भारत मे शोध एव अनुसधान पर अपेक्षाकृत कम ध्यान केन्द्रित किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र मे शोध एव अनुसधान सीमित रहा है। परिवहन के क्षेत्र मे सुरक्षा, पर्यावरण सरक्षण, ईंधन की बचत आदि शोध एव अनुसधान की आवश्यकता है।

6 **मोटर वाहनों का निर्माण** (Production of Motor Vehicles) – जनसख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बडा देश है। विशाल आबादी की आवश्यकतानुसार वाहना का निर्माण किया जाना चाहिए। नये वाहन निर्माण उद्योगा की स्थापना तथा विद्यमान वाहन निर्माण उद्योगों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। अच्छी किस्म के वाहनो का विदेशो से आयात भी किया जा सकता है।

7 **पुलों का निर्माण** (Construction of Bridges) – सडको पर पुलो के अभाव मे परिवहन के अवरोध उत्पन्न होता है। सरकार का सडको पर पुला का निर्माण करना चाहिए। क्षतिग्रस्त पुलो का निर्माण व रेल–रोड क्रॉसिग पर पुलो का निर्माण किया जाना चाहिए।

8 **दोहरे मार्गों का निर्माण** (Construction of Double Lane Roads) – देश म दोहरे मार्गों का नितात अभाव है। जनसख्या की अधिकता के कारण प्राय सडको पर यातायात अधिक रहता है। दुर्घटनाओ म कमी तथा यात्रियो की सुविधा के लिए दाहरे मार्गो के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

9 **रेल सडक समन्वय** (Co ordination between Rail and Road) – भारत मे रेल और सडको मे प्रतिस्पर्धा समाप्त कर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसे हो जिससे दोनो एक दूसरे के पूरक बन रहे तथा यात्रिया को कम स कम लागत पर अच्छी सेवाए उपलब्ध हो सके।

10. **सुलभ पेट्रोल-डीजल आपूर्ति** (Feasible Supply of Petrol-Diesel) – विगत वर्षों में माटर यातायात का तीव्र विकास हुआ है। परिणामस्वरुप पेट्रोल–डीजल की माग मे वृद्धि हुई है। सरकार को सडक परिवहन के लिए पेट्रोल–डीजल की सुलभ आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। पेट्रोल की अतिरेक माग की पूर्ति के लिए पेट्रोल के उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक पेट्रोल आयात किया जाना चाहिए।

भारत को तेल पूल घाटे मे कमी के लिए देश मे ही आयल रिफाइनरी की स्थापना करनी चाहिए, इसके लिए कच्चे खनिज तेल का आयात किया जा सकता है।

11 करो मे कमी (Decrease in Taxes) – सडक परिवहन पर कर भार अधिक है। वैसे ही देश मे डीजल–पेट्रोल की कीमत अधिक है। इन कारणो से परिवहन लागत मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। समूचे देश मे मोटर वाहनो पर एक जैसी कर व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत में रेल सडक प्रतिस्पर्धा
(Rail Road Competition in India)

स्वातन्त्र्योत्तर रेल–सडक प्रतिस्पर्धा मे तीव्र वृद्धि हुई। प्रतिस्पर्धा के कारण रेलो व सडको दोनो को ही क्षति होती है। सडक परिवहन के प्रतिस्पर्धी विकास से रेल राजस्व मे कमी हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण रेलो को माल एव यात्री परिवहन मे कमी का सामना करना पडा है। माल परिवहन मे सडको का भाग 1960–61 मे 28 प्रतिशत था जो तीव्रता से बढकर 1985–86 में 41 प्रतिशत हो गया इसके विपरीत माल परिवहन मे रेलो का भाग 1960–61 मे 72 प्रतिशत से घटकर 1985–86 मे 59 प्रतिशत रह गया। रेल और सडको के बीच यात्री परिवहन मे भी तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यात्री परिवहन में सडको की भूमिका बढी है। यात्री परिवहन मे सडको का भाग 1960–61 मे 42 प्रतिशत था जो बढकर 1985–86 मे 66 प्रतिशत हो गया जबकि यात्री परिवहन मे रेलो का भाग 1960–61 मे 58 प्रतिशत से घटकर 1985–86 मे 34 प्रतिशत रह गया।

भारत मे 2 7 मिलियन किलोमीटर का 'रोड नेटवर्क' है जो विश्व मे तीसरा सबसे बडा रोड नेटवर्क है। किन्तु भारत की सडके तीव्र और कुशल परिवहन के लिए कम उपयुक्त है। लगभग आधी सडके कच्ची हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सडको का केवल 2 प्रतिशत है किन्तु यात्री और माल परिवहन मे 40 प्रतिशत की भागीदारी है।

यात्री और माल परिवहन मे सडक यातायात की प्रधान भूमिका है। 1995–96 मे यात्री परिवहन मे सडको का भाग 80 प्रतिशत और माल परिवहन मे 60 प्रतिशत था। रेलो की भूमिका तेजी से घटकर यात्री परिवहन मे 20 प्रतिशत तथा माल परिवहन मे 40 प्रतिशत रह गयी। सन 2000 मे सडको की भूमिका माल यातायात मे 65 प्रतिशत तथा यात्री यातायात मे 87 प्रतिशत का अनुमान है।[1] रेल सडक प्रतिस्पर्धा के अनेक कारण है जिसमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है

1 देश मे रेलो व सडको का विकास अनियोजित ढग से हुआ। रेलो और सडको का विकास समानान्तर हुआ। दोनो का कार्य क्षेत्र लगभग समान है। अत रेल–सडक मे प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है।

2 सडक यातायात अपेक्षाकृत सस्ता है। सडक यातायात मे रेल यातायात की तुलना मे कम पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है।

3 सडक यातायात रेल यातायात की तुलना मे अधिक सुविधाजनक है। कम

दूरी की यात्रा और माला परिवहन के लिए सडक यातायात अच्छा है।

4 सडक परिवहन म पर्याप्त लोचता है। सुरक्षित है। व्यक्तिगत सेवा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

रेल सडक समन्वय
(Rail Road Co ordination)

रेलवे भारत सरकार का सबसे बडा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमे सरकार की करोडो रूपए की पूजी विनियोजित है तथा लाखा लोग नियोजित है। रेलवे की सडको से प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के लिए चिताप्रद है। प्रतिस्पर्धा से रेलवे को घाटा होता है जिसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पडता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए रेलवे और सडको म परस्पर सहयोग आवश्यक है। रेल सडक एक–दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं पूरक होने चाहिए।

भारत में रेलो को सडक प्रतिस्पर्धा स बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए जिनम निम्नलिखित उल्लेखनीय है –

1 **वैजवुड समिति (Wedgewood Committee)** – भारत सरकार ने रेल–सडक समन्वय के लिए 1939 मे वेजवुड समिति की स्थापना की। वैजवुड समिति ने इस सबध म अनेक सुझाव दिए जिनम मुख्य सुझाव इस प्रकार थे –

(i) राज्यीय सरकारो द्वारा सडक परिवहन का विनियमन किया जाना चाहिए। निजी और सार्वजनिक मोटरो पर एक से नियम लागू करना।

(ii) मोटर मालिको को भाडे की दर के मामल म स्वतत्रता नहीं देना।

(iii) सडक परिवहन मे यात्री और माल ढाने की क्षमता निर्धारित करना।

(iv) माल यातायात के लिए ट्रको को प्रादशिक लाइसेस देना।

(v) सडक परिवहन के लिए लाइसस देना।

2 **मोटर गाडी अधिनियम (Motor Vehciles Act)** – वैजवुड समिति की सिफारिशो को माटर गाडी अधिनियम 1939 मे शामिल किया गया। अधिनियम का उद्देश्य रेलों को सडक प्रतिस्पर्धा से बचाना था इसके लिए कानून द्वारा सभी मोटर गाडिया को लाइसस लने क लिए बाध्य किया गया। मोटर गाडिया की गति धीमी करने भीड कम करने माटर गाडिया के रक्षण आदि के सबध मे नियम बनाए गए। इसके अलावा माल के स्वतत्र यातायात पर प्रतिबंध लगाये गए।

3 **सिद्धात एव व्यवहार नियमावली, 1945 (Code of Principles and Practices)** – भारत सरकार ने 1945 मे राज्यीय सरकारो के मार्गदर्शन के लिए सिद्धात एव व्यवहार सहिता लागू की। इसके अनुसार मोटर माग 125 किलोमीटर तक सीमित कर दिए गए। किन्तु रेल परिवहन की दृष्टि से पिछडे क्षेत्रा में मोटर मालिको का 125 किलोमीटर से भी लम्बे मार्गों पर मोटर चलाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा जहा रेल परिवहन पर क्षमता से अधिक दवाव है वहा सडक परिवहन पर नियत्रण ढीला करने की आवश्यकता महसूस की गई।

4 **परिवहन नीति और समन्वय समिति** (Transport Policy and Coordination Committee) – इसकी स्थापना तरलोक सिह की अध्यक्षता मे की गई। समिति के अनुसार परिवहन साधनो का इस प्रकार विकास किया जाए कि परिवहन आवश्यकताओ को न्यूनतम लागत पर पूरा किया जा सके। परिवहन विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। समिति ने परिवहन समन्वय परिषद् बनाने का भी सुझाव दिया। सरकार ने समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया।

5 **सडक परिवहन का राष्ट्रीयकरण** (Nationalization of Road Transport) – स्वातन्त्र्योत्तर विभिन्न राज्यो ने सडक परिवहन का धीरे–धीरे पूर्ण अथवा आशिक राष्ट्रीयकरण किया।

6 **सडक परिवहन निगम कानून** (Road Transport Corporation Law) – 1950 के सडक परिवहन निगम कानून के द्वारा राज्यीय सरकारो को सडक सेवाओ के राष्ट्रीय का अधिकार दे दिया गया।

रेलो को सडक परिवहन से प्रभावी प्रतियोगिता के लिए रेल सेवाओ मे सुधार करना चाहिए। रेलो को बस सर्विस व शटल गाडिया चलानी चाहिए। रेलो को सारणी मे सुधार करना चाहिए। रेलो मे समय पाबन्दी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मौसमी टिकिटो व बारातों आदि को रियायते देनी चाहिए। रेलो मे शयनयान कक्ष मे दिन मे यात्रा छूट दी जानी चाहिए।

सडक परिवहन की श्रेष्ठता
(Superiority of Road Transport)

1 सडक परिवहन मे घर–घर से माल एकत्र करना माल पहुचाना तेज परिवहन समय सारणी मे लोच गुण आदि ने व्यापारी वर्ग मे सडक परिवहन को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। डेविड डियूस के अनुसार सडक परिवहन द्वारा कई बार हमारी परिवहन लागत आधी हो जाती है और माल पहुचाने का समय बहुत हद तक बच जाता है। इसके अतिरिक्त रेल की तुलना मे सडक से माल मगवाने का एक लाभ यह भी है इसमे चोरी नहीं होती। कोई हानि कोई कष्ट या पैंकिग की खर्चीली विधि का भी प्रयोग नहीं होता है।

2 रेल निर्माण अपेक्षाकृत महगा होता है। पहाडो पठारो मे रेल निर्माण कठिन होता है। ऐसे क्षेत्र मे सडक परिवहन उपयुक्त होता है।

3 भारत गावो का देश है। सभी गावो को रेल परिवहन से जोडना सभव नहीं है। सडक परिवहन द्वारा गावो का विकास सभव है।

4 सडक परिवहन का सुरक्षात्मक महत्त्व भी है। सीमावर्ती क्षेत्रो मे सडक का अधिक महत्त्व है। युद्ध साज–सामान को पहाडो पठारो नालो मे पहुचाना सभव है।

सन्दर्भ

1 दत्त सुन्दरम, *भारतीय अर्थव्यवस्था*, पृ 796
2 *राजस्थान पत्रिका*, 27 नवम्बर 1997
3 इकोनोमिक सर्वे, 1996-97, पृ 174

प्रश्न एव संकेत

लघु प्रश्न

1 सडक परिवहन की विशेषताए बताइए।
2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे सडक परिवहन का क्या महत्त्व है।
3 भारत मे सडको मे वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
4 रेल—सडक समन्वय पर टिप्पणी लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे सडक परिवहन का क्या महत्त्व है? पचवर्षीय योजनाओ मे सडकों के विकास की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे सडक परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग म पचवर्षीय योजनाओ मे सडको के विकास को लिखना है।)
2 भारत म सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष मे तर्क दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे सडक परिवहन के पक्ष में तर्क तथा दूसरे भाग मे विपक्ष मे तर्क लिखने है।)
3 भारत म सडक परिवहन की मुख्य समस्याए क्या है? सडक परिवहन के विकास के सुझाव दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय में दी गई सडक परिवहन की समस्याए तथा दूसरे भाग में सडक परिवहन की समस्याओ के समाधान लिखने है।)
4 भारत मे रेल सडक प्रतिस्पर्धा के क्या कारण है? रेल सडक समन्वय के क्या प्रयास किये गये है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये रेल सडक प्रतिस्पर्धा के कारण बताने है तथा दूसरे भाग में रेल सडक समन्वय के प्रयास लिखने है।)
5 भारत मे सडक परिवहन के महत्त्व तथा विकास का वर्णन कीजिए। इसके सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

(M.D.S. University Ajmer, 1998)

(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय दिए गए सडक परिवहन के महत्त्व को लिखना है तदुपरात सडक परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग में सडक परिवहन मे सुधार हेतु सुझावों को बताना है।)

भारत में वायु परिवहन

(Air Transport in India)

मानव की प्रारम्भ से ही आकाश में पक्षियो की भाति स्वछन्द विचरण करने की आकाक्षा थी। यद्यपि रामायण, महाभारत, पौराणिक गाथाओ मे वायु मार्ग द्वारा यातायात यथा पुष्पक विमान आदि का उल्लेख मिलता है। किन्तु सर्वप्रथम 1903 में राइटबधुओ ने बिना इजन के ग्लाइडर से आकाश मे उडकर मानव की कल्पना को साकार किया। भारत मे वायु परिवहन की शुरुआत 1932 मे हुई। टाटा एण्ड सस लिमिटेड ने टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना की। टाटा एयरवेज कम्पनी ने 15 अक्टूबर 1932 को कराची चेन्नई के बीच वायु सेवा प्रारम्भ की। जुलाई 1946 में भारत के वायुमार्गों का सचालन टाटा एयरलाइन्स, इण्डियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इडिया, डैकन एयरवेज लिमिटेड कम्पनियो के हाथ मे था। इन कम्पनियो के पास 19 बडे वायुयान थे। 1946 मे वायु परिवहन लाइसेस बोर्ड की स्थापना की गई। देश मे 1950 तक 21 कम्पनिया थीं। वर्ष 1953 मे वायु निगम अधिनियम पास कर भारत सरकार ने वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

भारत जैसे विशाल देश में स्वतत्रता के पचास वर्ष बाद भी कई क्षेत्रो मे रेल और सडक परिवहन की सुविधा मुहैया नहीं है। इसलिए देश की परिवहन प्रणाली मे वायु परिवहन (नागर-विमानन) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। नागर-विमानन यात्री परिवहन व माल ढुलाई का सर्वाधिक तेज साधन है। बेशकीमती और हल्की वस्तुओ तथा डाक के यातायात के लिए नागर विमानन का प्रयोग किया जाता है। विश्व म नागर-विमानन की माग तीव्रता से बढी है, किन्तु भारत में आर्थिक पिछडेपन के कारण नागर-विमानन की माग सीमित है। हाल के वर्षों मे नागर-विमानन की उपादेयता बढी है। औद्योगिक कम्पनियो के प्रतिनिधि तथा व्यापारी वायु परिवहन का उपयोग करने लगे हैं।

वायु परिवहन का महत्त्व
(Importance of Air Transport)

आसमान मे उडान भरना सबको अच्छा लगता है। आज विमान सेवा महगी

होने के बावजूद हर फ्लाइट पूरी तरह बुक होती है। प्रतिस्पर्धा युग मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुचने की होड लगी रहती है। ऐसे मे विमान सेवाओ की उपादेयता और भी बढी है। विमान सेवा मे ट्रैफिक जाम और सामने से आ रहे वाहन से भिड जाने की चिंता नहीं होती है। आसमान से यात्रा निश्चित रूप से आरामदायक और रोमाच से भरी होती है। वायु परिवहन के महत्त्व को व्यक्त करते हुए फेयर एव विलियम्स ने कहा है मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनो मे से वायु परिवहन सर्वाधिक विकासशील सबसे नवीनतम, सबसे अधिक चुनौती देने वाला एव आर्थिक और सास्कृतिक जीवन मे सबसे अधिक क्राति लाने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था मे वायु परिवहन के महत्त्व को निम्नाकित शीर्षकों मे व्यक्त किया जा सकता है –

1 तेज गति (Fast Speed) – वायु परिवहन सर्वाधिक गति वाला परिवहन का साधन है। वायु परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान को तीव्र गति से पहुचा जा सकता है। वायु परिवहन की तेज गति के कारण विश्व की भौगोलिक दूरी कम हो गई है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भविष्य में वायु परिवहन की गति और बढने की सभावना है। वायुयानो की औसत गति रेलों और जलयानो की तुलना में अधिक होती है।

2 मूल्यवान वस्तुओं के लिए उपयोगी (Useful for Valuable Articles) – भारत मे वायु परिवहन का अधिकतर उपयोग यात्री परिवहन के लिए किया जाता है। किन्तु अब माल परिवहन के क्षेत्र मे भी वायु परिवहन का उपयोग किया जाने लगा है। बेशकीमती वस्तुओ के परिवहन मे वायु परिवहन उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3 सकटकालीन परिस्थितियो मे सहायक (Helpful in Emergency) – प्राकृतिक विपदाओ यथा अकाल बाढ भूकम्प आदि मे वायु परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। अकाल के समय पीडितो को वायु परिवहन से खाद्य सामग्री शीघ्रता से पहुचाई जा सकती है। बाढ की स्थिति मे वायुयानो तथा हेलीकाप्टरो का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा के क्षेत्र मे वायु परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। विश्व का कोई देश सुरक्षात्मक मामले मे वायु परिवहन की अनदेखी नहीं कर सकता है।

4 धरातल सबधी बाधाओं से मुक्ति (Free from Land Hindrances) – थल परिवहन में अनेक धरातल सबधी बाधाए आती है। पहाडो पर रेल व सडक मार्गों का निर्माण कठिन होता है। नदी और नाले भी थल परिवहन के मार्ग मे अवरोध होते हैं किन्तु वायु परिवहन मे मार्ग आकाश होने के कारण धरातल सबधी बाधाए नहीं आती है।

5 कम विनियोग (Less Investment) – वायु परिवहन मे रेल सडक परिवहन की तुलना में कम विनियोग होता है। वायु परिवहन के लिए रेलपटरिया नहीं बिछायी जाती है। मार्गो के विद्युतीकृत की भी आवश्यकता नहीं होती। लम्बी दूरी की सडके बनाने की भी आवश्यकता नहीं पडती। वायु परिवहन मे अपेक्षाकृत कम विनियोग से काम चलता है।

7. कृषि विकास मे सहायक (Helpful in Agricultural Development) – कृषि विकास मे वायु परिवहन का महत्त्व बढा है। हरित क्रांति के कारण कीटनाशको का प्रयोग बढा है। कृषि क्षेत्र मे वायुयानो से कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव किया जाता है। टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने मे भी वायुयानो का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षो मे वायुयानो से कृत्रिम वर्षा भी की जाने लगी है। वन विकास हेतु वायुयानो से बरसात मे बीज बिखेरे जाते हैं। इसके अलावा शीघ्र नाशवान कृषि पदार्थो के परिवहन मे वायुयानो का उपयोग किया जाता है।

7. औद्योगिक महत्त्व (Industrial Importance) – वायु परिवहन का औद्योगिक महत्त्व भी है। आज के औद्योगिक युग मे प्रबन्धको, तकनीशियनो, उद्योगपतियो के लिए समय का अधिक महत्त्व है। इन्हे कम समय मे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने पडते है। देश विदेश की यात्रा भी अधिक करनी पडती है। इन सब कार्यों के लिए वायु परिवहन की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। वायु परिहवन से बहुमूल्य औद्योगिक उत्पादो को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुचाया जा सकता है।

8. व्यापारिक महत्त्व (Commercial Importance) – वायु परिवहन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्त्व है। वायु परिवहन से व्यवसायियो की समय बचत होती है जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता मे वृद्धि होती है। इसके अलावा हल्की और मूल्यवान वस्तुओ जैसे हीरा–जवाहरात, शीघ्र नाशवान वस्तुए यथा मास, मछली, अण्डा, दूध, फल आदि तथा जीवन रक्षक औषधिया लाने ले जाने मे वायु परिवहन का अधिक महत्त्व है। समाचार पत्रो तथा पत्रिकाओ के शीघ्र परिवहन मे भी वायुयानो का महत्त्व है।

9. पर्यटन विकास (Tourism Development) – वायु परिवहन पर्यटन विकास मे सहायक है। देशी–विदेशी पर्यटक कम समय मे अधिक से अधिक पर्यटन स्थलो का भ्रमण करना चाहते हैं जो वायुयानो द्वारा सभव है।

10. सर्वेक्षण (Survey) – वायु परिवहन का प्राकृतिक ससाधनो तथा नदी घाटी परियोजनाओ के सर्वेक्षण मे उपयोग होता है। इसके अलावा रेलों, सडको व पुलो आदि की निगरानी का कार्य वायु परिवहन से शीघ्रता से किया जा सकता है।

वायु परिवहन का विकास
(Development of Air Transport)

स्वातन्त्र्योत्तर भारत मे वायु परिवहन का तीव्र विकास हुआ। स्वतत्रता से पूर्व वायु परिवहन निजी क्षेत्र मे था। 1946 मे वायु परिवहन लाइसेस बोर्ड की स्थापना की गई। उदार नीति के कारण अनेक वायु परिवहन कम्पनियो की स्थापना की गई किन्तु परस्पर तालमेल के अभाव मे सभी कम्पनिया घाटे की समस्या से ग्रसित थी। सरकार ने 1950 मे वायु परिवहन जाच समिति नियुक्त की जिसने परिवहन कम्पनियो की सख्या कम करने, परिवहन कम्पनियो को आर्थिक सहायता देना, कम्पनियो मे समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकरण करने, कम्पनियो को स्थायी परिसम्पति पर दस प्रतिशत लाभ प्राप्त आदि सिफारिशे की। भारत मे वायु

परिवहन की विभिन्न कम्पनिया समामेलन को तैयार नहीं हुई। सरकार ने 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

वर्ष 1947 से 1951 तक की अवधि मे सरकार ने वायु परिवहन पर 6 6 करोड रूपए व्यय किए। वर्ष 1948 मे उद्योगपति टाटा के सहयोग से एयर इडिया इन्टरनेशनल कम्पनी स्थापित की जिसमे सरकारी अशदान बढाकर 51 प्रतिशत किया गया। वायु परिवहन मे 1960–61 मे 9 15 लाख यात्रियो ने यात्रा की। वायु परिवहन मे यात्रियो की सख्या बढकर 1980–81 मे 68 47 लाख तथा 1990–91 मे और बढकर 100 27 लाख हो गई। वर्ष 1997–98 मे 114 43 लाख यात्रियो (प्राविजनल) ने वायु परिवहन से यात्रा की। वायु परिवहन से आय 1960–61 में 17 56 करोड रूपए थी जो बढकर 1990–91 मे 208 करोड रूपए हो गई। वायु परिवहन से आय और बढकर 1997–98 मे 233 करोड रूपए (प्राविजनल) हो गई।

भारत मे वायु परिवहन का विकास

वर्ष	आय टन किलोमीटर (करोड रुपए मे)	यात्री लाये–ले जाये गए (लाख में)
1960 61	17 56	9 15
1970 71	47 52	26 17
1980 81	138 04	68 47
1985 86	183 70	111 42
1990 91	208 00	100 27
1991 92	192 02	113 94
1992 93	177 58	100 44
1993 94	178 90	98 73
1994 95	207 12	99 11
1995 96	234 17	105 93
1996 97	226 47	111 21
1997 98(प्रा)	233 00	114 43

प्रा प्रोविजनल स्रोत– *इकोनामिक सर्वे* 1998 99 एस–32

वर्षो से भारत मे वायु परिवहन के क्षेत्र म तीन नाम चर्चित है। इडियन एयरलाइन्स एयर इडिया तथा वायुदूत। एयर इडिया के जवो यात्रियो को केवल देश की सरहद के पार के लिए उपलब्ध हैं। इडियन एयर लाइन्स चुनिदा शहरों तक विमान उतारने या उडान भरने को उपलब्ध है। वायुदूत सेवा तो धीरे–धीरे दम तोडने की स्थिति मे है। वर्तमान मे देश म आर्थिक उदारीकरण का दौर है। हर क्षेत्र मे निजी प्रवश भी निरन्तर बढ गया है। एस मे वायु परिवहन मे भी निजी क्षेत्र की भूमिका बढी है। देश मे चद निजी विमान सेवाओं ने कदम रखा है। 'मोदी लुफ्त' नई

वायु सेवा निजी क्षेत्र मे प्रारम्भ की गई है। बडे उद्योग समूह टाटा ने भी वायु परिवहन के क्षेत्र मे विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र के समक्ष प्रस्ताव पेश कर दिया है।[1]

पचवर्षीय योजनाओं मे वायु परिवहन का विकास
(Development of Air Transport during the Plan Period)

परिवहन के साधनो मे वायु परिवहन सर्वाधिक तीव्र गति का साधन है किन्तु अर्थव्यवस्था मे विशेषकर कृषि व उद्योगो के विकास मे रेल व सडक परिवहन की तुलना मे वायु परिवहन का कम महत्त्व है। इस कारण पचवर्षीय योजनाओ मे वायु परिवहन पर अपेक्षाकृत कम व्यय किया गया। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे वायु परिवहन का विकास निम्न प्रकार है –

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) – प्रथम योजना मे वायु परिवहन पर बहुत कम राशि व्यय की गई। इस योजना मे वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय केवल 23 करोड रूपए था। योजनावधि मे मुख्यत हवाई अड्डो के विकास, सचार सुविधाओ के विस्तार, प्रशिक्षण एव शिक्षा, अनुसधान व विकास पर ध्यान दिया गया। 1953 में वायु परिवहन कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना मे 9 हवाई अड्डे बनाए गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) – दूसरी योजना मे वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 49 करोड रूपए था। योजनावधि मे चार नए हवाई अड्डो का निर्माण किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौते के अनुसार सभी हवाई अड्डो पर निर्धारित सुविधाओ की व्यवस्था की गई। देश के सभी प्रमुख नगरो को वायु परिवहन से जोडा गया। 1960–61 मे वायु परिवहन से 17 56 टन किलोमीटर करोड रूपए आय अर्जित हुई तथा 9 15 लाख यात्री वायु परिवहन से लाये ले जाये गये।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) – तीसरी योजना मे वायु परिवहन पर 49 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे हवाई अड्डो के दौड पथो मे सुधार किया गया। चेन्नई हवाई अड्डे को जेट विमान के लिए उपयुक्त बनाने पर ध्यान दिया गया। अगस्त, 1963 मे बगलौर मे हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। 1965–66 के अत मे भारतीय विमानो की क्षमता 16 लाख यात्रियो, 4 करोड किलो माल तथा 550 लाख किलोमीटर दूरी पर लाने–ले जाने की थी।

वार्षिक योजनाएं 1966-69 (Annual Plans) – तीन वार्षिक योजनाओ मे वायु परिवहन पर 66 करोड रूपए व्यय किए गए। योजनावधि मे बोइग विमानो को पहली बार क्रय किया गया। वर्ष 1968–69 में परिवहन क्षमता 26 5 लाख यात्री, 422 लाख किलोग्राम माल तथा 718 लाख किलोमीटर दूरी तय करने की थी।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) – चौथी याजना म वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 177 करोड रूपए था। इसम 666 करोड रूपए एयर इडिया पर 539 करोड रूपए इडियन एयरलाइस पर और 306 करोड रूपए इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथौरिटी आफ इडिया पर व्यय किए गए। वर्ष 1972 मे चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो यथा मुम्बई कलकत्ता चेन्नई दिल्ली की व्यवस्था करने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (International Airport Authority of India IAAI) की स्थापना की गई।

पाचवीं पचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) – योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 294 करोड रूपए था। योजना मे वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए सचार विमान चालन उपकरणो की व्यवस्था पर जोर दिया गया। योजनावधि म एयर इडिया की वाहन क्षमता 1196 करोड उपलब्ध सीट किलोमीटर तथा इडियन एयर लाइन्स की क्षमता 4846 करोड उपलब्ध सीट किलोमीटर हो गई।

छठी पचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना मैं वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 957 करोड रूपए था। योजनावधि मे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की क्षमता मे विस्तार कार्यशाला और रख–रखाव की सुविधाओं में विस्तार हवाई अड्डो पर सुरक्षा उपकरणो की अधिक व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। देश के भीतर ही वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए जनवरी 1981 मे वायुदूत सेवा शुरू की गई।

सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं याजना मे वायु परिवहन विकास पर 1948 करोड रूपए खर्च किए गए। 1985 मे पवन हस लिमिटेड हैलीकोप्टर सेवा तथा 1986 मे नेशनल एयरपोर्ट अथौरिटी की स्थापना की। तीसरी परिवहन सेवा वायुदूत लिमिटेड का विस्तार करके 105 स्टेशनों को जोडा गया। योजनावधि मे वायु परिवहन का आधुनिकीकरण तथा नए वायुयान खरीद कर क्षमता बढाने का लक्ष्य रखा गया।

वार्षिक योजनाए 1990-91, 1991-92 (Annual Plans) – वायु परिवहन से 1990–91 म आय टन किलोमीटर 210 करोड रूपए तथा 1991–92 मे आय टन किलोमीटर 194 करोड रूपए हुई। वायु परिवहन यात्रियो की सख्या मे भी वृद्धि हुई। 1990–91 में 105 8 लाख तथा 1991-92 म 113 94 लाख यात्री लाय ले जाये गए। वर्ष 1990–92 मे वायु परिवहन पर 765 कराड रूपए खर्च किए गए।

आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना में वायु परिवहन विकास पर 4 106 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधान किया गया जो योजना परिव्यय का 0 9 प्रतिशत था। वायु परिवहन से 1996–97 मे आय टन किलोमीटर 2264 7 करोड रूपए तथा 114 43 लाख यात्री लाये ले जाये गए।

वायु परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय

(करोड रुपए)

पचवर्षीय योजनाए		व्यय	योजना का प्रतिशत
प्रथम पचवर्षीय योजना	(1951-56)	23	1 3
द्वितीय पचवर्षीय योजना	(1956-61)	49	1 0
तृतीय पचवर्षीय योजना	(1961-66)	49	0 6
वार्षिक योजनाए	(1966-69)	66	1 0
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	(1969-74)	177	1 1
पाचवी पचवर्षीय योजना	(1974 79)	294	0 8
छठी पचवर्षीय योजना	(1980-85)	957	0 9
सातवीं पचवर्षीय योजना	(1985 90)	1948	1 0
वार्षिक योजना	(1990-92)	765	0 6
आठवीं पचवर्षीय योजना	(1992-97)	4106	0 9

Source *Eighth Five Year Plan*, Government of India, 1992-97, Vol II

भारत मे वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति
(Present Position of Air Transport in India)

पिछले कुछ वर्षों मे वायु परिवहन के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। मार्च 1995 मे इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथौरिटी और नेशनल एयरपोर्टस अथौरिटी को मिलाकर एयरपोर्टस अथौरिटी ऑफ इडिया का गठन किया गया। भारत में 1991–92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण मे अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र मे निजी प्रवेश निरन्तर बढा। वायु परिवहन के क्षेत्र मे भी निजी प्रवेश को गति मिली। भारत मे वायु परिवहन के क्षेत्र मे एयर इडिया, इडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत नाम चर्चित रहे। एयर इडिया के जम्बो यात्रियो को केवल देश की सरहद के पार के लिए उपलब्ध है। इडियन एयनलाइन्स चुनिदा शहरो तक उडान भरने के लिए उपलब्ध हैं। वायुदूत सेवा धीरे–धीरे दम तोड बैठी। उदारीकरण के दौर मे चन्द निजी विमान सेवाओ ने कदम रखा है। वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है

1 **एयर इडिया (Air India)** – एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा मे सलग्न है। इसकी स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के अन्तर्गत हुई। एयर इडिया ने 1990–91 मे 21 61 लाख यात्रियो को सेवाए प्रदान की जो बढकर 1997–98 मे 30 63 लाख यात्री हो गई। एयर इडिया का 1990–91 मे राजस्व टन किलोमीटर 138 10 करोड रूपए था जो बढकर 1997–98 मे 150 24 करोड रूपए हो गया।

एयर इडिया पर 1995–96 मे 271 8 करोड रूपए शुद्ध हानि का भार था जबकि 1994–95 मे एयर इडिया का लाभ 40 8 करोड रूपए था। अप्रेल-सितम्बर

1996 मे एयर इडिया को 195 करोड रूपए (प्राविजनल) हानि हुई। 1997-98 मे एयर इडिया कठिन दौर से गुजरी। एयर इडिया को अप्रैल सितम्बर 1997 के बीच 102 करोड रूपए का घाटा उठाना पडा। एयर इडिया का कुल सचालन राजस्व 1994-95 मे 2 989 करोड रूपए था जो बढकर 1995-96 मे 3 426 5 करोड रूपए हो गया। इस प्रकार 1995-96 मे कुल सचालन राजस्व (Total Operating Revenue) मे 14 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एयर इडिया का कुल सचालन खर्च 1994-95 मे 2 920 करोड रूपए था जो 24 9 प्रतिशत बढकर 1995-96 मे 3 647 5 करोड रूपए हो गया।

एयर इडिया की हानि का कारण अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओ के बीच छिडी किराया जग रहा। पूर्वी एशियाई देशो के मुद्रा सकट रूपए की गिरती दर और हाल मे (1997 98) अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनो के बीच किराए कम करने के लिए छिडी स्पर्धा ने एयर इडिया के हितो के लिए अत्यन्त गभीर सकट पैदा कर दिया। एयर इडिया अपने नेटवर्क को मुनाफे के दृष्टिकोण से देखते हुए घाटा उठाने वाले देशो जैसे ज्यूरिख दक्षिण अफ्रीका की उडानों के स्थान पर सिगापुर पश्चिम एशिया और शिकागो मे तथा डालर वाले रूट पर अधिक उडानो पर जोर दिया जा रहा है। एयर इडिया मे हानि से निपटने के लिए एकदम नए विमान शामिल करना आवश्यक हो गया है। वर्ष 1997-98 मे दो बोईग 747-200 विमान बेचने का निर्णय हो चुका है दो ऐसे ही विमान और बेचे जाएगे तथा इनके स्थान पर चार नए विमान जल्द बेडे मे शामिल हो जाएगे।

2 इडियन एयरलाइन्स (Indian Airlines) – इडियन एयरलाइन्स की स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के अर्न्तगत की गई थी। यह देश के प्रमुख नगरो में वायुयान सेवाए उपलब्ध कराता है। इडियन एयरलाइन्स देश के आन्तरिक भागो के अतिरिक्त पडौसी देशो यथा श्रीलका नेपाल बाग्लादेश मालद्वीप सिगापुर थाइलैण्ड अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान मे वायु परिवहन सेवा प्रदान करता है। वर्तमान मे इडियन एयर लाइन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्यरत है। यह आवश्यकतानुसार पूजी बाजार से पूजी प्राप्त कर सकती है।

इडियन एयरलाइन्स से 1990-91 मे 78 66 लाख व्यक्तियो ने सफर किया। यह सख्या 1997-98 मे बढकर 83 80 लाख हो गई। इडियन एयरलाइन्स का राजस्व टन किलोमीटर 1990-91 मे 69 92 करोड रूपए था जो बढकर 1997-98 मे 92 75 करोड रूपए (प्राविजनल) हो गया। इडियन एयरलाइन्स के लिए 1995-96 पिछले कुछ वर्षों की तुलना मे अच्छा रहा। कम्पनी ने 1995-96 मे 156 51 करोड रूपए का सचालन लाभ अर्जित किया जो 1994-95 के 36 24 करोड रूपए की तुलना मे 332 प्रतिशत अधिक था।

3 वायुदूत (Vayudoot) – देश में वायुदूत सेवा जनवरी 1981 मे प्रारम्भ की गई। वायुदूत ऐसे क्षेत्रो मे सेवाए प्रदान करती है जहा इडियन एयर लाइन्स की सेवाए नहीं पहुच पाती हैं। वायुदूत मुख्यत उत्तरपूर्वी अचल के दुर्गम क्षेत्रो व्यापार

वाणिज्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे सुविधाए प्रदान करती है।

वायुदूत की अधिकृत पूजी 25 करोड रूपए है जो एयर इडिया लि व इडियन एयरलाइन्स द्वारा बराबर बराबर प्रदान की गई। वायुदूत का मुख्यालय नई दिल्ली मे, क्रियात्मक मुख्यालय गुवाहटी में तथा सर्विसिग केन्द्र कलकत्ता मे है। वायुदूत को 1990–91 मे 30 07 करोड रूपए तथा 1991–92 मे 30 59 करोड रूपए की हानि हुई। वर्ष 1993–94 मे वायुदूत का इडियन एयरलाइन्स मे विलय कर दिया गया। वायुदूत मे 1980–81 मे 19 हजार व्यक्तियो ने सफर किया। वायुदूत मे यात्रियो की सख्या 1990–91 मे 5 53 लाख तथा 1992–93 मे 2 27 लाख यात्री थी। वायुदूत का राजस्व टन किलोमीटर 1985–86 मे 70 लाख रूपए था जो बढकर 1990–91 मे 1 99 करोड रूपए हो गया तथा 1992–93 मे 1 10 करोड रूपए था।

4. पवन हंस (Pawan Hans) – पवन हस का मुख्यालय नई दिल्ली मे है। मुम्बई तथा नई दिल्ली मे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पवनहस की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 15 अक्टूबर 1985 को की गई। यह कार्य सम्पन्न करने के लिए हेलीकाप्टरो का प्रयोग करता है। पवन हस की स्थापना का मुख्य ध्येय पेट्रोलियम क्षेत्र की हवाई सेवा की आवश्यकता को पूरा करना है। पवनहस पेट्रोलियम क्षेत्र के अलावा पजाब, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार, लक्ष्यद्वीप प्रशासन, गैसे अथौरिटी ऑफ इडिया, सीमा सुरक्षा बल, राजस्व विभाग को भी हवाई सेवाए प्रदान करता है।

पवन हस की कुल राजस्व उडान 1994–95 मे 18,458 घटे तथा 1995–96 मे 18,562 घटे थी। वर्ष 1995–96 मे राजस्व आय 156 68 करोड रूपए तथा शुद्ध लाभ 37 26 करोड रूपए था। अप्रैल–सितम्बर 1996 के दौरान उडान 10,470 घटे, राजस्व 87 72 करोड रूपए और शुद्ध लाभ 26 50 करोड रूपए था।

5. अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स विभाग (International Airports Division) – एयरपोर्ट्स अथौरिटी ऑफ इडिया का अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस विभाग देश मे पाच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस यथा मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और तिरुअनतपुरम का प्रबन्ध, सचालन व विकास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस विभाग ने 1994–95 मे 97 7 करोड रूपए तथा 1995–96 मे 113 59 करोड रूपए शुद्ध लाभ अर्जित किया। 1995–96 के दौरान इसके खर्चो मे 35 प्रतिशत तथा राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स डिवीजन मे 1995–96 मे यात्री सख्या 256 4 लाख तथा जहाजों मे लादा माल (Cargo) 5,61,582 टन था। वर्ष 1995–96 मे यात्री सख्या मे 12 प्रतिशत और जहाजो मे लादे माल मे 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस डिवीजन ने 1994–95 मे 15.28 करोड रूपए (31 मार्च 1995 को चुकता पूजी का 25 प्रतिशत) तथा 1995–96 में 22 72 करोड रूपए (कर पश्चात् लाभ 20 प्रतिशत) लाभाश घोषित किया।

6 भारतीय एयरपोर्टस प्राधिकरण (Airports Authority of India AAI) – एक अप्रैल 1995 को दो प्राधिकरण यथा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय एयरपोर्टस प्राधिकरण को विलय करके भारतीय एयरपोर्टस प्राधिकरण का गठन किया गया। यह नागर विमानन के क्षेत्र में आधारभूत सरचना सुविधा मुहैया कराता है। प्राधिकरण सुरक्षित व कुशल वायु परिवहन के लिए उत्तरदायी है।

7 राजस्व (Revenue) – नागर-विमानन से आय टन किलोमीटर 1990–91 मे 208 करोड रुपए थी जो घटकर 1993–94 मे 178 90 करोड रुपए रह गई। राजस्व टन किलोमीटर 1995–96 मे 234 17 करोड रुपए तथा 1997–98 में 233 करोड रुपए था।

8 यात्री (Number of Passengers Carried) – नागर विमानन से 1990–91 मे 105 80 लाख यात्रियो ने सफर किया। यात्रियो की सख्या बढकर 1991–92 मे 113 94 लाख हो गई। बाद के वर्षों म यात्रियो की सख्या घटी। नागर–विमानन से 1994–95 मे 99 11 लाख यात्रियो तथा 1997–98 में 114 43 लाख यात्रियों (प्राविजनल) ने सफर किया।

9 भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (International Airports Authority of India IAAI) – अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1990–91 से 177 23 लाख यात्रियो का प्रवन्ध किया गया। यात्रियो की सख्या बढकर 1994–95 में 228 90 लाख तथा 1997–98 मे 365 लाख (प्राविजनल) हो गई। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1990–91 मे 377 33 हजार टन माल जहाजो पर लादा गया। जहाजो पर लादा माल (Cargo Handled) 1994–95 मे 494 हजार टन था जो बढकर 1995–96 मे 561 58 हजार टन तथा 1997–98 में 706 हजार टन हो गया।

वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण
(Nationalisation of Air Transport)

स्वातन्त्र्योत्तर वायु परिवहन के विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए। वायु परिवहन के विकास हेतु सुझाव देने के लिए कई समितियो की स्थापना की गई। फरवरी 1950 मे नियुक्त की गई वायु परिवहन जाच समिति ने सितम्बर 1950 मे रिपोर्ट दी। वायु परिवहन कम्पनिया की आर्थिक स्थिति बदतर थी। भारत सरकार ने मई 1953 मे वायु निगम अधिनियम पारित कर वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अनेक विमान कम्पनियो के स्थान पर दो निगम यथा इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन बनाए गए। वर्तमान म इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का नाम इडियन एयरलाइन्स लिमिटेड तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपारेशन का नाम एयरइडिया लिमिटेड है।

वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क
(Arguments in Favour of Nationalisation of Air Transport)

1 **तीव्र विकास** (Rapid Development) – निजी विमान कम्पनियो के पास वित्तीय ससाधनो का अभाव होता है। इस कारण वे विमानो की खरीद प्रौद्योगिकी विकास व आधुनिकीकरण पर अधिक व्यय नहीं कर पाती है। राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार ने वायु परिवहन के विकास पर भारी पूजी विनियोजन किया नतीतजन वायु परिवहन का तीव्र विकास सभव हो सका है।

2 **लोकोपयोगी** (Public Importance) – वायु परिवहन लोकोपयोगी सेवा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मे इसका सार्वजनिक क्षेत्र मे होना ही तर्कसगत है। निजी विमान कम्पनिया जनता का शोषण करने से नहीं चूकती हैं। राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन राष्ट्रीय धरोहर बन गया है तथा जनहित मे इसका सचालन सभव हो सका है।

3 **राष्ट्रीय सुरक्षा** (National Security) – वायु परिवहन का नियत्रण सरकार के हाथो मे होने के कारण सकट के समय वायु सेवा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियो मे भी वायु परिवहन का उपयोग सभव है।

4 **प्रतिस्पर्धा से रक्षा** (Protection from Competition) – भारत की निजी विमान कम्पनिया इस स्थिति मे नहीं थी कि वे विकसित देशो की विमान कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा कर सके। राष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय वायु परिवहन विदेशी कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे आ सका है। आज भारतीय वायु परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय नियमो के पालन मे सक्षम है।

5 **मितव्ययिता** (Economy) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन के क्षेत्र में अनेक कम्पनिया सक्रिय थीं। वायु परिवहन के नियत्रण मे अनेक व्यवस्थाए थीं। वायु परिवहन तथा वायुयानो का निर्माण दोनो पृथक क्षेत्रो मे थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात केवल दो ही प्रबन्ध व्यवस्था रह जाने के कारण वायु सेवाओ मे समरूपता के कारण प्रशासन मे आर्थिक मितव्ययिता आई है।

6 **समन्वय** (Co ordination) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व विमान कम्पनियो की अधिकता के कारण इनमे समन्वय का अभाव था। राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित इडियन एयरलाइन्स को देश की सीमा के भीतर और पडौसी देशो को भारतीय महानगरो के साथ मिलने वाले वायु मार्गो पर वायु परिवहन सेवा प्रदान करने का अधिकार है तथा एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गो पर सेवा प्रदान करता है।

7 **सार्वजनिक विनियोजन का सर्वोत्तम उपयोग** (Best Utilisation of Public Sector Investment) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन पर राजकीय स्वामित्व नहीं होने के बावजूद भी सरकार वायु परिवहन कम्पनियो को भारी–भरकम वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी तथा हवाई अड्डो के निर्माण पर सरकार प्रारम्भ से

ही भारी व्यय कर रही थी। निजी वायु परिवहन कम्पनिया इसके बावजूद भी जनता को स्तरीय सुविधाए मुहैया कराने मे असमर्थ थी। अत ऐसी स्थिति मे वायु परिवहन कम्पनियो को निजी क्षेत्र मे रखना असगत था।

8 अधिक सुविधाए (More Facilities) – निजी विमान कम्पनिया लाभार्जन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती हैं। इनका सामाजिक उद्देश्य गौण होता हैं। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण से यात्रियो के लिए अच्छी व अधिक सेवाए प्रदान किया जाना सभव हो सका है। जन कल्याण के क्षेत्र मे भी राष्ट्रीयकृत कम्पनिया अधिक खर्च करती हैं।

9 अव्यवस्था का अन्त (End of Mis management) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व अनेक छोटी–छोटी वायु परिवहन कम्पनिया थी। इससे साधनो का एकीकृत प्रयोग सभव नहीं था। प्रत्येक कम्पनी नियमो के अधीन मनमानी करती थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात साजोसामान कर्मचारियो तथा कार्य–केन्द्रो की क्षमता का समुचित उपयोग सभव हो सका है।

10 समाजवाद (Socialism) – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना का ध्येय समाजवाद को गति देना था। इसे दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का उत्तरोत्तर विकास किया गया। इस कारण वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

11 कर चोरी (Evasion of Tax) – निजी क्षेत्र सरकार को ईमानदारी से व समय पर कर का भुगतान नहीं करता हैं। निजी वायु परिवहन कम्पनियो की भी यही स्थिति थी। राष्ट्रीयकरण से कर चोरी की समस्या कम हुई है।

वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष मे तर्क
(Argument Against Nationalisation of Air Transport)

1 क्षतिपूर्ति (Compensation) – निजी क्षेत्र की वायु परिवहन कम्पनियो के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को भारी राशि क्षतिपूर्ति के रूप मे देनी पडी जिससे सरकार पर आर्थिक भार बढा। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को वायु परिवहन कम्पनियो को 9 5 करोड रूपए का भुगतान करना पडा। इसका भार करदाताओ को वहन करना पड़ा।

2 दोहरी प्रबन्ध व्यवस्था (Dual Management) – वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पश्चात दोहरी व्यवस्था यथा इडियन एयरलाइन्स तथा एयर इडिया लागू हुई। इडियन एयरलाइन्स देश के भीतर तथा एयर इडिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु सेवाओं का सचालन करता है। दोहरी व्यवस्था के कारण अनेक समस्याए उत्पन्न हुई।

3 निर्णयन का अभाव (Lack of Decision Making) – वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण से इसकी निर्णयन क्षमता पर प्रभाव पडा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में सरकारी हस्तक्षेप के कारण लालफीताशाही अफसरशाही आदि के कारण

निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. एकाधिकार (Monopoly) – राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया। वायु परिवहन के क्षेत्र मे एकाधिकार के दोष उजागर होने लगे। एकाधिकार के कारण सरकार उपभोक्ताओ से मनमाना किराया वसूल करती है।

5. निजी साहस की समाप्ति (End of Private Venture) – राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन मे निजी साहसी का प्रवेश निषेध हो गया है। वायु परिवहन के क्षेत्र मे सार्वजनिक उपक्रमो के साथ निजी साहस को भी प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए थी जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढावा मिलता जिसका लाभ अन्तत आम लोगो को मिलता।

6. अपव्यय (Extravagant) – निजी क्षेत्र मे कर्मचारियो का प्रत्यक्ष हित होता है इस कारण ससाधनों की बरबादी नहीं होती है। राष्ट्रीयकरण के कारण कर्मचारियो का निजी हित नहीं होने के कारण अपव्यय अधिक होता है। "सरकार की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं" के कारण ससाधनो की बरबादी होती है।

7. औद्योगिक नीति के प्रतिकूल निर्णय (Decision against Industrial Policy) – भारत की पहली 1948 की औद्योगिक नीति मे वायु परिवहन का आगामी दस वर्षो तक राष्ट्रीयकरण नहीं करने का उल्लेख था इसके बावजूद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसका विरोध होना स्वाभाविक था।

वायु परिवहन की समस्याए एव समाधान
(Problems and Suggestions of Air Transport in India)

भारत मे वायु परिवहन का 1953 मे राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1998 मे राष्ट्रीयकरण के 45 वर्ष पूरे हो चुके। आर्थिक उदारीकरण मे वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर अग्रसर है। निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वायु परिवहन समस्याओं से अछूता नहीं है। आज वायु परिवहन के सामने अनेक समस्याए मुहबाए खडी हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है

1. प्रतिस्पर्धा (Competition) – एयर इडिया इस स्थिति मे नहीं है कि वह विकसित देशो की वायु परिवहन कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा कर सके। विदेशी वायु परिवहन कम्पनिया यात्रियो को अनेक प्रकार की सुविधाए देती हैं। एयर इडिया सीमित ससाधनो तथा ऊँचे किराये भाडे के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा मे पिछड जाता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए एयर इडिया को सस्ती व प्रतिस्पर्धी सेवाए यात्रियो को प्रदान करनी चाहिए।

2. वित्तीय ससाधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) – वायु परिवहन के क्षेत्र मे शोध व अनुसधान की अधिक आवश्यकता होती है। विकसित

राष्ट्रो द्वारा आविष्कार और विकास पर अधिक बल दिये जाने के कारण विकासशील राष्ट्रो की तकनीक शीघ्र पुरानी पड जाती है। भारत मे वायु परिवहन के क्षेत्र म आधुनिकतम तकनीक नहीं होने के कारण इस मद पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती है। भारत के पास विदेशी मुद्रा अधिक नहीं है। विदेशी मुद्रा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वायु परिवहन के क्षेत्र के शोध व अनुसधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

3 **अधिक किराया व भाडा (Higher Rent)** – भारत मे वायु परिवहन की किराया व भाडे की दरे अधिक है। तेल की कीमतो मे हुई वृद्धि ने इसे और महगा बना दिया है। इसके अलावा भारत मे वायु परिवहन की गति बढाने पर ही अधिक दिया गया। सस्ती व सुरक्षित सेवा मुहैया कराने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। भारत मे वायु परिवहन के किराये व भाडे की दरे कम की जानी चाहिए।

4 **सुविधाओ का अभाव (Lack of Facilities)** – भारत मे हवाई अड्डो पर और वायुयानो मे स्तरीय सुविधाओ का अभाव है। आधुनिकतम सुविधाओ के अभाव के कारण भारतीय वायु परिवहन कम यात्रियो को आकर्षित कर पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय वायु परिवहन कम्पनियो को विकसित देशो की वायु परिवहन कम्पनियो द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ और सुविधाओ की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। भारतीय वायु परिवहन कम्पनियो को भी यात्रियो को आधुनिकतम सुविधाए मुहैया करानी चाहिए।

5 **महगा पेट्रोल (High Price Petrol)** – भारत मे खनिज तेल की माग व पूर्ति म भारी अतराल है। अतिरेक माग की पूर्ति आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस कारण भारत का तेल पूल घाटा निरन्तर बढा। वायु परिवहन मे ऊर्जा के रूप मे पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की अधिक कीमतो के कारण वायु परिवहन का सचालन व्यय बढ जाता है। वायु परिवहन को पर्याप्त पेट्रोल उचित कीमतो पर मुहैया कराना चाहिए।

6 **योग्य एव प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव (Lack of Capable and Trained Employees)** – देश मे प्रशिक्षण सस्थाओ के अभाव के कारण योग्य एव प्रशिक्षित कर्मचारियो का अभाव है। वायु परिवहन मे योग्य चालको का अभाव है। वर्तमान मे राजकीय क्षेत्र मे पूना बगलौर तथा इलाहाबाद मे तीन ग्लाइडिग केन्द्र है। इनके अलावा दिल्ली व पिलानी मे निजी क्षेत्र मे सचालित दो ग्लाइडिग केन्द्र है। पचवर्षीय योजनाओ मे प्रशिक्षण पर पर्याप्त राशि व्यय की गई। इसके बावजूद भी देश मे योग्य व प्रशिक्षित कमचारियो का अभाव बना हुआ है। देश मे प्रशिक्षण सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। वायु परिवहन के विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिक ग्लाइडिग केन्द्र विकसित किए जाने चाहिए।

7 **हडतालें (Strikes)** – एक तो देश मे वायु परिवहन के क्षेत्र मे योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियो का अभाव है दूसरी ओर जो कर्मचारी वायु परिवहन मे कार्यरत है। अपने वेतन भत्ते व सुविधाए बढाने के लिए हडताल करते रहते है जिससे वायु

परिवहन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडता है। कर्मचारियो से सबध सुधार कर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

8 **सीमित क्षेत्र** (Limited Scope) – वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डो का विकास आवश्यक है। भारत विशाल देश है किन्तु यहा हवाई अड्डो का अभाव है। देश मे केवल पाच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। वायु परिवहन के विकास के लिए प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रो पर हवाई अड्डो का निर्माण किया जाना चाहिए।

9 **वायुयानो का अभाव** (Lack of Aeroplanes) – वायु सेवा की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए वायुयानो की पर्याप्तता आवश्यक है। भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। इस कारण एयर इडिया व इडियन एयरलाइन्स मे वायुयानो का अभाव महसूस किया जाता है। समस्या से निपटने के लिए वायुयानो के क्रय के लिए पर्याप्त वित्तीय ससाधनो की व्यवस्था करनी चाहिए।

10. दुर्घटनाए और अपहरण (Accidents and Hijacking) – भारत मे वायु परिवहन दुर्घटना की समस्या से ग्रसित है तथा वायुयानो के अपहरण की घटनाए भी घटित हुई है। चालकों की लापरवाही, खराब मौसम, यात्रिक खराबी तथा पक्षियो से टकराने के कारण दुर्घटनाए होती है। वायुयान दुर्घटना से जाना व माल की बडी क्षति होती है। लोग वायु परिवहन यात्रा से डरते हैं। वर्ष 1985 मे एयर इडिया के 'कनिष्क' विमान की दुर्घटना भयावह थी इसमे 329 लोग मारे गए। विमान दुर्घटनाओ के कारण वर्ष 1990 मे एयर बस ए–320 की उडानें रद्द करनी पडी। आधुनिक यत्रों, सुरक्षा उपकरणो तथा योग्य चालको की नियुक्ति से दुर्घटनाओ व अपहरण की समस्या को नियत्रित किया जा सकता है।

11 **घाटे की समस्या** (Problem of Deficit) – वायु परिवहन घाटे की समस्या से ग्रसित है। हाल ही के वर्षों में एयर इडिया को भारी घाटा उठाना पडा। वायुदूत का तो घाटे के कारण इडियन एयरलाइन्स मे विलय करना पडा है। एयर इडिया पर 1995–96 मे 271 8 करोड रूपए शुद्ध हानि का भार था तथा अप्रैल–सितम्बर 1997 के बीच 102 करोड रूपए का घाटा उठाना पडा। वायुदूत को 1990–91 मे 30 07 करोड रुपए तथा 1991–92 मे 30 59 करोड रूपए की हानि हुई। वायु परिवहन मे घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल के उपभोग तथा प्रशासनिक खर्चों पर नियत्रण की आवश्यकता है।

12 **प्रदूषण** (Pollution) – वायुयानो की गति ध्वनि से भी तेज होती है। वायुयानों के उडने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। आज विश्व में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरुकता है। आधुनिकतम तकनीक से वायुयानो की ध्वनि पर नियत्रण किया जा सकता है।

13 **दोहरी व्यवस्था** (Dual System) – भारत मे आन्तरिक परिवहन के लिए इडियन एयर लाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए एयर इडिया की स्थापना

की गई है। वायु परिवहन मे दोहरी व्यवस्था के कारण कार्यकुशलता का ह्रास, सचालन व्यय म वृद्धि, प्रवन्ध में शिथिलता आदि समस्याए उत्पन्न होती है। इस समस्या पर निजात पाने के लिए निगमो में परस्पर समन्वय आवश्यक है।

14 औपचारिकताए (Formalities) – हवाई अड्डों पर अनेक प्रकार की औपचारिकताओ यथा कस्टम, स्वास्थ्य, आवास आदि के कारण यात्रियो विशेषकर पर्यटको पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु परिवहन मे कुछ औपचारिकताए आवश्यक होती है किन्तु अनेक बार यात्रिया को जानबूझकर परेशान किया जाता है जो कि गलत प्रवृत्ति है। वायु परिवहन मे यात्रियो को आकर्षित करने के लिए औपचारिकताओ को कम तथा सरल बनाया जाना चाहिए।

भारत मे वायु परिवहन के विकास की सभावनाएं
(Potentialities of Development of Air Transport in India)

भारत मे वायु परिवहन के विकास की अच्छी सभावनाए है। भारत जनाधिक्य की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बडा देश है तथा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल भी अधिक है। भारत विकासशील देशो मे अग्रणी है। आज भारत की गिनती दुनिया की बडी अर्थव्यवस्था मे की जाती है। देशवासियो के जीवन स्तर मे सुधार की प्रवृत्ति बढती जा रही है। हाल के वर्षो मे लोगो की प्रति व्यक्ति आय मे भी वृद्धि हुई है। जीवन स्तर बढने के साथ लोग वायु परिवहन का उपयोग करने लगे हैं। भारत की भौगोलिक सरचना भी वायु परिवहन की दृष्टि से अनुकूल है। देश मे दुर्गम पहाडी स्थलो की बहुलता है जहा यात्रा वायु परिवहन द्वारा उपयुक्त रहती है। वर्तमान मे हवाई अड्डो की सख्या कम है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो की सख्या तो केवल पाच ही है। भारत की आर्थिक प्रगति के साथ वायु परिवहन के विकास की भी आवश्यकता होगी। भारत की राष्ट्रीय यातायात नीति समिति, 1980 के अनुसार भारत मे वायु यातायात 1987–88 मे 6 8 अरब यात्री किलोमीटर था जो बढकर 1992–93 में 12 9 अरब यात्री किलोमीटर हो गया। वर्ष 2000 तक वायु यातायात 23 6 अरब यात्री किलोमीटर होने का अनुमान है। अत भारत मे वायु परिवहन का भविष्य उज्ज्वल है।

सन्दर्भ

1 *राजस्थान पत्रिका*, 2 फरवरी, 1998
2 *वही*, 3 फरवरी, 1998

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का क्या महत्त्व है?
2 वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

3 वायु परिवहन की क्या समस्याए है?
4 आठवीं पचवर्षीय योजना में वायु परिवहन विकास बताइए।
5 वायु परिवहन के विकास की क्या सभावनाए है?

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत मे वायु परिवहन का क्या महत्त्व है? पचवर्षीय योजनाओ मे वायु परिवहन के विकास का विवेचन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग म अध्याय मे दिए गये वायु परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसर भाग मे पचवर्षीय योजनाओ मे वायु परिवहन के विकास को लिखना है।)
2 भारत मे वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति समस्याओ और सभावनाओ का विवेचना कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति समस्याओं और सभावनाओ को लिखना है।)
3 भारत मे वायु परिवहन की क्या समस्याए है तथा उनके समाधान के सुझाव दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई वायु परिवहन की समस्याए तथा समाधान के सुझाव लिखने है।)
4 वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष मे तर्क दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे तर्क और दूसरे भाग मे विपक्ष मे तर्क लिखने है।)

32

भारत में जल परिवहन
(Water Transport in India)

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे जल परिवहन की महत्त्वपूण भूमिका है। विकासशील देशो मे भारत के पास व्यापारिक जहाजो का सबसे वडा बेडा है। जहाजो द्वारा ढोये जाने वाले माल की दृष्टि स विश्व मे भारत का पन्द्रहवा स्थान है। 31 दिसम्बर 1993 तक भारतीय जहाजी वेडे मे 443 पात शामिल थे जिनकी सकल पजीकृत क्षमता (जी आर टी) 62 67 लाख टन थी। वर्तमान समय मे भारत की कुल जहाजी शक्ति समस्त विश्व की जहाजी शक्ति का केवल एक प्रतिशत है। अतीत म भारत का समुद्री यातायात और जहाज निर्माण उद्योग उन्नति के शिखर पर था। डॉ राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार प्राचीन भारतीय सभ्यता ससार के कोने-कोने मे इसलिए पहुच सकी कि भारत के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। हमार शक्तिशाली जल जहाजी उद्योग के कारण ही ससार के लोग हमारे धर्म एव सस्कृति स प्रभावित हुए। सोलहवीं शताब्दी में भारत मे निर्मित्त जहाजों का प्रयोग आज के विकसित देशों यथा इग्लैण्ड फ्रास तथा अन्य यूरोपीय देशो मे किया जाता था। किन्तु भारत की जहाजी शक्ति का गुलामी के दिनो मे अग्रेजो की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण पतन की शुरुआत हो गई। महात्मा गाधी के शब्दो मे भारतीय जहाजरानी को समाप्त होना पडा ताकि ब्रिटिश जहाजरानी उन्नति कर सके।[1]

भारत म जल परिवहन को सुविधा की दृष्टि स दो भाग म विभक्त किया जा सकता है—एक सामुद्रिक परिवहन (जहाजरानी) तथा दूसरा अन्तर्देशीय जल परिवहन।

जल परिवहन का महत्त्व
(Importance of Water Transport)

भारत की भौगोलिक स्थिति जल परिवहन की दृष्टि स अच्छी ह। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा है। भारत का समुद्र तट 5 560 किलोमीटर लम्बा है। भारत का

अधिकाश विदेशी व्यापार जल परिवहन से है। यहा उत्तम बदरगाह है जिससे व्यापार द्वारा काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत मे जल परिवहन का महत्त्व निम्नलिखित है –

1. रोजगार सृजन (Employment Creation) – भारत मे जल परिवहन मे रेल, सडक और वायु परिवहन की भाति काफी लोगो को रोजगार मिला हुआ है। भारत सरीखे विकासशील देश के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से जल परिवहन उपयोगी स्रोत है।

2. सस्ता साधन (Cheap Source)– जल परिवहन अन्य परिवहन के साधनो की तुलना मे सस्ता है। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त नि शुल्क उपहार है। रेल परिवहन में रेलवे लाइन तथा सडकें परिवहन मे सडके बनाना आवश्यक होता है जिनके लिए भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है। जल परिवहन मे ऐसे विनियोग की आवश्यकता नहीं होती हैं। इसके अलावा समुद्री जहाज डीजल अथवा कोयले से चलते हैं जो अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन है।

3 विशाल समुद्र तट (Vast Coast) – भारत का समुद्र तट 5,560 किलोमीटर लम्बा है। अन्य देशो से व्यापारिक सबध बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि वास्ते जहाजरानी स्वाभाविक है।

4. अधिक माल ढोने के लिए कारगर (Sufficient to Carry Excess Load) – जल परिवहन लम्बी दूरी तक बडे पैमाने पर माल ढोने के लिए सबसे कारगर और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। समुद तटवर्ती स्थानो के लिए तो यह सबसे उपयुक्त साधन है। समुद्री जहाजों में माल ढोने की क्षमता अधिक होती है।

5 सामरिक महत्त्व (Military Importance) – जल परिवहन का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। व्यापारिक जहाजो का राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी उपयोग होता है। सामुद्रिक जहाजों से यौद्धिक साजोसामान और सैनिको को लाने और ले जाने का काम किया जाता है। युद्ध के समय समुद्री सीमा की निगरानी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नौ सेना के सरक्षण मे होता है।

6. आधारभूत उद्योग (Base Industry) – जहाजरानी उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना से सहायक उद्योगो का विकास होता है।

7. व्यापार का विस्तार (Development of Trade) – जल परिवहन से अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। अन्तर्देशीय जलमार्गों से आन्तरिक व्यापार बढता है। तटीय व्यापार मे जल परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शातिकाल मे जहाजरानी से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

8 नये व्यापारिक क्षेत्रों की खोज (Discovery of New Trade Scopes) – जल परिवहन से नये–नये व्यापारिक क्षेत्रो की खोजना सभव हैं। सामुद्रिक परिवहन द्वारा 1442 मे अमरीका की खोज हुई।

9 विदेशी विनिमय कोष मे वृद्धि (Increase in Foreign Exchange Reserve) — सामुद्रिक जहाजो द्वारा आयात और निर्यातो का किराया विदेशो द्वारा चुकाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने से भारत सरीखे विकासशील देश की भुगतान शेष की स्थिति सुधरती है।

10 कम पोषण व्यय (Less Supporting Expenditure) — जल परिवहन का पोषण व्यय रेल और सडक मार्ग के पोषण व्यय से बहुत कम होता है। उच्चतर आर्थिक अनुसधान की राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार रेल मार्ग का पोषण व्यय 12 000 रुपए से 17 000 रुपए तक प्रति मील सडक का पोषण व्यय 800 रुपए से 8 600 रुपए तक प्रति मील आता है। जल परिवहन मे गगा नदी का पोषण व्यय 350 रुपए प्रति मील ही आता है।

भारत मे सामुद्रिक परिवहन अथवा जहाजरानी
(Overseas Shipping in India)

भारत विस्तृत समुद्र तट और उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण समृद्ध जहाजरानी का विकास कर सकता है। युद्ध और शाति दोनो ही स्थितियो मे जहाजरानी की कारगर भूमिका होती है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत मे जहाजरानी का विकास हुआ। वर्तमान मे भारत का सामुद्रिक जहाजरानी की विशालता की दृष्टि से एशिया मे दूसरा तथा विश्व मे पन्द्रहवा स्थान है। योजना काल मे भारतीय जहाजरानी के विकास के बावजूद विश्व के जहाजी बेडे मे भारत का भाग केवल एक प्रतिशत है।

जहाजरानी का प्रारम्भ (Beginning of Shipping) — भारत में टाटा ने 1893 मे जापान और चीन से सूत का व्यापार करने वास्ते जहाजी कम्पनी प्रारम्भ की थी। इसके बाद 1906 मे चिदम्बरम पिल्लई ने श्रीलका से व्यापार करने के लिए तूतीकोरन मे स्वदेशी शिपिंग कम्पनी की स्थापना की। आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ वास्तव मे 1919 मे बालचद हीराचद के प्रयत्नो से सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी की स्थापना से हुआ। भारत के सामुद्रिक परिवहन के इतिहास मे सिंधिया कम्पनी का नाम उल्लेखनीय है।

भारतीयो द्वारा जहाजी बेडे के विकास की माग जोर पकडने के कारण 1923 मे सरकार ने हैण्डरस की अध्यक्षता म 'भारतीय व्यापारिक जहाजी बेडा समिति' (Indian Mercantile Marine Committee) नियुक्त की। जिसने भारतीयों को प्रशिक्षण देने वास्ते एक प्रशिक्षण जहाज की व्यवस्था करने, किसी ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर मान्यता प्राप्त भारतीय कम्पनी को सौंपने, भारत का समुद तट भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित करना तथा लाइसेंस केवल भारतीय जहाजो को ही देना आदि सिफारिश की गईं। वर्ष 1928 मे एस एन हाजी ने विधान सभा मे भारत के समुद्र तटीय व्यापार को भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने के लिए बिल पेश किया किन्तु विरोधाभास के कारण बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्ष 1930 मे लार्ड इरविन द्वारा बुलाए गए सम्मेलन मे भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद

1937 मे सर अब्दुल गजनवी ने जहाजी क्षेत्र मे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्ति वास्ते बिल प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप तटीय शिपिग के नियमन का आश्वासन दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जहाजरानी को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। जहाजरानी की समस्या पर विचार करने वास्ते सर सी पी राम स्वामी अय्यर की अध्यक्षता मे एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नीति उपसमिति की नियुक्ति की गई जिसने विकास के ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। स्वतत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जहाजी बेडे मे 59 जहाज थे तथा उनकी माल ढोने की क्षमता 1 92 लाख जी आर टी थी।

पचवर्षीय योजनाओ मे जहाजरानी का विकास
(Development of Shipping During Plan Period)

भारत मे नियोजन काल मे जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ। पचवर्षीय योजनाओ मे जहाजो की सख्या तथा जहाजरानी क्षमता मे वृद्धि हुई। योजनावार जहाजरानी का विकास निम्नलिखित है –

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) – भारत में 1950–51 मे जहाजो की कुल सख्या 130 थी जिसमे सामुद्रिक जहाज (जहाजरानी) 24 तथा तटीय जहाज (Coastal Shipping) 79 थे। कुल जहाजी क्षमता 3 9 लाख सकल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) थी जिसमें सामुद्रिक जहाजी क्षमता 1 7 लाख जी आर टी तथा तटीय जहाजी क्षमता 2 2 लाख जी आर टी थी। प्रथम योजना के प्रारम्भ मे आधे से अधिक जहाज पुराने थे। जहाजी क्षमता बढाने के लिए पुराने जहाजो को बदलने की आवश्यकता थी। प्रथम योजना मे जहाजरानी विकास पर व्यय 19 करोड रुपए था। योजना के अत मे जहाजी क्षमता 4 8 लाख सकल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) हो गई। इसके अलावा योजना के अतिम चरण मे 1 2 लाख जी आर टी क्षमता के जहाज निर्माणधीन अवस्था मे थे। देश विभाजन के कारण कराची बदरगाह के पाकिस्तान के चले जाने के कारण पश्चिमी तट पर बन्दरगाह की समस्या थी। प्रथम योजना मे काडला बन्दरगाह का निर्माण पूरा किया गया। जहाज निर्माण के प्रोत्साहन वास्ते सरकार ने 1952 मे विशाखापट्टनम जहाज कारखाने को अधिकार मे लिया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) – द्वितीय पचवर्षीय योजना मे जहाजरानी विकास के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए। वर्ष 1959 में सरकार को जहाजरानी के सबध में सलाह देने के लिए नेशनल शिपिग बोर्ड का गठन किया गया। जहाजरानी की उन्नति के लिए 1957–58 मे जहाजी विकास कोष की स्थापना की गई। इसके अलावा अगस्त 1959 मे ट्रेनिग योजनाओ की देखरेख के लिए मर्चेट नेवी ट्रेनिग बोर्ड की स्थापना की गई। योजनावधि मे भारतीय जहाज़ी बेड के विकास वास्ते तटीय व्यापार की आवश्यकताओ की पूर्ति तथा विदेशी व्यापार को भारतीय जहाजो के नियत्रण मे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्यो की पूर्ति हो गई। द्वितीय योजना के अत

मे (1960-61) मे वास्तविक जहाजी क्षमता 8 5 लाख जी आर टी तथा जहाजो की सख्या 172 थी। इसमे सामुद्रिक जहाज 75 तथा तटीय जहाज 97 थे। द्वितीय योजना मे जहाजीरानी विकास व्यय 53 करोड रुपए था।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) – योजनावधि मे भारत को 1962 मे चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पडा। जहाजरानी का सामरिक महत्त्व भी होता है। वर्ष 1962 मे भारतीय जहाजरानी के लक्ष्यो मे वृद्धि कर दी गई। योजना के अत तक 13 लाख जी आर टी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। हर्ष की बात यह है कि यह लक्ष्य 30 नवम्बर 1964 को ही पूरा किया जा चुका था। तृतीय योजना के अत मे जहाजी क्षमता 15 9 लाख जी आर टी तथा जहाजो की सख्या 221 थी। योजनावधि मे उडीसा का पाराद्वीप बदरगाह चालू हुआ। तृतीय योजना मे जहाजरानी पर 40 करोड रुपए व्यय किया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) – 2 जनवरी, 1972 को भारतीय प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' बन कर पूरा हो गया। राजेन्द्र जहाज द्वारा 125 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष जहाज प्रशिक्षण प्राप्त करते है। वर्ष 1974 में भारतीय जहाजो की टनेज विश्व की कुल जहाजी टनेज की एक प्रतिशत थी। आवश्यकता की तुलना मे भारत का जहाजी टनेज बहुत कम है। योजना के अत मे भारत की जहाजी क्षमता का लक्ष्य 40 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। किन्तु वास्तविक उपलब्धि 30 9 लाख जी आर टी था। योजना के अत में जहाजो की सख्या 274 थी। 1974 मे देश मे 33 भारतीय जहाजी कम्पनियो पर 32,000 भारतीय कार्य करते थे। चतुर्थ योजना मे जहाजरानी विकास पर 155 करोड रुपए व्यय किया गया।

पाचवीं पचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) – पाचवीं योजना मे जहाजरानी विकास पर 469 करोड रुपए व्यय किया गया। योजना के अत मे जहाजो की सख्या बढकर 375 हो गई। योजना काल मे जहाजीरानी क्षमता का लक्ष्य 86 40 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। योजनावधि में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। वर्ष 1978 मे जहाजरानी क्षमता 53 6 लाख जी आर टी तक ही पहुच पाई जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी।

छठी पचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना मे जहाजरानी विकास पर 468 करोड रुपए व्यय किया गया। योजनावधि मे जहाजो की सख्या बढकर 450 हो गई। योजना के अत मे जहाजरानी क्षमता 64 लाख जी आर टी हो गई। प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा 1984–85 मे 106 73 मिलियन टन थी।

सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना मे जहाजरानी विकास परिव्यय 693 41 करोड रुपए निर्धारित किया गया किन्तु वास्तविक व्यय 670 05 करोड रुपए ही था। इसमे आन्तरिक ससाधन

और अतिरिक्त बजटीय ससाधन सम्मिलित नहीं है।[3] सातवीं योजना मे जहाजो की सख्या बढकर 408 हो गई तथा जहाजरानी क्षमता 59 8 लाख जी आर टी थी। प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा 1989–90 मे 147 28 मिलियन टन थी।[3]

वार्षिक योजना 1990-92 (Annual Plans) – जहाजरानी विकास पर 1990–91 मे परिव्यय लक्ष्य 708 करोड रुपए जबकि वास्तविक व्यय 274 45 करोड रुपए था। वर्ष 1991–92 मे जहाजरानी विकास परिव्यय लक्ष्य 611 करोड रुपए जबकि वास्तविक व्यय 966 46 करोड रुपए था।[4] वर्ष 1991–92 मे जहाजो की सख्या 430 तथा जहाजरानी क्षमता 62 8 लाख जी आर टी थी। प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा 155 मिलियन टन थी।

आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना मे जहाजरानी विकास परिव्यय 3,669 करोड रुपए निर्धारित किया गया इसमे केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय 3,400 करोड रुपए तथा राज्य क्षेत्र परिव्यय 269 करोड रुपए था। योजनावधि मे जहाजो की सख्या का लक्ष्य 460 तथा जहाजी क्षमता 70 लाख जी आर टी था।

योजनाकाल में जहाजरानी की प्रगति

वर्ष (योजनाओं के अत मे)	जहाजो की सख्या	जहाजी क्षमता (लाख जी आर टी)
1955-56	126	6 0
1960-61	172	8 6
1965-66	221	15 9
1973-74	274	30 9
1977-78	375	53 6
1984-85	450	64 0
1989-90	408	59 8
1991-92	430	62 8
1996-97	460	70 0
1997-98	484	67 9

स्रोत 1 विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ से सकलित

2 *इकोनॉमिक टाइम्स*, नई दिल्ली, 14 मई 1999

नियोजन काल मे भारतीय जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ। जहाजो की सख्या 1955–56 मे 126 थी जो 1989–90 मे बढकर 408 तथा 1996–97 में ओर बढकर 460 (लक्ष्य) हो गई। जहाजी क्षमता मे भी वृद्धि हुई। जहाजी क्षमता 1955–56 मे 6 लाख जी आर टी थी जो 1989-90 मे बढकर 59 8 लाख जी

आर टी तथा 1996–97 मे और बढकर 70 लाख जी आर टी (लक्ष्य) हो गई। योजनाकाल मे जहाजरानी माल दुलाई मे भी वृद्धि हुई। वर्ष 1960–61 मे जहाजरानी कुल माल दुलाई 33 मिलियन टन थी जो बढकर 1990–91 मे 152 मिलियन टन तथा 1995–96 मे और बढकर 215 मिलियन टन हो गई।

जहाजरानी के विविध आयाम
(Different Extensions of Shipping)

1 **जहाज निर्माण (Ship Manufacturing)** – भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 4 बडे और तीन मध्यम दर्जे की गोदिया काम कर रही हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 35 गोदिया देश की छोटे जलयानो की आवश्यकताए पूरी करती है। छोटी गोदियो से मछली पकडने वाले छोटे जलयानों की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। कोचीन शिपयार्ड कोचीन से अधिकतम 86 000 डी डब्ल्यू टी और हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में अधिकतम 45 000 डी डब्ल्यू टी क्षमता के जहाजो की निर्माण की व्यवस्था है। जहाज निर्माण उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। निजी क्षेत्र को किसी भी आकार के जहाज बनाने की अनुमति है। छोटी गोदियो से मछली पकडने वाले छोटी जलयानो की आवश्यकता भी पूरी की जाती है।

2 **जहाजों की मरम्मत (Repairs of Ships)** – भारत मे 13 शुष्क गोदियों मे वाणिज्यिक जहाजो की मरम्मत का काम किया जाता है। कोचीन की गोदी मे एक लाख डी डब्ल्यू टी और विशाखापट्टनम की गोदी में 57 हजार डी डब्ल्यू टी की क्षमता के जहाजो की मरम्मत की जा सकती है। अन्य शुष्क गोदियो मे 10 000 तक डी डब्ल्यू टी क्षमता वाले जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है।

3 **डिजाइन और अनुसधान (Design and Research)**– विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसधान सस्थान स्थापित है। यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय सस्थान है। यह देश के जहाज निर्माण तथा जहाजरानी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर टैक्नोलाजी सबधी आधारभूत ढाचा उपलब्ध कराता है।

4 **प्रशिक्षण सुविधाए (Training Facilities)** – व्यापारिक जहाजरानी के अधिकारियो के प्रशिक्षण के लिए देश मे तीन सस्थान है –

(i) टी एस चौरया सस्थान मुम्बई – *यह नौवहन कैडेटो को समुद्र पूर्व प्रशिक्षण देता है।*

(ii) लाल बहादुर शास्त्री इजीनियरिंग महाविद्यालय मुम्बई – यह नौवहन तथा इजीनियरी मे उच्च स्तर के यात्रिक पाठयक्रम आयोजित करता है।

(iii) समुद्री इजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय मुम्बई और कलकत्ता – यह समुद्री इजीनियरिंग के कैडेटो को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5 **प्रमुख बन्दरगाह (Major Ports)** – भारत के 5 000 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट पर 11 बडे बन्दरगाह हैं। बडे बन्दरगाहो की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। बडे बन्दरगाहो के अलावा भारत मे 139 छोटे बदरगाह भी है जो सविधान की

समवर्ती सूची मे आते है। इनका प्रबन्ध और प्रशासन सबधित राज्य सरकारे करती है।

पश्चिम तट के प्रमुख बन्दरगाह काडला, मुम्बई, मार्मुगाओ, न्यू मगलौर, कोचीन और मुम्बई का नया जवाहरलाल नेहरु बन्दरगाह है। जवाहरलाल नेहरु बन्दरगाह आधुनिक सुविधाओ से सुसज्जित है। पूर्वी तट के प्रमुख बन्दरगाहो मे तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम पाराद्वीप और कलकत्ता–हल्दिया शामिल है। देश के सभी प्रमुख बदरगाहो का प्रशासन प्रमुख बदरगाह न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) अधिनियम, 1963 की व्यवस्थाओ के अनुसार चलाया जाता है।

देश के सभी प्रमुख बदरगाहो से होने वाले कुल कारोबार के पाचवे हिस्से से भी अधिक का यातायात मुम्बई बदरगाह से होता है। चेन्नई पूर्वी तट का सबसे पुराना बदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बदरगाह है।

6. प्रमुख बन्दरगाहो पर यातायात की मात्रा (Volume of Traffic of Major Ports) – प्रमुख बन्दरगाहो पर माल ढुलाई 1984–86 मे 107 मिलियन टन भी जो बढकर 1989–90 मे 147 मिलियन तथा 1990–91 मे 153 मिलियन टन हो गई। प्रमुख बन्दरगाहो पर माल ढुलाई 1991–92 म 155 मिलियन टन थी। वर्ष 1991–92 मे मुम्बई बदरगाह पर माल ढुलाई 28 32 मिलियन टन, चेन्नई पर 23 35 मिलियन टन काडला पर 20 30 मिलियन टन तथा विशाखापट्टनम पर 19 28 मिलियन टन थी। वर्ष 1991–92 मे प्रमुख बन्दरगाह पर माल ढुलाई मे मुम्बई बदरगाह का योगदान 18 प्रतिशत तथा चेन्नई बदरगाह का योगदान 15 प्रतिशत था।[7] प्रमुख बदरगाहो पर ढुलाई 1996–97 मे 227 मिलियन टन तथा अप्रैल–नवम्बर 1997–98 मे 251 5 मिलियन टन थी।[8]

7. प्रमुख बन्दरगाहो पर वस्तु अनुसार ढलाई (Commodity Wise Traffic at Major Ports) – भारत के प्रमुख बदरगाहो से पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेटस (पी ओ एल), लौह–अयस्क, उर्वरक और कच्चा माल, खाद्यान्न, कोयला, खाद्य तेल, अन्य तरल, कनटेनर सामान्य कारगो आदि की ढुलाई होती है। प्रमुख बदरगाहो पर सबसे अधिक ढुलाई पेट्रोल ऑयल ओर लुबिक्रेट्स, कोयला, लोह अयस्क की होती है। वर्ष 1996–97 मे प्रमुख बन्दरगाहो पर 227 मिलियन टन की ढुलाई हुई उसमे पेट्रोल ऑयल और लुबिक्रेटस का भाग 43 प्रतिशत, कोयला का भाग 15 प्रतिशत तथा लौह अयस्क का भाग 14 5 प्रतिशत था। प्रमुख बन्दरगाहों से 1996–97 मे पेट्रोल ऑयल लुबिक्रेट्स की ढुलाई 98 मिलियन टन थी।

8. प्रमुख बन्दरगाहों पर वस्तु अनुसार क्षमता (Commodity wise Capacity at Major Ports) – प्रमुख बन्दरगाहो पर वस्तु अनुसार क्षमता 1984–85 मे 132 73 मिलियन टन थी जो बढकर 1989–90 मे 161 32 मिलियन टन हो गई। प्रमुख बन्दरगाहो की वस्तु अनुसार क्षमता 1991–92 मे 167 58 मिलियन टन थी। यह बढकर 1996–97 मे 253 49 मिलियन टन हो गई।

9 बदरगाह क्षमता और दुलाई (Port Capacity and Traffic) — वर्ष 1991-92 म प्रमुख बदरगाहो की दुलाई क्षमता 167 58 मिलियन टन थी जबकि दुलाई 155 मिलियन टन रही। बदरगाहो की क्षमता बढकर 1996-97 मे 253 49 मिलियन टन हो गई जबकि दुलाई 228 64 मिलियन टन ही हुई। वर्ष 1996-97 मे सर्वाधिक क्षमता काडला बन्दरगाह की 37 60 मिलियन टन थी जबकि दुलाई सर्वाधिक चर्च बदरगाह की 34 70 मिलियन टन थी।

10 जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र योजना व्यय (Public Sector Plan Investment in Shipping) — भारत मे जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय प्रथम योजना मे 19 करोड रुपए द्वितीय योजना मे 53 करोड रुपए तृतीय योजना मे 40 करोड रुपए तीन वार्षिक योजनाओ (1966 69) मे 32 करोड रुपए चतुर्थ योजना मे 155 करोड रुपए पाचवी योजना मे 469 करोड रुपए छठी योजना मे 465 करोड रुपए सातवीं योजना मे 719 करोड रुपए (अनुमानित) वार्षिक योजनाओ (1990 92) मे 1 007 करोड रुपए तथा आठवीं योजना मे 3 669 करोड रुपए (लक्ष्य) था।

जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय

(करोड रुपए)

योजना	योजना परिव्यय	जहाजरानी परिव्यय	जहाजरानी का योजना परिव्यय मे प्रतिशत
प्रथम योजना (1951 56)	1965 00	19	0 97
द्वितीय योजना (1956 61)	4672 00	53	1 13
तृतीय योजना (1961 66)	8576 50	40	0 47
वार्षिक योजनाए (1966 69)	6625 40	32	0 48
चतुर्थ योजना (1969 74)	15778 00	155	0 98
पाचवी योजना (1974 79)	39426 20	469	1 19
छठी योजना (1980 85)	109291 70	465	0 42
सातवीं योजना (1985 90)	218729 62	719 (अनु)	0 33
वार्षिक योजना (1990 92)	123120 50	1007	0 82
आठवीं योजना (1992 97)	434100 (अनु)	3669	0 84

Source *Eighth Five Year Plan* (1992 97) Volume II p 257

भारत मे जहाजरानी की समस्याए और सुझाव
(Problem of Shipping in India and Suggestions)

भारत मे नियोजन काल मे जहाजरानी ने प्रगति की किन्तु अभी यह समस्याओ से अछूता नही है। विश्व के विकसित देशो की तुलना मे भारतीय

जहाजरानी की स्थिति दयनीय है। भारत मे जहाजरानी की समस्याए और उनके समाधान निम्नलिखित है –

1 **कम जहाजी क्षमता (Less Shipping Capacity)** – बीते वर्षो मे भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत बडी है। विदेशी व्यापार की मात्रा (आयात और निर्यात दोनो) 1997–98 मे 2 84,277 करोड रुपए था। विश्व के निर्यातो में भारत का भाग 1996 मे 0 7 प्रतिशत था। भारत के बढते विदेशी व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए जहाजरानी क्षमता बहुत कम है। भारत की जहाजरानी क्षमता 1996–97 मे *लगभग 70 लाख जी आर टी थी जो अन्य देशो की तुलना मे कम है। गौरतलब* है जापान की जहाजी क्षमता 400 लाख जी आर टी है। भारत मे जहाजी क्षमता को बढाने की आवश्यकता है। सरकार को जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा निजी कम्पनियो को भी जहाज खरीदने के लिए वित्तीय सुविधाए मुहैया कराई जानी चाहिए।

2 **पुराने जहाज (Old Ship)** – भारत मे जहाजो की कमी है इसके अलावा अधिकतर जहाज बहुत पुराने है। ज्यादा पुराने जहाजो मे ईधन की खपत ज्यादा होती है तथा उनके चलाने और रख–रखाव पर भी अधिक खर्च आता है। परिणामस्वरूप पुराने जहाजो के परिचालन व्यय, कर्मचारियो पर खर्च आदि बढ जाते है। भारतीय जहाजो का पुराना होना चिन्ताप्रद बात है। देश मे 55 प्रतिशत से अधिक जहाज 11 वर्ष के अधिक पुराने हैं। केवल 20 प्रतिशत जहाज ही पाच वर्ष की अवधि के है। वर्ष 1998 मे 14 प्रतिशत जहाज 20 वर्ष से अधिक पुराने था।[9] रख–रखाव पर बढते खर्च को कम करने वास्ते नये जहाजो के निर्माण पर बल देना चाहिए।

3 **रेल जहाज प्रतिस्पर्धा (Competition between Railway and Shipping)** – तटवर्ती परिवहन से भारी लदान यथा कोयला, सीमेंट, नमक आदि वस्तुए बडे पैमाने पर भेजी जाती है। इन वस्तुओ के लिए रेलवे ने माल भाडा अपेक्षाकृत कम रखा है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता रेल परिवहन को ही प्राथमिकता देते हैं। माल भाडा कम रखने से रेलवे को घाटा उठाना पडता है। जहाजी कम्पनियो से व्यर्थ ही प्रतिस्पर्धा होती है। जून 1955 के नियुक्त रेल जहाज समन्वय समिति ने रेल भाडे लागत व्यय के अनुसार निश्चित करने का सुझाव दिया था। परन्तु रेलो की प्रतियोगिता जारी है। रेल जहाज प्रतिस्पर्धा को कम करने की आवश्यकता हैं।

4. **अनावश्यक विलम्ब (Unnecessary Delay)** – बन्दरगाहो पर होने वाली देरी के कारण तटवर्ती नौ परिवहन को अन्य साधनो की तुलना मे कम महत्त्व मिल पाता है। अनुमान है कि समुद्री जहाजो का 70 प्रतिशत समय बदरगाहो पर व्यतीत होता है। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जहाजो को बन्दरगाहो पर अधिक खडा नहीं रहना पडे।

5 **जटिल प्रक्रिया (Complicated Process)** – बदरगाह और तटकर सबधी जटिल प्रक्रिया के कारण जहाजरानी क्षमता के अधिकतम उपयोग में बाधा पडती है।

तटवर्ती नौ परिवहन के क्षेत्र म दिशा–निर्देश के असतुलन सबधी बाधाए भी है। बदरगाह पर कोयला उतारने के बाद तटवर्ती इलाका मे जहाजा के सचालन मे आने वाली बाधाओ को दूर करन के यथासभव प्रयास किए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार ने तटकर प्रक्रियाओ को सरल बनाने बुनियादी सुविधाआ को लागू करने और वित्तीय पहलुओ के बार मे अध्ययन करने वास्ते एक अन्तर मत्रालय कार्यदल का गठन किया था। इसमें तटवर्ती नौ–परिवहन के विकास वास्ते कई सिफारिशे की।

6 **अप्रयुक्त क्षमता** (Unutilized Capacity) – बन्दरगाहो की क्षमता का पूरा उपयाग नहीं हो सका है। भारत मे 1991–92 म प्रमुख बन्दरगाहो की क्षमता 167 6 मिलियन टन थी। जबकि दुलाई 155 मिलियन टन ही थी इस प्रकार क्षमता का 92 5 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया। वर्ष 1996–97 मे बदरगाहो की क्षमता 253 5 मिलियन टन थी जबकि दुलाई 228 6 मिलियन टन ही थी अर्थात् क्षमता का 90 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। जहाजरानी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रमुख बन्दरगाहो की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

7 **विदेशी प्रतिस्पर्धा** (Foreign Competition) – भारतीय जहाजरानी की ब्रिटेन अमरीका जापान जर्मनी इटली आदि देशो के जहाजा से प्रतिस्पर्धा बढी है। विकसित देशो के जहाजा की तुलना मे भारतीय जहाजरानी की स्थिति कमजोर है। विदेशी जहाजी कम्पनिया अधिक प्रलोभन देकर भारत के विदेशी व्यापार का 70 प्रतिशत स अधिक भाग ढोती है। भारतीय जहाजरानी को विदेशी जहाजो से बढती प्रतिस्पर्धा मे टिकने के लिए सक्रिय प्रयत्नो की आवश्यकता है। भारत तटीय व्यापार का शत–प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजा द्वारा किया जाना चाहिए।

8 **ऊँची लागत** (High Cost) – बढते मूल्य स्तर के कारण जहाजो की ऊची लागत हुई है। विश्व मे जहाजा की माग अधिक होन के कारण जहाजा का मूल्य तेजी से बढा है। ऊची कीमतो पर जहाजो को खरीदना भार लगता है। जहाजा की लागता मे वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण योजना के अनुमान गलत सिद्ध होते है। भारत सरकार द्वारा जहाज निर्माण कार्य मे अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

9 **जहाज निर्माण क्षमता का अभाव** (Lack of Ship Manufacturing Capacity) – भारत मे हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम तथा कोचीन शिययार्ड कोचीन मे जहाजो के निर्माण की व्यवस्था है। जहाज निर्माण उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। जहाज निर्माण क्षमता में कमी के कारण जहाजी क्षमता मे वृद्धि नहीं हो पाई। भारत मे तडागपोतों (Tankers) का अभाव है। भारत मे खनिज तेल का अधिकाश आयात समुद्री मार्ग से होता है। भारत मे यात्री पोता और प्रशीतपोतो (Refrigerator Ships) का भी अभाव है। सरकार को जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि वास्ते प्रयत्न करने चाहिए।

10. कुशल कर्मचारियो का अभाव (Lack of Efficient Employees) – तीव्र गामी जहाजो के सचालन मे योग्य एव प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होती है। अत्याधुनिक जहाजो के सचालन मे तो इजीनियरो की जरुरत पडती है। भारत मे सीमित जहाजरानी प्रशिक्षण सस्थान हे। इस कारण आवश्यकतानुसार योग्य एव प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार नहीं हो पाते हैं। अत अधिक प्रशिक्षण सस्थान खोले जाने चाहिए।

11. गोदी कर्मचारियो की हडताल (Strike of Dock Employees) – गोदी कर्मचारियो की हडताल के कारण जहाजरानी को हानि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के गोदी कर्मचारी वेतन भत्तो मे बढोतरी के लिए हडताल करते हैं। गोदी कर्मचारियो की स्थिति को सुधारने वास्ते गोदी कर्मचारी जाच समिति की सिफारिशो को स्वीकार किया जाना चाहिए।

12. निजी जहाज कम्पनियों की दयनीय स्थिति (Pitiable Condition of Own Shipping Companies) – भारत के सामुद्रिक परिवहन मे निजी क्षेत्र की भी भूमिका है किन्तु निजी जहाजी कम्पनियो की आर्थिक स्थिति दुर्बल है तथा उनकी जहाजी क्षमता सीमित है। ये विदेशी जहाजी कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति मे नहीं है। निजी जहाजी कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण करके समस्या से निपटा जा सकता है किन्तु आर्थिक उदारीकरण के दौर मे राष्ट्रीयकरण की सभावना न्यून है। अत निजी जहाजी कम्पनियो को दीर्घकालीन ऋण सुविधा मुहैया कराकर दुर्बल आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।

13 प्राकृतिक बदरगाहो का अभाव (Lack of Natural Harbours) – देश मे प्राकृतिक बदरगाहो का अभाव भी जहाजरानी के विकास म बाधक है। प्राकृतिक बदरगाहो के अभाव मे कृत्रिम बदरगाहो का निर्माण करना पडता हे। जिसके लिए भारी पूजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। भारत मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है।

आन्तरिक अथवा अतर्देशीय जल परिवहन
(Inland Water Transport)

भारत मे नदियो, नहरे, अप्रवाही जल और सकरी खाडियो मे लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा नौकायान के योग्य जलमार्ग है। देश की प्रमुख नदियो में 3,700 किलोमीटर की दूरी यान्त्रिका नौकाओ से तय की जा सकती है लेकिन अभी लगभग 2,000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 4,300 किलोमीटर पोतगम्य लम्बी नहरो मे से केवल 900 किलोमीटर की दूरी यात्रिक नौकाओ के नौ वहन के उपयुक्त है।[10] अन्तर्देशीय जल परिवहन मे काफी लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया है। पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव नही पडता है। ईंधन खपत की दृष्टि से भी यह किफायती साधन है।

पचवर्षीय योजनाओ में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास
(Development of Inland Water Transport During Plan Period)

भारत म प्राचीन काल से ही विशेषकर मुगल और मौर्य काल मे आन्तरिक जल परिवहन का विशेष महत्त्व था। रेलवे के विकास पर तुलनात्मक रुप से अधिक ध्यान दिए जाने के कारण आन्तरिक जल परिवहन को तीव्र गति नहीं मिल सकी। स्वातन्त्र्योत्तर पचवर्षीय योजनाओ मे अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के विशेष प्रयास किए गए।

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951 56 (First Five Year Plan) – प्रथम योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर अत्यल्प राशि खर्च की गई। योजनावधि मे *गगा–ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य गगा व* ब्रह्मपुत्र नदियो मे जल परिवहन का विकास करना था। बोर्ड मे केन्द्र सरकार के अलावा असम बिहार पश्चिमी बगाल उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार सम्मिलित थी।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956 61 (Second Five Year Plan) – प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजना म अन्तर्देशीय जल परिवहन पर लगभग एक करोड रुपए खर्च किया गया। योजनावधि मे जल परिवहन निगम की स्थापना की गई। इसके अलावा दामोदर घाटी मे नौकायन मार्गो का विकास किया गया तथा केरल मे वाडगरा से माही तक नहर का विस्तार किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961 66 (Third Five Year Plan) – तृतीय योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 4 करोड रुपए था जो तीसरी योजना परिव्यय का केवल 0 05 प्रतिशत था। वर्ष 1965 म आतरिक जल परिवहन निदेशालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 32 लाख रुपए की लागत स पाण्डू मे नदी बदरगाह का निर्माण कराया गया।

तीन वार्षिक योजनाए 1966 69 (Three Annual Plans) – तीन वार्षिक योजनाओ म अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 6 करोड रुपए था। जो तीन वार्षिक योजनाओ के परिव्यय का 0 09 प्रतिशत था। वर्ष 1967 मे गगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मडल का आन्तरिक जल परिवहन निदेशालय में विलय कर दिया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969 74 (Fourth Five Year Plan) – चतुर्थ योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 11 करोड रुपए था जो चतुर्थ योजना परिव्यय का 0 07 प्रतिशत था। योजनावधि मे राजस्थान मे नौका घाट जोगीघोपा तथा पाण्डू बदरगाहो का विकास किया गया। इसके अलावा कलकत्ता राजवगान डाक–यार्ड का आधुनिकीकरण किया गया।

पाचवी पचवर्षीय योजना 1974 79 (Fifth Five Year Plan) – पाचवीं योजना म अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 16 करोड रुपए था जो पाचवी योजना परिव्यय का 0 04 प्रतिशत था। योजना अवधि मे फरक्का

परियोजना के विकास को प्राथमिकता दी गई। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मे जल परिवहन विकास पर बल दिया गया। हुगली एव गगा नदी पर परिवहन सुविधाए बढाने से सबधित कार्य किए गए।

छठी पचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 63 23 करोड रुपए था जो छठी योजना परिव्यय का 0 06 प्रतिशत था। योजनावधि मे केन्द्र की 12 योजनाओ पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन को उच्च प्राथमिकता दी गई। सातवीं योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 155 करोड रुपए निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक व्यय 131 85 करोड रुपए हुआ। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (Central Inland Water Transport Corporation, CIWTC) पर 97 5 करोड रुपए खर्च किया गया। इसके अलाव अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India, IWAI) पर 36 करोड रुपए खर्च किया गया। योजनावधि मे जलमार्गो के विकास और जहाजो के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। ब्रह्मपुत्र मे सादिया और धुब्री को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया।

वार्षिक योजनाए 1990-92 (Annual Plans) – अन्तर्देशीय जल परिवहन पर 1990–91 मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 57 करोड रुपए निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल 14 4 करोड रुपए था। वर्ष 1991–92 मे 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना मे अन्तर्देशीय जल परिवहन की कठिनाईयो और विकास की सभावनाओ को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक लाभ के आनन्द वाले क्षेत्रो मे अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, आधुनिकीकरण और उन्नत तकनोलॉजी द्वारा सपदा की उत्पादकता मे सुधार तथा आन्तरिक जल परिवहन मे प्रशिक्षित और योग्य श्रम शक्ति का निर्माण आदि बातो पर विशेष बल दिया गया।

आठवीं योजना मे अन्तर्देशीय परिवहन पर केन्द्रीय सार्वजनिक परिव्यय 240 करोड रुपए तथा राज्य क्षेत्र मे 107 63 करोड रुपए परिव्यय स्वीकृत किया गया अर्थात अन्तर्देशीय जल परिवहन पर कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 347 63 करोड रुपए था जो आठवीं योजना परिव्यय का 0 08 प्रतिशत था।

अन्तर्देशीय जल परिवहन पर प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना तक सार्वजनिक क्षेत्र व्यय सभी पचवर्षीय योजनाओ मे परिव्यय का एक प्रतिशत से कम रहा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति
(Present Position of Inland Water Transport)

भारत मे अन्तर्देशीय जल परिवहन का स्वरूप देश भर मे फैले कुल यातायात जल का बहुत थोडा भाग है। भारत मे भू तल परिवहन के विभिन्न साधनो से लगभग 550 मिलियन टन माल ढोया जाता है इसमे आन्तरिक या अतर्देशीय जल परिवहन का भाग केवल 16 6 मिलियन टन ही है। टन किलोमीटर मे अन्तर्देशीय जलपरिवहन का भाग एक प्रतिशत से भी कम है। यह यातायात गोवा जल मार्ग पर लौह अयस्क के ढोने के कारण है। जो कुल अन्तर्देशीय जल परिवहन का लगभग 96 प्रतिशत है। दूसरे जल मार्गों पर केवल 1.5 से 2 मिलियन टन माल ढोया जाता है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (Central Inland Water Transport Corporation) – इस निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के एक सस्थान के रूप मे 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता मे है। यह निगम गगा हुगली, भागीरथी, सुदर वन और बह्मपुत्र नदियो मे अन्तर्देशीय जलमार्गो से माल की ढुलाई के काम म लगा हुआ है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Indian Inland Waterways Authority)– भारत मे 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण गठित किया गया था। यह राष्ट्रीय जलमार्गो के विकास, रख–रखाव और नियमन का काम करता है। प्राधिकरण केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्तर्देशीय जल परिवहन सबधी सलाह भी देता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) – देश की परिवहन प्रणाली मे अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका बढाने वास्ते सरकार ने 10 महत्त्वपूर्ण जलमार्गो की पहचान की है इनमे से निम्नलिखित को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जा चुका है।

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (National Waterway 1) – गगा नदी के इलाहाबाद और हल्दियाँ के बीच 1620 किलोमीटर के जलमार्ग को 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग सख्या–1 घोषित किया गया।

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (National Waterway 2) – ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया–धुब्री तक के 891 किलोमीटर खण्ड को 26 दिसम्बर, 1988 को राष्ट्रीय जल मार्ग सख्या –2 घोषित किया गया।

(iii) राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (National Waterway 3) – *केरल मे उद्योग मडल* और चम्पाकारी जलमार्गो तथा पश्चिमी घाट जलमार्गो के कोल्लम –कोहापुरम खड को एक फरवरी 1993 को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की सभावनाए (Possibilities of Development of Inland Water Transport)

भारत म अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की काफी सभावनाए मौजूद

है। अब तक आन्तरिक जल परिवहन की सभाव्यता का बहुत कम विदोहन किया गया है। भारत मे लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा नोगम्य जल मार्ग है इसमें 10,100 किलोमीटर नदियो मे तथा 4,400 किलोमीटर नहरो मे है। नदी मार्ग मे केवल 2,000 किलोमीटर तथा नहरो मे केवल 900 किलोमीटर का ही उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अन्तर्देशीय जल परिवहन निम्नलिखित जलमार्गो के कुछ हिस्सो तक ही सीमित है – गगा, भागीरथी, हुगली नदियो के कुछ खड केरल की सकरी खाडिया, ब्रह्मपुत्र और वोराक नदिया, गोदावरी कृष्णा नदियो के डेल्टा क्षेत्र और गोवा की नदिया। देश मे अन्य नदी मार्ग और नहर मार्ग मे आतरिक परिवहन विकास की अच्छी सभावनाए हैं। उडीसा की महानदी, राजस्थान मे इदिरा गाधी नहर, पजाव की सरहिन्द, दामोदर घाटी योजना अच्छे जलमार्ग है। भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन पर नियोजन काल मे तुलनात्मक रुप से कम राशि खर्च की है। यदि अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय मे वृद्धि की जाए तो देश की परिवहन प्रणाली मे अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका तेजी से बढ सकती है।

सन्दर्भ

1 "Indian Shipping had to die so that British Shipping may proper "—*Gandhi*

2 *Eighth Five Year Plan*, 1992-97, Volume II, p 239

3 वही।

4 वही।

5 *Indian Economy*, Statistical Year Book, 1998, p 227

6 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 575

7 *Eight Five Year Plan*, 1992-97, Vol II, p 241

8 *Indian Economic Survey*, 1998-99, p 137

9 *The Economic Times*, New Delhi, 14 May, 1999

10 *भारत*, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय अर्थव्यवस्था मे जल परिवहन का क्या महत्त्व है?
2 जहाजरानी की प्रमुख समस्याए क्या है?
3 राष्ट्रीय जल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए।
4 अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए।
5 अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की क्या सभावनाए है?

निबन्धात्मक प्रश्न

1 भारत म जल परिवहन का क्या महत्त्व है। पचवर्षीय योजनाओ मे जहाजरानी विकास का विवेचन कीजिए।
(सकेत -- प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये जल परिवहन के महत्त्व को बताना है तथा दूसरे भाग में पचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी विकास को लिखना है।)

2 भारत म सामुद्रिक परिवहन की वर्तमान स्थिति और समस्याओ का वर्णन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय में दिए गये सामुद्रिक परिवहन की वर्तमान स्थिति तथा दूसरे भाग मे समस्याओ को लिखना है।)

3 भारत मे अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसके और अधिक विकास के सुझाव दीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग में इसके विकास के सुझावो को बताना है।)

4 भारत मे जहाजरानी के बदलते आयामों की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – अध्याय मे दिए गये जहाजरानी के विविध आयामो को लिखना है।

5 भारत मे जहाजरानी की प्रमुख समस्याओ और उनके समाधान के सुझावो की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये भारत मे जहाजरानी की समस्याए और सुझाव को लिखना है।)

33

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ
(Basic Characteristics of Economy of Rajasthan)

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था मे कृषि की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। राजस्थान की कुल राज्य आय का 40 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि एव सबध क्षेत्रों से प्राप्त होता है। राजस्थान नियोजन काल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। योजनाबद्ध विकास मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हो चुकी हैं। नौवीं योजना की समयावधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। राजस्थान मे 1951–52 से 1991–92 तक विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ और वार्षिक योजनाओ में 9,349 6 करोड रुपए का विनियोजन किया जा चुका है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे 11,500 करोड रुपए के उद्व्यय के मुकाबले 11,999 करोड रुपए व्यय किए गए। इस प्रकार राजस्थान मे 1951–52 में 1996–97 तक गत 45 वर्षो की योजनावधि मे 21,349 करोड रुपए व्यय किए गए। आठवीं योजना मे राजस्थान का प्रति व्यक्ति ओसत विनियोजन 2,614 रुपए था जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2,101 रुपए से अधिक था। योजनाबद्ध विकास मे भारी पूजी विनियोजन से राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका बढी है। राजस्थान की आधारभूत विशेषताओ मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है।

1. क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति (Area and Geographical Location) – राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य हरियाणा, पजाब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों की भौगोलिक सीमाओ से जुडा हुआ है तथा देश के उत्तर–पश्चिम भाग मे पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ

है।

राजस्थान का पश्चिम और उत्तर–पश्चिम क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 1 प्रतिशत भाग रेत के धोरो से पटा हुआ है। इस क्षेत्र में राज्य के 11 जिले आते हैं जिनमे प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसख्या निवास करती है। राजस्थान के थार मरुस्थल का इदिरा गाधी नगर परियाजना के कारण कायाकल्प हुआ है।

राजस्थान भारत के उत्तर–पश्चिम मे 23°-3' से 30°-12' उत्तरी अक्षाशो तथा 69°-3' से 78°-17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजस्थान की लम्बाई पूर्व से पश्चिम मे 869 किलोमीटर तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण मे 826 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृखला, जो विश्व की सबस बडी पर्वत श्रृखलाओ मे है, राज्य के मुख्य भाग से होते हुए 692 किलोमीटर तक फैली हुई है।

2 **प्रशासनिक स्वरूप** (Administrative Shape) – वर्तमान के राजस्थान राज्य प्रशासनिक दृष्टि से 32 जिलो के साथ 6 सभागो मे विभक्त है। सभाग उपखण्डो और तहसीलो में विभाजित है। राजस्थान मे वर्ष 1999 मे 105 उपखड, 241 तहसीले, 183 नगरपालिकाए, 237 पचायत समितिया, 9,184 ग्राम पचायते हैं। राज्य मे वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 39,810 कुल गाव, 37,889 कुल आबाद गाव तथा 222 कस्बे व शहर थे।

3 **जनसख्या** (Population) – राजस्थान मे जनसख्या तीव्र गति से बढ रही है। राजस्थान की जनसख्या वृद्धि दर भारत की जनसख्या वृद्धि दर से अधिक है। भारत मे जनसख्या की दशक वृद्धि दर 23 56 प्रतिशत थी जबकि यह राजस्थान में 28 44 प्रतिशत थी। राजस्थान की जनसख्या 1951 मे केवल 160 लाख थी जो 1981 मे बढकर 343 लाख हो गई। राज्य की जनसख्या 1991 में 440 लाख तक जा पहुची। राजस्थान की जनसख्या देश की जनसख्या का 5 20 प्रतिशत है। राजस्थान की जनसख्या का 77 प्रतिशत भाग गावो मे तथा 23 प्रतिशत भाग शहरो मे निवास करता है।

4 **सकल घरेलू उत्पाद** (Gross Domestic Product) – राजस्थान ने आर्थिक विकास को गति देने वास्ते आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। वर्ष 1991 के बाद राजस्थान ने भारत के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदम-ताल की। आर्थिक नीतियो म किए गए बदलाव और आधारभूत सरचना के विकास पर बल देने से राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई।

सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि मे अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण स्थिति का दर्शाता है। राजस्थान मे सकल घरेलू उत्पाद मे वृद्धि कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। राज्य मे सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का सर्वाधिक योगदान है किन्तु राजस्थान की कृषि आज भी बडी सीमा तक मानसून पर निर्भर है। अत राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद मे मानसून के उतार–चढाव की स्थिति का व्यापक प्रभाव पडता है।

राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतो पर 1995–96 मे 41,961 करोड रुपए था। वर्ष 1997–98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 53,770 करोड रुपए था जो वर्ष 1996–97 के सकल घरेलू उत्पाद 50,428 करोड रुपए से 6 63 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानो के आधार पर 1998–99 मे सकल राज्य घरेलू उत्पाद 57765 करोड रुपए आका गया जो गत वर्ष से 7 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्थिर (1980-81) कीमतो पर वर्ष 1995–96 मे सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,897 करोड रुपए था। वर्ष 1997–98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,043 करोड रुपए था जो वर्ष 1996–97 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12,695 करोड रुपए से 2 74 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानो के आधार पर 1998–99 मे स्थिर (1980-81) कीमतो पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,157 करोड रुपए अनुमानित है जो 0 87 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

5. आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) – राजस्थान मे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मे उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित कीमतो पर 1995–96 में 12 4 प्रतिशत थी जो 1996–97 मे तेजी से बढकर 20 2 प्रतिशत तक जा पहुची। बाद के वर्षों मे वृद्धि दर मे भारी गिरावट दृष्टिगोचर हुई। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर घटकर 1997–98 मे 6 6 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 7 4 प्रतिशत रह गई। स्थिर (1980-81) कीमतो पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1995–96 मे नकारात्मक 3 1 प्रतिशत थी जो 1966–97 मे बढकर 16 5 प्रतिशत हो गई। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997–98 में 2 7 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 0 9 प्रतिशत रही।

6. प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) – शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मे जनसख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। राजस्थान मे विगत वर्षों मे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मे वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्यो पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1994–95 मे 6,951 रुपए थी जो 1996–97 मे बढकर 8,974 रुपए (प्रावधानिक) हो गई। वर्ष 1998–99 के अग्रिम अनुमानो मे प्रति व्यक्ति आय 9,819 रुपए थी जो 1997–98 के त्वरित अनुमानो 9,356 रुपए से 4 9 प्रतिशत अधिक थी।

स्थिर मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 1994–95 मे 2,060 रुपए थी जो 1996–97 के प्रावधानो मे बढकर 2,290 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय 1998–99 के अग्रिम अनुमानो मे 2,275 रुपए थी जो 1997–98 के त्वरित अनुमानों 2,306 रुपए से 1 3 प्रतिशत कम थी।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय

(रुपयो मे)

वर्ष	स्थिर मूल्यो पर	प्रचलित मूल्यो पर
1994-95	2,060	6,951
1995-96	1,974	7,523
1996-97 (प्रा)	2,290	8,974
1997-98 (त्व)	2,306	9,356
1998-99 (अ)	2,275	9,819
1999-2000 (अ)	*7141**	*11030*

स्रोत *आर्थिक समीक्षा,* 1998-99 राजस्थान सरकार।

प्रा = प्रावधानिक अनुमान, त्व = त्वरित अनुमान, अ = अग्रिम अनुमान

*स्थिर (1993-94) की कीमतो पर।

7. **कृषि विकास** (Agriculture Development) – राजस्थान गावो का प्रदेश है। यहा की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि का योगदान 1987–88 मे राज्य की घरेलू उत्पत्ति में 36 प्रतिशत था। कृषि का अश शुद्ध घरेलू उत्पादन मे 1997–98 में 43 4 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 39 8 प्रतिशत था। वर्ष 1992–93 मे राजस्थान का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3 42 करोड हैक्टेयर भूमि था। राज्य म शुद्ध कृषिगत भूमि 1951–52 मे 93 1 लाख हैक्टेयर थी जो बढकर 1992-93 मे 169 4 लाख हैक्टेयर तथा *1995–96 मे 165 8 लाख हैक्टेयर* हो गई। वर्ष 1995–96 मे शुद्ध कृषिगत भूमि रिपोर्टिंग क्षेत्र का 48 4 प्रतिशत थी। राजस्थान मे 1996–97 मे कुल बोये गए क्षेत्रफल का केवल 32 6 प्रतिशत (औसत) सिचित क्षेत्र है।

राजस्थान मे नियाजित विकास के दौरान (1951-90) कृषि एव सवद्ध सेवाओ पर सार्वजनिक उपरिव्यय 345 4 करोड रुपए था। आठवीं योजना मे कृषि एव सवद्ध सेवाओ पर पर 1,286 करोड रुपए तथा नौवीं योजना में 1,880 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य मे कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा कीटनाशको के प्रयोग को बढावा देने से खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई है।

राजस्थान मे खाद्यान्न उत्पादन मे भारी उतार–चढाव है। वर्ष 1950–51 में खाद्यान्न उत्पादन 29 4 लाख टन था जो बढकर 1960–61 मे 45 5 लाख टन, *1970–71 मे 88 4 लाख टन तथा 1990–91 मे तेजी से बढकर* 109 3 लाख टन तक पहुच गया। वर्ष 1993–94 मे खाद्यान्न का उत्पादन वर्षा की कमी से घटकर 70 5 लाख टन के स्तर पर आ गया। 1994–95 मे खाद्यान्न उत्पादन बढकर 117 *लाख टन तक पहुच गया। वर्ष 1998–99 मे खाद्यान्न का उत्पादन* 112 3 लाख टन होने की सभावना है। देश क खाद्यान्न उत्पादन मे राजस्थान का योगदान कम है। सिचाई क्षमता का विस्तार करके तथा सूखी खेती की विधियों को

अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए। समस्त भारत के खाद्यान्न उत्पादन मे राजस्थान का योगदान वर्ष 1992–93 मे 6 4 प्रतिशत तथा 1993–94 में 3 9 प्रतिशत ही था।

8. **सिचाई** (Irrigation) – राज्य मे कृषिगत विकास के लिए सिचाई सुविधाओ का विस्तार आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओ मे सिचाई को अधिक प्राथमिकता दी गई नतीजतन राज्य मे सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है।

राजस्थान मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1951–52 मे 10 लाख हैक्टेयर था जो 1996–97 मे बढकर 55 9 लाख हैक्टेयर हो गया। पैतालीस वर्षो मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र मे 5 6 गुना वृद्धि हुई। राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्र 1950–51 मे 11 5 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1994–95 मे 58 2 लाख हैक्टेयर, 1995–96 मे 63 6 लाख हैक्टेयर तथा 1996–97 मे 67 4 लाख हैक्टेयर हो गया। कुल सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1950–51 से 1996–97 के बीच 5 9 गुना वृद्धि हुई।

राजस्थान मे कुल कृषि योग्य भूमि मे से सिंचित भूमि 17 39 प्रतिशत है। कृषि मत्रालय के 1992–93 मे आकडों के अनुसार इदिरा गाधी नहर परियोजना पर मार्च 1996 तक कुल 1423 करोड रुपए व्यय किया गया। मार्च 1996 तक 649 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और कुल 5635 किलोमीटर वितरण प्रणाली का निर्माण पूरा किया गया। मार्च, 1996 तक इदिरा गाधी नहर परियोजना चरण एक और दो द्वारा सृजित सिचाई क्षमता 9 38 लाख हैक्टेयर थी जबकि वर्ष 1995–96 के दौरान वास्तविक सिचाई 7 90 लाख हैक्टेयर रही। यह परियोजना पूरी होने पर कुल 18 69 लाख हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र मे से 15 17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिचाई सुविधा मिलने लगेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इदिरा गाधी नहर परियोजना वर्ष 2005 तक पूरा होने की सभावना है। केन्द्र सरकार ने देश मे इदिरा गाधी नहर परियोजना समेत किसी भी सिचाई परियोजना को राष्ट्रीय सिचाई योजना का दर्जा नहीं दिया है।[1]

9 **विद्युत विकास** (Energy Development) – आर्थिक विकास के लिए विद्युत एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना है। राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से अब तक पिछडे रहने का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा। राजस्थान सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऊर्जा विकास शीर्ष पर 1951 से 1990 तक की अवधि मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 2,039 5 करोड रुपए था। आठवीं योजना मे 3,255 करोड रुपए तथा नौवीं योजना मे 6,534 19 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा ऊर्जा विकास पर ध्यान दिए जाने के कारण राज्य मे विद्युत उत्पादन क्षमता 1950–51 मे 8 मेगावाट थी जो बढकर 1973-74 मे 432 मेगावाट, 1984-85 मे 1,751 मेगावाट तथा 1990–91 मे 2,720 मेगावाट हो गई। वर्ष 1998–99 के प्रारम्भ मे विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। नियोजित विकास मे विद्युतीकृत बस्तियो की

सख्या म भी वृद्धि हुई है। विद्युतीकृत बस्तियो की सख्या वर्ष 1950–51 में केवल 42 थी जो बढकर 1990–91 मे 27 737 तथा 1992–93 मे और बढकर 29 482 हो गई। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उपभोग 1950–51 मे केवल 3 यूनिट था जो बढकर 1993–94 मे 254 किलोवाट (KWH) तथा 1994–95 मे 270 कि वा हो गया। राजस्थान मे मार्च 1995 मे 85 8 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे। इस दृष्टि से राजस्थान का देश मे पाचवा स्थान था।

10 औद्योगिक विकास (Industrial Development) – आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण विकास आवश्यक है। योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान के औद्योगीकरण को गति मिली है किन्तु अभी राजस्थान तुलनात्मक रूप से पिछडा हुआ है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोग का लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता है। राज्य मे नियोजित विकास के प्रारम्भिक वर्षों मे सूती वस्त्र चीनी व वनस्पति घी की कुछ मिले थी। वर्तमान मे राजस्थान मे सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया ऊनी चीनी सीमेट टेलीविजन टायर ट्यूब वनस्पति तेल इजीनियरिंग इकाइया खनिज आधारित बडी एव मध्यम श्रेणी की इकाइया हैं। लघु उद्योगो का राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1975–76 में राज्य मे पजीकृत इकाइयो की सख्या 20 102 थी जिनमे 7 237 29 लाख रुपए की पूजी विनियोजित थी तथा 1 37 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था। पजीकृत इकाइयो की सख्या दिसम्बर 1993 तक 1 66 184 थी इनमे 1 26 664 लाख रुपए की पूजी विनियोजित थी तथा 6 30 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1995–96 के अत मे लघु उद्योगो की सख्या 1 75 000 हो गई।

राजस्थान मे चयनित मदो का औद्योगिक उत्पादन निम्न तालिका मे दर्शाया गया है –

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन

उद्योग	इकाई	1994	1947	1998 (प्रावधानिक)	1999 (प्रावधानिक)
शक्कर	टन	12 215	26 375	58 695	31 193
वनस्पति घी	टन	39 615	24 985	24 936	31,754
नमक	लाख टन	12	12	11	17
सीमेण्ट	हजार टन	6 567	6 493	6 206	8 133
सूती वस्त्र	लाख मीटर	373	505	472	350

स्रोत 1 *आर्थिक समीक्षा* राजस्थान सरकार 1995 96 पृ स 22
2 *आर्थिक समीक्षा* राजस्थान सरकार 1998 99 पृ स 22 तथा 1999 2000

11 परिवहन (Transport) – सडके आथिक विकास के क्षेत्र मे मानव शरीर की भाति शिराओ और धमनियो का काम करती है। राजस्थान परिवहन साधना की दृष्टि से पिछडा है। योजनाबद्ध विकास मे सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जान के कारण राज्य मे परिवहन विकास को गति मिली है। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान मे परिवहन विकास पर कम ध्यान दिये जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कम है। राजस्थान मे 1998–99 मे राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2 964 किलोमीटर थी। राजस्थान में सडको की कुल लम्बाई 1951 मे केवल 18 300 किलोमीटर थी। पचवर्षीय योजनाओ मे *परिवहन विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय मे भारी* वृद्धि हुई। इस मद पर 1951 से 1990 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 540 3 करोड रुपए था। आठवी योजना मे परिवहन विकास के लिए 783 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1955–56 मे सडको की कुल लम्बाई बढकर 22 511 किलोमीटर हो गई। सडको की कुल लम्बाई 1965–66 मे 30 186 किलोमीटर 1977–78 मे 84 958 किलोमीटर 1993–94 मे 62 125 किलोमीटर हो गई। आर्थिक समीक्षा 1998–99 के अनुसार राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई 84 958 किलोमीटर थी।

राजस्थान मे सडके

(किलोमीटर)

सडकें	सडको की लम्बाई		
	1995 96	1998 99	1999 2000
राष्ट्रीय राजमार्ग	2 846	2 964	2964
राज्य राजमार्ग	9 810	9 990	9966
मुख्य जिला सडके	5 549	5 789	5947
अन्य जिला सड़के एव ग्रामीण सडकें	46 393	63 976	66395
सीमावर्ती सडकें	2 239	2 239	2239
योग	66 837	84 958	87511

स्रोत *आर्थिक समीक्षा* 1995 96 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान मे सार्वजनिक विभाग द्वारा निर्मित्त सडको की लम्बाई (1951 से 1998 के बीच) 18 300 किलोमीटर से बढकर 84 958 किलोमीटर हो गई। राजस्थान मे पजीकृत मोटर वाहनो की सख्या मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1988 मे पजीकृत मोटर वाहनो की सख्या 8 2 लाख थी जो बढकर 1991–92 मे 12 04 लाख 1992–93 मे 13 20 लाख 1995–96 में और बढकर 17 2 लाख तथा 1998 मे 22 लाख हो गई। राजस्थान मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की

लम्बाई 1991–92 म 1702 किलोमीटर थी। राजस्थान मे सडको की लम्बाई 1997–98 मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42 7 किलोमीटर है।

12 सचार (Communication) – वर्तमान मे सचार विकास का पर्याय है। आर्थिक विकास की गति को तेज करने मे सचार की महत्ती भूमिका है। योजनाबद्ध विकास मे सचार सुविधा के क्षेत्र मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान मे सभी जिला मुख्यालय तथा उपखड एस टी डी से जुडे हुए है। गावों में भी सचार सुविधा पहुच चुकी है। स्तरीय सचार सुविधा की अवश्य आवश्यकता है। राजस्थान म वर्ष 1995–96 मे पोस्ट आफिस की सख्या 10 289 टेलीग्राफ कार्यालय 2 280 टेलीफोन एक्सचेज 1 441 तथा सार्वजनिक काल ऑफिस (ग्रामीण) 12 274 थे।

13 सामाजिक सेवाओ का विकास (Development of Social Services) – योजनाबद्ध विकास मे सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र यथा शिक्षा चिकित्सा पेयजल सामाजिक कल्याण श्रम कल्याण सामाजिक सुरक्षा आदि मे सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। राजस्थान में निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए सन् 2000 तक राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मानव ससाधन विकास मत्रालय मे तत्कालीन राज्य मत्री एम आर सैंधिया के अनुसार वर्ष 1995–96 के दौरान साक्षरता अभियान के लिए राजस्थान सरकार को 115 33 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। राजस्थान के 31 जिलो में से 29 जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। जयपुर और चूरू को 1996–97 के दौरान सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव था। राजस्थान मे नियोजित विकास म साक्षरता म वृद्धि हुई है। राज्य में 1951 मे साक्षरता का प्रतिशत 8 95 था जो बढकर 1961 मे 15 21 प्रतिशत 1971 मे 19 07 प्रतिशत तथा 1981 मे और बढकर 23 38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 मे 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या मे साक्षरता बढकर 38 55 प्रतिशत हो गई। पुरुषो में साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिलाओ मे साक्षरता 20 44 प्रतिशत थी। यद्यपि राजस्थान म साक्षरता मे वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना मे साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। गौरतलब है कि बिहार के बाद सर्वाधिक निरक्षरता राजस्थान मे है। महिलाओं मे साक्षरता की दृष्टि से राजस्थन की स्थिति शाचनीय है।

राजस्थान म सरकार शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रा मे चिकित्सा सुविधाओ के विस्तार के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र मे विस्तार भी हुआ है। वर्ष 1996–97 मे राजस्थान म पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सचालित किया गया है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रा म अस्पताला की सख्या 1986–87 म 170 थी जो बढकर 1991–92 मे 199 तथा 1995–96 म 205 हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालो की सख्या 1986–87 म 19 थी जो घटकर 1995–96 म केवल 14 रह गई। ग्रामीण क्षत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रा की सख्या 1991–92 में 1373 1992–93 मे 1 413 1994–95 म 1507 तथा 1995–96 म 1 596 थी।

14 ढांचागत निवेश (Investment Design) – देश मे हुए ढाचागत निवेश के क्षेत्र में राजस्थान का चौथा स्थान है। जबकि इस क्षेत्र मे सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश मे हुआ है। अगस्त 1991 से लेकर दिसम्बर 1994 के बीच देश मे कुल 4,40,620 करोड रुपए का ढाचागत निवेश हुआ। इसमे से 11,500 करोड रुपए का निवेश राजस्थान मे हुआ था। राजस्थान मे हुए कुल निवेश का 32 4 प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी से हुआ। प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र मे हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है। राजस्थान इस मामले मे नीचे है। यहा प्रति व्यक्ति निवेश 4,254 रुपए है। निर्माण क्षेत्र मे अगस्त 1991 से दिसम्बर 1994 तक की अवधि मे 2,28,940 करोड रुपए का निवेश हुआ। इसमे से राजस्थान मे 6,857 करोड रुपए का निवेश हुआ। राज्यो मे प्रस्तावित निवेश के सन्दर्भ मे राजस्थान मे 18,772 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश मे 7,76,462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। राजस्थान मे इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

15. पूजी निवेश (Capital Investment) – परिवर्तित आर्थिक परिवेश मे 1991 से 1995 के बीच राज्य मे एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने कुल 11 अरब रुपए का पूजी निवेश किया। राज्य सरकार ने 1994–95 मे प्रदेश मे वृहद् एव मध्यम श्रेणी के उद्यमो के 237 आई ई एम केन्द्र सरकार को प्रेषित किए। इनके माध्यम से 4,453 करोड रुपए का विनियोजन होने की आशा है, जिससे 39,790 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होगा।

राज्यवार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गत जनवरी 1993 से जुलाई 1994 तक राजस्थान मे 138 करोड रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किए गए। पूजी निवेश मे बढोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश मे तीसरे स्थान पर हैं। पूजी निवेश क्षेत्र मे वर्ष 1994–95 और 1995–96 मे राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यो को भी पीछे छोड दिया है। राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के कारण सभव हो सकी है। अक्टूबर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रस्तावित निवेश 48 80 फीसदी की दर से बढा। गुजरात (66 44%) और तमिलनाडु (56 41%) के साथ देश मे क्रमश प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। राजस्थान की निवेश बढोतरी के मुकाबले उत्तर प्रदेश (26 25%) और मध्य प्रदेश (20 89%) काफी पीछे रहे। यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। देश के वित्तीय सस्थानो ने राजस्थान को मिलने वाले कर्ज मे बढोतरी की है। अप्रैल–दिसम्बर 1995 के बीच अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो से मिलने वाला कर्ज 1,308 करोड रुपए था। जबकि इससे पूर्व के वर्ष मे इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला।

16 निर्यात मे बढोतरी (Increase in Export) – राजस्थान के प्रमुख निर्यातो मे कपडे, सिले–सिलाए वस्त्र, खाद्य एव कृषि उत्पाद, रासायनिक एव सबद्ध उत्पाद इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, गलीचे–दरिया, प्लास्टिक एव लिनोनियम, चमडे से बनी वस्तुए, दवाइया, ऊन एव ऊन तैयार उत्पाद

और हाथकर्घा निर्मित वस्तुए उल्लेखनीय हैं।

राजस्थान से पिछले वर्षों में निर्यात मे काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990–91 म जहा कुल 421 81 करोड रुपए का निर्यात हुआ था वहीं 1991–92 मे 688 86 करोड रुपए 1992–93 मे 1 051 94 करोड रुपए और 1993–94 मे 1 432.28 करोड रुपए का नियात हुआ। वर्ष 1994–95 म 2 632 59 करोड रुपए मूल्य के विभिन्न प्रकार के उत्पादो का निर्यात किया गया जो कि इससे पहले वर्ष के मुकाबले 83 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 1994–95 म राज्य से सर्वाधिक 543 78 करोड रुपए मूल्य का निर्यात हीरा का रहा जबकि रत्ना व आभूषण का निर्यात 440 66 करोड रुपए का था। निर्यात किए गए अन्य प्रमुख उत्पादा के तहत कपडे का निर्यात 478 03 करोड रुपए सिले–सिलाए वस्त्र 304 13 कराड रुपए खाद्य एव कृषि उत्पाद 227 40 करोड रुपए रासायनिक एव सम्बद्ध उत्पाद 224 91 करोड रुपए का था जबकि इजीनियरिंग हस्तशिल्प उत्पादों मारबल तथा ग्रेनाइट और इलेक्ट्रोनिक उपकरणो का निर्यात क्रमश 129 44 करोड 101 02 करोड 87 करोड और 60 करोड रुपए का रहा। राज्य से निर्यात किए गए उत्पादो मे सर्वाधिक बढोतरी हीरो के निर्यात मे रही। रत्न एव आभूषण तथा खाद्य एव कृषिजन्य उत्पादा के निर्यात मे यह बढोतरी क्रमश 116 12 प्रतिशत तथा 106 88 प्रतिशत की रही।

17 **योजना परिव्यय (Plan Outlay)** – राजस्थान मे योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मे भारी वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र मे योजनावार वास्तविक व्यय इस प्रकार है—प्रथम योजना 5 41 करोड रुपए द्वितीय योजना 102 7 करोड रुपए तृतीय योजना 212 7 कराड रुपए तीन वार्षिक योजनाए (1966 69) में 136 8 करोड रुपए चतुर्थ योजना 308 8 करोड रुपए पाचवी योजना 857 6 करोड रुपए वार्षिक योजना (1979 80) 290 2 करोड रुपए छठी योजना 2 120 5 करोड रुपए सातवीं योजना 3 106 2 करोड रुपए वार्षिक योजना 1990–91 मे 973 2 करोड रुपए वार्षिक योजना 1991–92 (सभावित) 1 170 करोड रुपए।[4] आठवीं योजना 11998 97 करोड रुपए।

18 **राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan of Rajasthan)** – राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक है। भारत के योजना आयोग द्वारा राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना का प्रस्तावित प्रारूप प्रचलित कीमता पर 27 650 कराड रुपए स्वीकृत किया गया है। नौवीं पचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि आठवीं पचवर्षीय योजना के वास्तविक उद्व्यय से 15 651 करोड रुपए अर्थात् 2 3 गुना अधिक है। प्रतिशत मे वृद्धि की दृष्टि से देखे तो नौवीं पचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि आठवीं पचवर्षीय योजना की वास्तविक राशि से 130 4 प्रतिशत अधिक है। नौवीं पचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि के सबद्ध में एक ओर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नौवीं पचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि राजस्थान मे 1951–52 से 1996–97 तक के 45 वर्षों के नियोजन काल में वास्तविक उद्व्यय 21 349 करोड रुपए से भी 6 301 करोड

रुपए अर्थात 39 5 प्रतिशत अधिक है। स्पष्ट है कि राजस्थान मे बडे आकार वाली योजना स्वीकृत हुई है।

योजना के उद्देश्य (Objects of Plan) – राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देश के अन्य राज्यो की तुलना मे अलग है। राज्य के कुल भू–भाग का 60 11 प्रतिशत से अधिक रेत के धोरो से पटा है इसके अलावा राजस्थान सामरिक महत्त्व वाला राज्य है। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राज्य की योजनाओ के उदेश्यो मे विषम भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्त्व को ध्यान मे रखा जाता है। राजस्थान मे कृषि क्षेत्र मे पूजी निर्माण का अभाव, गरीबी का ताण्डव, ढाचागत सुविधाओ का अभाव, सामाजिक क्षेत्र मे पिछडापन, क्षेत्रीय विषमता आदि समस्याए भी है। योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के मसौदे मे नौ उदेश्य निश्चित किए जो इस प्रकार है –

1 कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता जिससे पर्याप्त मात्रा मे क्रियाशील उत्पादन होना और गरीबी समाप्त करना।
2 कीमतो को स्थिर रखते हुए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को त्वरित करना।
3 सब को खाद्य एव पोषाहार राहत देना, विशेष तौर से समाज के कमजोर वर्ग को।
4 समयबद्ध तरीके से पीने योग्य पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, *सार्वजनिक सर्वांगीण प्राथमिक शिक्षा, सभी को आश्रय जैसी न्यूनतम आवश्यक* सेवाए उपलब्ध करवाना।
5 जनसख्या वृद्धि दर पर अकुश लगाना।
6 *विकास की क्रियाओ वास्ते वातावरण को बनाए रखना एव सुनिश्चित करना।*
7 महिलाओ और समाज के अलाभान्वित समूहो को अधिकार दिलवाना।
8 लोगो की सस्था मे भागीदारी को बढावा देना।
9 *आत्मनिर्भरता के प्रयत्नो को बढावा देना।*

विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय (Outlay according to Development) – नौवीं पचवर्षीय योजना के 27,650 करोड रुपए के उद्व्यय (Outlay) को सर्वाधिक सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओ पर आबटित किया है इसके बाद ऊर्जा विकास शीर्ष के आबटन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

नौवी पचवर्षीय योजना मे सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओ पर 7,519 4 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 27 2 प्रतिशत है। ऊर्जा पर 6,534 9 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल उदव्यय का 23 6 प्रतिशत है। इन दो विकास शीर्षो के बाद सबसे अधिक आवटन सिचाई और बाढ नियत्रण पर 3,100 4 करोड रुपए किया गया है जो कुल उदव्यय का 11 2 प्रतिशत है। *नौवीं योजना मे कृषि और सबद्ध सेवाओ पर* 1,880 करोड रुपए,

ग्रामीण विकास पर 2,357 3 करोड रुपए, विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 140 6 करोड रुपए, उद्योग व खनिज पर 2,154 करोड रुपए, यातायात पर 2,689 2 करोड रुपए, वैज्ञानिक सेवाओ पर 38 4 करोड रुपए, आर्थिक सेवाओं पर 349 7 करोड रुपए, सामान्य सेवाओ पर 186 करोड रुपए तथा हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ पर 700 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना का विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय

(करोड रुपए)

	विकास शीर्ष	उद्व्यय	कुल उद्व्यय का प्रतिशत
1	कृषि एव सम्बद्ध सेवाए	1,880 0	6 8
2	ग्रामीण विकास	2 357 3	8 5
3	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140 6	0 5
4	सिचाई और बाढ नियन्त्रण	3,100 4	11 2
5	उर्जा	6 534 9	23 6
6	उद्योग व खनिज	2,154 0	7 8
7	यातायात	2 689 2	9 7
8	वैज्ञानिक सेवाए	38 4	0 1
9	सामाजिक एव सामुदायिक सेवाए	7,519 4	27 2
10	आर्थिक सेवाए	349 7	1 3
11	सामान्य सेवाए	186 0	0 7
12	हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाए	700 0	2 5
	कुल	27 650 0	100 00

स्रोत *आर्थिक समीक्षा*, 1998 99, राजस्थान सरकार।

केन्द्र की राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजस्थान म भी नौवीं पचवर्षीय याजना निर्धारित समय अर्थात अप्रैल, 1997 से क्रियान्वित नहीं हो सकी। नौवीं याजना वास्तव मे 1998–99 के आखिरी मे ही क्रियान्वयन मे आ सकी। वित्त वर्ष 2000 2001 नौवीं पचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष है। अब नौवीं पचवर्षीय योजना का एक वर्ष का समय शेष बचा है। योजना क विलम्ब से क्रियान्वयन के कारण ऐसा नहीं लगता कि याजना के निर्धारित लक्ष्यो को पूरी तरह प्राप्त किया जा सकेगा।

वर्तमान राज्य सरकार को नौवीं पचवर्षीय याजना की स्वीकृत राशि को व्यय करने म कारगर कदम उठाने हागे। राजस्थान की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर है। राज्य का बढता कर्जभार चिताप्रद स्थिति में है। आठवीं पचवर्षीय योजना म भारी विनियोजन क बावजूद राजस्थान विकास की दृष्टि स विकसित राज्यो की श्रेणी में स्थान म स्थान नहीं बना सका। अनेक विकास सूचको मे राजस्थान आज

भी पिछड़ा है। वर्ष 1991–92 से 1996–97 के बीच स्थिर कीमतो पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राजस्थान में 5 53 प्रतिशत थी जो आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, प बगाल आदि राज्यो से कम थी। राजस्थान की सकल घरेलू वृद्धि पर स्थिर (1980-81) कीमतो पर 1995–96 मे नकारात्मक 3 10 प्रतिशत तथा 1998–99 मे 0 87 प्रतिशत चितनीय है। वृद्धि दर 1996–97 मे 16 5 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। धीमे आर्थिक विकास के अलावा सामाजिक विकास क्षेत्र मे भी राजस्थान की स्थिति बेहतर नहीं है। राज्य में निरक्षरता का अधकार है, गरीबी का ताण्डव नृत्य है, बेरोजगारी विकट रूप धारण कर चुकी है। वर्तमान राज्य सरकार के लिए इन आर्थिक समस्याओ पर काबू पाने तथा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।

19. वार्षिक योजनाएं (Annual Plans) – राजस्थान मे प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत निवेश 1992–93 मे 320 प्रति व्यक्ति से बढकर 1996–97 मे 727 रुपए हो गया है। देश मे योजना के आकार मे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान मे हुई है। राज्य की वार्षिक योजनाओ के आकार मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वार्षिक योजना का आकार 1992–93 में 1,400 करोड रुपए था जो बढकर 1993–94 मे 1700 करोड रुपए, 1994–95 मे 2,450 करोड रुपए तथा 1995–96 मे और बढकर 3,200 करोड रुपए हो गया। आठवीं योजना के आकार को देखते हुए 1996–97 की वार्षिक योजना 2,750 करोड रुपए की होनी चाहिए थी किन्तु विकासगत जरूरतो को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3,200 करोड रुपए की निर्धारित की गई।[5]

राजस्थान की 1997–98 की वार्षिक योजना 3,240 4 करोड रुपए थी। वार्षिक योजना का आकार 1998–99 मे बढकर 4,078 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) हो गया। गोरतलब है 1998–99 की वार्षिक योजना 4,300 करोड रुपए की स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष के सशोधित अनुमानो मे 222 करोड रुपए अर्थात 5.2 प्रतिशत कम था।

20. वार्षिक योजना 1999-2000[6] (Annual Plans) – नौवीं योजना के तीसरे वित्त वर्ष मे 1999–2000 मे वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो 1998–99 की सशोधित वार्षिक योजना 4,078 करोड से 23 2 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना मे उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओ मे सुधार, बिजली व सिचाई परियोजनाओ का विकास तथा पेयजल आदि पर विशेष बल दिया गया है। वार्षिक योजना में सर्वाधिक उद्व्यय का प्रावधान सामाजिक और सामुदायिक सेवाओ पर तथा आधारभूत सरचना यथा विद्युत, परिवहन, सिचाई पर किया गया है।

राजस्थान की वार्षिक योजना, 1999 2000

(करोड रुपए)

विकास शीर्ष	योजना उद्व्यय (प्रस्तावित)	कुल उद्व्यय का प्रतिशत
सामाजिक और सामुदायिक सेवाए	1556 80	31
विद्युत	954 20	19
परिवहन	753 30	15
सिचाई एव बाढ नियन्त्रण	652 90	13
ग्रामीण व विशेष क्षेत्रीय विकास	401 80	8
कृषि व सबद्ध सेवाए	351 50	7
उद्योग व खनिज	200 90	4
विविध व्यय	150 70	3
कुल योजना उद्व्यय	*5021 20*	*100*

स्रोत राजस्थान के वर्ष 199 2000 के बज्ट से सकलित।

देशों की है। विदेशी कम्पनियो के तकनीक सहयोग से रगीन टी वी टयूब्स, टी वी , पिक्चर टयूब्स, ग्लास शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्योरिटी प्रिंटिग इक, एल्युमीनियम रेडिएटर्स, डायमड टूल्स, कॉंटेक्ट लैंस, ए वी एस रेसिन, सिरेमिक रग, साईकिल टायर ट्यूब, इलेक्ट्रोनिक स्विचिग प्रणाली, शैविंग ब्लेड, मास्टर बेचेज, टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलोमेट यार्न, चिप्स, टेरीटॉवल, कोल्डरोल्ड, स्ट्रिप्स, एयर सेपरेटर सयत्र, पी वी सी रिजिड पाइप्स और आप्टिकल फाइबर आदि का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

आर्थिक खुलेपन के दौर मे भारत मे किए गए कुल विदेशी पूजी निवेश पर दृष्टिपात किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान में किया गया विदेशी निवेश अन्य राज्यो यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि की तुलना मे अत्यल्प है। राजस्थान मे जो थोडा बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढावा देने वाला ही है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कपनिया राज्य के कोटा, भिवाडी, शाहजहापुर, अलवर और आबूरोड जैसे औद्योगिक क्षेत्र तक ही केन्द्रित है। इन क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास की कोई समस्या नहीं है। अकूत प्राकृतिक सपदा वाले क्षेत्रो की पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई।

22. बढती ऋणग्रस्तता (Increased Debtness) – राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में अर्थव्यवस्था मे किए गए ढाचागत बदलाव से पूजी निवेश, निर्यात, ढाचागत निवेश आदि क्षेत्रों मे विकासात्मक प्रवत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु प्रदेश मे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या बढी तथा राज्य को ऋणग्रस्तता से मुक्ति नहीं मिली है। राजस्थान सरकार की देनदारिया 31 मार्च, 1990 तक 6127.11 करोड रुपए थी जो बढकर 31 मार्च 1996 तक 14249.20 करोड रुपए हो गई। राजस्थान पर कुल ऋण भार 1998-99 में 23,840 करोड रुपए (अनुमानित) था। राज्य सरकार को वर्ष 1995–96 मे सार्वजनिक ऋण पर 878 4 करोड रुपए तथा अन्य देनदारियो पर 362 8 करोड रुपए का ब्याज चुकाना पडा। राज्य सरकार की देनदारियो मे वृद्धि का प्रमुख कारण योजना व्यय मे वित्त पोषण के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है।

23. क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Disparity) – आर्थिक सुधारो के दौर मे राजस्थान मे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या उभरी है। कोटा, अलवर, जयपुर, भीलवाडा तेजी से औद्योगीकरण की ओर अग्रसर है वही सवाईमाधोपुर, बारा, टोक तथा पश्चिमी जिले आर्थिक विकास की दौड मे पिछड गए है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के मैदानी तथा पहाडी क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद राज्य स्तरीय औसत की तुलना में काफी कम रहा है। वर्ष 1986–87 से 1990–91 की अवधि मे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का राज्य स्तरीय औसत 102 7 प्रतिशत रहा। इसकी तुलना मे हनुमानगढ, श्रीगगानगर वाले सघन सिंचित और कृषि क्षेत्र में यह औसत 117 72 प्रतिशत रहा जबकि सवाईमाधोपुर, टोक, धौलपुर, भरतपुर दौसा आदि मैदानी क्षेत्रो मे सकल घरेलू उत्पाद का औसत केवल 81 15 प्रतिशत रहा।

24. राजस्थान का बजट 1999 2000[7] (Rajasthan Budget, 1999-2000) – राजस्थान के तत्कालीन वित्तमंत्री चन्दनमल वैद ने 26 मार्च, 1999 को राज्य विधान सभा मे वर्ष 1999–2000 का बजट पेश किया। बजट पेश किए जाते समय भारतीय अर्थव्यवस्था समेत अनेक राज्यो की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय है। राजस्थान की नई सरकार ने हाल ही (19 मार्च, 1999) राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया है जिसमे अर्थव्यवस्था की माली हालत पर चिन्ता प्रकट की गई है। विगत वर्षो मे विभिन्न आर्थिक सूचको में राजस्थान के आर्थिक विकास की बात कही जाती रही है किन्तु वास्तविकता यह है कि राजस्थान आज भी विकास के क्षेत्र मे देश के कई राज्यों से पीछे है

ताजे बजट (1999-2000) मे राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। बजट मे एक ओर आधारभूत सरचना के विकास पर बल दिया गया है, वही दूसरी ओर सामाजिक विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए है। राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए बजट मे कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। बिजली व सिचाई दरों मे वृद्धि की गई है। वेतन भोगियों पर व्यवसाय कर लगा दिया है जिन पर पहले की आयकर का भार अधिक है।

राजस्थान के राजस्व घाटे मे तीव्र बढोतरी हुई है। राजस्व व्यय की तुलना मे राजस्व प्राप्तिया कम हैं। वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानो मे राजस्व घाटा 1,332 09 करोड़ रुपए था जो सशोधित अनुमानों में 2,933 45 करोड़ रुपए तक जा पहुचा। वर्ष 1999–2000 में राजस्व प्राप्तिया 10,165 26 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 13,556.76 करोड रुपए अनुमानित है जिससे राजस्व घाटे के 3,391 50 करोड़ रुपए तक पहुचने की सभावना है। राजस्व घाटे के बढने से प्रदेश के ऋण भार में भारी वृद्धि हुई है तथा बजट घाटा भी बढा है। वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानो में बजटीय अधिशेष 228 20 करोड़ रुपए आका गया था जो सशोधित अनुमानो मे 974 66 करोड़ रुपए के बजट घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1999–2000 मे पूजीगत प्राप्तिया 7,195 86 करोड़ रुपए, पूजीगत व्यय 4,405 95 करोड रुपए तथा पूजीगत खाते में आधिक्य 2789.91 करोड़ रुपए अनुमानित है तथा 601 59 करोड रुपए का बजटीय घाटा छोड़ा गया है। वर्ष 1999–2000 के बजट में वर्ष 1998–99 के अतिम घाटा के 1,201 83 करोड़ रुपए का कोई इतजाम नहीं किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता का इतजार है। राज्य सरकार ने 762 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ससाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है जिससे 601 59 करोड़ रुपए के घाटे का बजट 160 41 करोड़ रुपए के अधिशेष बजट में बदल गया।

बजट 1999-2000 एक दृष्टि

(करोड रुपए)

क्र स	मदें	1998 99 बजट अनुमान	1998-99 सशोधित अनुमान	1999-2000 बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियाँ	10189 47	8838 10	10165 26
2	राजस्व व्यय	11521 56	11771 55	13556 76
3	राजस्व घाटा	1332 09	-2933 45	-3391 50
4	पूजीगत प्राप्तियाँ	5758 41	8260 79	7195 86
5	पूजीगत व्यय	4198 12	6301 83	4405 95
6	पूजीगत खाते मे आधिक्य	+1560 29	+1958 96	+2789 91
7	बजटीय अधिशेष/घाटा	+228 20	-974 49	-601 59
8	प्रारम्भिक घाटा	-227 34	-227 34	----
9	अन्तिम अधिशेष/घाटा	+86 00	-1201 83	--

स्रोत राज्य बजटों से सकलित।

राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में बाधाए
(Contraints of Rapid Economic Development of Rajasthan)

राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 1951–52 से लेकर 1996–97 तक के 45 वर्षों में 21,349 करोड रुपए खर्च कर चुका है तथा नौवीं पचवर्षीय योजना 27,650 करोड रुपए की स्वीकृत की गई। भारी भरकम पूजी विनियोजन के बावजूद राजस्थान विकास की तीव्र गति नहीं पकडा सका। आज राजस्थान आर्थिक विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश पश्चिम बगाल आदि राज्यों से बहुत पीछे है। हाल के वर्षों मे राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर गिरी। वर्ष 1980–81 की स्थिर कीमतो पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997–98 में 2 74 प्रतिशत तथा 1998–99 में केवल 0 87 प्रतिशत रही। राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास मे कुछ बाधाए है जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय है –

1 **मरुस्थल (Desert)** – राजस्थान का तीव्र विकास नहीं होने का प्रमुख कारण मरुस्थल का होना है। राज्य के कुल भू–भाग का 61 11 प्रतिशत रेत के धोरों से पटा हुआ है। राज्य के पश्चिम एव उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के 11 जिलो मे राज्य की 40 प्रतिशत जनसख्या थार मरुस्थल में निवास करती है। रेत के समुद्र में प्रदेशवासी कठोर जीवन जीते हैं।

2 **मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon)** – राजस्थान की

कृषि मानसून पर निर्भर है। स्वतत्रता के पचास वर्षों बाद भी सिचाई ससाधनो का अपेक्षित गति से विकास नहीं हुआ नतीजन कृषिगत उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पडता है। कृषि उत्पादन के घटने–बढने से सकल घरेलू उत्पाद मे उच्चावचन की प्रवृति दृष्टिगोचर होती है। मानसून की विफलता से प्रदेश की *अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है। गरीब किसानो के लिए रोजी–रोटी की व्यवस्था* मुश्किल हो जाती है।

3 **अकाल** (Famine) – राजस्थान मे मानसून के अनुकूल नही होने की परिणति अकाल के रूप मे दृष्टिगोचर होती हैं। राज्य में 1991–92 मे भयकर अकाल की स्थिति थी। इस वर्ष राज्य के 30 जिले अकाल से प्रभावित थे तथा 30,041 गाव अकाल के चपेट मे थे, 289 लाख जनसख्या को अकाल की मार *सहनी पडी। प्रदेशवासियों को राहत वास्ते 325 9 लाख रुपए का भू–राजस्व* निलबित करना पडा। इसके बाद 1995–96 में भी राजस्थान मे अकाल की स्थिति *थी। इस वर्ष 29 जिलों के 25,478 गावों की 274 लाख जनसख्या अकाल से* प्रभावित थी। वर्ष 1997–98 मे भी अकाल ने प्रदेश का पीछा नहीं छोडा। इस वर्ष 20 जिलो के 20,069 गावो की 215 लाख जनसख्या अकाल से प्रभावित थी परिणामस्वरूप 168 5 लाख रुपए का भू–राजस्व निलबित करना पडा। स्पष्ट है राजस्थान मे अकाल की समस्या मुहवाए खडी है।[1] राज्य 2000-2001 मे भी अकाल की चपेट में है।

4 **उच्च जनसंख्या वृद्धि दर** (*High Increased Population Rate*) – राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि दर अभी बहुत ऊची है। प्रदेश की प्रगति जनसख्या रूपी बाढ मे बह जाती है। राजस्थान मे जनसख्या की दशक वृद्धि दर भारत की दशक वृद्धि दर से अधिक है। जनसख्या वृद्धि दर के मामले मे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है जहा भारत मे जनसख्या की दशक वृद्धि दर 1971 के बाद निरन्तर घटी वही राजस्थान की दशक वृद्धि दर 1971 के बाद 1981 मे तीव्रता से बढी। राज्य की दशक वृद्धि दर 1991 मे अवश्य घटी किन्तु यह भारत की 1991 की दशक वृद्धि दर से बहुत अधिक थी। भारत की जनसख्या की दशक वृद्धि दर 1971 मे 24 80 प्रतिशत, 1981 मे 24 66 प्रतिशत तथा 1991 मे 23 56 प्रतिशत थी इसके विपरीत राजस्थान की दशक वृद्धि दर 1971 में 27 83 प्रतिशत, 1981 मे 32 97 प्रतिशत तथा 1991 में 28 44 प्रतिशत थी। राजस्थान में जनसख्या की ऊची वृद्धि दर से आर्थिक विकास की गति धीमी रही इसके अतिरिक्त श्रमिकों की तीव्र वृद्धि दर से बेरोजगारी की समस्या विकट हो गई।

5 **पानी की कमी** (Lack of Water) – राजस्थान पानी की कमी वाला राज्य है जिसमे सतही एव भूमिगत जल दोनों एक दुर्लभ ससाधन है। कई स्थानों में भूमिगत *जल मानव एव पशुओ दोनों के उपयोग के अनुकूल नहीं है। प्रदेश का बडा भाग* मरुस्थल, ऊपर से मानसून की अनिश्चिता फिर अकाल से मरु प्रदेश के बाशिदे पेयजल के लिए तरस जाते है। पानी की कमी के *कारण बहुत सी जनसख्या प्रदूषित*

पानी पीने के लिए अभिशप्त है। प्रदूषित पानी से सैकडो लोग अनेक रोगो से ग्रसित है। सतत प्रवाही नदियो के बावजूद पूर्वी राजस्थान भी पयजल समस्या से अछूता नहीं है।

6 **ऊर्जा का अभाव (Lack of Energy)** – ऊर्जा महत्त्वपूर्ण आधारभूत सरचना है इसके बिना औद्योगीकरण की बात महज कल्पना है। राजस्थान मे ऊर्जा उत्पादन के ससाधनो की कमी है। ऊर्जा की माग एव पूर्ति मे अतराल है। राजस्थान मे 1998–99 के प्रारम्भ मे विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। राज्य मे विद्युत का शुद्ध उत्पादन 1998–99 मे 10,223 2 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 11,300 मिलियन यूनिट था। विद्युत की कमी के कारण लोगो को अधिक विद्युत मुहैया नहीं है। राज्य में विद्युत की कमी के कारण जून और दिसम्बर 1998 मे कृषि कार्य हेतु औसतन आठ घटे प्रतिदिन एव शेष महीनो मे सात घटे प्रतिदिन विद्युत मुहैया कराई गई। राज्य के 39,810 गावो मे से 35,215 गाव ही विद्युतीकृत है। राज्य के 4,595 गावो मे विद्युत नहीं है। राज्य मे प्रति व्यक्ति विद्युत 1998–99 मे 307 यूनिट (अनुमानित) ही है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अपरिहार्य है।

7 **निरक्षरता (Illiteracy)** – राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र मे अत्यधिक पिछडा हुआ प्रान्त है। राजस्थान मे बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यो की तुलना मे साक्षरता सबसे कम है। महिलाओ की साक्षरता मे स्थिति चिन्ताप्रद है। निरक्षरता के कारण सामाजिक और आर्थिक ढाचा बहुत कमजोर है। राजस्थान मे 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 38 55 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20 44 प्रतिशत है। राजस्थान के गावों मे साक्षरता की स्थिति दयनीय है। ग्रामीण साक्षरता 30 37 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 47 64 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 11 59 प्रतिशत ही है। शहरी साक्षरता की स्थिति गावो की तुलना मे थोडी ठीक है। शहरी साक्षरता 65 33 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 78 50 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 50 24 प्रतिशत है। गावो मे निरक्षरों की बहुलता के कारण चहुओर पिछडापन दृष्टिगोचर होता है।

8 ***यातायात और सचार सुविधाओं का अभाव (Lack of Transport and Communication Facilities)*** – राजस्थान मे यातायात और सचार सुविधाए राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राजस्थान मे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सडको की लम्बाई 1998–99 मे 84,958 किलोमीटर थी। राजस्थान म सडकों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42 7 किलोमीटर है जबकि देश की औसत सडको की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान मे जो सडके है वे खस्ताहाल हैं। गावो मे सचार सुविधाओ का नितात अभाव है।

9 **अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (International Boundary)** – राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग मे पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। स्वतत्रता के बाद पाकिस्तान से 1947–48 मे, 1965 मे, 1971 मे तथा हाल ही जून–जुलाई 1999 मे कारगिल में युद्ध हो चुके है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का देश के लिए अत्यधिक

सामरिक महत्त्व है। राजस्थान को भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के कारण ससाधनो का एक बडा भाग सुरक्षात्मक उपायो पर व्यय करना पडता है।

राजस्थान मे आठवीं पचवर्षीय योजना का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हुआ है परिणामस्वरूप राज्य मे आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु राजस्थान अभी तुलनात्मक रूप से पिछडा हुआ है। विकास के लिए किए गए प्रयत्नो का लाभ तभी होगा जबकि किए गए प्रयत्नो को आगे की ओर अग्रसर करते हुए उच्च वृद्धि की ओर उन्मुख किया जाए।

सन्दर्भ

1 *राजस्थान पत्रिका*, 3 दिसम्बर, 1996.

2 *Basic Statistics*, Rajasthan, 1997, DES, Jaipur, p 303

3 *वही*, 1988, 1994 तथा 1997.

4 *Draft Eight Five year Plan*, Part I.

5 शर्मा ओ पी, *वित्तीय अनुशासन और बजट*, राजस्थान पत्रिका, 7 अप्रैल 1996

6 लेखक का *तथ्य भारती*, मई 1999 मे प्रकाशित लेख राजस्थान का बजट से सकलित।

7 लेखक का *तथ्य भारती*, मई 1999 में प्रकाशित लेख।

8 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-98, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताए सक्षेप मे बताइए।

2 राजस्थान की जनसख्या पर टिप्पणी लिखिए।

3 राजस्थाना मे कृषि विकास की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओ का विवेचन कीजिए।

2 राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना पर लेख लिखिए।

3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव बताइए।

4 राजस्थान के 1999–2000 के बजट की समीक्षा कीजिए।

5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताए तथा इसके तीव्र विकास मे बाधाओ का विवेचन कीजिए।

34

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का स्थान

(Place of Rajasthan in Indian Economy)

भारत के इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। राजस्थान अनेक साहसी और पराक्रमी योद्धाओ की जन्मस्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाइयो की तपोभूमि राजस्थान ने बिडला, डालमिया, सिघानिया, बागड, पोद्दार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया, जिन्होंने देश–विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत मे काफी ख्याति अर्जित की है।

राजस्थान का निर्माण 19 छोटे–छोटे राज्यो व तीन चीफशिपो के एकीकरण से हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 में सम्पन्न हुई थी। राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर 1956 को लागू हुआ। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश मे तीन नये राज्यो के गठन के बाद राजस्थान का अब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हो गया है। राजस्थान देश के उत्तर–पश्चिमी भाग में पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान के पश्चिम और उत्तर–पश्चिम क्षेत्र मे भारत का सर्वाधिक बडा थार मरुस्थल है। विश्व की सबसे बडी पर्वत श्रृखलाओ मे अपनी स्थलाकृति के कारण अरावली पर्वत श्रृखला का प्रमुख स्थान है। जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश मे नवा स्थान है।

राजस्थान में वर्ष 1999 मे 32 जिले, 105 उपखड, 241 तहसीले, 183 नगरपालिकाए, 237 पचायत समितिया, 9,184 ग्राम पचायते तथा वर्ष 1991 में कुल गाव 39,810, कुल आबाद गाव 37,889 तथा कुल कस्बे/शहर 222 थे। भारत की अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की स्थिति का विवरण इस प्रकार है –

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान

क स	मदे	वर्ष	इकाई	भारत	राजस्थान
1	क्षेत्रफल	1991	हजार वर्ग कि मी	3,287	342
2	जनसख्या	1991	हजार सख्या	8,46,303	44,005
3	घनत्व	1991	प्रति वर्ग कि मी	273	129
4	कुल वन क्षेत्र	1985-86	वर्ग कि मी	7,36,685	31,290
5	कुल फसल क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	1,85,477	19,380
6	एक से अधिक बार बोया क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	43,243	3,003
7	शुद्ध बोया क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	1,42,234	16,377
8	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	1988-89	हजार हैक्टेयर	45,186	3,481
9	खाद्यान्न उत्पादन				
	(i) अनाज	1990-91	हजार टन	1,62,125	9,215
	(ii) दालें	1990-91	हजार टन	14,265	1,719
10	पशुधन	1987	हजार सख्या	4,45,288	40,916
11	खानें				
	(i) खानो की सख्या	1991-92	संख्या	3,375	721
	(ii) खनन उत्पादन की कीमत	1991-92	हजार रुपए	17,41,98,628	32,18,459
12	पजीकृत फैक्ट्रियाँ	1988-89	सख्या	1,04,077	3,162

निरन्तर

क्र स	मदे	वर्ष	इकाई	भारत	राजस्थान
13	विद्युत उत्पादन शुद्ध	1989-90	करोड़ किलोवाट	2,22,676.40	610.20
14	विद्युत उपभोग	1989-90	करोड़ किलोवाट	17,541.90	759.90
15	शैक्षणिक सस्थाऐं				
	(i) सस्थाए	1987-88	सख्या	10,280 40	54,433 00
	(ii) विद्यार्थी	1987-88	हजार सख्या	1,50,471 00	6,891 00
16	साक्षरता	1991	प्रतिशत	52 2	38 60
17	कुल सतह रोह	1988-89	किलोमीटर	8,24,606 00	49,975 00
18	वार्षिक योजना (सार्वजनिक क्षेत्र)				
	(i) परिव्यय	1990-91	लाख रुपए	28,49,300 00	1,17,000 00
	(ii) व्यय	1989-90	लाख रुपए	24,25,840 00	97,322 00

Sources *Basic Statistics*, 1997, Rajasthan, Directorate of Economic and Statistics, Rajasthan, Jaipur, Released on dated February 1999

1 036 महिलाए है। लिगानुपात आन्ध्रप्रदेश में 972 बिहार मे 967 गुजरात मे 934 तथा हिमाचल प्रदेश मे 976 है। अरुणाचल प्रदेश मे लिगानुपात सबसे कम प्रति हजार पुरुषो के पीछे 859 महिलाए है।

(iv) साक्षरता (Literacy) – राजस्थान मे साक्षरता की दृष्टि से स्थिति बहुत दयनीय है। महिलाओं की साक्षरता चिताप्रद है। राजस्थान मे साक्षरता अखिल भारत साक्षरता से कम है। सात वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या मे भारत मे साक्षरता 52 21 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 64 13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39 29 प्रतिशत है। राजस्थान मे साक्षरता 38 55 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20 44 प्रतिशत है।

साक्षरता के मामले म राजस्थान की तस्वीर धुधली है। वैसे बिहार साक्षरता मे सबसे नीचे है। बिहार मे साक्षरता 38 48 प्रतिशत है। राजस्थान के पुरुष बिहार से थोडे अधिक साक्षर हैं। बिहार मे पुरुषो की साक्षरता 52 49 प्रतिशत है जबकि राजस्थान म यह कुछ अधिक 54 99 प्रतिशत है। किन्तु महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक पिछडा राज्य है। जबकि विकास के लिए और अर्थव्यवस्था की ढेरों समस्याओ पर निजात वास्ते महिलाओ का शिक्षित होना अति आवश्यक है। साक्षरता वृद्धि से आर्थिक विकास सभव है। साक्षरता और शिक्षा विकास से जनसख्या नियत्रित होती है और भारत मे जनसख्या वृद्धि के कम होने का अभिप्राय तीव्र आर्थिक विकास है।

(v) राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर दोनो अधिक (Excess Birth and Death Rate in Rajasthan) – राजस्थान मे जन्मदर मृत्युदर एव शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालाकि 1985 की तुलना मे 1996 मे जन्म दर मृत्यु दर एव शिशु मृत्यु दर म मामूली गिरावट दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान की ग्यारहवी विधान सभा मे प्रस्तुत परिवार कल्याण विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार देश मे वर्ष 1996 में जन्म दर 27 4 प्रति हजार थी जबकि राज्य मे यह दर 32 ३ प्रति हजार आकी गई। वर्ष 1985 मे देश की जन्म दर 32.9 तथा राज्य मे 39 7 थी। इस तरह वर्ष 1996 मे वर्ष 1985 की तुलना मे देश की जन्म दर मे पाच तथा राज्य की जन्म दर में 7 अको की गिरावट आई है। इसी तरह वर्ष 1996 मे देश की मृत्यु दर 8 9 आकी गई जबकि राज्य म मृत्यु दर 9 7 थी। हालाकि वर्ष 1985 की तुलना में देश की मृत्यु दर 2 मे तथा राज्य मे तीन अका की गिरावट आई है।

शिशु मृत्यु दर के मामले मे भी राजस्थान की स्थिति देश की तुलना मे बदतर है। वर्ष 1996 मे देश की शिशु मृत्यु दर 72 तथा राज्य की 86 प्रति हजार थी। जबकि वर्ष 1985 मे यह 97 तथा 108 प्रति हजार थी। राजस्थान म पिछले 90 वर्षो म जनसख्या म लगातार वृद्धि देखी गई। राजस्थान की जनसख्या के वर्ष 2001 मे 5 61 करोड होने का अनुमान है।

भारत एव राजस्थान में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति

(प्रति हजार)

वर्ष	जन्म दर		मृत्यु दर	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1985	32 9	39 7	11 1	13 2
1991	29 5	35 0	9 8	9 8
1992	29 0	34 7	10 0	10 8
1993	28 5	33 6	9 2	9 0
1994	28 6	33 7	9 2	9 0
1995	28 3	33 3	9 0	9 1
1996	27 4	32 3	8 9	9 7

स्रोत *राजस्थान पत्रिका,* 15 अप्रेल 1999

3 **राजस्थान मे कृषि (Agriculture in Rajasthan)** – राजस्थान कृषि प्रधान राज्य हैं। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। जल ससाधन सीमित होने के कारण कृषि मानसून पर निर्भर है। *वर्तमान मे राज्य के क्षेत्र का एक–चौथाई से कम भाग सिंचित है। सकल फसल क्षेत्र* मे कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण उच्चावचन की प्रवृत्ति है। यद्यपि शुद्ध बोये गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों मे राजस्थान मे खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओ मे राजस्थान की कृषि स्थिति इस प्रकार है –

(i) **कुल फसल क्षेत्र (Total Cropped Area)** – वर्ष 1990–91 मे भारत का कुल फसल क्षत्र 1,85,477 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र 19,380 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र भारत के कुल *फसल क्षेत्र का 10 4 प्रतिशत है। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र 1973–74 मे* 17 886 हजार हैक्टेयर था जो बढकर 1996–97 मे 20,693 हजार हैक्टेयर तथा 1997–98 मे 22,325 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया।

(ii) **शुद्ध बोया क्षेत्र (Net Area Sown)** – भारत मे शुद्ध बोया क्षेत्र 1990–91 मे 1,42,234 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान मे शुद्ध बोया क्षेत्र 16,377 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का शुद्ध बोया क्षेत्र भारत के शुद्ध बोया क्षेत्र का 11 5 प्रतिशत था। वर्ष 1973–74 से 1997–98 के बीच राजस्थान के शुद्ध *बोया क्षेत्र म वृद्धि हुई। राज्य मे शुद्ध बोया क्षेत्र 1973–74 मे 15,967 हजार* हैक्टेयर था जो बढकर 1996–97 मे 16,790 हजार हैक्टेयर तथा 1997–98 मे *17075 हजार हैक्टेयर हो गया।*

(iii) **एक से अधिक बार बोया क्षेत्र (Area Sown More Than one)** – वर्ष 1990–91 म एक से अधिक बार बोया क्षेत्र भारत मे 43 246 हजार हैक्टेयर तथा राजस्थान 3,003 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का एक से अधिक बार बोया

क्षेत्र भारत का 6 9 प्रतिशत था। राजस्थान मे एक से अधिक बार बोया क्षेत्र 1973–74 मे 1,919 हजार हैक्टेयर से बढकर 1996–97 मे 3,904 हजार हैक्टेयर तथा 1997–98 मे 5,250 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया।

(iv) **शुद्ध सिंचित क्षेत्र** (Net Irrigated Area) – भारत मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1988–89 में 45,186 हजार हैक्टेयर था जिसमे राजस्थान मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3,481 हजार हैक्टेयर था। शुद्ध सिंचित क्षेत्र मे राजस्थान का भाग 7 7 प्रतिशत था। राजस्थान मे स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1973–74 मे 2,378 हजार हैक्टेयर था जो बढकर 1996–97 मे 5,588 हजार हैक्टेयर तथा 1997–98 मे 5,421 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया। स्रोत अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र 1996–97 मे 6,743 हजार हैक्टेयर था। फसल अनुसर सिंचित क्षेत्र 1996–97 में खाद्यान्न का 3,031 हजार हैक्टेयर, दालो का 353 हजार हैक्टेयर, तिलहन का 2,215 हजार हैक्टेयर तथा गन्ने का 26 हजार हैक्टेयर था।

(v) **खाद्यान्न** (Foodgrain Production) – खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सुधरी है। वर्ष 1990–91 मे भारत मे अनाज उत्पादन 1,62,125 हजार टन था जिसमे राजस्थान का अनाज उत्पादन 9,215 हजार टन था जो देश के अनाज उत्पादन का 5 7 प्रतिशत था। वर्ष 1990–91 मे दालो का उत्पादन भारत मे 14,265 हजार टन था जिसमे राजस्थान का उत्पादन 1,719 हजार टन था। दालो के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 12 प्रतिशत था।

खाद्यान्न उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	भारत	राजस्थान	खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत
1995-96	180 4	9 6	5 3
1996-97	199 4	12 8	6 4
1997-98	192 4	14 0	7 3
1998-99	203 0	12 9	6 4
1999-2000 (प्राविजनल)	199 1	8 9	4 5

स्रोत 1 *इकोनॉमिक सर्वे*, 1998-99, भारत सरकार।
2 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, 1999-2000 राजस्थान सरकार।

भारत की अर्थव्यवस्था के खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की भूमिका बढी है। देश के खाद्यान्न उत्पादन मे राजस्थान का योगदान 1995–96 में 5.3 प्रतिशत, 1996–97 मे 6 4 प्रतिशत था जो बढकर 1997–98 मे 7 3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997–98 मे भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 192 4 मिलियन टन था जिसमे राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन 14 मिलियन टन था। राजस्थान वर्तमान मे खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु अतिरेक वाला राज्य बन गया है।

(vi) प्रमुख फसलों का उत्पादन (Production of Principal Crops) — राजस्थान में वर्ष 1998–99 में अनाज उत्पादन 9.2 मिलियन टन, दलहन 2 मिलियन टन, खाद्यान्न उत्पादन 11.2 मिलियन टन, तिलहन 3.6 मिलियन टन, गन्ना 0.9 मिलियन टन तथा कपास 0.9 मिलियन गाठ था।

भारत में दलहन और तिलहन के उत्पादन में राजस्थान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1998–99 में भारत के दलहन उत्पादन में राजस्थान का भाग 13.5 प्रतिशत तथा तिलहन में 14.9 प्रतिशत (सम्भावित) था। राजस्थान में तिलहन का क्षेत्रफल 1998–99 में 40.27 लाख हैक्टेयर था। तिलहन का उत्पादन 1998–99 में 3.6 मिलियन टन सम्भावित था। यह गत 1997–98 के तिलहन उत्पादन 3.3 मिलियन टन की तुलना में 9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रमुख फसलों के उत्पादन की स्थिति वर्ष 1998 99 (सम्भावित)

(मिलियन टन)

वर्ष	भारत	राजस्थान	फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत
अनाज	180 4	9 2	5 0
दलहन	14 8	2 0	13 5
खाद्यान्न	195 2	11 2	5 7
तिलहन	24 2	3 6	14 9
गन्ना	289 7	0 95	0 3
कपास (मिलियन गाठ)	14 0	0 98	7 0

स्रोत इकानामिक सर्वे 1998 99 तथा आर्थिक समीक्षा 1998 99 राजस्थान सरकार

(vii) प्रमुख फसलों की औसत उत्पादकता (Average Yield of Principal Crops) — राजस्थान फसलों की औसत उत्पादकता में प्रगतिशील राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा की तुलना में पीछे है। राजस्थान में वर्ष 1995–96 में प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादकता गेहूँ की 2 501 किलोग्राम, चावल की 1,264 किलोग्राम, मूंगफली 762 किलोग्राम, कपास की 1 126 किलोग्राम, गन्ना की 50 336 किलोग्राम थी।

4. उर्वरकों का उपभोग (Consumption of Fertilizers) — उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत और अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। भारत में बोए गए क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का औसत उपभोग 78 किलोग्राम है जबकि राजस्थान में यह केवल 35 किलोग्राम ही है। राजस्थान में वर्ष 1995–96 में नाइट्रोजन का उपभोग 4 86 लाख टन, फास्फेट का उपभोग 1.50 लाख टन तथा पोटाश का उपभोग 5 7 हजार टन था। राजस्थान उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से पीछे था।

5. पशुधन (Live Stock) – राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे पशुपालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राज्य मे बहुतेरे लोग लाभप्रद रोजगार पशुधन पर आश्रित है। राजस्थान का पशुधन 1992 मे 477 73 लाख था जा बढकर 1997 मे 543 49 लाख हो गया। राज्य के पशुधन मे 1992 की तुलना मे 1997 मे 13 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्थान का ऊन और दूध उत्पादन मे देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1987 मे भारत के पशुधन मे राजस्थान का भाग 9 2 प्रतिशत था।

6. भारतीय परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति (Industrial Position of Rajasthan in India) – देश मे आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक सुधारो के कारण देश मे विदेशी पूजी निवेश बढा है। किन्तु राजस्थान नब्बे के दशक मे विदेशी निवेशको को आकर्षित करने मे अधिक सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड मे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यो की तुलना मे पिछड गया। राज्य के पिछडेपन का अन्य प्रमुख कारण केन्द्रीय पूजी निवेश का अभाव है। राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नितात अभाव है। राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित हैं।

वर्तमान मे राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो 1998–99 की सशोधित वार्षिक योजना की तुलना मे 23 15 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर, 19 प्रतिशत विद्युत पर तथा 15 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। आधारभूत सरचना के विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होगे जिससे औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान मे यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्चक्र थमता है। रोजगार के अवसरो मे बढोतरी से चहुओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

राजस्थान मे मार्च 1998 तक 531 वृहद एव मध्यम उद्योग स्थापित किये गए हैं, जिनमे 13,740 करोड रुपए की पूजी विनियोजित हे तथा 1 70 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 1998–99 के दौरान लघु एव दस्तकारी उद्योगो में आशातित वृद्धि हुई। दिसम्बर 1998 तक 5,400 इकाइयो के लक्ष्यो के सापेक्ष 5,160 इकाइया पजीकृत हुई जिनमे 224 33 करोड रुपए के विनियोजन से 22,350 व्यक्तियो को रोजगारा उपलब्ध हुआ।

राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड मे औद्योगिक रुग्णता, आधारभूत सरचना का अभाव, कम पूजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो का अभाव आदि कारणो से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे पिछड गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान के अग्राकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है।

राजस्थान का 1997–98 मे साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतो पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमे विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत और गैर पजीकृत) का अशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पाद मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7 9 प्रतिशत था। भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1997–98 मे 10,49,191 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमे निर्माण क्षेत्र का अशदान 2,59,426 करोड रुपए था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का योगदान 1997–98 मे 24 7 प्रतिशत था जो राजस्थान की तुलना मे लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना मे पिछडा हुआ है। चालू मूल्यो पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृखला) 1996–97 मे राजस्थान मे 41,872 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 1,52,129 करोड रुपए, उत्तर प्रदेश मे 1,03,170 करोड रुपए, आन्ध्र प्रदेश में 72,195 करोड रुपए, पश्चिम बगाल मे 70,537 करोड रुपए तथा गुजरात मे 63,501 करोड रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद मे बिहार, आसाम हरियाणा, केरल, उडीसा से आगे है।

(7) **धीमा आर्थिक विकास** (Slow Economic Development) – औद्योगिक पिछडेपन का राजस्थान के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडा है। राज्य मे औद्योगीकरण के गति नहीं पकडने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि धीमी रही। अखिल भारत स्तर पर प्रचलित कीमतो पर वर्ष *1995–96 की प्रति व्यक्ति आय 10,525 रुपए थी जबकि राजस्थान मे प्रति व्यक्ति* आय 7,523 रुपए रही। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में ग्यारहवा स्थान रहा। पजाब मे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 16,053 रुपए थी।

राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, स्थिर (1980-81) कीमतों पर

राज्य	वृद्धि दर (1991-92 से 1996-97)
गुजरात	8 23
महाराष्ट्र	7 96
आन्ध्र प्रदेश	7 90
त्रिपुरा	7 18
पश्चिम बगाल	6 82
कर्नाटक	6 11
तमिलनाडु	5 71
राजस्थान	5 58
पजाब	5 09
हरियाणा	4 75

स्रोत *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।

वर्ष 1980–81 की स्थिर कीमतो पर राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991–92 मे ऋणात्मक 6 04 - प्रतिशत, 1992–93 में 13 74 प्रतिशत, 1993–94 मे ऋणात्मक 6 44 प्रतिशत, 1994–95 मे 18 82 प्रतिशत, 1995–96 में ऋणात्मक 3 10 प्रतिशत तथा 1996–97 मे 16 50 प्रतिशत थी। वर्ष 1991–92 से 1996–97 के बीच राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तीन बार ऋणात्मक रही जो कि चिन्ताप्रद बात थी। राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980–81 की स्थिर कीमतो पर 1991–92 से 1996–97 के बीच 5 58 प्रतिशत थी जो कई राज्यो की तुलना में कम है।

(8) आधारभूत संरचना का अभाव (Deficiency of Basic Infrastructure) – राजस्थान में आर्थिक विकास और औद्योगीकरण मे पिछडेपन का प्रमुख कारण आधारभूत सरचना का अभाव है। नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण के दौर में आधारभूत सरचना यथा ऊर्जा, सडक, रेलवे, सिचाई, सचार, शिक्षा, बैंक आदि का तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ। वर्ष 1998–99 के प्रारम्भ मे राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 365 मेगावाट थी। राज्य मे 1998–99 मे विद्युत उत्पादन (शुद्ध) 10,223 23 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 11,300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) था। राजस्थान मे सडको की कमी है। राजस्थान मे सडको की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42 68 किलोमीटर है जिसके वर्ष 1998–99 के अन्त तक 43 67 किलोमीटर होने की सभावना है। जबकि देश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर औसत सडको की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान मे सडके अखिल भारत की औसत सडक लम्बाई से बहुत कम है। राजस्थान मे सडको की लम्बाई 1998–99 मे 85,008 किलोमीटर थी। सितम्बर 1998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 6 4, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था। राजस्थान मे साक्षरता 1991 मे 38 55 प्रतिशत थी। रेलवे विकास की दृष्टि से तो राजस्थान की स्थिति अधिक दयनीय है। आय व्ययक अध्ययन 1994–95 के अनुसार में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 17 02 किलोमीटर थी।

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। विगत वर्षो मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्तमान मे राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछडेपन से निपटने के लिए ओद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार को न केवल नये उद्योगो को आकर्षित करना होगा अपितु वद पडे उद्योगो की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान स्वदेशी और विदेशी पूजी निवेश को अधिक आकर्षित करने मे सफल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति मे औद्योगीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

आज उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र मे विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना मे सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश

की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल मे राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना के मामले मे उपेक्षित रहा है। राजस्थान मे आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं हैं। यहा विकास की विपुल सभावनाए हैं। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओ मे उद्योग व खनन पर परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना 27,650 करोड रुपए की निर्धारित की गई है जिसमे उद्योग व खनिज क्षेत्र पर 2,154 09 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 7 79 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23 63 प्रतिशत तथा यातायात पर 9 73 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है कि नौवीं योजना मे राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और आर्थिक विकास गति पकडेगा।

सन्दर्भ

1 राजस्थान पत्रिका, 15 अप्रेल 1999
2 Basic Statistics, 1997, Rajasthan

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 भारतीय परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति क्या है?
2 जनसख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत मे स्थान बताइए।
3 राजस्थान की आधारभूत सरचना की विशेषताओ का उल्लेख कीजिए।
4 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की कृषि की स्थिति का विवेचन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था मे स्थान निर्धारण कीजिए।
2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान की जनसख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग एव इन्फ्रास्ट्रक्चर के सदर्भ मे क्या स्थिति है?
3 भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
4 राजस्थान राज्य के अन्य राज्यो की तुलना में पिछडेपन को दर्शाने वाली विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
5 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –
 (1) भारतीय सदर्भ मे राजस्थान की जनसख्या
 (11) राजस्थान में कृषि
 (111) उद्योगो की दृष्टि से राजस्थान का भारत मे स्थान
 (1V) राजस्थान का क्षेत्रफल

राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएँ

(Features of Population of Rajasthan)

राजस्थान मे जनसख्या की विकरालता विकट समस्या है। बढती जनसख्या अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास मे अवरोध साबित हो रही है। जनसख्या के सख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण है। तीव्र आर्थिक विकास के वास्ते तेज गति से बढ रही आबादी को थामना अपरिहार्य है, इसके अभाव में विकासगत प्रयासो की कोई प्रासगिकता शेष नही रह सकेगी।

मानवीय साधनो की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश के अन्य प्रान्तो की तुलना मे दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रो मे विशेषकर महिलाओ मे साक्षरता का नितात अभाव है। सरकार प्रान्त मे साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि सुविधाए मुहैया कराने के लिए सचेष्ट है। हाल ही के वर्षो मे राज्य मे औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। लोगो की आमदनी के बढने से जनसख्या की गुणात्मक मे वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान मे जनसख्या की विशेषताएँ अग्राकित हैं

1. जनसख्या का आकार
(Size of Population)

1991 की जनगणना के अनुसर राजस्थान की जनसख्या 4 40 करोड थी। इसमे ग्रामीण जनसख्या 3 40 करोड तथा शहरी जनसख्या एक करोड थी। वर्ष 1981 मे राज्य की जनसख्या 3 43 करोड थी। 1981 से 1991 के बीच राज्य की जनसख्या मे 00 97 करोड व्यक्तियो की वढोतरी हुई है। 1981–91 के दशक मे राज्य की जनसख्या मे वृद्धि 28 44 प्रतिशत बैठती है जो भारत की दशकीय वृद्धि (23 85%) की तुलना मे 4 59 प्रतिशत अधिक है। जाहिर है राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि डरावने काले बादलो की तरह मडरा रही है।

राजस्थान मे 1951 से 1991 तक की अवधि मे जनसख्या मे दशकीय वृद्धि अग्राकित है

वर्ष	जनसख्या (करोड मे)	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत मे)
1951	1 60	15 2
1961	2 02	26 2
1971	2 58	27 8
1981	3 43	33 0
1991	4 40	28 4

स्रोत *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।

स्वतत्रता उपरात राजस्थान की जनसख्या 1951 मे 1 60 करोड से बढकर 1991 मे 4 40 करोड हो गई। चालीस वर्षों में 2 80 करोड की वृद्धि हो गई। 1951 से 1981 तक जनसख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 1991 की दशकीय वृद्धि का 1981 की तुलना मे कम होना प्रान्त के लिए शुभ सकेत है लेकिन अखिल भारत की वृद्धि दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है। अत राज्य की जनसख्या वृद्धि दर को भविष्य मे और कम करने की आवश्यकता है। 1991 में राजस्थान की जनसख्या भारत की कुल जनसख्या का 5 20 प्रतिशत रही है।

2. जिलेवार जनसख्या
(Districtwise Population)

वर्तमान मे राजस्थान मे 32 जिले हैं। करौली को हाल ही (1998) नया जिला बनाया गया है। जनसख्या के वितरण की दृष्टि से सभी जिलों की स्थिति समान नहीं थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 4 40 करोड थी। राजस्थान मे वर्ष 1991 मे जयपुर जिले की जनसख्या 38 8 लाख थी। इसमे 20 5 लाख पुरुष तथा 18 3 लाख महिलाए थी। जयपुर की जनसख्या मे 21 1 लाख ग्रामीण तथा 17 7 लाख शहरी थी।

राजस्थान मे सबसे कम जनसख्या जैसलमेर जिले की है। 1991 मे जैसलमेर जिले की जनसख्या 3 4 लाख थी। इसमे 1 9 लाख पुरुष तथा 1 5 लाख महिलाए थी। जैसलमेर की कुल जनसख्या मे 2 9 लाख ग्रामीण तथा 53 हजार शहरी थे।

3. जनसख्या वृद्धि दर
(Rate of Population Growth)

राजस्थान की दशकीय जनसख्या वृद्धि दर (Decennial Population Growth) भारत की दशकीय जनसख्या वृद्धि दर से अधिक है। 1981–91 मे भारत की जनसख्या वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत है जबकि राजस्थान की जनसख्या वृद्धि दर 28 44 प्रतिशत है। राजस्थान की ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर

राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1981–91 मे ग्रामीण वृद्धि दर 25 46 प्रतिशत तथा शहरी वृद्धि दर 39 62 प्रतिशत है। विगत जनगणनाओ मे राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर इस प्रकार रही 1941 मे 18 प्रतिशत, 1951 में 15 02 प्रतिशत, 1961 में 26 02 प्रतिशत, 1971 मे 27 08 प्रतिशत 1981 मे 32 97 प्रतिशत, 1991 मे 28 44 प्रतिशत।

राजस्थान मे 1991 मे दशकीय जनसख्या वृद्धि दर 1981 की दशकीय जनसख्या वृद्धि की तुलना मे कम हुई है। राज्य मे बीकानेर जिले मे 1981–91 में जनसख्या वृद्धि दर 42 70 प्रतिशत सर्वाधिक है। बीकानेर जिले मे ग्रामीण जनसख्या वृद्धि दर 42 12 प्रतिशत तथा शहरी जनसख्या वृद्धि दर 43 59 प्रतिशत है। सबसे कम दशकीय जनसख्या वृद्धि पाली जिले की है। पाली जिले की 1981–91 में जनसख्या वृद्धि 16 63 प्रतिशत है। पाली जिले की ग्रामीण जनसख्या वृद्धि 11 86 प्रतिशत तथा शहरी जनसख्या वृद्धि 37 73 प्रतिशत है।

4. जनसख्या घनत्व
(Density of Population)

स्वतत्रता उपरात राजस्थान के जनसख्या घनत्व मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जनसख्या घनत्व मे वृद्धि का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ रही जनसख्या है। वर्तमान मे राजस्थान में जनसख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 84 प्रतिशत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत का जनसख्या घनत्व 1991 मे 274 रहा। भारत की तुलना मे राजस्थान का जनसख्या घनत्व आज भी बहुत कम है जो कुछ सीमा तक प्रदेश के आर्थिक पिछडेपन को दर्शाता है।

राजस्थान के सभी जिलो मे जनसख्या घनत्व मे असमानता है। जयपुर जिले का जनसख्या घनत्व 336 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। जैसलमेर जिले का जनसख्या घनत्व 9 है जो कि राज्य मे सबसे कम है। वर्ष 1981 में तो जैसलमेर का जनसख्या घनत्व केवल 6 ही था। वर्ष 1991 मे राजस्थान के जिलो का जनसख्या घनत्व इस प्रकार रहा था – कोटा 163, सवाईमधोपुर 186, टोक 136, चित्तौड 137, बूदी 139, भीलवाडा 152, उदयपुर 167, अजमेर 204, बासवाडा 229, डूगरपुर 232, भरतपुर 326, अलवर 274, धौलपुर 247, झुझुनू 267 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के ग्यारह जिलो मे जनसख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से कम तथा 19 जिलो मे घनत्व राज्य के ओसत से अधिक है।

5. जनसख्या का लिग अनुपात
(Sex Ratio of Population)

राजस्थान मे प्रति हजार पुरुषो के पीछे महिलाआ की सख्या कम है। राजस्थान मे लिगानुपात 910 है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 919 तथा शहरी क्षेत्र मे 879 है जबकि भारत मे लिगानुपात 927 है। ग्रामीण लिगानुपात 938 तथा शहरी

लिगानुपात 894 है। राजस्थान में 1951 मे प्रति हजार पुरुषो के पीछे 921 महिलाए थीं। वर्ष 1961 मे यह सख्या घटकर 908 रह गई। वर्ष 1971 और 1981 में स्त्रियो की सख्या की स्थिति मे थोडी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 1981 मे लिगानुपात बढकर 919 हो गया किन्तु 1991 में प्रति हजार पुरुषो के पीछे स्त्रियो की सख्या (लिगानुपात) घटकर 910 ही रह गयी। राजस्थान मे प्रति हजार पुरुषो के पीछ महिलाओ की सख्या म हो रही कमी महिलाओं के प्रति उपेक्षित व्यवहार का परिचायक है। राजस्थान के लगभग सभी जिलो म स्त्रिया की सख्या पुरुषो से कम है।

वर्ष 1991 में राजस्थान की कुल जनसख्या 4 40 करोड मे से 2 09 करोड महिलाए हैं। राज्य की ग्रामीण जनसख्या 3 39 करोड मे 1 62 करोड ग्रामीण महिलाए तथा एक करोड शहरी जनसख्या में 47 लाख शहरी महिलाए हैं।

राजस्थान म सर्वाधिक लिगानुपात डूगरपुर जिले मे 995 है। डूगरपुर मे ग्रामीण लिगानुपात 1003 तथा शहरी लिगानुपात 897 है। राज्य मे सबसे कम लिगानुपात 795 धौलपुर जिले में है। धौलपुर में ग्रामीण लिगानुपात 786 तथा शहरी लिगानुपात 841 है। जयपुर मे लिगानुपात 892 है जो राज्य के औसत 910 से बहुत कम है।

6. राज्य में साक्षरता दर
(Literacy Rate)

भारत मे निरक्षरों की भरमार है। स्वतत्रता के पाच दशकों में विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे शिक्षा पर सार्वजनिक उपरिव्यय में कमी के कारण देशवासियों को शिक्षा सुविधा मुहैया नहीं हो सकी। आज भी देश मे अनेक गाव ऐसे है जहा स्कूल नहीं हैं। शिक्षा पाने के लिए बच्चो को कई किलोमीटर पैदल चलना पडता है। देश म गरीबी की समस्या मुखर होने क कारण शिक्षा के प्रति लागो की रुचि कम है। भारत के राजस्थान राज्य की साक्षरता की दृष्टि से स्थिति शोचनीय है। महिलाओ म साक्षरता की दर बहुत कम है। ग्रामीण महिलाओ का तो हाल ही बेहाल है।

राजस्थान में साक्षरता की स्थिति, 1991

(प्रतिशत मे)

वर्ग	भारत	राजस्थान
व्यक्ति	52 21	38 55
पुरुष	64 13	54 99
महिला	39 29	20 44

भारत म 1991 मे 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या में साक्षरता 52 21 प्रतिशत थी पुरुष साक्षरता 64 13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39 29 प्रतिशत थी। साक्षरता के मामले म राजस्थान बहुत पीछे है। वर्ष 1991 मे राजस्थान

मे साक्षरता केवल 38 55 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20 44 प्रतिशत थी। विगत वर्षो मे राजस्थान की साक्षरता को तालिका मे दर्शाया गया है –

राजस्थान में साक्षरता

(प्रतिशत मे)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	8 9	14 4	3 0
1961	15 2	23 7	5 8
1971	19 1	28 7	8 5
1981	30 1	44 8	14 0
1991	38 6	55 0	20 4

राजस्थान मे यद्यपि विगत दशको मे साक्षरता मे वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। वर्ष 1991 में साक्षरता में राजस्थान का देश मे 23 वा स्थान था। पुरुष साक्षरता मे 22 वा तथा महिला साक्षरता मे 25वा स्थान था।

राजस्थान मे अनेक जिले ऐसे हैं जहा ग्रामीण साक्षरता की स्थिति राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता के औसत से कम है। बाडेमर, जालौर, बासवाडा, सिरोही, बूदी आदि जिलो मे ग्रामीण साक्षरता की दशा चिन्ताप्रद है। गौरतलब है प्रदेश की राजधानी जयपुर मे ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 12 32 प्रतिशत थी।

राजस्थान मे निरक्षरता अभिशाप है। राज्य मे नीची साक्षरता की दर बिगडी मानव ससाधन की स्थिति को दर्शाती है। नीची साक्षरता के कारण राजस्थान मे जनाधिक्य भी है। प्राकृतिक ससाधनो की बहुलता के बावजूद विकास की दौड मे राजस्थान पीछे है।

7. श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा
(Occupational Structure of Labour)

राजस्थान मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव आया है। कुल जनसख्या मे श्रम शक्ति मे वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 मे कुल श्रम शक्ति जनसख्या का 34 1 प्रतिशत थी जो 1981 मे बढकर 36 6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 मे कुल श्रम शक्ति जनसख्या का 38 87 प्रतिशत रही। श्रम शक्ति के बढने के बावजूद आज भी राजस्थान मे जनसख्या का बडा भाग गैर श्रम शक्ति के रूप मे है और जो श्रम शक्ति है उसका बडा भाग कृषक, खेतिहर श्रमिक, पशुधन, मछली, वन आदि गतिविधियो मे लगा हुआ है। कृषि एव सहायक क्रियाओ मे श्रम शक्ति का अधिक लगे हुए होना राजस्थान के पिछडेपन को दर्शाता है। श्रम शक्ति का बहुत कम भाग खनन, उद्योग, निर्माण व सेवाओ मे लगा हुआ है। श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे को तालिका मे दर्शाया गया है –

श्रमशक्ति का व्यावसायिक ढाचा

(प्रतिशत मे)

	औद्योगिक श्रेणी	1981	1991
1	कृषक	64 5	58 80
2	खेतिहर श्रमिक	8 5	10 00
3	पशुधन मछली वन आदि	2 8	1 80
4	खनन पत्थर निकालना	0 7	1 03
5	(i) घरेलू उद्योग	3 0	2 00
	(ii) घरेलू उद्योग के अलावा उद्योग	5 0	5 45
6	निर्माण	1 7	2 42
7	व्यापार व वाणिज्य	4 4	6 41
8	परिवहन सग्रह व सचार	2 1	2 39
9	अन्य सेवाएँ	7 3	9 69
	कुल (लगभग)	100 00	100 00

कृषि एव सहायक क्रियाओं में (श्रेणी 1 से 3 तक) श्रम शक्ति का वर्ष 1981 की तुलना मे वर्ष 1991 में 5 2 प्रतिशत कम हुआ है खनन व उद्योगो में (श्रेणी 4 व 5) यह मामूली 0.22 प्रतिशत कम हुआ है। निर्माण व सेवाओ मे (श्रेणी 6 से 9 तक) 5 41 प्रतिशत बढा है।

वर्ष 1991 मे राज्य मे श्रमि शक्ति के औद्योगिक वितरण मे 1981 की तुलना मे जो परिवर्तन आया है वह एक सही दिशा मे होने वाला परिवर्तन है। इस दौरान कृषि का महत्व कम हुआ है। निर्माण व सेवाओ के क्षेत्र मे प्रगति झलकती है।

राजस्थान मे तेज गति से बढ रही जनसख्या एक चिताजनक स्थिति है। कुल आबादी मे 61 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं। प्रति हजार पुरुषो के पीछे घटती महिलाओ की सख्या साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि चिंतनीय पहलू हैं। कृषि क्षेत्र मे आश्रितो की सख्या अभी अधिक बनी हुई है। अधिक आबादी के सामने राज्य मे अथाह प्राकृतिक साधन सीमित नजर आने लगे है। अत बढ रही आबादी की दर को तेजी से कम करने की सख्त आवश्यकता है।

तीव्रता से बढ रही आबादी के अनेक कारणों में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण निर्धनता आदि मुख्य है। आज भी अधिकाश भागो मे जन्म लेने वाले बच्चे को दायित्व के रूप मे नहीं लिया जाकर परिवार की आर्थिक इकाई के रूप मे स्वीकार किया जाता है। ग्रामीणो मे इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है शहरी निर्धनो मे भी कमोबेश यही हालत है।

बढ रही आबादी को नियत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय साधनो मे वृद्धि की पुरजोर कोशिश की जाए। इसमे सरकारी प्रयत्न के साथ जन

सहयोग भी लाजिमी है। यदि समस्त राष्ट्र मे साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियत्रण मे कारगर सिद्ध हो सकता है।

सरकार सावचेत है, लोगो मे भी जागृति है। लोग खुद–ब–खुद परिवार नियोजन को आत्मसात करने लगे हैं, कई स्वैच्छिक सगठन भी इस ओर अग्रसर है। सर्वाधिक आवश्यकता पारिस्थितिकी सतुलन तथा आबादी को नियत्रित करने की है। ऐसा करने से मानव पूजी मे अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढी के हित सुरक्षित रहेगे। यदि इसमे सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षो मे राजस्थान विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यो मे होगा। राजस्थान में प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं है। वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनों को गति देने की आवश्यकता है। यहा विकास की विपुल सभावनाए है।

राजस्थान में जनसख्या वृद्धि के कारण
(Causes of High Growth of Population in Rajasthan)

राजस्थान में जनसख्या 1951 मे केवल 1 6 करोड थी जो तेजी से बढकर 1981 मे 3 4 करोड तथा 1991 मे और बढकर 4 4 करोड हो गई। राजस्थान मे जनसख्या की दशक वृद्धि दर 1991 मे 28 44 प्रतिशत थी जो भारत की दशक वृद्धि दर 23 56 प्रतिशत से बहुत अधिक है। यदि राजस्थान में जनसख्या इसी गति से बढती रही तो जनसख्या 2003 मे 6 करोड को पार कर जाएगी। राजस्थान मे तीव्र जनसख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है–

1. बाल विवाह (Child Marriage) – सरकार ने लडके और लडकियो के विवाह की आयु क्रमश 21 और 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है किन्तु राजस्थान मे लडकियो का विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है। लडकियो पर कम आयु मे ही प्रजनन भार पड जाता है और उनकी प्रजनन अवधि लम्बी होने से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। राजस्थान मे लडकियो के विवाह की औसत आयु 18 वर्ष है जबकि यह केरल में 22 वर्ष तथा तमिलनाडु में 20 वर्ष है। राजस्थान मे लडकों की भी कम आयु में शादी कर दी जाती है।

2. ऊंची जन्म दर (High Birth Rate) – राजस्थान में ऊची जन्म दर जनसख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। राज्य में जनसख्या की दशक वृद्धि दर 1981 में 32 9 प्रतिशत तथा 1999 मे 28 4 प्रतिशत थी। राजस्थान की जनसख्या की दशक वृद्धि दर भारत की दशक वृद्धि दर 23 6 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान की जनसख्या में 1981–91 के दशक में 97 लाख की वृद्धि हुई।

3. ऊची सकल प्रजनन दर (Gross High Birth Rate) – राजस्थान मे प्रत्येक महिला औसतन चार से अधिक बच्चो को जन्म देती है जबकि सकल प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत केवल 3 4 है। केरल में प्रत्येक महिला के औसतन दो से कम बच्चे होते है।

4. शिशु मृत्यु दर (Child Death Rate) – राजस्थान मे शिशु मृत्यु दर का

औसत 81 है जबकि शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 74 है। अधिक शिशु मृत्यु दर के कारण राजस्थान में दम्पति खतरा उठाना पसन्द नहीं करते। व अधिक बच्चे चाहते है।

5 विवाहित महिलाओं की अधिकता (Excess Married Women) — हाल ही के दिनो में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओ में विवाह के प्रति रुझान कुछ कम हुआ है। समाज में विवाह अपरिहार्य माना जाता है। राजस्थान में सामान्यतया महिलाए विवाहित होती हैं परिणामस्वरूप जन्म दर ऊची होती है।

6 महिलाओं में निरक्षरता (Illiteracy among Women) — राजस्थान की महिला साक्षरता की दृष्टि से स्थिति शोचनीय है। राजस्थान में 1991 में महिला साक्षरता 20 4 प्रतिशत ग्रामीण महिला साक्षरता 11 6 प्रतिशत तथा शहरी महिला साक्षरता 50 2 प्रतिशत है। महिला साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 39 3 प्रतिशत है। राजस्थान में निरक्षरता के कारण महिलाओ की आर्थिक एव सामाजिक स्थिति कमजोर है। ग्रामीण महिलाए परिवार के आकार के बारे में समुचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्हें पुरुषो की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

7 गरीबी (Poverty) — राजस्थान में बहुतेरी जनसख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर के लिए अभिशप्त है तथा समाज में सामाजिक पिछडापन व्याप्त है। गरीबी में लोग बच्चो को आर्थिक इकाई के रूप में देखते है। जनसख्या वृद्धि की उन्हे कोई चिन्ता नहीं होती है।

8 चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (Extension of Medical and Health Services) — राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार होने से मृत्यु दर में कमी हुई है इस कारण जनसख्या में तीव्र वृद्धि हुई।

9 कम दम्पति सुरक्षा दर (Less Security Rate for Couple) — विगत दशकों में राज्य में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं पकड सका नतीजतन दम्पत्ति सुरक्षा दर कम है। भारत में औसत दम्पत्ति सुरक्षा दर 44 प्रतिशत के मुकाबले राजस्थान में दम्पति सुरक्षा केवल 29 प्रतिशत है। अधिकाश दम्पतियो के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमो के दायरे में नहीं होने से जनसख्या तीव्रता से बढी है।

10 लडकों की इच्छा (Desire for Male Issue)— समाज में रुढिवादिता की समस्या व्याप्त है। पुरुष प्रधान समाज में दम्पति लडकों की अधिक इच्छा रखते है। लडके की लालसा में बच्चों की कतार लगा देते हैं।

जनसख्या वृद्धि रोकथाम के प्रयास
(Efforts to Check Population Expansion)

जनसख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने पिछले दशक में कई विशेष उपाय किए हैं। उनमे निम्न प्रमुख है

दो से अधिक बच्चो वाले दम्पत्तियो की पचायत राज सस्थाओ, सहकारी सस्थाओं व नगरपालिकाओ के चुनाव लडने की निर्योग्यता। जन प्रतिनिधि छोटे परिवार का आदर्श प्रस्तुत करे, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने कानून बनाकर दो से अधिक बच्चो वाले दम्पत्तियो के सहकारी सस्थाओ, पचायत राज सस्थाओ व नगरपलिकाओ के चुनाव लडने पर प्रतिबन्ध लगाया है। यदि चुने जाने के बाद वे उपरोक्त निर्योग्यता प्राप्त करते हैं तो उन्हे सम्बन्धित पद धारण के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

जनमगल योजना जरुरतमद दम्पत्तियो को गर्भ निरोधक उपायो की आपूर्ति करने तथा उन्हे आवश्यक सूचना देने के लिए समुदाय आधारित जनमगल योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत लगभग 16,000 प्रशिक्षित दम्पत्ति गावो मे गर्भ निरोधक सामग्री उपलब्ध कराएगे।

राजलक्ष्मी योजना इस योजना के अन्तर्गत दो बच्चो के बाद नसबदी कराने वाले दम्पत्तियो को प्रत्येक लडकी के लिए सरकार 1,500 रूपए जमा कराती है और इस पर यू टी आई उसे एक बॉण्ड उपलब्ध कराती है। 20 वर्ष बाद इस बौण्ड की एवज मे बौण्ड धारक को 21,000 रूपए मिल जाते है। अब तक लगभग 1 लाख दम्पत्तियो ने इस योजना का लाभ उठाया है। राजस्थान के अनुसरण मे हरियाणा व तमिलनाडु मे भी इस प्रकार की योजनाए चालू की गई हैं। इससे कम उम्र मे नसबदी कराने वाले लोगो में वृद्धि होगी। यह योजना वर्ष 2000 मे बद कर दी गई है।

सामाजिक सुरक्षा नसबन्दी कराने वाले दम्पत्ति के अकेले लडके का निधन होने पर सरकार ऐसे दम्पत्तियो को वृद्धावस्था पेन्शन देती है।

विकल्प योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम को सामाजिक विपणन पद्धति से चलाने के लिए दौसा व टोक मे यह योजना चलाई गई है। इसमे महिला स्वास्थ्य गर्भ निरोधक उपायो के सामाजिक विपणन, दम्पत्तियो की सुविधा के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, आदि उद्देश्य रखे हुए हैं। विकल्प की लक्ष्य विहीन रणनीति को सारे प्रदेश मे लागू किया था। इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। यद्यपि विभागीय रुकावटो के कारण पिछले दिनो इसकी क्रियान्विति मे कुछ कठिनाईया आई हैं।

मानव ससाधन विकास के प्रयास
(Efforts for Human Resources Development)

1. राजीव गाधी पारम्परिक जल स्रोत सधारण कार्यक्रम (Rajeev Gandhi Traditional Water Resources Ordinary Programme) – राजस्थान मे वर्ष 1999 से ग्रामीण क्षेत्र मे पारम्परिक जल स्रोतो जैसे कुए, बावडी, तालाब, जोहड आदि के रख–रखाव, सरक्षण एव सुदृढीकरण करने के लिए राजीव गाधी पारम्परिक जल स्रोत सधारण कार्यक्रम पचायती राज सस्थाओ के माध्यम से पूरे राज्य मे लागू करने का निर्णय किया गया। इस योजना के तहत किसी भी पारम्परिक जल स्रोत

के रख–रखाव, सुदृढीकरण एव सरक्षण के लिए प्रस्तावित लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत अश जन सहयोग के रूप मे आवश्यक होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को 1999 में 2 करोड रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया।

2. राजीव गाधी प्रारम्भिक शिक्षा एव साक्षरता मिशन (Rajeev Gandhi Elementary Education and Literacy Mission) – राजस्थान में समयबद्ध अवधि में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने एव प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के लिए समुचित प्रयास व तीव्र गति से निर्णय लेने के लिए राजीव गाधी प्रारम्भिक शिक्षा एव साक्षरता मिशन की स्थपना करने का निर्णय वर्ष 1999 में लिया गया। इस मिशन का प्रशासनिक विभाग पचायती राज एव ग्रामीण विकास विभाग होगा।

3. साक्षरता मिशन के उद्देश्य (Aims of Literacy Mission) – साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह होगा कि 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चो की प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाया जाएगा जिससे इस आयु वर्ग के समस्त बच्चो के लिए एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय उपलब्ध हो सकेगा।

4. नामाकन और ठहराव में वृद्धि (Increase in Enrolment and Stay) – प्रारम्भिक कक्षाओं में नामाकन 100 प्रतिशत एव ठहराव 90 प्रतिशत तक बढाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करे। इसके अलावा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत 15–35 वर्ष आयु वर्ग के समस्त लोगों को साक्षर करना होगा।

5. शासकीय परिषद् (Administrative Council) – राज्य स्तर पर साक्षरता की शासकीय परिषद् के अध्यक्ष मुख्यमत्री होगें। शासन सचिव पचायती राज इस मिशन की शासकीय परिषद् के सदस्य सचिव होंगे तथा वे इस मिशन के निदेशक का कार्य भी देखेंगे। इस मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास एव पचायत राज्य मत्री तथा सदस्य सचिव शासन सचिव पचायती राज मिशन निदेशक होंगे।

6. माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) – आर्थिक समीक्षा 1998–99 के अनुसार राजस्थान में 3,844 माध्यमिक विद्यालय एव 1,683 सीनियर माध्यमिक विद्यालय है। इनमें क्रमश 12.91 लाख तथा 12.37 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। माध्यमिक एव सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा राज्य में लगभग 92 हजार अध्यापकों द्वारा दी जा रही है।

7. उच्च शिक्षा (Higher Education) – राजस्थान में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 विश्वविद्यालय, 87 स्नातकोत्तर महाविद्यालय एव 170 स्नातक महाविद्यालय है। दिसम्बर 1998–99 तक उच्च शिक्षा पर 760 लाख रुपए (अनुमानित) व्यय किए गए।

8 **चिकित्सा सेवाए** (Medical Services) – वर्ष 1998–99 मे राजस्थान में लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वास्ते 219 चिकित्सालय, 268 औषधालय, 1,662 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 263 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 118 मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र थे। आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत 3 733 अस्पताल डिस्पेसरी राज्य मे कार्यरत हैं।

राजस्थान की जनसख्या नीति 1999
(Population Policy of Rajasthan - 1999)

जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के परिणामो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने जनसख्या नीति बनाई है। जनसख्या नीति के मसौदे को राज्य मत्रिमडल ने 31 जुलाई, 1999 को मजूरी दी। जनसख्या नीति मे महिला एव बाल स्वास्थ्य, महिला शिक्षा व सबलीकरण, परिवार कल्याण सेवाओ मे सुधार एव सामाजिक, विपणन, प्रशिक्षण, प्रबन्ध, सामाजिक सहयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि बातो का समावेश किया गया है। राजस्थान की नयी जनसख्या नीति की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है –

1 **प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था** (Substitution Birth Condition) – राजस्थान की जनसख्या 2003 तक 6 करोड को पार कर जाएगी। जनसख्या की इस गति से वृद्धि दर को देखते हुए आगामी 30 वर्षो मे जनसख्या के दो गुना हो जाने का अनुमान है। इस स्थिति मे प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था जो कि जनसख्या स्थायित्व का प्रथम चरण है, उसे राजस्थान 2048 मे प्राप्त कर पायेगा। यदि ऐसा होता है तो 2051 की जनगणना मे प्रदेश की जनसख्या 10 करोड हो जाएगी। नीति के तहत राजस्थान सरकार ने अगली शताब्दी मे राज्य की जनसख्या को 7 5 से 8 करोड पर स्थिर करने एव अधिक से अधिक सन 2016 तक प्रतिस्थापन अवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक महिला के औसतन 2 1 बच्चे होने पर ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

2 **महिला साक्षरता** (Women Literacy) – महिलाओ को अधिकाधिक साक्षर बनाया जाएगा क्योकि प्रजनन दर, गर्भ निरोधको का प्रचलन एव प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य की समस्याओ का महिला साक्षरता से सीधा सबध है। इसके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए वाछित कानून बनाया जाएगा।

सन्दर्भ

1 *राजस्थान पत्रिका,* 29 जुलाई, 1999

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 राजस्थान में जनसख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए।
2 राजस्थान मे जनसख्या नियत्रण के सुझाव दीजिये।

3 राजस्थान की जनसख्या की प्रमुख विशेषताए बताइए।
4 राजस्थान मे जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या पर टिप्पणी लिखिए।
5 राजस्थान मे साक्षरता की दर मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान की जनसख्या के प्रमुख लक्षण बताइए।
2 राजस्थान की जनसख्या के विभिन्न पहलुओ का उल्लेख कीजिए। राजस्थान मे तीव्र जनसख्या वृद्धि के कारण बताइए।
3 राजस्थान मे जनसख्या के आकार वृद्धि दर व्यावसायिक वितरण और मानव ससाधनो के विकास के सकेताको का विवेचन कीजिए।
(सकेत – सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दी गई राजस्थान की जनसख्या की विशेषताओ को लिखना है।)
4 राजस्थान मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे को स्पष्ट कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचे को लिखना है।)
5 राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि के क्या कारण है। जनसख्या वृद्धि रोकथाम के क्या प्रयास किये गए है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे जनसख्या वृद्धि के कारणो को बताना है तथा दूसरे भाग मे जनसख्या रोकथाम के प्रयासो को लिखना है।)
6 राजस्थान मे मानव ससाधन विकास के क्या प्रयास किये गए है। राजस्थान की 1999 की जनसख्या नीति की व्याख्या कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दिए गये मानव ससाधन विकास के प्रयास लिखने है तथा दूसरे भाग मे राजस्थान की 1999 की जनसख्या नीति को बताना है।)

राजस्थान में कृषिगत विकास
(Agricultural Development in Rajasthan)

राजस्थान गावो का प्रदेश है। यहा की बहुसख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राजस्थन की आय मे कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1980–81 के मूल्यो के आधार पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में कृषि का अश 1995–96 मे 40 7 प्रतिशत तथा 1997–98 मे 43 4 प्रतिशत था। वर्ष 1998–99 मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद 11,648 करोड रुपए था। इसमे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र का अश 4,632 करोड रुपए था जो राज्य की कुल आय का 39 8 प्रतिशत था। राजस्थान मे कृषि मानसून का जुआ है। यहा अकाल के कारण कृषिगत उत्पादान मे भारी उच्चावचन रहता है।

पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास
(Agricultural Development in Planned Period)

राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है। यहा का अधिकाश भाग रेत के धोरो से पटा हुआ है। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों मे कृषि के क्षेत्र मे राजस्थान की स्थिति दयनीय थी। बहुसख्यक जनसख्या कृषि कार्यो से जुडी है उनके पास नियमित आय का अन्य साधन नहीं है। अनाज पैदा करने वाला ही स्वय भूखा रहता है। कृषि उपकरणो मे असमानता के कारण कुछ किसानो को ही हरित क्राति का वास्तविक लाभ पहुचा है। कृषि क्षेत्र मे आर्थिक विषमता की प्रवृत्ति बढी है। वर्तमान में कृषिगत क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कम्पनिया प्रवेश कर चुकी हैं। भारत मे डकल प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। भविष्य मे कृषि अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की आशका है। देश के किसानो की माली हालात दयनीय होने के कारण वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो से प्रतिस्पर्धा की स्थिति मे नहीं होगे। कृषि अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय औद्योगिक घरानो की पकड मजबूत हो जाएगी।

भारत मे 1965–66 मे कृषि की नवीन व्यूहरचना लागू की गई। राजस्थान मे भी नवीन कृषि व्यूहरचना क्रियान्वित की गई। नियोजित विकास के दौर मे कृषिगत

क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हाल ही के वर्षों मे राजस्थान मे कृषि विकास की गति तेज हुई है।

1 भूमि उपयोग (Land Utilisation) — राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में भूमि के उपयाग में व्यापक बदलाव आया है। राज्य में शुद्ध कृषिगत भूमि 1951–52 म 91 1 लाख हैक्टेयर थी जो बढकर 1985–86 मे 155 6 लाख हैक्टेयर, 1986–87 मे घटकर 154 3 लाख हैक्टेयर हो गई। शुद्ध कृषिगत क्षेत्र बढकर 1991–92 म 154 9 लाख हैक्टेयर तथा 1992–93 मे 169 4 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1995–96 म शुद्ध कृषिगत क्षेत्र 165 8 लाख हैक्टेयर था जो कुल क्षेत्र का 48 4 प्रतिशत था।

राजस्थान का रिपोटिग क्षेत्र 1995–96 में 342 4 लाख हैक्टेयर था। इसमें वनो का भाग 7 18 प्रतिशत, गैर कृषिगत उपयोग मे लगाई गई भूमि 4.9 प्रतिशत, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 14 90 प्रतिशत, शुद्ध कृषिगत भूमि 48 4 प्रतिशत, एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 18 7 प्रतिशत, सकल कृषिगत क्षेत्र 57.5 प्रतिशत था।

2 सिंचित क्षेत्र (Irrigated Area) — राजस्थान जैसे मरुस्थल प्रदेश मे सिचाई के साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हरित क्राति का लाभ सिचाई द्वारा ही सभव है। राजस्थान मे सिचाई नहरे, तालाब, कुए एव नलकूप से की जाती है। पचवर्षीय योजना में सिचाई एव बाढ नियत्रण पर भारी राशि व्यय की गई। इस मद पर 1951 से 1990 के बीच नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1836.3 करोड रुपए था। आठवीं पचवर्षीय योजना मे सिचाई एव बाढ नियत्रण के लिए 1,919 करोड रुपए तथा नौवीं योजना में 3,100 4 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। पचवर्षीय योजनाओ में सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण राज्य म सिचित क्षेत्र का विकास हुआ है।

राजस्थान में विभिन्न साधनो द्वारा शुद्ध सिचित क्षेत्र 1985–86 मे 31 09 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1991–92 मे 43 43 लाख हैक्टेयर, 1992–93 में 44 71 लाख हैक्टेयर तथा 1996–97 में 55 88 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य में सिचाई अधिकतर कुए एव नहरो से होती है। वर्ष 1996–97 में कुओं व नलकूपो द्वारा 37 9 लाख हैक्टेयर तथा नहरों द्वारा 15 34 लाख हैक्टेयर शुद्ध सिचित क्षेत्र था।

फसल अनुसार सकल सिचित क्षेत्र 1985–86 में 38 6 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1991–92 में 52 6 लाख हैक्टेयर, 1992–93 में 54 9 लाख हैक्टेयर तथा 1995–96 में 63 6 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1995–96 में खाद्यान्न सकल सिचित क्षेत्र 28 64 लाख हैक्टेयर तथा तिलहन सकल सिचित क्षेत्र 21 9 लाख हैक्टेयर था।

राजस्थान में सर्वाधिक सिचाई भाखरा, गगा नहर, चम्बल तथा इदिरा गाधी नहर सिचाई परियोजनाओं से की जाती है। वर्ष 1995–96 में इदिरा गाधी नहर द्वारा 4 64 लाख हैक्टेयर भूमि की सिचाई की गई। राज्य में 1996–97 के

दौरान कुल बोए गए क्षेत्रफल का केवल 32 6 प्रतिशत (औसत) सिंचित क्षेत्र था।

3. फसलों का ढांचा (Cropping Pattern) – फसलो के ढाचे में अनाज, दाले, तिलहन, कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि शामिल हैं। अनाजों में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटा अनाज व चावल शामिल हैं। दालों मे चना, तुर, रबी व खरीफ की फसलें, तिलहन में सिसमम, राई और सरसो, अलसी, मूगफली व अरण्डी तथा अन्य में कपास, गन्ना, तम्बाकू, मिर्च, आलू, अदरक आदि शामिल हैं। राजस्थान मे 1992–93 मे सकल फसल क्षेत्र 201 7 लाख हैक्टेयर तथा सकल फसल सिंचित क्षेत्र 54 9 लाख हैक्टेयर था।

राजस्थान मे 1985–86 से 1992–93 के बीच अनाज के क्षेत्रफल मे मामूली वृद्धि, दालों के क्षेत्रफल में कमी हुई तो तिलहन के क्षेत्रफल मे दोगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। अनाज का क्षेत्रफल 1985–86 मे 89.2 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1992–93 में बढकर 93 9 लाख हैक्टेयर हो गया। इस समयावधि मे दालों का क्षेत्रफल 38 9 लाख हैक्टेयर से घटकर 34 4 लाख हैक्टेयर रह गया। तिलहन के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तिलहन का क्षेत्रफल 1985–86 में 16 8 लाख हैक्टेयर था जो बढकर 1992–93 में 33 6 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1992–93 मे कपास का क्षेत्र 4 8 लाख हैक्टेयर तथा गन्ने का क्षेत्र केवल 24,000 हैक्टेयर था।

हाल ही के वर्षों मे राज्य के फसलों के ढाचे में क्रातिकारी बदलाव हुआ है। अनाज का क्षेत्रफल तेजी से घटा है। तिलहन के क्षेत्रफल मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनाज का क्षेत्रफल 1998–99 में घटकर केवल 78 लाख हैक्टेयर (सभावित) रह गया है। इसके विपरीत तिलहन का क्षेत्रफल 1998–99 मे तीव्रता से बढकर 40.3 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसके अलावा दलहन के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। स्पष्ट है प्रदेश के किसानों ने वाणिज्यिक फसलों की ओर कदमताल की है।

4. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production) – नियोजित विकास मे राजस्थन में खाद्यान्न के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन मे अनाज और दालों का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। अनाज का उत्पादन वर्ष 1952–53 में 29 लाख टन था जो 1998–99 मे बढकर 91 8 लाख टन हो गया। दालो के उत्पादन मे अधिक सिचाई की आवश्यकता होती है। राज्य में अच्छे मानसून वाले वर्षों मे दालो के उत्पादन मे भारी वृद्धि होती है। दालो का उत्पादन 1952–53 मे 5 लाख टन था जो 1998–99 मे बढकर 20 5 लाख टन हो गया।

योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव था। वर्तमान मे राजस्थान न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है अपितु निर्यात की स्थिति मे भी आ गया है। राजस्थान को खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु खाद्यान्न उत्पादन मे भारी उच्चावचन है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भरता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अकाल त्रासदी से जूझती रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 1952–53 मे 34 लाख टन था जो 1990–91 में बढकर 109 3

लाख टन हो गया। वर्ष 1991–92 मे खाद्यान्न उत्पादन घटकर 91 2 लाख टन रह गया। वर्ष 1993–94 मे सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटकर 70 6 लाख टन रह गया। वर्ष 1994–95 मे खाद्यान्न का उत्पादन बढकर 117 लाख टन तक जा पहुचा। वर्ष 1998–99 मे खाद्यान्न का उत्पादन 129 2 लाख टन तथा 1999 2000 मे 89 9 लाख टन था।

5 तिलहन उत्पादन (Oil Seed Production) – देश मे खाद्य तेल का अभाव है। अतिरिक्त माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। देश मे तिलहन का उत्पादन कम है। हाल ही के वर्षो मे राजस्थान मे तिलहन उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई है। समूचा प्रदेश तिलहन का उत्पादन बढने से 'स्वर्ण–क्राति की ओर अग्रसर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत राजस्थान मे होता है। सरसो के उत्पादन मे तो राजस्थान अग्रणी राज्य है। राजस्थान मे तिलहन क्षेत्रफल मे काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1985–86 मे तिलहन फसलो का क्षेत्र 16 8 लाख हैक्टेयर था जो 1998–99 मे बढकर 40 3 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य मे तिलहन क्षेत्र के बढने से तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि हुई है।

राजस्थान मे तिलहन का उत्पादन 1950–51 मे केवल 0 8 लाख टन था जो 1993–94 मे बढकर 24 लाख टन हो गया। वर्ष 1990–91 से 1994–95 के बीच तिलहन उत्पादन मे तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1996–97 मे तिलहन का 35 2 लाख टन उल्लेखनीय उत्पादन हुआ। वर्ष 1998–99 मे तिलहन फसलो का उत्पादन 35 6 लाख टन (सभावित) था।

6 अखाद्य फसलो का उत्पादन (Production of Non Foodgrain Crops) – राजस्थान मे कुल सिचित क्षेत्र के बढने से तिलहन के साथ अन्य अखाद्य फसलो के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 1950–51 मे कपास का उत्पादन 0 6 लाख गाठे थी जो बढकर 1990–91 मे 9 2 लाख गाठे हो गया। वर्ष 1999–2000 मे कपास का उत्पादन 11 04 लाख गाठे होने की सभावना है। गन्ने का उत्पादन 1950–51 मे 0 5 लाख टन से बढकर 1992–93 मे 11 29 लाख टन हो गया। 1999 2000 मे गन्ने का उत्पादन 12 15 लाख टन होने की सभावना है। 1992–93 मे तम्बाकू का उत्पादन 2 हजार टन था।

7 उर्वरको का प्रयोग (Use of Fertilizers) – राजस्थान मे कृषि की नवीन व्यूहरचना लागू किए किए जाने के बाद उर्वरको के प्रयोग मे वृद्धि हुई है। आज कृषक इतना जागरुक हो गया है कि बिना किसी राजकीय प्रयास के उर्वरको का प्रयोग करता है। उर्वरको के बढते प्रयोग से राजस्थान ने कृषि के क्षेत्र मे तेजतर कदम ताल किया है। राजस्थान मे 1985–86 मे नाइट्रोजन (N) का उपभोग 1 61 लाख टन फास्फेट (P) का उपभोग 56 हजार टन तथा पोटाश (K) का उपभोग 4 हजार टन था। उर्वरको का प्रयोग 1992–93 मे बढकर क्रमश 3 94 लाख टन 1 36 लाख टन तथा 5 हजार टन हो गया। वर्ष 1995–96 मे उर्वरको का उपभोग और बढकर नाइट्रोजन का 4 9 लाख टन फास्फेट का 1 5 लाख टन तथा पोटाश

का 5 7 हजार टन हो गया।[1]

8 अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र (Area Under High Yielding Varieties) – राजस्थान मे उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग बढा है। वर्तमान मे उन्नत किस्म के बीज पैदा करने के लिए लगभग 60 बीज गुणक फार्म है। राज्य मे 1951–52 मे अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र लगभग शून्य था। वर्ष 1984–85 मे 39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे अधिक उपज देने वाली किस्मो (HYV) का प्रयोग किया गया। 1993–94 मे मानसून के अनुकूल नहीं होने के कारण अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र घटा। इस वर्ष क्षेत्र केवल 29 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1995–96 मे कुछ प्रमुख फसलो का अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्र इस प्रकार था -- गेहूँ 16 23 लाख हैक्टेयर, बाजरा 12 48 लाख हैक्टेयर, धान (Paddy) 52 5 हजार हैक्टेयर, मक्का 17 8 हजार हैक्टेयर, ज्वार 43 0 हजार हैक्टेयर। राजस्थान मे वर्ष 1998–99 में अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीज (HYV) का 262 6 हजार क्विटल तथा अन्य सुधरी किस्मों के बीज 135 4 हजार क्विटल वितरण किया गया। वर्ष 1998–99 मे अधिक उपज देने वाली फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल का लक्ष्य 17 7 लाख हैक्टेयर था जबकि उपलब्धि 16 लाख हैक्टेयर थी।

9. कृषि उपकरण (Agriculture Implements) – कृषि क्षेत्र मे यत्रीकरण को बढावा देने के लिए राजस्थान में अनेक स्थानो पर कृषि यत्र निर्माण के वर्कशाप है तथा रतनगढ व जेतसार मे रूस के सहयोग से फार्म खोले जा चुके है। योजनाबद्ध विकास मे कृषिगत उपकरणे के प्रयोग मे वृद्धि हुई है। राज्य मे ट्रेक्टरो की सख्या 1960–61 में 3,154 थी जो बढकर 1983 मे 53,941 1988 मे 86,904 तथा 1997 मे और बढकर 2 19 लाख हो गयी।

10. डेयरी विकास कार्यक्रम (Dairy Development Programme) – पशु कृषि कार्य मे ही प्रयुक्त नहीं होते हैं अपितु औद्योगिक विकास के आधार भी है। राजस्थान के पशु सपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण डेयरी उद्योग को बढावा मिला है। हाल ही के वर्षो मे लाइसेस राज के खात्मे की नीति के अन्तर्गत डेयरी उद्योग को लाइसेस से मुक्त करने का फैसला किया है। अत निकट भविष्य मे डेयरी उद्योग के विकास की अच्छी सभावनाए है।

राजस्थान मे वर्ष 1985–86 मे दुग्ध सहकारी समितियो की सख्या 4045 थी तथा इनकी सदस्य सख्या 2 64 लाख थी। दुग्ध सहकारी समितियो की सख्या बढकर 1995–96 मे 4,925 तथा सदस्यों की सख्या 3 70 लाख हो गई। वर्ष 1985–86 में कुल दुग्ध प्राप्ति 10 25 लाख लीटर प्रतिदिन थी जो घटकर 1992–93 मे 6 47 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई।[1] कुल दुग्ध प्राप्ति 1995–96 मे 7 53 लाख लीटर प्रतिदिन थी।

राज्य मे दिसम्बर 1998 के अन्त तक कुल कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियो की सख्या 3,535 थी, जिनकी कुल सदस्य सख्या 3 96 लाख

थी। अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान औसतन 6 58 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन एकत्रित किया गया। दिसम्बर 1998–99 मे राज्य मे चार पशु आहार सयत्रो के माध्यम से 61 8 हजार टन पशु आहार का उत्पादन तथा 61 8 हजार टन पशु आहार का वितरण किया गया।[4]

11 **पशुधन एव मुर्गीपालन** (Live Stock and Poultry) – राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे पशुधन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य मे अनेक उद्योगो यथा ऊन, चमडा, डेयरी, मास आदि का आधार पशु ही हैं। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे लगभग 15 प्रतिशत अश पशु सम्पदा से प्राप्त होती है। राजस्थान मे पशुधन सख्या 1951 मे 255 2 लाख थी जो बढकर 1961 मे 335 1 लाख, 1983 मे 496 5 लाख, 1988 मे 409 01 लाख तथा 1992 मे और बढकर 477 13 लाख हो गई। 1988 से 1992 के बीच पशुधन सख्या मे 16 76 की वृद्धि हुई। राजस्थान मे मुर्गियो (Poultry) की सख्या 1983 मे 22 19 लाख, 1988 मे 26 08 लाख तथा 1992 मे 30 लाख हो गई। मुर्गियो की सख्या मे 1988 से 1992 के बीच 15 04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य मे 543 5 लाख पशुधन 43 8 लाख कुक्कुट सपदा थी।

पशु पालन सुविधाओ के अन्तर्गत राजस्थान मे वर्ष 1998–99 मे 1,276 पशु चिकित्सालय थे। वर्ष 1995–96 मे 285 डिस्पेसरी, 55 चल चिकित्सा इकाई, 37 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 228 गौ शालाए, 42 भेड विस्तार केन्द्र, 5 भेड बिड्रिग फार्म थे।[5]

12 **मत्स्य विकास** (Progress of Fisheries) – राजस्थान मे मत्स्य पालन के लिए नहरे नदिया तथा तालाब है। योजनाबद्ध विकास मे मत्स्य पालन का विकास हुआ है। राजस्थान मे 1985–86 मे मछली बीज उत्पादन 44 95 मिलियन फ्राई, मछली उत्पादन 14 14 हजार टन था जो बढकर 1992–93 मे मछली बीज का उत्पादन 154 मिलियन फ्राई, मछली उत्पादन 109 20 हजार टन हो गया। मत्स्य से आय 1985–86 मे 78 33 लाख रुपए थी जो घटकर 1992–93 मे 197 लाख रह गई।[6]

वर्ष 1995–96 मे मत्स्य बीज उत्पादन 175 मिलियन फ्राई, मत्स्य उत्पादन 124 हजार टन तथा मत्स्य से आय 359 लाख रुपए थी। वर्ष 1998–99 (नवम्बर 1998 तक) मत्स्य उत्पादन 3,500 टन हुआ। वर्ष 1998–99 मे 260 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध नवम्बर 1998 तक 82 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। जबकि 1997–98 मे 220 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ था।[7]

13 **कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर योजना परिव्यय में वृद्धि** (Increase Plan Outlay in Agriculture and Allied Sectors) – राजस्थान में पचवर्षीय योजनाओं मे कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय मे भारी वृद्धि की गई। वर्ष 1951 से 1990 के बीच कृषि एव सबद्ध क्षेत्र विकास शीर्ष पर 345 4 करोड

रुपए व्यय किया गया। इस विकास शीर्ष पर प्रथम योजना मे 2 6 करोड व्यय किया गया जो बढकर सातवीं योजना मे 1619 करोड रुपए तक जा पहुचा। आठवीं योजना मे कृषि एव सबद्ध सेवाओ पर 1,286 करोड रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान था। नौवीं पचवर्षीय योजना कृषि एव सबद्ध सेवाओ पर 1,880 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 6 8 प्रतिशत है।

14 कृषि विकास दर मे वृद्धि (Increase in Agriculture Growth Rate) – सार्वजनिक क्षेत्र मे कृषि तथा सबद्ध सेवाओ पर योजना परिव्यय मे वृद्धि तथा सरकार द्वारा कृषि विकास को प्राथमिकता दिये जाने के कारण राजस्थान मे कृषि विकास दर मे वृद्धि हुई है।

कृषि उत्पादन सूचकाक (1979–80 से 1980–82=100) के आधार पर वर्ष 1985–86 मे 137 96 तथा 1986–87 मे 117 34 था जो बढकर 1991–92 मे 182 33 तथा 1995–96 मे 211 77 हो गया। वर्ष 1995–96 मे अनाज का सूचकाक 161 33, दालो का सूचकाक 123 19, अनाज एव दालो को मिलाकर खाद्यान्न फसलो का उत्पादन सूचकाक 149 98 था। गैर खाद्यान्न फसलो के उत्पादन का सूचकाक 480 था। राजस्थान मे तिलहन उत्पादन का सूचकाक *1995–96 मे 613 62 था। कृषि उत्पाद सूचकाक 1997–98 मे 267 27 था।*

सारत योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान मे कृषि के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक ऐसा प्रदेश जिसका अधिकाश भू–भाग रेत के धोरो से पटा हुआ है फिर कृषि के क्षेत्र मे तीव्रतर विकास की ओर अग्रसर है। राजस्थान की तिलहन क्राति आश्चर्यजनक है। श्वेत क्राति मे भी राज्य ने नवीन आयाम स्थापित किए है। राजस्थान मे कृषि के क्षेत्र मे हुई प्रगति का श्रेय मरु के मेहनतकश लोगो और राज्य सरकार के कारगर प्रयासो को दिया जा सकता है। इन सबके बावजूद राजस्थान कृषि के क्षेत्र मे देश के अन्य राज्यो की तुलना मे कम विकसित है। यहा कृषि विकास की विपुल सभावनाए हैं, किन्तु विकास के मार्ग मे अनेक बाधाए आडे आती हैं जिनमे प्राकृतिक प्रकोप, सिचाई सुविधाओ का अभाव, किसानो की ऋणग्रस्तता, कृषिगत क्षेत्रो मे परिवहन सुविधाओ का अभाव आदि मुख्य है। यदि राजस्थान मे सिचाई सुविधा का पर्याप्त विकास कर दिया जाए तो राजस्थान खाद्यान्न के क्षेत्र मे पृथक पहचान बना सकता है। भारत के खाद्यान्न के निर्यातो मे बढोतरी मे राजस्थान प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

कृषि विकास शीर्ष पर परिव्यय मे वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि आधारित उद्योगो को बढावा देकर राजस्थान का आर्थिक कायाकल्प किया जा सकता है।

राजस्थान के कृषि विकास में बाधाए तथा समाधान के सुझाव
(Constraints in Agriculture Development in Rajasthan and Suggestions for Soluation)

अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि विकास से एक ओर लोगो को खाद्यान्न मुहैया होता है दूसरी ओर उद्योगो को कच्चा माल प्राप्त होता

है। विगत वर्षों मे किसानो की मेहनत के कारण कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान मे कृषि विकास की तीव्र गति नहीं पकड सकी। कृषि के विकास मे अनेक बाधाए मुहबाए खडी है जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है –

1 कम सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय (Less Public Sphere Outlay) – राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ है। राज्य को आय का बडा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था मे कृषि की कारगर भूमिका के बावजूद कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर सार्वजनिक उद्व्यय कम रहा है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर 1286 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल योजना उद्व्यय का केवल 11 2 प्रतिशत था। नौवीं पचवर्षीय योजना म कृषि एव सबद्ध सेवाओ पर व्यय मे भारी कमी की गई। नौवीं योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर 1 880 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का केवल 6 8 प्रतिशत है जो आठवीं पचवर्षीय योजना की तुलना मे कम है। वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना मे कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर 351 5 करोड रुपए व्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजना का 7 प्रतिशत है। कृषि एव सबद्ध क्षेत्र पर उद्व्यय मे कमी से प्रदेश में कृषि विकास को तीव्र गति नहीं मिल सकी। कृषि क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय म वृद्धि आवश्यक है।

2 मरुस्थल (Desert) – राज्य मे कृषि के पिछडेपन का प्रमुख कारण कुल भू–भाग का 61 11 प्रतिशत भाग का मरुस्थल होना है। प्रदेश का अधिकाश भाग मरुस्थलीय होने के कारण कृषिगत उत्पादन कम होता है। थार मरुस्थल म तेज हवाओ के कारण भूमि कटाव की समस्या मुखर है। इसके अलावा टिड्डी दल का आक्रमण फसलो को नष्ट कर देता है। समस्या से निपटने के लिए मरुस्थलीय विकास कायक्रम हाथ मे लिए जाने चाहिए।

3 कृषि की मानसून पर निर्भरता (Dependence of Agriculture on Monsoon) – योजनाबद्ध विकास के पचास वर्षो के पूरा होने के बावजूद कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा मे अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड जाती है। इन्द्र देवता के आशीर्वाद से 1997–98 मे 140 3 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ। इन्द्र देवता के रूठने पर 1995–96 मे खाद्यान्न उत्पादन केवल 95 7 लाख टन ही था। अच्छे खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद 1997–98 मे 20 जिलों के 20 069 गावो की 215 लाख जनसख्या अकाल से प्रभावित थी।

4 सिचाई सुविधाओं का अभाव (Lack of Irrigation Facilities) – राजस्थान मे सिचाई सुविधाओ की कमी विकास की बडी बाधा है। राज्य में 1996–97 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 55 9 लाख हैक्टेयर तथा कुल सिंचित क्षेत्रफल 67 4 लाख हैक्टेयर था। राज्य में 1996–97 मे कुल बोये गए क्षेत्रफल का केवल 32 6 प्रतिशत (औसत) सिंचित क्षेत्र था। स्पष्ट है कुल बाए गए क्षेत्रफल के 67 4 प्रतिशत भाग मे सिचाई सुविधाए मुहैया नहीं हैं। कृषि के पिछडेपन को दूर करने के लिए सिचाई

सुविधाओ का विस्तार किया जाना चाहिए। बरसात के पानी का पूरा उपयोग आवश्यक है। अधूरी पडी सिचाई परियोजनाओ को शीघ्र पूरा करके नयी सिचाई परियोजनाए हाथ मे ली जानी चाहिए।

5 **आधुनिक तकनीक का अभाव** (Lack of Modern Techniques) – कृषि के क्षेत्र मे आधुनिक तकनीक को आत्मसात किए बिना उत्पादन वृद्धि सभव नहीं है। डकल प्रस्तावो की स्वीकृति और विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व मे आने के बाद कृषि तकनीक मे क्रातिकारी बदलाव आया है किन्तु राजस्थान का किसान निरक्षरता और निर्धनता के कारण कृषि की आधुनिकतम तकनीक को आत्मसात नहीं कर सका। राजस्थान मे रासायनिक उर्वरको, उन्नत बीज व कीटनाशको का कम उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार को कृषि विशेषज्ञो के द्वारा किसानो को कृषि की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण व प्रदर्शन सुविधाए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. **सडकों का अभाव** (Shortage of Roads) – सडके विकास के लिए अपरिहार्य है। राजस्थान मे सडकों का अभाव है। गावो मे सडको की स्थिति दयनीय है। आज भी बहुत से गाव सडको से जुडे हुए नही है। राजस्थान मे 1998–99 मे अन्य जिला एव ग्रामीण सडको की लम्बाई केवल 63,976 किलोमीटर थी इसमे भी 11,631 किलोमीटर सडके कच्ची थी। वर्ष 1997–98 मे सडको की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 47 7 किलोमीटर ही है। गावो मे सडको का अभाव कृषि विकास मे बाधक है। सडको के अभाव मे कृषिगत उत्पाद को मडियो तक पहुचाने मे भारी कठिनाई का सामना करना पडता है। कृषि विकास को गति देने वास्ते ग्रामीण सडको का विकास आवश्यक है।

7. **दोषपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्था** (Defective Agriculture Marketing System) – राज्य के अधिकाश किसान माली हालात दयनीय होने के कारण बिचौलियो के चगुल मे फसे हुए है। बिचौलिए अधिकाश लाभ हडप जाते हैं। कई बार बिचौलिए किसानो का शोषण करते है। बिचौलियो के कारण किसानो को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषि विपणन मे सुधार के लिए कृषि विपणन निदेशालय की भूमिका को बढाने की आवश्यकता है। मण्डी नियमन प्रबन्धन को प्रभावी ढग से लागू किया जाना चाहिए।

8. **साख सुविधा का अभाव** (Lack of Credit Facilities) – राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। निरक्षरता के कारण गरीब किसान सेठ–साहूकारों द्वारा शोषण का शिकार होता है। लम्बे समय तक गावो मे बैंकिग सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण ग्रामीण परिवेश मे साहूकारो का प्रभाव बना रहा। साहूकारो ने किसानो को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया। किसानो के खेत और उपकरण गिरवी रखे होते हैं। गावो मे आज भी बैकिग सुविधाओ का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सितम्बर 1998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 64 थी। प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था जो कि अखिल भारत औसत से बहुत कम है।

सन्दर्भ

1 *Basic Statistic* 1997 Rajasthan
2 शर्मा ओ पी *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश* 1996 पृ 45
3 Basic Statistics 1994 तथा 1997 DES Jaipur
4 *आर्थिक समीक्षा* 1998 99 राजस्थान सरकार।
5 *Basic Statistics* Rajasthan 1997 p 107
6 *वही* 1994 p 112
7 *आर्थिक समीक्षा* 1998 99 राजस्थान सरकार।

प्रश्न एव सकेत

लघु प्रश्न

1 राजस्थान की भूमि उपयोग की विवेचना कीजिए।
2 राजस्थान मे कृषि विकास की प्रमुख समस्याए क्या है?
3 राजस्थान मे हरित क्राति के प्रमुख तत्त्व बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 योजनाकाल मे राजस्थान मे कृषि विकास की समीक्षा कीजिए।
2 स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान मे कृषि के क्षेत्र मे प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
3 राजस्थान मे कृषि विकास की मुख्य प्रवृत्तियो का विवेचन कीजिए।
4 राजस्थान मे हरित क्राति की विवेचना कीजिए तथा इसकी उपलब्धियो का मूल्याकन करे।
5 राजस्थान मे कृषि विकास की उपलब्धियो तथा कृषि विकास मे बाधाओ का विवेचन कीजिए।
6 राजस्थान म पचवर्षीय योजनाकाल मे कृषि के विकास की विवेचना कीजिए।
7 राजस्थान मे स्वतत्रता के पश्चात् कृषि विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(सकेत – सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि विकास को लिखना है।)
8 राजस्थान मे कृषि क्षेत्र की क्या उपलब्धिया है? राज्य के कृषि विकास मे आने वाली बाधाआ एव उनके निराकरण हेतु अपने सुझाव दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे राजस्थान मे कृषि विकास की उपलब्धिया बतानी है तथा दूसरे भाग मे कृषि विकास मे बाधाए तथा निराकरण के सुझाव लिखने है।)

राजस्थान का औद्योगिक विकास
(Industrial Development of Rajasthan)

राजस्थान की औद्योगिक पृष्ठभूमि
(Industrial Background of Rajasthan)

राजस्थान विकासोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कम विकसित राज्य है। यहा की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितिया अन्य राज्यो की तुलना में काफी विकट हैं। वर्तमान मे राजस्थान के समक्ष मुख्य चुनौती भौतिक एव मानव ससाधनो का पूरा उपयोग करने की है। वित्तीय ससाधनो की कमी की समस्या सदैव मुहबाए खडी है।

हाल ही तीन नये राज्यो के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। खनिजो की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थान का नाम आता है। यहा अधिकाश अलौह (नान फेरस) एव अधात्विक (नान मेटेलिक) खनिज है। राज्य खनिजो का अजायबघर है। लगभग 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य मे उपलब्ध खनिजो का यदि नियोजित रूप से विदोहन किया जाए तो राजस्थान स्वय की अनेक समस्याओ पर निजात पा सकता है।

राजस्थान नियोजित विकास के पाच दशक पूरे कर चुका है। योजनाकाल मे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओ के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिससे प्रदेश मे औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। समग्र राज्य में उद्योगो विशेष रूप से लघु उद्योगों का विकास हुआ है।

आज राज्य मे आधारभूत सरचना की स्थिति मे सुधार आने के कारण उद्योगपति विनियोग करने मे उतना नहीं कतराते जितना की पूर्व के दशको में। वर्तमान मे राजस्थान मे सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविजन, टायर ट्यूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिले, इजीनियरी की औद्योगिक

इकाइया, खनिज आधारित बडी व मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि है। राजस्थान से वर्ष 1994–95 मे मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टैक्सटाइल अभियात्रिक वस्तुए, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुए, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित वस्तुओ का निर्यात किया गया। वर्ष 1994–95 मे राज्य से लगभग 2,800 करोड रुपए का निर्यात किया गया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना था। निर्यातको को राज्य मे पुरस्कृत किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 16 जिलो को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडा घोषित किया था। केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था मे पिछडे जिलो को तीन श्रेणियो यथा अ, ब तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे –

(अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चूरू व बाडमेर जिलो के लिए रखी गई थी। ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रूपये रखी गई।

(ब) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पाच जिलो अलवर, भीलवाडा, जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपए रखी गई।

(स) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलो बासवाडा, डूगरपुर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनू, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए रखी गई।

शेष 11 जिलो अजमेर, भरतपुर, बूदी बीकानेर, चित्तौडगढ, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, श्रीगगानगर, पाली व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी।

पचवर्षीय योजनाओ मे राजस्थान का औद्योगिक विकास

(Industrial Development of Rajasthan during Plan Period)

राजस्थान नियोजित विकास के पाच दशक पूरे कर चुका है। इस दौरान राज्य मे आठ पचवर्षीय योजनाए तथा छह वार्षिक योजनाए सम्पन्न हुई। पचवर्षीय योजनाओ मे राज्य सरकार ने औद्योगीकरण को गति देने वास्ते प्रयास किए। सरकार ने समय–समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। राज्य के आर्थिक वातावरण को राष्ट्र के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन का प्रयास किया गया परिणामस्वरूप राजस्थान में विदेशी पूजी निवेश भी हुआ है। पचवर्षीय योजनाओ मे राजस्थान औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हुआ है।

1 *पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक विकास पर व्यय (Expenditure on Industrial Development in Five Year Plans)* – राजस्थान की विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ और वार्षिक योजनाओ मे औद्योगिक विकास पर व्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। किन्तु पचवर्षीय योजनाओ का थोडा भाग ही उद्योग तथा खनन पर खर्च किया जाता है।

राज्य की प्रथम पचवर्षीय योजना मे 54 करोड रुपए व्यय किया गया

जिसमें से उद्योग व खनन पर व्यय 0 5 करोड रुपए था जो कुल योजना व्यय का 0 9 प्रतिशत था। बाद की पचवर्षीय योजनाओ मे उद्योग तथा खनन पर व्यय उत्तरोत्तर बढा। उद्योग तथा खनन पर व्यय पाचवी पचवर्षीय योजना मे 34 करोड रुपए तथा छठी पचवर्षीय योजना मे 83 करोड रुपए था। सातवी पचवर्षीय योजना मे उद्योग तथा खनन पर व्यय बढकर 145 करोड रुपए तक जा पहुचा। आठवीं पचवर्षीय योजना मे उद्योग व खनन पर 536 करोड रुपए प्रावधान के विरुद्ध 639 करोड रुपए व्यय किए गए जो आठवीं पचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र व्यय का 5.3 प्रतिशत था।

पचवर्षीय योजनाओं मे उद्योग तथा खनन पर व्यय

(करोड रुपए)

योजनाएँ	पचवर्षीय योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र व्यय	उद्योग तथा खनन पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
प्रथम पचवर्षीय योजना (1951 56)	54	0.5	0 9
द्वितीय पचवर्षीय योजना (1956 61)	103	3 4	3.3
तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-66)	213	3.3	1.5
वार्षिक योजनाएँ (1966 69)	137	2.1	1.5
चतुर्थ पचवर्षीय योजना (1969 74)	309	8 6	2 8
पाचवी पचवर्षीय योजना (1974 79)	858	34 1	4 0
छठी पचवर्षीय योजना (1980 85)	2 131	83 1	3 9
सातवीं पचवर्षीय योजना (1985 90)	3 106	145 1	4 7
वार्षिक योजनाएँ (1990 92)	2,154	151.5	7 0
आठवीं पचवर्षीय योजना (1992 97)	11 999	639 0	5.3
नौवीं पचवर्षीय योजना (1997 2002)(अनु)	27 650	2155 0	7 8

आर्थिक उदारीकरण के दौर मे तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होगी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नौवीं पचवर्षीय योजना मे उद्योग व खनन पर 2 155 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है जो नौवीं पचवर्षीय योजना उद्व्यय 27 650 करोड रुपए का 7 8 प्रतिशत है। यह पचवर्षीय योजना के उद्योग व खनन पर प्रतिशत की दृष्टि से अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना मे उद्योग व खनन उद्व्यय 201 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो कुल वार्षिक योजना का 4 प्रतिशत है।

2 पजीकृत फैक्ट्रिया (Registered Factories) – राजस्थान मे भारतीय फैक्ट्री एक्ट 1948 के अन्तर्गत सेक्शन 2 एम (i) सेक्शन 2 एम (ii) तथा सेक्शन 85 के अन्तर्गत पजीकृत फैक्ट्रिया हैं। पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या वर्ष 1987 मे

9 665 थी जो 1993 में बढ़कर 12 580 तथा 1996 में और बढ़कर 13 665 हो गई।

3 शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (Role of Manufacturing Sector in Net State Domestic Product) – अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यथा कृषि पशुपालन वन मत्स्य एव खनन की प्रमुखता बनी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1995–96 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9 561 करोड रुपए था जिसमे विनिर्माण का योगदान 1 384 करोड रुपए था जो शुद्ध घरलू उत्पाद का 14 5 प्रतिशत था। वर्ष 1998–99 के अग्रिम अनुमानों में राज्य शुद्ध घरलू उत्पाद 11 648 करोड रुपए में विनिर्माण का योगदान 1 283 करोड रुपए रहा जो कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का 11 प्रतिशत था।

4 सकल स्थायी पूजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) – विगत वर्षों में राजस्थान में सकल स्थाई पूजी निर्माण में वृद्धि हुई है। सकल स्थाई पूजी निर्माण 1993–94 में प्रचलित कीमतों पर 6 168 करोड रुपए था जो बढ़कर 1995–96 में 8 140 करोड रुपए तथा 1997–98 में और बढ़कर 10 671 करोड रुपए (प्रावधानिक) हो गया।

सकल स्थाई पूजी निर्माण में 1995–96 से 1997–98 तक सार्वजनिक क्षेत्र का अश निजी क्षेत्र से अधिक रहा। 1997–98 में यह निजी से 29 7 प्रतिशत अधिक है जबकि वर्ष 1993–94 में निजी क्षेत्र के पूजी निर्माण से 7 5 प्रतिशत अधिक था। राजस्थान में 1997–98 में सकल स्थाई पूजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर 53 770 करोड रुपए) का 19 85 प्रतिशत था।

5 लघु उद्योगों का विकास (Development of Small Scale Industries) अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण उपादेयता होने के कारण राज्य सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के विकास को गति मिली। लघु उद्योगो की पंजीकृत इकाइया 1975–76 में 20 102 थी जो 1997–98 में बढ़कर 1 93 000 हो गई। लघु उद्योगों में रोजगार 1975 76 में 1 37 लाख से बढ़कर 1997 98 में 7 50 लाख हो गया तथा विनियोजित पूजी 1975–76 मे 7 237 3 लाख रुपए से बढ़कर 1997–98 में 2 25 000 लाख रुपए हो गई।

6 खादी और ग्रामोद्योग की प्रगति (Progress of Khadi and Village Industries) – राजस्थान सरकार ने योजनाबद्ध विकास में खादी और ग्रामोद्योग विकास के कारगर प्रयास किए जिससे अर्थव्यवस्था में खादी एव ग्रामोद्योग की भूमिका बढी। खादी का कुल उत्पादन 1979–80 में 1 327 लाख रुपए था जो 1997–98 में बढ़कर 4 300 लाख रुपए हो गया। खादी उद्योग में 1992–93 में 1 59 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। राज्य में ग्रामोद्योगों की भूमिका में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। राज्य में 10 उत्पाद ग्रामोद्योग में सम्मिलित है। वर्ष

1990–91 मे 1 19 लाख ग्रामोद्योग इकाइया थी। ग्रामोद्योग का उत्पादन 1979 80 में केवल 13 60 करोड रुपए था जो 1997–98 मे बढकर 340 ,4 कराड रुपए हो गया।

7 वृहद उद्योग (Large Scale Industries) – राजस्थान मे मार्च 1998 तक 531 वृहद् एव मध्यम उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमे 13 740 करोड रुपए की पूजी विनियोजित है तथा 1 70 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 1999 2000 मे (नवम्बर 1999 तक) मे 64 वृहद उद्योगो की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये जिनमे 692 करोड रुपए की पूजी विनियोजन तथा 14662 व्यक्तियो का नियोजन सभव है।

8 औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि (Increase in Industrial Production) राजस्थान मे केन्द्रीय साख्यिकी सगठन के निर्देशानुसार वर्ष 1970 मे 26 औद्योगिक मदो का चयन किया गया। वर्ष 1998 मे गत वर्ष की तुलना मे 16 मदो के उत्पादन मे गिरावट आई। केवल स्प्रिट जस्ते की छड केडिमियम अतिम उत्पाद पानी के मीटर कास्टिक सोडा पी वी सी कम्पाउण्ड सल्फ्यूरिक एसिड और शक्कर के उत्पादन मे वृद्धि हुई। शक्कर के उत्पादन मे वृद्धि उल्लेखनीय रही। शक्कर का उत्पादन 1997 मे 26 375 टन था जो बढकर 1998 मे 58 695 टन हो गया जो गत वर्ष की तुलना मे 122 54 प्रतिशत अधिक था। जे के फेक्ट्री म उत्पादन बन्द होने के कारण नाइलोन और पोलिस्टर धागे का उत्पादन नही हुआ। सवाईमाधोपुर की सीमेट फैक्ट्री बरसो से बद पडी है।

चयनित मदो का औद्योगिक उत्पादन

मद	इकाई	1997	1998 प्रावैधानिक	1997 की तुलना मे 1998 मे % परिवर्तन	1999 प्रावैधानिक
शक्कर	मै टन	26,375	58 695	122 54	31193
वनस्पति घी	मै टन	24 985	24 936	0 20	31754
नमक	लाख मैं टन	12	11	8 33	17
यूरिया	000 मै टन	398	385	3 27	417
सीमेण्ट	000 मै टन	6 493	6,206	-4 42	8133
सूती कपडा	लाख वर्ग मीटर	505	472	-6 53	350
सूती धागा	000 मै टन	77	75	2 60	77

स्रोत *आर्थिक समीक्षा* 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान मे वर्ष 1997 मे वनस्पति घी का उत्पादन 24 985 टन नमक का उत्पादन 12 लाख टन यूरिया का उत्पाद 398 हजार टन सीमेट का उत्पादन

6 493 हजार टन सूती कपडे का उत्पादन 505 लाख वर्ग मीटर तथा सूती धागे का उत्पादन 77 हजार टन था। राज्य मे चयनित मदो के उत्पादन मे 1998 के प्रावधानो मे 1997 की तुलना मे शक्कर को छोडकर सभी मे कमी हुई। वर्ष 1998 म सूती कपडे के उत्पादन म गत वष की तुलना मे 6 5 प्रतिशत तथा सीमेंट उत्पादन मे 4 4 प्रतिशत की कमी हुई।

राजस्थान मे प्रमुख वृहद् उद्योग
(Large Scale Industries in Rajasthan)

वर्तमान मे राजस्थान के प्रमुख वृहद् उद्योगो मे सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ची‍नी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य है जिनका सक्षिप्त विवरण अग्राकित है

I **सीमेंट उद्योग (Cement Industry)** -- भवन निर्माण मे सीमेंट उद्योग का वर्चस्व काफी समय से चला आ रहा है जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि से कोई प्रतिस्थापन नहीं हे। राजस्थान सीमेंट उद्योग मे भारत का अगुआ राज्य माना जाता हे। प्रान्त म सर्वप्रथम 1915 मे लाखेरी (बूदी) मे सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई इसके बाद सवाईमाधोपुर मे जयपुर उद्योग लि स्थापित किया गया।

राजस्थान मे साधारण पोर्टलेण्ड सीमेंट बनाने वाले प्रमुख रोटरी किलन सयत्र निम्नानुसार हैं

क्र स	इकाई	प्रक्रम	प्रारम्भिक उत्पादन
1	लाखेरी सीमेण्ट वर्क्स (ए सी सी) लाखेरी	आर्द्र	1917
2	जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर	आर्द्र	1953 से 1959
3	बिडला सीमट वर्क्स चित्तोडगढ	शुष्क	1967 से 1969
4	उदयपुर सीमेण्ट वर्क्स उदयपुर	शुष्क	1970
5	जे के सीमेण्ट वर्क्स निम्बाहेडा	शुष्क	1974 से 1982
6	लाखेरी सीमेण्ट सिरोही	शुष्क	1982
7	मगलम सीमेण्ट मोडक (कोटा)	शुष्क	1982
8	जे के व्हाईट सीमेण्ट गोटन	शुष्क	1984
9	श्री सीमेण्ट लिमिटेड ब्यावर	शुष्क	1985

स्रोत *राजस्थान पत्रिका* 2 जनवरी 1988

राज्य म पिछले कुछक वर्षो स सीमट क उत्पादन म काफी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका स स्पष्ट है

राजस्थान मे सीमेण्ट उत्पादन

वर्ष	सीमेण्ट का उत्पादन (हजार मे टन)
1984	3,017
1985	3,939
1986	3,654
1987	3,898
1988	3,947
1989	4,175
1990	4,263
1991	4,774
1992	4,828
1993	4,749
1996	6 592
1997	6,493
1998	6,206
1999 (प्रावधानिक)	8133

स्रोत 1 *आयव्ययक अध्ययन*, 1991-92 एव 1994-95
2 *आर्थिक समीक्षा*, 1998 99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

सीमेट उद्योग पूजी गहन व ऊर्जा गहन उद्योग है। राजस्थान मे सीमेट सयत्र ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न है, वैगन आपूर्ति आवश्यकताओं के अनुरूप नही होती है। जनशक्ति मे उच्च स्तर की दक्षता और आधुनिक सयन्त्रो को चलाने की योग्यता की आवश्यकता है। इसके सचालन व रख–रखाव के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सीमेट के मूल्य व वितरण सबधी नीति भी दोषपूर्ण है, इसके बार–बार बदलने से इस उद्योग मे अनिश्चितता बनी रहती है। सीमेट फैक्ट्रिया पुरानी तकनीक को अपनाए हुए है, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अधिकाश सीमेट सयत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करते हैं। आधुनिकीकरण व विवेकीकरण का नितात अभाव है। मिनी सीमेट प्लाट प्रतिस्पर्धा मे बडे सीमेट प्लाट के सामने नहीं टिक पाते हैं।

राजस्थान मे सीमेट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य मे इस उद्योग की स्थापना से सबधित सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है। सीमेट ग्रेड चूने की बाहुल्यता है, जिप्सम भी राज्य मे पर्याप्त मात्रा मे है। कोयला बाहर से मगाना पडता है। सीमेट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1990–91 के राज्य बजट मे सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री कर 16 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। आशा है भविष्य मे सीमेट उद्योग का काफी विकास होगा।

2 सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Industry) – सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। यह उद्योग बडे पैमाने के उद्योगो मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य मे पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर मे 1889 मे कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र मे स्थापित की गई। इसके पश्चात ब्यावर शहर मे ही 1906 मे एडवर्ड मिल्स लि व 1925 मे श्री महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुई। वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय 1949 म राज्य म 7 सूती मिले थी। वर्तमान म इनकी सख्या बढकर 23 हो गई। इनम से 17 मिल निजी क्षेत्र मे 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र मे और 3 सहकारी क्षेत्र मे है।

राजस्थान में सूत व सूती वस्त्र का उत्पादन

वर्ष	सूत (हजार टन)	सूती वस्त्र (करोड मीटर)
1978	33 6	3 32
1983	42 7	5 58
1989	47 5	4 05
1990	48 6	4 66
1992	----	3 78
1993	44 6	3 80
1996	57 0	4 57
1997	77 0	5 05
1998	75 0	4 72
1999 (प्रावधानिक)	77 0	3 50

स्रोत 1 *आय व्ययक अध्ययन,* 1994-95, राजस्थान सरकार।
2 *आर्थिक समीक्षा,* 1998 99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राजस्थान मे सूती वस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास वास्ते सूती वस्त्र मिलो के आधुनिकीकरण एव नवीनीकरण की आवश्यकता है। कच्चे माल के रूप मे लम्बे रेशे के कपास की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुप्रबन्ध को नियत्रित एव पर्याप्त मात्रा म पूजी की व्यवस्था की जानी चाहिए। बद इकाइयों के बारे मे अविलम्ब निर्णय लिया जाए तथा रुग्णता के कारणो की बारीकी से जाच की जाए। श्रम सबधी समस्याए मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती है। प्रबन्ध मे श्रमिको की भागीदारी को नजरअदाज नहीं किया जाना चाहिए।

3 चीनी उद्योग (Sugar Industry) – राजस्थान मे चीनी की तीन मिले है। केशाराय पाटन (बूदी), मेवाड (चित्तौडगढ) तथा श्रीगगानगर। सर्वप्रथम 1932 में मेवाड चीनी मिल्स की स्थापना भोपाल सागर में की गई। 1938 मे श्रीगगानगर चीनी मिल्स की स्थापना की गई। इसमे उत्पादन 1946 मे प्रारम्भ हुआ। एक जुलाई 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र मे काम कर रही है। 1965 म श्री केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान में कार्यरत चीनी की तीनो मिल निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र मे होने के कारण ये तीन प्रकार के

सगठनो के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है।

राजस्थान मे चीनी उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार मै टन)
1984	22
1985	20
1986	16
1987	23
1988	09
1989	12
1990	13
1991	25
1992	39
1993	26
1996	31
1997	26
1998	31
1999 (प्रावधानिक)	31

स्रोत 1 *आय व्ययक अध्ययन,* 1991-92, 1994-95 राजस्थान सरकार।
2 *आर्थिक समीक्षा,* 1998-99 राजस्थान सरकार।

राज्य की चीनी मिले घाटे की समस्या से पीडित है। घाटे का मुख्य कारण गबन–घोटाले, गन्ने की चोरी, बिना काम के वेतन लेने की प्रवृत्ति, कुप्रबन्ध आदि हैं। चीनी मिलो की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार तथा मिलो मे क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराई कर घाटे को कम किया जा सकता है। मिलो के लिए वित्त, नई मशीने व पॉवर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिलो को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गौण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। चीनी मिलों मे मोलासिस की अतिरेक मात्रा को देखते हुए डिस्टिलरी इकाइयो की सख्या बढाई जा सकती है।

4 **नमक उद्योग** (Salt Industry) – नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सम्पूर्ण देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। नमक उत्पादन से सबधित सभी अनुकूल दशाए प्रान्त मे उपलब्ध है। यहा खारे पानी की झीले बहुतायत मे है। वर्तमान मे राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनो ही क्षेत्रो मे नमक का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान मे नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम निम्नाकित है –

1 राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)
2 राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)
3 राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स, डीडवाना
4 राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स, पचभदरा

साभर मे नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी साभर साल्टस लिमिटेड की देखरेख मे होता है। साभर झील नमक उत्पादन मे अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य मे निजी क्षेत्र मे लघु पैमाने के उद्योग पोकरन फलौदी कुचामन व जाब्दीनगर (नागौर) मे पाए जाते है।

राजस्थान में नमक उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1984	821
1985	1093
1986	906
1987	833
1988	1038
1989	934
1990	1055
1991	1441
1992	1181
1993	1296
1996	1102
1997	1200
1998	1100
1999 (प्रावधानिक)	1700

स्रोत 1 *आय व्ययक अध्ययन* 1991 92 1994 95 राजस्थान सरकार
2 *आर्थिक समीक्षा* 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान की खारे पानी की झीलो मे (डीडवाना) सोडियम सल्फेट अधिक होने के काण अखाद्य नमक का उत्पादन अधिक होता है जिसको बेचने मे कठिनाई आती है। राज्य सरकार के नमक उपक्रम या तो बद है या घाटे में चल रहे है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1988 से बन्द कर दिया गया है। राज्य मे नमक आधारित वस्तुओ के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। राज्य सरकार के नमक उपक्रमो की प्रबन्ध व्यवस्था बेहतर बनाकर स्थिति को सुधारा जा सकता है।

५ काच उद्योग (Glass Industry) – काच उद्योग मे बालू मिट्टी सिलिका मिट्टी सोडा सल्फेट शीरा चूने का पत्थर आदि प्रयुक्त होते हैं। ये सभी राज्य मे बहुतायत मे उपलब्ध है। काच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य मे है।

राज्य मे काच बनाने के आठ कारखाने है जिसमे से पाच कारखाने बद पडे है। उदयपुर कारखाने मे उत्पादन हाल ही प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में धौलपुर मे निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है –

1. **धौलपुर ग्लास वर्क्स** – इसमे लगभग एक हजार टन कॉच का वार्षिक उत्पादन होता है। यह कारखाना निजी क्षेत्र मे कार्यरत है।
2. **हाई टैंक प्रेसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर** – यह कारखाना दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अन्तर्गत है एव मदिरा विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन करता है।

राज्य मे सिलिका मिट्टी के भण्डारा को देखते हुए काच उद्योग के विकास की काफी सभावनाए है। जयपुर सवाईमाधोपुर, बीकानेर तथा उदयपुर मे काच के कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। काच के बद पडे कारखानो को शीघ्र चालू कर यहा काच उद्योग से सबधित ससाधनो का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। सरकार की उदार नीति इसका और विकसित कर सकती है।

6. वनस्पति घी उद्योग (Vegetable Ghee Industry) – मूगफली व बिनौले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान मे सर्वप्रथम 1964 मे भीलवाडा मे वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौडगढ व श्रीगगानगर आदि शहरो मे स्थापित हुए।

राज्य मे वनस्पति घी की माग मे हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी से बढा है। 1970–71 से 1980–81 के मध्य वनस्पति घी का उत्पादन तिगुना हो गया है।

राज्य में वनस्पति घी उत्पादन की स्थिति

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1970-71	19 8
1980-81	58 0
1985-86	65 7
1989-90	54 6
1990-91	51 5
1991-92	34 2
1992-93	33 8
1995-96	30 1
1996-97	24 9
1997-98	24 9
1998-99 (प्रावधानिक)	31 8

स्रोत 1 *आय व्ययक अध्ययन* 1991-92, 1994-95 राजस्थान सरकार।
2 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राज्य मे मूगफली व बिनौले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों का नितात अभाव है। उत्पादित घी की किस्म भी घटिया है। कारखानो के

पास सहायक उद्योगो का अभाव होने के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। पूजी व कुशल श्रमिको का अभाव भी राज्य में है।

राज्य म वनस्पति घी की बढती हुई माग को देखते हुए इसके विकास की काफी सभावनाए हैं। मूगफली व बिनौले का उत्पादन भी राज्य मे बढाया जा सकता है। राजस्थान नहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। राज्य मे इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है।

उपर्युक्त विवेचन स स्पष्ट है कि राजस्थान म सीमेंट सूती वस्त्र चीनी वनस्पति घी काच व नमक आदि उद्योगो की प्रभावी भूमिका है। भविष्य मे इन उद्योगो के विकास की अच्छी सम्भावनाए है।

राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम
(Public Enterprises of Central Field in Rajasthan)

राजस्थान मे केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का भाग बहुत कम है यह 1970 म केवल 0 9 प्रतिशत ही था 1985 म केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगो का 1 4 प्रतिशत अश लगा हुआ था।[2] राज्य मे केन्द्र का निवेश वर्ष 1990–91 में 1 70 प्रतिशत था।[3]

राज्य मे कुछ प्रमुख केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्राकित है।[4]

1 हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देबारी (उदयपुर)।
2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतडी (झुन्झुनू)।
3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर।
4 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा।
5 साभर साल्टस लिमिटेड जयपुर।
6 मॉडर्न बेकरीज विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।
7 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड कनकपुरा (जयपुर)।
8 गैस आधारित पॉवर सयत्र अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा स्थापित)

राजस्थान में कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमो की सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है –

1 हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) – यह जस्ता व सीसा क उत्पादन के साथ भारत के आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अग बन गया हैं। 1966 म स्थापित हिन्दुस्तान जिक लि बहु इकाई व बहु उत्पाद वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है जो सीसा जस्ता की आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। वर्तमान में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड देश के विभिन्न भागो म आठ इकाइया सचालित कर रहा है जिसमें निम्न इकाइया राजस्थान मे है।[5]

1 जावर माइन्स राजस्थान।
2 राजपुरा दरीबा माइन राजस्थान।
3 मटून रॉक फास्फेट माइन राजस्थान।

4 देबारी जिक स्मेलटर, राजस्थान।

2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) – राजस्थान के झुन्झुनू जिले मे अरावली पर्वत शृखला मे स्थित एक छोटी सी इकाई खेतडी आज देश में ताम्र उत्पादन के क्षेत्र मे अति आधुनिक और प्रौद्योगिक इकाई के रूप मे उभर कर सामने आई हैं। इसके *(खेतडी कॉपर काम्प्लेक्स) विकास का फैसला सन 1962* मे लिया गया। सन् 1967 मे शापट खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1970 मे सबसे पहले अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ। ताम्र उत्पादन 5 फरवरी, 1975 को प्रारम्भ हुआ, तब तत्कालीन *प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा गाधी ने खेतडी कॉपर काम्पलेक्स मे एशिया के सबसे बडे* प्रणालक सयत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।

3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर (Hindustan Machine Tools) – भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाइया एच एम टी, 4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी की इकाइया है। एच एम टी अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है। भारत मे एच एम टी को 1987–88 मे 31 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इसकी स्थापना मे चेकोस्लोवाकिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया।

4. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा (Instrumentation Ltd , Kota) – कोटा सयत्र 1965 मे स्थापित किया गया था। इसमे 1968–69 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) मे स्थित है। इसे 1987–88 मे 2 63 करोड रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। यह रासायनिक उद्योगो, स्टील उद्योगो तथा थर्मल पावर मे काम आने वाले सयत्र बनाता है। इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि के उत्पाद का निर्यात भी किया जाता है।

5. सांभर साल्ट्स लिमिटेड (Sambhar Salt Ltd) – यह हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। राजस्थान की साभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। यहा का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।

साभर साल्ट्स लिमिटेड 30 सितम्बर, 1964 मे स्थापित हुई। इसे पिछले वर्षो मे शुद्ध घाटा रहा है। 1987–88 मे घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी।

6. मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (Modern Food Industries) – यह 1965 से स्थापित हुई, इसकी 13 ब्रेड इकाइया है इनमे से एक मॉडर्न बेकरीज, जयपुर है। इसे 1987–88 मे 90 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 1990 मे 50 लाख रुपए मे 1991 मे 257 लाख रुपए की हानि हुई।[6]

7. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स व इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (Rajasthan Electronics and Instruments Ltd) – यह कोटा इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। इसमे भारत सरकार की 51 प्रतिशत तथा रीको की 49 प्रतिशत पूजी लगी हुई है। इसे 1987–88 मे 42 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

राजस्थान म केन्द्र सरकार के लगभग सभी उपक्रम लाभ म चल रहे है फिर भी उपक्रमों की संख्या इकाई अंक तक सीमित है जो कि राज्य के लिए दुखद स्थिति है। केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का सीमित भाग केन्द्र का राज्य के प्रति सौतेले व्यवहार का द्योतक है।

राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(Public Enterprises of Rajasthan Government)

राजस्थान म राज्य सरकार के कुल 41 सार्वजनिक उपक्रम हैं। इनम से 7 वैधानिक निगम 16 कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां 14 पंजीकृत सहकारी संस्थान एव 4 विभागीय उपक्रम हैं। सहकारी संस्थान के अन्तर्गत तिलम् संघम 1990–91 म बना था। राज्य सरकार के अनुसार उक्त उपक्रमों म से 9 की नेटवर्थ ऋणात्मक 6 उपक्रमों की 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्रमों की 50 से 100 प्रतिशत के बीच 19 उपक्रमों की 100 प्रतिशत से ऊपर है।[1]

विनियोजन (Appropriation) मार्च 1990 तक राज्य के 40 उपक्रमों म 3 130 29 करोड रुपए का विनियोजन हो चुका था। इस विनियोजन म राज्य सरकार का योगदान 1 445 करोड रुपए था। शेष धनराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक एव अन्य स्रोतों द्वारा विनियोजित की गई है।[2]

वित्तीय कार्यसिद्धि (Financial Efficiency) राज्य सरकार के उपक्रमों ने वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र म निराश ही किया है। अधिकांश उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित है। छठी पंचवर्षीय योजना के पाच वर्षों म कर से पूर्व घाटे की कुल राशि 236 करोड रुपए रही थी। 1987–88 म कर स पूर्व शुद्ध घाटा 102 करोड रुपए हुआ जो सर्वाधिक था कुल घाटा 1989–90 के अन्त म 708 करोड़ रुपए तक पहुच गया।[3] राज्य के कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का स्वास्थ्य नाजुक दौर म पहुच चुका है। इनम से अनेक प्रतिष्ठान असाध्य रोग से ग्रसित है और कुछ दम तोड चुके हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों म घाटा मुख्यतया गलत परियोजनाओं का चयन कच्चे माल का अभाव औद्योगिक विवाद माग की कमी कुप्रबन्ध श्रम बाहुल्य गलत मूल्य नीति अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप परियोजनाओं का पलायन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होना आदि कारणों से होता है। जिन्हे प्रयास के द्वारा कम किया जा सकता है। प्रान्त म सीमित ससाधनों के बावजूद उपक्रमों म भारी विनियोजन को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि इन उपक्रमो के बारे म कुछ ठोस निर्णय लिए जाए अन्यथा धीरे– धीरे राज्य के सभी उपक्रमों का भविष्य अधकारमय होता चला जाएगा।

भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान की स्थिति
(Position of Industrial Development of Rajasthan in India)

राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड़ मे औद्योगिक रुग्णता आधारभूत

सरचना का अभाव, कम पूजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो का अभाव आदि कारणो से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पिछड गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान के अग्राकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है –

1. शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे उद्योगो का अंश (Part of Industry in Net Domestic Product) – राजस्थान का 1997–98 मे साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतो पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमे विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत और गैर–पजीकृत) का अशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पाद मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7 9 प्रतिशत था। भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1997–98 मे 10,49,191 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमे निर्माण क्षेत्र का अशदान 2,59,426 करोड रुपए था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मे निर्माण क्षेत्र का योगदान 1997–98 मे 24 7 प्रतिशत था। जो राजस्थान की तुलना मे लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है *विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।*

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना मे पिछडा हुआ है। चालू मूल्यों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृखला) 1996–97 मे राजस्थान मे 41,872 करोड रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 1,52,129 करोड रुपए, उत्तरप्रदेश मे 1,03,170 करोड रुपए, आन्ध्र प्रदेश मे 72,195 करोड रुपए, पश्चिम बगाल के 70,537 करोड रुपए तथा गुजरात मे 63,501 करोड रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद मे बिहार, आसाम, हरियाणा, केरल, उडीसा से आगे है।

2 उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (Per Capita Value added in Industires) – उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1994–95 मे अखिल भारत स्तर पर उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1,200 रुपए थी जबकि राजस्थान मे यह केवल 750 रुपए ही थी। उद्योग से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान का देश मे दसवा स्थान है। उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि महाराष्ट्र मे 2,820 रुपए, गुजरात मे 2,806 रुपए तथा तमिलनाडु मे 2,021 रुपए थी।

3. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (Per Capita Consumption of Electricity) – राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग तुलनात्मक रूप से कम है जो औद्योगिक पिछडेपन को दर्शाता है। राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामो का अभाव है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य मे विद्युत चोरी की समस्या विकट है। राजस्थान मे मार्च 1995 तक केवल 85 82 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पजाब, तमिलनाडु मे सभी गाव विद्युतीकृत हो चुके है। अखिल भारत स्तर पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1994–95 मे 310 10 किलोवाट था जबकि राजस्थान मे यह केवल 269 53 किलोवाट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का

देश मे दसवा स्थान है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग पजाब मे सर्वाधिक 759 37 किलोवाट है इसके बाद गुजरात मे 608 43 किलोवाट, महाराष्ट्र मे 500 36 किलोवाट तथा हरियाणा मे 466 78 किलोवाट आदि का स्थान आता है।

4 **प्रति व्यक्ति विकास व्यय** (Per Capita Development Expenditure) – प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश मे नवा स्थान है। वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानो मे राजस्थान का प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1,359 88 रुपए था। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय के मामले मे राजस्थान अन्य राज्यो की तुलना मे पीछे है। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1997–98 मे हिमाचल प्रदेश मे 2,564 87 रुपए, वर्ष 1998–99 मे हरियाणा मे 2,431 90 रुपए, पजाब मे 1,964 47 रुपए तथा केरल मे 1,854 67 रुपए था।

5. **अष्टम योजना उद्व्यय** (Eighth Plan Outlay) – अष्टम योजना उद्व्यय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषप्रद मानी जा सकती है। भारत का अष्टम योजना उद्व्यय 1,86,235 करोड रुपए था। राजस्थान मे अष्टम योजना उद्व्यय (1992-97) 11,999 करोड रुपए रहा। अष्टम योजना उद्व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश मे पाचवा स्थान रहा। उत्तरप्रदेश का अष्टम योजना उद्व्यय 21,000 करोड रुपए था जिसका देश मे प्रथम स्थान रहा।

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास मे तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। विगत वर्षो मे राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्तमान मे राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछडेपन से निपटने के लिए औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने होगे। राज्य सरकार को न केवल नए उद्योगो को आकर्षित करना होगा अपितु बद पडे उद्योगो की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर मे राजस्थान स्वदेशी और विदेशी पूजी निवेश को अधिक आकर्षित करने मे सफल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति मे औद्योगीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज उदारीकरण के दौर मे विकास के क्षेत्र मे विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना मे सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमो मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल मे राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना के मामले में उपेक्षित रहा है। राजस्थान मे आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मे उद्योगो की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य मे प्राकृतिक ससाधनो का अभाव नहीं है। यहा विकास की विपुल सभावनाए है। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओ म उद्योग व खनन पर परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौवीं पचवर्षीय योजना 27,650 करोड रुपए की निर्धारित की गई है जिसमे उद्योग व खनिज क्षेत्र पर 2,154 09 कराड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 7 79 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23 63 प्रतिशत तथा यातायात पर 9 73 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है नौवीं योजना म राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और औद्योगिक विकास

गति पकडेगा।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका
(Role of Government in Industrial Development of Rajasthan)

देश मे आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके है। आर्थिक सुधारो के कारण देश में विदेशी पूजी निवेश बढा है। किन्तु राजस्थान नब्बे के दशक मे विदेशी निवेशको को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं हो सका परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगीकरण की दौड मे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यो की तुलना मे पिछड गया। राज्य के पिछडेपन का अन्य प्रमुख कारण केन्द्रीय पूजी निवेश का अभाव है। राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नितात अभाव है। *राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य सरकार ने विगत वर्षो* मे औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रयास किये हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं –

1 **उद्योग परिव्यय मे वृद्धि** (Increase in Industrial Outlay) – वर्तमान म राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष *1999–2000 वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड रुपए निर्धारित किया गया* है जो 1998–99 की सशोधित वार्षिक योजना की तुलना मे 23 15 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर 19 प्रतिशत विद्युत पर तथा 15 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। *आधारभूत सरचना के* विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होगे जिससे औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान मे यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण सभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दृष्चक्र थमता है। रोजगार अवसरो मे वढोतरी से चहुओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

2 **उद्योग विभाग की बढती भूमिका** (Increasing Role of Department of Industry) – राज्य मे औद्योगीकरण के लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी है। वर्तमान मे उद्योग विभाग के अधीन 33 जिला उद्योग केन्द्र एव 8 उप जिला उद्योग केन्द्र *कार्यरत है। वर्ष 1998–99 की राज्य आयोजना मे 57 65 करोड रुपए का* प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओ मे दिसम्बर 1998 तक 47 20 करोड रुपए की राशि व्यय की जा चुकी थी। राजस्थान मे वर्तमान मे सूती व सिथेटिक रेशे की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेट, नमक, काच, टेलीविजन, टायर ट्यूब, वनस्पति तेल की मिले इजीनियरी की औद्योगिक इकाइया कार्यरत है।

3 **औद्योगिक विकास के प्रति समर्पित सस्थान** (Dedicated Enterprises for Industrial Development)

(i) **उद्योग निदेशालय** (Directorate of Industry) – राज्य मे लघु उद्योगों और दस्तकारी इकाइयो के पजीयन, नियत्रण, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता व सुविधा प्रदान करता है।

राज्य है जिसने औद्योगिक सवर्द्धन पार्क को पूर्ण किया है। सीतापुरा की प्रगति को देखकर केन्द्र सरकार राजस्थान मे भिवाडी मे दूसरे निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क हेतु स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

राजस्थान मे औद्योगिक नीति
(Industrial Policy in Rajasthan)

केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान मे रखते हुए ही औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्राय सभी राज्य आत्मसात करते है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एव विदेशी उद्यमियो को आकर्षित करने के लिए प्रलोभनयुक्त घोषणाए करती हैं। राजस्थान मे बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए दिसम्बर 1990, जून 1994 तथा 1998 मे औद्योगिक नीति की घोषणा की।

औद्योगिक नीति, 1990 (Industrial Policy, 1990)

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति मे राज्य की आय मे उद्योगो का योगदान बढाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनो के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा रोजगार सर्जन, क्षेत्रीय असतुलन को समाप्त करना, उद्यमियो को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढावा आदि पर भी विशेष बल दिया गया।

प्राथमिकताए (Priorities) – ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार सर्जन को बढावा देने के लिए खादी एव ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी व चमडा उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लघु पैमाने की इकाइयो यथा अतिलघु उद्योग, लघु उद्योग एव सहायक उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्राथमिकता क्रम मे मध्यम एव बडे उद्योगो को आखिरी मे स्थान दिया गया।

नीति मे इलेक्ट्रोनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, साधन आधारित, कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

33 के वी से 220 के वी पर बिजली लेने वाले को 1 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जाएगी। 1990–95 की अवधि मे पावर कनेक्शन प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयो के लिए 3,000 के वी तक के भार पर 31 मार्च, 1995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी।

पूजी विनियोजन सब्सिडी (Capital Investment Subsidy)

सभी नए मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो की स्थिर पूजी विनियोज पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए), निम्न श्रेणी के उद्योगो को 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) की दर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी।

यह सुविधा लघु एव सहायक उद्योगो, साधन–आधारित उद्योगो, प्रवासी भारतीयो द्वारा स्थापित उद्योगो तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयो को

उपलब्ध होगी। 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रुपए) श्रम गहन उद्योगो को दी जाएगी।

विनियोग सब्सिडी जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाडा शहरो की म्युनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओं मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व कोटा शहरो की शहरी संकुचन सीमाओ में नहीं की जाएगी। रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाइयो को भी सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रोनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन जैसे उद्योगों को सम्पूर्ण राज्य मे पूजी विनियोग सब्सिडी उपलब्ध की जाएगी।

बिक्री करों में रियायते (Rebates in Sales Taxes)

1987 व 1989 की बिक्री कर प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम 31 मार्च 1995 तक नए उद्योगो पर्याप्त विस्तार व विविधीकरण करने वाली इकाइयो पर लागू होगी।

जो औद्योगिक इकाइया स्थिर पूजी विनियोग के सौ फीसदी पर अधिक विस्तार और वर्तमान उत्पादन लाइसेंस क्षमता का सौ फीसदी या अधिक बढाने जा रही है उन्हे 75 प्रतिशत तक कर से मुक्ति का आस्थगन लाभ मिलेगा।

नई पायोनियरिंग इकाइया जिनमे विनियोग सीमा 10 करोड रुपए तक है तथा प्रतिष्ठामूलक इकाइया जिनमे विनियोग सीमा 25 करोड रुपए है ये कही भी स्थापित हो उन्हे बिक्री कर रियायत 9 वर्ष तक मिलेगी। अतिप्रतिष्ठा मूलक उद्योग जिनमे स्थिर पूजी विनियोग 100 करोड रुपए या अधिक है कर दायित्व के 90 प्रतिशत तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया है। प्रतिष्ठा मूलक उद्योग कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत तक ब्राच–ट्रान्सफर के माध्यम से अन्य राज्यो मे हस्तान्तरित कर सकेंगे।

ऐसी इकाइया जिन्हे बिक्रीकर की अन्य किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए बिक्री कर की एवज मे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की स्कीम लागू की जाएगी।

चुगी से छूट (Rebate in Octroi)

उत्पादन के शुरुआती पाच वर्षों मे नए उद्योगो को आठवीं पचवर्षीय योजना मे कच्चे माल पर चुगी पर छूट मिलेगी। उन्हे आयातित मशीनरी विस्तार के लिए आयोजित मशीन पर चुगी नहीं देनी होगी। कृषि आधारित लघु उद्योगो को सीधे किसान से जरूरत का सामान खरीदने पर मडी कर से मुक्त रखा जाएगा।

विपणन (Marketing)

सरकारी विभागो द्वारा लघु उद्योगों से 130 वस्तुओं के खरीदने की व्यवस्था थी अब 34 और वस्तुए जोड दी जाएगी। राज्य के मानव स्तर के लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत का एव अन्य उद्योगो को 10 प्रतिशत का कीमत अधिमान दिया जाएगा।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगो के उत्पादन की नुमाइश तथा बिक्री के लिए व्यापार केन्द्र तथा औद्योगिक म्युजियम की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमकर्त्ताओं के लिए विशेष सहायता (Special Aid to Industrialists belong SC and ST)

रीको के औद्योगिक क्षेत्र में एस सी/एस टी के उद्यमियो द्वारा क्रय की जाने वाली 4 हजार वर्ग मीटर तक के भूखण्डों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक रिबेट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज मे 2 प्रतिशत रिबेट देता है। शिक्षित बेरोजगारी की स्वरोजगार योजना (सीयू) के तहत 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। राजस्थान राज्य विद्युत मडल विद्युत कनेक्शन मे प्राथमिकता देता है। जन जाति उपयोजना मे स्थापित उद्योगो को आर एफ सी ब्याज पर 1 प्रतिशत रिबेट देगा। रीको भी इतनी ही रिबेट देगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उद्योगो मे रीको शेयर पूजी मे 10 प्रतिशत हिस्सा लेता है। एस सी/एस टी के उद्यमियो द्वारा स्थापित उद्योग मे शेयर पूजी प्रदान करने के लिए एक पृथक 'शेयर पूजी कोष' स्थापित किया जाएगा।

औद्योगिक रुग्णता से संबंधित नीति (Policy related to Sick Units)

उद्योगो की रुग्णता का प्रमाण-पत्र जिला स्तर पर जारी किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। रुग्ण इकाइयो को 2 वर्ष के लिए पावर की कटौती से मुक्त रखा जाएगा। इन इकाइयों का सर्वेक्षण कर उनकी रुग्णता की जाच कर पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाएगी।

औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के विचाराधीन रुग्ण इकाइयो को निम्न रियायते दी जाएगी –

1 रुग्ण इकाइयो को बिक्री प्रेरणा तथा आस्थागन के लाभ मिलते रहेगे।
2 सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयो की भूमि को वित्तीय सस्थाओ के पास गिरवी रखने की इजाजत।
3 विद्युत शुल्क, बिक्रीकर व क्रय कर का पुनर्निर्धारण।
4 पुनर्वास की अवधि मे पाच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुर्माने व दड स्वरूप ब्याज को छोडना।
5 राज्य सरकार की अनुमति से रुग्ण इकाइयो की अतिरिक्त भूमि बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप मे किया जा सकता है।
6 आर एफ सी की एक मुक्त सहायता के अन्तर्गत स्थिर पूजी की 5 लाख रुपए की सहायता के साथ 2 5 लाख रुपए की कार्यशील पूजी भी दी जाएगी।

समीक्षा (Criticism)

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति व्यापक एव व्यावहारिक है। पूजी विनियोग, सब्सिडी एव बिक्री करों मे रियायतो के कारण देशी विदेशी उद्यमी राज्य मे अधिकाधिक विनियोग हेतु आकर्षित हुए है।

ग्रामोद्योगो को प्राथमिकता के साथ क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की पुरजोर कोशिश की गई है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयो को पुनर्वास करने के प्रयास से इन उद्योगो की समस्याओ का निदान हो सकेगा। सरकार इस नीति मे राज्य के समग्र एव तीव्र औद्योगीकरण के प्रति दृढ–प्रतिज्ञ लगती है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 : औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

(Rajasthan Industrial Policy, 1994 A Pleasant Hypothesis)

राजस्थान मे औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने वास्ते तत्कालीन मुख्यमत्री श्री भेरोसिह शेखावत द्वारा 15 जून 1994 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। श्री शेखावत ने औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, "मेरा दृढ विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति 1994 औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास मे 'मील का पत्थर' सिद्ध होगी।"

औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताएँ (Main Characteristics of Industrial Policy, 1994)

1 अद्य सरचनात्मक सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान।
2 निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनेक मामलो मे प्रोत्साहन।
3 आदान और सुविधाओ की समयबद्ध सूची।
4 प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फेक्ट्रीज एक्ट, भूमि रूपान्तरण तथा अनेक प्रक्रियाओ का सरलीकरण।
5 गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन।
6 बिक्री कर रियायतो मे वृद्धि।
7 क्रय कर मे कमी।
8 विशिष्ट उद्योगो के विकास हेतु विशेष प्रावधान।
9 अधिकाश राजकीय आदेश नीति के साथ ही जारी।

औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना (Pleasant Hypothesis of Industrial Development)

नई औद्योगिक नीति में राजस्थान के ओद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना के लिए जिन बातो को सम्मिलित किया गया है, वे हैं –

1 **निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण (Invitation for Investment for Private Sector)** —राज्य मे आधारभूत सरचना की स्थिति को मजबूत करने वास्ते विद्युत उत्पादन सयत्र, सडक निमाण, पर्यटन, अनुसधान व विकास, प्रबन्ध विकास

संस्थान की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रो का विकास, दूर सचार सेवा तथा औद्योगिक सभावना, सर्वेक्षणो के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रित किया जाएगा।

2 **निर्यात सवर्द्धन** (Export Promotion) – केन्द्र सरकार की सहायता से "निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क" की स्थापना की जाएगी। निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क और निर्यात जोन मे स्थापित होने वाली शत–प्रतिशत निर्यातक एव अन्य इकाइयो को पावर कनेक्शन मे प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हे यथासभव 'पावरकट' से मुक्त रखा जाएगा। निर्यात पुरस्कारो की घोषणा तथा शत–प्रतिशत निर्यातक इकाइयो को अनुदान में वृद्धि की जाएगी।

3 **पूजी विनियोग अनुदान** (Capital Investment Grant) – विद्यमान योजना मे साफ्टवेयर विकास, विशिष्ट क्षेत्रो मे दुग्ध उत्पाद, विशिष्ट विनियोजन स्तर की साफ्ट ड्रिक्स इकाइयो, औद्योगिक एल्कोहल विद्युत गहन इकाइयो एव बीयर सम्मिलित किया जाएगा। फलोरीक्लचर, टिशूकल्चर व कोल्ड स्टोरेज को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान योजना कुछ सशोधनो के साथ 1997 तक बढायी गई।

4 **महिला उद्यमियों के सम्बल** (Support for Female Industrialists) – दो हजार वर्ग मीटर भूखड पर महिला उद्यमियो को 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाती है। युद्ध मे शहीद सैनिको की विधवाए 15 प्रतिशत छूट के लिए पात्र है। इसके अलावा महिला उद्यम निधि योजना राजस्थान वित्त निगम मे लागू है। महिला उद्यमियो सबधी घरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएगा।

5 **विक्री कर प्रोत्साहन** (Sale Tax Incentive) – महिला उद्यमियो द्वारा स्थापित लघुतर औद्योगिक इकाइयो को तीन वर्ष की अवधि के लिए शत–प्रतिशत बिक्री कर मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। दस करोड रुपए से अधिक पूजी विनियोजन वाली साफ्ट ड्रिक्स तैयार करने वाली इकाइया बिक्री कर प्रात्साहन की पात्र होगी। बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा। आस्थगन योजना के तहत उद्योगो द्वारा एकत्रित कर रखी गई बिक्री कर की राशि लाभ प्रारम्भ होने की तिथि से चार वर्ष मे ही चुकाने योग्य होगी। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने वास्ते रोजगारोन्मुख इकाइयो को स्थाई पूजी विनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। सिरेमिक व ग्लास इलेक्ट्रोनिक्स तथा चर्म उद्योगो को बिक्री कर मे अधिक छूट होगी। नई सीमेट इकाइयो का आस्थगन याजना मे लाभ प्राप्त होगा।

6 **क्रय कर** (Purchase Tax) – क्रय कर की कुछ वस्तुओ पर कम कर दिया गया है। इसबगोल पर यह कर 2 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। चर्म उद्याग के कच्चे माल पर क्रय कर 3 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। शत– प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को क्रय कर मे छूट ऊन पर क्रय मे कमी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के लिए क्रय कर मे विशेष रियायत होगी।

7. **विशेष उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उपाय** (Efforts for Encouragement in Special Industries) – राज्य मे उपलब्ध कच्चे माले पर आधारित

उद्योगा यथा चर्म उद्योग सिरेमिक एव काच उद्योग ऊन उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग खनिज उद्योग कृषि एव खाद्य प्रसस्करण उद्योग एव पर्यटन उद्योगो की स्थापना एव विकास के लिए विशेष प्रावधान एव सुविधाए दी जाएगी।

8 ग्रामीण उद्योग (Village Industries) – कुशल श्रमिको की क्षमता बढाने के विशेष प्रयास किए जायेगे। पचायत समितियो द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रो को विकसित करने की योजना बनायी जाएगी।

9 निरीक्षणो मे कमी तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Observation and Searcity in Inspection) – औद्योगिक इकाइयो के निरीक्षणो की सख्या कम की जाएगी। श्रम कानूनो के तहत एकीकृत निरीक्षण किया जाएगा। लघु एव लघुत्तर इकाइया जिनमे 20 से कम श्रमिक नियोजित है का पाच प्रतिशत एव अन्य का 10 प्रतिशत आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयो का निरीक्षण करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। लघु औद्योगिक इकाइयो के लिए एक नोटिस एव एक रिटर्न की व्यवस्था होगी। कारखाना अधिनियम की परिधि से पाच हजार इकाइयो को मुक्ति दी जाएगी। प्रदूषण निवारण मडल से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया मे सरलीकरण किया जाएगा।

10 औद्योगिक रुग्णता समाधान (Solution of Industrial Sickness) – सरकार और उसके निकायो द्वारा औद्योगिक रुग्णता के निवारण के लिए किए जा रहे प्रयास और सुदृढ किए जायेंगे। रुग्ण लघु इकाइयों और दूसरी गैर बी आई एफ आर इकाइया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार चिन्हित की जाएगी। पुनर्जीवित की जाने वाली इकाइयो के लिए राहत एव रियायतो का एक अलग पुज जारी किया जाएगा। बी आई एफ आर प्रकरणो मे घोषित सुविधाओ पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन होगी। इसी प्रकार रुग्ण लघु उद्योगा और गैर बी आई एफ आर इकाइयो के लिए भी समितिया गठित की जाएगी।

12 चुगी (Octroi) – औद्योगिक नीति की घोषणा करते समय चुगी समाप्ति की बात कही गई थी गौरतलब है राजस्थान मे चुगी को समाप्त किया जा चुका है।

13 अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियो को सहायता (Aid to Active SC and ST Industrialists) – रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे भू–खण्डो के आवटन पर दर से छूट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त 5 लाख रुपए तक के सावधि ऋणो के प्रत्येक मामले में दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट दी जाती है। जनजाति उपयाजना क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को ब्याज पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था होगी। एस टी एव एस सी के उद्यमियो को विद्युत मण्डल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पावर कनेक्शन दिये जाते है। प्रधानमत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत भी 22 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

14 समस्याओ के निराकरण की व्यवस्था (Arrangement to Solve the Problems) – औद्योगिक समस्याओ के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर

की अध्यक्षता मे तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। भूमि स्थानांतरण के बार मे 5 से 20 हेक्टयर तक जिला कलेक्टर को तथा 30 हैक्टेयर तक संभागीय आयुक्त को अधिकार दिया गया।

15 **नीति का क्रियान्वयन** (Implementation of Policy) – राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकाश सुविधाओ के सबंध मे आदेश नीति की घोषणा के साथ ही जारी कर दिये गए।

दृष्टिकोण (Attitude) – राजस्थान की 1994 की औद्योगिक नीति को बदले राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। इसकी घोषणा के समय भारत की जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान मे रखा गया। नई औद्योगिक नीति की महत्त्वपूर्ण बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमत्रण, निर्यात सवर्द्धन तथा औद्योगिक रुग्णता के समाधान है। नई नीति मे घोषित अधिकाश सुविधाओं के सबध मे साथ ही जारी किए गए आदेश उल्लेखनीय बात है। ओद्योगिक नीति से राजस्थान मे औद्योगक विकास का वातावरण बना हे।

औद्योगिक नीति, 1998
(Industrial Policy, 1998)

राजस्थान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति–1998 घोषित की है। औद्योगिक नीति मे मुख्य रूप से आधारभूत सुविधाओ को उच्च प्राथमिकता, भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, निजी क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेन्टर एव वुडनवेयर सर्विस सेन्टर की स्थापना, विश्वव्यापी फलक पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का सृजन, विपणन सहायता, मानव ससाधन विकास, प्रदूषण मडल के आपत्ति पत्र जारी करने की शक्तियो का क्षेत्रीय कार्यालयो व जिला उद्योग केन्द्रो को हस्तान्तरण, 11 थ्रस्ट क्षेत्रो यथा गारमेन्टस एव बुने–बुनाए वस्त्र, रत्न एव आभूषण, वाहन एव उनके पुर्जे, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स एव दूर सचार, सोफ्टवेयर, फुटवीयर एव अन्य चर्म वस्तुओ आदि का चिन्हीकरण करना सम्मिलित है। अन्य प्रावधानों म डी जी सेट क्रय करने पर अधिकतम 2 5 लाख रुपए तक का अनुदान, भूमि एव भवन कर तथा स्टाम्प डयूटी में रियायते आदि का प्रावधान सम्मिलित है।[11]

राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाए
(Constraints in Industrial Development of Rajasthan)

राजस्थान आर्थिक नियोजन के पाच दशक पूरे कर चुका हे, फिर भी औद्योगिक विकास की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाई है। राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र का अश (स्थिर मूल्यो पर) 1978–88 मे 12 9 प्रतिशत तथा 1995–96 मे 23 09 प्रतिशत था जो 1998–99 मे 11 02 प्रतिशत रहा। खनन व विद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय मे योगदान 1998–99 मे 19 46 प्रतिशत रहा, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछडेपन का द्योतक है।[12]

आज भी राजस्थान की आय मे कृषि क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है। जबकि राज्य खनिजो का अजायबघर हे, कुछ खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान मे ही होता है। औद्योगिक विकास हेतु वाछित प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध है। विविध उद्योगो के विकास की प्रबल सभावनाओ के बीच औद्योगिक विकास के मार्ग के अग्राकित बाधाए मुख्य है –

1. राज्य के गठन मे विलम्ब (Late Organisation of State) – राजस्थान का वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर, 1956 को पूरा हुआ। प्रथम पचवर्षीय योजना के समय राजस्थान एकीकरण की समस्याओ से उलझा रहा। इस कारण राजस्थान सपूर्ण भारत क औद्योगिक विकास की तुलना मे पाच वर्ष पीछे हो गया।

2. विषम भौगोलिक स्थिति (Adverse Geographical Situation) – राजस्थान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधा भौगोलिक है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेत के धोरो से पटा हुआ है जो सपूर्ण भू–भाग का 61 11 प्रतिशत है। जैसलमेर, बाडेमर, जोधपुर, बीकानेर, गगानगर, चूरु, नागौर आदि जिले रेतीले है। दूर–दूर तक मानव ता क्या परिंदे भी नजर नहीं आत हैं। वनस्पति के नाम पर कांटेदार झाडिया है। जनसख्या के दूर–दूर तक फेले होने के कारण बुनियादी सेवाओ जैसे विद्युत, जल, सडक, सचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के पहुचाने मे कठिनाई आती है एव प्रति व्यक्ति लागत भी बहुत ऊची होती है।

3 कृषि की मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon for Agriculture) कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। राज्य मे कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम मे अन्य गडबड हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभाविन होता है। उद्योगो के लिए कृषिगत कच्चे माल की आपूर्ति अनियमित व अनिश्चित हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सदैव 'अकाल का साया' मडराता रहता है। अकाल राजस्थान का दूसरा नाम है। यहा अकाल अपने डैने फैलाए पसरा रहता है। राजस्थान को प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप मे अकाल का सामना करना पडता रहता है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात विगत वर्षो मे 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77 व 1990–91 मात्र 5 वर्षो को छोडकर लगातार ही अकाल की स्थिति रही है। वर्ष 1991–92 मे मानसून न केवल देर से आया, बल्कि आने के बाद भी वर्षा कम हुई और जल्दी ही चला गया। परिणामत राज्य के तीस जिलो मे से 19 जिले अकाल की चपेट मे आए। वर्ष 1992–93 मे तिलहन के रिकार्ड उत्पादन और खाद्यान्न के औसत उत्पादन के बावजूद अकाल की स्थिति थी। अकाल के कारण 1,154 78 करोड रुपए की फसले खराब हो गई।[1] वर्ष 1997-98 मे 20 जिलो के 20,069 गाबो की 215 लाख जनसख्या प्रभावित हुई।

4 मरुस्थल का विस्तार (Extension of Desert) – राजस्थान मे मरुस्थल हर साल लगभग पौन किलोमीटर पूरब की तरफ बढ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों की

राय मे अगर हालात पर काबू पाने के लिए जल्दी ही ठोस तथा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए गए तो अगले लगभग नौ वर्षो मे हम राज्य के सम्पूर्ण वन क्षेत्रा से हाथ धो बैठेगे। वैज्ञानिको का मानना है कि राजस्थान का मरुस्थल एक जीवन्त मरुस्थल है जहा मनुष्य एव पशुओ की सख्या मे निरन्तर वृद्धि के कारण पर्यावरण सन्तुलन बिगडने की स्थिति बन गई। उपग्रह से लिए चित्रो का निष्कर्ष है कि अरावली पर्वत श्रृखला मे नौ दर्रे ऐसे है जहा से रेगिस्तान का प्रसार होता है। वनो के नष्ट होने के कारण अरावली वृक्ष विहीन हो गई और वह इतनी मजबूत नहीं रही कि रेगिस्तान को बढने से रोक सके।[14]

5. **सौतेला व्यवहार** (Step-Behaviour) – राजस्थान के साथ विकास के अधिकाश क्षेत्रो मे सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा ससाधनो का आवटन हो या औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की बात हो। राज्य मे नई रेलगाडियो को शुरु करने या नई लाइनो का काम शुरु करने के मामले मे राजस्थान की उपेक्षा की गई। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगो का लगभग 2 प्रतिशत अश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प है। आर्थिक विकास पर दृष्टि डाले तो प्रकृति तो सदियो से रुठी चली आ रही है लेकिन आजादी के बाद केन्द्र सरकार ने भी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। केन्द्रीय मत्रिमडलों मे राजस्थान के राजनीतिज्ञो को बहुत कम स्थान मिला है। केन्द्र मे नेहरु से लेकर नरसिहराव तक के मत्रिमडलो मे 45 साल मे सिर्फ पाच राजस्थानियो को ही केबिनेट का दर्जा बख्शा गया।[15] इस कारण से केन्द्रीय विनियोगो का अधिक भाग राज्य की ओर आकर्षित नहीं हो सका।

6. **मुद्रास्फीति** (Money Inflation) – केन्द्र व राज्य सरकार के आकडो के अनुसार वर्ष 1991–92 मे देश भर मे महगाई वृद्धि 13 1 प्रतिशत रही, वहा राजस्थान के सबसे अधिक महगाई 24 17 प्रतिशत रही, जो किसी भी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। राजस्थान मे 1952–53 को आधार मानते हुए सामान्य थोक भाव सूचकाक वृद्धि दर 1996 मे 8 12 प्रतिशत, 1997 मे 6 98 प्रतिशत तथा 1998 मे 4 86 प्रतिशत थी जो भारत की थोक मूल्य सूचकाक वृद्धि दर से अधिक है।[16] भारत मे थोक मूल्य सूचकाक वृद्धि दर 1981–82 को आधार मानते हुए 1996–97 मे 6 9 प्रतिशत, 1997–98 मे 5 3 प्रतिशत तथा जनवरी 1999 को 4 6 प्रतिशत थी।[17] राजस्थान में थोक भावो मे अधिक वृद्धि से औद्योगिक उत्पादो की लागत बढी।

7. **अपर्याप्त आर्थिक सहायता** (Incomplete Aid) – राजस्थान को गाडगिल फार्मूले के अनुसार केन्द्र से यहा की भौगोलिक, आर्थिक रूप से पिछडेपन के आधार पर अधिक सहायता और वार्षिक योजना का आकार भी बढना चाहिए, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य की वार्षिक योजना का आकार यहा से अधिक होता है।

8 **आधारभूत संरचना का अभाव** (Scarcity of Infrastructure) – राजस्थान

के सभी पडोसी राज्यो मे वर्षो पूर्व बडी रेल लाइनो का जाल बिछा दिया गया लेकिन पूरा राजस्थान तो दूर इसकी राजधानी जयपुर भी बडी रेल लाइन के लिए 1992 क आखिरी दिन तक तरसती रही। ध्यातव्य है कि दुर्गापुरा सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर 0 जनवरी 1993 को प्रात बडी लाइन पर सवारी गाडी के आवागमन की शुरुआत से इस क्षत्र के लोगो का सौ वर्ष पुराना सपना पूरा हो गया। जयपुर–सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर रियासत के समय छोटी लाइन डाली गई थी और आजादी के बाद स ही इस मार्ग का बडी लाइन (ब्राड गेज) मे परिवर्तित करने की माग चल रही थी। यही हालात जयपुर म अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर है।

9 निर्णयो मे विलम्ब (Delay in Decisions) – राजस्थान नहर 1965 तक 9 कराड रुपए म पूरी की जानी चाहिए थी समय पर केन्द्रीय मदद के अभाव मे यह अब तक पूरी नहीं हुई और इसकी निर्माण लागत उत्तरोत्तर बढती गयी। राजस्थान खनिज सपदा की दृष्टि से सपन्न प्रात है किन्तु यह खनिज आधारित उद्योगो की स्थापना के लिए तरस रहा है। राजस्थान मे 30 मार्च 1992 को एक हजार मगावाट विद्युत की कमी थी लेकिन बीकानेर लिग्नाइट धोलपुर तापीय–परियोजना सूरतगढ पनबिजली परियोजनाए अधरझूल मे रही। प्रदेश मे प्राकृतिक गैस एव तेल की खोज के कार्य मे भी केन्द्र सरकार का रुख उदासीन रहा है। नही ता क्या कारण है कि थार के मरुस्थल से ही पाकिस्तान तेल निकाल रहा है और भारत मे अभी तेल व गैस की खोज का कार्य वह भी अनमने ढग से हो रहा है।

10 पर्यटन की उपेक्षा (Negligence of Tourism) – पर्यटन के क्षेत्र मे राजस्थान समृद्ध है। किन्तु यहा के ऐतिहासिक स्मारको किलो का रख–रखाव तो दूर इनकी सफाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी आर पर्यटन उद्योग के बूते पर हरियाणा जेसा छोटा राज्य समृद्ध हो रहा है। राजस्थान सहित दिल्ली उत्तरी गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोसम वर्षा पर्यावरण सतुलन का नियत्रित रखने वाली अरावली पर्वत श्रृखला म वनो का विनाश हो चुका है इससे राजस्थान सहित पडौसी राज्य के सरसब्ज इलाको म पिछले एक दशक से अकाल का साया मडरा रहा है।[१]

11 पेयजल का अभाव (Scarcity of Drinking Water) – राज्य मे सतही जल व भूतल जल की मात्रा समस्त भारत की एक प्रतिशत है जो बहुत कम है। भूमि क नीचे जल कई स्थानो पर लवणीय है तथा अन्य स्थानो पर सूखे के कारण जल स्तर गिरता गया है।

12 विद्युत की कमी (Defficiency in Electricity) – राज्य मे स्वय के विद्युत उत्पादन के स्रोतो का विकास होना बाकी है। जनवरी 1991 मे राजस्थान मे शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 2 720 62 मगावाट थी जिसमे लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनो से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वय के साधनो से प्राप्त होती है। वर्ष 1998–99 के प्रारम्भ मे राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3097 365

मेगावाट थी। वर्ष 1998-99 मे अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य 254 335 मेगावाट रखा गया और 694 10 मेगावाट उत्पादन क्षमता केन्द्र द्वारा अस्थायी रूप से उपलब्ध करवायी जाएगी।[10] विद्युत की आपूर्ति मे भारी उतार-चढाव आने से औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुचती है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 1987-88 मे 152 यूनिट तथा 1997-98 मे 289 यूनिट रहा जो पजाब की तुलना म बहुत कम था। मार्च 1989 म राजस्थान मे कुल ग्रामा में विद्युतीकृत गावो का अनुपात 70 प्रतिशत पाया गया, जबकि अखिल भारत के लिए यह 78 प्रतिशत रहा। वर्ष 1998-99 तक राजस्थान के 39,810 गावो मे से 35,215 गाव विद्युतीकृत थे। जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पजाब, तमिलनाडु के 100 प्रतिशत गाव विद्युतीकृत हो चुके है।

13. सडको का अभाव (Lack of Roads) – वर्ष 1987-88 मे राजस्थान मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सडको की लम्बाई 15 64 किलोमीटर रही, जबकि अखिल भारतीय औसत 1984-85 के लिए 53 92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य मे सडको की लम्बाई भारत की तुलना मे काफी कम है। राजस्थान मे सडको की लम्बाई मे अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। विगत वर्षों मे थोडी बहुत सडके बनी है किन्तु सडको की स्थिति ऐसी नहीं है कि वाहनों को तीव्र गति से चलाया जा सके। ग्रामीण सडकें तो बहुत खराब स्थिति मे है। समय पर मरम्मत के अभाव मे सडको की दशा लगातार बिगडी है। राजस्थान मे सडको की कुल लम्बाई 1998-99 में 84,958 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई तो राज्य मे केवल 2,964 किलोमीटर ही है। राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई मे लगभग ठहराव की स्थिति है। राज्य मे 1998-99 के प्रारम्भ मे सडको की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42 7 किलोमीटर है जबकि देश की औसत सडको की लम्बाई 73 किलोमीटर है। रेल विकास के क्षेत्र मे स्थिति ओर भी दयनीय है। मार्च 1987 मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग की लम्बाई 16 41 किलोमीटर रही जो कि गुजरात, उत्तरप्रदेश व पजाब से काफी कम है। इस प्रकार रेल मार्ग की लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछडा हुआ है।

14. शैक्षिक पिछडापन (Educational Backwardness) – राज्य मे साक्षरता का अनुपात काफी नीचे हे। 1991 मे यह सभी व्यक्तियो के लिए 38 8 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषो के लिए 55 1 प्रतिशत व महिलाओ के लिए 20 8 प्रतिशत रहा है। राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछडी हुई है, इसमे ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता का प्रतिशत और भी नीचे पाया जाता है। जनवरी, 1987 में राजस्थान मे प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर अस्पतालो की सख्या केवल 4 रही, जबकि गुजरात मे दर 25 व समस्त भारत मे 10 पाई गई। दिसम्बर, 1998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 64 है जो कि हिमाचल प्रदेश व पजाब से काफी कम हे।

15. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) – राजस्थान मे औद्योगिक

रुग्णता के कारण भी औद्योगिक विकास मे बाधा पडी है। लघु एव मध्यम उद्योगो के बद होने का मुख्य कारण कार्यशील पूजी का अभाव है। बैक उद्योगो को आवश्यकतानुसार पूजी समय पर व पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही कराते है। विभिन्न वित्तीय सस्थाओ जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैक राजस्थान वित्त निगम रीको व्यापारिक बैंको आदि मे परस्पर सहयोग का अभाव है। इससे उद्यमकर्त्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने मे कठिनाई होती है। राज्य मे औद्योगिक सस्कृति व औद्योगिक वातावरण का नितात अभाव है। छोटे-छोटे कामो को करवाने के लिए उद्यमकर्ताओं को विभिन्न कार्यालयो के चक्कर लगाने पडते हैं एव बार-बार अनेक इस्पेक्टर अकारण तग करते रहते है। इसके अलावा राज्य मे उद्यमियो को आकर्षित करने के लिए सुविधाओ व प्रेरणाओ का अभाव है सवाई माधोपुर स्थित देश का प्रमुख सीमेंट उद्योग 'जयपुर उद्योग लिमिटेड 1985-86 से बद पडा है। आज उसका कोई धणी-धोरी नहीं।

औद्योगिक विकास हेतु सुझाव
(Suggestion for Industrial Development)

राज्य के औद्योगिक विकास मे बाधक तत्त्वो को दूर कर भविष्य मे औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। औद्योगिक विकास मे निम्नलिखित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते है —

1 *आधारभूत सरचना का विकास (Development of Infrastructure)* — औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने के लिए सुदृढ अद्य सरचना का होना आवश्यक है। सुदृढ अद्य सरचना से उद्यमी औद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते है। राजस्थान मे केवल भरतपुर सवाई माधोपुर व कोटा ही (30 जनवरी 1993 से जयपुर भी) ब्रोड गेज लाइन पर स्थित है। राज्य के औद्योगिक पिछडेपन पर प्रहार व विभिन्न जिलो मे औद्योगिक सभाव्यता का लाभ उठाने के लिए रेल व सडक परिवहन का जाल बिछाया जाना चाहिए। इदिरा गाधी नहर क्षेत्र मे नई रेल लाइनो से औद्योगिक विकास का आधार-ढाचा सुदृढ हो सकता है। सडको की असतोषजनक स्थिति अभाव व रख-रखाव की दृष्टि से व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।

2 मानव ससाधन विकास (Human Resource Development) — राज्य सरकार निरक्षरता के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है इस हेतु विभिन्न जिलो मे 'सपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर ने इस क्षेत्र मे आदर्श जिले का स्वरूप हासिल किया है। सरकार को इसके अलावा औद्योगिक तकनीकी ज्ञान के विकास पर भी बल देना चाहिए। बडे उद्यमी भी तकनीकी विकास म अहम भूमिका निभा सकते हैं।

3 विद्युत आपूर्ति के प्रयास (Efforts for Electricity Supply) — औद्योगीकरण मे विद्युत-आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य मे विद्युत की माग व पूर्ति म भारी अतराल है। राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिए आतरिक साधनो का पर्याप्त विकास नहीं कर पाया है नतीजतन विद्युत की आपूर्ति के लिए यह अन्य

राज्यो की ओर मुखातिब है। विद्युत के क्षेत्र मे अनिश्चितता व अनियमितता की समस्या मुहबाए खडी रहती है। विद्युत की अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाए केन्द्र के पास विचाराधीन है। राज्य मे विद्युत की महत्ती आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिए।

4. विकास का वातावरण (Environment of Development) – औद्योगिक विकास के लिए शाति, पारस्परिक सौहार्द आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त हैं यदि किसी क्षेत्र मे औद्योगिक आवश्यकतानुरूप सभी ससाधन उपलब्ध हैं मगर अमन चैन नहीं है तो ससाधनो का सर्वाधिक उपयोग सभव नहीं है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र के बिगडने से औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। औद्योगिक विकास मे आवश्यक अमन–चैन को प्राथमिकता देते हुए हमे ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्रान्त मे साम्प्रदायिक सौहार्द्र बना रहे और औद्योगिक विकास मे अडचने नहीं आए।

5. औद्योगिक संस्कृति का विकास (Development of Industrial Culture) – राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक सस्कृति व औद्योगिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। उद्यमियो को अपनी औद्योगिक जरुरतो को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागो के बार–बार चक्कर नहीं लगाने पडे, इसके लिए 'एक खिडकी सेवा' को बढावा दिया जाना चाहिए। रीको, आर एफ सी, डी आई सी, बिजली, बैंक आदि सुविधाओ को एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना चाहिए। इन सब चीजो के आसानी से उपलब्ध होने पर एक ओर घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन व बढावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों व देश से बाहर के उद्योगपति व पूजीपति राजस्थान की ओर दौडेगे तथा राज्य का औद्योगिक विकास सभव हो सकेगा।

6. औद्योगिक रियायते (Industrial Facilities) – उद्यमकर्त्ताओ की समस्याओ पर विचार करने के लिए 'खुले मच' आयोजित किए जाए। विभागीय अधिकारियो का व्यवहार उद्यमियो के हितार्थ होना चाहिए। औद्योगिक विकास हेतु सरकारी सुविधाओं की जानकारी अधिक से अधिक उद्यमियो तक पहुचाई जाए। उद्यमियों को रियायते देते समय अन्य राज्यो विशेषकर पडौसी राज्यो द्वारा दी जा रही रियायतो की भी जानकारी रखनी चाहिए। तुलनात्मक रूप से कम सुविधाओ के कारण उद्यमी अन्य राज्यो की ओर पलायन कर सकते हैं। एक उपयुक्त औद्योगिक वातावरण के लिए प्रावैगिक व लचीली औद्योगिक नीति हो जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन व समायोजन किए जा सकें।

7. कारगर योजनाएं (Dutiful Plans) – राजस्थान की स्वय की भौगोलिक एव वातावरण सबधी समस्याए है, इन पर निदान पाने हेतु योजनाए क्षेत्रीयता और ससाधनो को ध्यान मे रखकर तैयार करनी होगी। क्षेत्रीय योजनाए पश्चिम के लिए थार मरुस्थल को ध्यान मे रखकर, पूर्व के लिए अधिक समृद्धि को ध्यान मे रखकर, दक्षिण के लिए आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखकर और उत्तर के लिए नहर और नदियो के जाल को ध्यान मे रखकर तैयार की जानी चाहिए। योजनाओ को इस

तरह निर्मित किए जाने से उद्योगो के लिए स्थानीयकरण के सिद्धात को प्रभावी रूप से अमल मे लाया जा सकता है।

8 **खनिज आधारित उद्योगों पर बल** (Stress over Mineral Dependent Industries) – राज्य मे अकाल का साया मडराता रहता है कृषि उत्पाद मे भारी उच्चावचन है अत *कृषि आधारित उद्योगो की तुलना मे खनिज आधारित उद्योगो के* विकास पर बल देना अधिक विवेकपूर्ण होगा इससे खनिजो के अजायबघर मे व्याप्त सूनापन दूर हो सकेगा खनिज आधारित उद्योगो का विकास कर राजस्थान देश के औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध राज्यो के समक्ष खडा हो सकेगा।

हाल के वर्षो मे तिलहन उत्पादन मे हुई भारी वृद्धि ने राज्य मे स्वर्ण–क्राति ला दी है इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की स्थापना हेतु देश–विदेश के उद्यमियो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राजस्थान मे औद्योगिक विकास की सभावनाए
(Future Potentialities of Industrial Development in Rajasthan)

राजस्थान के प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहा भावी औद्योगिक विकास की काफी सभावनाए है। जयपुर के बडी रेलवे लाइन से जुडने के कारण राज्य मे औद्योगिक विकास की सभावनाए सजीव हो उठी है। राज्य मे औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ निम्नलिखित हैं

1 **खनिजों का अजायबघर** (Museum of Minerals) – राजस्थान खनिज सपदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। यहा 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिजो का उत्पादन तो केवल राजस्थान मे ही होता है। राजस्थान कई खनिजो के उत्पादन मे देश मे अग्रणी है। राजस्थान मे धात्विक खनिजो मे ताबा सीसा–जस्ता लोहा मैंगनीज चादी टगस्टन आणविक खनिज तथा अधात्विक खनिजो मे अभ्रक जिप्सम राक फास्फेट लाइम स्टोन (चूना पत्थर) साप स्टोन सगमरमर व ग्रेनाइट, एसबेस्टस पाइराइटस बेन्टोनाइट पन्ना व गारनेट चायना क्ले व व्हाइट क्ले फायर क्ले सिलिकासैण्ड पाए जाते है। इसके अलावा खनिज इधन मे लिग्नाइट राज्य मे उपलब्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है।

2 *नेशनल काउसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली* (National Council of Applied Economic Research New Delhi) ने राजस्थान का टैक्नो–इकानामिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगो की क्षमता और भावी सभावना को ध्यान मे रखते हुए राजस्थान मे अग्राकित उद्योगो की स्थपना का औचित्य बताया –

ट्रैक्टर व सबधित यत्र डीजल इजन स्कूटर व मोटर साईकिल मोटर गाडिया के पुर्जे विद्युत सामग्री इस्पात के तार पाइप ट्यूब कीले बोल्ट पोर्टलैण्ड सीमेट सफेद व रगीन सीमेट काच तेल शोधक आदि कारखाने।

3 राजस्थान मे निम्नलिखित उद्योगो के विकास की प्रबल सभावनाए है–

1 कोटा मे जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का सयत्र

लगाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए।

2 उदयपुर मे एक पिग लोहा सयत्र लगाने की आवश्यकता है वहा निकटवर्ती क्षेत्रो के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारो के बोर्ड बनाए जाते है जिसके पूर्व निर्मित्त भवन बनाकर कुछ सीमा तक भवन–समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

4 सवाई माधोपुर मे सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, खनिज तेल रिफाइनरी, तथा कृषि आधारित उद्योगो के विकास की अच्छी सभावनाए हैं।

5 फेल्सपार, क्वार्टज, चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानो की स्थापना का क्षेत्र बढ सकता है। सिलिका के उपयोग से काच के उद्योग का विस्तार किया जा सकता है।

4. कृषि सम्पदा पर आधारित उद्योग (Agriculture Resources Dependent Industries) – कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1995–96 मे कृषि का अश राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पादन मे लगभग 41 प्रतिशत तथा 1998–99 के प्रावधानिक अनुमानो के अनुसार 40 प्रतिशत रहा।[22] कपास, गन्ना, तिलहन, मक्का, चना, गेहूँ आदि ऐसी फसले है जिन पर आधारित अनेक छोटे–बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे कृषिगत उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि हो रही है, नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न मे अपूर्व वृद्धि अपेक्षित हैं।

पिछले वर्षों मे राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन की दृष्टि मे एक महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप मे उभरा है। देश मे तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग राजस्थान मे होने लगा है। सरसों के उत्पादन में यह एक अग्रणी राज्य हो गया है। यहा देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35 प्रतिशत अश होने लगा है।

राज्य मे जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तौडगढ जोधपुर, डूगरपुर, झुन्झुनू, नोहर में सूती वस्त्रों के उद्योग स्थापित किए जा सकते है। कोटा, भरतपुर व उदयपुर में चीनी मिले लगाई जा सकती है। कोटा में वनस्पति घी का उद्योग व भरतपुर, अलवर, गगानगर व सवाई माधोपुर मे खाद्य तेल मिलें स्थापित की जा सकती है। सम्पूर्ण राज्य मे मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

5. पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग (Animal Resourses Based Industries) – राज्य मे चमडा, ऊन, मास, दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है। पश्चिमी शुष्क मैदान के नगरों में चमडा उद्योग, डेयरी उद्योग, दूध पाउडर के उद्योग, मक्खन, पनीर व पशु आहार के उद्योगो की स्थापना की विपुल सभावनाए हैं। बीकानेर व जोधपुर मे होजरी, ऊनी व चमडे के कारखाने, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर में हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व उदयपुर मे मछली

उद्योग का विकास किया जा सकता है।

6 वनों पर आधारित उद्योग (Industries Based on Forest) – राजस्थान में वनों पर आधारित लघु एव कुटीर उद्योगों क विकास की अच्छी समावनाए हैं। राज्य में दियासिलाइ उद्योग, कागज उद्योग, पैकिंग के कागज का उद्योग, टोकरी उद्योग, चमड़ा साफ करने का उद्योग, बीडी उद्योग, खस पर आधारित उद्योग, देशी शराब उद्योग एव इसी प्रकार के अन्य छोटे–बडे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

7 आधारभूत सरचना (Basic Structure)– किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक व मानवीय ससाधनों की बाहुल्यता के बीच यदि अद्य सरचना का अभाव हो तो ससाधन अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। राजस्थान में आधारभूत सरचना की स्थिति निम्नलिखित है –

(i) विद्युत (Electricity) औद्योगीकरण म विद्युत का स्थान सर्वोपरि है। राजस्थान म विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता बढकर 3097 मेगावाट हो गई जबकि राज्य क गठन के समय मात्र 13 मेगावाट थी। प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 29 यूनिट स बढकर 1998–99 में 307 यूनिट हो गया। उच्च प्रसारण लाइनों की दूरी जो वष 1981–82 म 7,123 रुट कि मी थी, अगस्त 1992 के अत में बढकर 12,265 रुट कि मी हो गई है। यह लम्बाई राज्य के गठन के समय शून्य थी। आज ई एच वी ग्रिड सब स्टेशनों की सख्या 132 है जो वर्ष 1949 में शून्य थी आज हमारे पास 33 40 लाख स अधिक उपभोक्ता है, जो 43 वर्ष पूव प्राय नगण्य थे। वष 1949 म मात्र 42 बस्तिया विद्युतीकृत थी जबकि 1997–98 के अत में 35,215 ग्राम (88 5) विद्युतीकृत हो चुक हैं। उर्जीकृत कुओं की सख्या अगस्त, 1995–96 के अत में 5,02,310 है यह राज्य के गठन क समय शून्य थी।[23]

(ii) सडकें (Roads) राजस्थान में सभी प्रकार की सडकों की लम्बाई अग्राकित है

राजस्थान में सडके

सडक		लम्बाई (किमी)		
		1992-93	*1998-99*	*1999-2000*
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	2,846	2,964	2,964
2	राज्यीय राजमार्ग	7,151	9,990	9,966
3	मुख्य जिला सडकें	3,638	5,789	5,947
4	अन्य जिला एव ग्रामीण सडकें	45 646	63,976	66 395
5	सीमावर्ती सडक	*2,239*	*2,239*	*2,239*

स्रोत 1 *आय व्ययक अध्ययन* 1994 95

2 *आर्थिक समीक्षा* 1998 99, 1999 2000, राजस्थान सरकार।

(iii) शिक्षा (Education) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश मे "निरक्षरता छोडो अभियान" चलाया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में साक्षरता में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। राज्य मे 1951 मे साक्षरता का प्रतिशत 8 95 था वह बढकर 1961 मे 15 21 प्रतिशत, 1971 मे 19 07 प्रतिशत तथा 1981 में और बढकर 23 38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसख्या में साक्षरता बढकर 38 55 प्रतिशत हो गई। पुरुषों मे साक्षरता 54 99 प्रतिशत तथा महिलाओ में 20 44 प्रतिशत रही।[24] साक्षरता की यह स्थिति अन्य राज्यो की तुलना मे काफी दयनीय है।

(iv) चिकित्सा (Medical) राज्य मे शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रो मे चिकित्सा सुविधा का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 1995–96 मे शहरी क्षेत्रो मे 205 अस्पताल, 278 डिस्पेन्सरीज, 92 एम सी डब्लू केन्द्र, 13 एडपोस्ट तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे 14 अस्तपाल, 1,596 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 26 एम सी डब्लू केन्द्र थे। वर्ष 1995–96 मे राजकीय चिकित्सा सस्थाओ मे 36712 बेड थे।[25]

(v) सचार (Communication) तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए सचार साधनो की प्रभावी भूमिका होती है। मार्च, 1993 तक राज्य की सभी तहसील मुख्यालयो को एस टी डी से जोडा जाना प्रस्तावित था। राज्य के सभी जिला मुख्यालय एस टी डी से जोडे जा चुके हैं। वर्ष 1995–96 मे राजस्थान मे 10,289 पोस्ट–आफिस, 2,280 टेलेग्राफ ऑफिस, 1,441 टेलीफोन एक्सचेज तथा 12,274 सार्वजनिक कॉल ऑफिस थे।

(vi) आवास (Housing) जनसख्या व आर्थिक दबावो के बावजूद राजस्थान सरकार लोगो की आवासी जरुरतो को पूरा करने के लिए आवास सुविधाओ के निर्माण का वृहद् कार्यक्रम चला रही है। राजस्थान आवासन मडल कमजोर वर्गों को, अल्प आय एव मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान आवासन मडल ने वित्त वर्ष 1998–99 मे (दिसम्बर 1998 तक) 1,243 मकानो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इसके अलावा पूर्ण निर्मित्त मकान 2,294, आवटित मकान 858, मकानो को कब्जा दिया 1,973, राजस्थान आवासन मडल को 93 करोड रुपए की प्राप्ति हुई।[26] राजस्थान आवास मडल द्वारा 30 मार्च 1992 तक एक लाख 4 हजार मकान पूर्ण किये गये तथा इनमे से एक लाख दो हजार 570 मकानो का आबटन सभी आय वर्गो के लोगो को किया जा चुका था। आवास एव शहरी विकास निगम (हुडको) ने राजस्थान मे 1989–90 मे 29 17 करोड रुपए का निवेश किया, जो 1990–91 में 35 15 करोड रुपए तक जा पहुचा। हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 1992–93 के प्रारम्भ तक 410 आवासीय योजनाओ मे 1 लाख 24 हजार 880 मकान विभिन्न शहरो मे बनाने के लिए स्वीकृत किए। इदिरा आवास योजना मे वर्ष 1991–92 मे 9 66 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना मे फरवरी, 1992 तक 11,368 आवासो का निर्माण किया गया। मानसरोवर का विकास व परिवर्तन एक अनूठी योजना है।[27]

(vii) बैंकिंग (Banking) वर्ष 1987 में राजस्थान मे *अनुसूचित वाणिज्यिक* बैंको के 2687 कार्यालय थे जिनमे जमा 2,60,218 लाख रुपए व अग्रिम 1,74 235 लाख रुपए थे। प्रति व्यक्ति जमा 646 रुपए व प्रति व्यक्ति अग्रिम 433 रुपए थे।[8] राज्य मे सितम्बर 1998 मे प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 6 4 थी प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था।[9]

8 **उद्यमी** (Industrialists) राजस्थान मे जन्मे उद्यमियों ने देश के औद्योगीकरण मे प्रभावी भूमिका निभाई है। बिडला, पोद्दार, गोलेछा, साहू, जैन आदि राज्य के बडे उद्यमी है, यदि ये चाहे तो रातो–रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं।

9 **औद्योगिक क्षेत्र** (Industrial Zones) – रीको द्वारा राज्य मे वर्ष 1991–92 मे 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए जिनसे सबधित तथ्य निम्नाकित है[10]—

अधिग्रहित भूमि	27,795 40 एकड
विकसित भूमि	18,754 82 एकड
नियोजित भूखण्डो की सख्या	25854 00
विकसित भूखण्डो की सख्या	20,185 00
आबटित भूखण्ड	22,110 00
उत्पादन मे सलग्न इकाइया	9,797 00

रीको ने दिसम्बर 1998 तक 270 औद्योगिक क्षेत्रो को विकसित किया एव वित्त वर्ष 1998–99 मे (दिसम्बर 1998 तक) 800 एकड भूमि अवाप्त की। रीको ने बैंकिंग सस्था के रूप मे वृहद् एव मध्यम उद्योगों के विकास वास्ते वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवायी है। वर्ष 1998–99 के दौरान (दिसम्बर 1998 तक) 63 14 करोड रुपए की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की एव 38 14 करोड रुपए का वितरण किया गया।

10 विकास केन्द्र (Growth Centre) 'ग्रोथ सेन्टर' – विकास केन्द्र केन्द्रीय *प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका* एव मापदडों के अनुसार स्वीकृत किए जाते है। भारत सरकार द्वारा 8 सितम्बर 1988 को राजस्थन के लिए 4 विकास केन्द्र आबटित किए थे। राज्य सरकार ने 8 विकास केन्द्रों के प्रस्ताव भेजे थे, वे थे *भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाडा, झालवाड, बीकानेर,* सिरोही, अजमेर एव अलवर। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलो मे से भारत सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड, भीलवाडा एव आबू रोड (सिरोही) जिलो को *विकास केन्द्र हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की।* राज्य सरकार के प्रयासो से भरतपुर के समीपवर्ती जिले धौलपुर को भारत सरकार द्वारा

10 फरवरी 1992 को विकास केन्द्र घोषित किया।[31]

प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष की अवधि मे 30 करोड रुपए खर्च किए जाएगे। प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभव सुविधाए उपलब्ध कराना है।[32] चार विकास केन्द्रो मे वर्ष 1993–94 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा। प्रथम चरण मे वर्ष के दौरान इन चार विकास केन्द्रो पर 1985 बीघा भूमि के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले 1,857 बीघा भूमि अधिग्रहित आबटित की जा चुकी है। मार्च 1994 के अन्त तक 15 करोड रुपए की राशि व्यय किए जाने का अनुमान था।[33]

11 लघु विकास केन्द्र (Mini Growth Centre) – जोधपुर व उदयपुर दो लघु विकास केन्द्र के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई।[34] दोनो लघु विकास केन्द्र के लिए 5 करोड रुपए खर्च किए जाएगे। इसमे केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड रुपए की मदद व सिडबी से 2 करोड रुपए के ऋण का प्रावधान है।[35] राजस्थान मे रीको द्वारा 4 एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सैन्टर) यथा जोधपुर, नागौर, निवाई, कालडवास स्वीकृत किए गए है, जिनमे प्रत्येक की लागत 5 करोड रुपए है। दिसम्बर 1998–99 तक केन्द्रो के क्रियान्वयन पर 655 लाख रुपए खर्च किए जा चुके है।[36]

राजस्थान मे विद्यमान प्राकृतिक सपदा का समुचित विदोहन किया जाए तो यह राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यो के समकक्ष आकर खडा हो सकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहा की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक वित्तीय ससाधनो का आबटन करे जिससे तीव्र विकास की गति सुनिश्चित की जा सके।

सन्दर्भ

1 *Basic Statistics*, 1997, Rajasthan
2 *पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे*, 1987-88
3 *नवभारत टाइम्स*, 20 जनवरी, 1992
4 *पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे*, 1987-88
5 *हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड*, रजत जयती वर्ष, 1966 91
6 *नवभारत टाइम्स*, 18 मई 1992
7 *वही*, 6 जुलाई 1992
8 *वही*।
9 *वही*, 6 जुलाई 1992
10 *वही*।
11 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
12 *वही*।
13 *नवभारत टाइम्स*, 6 जून 1992

14 *वही*, रेस्पोस परिशिष्ट, 23 सितम्बर 1992
15 *वही*, 30 मार्च 1992
16 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
17 *इण्डियन इकोनोमिक सर्वे*, 1998-99
18 *नवभारत टाइम्स*, 31 जनवरी 1993
19 नवभारत टाइम्स, 30 मार्च 1992
20 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
21 *मरु व्यवसाय चक्र*, प्रवेशाक।
22 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
23 *नवभारत टाइम्स*, 23 सितम्बर 1992, *रेस्पोस परिशिष्ट तथा आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
24 *पापूलेशन ऑफ राजस्थान*, 1991, पृ 6
25 *बेसिक स्टेटिस्टिक्स*, 1997, राजस्थान।
26 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
27 *नवभारत टाइम्स*, 30 मार्च 1992
28 *बेसिक स्टेटिस्टिक्स*, 1988, राजस्थान।
29 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
30 *रीको न्यूज लेटर*, सितम्बर 1992
31 *नवभारत टाइम्स*, 17 मार्च 1992
32 *रीको न्यूज लैटर*, सितम्बर 1992
33 *आय-व्ययक अध्ययन*, राजस्थान, 1994-95
34 *रीको न्यूज लेटर*, जनवरी 1993
35 *नवभारत टाइम्स*, 17 मार्च 1992
36 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 नियोजन काल में राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कितना व्यय किया गया।
2 राजस्थान मे औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृतिया बताइए।
3 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
4 राजस्थान मे औद्योगिक विकास की सभावनाओं पर टिप्पणी लिखिए।
5 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधाए क्या है?

निबन्धात्मक प्रश्न –

1 पचवर्षीय योजनाओ में राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कितना व्यय किया गया। योजनाकाल में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृतिया बताइए। (सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय मे दिए गए पचवर्षीय योजनाओं में

औद्योगिक विकास के व्यय को बताना है तथा दूसरे भाग मे योजनाकाल मे औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियो को लिखना है।)

2 स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख उपलब्धिया बताइए। औद्योगिक विकास मे सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे औद्योगिक विकास की उपलब्धिया तथा दूसरे भाग मे औद्योगिक विकास मे सरकार की भूमिका लिखनी है।)

3 राजस्थान के प्रमुख बडे व मध्यम उद्योगो के विकास व समस्याओ पर प्रकाश डालिये।
(**सकेत** – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए राज्य के प्रमुख उद्योगो का विकास और उनकी समस्याओ को लिखना है।)

4 राजस्थान मे औद्योगिक विकास की स्थिति तथा भावी सम्भावनाओ पर प्रकाश डालिए और औद्योगिक विकास की बाधओ का विवेचन कीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे अध्याय मे दी गई औद्योगिक विकास की *स्थिति तदुपरात औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाओ को लिखना है। प्रश्न* के तीसरे भाग मे औद्योगिक विकास की बाधाओ को बताना है।)

5 राजस्थान मे औद्योगिक विकास वास्ते राजकीय सुविधाओं और रियायतो का वर्णन कीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए औद्योगिक विकास मे राजकीय प्रयास को लिखना है।)

6 राजस्थान की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(**सकेत** – अध्याय मे दी गई राज्य की औद्योगिक नीति का वर्णन तथा समीक्षा लिखनी है।)

7 राजस्थान के औद्योगिक विकास मे प्रमुख बाधाए क्या है। विकास हेतु सुझाव दीजिए।
(**सकेत** – प्रश्न के प्रथम भाग मे औद्योगिक विकास की बाधाए तथा दूसरे भाग मे विकास हेतु सुझाव लिखने है।)

38

राजस्थान में लघु उद्योग

(Small Scale Industries in Rajasthan)

सरकार के द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो की परिभाषा मे परिवर्तन किया जाता रहा है। नई लघु औद्योगिक नीति जुलाई 1991 मे लघु उद्योगो की दी गई परिभाषा निम्न प्रकार थी –

1. अति लघु क्षेत्र के उद्योगो मे प्लाट व मशीनरी मे निवेश सीमा 2 लाख रुपए से बढाकर 5 लाख रूपए कर दी है। इस मामले मे इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह उद्योग किस जगह लगाया गया है।
2. लघु क्षेत्र मे प्लाट व मशीनरी मे निवेश सीमा 60 लाख रूपए कर दी है।
3. सहायक उद्योगो तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो की प्लाट व मशीनरी मे पूजी निवेश सीमा क्रमश 75–75 लाख रूपए तक बढाने की घोषणा की जा चुकी है।

लघु उद्योग की नई परिभाषा – 29 अप्रेल 1998 को केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगो का सरक्षण देने के प्रयास मे लघु उद्योगो मे निवेश की अधिकतम सीमा तीन करोड रुपए से घटाकर एक करोड कर दी। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया जाएगा और इसमे उद्योग से सम्बद्ध सभी सेवाए तथा व्यापारिक उद्यमियो को शामिल किया जाएगा चाहे वे कहीं भी स्थापित किए हुए हा उन्हे अब लघु उद्योगो के रूप मे मान्यता दी जायेगी और उनकी निवेश सीमा अत्यन्त लघु उद्योगो के अनुसार होगी।[1] 7 फरवरी 1997 को *मत्रिमडल की आर्थिक मामलो की समिति ने लघु उद्योग निवेश की मौजूदा 60 लाख* रूपए की सीमा को वढाकर 300 लाख रूपए कर दिया था। बढी सीमा निर्यातोन्मुखी इकाइयो पर भी लागू होगी। घरेलू इकाइयो की निवेश सीमा को 5 लाख रूपए कर दिया गया है।

लघु उद्योगो की दृष्टि से राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहा फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र मे इकाइयो की सख्या काफी है किन्तु मध्यम पैमाने के उद्योगो का अभाव है। कृषि पदार्थो पर आधारित लघु उद्योगों म वनस्पति तेल/घी उद्योग गुड

व खाडसारी की इकाइया, हाथ करघा उद्योग, दाल फैक्ट्रिया, बैकरी व कन्फैक्शनरी की इकाइया, कपास की जिनिस व प्रेसिग इकाइया, दरी व निवार बनाने की इकाइया, आदि आती है। पशु आधारित लघु उद्योगो में दुग्ध पदार्थ, चमडे–खाल, हड्डिया, ऊनी वस्त्र आते हैं। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग मे मूर्तिया, पीतल ताबे व सोने चादी के बर्तन, लोहे के कृषिगत औजार आदि आते हैं तथा वन आधारित उद्योगो मे लकडी के खिलौने, बीडी उद्योग, कत्था, गोद व लाख के उपयोग के कारखाने माचिस व फर्नीचर बनाने की इकाइया आदि आती हैं।

राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास

वर्ष	पजीकृत इकाइयो की सख्या	रोजगार (सख्या मे)	विनियोजित पूजी (लाख रुपए)
1975-76	20,102	1,37,171	7,237 29
1976-77	22,946	1,56,682	8,723 27
1977-78	36,342	1,78,933	9,814 62
1978-79	31,292	2,03,819	12,076 58
1979-80	38,145	2,33,097	14,560 39
1980-81	47,718	2,70,268	20,865 02
1981-82	70,122	3,25,953	26,628 56
1982-83	88,201	3,70,510	32,845 42
1983-84	1,01,081	4,04,633	37,698 78
1984-85	1,13,241	4,37,247	43,181 96
1985-86	1,24,539	4,67,933	48,781 91
1986-87	1,31,330	4,88,036	53,352 11
1987-88	1,37,412	5,09,123	60,291 52
1988-89	1,43,265	5,30,110	68,428 72
1989-90	1,48,353	5,49,487	76,152 59
1990-91	1,53,060	5,70,866	85,993 30
1997-98	1,93,000	7,50,000	2,25,000 00
1999-2000	2,08,497	8,12,000	2,83 875 00

स्रोत 1 निदेशक, उद्योग निदेशालय, राज जयपुर क्रमाक एफ/पर्स/मिस/ 91-92/4492 दिनाक 25-4-92

2 *आय व्ययक अध्ययन,* 1994-95

3 आर्थिक समीक्षा 1999-2000, राजस्थान सरकार।

लघु उद्योगो का विकास (Development of Small Scale Industries)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगो का रोजगार, विनियोजन और उत्पादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्वातन्त्र्योत्तर सरकार द्वारा ध्यान

केन्द्रित किए जाने के कारण लघु उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास निम्नलिखित है –

1 लघु उद्योगों की संख्या (Number of Small Scale Industries) – लघु उद्योगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों की संख्या मे 1975–76 में 20,102 थी जो बढकर 1990–91 में 1,53,060 हो गई। विगत पन्द्रह वर्षों में लघु उद्योगों की संख्या म साढे सात गुना वृद्धि हुई। लघु उद्योगों की संख्या 1997–98 तक और बढकर 1 93,000 हो गई। वर्ष 1990–91 से 1997–98 तक लघु उद्योगों की संख्या म 26 प्रतिशत वृद्धि हुई।

2 रोजगार (Employment) – रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। राज्य में लघु उद्योगों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। राजस्थान के लघु उद्योगों में 1975–76 म 1,37,171 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या बढकर 1990–91 में 570866 हो गई। विगत पन्द्रह वर्षों म लघु उद्योगों में रोजगार मे लगभग चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997–98 में लघु उद्योगों में 7,50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1990–91 से 1997–98 के बीच रोजगार में 31 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 विनियोजित पूजी (Employed Capital) – राजस्थान के लघु उद्योगों में 1975–76 में 7,237 3 लाख रूपए की पूजी विनियोजित थी जो 1990–91 में बढकर 85,993 3 लाख रूपए तथा 1997–98 में और बढकर 2,25,000 लाख हो गई। विनियोजित पूजी में 1990–91 से 1997–98 के बीच 162 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4 उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production) – लघु उद्योगों की संख्या और उनमे पूजी विनियोजन से उत्पादन में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों का उत्पादन 1990–91 में लगभग 125 करोड़ रूपए था जो 1997–98 में बढ़कर 220 करोड रूपए (अनुमानित) हो गया। वर्ष 1990–91 से 1997–98 के बीच उत्पादन मे 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1998–99 के दौरान लघु एव दस्तकारी उद्योगों में आशातीत वृद्धि हुई है। माह दिसम्बर 1998 तक 5,400 इकाइयो के लक्ष्यों के सापेक्ष 5,160 इकाइया पजीकृत हुई हैं, जिनमे 224 33 करोड रूपए के विनियोजन से 22,350 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।[2]

राजस्थान के लघु उद्योग इन दिनों सकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ऋणों पर ब्याज की अत्यधिक दरें, पूजी का अभाव, विपणन की समस्या तथा उद्योग विभाग की निरुत्साहित करने वाली कार्यप्रणाली आदि है। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास के प्रति प्रयासरत है। हाल ही में सरकार के प्रयत्नो से लघु उद्योगों के विकास हेतु अच्छा वातावरण बनने लगा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपने प्रयास द्वारा ऊर्जा सकट को दूर करने के लिए कटिबद्ध है।

राजस्थान में हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग
(Handicrafts, Khadi and Village Industries in Rajasthan)

हस्तशिल्प उद्योग (Handicraft Industries) – हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन उद्योग के विकास का विकल्प माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पर्यटक शिल्पकला की ओर आकृष्ट होते है, और अपने घर के किसी कोने मे सजावट के लिए शिल्पियो द्वारा निर्मित्त उत्पाद को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते है। कारीगर हाथ के औजारो से ऐसी अनोखी वस्तुओ का निर्माण करते हैं जिन्हे मशीनो द्वारा निर्मित किए जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। विदेशी माल की चकाचौंध मे देशी प्राचीन कलात्मक वस्तुओ के प्रति, देशी विदेशी पर्यटको के बढते आकर्षण से हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है, यहा की निर्मित्त कलात्मक कृतिया देश–विदेश मे विख्यात हैं। यहा हस्तशिल्प उद्योग को अधिकाशत पुश्तैनी धन्धे के रूप मे अपनाया जाता है, बढती सरकारी सहायता और विदेशी मुद्रा के आकर्षण से हाल के वर्षो मे नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे हैं। आज यह उद्योग राजस्थान के लाखो लोगो के जीवन बसर का साधन तथा राज्य सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है।

हस्तशिल्प के अद्भुत नमूने (Strange Items of Handicrafts) – राजस्थान के शिल्पकार हस्तकौशल और चातुर्य से निर्जीव मे हर रोज प्राण फूकते हैं। यहा की अद्भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उभारने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथो का कमाल और जादुई है। यहा के कुम्हारो का मूर्ति कला पर विशेष अधिकार है। जयपुर न केवल राजस्थान का वरन भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बडा केन्द्र है, यहा की बधेज की चुनरियाँ, ओढनियाँ, लहरियो, बगरु व सॉगानेरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध है। जयपुर की 'पाव रजाई' को देशी–विदेशी पर्यटक बडे चाव से खरीदते हैं। इनके अलावा जयपुर में मूल्यवान रत्नो एव सोने-चादी आदि बहुमूल्य धातुओ के आभूषण, पीतल पर खुदाई, मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूडियाँ, सगमरमर की मूर्तियाँ, कारीगरी युक्त मोजडिया व नागरे, ब्ल्यू पोटरी, मृण कला, लकडी के खिलौने व हाथी दात की वस्तुए आदि राजस्थानी शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। जयपुर निर्मित्त राजस्थान के आभूषण व जवाहरात विश्व प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर की मृण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा प्रतापगढ की काच पर सोने की नक्कासी (थेवा कला), अलवर का पतली परतदार बर्तन कागजी, जोधपुर का 'बादला', नाथद्वारा की कोस्टयूम ज्वेलरी, सवाईमाधोपुर में लकडी पर खुदाई का काम व हाथ से बना कागज, उदयपुर के लकडी के खिलौने, सिरोही व नागौर के लोहे के औजार, बीकानेर की लोइयॉ व कालीन, मालपुरा के कम्बल व मोढडे, कोटा की डोरिया व मसूरियॉ, मकराना की कलात्मक मूर्तियॉ तथा

जैसलमेर मे जाली के कपडे पर हाथ की छपाई आदि हस्तशिल्प के निर्माण मे राजस्थान विश्व मे अनुपम स्थान रखता है।

राजस्थान के शिल्पकार बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण की समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा शिल्पकारो के लिए प्रशिक्षण का मुकम्मल इन्तजाम भी प्रान्त मे नहीं है। शिल्पकारो की दशा मे सुधार के लिए इनका सगठित होना आवश्यक है। शिल्पकारो को स्वनिर्मित वस्तुए सहकारी समितियो तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियो के माध्यम से विक्रय करनी चाहिये। हस्तशिल्पियो को प्रोत्साहन तथा कला के विकास की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1984 से प्रारम्भ राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना को और अधिक व्यापक करके हस्तशिल्पियो को लाभान्वित किया जा सकता है।

खादी उद्योग (Khadi Industries) – राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे खादी उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत उद्योग है जिसमे काफी सख्या मे स्त्री–पुरुषो को कृषि एव पशुपालन के पश्चात् पूर्णकालिक एव अशकालिक रोजगार मिला हुआ है। इसके अन्तर्गत सूती, ऊनी व रेशमी खादी को सम्मिलित किया जाता है। सम्पूर्ण देश का 45 प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान मे ही होता है। 1988 मे राजस्थान मे भेडों की सख्या 99 लाख थी।

वर्तमान मे राजस्थान में ऊनी, सूती, सिलकेन तथा पाली खादी का उत्पादन होता है। खादी का कुल उत्पादन 1985–86 मे 1,887 लाख रूपए था जो 1995–96 मे बढकर 3,942 लाख रूपए हो गया। खादी के कुल उत्पादन मे एक दशक मे दो गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1995–96 मे सूती खादी का उत्पादन 1,532 लाख रूपए, ऊनी खादी का उत्पादन 2,134 लाख रूपए, पाली खादी का उत्पादन 274 लाख रूपए तथा सिलकेन खादी का उत्पादन 2 4 लाख रूपए था। वर्ष 1997–98 मे खादी का उत्पादन 4,300 लाख रूपए था। खादी का उत्पादन दिसम्बर 1998–99 में 2,100 लाख रूपए रहा।

विक्री – 1979–80 मे ऊनी खादी की खुदरा बिक्री 235 89 लाख रूपए व सूती खादी की 422 22 लाख रूपए थी जो बढकर 1988–89 मे क्रमश 838 61 लाख रूपए और 998 49 लाख रूपए हो गई।[3] खादी की कुल बिक्री 1994–95 मे 7,347 लाख रूपए तथा 1995–96 में 8,906 लाख रूपए थी। 1995–96 में खादी की थोक बिक्री 5,132 2 लाख रूपए तथा खुदरा बिक्री 3,774 लाख रूपए थी।[4]

मजदूरी – मजदूरी का भुगतान ऊनी व सूती खादी के लिए 1979–80 मे 436 09 लाख रूपए तथा 1988–89 मे 883 77 लाख रूपए का किया गया।[5]

रोजगार – खादी उद्योग मे काफी सख्या मे लोगो को रोजगार मिला हुआ है। खादी उद्योग मे 1979–80 मे 1 30 लोगो को रोजगार मिला हुआ था। खादी उद्योग मे रोजगार प्राप्त लोगो की सख्या बढकर 1985–86 में 1 42 लाख, 1990–91 मे 1 58 लाख तथा 1992–93 मे और बढकर 1 59 लाख हो गई।

समस्या – खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है। रगो की खरीद मे अनियमितताए की घटनाए सामने आती रहती है। प्रबन्धकीय व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण ये सस्थाए अधिक लाभ बटोरने मे सफल नही हो सकी है। खादी उद्योग विकास के लिए भेड बहुत क्षेत्रो मे प्रशिक्षण एव अनुसधान पर बल दिया जाना चाहिए।

ग्रामोद्योग (Village Industries)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन से पूर्व राज्य में ग्रामोद्योग का कोई सगठन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रो की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया। आज बोर्ड अपने क्रियाकलापो के कारण ग्रामीण खुशहाली का प्रतीक बना गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 96 ग्रामोद्योगो की सूची मे से राजस्थान मे 18 ग्रामोद्योग लिए गए हैं। जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के 18 ग्रामोद्योगो के नाम निम्न प्रकार हैं[6] –

1 अनाज दाल प्रशोधन, 2 घाणी तेल, 3 गुड, खाडसारी, 4 ताड गुड 5 कुटीर दियासलाई एव अगरबत्ती, 6 अखाद्य तेल व साबुन 7 बास बेत 8 हाथ कागज 9 मधुमक्खी पालन 10 कुम्हारी 11 चर्म उद्योग 12 लुहारी सुथारी 13 रेशा 14 कली चूना 15 फल प्रशोधन 16 वन औषधि 17 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन 18 पौली वस्त्र

1. ग्रामोद्योग इकाइया – बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ मे लेने के बाद राज्य मे ग्रामोद्योग की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हुई है। कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइया 1979–80 मे 12,622 थी जो बढकर 1985–86 मे 72,212 तथा 1990–91 मे और बढकर 1 19 लाख हो गई। वर्ष 1990–91 मे कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइयो मे 260 सस्थाए, 1,561 समितिया तथा 1,17,268 व्यक्तिगत इकाइया थी।[7]

2. ग्रामोद्योग उत्पादन – राजस्थान मे ग्रामोद्यागो का उत्पादन 1979–80 मे 1,360 लाख रूपए था जो 1985–86 मे बढकर 8,992 लाख रूपए हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादन 1990–91 मे बढकर 18,338 लाख रूपए हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादन 1997–98 मे 34,034 लाख रूपए तक जा पहुचा। ग्रामोद्योग उत्पादन के मार्च 2000 तक 450 करोड रूपए तक पहुचने की सभावना है।

3 ग्रामोद्योग रोजगार – ग्रामोद्योग की रोजगार सख्या 1979–80 में 41,804 थी जो बढकर 1985–86 मे 1,95,911 तथा 1990–91 मे और बढकर 2,97,654 हो गई। ग्रामोद्योग मे वर्ष 1997–98 के दौरान 32,188 व्यक्तियो को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा वर्ष 1998–99 मे 45,000 व्यक्तियो को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।[8]

3 **कुल विक्रय** – 1979–80 मे ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1,517 76 लाख रूपए थी जो बढकर 1988–89 मे 17,539 09 लाख रूपए हो गई। वर्ष 1979–80 मे कुल दसतकारी आय 294 68 लाख रूपए से बढकर 1988–89 मे 6,174 58 लाख रूपए हो गई। ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1994–95 मे 31,946 लाख रूपए तथा 1995–96 में 35,768 लाख रूपए थी।

ग्रामोद्योगों के सगठन, वित्त व्यवस्था, उत्पादन विधि व तकनीक, विक्रय और औजारो के वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1 नई औद्योगिक नीति, डी ए वी पी, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 1991
2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
3 राजस्थान मे खादी एव ग्रामोद्योग की दशक (1980-89) मे प्रगति।
4 Basic Statistics, Rajasthan, 1997
5 राजस्थान मे खादी एव ग्रामोद्योग की दशक (1980-89) मे प्रगति।
6 खादी ग्रामोद्योग – प्रवृत्तिया और प्रगति, 1991-92
7 वही।
8 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 लघु उद्योगो का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2 राजस्थान मे लघु उद्योगों की प्रगति सक्षेप मे समझाइए।
3 राजस्थान में हस्तशिल्प की प्रगति बताइए।
4 खादी की प्रगति के आयामो की विवेचना कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान के ग्रामोद्योगो का विवरण दीजिए। इनमे मुख्यत किन वस्तुओ का निर्माण होता है।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे ग्रामोद्योगो की प्रगति लिखनी है तथा दूसरे भाग मे ग्रामोद्योगो मे उत्पादित वस्तुओ को बताना है।)

2 लघु उद्योग किसे कहते है। राजस्थान के लघु उद्योगो की प्रगति का विवेचन कीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में लघु उद्योगो का अर्थ तथा दूसरे भाग मे राज्य मे लघु उद्योगो की प्रगति लिखनी है।)

3 राजस्थान मे लघु, खादी तथा ग्रामोद्योगो की प्रगति का विवेचन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गये लघु खादी तथा ग्रामोद्योग की प्रगति को लिखना है।)

राजस्थान में ऊर्जा विकास
(Power Development in Rajasthan)

ऊर्जा की खपत प्रगति की माप का बैरोमीटर है। हाल ही के वर्षो मे ऊर्जा की माग मे तीव्र वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के कारण विदेशी निवेशको के आकर्षित होने से भविष्य मे औद्योगिक विकास के गति पकड़ने की सभावना है। औद्योगीकरण के बढने से आधारभूत सरचना के विकास की अधिक आवश्यकता होगी। राजस्थान मे ऊर्जा का अभाव आर्थिक विकास के क्षेत्र मे बडी बाधा है। राज्य में ऊर्जा की माग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढा है। राजस्थान सरकार सन 2000 तक ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। विगत वर्षो मे सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविधाए आमत्रित की हैं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियो को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे आमंत्रित किया है। राजस्थान मे वित्तीय ससाधनो का अभाव है। अत ढाचागत निवेश विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र मे विदेशी निवेशको को आकर्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य की वार्षिक योजनाओ मे ऊर्जा विकास शीर्ष पर उद्व्यय (Outlay) मे वृद्धि की जानी चाहिए। राजस्थान में ऊर्जा विकास के क्षेत्र मे केन्द्रीय पूजी निवेश अत्यल्प है जिसे बढाने की आवश्यकता है।

राजस्थान मे ऊर्जा का विकास (Power Development in Rajasthan) – ऊर्जा विकास का पर्याय है। धीमे औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण ऊर्जा की कमी है। हाल के वर्षो मे ऊर्जा की माग तीव्रता से बढी है किन्तु बढती माग के अनुरूप उत्पादन नही बढने से राजस्थान मे ऊर्जा की समस्या ने गभीर रूप धारण कर लिया है।

राजस्थान को जुलाई 1995 मे 4,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी परन्तु काफी प्रयासो के बाद 3,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पाई है।[1] दिसम्बर 1996 मे बिजली सकट के कारण बडे उद्योगो पर 75 फीसदी कटौती लागू की गई। गावो में 6 घटे बिजली दी गई तथा शहरो मे तीन घटे की कटौती की गई।[2]

पजाब के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ए एस चडढा के अनुसार राजस्थान मे कोई उच्च क्षमता का विद्युत स्टशन नही होने के कारण साय 6 बजे से 9 बजे तक बिजली की घरेलू खपत का अत्यधिक दबाव बढता है। दिन की खपत की अपेक्षा 300 से 350 मेगावाट बिजली खर्च होती है। पजाब मे बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण पजाब राज्य विद्युत बोर्ड राजस्थान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार यूनिट बिजली बेचता है।[1]

1 **नेफ्ता पर आधारित विद्युत** (Power Based on NEFTA) – केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1996 मे राजस्थान को 1415 मेगावाट बिजली पैदा करने जितना नेफथा आवटित किया है। इससे राज्य मे नेफथा आधारित विद्युत परियोजाओ के शीघ्र स्थापित होने की सभावना बढी। राजस्थान विद्युत मडॅल ने 1996 मे नेफ्था एव फर्नेस ऑइल आधारित 16 विद्युत परियोजनाओ के लिए समझौते किए। इन परियोजनाओ के माध्यम से 3,300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इनमे से 2 700 मेगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एव 600 मेगावाट फनेस ऑयल आधारित परियोजनाओ से मिलने की सभावना है। धौलपुर की 800 मेगावाट की बडी परियोजना के शीघ्र चालू होने की सभावना है।[4]

2 **विद्युत विकास पर योजना परिव्यय** (Plan Outlay on Power Development) – राजस्थान मे ऊर्जा की कमी और विकास मे विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास मे ऊर्जा पर भारी विनियोजन किया गया। पचवर्षीय योजनाओ की प्राथमिकताओ मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इस प्रकार है पाचवी योजना 249 करोड रूपए, छठी योजना 566 करोड रूपए, सातवीं योजना 927 8 करोड रूपए। आठवीं योजना मे ऊर्जा पर 3,255 करोड रूपए व्यय का प्रावधान किया गया है जा कि कुल योजना परिव्यय 11,500 करोड रूपए का 28 3 प्रतिशत था। आठवीं पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नौवीं पचवर्षीय योजना मे भी ऊर्जा विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। नौवीं पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा विकास शीर्ष पर 6 535 करोड रूपए उदव्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 23 6 प्रतिशत है। वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना मे ऊर्जा पर 954 करोड रूपए उद्व्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजना का 19 प्रतिशत है।

3 **राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाए** (Major Power Projects of Rajasthan) – योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान मे कई विद्युत परियोजनाओ की स्थापना की गई। राजस्थान मे 1992–93 मे 10 विद्युत घर (Power Houses) थे जिनकी सस्थापित क्षमता 7,99,815 किलोवाट थी। कोटा के विद्युत घरो की क्षमता 6 40 000 किलोवाट, माही के तीन विद्युत घरो की क्षमता 1,40 165 किलोवाट सूरतगढ विद्युत घर की क्षमता 4000 किलोवाट मागरोल विद्युत घर की क्षमता 6 000 किलोवाट तथा पूगल विद्युत घर की क्षमता 650 किलोवाट थी।

कोटा तापीय विद्युत गृह (Kota Thermal Power House)[5] – कोटा तापीय विद्युत गृह को उत्पादन के लिए पूर्व मे पाच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वर्ष 1993–94 मे 80 96 प्रतिशत का रिकार्ड पी एल एफ प्राप्त कर विद्युत गृह पुन उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र था। सितम्बर 1994 के अन्त तक राज्य मे विद्युत ऊर्जा की कुल उपलब्धि 741 4 करोड यूनिट रही। मार्च 1994 के अत मे कोटा तापीय विद्युत गृह 210 मेगावाट क्षमता की पाचवी इकाई बनकर तैयार हुई।

4 **निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाए** (Power Project under Construction) – राजस्थान में दिसम्बर 1994 में सूरतगढ तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (2×250 मेगावाट), रामगढ गैस परियोजना 35 5 मेगावाट निर्माणाधीन परियोजनाए थी। रामगढ गैस परियोजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाए (Proposed Power Projects) – राजस्थान की दिसम्बर 1994 मे प्रस्तावित विद्युत योजनाए इस प्रकार थी –

1 बरसिगसर लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजन 2×240 मेगावाट
2 सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना, द्वितीय चरण 2×250 मेगावाट।
3 कपूरडी जालीया लिग्नाईट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना।
4 धौलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट।
5 मथानिया मे सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह।
6 कोटा तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई 1×120 मेगावाट।
7 चित्तौडगढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट।
8 डीजल व अन्य ईधन पर आधारित विद्युत गृह।

5 **मथानिया परियोजना** (Mathania Project) – केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27 अगस्त, 1999 को जोधपुर जिले के *मथानिया गाव मे स्थापित होने वाली* 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मजूरी दी। प्राधिकरण की तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति मिल जाने से इस परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मथानिया परियोजना मे 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावाट बिजली पारम्परिक नेप्था गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी यह परियोजना विश्व मे अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमे सौर तापीय तकनीक को परम्परागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ जोडा जाएगा। करीब 871 86 करोड रुपए की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से 1 6 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन रोका जा सकेगा। इसलिए ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी विश्व बैंक की ओर से 189 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा। के एफ डब्ल्यू नामक जर्मनी की एक वित्तीय सस्था इस परियोजना के लिए 637 करोड रुपए का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाएगी। परियोजना के लिए 50 करोड रुपए भारत सरकार से प्राप्त होगे तथा शेष अशदान राजस्थान सरकार देगी।[6]

6 विद्युत उत्पादन (Generation of Electricity) – राजस्थान मे 1988–89 मे कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) 9 442 515 मिलियन यूनिट था जो 1991–92 मे बढकर 12 979 591 मिलियन यूनिट हो गया। 1998–99 मे कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) और बढकर 21 523 23 मिलियन यूनिट हो गया।

वर्ष 1992–93 मे तापीय विद्युत उत्पादन 3 875 353 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन 177 498 मिलियन यूनिट था इसके अलावा 10 576 065 मिलियन यूनिट विद्युत साझेदारी परियोजनाओ से अश तथा बाह्य स्रोतो से क्रय की गई। वर्ष 1995–96 मे तापीय विद्युत उत्पादन 5 209 469 मिलियन यूनिट तथा जल विद्युत उत्पादन 353 953 मिलियन यूनिट था।

साझेदारी विद्युत परियोजनाओ से उत्पादन मे अश भागिता (Share in Generation in Partnership Project by Rajasthan) – विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे राजस्थान की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजनाए हैं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। राज्य की साझेदारी परियोजनाओ मे भाखरा प्रोजेक्ट चम्बल प्रोजेक्ट सतपुरा पावर स्टेशन व्यास प्रोजेक्ट तथा आर एम सी द्वितीय माही है। वर्ष 1992–93 मे राजस्थान को भाखरा प्रोजेक्ट से 1 052 043 मिलियन यूनिट चम्बल प्रोजेक्ट से 642 80 मिलियन यूनिट सतपुरा पॉवर स्टेशन से 552 370 मिलियन यूनिट व्यास प्रोजेक्ट से 1707 653 मिलियन तथा आर एम सी द्वितीय माही से 0 114 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त हुई।

7 विद्युत क्रय (Electricity Purchased) – राजस्थान मे विद्युत का उत्पादन माग की तुलना मे कम है। इस अतराल को पाटने के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष विद्युत खरीदनी पडती है। राजस्थान ने वर्ष 1992–93 मे 6 621 005 मिलियन यूनिट 1995–96 मे 9 985 624 मिलियन यूनिट तथा 1998–99 मे 11 300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) विद्युत क्रय की।

8 विद्युत उपभोग (Consumption of Electricity) – राजस्थान मे बिजली का उपभोग घरेलू, वाणिज्यिक औद्योगिक कृषि सार्वजनिक प्रकाश सार्वजनिक पेयजल कार्य आदि क्षेत्रो मे होता है। विद्युत का सर्वाधिक उपभोग बडे पैमाने के उद्योगो मे होता है। इसके बाद कृषि क्षेत्र मे विद्युत का उपयोग होता है।

राजस्थान मे विद्युत का कुल उपभोग 1985–86 मे 4 808 011 मिलियन यूनिट था जो बढकर 1990–91 मे 7 990 362 मिलियन यूनिट तथा 1998–99 मे और बढकर 16 280 50 मिलियन यूनिट हो गया। राजस्थान मे 1998–99 मे बडे उद्योगो द्वारा 5 843 07 मिलियन यूनिट तथा कृषि द्वारा 5 470 25 मिलियन यूनिट विद्युत का उपभोग किया गया।

राजस्थान में विद्युत के उपभोक्ता

(मिलियन यूनिट)

	उपभोक्ता	1996-97	1998-99	1999-2000
1	घरेलू	2168 3	2707 5	2822 9
2	गैर घरेलू	750 9	926 4	899 0
3	औद्योगिक	4853 3	5843 1	5201 3
4	कृषि	4337 4	5470 3	6417 3
5	सार्वजनिक जल प्रदाय	559 9	661 0	719 5
6	पथ प्रकाश	77 3	102 6	87 2
7	अन्य	523 0	569 8	625 6
	योग	13670 0	16281 5	16772 8

स्रोत *आर्थिक समीक्षा,* 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

9 विद्युतीकृत कस्बे और गाव (Town and Villages Electricity) – *योजनाबद्ध विकास मे विद्युतीकरण कस्बो और गावो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई* है। वर्ष 1950–51 मे राज्य में विद्युतीकृत बस्तियो की सख्या केवल 42 थी। मार्च 1993 तक राज्य के 201 कस्बे विद्युतीकृत थे। वर्ष 1988–89 में विद्युतीकृत गावो की सख्या 25,024 थी जो बढकर 1992–93 मे 29,281 तथा 1997–98 में 34,780 हो गई। वर्ष 1995–96 मे 750 गावो/कस्बो को विद्युतीकृत किया गया। राजस्थान मे विद्युत चालित कुओ की सख्या 1992–93 तक 4 30 लाख तथा *1995–96 तक 5 02 लाख थी। राजस्थान मे मार्च 1995 म कुल ग्रामो मे* विद्युतीकृत ग्राम 85 82 प्रतिशत थे। अखिल भारत स्तर पर विद्युतकृत ग्राम 85 95 प्रतिशत थे।

10 प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (Per Capita Electricity Consumption) – राजस्थान में वर्ष 1985–86 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 161 81 यूनिट तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 124 00 यूनिट था। वर्ष 1991–92 मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढकर 286 82 यूनिट तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढकर 136 11 यूनिट हो गया। राजस्थान मे प्रति वर्ग किलोमीटर विद्युत उपलब्धता 1991–92 में 37,925 यूनिट तथा 1995–96 मे 56,016 यूनिट थी। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना मे कम है। राजस्थान मे 1994–95 मे प्रति व्यक्ति उपभोग 269 5 यूनिट था जबकि भारत मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 320 10 यूनिट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मे राजस्थान का देश मे 10वा स्थान है। राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1997–98 मे 289 यूनिट 1998–99 मे 297 यूनिट तथा 1999 2000 मे 309 यूनिट था।

11 आठवीं योजना में विद्युत सृजन के कार्यक्रम[7] – आठवी पचवर्षीय योजना

मे राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता मे 713 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्रोतो से होने की सभावना थी

1 सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना 250 मेगावाट
2 कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 210 मेगावाट (पाचवी इकाई)
3 नरसिहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 2×120 मेगावाट
4 रामगढ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट
5 मागरोल, चरणवाला, बिरसिलपुर, इटावा और पूगल एक लघु पन बिजली परियोजना 9 7 मेगावाट

आठवीं पचवर्षीय योजना मे ऊर्जा क्षेत्र का वास्तविक उद्व्यय 3,254 करोड रूपए था जो आठवीं पचवर्षीय योजना के वास्तविक उद्व्यय 11,999 करोड रूपए का 27 1 प्रतिशत था।

आर्थिक विकास मे विद्युत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान मे सरकार विद्युत की उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान के विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता राज्य के गठन के समय केवल 13 मेगावाट थी जो बढकर सितम्बर 1992 मे 2,776 मेगावाट तथा फरवरी 1995 मे और बढकर 2,988 80 हो गई। उच्च प्रसारण लाइनो की दूरी वर्ष 1981–82 मे 7,123 रूट किलोमीटर थी जो अगस्त 1992 के अत मे बढकर 12,265 रूट किलोमीटर हो गई। यह लम्बाई राजस्थान के गठन के समय शून्य थी। 1992 मे ई एच वी ग्रिड सब स्टेशनो की सख्या 132 थी।

राजस्थान मे सब प्रयासो के बावजूद विद्युत की माग और पूर्ति मे अतराल बना हुआ है। आठवीं पचवर्षीय योजना मे राजस्थान मे लगभग 40 प्रतिशत विद्युत की कमी का अनुमान लगाया गया था। राजस्थान मे विद्युत विकास की विपुल सभावनाए है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र मे राजस्थान प्रभावी भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार के इस ओर कारगर प्रयास प्रशसनीय है। विद्युत क्षेत्र मे राज्य विद्युत मडल का घाटा तथा विद्युत की चोरी प्रमुख समस्या हैं जिनके निराकरण की आवश्यकता है। इनके अलावा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता मे सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान को विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विकास के क्षेत्र मे विदेशी निवेशको को आमत्रित करना चाहिए।

सन्दर्भ

1 *तथ्य भारती*, जुलाई 1995, पृ 16
2 *राजस्थान पत्रिका*, 27 दिसम्बर, पृ 1
3 वही।
4 *राजस्थान पत्रिका*, 26 दिसम्बर 1996
5 राजस्थान उपलब्धियो के निए क्षितिज, *सौदामिनी*, 4 दिसम्बर,1994

6 *राजस्थान पत्रिका*, 28 दिसम्बर 1999
7 *राजस्थान का औद्योगिक विकास एव भावी सभावनाए*, (शोध प्रबन्ध) पृ 105

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 ऊर्जा का महत्त्व बताइए।
2 राजस्थान मे ऊर्जा विकास का सक्षिप्त विवेचन कीजिए।
3 मथानिया परियोजना पर टिप्पणी लिखिए।
4 राजस्थान के गावो मे विद्युतीकरण की क्या स्थिति है।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान मे ऊर्जा विकास पर लेख लिखिए।
2 राजस्थान मे विद्युत शक्ति विकास का विवेचन कीजिए।
3 योजनाकाल मे राजस्थान मे विद्युत विकास की प्रगति बताइए।
4 राजस्थान मे विद्युत विकास के राजकीय प्रयासो की समीक्षा कीजिए।
(संकेत — सभी प्रश्नो के उत्तर के लिए अध्याय मे दिए गए राज्य मे ऊर्जा विकास को लिखना है।)

राजस्थान में परिवहन विकास

(Transport Development in Rajasthan)

आर्थिक विकास मे परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन अपरिहार्य है। परिवहन के साधनो से सतुलित विकास को गति मिलती है। कच्चे माल की अतिरिक्त उपलब्धता को अन्य स्थानो को आपूरित किया जा सकता है और स्थान विशेष का प्राकृतिक ससाधनों के अभाव मे भी विकास किया जा सकता है। आज परिवहन के साधनो का औद्योगिक विकास मे ही महत्त्व नहीं अपितु प्राकृतिक आपदाओ के समय मे बडी उपादेयता है। परिवहन का सास्कृतिक महत्त्व है। युद्ध के समय तो परिवहन के साधनो की महत्ता और भी बढ जाती है। परिवहन मे मुख्यत रेल सडक व वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास मे परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। सडक परिवहन के क्षेत्र मे तो राजस्थान ने गति पकडी है किन्तु रेल व वायु यातायात की दृष्टि से राजस्थान तुलनात्मक रूप से पिछडा हुआ है।

राजस्थान में सडक परिवहन

(Road Transport in Rajasthan)

बडे महानगर और शहर सामान्यत वायु और रेल यातायात से जुडे होते है। भारत गावो का देश है और राजस्थान सरीखे प्रदेश मे तो बहुसख्यक आबादी गावो मे जीवन बसर करती है। सडके ही गावो के विकास का पर्याय है। जहा–जहा सडके पहुची है समृद्धि स्वत ही दृष्टिगोचर हो जाती है। सडको के विकास के बिना गाव अधूरे हैं। सडको के अभाव मे दूरदराज के ग्रामवासियो को भारी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। रोजमर्रा की चीजे गावो मे मुहैया नहीं होने के कारण ग्रामवासियो को अपनी आवश्यकताए सीमित कर लेनी पडती है। सडको के अभाव मे गावो का सामाजिक विकास भी गति नहीं पकड पाता है। ग्रामीण विकास के लिए सडको की महती भूमिका है। सडको द्वारा ही गावो के अतिरेक उत्पाद को लाभप्रद स्थानो के लिए यातायात किया जा सकता है। कृषि पडत को गावो मे सडको से सहज उपलब्ध कराया जा सकता है।

1 **यातायात विकास पर योजना परिव्यय** (Plan Outlay on Roads Transport) – राजस्थान के सडक परिवहन की दृष्टि से पिछडे हुए होने के कारण योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय मे वृद्धि की गई है। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ में यातायात विकास पर परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यातायात व्यय विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं मे इस प्रकार रहा प्रथम योजना मे 5 6 करोड रुपए, द्वितीय योजना 10 2 करोड रुपए, तृतीय योजना में 9 8 करोड रुपए, तीन वार्षिक योजनाए 4 4 करोड रुपए, चतुर्थ योजना 10 0 करोड रुपए, पाचवी योजना 84 2 करोड रुपए, छठी योजना 251 0 करोड रुपए, सातवीं योजना मे 142 5 करोड रुपए। आठवीं पचवर्षीय योजना मे यातायात पर 868 करोड रुपए व्यय किया गया जो कुल योजना उद्व्यय 11,999 करोड रुपए का 7.2 प्रतिशत था। नौवीं पचवर्षीय योजना मे यातायात पर 2,689 2 करोड रुपए व्यय प्रस्तावित है जो कुल योजना उद्व्यय का 9 7 प्रतिशत है। राज्य की वर्ष 1999–2000 की वार्षिक योजना मे यातायात विकास शीर्ष पर 954 2 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल वार्षिक योजना 5,022 करोड रुपए का 15 प्रतिशत है। वर्तमान में परिवहन विकास राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है।

2 **सडकों का विकास** (Development of Road) – योजनाबद्ध विकास मे यातायात परिव्यय में वृद्धि से सडक परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान मे सडको की लम्बाई 1950–51 में केवल 17,339 किलोमीटर थी जो बढकर 1980-81 मे 41,194 किलोमीटर हो गई।

राजस्थान में वर्ष दर वर्ष सडकों के विकास मे वृद्धि हो रही हे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सडको की लम्बाई 1990–91 मे 58,350 किलोमीटर थी जो बढकर 1993–94 में 63,078 तथा 1995–96 मे और बढकर 66,837 किलोमीटर हो गई। सडको की लम्बाई 1998–99 मे 84,958 किलोमीटर थी। राजस्थान मे 1950–51 से 1998–99 के बीच अडतालीस वर्षो की समयावधि मे सडकों की लम्बाई मे पाच गुना वृद्धि हुई है। सडको की लम्बाई 1999-2000 मे 87,511 किलोमीटर थी।

3 **सडक विकास में असमानता** (Inequality in Road Development) – नियोजित विकास मे सडको की लम्बाई मे वृद्धि हुई है किन्तु सडको के विकास मे असमानता है। राजस्थान में सडकों की लम्बाई की दृष्टि से जोधपुर, पाली, बाडमेर, भीलवाडा विकसित हैं। *वर्ष 1992–93 में इन जिलो में सडकों की लम्बाई राज्य की* कुल सडकों का लगभग 31 प्रतिशत थी।

राजस्थान मे वर्ष 1992–93 मे सडको की सबसे कम लम्बाई दौसा जिले में थी, वहा सडकों की लम्बाई केवल 636 किलोमीटर थी। बारा जिले मे सडको की लम्बाइ 806 किलोमीटर थी। इसके विपरीत जोधपुर मे सडको की लम्बाई सर्वाधिक 4,812 किलोमीटर थी। इस प्रकार जिलेवार सडका की लम्बाई मे भारी असमानता है। वर्ष 1995–96 मे सडकों की सबसे अधिक लम्बाई जोधपुर मे 4 937

किलोमीटर तथा सबसे कम सडके दौसा मे 874 किलोमीटर थी। सवाईमाधोपुर मे 1995–96 मे 2,268 किलोमीटर सडके थी।

4 **नागपुर वर्गीकरण के अनुसार रोड** (Road by Nagpur Classification) – नागपुर वर्गीकरण मे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, बडी जिला सडके, अन्य जिला सडके और ग्रामीण सडके सम्मिलित की जाती है। नागपुर वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सडक विकास निम्न तालिका मे दर्शाया गया है –

नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सडकों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्गीकरण	1985-86	1992-93	1995-96	1998-99	1999-2000
राष्ट्रीय राजमार्ग	2521	2846	2846	2964	2964
राज्य राजमार्ग	7457	7151	9810	9990	9966
मुख्य जिला सडके	3616	3638	5549	5789	5947
अन्य जिला सडके और ग्रामीण सडकें	34603	45646	46393	63976	66395
सीमावर्ती सडके	2239	2239	2239	2239	2239
योग	50436	61520	66837	84958	87511

Source 1 *Basic Statistics*, Rajasthan 1988 & 1994

2 *आर्थिक समीक्षा*, 1995-96, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राजस्थान मे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई काफी कम है। वर्ष 1985–86 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाइ 2,521 किलोमीटर थी जो बढकर 1995–96 में 2,846 किलोमीटर तथा 1998–99 मे 2,964 किलोमीटर हो गई। वर्ष 1998–99 मे राज्य राजमार्ग की लम्बाई 9,990 किलोमीटर, मुख्य जिला सडके 5,789 किलोमीटर, अन्य जिला सडके और ग्रामीण सड़के 63,976 किलोमीटर तथा सीमावर्ती सडके 2,239 किलोमीटर थीं। राजस्थान मे 1951 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मे सडको की औसत लम्बाई केवल 54 किलोमीटर थी। राजस्थान मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मे सडको की औसत लम्बाई 1995–96 में 33 12 किलोमीटर तथा 1998–99 के अन्त में 43 67 किलोमीटर थी। जबकि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मे अखिल भारतीय सडकों की औसत लम्बाई 1998–99 मे 73 किलोमीटर है। यह स्थिति राजस्थान के सडक परिवहन की दृष्टि से पिछडेपन को दर्शाती है।

5 मोटर परिवहन का विकास (Development of Motor Transport) – योजनाबद्ध विकास मे राजस्थान मे पजीकृत मोटर वाहनो की सख्या मे भारी वृद्धि हुई है। पजीकृत वाहनो मे प्राइवेट कारो, जीप, मोटर साईकिल, आटो साईकिल,

आटोरिक्शा, स्कूटर, टैक्सी कार, ट्रेक्टर्स, हेलर्स, स्टेट कैरेज आदि मुख्य हैं।

राजस्थान मे 1985–86 मे पजीकृत वाहनो की सख्या 5 72 लाख थी जो बढकर 1994–95 मे 15 85 लाख हो गई। इस प्रकार केवल नौ वर्षों मे पजीकृत वाहनो की सख्या मे लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई। राज्य मे जैसे–जैसे सडको का विकास और आर्थिक समृद्धि मे वृद्धि हो रही है वैसे–वैसे पजीकृत वाहनो की सख्या मे भी वृद्धि हो रही है। पजीकृत वाहनो की सख्या 1997 मे 21 27 लाख तथा 1998 मे 22 लाख थी। जो 1999 में और बढकर 26 48 लाख हो गयी।

6. सडक दुर्घटनाएं (Road Accidents) – राजस्थान मे सडक परिवहन के विकास के साथ बढती सडक दुर्घटना चिन्ता की बात है सडक दुर्घटना से जान और माल की भारी क्षति होती है। राजस्थान मे वर्ष 1986 में 5,724 सडक दुर्घटनाए हुई इनमे 2,121 व्यक्ति मारे गए तथा 5,975 व्यक्ति जख्मी हुए। 1992–93 मे सडक दुर्घटनाओं की सख्या और बढकर 12,757 हो गई इनमे मरने वाले लोगो की सख्या बढकर 3,893 हो गई। *सर्वाधिक सडक दुर्घटना जयपुर मे होती है। वर्ष 1993 मे* जयपुर मे 2,911 सडक दुर्घटना हुई इसके विपरीत जैसलमेर मे सडक दुर्घटनाओ की सख्या 82 थी। राजस्थान मे 1996 में 18,891 सडक दुर्घटनाओ मे 5,430 व्यक्ति मारे गए तथा 24,214 व्यक्ति जख्मी हुए।

7. ग्रामीण सडकें (Village Roads) — राजस्थान मे विगत दस वर्षो मे अन्य जिला सडके और ग्रामीण सडको की लम्बाई में वृद्धि हुई है। ग्रामीण सडको की लम्बाई 1985–86 मे 34,603 किलोमीटर थी जो बढकर 1992–93 मे 45,646 किलोमीटर, 1995–96 मे 46,393 किलोमीटर तथा 1998–99 मे और बढकर 63,976 किलोमीटर हो गयी। राज्य मे ग्रामीण सडको की लम्बाई मे अवश्य वृद्धि हुई है इसके बावजूद अधिकाश गाव सडको से जुडे हुए नहीं है। 1971 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च 1994 तक 33,305 गावो मे से 14125 गाव सडकों से जुडे थे। सडको से जुडे गावो का प्रतिशत 42 4 था। 1981 की जनगणना के अनुसार सडकों से जुडे गावो का प्रतिशत कम है। 34968 गावो मे से 9805 गाव ही सडको से जुडे थे। सडकों से जुडे गावो का प्रतिशत 28 था। 1981 की जनगणना के अनुसार 1,000 से कम जनसख्या के 26,822 गावो मे 8,031 गाव सडकों से जुडे थे। 1,000 से 1,500 तक जनसख्या के 3,691 गावो मे 2,542 गाव सडकों से जुडे थे तथा 1,500 से अधिक जनसख्या वाले 4,455 गावो मे 4,089 गाव सडको से जुडे थे। वर्ष 1993–94 तक 78 प्रतिशत गाव सडको से जुडे नहीं थे।

नौवीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक (सन् 2002) राजस्थान के सभी 37 हजार गावो को सडको से जोडने की तैयारी की जा रही है। सातवीं योजना मे सडको के विकास के लिए जो बजट 2 4 प्रतिशत था वह 1999–2000 मे 15 प्रतिशत तक पहुच चुका है। 1996 मे सडको से जुडे गावो की तादाद 19 हजार थी। 31 मार्च 1997 तक 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी

वाले गाव डामर की सडको से जोडने का लक्ष्य था तथा मार्च 1999 तक प्रत्येक पचायत केन्द्र सडक से जोडने का लक्ष्य था।[1] राजस्थान मे वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 37,889 आबाद गाव है। इनमे से मार्च 1998 के अत तक 14,148 गावो को सडक से जोड दिया गया अर्थात् राज्य मे 37 3 गाव सडको से जुड़े थे। मार्च 1999 के अन्त तक सडको से जुडे गाव 15,198 (सभावित) थे। नवम्बर 1998 तक 7,256 पचायत मुख्यालयो को बीटी सडको से जोड दिया गया है और शेष रहे पचायत मुख्यालयो को नौवीं पचवर्षीय योजना (1997-2002) मे सडको से जोड जाना प्रस्तावित है।[2]

आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी असख्या गावों का सडको से जुडे नहीं होना चिन्ताप्रद हैं। सडक परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनों के अभाव के साथ विषम भौगोलिक स्थिति भी सडक विकास मे बाधा है। विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सडको मे स्थायित्व नहीं रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों और रेत के धोरों पर सडक निर्माण कठिन है। सडके गावो के विकास का विकल्प है अत ग्रामीण सडको के विकास पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की महती आवश्यकता है। समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निकट भविष्य मे सभी गावो को सडको से जोडा जाना चाहिए। सडक परिवहन पर विनियोजन मे वृद्धि की जानी चाहिए। आबटित राशि का सार्थक उपयोग हो। सडको के निर्माण के गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारियो पर कडी दृष्टि रखी जाए। प्राकृतिक आपदाओ के कारण क्षतिग्रस्त सडको के पुनर्निर्माण की माकूल व्यवस्था हो।

परिवहन के साधनो मे सडको का सास्कृतिक महत्त्व भी है। युद्ध के समय तो सडको की महत्ता और भी बढ जाती है। राजस्थान की बहुसख्यक आबादी गावो में जीवन बसर करती है। सडक विकास से गावो की समृद्धि सहज दृष्टिगोचर होती है। सडको से गावो मे सामाजिक विकास गति पकडता है। सडको के विकास की दृष्टि से राज्य लम्बे समय तक पिछडा रहा। आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। योजनाबद्ध विकास मे सडक परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करने तथा पचवर्षीय योजनाओं मे यातायात विकास पर परिव्यय मे उत्तरोत्तर वृद्धि से राज्य में परिवहन के क्षेत्र मे सुधार हुआ है। सडक यातायात में राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम प्रासगिक भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम (Rajasthan State Road Transport Corporation, RSRTC) – यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना में 1964 मे हुई। वर्ष 1991-92 मे निगम के कुल वित्तीय ससाधन 153 करोड रुपए थे। राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम ने पिछले वर्षों में लाभ अर्जित किया है। विगत वर्षो मे निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है 1989–90 मे 15.3 लाख रुपए, 1992–93 मे 12 7 करोड रुपए, 1993–94 मे 22 4 करोड रुपए। वर्ष 1995–96 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 26 करोड रुपए का लाभ हुआ। लाभ अर्जित करने

की दृष्टि से निगम ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 1990–91 में निगम को 8 6 करोड रुपए का घाटा हुआ था।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 1998–99 मे 51 10 करोड किलोमीटर बस सचालन का लक्ष्य रखा था इसके विरुद्ध दिसम्बर 1998 तक 38 49 करोड किलोमीटर बसे सचालित की गई। वित्त वर्ष 1998–99 मे 410 पुरानी बसो को नयी बसो मे बदलने का लक्ष्य रखा गया था इसके विरुद्ध दिसम्बर 1998 तक 400 बसो के चेसिस खरीदे जा चुके थे।

सडक परिवहन के सबध मे राजस्थान को 'मॉडल स्टेट' माना जा सकता है। राजस्थान मे परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है। राजस्थान सरकार ने परिवहन निगम विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया। राज्य के 32 जिलो मे चालको के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की योजना है भविष्य मे सडक परिवहन सेवा मे सुधार की आशा की जा सकती है।

राजस्थान में रेल मार्ग
(Rail Route in Rajasthan)

1 **वर्तमान स्थिति** (Present Position) – तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते रेल परिवहन आवश्यक है। राजस्थान रेल परिवहन की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से पिछडा हुआ है। विगत कुछ वर्षों मे राजस्थान का सामरिक महत्त्व होने के कारण थार मरुस्थल में रेलवे विकास पर बल दिया गया है जिससे रेल परिवहन मे विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान मे रेल मार्गों की लम्बाई लगभग 6,500 किलोमीटर है जो भारत के कुल रेल मार्गों 62,500 किलोमीटर का केवल 10 4 प्रतिशत ही है।

राजस्थान मे प्रति लाख जनसख्या पर वर्ष 1990–91 मे रेल मार्ग की लम्बाई 13 28 किलोमीटर थी जो अखिल भारत स्तर पर प्रति लाख जनसख्या पर रेल मार्ग की लम्बाई 7 39 किलोमीटर से अधिक थी। राजस्थान मे प्रति लाख जनसख्या पर रेल मार्ग की लम्बाई 1997 98 मे 13 43 किलोमीटर थी। क्षेत्रफल के हिसाब से रेल मार्गो की लम्बाई में राजस्थान पिछडा हुआ है। राजस्थान मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर मे रेल मार्गों की लम्बाई केवल 17 किलोमीटर है जो अन्य राज्यो यथा पश्चिम बगाल, पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि की तुलना में कम है। पश्चिम बगाल में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर मे रेल मार्ग की लम्बाई 43 किलोमीटर है जो देश मे सर्वाधिक है।

2 **रेल मार्गों का विकास** (Development of Rail Route) – स्वतत्रता से पूर्व राजस्थान मे रेल मार्गों का विकास नगण्य सा था। थोडा बहुत रेल मार्गों का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत तथा उदयपुर रियासत मे हुआ था। डूगरपुर, बासवाडा जैसलमेर रियासतें रेल मार्गो से जुडी हुई नहीं थी। स्वातन्त्र्योत्तर रेल विकास का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने हाथो मे लिया। रेल परिवहन भारत

सरकार का सबसे बडा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। राजस्थान मे रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है। राजस्थान के रेल परिवहन की दृष्टि से पिछडे होने के लिए बडी सीमा तक केन्द्र सरकार को जिम्मेदार माना जा सकता है।

(i) **रेलवे जोन** – राजस्थान मे उत्तरी रेलवे (Northern Railway), पश्चिम रेलवे (Western Railway) तथा केन्द्रीय रेलवे (Central Railway) है। राजस्थान मे सेन्ट्रल रेलवे की कुल लम्बाई 1990–91 मे 117 86 किलोमीटर थी। वर्ष 1990–91 उत्तरी रेलवे की कुल लम्बाई 2659 13 किलोमीटर तथा पश्चिम रेलवे की कुल लम्बाई 3,050 31 किलोमीटर थी।[3]

(ii) **ब्रोड गेज** (Broad Gange) – राजस्थान 1990–91 मे ब्रोडगेज की लम्बाई 1,235 27 किलोमीटर थी जिसमे 490 70 किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकृत था। वर्ष 1997-98 मे ब्रोड गेज की लम्बाई बढकर 3006 4 किलोमीटर हो गयी।

(iii) **मीटर गेज** (Metre Gauge) – राजस्थान मे 1990–91 मे मीटर *गेज की लम्बाई 4,505 52 किलोमीटर थी। राज्य मे मीटर गेज विद्युतीकृत नहीं है।* भारतीय रेल की सभी मीटर गेज लाइनो को ब्रोड गेज मे बदलने की योजना है। राज्य मे मीटर गेज की लम्बाई 1997-98 मे 2814 7 किलोमीटर थी।

(iv) **नेरो गेज** (Narrow Gange) – 1990–91 मे नेरो गेज की लम्बाई 86 51 किलोमीटर थी। राज्य का सम्पूर्ण नेरो गेज सेन्ट्रल रेलवे मे सम्मिलित है। वर्ष 1997-98 मे नेरो गेज की लम्बाई बढकर 88 8 किलोमीटर हो गयी।

(v) **विद्युतीकृत रेल मार्ग** (Electrificed Route) – राजस्थान मे विद्युतीकृत रेल मार्ग का अभाव है। राज्य मे 1990–91 म सेन्ट्रल रेलवे मे ब्रोडगेज 31 35 किलोमीटर तथा पश्चिम रेलवे मे ब्रोडगेज 459.35 किलोमीटर मार्ग विद्युतीकृत था। इस प्रकार राज्य मे 1990–91 मे विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 490 70 किलोमीटर थी। वर्ष 1997-98 तक विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई मामूली बढकर 491 2 किलोमीटर हो गयी।

3. **प्रमुख रेल मार्ग** (Major Rail Route) – राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गो में जयपुर-मुम्बई रेलमार्ग, जोधपुर-हावडा रेल मार्ग, दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर-दिल्ली रेलमार्ग, बीकानेर-दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग, जयपुर-गगानगर रेल मार्ग, बीकानेर-गगानगर रेल मार्ग, फुलेरा-दिल्ली रेलमार्ग आदि मुख्य हैं।

4 **प्रमुख रेल गाडियां** (Major Trains) – *राजस्थान मे जयपुर–दिल्ली रेल* मार्ग पर तीव्र गति की रेलगाडी शताब्दी एक्सप्रेस है। जयपुर को ब्रोडगेज से जोडे जाने के बाद जयपुर–मुम्बई सुपर फास्ट, जोधपुर–हावडा सुपरफास्ट, जयपुर–चेन्नई एक्सप्रेस, जयपुर–इन्दौर एक्सप्रेस, जयपुर–बगलौर एक्सप्रेस प्रारम्भ हो चुकी है। राजस्थान मे चलने वाली अन्य रेल गाडियो मे आश्रम एक्सप्रेस, पिकसिटी एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, गगानगर एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, अवध एक्सप्रेस, जनता

एक्सपेस, पश्चिम एक्सप्रेस, स्वर्णमदिर मेल आदि प्रमुख है।

5 गेज परिवर्तन (Gauge Change) – वर्ष 1992–93 में जयपुर–सवाई माधोपुर 132 किलोमीटर रेलमार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1992–93 मे लालगढ–कोलायात तथा लालगढ मेडता रोड का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1993–94 मे मेडता रोड–फुलेरा, जयपुर–अलवर–रेवाडी तथा जयपुर–अजमेर–मारवाड रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1994–95 म मेडता रोड–जाधपुर तथा जोधपुर–जैसलमेर रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया।

आर्थिक उदारीकरण में राजस्थान में रेल विकास
(Rail Development in Rajasthan During Economic Liberalization)

वर्ष 1996–97 के रेल बजट मे प्रशासनिक आवश्यकता के कारण जयपुर मे रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई तथा राज्य के लिए नई चार रेल गाडिया यथा बीकानेर–मेडता राड लिक एक्सप्रेस हावडा तक, जयपुर–चेन्नई साप्ताहिक एक्सप्रेस, अहमदाबाद–जोधपुर–बीकानेर एक्सप्रेस एव दिल्ली अहमदाबाद मेल (बडी लाइन) चलाने की घोषणा की गई। जोधपुर–लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस को वाराणसी तक बढाया गया। दौसा से गगापुर सिटी तक नई रेल लाइन का कार्य बजट मे शामिल किया गया। वर्ष 1997–98 में गगानगर–स्वरूपसर, बीकानेर–हिसार, रेवाडी–सादुलपुर, अजमेर–चित्तौडगढ–उदयपुर आमान (Gauge) परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण की घोषणा की गई। वर्ष 1999–2000 मे राजस्थान मे रेलवे विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इस वर्ष राजस्थान से केवल एक रेलगाडी जयपुर–बगलौर सिकदराबाद (सप्ताह मे दो बार) चलाई गई। एक मीटर गेज की रेलगाडी बीकानेर–जयपुर एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र अजमेर तक बढाने की घोषणा की गई। इसके अलावा राजस्थान से सबधित अनूपगढ–बीकानेर, जैसलमेर–काडला, रामगज मडी–झालावाड–भेपाल मार्गों पर नई रेल लाईन के सर्वेक्षण की घोषणा की गई।

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याए और समाधान
(Problems and Solutions of Rail Transport in Rajasthan)

1 रेलवे विकास मे क्षेत्रीय विषमता की समस्या विकट है। राजस्थान मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 17 किलोमीटर है जो पश्चिम बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब, हरियाणा की तुलना मे कम है।

2 राजस्थान भारत का सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी रेल विकास की दृष्टि से पिछडा हुआ है। हाल के रेल बजटो मे राजस्थान क लिए कम धन आवटित किया गया

3 जयपुर–सवाईमधोपुर ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण नहीं है। मत्स्य सघ का ऐतिहासिक क्षेत्र करौली रेल परिवहन के अभाव मे आज भी पिछडा है जबक यहा विकास की विपुल सभावनाए हैं।

4 राज्य मे रेल दुर्घटना, चोरी, गाडियो को जगह–जगह रोक लेना, बिना

टिकट यात्रा, गन्दगी आदि समस्याए आम है। राजस्थान में 21 सितम्बर 1993 का पश्चिम रेलवे के छबडा तथा भूलोन रेलवे स्टेशना के बीच कोटा–बीना यात्री गाडी तथा एक मालगाडी के बीच टक्कर मे 78 लोगों की मौत हुई तथा 88 लोग घायल हुए।

5 राजस्थान के कई जिले झालावाड, करौली आदि रेल से जुड हुए नहीं है। ब्राडगेज और विद्युतीकृत रेल मार्गों का अभाव है।

सुझाव (Suggestion)

1 राजस्थान की आर्थिक और सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए रल मत्रालय को रेल विकास परिव्यय मे वृद्धि करनी चाहिए। राज्य मे अधिक रेल गाडिया चलाने, पुरानी गाडियों के फेरे बढाने, गेज परिवर्तन व अधिक विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

2 जयपुर–चेन्नई साप्ताहिक रेल को सातों दिन चलाने की आवश्यकता है। बारा गुना होते हुए एक ओर रेल चलाई जानी चाहिए।

3 कोटा–गुना–बीना रेलमार्ग के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता है। जयपुर–सवाईमधोपुर रेल मार्ग का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जयपुर–सवाईमाधोपुर रेल को कोटा तक बढाने पर विचार करना चाहिए।

राजस्थान मे विकास की सभावनाए बिखरी पडी है। विगत दशकों मे रेल विकास की दृष्टि से पिछडे राजस्थान की केन्द्र सरकार यदि सुध ले तो राज्य का आर्थिक कायाकल्प सभव है।

राजस्थान में वायुमार्ग
(Air Route in Rajasthan)

राजस्थान वायु परिवहन की दृष्टि से देश का पिछडा हुआ राज्य है। राजस्थान म वायु मार्गों और हवाई अड्डों का नितात अभाव है। राजधानी जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। राज्य के कुछ ही जिलों में वायु सेवा उपलब्ध है। राजस्थान के वायु परिवहन की दृष्टि से विकसित नहीं होने के कारण तीव्र औद्योगीकरण में बाधा आती है।

वायु परिवहन का विकास (Development of Air Transport) – स्वतत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर म ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुडा था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारम्भ हुई।

स्वातन्त्र्योत्तर 1953 मे वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु यातायात का सचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश मे एयर इडिया तथा इडियन एयरलाइन्स प्रमुख वायु सेवाए हैं। हाल के उदारीकरण मे वायु यातायात मे

निजी वायु सेवाए प्रारम्भ हुई है। राजस्थान मे वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है –

वायु मार्ग (Air Routes) – वर्तमान मे राजस्थान मे केवल तीन मुख्य मार्ग है जिनके नाम है – दिल्ली–आगरा–जयपुर, दिल्ली–जयपुर–उदयपुर–औरंगाबाद–मुम्बई, दिल्ली–जयपुर–जोधपुर–उदयपुर–अहमदाबाद–मुम्बई।

हवाई अड्डे (Aerodromes) – राजस्थान मे सागानेर (जयपुर), डबोक (उदयपुर), कोटा एयरपोर्ट, रातानाडा (जोधपुर) आदि हवाई अड्डे है। इन हवाई अड्डों के अलावा सूरतगढ तथा बाडमेर मे सैनिक महत्त्व के हवाई अड्डे है। बीकानेर मे भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है।

उपर्युक्त विवरण राजस्थान में वायु परिवहन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। राजस्थान औद्योगिक घरानो का प्रदेश है। यहा जन्मे उद्योगपतियो ने भारत के औद्योगिक विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु राजस्थान मे आधारभूत सरचना विशेषकर परिवहन के साधनो के अभाव के कारण पूजी निवेश मे वृद्धि नहीं हो सकी। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत का समृद्ध राज्य है। यहा के पर्यटन स्थलो विशेषकर रणथम्भौर, सरिस्का, घना राष्ट्रीय पार्क तथा ऐतिहासिक स्थलो–चित्तौडगढ, रणथम्भौर दुर्ग आदि में विदेशी पर्यटको को आकर्षित करने की क्षमता है। राजस्थान के पर्यटन स्थलो को वायु सेवाओं से जोडकर विदेशी पर्यटको से विदेशी विनिमय प्राप्त कर भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सकती है।

सन्दर्भ

1 *राजस्थान पत्रिका*, 27 दिसम्बर 1996

2 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।

3 *Statistical Abstract*, Rajasthan, 1993, p 208

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

1 राजस्थान की ग्रामीण सडको पर टिप्पणी लिखिए।
2 सडको के वर्गीकरण को समझाइए।
3 राजस्थान मे रेल विकास की क्या स्थिति है?
4 राजस्थान मे वायु परिवहन की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1 राजस्थान मे परिवहन विकास पर प्रकाश डालिए।
(संकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए राज्य मे सडक वायु व रेल परिवहन के विकास को लिखना है।)

2 राजस्थान मे सडक परिवहन की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

(M.D.S. University Ajmer, 1999)

(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे सडक परिवहन की वर्तमान स्थिति तथा दूसरे भाग मे सडक परिवहन की समस्याओ को लिखना है।)

3 राजस्थान के रेल मार्गो की क्या स्थिति है। आर्थिक उदारीकरण मे राज्य मे रेल विकास के क्या प्रयास किये गए। रेल परिवहन की समस्याए तथा समाधान बताइए।

(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग मे राजस्थान में रेल मार्गों की स्थिति बतानी है तदुपरात उदारीकरण मे रेल विकास के प्रयासो को लिखना है। प्रश्न के तीसरे भाग मे रेल परिवहन की समस्याए और समाधान का विवेचन करना है।)